Volume I , Issue V
Jan - March 2014

Reg. No.- MPHIN/28519/12/1/2012- TC
ISSN 2320-8767

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795 - Vikas Nagar Extension 14/2 , NEEMUCH (M.P.) 458 441, (INDIA)
Mob. 09617239102 **Email** nssresearchjournal@gmail.com **Website** www.nssresearchjournal.com

सम्पादक की अभिव्यक्ति

सम्माननीय शोधार्थियों

सादर वन्दे,

'नवीन शोध संसार' के द्वारा किये जा रहे नवीन प्रयास- राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी (फरवरी 2014, छिन्दवाड़ा) अंक एवं म.प्र. में उच्च शिक्षा के नये आयाम विशेषांक पर आप सभी के द्वारा जो सहयोग एवं प्रोत्साहन मिला है। उसका मैं दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ। इन प्रयासों की सफलता का श्रेय सभी शोधार्थियों को जाता है जिन्होंने हमारे इन प्रयासों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि, सभी के पुन: अनुरोध पर हम म.प्र. उच्च शिक्षा के नये आयाम विशेषांक को दो भागों में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। जिसका प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है और उसकी सराहना से हम इसका द्वितीय भाग का प्रकाशन जुलाई 2014 में करेंगे। इस विशेषांक के उपशीर्षकों के साथ-साथ नियमावली में भी विस्तार किया है जिसमें शोधार्थियों के सुझाव सम्मिलित है। इस विशेषांक में शोध आलेख भेजने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2014 निर्धारित की गई है। शेष जानकारी हमारी वेबसाईट के एन.एस.एस. स्पेशल एडिशन सेक्शन पर उपलब्ध है।

भविष्य में भी आपके स्नेह सहयोग एवं मार्गदर्शन की कामना करते हुए आप सभी को पुन: धन्यवाद।

आपका

Ashish Sharma

आशीष शर्मा

'नवीन शोध संसार' का छोटा-सा अनुरोध-

- पेड़-पानी, ऊर्जा और बेटी बचाएँ
- गुटखा, बीड़ी, सिगरेट एवं शराब को ना कहें, इनसे कैंसर होता है।

इस शोध पत्रिका को प्रकाशित करते हुए पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटी के लिये सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक जिम्मेदार नहीं होंगे। समस्त विचारों का न्यायक्षेत्र नीमच होगा।

'श्री गणेशाय नम:'

नवीन शोध संसार

Reg. No.- MPHIN/28519/12/1/2012- TC
ISSN 2320-8767
Volume I Issue V, Jan. - March 2014

संरक्षक एवं अध्यक्ष निर्णायक मण्डल
डॉ. एल.एन. शर्मा 09425974314
प्राध्यापक वाणिज्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

सम्पादक
आशीष शर्मा
मो. 09617239102

प्रबंध सम्पादक
अपूर्व शर्मा
मो. 08989670811

मार्गदर्शक

(1) **श्री जे.एन. कांसोटिया** प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

(2) **प्रो.डॉ. आई.वी. त्रिवेदी** (कुलपति)
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

(3) **प्रो. डॉ. मोहनलाल छीपा** (कुलपति)
अटलबिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

(4) **प्रो. डॉ. शिवनारायण यादव** (पूर्व कुलपति) प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

सदस्यता शुल्क विवरण

- संस्थागत वार्षिक- ₹ 1200/-
- प्रति शोधार्थी वार्षिक - ₹ 700/-

शोधपत्र प्रकाशन राशि (सदस्यता अनिवार्य है)

- प्रति शोध पत्र - ₹ 800/-

(प्रति शोध पत्र अधिकतम 2000 शब्द)

अतिरिक्त प्रति 500 शब्द ₹ 200/-

(शोध पत्र प्रकाशन राशि में वार्षिक सदस्यता शुल्क सम्मिलित नहीं है)

प्रिन्ट- **मित्तल प्रिन्ट लाईन**
282 विकास नगर 14/4, नीमच ☎ 228654

अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका /Index 01

02 नवीन शोध संसार के बढ़ते कदम 08

03. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल 09

04. निर्णायक मण्डल 10

05. प्रवक्ता साथी 12

(Science / विज्ञान)

06. Need for Conservation of Vegetation Pattern in Dhar District (M.P.) 14
(Prof. Govind waskel, Prof. Sarika Tundele, Prof. Nutan Rajput)

07. Antimicrobial Significan of The Leaf Extracts of Gardenia Gummifera 17
(N. Narware, P.Mishra, P.N. Shrivastav)

08. Plastic pollution in Enviroment (Prof. B.K. Rawat, Prof. Shailendra) 20

09. Observation on Cestodes in Gallus-Gallus Demesticus At Satna (M.P.) 24
(Dr. Smt. Seema Bhola, Dr. Reeta Solanki)

10. Spathodea Campanulata An Exotic Plant Has Reported First Time In Dhar (M.P.) 26
(Prof. Nirbhay Singh Solanki, Prof. S.C. Mehta)

11. Traditional use of medicinal plants among the tribal communities of Patalkot, ... 28
Chhindwara District (M.P.) (Droupadi Parte)

12. Necessity and Management of Safe Water (Dr. Renu Rajesh) 32

13. Control Of Culex Mosquito By Plant Extract (Kushal Singh Baghel, Gangaram Masar) 35

14. Plant mythology and traditions (Sarika Tundele, Govind Waskel) 37

15. Water Associated Diseases (Smt. Meena Swamy, Ku. Preetikiran Lodhi) 40

16. A Survey Of Hill Stream Fishes Of Hoshangabad District Of Madhya Pradesh. 43
(P.K. Mishra, Anil Ghodki, S.Joshi)

17. Plankton Ecology of The Bahadur Sagar pond of Jhabua (M.P.) 45
(Dr. R.R. Kanhere, Rita Ganava, Reena Ganava)

18. Survey and conservation of piscine Diversity of River Tawa of Hosangabad District (M.P.) 47
(P.K. Mishra, S. Joshi)

19. A survey study on “Menopausal effects on Working & Non-Working Women” of 49
Jabalpur and Satna (Dr. R. Solanki, Dr. H. Maini, Dr. Seema Bhola)

20. Application of Medical Textiles for Treatment of Varicose Vein Ulcer (Shweta Sharma) 50

21. Assessment of some Physico-Chemical Characteristics of Surface Water Quality of 52
Narmda River in West Nimar Region Dist-Khargone (M.P.) India with special reference
to Agriculture run-off (Mrs. Nisha Garg)

22. Metabolism And Effects On Hormones Of Alcohol 57
(Prof. Dinesh Kanade, Prof. Mahesh Baviskar)

23. Fixed Point in L-Space (Dr. R. D. Daheriya, Bhawna Parkhey) 59

24. Fixed Point Theorem In Pseudo Compact Tichonov Space (Ganesh Kumar Soni) 61

25. Fixed Point Theorem for Densifying Mapping (Dr. Ganesh Kumar Soni) 62

26. जलवायु परिवर्तन एवं विश्व का बढ़ता तापमान– एक विश्लेषण (श्रीमती कविता ठाकुर, श्रीमती अंजना ठाकुर) 63

27. संकटग्रस्त प्रजाति खरमोर (खरमोर अभ्यारण्य सरदारपुर घाट के संबंध में) (श्रीमती अंजना ठाकुर, श्रीमती कविता ठाकुर) 65

(Home Science / गृह विज्ञान)

28. Fruit Consumption amongst Adolescent Girls of Different Socio-Economic 67
Status: A Case Study (Dr. Abha Tiwari, Veena Shrivastava)

29. Correlation Coefficicent Between The Nutritional Status And Socio Economic Status Of 70
Children (0-2 Years) Of Urban Slums (Dr. Archana Mathew, Dr. Rekha Sharma)

30. Mental Helth of Women Waorking At Call Centers in India 73
(Monika Harsha, Dr. Minakshi Mathur)

31. Impact of Family Enviornment on Behaviour Problems of Rag Pickers 77
(Dr. Nasreen Gazdar, Prof. Usha Kothari)

32. Psychological Counseling Needs of Adolescents (Dr. Chandra Kumari, Smita) 81

33. कुपोषित बालक–बालिका का पोषण स्तर एवं उनकी माताओं का पौषणिक स्तर 84
(नसरीन–रहमान शेख, कु. अनिता सोलंकी)

34. फास्ट फूड का बालक–बालिकाओं के मानसिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन– सागर शहर के संदर्भ में 85
(डॉ. रेनूबाला शर्मा, आराधना श्रीवास)

35. ग्वालियर शहर की किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान पर स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन 88
(डॉ. मंजू दुबे, डॉ. नीरु त्रिपाठी)

36. किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर अभिभावकीय प्रोत्साहन का अध्ययन (डॉ. आभा तिवारी, कु. रीना मेश्रा.) 90

37. स्तन कैंसर के रोगियों की अभिवृत्ति का उनके स्वास्थ्य स्तर पर प्रभाव का अध्ययन (डॉ. अर्चना कुशवाह, डॉ. मंजू दुबे) 92

38. रक्ताल्पता एक पोषणिक समस्या (श्रीमती जयंती जोशी) 93

39. महिला स्वास्थ्य विकास में महत्वपूर्ण आयाम (मयूरी वरवडे) 95

40. आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं में स्तनपान संबंधी प्रवृति का एक तुलनात्मक अध्ययन 97
(डॉ. मंजु शर्मा, डॉ. सुनीता अगलेचा)

41. ट्रैफिकिंग बनाम वेश्यावृत्ति (डॉ. अंजना धुर्वे) 98

42. विशिष्ट एवं सामान्य क्षमता के मध्य सेतु निर्माण एवं कौशल का विकास (डॉ. आशा पाण्डे) 99

43. ग्वालियर शहर की छात्रावासी एवं गैरछात्रावासी किशोरियों में रक्तालप्ता का अध्ययन (डॉ. पूनम तिवारी, डॉ. मंजू दुबे) 100

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

44. Business Process Outsourcing (Emerging, Issues and Challenges) 102
(Dr. Abhay Mungee, Dr. M.R. Mahale)

45. Role Of E-Commerce and Net-Banking in RBI (Dr. Ashok Sharma, Mrs. Rohini Kulkarni) 104

46. Moral Values in Advertising (DR. Abhay Mungee) 108

47. Recognition And Assessment Of Ergonomic Risk Factors Leading To Musculoskeletal Injuries (Dr. Namrata Arora Charpe) 110

48. Exchange Control in India (Dr. Satish Maheshwari, Trapti Maheshwari) 112

49. भारतीय आर्थिक संवृद्धि एवं रोजगार सृजन प्रवृत्ति - एक विश्लेषण (डाँ. सपना सोनी) 113

50. सहकारी समितियों का कृषि विकास में योगदान (सीधी जिलें के संदर्भ में) (डॉ. विवेक कुमार पटेल, डॉ. पल्लवी मिश्रा) 115

51. आदिवासी बहुल जिले के कृषि विकास में बैंकों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन (धार जिले के संदर्भ में) 117
(डॉ.हेमसिंह मण्डलोई)

52. अनूपपुर जिले का औद्योगिक परिचय (रामजी गर्ग, डॉ. विवेककुमार पटेल) 119

53. उदारीकरण की मार का शिकार भारतीय कृषक (डॉ. आनंद तिवारी) 121

54. बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार में विपणन की भूमिका (प्रो. डॉ. गणेश प्रसाद दावरे) 123

55. मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख कृषि उपजों का योगदान (प्रो. डॉ. गणेश प्रसाद दावरे) 124

56. मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन : आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम (डॉ. अभय मुंगी) 126

57. धार जिले में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन (प्रो. बी. एस. सिसोदिया) 128

58. देश में सहकारी बैंकों की स्थिति (डॉ.महेशचन्द्र गुप्ता, ऋचा अग्रवाल) 129

59. कृषि विकास में राष्ट्रीय बीमा योजना का योगदान (प्रो रायकू जमरा) 131

60. धार जिले में कृषि विकास में बैंक ऑफ इण्डिया के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन (प्रो. राजेश मईड़ा) 133

61. म.प्र. के आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के आर्थिक विकास में फुटकर व्यापार का अध्ययन (निशा मालवी, पी.के. मिश्रा) 135

62. मानव संसाधन विकास एवं नियोजन-लोक सेवकों की महती भूमिका (डॉ. दिनेश कुमार चौधरी) 137

63. भारतीय बैंकिंग में वर्ष 2011 के पश्चात् वित्तीय समावेशन की स्थिति का अध्ययन 139
(डॉ.सतीश माहेश्वरी, मदनमोहन विश्वकर्मा)

64. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की वर्तमान स्थिति : एक अध्ययन (डॉ. सतीश माहेश्वरी, किशोर मोरे) 141

65. जवाहर नवोदय विद्यालय एक परिचयात्मक अध्ययन (डॉ. सतीश माहेश्वरी, प्रो.मोहनसिंह वास्केल) 143

66. रजत उत्खनन् आकर्षण (डॉ. सतीश माहेश्वरी, तृप्ति माहेश्वरी) 145

67. रतलाम जिले की व्यावसायिक फसलो का वर्गीकरण (डॉ आर. के. माथुर, मोना कश्यप) 146

68. शासन द्वारा आयोजित दलहन एवं तिलहन योजना (डॉ आर. के. माथुर, मोना कश्यप) 147

69. भारतीय कृषि-क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं समाधान (डॉ. सपना सोनी) 148

70. अ.ज.जा. में अशिक्षा, गरीबी और इसका जनजातीय महिलाओं पर प्रभाव एक अध्ययन 150
(डॉ. औंकारसिंह मेहता, डॉ. नीरज करारी)

71. विपणन प्रबन्ध के बदलते स्वरूप-एक अध्ययन (श्री गणेशलाल राठोर) 151

(Economics / अर्थशास्त्र)

72. भारत में जनांकीकिय प्रवृत्तियाँ एवं उनका प्रभाव: (साक्षरता एवं जन्मदर के विशेष संदर्भ में) (डॉ. कविता भदौरिया) 152

73. छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिकों हेतु संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना (प्रो. बलराम सिंगोतिया) 156

74. ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास मे मनरेगा का योगदान (धार जिले के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. आर. एस. मण्डलोई) 160

75. गिरता बाल लिंगानुपात - एक अध्ययन (डॉ. शक्ति जैन) 162

76. ग्रामीण विकास का आधार पंचायती राज (प्रो. कविता धुर्वे) 165

77. बड़वानी जिले में खेतिहर आदिवासी महिला श्रमिकों की स्थिति - एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन (डॉ. एस. आर. अहिरे) 167

78. मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के बैगा जनजातियों काआर्थिक स्वरूप (डॉ. राजेश कुमार स्वामी, डॉ. विवेक कुमार) 170

79. भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था (रावेन्द्र सिंह पटेल) 173

80. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारतीय खुदरा व्यापार पर प्रभाव (डॉ. निशा मिश्रा) 175

81. अद्योसंरचना निर्माण में ''संचार'' का योगदान (म.प्र. के संबंध में) (डॉ.साधना वर्मा) 178

82. पर्यावरण प्रदूषण एवं मानव स्वास्थ्य (डॉ. अंजना चतुर्वेदी) 180

83. उपेक्षित नारी- बालिकाओं का गिरता हुआ अनुपात (डॉ. प्रतिमा खरे) 182

84. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ''शोध आलेख'' (डॉ. बिन्दु श्रीवास्तव) 183

(Sociology / समाजशास्त्र)

85. सामाजिक न्याय विकास का आधार (श्रीमती संध्या देव) 185

86. घरेलू हिंसा और शोषण के विरुद्ध एक विश्लेषण (डॉ. कल्पना कोठारी) 188

87. भारतीय संविधान एवं महिला अधिकार एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. रश्मि दुबे) 191

88. पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम न्यायालय की भूमिका का अध्ययन बालाघाट जिले के खैरलांजी तहसील के विशेष संदर्भ में 193
(तरूण कुमार शेण्डे, विनोद कुमार शेण्डे)

89. पंचायत राज एवं सूचना का अधिकार (सुधा शाक्य) 195

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

90. मानव अधिकार और महिलाएँ (श्रीमती प्रतीक्षा पाठक) 197

91. मानव की आदि भूमि भारत (डॉ. जे. के. संत) 199

92. गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियाँ (डॉ. सुलेखा मिश्रा) 201

93. भारतीय चिंतन में मानववादी विचार (डॉ. रजनी दुबे) 204

94. भारतीय प्रजातंत्र में नोटा की उपयोगिता (डॉ. प्रेमलता तिवारी) 206

(History / इतिहास)

95. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निमाड़ के आदिवासियों का योगदान (डॉ. बलराम बघेल) 207

96. मुगलकालीन अपराध एवं दण्ड विधान (प्रो. आकाश ताहिर) 209

97. धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यटन की आर्थिक विकास में भूमिका (डॉ. रविन्द्र सिंह) 211

98. आरंग के बाघेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला (डॉ. अनूप परसाई) 213

99. दक्षिण कोसल की शरभपुरीयकालीन प्रशासनिक व्यवस्था (डॉ. अनूप परसाई) 215

100. भारत के आदिवासी क्षेत्रों के सामंतीय रियासतों एवं जमीदारियों में जनजागृति (श्रीमती पूनम साहू, डॉ. वासुदेव साहसी) 218

101. प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बुन्देलखण्ड के झांसी अंचल की भूमिका (डॉ. विजय कुमार त्रिपाठी) 221

102. पातालकोट का भारिया समाज एवं उनका सामाजिक संगठन (श्रीमती कंचन ठाकुर, डॉ. इन्दिरा बर्मन) 224

103. भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में माण्डू (डॉं शिवप्रसाद बामने) 225

(Geography / भूगोल)

104. Resource Regions of Sagar Division Utilization & Distribution Patterns of Resources (Archana Bhargava) 226

105. व्यापारिक फसलों का अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव (डॉ. बी.एल. पाटीदार, रमेशचंद्र कन्नौजे) 230

106. जल संसाधन संरक्षण में जलग्रहण मिशन की भूमिका का मूल्यांकन (डॉ. यशोदा चौहान) 233

107. बैतूल जिले में पर्यटन विकास की संभावनाएँ : एक भौगोलिक अध्ययन (डॉ. के.आर.कोषे) 235

(Psychology / मनोविज्ञान)

108. Intentional Verbal Recall Of Field Dependant-Field Independent And Hysteroid-Obsessoid Personalities (Smita Jain, Samskrita Jain) 237

109. Positive Mental Health For The Betterment Of The Community (Dr. Rekha Baxy) 240

110. Environmental Values in Urban and Rural Students. (Smt. Mamta Barman) 242

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

111. Keats Aestheticism In Ode to a Nightingale and Ode on a Grecian Urn (Dr. Indira Parmar) 244

112. Aristotelian Vs. Modern Concept Of Tragedy (Dr. Rajeev Sharma) 247

113. Williamfaulkner: The Desire For Success And Distinction (Pradeep Sharma) 250

114. The Influence of Bhagvadgita in W.B. Yeats Poetry (Prof. Sushma Bhuvanendran) 251

115. Trauma Of Communal Violence And Indian Diaspora In Anita Rau Badami's Can You Hear The Nightbird Call? (Dr. Amitabh Dubey) 253

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

116. हिंदी उपन्यास साहित्य में लोक चेतना (डॉ. अमित शुक्ल) 257
117. आधुनिक हिन्दी व्यंग्य में 'फन्तासी' के प्रयोग (डॉ. विजय कलमधार) 259
118. राष्ट्रीय संस्कृति के वाहक : प्रसाद के नाटयगीत (डॉ. जया प्रियदर्शिनी शुक्ल) 261
119. समकालीन कथा लेखिका नासिरा शर्मा की कहानियों में नारी चेतना (डॉ. इला द्विवेदी) 263
120. आर्थिक परिवेश: साहित्यिक सन्दर्भ (रेखा सैनी) 265
121. मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में गाँधी दर्शन (छोटे लाल गुप्त) 267
122. युगीन संत्रास और मन्नू भंडारी का कथा-साहित्य (सुधा कुमारी) 269
123. विद्यानिवास मिश्र के ललित निबन्धों में लोक संस्कृति और लोकाचार (डॉ. इला द्विवेदी) 271
124. शाश्वत संस्कारों की विजय प्रतीक शम्पा : आशापूर्णा देवी (डॉ. श्रीमती संध्या खरे) 273
125. भिलाली लोक संस्कृति और लोक कथाओं की महत्ता (डॉं. के.एस.बघेल) 274
126. भील जनजाति में प्रचलित विविध रीति-रिवाज एवं प्रथाएँ (प्रो. मीरा जामोद) 276
127. आपका बंटी 'एक समीक्षा' (सुधा कुमारी) 277
128. स्वतंत्र भारत में हिन्दी व्यंग्य (आलेख) (डॉ. छाया चौकसे) 278

(Music/ संगीत)

129. संगीत और खेल का सहसम्बन्ध (श्रीपाद् आरोणकर) 279
130. सितार की परम्परागत बंदिशों का स्वरूप एवं विकास (डॉ. संजीव भण्डारी) 281

(Education / शिक्षा)

131. Relationship Between Study Habits and Academic Achievement of Senior Secondary School Students (Dr. SatishGill) 283
132. शिक्षक का दायित्व एवं शिक्षा (डॉ मधुमिता भटट्ाचार्य) 286

(Physical Education / शारीरिक शिक्षा)

133. Study of Self Confidence as Personality Traits of Team Game Players in relation to Junior/ Senior & Male/ Female (Dr. S.K.Gupta, Dr. Subhash Hardikar, Dr. Monika Hardikar) 287
134. Analysis Equipment And Coaching Factors Influenceing of Sports Career In West Zone Interversity Badminton Player (Satyanarayan Ladiya) 291

(Other / अन्य)

135. A Study on Regional Transport Offices (RTO) in India (Dr. Pradeep Chaurasia) 293

136. Role of Modern Teaching Aids in Present Education System (Dr. Sulekha Mishra) 297

137. Guidance and counseling in Higher Education (Dr. Neeraj Dubey) 300

138. Goldings's Attitude Towards Life (Bhavna Parmar) .... .302

139. वर्तमान समाजिक परिपेक्ष्य में सरकारी नीतियों द्वारा महिलाओं की सम्मानजनक प्रगति 303
(मध्य प्रदेश राज्य के विशेष संदर्भ में) (डॉ. संतोष कुमार उप्रेलिया)

140. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता (प्रो. रंजना रावत, प्रो. मनीषा सिसोदिया) 306

141. महिला सशक्तिकरण एवं वैधानिक प्रावधान (कु. अंशुल खरे) 308

142. भारत वर्ष का गौरवशाली अतीत व विज्ञान (डॉ.नितिन सहारिया,डॉ. सुरेश कुमार विमल) 311

143. महिलाओं की दशा एवं दिशा पर स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन (डॉ. रामकुमार चौकसे) 315

144. संस्कृति और समाजीकरण–एक अध्ययन (श्री सुभाष चंद्र कामदार) 317

(Naveen Shod Sansar / नवीन शोध संसार)

145. Guideline for Authors/Research Scholars 318

146. Copyright Agreement Form 319

147. Membership Cum Author's Bio-data Form 320

नवीन शोध संसार की ओर से हार्दिक बधाई

उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना में उत्कृष्ट सामाजिक सेवा प्रदान करने पर राज्यश्री पुरस्कार 2012–13 से शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर के प्राचार्य प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डे एवं प्रो. डॉ. प्रतिमा खरे (एन.एस.एस. अधिकारी) सम्मानित होते हुए ।

नवीन शोध संसार के बढ़ते कदम...

शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में नवीन शोध संसार द्वारा प्रकाशित विशेष संस्करण का विमोचन करते हुए अतिथि, प्राचार्य एवं स्टॉफ के सदस्य

माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय खण्डवा में नवीन शोध संसार के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल का विमोचन महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक एवं अन्य गणमान्यजन द्वारा

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) श्री अशोककुमार .... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
(02) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी .... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमाँडू, नेपाल
(03) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा .... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(04) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव .... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
(05) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. .... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(06) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. .... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(07) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे .... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. संजय भयानी. .... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
(09) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम .... अध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
(11) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा .... अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
(12) प्रो. डॉ. संजय खरे .... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
(13) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय .... परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा .... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. अखिलेश जाधव .... प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
(16) प्रो. डॉ. कमल जैन .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.) भारत
(17) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से .... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
(18) प्रो.डॉ. वन्दना जैन .... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ. शिव कुमार दुबे .... प्राध्यापक, भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
(20) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी .... सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव .... अध्यक्ष हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत
(22) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया .... प्राध्यापक, वनस्पति टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
(24) प्रो. डॉ. विवेक पटेल .... प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
(25) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी .... प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय कन्या महविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(26) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा .... प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
(27) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा .... प्राध्यापक वाणिज्य एवं प्रबंध महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव .... प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत
(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत .... निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर (म.प्र.) भारत
(03) प्रो. डॉ. संजय जैन .... नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल (म.प्र.) भारत
(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी .... प्राचार्य, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.) भारत
(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय .... प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. अशोका श्रीवास्तव .... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत
(07) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल .... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर .... प्राचार्य, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा .... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड .... संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(11) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी .... अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. बी.के. मेहता .... अध्यक्ष, रसायन एवं जैविक रसायन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन (म.प्र.) भारत
(13) प्रो. डॉ. पद्‌मसिंह पटेल .... अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय महिदपुर (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. मंजु दुबे .... संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी .... प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(16) प्रो. डॉ. के.एल. जाट .... प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, भौतिकी विभाग शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

✻✻✻ विज्ञान संकाय ✻✻✻

गणित:- .... **(1) प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता,** संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:- .... **(1) प्रो. डॉ. एन.के. डबकरा,** शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

(2) प्रो.डॉ. रवि कटारे, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह** अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

रसायन:- .... **(1) प्रो. डॉ. बी.के. दानगढ़,** समन्वयक राष्ट्रीय इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, केन्द्र नीमच (म.प्र.)

वनस्पति:- .... **(1) प्रो. डॉ. सुचिता जैन,** राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

(2) प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

प्राणिकी:- .... **(1) प्रो.डॉ. आर.के. भट्ट,** प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)

(2) प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा, एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

(3) प्रो. डॉ. अमृता खत्री, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

सांख्यिकी:- .... **(1) प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या,** शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

सैन्य विज्ञान:- .... **(1) प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

जीव रसायन:- .... **(1) डॉ. कंचन डींगरा,** शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. वी. कुलश्रेष्ठ,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

चिकित्सा विज्ञान:- .... **(1) डॉ. एच.जी. वरूधकर,** आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

✻✻✻ वाणिज्य संकाय ✻✻✻

वाणिज्य :- .... **(1) प्रो. डॉ. पी.के. जैन,** शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. बी.एस. मक्कड़, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(3) प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

✻✻✻ प्रबंध संकाय ✻✻✻

प्रबंध :- .... **(1) प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी** , अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

मानव संसाधन:- .... **(1) प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी** , पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)

✻✻✻ व्यवसाय प्रशासन संकाय ✻✻✻

व्यवसाय प्रशासन:- .... **(1) प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा** , राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

✻✻✻ विधि संकाय ✻✻✻

विधि:- .... **(1) प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

✻✻✻ कला संकाय ✻✻✻

अर्थशास्त्र:- .... **(1) प्रो. डॉ. पी.सी. रांका,** शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

(3) प्रो. डॉ. कमलेश श्रीवास्तव, विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)

राजनीति:- .... **(1) प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

(2) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव, शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)

समाजशास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. आशुतोष व्यास**, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.)
(2) **प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे**, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)

हिन्दी:- .... (1) **प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन**, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(2) **प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला**, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

अंग्रेजी:- .... (1) **प्रो. डॉ. प्रशांत मिश्रा**, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

संस्कृत:- .... (1) **प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव**, शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

इतिहास:- .... (1) **प्रो. डॉ. मदनलाल पंवार**, पूर्व प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. नवीन गिडियन**, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोल:- .... (1) **प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव** शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डी.डी. विश्वकर्मा**, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव**, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

मनोविज्ञान:- .... (1) **प्रो. डॉ. कामना वर्मा**, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. सरोज कोठारी**, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकला:- .... (1) **प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय**, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव**, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीत:- .... (1) **प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक)**, सुभारती विश्व विद्यालय मेरठ (उ.प्र.)

****** गृह विज्ञान संकाय ******

आहार एवं पोषण विज्ञान:- .... (1) **प्रो.डॉ. प्रगति देसाई**, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) **डॉ. मधु गोयल**, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) **डॉ. संध्या वर्मा**, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकास:- .... (1) **प्रो.डॉ. मीनाक्षी माथुर**, अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) **प्रो.डॉ. आभा तिवारी**, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंध:- ... (1) **प्रो.डॉ. मंजु शर्मा**, माता जीजाबाई कन्या शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) **प्रो.डॉ. नम्रता अरोरा**, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

****** शिक्षा संकाय ******

शिक्षा .... (1) **प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर**, प्राचार्य, अरावली शिक्षा महाविद्यालय, फरीदाबाद (हरियाणा)
(2) **प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर**, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) **प्रो. डॉ. अर्चना श्रीवास्तव**, बी.सी.जी. शिक्षा महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)

****** शारीरिक शिक्षा संकाय ******

शारीरिक शिक्षा .... (1) **प्रो. डॉ. अक्षयकुमार शुक्ला**, अध्यक्ष शारीरिक शिक्षा पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

****** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ******

ग्रन्थालय विज्ञान .... (1) **डॉ. अनिल सिरौठिया**, शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

****

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01) प्रो. डॉ. आर.के. गुजेटिया .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

(02) प्रो. श्रीमती विजया वधवा .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

(03) डॉ. सुरेंद्र शक्तावत .... ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)

(04) प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर .... शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)

(05) श्री आशीष द्विवेदी .... शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)

(06) प्रो. डी.एस. फिरोजिया .... शासकीय महाविद्यालय, रामपुरा, जिला नीमच (म.प्र.)

(07) श्री उमेश शर्मा .... कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला- नीमच (म.प्र.)

(08) प्रो. डॉ.पी.डी. ज्ञानानी .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

(09) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

(10) प्रो. डॉ. क्षीतिज पुरोहित .... जैन कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

(11) प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार .... शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)

(12) प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा .... शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

(13) प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

(14) प्रो. डॉ. अभय पाठक .... शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

(15) प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान .... शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)

(16) प्रो. डॉ.गेंदालाल चौहान .... शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

(17) प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र .... शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)

(18) प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन .... शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(19) प्रो. डॉ. अरूणा दुबे .... शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(20) प्रो. आभा दीक्षित .... शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

(21) प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी .... शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)

(22) प्रो. डॉ. डी.सी. राठी .... स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर

(23) प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित .... शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

(24) प्रो. डॉ. संजय अग्रवाल .... शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

(25) प्रो. डॉ. लता जैन .... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

(26) प्रो. डॉ. कहकशा खान .... शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

(27) डॉ. सोनाली नरगुन्दे .... पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

(28) डॉ. अदिति देसाई .... श्री अरविन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्स, इन्दौर (म.प्र.)

(29) डॉ. एम.डी. सोमानी .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.)

(30) डॉ. प्रीति भट्ट .... शासकीस एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

(31) डॉ. संजय प्रसाद .... शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

(32) प्रो. डॉ. मीना मटकर .... सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

(33) प्रो. डॉ.सुनीलकुमार सिकरवार .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.)

(34) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता .... शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.)

(35) प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)

(36) प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी .... शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)

(37) प्रो. डॉ. शैल वाला गाँधी .... महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(38) प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा .... श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

(39) प्रो. डॉ. सीमा दीक्षित .... सरोजनी नायडू शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(40) प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव .... शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

(41) प्रो. डॉ. अनूप मोघे .... शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

(42) प्रो. डॉ. ए.के. बरैया .... आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

(43) प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)

(44) प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45) प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर .... शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46) प्रो. डॉ. आर.के. यादव .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(47) प्रो. डॉ. नटवरलाल गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
(48) प्रो. डॉ.रवींद्र कान्हेरे .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
(49) प्रो. डॉ. मीरा जामोद .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(50) प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला- सतना (म.प्र.)
(51) डॉ. राजेश कुमार .... शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.)
(52) प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(53) प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(54) प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश .... शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)
(55) श्रीमती भारती खरे .... एस.एस.एल. जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)
(56) प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी .... शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(57) प्रो. डॉ. के.एल. साहू .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58) प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(59) प्रो. डॉ. रंजु गुप्ता .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर-मालवा (म.प्र.)
(60) प्रो. डॉ. नियाज अंसारी .... शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(61) प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल .... शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(62) डॉ. सुरेश कुमार विमल .... शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(63) प्रो. डॉ. अमरकुमार जैन .... शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64) प्रो. डॉ. आनंद तिवारी .... शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(65) प्रो. डॉ. ए.के. जैन .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(66) प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(67) प्रो. डॉ. राजीव शर्मा .... शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68) प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव .... शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(69) प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला .... शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(70) प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया .... शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(71) प्रो.डॉ. विम्मी बहल .... शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला - शाजापुर (म.प्र.)
(72) प्रो. डॉ. अमित शुक्ल .... शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(73) प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान .... शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला-शाजापुर (म.प्र.)
(74) प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा .... शासकीय महाविद्यालय, महूगंज, जिला- रीवा (म.प्र.)
(75) प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा .... शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(76) प्रो. डॉ. अमोल मांजेकर .... शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(77) प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी .... शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(78) प्रो. डॉ. इशरत खान .... शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(79) प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी .... शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिहोर (म.प्र.)
(80) प्रो. डॉ. भावना ठाकुर .... शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सिहोर (म.प्र.)
(81) प्रो. डॉ. अनूप परसाई .... शासकीय छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(82) प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन .... इन्दिरा गाँधी खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(83) श्रीमती सुमन वशिष्ठ .... राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(84) प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ .... राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(85) प्रो. डॉ. कल्पना पारीख .... एस.एस.जी. पारीख पी.जी. कॉलेज, जयपुर (राज.)
(86) डॉ. कृष्णा पैन्सिया .... हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला- प्रतापगढ़ (राज.)
(87) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंग .... केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(88) प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल .... शोध सलाहकार, नई दिल्ली

Need for Conservation of Vegetation Pattern in Dhar District (M.P.)

Prof. Govind waskel * Prof. Sarika Tundele ** Prof. Nutan Rajput ***

Abstract:- An ecological study of various types present vegetation forest area in Dhar district{M.P.} Three vegetation types are found in the buffer zone moist deciduous forest, dry deciduous forest and grassland. The forest cover in buffer zone is reported in the range of 11.98% The moist deciduous forest type is dominated by sal or sarai (Shorea robusta). This dipterocarp is commonly associated with Terminalia sp; syzygium cumnil and largerstroomia parviflora. The forest floor in the valley bottom is commonly vegetated with Fleminga spp. Howevers, on the lower slopes Dendrocalamus strictus becomes the dominant undergrowth. The dry deciduous forest with discontinuous canopy, but has many more species common species are Anogeissus latifolia, Terminalia spp. Gamilina sp. Gardenia latifolia, sterculia uresna and Bauhinia retusa. **keywords :-** conservation, vegetation pattern , Teak Forests

Introduction :- The Mandu Vally, comprising vidhyachal and satpuda Reserved Foerst, is one of the rich biodiversity areas in the western Ghats of India. It lies between lat 2201' 14 and 230 9' 49 N and long 740 28' 27'' and 750 42' 43'E and forest area 1300.24159km as the geographical area 15.95% 8153 59km very dense forest 0, mod dense forest 176, open forest 419, Total 595, Percent of G.A.730 Change 0, scrub 22, (2005 Assessment). Dhar is located at Latitude 22.6 N Longitude 75.3 E [1].It has an average elevation of 559 meters. According to 2005 assessment Very Dense 1.239, Moderately Dense 36.843, Open 34.931 Total 76.013 , Now Change Forest Area in km2 Very Dense 12 Mod., Dense 56, open 64 Total 132. The District extends over three physiographic divisions. They are the malva in the north, the vindhyachal range in central zone and the Narmada Valley along the Southern boundary. However the Valley is again closed up by the hills in the south western part.Three vegetation types are found in the buffer zone moist deciduous forest, dry deciduous forest and grassland. The forest cover in buffer zone is reported in the range of 11.98% The moist deciduous forest type is dominated by sal or sarai (Shorea robusta). This dipterocarp is commonly associated with Terminalia sp; syzygium cumnil and largerstroomia parviflora. The forest floor in the valley bottom is commonly vegetated with Fleminga spp. However, on the lower slopes Dendrocalamus strictus becomes the dominant undergrowth. The dry deciduous forest with discontinuous canopy, but has many more species common species are Anogeissus latifolia, Terminalia spp. Gamilina sp. Gardenia latifolia, sterculia uresna and Bauhinia retusa. The understory is generally bamboo on the slopes and grass with shrubs on the flat ground. The forest trees are in healthy appearance and showed no stress symptoms. The forest floor showed significant organic matter accumulation in the soil, due to which seed, germination and establishment of saplings are in healthy state. Trees are planted in garden and along roadside as avenue and roadside plantation, respectively,

Materials and Methods - After going through the topographic map followed by frequent survey/visits conducted during the initial stage of study, The site identification was based on the altitude, physiognomy aspect top and slopes of the hills, plain area and area near the water bodies, degradation stage and floristic composition of the area. This resulted in the identification of different sites. The data was collected in different season so as to gather the flora especially the herbaceous one. Plants typically occur together in repeating group of associated species. Natural communities are mixture of species, which are unequally successful. Plants communities have typical floristic composition and morphological structure which have resulted from interactions of species population through time. A plants communities may be dominant or rare but there exists a definite relationship between different species occurring in the community. The term phytosociology is self explanatory.It is the study of interrelationship of individuals of many species growing together in the field more usually. However, it means the study of sets of species forming communities under natural condition.

Grassland - Grassland of the region is secondary in and has originated due to forest, fire and ungulate browsing. However, some browsing and forest resistant trees such as Butea monsperma, Cassia fistula, Diospyros Melanoxylon

* & * Prof. Govt. college Barwaha, (M.P.) INDIA **Prof. Govt. college Manawar (M.P.) INDIA

and Zizyphus jujube have encroached the grass land especially at the edge of the forest. The large trees which dot the grassland such as shorea robusta, erminalia spp; Ficusspp. And Madhuca indica is probably relicts of the original vegetation or their descendents.

Dry Teak Forests- The edaphic sub-type 1 dry teak is found on the middle and lower slopes of the vindhya scacp on the mixed black and sandy granite soil. It occurs extensively on the eastern and northen slopes of Bagh, Sardarpur, dhamnod and manawar ranges. They occupy about 331 sq.km in the alluivial parts of valleys of the Khuj, the Man, the Karam, the Bhag and the Keshawi. This is the climax vegetation of the area stabilized by the reduction of other varities due to grazing and fires. Over the rich and deeper alluvial mantle and sandy loan with minimum biotic interference a more moist type is found in the sheltered valleys of Kalghati, Kheri, Kuan, Khirkiyan,Anjnai and parbatpura. In such areas the top canopy is usually filled up by teak well an increased number of associate speces. Under very dry condition, scanty cover of infertile and crystalline rock soils very poor quality of teak forests is found on the upper contours of the vindhyan scarps. The percentage of take decreases with the increase of dry deciduous species like, salai,dhava, saja, aonla, reunjha, moyan,etc. An increase in the shrub, herbs, grasses and climbers is clearly marked.

Mixed-Forests -The Mixed forests vary from the general type. The admixture of a large number of species to dry types like that of salai and the maltreated areas of scrubs and grasses. These occur over very undulating topography over Nimar sandstone and quartzite s.

They occupy the south-western part of the district and stray hills south of the scarps. Mostly in degraded condition of the overwood and underwood are hardly distinguishable. Among the associates salai, anjan,rohan, dhaora, saj and chloroxylon swietenia are most wide spread. The general composition of the given below-ri, lamphera and bhurbhsi. o poor conditions. The forest is open with dimensions of trees 10meter height and one meter in girth.

Very Dry Teak Forests- The scrub forests are confined to the immediate slopes of Malwa plateau from Mandu to Bamanpuri and panara blocks and compartments no.325 to326 and 341 to 379. The denuded ground and dry and shallow soil under the stemmed and crooked stck of babul, pilu chandar, bel, hingan, sindi, etc. indicate that these have been converted to the present stage from Dry teak forests. The soil is generally lateritic invaded by thorny species, like ber, thuar, nagphani, reunjha, etc A large number of tribal people are inhabiting different parts of India. Majority of them are more or less isolated form modern influence and continue to live in close association and vital dependence on their surrounding vegetation. These Tribal people have very unique and best knowledge of Plants. Which is Important not just for them selves but also provide medicines and minor forest products like flowers, fruits, fibers, honey wax, Tannins, Gums, Resins, along edible and wild plants. Hides and horns of wild animals, today these minor forest products have become the livelihood for the tribal. The plants of the natural surrounding of the tribal have been responsible in organizing their Socio-cultural and Economic setups . In this regard the state of Madhya Pradesh. Occupies unique position as it has a large number of tribal and their folk-lore taboos and traditions about plants (Jain 1965).This makes the state especially site for ethno botanical studies. Madhya Pradesh has a rich and varied flora due to its diversities topography and variable climatic conditions. It is the haven of many tribal and forest dwellers. Areas rich in biodiversity and encompassing unique and representative ecosystem have been identified and designated as biosphere Reserve (BR) by Govt. of India. So as to facilitate Conservation of India Immense biological diversity and unique land scopes. The plant population is now facing devastating effects of human interference. Slash and burn cultivation and habitats of these species . Since we could locate the fern species growing on the road fringes, extra care should be taken regarding this aspect in order to conserve the ecofragile ecosystem. There is an immediate need to declare the area as a protected area system or the species to be protected through community participatory management. A conservation awareness programme would help make the villagers, local

forest guards and NGOs participating in conservation efforts understand the importance of endangered threatened flora and fauna as well as the forests surrounding them. Further research work is needed to map and monitor the habitats of threatened species. Very -high resolution satellite datasets (cartosat-1, cartosat- 2 and resourcesat-1 LISS IV) should be a requisite which can help the conservationists and decision makers to focus on the distribution of species while designing future conservation strategies.

Conclusions- The study area of Dhar district in conservation of vegetation pattern the various type species and also conserved this time, My The research paper reported relationship between species composition of vegetation and main environmental factors within the valleys vegetation the light-temperature coatinentality ; the first one is related to the elevation above valley bottom, the second one is related to aspect. Among the other important topographical variables are slope and landform shape of the plot in down slope direction .The vegetation pattern of local species tactona grandish and. Butea monsperma The effect of aspect is pronounced the most in the middle parts of the valley slopes while being lowest at the shaded valley bottoms;

Acknowledgement- Authors are thankful to Shri Muvel forest officer for conducting the field work, Dr.R.K.Sharma Govt.Hamidia Art & com College Bhopal {M.P.} for critical evaluation of the paper and encouragement and people of Nilda village and my family member (Dhar District) for their valuable information for providing valuable inputs.

Reference :-

1. "Jain, S.P.(2004).India is having a rich Vegetation with a wide variety of plants ..view within Article .This sanctuary is very popular with botanists and ...Jain, Ethno, medico-botanical survey of Dhar District, M.P.
2. "Vegetation classification and Mapping for Assessment of Forest Resources in India,(1981-82) Shajapur, Rajgarh ,dewas ,Jhabua ,Ujjain ,Dhar District of M.P.(1985),Report on Landuse pattern of India,1988
3. " Vegetation of the area comprises tropical pattern has undergone drastic change replacing ...Jhabua, Dhar(M.P.) and panchmahal (Godhra),
4. "State of Forest Report 2005, Dhar District (M.P.)
5. "Gyandoot net -Dhar District -people of Dhar .M.P.
6. "Flora and fauna of M.P. -wikipedia, the free encyclopedia.
7. "Shri Nilesh Upadhyay villege. kosdana District Dhar M.P. Rural Livelihoods project,
8. "Austin,M.P. Ashton,P.S.Smith P.G.(1972) The application quantitative methods to vegetation survey iii,A re-examination of rain forest data from Bruna..Journal of Ecology.60:305-324.
9. "Geological Survey of India 1974.Miscellaneous publication of Geological survey of India vol.3.Goverment of India.pp.69-91,

****

Antimicrobial Significan of The Leaf Extracts of Gardenia Gummifera

N. Narware*, P.Mishra, P.N. Shrivastav*****

Abstract: - Successive solvent extract viz. Petroleum ether, Chloroform, Ethanol and water extracts of leaf of Gardenia gummifera was evaluated for antimicrobial activity, against Staphylococcus aureus and Escherichia coli by disc diffusion method. Ethanolic and aqueous extracts were showed significant activity against both tested bacteria followed by chloroform extract. Comparison of the inhibitory activity of the extracts with the antibiotic Streptomycin revealed that these leaves extract of Gardenia gummifera was significantly active against test microorganisms. The results suggested that Gardenia gummifera is significantly validate. The use of this plant in the traditional medicine for isolation and characterization of the active principle for further exploitation in medical microbiology.

Key Words: - Gardenia gummifera, Leaf extracts, antimicrobial activity, Staphylococcus aureus, Escherichia coli.

Iintroduction: -

World is endowed with a rich wealth of medicinal plants. Man cannot survive on this earth for long life without the plant kingdom because the plant products and their active constituents played an important role. Herbs have always been the principal form of medicine in India and presently they are becoming popular throughout the world, as people strive to stay health in the face of chronic stress and pollution,and to treat illness with medicine that work in count with the body's own defense (Perumalsamay et al.,1998). There is a widespread belief that green medicines are healthier and more harmless or safer than synthetic ones (Parvathi et al., 2003). Medicinal plantshave been used to cure a number of diseases. Though the recovery is slow, the therapeutic use of plant is becoming popular because of its inability to cause side effects and antibiotic resistance microorganism (Rawat, 2003).

Gardenia gummifera Linn. Belonging to the family Rubiaceae, is a shrub about 1.8m height. Locally known as Dikamali, is a gum rasin ozing out from the leaf buds. Dikamali has a number of medicinal properties which include antispasmodic, carminative, anthelmintic, diaphoretic and expectorant. The leaf extract of G. gummifera is a component of an Ayurvedic medicine by name "unmadanashak ghrita" which is indicated for the treatment of mania, epilepsy and other CNS disorders (Achliya et al., 2004). Diethylether extract of Dikamali was found to have analgesic, anti-inflammatory, antipyretic and anthelmintic activities. Also, it exhibited good anti-oxidant activity (Shridhar et al., 2003).

Materials And Methods: -

Plant Collection And Extraction

Fresh plant parts (leaves) were collected from the local surroundings of Betul (M.P.), identified and authenticated by Taxonomist Dr. P. N. Shrivastava, Dept. of Botany, S.S.L. Jain College, Vidisha (M.P.). Plant material was shade dried, powdered and used for extraction. The dried powder material was extracted successively with petroleum ether, chloroform, ethanol and water in the increasing order of their polarity with help of Soxhlet apparatus (Harborne 1984). The obtained crude extract was filtered using Whatman's filter paper No. 1 and then evaporated under reduced pressure by using rotary vacuum evaporator. All the extracts were subjected to antibacterial activity assay.

Test Microoorganism

The average number of viable Staphylococcus aureus (M.T.C.C. No. 739) and Escherichia coli (M.T.C.C. No. 96) organism per ml of the stock suspension was obtained in vials and were maintained at 4?C and sub cultured it in Agar media, regularly till the completion of experiment.

Antimicrobial Activity Assay

For the present study, agar cultures of the testing microorganism were prepared as described by Mackeen et al. (1997) and three to four colonies were selected and transferred to 5 ml broth with a loop and the broth cultures were incubated for 24 hours at 37°C. The extracts of both the plants were dissolved in dimethylsulfoxide (DMSO) with a magnetic stirrer. For screening, sterile 6-mm diameter filter paper discs were impregnated with different concentrations - 1.25, 2.5 and 5 mg/disc of the gum extracts and then placed in Muller Hinton Agar medium. The inoculum for Staphylococcus aureus and Escherichia coli was prepared from broth culture. Results were recorded by measuring the zones of growth inhibition of Staphylococcus aureus and Escherichia coli surrounding the disc by Disc Diffusion technique and comparison was done with the standard antibiotic streptomycin (10µg/disc) was placed as control.

* &** Govt. J.H. P.G. College, Betul (M.P.) *** S.S.L. Jain P.G. College, Vidisha (M.P.) INDIA

Minimum Inhibitory Concentration :-

A minimum inhibitory concentration (MIC) is the lowest concentration of an anti-microbial that inhibits the growth of a micro-organism after 18-24 hrs. The extracts were subjected to the serial broth dilution technique to determine their minimum inhibitory concentration. Briefly, the stock solution of the extracts were subjected to 2 fold serial dilution in the Muller-Hinton broth to obtain concentrations from 100 mg/ml to 0.19 mg/ml. Standard antibiotics streptomycin were placed as control. A 10 µl of 107 (CFU) bacterial cultures were added to the tubes and were incubated at 37°C for 18 hr . MIC was determined by visual observation. The MIC of the extracts that showed no detectable growth was taken as the minimum inhibitory concentration.

Bio-statistical Analysis

Data were reported statistically, as the mean ± SD of three measurements. Statistical analysis was performed by student-t- test and ANOVA.

Results And Discussions:-

The antimicrobial screening presented in Table 1,2 and 3, showed the susceptibility against Staphylococcus aureus and Escherichia coli.

Table 1:- Minimum Inhibitory Concentration (MIC) values of leaf extract of G. gummifera at 125 mg/ml concentrations.

Microbial strain	Zone of inhibition (mm.) minimum Inhibitory Concentration (1.25mg/Disc)				
	Pet. Ether extract	Chloroform extract	Ethanolic extract	Water extract	Standard drug*
Staphylococcus aureus (MTCC No. 739)	0.00	10±1	14±0.1	18±0.1	26±0.1
Escherichia coli (MTCC No. 96)	0.00	12±0.1	18±0.1	20±0.1	28±0.1

Values in mean ± S.E., Streptomycin 10?g/disc

Table 2 Minimum Inhibitory Concentration (MIC) values of leaf extract of G. gummifera at 250 mg/ml concentrations.

Microbial strain	Zone of inhibition (mm.) minimum Inhibitory Concentration (2.50mg/Disc)				
	Pet. Ether extract	Chloroform extract	Ethanolic extract	Water extract	Standard drug*
Staphylococcus aureus (MTCC No. 739)	07±1	14±0.1	20±0.1	18±0.1	26±0.1
Escherichia coli (MTCC No. 96)	07±0.1	16±0.1	21±0.1	22±0.1	28±0.1

Values in mean ± S.E., Streptomycin 10?g/disc

Table 3: Minimum Inhibitory Concentration (MIC) values of leaf extract of G. gummifera at 500 mg/ml concentrations.

Microbial strain	Zone of inhibition (mm.) minimum Inhibitory Concentration (5.00mg/Disc				
	Pet. Ether extract	Chloroform extract	Ethanolic extract	Water extract	Standard drug*
Staphylococcus aureus (MTCC No. 739)	08±0.1	22±0.1	22±0.1	20±0.1	26±0.1
Escherichia coli (MTCC No. 96)	07±0.1	20±0.1	25±0.1	24±0.1	28±0.1

Values in mean ± S.E., Streptomycin 10?g/disc

The chloroform, water, ethanolic and petroleum ether leaf extracts of G. gummifera were tested at the rate of 1.25 mg/disc against S. aureus and the maximum zone of inhibition 18±0.1, 14±0.1 and 10±0.1mm, respectively. The same protocol was tested against E. coli and the maximum zone of inhibition was found 20±0.1, 18±0.1 and 12±0.1 mm, respectively (Table 1). When increased dosage 2.50 mg/disc of G. gummifera ethanolic, water, chloroform and petroleum leaf extract against S. aureus was applied the maximum zone of inhibition was found 20±0.1, 18±0.1, 14±0.1 and 7±0.1mm, respectively. The same dosage was tested against E. coli and the maximum zone of inhibition was found 22±0.1, 21±0.1 16±0.1 and 7±0.1 mm, respectively (Table 2). When 5.0 mg/disc increased dosage of G. gummifera ethanolic, chloroform, water and petroleum ether leaf extract was tested against S. aureus, the maximum zone of inhibition was noticed 22±0.1, 22±0.1, 20±0.1 and 8±0.1mm, respectively. The same dosage was tested against E. coli and the maximum zone of inhibition 25±0.1, 24±0.1, 20±0.1 and 7±0.1 mm, respectively was seen (Table 3). Almost similar results of methanolic and aqueous leaf extracts of G. gummifera were evaluated by Lakshmi et al. (2010) for antibacterial activity against Staphylococcus aureus and the experiment was performed by agar well diffusion method and found that methanolic extract showed higher activity than aqueous extract.

From the results of all the tested antimicrobial activities, it quite clear that all the extract were effective against Staphylococcus aureus and Escherichia coli and the antimicrobial activities of these extract were dose dependent, as the dose increases, the antimicrobial activities increases and the inhibition zone got decreases simultaneously. Hence, zone of inhibition is inversely proportional to the dosage.

References:-

1. Achliya G.S., Wadodkar S.G. and A.K. Dorle. (2004). Evaluation of sedative and anticonvulsant activities of Unmad nashak ghrita. J. Ethnopharmacol. 94:77-83.
2. Bandow J.E., Brotz H., Leichert L.I.O., Labischinski H. and Hecker M. (2003). Proteomic approach to understanding antibiotic action. Antimicro. Agents. Chemotherp. 47: 948-955.

3. Brindha D. and D. Arthi (2010). Antimicrobial activity of white and pink Nelumbo nucifera Gaertn flowers. JPRHC. April 2010. 2 (2): 147-155.
4. Chopra R.N., Nayar S.L. and L.C. Chopra (1956). In: Glossary of Indian medicinal Plants. Council for Scientific and Industrial Research, New Delhi. Pp. 123.
5. Colombo M. L. and E. Basisio(1996). Pharmacological activities of Chelidonium majus L (Papavaraceae); Pharmacol. Res. 33: 127-134.
6. Cowan M.M. (1999). Plant products as antimicrobial agents. Clinical Microbiology Reviews. 12(4): 564-582.
7. Duraipandiyan V., Ayyanar M. and S. Ignacimuthu (2006). Antimicrobial activity of some ethnomedicinal plants used by Paliyar tribe from Tamil Nadu, India; BMC Complementary and Alternative Medicine; 6; 35.
8. Harborne J.B. (1984).Phytochemical methods: A guide to modern techniques of plant analysis, 2nd Edition. Chapman and Hall Publication, London & New York. P. 1-288.
9. Kamble M.A., Itankar P.R. and A.T. Patil. (2008). International Conference on Newer Developments in Drug Discovery From Natural Products and Traditional medicinespp. Pp. 22.
10. Kirtikar K.R. and B.D. Basu (1987). In: Indian Medicinal Plants. Vol. II. International Book Distributors, Dehradun. Pp. 11.
11. Lakshmi B.J., Shaheen S.D.Z., Singaracharya M.A. and K.J. Reddy (2010). Antibacterial activity of leaf extracts in Gardenia gummifera. Plant Archives. 10 (2): 585-587.
12. Mackeen M.M., Ali A.M., El-Sharkawy S.H., Salleh M.Y., Lajis N.H. and Kawazu K. (1997). Antimicrobial and cytotoxic properties of some Malaysian traditional vegetables. Int. J. Pharmacogn. 35 :237-243.
13. Parvathi S. and Brindha R. (2003). Ethnobotanical medicines of Anaimalai union, Ancient Science of Life Vol. XXII.
14. Perumalsamay R., Ignachimuthu S. and Sem A.(1998). Screening of 34 Indian medicinal plants for antibacterial properties. J. Ethnopharmacol. 62 : 173-182.
15. Rawat R.B.S. and Uniyal R.C. (2003). National medicinal plants Board committed for overall development of the sector. Agro Bios. Med. Plants. 1: 12-16.
16. Scazzocchio F., Comets M. F., Tomassini L. and M. Palmery (2001). Antibacterial activity of Hydrastis canadensis extract and it's major isolated alkaloids; Planta Med.; 67; 561-563.
17. Shridhar S.K., Ramachandran S., Anbalagan N., Thomas J. Leonard, Joanofarc J. and Kumar Sadish S. (2003). Natural Product Sciences 9: 10-12. 3. Varier P.S. (1995). Indian Medicinal Plants, Orient Longman Publications: Madras. Pp.65-66.

****

Plastic pollution in Enviroment

Prof. B.K. Rawat * Prof. Shailendra**

Introduction-

Plastic pollution involves the accumulation of plastic products in the environment that adversely affects wildlife, wildlife habitat, or humans. Many types and forms of plastic pollution exist. Plastic pollution can adversely affect lands, waterways and oceans. Plastic reduction efforts have occurred in some areas in attempts to reduce plastic consumption and promote plastic recycling. The prominence of plastic pollution is correlated with plastics being inexpensive and durable, which lends to high levels of plastics used by humans.

Plastic pollution occurs in many forms, including but not limited to littering, marine debris (man-made waste that has been released in a lake, sea, ocean, or waterway). Plastic particle water pollution, plastic netting and Friendly Floaters. A large percentage of plastic produced each year is used to make single-use, disposable packaging items or products which will get permanently thrown out within one year. Often, consumers of the various types of plastics mainly use them for one purpose and then discard or recycle them.

As per the United States Environmental Protection Agency, in 2011 plastics constituted over 12% of municipal solid waste. In the 1960s, plastics constituted less than 1% of municipal solid waste.

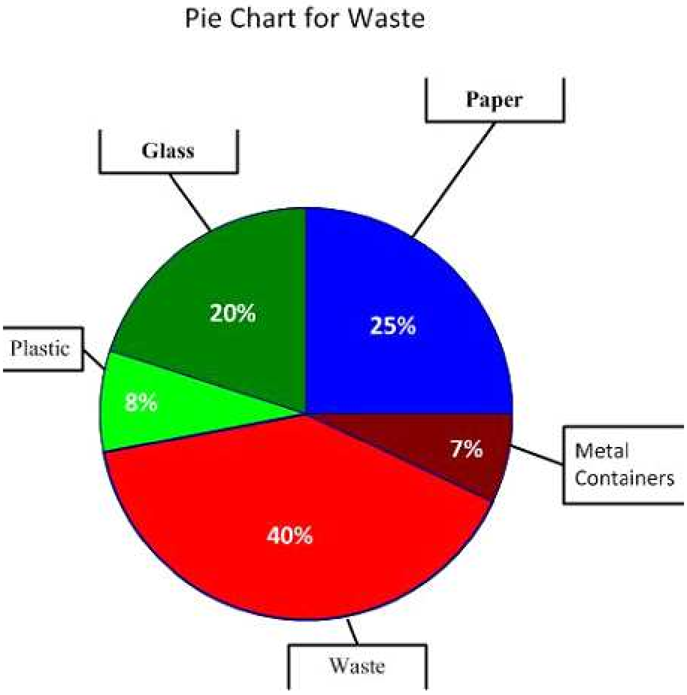

Effects on the environment:-

Land:- Chlorinated plastic can release harmful chemicals into the surrounding soil, which can then seep into groundwater or other surrounding water sources. This can cause serious harm to the species that drink this water. Landfill areas are constantly piled high with many different types of plastics. In these landfills, there are many microorganisms which speed up the biodegradation of plastics. Regarding biodegradable plastics, as they are broken down, methane is released, which is a very powerful greenhouse gas that contributes significantly to global warming. Some landfills are taking initiative by installing devices to capture the methane and use it for energy but most have not incorporated such technology. Release of methane does not only occur in landfills, biodegradable plastics also degrade if left on the ground, in which case degradation takes longer to occur.

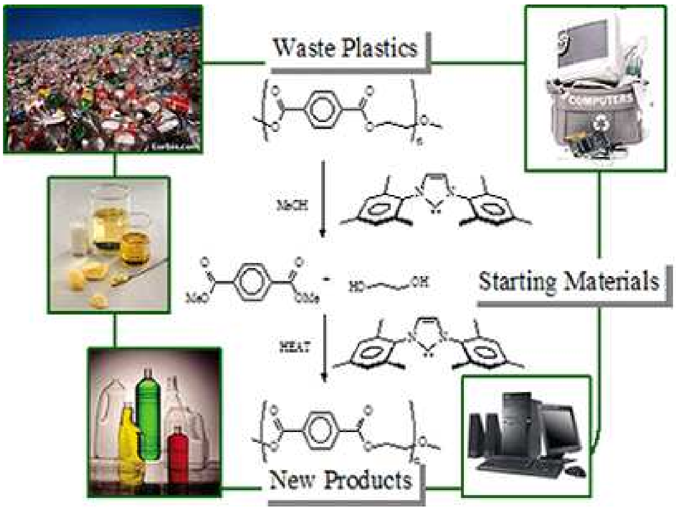

Ocean:- Nurdles are plastic pellets (a type of micro plastic) that are shipped in this form, often in cargo ships, to be used for the creation of plastic products. A significant amount of nurdles are spilled into oceans, and it has been estimated that globally, around 10% of beach litter is nurdles. Plastics in oceans typically degrade within a year, but not entirely, and in the process toxic chemicals such as biphenyl A and polystyrene can leach into waters from some plastics. Polystyrene pieces and nurdles are the most common types of plastic pollution in oceans, and combined with plastic bags and food containers make up the majority of oceanic debris,

* Professor (Zoology), ** Professor (Botany) Govt. P.G. College, Sendhwa (M.P.) INDIA

in 2012, it was estimated that there was approximately 165 million tons of plastic pollution in the world's ace.

Effects on animals:- Plastic pollution has the potential to poison animals, which can then adversely affect human food supplies. Plastic pollution has been described as being highly detrimental to large marine mammals, described in the book Introduction to Marine Biology as posing the "single greatest threat" to them. Some marine species, such as sea turtles, have been found to contain large proportions of plastics in their stomach. When this occurs, the animal typically starves, because the plastic blocks the animal's digestive tract. Marine mammals sometimes become entangled in plastic products such as nets, which can harm or kill them.

Over 260 species, including invertebrates, have been reported to have either ingested plastic or become entangled in the plastic. When a species gets entangled, its movement is seriously reduced, therefore making it very difficult to find food. Being entangled usually results in death or severe lacerations and ulcers. It has been estimated that over 400,000 marine mammals perish annually due to plastic pollution in oceans. In 2004, it was estimated that seagulls in the North Sea had an average of thirty pieces of plastic in their stomachs.

Effects on humans:- Plastics contain many different types of chemicals, depending on the type of plastic. The addition of chemicals is the main reason why these plastics have become so multipurpose; however this has problems associated with it. Some of the chemicals used in plastic production have the potential to be absorbed by human beings through skin absorption. A lot is unknown on how severely humans are physically affected by these chemicals. Some of the chemicals used in plastic production can cause dermatitis upon contact with human skin. In many plastics, these toxic chemicals are only used in trace amounts, but significant testing is often required to ensure that the toxic elements are contained within the plastic by inert material or polymer.

Plastic pollution can also affect humans in which it may create an eyesore that interferes with enjoyment of the natural environment.

Reduction efforts:-

Household items made of various types of plastic.

Efforts to reduce the use of plastics and to promote plastic recycling have occurred. Some supermarkets charge their customers for plastic bags, and in some places more efficient reusable or biodegradable materials are being used in place of plastics. Some communities and businesses have put a ban on some commonly used plastic items, such as bottled water and plastic bags.

There are two main types of plastics -

Thermoplastics which are softened by heat and can be moulded. (Injection molded, blow moulded or vacuum formed). Good examples are acrylic, polypropylene, polystyrene, polythene and PVC.

Thermo sets which are formed by ha heat process but are then set (like concrete) and cannot change shape by reheating. Good examples are melamine (kitchen worktops), Bakelite (black saucepan handles), polyester and epoxy resins. Composites are made by mixing materials together to get enhanced properties. Polyester resin is mixed with glass fiber to make GRP used for boatbuilding and fishing rods. Epoxy resin plus carbon fiber is stronger than steel but lighter.

Composition of plastic

Polyvinyl chloride:- Polyvinyl chloride (PVC, commonly called "vinyl") incorporates chlorine atoms. The C-Cl bonds in the backbone are hydrophobic and resist oxidation (and burning). PVC is stiff, strong, heat and weather resistant, properties that recommend its use in devices for plumbing, gutters, house siding, enclosures for computers and other electronics gear. PVC can also be softened with chemical processing, and in this form it is now used for shrink-wrap, food packaging, and rain gear.

Nylon:- Very strong, nylon can be machined and will take a fine thread. It is also slippery and can be used to make washers, spacers and bushes.

Nylon was originally developed as a textile but is available in many forms with vastly different properties. Engineering nylon grades are easy to machine with good resistance to biological attack. Unfortunately nylons can absorb moisture from the atmosphere and can degrade in strong sunlight (they are unstable in ultraviolet light) unless a stabilizing chemical is added at the initial manufacture of the plastic. Nylons are easy to mould. Nylons also have a natural 'oily' surface that can act as a natural lubricant. Nylons are used for everything from clothes through to gears and bearings.

Acrylic:- Comes in a range of thicknesses, colors and can be opaque or transparent. There are two type of acrylic extruded which is cheaper and very "plastic" and cast which machines better but is harder and less flexible.

Acrylics are available in a range of colors and can be opaque, translucent or transparent. They are available in sheet, rod, and tube for use in injection molding, extrusion and vacuum forming. Acrylics withstand weather and are stable in sunlight. Almost any colors can be produced. Transparent acrylic can be as clear as the finest optical glass; this led them to be used in optical equipment such as cameras. It is possible to

significantly strengthen the acrylic when it is being made; these high grade acrylics are used use for aircraft windows. PVC and uPVC Stiff, hard, tough lightweight plastic. uPVC is stabilized for outside use anis is used for plastic windows and plastic pipes. Plasticized PVC is used for flexible applications such as insulating - cables.

Polythene: - This plastic has a range of uses from food packaging to gas pipes. The plastics can be injection molded or extruded and is available in two forms. High-density polyethylene (HDPE) is a hard rigid plastic. A low-density grade (LDPE) is tough and flexible.

Polypropylene is a tough, cheap plastic; it has a slightly waxy feel. It can be bent repeatedly without breaking. Used for Medical equipment such as syringes, stacking chairs (chair shell is polypropylene), suitcases with integral hinges,

Polycarbonate - Used for making eye protection, machine guards and riot shields. It is not as hard as acrylic and can be cut easily but it will absorb impacts.

Bakelite: - A thermosetting plastic. Dark brown. Used as a composite reinforced with paper or cloth. Used to make circuit boards and heat proof insulated parts in the electronics industry.

Epoxy resin A two part mix which can be used as a glue (ARALDITE) or be reinforced with carbon fibre to produce a very strong and light composite materials which is used in aerospace and Formula 1

Melamine: - A thermo set very tough and heat resistant. White but can be produced in a full range of colors.

Properties of plastics:- The properties of plastics are defined chiefly by the organic chemistry of the polymer such as hardness, density, and resistance to heat, organic solvents, oxidation, and ionizing radiation.

In particular, most plastics will melt upon heating to a few hundred degrees Celsius. While plastics can be made electrically conductive, with the conductivity of up to 80 km/cm in stretch-oriented oxyacetylene, they are still no match for most metals like copper which have conductivities of several hundreds km/cm.

Biodegradability:-Biodegradabe plastics break down (degrade) upon exposure to sunlight (ultra-violet radiation. Some modes of degradation require that the plastic be exposed at the surface, whereas other modes will only be effective if certain conditions exist in landfill or composting systems. Starch powder has been mixed with plastic as a filler to allow it to degrade more easily, but it still does not lead to complete breakdown of the plastic. Some researchers have actually genetically engineered bacteria that synthesize a completely b), water or dampness, bacteria, enzymes, wind abrasion, and in some instances, rodent, pest, or insect attack are also included as forms of biodegradation or environmental degrad plastic, but this material, such as Biopol, is expensive at present. Companies have made biodegradable additives to enhance the biodegradation of plastics.

Solution of plastic pollination:- Plastic bags, retrieved from rubbish heaps and bins in the Capital, will now be sent to Paris, the fashion capital of the world. Anita and Shalabh Ahuja, founders of the New Delhi-based eco-friendly NGO, Conserve, that recycles such bags, are set to showcase their stylish products at a trade fair in the French capital early September.

Known for its exclusive bags, belts, footwear, notebooks, jewelers, floor tiles and now interior accessories such as lampshades, floor cushions and vases, Conserve is an NGO that employs rag pickers in Delhi to collect waste plastic bags. The collected bags are then, through a series of processes, pressed into sheets and transformed into multi-hued products.

Conserve, which retails its merchandise in European and Indian markets, began its good work with the hope to benefit impoverished women and as an off-shoot of a waste management programme in 1998, says Anita.

While working on a scheme dealing with turning household and kitchen waste into compost, Anita became aware of the huge amounts of plastic bags being discarded from houses across the city, every day. She toyed with the idea of converting the bags into totally different products.

Cautions Anita, the creative head of Conserve," Our country is the third largest consumer of plastics after the USA and China. We do not have enough landfill sites to dispose off the waste generated from the households. Toxic garbage is spilling out of our cities. A major environmental hazard is taking shape right under our noses and we need to find out ways to deal with it."

A year and umpteen ideas later, Anita discovered a way to recycle waste plastic bags. By pressing the bags into plastic sheets, she could use the sheets to make funky bags. The bags were then showcased at a trade fair and were a sell-out with in minutes.

Conserve manufactures fashion accessories at its own unit and also supplies the plastic fabric to other manufacturers who develop their own products with it.

The organization reaches out to consumers through trade shows and through their outlet in Delhi. Conserve products are also retailed at high fashion outlets in European cities such as London, Paris and Madrid.

The raw material is sourced through rag pickers who sift through mounds of garbage for a living. Once procured, the bags are washed, dried and sorted according to color, texture and density by rag pickers trained by Conserve. Next comes the sewing of the bags, according to the required color patterns. The material is now ready to be heat-pressed into sheets. The sheets are then handed over to skilled artisans who create the exclusive Conserve products.

No dyes are introduced when making the sheets and the palette of colors and patterns are created solely from the original colors of the discarded plastic bags. “It is a developmental project and it takes care of environmental, social and financial factors which appeal to entrepreneurs looking for such criteria,” says Anita. The organization encourages skill up gradation for its rag pickers so that they can be promoted as crafts persons.

“Most of these workers have never even played with toys as children; they have to be taught from scratch. We teach them to handle scissors, cut the bags and layer them, all the while stressing on the importance of maintaining quality,” says Shalabh Ahuja, who is an engineer by profession and takes care of the technical aspects at Conserve.

The couple has also opened an informal school for the children of their 300 employees. The school functions out of a rented accommodation near the slum where their workers live, in Mandamus Khaddar, New Delhi. So far, around 200 children between five to 13 years attend the school than has eight teachers. The couple also aims to open at least 10 new bank accounts each month for employees. This is easier said than done, as the workers live on the fringes of society, in unauthorized slum dwellings, and do not have the requisite documents as address proof required by a bank. The couple also aims to hire 7,000 workers throughout the country over the next two years.

The achievements of the NGO have caught the attention of similar organizations in other countries. Conserve now gets letters and e-mails from overseas, particularly from organizations in Africa and the Middle East requesting for an exchange of ideas on the unique way formulated by it to deal with non-biodegradable plastic. The Ahujas have managed to offer a solution to plastic pollution and in the process, made environment a style statement.

Reference:-

- Hester, Ronald E.; Harrison, R. M. (2011). Marine Pollution and Human Health. Royal Society of Chemistry.
- Aggarwal,Poonam; Interactive Environmental Education Book VIII. Pitambar Publishing.
- Jones & Bartlett Learning.
- Calescent, George; (et al.) (2009).Introduction to Marine Biology. Engaged Learning.
- Hill, Marquette K. (1997). Understanding Environmental Pollution. Cambridge University Pr

Observation on Cestodes in Gallus-Gallus Demesticus At Satna (M.P.)

Dr. Smt. Seema Bhola* Dr. Reeta Solanki **

Abstract:-In class castoda 3 species were recovered from fowls examined at "Arora pouttry form" Sajjanpur satna region from Feb 2012 to April 2013 out of 200 fowls examined 120 (60%) were found to be positive for cestoda & 3 species of cestodes encountered in the present study. **Key words:** - Cestoda fowls.

Introduction:- The present demand in an average town of about (3,228,935) lakh population is to be about 180 eggs & 200 table birds per day keeping the flocks diseases free forms an important aspect of management. Fowls are quite delicate they suffer adversely & succumb to the vagaries of nature. They are in the habit of picking up insects earthworms snail & Sluges. These invertebrates are proved to act as intermediate hosts since they carry the intermediate stages of the cestode.

Study presented in this work reveals that a large percentage of fowl submitted for postmortem examinations are harbouring one or more species of worms. Studies about fowls cestodes were alseady done by many workers i.e. CHAND (1967, 1970) E.L. BADAWI, E.I. (1978), BHOWMLK et. al (1982), POTEDAR (1986), PANDIT et. al (1991) HORNING et. al (2003) & IRUNGU et. al (2004) & MUNGUBE et. al (2008) .

Material & Method:-

The survey was carried poultry form Sajjanpur Satna. 200 deshi fowls were studied for this purpose out of which 120 were found infected by these parasites. The different parts of the digestive tracts were examined separately like gastrointestinal tracts like oesophagus, crop, proventriculus, gizzard, small intestine caeca & rectum. Small portions of the proventriculus & intestine with worms attached. The worms collected were transferred to separate petridishes with normal saline or distilled water & shaken vigorously to get rid of attached mucus & debris. The cestodes were flattened by leaving them in lukewarm water for about an hour & them fixed in hot AFA solution. All the material collected was put in specimen tubes or bottles & labelled & identified. Identification was done with the help of Alicata J.E. (1938, 1940).

Result & Discussion :-

In deshi fowls 3 species of cestodes were found i.e.

Name of Parasite	Location
1. Raillietinatetragona	Small intestine
2. Raillietina echinobothrida	Small intestine
3. Cotugniadigonopora	Small intestine

1. Raillietina tetragona :-

This cestode has been found to be the commonest of the tapeworm in the domestic foul in satna region. In present studies this cestode was found to the extent of 32.3% of the total birds examined.

2. Raillietina echinobothrida :-

A large no. of cestodes with scolex & neck & others with complete strodila delonging to this specie were obtained from the fowls surveyed in the satna region.

This tape worm has been incriminated for causing small nodules in the intestinal wall.

3. Cotugnia digonopora :- This species was encountered to the extent of 3.3% of the total foul examined. It occurred free in the lumen of intestine. There are about 100 testes situated posteriorly to the ovaries; extending in a single broad field to the excretory vessels on each side in the middle zone but crossng over the lateral canal.

The high rate of mortality in fowls & the consequent heavy losses to the poultry keeper in India are the most formidable problems besetting the poultry industry. It is estimated that more then 50% of the birds are lost annually due to diseases & other causes. This enormous loss actually hits at very basis of economic poultry production. The poultry keeper suffers from deep frustration & this forms a big set-back to the expansion of the poultry industry in India.The symptoms caused by worm infestation vary from species to species. In heavily Parasitized young birds the conman manifestations are weakness, emaciation & may be even death, the ones that survive have stunted growth.Of the four classes of helminths poultry are infested with tapeworms' mostly.Tapeworms produce severe damage in young fowls. Birds infested with tapeworms present general symtoms of unthriftiness, droopiness, ruffled feathers, diarrhoea, weakness & paleness of comb & wattles. Most fowls become weak or completely paralyzed in one or both legs. In some cases neck muscles appear to be affected & the fowl twists the head & neck around into unnatural positions. Raillietina echinobothrida produces small nodules in the wall of the

* Asst.Prof. (Zoology) Govt.Auto.P.G. College Satna ** Asst. Prof. (Zoology) Govt.Auto M.H. College Jabalpur (M.P) India

intestine which are often mistaken for tuberculus nodules. The exact manner in which tapeworms produce harmful effects is not known; but the inflammation of the intestine interferes with digestion & absorption in host.The worms thus collected were transfersed to separate petridishes with normal Saline or distilled water & shaken vigorously to get rid of attached mucus & debris. Tapeworms were flattened by leaving them in lukewarm water for about an hour & them fixed in hot A.F.A. solution all the material collected was put in specimen tube & labelled & identified.

References:-

1. CHAND, K. (1967) "Studies on the incidence of common helminths in the domestic fowl". J.Res. Punjab Agric. UMV, 4:127-135.
2. (CHAND) k. (1970) "Preliminary studies on some common tapeworms of fowl in India".
3. El. BADAWI. El. Khawad & A.M. Eisa (1978) Helminth in domestic hen in Sudan. J. Parasite. 18: 142-145.
4. BHOWMIK, M.K. (1982) Studies on the pathobiology et.al of chicks experimentally with R.Cesticillus.
5. POTEDAR, D.N. (1986) Occurance & seasonal variation of helminth parasites of domestic foul in Kashmir.
6. PANDIT, B.A. (1991) Prevalence of helminth parasites in indigenous fouls of kashmir valley.
7. Horning G.,Rasmussen S, Permin A and Bisgaard M, (2003) Investigation on the influence of helminth parasites on vaccination of chickens against Newcastle disease virus under village conditions. Trop, Anim, Health Prod., 35:415-24.
8. Irungu LW. Kimani RN and Kisia SM, (2004) Helminth parasites in the intestinal tract of indigenous poultry in parts of Kenya. Tydskr.S.Afr. vet. Ver., 75(1): 58-59.
9. MUNGUBE E.O., BAUNI S.M., TENHAGEN A.B., WAMAE L.W., NZIOKA S.M., NGINNYI J.M.: Prevalence of parasites of local scavenging chickens in a selected semi-arid zone of Eastern Kenya. Trop. Anim. Health Prod., 2008 40, 101-109.

****

Spathodea Campanulata An Exotic Plant Has Reported First Time In Dhar (M.P.)

Prof. Nirbhay Singh Solanki * Prof. S.C. Mehta **

Abstract - Exotic species Spathodea campanulata reported first time in dhar district , city dhar . This plant is used as ornamental plant .It is also used as antimalaria , antibacterial. It has beautiful flowers so it is also known as flame of forest. Some people say that pichkari to it . The plants flower provide nectar to honeybee & birds. This tree is growing well in study area of dhar. **Key words-** spathodea, exotic, anti bacterial, antiplasmodial.

Introduction-

It is a plant of family Bignoniaceae,The Spathodea campanulata is native of Tropical Africa.

Geographical distribution:

The spathodea campanulata p beauv.(1805) is native of tropical Africa ,recently grows in the tropics and the subtropics around the world.

Native : Angola, ethopia, Ghana, Kenya, sudan , tanjania, Uganda, zambia

Exotic: Columbia, costarica, India, Jamaica, zangibar shrilanka.

Study Area Dhar city: The city lies between latitude 22 degree 35 minute N & longitude 75 degree 20 minute E with an average elevation of 559 meter an area of 8,513 km square. It is located 53 km west of Mahow 908 ft above the sea level.

Methodology:-

I took some photographs by Digital Camera & made specimen.

Scientific name- S.camanulata beauv.s. danckelmanianabuttner.

Common name- *flamof the forest(Engl) sirit-sirit(tag.),African tulip tree,(Engl), fire bell(Engl), fountain tree(Engl), Huo yan shu(Chin).*

Synonyms and vernacular name

*** Hindi name-** Rugtoora ,Bangali name- Rudra palash African tulip,pichkari or nandi flame

Scientific classification

- Kingdom-plantae-plants
- Sub- kingdom-Trachiobionta-vascular plant
- Superdivision-Spermatophyta-seed plant
- Division-Magnoliophyta-flowring plant
- Class-Magnoliopsida -dicotyledons
- Subclass-asteridae
- Order-scrofulariales
- Family-bignoneaceae-trumpet creeper family
- Genus-spathodia campanulata beauv.spathodea
- Species-spathodea campanulata beauv-african tulip tree

Botanical description of plant:

Plant grow up to 10 to 15 meter.

Leaves -simple pinnate compound, 30-40 cm long about seven pair of leaflets. Leaves are slightly hairy, shiny above.

Flower - Large orange colored . The flower large and very beautiful are arranged in dense cluster at the tulip of the branches on stalks. These flowers have sepals that are fused into a horn shaped structure, brownish in color. The radish-orange colored petals are also fused to gather and are shaped some what like a tulip flower. Each flower also has four stamen with large dark brown anther they also have long style topped with a radish stigma.

*Asst.Prof of Botany Govt. P.G. college Dhar, (M.P.) INDIA **Prof. of Botany, Govt. P.G. College Jaora (M.P.) INDIA

Uses -

- **Anti malaria** : Alcoholic extract of leaves of s. Campanulata showed Anti- plasmodial activity more effective in early Infection than established one. Result provide scientific basis for use of the aqueous decoction of leaves for treatment of malaria.
- **Paper :** In Singapore , timber is used for making paper.
- **Wood :** In west Africa, wood used for making drums and blacksmith's bellows.
- **Wound healing activity :** The evolution over recent year of tests for wound healing from in vivo tests to cell based systems and chemical reaction has been described (Houghton et al. 2005)
- **Anti bacterial activity :** The antibacterial activities of the aqueous ethanol and petroleum ether soxhlet extracts of sun dried stem bark of spathodea Campanulata p. Beauv was Investigated by testing the extracts against B.subtilis, E. coli,p. aeruginosa and s.aureus. The minimum Inhibitory concentration (mic) of the methanol extract was determined against the four bacteria strains and c.albicans using the broth dilution method. (mensah et al. 2006, ofori - kwakye et al ; 2009) s. campanulata showed significant Inhibition against these microbacteria
- The hard central portion of the fruit is used to kill animal.
- The bark is chewed and sprayed over swollen cheeks. The bark also be boiled in water used for bathing newly born babies to heal body rashes.
- It is also used to make carvings .
- The flower provide nectar to birds and honey bee.
- The root have antifungal properties.
- The leaf has antibacterial ,antifungal & phytochemical activity.

Discussion :-

All plants and animals are very important for ecological balance . The purpose of this paper only to awareness and know the importance of plant in human being's life. If we save this plant so somewhere we can save our environment & by this we will able to save the existence of trees and earth also.

REFERENCE :-

- Botany.CZ/en/spathodea Campanulata
- Ntbg.org/plants -details .phP.
- WWW.photomazza.com/spathodea-Campanulata
- WWW.stuartxchange.com/Tulip tree htm
- WWW.ars-grin.gov
- WWW.naturia.per.sg/..../african-tulip ht....
- Key server.lucidcentral.org
- WWW.world agroforestry centre.org
- Dspace.knust.edu.gh:8080/phD
- En.wikipidia.org wiki / spathodea
- WWW.worldagroforestry center.Org/...../s
- Rajanjolly.hubpages.com/hub/Flam-of-The forest pathodia-African-Tulip-Tree.
- www.google.in

****

Traditional use of medicinal plants among the tribal communities of Patalkot, Chhindwara District (M.P.)

Droupadi Parte*

Abstract - Chhindwara district lies between latitudes 21-220 North and longitude 78-790 East. Patalkot is located at a distance of 78 Km. from the Chhindwara in North-West direction. Patalkot is spread over an area of 79 sq.km at an average height of 2750-3250 feet above mean sea level. The main tribes found in the area belong to Bhariya and Gond . The study showed that the plant commonly used by tribal's people of Patalkot against various diseases.

Introduction -

Due to close association of forest. The tribes possess a unique knowledge about the medicinal uses of plant wealth of their surround from many generations. They depend mostly on ethno-medicines for the treatment of different diseases. They have strong faith in the knowledge of plants based medicines. These peoples preserve and utilized traditional knowledge of medicinal plants. The information on medicinal plants from patalkot has been reported by earlier by various workers.

Materials and Methods - During the present work visit to the various village and forest area for collection of angiospermic plants. The investigation was carried out using a questionnaire (Jain 1987). The elder peoples and medicine man were consulted. The local names and plants parts used were noted during interaction.

Enumeration - In the present paper, the plant species have been arranged alphabetically, botanical name, family, local name, description and medicinal use are given.

1. Abutilon indicum (L.) Sweet **Family: Malvaceae Local Name: Kanghi Description**: An under shrub. Leaves broadly ovate, entire, hairy and petiolate.Flowers bright yellow,axillarysolitary.Fruitshairy.

Use - Powered roots are use in cough.The root paste is applied externally in leprosy and skin diseases

2. Achyranthus aspera L. **Family: Amaranthaceae Local Name: Latjera Description:** An annual erect herb, with straight pubescent branches.Leaves simple, opposite, ovate , petiolate. Inflorescence terminal spike. Flowers greenish-white.Fruits oblong.

Uses: A small portion of root tied to the waist of mother for easy and safe delivery. Root decoction is given in typhoid. Stem is used as tooth brush to cure toothache.

3.Acalypha indica L. **Family: Euphorbiaceae Local Name: Kupi Description:** An annual herb. Leaves alternate, ovate, petioles often long. Flowers are in axillary or terminal spikes. Male flowers, clustered at the top, and female flowers with a crescent.

Use: Decoction of the herbs is used to cure asthma and cough of children. It is also useful in pneumonia.

4. Ageratum conyzoides L. **Family: Asteraceae Local Name: Kubi Description:** Erect annual hairy aromatic herbs. Leaves opposite, ovate-cordate, serrate, heads whiteinterminalcorymbs.Achenes angle black .

Uses: Leaf extract is used in ringworm, cough, colic pain and diarrhoea. The paste of flower is appliedon the itching area of the skin .

5.Acorus calamus L **Family: Araceae Local Name: Buch Description :** A perennial herb with a thick branched aromatic rhizome.The leaves are narrow, sword-shaped with an undulate edge and smell when crushed.Flowering scape is a long cylindricalspadixbearingyellow-greenflowers.

Uses: Dried rhizome chewed for treating sore throat & voice disorders. Decoction of rhizome is taken orally to treat fever. Rhizome extract is prescribed in cough and chest congestion.

6.Amaranthus viridis L. **Family: Amaranthaceae Local name: Jangli Chauli Description:** Annal erect, ascending herbs. Leaves ovate. Flowers clusterd in axillary and terminalspikes.

Uses: Tender shoot and leaves are eaten as vegetable after cooking specially in urinary problem. Roots are used in inflammatory discharge from genital organs

7. Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.**Family: Acanthaceae Local Name:kadu chirayta Description:** An erect branched herb. Leaves simple, opposite, lanceolate, base cuneate, margin entire, apex acuminate. Flowers axillary, corolla white with pink tinge, darker on the lower lip.

Uses: All parts of plants are prepare the decoction, which is used in fever and dysentry. Leaves paste is used in eczema. Leaves decoction is useful in control of worm.

8.Anogeissus latifolia (Roxb.ex.Dc.)Wall.ex.Guill.&Perr. **Family - Combretaceae LocalName:Dhawada Description:** Tall, deciduous tree, with smooth, white grey bark,peeling off in thin flakes. Leaves sub-opposite,variable,

* Govt. P.G. College Chhindwara (M.P.) INDIA

elliptic-oblong, silky tomentose when young,base rounded,margin entire,apex obtuse-round. Flowers 2-5 in a head, yellow. Fruit orbicular with entire wings.

Uses: Extract of stem bark is teken with water to cure dysentry. Gum of plant mix with water use to cure dysentry.

9.Bacopa monnieri (L.)Pennell **Family: Scrophulariaceae Local name: Bramhi Description:** Suculent creeping herbs. Stem spreding, rooting at nodes. Leaves sessile, decussate, oblong, flashy, margin entire, apex obtuse. Flower axillary solitory.Capsule ovoid.

Uses: Leaves juice mixed with honey in equail quantity and given once a day in empty stomach for 45 day against epilepsy.Decoction of whole plant used as brain tonic.

10.Boerhavia repens L.var. diffusa L. **Family: Nyctaginaceae Local name: Punarnava Description:** Diffuse perennial herbs. Leaves unequal, ovate-oblong, margin entire, apex obtuse. Flowers pink, in panicles umbels.

Uses: Whole plants is boiled in cow milk and extract is given twice a day for 10-15 days to dissole galbladder stone. Extract of root is applied in the cases of scorpion sting.. Root juice is given to cattle for the treatment of dysentery and diarrhoea

11. Boswellia serrata Roxb. ex. Colebr. **Family: Bruseraceae Local name : Salai Description:** Small deciduous tree. Bark pepery, peeling off in large flakes. Leaves pinnate, alternate, crowed at the end of branches. Flowers pinkish creamy white in axillary racemes. Droop3 edged, yellow.

Uses: Gum is used internally in rheumatism.

12.Bombex ceiba L. **Family: Bombacaceae Local name: Semal Description:** A tall deciduous tree, bark gray, covered with hard, sharp, conical prickles, leaves large, glabrous, entire. Flower red, numerous, appearing when the tree is bare of leaves.

Use: The gum is useful in dysentery. The bark is used for healing wounds.

1***3.Buchanania lanzan*** Spreng **Family: Anacardiaceae Local name: Char Description:** Small deciduous tree. Leaves alternet broadlly oblong, base acute-round, margin entire, apex obtuse, flower greenish white in terminal. Fruit drupe globose black.

Uses: The root and leaves are pounded and given in diarrhoea. Stem bark paste is applied on the wounds to cure. The fruit kernels taken with sugar cube to cure typhoid.

14.Carica papaya L.**Family: Caricaceae Local name: Papita Description:** A shoft wooded almost brancheless tree with succulent trunk and milkey sap. Leaves palmaetifide glabrous,crowding towards stem apex. Flowers dioecious creamy - yellow. Fruitsucculent.

Uses: Milky juice is applied for currying ringwarms. Latex is filled in teeth cavity with the help of cotton puig to cure toothache and swollen gums.

15. Chloroxylon swietenia DC. **Family: Rutaceae Local name: Bherra Description:** Small deciduous tree, bark corky, rough, yellow. Leaves alternate, pinnate leaflets 10-20 pairs, unequal at base. Flower in branched terminal and axillary panicles, flower white.

Uses: Crushed leaves are used to cure wounds. The paste prepared from ten gram of fresh leaves with water is applied externally once in a day for a period of three days to treat scorpion bites.

16.Cyperus rotundus L. **Family: Cyperaceae Local Name: Nagar moth Description:** Perennial herbs. Leaves linear, glabrous. Spikelet's linear-cylindrical, compressed.

Use: The tubers are useful in the treatment of irregular menstruation and vomiting.

17 . Eclipta prostrata (L.) L.syn. E. alba **Family : Asteraceae Localname:Bharagraj Description:** Prostrate herbs, often rooting at the lower nodes. Leaves simple, opposite, ellaiptic. Heads white, solitary or 2&3-together.Ray florets 2-3 serite,ligulate,sterile,disk flarets tubular. Achenesdarkbrown.

Uses: Whole plant extract to applied for cheak hair fall and dandruff controll.

18.Euphorbia thymifolia L. **Family: Euphorbiaceae Local Name: dudhi**

Use: Decoction of the plants with honey is given twice a day to treat bleeding with urine.

19 Ficus benghalensis L. **Family: Moraceae Local name: Bargad Description:** Large ever green trees, branches spreading with numerous prop roots .Leaves ovate, glabrous and shining above. Receptacles axillary, globose, red when ripe.

Uses: Milky juice is applied on cracked heels. Infusion of the bark is used in dysentery and diarrhoea. Latex is used to relieve toothache and cough.

20. Gloriosa superba L. **Family: Liliaceae Local name: Kalihari Description:** Climbing herb.Leaves oblong-lenceolate, tendrillar at apex. Flowers yellow, tinged with red in upper half, tepals undulating on the margins.Capsules linear-oblong.

Uses : The tubers are made into paste and it is applied externally on head of the mother to accelerate child birth.Tuber paste applied in externally in rheumatism.Tuber paste is applied in snake bite and scorpion-sting.

20. Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br.ex.Schult.**Family: Asclepiadaceae Local name: Gurmar Description:** Large climber. Leavse opposite, ovate, apex acute, pubscent, base ronded, margin entire. Flowers in lateral umbellate cymes on short peduncles, greenish-yellow. Follicales paired.

Uses: Deeciction of leaves is used to cure diabetes.

21..Helicteres isora L.**Family: Sterculiaceae Local name: Marodphali,Atti Description:** Deciduous shrub. Leaves thin coriaceous,obovate,hairy ,margin serrate, apex shortly acuminate with red flower.Fllicles cylindrical,spirally twisted with an apical beak.

Uses: Fruit powder mixed with gud taken orally for 7 days agains stomachache. Root paste with sugar is taken in bleeding piles. Twigs are chewed as tooth-brush in toothache.

22. Impatiens balsamia L. **Family: Balsaminaceae Local name: Gulmehndi Description:** Annual glabrescent herb, sparsely hair. Leaves mostly linear - lanceolate, margin serrate, apex acute. Flower axillary solitary or in cluster. Flower pink.Capsules ellipsoid.

Uses: Leaf crushed to make paste and applied on boils and burns for cooling effact. Leaves paste are used for colouring hands and hairs.

23.Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. **Family: Anacardiaceae Local name: Moyan Description:** Deciduous trees, Leaves imparipinnate, leaflets ovate-lanceolate, glabrous, shining,apex acuminate, base oblique,margin entire.Flowers pale yellow, racemes pubescent, borne at the end of branches.Drupe oblong-ovoid.

Uses: Seed paste used externally in forehead to cure headache. The bark juice is used on cuts and wounds.The gums is used in diarrhoea and dysentry.

24.Lawsonia inermis L. **Family: Lythraceae Local name: Mehdi Description:** Large shrub, branches 4 angled often ending in a spinous point. Leaves opposites, sessile, elliptic, acute. Flowers white with strong smell in panicled cymes.Capsule globose.

Uses: The leaves yeild a dye which is widely used as a colouring mateterial for hand, feet and hairs by trible ladies. Paste of leaves is applied over the soles of the feet to prevent cracking. Leaves are pounded with mustard oil and applied on burns.

25.Leucasaspera (Willd.) Link **Family:Lamiaceae Description:** An erect or diffuse annual herb with quadrangular stem. Leaves sub-sessile, linear, obtuse,entire. Flowerswhite in axillary whorls.

Use: Boiled vapor of leaves inhaled to relieve cough and cold.

26.Miliusa tomentosa (Roxb.)Sinclairs **Family: Anonaceae Local name: Kari Description:** Large deciduous tree. Leaves ovate,oblong, alternate,glabrescent above,tomentose below,base rounded, margin entire,apex acute. Flawer greenish, solitary axillary on short penduncle.

Uses: Bark decoction is used as gargle for mouth sores. Leaf paste is applied for healing of wounds.

27.Mallotus philippensis (Lamk.)Muell. Arg. **Family : Euphorbiaceae Local name: Sinduri Description:** Small evergreen tree. Leaves alternate ovate, margin entire, apex acute. Flo cluster in erect terminal spike.Capsules globose.

Uses: Paste of bark is applied on wound at stop blood and acts as antiseptic also. Red powder covered on fruits is prescribed to destroy intestinal worm.

28.Pongamia pinnata (L.) Pierre.**Family: Papilionaceae Local name: Karanj Description:** Densely foliaceous evergreen tree. Leaves imparipinnate, leaflets 5-9,ovate-oblong,opposite,base cuneate,apex acute,margin entire.Flowers pinkish -white in racemes axillary.Pods obliquely oblong, woody.

Uses: Seed oil is uses as curative for any skin disease and heling cut and wound. Seed oil also used in rheumatisu.

29.Pterocarpus marsupium Roxb. **Family : Papilionaceae Local name: Beeja Description:** Large deciciduous tree. Leaves imparipinate, leaflets 5-7, oblong rounded, apex obtuse emarginate, margin entire.Flowers in lateral and terminal peniculate racemes and pale yellow.Podscircular, woody, winged.

Uses: Bark extract used to cure diabetes. Gum powder mixed with water taken orally to cure chronic dysentery.

30.Schleichera oleosa (Lour.) Oken. **Family: Sapindaceae Local name :** Kosum Description: Deciduous tree, leaf bright red when young, leaflets 2-4pairs. Flowers greenish white, long raceme in the axis of fallen leaves near the apex of branches. Fruit drupes ovoid. Seeds enclosed in pulpy aril.

Uses: Seeds oil are used in rhumetism. Fruit decoction is used as tonic. Seed oil is applied on wounds of cattle to kill worm.

31.Soymida febrifuga (Roxb.) A. Juss. **Family: Meliaceae Local name: Rohan Description:** Large deciduous tree. Leaves clustered at the tips of branches, paripinnate leaflet 3-6 pairs, obliquely elliptic. Flowers in large terminal penicles, white fruits pendulous 5-valved.

Uses: Crushed bark is used for the treatment of inflammation foot of cattle & decoction of bark is given orally in snakebite.

32.Syzygium cumini (L.) Skeels **Family: Myrtaceae Local name: Jamun Description:** Large ever green densely foliaceous tree. Leaves opposite, elliptic-oblong, glabrous,shining ,base slightly narrowed,margin entire,apex acuminate. Flowers pale greenish- white, sesssile, mostly

in trichotomous penicles. Berry oblong-ovoid.

Uses: Seed powder are use for contral diabetes.The fruits are used with salt in cases of undigestion. Extract of stem-bark is taken orally with water to cure diarrhoea. Gargles of leaves decoction relieves mouth ulcers.

33.Tribulus terrestris L. **Family: Zygophyllaceae Local name: Gokhru Description:** Annual procumbent herb, with pinnate leaves,leaflets ovate-elliptic, apex acute. Flower yellow,axillary. Mericarps dorsally tuberculate, spines four.

Uses: The decoction of the fresh leaf and fruit are taken against jaundice. Fruit powder is given orally to cure urinary disorders. Decoction of the whole plant is used as a health tonic.

34.Woodfordia fruticosa (L.) Kurz. **Family: Lythraceae Local name: Dhatki, Surteli Description:** Large woody shrub, bark smooth, brown, peeling of in threads. Leaves opposite, sessile, lanceolate,base rounded,margin entire,apex acuminate. Flower axillary cymes. Calyx tubelar, petals brigt red.Capsules oblong.

Uses: Bark paste mixed with coconut oil and used externaly on affected wounds cause by fire. Paste of the flower is applied externally in the treatment of piles.

Results and Discussion

Study provides information based on 34 plants species of 26 families, commonly used for various diseases cure by the tribes of Patalkot. These people are well known for their rich tradition in the art of healing. Based on the present study has been observed that the tribal community of Patalkot is rich in ethno- biological knowledge and these knowledge is transmitted from one generation to another generation in the verbal form.

Acknowledgments - The author thankful to the tribes of Patalkot for providing the valuable information required for this study.

References

1. Bawistale,Omkar, Sahu,T.R., Sahu, Pankaj and Brijiesh (2007). Checklist of medicinal flora of Patalkot Dist. Chhindwara,(M.P.), 4 (1&2) 53-56.
2 Jain,S.K.,Dictionary of Indian folk medicine and ethnobotany. Deep publication, NewDelhi. India.(1991)
3. Patel,N.K., Patel,I.C.,Seliya,A.R. and Parmar, D.N. Ethno- medicinal plants of North Gujarat part-I-II. Indigenous ethnomedicinal plants.pp-158-217.
4. Pawar,S., Barmaiya, K.K. and Kanungo,Nkhil (2013). Ethnomedicinal plants used by tribes of Patalkot District Chhindwara M.P. Proc.in Natinal conference on ethnobotany - Jagat arts & commerce & I.H.P.Scince College, Goregaon Dist. Gondia (M. S.)36-40.
5. Rai, M.K.(1987). Ethnomedicinal studies of Patalkot and Tamia (Chhindwara) plants used as tonic. Ancient science of life 3(2); 114-121.

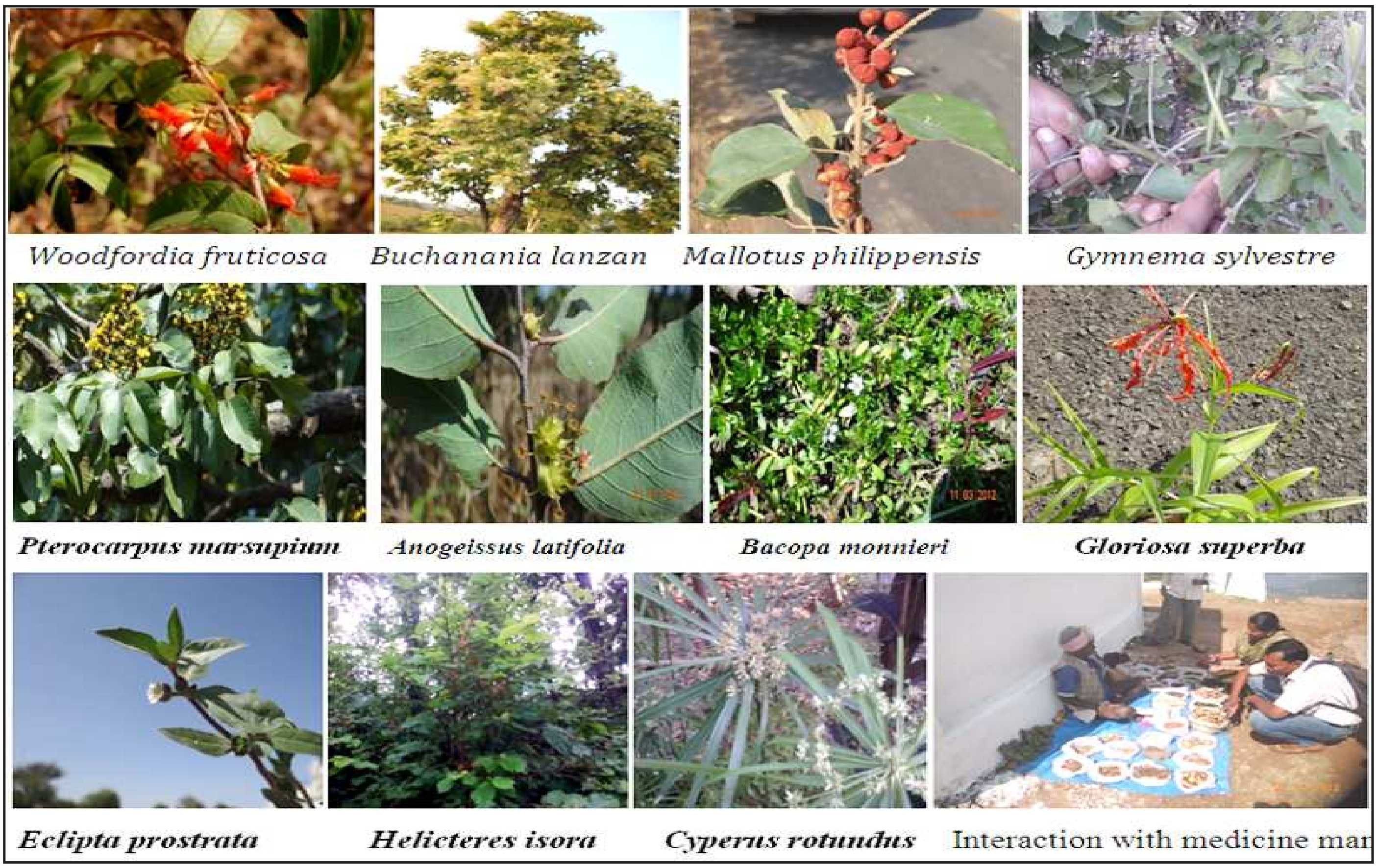

Necessity and Management of Safe Water

Dr. Renu Rajesh *

Abstract - Water is inseparable from life. In other words, there is no life without water. India has 16% of worlds' population. But India has only 6% of fresh water resource. Therefore, providing drinking water to such a large population is an enormous challenge. Main sources of water used are surface water and ground water. 85% population depends on ground water. Average availability of water is reducing steadily with growing population. By 2020 India will become a water stressed nation. The most important way to obtain safe drinking water for a population is to protect its sources from any sort of pollution and over exploitation. The government policies and programmes have undergone a series of transition ever since independence. Transition has been from technology measures to a sociotechnological approach seeking close participation of people. To meet out the increasing demands holistic and people-centered approaches for water management is required.

Water is inseparable from life. In other words, there is no life without water. Our country India is a vast country, next only to China. India has 16% of worlds' population. Our rural population is more than 700 million people. This population is spread over 15 diverse ecological regions. But India has only 6% of fresh water resource. Our country is characterized by no uniformity of:

- Rainfall distribution.
- Levels of awareness.
- Socioeconomic development.
- Education.
- Practices and rituals.

Therefore, providing drinking water to such a large population is an enormous challenge. ARTICLE 47 of Constitution of India has provision of clean drinking water. Main sources of water used are surface water and ground water. Ground water is the major source of water in our country. 85% population depends on ground water. Availability of water remains more or less fixed as per hydrological cycle. Average availability of water is reducing steadily with growing population. By 2020 India will become a water stressed nation. Per capita availability of water has been reducing steadily due to population increase.

1955---5300 cubic meters per person per year
1996---2200 cubic meters per person per year
2020---1600 cubic meters per person per year
(< 1700 cubic meters per person per year indicates water stressed condition)

There are large variations in availability of water, depending on local conditions as well as differences in management of water. Town sizes, type of governing local body, maintenance of water supply are indicatives of the status of water infrastructure development of any place. Historically, individual and community wells had been the primary source of water in most places. Development undertaken by the earlier rulers of towns had considerable impact on water infrastructure, especially with respect to ponds, wells, bowris etc. Individual wells, bores and community wells remain a major source even today in Nagar Panchayats, which are basically overgrown villages with poor municipal provided water infrastructure. Hand pump remain the most popular town managed option. The situation is better in the Nagarpalikas because many Municipal bodies/PHED/other departments have made efforts to improve the water situation in the towns over the last few decades, with installation of hand pumps or piped water supply being the most popular choices. The extent to which these local bodies have been able to develop the water infrastructure has depended on how aggressively they have pursued such efforts. Availability of municipal water connections increases with size of the town, although this does not reflect the effectiveness of municipal supply. Having a municipal connection does not ensure regular and safe access to water, since the efficiency of municipal supply varies from town to town, quality of water may be below acceptable limits and even taps may run dry. Purchase of water from private provider is not very common in most towns except for extremely water deficient towns. Water tankers are considered as primary source of water during extreme water deficiency conditions.

Two challenges before us are:

(1) Access to drinking water.
(2) Assurance that accessible water is safe.

Water quality problems are caused by pollution and over exploitation due to rapid industrialization, mindless exploitation, agricultural growth, financial and technological constraints, poor policies and their implementation, non

* Professor, Botany Department Govt Nehru Lead College, Ashoknagar (M.P.) INDIA

enforcement of laws, lack of awareness and education among users, negligence towards protecting and/or promoting water harvesting systems and by floods, droughts also. Point and nonpoint sources of pollution like sewage discharge, discharge from industries, runoff from agricultural fields and urban runoff also affect water quality.

The most important way to obtain safe drinking water for a population is to protect its sources from any sort of pollution. Disinfection-resistant pathogen strains exist and many more may emerge in future. WHO experts, therefore, recommend multiple barriers to the potential transmission of microbial pathogens in water supply. Good sanitation practices establish first barrier. Appropriate filtration is second barrier. Disinfection is also an important barrier. Storage of surface water in protected reservoirs leads to considerable improvements in microbiological quality of water through predation, settling of bacteria attached to particulates and the effect of solar UV radiations in the near surface water layers. Ground water is naturally filtered through several meters of soil and rock. It is commonly free of protozoa cysts and large parasites. It is also commonly free of significant suspended particles, making subsequent disinfection treatment, if desired, more effective. Deep aquifers (80 m deep) containing old ground water, have little organic carbon and usually little biological contamination.

Health Risks Of Poor Quality Of Water

- Around 37.7million Indians got affected by water borne diseases annually due to contamination by microorganisms.
- 1.5 million Children are estimated to die of diarrhea alone, a traditional disease.
- 73 million working days are lost due to waterborne diseases.
- 66 million Indians are at risk due to excess fluoride in ground water.
- 10 million Indians are at risk due to excess arsenic in ground water.

Chemical contamination due to fluoride, arsenic, iron, nitrate, brackishness is because of over extraction of ground water in states like Andhra Pradesh, Gujrat, Karnatka, Madhya Pradesh, Rajasthan. As West Bengal shifted over to sources of drinking water from surface water to ground water, arsenic contamination reported. Pollution of ground water and surface water due to increased use of fertilizers and pesticides is also of concern. It has caused tremendous nitrate contamination. Industrial effluents are also degrading ground water by adding heavy metals like cadmium, zinc, mercury. Organic pollution (biochemical oxygen demand and coliform count) continues to be predominant in aquatic resources (The Central Pollution Control Board, 2005).

Major pathogens responsible for waterborne diseases in India are:

- BACTERIA - E.coli; Shigella; V. cholera
- VIRUSES - Hepatitis A; Polio virus; Rota virus
- PARASITES - Hookworm; Entamoeba histolytica; Girardia.

Progress of Rural Water Supply Programmes In India

The government policies and programmes have undergone a series of transition ever since independence. Transition has been from technology measures to a sociotechnological approach seeking close participation of people.

- **Early Independence (1947-69)**
  the environment hygiene committee (1949) ownership of all water resources to the government (1950)
  national rural drinking water supply programe (1969)
- **Transition From Technology To Policy (1969-89)**
  accelerated rural water supply programme, ARWSP (1972-73) India became a party to international drinking water supply & sanitation decade (1981-90), (1981)
  the national drinking water mission, NDWM (1986)
  first national water policy (1987)
- **Restructuring Phase (1989-1999)**
  NDWM renamed as rajeev gandhi ndwm, RGNDWM (1991)
  responsibility of providing drinking water assigned to panchayati raj institutions (1994)
  sector reforms i.e. government oriented supply driven approach shifted to people oriented demand responsive approach (1999)
  total sanitation campaign (1999)
- **Consolidation Phase (2000 Onwards)**
  swalaldhara (2002)
  revised national water policy (2002)
  all drinking water programes under rgndwm (2004)
  bharat nirman programe (2005)
  funding under swajaldhara scheme as 50:50 centre-state share (2007)

Health Impact And Water Quality Problems

- **Flouride -** digestive disorders, skin disease, dental fluorosis, skeletal fluorosis.
- **Arsenic -** acute poisoning, bloody rice water diarrhea, abdominal paincancer of the skin, lungs, bladder and kidney.
- **Iron -** damage blood tissues, digestive disorders, skin diseases.
- **Nitrate** - blue baby diseases,
- **Salinity** - objectionable taste, affect osmotic flow.
- **Heavy Metal** (Cd, Zn, Hg) - damage to nervous system,

kidney etc.

- **Persistent Organic Pollutants** - high blood pressure, growth retardation.
- **Pesticides** - weakened immunity, tumour formation, reproductive and endocrinal damage

In order to provide access to sufficient safe water, WATER QUALITY MONITORING is important. The practices for this are:

Behavioural Practices- facilities for sanitary disposal, sound hygiene behavior, clean surrounding around sources and ways and means of water collection.

Cultural And Ritual Practices- to control the immersion of idols in surface water, to prevent use of water bodies as dumping grounds for various offerings.

Policies And Programmes At National, State, District, Block And Panchayat Levels

Information, Education, Communication- to educate people on health and hygiene.

Role Of Various Agencies - various agencies responsible and/or working for water quality monitoring are Central Government

State Government

CWC - Central Water Comission

CGWB - Central Ground Water Board

CPCB - Central Pollution Control Board

CBHI - Central Bureau Of Health Intelligence

HUDCO - Housing And Urban Development Corporation

NRCD - National Rivers Conservation Directorate

RGNDWM - Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission

MoA - Ministry Of Agriculture

MoUD - Ministry Of Urban Development

LIC - Life Insurance Corporation

NRDWP - National Rural Drinking Water Programe

WSSO - Water And Sanitation Support Organization

DWSM - District Water And Sanitation Mission

Brc - Block Resource Centre

Such a long list of agencies many times causes mismanagement in launching the plans. Therefore, interagency coordination is required. The government of India has sanctioned laboratories in 430 districts. Need is to establish more testing labs and monitoring stations across all regions for all seasons. National Rural Drinking Water Quality Monitoring and Surveillence programe has also been launched in 2006. Community participation is must for monitoring and surveillance. Need is to make people aware of the need of consuming safe water and as much as per genuine requirement. Service providers, individual user, community and society should make accountable. There should be provision under the food law bill for water and water quality standards. Maintenance of water resources, water harvesting, waste water treatment, low cost treatment technology, revival of traditional water bodies are the need of hour to manage continuous access and access to safe water. In the villages across Gujrat, for village level water quality monitoring, Gram Mitra service is going on. Ramkrishna Mission Lokashiksha Parishad (RKMLP) of RKM Ashram, Narendrapur is a good example of maintenance of water resources. Recharge of ground water through rain water harvesting is a must. Waste water treatment and its use for purposes other than drinking can reduce the burden on fresh water sources. Group water supply in Jhabua district of Madhya Pradesh and involvement of local NGO Vasudha is an important example. Here ground water, high in fluoride is mixed with fresh water sources to lower down the concentration of fluoride to acceptable range before supplying to villagers. In the villages of Andhra Pradesh 4P model (Panchayat - Public - Private - Partenership) has been proved effective. All four contributes to establish water purification system and people are reaping benefits.

Water is a basic necessity for the survival of humans. Interplay of various factors governs access and utilization of water resources. To meet out the increasing demands holistic and people-centered approaches for water management is required. But, a holistic approach to water supply seems to be missing, which, consequently has reduced the overall efficiency. Drinking water resource management is not covered under any formal policy or legal framework in our country. Developing a regular feedback mechanism from the citizens primarily to understand various issues involved in any sector is a helpful tool/mechanism for supply side agencies. This will help improving services of the service providers. Annual analysis before annual planning of the municipality/towns will provide strong citizens' inputs as well as create space for sharing responsibilities with them. Small towns are particularly deprived of effective management skills and exposure to plan on technical aspects. Wherever the top executive/political leadership is dynamic and management/ result oriented, water management is effective. The technical staff needs to be exposed to motivate them as well as provide them learning for improvement.

References

1. Das, K.. 2012, Drinking Water and Sanitation in Rural MP, Journal of Rural Development, Vol 31, No 3, NIRD, Hyderabad
2. Drinking Water and Sanitation Status in India, Water Aid India, 2005
3. Drinking Water Quality, Water Aid India, 2009
4. Gadgil, A. 2008, Safe and Affordable Drinking Water for Developing Countries, Chapter in Physics of Sustainable energy, ed by Hafemeister, Levi, Levin, Schwartz, Pub by Am Inst Phys

Control Of Culex Mosquito By Plant Extract

Kushal Singh Baghel * Gangaram Masar **

Abstract - Mosquitoes act as a vector for most of the life threatening diseases like malaria, yellow fever, dengue fever, chikungunya fever, filariasis, encephalitis, West Nile Virus infection, *etc*. Under the Integrated Mosquito Management (IMM), emphasis was given on the application of alternative strategies in mosquito control. The continuous application of synthetic insecticides causes development of resistance in vector species, biological magnification of toxic substances through the food chain and adverse effects on environmental quality and non target organisms including human health. Application of active toxic agents from plant extracts as an alternative mosquito control strategy was available from ancient times. These are non-toxic, easily available at affordable prices, biodegradable and show broad-spectrum target-specific activities against different species of vector mosquitoes. In this article, the current state of knowledge on phytochemical sources and mosquitocidal activity, their mechanism of action on target population, variation of their larvicidal activity according to mosquito species, instar specificity, polarity of solvents used during extraction, nature of active ingredient and promising advances made in biological control of mosquitoes by plant derived secondary metabolites have been reviewed. **Keywords:** Insecticides, integrated mosquito management, larvicides, LC_{50}, plant extracts

Introduction :- Phytochemicals derived from various botanical sources have provided numerous beneficial uses ranging from pharmaceutical to insecticides. Historically, the commercial development of insecticides from chrysanthemum plant was first of all observed by an Austrian lady Dalmatian Anna. She found dead flies around Chrysanthemum and this led to the cultivation of the plants to be used as Dalmatian insect power. Since then Pyrethrins from Chrysanthemum flower and many synthetic derivatives stand prominent as an effective insecticide. The first and the foremost report of it acting against mosquito larvae is credited to Campbell et al., (1993) who found that plant alkaloids like nicotine, anabasine, methyl anabasine and bupinine extracted from Anabasis aohylla killed the larvae of Culex pipiens and them Hiller (1940) noted that extract from philodendron emurinse yielded a quick mosquito larvicide. Wilcox on et al., (1940) also reported that extract derived from a plant Aspedium pilix contains a constituent filicin which is a toxic to culex quinquefasciatus. Jacoboson (1971) reported several phtochemicals against Prabhu et al., (1973) and Supavarn et al., (1974). The present paper reports the mosquito larvicidal activity of Cleome icosandra against 2nd and 4th instar larvae of Culex quinquefasciatus.

Materials And Methods :-

A. Plant Material :- The plant Cleome icosandra was collected from Bundelkhand area of Lalitpur district of U.P.during the month of November and December 2009 inlarge quantities. Identification of plant was carried out from deppt. Of Botany S.S.L. jain P.G. college Vidisha. A reference specimen is deposited in laboratory for record. The plant material was thoroughly washed with tap water and was kept for drying in shade at room temperature at 25°c ± 2ºcfor more than one month. Thoroughly air dried plant material was grounded to power size, weighed and stored in large plastic bottles for future analysis.

B. Toxin Activity :- The larvicidal potency of plant extract (crude and purified) was evaluated by exposing batchs for 25 sec. and fourth instar larvae of Culex quinquefisciatus of laboratory stock. Counted number of larvewore taken and stained with the help of stainer and delivered into 500ml beaker containing 250ml of water to which the required volume of the stock solution was added to give the desired test concentraton yo three replicates. A control was set set up with 0.5ml of acetone, in 250ml of dist. Water routine food schedule to larvae was followed both treated and untrated beakers (Ansari et al., 1978).

C. Biolstatical Analysis:- Result was analysised statically by probit analysis (finney, 1971).

Result and discussion The larvicidal activity of crude and purified fraction of extract are given in (table 1).it can be seen from the value that the crude extract were moderately effective against. Culex *quinquefasciatus* larvae with LC50 value of 120.37ppm respectively for 2nd and 4th instar larvae. When four different concentration 100-250ppm were tested against second instar larvae,it caused 24-50% mortality within 24 hours. The stastical analysis such as regressing equations.chi-square,LC50 standard deviation(S.D.)and fiducial limits (FL)of the data were record as Y=0.22+ 2.041×,×2.466,3404±0.036and 188.7 and 334.33ppm respectively for second instar and Y=3.543±0.7003×0.011,

* & * Department of zoology Govt.P.G. College Khargone (M.P.) INDIA

2.079±0.042 and90.1 and 17608ppm forth instar larvae. The level of significations indicates that the results of fourth instar are more significations then control and untreated (p>0.05). In the present research the larvicidal potential of various extractives obtained from C.icosendra have been found to be more effective against forth instar larvae of Culex quinquefasciatus.

The crude extract was found "less effective" as compared to its fraction (table 1). All the three crude extractives thus gave a 24 hours LC50 value off 100ppm concentration. The toxic effects of plant derived compound on mosquito have been examined by spielman and skaff(1967) in A.aegytpti and C. quinquefasciatus spielman and lemma(1973) reported that Butanol extract of soap very plant phytolacca dodencandra was effective against larvae of A.aegypti.c.pipiens and A. quinquefasciatus. the larvicidal activity indigenous extract have been much reported eaelier by Sharma and wattal(1971)in the seed mucilage which caused 86.6-100%mortility to C.fatigans and A.aegypti.

Table1: Toxicity of petroleum ether extract of cleome icosandra on second and fourth instar larvae of Culex quinquefasciatus

Treated aquatic stages	Conc. (ppm)	Larval Mortality(%)	Regresses Equation (y=a+bx)	O chi-square [x²(n-2)]	LC50ppm	Log LC500 +S.D.	95% FL(ppm)
First Instar	100	24	Y=0.22+2.041	2.466	219.316	2.340±0.036	LL=188.7 UL=134.33
	150	36					
	200	48					
	250	52					
	Controlled	4					
	untreated	0					
Fourth instar	50	20	Y=3.543+0.7003*	0.011	120.375	2.0917±0.042	90.1
	100	48					
	150	52					
	200	66					
	Control	5					
	Untreated	0					

*p<(0.05)

FL=fiducial limit,LL=lower limit,UL=Upper limit,X=Abotts formula applied

P=Values are significant p<0.01.

References :-

1. Campbell F.L.,and Sullivan W.W.(1963).the lative toxicity of nicotine anabasine methyl anabasine and lupinine for qulicine mosquito larvae.Journal of economic entomology.26;500-509.
2. Ansari. M.A.sharma V.P., and Razdan R. K., (1978). Massrearing procedure for anopheles stephensi. Journal of Communicable Disease. 10(2): 131-135.
3. Prabhu V.K., Joun M., and Ambikamma B. (1973). Juvenile hormone activity in some south Indian plants Current Science. 42:725-726.
4. Slama . K. and William, C.M.(1965). Juvenile activity for the bug phyrrhocoris apterus. National academic Science. U.S.A. 54(2)411-414.
5. Sharma S.K., and Wattal B. L.,(1971). Effaicacy of some mucilaginous seeds as biological control agents Mousquito larvae. Journal of Entomlogy Research 3(2) 172-176.
6. Wigglesworth V.B. (1958). Some methods for assing extracts of the Juvenile hormone in Incects. Journal of Incect Physiology. 2:73-84.
7. Thangam I. S., and Kathiresam K.,(1988). Toxic Effect of sea wed Extracts on Mosquito larvae. Indian Journal Medical Research 88:35-37.
8. Thomas P. L., and Bhatnagar L.L.(1968). Use of a Juvenile hormone analogue as insecticide for Pasts of stored grain. Nature Londone 219:949-950.
9. Supavam P., Knapp F. W., and Sigafus R.,(1974). Biologically active plant extracts for control of mosquito larvae. Mosquito News; 34:398.
10. Spielman A. and Williams C. M., (1966). Lethal effects of synthetic Juvenile hormone on larvae of the embryogenesis of Drosophila melanogaster. Journal of incect physiology. 21:723-732.
11. Singh S.K., Saroj., Tripahati V.J. Singh A. K., and Singh R. H., (1988). An Antimicrobial principle from Sphaeranthus indicus L.(F. Compositae). International Journal of Crude Drug Research. 26(9)235-239. Shrivatava U.S., Jaiswal. A.K. and Abidi R.,(1985). Juvenol activity in extracts off certain plants. Current Science. 54(12)576-578.
12. Sehnal F., and Mayer R., (1982). Juvenile hormone analogues in Incect endocrinology. Alan Research. Liss. Inc. New York.
13. Schaefer C.H., and Wilder W.H., (1972). Incect development inhibitors. A practical evaluation as mosquito control agents. Journal of Economic Entomology 65: 1066-1067.
14. Rovert L.L., and Olson J.K.,(1989). Effect of Sublethal dosages of insecticides on Culex quinquefasciatus. Journal of Amar Mosqito Control Association. 5(2)239-245.

****

Plant mythology and traditions

Sarika Tundele*, Govind Waskel**

Hinduism has always been an environmentally sensitive philosophy. No religion, perhaps, lays as much emphasis on environmental ethics as Hinduism. The Mahabharata, Ramayana, Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Puranas and Smriti contain the earliest messages for preservation of environment and ecological balance. The rishis of the past have always had a great respect for nature and worshipped trees as sign of particular god or godessess. The Bhagavad Gita advises us not to try to change the environment, improve it, or wrestle with it. Some of the important trees and plants which are associated with mythology are described below.

Pipal (Ficus religiosa) is one of the leading trees in Hinduism and Buddhism. It is also known as the bodhi tree because Gautama Buddha attained enlightenment under it. The tree is the object of universal worship throughout India. It is sacred to Vishnu.

Other important trees sacred to Vishnu are: the Banyan or Indian Fig tree (Ficus indica), Chandra-mallika (chrysanthemum indicum),NagaKeshara(Mesuaferrea),etc.

Trees sacred to Shiva are the famous Ashoka (Saraca indica) with pointed leaves, Kesara (Mimusops Elengi), Champaka (Michelachampaca),and Vata amongst others.

Lakshini has Kamala (Nelumbiuu speciosum) while Parvati has Sri-phala (Aegle Marmelos).

The Kaila or plantain is sacred to one of the forms of Kali. It is commonly used in marriages and during festivals a decorative doorway is made out of it, leading to the temple or the room where the prayers are to be held.

Tulsi (Ocmum sanctum) is a sacred plant of the basil family. Tulsi was one of Vishnu's p amours. Out of jealousy his wife Lakshmi turned her into a plan, and the god became the salagrama stone to keep her company. In some versions of the story, Tulsi and Lakshmi are the same. The plant is about three fret in height. Everyday the ground near it is covered with a layer of cowdung and at night a lamp is lit near it. It is a common custom to place a sprig of tulsi near the head of a dying person. The aromatic leaves are taken as a digestive after meals. In addition to the above, the Kusha Grass (Poa cynosuroides) and Durva Grass (Agrostis linearis) are also considered very sacred. The kusha has the quality of warding oil evils. In all rituals, kusha is a must in sonic form or other. Durva is supposed to be very auspicious and is offered to Ganesha. In a country like India with many regional beliefs , several myths, folklores and many stories are connected to various plants and trees , some of them are mentioned here.

Acacia Catechu

Family Leguminoseae

Sanskrit: Khadir

Hindi: Katha

English: Cutch tree

Khadira wood is considered sacred both by the Hindus and the Buddhists.

There is a mention of the plant in the Bhagavata Purana and other ancient Indian texts. It also finds a mention in the Buddhists Jataka stories.When Brahmadatta was king of Banaras, Bodhisatta was born as a woodpecker and since he lived in a forest of Acacia trees i.e. Khadirj-vana, he was called Khadiravaniya. He had a friend called Kandagulaka, who used to get his food from soft, good fruit. Once Kandagalaka visited Khadiravaniya and the latter took him into the Acacia woods and pecked at the tree trunks until the insects came out and these he gave to his friend to eat. Kundagalaka was an arrogant bird and thought that he could himself get the insects to eat, why should he be obliged to Khadiravaniya for them. When he told his intentions to his friend, Khadiravaniya said: "You are used to take your food from pithless silkcotton trees and trees that bear abundant soft fruit. But Khadira is full of pith and is hard. You should not peck at it". But Kandagalaka did not heared the warning given by his friend and pecked at the hard Khadira wood. The wood being hard, his beak snapped, his head split and he could not hold fast to the tree. He fell to the ground arid died. Bodhisatts identified the Birth and said: "Devadutta was Kandag-abka and Khadiravaniya was myself. This was not the first time that Devadutta had destroyed himself by imitating me".The dried pulp extracted from the wood of Acacia catechu is used as a paste for the betel leaves. It has digestive and other medicinal properties. The inflorescence of Khadira is essential in marriage ceremonies in certain parts of India. The sacrificial post is made of Khadira wood, also the sacrificial fire, as it produces very hot embers. The Sruva or sacrificial ladle is also made from its wood perhaps because the wood is very hard.

Cocos Nucifera

Family Palmae

Sanskrit: Narikel

*, ** Assitant Professor-Botany, J.N Govt. College, Barwaha, District-Khargone (M.P.) INDIA

Hindi: Nariel

English: Coconut palm

Unripe coconut fruit is an essential part of all Hindu religious ceremonies.Even in areas where the coconut palm does not grow, no puja or offering is complete till a coconut is offered. The legend connected .with its origin says that Rishi Viswamitra practiced severe austerities for a long time and in the end acquired super-human powers. To prove his prowess, he decided to send king Tri-sanku to heaven in his earthly mortal body. King Tri-sanku had been exiled from his kingdom by his father for the seduction of the wife of a citizen. During the period of exile, there was a severe famine and Tri-sanku looked after the wife and children of Viswamitra while the latter was away. Since Tri-sanku desired to reach heaven in his mortal body, Viswamitra repayed him for looking after his family, by fulfilling his desire and raised him to heaven in his mortal body inspite of strong opposition from sages and gods. But when king Tri-sanku reached Indra's swarag in his mortal body, Indra was furious,"How can a mortal reside in my domain in his mortal body? Only souls are permitted". Feeling annoyed at the audacity of Rushi Viswamitra, he hurled the body of the king out of the heavens. When Sage Viswamitra saw this happen, he was indignant. His very first effort was coming to naught. For the king's body to come back to earth would not only have meant insult but also an acceptance of defeat at the hands of Indra. So Viswamitra used his magical powers again and stopped the king from falling on the ground. This resulted in king Tri-sanku being suspended in the air. To prop him,Viswamitra put a pole under him. In course of time, the pole became the coconut palm which is as straight and unbranched as the pole which Sage Viswamitra had taken to stop the further fall of the king.

The reason for the coconut fruit to have coarse fibrous outer covering is because symbolically it resembles the hair of the king and the two prominent black spots on the outside of the fruit resemble the two eyes of the king.

Coconut fruit is believed to fulfil one's desires. It is therefore considered sacred and offered to gods. The fruit is considered a symbol of Siva as it has three black spots and Siva is believed to have three eyes.

Elaeocarpus Ganitrus

Family Elaeocaipaceae

Sanskrit: Rudrakasha

Hindi: Rudrakasha

English: Utrasum Bead Tree

It is told that Parvati, the daughter of Daksha, on getting married to Siva,

the Lord of death, destruction and creation, discovered' that he was oblivious to all feminine charm and indifferent to a women's desire to wear ornaments. He lived like a beggar or a sadhu practising austerities all the time. Parvati had practised severe austerities and penances to win Siva as her husband and now that she was married to him, she, like all women wanted to adorn herself in jewellery and look attractive. But to Siva these were unnecessary adornments. He did not see the worth of such earthly enjoyments, considering them superfluous and childish. The time he did not spend in practising austerities, he spent in a samadhi, which usually lasted for years on end ... a time when he was oblivious even to the presence of his wife Parvati. Or else he gave her long discourses on learned topics which to the feminine mind of Parvati sounded too philosophical. A woman's natural desire to look attractive and to adorn herself with jewellery was frustrated by Siva, year after year.The Himalayan peaks which are the abode of Siva are blanketed with snow for the greater part of the year. One year, when after an unusually prolonged winter, spring came, the chirping of birds could be heard from dawn to dusk; flowers opened in their myriad hues and garbs; the sky once again turned a heavenly blue; the bees and the butterflies skipped from flower to flower sucking their nectar and joy at the advent of spring was felt in every corner of the earth. Parvati also was filled with longing for love and beauty and wanted jewels to make herself look attractive. She went to Siva and told him of her longing to wear jewels,-a desire he considered a mere frivolity on her part But Parvati was adamant. In the end Siva gave in to her desire and promised to give her jewels. He stretched his hands and Rudrakssha fruits fell from heaven into his hands by the dozen. He gave them to Parvati and asked her to make necklaces, bangles, armlets and earrings of the Rudraksha beads, saying that for the wife of an ascetic, they made the best jewellery, Parvati strung them and wore them as jewellery as directed by Siva.According to the Skanda Purana, Rudrakasha tree originated from Siva's tears.'

Nyctanthes Arbor-Tkistis

Family Oleaceae

Sanskrit: Parijata

Hindi: Harshingar

English: Tree of sorrow, Night Jasmine

The origin of the tree goes back to the churning of the milky ocean. When Hari, the preserver of the universe was approached by gods for protection from affliction, desires, troubles and grief, he assured them of renewed energy to fight evil and said: "Let all the gods in association with the Asuras cast all sorts of medicinal herbs into the sea of milk, take the serpent Vasuki for the churning rope, mount Mandara

as the churning stick and churn the ocean together for ambrosia, depending upon my aid. Then drink the arnrta thus produced from the agitated ocean and you will become immortal". The gods in alliance with the asuras did as they were told and started churning the ocean. Vishnu himself provided the pivot by becoming a tortoise on whose back the stick was pivoted. From the ocean thus churned by the gods and the demons, first arose Surabhi the celestial cow as a fountain of milk and curds; then appeared Varuni, the goddess of wine her eyes roiling with intoxication. Next arose the celestial Parijata tree perfuming the universe with its blossoms followed by a troop of Apsaras, the heavenly nymphs. Then came the cool-eyed moon which was seized by Mahadeva and adorns his head; then poison which would have endangered the sea but was seized by the Nagas or the snakes.The Lord of medicine, Dhanwantri, robed in white and bearing in his hand the cup of ambrosia came next. Then seated on a lotus flower and resplendent with all her beauty arose Goddess Sri.The name Tree of Sorrow' or 'arbor-tristis' o refers to the night flowering habit of the plant. This name is connected with the following story. There was once a princess who fell in love with Surya-deva, there splendent, handsome and shining Sun-god. He sported with her for a while and then deserted her. The princess '.as heartbroken and in despair killed herself and her body was cremated. From where her ashes fell, arose this tree of sorrow. Since Surya-deva was the cause of the death of the princess, the tree is unable to bear the sight of the sun and in its natural habitat is found in deep forests. It blooms only at night and with the first ray of dawn, its orange centred while flowers are dropped.The flowers are usually offered to the gods of the forest for favouring the shikari in his km. They are also used for garlands and are commonly placed on biers.

Ocimum Sanctum

Family Labiateae

Sanskrit: Tulasi

Hindi: Tulsi

English: Sacred Basil

Tulasj-tulana-nasty, ataeva tulasi' i.e. nothing can equal the virtues of Tulasi is a common saying. Tulasi is the meeting point of heaven and earth. According to one version, Tulasi plant was got as a result of the churning of the milky ocean .Tulasi plant has a beautiful legend attached to its origin. Tulasi wasmarried to a demon called Jalandhar who was born of the sweat of Mahadeva that fell in the sea. Because of his severe austerities and penances he had been blessed by Vishnu and given a boon which made him invincible to men, gods and demons, so long as his wife was faithful to him. Tulasi or Vrinda the name by which she was known as the wife of Jalandhar, was known for her conjugal fidelity. Getting arrogant of his invincible state, Jalandhar started committing atrocities on men. A time came when his excesses against humanity went beyond endurance. For a redress of their grievances, men took a deputation to Vishnu. Vishnu told them of the boon that he himself had given the demonand said that the only way to kill him was, if his wife was made unfaithful to him. Tulasi was so devoted to her husband that she would not even look at another man. Since the condition imposed for the demon's death was impossibility, the mortals requested Vishnu, the Preserver, to come to their rescue. Vishnu agreed and approached Tulasi in the form of her husband and seduced her.Having made her unfaithful to her husband, even though unwittingly, the demon was then easily killed. When Tulasi found out the ruse played on her, she confronted Vishnu in shame and rage and demanded an explanation for having been made a widow even when she had served Vishnu with unflinching faith and devotion. Vishnu gave her a lengthy discourse justifying his actions saying that to kill evil, sometimes even a god had to stoop to deception. However, to pacify her, he gave her an assurance that she would be worshipped by women for her faithfulness to her husband and her name would become immortal. Also, so that the women do not become widows. Tulasi was pacified by this assurance and committed sati.From her ashes arose a plant which was named after her and till today, the plant Tulasi is worshipped by all Hindu women.

References:-

1. Anthwal, A., Sharma, R.C and A.Sharma.2006. Sacred Groves: Traditional way of conserving plant diversity in Gharwal Himalaya, Uttaranchal.2006.
2. Ant H.M. (2000) Ethnobotanical studies of Angiosperms of Aravalli Hills (District Banaskantha,
3. Gujarat State) Ph.D. Thesis Submitted to The Bhavnagar University, Bhavnagar.
4. Bedi, S.J. (1968). Floristic study of Ratan-Mahal and surrounding hills, Ratan-Mahal.
5. Bhatla, N., T.Mukerjee and G.Singh. 1984. Plants: Traditional worshipping. Indian Journal of History of Science 19(1):37-42.
6. Deepa Gavali and Diwakar Sharma. (2004), Traditional knowledge & Biodiversity conservation in Gujarat
7. Gupta, S.M. 2001. Plant myths and traditions in India. Munshi and Manoharlal Publishers Pvt.Ltd. Newsss
8. R.C.Srivastava.(2009), Traditional knowledge of Adi tribe of Arunachal Pradesh on

****

Water Associated Diseases

Smt. Meena Swamy* Ku. Preetikiran Lodhi **

Introduction: Water is essential for life and is put to diverse uses, including irrigation, industry, domestic and human consumption, and aquaculture and as a medium in aquatic ecology. India is rich in its freshwater aquatic resources, and has great variations in environmental conditions. Freshwater is one of the main resources of food for the rapidly increasing human population. Water can act as a vector for the transmission of bacterial, viral and protozoan agents which cause a variety of diseases (mainly intestinal). It can also be linked to worm invasions and viral/protozoan diseases transmitted by insects. Waterborne diseases are pathogenic micro-organisms which are directly transmitted when contaminated drinking water is consumed. Contaminated drinking water used in the preparation of food can be the source of food borne disease through consumption of the same micro-organisms. According to the World Health Organization (WHO), diarrheal disease accounts for an estimated 4.1 % of the total daily global burden of disease and is responsible for the deaths of 1.8 million people every year. It was estimated that 88% of that burden is attributable to unsafe water supply, sanitation and hygiene and is mostly concentrated on children in developing countries. 80% of all infectious diseases are not just waterborne diseases, but any disease where water plays a role.

Water-associated diseases can be classified under 4 different categories-

1. Waterborne diseases
2. Water- washed diseases
3. Water – based diseases
4. Water –related diseases

▸ There are waterborne diseases, such as cholera, typhoid, bacillary dysentery, infectious hepatitis. All water borne diseases can also be transmitted by other routes that permit ingestion of faecal matter - e.g. contaminated food. Waterborne disease can be caused by protozoa, viruses, bacteria, and intestinal parasites. 40% of annual worldwide deaths attributed to these diseases

▸ Water –washed diseases, Diseases linked to H_20 scarcity and resultant poor personal hygiene.Obviously more common in tropical, 3rd world countries where H_2O supplies may be scarce. Intestinal and non-intestinal infections Intestinal: *Shigella* (dysentery); typhoid; cholera; *Campylobacter*; Giardia; Cryptosporidium; viruses. Non-intestinal: Infections of the skin and mucous membranes - bacterial skin sepsis; scabies; fungal infections such as ring-worm; fungal mouth ulcers etc.

▸ Water-based diseases, such as schistosomiasis, and Guinea worm and water-related diseases (involving an insect vector) such as malaria, sleeping sickness,or onchocerciasis. All of these diseases are caused by worms, e.g. Schistosomiasis caused by the Schistosoma worm which uses aquatic snails as an intermediate host, also the Guinea worm (*Dracunculus medimensis*) which uses a small crustacean as an intermediate host. Diseases caused by

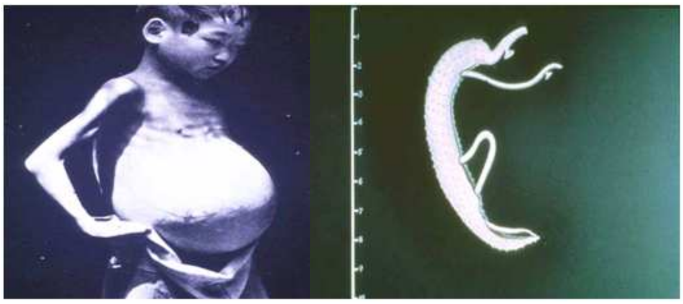

pathogens that have a complex life-cycle which involves an intermediate aquatic host.

Schistosomiasis affects 200 million people worldwide per annum

▸ Water- related diseases : Diseases caused by pathogens carried by insects that live near H_2O and act as mechanical vectorsVery difficult to control and diseases are very severe Examples-

- Yellow fever (viral disease) is transmitted by the mosquito *Aedes* spp.;
- Dengue (viral) carried by the mosquito *Aedes aegypti* (breeds in water);
- Malaria is caused by a protozoan (*Plasmodium* spp.) and is also spread by a mosquito (*Anopheles* spp.);
- Trypanosomiasis (Gambian sleeping sickness) is also caused by a protozoan transmitted by the riverine Tetse fly (*Glossina* spp.)

1. Algal and bacterial bloom in water

The occurrence of algal and bacterial bloom can be reduced by preventing cattle from wading and loafing in ponds therwise it can lead to dangerous diseases.

Algal growth : A pond may produce a biofilms such as this. Composed largely green algae these boifilms are often referred to as microbial mats . often the biofilms may seem to disappear as the pond dries up.although the algae cells or cysts remain viable and will produce another mat when wet weather returns.

*Asst Prof. of Zoology ** Guest Lecturer Zoology, Govt. Auto. P.G. College, Chhindwara (M.P.) INDIA

Diseases caused by algal bloom : Diarrhea, vomiting, abdominal pain , numbness of feet and hands, muscle aches,headaches and dizziness.on rare occasion ,paralysis or death can occur ,But the most common are skin rashes.

Prevention of (algal bloom) :

4Don't swim in water containing visible blooms and avoid direct contact with dense mats of algae.

4Don't drink untreated water or let children, livestock or pets get into or untreated drink.

4Make sure children are supervised at all times when they are near water.

4If you do come into contact with the algae or water around a bloom ,simply rinse off with fresh water as soon as possible

2. Bacteria in drinking water : Coli forms enter water supplies from the direct disposal of water into streams or lakes,pastures,feedlots,septic tanks ,and sewage plants into streams and ground water .it is a group of bacteria includes many strains ,salmonellae are constantly found in environmental samples because they are excreted found in environment samples, because they are excreted by humans,pets,farm animals.

Diseases caused by bacteria : Cholera- one of the most rapidly fatal illnesses with symptoms including diarrhea, cramps, vomiting. Typhoid fever- sustained fever, sweating, diarrhea. Dysentery -resulting in passing feces with blood and sometimes vomiting of blood. E.coli infection - causing severe diarrhea and dehydration especially dangerous for young children and the elderly.

Prevention - Drink only water that you have boiled, or they have treated with chlorine or iodine, other safe beverages include tea and coffee made with boiled water and carbonated bottled beverages with no ice. Avoid undercooked or raw fish or shellfish, including seafood. A simple rule of thumb is "boil it, cook it, peel it or forget it.

3. Virus in drinking water : A virus consists of a genome that replicates itself within a host cell by using its nucleic acid to synthesize more viral nucleic acid and proteins. Viruses are comprised of highly organized sequence of nucleic acid, either DNA or RNA .viruses such as those producing infectious hepatitis poliomyelitis, drinking water contaminated with any of these viruses in hazardous.

Diseases caused by virus :

- Adenovirus infection –symptoms are common cold symptoms, croup, bronchitis and pneumonia.
- Gastroenteritis –symptoms include diarrhea, fever and abdominal pain.
- Sars-symptoms are fever, gastrointestinal symptoms lethargy, cough and sore throat.
- Hepatitis A- can be ingested through water and food .the symptoms of this diseases are always acute and never chronic symptoms are fatigue, abdominal pain, diarrhea, nausea and weight loss.

4. Protozoa in drinking water –

Protozoa represent another type of drinking water contamination these creature live in soil, water and intestine of human being and contaminate water when comes into contact with sewage and animal waste protozoa are neither bacteria nor viruses and have fairly complex life cycle compared to othe pathogens .

Diseases caused by protozoa

- Among the more common of these cysts is the one which carries the waterborne disease, amoebic dysentery. In addition, Giardia lamblia and cryptosporidium are a cause of acute gastrointestinal illness, the most frequently diagnosed waterborne illness. Cryptosporidium is a major cause of severe diarrhea in children. Giardiasis is usually linked to unfiltered surface water that has not been disinfected sufficiently. Trypanosomiasis (Gambian sleeping sickness) is also caused by a protozoan transmitted by the riverine Tetse fly (*Glossina* spp.).

Prevention : A whol e house filtration system consist of activated carbon, UV light and other filtration methods seems to be the most effective way to eliminate these pathogens. Bringing water to a boil for a couple of minutes is a reliable way to kill them and prevent contamination. If your get your drinking water from a private well you can call your country water commission for a list of reputable laborites nearby that can perform a test of contaminants.

Flooding : Climate changes increased flooding leads to breakdown of sanitary infrastructure and further spread of diseases. The diseases that result from flooding vary according to geographic region. Typical ones include cholera, typhoid, dengue, Rift Valley fever, malaria, hepatitis A, AGI [acute gastro-intestinal illness], and ARI [acute respiratory illness]. Standing water is a major problem in malaria and other vector-borne diseases. Moreover, children routinely play in this water - both fouling it and further exposing themselves to disease.

Problems involved in getting clean, safe water to people in the developing world- Water supplies in communities highly susceptible to municipal, agricultural, and industrial contamination. e.g., in India, huge numbers of people live in slums sited in low-lying points, and at end-of-pipe sites.

Absence of Sanitary Infrastructure- Often in the developing world gastroenteritis and other infections cause unnecessary mortality. e.g.

Massai in Kenya each year the current infant mortality rate is 20% for children < 5 years old from diarrheal infections - *Campylobacter/E. coli.*

- Treatment for these infections does not need expensive drugs or antibiotics (self-limiting infections)
- Needs only water and salt to balance loss - but if available water is contaminated??

- Diarrhoea kills 15000 < 5 year olds every day, 5.5m/ annum
- Treatable at the cost of <10 cent per child.

Some pathogens

• **Legionella pneumophila** an emerging pathogen - first recognized in the 1970s. *Legionella* is one of the top three causes of sporadic, community-acquired pneumonia. Difficult to distinguish, many cases go unreported. For growth *Legionella* requires the following: stagnation; temps between 20° and 50°C (optimal growth range is 35° - 46°C); pH between 5.0 and 8.5; Microbes incl algae, flavobacteria, and *Pseudomonas*, which supply essential nutrients or harbor the organism (protozoa). Estimated that over 25,000 cases of the illness occur each year, causing more than 4,000 deaths. Optimal conditions created for *Legionella* growth in many modern buildings: Domestic hot-water systems with water heaters that operate below 60°C; centralized hot water systems [common in eastern European countries] Cooling towers, and fluid coolers that use evaporation; humidifiers and decorative fountains that create a water spray; spas and whirlpools.

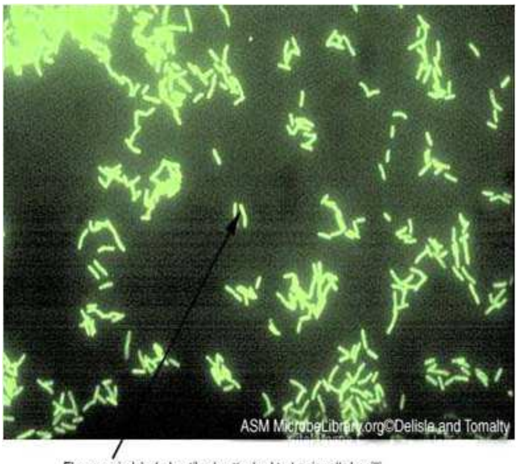

Fluorescein-labeled antibody attached to *Legionella* bacilli

- **Giardia and Cryptosporidium-** Protozoa and common causes of GI infections.Used to be rare in Ireland, incidence now increasing. Form oocysts as part of the life-cycleThese oocysts are resistant to chlorination which is the only method used to disinfect water.

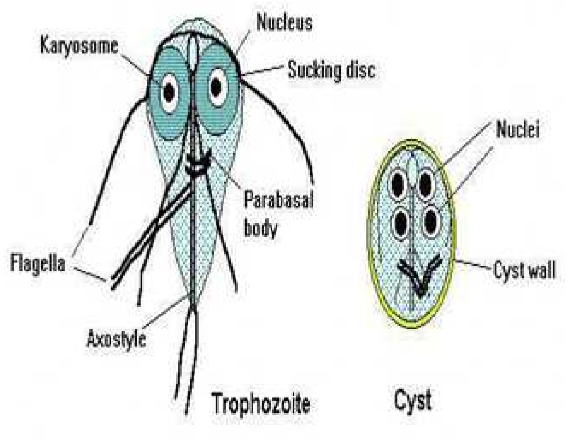

Giardia lamblia (12-15 um)

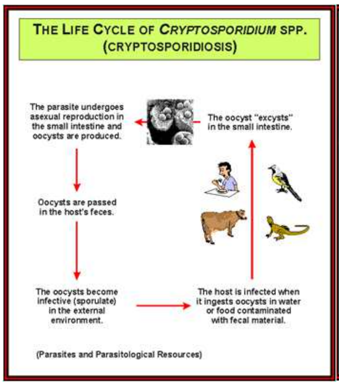

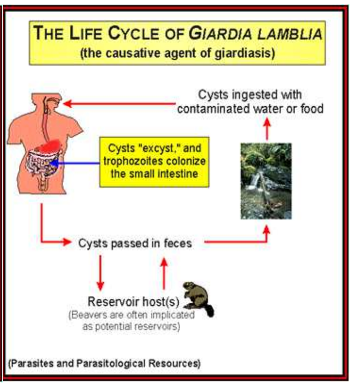

No detection methods for these organisms at the moment. Use of conventional indicators meaningless .

Conclusion: Partial solutions to the problems of maintaining clean safe water for all include: Active surveillance, Population surveys, Low-cost solutions to treatment, Waste-water reclamation, appropriate valuation of the resource, Assessments of impacts of engineered "ecosystems", Monitoring of antibiotic resistance and changing virulence, tighter regulation guided by precautionary principles.

References

1. Biological indicators of water quality by James, L.E.A.
2. Water pollution by Kudesia, V.P.
3. Advances in limnology by singh, H.R.
4. Microbiology by Prescot Harley and Klelns.
5. Fundamentals of fresh water biology by Jayshree & Munshi Datta.
6. APHA: (1980). "Standard Methods for the Examination of water and waste water.", AWWA, WPCF, 15th Edition Washington, DC.
7. www.wikipedia.co.in

****

A Survey Of Hill Stream Fishes Of Hoshangabad District Of Madhya Pradesh.

P.K. Mishra* Anil Ghodki** S.Joshi***

Introduction:- Hoshangabad is situated at the bank of river Narmada which is holiest river of India. Narmada originate from amarkantaka (shahdol district of M.P.) and flows across Madhya Pradesh state. District Hoshangabad is covered with satpuda hills therefore the environment of the area is fully suitable for hill stream fishes. There is a little information available on the hill stream fishes of Hoshangabad. Number of indigenous and exotic fishes are found here among them hill stream fishes have economically and ecologically important. Lepidocephalichthyes guntia. Botia. Garra lamta are found in large number. Hora 1942, Badola M and singh 1981, Jayaram etal 1982, described fish fauna of Karnataka kerala and Alaknanda.

Present attempt has been made to study the hill stream fishes in river Narmada of Hoshangabad.

Keyword :- Garra, Guntia,

Material and Method:- A survey of hill stream fishes was made from December 2008 to Nov 2009, for period of one year. Besides personal collection fishes were obtained from 2 catching centers (Table 1) They were fixed in 5% formalin and identified. (Fishes of India by Day. F.1958 and Fishes of U.P. and Bihar By Srivastava, G.J.1980) The following methods for collecting the fishes are commonly used in the field: (1) Because of the shallow, rocky substrata of hill stream beds and the particular habitat (stone crevices) of G.lamta conventional fishing method are not effective. So the tribals aboriginal inhabitants of the forests adopt some novel methods for fish culture. First, they locate the fish by finding patches of scraped periphyton on submerged rocks.Garra feeds on such periphyton. Then they enclose small water pockets with stone chips leaves and sand and drain the water out to leave the fishes still in their crevices in shallow water. The encircled fishes collected and stored temporarily in an situ water-filled depression made in the bed.

(2) Baits and hooks-This is a simple and common method generally, earthworms and wet flour used as bait. The metallic hooks are of different shapes and size, used according to the size of fish.

(3) Cast net (Gaghria jal) - it is common net used in the Narmada river.

(4) Gill net (Drift net)-it is commonly used in river where depth and flow of water and school of hill stream fishes are found.

Result and Discussion :- This is the first report on the hill stream fishes of river Narmada (Hoshangabad district). Out of the 6 species two species of Garra (G.giuris), and one sp of Barilius (B.bendilisis) were noted which belong to 2 orders and 3 different families Bhatia, B 1950 ,reported adaptive modification in hill stream fishes. Lal M.B.1966 reported adhesive modification of hill stream fishes. Ojha, N.C. 1982described dimension of the hill stream cyprinid fish garra lamta .Yadav A.N. andSingh B.R. 1980 worked on gut of lapidocephalechthys guntia No of lamta were dissected during the period of survey vaucheria was recorded from the gut in every month of the year. Chlorococcum was its counterpart in the months of January, February, June, July and December with the highest concentration. Diatoms belong to the family bacillariophyceae and from the major food items of G.lamta. Reclamation of water and their catchment for construction of buildings and agricultural purpose has destroyed the natural habitat of fishes. The use of Pesticides, in cultivable land is also indirectly destroying the natural habitat of fishes. The use of pesticides in cultivable land in and around the catchment has added harmful chemicals to water bodies. Many of these chemical pesticides are non-biodegradable and get accumulated at various tropic level of food chain therefore it is necessary to avoid mixing of agricultural waste with the water where fish culture and other activities are going on.

References:-

- Badola, S.P. and Singh, H.R. 1981. Fish and fishesries of the river Alaknanda. Proc. Nat . Acad. Sci. India. B 51(2) : 133-142.
- Bhatia, b 1050 adaptive modification in a hill stream cat fish, Glyptothor telchitta (Ham.) Proc. Natn Inst. Sci. India 16,271-285 diation
- Choudhary,D.K. 1977, Case study of Gandhi Sagar reservoir Fisheries (M.P.) News letter, C.I.F.E.Bombay, July-August. pp:31
- Day, F. 1958. The fisheries of India. William Dawson and Sons. Ltd. London. Vol. I, P777 and Vol.II, P198.
- Hora, S.L. 1942. A list of fishes of the Mysore state and of the neighbouring hill ranges of the Nilgiris Wyand and Coorg.Rec.Indian. Mus. 44(2) :193-200.
- Jayaram, K.C., Venkataswarlu, T. and Raghunathan, M.B. 1982. A Survey of the Cauvery river system with a major account of its fish fauna Rec. Zool.Sur.India. Occ.Paper 36 : 1-115.

* & ** Department of Zoology, J.H. Govt. P.G. College Betul (M.P.) *** Govt. P.G. College Khargone (M.P.) INDIA

- Lal, M.B., Bhatnagar, A.N. and Uniyal. J.P. 1966 Adhesive modification of a hillstream fish, Glyptothorax pectinopterus (McClelland).Proc.Natn.Acad.Sci.,36:109-116
- Minon, A.G.K. Govind, B.V. and Rajagopal, K.V.1977.
- Taxonamic assessment of the torrential fish of the genus Balitora Gray (Family Homalperidae) from the Indian
- Peninsula Matsya 3: 31-34
- Ojha, J.,Rooj,N.C. and munshi, J.S.D.1982 dimension of the gills of an Indian hill stream cyprinid fish, garra lamta. Japan .j. ichthyol .29,272-278.
- Saxena, P.K. 1997. Impact of pollution on th fisheries of river satluj. Environ Manag. Int. 1(1):69.
- Singh A. K.1993 Pre impoundment studies on Sardar Sarovar Area of Narmada River (Western Zone) with special reference to fisheries. Ph.d. Thesis. Vikram University, Ujjain India.
- Srivastava G.J. 1980fishes of Eastern Uttar Pradesh. Viswavidyalaya Prakashan Varanasi. Pp:207
- Yadav A and SinghBR 1080 the gut of an intestinal air breathing fish lepidocephalichthys

Guntea (Ham) Arch.Biol. (Bruxelles) 91,413-422

Table- Record of fishes collected from different collection centre

Name of the fishes	Name of the Collection Centre	
	Gara ghat	Sethani ghat
Barilius bendelisis (Ham.)	+	+
Garra gotyla (Gray)	+	+
Garra lamta	+	+
Lepidocephalichthys guntea (ham.)	+	+
Nemacheilus denisunii (Day)	+	+
Glossogobius giuris (Ham.)	+	+

Plankton Ecology of The Bahadur Sagar pond of Jhabua (M.P.)

Dr. R.R. Kanhere* Rita Ganava Reena Ganava *****

Abstract - Fresh water habitats such as ponds, rivers, streams and reservoirs as a sources of drinking water, irrigation and fish production.In all natural water system a complex web of climate, physic-chemical, and biological factors is at work to analysis of which limnology is directed, in conjunction with all those discipline of natural science. Plankton is the one of the most important component of the aquatic ecosystem and plays an important role as a primary producers in fresh water ecosystem . Plankton population of a fresh water pond were studied from July 2012 to June 2013 and during study four genera: bacillariophyceae, chlorophyceae, cyanophyceae and euglenophyceae were existed in the pond and three genera of zooplankton the copepodes, cladocera and rotifers. Plankton community variable in summar season and fluctuates in monthly and their production is also variable, According to result of this study the most important environmental factors are also affected diversity and density of plankton communities.**Keywords;** Producers, plankton, environment.

Introduction- Studies on the pond ecology have been made in India by various workers. (Roy, 1955: Chakrabarty et al., 1959 Hynes, 1970; Badola and singh, 1981; Pieterse, 1987; Dobriyal and sing, 1988, 1989).The species composition, distribution and abundance of plankton, particularly the phytoplankton, in any water body depends upon the chemical and physical properties of water. The present study deals with plankton of the pond of jhabua.

Material And Methods - Water Sampling were taken fornightly at four different sites and important physico-chemical parameters were analysed by standard methods (APHA, 1975). The plankton were qualitatively and quantitatively analysed by the method of welch(1948).To collect plankton of pond water was taken from different spots and filtered through a plankton net of silk cloth. Among the statistical calculations, were calculated by an electronic calculator and modified Welch (1948) formula.

Observation- The water temperature fluctuated from a minimum of 11.0 degrees Celsius ± 0.5 in January to a maximum of 16 degrees Celsius ± 0.5 in September. Turbidity in the pond was observed to be maximum (510.00± 186.) in the mansoon and minimum during winter. The value of pH was maximum (8.06) in February and minimum (7.61) in July. The velocity of water current was highest (1.99±0.01 m/sec.) in july and lowest in January (0.3 m/sec.). Total alkalinity was maximum (69.0±8.32 ppm) in January and minimum (41.0 ± 39 ppm) in August .Dissolved oxygen contents were maximum in feb.(12mg/lit.)and minimum in july(7.7mg/lit.).

Plankton ecology :- The average qualitative and quantitative seasonal variation of zoo and phytoplankton were observed in january and minimum in july. The maximum planktonic concentration, which was mainly due to phytoplankton (7415 ± 176 units/1) was observed in January (8025 ± 50 units./1). The minimum concentration was observed in July (760 ± 128 units/1) and also contributed mainly by the phytoplankton (740 ± 98 units/1). A amount of zooplankton was observed the study period which fluctuated from a maximum of 945 ± 7.0units/1 in March to a minimum of 20 ± 28units/1 in July. Among the phytoplankton the maximum density contribution was made by Bacillariophyceae (676.5 ± 64.5 units/l in July to 6341.0 ± 253.14 units/l in January) followed by Chlorophyceae (40.0 ± 11.31 units/l in August to 673.5 ± 14.85 units/l in January) and Cyanophycae (40.0 ± 5.6 units/ l in August to 190.0 ± 20.51 units/l in January). The zooplankton by Daphnia, Bosmina and Cyclops.

Discussion- Observation on the physic-chemical parameters of different water bodies have revealed that nutrient level plays an important role in regulating the growth , succession, and distribution of planktonic biomass by Gupta et al(2008)and Upadhyay(2010).The physico-chemical characteristics of a stream exert a great effect upon its biota. The parameters like water temperature, velocity, turbidity and alkalinity have widely been reported to affect the density of plankton by devi et al.,(2009). An in depth analysis of the present observations indicated that the planktonic fauna was abundant during the winter (January to March) when water temperature, turbidity, and velocity were lowest concentration and DO and alkalinity were maximum. In the present study an upward trend of changes in the water temperature was observed from January to April followed by a decrease from May onwards. A more or less similar trend was observed by Chakrabarty et al., (1959) and temperature in the by Badola and Singh (1981). An inverse relationship between temperature and dissolved oxygen was observed in the present study which lends support to the

* Principal, Govt. Girls College Barwani, (M.P.) INDIA
** & *** Department of Zoology, Govt. P.G. College Jhabua (M.P.) INDIA

observation of Dobriyal and Singh (1988, 1989). A negative relationship was observed between water temperature and phyto and zooplankton by Limnological observation on lake during 1967 with emphasis on some special feature by Begg(1970).

The turbidity and velocity of water also affect the destiny of plankton adversely. The highest planktonic population was observed in the winter sample when both the turbidity and velocity were low. The smallest plankton assemblage occured during rains when the river was flooded, and trubid. similar findings have also been reported by (Dobriyal and Singh, 1988, 1989). A very high negative correction between velocity and phytoplankton was observed by Quantitative studies on plankton Das(1956). An inverse relationship was also observed and planktonic population also.

The planktonic assemblage of the pond was contributed by the members of Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae,Euglinophyceae, Crustaceans and rarely by the rotifers. A single peak in the algal population was observed during January - March and in zooplankton during January - April. Almost similar findings have been reported by Dobriyal (1983). The analysis of similarity index showed that the taxa were hundred per cent similar round the year except July and August when it fluctuated due to disturbed environmental conditions.

Summary - A single peak in plankton population was observed during the winter, which showed a positive correlation with the dissolved oxygen and negative correlation with the water temperature, turbidity, velocity, biochemical oxygen demand, and free carbon dioxide.

Literature Cited-

1. APHA. 1975. Standard Methods for the examination of water and waste water. APHA, AWWA, WPCF, Washington 1193pp.
2. Badola, S.P. and Singh, H.R. 1981. Hydrobiology of the river Alaknanda of Garhwal Himalaya. Indian J. Ecol. 8: 269-276.
3. Begg, G.W.,1970., Limnological observation on lake keriba during 1967 with emphasis on some special feature. Limnol. Oceanogr. 15(5) 776-788.
4. Chakrabarty, R.D. Ray, P. and Singh, S.B. 1959. A quantitative survey of plankton and physico-chemical conditions of the river Yamuna at Allahbad in 1954-1955. Indian J.Fish. 6:186-203.
5. Das, S.K. and Srivastava, V.K.1956. Quantitative studies on plankton. I. Plankton of a fish tank in Lucknow , India. Proc. Nat. Acad. Sci.India. 26:85-92.
6. Das, S.K. and Srivastava, V.K.1956. Studies on fresh water plankton. II. Correlation between plankton and hydrological factors. . Proc. Nat. Acad. Sci.India.(B): 26:243-254.
7. Devi, D. and Anandhi D.U. 2009. Assessment of water quality for aquculture- A case study of Madavara lake in Banglore. Nat. Env. & poll. Tech. 8(4):755-760.
8. Dobriyal, A. K. 1983. Bio ecology of some coldwater fishes correlated with the hydrobiology of the Mandakini and the Nayar. D. Phil. Thesis submitted to the University of Garhwal.
9. Dobriyal, A. K. and Singh, H. R. 1988. Ecological basis for ichthyofaunal variation in two hill streams of Garhwal Himalaya. In : Joseph, M. (Ed.) The Frirt Indian Fisheries Forum Proceedings. Asian Fishery Society, Indian Branch. 313-317.
10. Dobriyal, A. K. and Singh, H. R. 1989. Observations on temporal trends of phytoplankton diversity in the river Nayar of Garhwal Himalaya. J. Freshwater Biol 1: 1-6
11. Dutta, B.B. and Roy, S.B. (2006). Aves. In: Fauna of Arunachal Pradesh, State Fauna Series, 13 (Part 1), 69-245. Zool. Surv. India.
12. Gupta , S.K., N.P. Tiwari and Mohd. Noor Alam 2008, Studies on physico-chemical status of two ponds at Patna in relation to growth of fishes. Nat. Env. &Poll. Tech.., 7(4) :729-732.
13. Hynes,H.B.N.1970. The ecology of running wates. Liverpool University Press, Liverpool, 555pp.
14. Pieterse, A.J.H. 1987. Observation on temporal trends in phytoplankton diversity in the Vaal river at Balkfontein, South Africa. J, limnol. Soc. Sth. Afr. 1:1-16. Roy, H.K. 1955.Plankton ecology of the river Hooghly at Palta. West Bengal, Ecology 36:169-175.
15 Upadhyay, Kavita., Mishra, P. and Gupta , A.K.2010. Stadies on the physico-chemical status of two ponds at Varanusi and Bhadohi under biotic stress. Plant Archives Vol. 10 No. 2 pp.691-693.
16. Welch, P.S. 1948. Limnological Methods. McGraw-Book Company, New York.

****

Survey and conservation of piscine Diversity of River Tawa of Hosangabad District (M.P.)

P.K. Mishra * S. Joshi **

Abstract:- Hoshangabad district is one of the richest faunal area with a wide range of aquatic habitat in the form of hill stream rivers reservoirs and ponds having good number of species diversity. Rapid industrialization, mining activities, deforestation, sewage discharge, anthropogenic activities and irrational fishing practices over the year, this aquatic diversity is on the way of decline. It is necessary to protect biodiversity in their natural habitat

Introduction:-

Tawa river passing through many villages other small stream joins as its right and left bank tributaries. Has been made to explore the captured fish diversity of Tawa river and its proper documentation. The fish diversity studied during the period of Jan. 2009 to Dec. 2010 . Higher fish diversity is observed during the mansoon season. Poor fish diversity is observed during the post-mansoon period due to badly changed physico - chemical property of the habitat. We recorded 41 species from 30 genera 17 families during the period of Jan 2010 to Dec. 2010 and 36 species from 28 genera and 17 families during the period of Jan.2011 to Dec. 2011.

The fish diversity is not only the wealth of the district but it also has serious implication fisheries. Thus there is an urgent need for proper investigation and documentation of this diversity. During monsoon and throughout the year the fisherman and the villagers collects the variety of fishes form river by applying various types of nets results remove the fingerlings of the fishes ultimately leading to irregular growth over fishing and consequent reduction in fish population.

Material And Methods:-

Our study area were conducted in the different Sampling stations it involved collection of fishes either with the help of fishermen using indigenous fishing methods or were purchased from the fishermen on the spot and the related local fish markets. The specimens were preserved in 10% formalin and brought to the laboratory for further studies. Fishes were identified by using standard taxonomic keys viz. Fishes of India (Day 1889); Inland Fishes of India (vol. 1 & 2) Talwar and Jhingran (1991), and fishes of eastern U.P. and Bihar by Gopalji Shrivastava. The species status of the collected fish was identified.

Tawa River were selected for the present study and site selection for the sampling of fish specimens was done on the basis of their approachability i.e., linking by roads, villages, depth of river, local fish collection centre, village markets, fishing activities etc.

Result And Discussion:-

River is rich in view of fish fauna because it is a tributarty of Narmada river. The most common and wide spread species belonging to the family are clupeidae, Notopteridae, cyprinidae, Cobitidae, Siluridae, Bagridae, sisoridae, Schibeidae, Saccobranchdae, claridae, Belongidae, channidae, Channidae, Cetropomidae, Nandidae, Anabantidae, Gobiidae, Mastacemblidae. We recorded Bagarius bagarius, Nandus nandus, Ailia coila, Anabas, Chanda, Channa, Clarias, Glossongobius, Gudusia, Heteropneustus, Labeo. Lepidocephalichthys, Mastacembelus, Mystus, Notopterus, Puntius, Rita, Oxygaeter, Xenentodon are occasionally encountered.

The fish fauna of the River was firstly studied in 2010 and restudied in 2011 during the period We recorded 37 species from genera15 families during the period of 2010 and 36species from 28 genera and 16 families during the period of 2011. During 2010 Putnius sophore, Salmostoma bacaila (Ham.) Heteropneustes fossilis (Bloch), Nandus (Ham.) were not found where during the year 2011 Bagarius bagauius (Ham.) Labeo gonius (Ham.) Eutropiichths vacha (Ham.) Channa marulius (Ham.) Chanda nama (Ham.) were not found. During the study no. of families were studied but few of them are shown in them are shown in the table 1.

Conservation :-

Table - 1 : Fish diversity recorded in river Tawa of district Hoshangabad (M.P.)

S.No.	Fish species	Jan. To Dec. 2010	Jan. To Dec. 2011
1.	**Family - Clupedae**		
	Gudusia chapra (Ham.)	+	+
2.	**Family - Notopteridae**		
	Notopterus notopterus (Pallas)	+	+
3	**Family - Cyprinidae**		
	Amblypharyngodon mola (Ham.)	+	+
	Catla catla (Ham.)	+	+

***Department of zoology, Govt. P.G. college Betul (M.P.) INDIA **Govt.PG.college khargone (M.P.) INDIA**

	Chela(laubuca) lubuca (Ham.)	+	+
	Cirrhinus mrigala (Ham.)	+	+
	Danio devario (Ham.-Buch)	+	+
	Labeo bata (Ham.)	+	+
	Labeo calbasu (Ham.)	+	+
	Labeo gonius (Ham)	+	-
	Labeo rohita (Ham.)	+	+
	Osteobrama cotio (Ham.)	+	+
	Puntius chola (Ham.)	+	+
	Puntius sarana (Ham.)	+	+
	Puntius sophore (Ham.)	-	+
	Puntius ticto (Ham.)	+	+
	Salmostoma bacaila (Ham.)	-	+
4	**Family - Cobitidae**		
	Lepidocephalichthys guntea (Ham.)	+	+
	Noemacheilus botia (Ham.)	+	+
5	**Family - Siluridae**		
	Ompok bimaculatus. (Bloch)	+	
	wallago attu (Bl. & Schn.)	+	+
6	**Family - Bagridae**		
	Mystus cavassius (Ham.)	+	+
	Mystus tengara (Ham.)	+	+
	Rita rita (Ham.)	+	+
7	**Family - Sisoridae**		
	Bagarius bagarius (Ham.)	+	-
8	**Family - Schilbeidae**	+	+
	Ailia coila (Ham.)	+	+
	Eutropiichthys vacha (Ham.	+	-
	Pseudeotropneustes fossilis (Bloch)	+	+
9	**Family - Claridae**		
	Clarias batrachus (Linn.)	-	+
10	**Family - Claridae**		
	Clarias batrachus (Linn.)	+	+
11	**Family - belonidae**		
	Xenentodon cancila (Ham.)	+	+
12	**Family - channidae**		
	channa gachua (Ham.)	+	+
	Channa marulius (Ham.)	+	-
	Channa punctatus (Bloch)	+	+
	Channa striatus (Bloch)	+	+
13	**Family - Centropomidae**		
	Chanda nama (Ham.)	+	-
	Chanda ranga (Ham.)	+	+
14	**Family - Nandidae**		
	Nandus nandus (Ham.)	-	+
15	**Family - Anabantidae**		
	Anabas testudineus (Bloch)	+	+
16	**Family - Goviidae**		
	Glossogobius giuris (Ham.)	+	+
17	**Family - Mastacembediae**		
	Mastacembelus armatus (Lacepede)	+	+

(+) = Reported (-) = Not Reported

Conservation help fish production it also help to maintains ichthyo diversity. Diversity reduces disease problems and encourages for recovery from disturbance. Introduction of exotic species as a part of aquaculture for commercial gains has resulted in loss of diversity.

Over - exploitation had been having tremendous bad impact on fish diversity. A number of hurdles, mostly man made, have been operating on fishes, create problem against production of valuable fishes. Pollutants which are responsible for development of fishes must be eradicate from river or other reservoirs. Use of pesticides must be checked néa water reservoirs. For more production of fishes

Acknowledgement:

We are thankful to Dept. of Fisheries for his valuable suggestion and in the identification of fishes. Fishermen and fish sellers of local fish market helped us in sampling is gratefully acknowledged.

References:

- DAY, F, 1878 Fishes of India (vol. I and II), William Dawson's , London U.K. reprint edition, Today and Tomorrow Book Agency, Delhi.
- Desai, V.R. and shrivastava, N.P. 2004 Ecology of fisheries of Ravishankar Sagar Reservoir. Central Inland Fisheries Research Institute (CIFRI),
- Kolkata, Bull. No.126 : 1-37.
- Heda, N.K. 2009 Freshwater Fishes of Central India: A Field Guide (2009). Vigyan parisar Department of Science And Technology. Government of India, Noida, 169 pp.
- Jayaram, K.C. 1981 Fresh water fishes of India. Hand book, zoological survey of India. Calcutta.
- Jayaram, K.C., 1999, The freshwater fishes of the Indian region. Narendra Publishing House, new Delhi.
- Menon, A.G.K., 1987 Fishes of India and adjacent countries (Pisces) vol.4 (Part I) ZSI, Calcutta.
- Shrivastava, G.J., 1968, Fishes of Eastern Utter Pradesh, Vishwavidyalaya Prakashan, Varanasi,
- Talwar, P.K., and Jhingran, K.C., 1991, Inland fishes of India and adjacent countries. (VOL. I and II) Oxford and IBH Publishing Co.Pvt. Ltd. New Delhi
- Tilak, R. and Tiwari, D.N., 1976, On the fish fauna of Poona district (Maharashtra) News letter. ZSI, 2 (5): 193-199.

A survey study on Menopausal effects on Working & Non-Working Women of Jabalpur and Satna

Dr. R. Solanki * Dr. H. Maini ** Dr. Seema Bhola ***

Abstract: To study menopausal effects a survey work on 250 Non-working women (Educated & uneducated House wife's & some unmarried ladies) & 250 Working women (Highly educated & uneducated maid sequent & labour class women) of Jabalpur & Satna and Maihar has been done & conclusions were estimated for the effect of work on menopausal state of women. **Keywords-** Menopause, menopausal effects

Introduction- Word Menopause is derived from the Latin word (Men's = month & puria =to cease) essentially marks the end of women's period of natural fertility. The changes associated with the menopause begin before a woman's period stop. Some women experience almost no symptoms but around 80% experience noticeable changes & of these 45% find their symptoms difficult to deal with. The most common symptoms are hot flushes, night sweats, depression, weight gain, urinary & genital problems & osteoporosis. Menopausal age ranges from 38 years to 50 years. Bavadam (1999) stated that it is not merely the end of menstruation but also an inevitable part of aging. Most women with symptoms have at least two or three years of "hormonal chaos" as their oestrogen levels decline. Menopause is one of the turning points in a woman's life as it brings many changes. Studies done in various regions of India by Indri (1979),Klein et at(1998&1999).

Material &Method- A survey work in the form of questionnaire is done on 250 working (including educated and highly educated working women & uneducated maid servants & labour class women) & 250 non working women (including educated uneducated house wife's, single unmarried women) of Jabalpur, Satna & Maihar. A conclusion was derived from these studies.

Results & Discussion - It was amazing to find that generally labour class women & uneducated maid servants experience almost no symptoms like hot flushes, depression & weight gain. Many of them were even not aware about the urinary & genital problems & osteoporosis. House wives & single unmarried women experience, noticeable changes like hot flushes ,mood swaying, depressions, weight gain & urinary & & genital problems.

Some were aware about osteoporosis & sleep disturbances. Working women were mostly aware about most of the main symptoms. A part from these "bad" symptoms mostly, women of both the categories – working and non working accepted that it is the "best" period of their life. As started by Mitchell (1971), Menopause in women is the period, when life takes compulsory change in a direction. It includes gradual winding down of the reproductive system and the ending of child bearing years. Percentage of the symptom awareness is self explanatory, that educated & working women are most aware about these symptoms, may be because they know about it. Uneducated working women (Labour class, maid servants etc.) do not suffer much as they are not aware of these symptoms or may be due to physical labour they are able to control these sufferings. Uneducated non-working women suffer least of these symptoms educated house wives, unmarried women etc. were aware about a few of these symptoms & suffer of it. Depression was most common factor which affect all educated, working & non-working women. Weight gain was the second symptom found in all categories. Genital & urinary problem found in uneducated. (Working & non working both categories) may be due to their ignorance. Hot flashes were the fourth main symptom, found highest percentage in educated working women. Osteoporosis was also checked by educated working women & a few house wives but their percentage is very low. It can be concluded that educated & working women are aware of most of these symptoms but can handle all these by their awareness and working schedule. Educated and uneducated house-wives and non working women revealed more sufferings like mood swaying s, urinary and genital problems, weight gain and depression.

Table I - Symptoms awareness:

Symptoms	Non	Working Educated	Working	
	Uneducated		Educated	Uneducated
Hot flushes	47%	58%	78%	28%
Mood swaying	12%	28%	89%	14%
Depression	14%	54%	81%	41%
Weight gain	31%	42%	61%	38%
Genital problems	27%	57%	41%	34%
Urinary Problems	31%	29%	25%	58%
Osteoporosis'	17%	26%	55%	49%
Skin &hair	20%	38%	80%	42%

References

1. Bavadam, L.(1999) A silent syndrome frontline,16(7).
2. Indira,S.N.(1979)"Mid-life crisis" A psychosocial study of Menopause. National Institute of Mental Health & Neurosciences, Bangalore.
3. Klein P.Versi E,Soules M.R.(1998)- endocrine changed of the perimenopause clin. Best gyni cal 1998; 41:912-20.
4. Klein P.Versi E, Herzog A:- (1999) "mood & menopause" Br.J.obest gynecol 1999 106:1-4.

*** & ** Deptt. Of Zoology & Biotechnology, Govt. M.H. College of science & Home science for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA *** Deptt. Of Zoology & Biotechnology, Govt. Auto. P.G. College, Satna (M.P.) INDIA**

Application of Medical Textiles for Treatment of Varicose Vein Ulcer

Shweta Sharma *

Abstract :- Ulcer is a break in the continuity of the covering epithelium-skin or mucous membrane. It may either follow molecular death of the surface epithelium or its traumatic removal. Varicose vein ulcer is type ulcer in which veins get twisted and proper flow does not occur. It is usually show up in the legs and feet. It is common among females at the age of 35 to 50years.number of tropical and systematic therapies using synthetic ingredients are available since so long to cure varicose vein ulcer. Due to risk and side effects associated with previous used therapies internal and external herbal remedies are considered to be effective and safe alternative treatment for varicose vein ulcer.Furthermore, scientific analysis of herbs reveals that they possess enormous therapeutic capabilities that modern medicines is searching for. With the multitude of treatment options and the rapidly expanding newer technologies available to researcher's, scientist, industrialist and doctor. It is important to review and be aware of the current literature and studies regarding herbs and their actives roles in the management of varicose vein ulcer. This review emphasizes on the astounding effects of herbs in the topical treatment of varicose vein ulcer with scientific datas.Inclusion of discussed various herbal extracts, gels and oils, in future development of herbal formulations compression bandages could provide complementary and alternative therapy for varicose vein ulcer

Key words:-Varicose Vein Ulcer, Herbs, Therapy, Tropical, Formulation, Compression Bandage.

Introduction:- Venous ulcers (**stasis ulcers**, **varicose ulcers**, or **ulcus cruris**) are wounds that are thought to occur due to improper functioning of venous valves, usually of the legs (hence **leg ulcers**). They are the major occurrence of chronic wounds, occurring in 70% to 90% of leg ulcer cases. Venous ulcers develop mostly along the medial distal leg, and can be very painful. The word varicose come from Latin word "varix" meaning "twisted". Varicose veins are enlarged, twisted veins that are usually bluish purple. Small, one-way valves in veins ensure blood only flows towards the heart. In some people, these valves become weakened and blood collects in the veins, causing them to abnormally enlarge. Veins move blood from your body to your heart. When the one-way valves in your veins get weak, they may allow blood to flow backward and pool in your veins. Your veins then get bigger.Varicose vein ulcer is very much common in legs because legs work against gravity. It is very much common among females as compare to males up to 35% in females and 15% in males. It occurs due high pressure on legs veins. Varicose vein ulcer very common amongst United States.upto 60%people of U.S.A having varicose vein ulcer. Although in some people, varicose veins can be a cosmetic concern, in other people, they can cause swelling and uncomfortable aching, heaviness, or pain or be a sign of heart disease or circulatory disorders. If left untreated, varicose veins may lead to serious complications such as phlebitis (inflammation of the veins), skin ulcers, and blood clots.

Signs And Symptoms:-

- Noticeable dark-blue blood vessels, especially in the legs and feet (not "spidery"-looking veins, which are smaller)
- Aching, tender, heavy, or sore legs

Figure1.

Figure2.

- A burning feeling in your lower legs
- Swelling in the ankles or feet, especially after standing
- Breaks in the skin
- Itching around the vein Skin ulcers near your ankle, which are serious and require immediate medical attention.

Cause Of Varicose Vein Ulcer:-

- Hormonal changes during pregnancy and menopause.
- Being overweight increases the pressure on veins.
- Prolonged sitting or standing restricts circulation and puts added pressure on veins.
- Chronic constipation.
- Genetics.
- Aging.

Prevention:- Regular exercise helps veins work better. Weight loss and exercise also lower the likelihood of getting blood clots. Avoid long periods of sitting or standing, get regular exercise, lose weight, elevate your legs now and then, and wear compression stockings.

Who's Most At Risk?

You are at risk for varicose veins ulcer if you have the following conditions or characteristics:-

*** Banasthali University Banasthali Vidyapeeth, (Rajasthan) INDIA**

- Family history — if other members of your family have varicose veins, your risk is greater.
- Female — three times more common among women.
- Age — veins fail as we get older.
- Hormonal changes related to pregnancy, premenstrual period, and menopause.
- Standing for long periods.
- Being overweight.
- Certain diseases.
- Abnormal blood flow between arteries and veins.

Natural Treatment For Varicose Vein Ulcer:-

1) Horse Chestnut Extract: - it is a very popular herb which is used for the treatment of varicose vein ulcer the extracts of horse chestnut can apply on the compression bandage for treatment of varicose vein ulcer. Mostly in allopathic medicine system compression bandage is used for the treatment varicose vein ulcer. The active ingredients in horse chestnut have been identified to a reasonable degree of certainty. They appear to be a complex of related chemicals known collectively as aescin. Aescin reduces the rate of fluid leakage from stressed and irritated vessel walls. We do not really know how it does this, but the most prominent theory proposes that aescin plugs leaking capillaries, prevents the release of enzymes that break down collagen and open holes in capillary walls, and forestalls other forms of vein damage. Aescin has also been studied as a treatment for varicocele, a type of varicose veins that affects the testicles and can cause male infertility.

Figure 3.Horse chestnut

2) Grape Seed and Pine Bark Extracts:- Grape seed and pine bark contain high levels of special bioflavonoids called oligomeric proanthocyanidin complexes (OPCs). Similar substances are found in cranberry, bilberry, blueberry, hawthorn, and other plants. OPCs are interesting antioxidant chemicals that appear to have the ability to improve collagen (a type of strengthening tissue found in many parts of the body), reduce capillary leakage, and control inflammation OPCs might be more effective for venous insufficiency than either diosmin or horse chestnut.

3) Butcher's broom: - Butcher's broom (*Ruscus aculeatus*) is so named because its branches were a traditional source of broom straw used by butchers Butcher's broom has been known to enhance blood flow to the brain, legs, and hands. It has been used to relieve constipation and water retention and improve circulation. Since Butcher's broom tightens blood vessels and capillaries, it is used to treat varicose veins. Traditional use in the treatment of urinary conditions.

Figure 4. Butcher's broom

4) Red vine leaves: - Extracts of red vine leaf (Folia vitis viniferae, or grape leaf) have also been used for the treatment of chronic venous insufficiency. The usual dose of red vine leaf is 360 mg or 720 mg taken once daily and red vine leaf is not at present recommended for pregnant or nursing women, or individuals with severe liver or kidney disease.

Figure 5. Red vine leaves

5) Gotu Kola: - There is significant scientific evidence for the effectiveness of the herb gotu kola in varicose veins/ venous insufficiency. A vacuum suction chamber has been used in some gotu kola studies to evaluate the rate of fluid leakage in venous insufficiency. It produces swelling when applied to the skin of the ankle. When leg veins are leaking a lot of fluid, this swelling takes longer to disappear. Extracts of natural hebs (Horse Chestnut Extract, Butcher's broom Grape Seed and Pine Bark Extracts)is being applied on the compression bandages for the treatment of varicose vein ulcer it is very much beneficial for treatment of varicose vein ulcer. It is having fewer side effects as compare to allopathic medicines. As in many researches its shows that for pregnant women's in take of these herbs might be harmful it may affect the fetus. So to over come these problems we can use extracts of these herbs on the compression bandages so that it can use by every person in any conditions.

REFFRENCES:-

1. Steven D. Ehrlich, NMD, Solutions Acupuncture, a private practice specializing in complementary and alternative medicine, Phoenix, AZ. Review provided by VeriMed Healthcare Network.
2. http://ayurveda-drbhat.blogspot.in/2010/05/varicose-or-venous-ulcer.html.
3. http://altmedicine.about.com/od/healthconditionsdisease/a/Varicose_veins.htm.
4. http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/varicose-veins.
5. A K Gvalani manual of clinical surgery,CBS Publishers and distributors pvt Ltd.

Assessment of some Physico-Chemical Characteristics of Surface Water Quality of Narmda River in West Nimar Region Dist-Khargone (M.P.) India with special reference to Agriculture run-off

Mrs. Nisha Garg *

Abstract - Water as a resource, basic amenity and universal solvent is shared by population. Narmda is life line for the people live on bank of river in central India. It is main source of water for drinking and irrigation purpose. In present investigations water samples were collected in rainy (Aug. 2010) and winter season (Dec. 2010) in triplicate form the three sampling location were Sulgaon (SG), Mandleshwar Ghat (MG) Kharadi Gram (KG). Quantitative and qualitative estimation of fertilizers and pesticides in agriculture run-off of different location samples were conducted by using Titration method, Spectrophotometric method and Chromatographic method. The physico-chemical study of Narmada River Dist. - Khargone Teh. - Maheshwar has been taken up to evaluate its suitability for potable water. In water samples Temperature , pH, Turbidity, Total Hardness, Calcium Hardness, Magnesium Hardness, Nitrates, Phosphates, Total 'N' as NH3, D.O., B.O.D. and C.O.D. were evaluated through water analysis. All the parameters were analyzed at two research centers - SARDAR VALLABH BHAI PATEL COLLEGE MANDLESHWAR Chemistry Laboratory fig(1) and IMC(PHED) 95 MLD. T.P. Laboratory MANDLESHWAR fig(2). The result shows that the values of the physico-chemical parameters are higher than the permissible limit (W.H.O. and I.S.I.) in the water of Narmada River. It indicates the pollution of the Narmada River due to the agricultural run off in the west Nimar region, which is harmful for life, irrigation and drinking purpose. The contamination of Narmada River reported by only few scientist and quantification by chemical and instrumental method also reported. All physico-chemical parameters were estimated by standard method (APHA 1998)1. **Key words:-** Pollution, Narmada, River, Pesticides, Eutrophication, Bio-accumulation, West Nimar, Maheshwar, Agriculture run off.

Introduction: - water being a universal solvent has been and is being utilized by man kind time and now. Of the total amount of global water, only 2.4% is distributed on the main land, of which only a small portion can be utilized as fresh water. Contamination of these fresh bodies might lead to a change in their tropic status and render them unsuitable for aquaculture and drinking purposes2.

Narmada is one of the most important river of Madhya Bharat. It is also known as Ganga of M.P. It is the main water source of irrigation, drinking and industrial purposes for the people on the bank of the river. In west Nimar 90% people are based on agriculture. So to enhance the production of food and soil fertility, the excess amount of fertilizers and pesticides are used. Nimar, which is known as white gold (cotton) land. It is also fulfill the basic need of the people like food and water at large scale. Population and industrial area is not as much as dense in Nimar region as agriculture area. So the domestic water pollution and industrial water pollution are comparatively less than the agriculture run- off pollution. According to the WHO about 80% of all the diseases in human beings are caused by water. Therefore, water that is supplied for drinking and various other purposes must have good quality3-5.

Present studies aims at investigating variation if any in physico-chemical water quality parameter in two different seasons, if so, whether or not they are within desirable limits.

Study area, Material and Methods:-

The study area is located within the West Nimar parts of M.P. in Khargone Dist., at Maheshwar Tehsil. Narmada River was selected for sample collection.

After preliminary survey of the Narmada River in Nimar Region at Maheshwar block on the north side (Vindhyanchal ranges) three sampling stations were selected. These three sample points were:

- Point 1 was Sulgoan this point will be referred to as (SG) fig(3).
- Point 2 was Mandleshwar Ghat this point will be referred to as (MG) fig(4).
- Point 3 was Kharadi Gram this point will be referred (KG) fig(5).

Water sample were collected in rainy season (Aug. 2010) and in winter season (Dec.2010) in triplicate form

(A) Agriculture runoff of the field
(B) Up ward Stream
(C) Down ward Stream

Plastic Bottle's and glass bottles were used in collection sample twelve parameter's of water analysis were selected

* Department of chem., Sardar Vallabh Bhai Patel College, Mandleshwar (M.P) INDIA

as temp, pH, Turbidity, TH, Ca H, Mg H, Nitrates, Phosphates, DO, BOD, COD. All the bottles were carried in laboratory in icebox for analysis. All physicochemical parameters were estimated by standard method (APHA 1995)[1].

Results and Discussion -

Temperature-Water temperature is the most important factor of water which affects the chemical and biological reaction In water, in rainy season average 28 oC ± 4 and in winter season 22. 900C ± 1.5 the lowest temperature was observed during winter season at SG point is 27.000C.(fig.6)

pH- The value of pH ranged at S.G point from 7.5 to 8.6 while at M.G. point 6.8 to 8.3 and 7.2 to 8.4 at K.G. point. It shows slightly alkaline trend.

W.H.O. (1993) and ISI (1991) permissible limit for pH is 6.5 to 8.5. So pH values detected in water of Narmada river were found to be in the permissible range.(fig. 7)[6-8]

Turbidity - The range of turbidity was 13 to 65 NTU. at S.G. point, 15 to 68 NTU at K.G. point . it revealed that in rainy season turbidity is maximum while lowest in winter season.. Fig.(8)

Total Hardness- TH is a measure of the capacity to precipitate soap. It is the sum of the polyvalent cations present in water. Total hardness due to presence of Ca & Mg Carbonates , bicarbonates, Sulphate, Chloride was also present in small amounts. The maximum amount of TH was recorded in KG was 432 mg/lit in rainy season, while in winter season maximum TH record was 450.67 mg/lit at K.G. Point. (fig.9)

CaH & MgH -Calcium hardness is mainly due to the salts of calcium present in water as CaCO3. The observed value of CaH was high, ranged from 292 to 462 mg/lit. in rainy season while in winter season 334 to 484 mg/lit.

Whereas MgH ranged from 112 to 158 mg/lit in rainy season while in winter season 132 to 156 mg/ lit.(fig.10) and (fig.11)

Nitrates- Nitrate concentration showed a significant variation and its range was 58 to 72 mg/lit. in rainy season while in winter it was 38 to 79 mg/lit. Which was higher then the minimum acceptable (45mg/lit) during the study period .It causes algal growth in surface water (Eutrophication)9-10. The low nitrate concentration was observed in the upper part of the river (SG) with mean value 53 mg./lit. in winter season. Maximum value observed at KG point was 67 mg/lit. in rainy season.(fig.12)

Total N as NH_3 -N was measured by using Nessler'reagent. High levels of free ammonia cause organic pollution. In the present study it is ranged from 42-75 mg/l.

Its maximum value recorded in rainy season at SG point while minimum value recorded at MG point.(fig.13)

Phosphate- The result shows that maximum phosphatic fertilizers were used in Mandleshwar region because the highest value was noted at (MG point) which was 65.33 mg/ lit. According to the CPCB the permissible value of Phosphate in surface water is 5 mg/lit.

The reported value is much higher then it. In recent year phosphatic fertilizers like DAP, SSP are considered detrimental to crop production. The Nitrogen and P fertilizers enter to the water system,[11-14] contributing to Eutrophication (excessive growth of algae and aquatic plant) and produce evil odors. (fig.14)

D.O. - It was the most important factor in any aquatic ecosystem. The DO levels in natural water depend on the physical, chemical, and biological activities in the water body. Our result shows the higher values were observed during winter season. Higher D.O during winter may be due to the high solubility at low temperature and less degradation of organic substances. The low value of D.O. in rainy season due to high bioaccumulation.(fig.15)[15].

B.O.D. - It represent the quantity of oxygen required by bacteria and other microorganism during bio chemical degradation. In the present study observed value range from 08 to 35 ppm. The results show higher B.O.D. value in rainy season due to higher bio degradation.(fig.16).

C.O.D. - It is the method to determine the organic load of water body. It observed that the value range form 143 to 450 ppm. This revealed that surface water of Narmada River is highly contaminated.(fig.17).

Conclusion: -

The Narmada river shows a significant degree of contamination in its water. This level of contamination is not permanent in all location and might be associated with the season, drought events and agriculture area.

On this basis of the study rivers exhibit variation with regards to pollution level. During this study it was observed that an increase in pollutants we must become familiar with our local water resources. In our field we must determine whether additional nutrients are needed before fertilizers are applied, and look for alternatives where fertilizers might run off into surface water. Biofertilizers replacing chemical fertilizers, natural pesticides replacing synthetic pesticides[16-17].

The acids and alkalis destroy the aquatic life and prevent the self purification capacity of natural water bodies. Ammonia and Ammonium salts had toxic effect on water of river of stream. Insecticide and Pesticide Arsenic is dangerously toxic to fish and other aquatic organisms. Phosphate and Nitrates encouraged luxuriant growth of alga and other aquatic weeds (Eutrophication)[18].

Acknowledgement:-

One of the authors (Nisha Garg) is thankful to the Hon'ble A.E.O. and all the staff members of IMC(PHED) 95 MLD. T.P. Laboratory MANDLESHWAR and Hon'ble Principal, Management and staff members of SARDAR VALLABH BHAI PATEL COLLEGE MANDLESHWAR. (Affiliated to DAVV Indore for providing the necessary laboratory facilities).

References: -

1. APHA, Standard Methods for the Examination of Water and wastewater , American Public Health Association - American Water Works Association - Water pollution Control Federation, 19th Washington, DC (1995)
2. Asthana R.K. and Singh K.N(1993) physico-chemical characteristics of Gomati water oriental J. Chem. 9(2) : 155 - 157.
3. Ayachit Bhawana et al. Heavy metals contamination and its potential Health Risk with special reference to Narmada River at Nimar Region of Madhya Pradesh. Res. J. Chem. Eviron. Vol. 13(4) : 23-27 (Dec. 2009).
4. Chopra, S.L. and Kanwar , J.S., 1991, Analytical Agricultural Chemistry, Kalyani Publishers, New Delhi Ludhiana, India.
5. De. A. K., Environmental Chemistry New age international publishers 7th edn.(2010).
6. Ghosh, A.B., Bajaj, J.C., Hasan, R and Singh, D., 1983, Soil and water Testing Methods, A Laboratory Manual, IARI, New Delhi India.
7. Goulden, P.D., Environmental pollution Analysis, Heyden and Son Ltd., (1978).
8. Kothari C.R. Research Methodology Methods & Techniques (Second Edition). New Age International Publishers (New Delhi)
9. Kudesia V.P. and Kudesia R. Water Pollution Pragati Prakashan Edition 2011.
10. Manahan S.E., Environmental Chemistry Lewis publishers.
11. Manivasakam N., Physico-Chemical Examination of Water-Sewage and Industrial Effluents , Pragati Prakashan, Meerut (2010)
12. Pal Hariya J.P. et al. (1988) Pollution of Narmda River at Hoshangabad in M.P. and suggested measurement for control in ecology & Pollution of India River Ed. - R.K. Trivedy P.P. 54 - 85 Asian Publishing house, New Delhi.
13. Pandey, G.N.P., Carney, G.C., 1992, Environmental Engineering. Tata McGraw Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi.
14. Rai Megha and Shrivastava R.M. (2006). Effect of fertilizer industry on surface and ground under quality Raghorgarh. Madhya Pradesh J. Aqua. Biol. Vol. 21(2) 2006 : 101-104.
15. Saxena, M.M., 1998, Environmental Analysis of Water, Soil and Air, Agro Botanica, Bikaner, India.
16. Sharma B.K., Analytical Chemistry, Krishna Prakashan Media (P) Ltd., Meerut (2006).
17. Singh S.K. and Rai J.P.N. (2003) pollution studies on river ganga in Allahabad district poll Res. 22(4): 469-472
18. Zingada, M.D. (1981) Base line water quality of river Narmada (Gujarat). Indian J. Mar. Sci. 10:161.

Fig(1). Sardar Vallabh Bhai Patel College Mandleshwar Chemistry Laboratory.

Fig(2). IMC(PHED) 95 M.Ld. T.P. Laboratory Mandleshwar .

Fig(3). Sampling Point 1 (SG) Sulgoan

Fig(4). Sampling Point 2 (MG) Mandleshwar

Fig(5). Sampling Point 3 (KG) Kharadi Gram

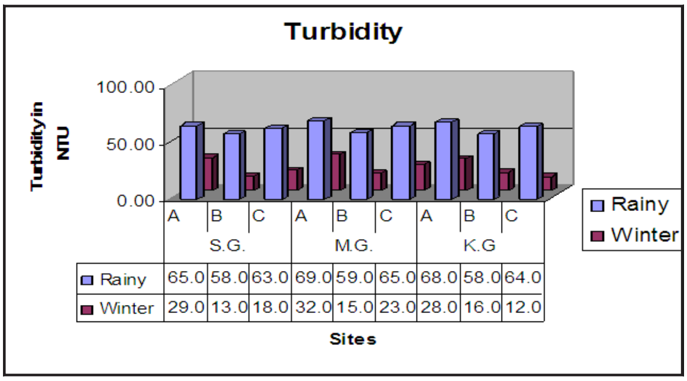

Fig.(6) Bar Diagram of Temp. of the Aug and Dec. 2010

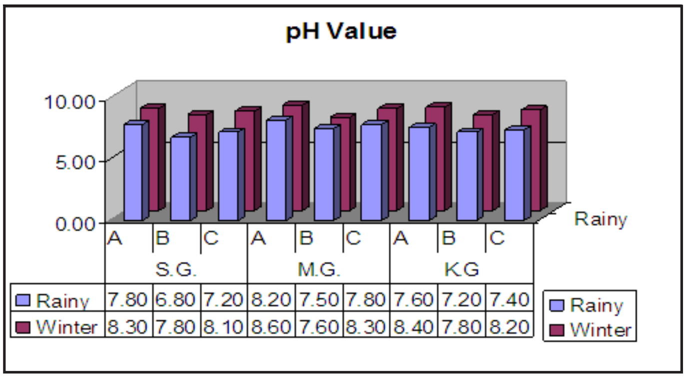

Fig.(7) Bar Diagram of pH of the Aug and Dec. 2010

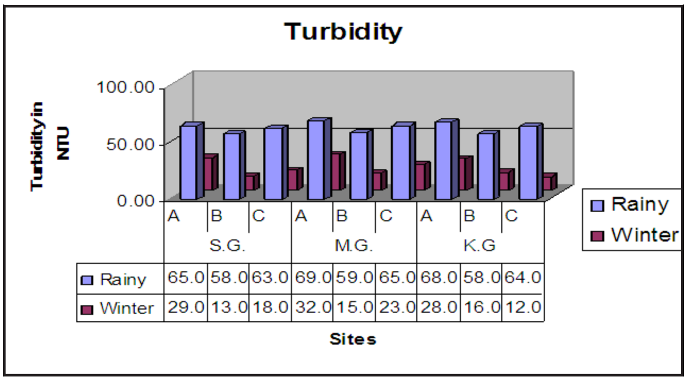

Fig.(8) Bar Diagram of Turbidity of the Aug and Dec. 2010

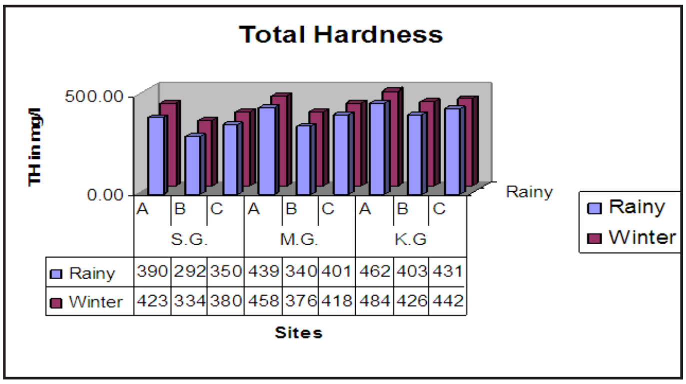

Fig.(9) Bar Diagram of TH of the Aug and Dec. 2010

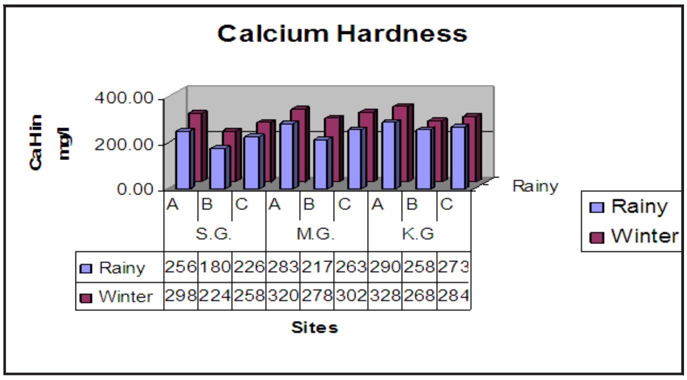

Fig.(10) Bar Diagram of CaH of the Aug and Dec. 2010

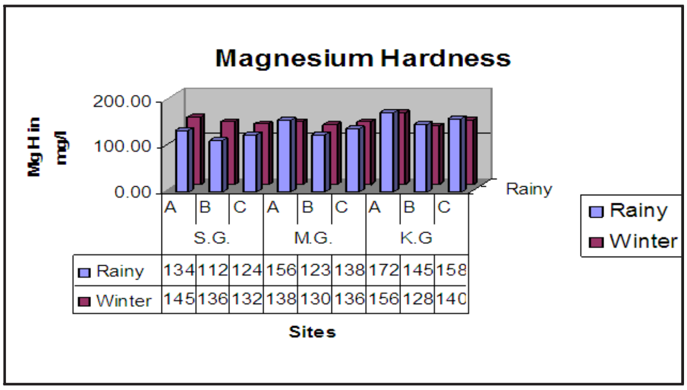

Fig.(11) Bar Diagram of MgH of the Aug and Dec. 2010

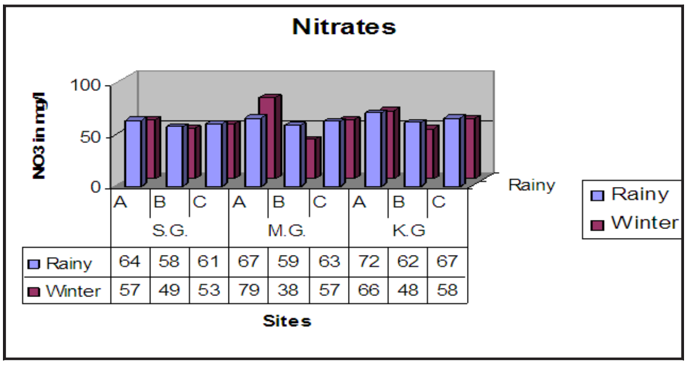

Fig.(12) Bar Diagram of Nitrates of the Aug and Dec. 2010

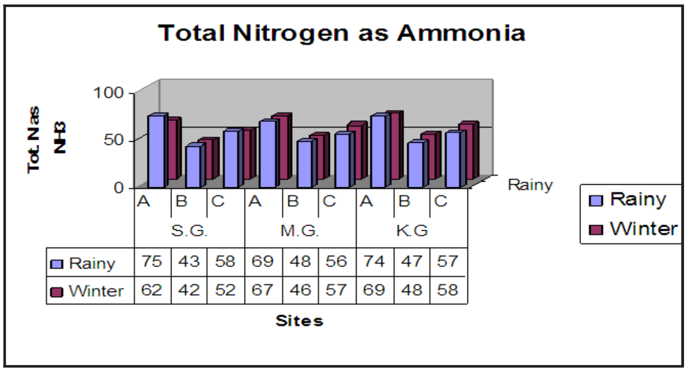

Fig.(13) Bar Diagram of Total Nitrogen as Ammonia of the Aug and Dec. 2010

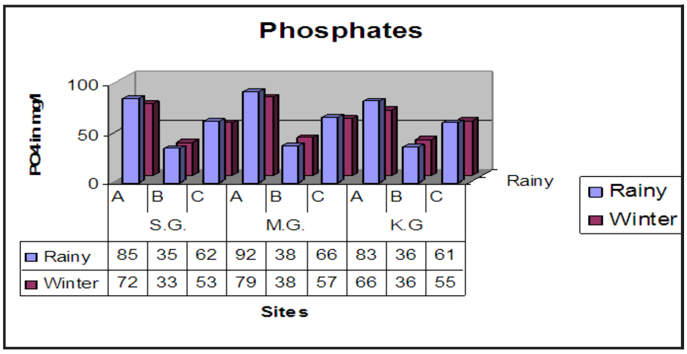

	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	S.G.			M.G.			K.G		
Rainy	85	35	62	92	38	66	83	36	61
Winter	72	33	53	79	38	57	66	36	55

Fig.(14) Bar Diagram of Phosphates of the Aug and Dec. 2010

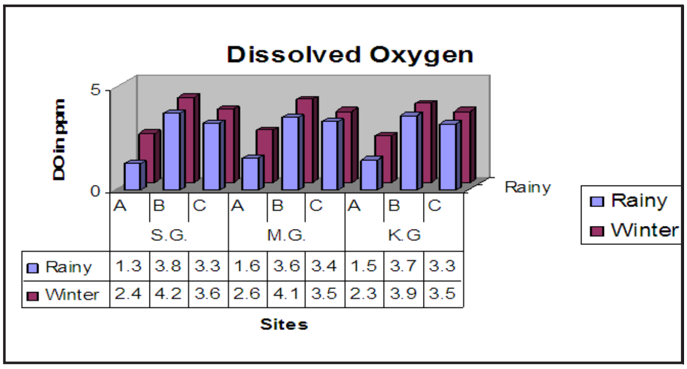

	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	S.G.			M.G.			K.G		
Rainy	1.3	3.8	3.3	1.6	3.6	3.4	1.5	3.7	3.3
Winter	2.4	4.2	3.6	2.6	4.1	3.5	2.3	3.9	3.5

Fig.(15) Bar Diagram of D.O. of the Aug and Dec. 2010

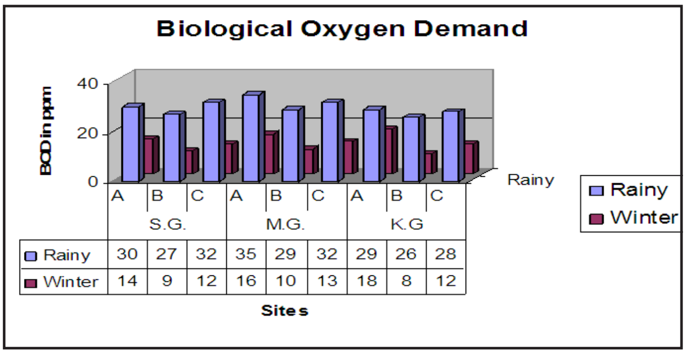

	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	S.G.			M.G.			K.G		
Rainy	30	27	32	35	29	32	29	26	28
Winter	14	9	12	16	10	13	18	8	12

Fig.(16) Bar Diagram of B.O.D of the Aug and Dec. 2010

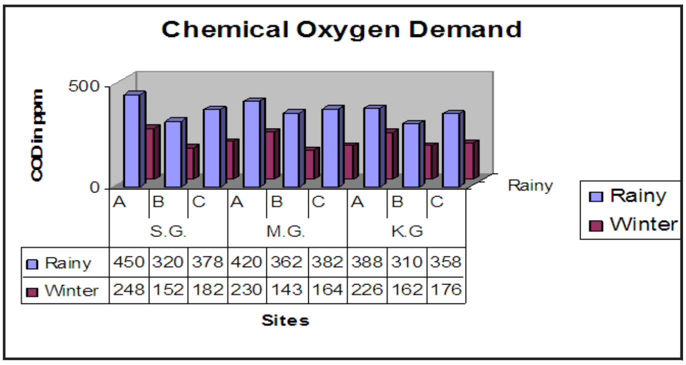

	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	S.G.			M.G.			K.G		
Rainy	450	320	378	420	362	382	388	310	358
Winter	248	152	182	230	143	164	226	162	176

Fig.(17) Bar Diagram of C.O.D of the Aug and Dec. 2010

****

Metabolism And Effects On Hormones Of Alcohol

Prof. Dinesh Kanade * Prof. Mahesh Baviskar **

Introduction-

The endocrine system produces hormones, which are chemical signals produced by glands. The endocrine system helps regulate growth, signals the beginning of puberty, and is involved with metabolism, tissue function, and moods.Each hormone is secreted from a specific gland and distributed throughout the body. The hormones act on tissues at different parts of the body. Two areas of the brain, the hypothalamus and the pituitary, release hormones, as do other glands, such as the thyroid and the pancreas.

How Alcohol Is Metabolized in the Human Body :-

After intake of alcohol, ethanol is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract by simple diffusion. Most of the ingested ethanol is absorbed in the duodenum and upper jejunum although some is metabolized and absorbed already in the ventricle. Factors that slow down gastric emptying (e.g. intake of food) delay the absorption phase which leads to lower maximal ethanol blood concentrations. Ethanol enters the portal vein and the liver before entering the general circulation. The magnitude of the first pass metabolism (FPM) occurring mainly in the ventricle and the liver and factors affecting FPM is a matter of debate.

Studies on the rat show that elevated ethanol levels may be measured in the peripheral circulation and tissues including the brain already at 1 to 2 minutes from intake. Ethanol is distributed mainly in the body water due to the low solubility in lipids. As a consequence the distribution is largely governed by the water content of the various tissues.

The overall distribution volume is approximately 0.73 l/kg of body weight for men and 0.59 l/kg of body weight for women. The gender difference is due to the lower water content in women and as a consequence higher ethanol levels are found in women than in men after the intake of a standard amount of alcohol per body weight

It is generally agreed that in mammals the major part, between 60% to 90% by most estimations, of the ethanol is eliminated in the liver Almost all tissues are, however, capable of oxidizing some ethanol and important extra hepatic sites include the whole gastrointestinal tract, the airways and the lungs, and the kidneys Ethanol is eliminated by oxidation to acetaldehyde which is further oxidized to acetate. A rough estimate is that the elimination of ethanol follows zero-order kinetics with a constant amount being eliminated during a constant period of time. At low blood ethanol levels (i.e. <2mM) when the capacity is non-saturated the elimination rate is nonlinear Among light to moderate drinkers the ethanol elimination rate is approximately 0.1 g/kg of body weight/ hour. The elimination of acetaldehyde is far more effective than the production during ethanol oxidation and it has been11 estimated that less than 1% of the acetaldehyde formed during ethanol intoxication in the liver enters the circulation. In the blood acetaldehyde is partly bound to proteins including hemoglobin and albumin The free blood acetaldehydeis eliminated within minutes of time perhaps due to ALDH-activity contained in erythrocytes Consequently, venous blood free acetaldehyde levels are essentially non-detectable (i.e. < 1 μM) during alcohol intoxication The acetate formed in the liver enters the blood and is rapidly converted to CO_2 and H_2O mainly in peripheral tissues.

Alcohol's Effects on the hormones :-

For hormones to function properly, their amount and the timing of their release must be finely coordinated, and the target tissues must be able to respond to them accurately. But

Alcohol Impairs Regulation of Blood Sugar Levels :-

Drinking heavily can cause a steep rise in blood sugar. When blood sugar rises, the pancreas responds by producing insulin to lower the blood sugar. But if the blood sugar rises too steeply, overproduction of insulin can actually lead to low blood sugar, a condition called hypoglycemia. This is especially dangerous for diabetics, especially those taking certain drugs to lower their blood sugar. The sugar glucose is the main energy source for all tissues. Glucose is derived from three sources: from food; from synthesis in the body; and from the breakdown of glycogen, a form of glucose that the body stores in the liver. Hormones help to maintain a constant concentration of glucose in the blood. This is especially important for the brain because it cannot make or store glucose but depends on glucose supplied by the blood. Even brief periods of low glucose levels (hypoglycemia) can cause brain damage.

Alcohol Impairs Reproductive Functions :-

Men or boys who drink large amounts of alcohol are at risk for side effects related to the endocrine system. They can experience loss of testosterone, the hormone that regulates

*** Professor ** Professor (Department Of Chemistry) Govt. P.G. College, Sendhwa, (M.P.) INDIA**

male sexual function and semen. As a result, they could experience erectile dysfunction and emotional changes. The human reproductive system is regulated by many hormones. The most important are androgens (e.g., testosterone) and estrogens (e.g., estradiol). They are synthesized mainly by the testes and the ovaries and affect reproductive functions in various target tissues. Other reproductive hormones are synthesized in the hypothalamus and pituitary. Alcohol is directly toxic to the testes, causing reduced testosterone levels in men. In a study of normal healthy men who received alcohol for 4 weeks, testosterone levels declined after only 5 days and continued to fall throughout the study period Chronic heavy drinking can interfere with all these functions. Its most severe consequences in both men and women include inadequate functioning of the testes and ovaries, resulting in hormonal deficiencies, sexual dysfunction, and infertility

Alcohol Impairs Calcium Metabolism and Bone Structure

Another way that alcohol affects the endocrine system is by interfering with how the body absorbs calcium, a chemical needed for strong bones. As a result, people who drink heavily may be at a higher risk for osteoporosis, a disease in which bone density declines. If bones aren't strong, there is a greater possibility of fractures. These fractures often occur in places where people usually don't break bones, such as the ribs, hip, or wrist. Osteoporosis is most common in women over fifty who have gone through menopause.

Calcium exists in two forms in the body. The main reservoirs are the bones and teeth, where the calcium content determines the strength and the stiffness of the bones. The rest of the body's calcium is dissolved in the body fluids. Calcium absorption, excretion, and distribution between bones and body fluids are regulated by several hormones, namely parathyroid hormone (PTH); vitamin D-derived hormones; and calcitonin, which is made by specific cells in the thyroid.

Alcohol can interfere with calcium and bone metabolism in several ways. Acute alcohol consumption can lead to a transient PTH deficiency and increased urinary calcium excretion, resulting in loss of calcium from the body. Chronic heavy drinking can disturb vitamin D metabolism, resulting in inadequate absorption of dietary calcium.

Studies in alcoholics also have shown that alcohol is directly toxic to bone-forming cells and inhibits their activity. In addition, chronic heavy drinking can adversely affect bone metabolism indirectly, for example by contributing to nutritional deficiencies of calcium or vitamin D. Liver disease and altered levels of reproductive hormones, both of which can be caused by alcohol, also affect bone metabolism.

Conclusions :-

Alcohol can impair the functions of the hormone-releasing glands and of the target tissues, thereby causing serious medical consequences. Alcohol can have profound deleterious effects at all levels of the reproductive system

References :-

1. (Marshall 1983).
2. (Pikkarainen 1980, Salaspuro 1996, Lieber 1997, Tillonen 1999).
3. (Utne and Winkler 1980).
4. (Mumenthaler 2000).
5. (Helander and Tottmar 1986).
6. (Lundqvist 1962, Skutches 1979).
7. Gordon, G.G., & Lieber, C.S. Alcohol, hormones, and metabolism. In: Lieber, C.S., ed. Medical and Nutritional Complications of Alcoholism. New York: Plenum Publishing Corp., 1992. pp. 55-90.

****

Fixed Point in L-Space

Dr. R. D. Daheriya * Bhawna Parkhey **

Introduction :- In 1976 , Kasahra [4] has introduced L-space then in 1978, Yen [10] has given few fixed point theorems in L-space. Kasahra [4] established the several known generalized of Banach contraction principle derived easily without using the notion of metric space, in the particular axiom of triangular inequality is not required necessarily in their proofs. He introduced the general ideas of L-space in the fixed point theory. After that Iseki [1] used the fundamental ideas of Kasahra to investigate the generalization of some known theorems in L-space. During past few years many great mathematician worked on l-space. The names them are Singh[9], Pachpatte[5], Park[6], Pattak and Dubey[7], Jaggi[2], Reich[8]. We further present theorems in L-space, where the mappings satisfy the condition of the type given by Kannan, Reich, and Jaggi respectively. Before giving our main results we introduce the notion of L-space as follows.

Key words: L-space , common fixed point.

Definition:- 2.1 L-space: Let N be the set of natural numbers and M be a nonempty set. Then L-space is defined to be the pair (M,→) of the set M and a subset → of the set $M^N \times M$ satisfying the following two conditions

(L1) if $x_n = x \in$M for all n ∈N, then $(\{x_n\}_{n\in N}, x) \in \rightarrow$

(L2) if $(\{x_n\}_{n\in N}, x) \in \rightarrow$, then $(\{x_{n_i}\}_{i\in N}, x) \in \rightarrow$ for every subsequence $\{x_{n_i}\}_{i\in N}$ of $\{x_n\}_{n\in N}$.

In what follows instead of writing $(\{x_n\}_{n\in N}, X) \in \rightarrow$. We shall write $\{x_n\}_{n\in N} \rightarrow x$ or $x_n \rightarrow x$ and read $\{x_n\}_{n\in N}$ converges to . further we give some definition regarding L-space.

1.1 A L-space (M , →) is said to be 'separated' if each sequence in M converges to at most one point in M.

1.2 A mapping f on (M , →) into an L-space(M , →) is said to be 'continuous' if $x_n \rightarrow x$ implies $f(x_n) \rightarrow' f(x)$ for some subsequence $\{x_{n_i}\}_{i\in N}$ for $\{x_n\}_{n\in N}$.

1.3 Let (M , →) and $(M', \rightarrow')$ be two L-spaces. Then the 'product space' of these two spaces is the L-spaces $(M \times M', \rightarrow'')$ where is a subset of $(M^N \times M'^N) \times (M \times M')$ satisfying, $(x_n, y_n) \rightarrow'' (x,y) \leftrightarrow x_n \rightarrow x$ and $y_n \rightarrow' y$. and

2.5 Let d be a non-negative extended real valued function on M × M; $0 \leq d(x,y) \leq \infty$ for all , $x, y \in$ M. Then the L-space (M , →) is said to be 'd-complete' if each sequence $\{x_n\}_{n\in N}$ in M with $\sum_{i=0}^{\infty} d(x_i, x_{i+1}) < \infty$ converges to at most one point of M.

Results and discussion

Let $(X, \rightarrow)$ be a separated L- space which is d- complete for a non-negative real valued function d on XxX with $d(x,x) = 0$ for all $x \in X$. let S be continuous self map of X satisfying the condition

$$d(x,y) = \frac{\alpha\, d(x,y)[d(y,sy)+d(x,y)]}{d(x,y)+d(y,sx)} + \frac{\beta\, d(x,y)[d(x,sx)+d(y,sx)]+[d(x,y)]^2}{d(x,y)+d(y,sx)} + \gamma$$

$$[d(x,sx) + d(y,sy)] + \delta\, d(x,y) \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ (1)$$

For every $x, y \in X$ with $d(x,y) + d(y,sx) \neq 0$. If $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$, $\delta > 0$ with $2\alpha + 3\beta + 2\gamma + \delta < 1$. Then S has a unique fixed point in X.

Proof: Let x_0 be an arbitrary point in. Define a sequence $\{x_n\}$ recurrently, $S x_n = x_{n+1}$ for n = 0, 1, 2 … Now from (1), we have

$$d(x_1,x_2) = d(sx_0, sx_1)$$

$$= \frac{\alpha d(x_0,sx_0)[d(x_1,sx_1)+d(x_0,x_1)]}{d(x_0,x_1)+d(x_1,sx_0)} +$$

$$\frac{\beta d(x_0,x_1)[d(x_0,sx_0)+d(x_1,sx_1)]+[d(x_0,x_1)]^2}{d(x_0,x_1)+d(x_1,sx_0)} + \gamma$$

$$[d(x_0,sx_0) + d(x_1,sx_1)] + \delta\, d(x_0,x_1)$$

$$= \frac{\alpha d(x_0,x_1)[d(x_1,x_2)+d(x_0,x_1)]}{d(x_0,x_1)+d(x_1,x_1)} + \frac{\beta d(x_0,x_1)[d(x_0,x_1)+d(x_1,x_2)]+[d(x_0,x_1)]^2}{d(x_0,x_1)+d(x_1,x_1)}$$

$$+\gamma$$

$$[d(x_0,x_1) + d(x_1,x_2)] + \delta\, d(x_0,x_1)$$

$$d(x_1,x_2) = \alpha[d(x_1,x_2) + d(x_0,x_1)] + \beta[2d(x_0,x_1) + d(x_1,x_2)] + \gamma[d(x_0,x_1) + d(x_1,x_2)] + \delta d(x_0,x_1)$$

$$(1-\alpha-\beta-\gamma)\, d(x_1,x_2) = (\alpha + 2\beta + \gamma + \delta)\, d(x_0,x_1)$$

$$d(x_1,x_2) = \frac{(\alpha + 2\beta + \gamma + \delta)}{(1-\alpha-\beta-\gamma)}\, d(x_0,x_1)$$

$$d(x_1,x_2) \leq k\, d(x_0,x_1)$$

Where $k = \frac{(\alpha + 2\beta + \gamma + \delta)}{(1-\alpha-\beta-\gamma)} < 1$ as 2á+3â+2ã+ä< 1

Similarly $d(x_2,x_3) \leq k\, d(x_1,x_2) \leq k^2 d(x_0,x_1)$

* Department of Mathematics & ** Department of Mathematics, J. H. college Betul (M.P.) INDIA

Hence in general,

$d(x_n, x_{n+1}) \leq k^n d(x_0, x_1)$ for every natural number n.

Therefore $\sum_n^\infty d(x_n, x_{n+1}) < \infty$

Hence by d-completeness of the space, the sequence $\{s^n x_0\}$ n∈N Converges to some u in X.

Then by continuity of S, the subsequence $\{s^{n_i} x_0\}$ also converges to u,

i.e. $\lim_{i\to\infty} s^{n_i} x_0 = u$

$S(\lim_{i\to\infty} s^{n_i} x_0) = Su$

But $\lim_{i\to\infty} s^{n_{i+1}} x_0 = u$

So we get $Su = u$

Thus is a fixed point of. in order to prove, u is the unique fixed point, if possible let () be an other fixed point of.

Thus u is a fixed point of S. in order to prove, u is the unique fixed point, if possible let $v(\neq u)$ be an other fixed point of.

$$d(u,v) = d(Su, Sv)$$

$$\leq \frac{\alpha\, d(u,su)[d(v,sv)+d(u,v)]}{d(u,v)+d(v,su)} + \frac{\beta\, d(u,v)[d(u,su)+d(v,sv)]+[d(u,v)]^2}{d(u,v)+d(v,su)} + \gamma$$

$$[d(u,su) + d(v,sv)] + \delta\, d(u,v)$$

$$= \frac{\alpha\, d(u,u)[d(v,v)+d(u,v)]}{d(u,v)+d(v,su)} + \frac{\beta\, d(u,v)[d(u,u)+d(v,v)]+[d(u,v)]^2}{d(u,v)+d(v,u)} + \gamma\, [d(u,u) + d(v,v)] + \delta\, d(u,v)$$

$$d(u,v) = (\tfrac{\beta}{2} + \delta)\, d(u,v) < d(u,v) \quad \text{as } \tfrac{\beta}{2} + \delta < 1$$

Thus we get a contradiction. Hence $u = v$. so that u is the unique fixed point of S.

Recommondation: 1. If we take á=â=ä=0 we get the result of Kannan [3] in L- space.

2 If we take á=â= 0 we get a result of Reich [8] in L space.

References

1. Iseki, K. an approach to fixed point theorems, Math. Semi. Notes, kobe univ; 3(1975), 1-11.
2. Jaggi, D. S., some unique fixed point theorems, Indian J. pure Appl. Math; 8(1977), 223-230.
3. Kannan, R. common fixed point theorems for mappings in L-spaces, M. A. Vol. cs. Semi-Note, (1975).
4. Kasahara, S. (1976), on some generalizations of the Banach contraction theorem, publ. RIMS, Kyoto univ; 12, 427-37.
5. Pachpatte, B.G. common fixed point theorems for certain mapping in L-space, J., M.A.C.T., Vol. 13(1980), 55-58.
6. Park,S. on kasahara's extension of the caristi-kirk fixed point theorem, Math. Japonica, No. 4(1982), 509-517.
7. Pathak, H. K. and Dubey, R. P., some common fixed point theorems in L-space, Arta Cienica India, Vol. xv, M.No.3(1989), 283
8. Reich, S., Kannan's fixed point theorem, Ball. Un. Mat-Ital. vol.4(1971), 1-11.
9. Singh, S.P., some results on fixed point theorems, yokahana Math. J., Vol.17 (1969), 61-64.
10. Yeh, C.C. (1978). Some fixed point theorems L- space. Indian J. pure appl. Math; 9, (10), 993-95.

****

Fixed Point Theorem In Pseudo Compact Tichonov Space

Ganesh Kumar Soni*

Abstract :- In this paper, the concepts of Pseudo compact Tichonov space has been introduced. We shall prove fixed point theorem in Pseudo Compact Tichonov space.
Keywords :- Fixed point, Pseudo Compact Tichonov Space, self mapping.

Introduction - In recent years there have been several generalization of Banach Contraction mapping principle[1]. During the past few years a number of author's like Jain and Dixit [2] Pathak [3] Khan and Sharma [4] worked on Pseudo Compact Tichonov Spaces. Before presenting main result we define Pseudo Compact Tichonov Space :-

Pseudo Compect Tichonov Space :-

A topological space X is said to be Pseudo compact space. If every real valued continous function on X is bounded It may be noted that every compact space is Pseudo compact but converses may not be true. However in a metric space notation compact and Pseudo Compact coincide. By Tichonov space we means a completely regular Housdorff space.

Our main Result :-

Theorem : (1) P be a Pseudo compact Tichonov space and d be a non- negative real valued continuous function over P x P (P x P is Tichonov but need not be Pseudo compact) satisfying.

(i). d $(x, x) = 0$ for all $x \in$ P

$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ for all x, y, z $\in$ P.

Let $T : P \rightarrow P$ be a continuous map satisfying.

(ii)

$$[d(Tx,Ty)] < \alpha \frac{d(x,y)[1+\sqrt{d(x,y)d(x,Tx)}+\sqrt{d(x,y)d(y,Tx)}]^2}{[1+d(x,y)+d(x,Tx)d(y,Tx)d(x,Ty)d(y,Ty)]^2}$$

Where α is non- negative real such that $\alpha < 1$ Then T a unique fixed point in P.

Proof :-

We define $\phi : P \rightarrow R$ by $\phi(p) = d(p, Tp)$ for all p $\in$ P where R is the set of positive real numbers clearly ϕ is continuous being the composite of two continuous function T and d. Since P is Pseudo compact Tichonov space every real valued continuous function over P is bounded and attend its bounds.

Thus there exists a point v ε P such that $\phi(v)$ inf $\{\phi(p)$:p $\in$ P} where 'inf denotes the infimum or the greatest lower bound in R (note $\phi(P) \subset R$). We suppose that v is a fixed point for T if not.

Let us suppose that $Tv \neq v$. Then using (II) we have.

$$[\phi(Tv)] = \{d(Tv, T^2v)\}$$

$$< \alpha \frac{d(v,Tv)[1+\sqrt{d(v,Tv)\, d(v,Tv)} + \sqrt{d(v,Tv)\, d(Tv,Tv)}]^2}{[1+d(v,Tv) + d(v,Tv)\, d(Tv,Tv)\, d(v,T^2v) d(Tv,T^2v)]^2}$$

$$= \alpha \; d(v,Tv)$$

$$d(Tv, T^2v) < \alpha \; (v, Tv)$$

$$\phi(Tv) < \phi(v)$$

Which is contradiction and therefore Tv = v i.e. v is a fixed point of T in P.

Uniqueness :-

To prove the uniqueness of v if possible let $w \in$ P be another fixed point for T i.e. Tw = w and $w \neq v$ The using (II) we have.

$$d(v,w) = d(Tv,Tw)$$

$$<$$

$$\alpha \frac{d(v,w)[1+\sqrt{d(v,w)\, d(v,Tv)} + \sqrt{d(v,w)\, d(w,Tv)}\,]^2}{[1+d(v,w)+d(v,Tv)\, d(w,Tv)\, d(v,Tw)\; d(w,Tw)]^2}$$

$$=$$

$$\alpha \frac{d(v,w)[1+\sqrt{d(v,w)\, d(v,v)} + \sqrt{d(v,w)\, d(w,v\}}\,]^2}{[1+d(v,w)+d(v,v) d(w,v) d(v,w)\; d(w,w)]^2}$$

$$d(v,w) < \alpha \; d(v,w)$$

Which is contradiction. Hence $v \in$ P is a unique for T in P. This completes the proof.

Reference

[1] Banach, S."Surles operation dans ensembles abstraits etleur application auxequations integrals offund". Maths 133-18 (1922)

[2] Jain R.K. and Dixit, S.P. " Some results on fixed points in Pseudo compact Tichonov spaces". Indian J. Pure and appl. Math 5. 455-458 (1986)

[3] Pathak, H.K. "Some theorems on fixed points in Pseudo compact Tichonov Spaces" Indian J. Pure and Appl. Math 15; 180-186 (1986)

[4] Khan S. and Sharma P.L. " Some results on fixed points in Pseudo compact Tichnov Spaces". Acta Cinenia India, 17. 483-488 (1991)

* Deptt. of Mathematics, Govt. P.G College Narsinghpur (M.P.) INDIA

Fixed Point Theorem for Densifying Mapping

Dr. Ganesh Kumar Soni *

Abstract :- In the present paper, we shall prove a fixed point theorem for continuous densifying mapping in a bounded complete metric space.

Furi and Vignoli (1) have proved the following theorem -

Theorem 1 :- Let T be a continuous, densifying mapping of a bounded complete metric space (X,d) into itself. If for every x, y in x, $x \neq y$ in x, $d(Tx,Ty) < d(x,y)$ then T has a fixed point. Afterwards Iseki (2) generalized the above result and proved the following theorem :-

Theorem 2 :- Let T be a continuous, densifying mapping of a bounded complete metric space (X,d) itself. If for every x, y in X, $x \neq y$, $x \neq Tx$,

$$d(Tx,Ty) < ad(x,y) + b\{d(x,Tx) + d(y,Ty)\}$$

where a,b are non- negative and a+2b=1 then T has a fixed point. Some fundamental properties about measure of non-compactness α of bounded sets in a metric space are given by Iseki [2], Mussbaum [3], Kuratowski [4], Jain and Dixit [5], S. Khan [6], defined the measure of non-compactness $\alpha(A)$ of Set A.

Definition :- Let (X,d) be a metric space. T be a mapping of X into itself. The mapping T is called densifying if for every bounded sub set A of X with $\alpha(A) > 0$ we have $\alpha(T(A)) < \alpha(A)$ In this paper we shall prove a fixed point theorems for continuous densifying mapping.

Our Main Result :- Let T be a continuous, densifying mapping of a bounded complete metric space (X,d) into itself. If for every x,y in X, $x \neq y$, $x \neq Tx$,

$$[d(Tx,Ty)]^2 < \alpha \frac{d(x,Tx)[\{d(y,Tx)\}^2 + \{d(y,Ty)\}^2]^{1/2}}{[1+\{d(x,Ty)d(y,Tx)\}^2]^{1/2}}$$

$$+\beta \frac{d(y,Tx)d(x,Ty)[1+\{d(y,Tx)d(x,Tx)+d(y,Ty)d(Tx,Ty)\}^{1/2}]}{[1+d(x,Ty)d(y,Tx)d(x,Tx)d(y,Ty)]^{1/2}}$$

$$+\gamma d(x,Tx)d(y,Ty)$$

Where α, β and γ are non-negative and $\alpha+\beta+\gamma=1$ then T has a fixed point.

Proof :- Let x_0 be a point of X and consider the sequence

$x_0, x_1 = T(x_0), x_2 = T(x_1), \ldots\ldots, x_{n+1} = Tx_n$

Put A= $\{x_0, x_1, x_2, ___ x_{n--}\}$ Then T (A) $\subset$ A and by the continuity of T. We have

$T(\overline{A}) \subset \overline{T(A)} \subset \overline{A}$ Hence $(\overline{A})$ is invarinant under T and is bounded.

Suppose $\alpha(A) > 0$, Since $A = T(A) \cup \{x_0\}$. We have

$\alpha(A) = Max\{\alpha(T(A)), \alpha(x_0)\} = \alpha(T(A))$

The mapping T is densifying so $\alpha(A) = 0$ which implies that A is pre compact. Since X is complete metric space. $\overline{A}$ is compact. By the hypothesis, d(x,Tx) is continuous on the compact subject $\overline{A}$, Hence d(x,Tx) has a minimum point z in $\overline{A}$. To prove that z or Tz is a fixed point of T.

Suppose $z \neq Tz$ and $Tz = T^2z$ we have.

$$[d(Tz,T^2z)]^2 < \alpha \frac{d(z,Tz)[\{d(Tz,Tz)\}^2 + \{d(Tz,T^2z)\}^2]^{1/2}}{[1+\{d(z,T^2z)d(Tz,Tz)\}^2]^{1/2}}$$

$$+\beta \frac{d(Tz,Tz)d(z,T^2z)[1+\{d(Tz,Tz)d(z,Tz)+d(Tz,T^2z)d(Tz,T^2z)\}^{1/2}]}{[1+\{d(z,T^2z)d(Tz,Tz)d(z,Tz)d(Tz,T^2z)\}^{1/2}]}$$

$$+\gamma d(z,Tz)d(Tz,T^2z)$$

$$[d(Tz,T^2z)]^2 < \alpha d(z,Tz)d(Tz,T^2z) + \gamma d(z,Tz)d(Tz,T^2z)$$

$$[d(Tz,T^2z)]^2 < (\alpha+\gamma)d(z,Tz)d(Tz,T^2z)$$

$$d(Tz,T^2z) < (\alpha+\gamma)d(z,Tz)$$

i.e. $d(Tz,T^2z) < d(z,Tz)$

Which is a contradiction, Therefore z or Tz is a fixed point of T. This completes the proof of the theorem.

Corollary :- Let T be a continuous mapping of a compact metric space (X,d) into itself. If for every x, y in X. $x \neq y$, $x \neq Tx$, $y \neq Ty$

$$[d(Tx,Ty)]^2 < \alpha \frac{d(x,Tx)[\{d(y,Tx)\}^2 + d(y,Ty)\}^2]^{1/2}}{[1+\{d(x,Ty)d(y,Tx)\}^2]^{1/2}}$$

$$+\beta \frac{d(y,Ty)d(x,Ty)[1+\{d(y,Tx)d(x,Tx)+d(y,Ty)d(Tx,Ty)\}^{1/2}]}{[1+d(x,Ty)d(y,Tx)d(x,Tx)d(y,Ty)^{1/2}]}$$

$$+ \gamma d(x,Tx)d(y,Ty)$$

Where α, β and γ are non-negative and $\alpha+\beta+\gamma=1$ then T has a fixed point. Corollary follows from the proof of the theorem.

References

1. Furi, M. and Vignoli, A : A fixed point theorem is complete metric spaces, Boll U.M.I. (4), 4-5 (1969), 505-509
2. Iseki, K. : Fixed point theorem for Densifying mapping, Math seminar Notes, 2 (1974), 70-74, (Kove Univ.)
3. Nussbaum, R.D. : The fixed point Index for local condensing maps. Ann. Mat. Pura App. 89 (1971), 217-258.
4. Kuratowski, C. : Topologic, 1. PWN, Warasawa (1966)
5. Jain, R.K. and Dixit, S.P. - A fixed point theorem for continuous densifying mapping, J. Indian Aced. Math. Vol. No. 2 (1983), 89-90.
6. S. Khan : Fixed point theorem for densifying Mapping, J. Indian Aced math. Vol.12 No. 2 (1990).

*** Deptt. of Mathematics, Govt. P.G.College Narsinghpur (M.P.) INDIA**

जलवायु परिवर्तन एवं विश्व का बढ़ता तापमान- एक विश्लेषण

श्रीमती कविता ठाकुर * श्रीमती अंजना ठाकुर **

परिचय:- लगातार बढ़ती औद्योगिक गतिविधियां आधुनिक रहन-सहन ,धुआं उगलती चिमनियों, निरंतर बढ़ते वाहनो एवं ग्रीन हाउस के प्रभाव से पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। यह स्थिति ''ग्लोबल वार्मिंग'' कही जाती है। तापमान वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन एक ऐसी पर्यावरण समस्या है जिससे सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है।

अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्र -उर्जा , परिवहन , उद्योग और कृषि द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन मे वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण सम्पूर्ण रूप से सूर्य से उत्सर्जित होने वाली उर्जा है। सन् 1970 के बाद से जलवायु परिवर्तन में जो तेजी आई है , इसके दो तिहाई भाग का संबंध कार्बन डाई आक्साइड़ ,मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसों के जमाव से है।

वर्ष 1990 से 2000 के मध्य औद्योगिक देशो में अत्यधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ और करीब 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1990 के दशक औद्योगिक देशों के ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कुछ कमी 3 प्रतिशत आई थी। सोवियत संघ के विघटन से अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी और पूर्वी यूरोप में भी अधिक विकास नहीं होने से ग्राीन हाउस उत्सर्जन भी कम हुआ था। किन्तु पिछले कुछ वर्षो में उपरोक्त देशों में अच्छी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति होने से यहां ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित नवीन रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक देशो में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है।

(1) ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारक :- आई.पी.सी.सी.के प्रमुख आर.के. पचोरी ने जलवायु परिवर्तन के लिए निम्न कारकों को बताया है:-

1 1880 से पूर्व कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा 280पी.पी.एम थी जो अब 2005 में बढ़कर 379 पी.पी.एम. हो गई है।

2 औद्योगिकरण से पूर्व मीथेन की मात्रा 715 पी.पी.बी. थी जो 2005 मे बढ़कर 1734 पी.पी.बी. हो गई है।

3 मीथेन की सान्द्रता मे वृद्धि के लिए कृषि एवं जीवाष्म तथा ईधन को उत्तदायी माना गया है।

4 उपरोक्त वर्षो में नाइट्रस ऑक्साइड़ की सान्द्रता क्रमश: 270 पी.पी.बी. से बढ़कर 319 पी.पी.बी. हो गई है।

5 समुद्री तापमान में भी वृद्धि हुई है।

6 समुद्री जलस्तर मे वृद्धि 1961 के मुकाबले 2003 मे औसतन 1.8 मि.ली. हुई है।

7 पिछले 100 वर्षो मे अंटाकर्टिका के तापमान में दोगुनी वृद्धि हुई है। तथा भूमध्य सागर दक्षिणी एशिया और अफ्रीका मे सुखा वृद्धि दर्ज की गई है।

8 मध्य अक्षांशों में वायु प्रवाहा में तीव्रता आती है।

9 उत्तरी अटलांटिक मे उत्पन्न चक्र वातों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(2) ग्रीन हाउस प्रभाव :- वायुमण्डल के संघटक में कार्बन डाई ऑक्साइड़, एक महत्वपूर्ण कारक है यह कार्बन डाई ऑक्साइड़ एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे- मीथेन , नाइट्राइस ऑक्साइड़ तथा मानव निर्मित क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन आदि के साथ मिलकर वातावरण को अत्यधिक तेजी से गर्म कर रही है जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी से बाहर की ओर विकसीत होती है और पुन: भूतल पर वापस कर देती है। इस प्रक्रिया में निचले वायुमण्डल में अतिरिक्त उष्मा जमा हो जाती है। पिछले कुछ वर्षो में इन तापरोधी गैसो की मात्रा वायुमण्डल में बढ़ जाने के कारण वायुमण्डल का औसत ताप बढ़ गया है।

कार्बन डाई ऑक्साइड़ सदृश्य तापरोधी गैसों के कारण पृथ्वी के वायुमण्डल के ताप में वृद्धि की सर्वप्रथम घोषणा स्वीडन वैज्ञानिक स्वान्ते आर्डीनियस ने पिछली सदी के अन्तिम चरण में किया । इन गैसो के वायुमण्डल में जमाव पर विधिवत शोध कार्य सन् 1958 से ही प्रारंभ हो सका और तब से स्क्रि टस इंस्टीट्यूशन ऑफ ओसिनोग्राफी के चार्ल्स डी. कोलिंग द्वारा वायुमण्डल कार्बन डाई ऑक्साइड़ के बढ़ते स्तर का अध्ययन विभिन्न केन्द्रो में किया जाता है।

पृथ्वी का औसत तापमन 150 सेल्सियस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पानी की वाष्प, CO^2 (कार्बन डाई ऑक्साइड़) और मीथेन के कारण पृथ्वी लगभग 350 सेंटीग्रेड ठंडी होगी । वातावरण में CO^2 कार्बन डाई ऑक्साइड़ का सान्द्रण बढ़ रहा है, इससे आगत विकिरण और बाहर उत्सर्जित होने वाले इन्फ्रारेड विकिरण के संतुलन में परिवर्तन आ रहा है। अंटार्कटिका के बर्फीले केन्द्र में अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि मीथेन CO^2 के सान्द्रण का घनिष्ठ संबंध है। अन्य गैसों क्लोरो-फ्लोरों कार्बन , नाइट्रस ऑक्साइड़ आदि का अध्ययन भी किया गया। इसमे CO^2 का सान्द्रण सबसे अधिक था।

(3) नाइट्रस ऑक्साइड़:- पृथ्वी का ताप बढ़ाने में इसका योगदान 6 प्रतिशत है। वर्ष 2030 तक नाइट्रस ऑक्साइड़ के कारण पृथ्वी के ताप में जो वृद्धि होगी , वह कार्बन डाई ऑक्साइड़ की बढ़ी मात्रा के कारण होने वाली ताप वृद्धि का 20-40 प्रतिशत के मध्य होगी ।

(4) क्लोरो-फ्लोरों कार्बन:- ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख कारण क्लोरो-फ्लोरों कार्बन है कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि क्लोरो-फ्लोरों कार्बन एवं हैलोजन गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि में 90 प्रतिशत तक योगदान संभव है। क्लोरो-फ्लोरों कार्बन का एक परमाणु कार्बन डाई ऑक्साइड़ के एक अणु की तुलना मे 20000 गुना गर्मी उत्पन्न करता है और क्लोरो-फ्लोरों कार्बन का एक ओजोन के अणुओ को तोड़ सकती है

यदि सी.एफ.सी. वर्ग की इन गैसों के उत्पादन और प्रयोग की यही दर रही तो सन् 2050 तक 18 प्रतिशत से अधिक ओजोन वायुमण्डल से गायब हो जाएगी।

(5) ओजोन क्षरण:-वायुमण्डल के स्ट्रेटोस्फीयर में 20 कि.मी. की मोटाई मे ओजोन परत गैस पाई जाती है ओजोन अत्यंत क्रियाशील गैस मानी जाती है। सूर्य के प्रकाश की पराबैगनी किरणे अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आती है तो पृथ्वी के वायुमण्डल की समताप मण्डल परत पर उपस्थित ऑक्सिजन के अणुओं को परमाणुओं में तोड़ देती है। जो

* सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) * सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) चन्द्रशेखर आजाद शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

ओजोन का निर्माण करते है। ओजोन सक्रियता के कारण नाइट्रस ऑक्साइड के साथ क्रिया करके विघटित होती है। इस प्रकार विनाश और निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया से गतिक संतुलन बना रहता है। इस संतुलन मे उस समय बाधा आती है जब वायुमण्डल में सी.एस.सी. तथा क्लोरीन युक्त अन्य यौगिक अधिक मात्रा में आने पर लगते हैं और ये क्लोरीन मोना-ऑक्साइड बनाते है तथा ओजोन में तोड़ देते है। ओजोन क्षरण कहा जाता है।

ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका के उपर लगाया और 1985 में ओजोन हास देखा। ओजोन हास मानव के लिए चिन्ता का विषय है, क्योंकि इससे मनुष्य को चर्मरोग आदि अनेक बीमारीयों होती है , और पेड-पौधों के क्लोराफिल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(6) ग्लोबल वार्मिंग के संभावित दुष्परिणाम:-

(1) विश्व का औसत भूतल तापमान सन् 2025 से 2050 के मध्य 1.7°C से 6°C तक बढ़ जाएगा इससे जलवायु व्यवस्था में परिवर्तन होगा। ऋतु चक्र बदल जाएगा ग्रीष्म काल बढ़ेगा और शीतकाल कम हो जाएगा। वर्ष प्रणाली बदल जाएगी । संभव है भारत से वार्षिक मानसुन की वर्षा समाप्त हो जाए , अनावृष्टि से सुखा पड़ेगा और रेगिस्तान का प्रसार होगा , कृषि नष्ट हो सकती है। नदी , नालों से तेजी से वाष्पीकरण होगा और भीषण बाढ़ आ सकती है।

(2) विश्व में समुद्र की औसत सतह में वृद्धि होगी। यदि तापमान में एक अंश से.ग्रे. की भी वृद्धि होती हैं तो समुद्र की सतह 60 से.मी. उठ जायेगी। इससे अनेक देशों का विशाल भू-भाग डूब जाएगा। प्रशांत महासागर में तुषालु और किरबाती जैसे द्वीपों में सन् 2030 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने की आशंका है। विश्व भर में बोस्टन से लेकर मुम्बई तक के सेकड़ों समुद्र तटवर्ती नगर डूब सकते है।

(7) ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उदासीन प्रयास :- 1972 में सबसे बड़ा प्रयास स्टाकहोम सम्मेलन के परिणाम भारत में प्रोजेक्ट टाईगर चलाया और वायु प्रदूषण संबंधी कानून बनाए। पर्यावरण संरक्षण की सुविधा देने और सुविधा /सलाह देने के लिए विश्व स्तरीय Unicef का गठन किया और 05 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। 1987 में विश्व के 48 देशों के बीच मांट्रियल (कनाडा) समझौता हुआ जिसमें ओजोन को नष्ट करने वाली गैसों का प्रयोग बंद करने का निर्णय हुआ।

1988 में पहली बार IPCC (इंटर गवर्नमेंट चैनल ऑन क्लाइमेट चैंज) की स्थापना करके जलवायु में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करना सुनिश्चित किया गया और अपनी पहली रिपोर्ट 1990 में दी । जिसमें पिछली सद्दी में धरती का ताप 0.50°C बढ़ा है, बताया।

1992 में रियो-डि-जेनेरियो सम्मेलन में एजेंडा 21 नामक कार्यक्रम चार भागों में निर्धारित किया गया जिनमें (ए) विकासशील देशों से गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण को आवश्यक माना (बी) सबको स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता को आवश्यक माना (सी) पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देने और (डी) जैव विविधता के सर्वेक्षण को आवश्यक मानते हुए तापमान नियंत्रण वनीय संरक्षण जैव विविधता और टिकाउ विकास पर विशेष जोर दिया गया। परिणामस्वरूप 1996 में प्रदूषण कम करने पर अमेरिका की पहली बार सहमति हुई ।

1997 में क्योंटो संधि में 2012 तक औद्योगिक देशों का ग्रीन हाउस प्रभाव 5.4 प्रतिशत कम करने पर सहमति हुई। इसे पृथ्वी-5 सम्मेलन भी कहा गया। इसमें अमेरिका को 7, जापान को 6, एवं इनके अलावा प्रत्येक देश को 8 प्रतिशत ग्रीन गैस उत्सर्जन कम करने की बात कहते हुए 1990 के दशक की स्थिति से अधिक ग्रीन हाउस गैसों का स्तर नहीं जमना चाहिए, इस पर भी सहमति हुई और 1998 की क्योंटो संधि में उक्त संधि का पुनरावलोकन कर नया वायु नियम निर्धारित कर विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साईड पर अंकुश लगाने को आवश्यक माना गया।

इन सबके बाद से IPCC (इंटर गवर्नमेंट चैनल ऑन क्लाइमेट चैंज) रिपोर्ट 2001, जोहांसबर्ग सम्मेलन 2002, मांट्रियल वार्ता 2005 आदि के मतदान से सतत प्रयास इस ओर हुए हैं, किन्तु अभी तक ये सब नाकाफी ही रहे हैं। इस प्रकार औद्योगिक देशों/विकसित देशों की सच्ची पहल के बिना यह प्रयास अपर्याप्त ही रहे हैं। अत: इस ओर सभी देशों को भविष्य के खतरे के प्रति संवेदनशील होकर पर्यावरण हित में एकजुटता से आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

(8) ग्लोबल वार्मिंग कम करने के उपाय:-

(1) कार्बन डाई ऑक्साइड का स्तर कम किया जाय

(2) वनों का विस्तार एवं पुर्नजीवित किया जाए।

(3) भूमि उपयोग की वर्तमान प्रणली में परिवर्तन किया जाए।

(4) सौर उर्जा एवं अन्य गैर परम्परागत उर्जा स्त्रोंतो का अधिक उपयोग किया जाए।

जर्मनी के वैज्ञानिक के एक शोध के अनुसार भविष्य में पैदा होने वाली संतान में लड़को की संख्या अधिक बढ़ती जिससे लिंग अनुपात की समस्या बढ़ेगी । अभी तक के इतिहास में 1990 का दशक सर्वाधिक गर्म रहा है। करीब दो दशक पहले से ही वैज्ञानिक हमें पर्यावरण के बारे में मसलन ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत के क्षरण आदि खतरों से आगाह करते रहें है। अत: यह महती आवश्यकता हैं कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे तथा ईमानदारी से इसके संरक्षण के लिये कदम उठाये।

संदर्भ सूची:-

(1) पर्यावरण अध्ययन - डॉ. विनय कुमार तीवारी

(2) पर्यावरण प्रदूषण -डॉ. वी.के. कुडेश्यिा

(3) कुरूक्षेत्र पत्रिका ।

(4) विज्ञान प्रगति पत्रिका।

(5) टाइम्स ऑफ इण्डिया।

(6) दैनिक भास्कर।

(7) नेचर पत्रिका।

(8) शोध समीक्षा और मुल्यांकन ।

****

संकटग्रस्त प्रजाति खरमोर (खरमोर अभ्यारण्य सरदारपुर घाट के संबंध में)

श्रीमती अंजना ठाकुर *श्रीमति कविता ठाकुर **

1.परिचय :-

आज विश्वभर में वन्य प्राणी तथा पादप जातियाँ तेजी से विलुप्त होने की कगार पर बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण वन्य जीवों का शिकार तो नियंत्रित है, पर वनों का विनाश अभी भी जारी है। आज समस्त पर्यावरणविद् एवं जीव वैज्ञानिक इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं। विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों में 90 प्रतिशत पक्षी हैं, जिसमें से एक खरमोर (लेजर फ्लोरिकन) है। एक शताब्दी पूर्व ये पूरे भारत में पश्चिम की हाव नदी, बलुचिस्तान से लेकर पूर्व में माल्दा एवं जलपाईगुडी तथा दक्षिण में त्रिवेंद्रम से उत्तर भारत के सहारनपुर तक पाया जाता है। भारत में इनकी संख्या सन् 1982 के आंकलन के अनुसार 4374 थी, जो वर्ष 1989 तक 80 प्रतिशत कम होकर मात्र 750 रह गई। बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी ने सन् 1980 में ही इसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित करके इसकी जनसंख्या, पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं एवं संरक्षण आदि का अध्ययन किया है। सरदारपुर अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र है, जो विलुप्त हो रहे खरमोर पक्षी के संरक्षण हेतु अधिसूचित किया गया है।

यह अभ्यारण्य जिला धार म0प्र0 में है। जो वनमंडल धार के उपवनमंडल सरदारपुर के वन परिक्षेत्र सरदारपुर में स्थित है। अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 34812.177 हेटर है, जिसमें 568.443 हेटर संरक्षित वनक्षेत्र एवं 34244734 हेटर राजस्व क्षेत्र सम्मिलित है। यह इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरदारपुर से 15 किमी. एवं धार से 55 किमी. दूरी पर स्थित है। वर्ष 1981, माह जुलाई में विश्व प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉ. सलीम अली सरदारपुर आए थे, उन्होंने खरमोर पक्षी को ग्राम पानपुरा एवं आसपास के स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पहली बार देखा था। उनके साथ श्री पीएम. लाड, और जेज़े. द्त्ता तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने खरमोर के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। डॉ. सलीम अली ने खरमोर संरक्षण हेतु 1983 में शासन की अधिसूचना क्रमांक 2410 दिनांक 100283 में धार जिले के सरदारपुर अभ्यारण्य एवं रतलाम जिले के सैलाना में खरमोर अभ्यारण्य बनाया गया।

2.सरदारपुर अभ्यारण्य का विस्तृत विवरण :-

- स्थिति - अक्षांश N- 22 35 उत्तरी, देशांतर E- 74 50 पूर्व
- निकटतम हवाई अड्डा - इंदौर 100 किमी, भोपाल 300 किमी.
- निकटतम रेलमार्ग - इंदौर 118 किमी.
- सीमा विवरण - संरक्षित घोषित क्षेत्र की चतुरसीमा

उत्तर -	ग्राम भूरीघाटी सीमा
पूर्व -	ग्राम राजगढ सीमा
पश्मि -	दत्तीगांव, देवली, सुहाना की सीमा
दक्षिण -	ग्राम खेडी सीमा।

- अभ्यारण्य भ्रमण - माह अगस्त से अक्टूबर तक। राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 59 व धार से 58 किमी, इंदौर से 118 किमी.

3. खरमोर पक्षी का विस्तृत विवरण-

इसका वैज्ञानिक नाम - सिफियोटाईड्स इंडिकस है, कुल - ओटिडिडी अंग्रेजी नाम - लेजर फ्लोरिकन। हिन्दी नाम - खरमोर, खर-तीतर, लीख, भटकुकडा, एवं तित्योर भी है। इसकी एक ओर प्रजाति बेन्गाल खरमोर (उलूभोरा) कहलाती है।

खरमोर का अर्थ है - खरपतवार या घास का मोर। इसका आकार एक सामान्य मुर्गे के बराबर होता है। यह 45 से 52 Cm. छोटा बेलनाकार लंबी गर्दन, लंबे पैरों वाला दुर्लभ पक्षी है। इसमें नर 45 Cm. तथा मादा 52 Cm. है। नर पक्षी के सिर पर कलगी, गर्दन काली व नीली होती है। नर पक्षी में गर्दन के निचली ओर सफेद रंग से एक गोल निशान होता है, जिससे पक्षी अत्यंत लुभावना लगता है। मादा एवं अवयस्क पक्षी में यह नहीं होता है।

इसकी खोज वैज्ञानिक मिलर ने वर्ष 1972 में की थी। जनन काल के अलावा अन्य समय में नर और मादा एक समान चितकबरे भूरे दिखते हैं। प्रजनन का समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होता है। अत: 2-3 दिनों की अच्छी बरसात के उपरांत ही गुजरात, पूर्व राजस्थान व पश्चिमी म0प्र0 प्रजनन शुरू कर देता है। प्रजनन के लिए इन्हें उँचे चारागाहों की आवश्यकता होती है, ताकि ये छुपकर सुरक्षित प्रजनन कर सकें। प्रजनन के समय 7 घंटे में लगभग 2 किमी. तक सफर करता है।

नर पक्षी प्रजनन के समय अपनी सीमा निर्धारित करता है, जो 1 से 2 हेक्टर तक हो सकती है। तथा एक नर पक्षी की सीमा आपस में परस्पर कुछ हद तक मिल भी सकती है। नरपक्षी मानसून के बाद जुलाई से सितंबर तक मादा से मिलन करते हैं। नर पक्षी जमीन सतह से उसे 5 फीट तक उडकर मादा को आकर्षित करने के लिए कलाबाजियाँ दिखाता है, यह एक दिन में 400 से 500 बार कूदते हैं। कुदते समय विशिष्ट टर्र-टर्र की आवाज निकालता है तथा अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करता है।

इसकी आवाज 300 मीटर दूर तक सुनी जा सकती है। समागम के बाद मादा घनी घास में जमीन पर ही लगभग चार अंडे देती है, अंडो से 21 दिनों बाद चूजे निकलते हैं। यह पक्षी अधिकतर बरसात के बाद दिखाई देता है। किन्तु गुजरात, पश्चिम म0प्र0, उत्तर पश्मि महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्रमश: जून-जुलाई से अक्टूबर-नवंबर में घूमता रहता है और और भारत के सारे प्रदेशों के अलावा भारत के आसपास के देशों में भी पाया जाता है।

4. विलुप्ति का कारण :-

जंगलों की अंधा-धुंध कटाई, भोजन के लिए इनका शिकार, खेती के लिए चारागाह साफ करना व चारागाहों में अनियंत्रित चराई आदि कारणों से इस पक्षी की संख्या कम होना शुरू हुई और 20 वीं शताब्दी के अंत तक में ये पक्षी बहुत ही कम हो गए। सन् 1982 में इनकी संख्या 4374 गिनी गई थी जो सन् 1989 तक 80 प्रतिशत कम होकर 750 रह गई।

खरमोर की जनसंख्या में कमी का कारण मुख्य रूप से प्राकृतिक घास मैदानों आवासों में बढते दबाव तथा फसलों के परिवर्तन, कीटनाशकों का उपयोग करना है। अवर्षा या अल्पवर्षा के अलावा इनके प्रजनन क्षेत्र में चारागाहों का सिकुडते जाना इनकी घटती संख्या का प्रमुख कारण है।

पहले बडी संख्या में इनका शिकार होता था जो प्रतिबंध के बावजूद चोरी छुपे आज भी जारी है यही वजह है कि इस पक्षी का नाम संकटापन्न श्रेणी में रेड डाब बुक में शामिल हो गया है।

* , ** सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र विभाग शासक़ीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ (म.प्र.) भारत

वैधानिक स्थिति :

सरदारपुर अभ्यारण्य, म0प्र0 राजपत्र दि.24 जून, 1983 भाग एक पृष्ठ क्रमांक 379 पर प्रकाशित अधिसूचना वन विभाग भोपाल दिनांक 4 जून, 1983 क्रमांक 2410 - दस-2-83 से अधिसूचित किया गया है। खरमोर पक्षी को भारतीय वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची - ख के अंतर्गत, शिकार करना प्रतिबंधित है।

5. संरक्षण का उपाय-

बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी ने सन् 1980 में ही इसे संकटग्रस्त घोषित कर दिया था। इनकी इकॉलोजिकल आवश्यकताओं व संरक्षण आदि का अध्ययन किया था। खरमोर संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं:-

1- प्रजनन क्षेत्रों की पर्याप्त सुरक्षा।

2- पश्चिम भारत में सुरक्षित चारागाहों में वृद्धि।

3- दक्कन के पठार में सुरक्षित चारागाह नेटवर्क का विकास ताकि सर्दियों में पर्याप्त आवास सुनिएित करें।

4- म.प्र. वन विभाग वर्ष 1984 से खरमोर पक्षी के आवास सुधार कार्य में प्राकृतिक घास के मैदानों एवं चारागाहों के संरक्षण हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है।

5- स्थानीय ग्रामीणों एवं समूहों को खरमोर पक्षी के पहचान तथा उनके संरक्षण के बारे में प्रचार- प्रसार कर शिक्षित करने के साथ-साथ घास के मैदानों तथा खरमोर के आवास के संरक्षण के बारे में भी शिक्षित किया जा रहा है।

सिर्फ चारागाहों को संरक्षित करने से इनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है। इस क्षेत्र में कार्य कर रही शासन व शासकीय संस्थाओं को मिलकर एक साथ प्रयास करना होगा लोगों को जागरूक करना होगा, नहीं तो जिस तरह से दुलर्भ डोडी पक्षी का जो हश्र (विलुप्त) हुआ है, वह इस सुंदर पक्षी खरमोर का न हो।

संदर्भ :-

1- वर्मा धनंजय (2004), पर्यावरण चेतना, म0प्र0 हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ 138-139

2- गुप्ता डॉ.चंद्रशीला स्त्रोत दिसंबर (2006), डोडो की कहानी दोहराता खरमोर, पृष्ठ 14-15

3- जोशी, रतन (2004), पर्यावरण अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा उ.प्र.

4- www.google.com

5- www.wikipedia.com

****

Fruit Consumption amongst Adolescent Girls of Different Socio-Economic Status: A Case Study

Dr. Abha Tiwari* Veena Shrivastava **

Abstract: Fruit is an essential food item classified under the category of protective food as per the functional classification. Fruits contain significant amount of micro and macro-nutrients, which are specified as two portions of 100 gm in diet per day. With this background, a study has been carried out with the objective to know the number of girls of early adolescent who eat fruits and also the frequency of their fruit intake. The study has been carried out based on different socio-economic-status of families. The SES has been based on the new socio economic criteria, which takes into account the chief earners education and consumer durables at home. Thirty students of MLB School Jabalpur of class VIII were randomly selected. A self-developed questionnaire was administered on the chosen sample. The results show that 100% children taken as sample eat fruits and 54% eat fruit for more than 5 days in a week while 27% eat fruit less than 3 days in a week. The result shows that the frequency of fruit eaters is dependent on SES of the family. The fruit eating determinants were found to like as more prominent. For the study null hypothesis were set for different objectives and based on the result the null hypothesis was rejected.

Introduction: Dietary guidelines for Indians published by National Institute of Nutrition, Hyderabad classifies fruits and vegetables under the category of protective food. Further the guideline under the food pyramid suggests 100 grams of fruits as portion of daily diet and 2 such portions in a day. The adolescent age essentially require body building and protective foods as there is spurt in growth, maturation and development of bones.

The adolescents in present stage of society are now more aware of their eating requirements. With media helping to create more awareness about the dietary requirements has increased in the society. Fruits are rich sources of micronutrients and macronutrients. They contain abundant amount of iron, calcium, vitamin C, folic acid, essentially required for body protection and growth. With this background the study is proposed, "To look into the intake of fruits in adolescent coming from different Socio-Economic-Status (SES)". The study also includes the broader determinates of fruit eating habits.

Objective of Study:

Fruit being essential protective food required under the daily dietary schedule is advocated by the elders and peers. The age of adolescent is more of independent eaters and become fussy about eating fruits. With National Dietary Guideline in place, advocating fruits as essential component of daily diet schedule, study is carried to know the results with regard to adolescent girls on following:

1. To gain knowledge about the adolescent girls of different SES eat fruits and with no frequency?
2. To gain knowledge on the adolescent girls eat seasonal fruits.
3. To study affect of availability of fruits at residence.
4. To learn about the determinant of fruit eating in adolescent.

Hypotheses:

The following hypotheses are formulated based on objectives of the study. These are stated in null hypothesis form.

1. That, adolescent girls of different SES do not eat fruits.
2. That, adolescent girls do not eat seasonal fruits.
3. That there is no affect of availability of fruits at residence on fruit eating habits of adolescent girls.
4. That there are no guiding determinants for fruit eating habits of adolescent girls.

Methodology:

For the purpose of study, 30 adolescent girls of the age group 12-14 years were randomly selected from government and private schools. A questionnaire containing the questions regarding the study constituents was prepared by the investigator and administered under the normal conditions.

Results :

From the responses of the adolescents the following observations against the objectives have been made:

1. Socio Economic Status of the Sample : The SES of the sample has been studied based on the recently developed 12 category level classification of household from A1 to E3. This new system of classification is based on the two variables:

*** Prefessor and Head of the Department, Human Development, Govt. M.H. College of Home Science & Science for women, Jabalpur, (M.P.) INDIA**
**** Research Scholar, Human Development, Rani Durgavati V.V. Jabalpur, (M.P.) INDIA**

a) Education of chief earner.

b) Number of "consumer durables" (from a predefined list) owned by the family.

The list has 11 items, ranging from 'electricity connection' and 'agricultural land' to cars and air conditioners. The sample data analyzed on the basis of 12 grades SEC and it is found that the group is from mainly 3 broad classification i.e. C1, B1 and A1.

The classification suggests that group is from lower middle, middle and lower end of higher classification of the households. The classification system is given in **Table no 1**.

The result of classification is that 46% are from A1 category, 23% from B1 and 36% from C1 category. The result is shown in pie diagram in **figure no. 1**.

Table No 1

No of Durables	Chief Earner : Education						
	Illiterate	Literate but no formal schooling/ school upto 4 years	School 5 to 9 Years	SSC/HSC	Some College incl diploma	Graduate/ Post Graduate : General	Graduate/ Post Graduate : Professional
	1	2	3	4	5	6	7
None	E3	E2	E2	E2	E2	E1	D2
1	E2	E1	E1	E1	D2	D2	D2
2	E1	E1	D2	D2	D1	D1	D1
3	D2	D2	D1	D1	C2	C2	C2
4	D1	C2	C2	C1	C1	B2	B2
5	C2	C1	C1	B2	B1	B1	B1
6	C1	B2	B2	B1	A3	A3	A3
7	C1	B1	B1	A3	A3	A2	A2
8	B1	A3	A3	A3	A2	A2	A2
9+	B2	A3	A3	A2	A2	A1	A1

Figure No. 1

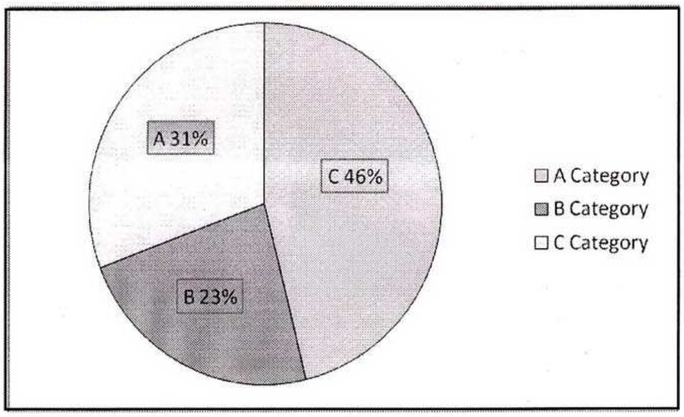

2. Results with Reference to Hypothesis: It is obsereved that 100% of the responses are that the girls eat fruits i.e. there is no difference in fruit eating among different SES. The further analysis carried out on the frequency of fruit eating i.e. number of days the girls of different SES eat fruits in a week. It is observed that girls of families under C grade on an average eat fruit 3 days in a week, that of B grade families eat 6 days in week and that of A grade eat 7 days in a week. The result is shown in pie diagram under **figure 2**.

Figure No. 2

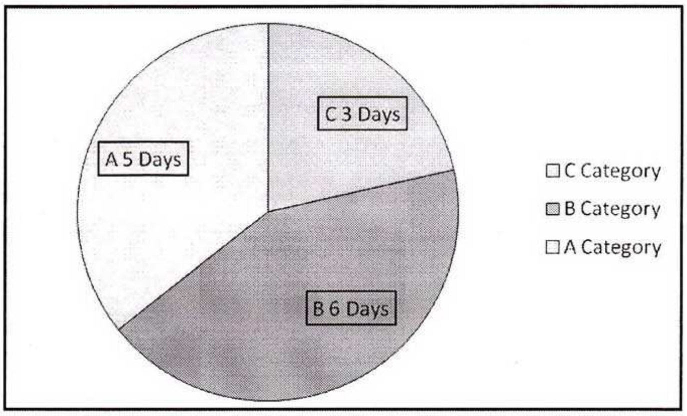

3. As the seasonal fruits like guava, mango etc are available in plenty during their respective season, study was further carried out to know whether the target group as a habit eat seasonal fruits. The result is that 92% of the response is that they eat seasonal fruits.

4. For any diet, convenience is an important driving component for consumption. For the girls of this age if the fruit is available at home then it is the convenience which may encourage them to eat fruit. The response has been analyzed and it is found that 81% of them eat fruits as it is available at home and only 19% says that availability of fruit has no affect on their fruit eating.

5. The study has further been done to know whether there are any guiding determinants for fruits eating habits. Study was carried out on three variables: a) Eat fruits because of liking; b) Eat fruits because of parental insistence and c) Eat fruits as it is an essential food. The result on the basis of response is that 88% mentions that they eat fruits as they like it, 46% mentions that they eat fruits because of parental insistence and 77% mentions that they eat fruits because it is an essential food. The result is shown in bar diagram in **figure 4**.

Figure 4

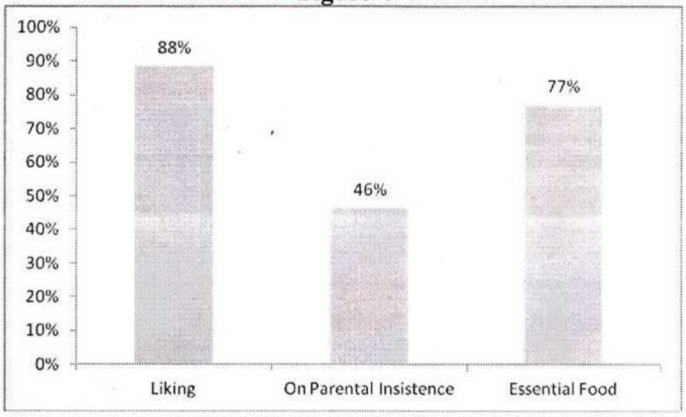

Discussions: From the study conducted it has come to the conclusion that all the girls eat fruits. The frequency of taking

fruit in week varies on an average from 3 days to 6 days. The girls from families of low grade SES eat fruit 3 days in a week, while middle and higher grade families. The frequency of fruit intake follows the SES grade from where the girls belong to. In overall data 54% eat fruit on 5 days and above and 27% eat fruits on 3 days or less. It is also observed that 81% eat seasonal fruits.

Eating seasonal fruits is predominant on account of ease in their availability and relatively less in cost. It is further to be studied whether eating of seasonal fruits are predominant because of common name factor of the fruit and factor influence by the society. The study on guiding determinants suggests that still there is gap among the girls of this important age group to realize that fruit is an essential food item required as protective food. The study suggests that only 77% of the girls eat fruit considering that it is an essential food item. The welcoming result the study has shown that only 46% eat fruits on account of parental insistence. There is high liking of fruit among the girls of this age (88%). In the present era of awareness among the community at large it is noteworthy that girls of this age eat fruits. There is difference in frequency of fruit eating on account of different SES. As an essential food item categories under protective fruit, the difference in frequency among different SES should be narrowed and frequency of low SES should also be at the level of 5 to 6 days in a week. The education towards the fruit being an essential food item also needs to be improved so that the girls of early adolescent start eating fruits on this consideration alone.

References:

Books:

1. Barman Gyatri (2005), **Adolescence**, Second Edition, Shiva Prakashan, Indore, Pg-63-66
2. Bhargav Mahesh (1978), **Modern Psychological Tests and Measurements**, Fourth Edition, Har Prasad Bhargaw, Agra, Pg. 336.
3. Elizhbeth B. Hurlock (1964), **Child Development**, Fourth Edition, Tata Mc-Graw-Hill, New York, Pg.-705.
4. Moorjani Janki Dr. (2010), Child Development, First Edition, Awishkar Publishers, Jaipur (Rajasthan), Pg. -178
5. Srilakshmi B. (2008), Nutrition Science, Third Edition, New Age International Publishers, Pg 162

Journals:

1. National Institute of Nutrition, Hyderabad, “Dietary guidelines for Indians”, *Second Edition 2010.*
2. Norbert Rego Aug 19, 2011- “Nutrition for adolescents”, Times of India : Health and Nutrition.
3. Clifford Stevenson (2007) - “Adolescents’ views of food and **eating:** Identifying barriers to healthy eating”, Journal on Adolescence available on website http:// sciencedirect.com.

****

Correlation Coefficicent Between The Nutritional Status And Socio Economic Status Of Children (0-2 Years) Of Urban Slums

Dr. Archana Mathew * Dr. Rekha Sharma **

Abstract - The correlation coefficient between the weight for height percent and socioeconomic status was calculated in urban slums of Nagpur was assessed for the present study of 36 slums of Nagpur city was selected by stratified random sampling and 516 preschool children of 0-2 years age group were purposively selected from 419 families of these slums. A questionnaire was developed to elicit information and there family structure. Present investigation are used for Age and Sex wise distribution of children, weight for height present, correlation coefficient between parent education, family income. Type of family number of family members, Birth order, Birth weight and mothers occupation.

Introduction :- The present investigation was conducted on 516 children (0-2 years) residing in urban slums of Nagpur City. The nutritional status of these children was assessed using weight for height percent criteria. The correlation coefficient between the nutritional status and socioeconomic status was calculated.

Results of the study showed an insignificant and positive correlation between weight for height percent and socioeconomic factors viz. parent's education, family income, type of family and number of family members. A significant, and positive correlation was observed with the birth Weight of children.

The birth order of children was found to be negatively correlated with weight for height percent. A significant association was observed between the weight for height percent and occupation of mothers.

Malnutrition being a reflection of unfulfilled dietary demands, it affects the most vulnerable sections of our society. It is natural to suppose that malnutrition is more prevalent among the poor sections of society due to the restrictions of dietimposed upon them by their poverty.

It is recognized that wide spread malnutrition prevalent among the poor socioeconomic groups of our population is largely attributable to economic factors.

However, it con not be denied that social and cultural factors also contribute significantly to the overall picture of malnutrition in our poor communities.

The present study was undertaken to assess the correlation between the socioeconomic factors and nutritional status of preschool children.

Methodology :-

- **Selection of area -** For the present study 36 slums of Nagpur city were selected by stratified random sampling.
- **Selection of samples -** 516 preschool children of 0-2 years age group were purposively selected from 419 famalies of these slums.
- **Collection of data :-** A questionnaire was developed to elicit information regarding socioeconomic conditions viz., parent's education, income, occupation and the family structure of children.

Anthropometric Measurements:- Weights and heights of children were taken as per Jellife (1968) . Weight for height percent was calculated using the standards given by Jellife (1968). The classification given by Tara Gopaldas and Sheshadri (1987) was followed for classifying the grades of malnutrition and is given below.

< 75 % - Severe malnutrition
75 - 84 % moderate malnutrition
85 - 90 % marginal malnutrition
>90 % -normal

Correlation Coefficient - Correlation coefficient between the weight for height percent and socioeconomic status was calculated using Product Moment formula as given by Garrett and Woodworth (1969).

Results And Discussion -

- **Age and sex wise distribution of children :** Age and sex wise distribution of children is presented in Table I . Data presented in Table I shows that out of 516 children 252 were females and 264 were males. Maximum number of children (152) were from 6-12 months of age group whereas 18 -24 months age group had only 93 children.
- **Weight for height percent -** The classification of children according to weight for height percent is presented in Table II. It is clear from the table that 49.03 % children were normal whereas 10.46 % were suffering from severe malnutrition. 18.79 % and 21.70 % children had moderate and marginal malnutrition respectively.
- **Correlation coefficient :** In the present study weight for height percent was taken as dependent variable and socioeconomic conditions viz., parent's education, family

*Prof., R.S. Govt. Girls College Chhindwara, (M.P.) INDIA ** Reader, A.S.C.R.T.M. Nagpur University, (MH) INDIA

income, type of family, number of family members, birth order, birth weight and mother's occupation were independent variables. The socioeconomic conditions of children is shown in Table III and the correlation coefficient between weight and height percent and socioeconomic conditions is presented in Table IV.

1. Parent's Education- In the present study 20.71 % fathers and 25.96 % mothers were found to be illiterate. 34.28% fathers and 30.62 % mothers had their education upto high school and only 3-4 % parents were found to be educated upto graduation.

The correlation coefficient between weight for height percent and father's education was found to be r = 0.06 whereas with mother's education it was r = 0.02. Though insignificant but positive correlation shows that as parent's education increases weight for height percent also increases.

Sunderlal and Madan (1979), Asha Arya and Rohini Devi (1991) , Gupta et ai. (1991), Sangwan et al (1993)and Chiddarwar and Durge (2000) reported a significant correlation between parent's education and malnutrition. According to Sangwan et al.(1993) educated parents take better care of children than illiterate parents .

2. Family Income - Data presented in Table III shows that 55 % families earn less than Rs. 2000 / per month whereas 33.9 % families Rs. 2001 to 4000. Only 11.04% families were found to be earning more than Rs.4000 per month. The average monthly Income of family was found to be Rs.2220. The correlation coefficient between the weight for height percent and family income was found to be r = 0.01 which was insignificant.

Though insignificant but positive correlation indicates that as family income increases rate of malnutrition decreases. Bhatt and Dahiya Saroj (1985) and Sangwan et al. (1993) stated that there is a significant correlation between per capita income and malnutrition.

3. Type Of Family-In the present study 49.4 % families were nuclear where as 24.03 % were joint. The correlation between Weight for height percent and type of family was r = 0.06. The correlation was Insignificant.

In the present study the majority of children were from the 6-12 month's age group and their share in family food was very less but they needed proper care for their growth. In joint families elderly people takes care of children which may perhaps be the reason for the positive correlation between the weight for height percent and the type of family. But Sangawan et al. (1993) and Chiddarwar and Durge (2000) found in their studies that the joint families had more number of malnourished children than that of nuclear families.

4. Number Of Family Members - In the present investigation 56.78 % families had 4-6 members where as only 6 % had more than 10 members. An insignificant, positive and negligible (r = 0.004) was observed between the number of family members and weight for height percent.

5. Birth Order - It was observed that 33.72 % children were of first birth order whereas 32.9 % of second birth order. Only 7.9 and 3.6 per cent children were from fourth and fifth birth order respectively.

An insignificant and negative correlation (r = - 0.07) was observed between the weight for height percent and birth order ie., with an increase in birth order, the rate of malnutrition also increases. Gopalan and Raghavan (1969) and Shrivastav et al. (1979) found a significsant correlation between birth order and malnutrition. Luwang (1980) found 70.8 % malnutrition in 5th birth order where as 58.3 % malnutrition in first birth order.

5. Birth Weight - The results of the present study showed that most of the children (43.9%) had their birth weight between 2-2.5 Kg whereas 27.51 % had 2.5-3 Kg. A significant and positive correlation was observed between the weight for height percent and the birth weight of children. Children with higher birth weight have lower chances of malnutrition in their later life. Bavdekar et al. (1994) stated that birth weight is a very good indicator of malnutrition. If the birth weight is less than 2500 gm, the child's growth in early childhood is impossible.

6. Mother's Occupation- In the present study 9.1 % mothers were found to be working. A significant association was observed between the weight for height percent and mothers occupation. Children of non-working mothers were found to be healthier than that of working mothers.

Sangwan et al (1993) and Chiddarwar and Durge (2000) also found that housewives had healthier children as compared to working mothers.

In the present study maximum children were from the age group of 6-12 months, who require proper care for their development. If lactating mother is working, she cannot take proper care of these children which may perhaps results in to poor nutritional status of their children.

Table I : Age & sex wise distribution of children (n=516)

S.N.	Age in Months	Females	Males	Total
1	0-6	65	83	148 (28.68)
2	6-12	79	77	156 (30.23)
3	12-18	58	61	119 (23.06)
4	18-24	50	43	93 (18.02)
	Total	252(40.83)	264 (51.16)	5.16 (100)

(Number in parenthesis indicates percent cases)

Table II : Distribution of children according to weigh for height percent (n=516)

S.N.	Age in Months	Weight for height percent			
		< 75%	75-84%	85-90%	>90%
1	0-6	27	16	22	83
2	6-12	60	25	28	96
3	12-18	9	28	43	39
4	18-24	11	28	19	35
	Total	54 (10.54)	97 (18.57)	112 (21.70)	253 (49.03)

(Number in parenthesis indicates percent cases)

Table : III. Correction coefficient between weight for height percent and socioeconomic factors.

Sr.	Socio Economic Conditions	Correlation Coefficient (r)
1	Father's education	+ 0.06
2	Mother's education	+ 0.02
3	Monthly incomeS	+ 0.01
4	Type of family	+ 0.06
5	Number of family members	+ 0.004
6	Birth order	+ 0.07
7	Birth weight	+ 0.15*

(r value at 5% = 0.88, 1% = 0.115) *-Significant

Table IV. Socioeconomic conditions of families

S.No.	Socioeconomic conditions	Per cent
1	**Father's education**	
	Illiterate	20.71
Up to primary	10.25	
Middle school	34.28	
High school	30.6	
Graduation	4.06	
2	**Mother's education**	
	Illiterate	25.96
Up to primary	11.04	
Middle school	30.62	
High school	29.26	
Graduation	3.1 0	
3.	**Monthly family income(rupees)**	
	Less than 2000	55.00
2001 -4000	33.91	
4001 and more		11.04
4	**Type of family**	
	Nuclear	49.41
Nuclear + 1 or 2 dependent		26.54
Joint	24.03	
5.	**Number of family members**	
	Less than 3	13.37
4-6	56.78	
7 and more than 7		29.83
6	**Birth order**	
	First	33.72
Second	32.94	
Third	21.70	
Fourth and above		11.62
7	**Birth weight (Kg)**	
	1.5 to 2	14.53
2-2.5	43.99	
	2.5-3	27.51
	3 and above 3	13.90
8.	**Mother's occupation**	
	Working	9.10
	Non Working	90.89

****

References:-

- Annual Report (1983) Ist Jan. to 31st Dec. 1982. Nutritional Anthroprometry of Indian Adults, National Institute of Nutrition, ICMR, Hyderabad, pp. 184-188.
- Asha arya and Rohini Devi (1991) Influence of maternal literacy on the nutritional status of preschool children. Indian journal of paediatrics 58: pp. 265-268
- Bavdekar AR etal (1994) catch growth and its determinates in LBW babies Indian pediatrics, 31: 1483-1490
- Chhidwar (2000) Assessment of nutritional status of children below five years of age. unpublished (MD) thesis, Nagpur University. Nagpur.
- Devdas R.P. et.al. (1979). Indian J. Nutr. Dietet, 16:8.
- Devdas R.P. et.al. (1983). Indian J. Nutr. Dietet, 20:71.
- Delhi oxford university press Bombay, Calcutta, Madras pp. 184-190 Gopalan, C. et.al. (2002), Nutritive Value of Indian Foods, National Institute of Nutrition, ICMR.
- Garrett and woodworth (1969) statistics in psychology and education, Vakils fefer and Simons private Ltd., pp. 168-181 Gupta MC, Mehrotra M, Arora S and Saran M (1991) Relation of childhood malnutrition of mental education and mothers nutrition related KAP, Indian Journal of paediatrics 58- 269-274 Gopalan C and Raghvan K.V. (1969) Nutrition atlas of Indian (ICMR) Hyderabad.
- ICMR (2002), Nutritive Value of Indian Foods. (Gopalan, C. et.al. eds.) NIN, Hyderabad Jellife, D.B. (1966). The Assessment of Nutritional Status of The Community, WHO Monograph Series No. 53 Geneva.
- Luwang N.C. (1980) PEN among preschool children in rural community of Manipur. Indian paediatrics XVII : 879-882NIN (ICMR) (1983) , Nutritive Value of Indian Foods. (Gopalan, C. ed.) NIN, Hyderabad.
- Prema,K. et.al. (1981), British J. of Nutrition . 45 (3) : 461-467. Sunderlal and Madam SB (1979) Impect of special nutrition program on Nutritional status of children in urban slums of Rohtac city, Indian Journal of paediatrics 26 (380) 299-302 Sangwan santosh, chhikara sudha and punia shakuntala (1993) "Factors affecting nutritional status". The Indian journal Nutric & Dietet vol-30, No-6, pp. 159-166
- Shrivastava V.K., Shrivastava B.C., Nandan D., and Bhushan V. (1979) protein energy malnutrition amongst preschool children in a rural population of lucknow, Indian pediatrics 16: 507-509 Tara Gopaldas and subadra seshadri (1987) Nutrition Monitoring and Assessment, Delhi oxford university press Bombay, Calcutta, Madras, pp.184-190.

****

Mental Helth of Women Waorking At Call Centers in India

Monika Harsha* Dr. Minakshi Mathur **

Abstract - Mental health of working women and issues related to work life balance are a significant public health concern. Women work related mental health problems are not necessarily due to biology, but rather may be due to the harsh societal psychology, complicated work life balance and poor working conditions. A sample of 200 unmarried women working in call centers are selected from different cities of India: Ahmedabad (N=50), Bangalore (N= 50), Mumbai (N=50) and Noida (N=50). Mental health was assessed by mental health inventory prepared by Jagdish & Shrivastava (1983). Most shocking finding in the present study was that none of the working women fall under very good mental health categories where as only 1% women had good mental health, 30% of women working in call centre of Noida fall under very poor and 68% in poor mental health categories, highest 88% women of Mumbai call centre had poor mental health. Though Bangalore working women were marginal where 16% fall under the average mental health category. significant difference was found in the values of mental health scale of women working in call centers, between Bangalore and Mumbai it is 2.26*, between Bangalore and Noida it is 3.71** and between Ahmasdabad and Noida it is again 2.36*.no significant difference was observed between Bangalore and Ahmadabad, Ahmadabad and Mumbai, Mumbai and Noida. There need for counseling so as to improve their mental health and work efficiency.
Keywords: Call Center, Mental Health, Work-Life Balance

Introduction- Mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community (WHO, 2007). The definition does not mention gender, however gender can and does impact on mental health. Women work related mental health problems are not necessarily due to biology, but rather may be due to the harsh societal psychology, complicated work life balance and poor working conditions. In today's era, women no longer lag behind in terms of career. Due to increase in female literacy, necessity of double income, women's increased wished for self-dependent and social recognition the employment rate of women has increased. However, women's are expected to be multitasking thus establishing balance between occupational and personal obligations. One can say that 'Nature has given women too much power, the society gives them too little'. This render them at greater risk of experiencing mental health problems compared to other members of the society.

Even it is evident in studies that in comparison with men, women suffer more significantly from the mental health problems like: - anxiety, depression and psychological stress. Reason being that women typically have to play multiple roles and shoulder the weight of various responsibilities as wives and mother, due to which their psychological demands add up. Shift work, irregular work schedule and long working hours are particularly harmful to women's mental health because women have to fulfill multiple roles and these working conditions complicate work life balance.

Besides Call center agents are always at risk. Violent, abusive or threatening incidents at workplace are more prevalent for women then for men and often result in serious and disabling psychological damage. As per Nirmal Mirza the CEO of sitagita.com, communication and self-expression are the key challenges that women working in the BPO and Call center industry still face in India. There is a general lack of confidence among women are: junior levels to speak up against issues such as 'graveyard shifts' (night shifts) and lack of adequate safety and security measures.

Thus, Women's risk factors for mental illness need to be focused more intensively for the promotion of work-life balance and prevention of mental illness and work related stress in women. Looking at the present scenario a study was undertaken to evaluate the mental health of women working in call centers with following objective.

1) To Study the mental health of women working in call centres.
2) To compare the mental health of women working in call centres of 4 metro cities i.e. Ahmadabad, Bangalore, and Mumbai & Noida.

Methodology - The sample of the present study consisted of 200 women working in call centers of (4) different cities i.e. Ahmedabad (N=50), Bangalore (N= 50), Mumbai (N=50) and Noida (N=50). The sample includes only female employees. Purposive sampling was being done. These were

***Jai Narain Vyas University Jodhpure (Raj.) INDIA**
**** Dept. of Home Science, Jai Narain Vyas University Jodhpur, (Raj.) INDIA**

the limitation in the sample selection.

1. Women were unmarried.
2. Their age was between 18-30 years.
3. Women were working in all shifts.
4. women Completed at least one year of working in call centre.

Mental health inventory - It was developed by Jadish and Shrivastava (1983) consists 55 items having six dimensions: positive self-evaluation, realistic perception, and integration of personality, autonomy, group-oriented attitudes, and environmental mastery. Reliability of the test is found at 0.75Level.

Research studies reveal that direct and adverse effect of night shift employment on the health of women. But there is also a greater acceptance of such 'non-traditional' jobs by families across a larger segment of society Singh P and Pandey A, (2005). Bhuyar P et al (2008) indicated a high proportion of workers faced sleep disturbances and associated mental stress and anxiety. Sleep disturbance and anxiety was significantly more in international call centers as compared to domestic. There was also disturbance in circadian rhythms due to night shift. Suri S and Rizvi S (2008) studied mental health of both male and female employees working on call centers. Results revealed that significant difference in stress and mental health observed with respect to both genders from domestic call centre.

Results and discussion -

Table1:- Mental Health of Women Working At Call Centers of Various Cities.

Cities	N	Very good	Good	Average	Poor	Very poor
Ahmadabad	50	0 (0)	1 2%	4 8%	42 84%	3 6%
Bangalore	50	0 0%	1 2%	8 16%	40 80%	1 2%
Mumbai	50	0 0%	0 0%	4 4%	44 88%	4 8%
Noida	50	0 0%	0 0%	1 2%	34 68%	15 30%
Total	200	0 0%	2 1%	15 7.5%	160 80%	23 11.5%

Table 1 refers the Mental Health of Women Working at Call Centers of Various Cities. Most shocking finding in the present study was that none of the working women fall under very good mental health categories where as only 1% women had good mental health, 30% of women working in call centre of Noida fall under very poor and 68% in poor mental health categories, highest 88% women of Mumbai call centre had poor mental health. Though Bangalore working women were marginal where 16% fall under the average mental health category. So it can be concluded that overall all the women working at call centers are at risk when their mental health is considered.

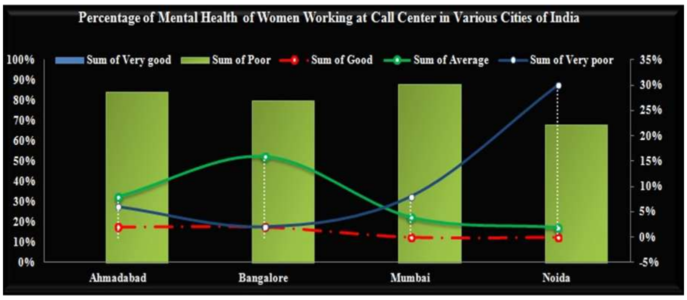

Table 2:- Values on Mental Health Scale between Women Working at Call Center of Bangalore v/s Ahmadabad

Working women	N	Mean	Std. Deviation	t
Bangalore v/s Ahmadabad	50 50	143.10 140.24	11.95 11.69	1.21ns

The table 2 shows the mean, S.D and t value of women working at call centres of Bangalore and Ahmadabad. The mean of Bangalore and Ahmadabad on mental health variable was found to be 143.10 and 140.24 respectively. The t score is 1.21 which is "not significant" at 0.05 and .01 level. From the results it can be concluded that there is as such no significant difference among women working at call centres of Bangalore and Ahmadabad was observed regarding their mental health, or it can be said that women working at call centres of both the cities are equal in respect to their mental health.

Table 3:- Values on Mental Health Scale between Women Working at Call Center of Bangalore v/s Mumbai.

Working women	N	Mean	Std. Deviation	t
Bangalore v/s Mumbai	50 50	143.10 138.54	11.95 7.71	2.26*

The table 3 shows the mean, S.D and t value of women working at call centres of Bangalore and Mumbai. The mean of Bangalore and Mumbai on mental health variable was found to be 143.10 and 138.54 respectively. The t score is 2.26 which is "significant" at 0.05 level. It shows that there is a significant difference, between Bangalore and Mumbai cities women working at call centers and Bangalore have high proactive coping and Mumbai have low proactive coping irrespective to mental health. The finding of study was

supported by studies conducted by Bhuyar P et al (2008) which indicated that a high proportion of workers faced sleep disturbance and associated mental stress and anxiety.

Table 4:- Values on Mental Health Scale between Women Working at Call Center of Bangalore v/s Noida

Working women	N	Mean	Std. Deviation	t
Bangalore				
v/s	50	143.10	11.95	3.71**
Noida	50	135.46	8.26	

The table 4 shows the mean, S.D and t value of women working at call centres Bangalore and Noida. The mean of Bangalore and Noida on mental health variable was found to be 143.10 and 135.46 respectively. The t score is 3.71 which is "significant" at 0.01 level. It shows that there is a significant difference between Bangalore and Noida cities women working at call centers and Bangalore have high proactive coping and Noida have low proactive coping regarding mental health.

Table 5:- Values on Mental Health Scale between Women Working at Call Center of Ahmadabad v/s Mumbai.

Working women	N	Mean	Std. Deviation	t
Ahmadabad				
v/s	50	140.24	11.69	0.858ns
Noida	50	135.46	7.71	

The table 5 shows the mean, S.D and t value of women working at call centres Ahmadabad and Mumbai. The mean of Ahmadabad and Mumbai on mental health variable was found to be 140.24 and 138.54 respectively. The t score is .858 which is "not significant" at 0.05 and .01 level. From the results it can be concluded that there is as such no significant difference among women working at call centres of Ahmadabad and Mumbai.

Table 6:-Values on Mental Health Scale between Women Working at Call Center of Ahmadabad v/s Noida.

Working women	N	Mean	Std. Deviation	t
Ahmadabad				
v/s	50	140.24	11.69	2.36*
Noida	50	135.46	8.26	

The table 6 shows the mean, S.D and t value of women working at call centres Ahmadabad and Noida. The mean of Ahmadabad and Noida on mental health variable was found to be 140.24 and 135.46 respectively. The t score is 3.71 which is "significant" at 0.05 level. It shows that there is a significant difference between Bangalore and Noida cities women working at call centers and Ahmadabad have high proactive coping and Noida have low proactive coping irrespective to mental health.

Table 7:-Values on Mental Health Scale between Women Working at Call Center of Mumbai v/s Noida.

Working women	N	Mean	Std. Deviation	t
Mumbai				
v/s	50	138.54	7.71	1.92ns
Noida	50	135.46	8.26	

The table7 shows the mean, S.D and t value of women working at call centres Mumbai and Noida. The mean of Mumbai and Noida on mental health variable was found to be 138.54 and 135.46 respectively.

The t score is 1.92 which is "not significant" at 0.05 and .01 level. From the results it can be concluded that there is as such no significant difference among women working at call centres of Ahmadabad and Mumbai.

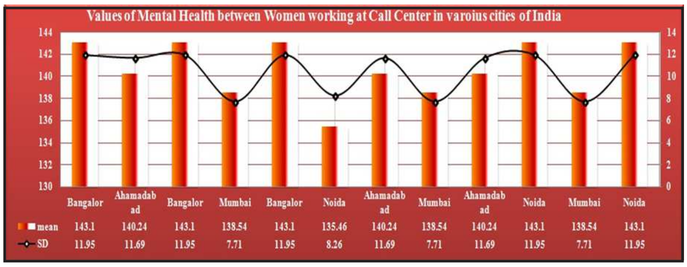

Women working at call Centers along with high salaries and attractive facilities that an ordinary graduate could never imagine in India also bring with it insecurities and vulnerabilities which are partially reflected in the high attrition rates. The women employees suffer from a number of health problems including mental health. Women adopt different ways and strategies to cope up with the high level of stress that they face, with certain degree of success. The odd working hours and the highly pressurized work environment along with the burden of western accent, changed lifestyles and the dual identities aggravates the physical and psychological health problems of the women employees. Due to the dual burden of work and family, the women are not able to get proper sleep and rest, especially the married ones. In order to work through the night women become addicted to tea, coffee and even smoking which further multiplies the health problems.

Along with the health problems, the Call Centre employment leads to social problems. The call center women are not considered as a respectable profession for women in India as it intersects with the predefined notions for Indian women's mobility. The Call Centre women not only affect the reputation of the women but also the reputation of the family and often interfere with the women's marriage prospects. The call center

employment leads to social and mental isolation of women employees from their family and social networks. Women are alienated from their family and friends, and lead a dual life as westerners by night and Indians by day. Therefore, though the call centers acts as an agent of empowering the women by making them financially independent at young age and improving their spatial and temporal mobility but it also brings with it health hazards, psychological stress and social problems. The finding of the result was supported by the study conducted by the Dudhatra and Jogsan (2012), which revealed that there is a significant difference of mental health on working and non-working women. In simple terms it can be concluded that mental health of working women is lesser than non-working women.

Refrence-

- Bhuyar Peial .(2008) Mental, physical and social health problems of call centre workers ,Volume : 17 , Issue : 1, Page : 21-25.
- Dudhatra R and Jogsan A. (20012). Mental Health and Depression among working and non-working women International Journal of Scientific and Research Publication, Vol. 2 Issue.
- Natalie M, Schmitt. (2008). Andreas Fuchs and Wilhelm Kirch Promoting Health for Working Women, pp 117-136.
- Singh P. and pandey A. (2005).women in call center. Economic and Political Weekly Vol. 40, No. 7.
- Suri S and Rizv S. (2008). Mental Health and Stress among Call Center Employees. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, Vol. 34, No.2, 215-220.
- World Health Organization. (2007).mental health. Viewed 15 November 2013.http://www.who.int/features/qa/62/en/

****

Impact of Family Enviornment on Behaviour Problems of Rag Pickers

Dr Nasreen Gazdar* Prof. Usha Kothari**

Child is associated with nature and biology. Children grow progressively and become visible as they move towards adulthood. If they are burdened in their childhood and deprived of basic necessities, their physical and mental growth is influenced. Children are universally recognized as the most important asset of any nation. Everyone has the right to an environment favourable to his physical, mental, emotional and intellectual growth and development. The functions of work in childhood ought to be psycho social development and not just economic, children's work as social good is directly opposite to child labour as a social evil (by fuller 1962).

The participation of children in economic activities have been existent in India since time immemorial in one or the other form (Singh 1990). Traditionally, help of the child was taken by parents and the other members of the family in their routine and family occupations.

Child labour is one of the faces of poverty and that many efforts over many years will be required to eliminate it completely. But there are some forms of child labour, especially girl child labour today which are intolerable by any standard. These deserve to be identified, exposed and eradicated without further delay.

Girls often experience a tension between what is demanded of them in the present day to day responsibilities, and the expectations that their parents have for their futures. The time that girls invest in domestic work in many ways shapes their future because they have less time than boys to spend developing other skills and abilities. Their eves spark with hope when they visualize a good future.

Prolonged life on the street makes the children more prone to acquire bad habits at an early age. Antisocial habits and crime so often become a part of their personality, stealing is an undesirable social behaviour but the deprived children knows that this is his only chance of a big return.

The act on aggression is a kind of need satisfying behavior. The show of aggression often makes a person feel better. It provides an outlet to pent up feelings to frustration. These children commonly are seen abusing and quarreling among themselves. One of the reasons for their aggression could be the deprivation of basic needs such aggressive acts take the shape of fixation and it becomes a part of their personality.

Family does not only provide emotional nourishment but it is also provides the environment of security family influences directly the development of personality by holding, communication and differential but just reinforcement. It also influences indirectly where family members are the persons with whom the child identifies, models after; in behaviouristic refinement, adoption of attitudes behaviour pattern, even the style of speech. The mirror image of self is gradually developed by viewing oneself through the eyes of family members.

Quarrelsome parents provide an unhealthy model and emotionally polluted environment. Poorly adjusted family members can spoil family environment.

Objectives:

1. To find out the level of behavioral problems of the Rag pickers
2. To find the pattern of family environment of the Rag pickers

Methodology

A incidental purposive sample of 100 rag pickers, aged 8-14 years of studied, within the municipal limits of Jodhpur City, Rajasthan.

Tool

To investigate the behaviour problems and family environment, these scales and standards were used

(a) Child Behaviour Checklist of Achenbach T.M. and Rescorla L.A. (2001). ASEBA School Age forms and Profiles were used.

(b) Family Environment Scale (FES) of MOOS adapted by Joshi and Vyas (1996) was used.

Procedure: After the selection of the rag pickers localities, the family environment scale, child behaviour checklist was administered on the selected sample. They were taken individually and in small groups.

Analysis of Data

The overall analysis of percentage was attempted from data obtained from all the samples. The samples were analyzed into distinguishable categories in each area and then factor wise mean scores were tested for the significance difference by't' test at 0.05 and 0.01 level of significance. Similarly to find out the various relationships of different groups the product moment correlation was used.

Results:

Family Environment

In the present investigation family environment scale of Joshi

***Faculty, ** Prof. Department of Home Science, Jai Narain Vyas University Jodhpur (Raj.) INDIA**

and Vyas was used. These consist of 10- subscale of three dimensions each but for the present investigation only four sub scales were used. All these four subscales reveal the interaction among the family members.

Table: Percentage of Rag Pickers on family environment scale

Rag Pickers	Cohesion	64.0%	22.0%	14.0%
	Conflict	29.0%	50.0%	21.0%
	Achievement Orientation	41.0%	21.0%	38.0%
	Control	56.0%	37.0%	7.0%

Overall data in above table reveals the percentage of girls on family environment scale. It can be concluded that in the present sample rag pickers are below average on cohesion. Rag pickers feels more frustrated in the home and spend more time involving her in busy task. As the girl do not want to go home and works all the day there is no competitive framework in the family and they are unaware of new activities going around them. The head of the family is the eldest male. Whenever they are at home, they have to follow rules and regulation of the head of the family. In such circumstances the head of the family controls the family. There is lot of conflict in the family of factory workers causing tension at home which makes them frustrated.

Achievement orientation is below average in rag pickers and factory workers. They are having fewer skills for competitive framework because of lack of exposure. As they belong to extremely poor family. They are not anxious to be independent and self-reliant which is necessary for the development of need on achievement. They are worried about their everyday living

Behaviour Problems

In the present investigation questionnaire of 112 items was used which covers the different aspects of behaviour problems. Present investigation clearly indicate that more behaviour problem have been seen in rag pickers.

(a) Withdrawn/Depressed

The inference that can be drawn from the above data that more or less all the rag pickers have shown similar kind of withdrawn behaviour. They enjoy little, prefer to be alone, sometime secretive i.e. they do not express their feelings, shy, withdrawn and moody.

(b) Somatic Complaints

Rag pickers are above average on percentage norms as well as have high mean. They differ significantly. This highlights that rag pickers are suffering severely from eye problem, nausea, skin diseases, stomach ache etc.

(c) Anxious Depressed

Rag pickers have equal causing effect on Anxious Depressed behaviour

Social Problems

The results, in general reveals that rag pickers are more jealous to each other, gets more hurt, prefers to be young, feel lonely etc.

(d) Thought Problems

The results reveals that majority of the rag pickers have demonstrated strange behaviour, sleeplessness, harm themselves, see things of others anxiously, hears things of others deeply, picks skin, mind get off etc.

(e) Attention Problems

The result reveals that in present samples of rag pickers create significance differences. Rag pickers are above average. It shows that concentration is less, inattentive, confused, acts young, day dreaming, poor schooling can be seen in rag pickers,.

(f) Rule Breaking Behaviour

The results reveals that rag pickers have no guilt, bad friends, tell lies, cheats, prefer to play with elder, run away from home, steal things from home and outside, eat tobacco, swears, breaks rules etc. It signifies that rag pickers are more rules breaking

(g) Aggressive Behaviour

Rag pickers have scored higher mean and are above average on aggressive behaviour i.e. they argues, screams loudly, mood changes, destroy own and other things, stubborn, teases, fights and suspicious. It shows that rag pickers are more aggressive.

The hypothesis on Behaviour Problems is also accepted

Table: 1

Correlation of Rag Pickers on Family Environment Scale and Child Behaviour Checklist (See Table: 1)

Rag Pickers

Cohesion with other factors:

Subscale of Achievement Orientation ($r=.432$, $p<0.01$), Rule breaking behaviour ($r=.167$, $p<0.05$) are significantly and positively correlated. It means that if the family is concerned, the child is achievement oriented and will not have bad habits like stealing, sniffing tobacco.

Conflict with other factors:

Subscale of Control ($r=0.323$, $p<0.01$) and Aggressive Behaviour ($r=.194$, $p<0.05$) are significantly and positively correlated where as significant and negative correlation is found with sub-scale of Rule Breaking Behaviour ($r=.177$, $p<0.05$). It can be interpreted that if there is conflictual interaction in the family then these rag pickers will be

aggressive and have display behaviour which are antisocial.

Achievement Orientation with others factors:

Sub scale of Withdrawn/Depressed Behaviour (r=.166, p<0.05) and Thought Problems (r=.227, p<0.05) are significant and positively correlated whereas significant and negative correlation is found with sub scale of Control (r= -0.230, p<0.05). It shows that these rag pickers are achievement oriented, are friendlier and share their feelings with the family members whereas the family also have rigid rules, procedures and order each other around.

Control with other factors:

None of the factor is significantly correlated.

Withdrawn/Depressed with other factors:

Sub scale of Social Problems (r=0.241, p<0.01) and Somatic Complaints (r=.222, p<0.05) are significantly and positively correlated which means that these rag pickers who are shy, secretive, lacks energy then they will also have social problems and have nightmares and tiredness etc.

Somatic Complaints with other factors:

Subscale of Attention Problems (r=0.267, p<0.01) is significant and positively correlated whereas Anxious/Depressed (r=0.258, p<0.01) are significantly and negatively correlated, indicating that these rag pickers who have headaches, nausea, eye problems and sometimes inattentive, confused, daydreams. This may leads to the feeling that they are unloved, worthless and talks to do suicide.

Anxious/Depressed with other factors:

Subscale of Thought Problems (r=0.292, p<0.01) is significant and positively correlated. It means that if these rag pickers feel that they are unloved, worthless then they will show strange behaviour.

Social Problems with other factors:

None of the factor is significantly correlated.

Thought Problems with other factors:

None of the factor is significantly correlated.

Attention problems with other factors:

Subscale of Rule Breaking Behaviour (r=0.283, p<0.01) is significantly and positively correlated. It means that these rag pickers who are confused, impulsive, and inattentive then they may have problem like cheating, telling lies, break rules at home and outside and sometimes run away from home.

Rule Breaking Behaviour with other factors:

None of the factor is significantly correlated.

Aggressive Behaviour with other factors:

None of the factor is significantly correlation.

From the findings it could be summarized that:

Girl child health covers mortality, morbidity, nutritional status and reproductive health. Linked to these are environmental degradation, violence and occupational hazards, all of which have implications for girl health. The health of Indian girl child is intricately related to the socio-economic status of the households to which they belong.

Constant physical and mental strain and living in environment least protected against health hazards makes rag pickers highly prone to infectious disease. Lack of proper medical care or disabilities at very tender age; they start consuming tobacco, alcohol or even drugs, which retard their physical growth. Several kinds of skin diseases like scabies and ulcers are common among rag pickers. They pick up infections while collecting used papers, tins, plastics and rags from garbage dumps. Eating disorders and malnutrition also develop as these rag pickers often pick leftover food and eatables that too at odd times.

A problem occurs whenever there is disequilibrium between the physiological characteristics of the child and characteristics of the environment. In other words when a child is not in a position to fulfill the demands of the surroundings or vice-versa, then the problem occurs.

Findings of the present investigation clearly indicate that Rag pickers have more serious behaviour problems. More problems can be seen like arguing, screaming, telling lies, jealous, disobedient, fights, day dreaming, hyperactive and dependent characteristics can be seen in rag pickers. It does not mean that these girls child labourer have no problems, rather both complain of problems like stomach ache, skin problems, overtired, prefer to play with young etc.

Sometimes, certain problems among the girl child labourer are because of parent's attitude towards them. Behaviour of parents emanating from the aforesaid erroneous beliefs and incongruent parings of kindness, unkindness and firmness, non - firmness give rise to maladjustive development in the off springs.

The parents should socialize them in such a way that they learn to control their emotions and their raw expressions, especially highly negative emotions, such as anger, or temper tantrums, anxiety and depression. Emotional expression or innate and occur naturally, while thinking and reasoning develop gradually. They become angry or engaged because of non-fulfillment of desire, which leads to frustration that get transformed into anger, bitterness as well as aggression in such as conditions parents have to play a different role. In order to control ones child's anger one has to maintain ones cool and guide the girl child and save her from travails of frustrations and learn to control reactions in a rational manner. In the families of the rag pickers father is head of the family. They have less conflict in the family. But due to strict rules in

the family they spent most of the time outside home. They are not anxious to be independent and self-reliant which is necessary for the development. They are having fever skills for competitive framework because of lack of exposure.

This research will develop a theoretical perspective to get better insight into the problems of girl child labourers. Hence a growing body both at national and international level will focus on the girl child rights to survival, health care, nutrition, education social opportunities and protection. Strict implementation of laws will serve as an important preventive measure. This research will guide that this is the responsibility and concern of everyone. Only a concerted mobilization and action by all can help to create new environment for the girl child labour and help her to awaken to new dawn.

Reference:

1. Caroline Hunt; Child waste pickers in India; the occupation and its health risks. Environment and Urbanization, vol 8, No. 2 October 1996.
2. Child Protection, UNICEF, 2004
3. Dorothy Roight "Ride with the Sun" - United Nations Children's fund booklet. McGraw - Hill Book Co.
4. In the Age of play-education girls are doing child labour lok dasha 16 March, 2006.
5. India: Thousands of Girl Child Labourers marched to Parliament Wed., March 23, 2005.
6. India Together: The lucky rag picker. December 2004.
7. India Together: Whose garbage is it, anyway?-07 January 2005.
8. Malik Sarmila et. al; Some Socio-Economic Determinants and working Environmental Conditions of child labourers in a slum Area of Kolkata. Indian Journal of community Medicine vol 27, No. 4 (2002-10-2002-12).
9. Survey done by labour court, Jodhpur 2006.
10. World Day Against Child Labour; New ILO report highlights plight of children in domestic labour. 11 June, 2004.

Table: 1

Correlation of Rag Pickers on Family Environment Scale and Child Behaviour Checklist (See Table: 1)

	Family Environment				Child Behavior Checklist							
	C	CO	AO	CON	WD	SC	AD	SP	TP	AP	RB	AB
C		0.011	0.432**	-0.147	0.164	0.110	-0.159	0.039	0.052	0.114	0.167*	-0.91
CO			-0.015	0.323**	0.038	-0.018	0.118	0.113	0.115	-0.177*	-0.085	0.194*
AO				-0.230*	0.166*	0.119	0.138	0.097	0.227*	0.043	0.050	-0.051
CON					-0.051	-0.122	0.076	0.067	0.081	-0.080	0.029	-0.014
WD						0.222*	0.108	0.241**	-0.093	0.038	0.032	0.034
SC							-0.258**	0.041	-0.113	0.267**	0.161	0.063
AD								-0.095	0.292**	-0.026	-0.139	0.087
SP									0.075	-0.098	-0.022	0.122
TP										0.003	-0.093	-0.043
AP											0.283**	0.005
RB												0.077
AB												

Psychological Counseling Needs of Adolescents

Dr. Chandra Kumari * Smita **

Abstract - The study "Psychological Counseling Needs of Adolescents" was conducted with the objectives: to study the psychological counseling needs of adolescents; to plan, organize and conduct psychological counseling intervention for respondent on the basis of their needs. The study was conducted on 189 adolescents (89 boys and 100 girls) in Tonk distt. Rajasthan."Psychological Counseling Needs Scale" developed by Dr. VijayaLaxmiChouhan and Mrs. GunjanGanotraArora was used for data collection. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and t-ratio. Results show that there was no significant difference in the psychological counseling needs of boys and girls. Several personal problems and few psychological counseling needs emerged which needs counseling. The investigator has proposed a twelve days psychological counseling intervention on the request of respondents.

Adolescence, the transitional stage of development between childhood and adulthood, represents the period of time during which a person experiences a variety of biological changes and encounters a number of emotional issues. The chronological definition of adolescence vary according to culture, and ranges from preteens to early twenties. According to the World Health Organization (WHO), adolescence covers the period of life between 10 and 20 years of age. Adolescence is often divided by psychologists into three distinct phases: early, mid and late adolescence.

Adolescence is the critical period developmentally in the lifespan, particularly in terms of factors that influence mental health and wellbeing. In all developmental domains - social, emotional, physical and cognitive - major changes occur that affect outcomes in adulthood. The impact of psychological problems at this stage of life can be profound (Kosky& Hardy, 1992). Even a relatively mild mental health problem can cause social, emotional, or cognitive changes that have a major effect on later adult life. During adolescence, young people separate from their parents, establish an independent identity, make educational and vocational decisions, from intimate relationship, and develop peer group affiliation: all of these processes have major long term influences on the individual. If educational and vocational achievements are disrupted by a psychological problem, opportunities in adulthood can be adversely affected (Kessler et al, 1995).

Psychological counseling needs in Indian context emerge against the background of tremendous social change (Arulmani, 2007). The scientific and technological advances coupled with the last ten years of economic reforms have enhanced the pace of these changes and transformed lifestyle. For most people the pace of change is simply too fast and creates serious problems of adjustment (Rao, 1950). Many people no longer stay in supportive communities bound together by religious faith and beliefs. They live in fragmented societies, alienated from their surroundings and each other. The world horizon has expanded; the cities where they live are large and impersonal. They take their problems to a place where they feel they will be listened to and where their thoughts and feelings are regarded as important (Milne, 2003). (Gibson and Mitchell, 2003) has classified three categories of adolescent problems or counseling need areas: first; developing as a social being including problem of one to one relationships particularly dating, love, sex, marriage, etc. It also involves group living, acceptance and in general the development of human relationship skills. Second; developing as a unique being. They develop their own value system, are concerned with the development of their uniqueness and also about. Third; developing as a positive being. They are concerned about educational adjustment and achievement, their career decision, future education, impending financial needs and employment prospects..

Counseling intervention can be defined as a relatively short term interpersonal theory based process of helping persons to become psychologically healthy and resolve developmental and situational problems. It is a process of assisting and guiding clients by a trained person on a professional basis to resolve person's social or psychological problems. During this process, a person (client) who is basically psychologically healthy but facing adjustment, developmental or situational concerns or problems is empowered to gain awareness of him/herself and of his/her situation and to make decisions through the support and assistance offered by another person (counselor) through their relationship.

The need for counseling has become paramount in order to promote the well-being of the child. Effective counseling should help to improve the self-image of young people and facilitated achievement in life tasks.

Objectives Of The Study

- To study the psychological counseling needs of adolescents

*** Associate Professor, Home Science Department (Human Development) Banasthali Vidyapith, Rajasthan (INDIA)**
**** Research Scholar, Home Science Department (Human Development) Banasthali Vidyapith, Rajasthan (INDIA)**

- To plan, organize and conduct psychological counseling intervention for respondents on the basis of their needs

Methodology

The study was conducted in the school of boys and girls, tonkdistt,RajasthanA preliminary survey was conducted in tonkdistt to selecteligible subjects for the study. For time purpose, the Districteducation officer of girls & boys schools was contacted inorder to get the list of the secondary schools students. Adolescents (boys and girls) were selected from school. A total sample comprising of 189 adolescents (89 boys and 100 girls) each belonging to 13 to 18 years were selected using random sampling technique. "Psychological counseling needs scale" developed by Dr. Vijaya Laxmi Chouhan and Mrs. GunjanGanotraArora, tool used for the students.This scale is a five-point scale. The items can be responded to by choosing from options: always, often, sometimes, rarely and never. The minimum score on the scale is 25 and the maximum score is 125. After the computation calculated and interpreted as very low, low, average, high or very high psychological counseling needs.Further analysis and interpretation of data is done as followed:-

i. Frequency and percentage
ii. Mean and S.D
iii. Range
iv. t-ratio

Results And Discussion

The results and discussion are presented under the following subheads

a. psychological counseling needs of adolescent
b. Psychological counseling intervention for respondents based on their needs

Study of the psychological counseling needs of adolescents

Table 1: Frequency and percentage distribution of respondents on psychological counseling needs of adolescents

S. No.	Percentiles scores	Psychological counseling needs	Score awarded	Frequency and percentage	
				Boys (N1=89)	Girls (N2=100)
1	Up to 20 percentiles	Very low	25 - 71	36 (40.44%)	44 (44%)
2	21-40 percentiles	Low	72 - 75	14 (15.73)	20 (20%)
3	41-60 percentiles	Average	76 - 79	14 (15.73%)	19 (19%)
4	61-80	High percentiles	80 - 83	12 (13.48%)	11 (11%)
5	81 and above percentiles	Very high	84 - 125	13 (14.60%)	6 (6%)

Table1: showed that 40.44% boys and 44% girls had very low psychological counseling needs; 15.73% boys and 20% girls under the score range 72-75 shows low psychological counseling needs; 15.73% boys and 19% girls had average psychological counseling needs; 13.48% boys and 11% girls had high psychological counseling needs; 14.60% boys and 6% girls had very high psychological counseling needs.

Table 2: Mean score, standard deviation and t-ratio on psychological counseling needs among boys and girls

S. No.	Respondents	Mean	Standard deviation	t-ratio
1	Boys (N=89)	73.75	8.75	
	Girls (N=100)	72.14	8.02	1.31 NS

NS = not significant

Table 2: Shows the mean score, standard deviation and t-ratio on psychological counseling needs. The mean for psychological counseling needs for boys are 73.75 with the standard deviation of 8.75 where as the mean for girls is 72.14 with the standard deviation of 8.02.

The calculated t-value 1.31 is not significant evaluated at 0.01% or 0.05% which showed that there is no significant difference on psychological counseling needs among boys and girls.

B. Psychological counseling intervention module for respondents based on their needs Based on significantly emerged psychological counseling needs, psychological counseling intervention was planned for the respondents. (See Table Back Side)

Main findings

- In this study found that 40.44% boys and 44% girls had very low psychological counseling needs; 15.73% boys and 20% girls under the score range 72-75 shows low psychological counseling needs; 15.73% boys and 19% girls had average psychological counseling needs; 13.48% boys and 11% girls had high psychological counseling needs; 14.60% boys and 6% girls had very high psychological counseling needs.
- The mean for psychological counseling needs for boys are 73.75 with the standard deviation of 8.75 where as the mean for girls is 72.14 with the standard deviation of 8.02. The calculated t-value 1.31 is not significant evaluated at 0.01% or 0.05% which showed that there is no significant difference on psychological counseling needs among boys and girls.
- Psychological counselingintervention program for 12 days was planned. And it is being applied on the students for their needs.

Conclusion

- Unprecedented economic and social changes have over the years, changed the ways in which we manage our lives. Consequently, not all the lessons of the past can effectively deal with the challenges of modern times. Effective counseling, especially in institutions of learning

has now become important. Boys and girls, and young men and women, need to be guided in the relationships between health and the environment, earning skills, knowledge and attitudes personal problems, psychological needs that lead to success and failure in life.

- It would help parents and teachers to provide a better and secure life to adolescents in future by meeting their psychological needs.

References

- Agarwal JC. (1992). Educational Research - An Introduction. New Delhi: Arya book Depot. 22 - 25.
- Ahuja R. (2000). Research Methodology. Jaipur: Rawat Publishing House. 24 - 28.
- Arulmani G. (2007). Counseling psychology in India: At the confluence of two traditions. Applied Psychology, 56(10), 69 - 82.
- Best JW, Khan JV. (1992). Research in Education. New Delhi: prentice Hall of India Private Limited. 36 - 39.
- Blocher, D.H. (1996).Developmental Psychology. New York: The Ronald Press.
- Feldmam, S.R. (1994). Essentials of understanding psychology (Ed.2). New Delhi: McGraw Hill, Inc: 304 - 318.
- Gibson, R.L. and Mitchell, M.H. (2003).Introduction to Counseling and Guidance. New Delhi: Prentice Hall.
- Good M, Halt k. (1997). Research Methodology. New Delhi: IBH Publication. 65 - 71.
- Milne, A. (2003). Teach Yourself Counseling. London: Hodder Arnold.
- Rao, S.N. (1995). Counseling and Guidance. New Delhi: Tata McGraw - Hill.

Table 3: Psychological counseling intervention module

Session	Time	Area	Content	Technique	Profession-als
Ist and IInd	10-11 am		Orientation of respondents and rapport building		Investigator
IIIrd	10-11 am	Physical defects	Motivation Self awareness Develop positive attitude Positive attitude towards body image Acceptance attitude, Enhancing problem solving skills, Physical exercise	Behavioral therapy	Health counselor
IVth	10-11 am	Sex inappppropriate body build	Healthy and balance diet Fitness activities, Proper schedule Relaxation activities , Parental support Correct role model	Behavioral therapy	Psychologist
Vth	10-11 am	Failure to make the psychological transition to maturity	Develop self concept Behave according to age Socially approved behavior Motivate to indulge in interaction	Family therapy Cognitive therapy	Psychologist
VIth	10-11 am	Immature social behavior	Engage in different activities Motivate to share their problem Influence in peer group Teaching social skills Adjustment Different social settings	Family therapy Play therapy Mental health counseling	Psychologist
VIIth	10-11 am	Inappropriate sexual behavior	Improve social interaction Develop self concept, Awareness about self Develop moral ethics Different type of sex inappropriate behavior Take the help of psychologist	Behavior therapy Role play	Psychologist
VIIIth	10-11 am	Immature moral and ethical behavior	Improve social interaction Importance of moral and ethics for individual life Provide information about better life	Family therapy Behavior therapy	Psychologist
IXth	10-11 am	Poor family relationship	Supportive environment Normalize the reaction in the family situation Engage social activities, Copup from crises Influence of social and economic change	Behavior therapy Family therapy	Family counselor
Xth	10-11 am	Various developmental needs	Educational adjustment and achievement Socially responsible behavior Emotional independence, Physical appearance Ethical system as a guide to behavior, Dession making	Cognitive therapy	Psychologist
XIth	10-11 am	Eating disorder	Importance about nutrition, Importance about fitness Benefits of healthy foods, Provide information about healthy life pattern, Bad effects of fast foods		Health counselor and Nutritionist
XIIth	10-11 am	Follow up services	Evaluation whether respondent has achieved the desired changes		Investigator

कुपोषित बालक-बालिका का पोषण स्तर एवं उनकी माताओं का पौषणिक स्तर

नसरीन-रहमान शेख * कु. अनिता सोलंकी **

प्रस्तावना:- कुपोषण एक बहुत ही गंभीर समस्या है इसका सबसे बुरा असर 0 से 5 वर्ष के बालक बालिका पर पड़ता है बचपन में कुपोषण मुख्यत: बालक-बालिका के आहार संबंधी जरूरतों के बारे में परिवार और समुदाय को सही जानकारी न होने के कारण होता हैं। सही समय पर अगर बालक बालिका की उचित देखभाल नहीं की जाए तो कुपोषण की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। एन्टीबायोटिक के अविष्कार ने बहुत से रोगों पर विजय पा ली है गंभीर रोगों की गंभीरता में कमी ला दी है परन्तु कुपोषण आज भी विकासशील एवं विकसित राष्ट्रो की एक ज्वलंत समस्या बना है।

भारत वर्ष में लगभग दस लाख से अधिक बालको की मृत्यु प्रतिवर्ष कैलोरी प्रोटीन कुपोषण के द्धारा होती है। भारत में 1 से 5 वर्ष की आयु तक लगभग 80 प्रतिशत बालक बालिका कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषण के मामले भारत में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से आगे है।

सन् 2009 में मध्य-प्रदेश में केवल सतना जिले में कुपोषण से 4 महिने में 28 बच्चे मरें (इंडोएशियन न्यूज सर्विस) कुपोषण एक समस्या है इसमें 1 से 5 वर्ष के बालक बालिका सर्वाधिक प्रभावित है कुपोषण का प्रभाव बाल्यावस्था में अधिक पड़ता है। कुपोषण मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी से होता है। जैसे- प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पूर्व बाल्यावस्था मे अपर्याप्त आहार से उत्पन्न हाने वाली एक गंभीर समस्या है जो बहुत से रोगो को जन्म देने का मूल कारण मानी जा सकती है। मुख्य रूप से क्वाशिऑरकर प्राटीन की कमी से देखा जाता है।

मरास्मस- प्राटीन एवं उर्जा दोनों की कमी के परिणामस्वरूप दिखाई देता है। कुपोषण होने के कारण बालकों का विकास ठीक गति से नहीं हो पाता है। शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास आदि भी कुपोषण से प्रभावित होता है एवं प्रत्यक्ष रूप से बालको की बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में बालकों की सोचने, समझने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है।

कुपोषण के सामान्य लक्षण -

(1) बालक सुस्त,चिड़चिड़ा और उदास दिखाई देता है और प्राय:रोता रहता है।

(2) उसका वजन नहीं बढ़ता।

(3) उसका वजन घटने लगता है।

(4) उसका कद बढ़ना कम हो जाता है।

(5) बालों का रंग भूरा और जींभ व होठों का रंग फीका हो जाता है।

कुपोषण के परिणाम- शारीरिक एवं बौद्धिक विकास में ठहराव कुपोषण का प्रभाव बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है।

बीमारियाँ - सामान्य बालक-बालिका की तुलना में कुपोषित बालक-बालिका में संक्रामक रोग होने की संभावना 14 गुना ज्यादा होती है।

कुपोषण से बचाव - टीकाकरण

टीकाकरण सूची

	जन्म	1 1/2 महीने	2 1/2 महीने	3 1/2 महीने	9 महीने	18-24 महीने	5-6 वर्ष
बी.सी.जी	1 टीका						
डी.पी.टी		1 टीका	2 टीका	3 टीका		बूस्टर टीका	
पोलियों की बुंदे	खुराक 0	खुराक 1	खुराक 2	खुराक 3		बूस्टर	बूस्टर
खसरा एवं विटामिन ए की खुराक					1 टीका आधा चम्मच 1 मि.ली.		
डी.टी. टीका							बूस्टर टीका

सही समय पर बच्चों को सम्पूर्ण टीकाकरण करवाये टीकाकरण से बच्चों को कोई जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है नौ दस महीने से बड़े बच्चे का भी पूर्ण रूप से टीकाकरण किया जा सकता है। कुपोषित बालकों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है तथा कुपोषण से बचाव किया जा सकता है।

कुपोषण से बचाव विटामिन 'ए' - ''बालक बालिका की आँखों को स्वास्थ बनाओ, विटामिन ए की खुराक हर 6 माह मे पिलाओं

विटामिन ए की खुराक कितनी पिलाए

उम्र	खुराक की मात्रा
9-12 माह	1/2 चम्मच या एक मि.ली. या 100,000 आई.यू.
1-5 वर्ष	1 चम्मच या दो मि.ली. या 200,000 आई यू

बालक-बालिका के पाँचवे जन्मदिन तक विटामिन ए की कुल 9 खुराक मिल जानी चाहिए हर 6 माह पर उम्र के अनुसार एक खुराक मिलाएँ। विटामिन ए की जरूरत को पूरा करने के प्रतिदिन लगभग एक बड़ी चम्मच (17 ग्राम) हरी पत्तेदार सब्जियों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।

पोषक तत्वों की तालिका

क्र.	पोषक तत्व	आयु वर्ग 3-5 वर्ष के बच्चों के लिए
1.	उर्जा कि. कैलोरी	1690
2.	प्रोटीन (ग्राम)	30
3.	कैल्शियम (मि.ग्रा.)	400
4.	लोहतत्व (मि.ग्रा.)	18
5.	विटामिन ए ग्राम रेटिनाल या कैरोटिन	400 या 1600

कुपोषित बालक-बालिका के लिए संतुलित आहार की तालिका

क्र.	भोज्य पदार्थ	मात्रा	माप
1.	अनाज (गेहुँ, बाजरा, चावल,सूजी आदि)	150-200 ग्राम	3 से 4 चपाती के बराबर कोई भी अनाज
2.	दाले (कोई भी दाल)	30-40 ग्राम	1 बड़ा साईज पकी कटोरी
3.	हरे पत्ते की सब्जी	75 ग्राम	1 बड़ा चम्मच पकी हुई
4.	आलू/अरवी/शकरकंद एवं अन्य सब्जी	100 ग्राम	1 कटोरी पकी हुई सब्जी

* प्राध्यापक, शा.कन्या महा. बड़वानी ** पी.एच.डी शोधार्थी (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शा.स्ना. कन्या महा. मोती तबेला इन्दौर (म.प्र.) भारत

5.	फल	100 ग्राम	एक कोई भी मौसम का फल
6.	दूध / दही /कस्टेड / खीर	500 ग्राम	2 कप
7.	अण्डा (यदि खाते हो तो)	50 ग्राम	एक
8.	चिकनाई घी, तेल	25 ग्राम	5 छोटा चम्मच
9.	गुड और चीनी	30 ग्राम	6 छोटा चम्मच

संतुलित आहार से भी कुपोषित के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता हैं -

पूर्व बाल्यावास्था के बालक-बालिका के लिए पोषण स्तर:-

पोषण स्तर का तात्पर्य- पोषण स्तर से तात्पर्य एक ऐसे पोषण स्तर से है जिसमें बालक बालिका के लिए भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की मात्रा आवश्यकता अनुसार उपस्थित ही भोजन मे उपस्थित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर को पोषण प्रदान करते है। पोषक तत्व कहलाते है। वास्तव में शरीर के निर्माण सर्वधन एवं समुचित विकास के साथ-साथ हमारे शरीर को स्वास्थ बनाये रखने के लिए आहार में जिन मूल तत्वों का होना आवश्यक है। उन्हे पौष्टिक तत्व कहते है। शरीर की आवश्यकताओं की दृष्टि से भोजन मे लगभग 50 रासायनिक पदार्थो का समावेश होता है।

ये पौष्टिक तत्व प्रमुख्त: 6 होते है।

1. प्रोटीन 2. कार्बोहाइड्रेट
3. वसा या लिपिड़ 4. विटामिन्स
5. खनिज तत्व 6. जल

विभिन्न भोज्य पदार्थो में इनकी मात्रा तथा गुणात्मकता में अंतर पाया जाता है। कुछ भोजन में कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा मे होते है।

अध्यनन के उद्देश्य:- कुपोषित बालक-बालिका एवं उनकी माताओं के पोषाणिक स्तर में संबंधो का अध्ययन''

अध्ययन की उपकल्पना:- कुपोषित बालक-बालिका एवं उनकी माताओं के पोषणिक स्तर में अंतर होगा।

पूर्व बाल्यावस्था मे बालक-बालिका को पौषणिक आवश्यकताये

कैलोरी (उर्जा)	1465 किलो कैलोरी प्रतिदिन
प्रोटीन	26 ग्राम प्रतिदिन
वसा	25 ग्राम प्रतिदिन
कैल्शियम	400 मि.ग्राम प्रतिदिन
आयरन	15 मि.ग्राम प्रतिदिन
विटामिन ए (रेटिनाल)	400 मि.ग्राम प्रतिदिन
कार्बोहाइड्रेट	155 ग्राम प्रतिदिन
विटामिन सी	30 ग्राम प्रतिदिन

पूर्व बाल्यावस्था के बालक-बालिका की माताओं का पोषणिक स्तर -

पूर्व बाल्यावस्था के बालक-बालिका की माताओं का पोषण स्तर उनकी कार्य शैली से पता लगाया जा सकता है। माताओं की पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिसमें माताओं के पोषण स्तर के साथ-साथ बालाको के पोषण स्तर मे सुधारा जा सकता है। हर माताओं की पोषणिक आवश्यकताएँ अलग-अलग होती है। किसी की ज्यादा तो किसी की कम यह उनके कार्य भार से पता लगाया जा सकता हैं। माताओं के पोषण स्तर को जानने का एक डाइट सर्वे होता है। इसमें माताओं के द्वारा दिन भर में लिया जाने वाले आहार का किया जाता है। यह सर्वेक्षण कम से कम तीन दिन या अधिकतम 7 दिनों का किया जाता है। इसमें दिन भर में ली जाने वाले भोज्य पदार्थो की मात्रा निकाल ली जाती है। फूड कम्पोजिशन टेबल का प्रयोग करते हुए इन भोज्य पदार्थो का पोषण मूल्य भी निकाल लिया जाता है। इस तरह के आहार सर्वेक्षण से आहार में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के विषय मे पता चलता है।

हल्का, साधारण व भारी कार्य करने वाली माताओं की पोषणिक आवश्यकता

माताओं की क्रियाशीलता के अनुसार पौष्टिक तत्वो की तालिका

पौष्टिक तत्व	हल्का कार्य	साधारण कार्य	भारी कार्य
कैलोरी (कि.ग्राम)	1875	2225	2925
प्राटीन (ग्राम)	50	50	50
कैल्शियम (ग्राम)	0.4	0.4	0.4
लोह तत्व (मि.ग्राम)	30	30	30
वसा (ग्राम)	20	20	20
जीवन सत्व अ (माइक्रोग्राम)	600	600	600
कैरोटिन (माइक्रोग्राम)	2400	2400	2400
जीवन सत्व सी (मि.ग्राम)	40	40	40
थायमीन (मि.ग्राम)	09	1.1	1.2
पोषक तत्व राइबोफ्लेविन (मि.ग्राम)	1.1	1.3	1.5
निकोर्टिनक एमिड (मि.ग्राम)	12	14	16
एस्कार्बिक एमिड (मि.ग्राम)	40	40	40

एवं अधिक क्रियाशील माताओं को अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है। अत: उसके भोजन मे कर्बोज तथा वसा युक्त भोज्य पदार्थ अधिक होना चाहिए। कम क्रियाशील माताओं के लिए जो मानसिक श्रय अधिक करती है उन्हें अधिक प्रोटीन तथा सम्पूर्ण प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन्हें अधिक कार्बोज वसा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये माताये शारीरिक श्रम नहीं करती है। जो माताएँ घरों मे बैठे-बैठे काम करती है इसलिए अधिक वसा कार्बोज युक्त भोजन इनका वनज बढ़ा देगा। इसलिए इन माताओं को वसा, कार्बोज भोजन कम मात्रा में लेना चाहिए।अत: इन माताओं को अधिक लोह लवण प्राप्ति के लिये हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग अधिक करना चाहिये। आर्थिक स्थिति के अनुसार मौसमी तथा सस्ते पौष्टिक भोज्य पदार्थो का प्रयोग कर पौष्टिक तत्वों की माँग पूरी की जा सकती हैं।

1. **हल्का कार्य -** इसमें वे मातायें आती है जो गृहणी नर्स, शिक्षक, दर्जी, क्लर्क व अफसर इसी वर्ग के अन्तर्गत रखे जाते है।
2. **साधारण कार्य -** इसमें घर पर कार्य करने वाली नौकरानी, टोकनी बनाने वाली तथा खेती मे श्रम करने वाली मातायें आती है।
3. **भारी कार्य -** इसमें वे मातायें आती है जो प्रमुख रूप से पत्थर फोड़ने में लगी माताये इस वर्ग के अन्तर्गत आती है।

खाद्य पदार्थों की दैनिक प्रस्तावित मात्रा ICMR1981 (खाद्य पदार्थ ग्राम प्रति दिन माताओ के लिए खाद्य पदार्थो की तालिका)

खाद्य	अनाज	दाले	हरी पत्तेदार सब्जी	अन्यँ सब्जिया	कंद मूल	दुध	तेल व घी	गुड व शक्कर
हल्का कार्य	410 k.g.	40 gm	100 gm	40 gm	50 gm	100 gm	20 gm	20 gm
साधारण कार्य	440 gm	45 gm	100 gm	40 gm	50 gm	150 gm	25 gm	20 gm
भारी कार्य	575 gm	50 gm	50 gm	100 gm	60 gm	200 gm	40 gm	40 gm

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि प्रतिदिन-

1.अनाज - 2000 कैलोरी की आवश्यकता बताई है। कई देशों में व्यक्ति अपनी 80% उर्जा की प्राप्ति अनाजो से ही करते है अनाजो से औसतन 12% प्रोटीन, 2 % वसा, 75% कार्बोहाइड्रेट, 10% जल तथा लोहा, फास्फोरस, खनिज लवण तथा थायमिन, रिबोफ्लोबिन व नियासिन अनाज के उपरी छिलकों से प्राप्त है। हमारी कुल आवश्यकता का अधिकांश कैलोरी अनाज से प्राप्त होती है। 100 ग्राम अनाज में औसत 350 कैलोरी की पूर्ति होती है इनका उपयोग करने का एक प्रमुख कारण यह है कि ये शक्ति प्रदान करने के अच्छे स्त्रोत है।

2. दाले - दालों का भोजन मे महत्वपूर्ण स्थान होता है प्राटीन दालों मे 20 से 30 प्रतिशत तक पाया जाता है।

सन्दर्भ 1. डेविड डॉ. अलका पूर्व बाल्यावस्था 2009 शिवा प्रकाशन, खजूरी बाजार इन्दौर
2. कानगो मंगला-पोषण के मूलतत्व 2008 मध्य-प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल
3. ब्रशी बी.के. आहार एवं पोषण विज्ञान विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा
4. पल्टा डॉ. अरूणा आहार एवं पोषण के आधार शिवा प्रकाशन खजूरी बाजार इन्दौर

फास्ट फूड का बालक-बालिकाओं के मानसिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन- सागर शहर के संदर्भ में

डॉ. रेणूबाला शर्मा * आराधना श्रीवास **

प्रस्तावना- प्रत्येक अभिभावक की यह आकांक्षा होती है कि उनका बच्चा शीघ्र ही बड़ा होकर उनकी आशा-आकांक्षाओं के अनुरुप शिक्षा प्राप्त करे तथा अच्छे से अच्छे रोजगार में लग कर उनका सहारा बने। यह आकांक्षा पूर्ति उसी स्थिति में सम्भव है, जबकि उनका बच्चा शारीरिक व मानसिक रुप से पूर्णत: स्वस्थ हो।

व्यक्ति का मानसिक व शारीरिक विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है,जिसका प्रारम्भ बच्चे के जन्म से भी पहले माँ के पेट में ही हो जाता है। आयु के साथ वह बढ़ता जाता है। बाल्यावस्था में बालक-बालिकाओं की मानसिक योग्यताओं में निरन्तर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। बालक-बालिकाएँ विभिन्न बातों के बारे में तर्क एवं विचार करने लगते है तथा वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केन्द्रित कर सकता है उसमें अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। बाल्यावस्था जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है इस अवस्था में वृद्धि की तीव्रता के कारण पोषण तत्वों की अत्यन्त आवश्यकता होती है। जीवन में पोषण का महत्वपूर्ण स्थान है स्वस्थ रहने के लिये उचित पोषण आवश्यक है। भोजन जीवन की आधारीय आवश्यकता है और भोजन ही शरीर का पोषण करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ''स्वास्थ्य वह स्थिति होती है जिसमें न केवल बीमारी की ही अनुपस्थिति हो बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कुशलता होती है।''

मानसिक विकास- फास्ट फूड आज की तेज रफ्तार जिन्दगी का अहम हिस्सा बनते जा रहे है लेकिन यह बच्चों के लिये कितने खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनके सेवन से बच्चे का आई. क्यू. कमजोर होने लगता है।वह मानसिक रुप से विकलांग तक हो सकता है बच्चों में पेटिस, ब्रेड, पकौड़े, नूडल्स, बर्गर और पिज्जा जैसे फास्ट फूड खाना मजबूरी से ज्यादा शौक बनता जा रहा है। लेकिन एक अध्ययन में फास्ट फूड के नकारात्मक प्रभावों को बताते हुये इससे दूर रहने की सलाह दी गई है। अध्ययन के अनुसार फास्ट फूड खाने वालों का आई. क्यू. इन्टेलीजेन्सी कोशेंट स्तर घर पर बना ताजा खाना खाने वालों की तुलना में कम होता है। अध्ययन के अनुसार बचपन में खाया पोष्टिक पदार्थ लंबे समय तक आई. क्यू. पर प्रभाव डालता है साथ ही यह आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। **पाण्डेय श्रीमती सुनीता (2007)** बालक-बालिकाओं की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताएँ उनके माता-पिता की आवश्यकताओं से भी अधिक हो जाती है परन्तु उचित पोषणाहार के अभाव में बालिकाएँ कमजोर हो जाती हैं और उनका शारीरिक, मानसिक विकास बाधित हो जाता है इसलिए बालिकाओं के पोषणाहार पर विषेष ध्यान देना चाहिए परन्तु अक्सर उसे अपने भोजन से यह सन्तुलित पोषणाहार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं और परिणामस्वरूप बालिकाएँ कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। **मिश्रा (1992)** के अनुसार परिवार में बच्चे का जन्मक्रम आत्मप्रत्यय एवं मानसिक विकास को प्रभावित करता है उन्होंने यह भी पाया कि माता का गृहणी अथवा कामकाजी होना मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। डेविड अलका (2003) ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यवसायिक तथा अति उच्च शिक्षित महिलाओं के बच्चों में स्नातक शिक्षित महिलाओं के बच्चों की अपेक्षा आत्म-प्रत्यय एवं मानसिक विकास उच्च श्रेणी का होता है। **गुप्ता (1977)** में बालकों की सृजनात्मकता एवं आत्मप्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन किया और यह निष्कर्श निकाला कि जिन बच्चों में उच्च सृजनात्मकता एवं आत्म प्रत्यय होता है उनका समायोजन एवं मानसिक विकास भी उच्च श्रेणी का होता है।

अध्ययन के उद्देश्य- इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालक-बालिकाओं के मानसिक विकास पर फास्ट फूड के प्रभाव का वजन एवं अध्ययन करना है।

परिकल्पना- फास्ट फूड के उपभोग का बालक-बालिकाओं के मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पाया जाता है।

प्रतिदर्श प्रारुप-प्रस्तुत अध्ययन में मानसिक विकास ज्ञात करने हेतु डॉ. आर. पी. श्रीवास्तव जबलपुर एवं डॉ. किरन स:सेना भोपाल (1998) अशाब्दिक परीक्षण मापनी का प्रयोग किया गया है। यह 8 से 11 वर्ष के बालक-बालिकाओं के मानसिक विकास को ज्ञात करने हेतु निर्मित की गयी है। प्रश्नावली में 50 प्रश्न दिये गये हैं ये 50 प्रश्न विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किये गये हैं जिसमें 10 प्रश्न Analogy से सम्बन्धित, 10 प्रश्न वर्गीकरण से सम्बन्धित, 10 प्रश्न Number Series से सम्बन्धित, 10 प्रश्न Reasoning से सम्बन्धित व 10 प्रश्न Absurdities से सम्बन्धित हैं। इस मापनी को भरने के लिये बालक-बालिकाओं को 10 मिनिट का समय दिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन 150 बालकों व 150 बालिकाओं पर किया गया है।

व्याख्या एवं विश्लेषण-मापनी के फलांकन विश्लेषण के अनुसार 8 वर्ष के बालक-बालिकाओं को 20 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर विशिष्ट श्रेणी, 17-19 प्रश्नों का उत्तर देने पर अति उत्तम श्रेणी, 11-16 प्रश्नों का उत्तर देने पर उत्तम श्रेणी, 5-10 प्रश्नों के उत्तर देने पर सामान्य श्रेणी, 2-4 प्रश्नों का उत्तर देने पर मूर्ख श्रेणी व 1 व कम प्रश्न के उत्तर देने पर अतिमूर्ख श्रेणी में रखा जायेगा। इसी प्रकार 9 वर्ष व 10 वर्ष की बालक-बालिकाओं को 32 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर विशिष्ट श्रेणी, 27-31 प्रश्नों के उत्तर देने पर अति उत्तम श्रेणी, 17-26 प्रश्नों के उत्तर देने पर उत्तम श्रेणी, 7-16 प्रश्नों के उत्तर देने पर सामान्य श्रेणी, 2-6 प्रश्नों के उत्तर देने पर मूर्ख श्रेणी तथा 1 व 1 से कम प्रश्न का उत्तर देने पर अतिमूर्ख श्रेणी में रखा जायेगा। 11, 12 व 13 वर्ष के बालक-बालिकाओं को 35 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर विशिष्ट श्रेणी, 30-34 प्रश्नों का उत्तर देने पर अति उत्तम श्रेणी, 20-29 प्रश्नों का उत्तर देने पर उत्तम श्रेणी, 10-19 प्रश्नों के

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)भारत
** शोधार्थी, शासकीय स्वशासी कमलाराजे कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

उत्तर देने पर सामान्य श्रेणी, 5-9 प्रश्नों के उत्तर देने पर मूर्ख श्रेणी तथा 4 व कम प्रश्नों के उत्तर देने पर अति मूर्ख श्रेणी में रखा जायेगा।

तालिका क्र.1

मानसिक विकास आयु वर्ग

आर.पी. श्रीवास्तव एवं किरन सक्सेना द्वारा प्रतिपादित फलांकन तालिका श्रेणी	8	9	10	11	12	13
विशिष्ट	20+	32+	32+	35+	35+	35+
अतिउत्तम	17-19	27-31	27-31	30-34	30-34	30-34
उत्तम	11-16	17-26	17-26	20-29	20-29	20-29
सामान्य	5-10	7-16	7-16	10-19	10-20	10-21
मूर्ख	2-4	2-6	2-6	5-9	5-9	5-9
अतिमूर्ख	1 व कम	1 व कम	1 व कम	4 व कम	4 व कम	4 व कम

तालिका क्र. 2

बालक/बालिकाओं का मानसिक विकास श्रेणी	8 वर्ष		9 वर्ष		10 वर्ष		11 वर्ष		12 वर्ष		13 वर्ष	
	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ	बालक	बालिकाएँ
विशिष्ट	-	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3
अतिउत्तम	2	2	2	2	3	1	5	4	4	5	5	6
उत्तम	6	5	3	4	19	17	7	6	14	7	6	5
सामान्य	4	6	7	7	13	14	8	10	10	12	3	7
मूर्ख	3	4	4	2	3	2	5	3	3	2	1	3
अतिमूर्ख	3	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0

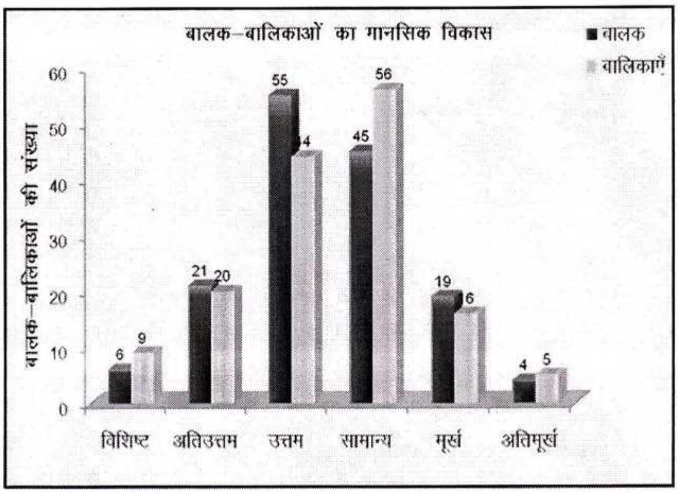

ग्राफ क्रमांक 1 प्रस्तुत तालिका क्रमांक 2 में अध्ययन में पाया गया कि 150 बालकों में विशिष्ट श्रेणी में 8 वर्ष का कोई भी बालक नहीं पाया गया। 9, 10, 11 एवं 12 वर्ष की आयु में प्रत्येक वर्ष में एक बालक विशिष्ट तथा 13 वर्ष की आयु में 2 बालक विशिष्ट पाये गये। अति उत्तम श्रेणी में 8 व 9 वर्ष की आयु के 2 बालक, 10 वर्ष की आयु के 3 बालक, 11 वर्ष की आयु के 5 बालक, 12 वर्ष की आयु के 4 बालक व 13 वर्ष की आयु के 5 बालक पाये गये। उत्तम श्रेणी में 8 वर्ष के 6 बालक, 9 वर्ष के 3 बालक, 10 वर्ष के 19 बालक, 11 वर्ष के 7 बालक, 12 वर्ष के 14 बालक तथा 13 वर्ष के 6 बालक पाये गये। सामान्य श्रेणी में 8 वर्ष के 4 बालक, 9 वर्ष के 7 बालक, 10 वर्ष के 13 बालक, 11 वर्ष के 8 बालक, 12 वर्ष के 10 बालक तथा 13 वर्ष के 3 बालक पाये गये। मूर्ख श्रेणी में 8 वर्ष के 3 बालक, 9 वर्ष के 4 बालक, 10 वर्ष के 3 बालक, 11 वर्ष के 5 बालक, 12 वर्ष के 3 बालक तथा 13 वर्ष का 1 बालक पाया गया। अतिमूर्ख श्रेणी में 8 व 9 वर्ष में क्रमश: 3 व 1 बालक पाये गये तथा 10, 11, 12 व 13 वर्ष में कोई भी इस श्रेणी में नहीं पाया गया। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि 150 बालिकाओं में से विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत 8 वर्ष में 1 बालिका, 9 वर्ष में 2 बालिकाएँ, 10, 11 व 12 वर्ष की आयु में 1 बालिका तथा 13 वर्ष की आयु में 3 बालिकाएँ पायी गयी। अति उत्तम श्रेणी में 8 व 9 वर्ष में 2 बालिकाएँ 10 वर्ष में 1 बालिका, 11 वर्ष में 4 बालिकाएँ, 12 वर्ष में 5 बालिकाएँ व 13 वर्ष में 6 बालिकाएँ पायी गयी। उत्तम श्रेणी में 8 वर्ष में 5 बालिकाएँ, 9 वर्ष में 4 बालिकाएँ, 10 वर्ष में 17 बालिकाएँ, 11 वर्ष में 6 बालिकाएँ, 12 वर्ष में 7 बालिकाएँ तथा 13 वर्ष में 5 बालिकाएँ पायी गई।

सामान्य श्रेणी में 8 वर्ष में 6 बालिकाएँ, 9 वर्ष में 7 बालिकाएँ, 10 वर्ष में 14 बालिकाएँ, 11 वर्ष में 10 बालिकाएँ, 12 वर्ष में 12 बालिकाएँ तथा 13 वर्ष में 7 बालिकाएँ पायी गयी। मूर्ख श्रेणी में 8 वर्ष की 4 बालिकाएँ, 9 व 10 वर्ष में 2 बालिकाएँ, 11 वर्ष में 3 बालिकाएँ, 12 वर्ष में 2 बालिकाएँ तथा 13 वर्ष में 3 बालिकाएँ पायी गईं। अतिमूर्ख श्रेणी में 8 व 9 वर्ष की 2 बालिकाएँ, 10 वर्ष में 1 बालिका तथा 11, 12 व 13 वर्ष की कोई भी बालिकाएँ इस श्रेणी में नहीं पायी गई।

निष्कर्ष -

1. मानसिक विकास हेतु प्रयुक्त तालिका की फलांकन के आधार पर पाया गया कि विशिष्ट श्रेणी में 8 से 13 वर्ष की आयु के 15 बालक-बालिकाएँ पाये गये।
2. 41 बालक-बालिकाएँ अति उत्तम श्रेणी में, 99 बालक-बालिकाएँ उत्तम श्रेणी में, 101 बालक-बालिकाएँ सामान्य श्रेणी में, 35 बालक-बालिकाएँ मूर्ख श्रेणी के अन्तर्गत पायी गयी। केवल 9 बालक-बालिकाएँ प्रश्नों का सही समय पर उत्तर नहीं दे सके अत: उन्हें अति मूर्ख श्रेणी में पाया गया।

GMATC परीक्षण के अनुसार पाया गया कि 8 से 13 वर्ष के अधिकांश बालक-बालिकाओं की मानसिक स्थिति उत्तम पायी गयी। अत: यह कहा जा सकता है कि फास्ट-फूड का शारीरिक विकास पर तो प्रभाव पड़ता है परन्तु मानसिक विकास में फास्ट-फूड की भूमिका अधिक प्रतीत नहीं होती।

सन्दर्भ-

1. रामबाबू गुप्त ''बाल मनोविज्ञान'' रतन प्रकाशन मंदिर 1/11, साहित्य कुँज महात्मा गाँधी रोड आगरा 2.
2. भार्गव महेश (2001), आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन, पी. भार्गव हाउस, आगरा।
3. गोस्वामी सुबुद्धि, बाल विकास की दिशाएँ, श्याम प्रकाशन जयपुर, पृ. 122-125।
4. किरन सक्सेना एवं आर. बी. श्रीवास्तव द्वारा प्रतिपादित फलांकन तालिका।
5. चांदेकर रमेश (2009), सामाजिक अनुसंधान, सत्य प्रकाशन, संचार केन्द्र, इन्दौर, पृ. 21-22।
6. श्रीवास्तव डी.एन. (1996), सामाजिक व मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, पंचम संस्करण, साहित्य प्रकाशन, आगरा।

पत्र/पत्रिकाएँ-

1. गृहशोभा, सितम्बर 2008, पृ.20।
2. दैनिक भास्कर, भोपाल, 7 अप्रैल, 1999, पृ. 4।
3. दैनिक भास्कर, भोपाल, 18 जुलाई, 2001, पृ. 4।
4. दैनिक भास्कर, भोपाल, 5 अप्रैल, 2002, पृ. 7।
5. दैनिक भास्कर, भोपाल, 29 नवम्बर, 2002, पृ. 3।
6. दैनिक भास्कर, भोपाल, 5 अप्रैल, 2002, पृ. 3।

****

ग्वालियर शहर की किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान पर स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. मंजू दुबे * डॉ. नीरु त्रिपाठी **

स्वस्थ्य तन में स्वस्थ्य मन का वास होता है। एक स्वस्थ्य व्यक्ति ही खुश मिजाज, एकाग्रचित व स्फूर्तिवान होता है। उसमें समस्याओं के समाधान करने एवं रचनात्मक कार्यों को करने की क्षमता होती है।

आज की किशोर बालिकायें कल का भविष्य है। एक स्वस्थ्य किशोरी ही व्यक्तिगत पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वाहन कर सकती है। किशोरियों के गिरते स्वास्थ्य स्तर का कारण उनमें स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की कमी हो सकता है।

किशोर बालिकाओं के उत्तम स्वास्थ्य स्तर को बनाये रखना हमारा सामाजिक दायित्व है। इसी दायित्व की पूर्ति हेतु प्रस्तुत शोध का विषय ''ग्वालियर शहर की किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान पर स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन'' चुना गया है।

शोध के उद्देश्य :-

1. किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का अध्ययन करना।
2. किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान पर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभाव ज्ञात करना।
3. स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना :-

शोध कार्य करने के लिये निम्नानुसार शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया। ''किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान पर स्वास्थ्य शिक्षा का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।

शोध प्रविधि :-

शोध अध्ययन हेतु ग्वालियर शहर के विभिन्न विद्यालयों में से 13 से 19 वर्ष की 300 किशोर बालिकाओं का दैव निदर्शन विधि से चयन किया गया। अध्ययन कार्य तीन चरणों में सम्पन्न किया गया।

प्रथम चरण में बालिकाओं का स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान ज्ञात करने के लिये प्रश्नावली का उपयोग किया गया द्वितीय चरण में विद्यालयों के दैनिक शालेय कार्यक्रम में से एक कालखण्ड का चुनाव कर तीन महीनों तक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गयी तृतीय चरण के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त किशोर बालिकाओं का पुन: प्रश्नावली के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त किया गया ।

इस प्रकार बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान पर स्वास्थ्य का प्रभाव ज्ञात करने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा देने के पूर्व एवं बाद के प्राप्त आंकड़ो का तुलनात्मक विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त किये।

सांख्यकी विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन विधियों का उपयोग किया गया (तालिका क्रमांक 1, ग्राफ क्रमांक 1) परिणामों की सार्थकता ज्ञात करने हेतु 'टी' टेस्ट का उपयोग किया गया।

ए - स्वास्थ्य शिक्षा देने के पूर्व मध्यमान व मानक विचलन।

बी - स्वास्थ्य शिक्षा देने के पश्चात् मध्यमान व मानक विचलन।

तालिका क्रं. - 1

किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य ज्ञान के मध्यमान, मानक विचलन एवं टी परीक्षण की तालिका

क्रं.	समूह	मध्यमान		मानक विचलन		टी परीक्षण का मान	DF	मध्यमान
		A	B	A	B			
1	समूह 13-15 वर्ष, ज्ञान है	13.7	107	5.06	निरंक	203.02	212	0.01
2	ज्ञान नहीं है	28.8	निरंक	14.7	निरंक	20.19	212	0.01
3	स्पष्ट ज्ञान नहीं है	64.5	निरंक	14.9	निरंक	44.75	212	0.01
4	समूह 15-17 वर्ष, ज्ञान है	18.1	125	6.79	निरंक	175.08	248	0.01
5	ज्ञान नहीं है	34.9	निरंक	14.2	निरंक	25.09	248	0.01
6	स्पष्ट ज्ञान नहीं है	72.1	निरंक	17.1	निरंक	47.13	248	0.01
7	समूह 17-19 वर्ष, ज्ञान है	10	68	6.63	निरंक	72.14	134	0.01
8	ज्ञान नहीं है	16.9	निरंक	17.7	निरंक	7.84	134	0.01
9	स्पष्ट ज्ञान नहीं है	41.1	निरंक	10.8	निरंक	31.25	134	0.01

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 13 से 15 वर्षीय बालिकाओं को स्वास्थ्य शिक्षा देने के पूर्व एवं पश्चात् '' स्वास्थ्य ज्ञान है'' का टी परीक्षण मूल्य 203.02 स्वास्थ्य ज्ञान नहीं है'' का मूल्य 20.19 तथा '' स्वास्थ्य ज्ञान स्पष्ट नहीं है'' का मूल्य 44.75 प्राप्त हुआ। जो 212 स्वातंत्र्यांश पर 0.01 स्तर पर सार्थक पाया गया। इसी प्रकार 15-17 वर्ष की बालिकाओं को स्वास्थ्य शिक्षा देने से पूर्व एवं पश्चात् '' स्वास्थ्य ज्ञान है'' का टी परीक्षण मूल्य 175.08 '' स्वास्थ्य ज्ञान नहीं है'' इसका मूल्य 25.09 तथा '' स्वास्थ्य ज्ञान स्पष्ट नहीं है'' का मूल्य 47.13 प्राप्त हुआ जो 248 स्वातंत्र्यांश पर 0.01 स्तर पर सार्थक पाया गया। 17-19 वर्ष की बालिकाओं को स्वास्थ्य शिक्षा देने से पूर्व एवं पश्चात् '' स्वास्थ्य ज्ञान है'' का टी परीक्षण मूल्य 72.14, '' स्वास्थ्य ज्ञान नहीं है'' का मूल्य 7.84 तथा '' स्वास्थ्य ज्ञान स्पष्ट नहीं है'' का मूल्य 31.25 प्राप्त हुआ। जो कि 134 स्वातंत्र्यांश पर 0.01 स्तर पर सार्थक पाया गया।

अत: शोध कार्य का उद्देश्य ''किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य ज्ञान पर स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना'' के लिये निर्मित शून्य परिकल्पना ''किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान पर स्वास्थ्य शिक्षा का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जायेगा।'' अस्वीकृत होती है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान पर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। अत: शिक्षण के पश्चात् किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य ज्ञान में शत-प्रतिशत वृद्धि होती है। (देखिए ग्राफ क्र.1)

निष्कर्ष - निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

सुझाव - स्वास्थ्य शिक्षा का स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत: प्रचार प्रसार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है।

1. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे जागृति शिविरों में महाविद्यालयों के एन.एस.एस. एवं एन.एस.सी. की छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिये। उनके द्वारा नाटक, प्रदर्शन, फिल्म शो आदि द्वारा रोचक तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में

* संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष गृहविज्ञान, शास. कमलाराजे स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान गृह विज्ञान, शासकीय कन्या महाविद्यालय, भिण्डर (म.प्र.) भारत

सहयोग लिया जा सकता है।

2. माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्यता प्रदान की जानी चाहिये।
3. विद्यालयों में चिकित्सक की काउंसलर के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. सिंह, डॉ. अनीता, ''उपचारात्मक पोषण'', स्टार पब्लिकेशन, आगरा।
2. नारायण सुधा आहार विज्ञान, 1982।
3. कुलकर्णी ज्योति सामान्य एवं उपचरात्मक पोषण।
4. मुकर्जी रविन्द्र नाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन दिल्ली 2010।
5. मुकर्जी रवीन्द्रनाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन दिल्ली 2010।
6. श्रीवास्तव डी.एन., वर्मा प्रीति, मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
7. त्रिवेदी आर.एन., शुक्ल डी.पी., रिचर्स मेथालॉजी कॉलेज बुक डिपो, 2008।
8. मिश्रा उषा एवं अग्रवाल अल्का, आहार एवं पोषण विज्ञान, नवीन संस्करण साहित्य प्रकाशन।

ग्राफ क्रमांक : 1 किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य ज्ञान के मध्यमान

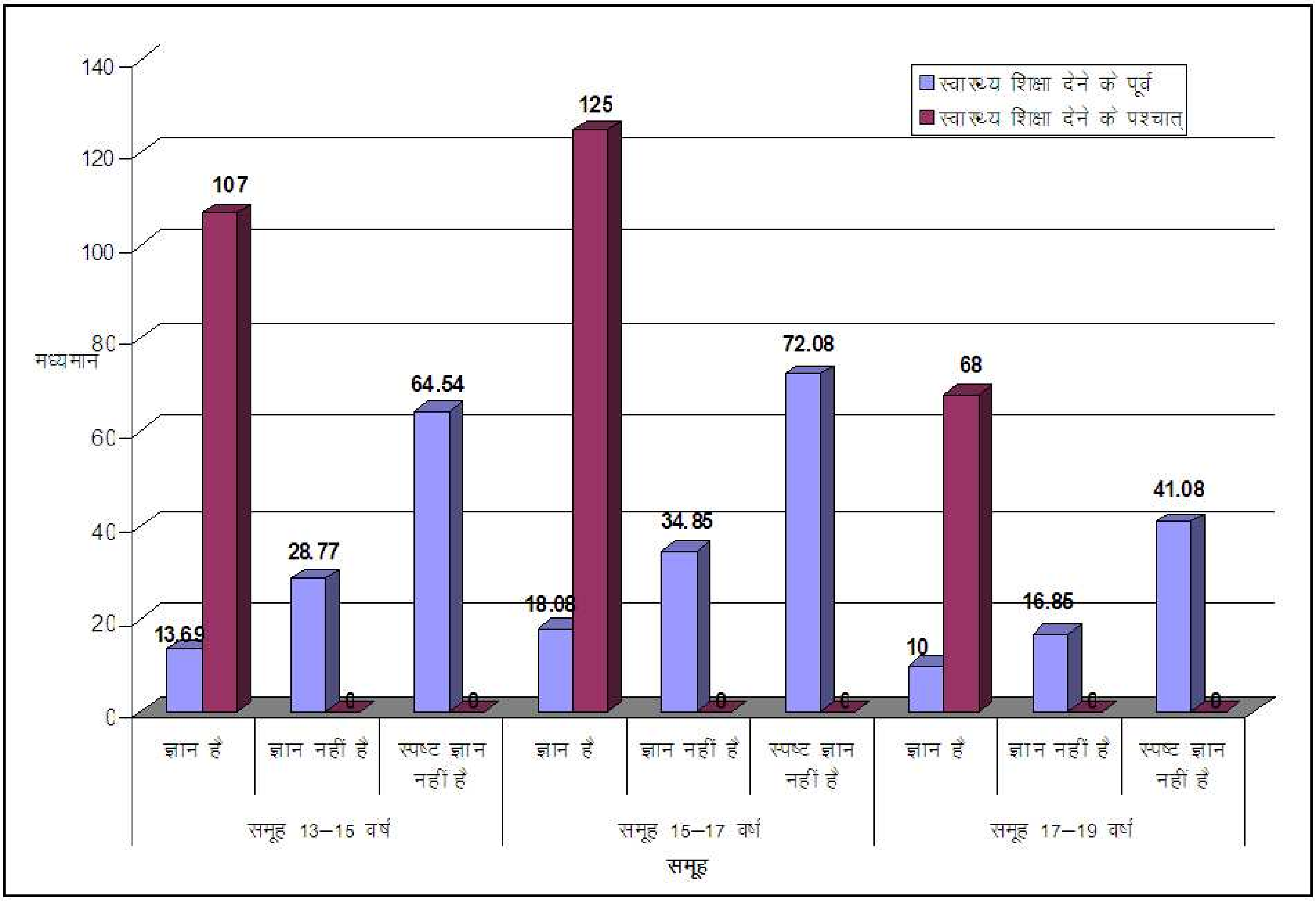

****

किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर अभिभावकीय प्रोत्साहन का अध्ययन

डॉ. आभा तिवारी * कु. रीना मेश्राम **

सारांश : इस शोधपत्र में कक्षा 9वीं के किषोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर अभिभावकीय प्रोत्साहन का अध्ययन किया गया हैं। 100 किशोरों पर अभिभावकीय प्रोत्साहन मापनी का प्रशासन कर 50 बालक एवं 50 बालिकाओं के क्रमश: उच्च एवं निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन समूह बनाए गए। उपलिब्ध अभिप्रेरणा के रूप में किशोरों के कक्षा 9वी के प्राप्तांकों को लिया गया। प्राप्त परिणामों के अनुसार किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन का प्रभाव पाया गया । जिससे यह ज्ञात होता हैं कि किशोरावस्था की उपलिब्ध अभिप्रेरणा, अभिभावकीय प्रोत्साहन से सम्बधित चरों से प्रभावित होती हैं ,तथा उसे संगी-साथी, विद्यालय वातावरण, आत्मविश्वास एवं आत्म-प्रत्यय आदि अधिक प्रभावित करते हैं।

प्रस्तावना : किशोरावस्था वह काल हैं जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यकाल से ही परिपक्वता की ओर अग्रसर होता हैं। किशोरों का काल ही वह काल हैं जिसमें किशोरों में दैहिक , मानसिक , सामाजिक तथा सांवेगिक दृष्टि से, परिपक्वता आती हैं। इस काल में जीवन यापन का जो ढंग अपना लिया जाता हैं वह कुछ परिवर्तनों के साथ आजीवन जारी रहता हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा से अभिप्राय किशोरों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल, अनुप्रयोग आदि योग्यताओं की मात्रात्मक अभिव्यक्ति से हैं।

अभिप्रेरणा का अर्थ हैं - सजीव प्रयास। यह कल्पना को क्रियाशील करती हैं, यह मानसिक शक्ति के अज्ञात स्त्रोतों को जागृत करती हैं। यह बालक को कार्य करने, सफल होने और विजय प्राप्त करने में प्रोत्साहित करती हैं। बालकों के उपलब्धि अभिप्रेरणा को अनेक कारक जैसे बुद्धि, पारिवारिक वातावरण, विद्यालयीन वातावरण, शिक्षक, सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवेष, संगी-साथी एवं कई मनोवैज्ञानिक कारक जैसे - अभिप्रेरणा , समायोजन, चिन्ता, तनाव, भग्नाशा आदि प्रभावित करते हैं।

अभिभावकीय प्रोत्साहन से तात्पर्य अभिभावकों का बालकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, मार्गदर्शन, उच्चतम संस्कार, प्रेम पूर्ण व्यवहार किशोरों की प्रगति को बढ़ाने की संभावनाओं के बढ़ाने की दिशा में किये प्रयासों से हैं। सिन्हा, एस.के. और अरोरा ए. (2003) ने अपने अध्ययन में पाया कि जनजाति क्षेत्र झारखण्ड के विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर उनके अभिभावकों की भूमिका और प्रोत्साहन का प्रभाव पड़ता हैं।

बोस. एस. और जोशी .वी (2004) ने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शिक्षा में अभिभावक सहयोग का अध्ययन किया और पाया कि जिन बच्चों के अभिभावक बच्चों की शिक्षा में अधिक सहयोग देते हैं उन बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि अधिक होती हैं।

शर्मा एस.एन (2008) ने पाया कि अभिभावक सहयोग एवं प्रेरणा का बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि एवं व्यावसायिक आकांक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं। उपरोक्त अध्ययन के परिणामों से ज्ञात होता हैं कि बालकों के शैक्षणिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास में अभिभावकीय प्रोत्साहन का प्रभाव पड़ता हैं। अत: अभिभावकीय प्रोत्साहन क्या किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रभावित करता हैं ?

यह अध्ययन अत्यन्त समीचीन प्रतीत होता हैं। परिवार में बालकों को अनेक प्रकार के सामाजिक एवं संवेगात्मक अनुभव प्राप्त होते हैं और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जाता हैं। इन आवश्यकताओं का बालकों की शिक्षा एवं उनकी उपलब्धि से घनिष्ठ संबंध होता हैं, यदि बालकों को अभिभावकों का सकारात्मक व्यवहार मिले तो बालक को सीखने की प्रेरणा मिलती हैं, इसी के विपरीत यदि नकारात्मक व्यवहार मिले तो बालक ना तो सीखने में रूचि लेगा, जिससे उसका विकास कुंठित होने लगता हैं।

ऐसे में अभिभावकीय प्रोत्साहन की अत्यंत आवश्यकता पड़ती हैं जिससे किशोर एवं किशोरियों को उनकी उपलब्धि अभिप्रेरणा के संदर्भ में उचित परामर्ष दिया जा सकता हैं, जिससे उनका सकारात्मक विकास हो एवं वे अच्छे बनकर ना केवल स्वयं का विकास कर सके वरन् समाज एवं देष की प्रगति में भी सहायता प्रदान कर सके।

चर -

स्वतन्त्र चर - अभिभावकीय प्रोत्साहन

परतन्त्र चर - उपलब्धि अभिप्रेरणा

उद्देश्य :-

(1) अभिभावकीय प्रोत्साहन का किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर अध्ययन।

(2) उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन का किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर अध्ययन।

(3) निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन का किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर अध्ययन।

परिकल्पना :-

(1) अभिभावकीय प्रोत्साहन का किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता हैं।

(2) उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन का किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता हैं।

(3) निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन का किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कोइ सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता हैं।

न्यादर्श :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए कक्षा 9वीं के 100 विद्यार्थियों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया। अभिभावक प्रोत्साहन मापनी के प्रषासन के पश्चात् विद्यार्थियों को निम्नानुसार उच्च एवं निम्न अभिभावक प्रोत्साहन समूहों में विभक्त किया गया।

* विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक (मानव विकास) * शोध छात्रा,शास. स्वशासी मो. ह. गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.) भारत

अभिभावकीय प्रोत्साहन	किशोर	किशोरियाँ	योग
उच्च	25	25	50
निम्न	25	25	50

विधि :-

प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों के विश्लेषणों हेतु निम्नलिखित प्रविधि का उपयोग किया गया। (1) मध्यमान (2) टी मान

उपकरण :-

उपकरण वह साधन है जिसके द्वारा शोधकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। किशोरों के अभिभावकीय प्रोत्साहन एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा को जानने के लिए शोधकर्ता ने अभिभावकीय प्रोत्साहन (डॉ. आर. षर्मा) एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा (डॉ. महेश भार्गव) मापनी का प्रयोग किया।

सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग :

(1) मध्यमान - $M = \frac{EX}{N}$

(2) क्रांतिक अनुपात-

बडे समूहों के मध्यमानों की सार्थकता को ज्ञात करने के लिए क्रांतिक अनुपात के द्वारा ज्ञात की जाती है।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या :-

किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर अभिभावकीय प्रोत्साहन के प्रभाव संबंधी परिणाम

समूह	अभिभावक प्रोत्साहन	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात	पीमान
किशोर	उच्च	25	87.52	22.78	7.02	> 0.01
	निम्न	25	73.48	26.4		
किशोरियाँ	उच्च	25	92.4	38.53	3.06	> 0.01
	निम्न	25	75.84	23.96		

स्वतंत्रता के अंश -48 0.05 स्तर पर न्यूनतम मान -2.01
0.01 स्तर पर न्यूनतम मान -2.68

उपरोक्त तालिका क्रमांक 2 में किशोरों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर अभिभावकीय प्रोत्साहन के प्रभाव संबंधी परिणामों से स्पष्ट होता हैं कि उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन का मध्यमान 87.52 एवं निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन का मध्यमान 73.48 है, जो कि उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन से कम हैं, जिसकी सार्थकता हेतु ''क्रांतिक अनुपात'' की गणना का मान 7.02 हैं, जो कि 0.01 स्तर पर न्यूनतम मान से अधिक हैं।

किशोरियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन का मध्यमान 92.40 एवं निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन का मध्यमान 75.84 हैं, जो कि उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन से कम हैं, जिसकी सार्थकता हेतु ''क्रांतिक अनुपात'' की गणना का मान 3.06 हैं जो कि 0.01 स्तर पर न्यूनतम से अधिक हैं।

ये परिणाम डॉ. राजेन्द्र (2007) के परिणामों से मेल नहीं खाते हैं इनके परिणामों में अभिभावकों के शैक्षिक स्तर पर बच्चो की रसायन शास्त्र में उपलब्धि पर कोई प्रभाव नही पाया गया। इसी तरह वामादेवाप्पा एच.वी (2005) तथा शर्मा एस.एन (2003) के परिणामों से मेल खाते हैं क्योंकि इनके परिणामों में अभिभावक सहयोग उनका शैक्षिक व आर्थिक स्तर, प्रोत्साहन आदि का बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया था। वर्तमान अध्ययन में कक्षा 9वी के विद्यार्थियों को लिया गया। ऐसे संभावित परिणाम का एक कारण हो सकता हैं कि किशोर विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा पर संगी -साथियों एवं विद्यालय के वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता हैं।

इसके पश्चात अभिभावक-प्रोत्साहन मिलने पर भी विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले अन्य कारको जैसे- बुद्धि अभिरूचि, अभिवृत्ति, आत्मविश्वास, आत्म-प्रत्यय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक आकांक्षायें आदि के प्रभाव के कारण विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि कम अभिभावक प्रोत्साहन वाले विद्यार्थियों के समतुल्य पायी गयी।

निष्कर्ष :-

(1) निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन की अपेक्षा उच्च अभिभावकीयप्रोत्साहन किशोर बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रभावित करता हैं।

(2) निम्न अभिभावकीय प्रोत्साहन की अपेक्षा उच्च अभिभावकीय प्रोत्साहन किशोर बालिका की उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रभावित करता हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ :-

1. कपिल डॉ. एच के, (2008) सांख्यिकी के मूल तत्व अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा
2. नलिनी (2001) पूर्व किशोरवास्था के किशोरों की अध्ययन एवं शैक्षिकउपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन, नई शिक्षा पत्रिका, जनवरी -जून 2012
3. सिंह कल्पना (2002) माध्यमिक स्तर के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि प्रेरणा और अध्ययन ' लघु शोध प्रबन्ध शिक्षा संकाय, दयालबाग आगरा ।
4. सचदेनी विल्ड पाल (2000) माता पिता के व्यवहार का किशोरावस्था के बालकों की शैक्षिकउपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन
करना डेजरटेशन एब्सट्रेक्ट, इन्टरनेशनल वाल्यूम 66 पेज न.17
5. http:/www.google.com
6. http:/www.google.com

****

स्तन कैंसर के रोगियों की अभिवृत्ति का उनके स्वास्थ्य स्तर पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. अर्चना कुशवाह * डॉ. मंजू दुबे **

प्रस्तावना- कैंसर एक असाध्य बीमारी है जिसका नाम सुनते ही दिल कॉप उठता है किन्तु सही समय पर उसकी पहचान हो जाये तो उसका पूर्णत: उपचार संभव है। कैंसर के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कैंसर के उपचार की नवीन पद्धतियॉं विकसित हुई है यह बीमारी अब इतनी भयानक नहीं रही, जितना लोग समझते हैं। रोग व रोगी के प्रति लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है, यही सकारात्मक सोच रोगी को मनोबल प्रदान करती है तथा स्वास्थ्य को उन्नत करती है। प्रस्तुत शोध का विषय ''स्तन कैंसर के रोगियों की अभिवृत्ति का उनके स्वास्थ्य स्तर पर प्रभाव का अध्ययन'' इसी दृष्टिकोण पर आधारित है।

शोध-प्रविधि- शोध अध्ययन हेतु ग्वालियर जिले के 300 स्तन कैंसर रोगियों का चयन किया गया। रोगियों का स्वास्थ्य स्तर ज्ञात करने हेतु लक्षण परीक्षण विधि का उपयोग किया गया। अभिवृत्ति ज्ञात करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया। रोगियों की अभिवृत्ति का स्वास्थ्य स्तर पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए वन-वे-अनोवा टेस्ट का उपयोग किया गया।

परिकल्पना - ''स्तन कैंसर के रोगियों की अभिवृत्ति का उनके स्वास्थ्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पाया जायेगा''।

उद्देश्य :-

1. स्तन कैंसर रोगियों की अभिवृत्ति का स्तर ज्ञात करना।
2. स्तन कैंसर रोगियों की अभिवृत्ति का उनके स्वास्थ्य स्तर पर प्रभाव ज्ञात करना।

तालिका क्रं. 1 स्तन कैंसरग्रस्त रोगियों की उनके रोग के प्रति अभिवृत्ति का स्तर

अभिवृत्ति का स्तर	स्तन कैंसर के रोगी	
	संख्या	प्रतिशत
उच्च	5	1.67
मध्यम	263	87.67
निम्न	32	10.67
योग	300	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 263 (87.67:) रोगी मध्यम अभिवृत्ति के स्तर के तथा 32 (10.67:) रोगी निम्न अभिवृत्ति के स्तर के है। उच्च अभिवृत्ति स्तर के केवल 05(1.67:) रोगी पाये गये। (ग्राफ क्रमांक-1)

ग्राफ क्रमांक 1
स्तन कैंसर ग्रस्त रोगियों की उनके रोग के प्रति अभिवृत्ति का स्तर

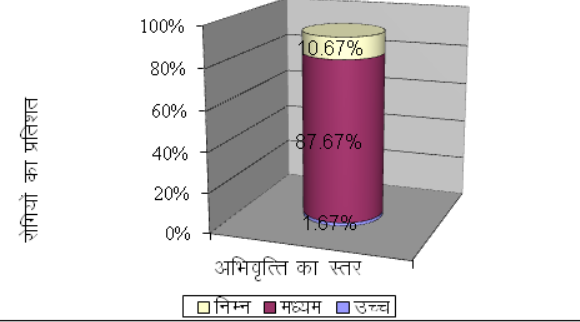

तालिका क्रं. 2 स्तन कैंसरग्रस्त रोगियों के स्वास्थ्य स्तर एवं अभिवृत्ति के उच्च, मध्यम एवं निम्न स्तर के समूहों के वन - वे अनोवा परीक्षण का विवरण

स्त्रोत	स्वातंत्र्यांश मूल्य	वर्गों का योग	माध्य वर्गों का योग	एफ-परीक्षण का परिगणित मूल्य	रिमार्क
स्वास्थ्य स्तर	2	75.136	37.568	2.637	P>0.05
मानक त्रुटि	297	4230.531	14.244		
कुल योग	299	4305.667			
0.05 स्तर पर असार्थक					

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्तन कैंसर रोगियों के स्वास्थ्य स्तर का एफ-परीक्षण का परिगणित मूल्य 2/297 स्वातंत्र्यांश संख्या पर 2.637 है जो 0.05 स्तर पर असार्थक है। यह तालिका यह दर्शाती है कि स्तन कैंसर के रोगियों के स्वास्थ्य स्तर के माध्य प्राप्तांकों में उच्च, मध्यम एवं निम्न स्तर की अभिवृत्ति के समूहों में सार्थक अंतर नहीं पाया गया, इसीलिए शून्य परिकल्पना ''स्तन कैंसर के रोगियों की अभिवृत्ति का उनके स्वास्थ्य स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पाया जायेगा'' स्वीकृत होती है।

निष्कर्ष - अत: निष्कर्ष निकलता है कि ग्वालियर जिले के स्तन कैंसर ग्रस्त रोगियों की उनके रोग के प्रति अभिवृत्ति का उनके स्वास्थ्य स्तर पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।

सुझाव -

- प्रस्तुत शोध अध्ययन स्तन कैंसर ग्रस्त उपचाररत रोगियों पर किया गया है भविष्य में यह शोध उपचारोपरांत रोगियों पर किया जा सकता है।
- शोध अध्ययन स्तन कैंसर ग्रस्त रोगियों पर किया गया है यह शोध शरीर के अन्य अंगों के कैंसर ग्रस्त रोगियों पर भी किया जा सकता है।
- सकारात्मक सोच रोगियों के स्वास्थ्य स्तर को प्रभावित करती है। प्रस्तुत शोध में यद्यपि प्रभाव नहीं पाया गया। अत: समाज में सकारात्मक सोच का स्तर उन्नत करने हेतु प्रयास करने के लिए विषय से संबंधित आलेख प्रकाशित किये जाने चाहिए।

संदर्भ-ग्रन्थ

1. विनायक अनंत वाकणकर, स्तन की पुनर्रचना-जानकारी, जासकॅप, जीत असोसिएशन, फॉर सपोर्ट टू कॅन्सर पेशन्टस, मुम्बई, भारत 1996 शर्मा एस.के., किरणोपचार (रेडियोथेरपी) की जानकारी, जासकॅप, जीत असोसिएशन, फॉर सपोर्ट टू कॅन्सर पेशन्टस, मुम्बई, भारत 2007
2. सुकुमार चन्द्रकुमार, स्तन कैंसर की जानकारी, जासकॅप, जीत असोसिएशन, फॉर सपोर्ट टू कॅन्सर पेशन्टस, मुम्बई, भारत 2006
3. विग रमनीक, कैंसर को मात, प्रकाशक-योगा एन्जॉयमेन्ट 59-ए दादा नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया कानपुर उत्तर प्रदेश 2006
4. लाला आर.एम., कैंसर पर विजय, राजस्थान पत्रिका केसरगढ़, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 2006
5. वाकणकर विनायक अंनत, रसायनोपचार (कीमोथेरपी), जासकॅप, जीत असोसिएशन, फॉर सपोर्ट टू कॅन्सर पेशन्टस, मुम्बई, भारत 2006

WEBSITE

1. www.wcrb.org/pdfs/colorectal-cancer-cup/report-2010.pdf
2. www.dietandcancerreport.org/downloads/slr_manual.pdf
3. http:/cebp.aacrjournals.org
4. http:/www.sunarc.org
5. www.nutritionj.com/content/3/1/19
6. www.breastcancer.org

* भूतपूर्व व्याख्याता एन.आई.एन.एस. कॉलेज सिथौली रोड़, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** संकायाध्यक्ष (डीन) एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

रक्ताल्पता एक पोषणिक समस्या

श्रीमती जयंती जोशी *

रक्ताल्पता और उससे उत्पन्न होने वाले रोग वास्तव में गंभीर व शोचनीय है। शरीर में रक्त की नियत मात्रा, उसकी शुद्धता उसकी तरलता उसकी प्रवाहमयता स्वस्थ शरीर की अनिर्वायता है। रक्त की ये समस्त स्थितियों हमारे खानपान आचरण की शैली तथा गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह मात्र हमारे राष्ट्र की नहीं वरन सम्पूर्ण विश्व की एक ज्वलन्त समस्या है। विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या रक्त संबंधि रोगों से ग्रसित है।

अभी तक यह माना जाता था कि रक्तल्पता गरीब वर्ग, अशिक्षित वर्ग तथा महिलाओं में ही बहुलता से होता है, किन्तु आधुनिक अनुसंधानों ने इस भ्रान्त धारणा को निर्मूल करते हुये यह सिद्ध किया है कि यह रोग अमीरों, पुरूष वर्ग, तथा शिक्षितों को भी अपना शिकार बना रहा है। इसका मूल कारण है हमारी अत्यन्त यांत्रिक, शारीरिक परिश्रमहीन आरामदेह, तनावपूर्ण जीवनशैली प्रकृति से दूरी तथा रासायनिक भोज्य पदार्थों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना व पौष्टिक भोज्य तत्वों का अभाव है।

प्रत्येक व्यक्ति जानता है जीवन के लिये ऑक्सीजन अत्यन्त आवश्यक है और हम सब रक्त के हिमोग्लोबिन स्तर के लिये जागरूक भी है। हिमोग्लोबिन हमारे शरीर में गैसेस के विनिमय के लिये उत्तरदायी है। जब रक्त में हिमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तब इसे एनिमिया या रक्ताल्पता कहते है। हमारे रक्त में हिमोग्लोबिन का स्तर 14 से 15gram/100ml. होता है। विभिन्न अवस्थाओं एवं व्यक्तियों में हिमोग्लोबिन की आदर्श मात्रा निम्नानुसार है।

व्यक्ति	हिमोग्लोबिन gram/100 ml Blood
बाल्यावस्था	12 gram
किशोरावस्था	13 gram
पुरुष	15 gram (+/-212gram)
स्त्री	13 gram
गर्भावस्था	12 gram
वृद्धावस्था	13 gram

संगीता मालू आहार एवं पोषण विशेषज्ञ नई दुनिया सेहत

एनिमिया जनस्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है इसका प्रभाव मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास पर पड़ता है साथ ही यह हमारी कार्यक्षमता पर भी प्रभाव डालता है वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व की एक बड़ी पोषाणिक समस्या है। हाल ही में WHO के सर्वे के आँकड़े बताते है कि विश्व में विकासशील देशों में एनिमिया 30% से से अधिक लोगों को है। बच्चे और गर्भवती महिलाओं का इससे प्रभावित समूह 40% है महिलायें 35% तथा पुरुष 18% एनिमिया से ग्रस्त है। एशिया महाद्वीप में 65% गर्भवती स्त्रियाँ एनिमिक हैं जबकि यूरोप में 14% है। रक्ताल्पता हमारे देश की भी प्रमुख पोषणहीनता जनित समस्या है। निम्न आय वर्ग के 50% से अधिक पूर्वशालेय बालक रक्ताल्पता से ग्रसित है। महिलाओं में यह प्रतिशत गर्भावस्था में बहुत उच्च हो जाता है, करीब 785% गर्भवती महिलायें रक्ताल्पता से ग्रस्त रहती है जिनमें 73% गंभीर रक्ताल्पता

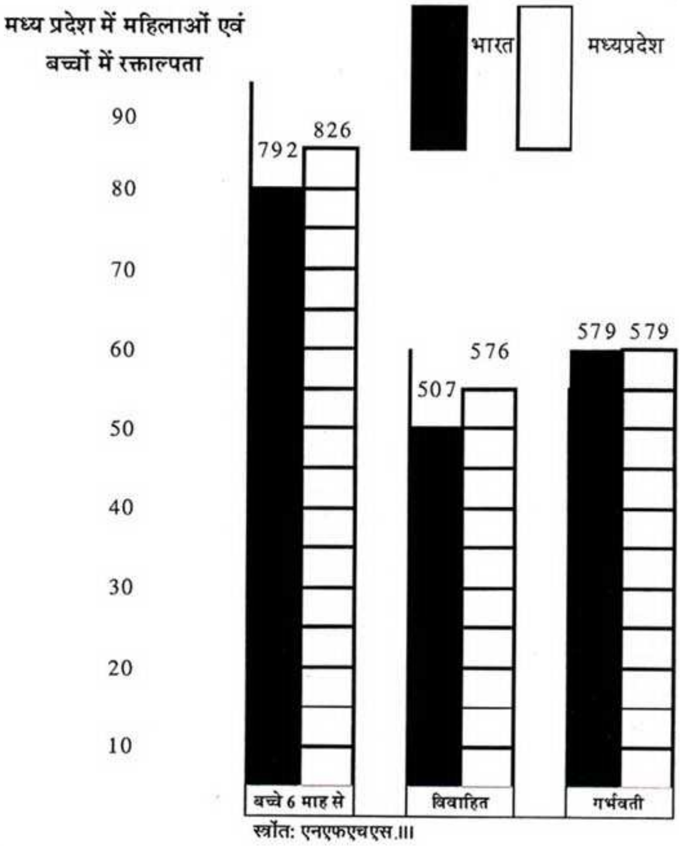

स्त्रोत: एनएफएचएस.III

तथा 336% मध्यम रक्ताल्पता से ग्रस्त है। भारत में 50% किशोरियाँ रक्ताल्पता की शिकार है।

रक्ताल्पता के लक्षण :-

- भूख न लगना
- थकावट
- कमजोरी व अनिद्रा
- शारीरिक वृद्धि का रूकना
- प्रतिरोधक क्षमता कम होना
- नाखून चपटे व सफेद एवं कमजोर होना नाखून Spoon Sheped होना
- आँखों के सफेद भाग व जीभ में पीलापन

किशोरियों व महिलाओं में एनिमिया का एक बहुत बड़ा कारण है उनके दुबले होने की सनक, छरहरी काया की चाह।

पिछले दशको में समाज में तेजी से बदले सौंदर्य पैमानों ने हमारी सोच को गहराई तक विकृत कर दिया है। किंग्स कॉलेज लंदन के डाक्टरों ने 11 से 18 वर्ष उम्र की कुल 164 लड़कियों पर एक शोध किया उन्होनें इनके रक्त में मौजूद आयरन की मात्रा को नापा तो पता चला कि अधिकांश में यह मात्रा बहुत ही कम है। इसके बाद उनका IQ. Test किया गया जिसमें उन लड़कियों का IQ बहुत कम था जिनमें आयरन की कमी थी। जब उन्हें आयरन दिया

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

गया तो शीघ्र ही इनका IQ.भी बढ़ गया।

रक्ताल्पता के कारण :–

- गरीबी या अज्ञानता के कारण रक्त निर्माणक पोषक तत्वों की हीनता जैसे लोहा, फोलिक एसिड, Vitamin B12, प्रोटीन Vitamin 'C'
- किसी दुर्घटना या शल्याक्रिया में रक्त की अत्यधिक हानि
- गर्भवस्था एवं स्तनपान अवस्था में एनिमिया
- हुकवर्म व मलेरिया संक्रमण भी एनिमिया की स्थिति उत्पन्न करते है

लोहे की दैनिक मांग :–

लोहे की दैनिक मांग अत्यन्त कम होती है, अत: हमारे द्वारा ग्रहण किया गया सामान्य भोजन जिसमें दाल, अण्डा, हरी पतेदार सब्जीयाँ, अनाज, गुड, शामिल हों तो लोहे की कमी नहीं हो पाती है। यकृत, मांस, मछली, अण्डे में उपस्थित लोहे का अवशोषण अधिक अच्छी तरह से हो जाता है अत: मांसाहारियों के शरीर में लोहे की पूर्ति आसानी से हो जाती है। ICMR. Expert group 1993 द्वारा लोहे की प्रस्तावित दैनिक मांग ¼mg/day½

उम्र	Mg/day
जन्म से 1 वर्ष	1 mg/k.g. boby weight
1 से 6 वर्ष	12 mg ls 18 mg
6 से 12 वर्ष	18 mg ls 26 mg
13 से 18 वर्ष लड़का	25 mg ls 30 mg
13 से 18 वर्ष लड़की	30 mg ls 35 mg
वयस्क पुरूष	28 mg
वयस्क स्त्री	30 mg
गर्भकाल	38 mg

आयरन के उत्कृष्ट भोज्य पदार्थ एवं उनमें आयरन की मात्रा

भोज्य पदार्थ	लोहे की उपस्थित मात्रा mg/100gram
यकृत	6.3 mg/100 gram
मांस	2.5 mg/100 gram
मछली	2.3 mg
अण्डे की जर्दी	2.1 mg
सोयबीन	11.3 mg
चौलाई	21.4 mg
पालक	5.0 mg
पुदीना	15.6 mg
हरा धनिया	10.0 mg
बाजरा	8.8 mg
रागी	5.4 mg
तिल	10.5 mg
गुड	11.4 mg
मूंगदाल	8.4 mg

एनिमिया को राकने के लिये किये गये प्रयासः- तमाम सर्वेक्षणों से यह बात स्पष्ट है कि किशोरियों महिलाओं के रक्त का आयरन लेवल बहुत कम है उसे आगे की पीढ़ी के स्वास्थ्य के लिये बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिये सरकार काफी समय से प्रयासरत है।

- 1970 में भारत सरकार द्वारा NNAPP (National Nutritional Anaemia Prohyaix Programe) चलाया गया जिसमें (1) माताओं और गर्भवती स्त्रियों को प्रतिदिन 1 गोली 60 mg elemental. Iron और 500 mg folic acid 100 दिन (2) 1 से 11 वर्ष के बालकों को प्रतिदिन 20 mg elemental Iron और 100 mg Folic Acid वर्ष भर में 100 दिन (3) 6 से 12 माह के बालकों को 2 ml Liquid Syrup जिसमें आयरन व फोलिक एसिड दोनों शामिल थे।
- 1991 में भारत सरकार ने इसे नया दिया national nutritional anaenia control program
- इसमें मुख्य रूप से एनिमिक व नॉन एनिमिक गर्भवती महिलाओं दुध पिलाने वाली माताओं एवं 1से 5 वर्ष के बालकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। 60 m g elemenlal आयरन को 100 ासबेलंट किया गया साथ ही उन्हें शिक्षित किया गया कि वे अपने भोजन में लौहयुक्त भोज्य पदार्थो को शामिल करें।
- 1992 में nutritional anaemia control के लिये भारत सरकार द्वारा cssm (child survival saye motherhood program) बनाया गया।
- Tron folicacid supplementation for adolescent girl योजना के अन्तर्गत vitamin 'a' और tron की कमी दूर करने के लिये महिला बाल विकास विभाग द्वारा इन दोनों पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिये आयरन और फोलिक एसिड स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा खलवी और स्कूलों में पहुचाया जाता हैं।
- नमक आटा , ब्रेड को Iron से फोर्टीफाइड करने का प्रस्ताव रखा गया।

पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में पौषाणिक रक्ताल्पता पर नियंत्रण के लिये लक्ष्य रखे गये।

1. ऐसे बालकों का पता लगाना जो एनिमिक है जिन्हें उपचार की आवश्यकता है।
2. एनिमिक गर्भवती महिलाओं का पता लगाना व उपचार करना।
3. एनिमिया पर सेमिनार का आयोजन शोधार्थी शिक्षक डाईटिशियन, विद्यार्थी द्वारा इसके कारणों को जानना व समाधान खोजने के लिये प्रोत्साहित करना।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. पोषण एवं पोषाहार- मंगला कानगा
2. अटलबाल आरोग्य पोषण एवं मिशन- विजन दस्तावेज 2020 महिला बालविकास विभाग, मप्र.
3. Souvenir - Newer Rerspectives in eradication of anaemiaPrevalence
4. Micro Nutrient deficiencies - National Institute of nutrition Hyderabad 2003 NNMB Technical Report No. 22
5. नई दुनिया, सेहत - समाचार पत्र

****

महिला स्वास्थ्य विकास में महत्वपूर्ण आयाम

मयूरी वरवडे *

प्रस्तावना :- मानवीय विकास में स्वास्थ्य एक बड़ी पूंजी है। स्वस्थ जनसंख्या की देश की प्रगति का आधार है। अत: स्वास्थ्य का सर्वोपरि महत्व है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अनेक शासकीय योजनायें संचालित की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से विभिन्न बिमारियों से बचा जा सकता है, जिससे शारीरिक शक्ति व कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, तथा जीवन की प्रत्याशित आयु में वृद्धि होती है। अत: मानवीय विकास के लिए अच्छा स्वास्थ्य सबसे प्राथमिक आवश्यकता है।

अध्ययन की आवश्यकता :- महिलाओं के सम्पूर्ण विकास के लिए उनका स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। महिलायें स्वस्थ होंगी तो परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा देश स्वस्थ होगा और स्वस्थ जनसंख्या ही देश को विकास के पथ पर अग्रेशित करती है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. महिलाओं को घटते लिंगानुपात को संतुलित करना।
2. बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम करना।
3. महिलाओं के लिये गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवायें एवं पोषण आहार की व्यवस्था करना ।
4. किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण आहार की जानकारी प्रदान करना।
5. स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी देना।

शोध प्रविधि :- प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंको पर आधारित है। समंको द्वारा स्वास्थ्य संबंधी तथ्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण करके परिणाम निकालने का प्रयत्न किया गया है।

भारत में महिलाओं के निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण :-

1. ऊँची जन्म दर
2. जनसंख्या में तेजी से वृद्धि
3. पौष्टिक पोषण आहार का अभाव
4. प्रसव हेतु उचित चिकित्सा का अभाव
5. अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें।

उपर्युक्त कारणों से महिलाओं का स्वास्थ्यस्तर निम्न है। मातृ एवं शिशु मातृ दर भी अधिक है महिलाओं की निम्न सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्यकीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिक लक्ष्य रखा है। म.प्र. में महिलाओं के समग्र विकास हेतु महिला नीति 2008-12 का प्रावधान दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केन्द्र व राज्य स्तर पर अनेक शासकीय योजनायें बनाई गई हैं, जिन्हें सरकारी विभागों व गैरसरकारी संगठनों द्वारा संचालित किया जा रहा हैं।

राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ:- राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए प्रदेश में सूचना शिक्षा संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों का नियोजन, पर्यवेक्षण व संचालन किया जाता है जिसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी देकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है।

2010-2011 में निम्न आई.ई.सी. गतिविधियां आयोजित की गई:-

1. **आई.सी. कार्ययोजना -** जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया।
2. **जिला स्तर पर कार्यशालायें,** सम्मेलन एवं बैठकों का आयोजन किया गया। विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, भित्ती चित्रण नारे लेखन, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, निबंध प्रतियोगिता, होर्डिंग्स निर्माण और रिपोर्टिंग, स्थानीय प्रचार साहित्य का निर्माण एवं मुद्रण, प्रदर्शनी और समस्यामूलक क्षेत्र में विशेष प्रचार पर गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है।
3. **आकाशवाणी** द्वारा ''स्वास्थ्य दर्पण'' व ''बातें सेहत की'' के माध्यम से स्वास्थ्य संदेश-प्रसारित किये जा रहे हैं।
4. **फोन इन कार्यक्रम :-** दूरदर्शन भोपाल द्वारा परिवार कल्याण से जुड़ी भ्रांतियों के निराकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हेतु ''फोन इन कार्यक्रम'' का प्रसारण किया जा रहा है।
5. **विडियो स्पाट का निर्माण -** परिवार कल्याण एवं टीकाकरण पर 30-30 सेकेंड का वीडियो स्पाट निर्माण दूरदर्शन, भोपाल द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।
6. **जिंगल्स प्रसारण -** आकाशवाणी भोपाल द्वारा परिवार कल्याण व टीकाकरण पर प्रादेशिक समाचारों के समय जिंगल्स का प्रसारण करवाया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित योजनायें :-

1. समेकित बाल विकास परियोजना :- प्रत्येक माँ व बच्चा स्वस्थ रहे इसके लिये प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से सुविधायें व सेवायें दी जा रही है। 6 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती व शिशुवती महिलायें इनका लाभ ले सकती है। भांति-भांति का पोशण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, वजन, खेल-खेल में पढ़ाई और कई सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है।

2. पूरक पोषण आहार योजना :- मीठे, नमकीन स्वादिष्ट पोषक आहार का लाभ 6 साल के बच्चे व गर्भवती, शिशुवती मातायें आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रतिदिन ले सकती है।

3. गोद भराई योजना :- गर्भवती महिलाओं की पूरी देखभाल एवं सुरक्षित प्रसव का लाभ आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीयन करवाकर गोदभराई योजना का लाभ दिया जाता है। प्रत्येक मंगलवार गांव व शहर के केन्द्र में मात्र शिशु रक्षा कार्ड, आयरन की गोलियाँ, पोषण स्वास्थ्य सलाह एवं गर्भवती महिलाओं के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाती है।

4. मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड :- आँगनबाड़ी केन्द्र में मातृ शिशु रक्षा कार्ड बनवाये जाते हैं, इससे माँ और बच्चे को पूरे टीके लगते हैं, और दोनों की नियमित जाँच और देखभाल की जाती है।

5. किशोरी बालिका दिवस योजना :- किशोरियों की देखभाल संतुलित आहार, स्वास्थ्य एवं आर्थिक गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिये आँगनबाड़ी केन्द्र पर प्रतिमाह चौथे मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है।

6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणकारी योजना :- अति गरीब महिलाओं को प्रसवपूर्व सहायता राशि - यदि महिला बी.पी.एल. परिवार की है उसकी उम्र 19 वर्ष हो गई हो और उसका यह पहला या दूसरा प्रसव है तो ए.एन.एम. या आंगनबाड़ी केन्द्र पर जाने से योजना का लाभ मिलता है और प्रसव के छ: माह पूर्व 500/- रूपये की सहायता मिलती है।

7. जननी सुरक्षा योजना :- सुरक्षित प्रसव हेतु यह योजना चलाई जा रही है। बी.पी.एल. परिवार की गर्भवती यदि अस्पताल में प्रसव कराती है तो

---

* शोधार्थी, मगध विश्वविद्यालय बोधगया (बिहार) भारत

उसे ग्रामीण क्षेत्र में 700/- रूपये व शहरी क्षेत्र में 600/- रूपये नगद दिये जाते हैं। गर्भवती महिला को अस्पताल लाने वाली प्रेरक (आशा) को ग्रामीण क्षेत्र में 600/- रूपये एवं शहरी क्षेत्र में 200/- रूपये दिये जाते हैं।

8. प्रसव परिवहन एवं उपचार योजना :- घर से अस्पताल तक जाने हेतु गर्भवती महिला को 300/- रूपये व प्रेरक को 200/- रूपये दिये जाते हैं, यदि गर्भवती को पुन: किसी दूसरे अस्पताल में किसी कारण से भेजा जाता है तो फिर से 300/- रूपये दिये जाते है। एस.सी. एस.टी. एवं अन्य गरीब वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिलता है।

9. प्रसव सहयोगी योजना :- इस योजना से सभी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में, लेबर रूम में प्रसव के दौरान परिवार की एक अनुभवी महिला सदस्य को अपने साथ रखने का अधिकार है।

10. एस.एन.सी.यू. नवजात गहन चिकित्सा ईकाई :- म.प्र. के बड़े जिलों के साथ कुछ अन्य जिलों में नवजात गहन चिकित्सा ईकाई एस.एन.सी.यू. संचालित की जा रही है। होशंगाबाद जिला में भी 2010-2011 में एस.एन.सी.यू. शुरू की गई है जिसमें प्रीमैच्योर बच्चों को रखा जाकर उनके जीवन की रक्षा की जाती है।

11. जननी एक्सप्रेस योजना :- इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं बीमार बच्चों को नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। 2010-11 में प्रदेश के 300 विकासखंडो में 625 वाहनों के जरिये 265121 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। जिलो में कालसेंटर संचालित किये गये है।

12. आशा:- प्रत्येक ग्राम में सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता (आशा) का चयन कर प्रशिक्षित किया गया है। यह एक अवैतनिक स्वयं सेविका है। जिसकी जिम्मेदारी आर.सी.एच/ एन.आर.एच.एम. के लिये रेफरल और मार्गदर्शी सेवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की है। आशा को कार्य निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है अब तक 52.39 हजार आशाओं का चयन किया गया है।

13. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम:- प्रदेश के विकास के लिये जनसंख्या का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखके परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो रहा है। प्रदेश में 2011 में 6.43 लाख नसबंदी ऑपरेशन किये गये थे। जो देश में प्रथम स्थान पर रहा हैं। जनवरी 2012 में 4.24 लाख नसबंदी ऑपरेशन किये गये। इस वर्ष का लक्ष्य 7 लाख है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरूषों की भी भागीदारी बढ़ी हैं।

14. राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम:- राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं में होने वाली 7 जानलेवा बिमारियाँ जैसे पोलियो, टी.बी., हैपेटाईटिस बी, काली खाँसी, गलघोंटू, खसरे एवं टिटनेस से बचाव करना हैं। सभी टीके नि:शुल्क लगाये जाते हैं।

उपलब्धियाँ:-

1. संस्थागत प्रसव में 2012 तक 92.55 वृद्धि हुई।

जिले में स्वास्थ्य संबंधी ऑकडे होशंगाबाद तालिका

क्र.	विवरण	1992	2002	2012
1	जन्मदर	32	31.3	21.3
2	मृत्युदर	12.5	11	9
3	आई.एम.आर	95	94	0.68
4	एम.एम.आर	4.9	4	6.2
5	संस्थागत प्रसव	38	65	92.55
6	टीकाकरण	61	77	79
7	ए.एन.सी.चैकप	63	79	68.52

2. शिशु मृत्यु दर में 12.5 से घटकर 9 प्रतिशत हुई है।
3. मातृ मृत्युदर में 4.9 से 2.2प्रतिशत की गिरावट आई है।
4. कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु बेटी बचाओ अभियान द्वारा बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई है।

चुनिंदा स्वास्थ्य संकेतक
Selected Health Indicators
तालिका 2

S.No.	Parameter	1981	1991	Current Level
1	Crude Birth Rate (CBR) (Per 1000 Population)	33-9	29-May	22-1¼2010½
2	Crude Death Rate (CDR) (Per thousand Population)	12-May	9-Aug	7-2¼2010½
3	Total Fertility Rate (TFR) 4.5 (Per Women)	4-May	3-Jun	2-6 ¼2009½
4	Maternal Mortility Rate (MMR) (Per 100,000 line Births)	NA	NA	212 ¼2007½
5	IMR (Per 1000 line Births) Rural urban	110	80	47 ¼2010½
6	Children (0-4 years) Mortility (Per 1000 children Rate)	41.2	26.5	14-1¼2009½
7	Life Expectancy at Birth	1981-85	(1989-53)	¼2002&06½
	Total	55.4	59.4	63-5
	Male	55.4	59	62-6
	Female	55.7	59.7	64-2

स्वास्थ्य व्यवस्था होषंगाबाद
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी
तालिका क्रमांक-3

वर्ष/जिला	चिकित्सा अधिकारी	पुरूष स्वास्थ्यकर्ता	नर्सेस	मिडवाईफ	स्वास्थ्य निरीक्षक	लेब टेक्नीषियन	लंबाई	अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007-08	68	122	34	180	-	24	18	29
2008-09	75	133	34	191	0	30	13	29
2009-10	75	133	34	191	0	30	13	29
2010-11	71	93	33	191	0	30	16	37

5. बेटी वाले परिवारों को पेंशन की व्यवस्था की जा रही है।
6. भ्रूणहत्या रोकने हेतु झ.उ.छ.ऊढ. अलीं के तहत समिति द्वारा प्रायवेट अस्पतालों के लाईसेंस निरस्त किये गये है।
7. किशोरियों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य पोषण स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है।
8. नवजात बच्चों हेतु नवजात गहन चिकित्सा ईकाई की स्थापना की गई है।

निष्कर्ष:- प्राप्त परिणामों से ज्ञात होता है कि संस्थागत प्रसव में वृद्धि, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर में कमी आई है। महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण स्थिति में सुधार हुआ है। सकारात्मक सोच के वातावरण के कारण वे अपने हितों के प्रति जागरूक हुई है।

1. **सुझाव:-** परिवार नियोजन, स्तनपान, जननी सुरक्षा, प्रसव पूर्व, निदान तकनीक टीकाकरण आदि का महत्व का प्रचार ग्रामीण स्तर पर और अधिक किया जाना चाहिए
2. दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में चिकित्सीय सेवायें राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा योजनाओं में चिकित्सीय सेवायें राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा योजनाओं की जानकारी जनसामान्य तक अधिक तत्परता से पहुँचाना चाहिए।
3. विभिन्न बिमारियों के फैलने से बचाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलित अस्पताल वाहनों का तत्परता से संचालन होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ:-

1. महिला एवं बालविकास विभाग एवं जिला अस्पताल एवं समाज कल्याण विभाग के पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी
2. प्रशासकीय प्रतिवेदन:- लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2010-11
3. म.प्र. का आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12
4. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12
5. Ministry oe Health and eamily weleare.
6. Sample Registration Survey (SRS), RGI.
7. A bridged liee table 2002-06, RGI

आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं में स्तनपान संबंधी प्रवृति का एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. मंजु शर्मा * डॉ. सुनीता अगलेचा **

1 प्रस्तावना : जन्म के पश्चात् नवजात शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिये पोषण एवं उसके आस पास का पर्यावरण अनुकूल होना आवश्यक होता हैं। मॉ का दूध शिशु की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करता हैं तथा स्तनपान की प्रकिया शिशु के पर्यावरण को अनुकूलता प्रदान करती हैं। मॉ का दूध शिशु के लिये सर्वोत्तम अमृतमय आहार होता हैं। जिसे शिशु स्तनपान की प्रक्रिया द्वारा मॉ से प्राप्त करता हैं। मॉ की बच्चे के प्रति संवेदना विशिष्ट होती हैं उसका स्थान अन्य कोई व्यक्ति नही ले सकता हैं ठीक उसी प्रकार से मॉ के दूध का अन्य कोई विकल्प नही हो सकता हैं। नवजात शिशु में जन्म के पश्चात् ही चूषण की क्रिया स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगती हैं जो की स्तनपान के लिये प्रकृति का अनुपम उपहार हैं।

एक माँ अपने नवजात शिशु को सर्वोत्तम उपहार जो दे सकती है वह है स्वयं का 'दूध' माँ के दूध में वह सभी पोषक तत्व होते है, जो शिशु के छः महीने के विकास में मदद करते है। स्तनपान करने वाले शिशु को सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि माँ के दूध के तत्व शिशु की आवश्यकता के अनुसार बदलते है। माता का दूध ऐसे सभी तत्वों से युक्त होता है जो नवजात शिशु के विकास के लिए जरूरी होते है?

2 शोध अध्ययन के उद्देष्य : 1. आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं में स्तनपान संबंधी रीति रिवाज का अध्ययन करना।

3 उपकल्पना : 2. आदिवासी एवं सामान्यवर्ग की शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं में स्तनपान संबंधी रीति रिवाज में सार्थक अंतर नहीं होगा।

4 निदर्शन विधि : प्रस्तुत अध्ययन में बडवानी जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से तीन तीन गॉव में रहने वाली धात्री महिलाओं को न्यादर्ष के रूप में सम्मिलित किया गया हैं। अध्ययन हेतु कुल 420 महिलाएं जिसमें से 210 आदिवासी वर्ग की महिलाएं (105 अशिक्षित महिलाएं एवं 105 शिक्षित महिलाएं) ओर 210 सामान्य वर्ग की महिलाए (105 अशिक्षित महिलाएं एवं 105 शिक्षित महिलाएं)। का चयन दैव निदर्शन विधि एवं उदेश्यपूर्ण पद्धति द्वारा किया गया हैं।

तालिका क्रं. 3

सामाजिक कार्यो में शिशु को साथ ले जाने संबंधी विवरण		सामान्य वर्ग			आदिवासी वर्ग			
क्रं.	विकल्प	शिक्षित महिलाएँ % संख्या	अशिक्षित महिलाएँ % संख्या	योग	शिक्षित महिलाएँ % संख्या	अशिक्षित महिलाएँ % संख्या	योग	महायोग
1	शिशु को ले जाती हैं	56	55	56	63	70	66	61
	परिवार के पास छोड़ती है	20	25	22	17	11	14	18
3	आया को ले जाती हैं	12	10	11	8	7	8	10
4	भाग नही लेती	12	10	11	12	12	12	11
	योग	100	100	100	100	100	100	100
		N=105	N=105	N=210	N=105	N=105	N=210	N=420

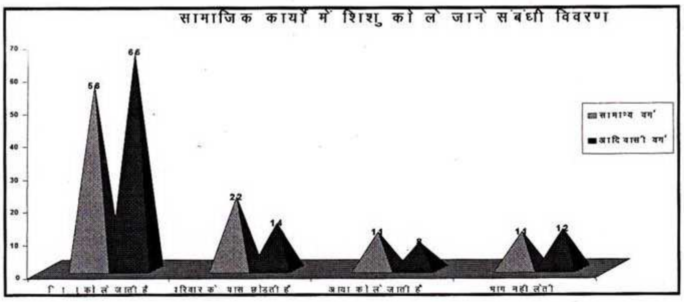

5 उपकरण : आदिवासी एवं सामान्य वर्ग कि महिलाओं में स्तनपान की प्रवृति का अध्ययन करने हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया हैं।

6 सांख्यिकीय विधि : संकलित तथ्यों का सांख्यिकिय विष्लेषण करने हेतु काई वर्ग एवं प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया हैं।

तथ्यों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता हैं कि आदिवासी एवं सामउपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं कि म का मान 8.06 हैं तथा म का मान 7.813 हैं। इस आधार पर हमारी उपकल्पना अस्वीकार हुई हैं। क्योंकि 005 स्तर पर आदिवासी एवं सामान्यवर्ग की शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं में स्तनपान संबंधी रीति रिवाज में सार्थक अंतर पाया गया हैं।

7. निश्कर्ष :

शोध अध्ययन से यह निश्कर्ष निकलता हैं कि आदिवासी एवं सामान्य वर्ग कि शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं के मध्य अन्तर पाया गया हैं। यह देखा गया कि सामान्य वर्ग कि 54 प्रतिशत महिलाएं शिशु को जन्म के आधे घन्टे के अन्मराल में स्तनपान कराती हैं वही आदिवासी वर्ग की 64 प्रतिशत महिलाएं 4 घन्टे व 12 घन्टे बाद शिशु को स्तनपान कराती हैं। इसका मुख्य कारण हैं रूढिवादिता एवं प्रथम दूध का बाहरी स्वरूप अर्थात कोलस्टम जो कि दिखने में पिला गाढा एवं चिपचिपा होता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल सरला बंसल डॉ अविनाश, शिशु स्वास्थ्य, श्याम प्रकाशन जयपुर 2008
2. कपिल एच के, अनुसंधान विधियां, एच पी भार्गव बुक हाउस आगरा 2012
3. एस विवेक अधिश, शिशु एवं बच्चों की आहार पूर्ति परामर्श, बी पी 33 पीतमपुरा हाउस मेरठ 2005
4. सक्सेना मनीशा, झाबुआ जिले की शील आदिवासी महिलाओं में शिशु की पोशण संबंधी आदतें, देवी अहिल्या विष्वविद्यालय इन्दौर 1999
5. मॉ का दूध शिशु का प्रथम टीकाकरण हिन्दी मासिक पत्रिका इन्दौर 2011
6. विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त महिला एवं बाल विकास विभाग धार (म. प्र.) 2003

Internet Sites –

1. breast eeeding promotion network oe india (BPNI)
2. shanti ghos breast eeeling talk
3. unicee repart eor breast eeeding
4. www. linkages project org.
5. birth inieiation oe breast eeeding and the eirst seven days aeter birth.
6. www. researchlink.com

* प्राध्यापक ** पी एच डी शोधार्थी (गृह-विज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.) भारत

ट्रैफिकिंग बनाम वेश्यावृत्ति

डॉ. अंजना धुर्वे *

ट्रैफिकिंग का अर्थ वेश्यावृत्ति नहीं है। ये एक दूसरे के पर्यावाची नहीं है। ट्रैफिकिंग को समझने के लिये जरूरी है कि इसे वेश्यावृत्ति से अलग करके देखा जाये। मौजूदा कानून इम्मॉरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट 1956 (आईटीपीए) के अनुसार, वेश्यावृत्ति उस स्थिति में अपराध बन जाती है जब किसी व्यक्ति का आर्थिक शोषण होता है और कोई व्यक्ति इसका लाभ उठाता है तब इसे यौन शोषण का व्यापार (कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेंशन) यानी सीएसई कहेंगे। यह कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध है। तथा शोषण में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ मामला बनता है। ट्रैफिकिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को सीएसई के लिये नियुक्त, अनुबंधित, उपलब्ध अथवा किराये पर हासिल किया जाता है। इस प्रकार ट्रैफिकिंग एक प्रक्रिया है और सीएसई उसका परिणाम ट्रेफिकिंग अन्य गैर कानूनी कामों का माध्मय भी हो सकती है जैसे यौन अश्लील सामग्री तैयार करना, यौन शोषण अथवा शोषक मूलक श्रम जहाँ यौन दुरुपयोग की स्थिति हो सकती है और नहीं भी हो सकती है।

ट्रैफिकिंग के अपराध में मूलत: निम्नलिखित चीजें शामिल है:-

1. किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से विस्थापित कर दूसरे क्षेत्र में ले जाना।
2. ट्रैफिक किए गए व्यक्ति का शोषण।
3. शोषण का व्यापारीकरण और उसके शिकार व्यक्ति को क्रय-विक्रय की वस्तु बना दे

VfQddrk vkj vU; 'kks"kd %& ट्रैफिकिंग के संगठित अपराध है। सामान्यत: इस अपराध क प्रक्रिया कई स्थानों से गुजरती है, जहां अनेक व्यक्ति शामिल रहते है :

(क) वह स्थान जहां उत्पीड़ित व्यक्ति को हासिल किया गया है।
(ख) वे स्थान जिनसे हो कर उसे ले जाया जाता है।
(ग) वे स्थान जहां उसका शोषण होता है।

शोषकों की सूची में आने वाले व्यक्तियों में ये भी शामिल है।

1. वेश्यालय का संचालक।
2. ग्राहक
3. पैसा लगाने वाले।
4. दुष्प्रेरक।
5. जो यौन शोषण के व्यापार की आमदनी पर गुजारा करते है।
6. पहचान करने वाला, नियुक्त करने वाला, बेचने वाला, ठेकेदार, एजेंट या इनमें से किसी की भी ओर से काम करने वाला।
7. परिवहनकर्ता आश्रय देने वाला।
8. सभी षडयंत्रकारी।

ट्रैफिकिंग अपराध की धारा एवं अधिनियम :- ट्रैफिकिंग की शिकार किसी बालिका के साथ जो अपराध होते है उन्हें भारतीय दंड विधान के अनेक धाराओं में रखा जा सकता है। जैसे-

1. उसे अपने सामाजिक दायरे से जबरन निकाला गया है। जो उसका अपहरण/व्यपहरण करने के बराबर हैं। (इन मामलों में आईपीसी की धाराऐं 361, 362, 365, 366 लागू की जा सकती है।
2. उसे किसी अन्य देश से लाया गया है और उसकी उम्र 21 वर्ष से कम है। (आईपीसी की धारा 366-बी)।
3. उसे किसी के द्वारा बेचा गया है या किसी के द्वारा खरीदा गया है। आईपीसी की धारा 370, 370क, 372, 373।
4. उसे शारीरिक चोट पहुंचाई गई है। (आईपीसी धारा 327, 329)।
5. उसके साथ अपराधिक बल का प्रयोग हुआ है।(आईपीसी धारा 350)।
6. उसे मानसिक रूप से परेशान या प्रताड़ित किया गया है। या मानसिक चोट पहुंचाई गई है। (आईपीसी धारा 351)।
7. उसका लैंगिग उत्पीड़न किया गया है। (आईपीसी धारा 354, 354क, ख, ग, घ)।
8. उस पर लैंगिग हमला या सामूहिक लैंगिग हमला या बार-बार लैंगिग हमला किया गया है।(आईपीसी धारा 376-क, ख, ग, घ, ड़)।
9. इसकी मानहानि की गई।(आईपीसी धारा 374)।
10. यदि उसका गर्भपात कराया गया है। (आईपीसी धारा 312 से 318)।
11. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956।
12. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000
13. भारतीय दण्ड संहिता 1960।
14. दण्ड प्रक्रिया संहिता की वे धाराएं जिनका संबंध अपराध को रोकने यानि उसे न होने देने से है।

मानव अधिकारों का उल्लंघन :-

1. जीने के अधिकार से वंचित करना (गुलाम की तरह बनाकर रखना)
2. सुरक्षा के अधिकार से वंचित करना।
3. प्रतिष्ठा से वंचित करना।
4. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच से वंचित करना।
5. आत्म निर्णय के अधिकार से वंचित करना (उदाहरण के लिये जब उत्पीड़िता की दुबारा ट्रैफिकिंग हो)।

निष्कर्ष:- महिला संबंधी अपराधों के बढ़ते ग्राफ में यदि कमी लाना है उन्हें सशक्त बनाना है तो उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना होगा ताकि वे जान सके कि कानून ने उन्हें कितनी सुरक्षा दी है और कानून के द्वारा वे कौन-कौन से हक हासिल कर सकती है। अन्याय अत्याचार और शोषण का मुकाबला कर सकती है। उन्हें अपने अस्तित्व के प्रति सचेत और जागृत होना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. महिलाओं का उत्पीड़न एवं विधिक उपचार-एस. के.जैन
2. रिसर्च लिंक जुलाई-अगस्त 2006
3. भारतीय नारी की दशा एवं दिशा- परमार
4. अपराध शास्त्र-डॉ. महाजन
5. United nations entity for gender equality and the empowerment of women article.
6. (1997) violence against women: Definition and scope of problem world health scope of problem world health scope of problem world health origination retrievd Nov.30,2013
7. Internet

* सहायक प्राध्यापक, गृहविज्ञान, शासकीय एम.के.वी. कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

विशिष्ट एवं सामान्य क्षमता के मध्य सेतु निर्माण एवं कौशल का विकास

डॉ. आशा पाण्डे *

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहला राज्य है जिसमें सेमेस्टर प्रणाली द्वारा उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन किए है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र हित में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का कठिन संकल्प उठाया है। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय अत्यंत आवश्यक समझा गया। उच्च शिक्षा में प्रतिवर्ष शासकीय संस्थाओं में अनेक छात्र प्रवेश लेते है। यह आंकडा लगभग 90 लाख विद्यार्थियों का है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य जीवन में गुणात्मक मूल्यों को बढ़ाने से है।

गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लाभ समस्त विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के मिले और सभी अपना बाध्य और आंतरिक विषय करने में सक्षम हो तभी इस प्रयास को सार्थकता प्राप्त होगी।

उच्च शिक्षा का सारा आयोजन एवं प्रयोजन विद्यार्थियों के लिए है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना प्राध्यापकों एवं महाविद्यालय भवन का कोई औचित्य नहीं है। महाविद्यालय में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कमी नहीं होती किंतु में जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी प्रतिभाशाली हो ।

आमतौर पर विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार एडवांस लर्नर एवं स्लो लर्नर के रूप में पहचाना जाता है। ऐसे विद्यार्थी जिनकी प्रतिभा खुलकर सामने नहीं आ पाती और जिन्हें अपने गुणों का संचालन नहीं होता एवं अपने प्रतिभा निखारने हेतु कोई भी योजना बनाने या प्रस्तुत करने में अक्षम होते है ऐसी विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पहनाकर और उनकी प्रतिभा का उपयोग करने हेतु योजना बनाई गई हो यदि ऐसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने सहपाठियों को कोई हुनर सीखा सकता है। किसी सृजनात्मक कार्य में अन्य विद्यार्थियों को संयोजित कर सकता है कुछ उल्लेखनीय रूप से करने दिखाने की रूचि जगा सकता है सामान्य ज्ञान बढ़ाने में योगदान दे सकता है तो उसे स्वतंत्रता दी जाय कि वह अपनी योजना लागू करें। शासन की इसी अनुशंसा के अनुपालन में एवं इस उपयोगी विषय को दिशा प्रदान करने हेतु शासकीय मानकुँवर बाई महिला महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 16/01/2014 को सात दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का विषय :-

प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। क्षमता, योग्यता एवं उपलब्धिजन्य विभिन्नताएँ विद्यार्थियों के मध्य अंतर उत्पन्न करती है। उनमें असंलग्नता एवं अलगांव की भावना भी जाग्रत होती है। यद्यपि हम जानते है कि विद्यार्थियों में क्षमतागत अंतर अनेक कारणों से होता है। जैविक कारण, परिस्थिति जन्य समस्याएँ, कौशल का अभाव, एकाग्रता में कमी आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में बाधक हैं। कुछ विद्यार्थी क्षमतावान होने के बावजूद शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं।

इसका मुख्य कारण शिक्षा ग्रहण करने की उनकी प्रक्रिया में कुछ कमियाँ होती हैं। ऐसे विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता सामान्य होती है। लेकिन एकाग्रता की कमी, चिंतन का अभाव, स्मरण शक्ति का क्षीण होना, तार्किकता की कमी के कारण वे पिछड जाते हैं। सामान्य क्षमता वाले छात्र भी विशिष्ट बन सकते हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं यदि उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाये। ये छात्र अपनी कमियों को दूर कर, अपने को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सके और विशिष्ट क्षमता वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ समान स्तर पर आ सके। यह कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य है।

विशिष्ट और सामान्य क्षमता वाले विद्यार्थयों के मध्य सेतु का निर्माण हो, उनका कौशल विकास हो सके सभी छात्र एक सामान्य स्तर पर आ सके उनमें गुणात्मक विकास हो इस कार्यक्रम हेतु छात्राओं को एक सप्ताह तक मार्गदर्शन दिया गया एवं एस.पी.एम. (स्टेन्डर्ड प्रोग्रेसिव मेट्रिक्स) फार्म संबंधित जानकारी दी। दिनांक 16/01/14 को एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई जिसमें विशेषज्ञ सेवानिवृत्त प्राध्यापक भूपेन्द्र निगम एवं सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. आशदुबे ने छात्राओं को इस संबंध में जानकारी दी।

द्वितीय तकनीकी सत्र में छात्राओं पर एस.पी.एम. प्रशासित किया गया तत्पश्चात छात्राओं द्वारा फीड बैक दिया गया इस कार्यशाला में 100 छात्राओं ने भाग लिया जिसमें 70 सामान्य श्रेणी एवं 30 विशिष्ट श्रेणी भी पाई जा गई। विशिष्ट श्रेणी भी पाई जा गई। विशिष्ट श्रेणी छात्राओं द्वारा जानकारी दी गई कि वे किस प्रकार अध्ययन करती है एवं कैसे सफलता प्राप्त करती है। विषय विशेषज्ञ द्वारा छात्राओं को निम्न सलाह दी गई।

1. छात्राएँ समय प्रबधंन करे।
2. सकारात्मक सोच अपनाएँ।
3. नियमित कक्षा अटेन्ड करे।
4. विषय की गूढ़ता को समझे।
5. दिनचर्या नियमित करे।
6. अपनी कमियों पर कार्य करे।
7. विषय विशेषज्ञों से सलाह ले।
8. व्यक्तित्व विकास करे।
9. नोट्स।
10. अपना मूल्यांकन करते रहे।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. पूनवार्स के आयाम - डॉ. आर.ए. जोसेफ पेज न. 118 से 214
2. मनोविकृति विज्ञान- विनती आनन्द
3. विकासात्मक बाल मनोविज्ञान- रामबालेश्वर सिंग
4. उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान - अरूण कुमार सिंग
5. मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ - अरूण कुमार सिंग
6. आधुनिक आसामान्य मनोविज्ञान - अरूण कुमार सिंग
7. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन उच्च शिक्षा विभाग - गुणवत्ता वर्ष 2011-12 मध्य प्रदेश शासन
8. प्रयोग मापन एवं परीक्षण - महेश भार्गव

****

* विभागाध्यक्ष गृहविज्ञान प्रभारी आंतरिक गुणवत्ता आश्वस्ति प्रकोष्ठ शासकीय मानकुँवर बाई महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

ग्वालियर शहर की छात्रावासी एवं गैरछात्रावासी किशोरियों में रक्तालप्ता का अध्ययन

डॉ. पूनम तिवारी * डॉ. मंजु दुबे**

किशोर अवस्था में किशोरियों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास की गति तीव्र हो जाती है। यह तीव्रता 11-14 वर्ष के मध्य सर्वाधिक होती है। उनमें शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते है। अत: किशोरियों की पोषणिक आवश्यकतायें भी बढ़ जाती है। किशोरावस्था में किशोरियों में मासिक धर्म प्रांरभ होता है। जिसके कारण उनमें रक्तालाप्ता (एनीमिया) उत्पन्न हो जाती है। आजकल उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्राऐं घर छोड़कर दूसरे शहरों में छात्रावास में निवास करती है। जिससे उनका खान-पान प्रभावित होता है तथा उनमें रक्तालप्ता उत्पन्न होने की संभावनाऐं और अधिक बढ़ जाती है। रक्तालप्ता के कारण किशोरियों का चेहरा पीला पड़ जाता है तथा नाखून पीले दिखाई देते हैं। त्वचा का रंग भी फीका पड़ जाता है, वे कमजोरी व थकान महसूस करती है तथा उनकी सांस फूलने लगती है। कार्य के प्रति अरूचि उत्पन्न होने लगती है तथा हमेशा लेटे रहने की इच्छा रहती है। इससे उनकी वृद्धि एवं विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सफल व उत्तम जीवन यापन करना प्रत्येक किशोरी का सपना होता है। वे अपने सपनों को तभी साकार कर सकती है जब वे स्वस्थ हो। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ किशोरियाँ ही व्यक्तिगत पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का सफलता पूर्वक निर्वाहन कर सकती हैं। किशोरियों के सुखी, समद्ध एवं सफल जीवन यापन हेतु उनके स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाये रखना आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु शोध कार्य का विषय '' ग्वालियर शहर की छात्रावासी एवं गैरछात्रावासी किशोरियों में रक्तालाप्ता का अध्ययन'' चुना गया है।

उद्देश्य –

1. छात्रावासी एवं गैरछात्रावासी किशोरियों में रक्तालप्ता का स्तर ज्ञात करना।
2. छात्रावासी एवं गैरछात्रावासी किशोरियों में रक्तालप्ता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. किशोरियों में रक्तालप्ता दूर करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना :– परिणामों की सार्थकता ज्ञात करने हेतु शून्य परिकल्पना निम्नानुसार निर्मित की गई – ''छात्रावासी एवं गैर छात्रावासी किशोरियों के हीमोग्लोबिन स्तर में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।''

शोध पद्धति :– शोध अध्ययन हेतु ग्वालियर शहर से 13 से 19 वर्ष की 150 छात्रावासी एवं 150 गैर छात्रावासी, कुल 300 किशोरियों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया। जैव रासायनिक परीक्षण द्वारा उनके रक्त का परीक्षण किया गया। प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया। (तालिका क्र.1 और ग्राफ क्र.1) सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानव विचलन एवं टी-परीक्षण का उपयोग किया गया। (तालिका क्र.2)

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 में छात्रावासी एवं गैर छात्रावासी किशोरियों के हीमोग्लोबिन के स्तर को प्रदर्शित किया गया है। आई.सी.एम.आर. के

तालिका क्रमांक 1

किशोरियों के हीमोग्लोबिन का स्तर

हीमोग्लोबिन का स्तर (ग्राम प्रतिशत)	किशोरियाँ				कुल योग	
	छात्रावासी		गैर छात्रावासी			
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
>11 सामान्य	9	3	98	32.67	107	35.67
9-11 सामान्य से कम	97	32.33	42	14	139	46.33
7-9 मध्यम	44	14.67	10	3.33	54	18
<7 गंभीर	-	-	-	-	-	-
कुल योग	150	50	150	50	300	100

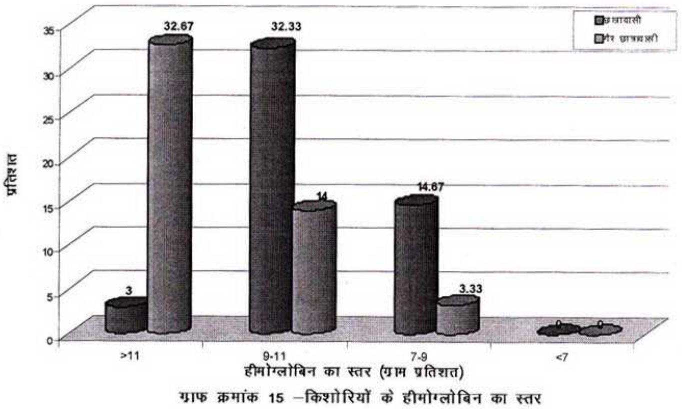

ग्राफ क्रमांक 15 –किशोरियों के हीमोग्लोबिन का स्तर

तालिका क्रमांक 2

किशोरियों का आवास के आधार पर हीमोग्लोबिन का माध्य, मानक विचलन एवं टी. परीक्षण

आवासीय स्तर	माध्य	मानक विचलन	स्वातंत्र्यांश	किशोरियों की संख्या	टी.-परीक्षण का मूल्य	रिमार्क
छात्रावासी किशोरियाँ	9.141	1.0309	298	150	2.235	P<0.05
गैर छात्रावासी किशोरियाँ	9.395	9.395	298	150	2.235	P<0.05

मापक से मूल्यांकन करने पर पाया कि 9(3%) छात्रावासी एवं 98(35.67%) गैर छात्रावासी कुल 107(35.67%) किशोरियों का हीमोग्लोबिन सामान्य पाया गया। 97(32.33%) छात्रावासी तथा 42(14.0%) गैर छात्रावासी कुल 139(46.33%) किशोरियों के हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम पाया गया। 44(14.67%) छात्रावासी एवं 10(3.33%) गैर छात्रावासी कुल 54(18%) किशोरियों का हीमोग्लोबिन

* अतिथि विद्वान, शासकीय कन्या महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.) भारत
** संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.) भारत

का स्तर मध्यम पाया गया। इस प्रकार कुल किशोरियों में 35.67 प्रतिशत किशारियाँ सामान्य श्रेणी, 46.33 प्रतिशत सामान्य से कम, 18.0 प्रतिशत मध्यम श्रेणी की रक्तहीनता किशोरियों में व्याप्त है। रक्तहीनता की गम्भीर कमी किसी भी किशोरी में नहीं है। (ग्राफ क्रमांक 1)

उपरोक्त तालिका क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि किशोरियों के हीमोग्लोबिन का टी-परीक्षण का परिगणित मूल्य 298 स्वतंत्र्यांश पर 2.235 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक हैं अत: शून्य परिकल्पना ''छात्रावासी व गैर छात्रावासी किशोरियों के हीमोग्लोबिन में सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा'', अस्वीकृत होती है। छात्रावासी किशोरियों के हीमोग्लोबिन का माध्य 9.141 है जो कि गैर छात्रावासी किशोरियों के हीमोग्लोबिन के माध्य 9.395 की तुलना में कम है। इस प्रकार छात्रावासी व गैर छात्रावासी किशोरियों के हीमोग्लोबिन के माध्य प्राप्तांकों में सार्थक अंतर पाया गया।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष निकलता है कि ग्वालियर शहर की छात्रावासी किशोरियों के हीमोग्लोबिन का स्तर गैर-छात्रावासी किशोरियों की तुलना में निम्न पाया गया।

सुझाव :–

किशोरियों में रक्तहीनता दूर करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है :-

1. किशोरियों को अपने आहार में अंगूर, किसमिस, सेव, बैर, सुखे मैवे, अंजीर व गुड़ आदि का सेवन करना चाहिए।
2. उच्च जैव मूल्य युक्त प्रोटीन जैसे दूध व पनीर व अण्डा आदि का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए।
3. हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गहरे रंग की सब्जियों का सेवन करना चाहिए।
4. संतुलित आहार लेना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिंह, डॉ. अनीता, ''उपचारात्मक पोषण'', स्टार पब्लिकेशन, आगरा।
2. त्रिवेदी आर.एन., शुल्क डी.पी., रिचर्स मेथालॉजी कॉलेज बुक डिपो, 2008।
3. मिश्रा उषा एवं अग्रवाल अल्का, आहार एवं पोषण विज्ञान, नवीन संस्करण साहित्य प्रकाशन।
4. नारायण सुधा आहार विज्ञान, 1982।
5. कुलकर्णी ज्योति सामान्य एवं उपचरात्मक पोषण।
6. मुकर्जी रविन्द्र नाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन दिल्ली 2010।
7. मुकर्जी रविन्द्र नाथ, सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन दिल्ली 2010।
8. श्रीवास्तव डी.एन., वर्मा प्रीति, मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा

****

Business Process Outsourcing (Emerging, Issues and Challenges)

Dr. Abhay Mungee * Dr. M.R. Mahale **

Concept:-

Today the power of Globalization and Economic Lubrication has changed the face of this universe, and we become a global village, It means that there is no traffic distance between U.K., south Africa and India. Globalization impact we can see very well with the concept of BPO.

Business Process outsourcing is a process of transferring the functional authority. Process and entire business to the supplier is for certain period of contract as a part of business. It involves transfer of function. Manpower and management process of business.

PO enhances productivity by creating streamlined and efficient processes. And because many process address standard business practices check, remittance and insurance processing; finance and accounting human resources travel expense reporting- they can be merged with others work to create economics of scale.

Today business process outsourcing has become an adequate process to make a healthy business.

TODAY GLOBLIZATION and high competitive world has made many International and multinational companies. Come to term with growing demand for quality and service. The service sector has gained the bull's eye in this world. Today the management supplies and developing resource for service and service personnel has become the hottest for BPO.

Developing importance for cheaper work force, effective and result oriented work force or service personnel has made India, one of the most wanted or a favorable destination for every multination companies of the world.

Indian Scene:

Undoubtfully our motherland India grown very well during 59 years of India's freedom. But it is also fact that we have failed to remove all time poverty, unemployment gap between rich and poor inequality of income distribution.

India is highly populated country and has less resources to fulfill the demand for services. So our educated masses search out for destination to serve and earn livelihood.

Thirdly the india service force is hardworking punctual and more important highly qualified to give more than expected out of it. More important for its fluent English language.

The above three factors make india a great Market center for manpower.

India As A BPO Gaint:

Population wise we are second largest after china in the world. Whether we look at total population or we look to young working hands, India in having largest army of young English speaking and computer operating manpower on this front we have beaten china our computer engineer are working different countries in all over world.

Today India is a developing economically due this growth of its young energetic youth working abroad. Lots of money inflows through services.

Global giants estimate jobs in India's booming software service sector to grow 23% as the sector benefits from outsourcing. This show piece sector which includes high end technology consulting, back office and call center work is expected to employ soon 8,13,500 people by march 2004 the National Association of s/w and service companies said in this its annual multiplied five fold over seven years.

Experts from back office; service are seen rising 54% to dollar 3.5 billion in the year ending to march 2004. Giants like IBM crop, with an Indian head count of around 10,000 and Accentors Ltd., which is expected to double staff to their number by 2005, are expanding their activities in a big way. Call center have been hiring Youths by the thousands for the past four years.

Using high speed telecom India, based firms services including Insurance claims, processing pay roll accounting data tabulation and equity research to clients or overseas parents locate halfway round the world.

Indian software exporters such as TCS and Infosys technologies are exporting work force to mulk national companies like Bank of America Crop (BOA). Two third of US bank outsource work to developing, low cost countries such as India. In Europe HSBC, ABN, ANRO and Deutsche Bank are the major bank to shift work overseas.

One of the famous global managing editor of Rater toils New York Times that "India is a place where you can get people who understand English understand financial statement, understand journalism and who are educated to a very high

*Asst. Prof. (Commerce) ** Asst. Prof. (Commerce) Govt. Degree College, Barwaha (M.P.) INDIA

standard and eager to do this kind of work."

BPO has set off a building boom in such cities as Bangalore, Mumbai and Delhi while spelling gloom for Asia's traditional business center of Singapore, Honkong and Tokyo.

Good English and even a gift of learning accents have made Indians popular managing call centers serving Britain, the United States and Australia. The latest trend is for investment bank to shift parts of their research arms to India. Morgan Stanley and J.P. Morgan and Co. are planning to hire dozens of analysts in Mumbai this year.

The unbelievable is happening to India with India Youth taking away jobs from overseas. It is said as a result of outsourcing jobs cuts, skilled foreign workers from these countries are now exploring job opportunities in India. India is fast emerging as one of the most favored destination for professionals from developed countries. "until some times back it was only expatriate Indians who are shifting to places like Bangalore and Mumbai. However for the last fe months overseas worker have also tarted showing interest in India" said Mr. Anil Mahajan, Executive Direct of talent hunt private limited a leading Human Resources firms the country.

So it is clear that an open world trading system is generally a positive contribution to economic prosperity. It increases living standards both at home and aboard. It is observed that any Republicans Centers of USA are very of jobs outsourcing the jobs to countries like India.

The outcry over business Process outsourcing is misleading. Now the tide has changed and it is the price the affluent have to pay for globalization. Globalization is a two-way street and it now helps at least a section of the youth in India and helps India's economic growth it should be welcomed.

Today along with telecom gents many top companies of india have started making said business in BPO and are establishing themselves in perfect call centers for western countries in fulfilling the employment needs for global companies.

List of Reference:

1. 11th five year plan, Economic time's of India
2. Indian statistical abstract 2013 India
3. Economic survey of India
4. FICCI Business Dingiest dec.

****

Role Of E-Commerce and Net-Banking in RBI

Dr. Ashok Sharma* Dr. Aruna Sharma*

Introduction - The Reserve Bank of India was established on April 1,1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934. The Central Office of the Reserve Bank was initially established in Calcutta but was permanently moved to Mumbai in 1937. The Central Office is where the Governor sits and where policies are formulated.

Financial Supervision :- The Reserve Bank of India performs this function under the guidance of the Board for Financial Supervision (BFS). The Board was constituted in November 1994 as a committee of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India.

Objective :- Primary objective of BFS is to undertake consolidated supervision of the financial sector comprising commercial banks, financial institutions and non-banking finance companies. The BFS oversees the functioning of Department of Banking Supervision (DBS), Department of Non-Banking Supervision (DNBS) and Financial Institutions Division (FID) and gives directions on the regulatory and supervisory issues.

Functions

Some of the initiatives taken by BFS include:

1. restructuring of the system of bank inspections
2. Introduction of off-site surveillance,
3. Strengthening of the role of statutory auditors and
4. Strengthening of the internal defences of supervised institutions.

Current Focus:-

- Supervision of financial institutions
- Consolidated accounting
- Legal issues in bank frauds
- Divergence in assessments of non-performing assets and
- Supervisory rating model for banks.

Monetary Authority:

- ❖ Formulates, implements and monitors the monetary policy. maintaining price stability and ensuring adequate flow of credit to productive sectors.

Regulator and supervisor of the financial system:

- ❖ Prescribes broad parameters of banking operations within which the country's banking and financial system functions.
- ❖ Objective: maintain public confidence in the system, protect depositors' interest and provide cost-effective banking services to the public.

Manager of Foreign Exchange

- ❖ Manages the Foreign Exchange Management Act, 1999.
- ❖ Objective: to facilitate external trade and payment and promote orderly development and maintenance of foreign exchange market in India.

Issuer of currency:

- ❖ Issues and exchanges or destroys currency and coins not fit for circulation.
- ❖ Objective: to give the public adequate quantity of supplies of currency notes and coins and in good quality.

Related Functions

- ❖ Banker to the Government: performs merchant banking function for the central and the state governments; also acts as their banker. Banker to banks: maintains banking accounts of all scheduled banks.

E-Commerce in RBI :- The Vision Statement indicates RBI's renewed commitment towards providing a safe, efficient, accessible, inclusive, interoperable and authorised payment and settlement systems for the country. Payment systems will be driven by customer demands of convenience ease of use and access that will impel the necessary convergence in innovative e-payment products and capabilities. Integration of various systems through unified solution architecture and current technology would lead to adoption and usage of resilient payment systems. Regulation will channelise innovation and competition to meet these demands consistent with international standards and best practices. The overall regulatory policy stance is oriented towards promoting a less cash/less paper society, the "green" initiative, and hence the increased emphasis on the use of electronic payment products and services that can be accessed anywhere and anytime by all at affordable prices. Embracing new technology and innovation to unveil a bouquet of simple1, low cost, easy to use modern payment products and services would be the corner stone of this endeavour. The Reserve Bank recognises that building dexterity of payment systems through standardisation and a broad consultative process is a continuing agenda. In light of the above, the Vision Statement sets out the roadmap to ensure benefits of a structured modern payment and settlement systems, including innovative products, to reach out beyond the currently served target groups thereby facilitating greater financial inclusion. This is

* Asst.Professor of Commerce, ** Asst.Professor of Political Science, Govt J.Y.C.G. College, Raipur (C.G.) INDIA

to be achieved by nurturing a payment system that adequately serves the national and international transaction needs of the nation.

RBI has now issued new norms as per which the payments would be directly credited to the merchants and not to intermediaries like CCAvenue and paypal. This means that within 3 days of transaction the merchant will have the money with it and would be ready to ship the product to the consumer. This RBI guideline is definitely a step in the right direction and should reduce the scope for excuses on the part of merchants for poor or delayed shipments.

Mobile Banking transactions in India :- Mobile phones as a delivery channel for extending banking services have off-late been attaining greater significance. The rapid growth in users and wider coverage of mobile phone networks have made this channel an important platform for extending banking services to customers. With the rapid growth in the number of mobile phone subscribers in India (about 261 million as at the end of March 2008 and growing at about 8 million a month), banks have been exploring the feasibility of using mobile phones as an alternative channel of delivery of banking services. Some banks have started offering information based services like balance enquiry, stop payment instruction of cheques, transactions enquiry, location of the nearest ATM/branch etc.

Acceptance of transfer of funds instruction for credit to beneficiaries of same/or another bank in favor of pre-registered beneficiaries have also commenced in a few banks. In order to ensure a level playing field and considering that the technology is relatively new, Reserve Bank has brought out a set of operating guidelines for adoption by banks. For the purpose of these Guidelines, "mobile banking transactions" is undertaking banking transactions using mobile phones by bank customers that involve credit/debit to their accounts. It also covers accessing the bank accounts by customers for non-monetary transactions like balance enquiry etc.

Regulatory & Supervisory Issues : Only banks which are licensed and supervised in India and have a physical presence in India will be permitted to offer mobile banking services. The services shall be restricted only to customers of banks and holders of debit/credit cards issued as per the extant Reserve Bank of India guidelines. Only Indian Rupee based domestic services shall be provided. Use of mobile banking services for cross border transfers is strictly prohibited. Banks may also use the services of Business Correspondent appointed in compliance with RBI guidelines, for extending this facility to their customers. The guidelines issued by Reserve Bank on "Know Your Customer (KYC)", "Anti Money Laundering (AML)" and Combating the Financing of Terrorism (CFT) from time to time would be applicable to mobile based banking services also. Only banks who have implemented core banking solutions would be permitted to provide mobile banking services. Banks shall file Suspected Transaction Report (STR) to Financial Intelligence Unit – India (FID-IND) for mobile banking transactions as in the case of normal banking transactions.

Registration of customers for mobile service :- Banks shall put in place a system of document based registration with mandatory physical presence of their customers, before commencing mobile banking service.

Technology and Security Standards :- Information Security is most critical to the business of mobile banking services and its underlying operations. Therefore, technology used for mobile banking must be secure and should ensure confidentiality, integrity, authenticity and non-repudiability. Inter-operability Banks offering mobile banking service must ensure that customers having mobile phones of any network operator is in a position to avail of the service. Restriction, if any, to the customers of particular mobile operator(s) is permissible only during the initial stages of offering the service, up to a maximum period of six months subject to review. The long term goal of mobile banking framework in India would be to enable funds transfer from account in one bank to any other account in the same or any other bank on a real time basis irrespective of the mobile network a customer has subscribed to. This would require inter-operability between mobile banking service providers and banks and development of a host of message formats.

Clearing and Settlement for inter-bank funds transfer transactions :- To meet the objective of a nation-wide mobile banking framework, facilitating inter-bank settlement, a robust clearing and settlement infrastructure operating on a 24x7 basis would be necessary. Pending creation of such a national infrastructure, banks may enter into bilateral or multilateral arrangement for inter-bank settlements, with express permission from Reserve Bank of India, wherever necessary.

Customer Complaints and Grievance Redressal Mechanism :- The customer /consumer protection issues assume a special significance in view of the fact that the delivery of banking services through mobile phones is relatively new.

9. Board approval :- Approval of the Board of Directors (Local Board in case of foreign banks) for the product as also the related security policies must be obtained before launching the scheme.

Technology and Security Standards :- Banks are required to put in place appropriate risk mitigation measures like trans-

action limit (per transaction, daily, weekly, monthly), transaction velocity limit, fraud checks, AML checks etc. depending on the bank's own risk perception, unless otherwise mandated by the Reserve Bank.

Authentication :- Banks providing mobile banking services shall comply with the following security principles and practices for the authentication of mobile banking transactions:

a) All mobile banking shall be permitted only by validation through a two factor authentication.
b) One of the factors of authentication shall be mPIN or any higher standard.
c) Where mPIN is used, end to end encryption of the mPIN shall be ensured, i.e mPIN shall not be in clear text anywhere in the network.
d) The mPIN shall be stored in a secure environment.

4. Proper level of encryption and security shall be implemented at all stages of the transaction processing. The endeavor shall be to ensure end-to-end encryption of the mobile banking transaction. Adequate safe guards would also be put in place to guard against the use of mobile banking in money laundering, frauds etc. The following guidelines with respect to network and system security shall be adhered to:

a) Implement application level encryption over network and transport layer encryption wherever possible.
b) Establish proper firewalls, intruder detection systems (IDS), data file and system integrity checking, surveillance and incident response procedures and containment procedures.
c) Conduct periodic risk management analysis, security vulnerability assessment of the application and network etc at least once in a year.
d) Maintain proper and full documentation of security practices, guidelines, methods and procedures used in mobile banking and payment systems and keep them up to date based on the periodic risk management, analysis and vulnerability assessment carried out.
e) Implement appropriate physical security measures to protect the system gateways, network equipments, servers, host computers, and other hardware/software used from unauthorized access and tampering. The Data Centre of the Bank and Service Providers should have proper wired and wireless data network protection mechanisms.

5. The dependence of banks on mobile banking service providers may place knowledge of bank systems and customers in a public domain. Mobile banking system may also make the banks dependent on small firms (i.e mobile banking service providers) with high employee turnover. It is therefore imperative that sensitive customer data, and security and integrity of transactions are protected. It is necessary that the mobile banking servers at the bank's end or at the mobile banking service provider's end, if any, should be certified by an, accredited external agency. In addition, banks should conduct regular information security audits on the mobile banking systems to ensure complete security.
6. For channels which do not contain the phone number as identity, a separate login ID and password shall be provided to ensure proper authentication. Internet Banking login IDs and Passwords shall not be allowed to be used for mobile banking.

Customer Protection Issues :-

1. Any security procedure adopted by banks for authenticating users needs to be recognized by law as a substitute for signature. In India, the Information Technology Act, 2000, provides for a particular technology as a means of authenticating electronic record. Any other method used by banks for authentication is a source of legal risk. Customers must be made aware of the said legal risk prior to sign up.
2. Banks are required to maintain secrecy and confidentiality of customers' accounts. In the mobile banking scenario, the risk of banks not meeting the above obligation is high. Banks may be exposed to enhanced risk of liability to customers on account of breach of secrecy, denial of service etc., on account of hacking/ other technological failures. The banks should, therefore, institute adequate risk control measures to manage such risks.
3. As in an Internet banking scenario, in the mobile banking scenario too, there is very limited or no stop-payment privileges for mobile banking transactions since it becomes impossible for the banks to stop payment in spite of receipt of stop payment instruction as the transactions are completely instantaneous and are incapable of being reversed. Hence, banks offering mobile banking should notify the customers the timeframe and the circumstances in which any stop-payment instructions could be accepted.
4. The Consumer Protection Act, 1986 defines the rights of consumers in India and is applicable to banking services as well. Currently, the rights and liabilities of customers availing of mobile banking services are being determined by bilateral agreements between the banks and customers. Taking into account the risks arising out of unauthorized transfer through hacking, denial of service on account of technological failure etc. banks

providing mobile banking would need to assess the liabilities arising out of such events and take appropriate counter measures like insuring themselves against such risks, as in the case with internet banking.

5. Bilateral contracts drawn up between the payee and payee's bank, the participating banks and service provider should clearly define the rights and obligations of each party.
6. Banks are required to make mandatory disclosures of risks, responsibilities and liabilities of the customers on their websites and/or through printed material.
7. The existing mechanism for handling customer complaints / grievances may be used for mobile banking transactions as well. However, in view of the fact that the technology is relatively new, banks should set up a help desk and disclose the details of the help desk and escalation procedure for lodging the complaints, on their websites. Such details should also be made available to the customer at the time of sign up.
8. In cases where the customer files a complaint with the bank disputing a transaction, it would be the responsibility of the service providing bank, to expeditiously redress the complaint. Banks may put in place procedures for addressing such customer grievances. The grievance handling procedure including the compensation policy should be disclosed.
9. Customers complaints/grievances arising out of mobile banking facility would be covered under the Banking Ombudsman Scheme 2006 (as amended up to May 2007).
10. The jurisdiction of legal settlement would be within India.

Conclusion :-

A safe, efficient, accessible, inclusive, interoperable and authorised payment and settlement systems for the country. Payment systems will be driven by customer demands of convenience ease of use and access that will impel the necessary convergence in innovative e-payment products and capabilities. The Audit Sub-committee of BFS has reviewed the current system of concurrent audit, norms of empanelment and appointment of statutory auditors, the quality and coverage of statutory audit reports, and the important issue of greater transparency and disclosure in the published accounts of supervised institutions.

References:

1. Berkey, Judson O. A Framework Agreement for Electronic Commerce Regulation Under the GATS. Institute of International Finance, December 2001.
2. Berkey, Judson and Tinawi, Emad. "E-Services and the WTO: the Adequacy of the GATS Classification Framework." OECD, 1999.
3. Engni, David Vivas. Issues on the Relationship between E-Commerce and Intellectual Property Rights in the WTO: Implications for Developing Countries. South Centre, September 2001.
4. Goldstein, Andrea and O'Connor, David. "E-Commerce for Development: Prospects and Policy Issues." Organization for Economic Cooperation and Development, September 2000.
5. Hauser, Heinz and Wunsch, Sacha. "A Call for a WTO E-Commerce Initiative." Swiss Institute for International Economics and Applied Economic Research, February 2001.
6. Mattoo, Aaditya and Schuknecht, Ludger. " Trade Policies for Electronic Commerce." World Bank, June 2000. Panagariya, Arvind: "E-Commerce, WTO and Developing Countries." UNCTAD, July 1999
7. Singh, A. Didar. "Electronic Commerce: Issues for the South." South Centre, October 1999.
8. Singh, A. Didar. "Electronic Commerce: Issues of Policy and Strategy for India." Indian Council for Research on International Economic Relations, September 2002.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Moral Values in Advertising

DR. Abhay Mungee*

Introduction

Human beings are world creators. One of the worlds that human beings have created is the world of money commodities trades, exchanges. To me it's a world full of beauty and in equal proportions, messy exotic scary No one who has made their home in this world would see this the way an outsider and being a philosopher makes me by definition an outsider can see this.

I regard the business area the world of buyers and sellers, bosses and workers, Procedures and consumers the world of money as nothing less than and ontological category, a way of being. It is not accidental to who we are. It define the way we related to each other and to the world around us. But it is not only way of being. There are other ways, and the most fundamental od these is amoral values.

Ethics, as understood here, is defined by the I- thou relationship:

When I engaged another person in moral dialogue, there are not two parallel process of practical deliberation going on, his and mine but only one.(Contrast this with the case of a 'dialogue between ' politician or traders, where each is privately deliberating how to gain the upper hand.) In opening myself up and addressing the order as a thou O am already committed to the practical consequences of agreement, of doing the action which by the combined light of his valuation perspective and mine is seen as the thing to be done.

Advertising: For Good Or evil?

But how fair is the business game really. On the face of it procedures and playing here are three charges leveled against advertiser:

- They sell us dreams, entice us into confusing dreams with reality.
- They pander to our desires for things that are bad for us.
- They manipulate us into wanting things we don't really need.

All this can be summed up in the popular sentiment that advertisers cynically use a world of fantasy and illusion in an attempt to control us.

Most people who express this sentiments however, would add that the attempts doesn't succeed. We see through the ruse,(or at least it is always other people who seem to have the wool pulled over the eye never ourselves) that's a claim to take with a big pinch of salt.

In recent times advertising has become increasing regulated by codes of practices these code may be adequate to curb the worst excesses of advertising It is much harder nowadays for advertisements to get away with telling outright lies. But the still fall far short of answering these three indictments.

That suggests the following question: suppose that u were an advertiser who wanted to be truly ethical and not just legal. What would you have to do? Let's look at each of the indictments.

Pandering:-

WE TELL A CHILD, 'you'll feel sick if u eat that second chocolate bar.' Yet advertisers are only too willing to sell us as many chocolate bars as we can eat- or whatever our particular vice may be.

In today's climate, as a would be ethical advertiser there's no way you could accept a cigarette advertising account. With the current problem of binge drinking in the UK amongst young people one would have to be very careful In accepting accounts. I have yet to see a drinks advert whose message was

' Enjoy our beer but don't drunk!'

Advertisement can set out with the laudable aim of educating people 'eat our cereal because it's low in fat and high in fiber this is a good advice. If consumer were less sensitive to such appeals to improve their health and life style then advertiser would not waste time and money making them.

This illustrates the important point that advertisement can be very knowing showing an awareness of the ethical issues which marketing that particular product, while at the same time deftly deflecting criticism, we are not offend because we get the point, we smile at the irony and buy the product.

Manipulating:-

Suppose you are a deodorant manufacturer who has conceived the idea of an ethical advertising campaign. It goes without saying that the deodorant has got to work effectively as claimed. It should not contain chemicals which are bed for our health. This is more or less where we are now in relationship to current rules on advertising.

But what does it mean for a deodorant to be effective? On a hot day, you will be more confident in the company of other people, because they will not be able to detect your body odor. Critics of deodorant advertising have pointed out, however, that although it is true that the deodorant has the power to

* Asst. Professor (Commerce), Govt. College, Barwaha (M.P.) INDIA

prevent odor, and this is a ground for extra confidence, the reason why it is a ground for confidence is at least partly due to belief of attitude which has itself been inculcated by advertising.

'Body odor' is one of the classic phrases invented by advertisers, embodying the concept that any natural human smell is, or ought to be regarded as offensive. It is hard to question a belief when it has become part of language itself. If you have B.O. that is something is bad, by definition. B.O. is unpleasant and offensive because odors are unpleasant, or only some.

So let's take our imagination scenario form here:

The ethical deodorant marketing team take the brave decision to question this assumption. The design and advertising of the product will be based around the idea that there are pleasant as well as unpleasant bodily odors. The chemists are asked to come up with a product which gets rid to the unpleasant odors while not masking the pleasant ones. After extensive research and testing, the product is launched.

The campaign is a great success. The concept captures the public imanation, better than anyone had dared hope.

However, a new trend emerges from the on-going market research. A significant proportion to the people questioned expressed a willingness to try a product which enhances their 'naturally pleasant' bodies smell. The chemists identify a complex blend of chemicals, some of which are capable of synthesis in a laboratory. The ethical marketing teams now face a difficult dilemma.

How can it be wrong to market the chemically enhanced product, if this was what people want? The argument for not doing so is that it was the success of the first campaign that created the demand for an added 'natural bodily smell', where none had existed before. This is the very thin that the ethical advertising team had sought to avoid! Against competitors who show no such scruples, however, the ethical advertisers face a losing battle in the marketplace.

Conclusion:-

I raised the question whether it is possible to be an ethical adversity - in the true sense of 'ethical', and not merely in the minimalist, legal sense of respecting the rules that govern play in the business arena, such as honesty and fairness.

I have argued that reflection on what ethics demands makes the hurdles impossibly high the stark truth is that manufactures and advertisers are as much controlled by the fickle consumer as in control. Rules can be set down concerning what is factually, decent and fair. It is not the advertiser's job to make people better than they are, or want better things than they want. That is the work for politicians and preachers, or, possibly, philosophers.

A defense of advertising against unjustified demands is bound to be less spectacular than an attack. However, don't forget the point of all this. My aim is to defend ethics against pressures that would weaken or dilute its requirements in order to fit in with a so called 'business ethics'. Ultimately, we are all members of the moral world, whatever games we choose to play, whatever other worlds we may inhabit. No one escapes ethics.

Reference:-

1. The Ethics of dialogue - Geoffey klempher
2. The business arena - 2004
3. Plato progress - Gilbert Ryle
4. So many various website

****

Recognition And Assessment Of Ergonomic Risk Factors Leading To Musculoskeletal Injuries

Dr. Namrata Arora Charpe *

Abstract - Work related musculoskeletal disorders such as low back injuries and upper limb musculoskeletal disorders are a major cause of disability and worker's compensation throughout the world. The objective of the paper is to provide the workers with information and procedures necessary to identify and control the conspicuous ergonomics workplace risk factors of musculoskeletal disorders. To minimize the strain on the worker, it is important to illustrate ergonomic risk factors and job design principles.

Key words: Ergonomic Risk Factors, Musculoskeletal Injury, Repetitive Strain Injuries, Cumulative Trauma Disorders

Workplace related musculoskeletal disorders continue to be one of the leading causes of preventable injuries and disorders in workplaces. Recognition of poorly designed work and workplace environments can lead to an effective assessment of strain imposed on the body of the worker. There should be an understanding to human and financial cost of workplace injuries and their relation to poor design. This can help identify specific ergonomic hazards and developing strategies for injury prevention. There is an unequivocal evidence to support the fact that repetitive strain injuries are caused by exposure to ergonomic hazards at work, and that ergonomic applications can be effective in reducing these disorders.

The aim of ergonomics is to ensure that human needs for safe and efficient working are met in the design of the work system. The goal of ergonomics is to optimize the interaction between the human body and its physical surround.

To meet these goals, the capabilities and limitations of workers and their tools, equipment and furniture are considered in conjunction with how they relate to particular tasks. Poor ergonomics often leads to health issues like Carpal Tunnel Syndrome, back and neck pain, strained eyes and general fatigue.

The application of ergonomics to the design to various pieces of furniture and workspace layouts influences these aspects of design with which a user physically interacts. An ergonomically designed workstation can be arrived at by including all relevant information about the characteristics of users into the design process. For this an ergonomist requires data on distribution of popliteal heights and hip breadth in population, standing elbow height. Sitting elbow height and various other attributes of static and dynamic anthropometry as well as information about the requirements of the task like positional forces, cycle times, paced/unpaced work etc.

The aim, therefore, is to achieve a transparent interface between the user and the task such that the equipment they are using does not distract users. Distractions may be due to discomfort or to workstation usability problems. Thus, designers need to consider task requirements and the anatomical, physiological and anthropometrical characteristics of users. The usability problems can occur particularly when a change in function or method is not accompanied by workplace redesign.

Posture should be an important consideration while designing the workplace and jobs. Three variables of working posture i.e. task requirements, workspace design and personal factors help to analyze posture and design workspaces. The task requirements include visual requirements, manual requirements, cycle times and rest periods.

The workspace design consists of seat dimensions, work surface dimensions, equipment design, headroom, legroom, foot room, illumination levels and quality. The variable called personal factors comprises age, anthropometry, body weight, fitness, joint mobility, range of movement, existing musculoskeletal disorders, previous injury or surgery, eyesight, dexterity etc.

Any mismatches can lead to crippling repetitive strain injuries, hence reduction of postural stress is fundamental to workstation design the stabilization is provided by muscles farther up the kinetic chain, which may become fatigued if exposed to heavy loads or denied rests.

The disorders can be stated as an alteration in an individual's usual sense of wellness or ability to function. It expends significant effort responding to concerns over the safety and health, as well as the comfort and level of exertion, of the workforce through improvements in the work environments, training and equipment improvements.

Effective integration of new technologies depends on how

* Associate Professor, Resource Management, Banasthali Vidyapith (Raj.) INDIA

comfortable users are with the changes that come about as they are introduced. In order to facilitate this, and to maximize proper use of equipment, users must be knowledgeable in several areas

- Familiarity with the equipment itself, including design features and components
- General understanding of principles of body mechanics
- GeneuUUnderstanding of ergonomic principles and their application to work and workstations
- Familiarity with appropriate assistance with equipment and ergonomic issues. The way work is organized and the way equipment is used can affect the health of the workers. The following guidelines can address the ergonomic issues:
- Providing clear job description and performance specifications
- Considering the nature of task and work flow
- Implement actions to minimize monotony
- Establishing clear deadlines and schedule work to avoid recurrent deadline stress
- Anticipating peak workloads
- Providing ergonomic awareness to facilitate user responsibility for comfort and health

References

1. Workplace Related Discomfort, 2002, Loss Control Technical Information Paper Series.The Hartford Loss Control Department
2. Chair Ergonomics: Selecting an Ergonomic Chair, 2002, Loss Control Technical Information Paper Series. The Hartford Loss Control Department
3. Portable Computers and Ergonomics 2002 Loss Control Technical Information Paper Series, The Hartford Loss Control Department
4. Ergonomics: Back in the ring. 2002 Safety and Health
5. Bridger, RS. Introduction to Ergonomics. Tata McGraw Hill, New York. 2009
6. Ergonomics: How to make your workplace comfortable. The Week Supplement, Malyala Manorama Press, Kottayam. January 4,2004

****

Exchange Control in India (Article)

Dr. Satish Maheshwari * Trapti Maheshwari **

Exchange control was introduced in India on the outbreak of the Second World war on 3rd September, 1939, as an adjunct to the British system to boos the U.K.'s war efforts and embraced the transactions between India and the then non-sterling area countries. At the end of the War, the huge sterling balance accumulated on India's account in London during the War years were frozen by the U.K. Government, though India, after Independence, needed foreign exchange most to meet the requirements of her developing economy. But the country's sources of foreign exchange eawrnings were limited to the exports of a few traditional commodities like tea, jute, etc.

Thus, the freezing of the sterling balance *vis-avis* the needed imports of plant and machinery, raw materials, foodstuffs, etc. led to large deficits in India's balance of payments, even when the country's foreign balances were supplemented by borrowings form abroad Hence, to conserve the country's scarce foreign exchange resources for use to the best national advantage, according to a scheme of priorities and to correct the balance of payments deficits, the war-time measure was continued, taking advantage of the provisions of Article XIV of the IMF Agreement, as a peace-time control system under the Foreign Exchange Regulation Act, 1947, effective 25th March, 1947, which has since been replaced by the Foreign Exchange Management Act, 1999, amended under Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2000, the operations of the Exchange Control system have now come to encompass transactions with all countries outside India, excepting Nepal and Bhutan.

Exchange Control means official interference in the foreign exchange dealings of a country. The control may extend over a wide area, covering the import and export of goods and services, remittances from the country, inflow and outflow of capital, rate of exchange, methods of payment, maintenance of balance at foreign centres, acquisition and holding of foreign securities, financial relationship between residents and non-residents, etc. Exchange control, in short, involves a rationing of foreign exchange among various competing demands for it, and is effected through control of receipts, or of payments, or of both as in India. The control of receipts is intended to centralise the country's means of external payments in a common pool in the hands of its monetary authorities to facilitate judicious use thereof, and the control of payments is intended to restrain the demand for foreign exchange broadly in consonance with the national interests within the limits of available resources.

The main objects of exchange control are to maintain the value of the country's currency in terms of other currencies and to bring about and maintain as far as practicable an equilibrium in the country's balance of payments.

Besides, the control on the import and export of goods, the othere methods used for exchange control are :

1. Control of the exchange rate, *i.e.,* fixing the exchange rate of the country's currency in terms of other currencies, exchange pegging, etc.
2. Fixing currency areas, *i.e.,* fixing the currencies in which payments for imports and exports should be made and received, to and from specified countries. Such fixing, by restricting the convertibility of home currency in terms of other currencies, hepls the growth of foreign exchange resources in approved currencies considered necessary in the national interest.
3. Bilateral agreements, *i.e.,* trade agreements between two countries contracted principally for the purpose of avoiding the balance of payments deficits.

The Exchange Control Policy is determined by the Ministry of Foreign Trade, Government of India, on the basis of the Foreign Exchange Management Act, 1999 while the day-to-day administration thereof is left to the Reserve Bank. To achieve the objectives of the Control, the Exchange Control Department works hand in hand with Trade Control authorities who control the import and export of goods.

****

* Professor of Commerce ** Research Scholer (Ph.D.) - Swami Vivekanand Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.) INDIA

भारतीय आर्थिक संवृद्धि एवं रोजगार सृजन प्रवृत्ति - एक विश्लेषण

डॉ. सपना सोनी *

आर्थिक संवृद्धि के अर्थ को प्रतिव्यक्ति-आय में सतत् वृद्धि तथा उसके साथ-साथ राष्ट्रीय आय व सम्पत्ति के वितरण में समान की स्थिति उत्पन्न करने से लगाया जाता है या सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संवृद्धि = प्रतिव्यक्ति-उत्पाद में वृद्धि = सकल घरेलु-उत्पाद में वृद्धि के रूप में व्यक्त करते है। आर्थिक संवृद्धि की चर्चा करते समय हमारा उद्देश्य केवल मात्रात्मक परिवर्तन (अधिक उत्पादन) से न होकर गुणात्मक परिवर्तन (अधिक श्रमिक उत्पादकता) से होना चाहिए। इस गुणात्मक परिवर्तन से ही भारत जैसे अधिशेष श्रम वाली अर्थव्यवस्था को उच्च (विकसित) स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। परम्परागत सोच में यह समझा जाता रहा है कि यदि आर्थिक संवृद्धि (सकल घरेलु उत्पादन) 5-7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होती रहती है तो स्वयं ही उत्पादन एवं रोजगार संरचना में इस प्रकार परिवर्तन हो सकता है कि आर्थिक संवृद्धि की भागीदारी में कृषि का हिस्सा कम होता जायेगा और निर्माण क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) का हिस्सा बढ़ता जायेगा अर्थात विकास, कृषि के बजाय तेज औद्योगिकरण की गति से किया जाए। इस स्थिति में गरीबी उन्मूलन, आर्थिक असमानता में कमी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि आदि कोई बात प्रमुखता से शामिल न हो तो भी आर्थिक संवृद्धि को प्रभाविकता से उपरोक्त क्षेत्रों में धीरे-धीरे इनके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इस संवृद्धि को रिसाव-प्रभाव आर्थिक संवृद्धि (rickle-down effect) कहा जाता है। बीसवीं शताब्दी के आठवें दशक तक वैश्विक तौर पर उपरोक्त विचारधारा से अनेक देशों में लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को आर्थिक संवृद्धि का सीधे लाभ नहीं मिल पाया। इससे आर्थिक संवृद्धि में सीधे तौर पर गरीबी, असमानता और बेरोजगारी निवारण को जब जोडा गया तो इस आर्थिक संवृद्धि को ''पुनर्वितरण के साथ संवृद्धि'' (Redis-tribution with growth) कहा जाने लगा है। डिडले सिअर्स के अनुसार यदि किसी देश में (1) क्या गरीबी के स्तर में कमी हो रही है ? (2) क्या बोराजगारी के स्तर में कमी हो रही है ? (3) क्या अर्थव्यवस्था में असमानताएँ कम हो रही है ? यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक है तो निश्चित ही आर्थिक संवृद्धि से देश का आर्थिक विकास हो रहा है अर्थात उत्पादन के स्वरूप और उसके कारकों में कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। तो हम कह सकते है कि देश विशेष का आर्थिक विकास हो रहा है। और यदि इन प्रश्नों में से एक, दो या सभी प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक है तो फिर भले ही उस देश में प्रतिव्यक्ति सकल घरेलु उत्पाद बढ़ रहा हो या प्रतिव्यक्ति-आय दुगनी हो रही हो, तो भी हम इस स्थिति में उस देश विशेष का आर्थिक विकास हो रहा है यह कहना ठीक नहीं होगा। अर्थात आर्थिक विकास के नये दृष्टिकोण में आर्थिक संवृद्धि को भौतिक कल्याण में वृद्धि से जोड़ा गया है। आर्थिक वृद्धि के नतीजों, रोजगार और गरीबी के बीच सम्बन्धों को, रोजगार कार्यबल की औसत उत्पादकता से जोड़ा जाता है। अर्थात विकासशील सत्त्ता ऐसी होनी चाहिए कि उत्पादकता का स्तर बढ़ने से रोजगार के ढ़ाचे में बढोत्तरी हो स्वरोजगार से आय में बढ़ोत्तरी हो, जिससे श्रमिक अपने बचो और परिवार की शिक्षा और दक्षता बढ़ाने पर ज्यादा खर्च कर सके। इसी दक्षता से भविष्य में कार्यबल की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी और आर्थिक वृद्धि को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक स्थितियाँ तैयार होगी। इस प्रक्रिया का अग्र चक्र से समझा जा सकता है।

संतुलित आर्थिक संवृद्धि चक्र

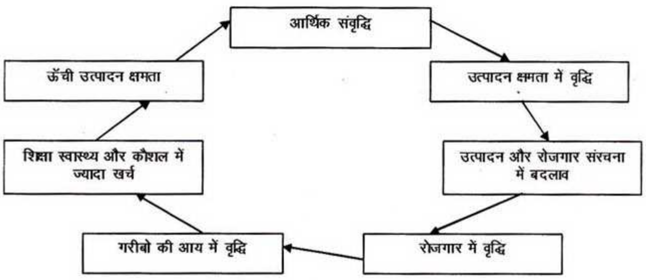

उपरोक्त चक्र से स्पष्ट है कि उत्पादकता में वृद्धि के साथ रोजगार में वृद्धि के जरिये गरीबी उन्मूलन होना ही आर्थिक संवृद्धि है। जो संतुलित विकास की घोतक होती है।

भारतीय आर्थिक संवृद्धि एवं रोजगार सृजन :- भारत में लगभग पिछले दशकों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि हुई है। उदारीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक सुधार के प्रारंभिक वर्षो में ॠऊझ. वृद्धि दर में उतार चढ़ाव दिखाई दिए है। 2004-05 के मूल्यों पर सकल घरेलु उत्पाद क्षेत्र वार इस प्रकार रहे। जो अग्रतालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट है।

तालिका क्र. 01

क्षेत्रवार सकल घरेलु उत्पाद आर्थिक वृद्धि दर - 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर

Sector	Year-On-Year GDP Growth (in %)						% Share in Total GDP 2010-11
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
Agriculture, Forestry & Fishing	**5.1**	**4.2**	**5.8**	**0.1**	**1**	**7**	**14.5**
Industry	**9.7**	**12.2**	**9.7**	**4.4**	**8.4**	**7.2**	**27.8**
Mining & Quarrying	1.3	7.5	3.7	2.1	6.3	5	2.2
Manufacturing	10.1	14.3	10.3	4.3	9.7	7.6	15.8
Electricity, Gas & Water Supply	7.1	9.3	8.3	4.6	6.3	3	1.9
Construction	12.8	10.3	10.8	5.3	7	8	7.9
Services	**10.9**	**10.1**	**10.3**	**10**	**10.5**	**9.3**	**57.7**
Trade, Hotels, Transport & Communications	12	11.6	10.9	7.5	10.3	11.1	27.2
Financing, Insurance, Real Estate & Business Services	12.6	14	12	12	9.4	10.4	17.4
Community, Social & Personal Services	7.1	2.8	6.9	12.5	12	4.5	13.1
GDP at Factor Cost	**9.5**	**9.6**	**9.3**	**6.7**	**8.4**	**8.4**	**100**

Source : Central Statistical Organization

उपरोक्त तालिका क्र. 01 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 2005-06 से 2010-11 के इन पॉच वर्षो में भारत ने 2005-08 जी.डी.पी. में असामान्य रूप उच्च आर्थिक वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत दर्ज की लेकिन 2008-09 की विश्व आर्थिक मन्दी से आंशिक गिरावट आयी 2009-10 में 8.4 प्रतिशत के साथ यह पुन: उच्चस्तर की ओर अग्रसर होने लगी है।जी.डी.पी की आर्थिक वृद्धि दर में यदि समग्र रूप से देखा जाये तो सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा (57.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ) योगदान रहा है। द्वितीय स्थान उद्योग क्षेत्र जिसमें 27.8 प्रतिशत भाग प्रतिधित्व कर रहा और कृषि क्षेत्र का 14.5 प्रतिशत की भागीदारी होने से उसका योगदान नगण्य-सा लगता है। लेकिन

* प्रोफेसर-वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी(म.प्र.) भारत

कृषि क्षेत्र अब भी भारतीय जनसंख्या अधिक्य में रोजगार को मुख्य कार्य बना हुआ है। जबकि जी.डी.पी. के सबसे बड़े योगदानकर्ता सेवा क्षेत्र में मात्र 12 फीसदी कार्यबल लगा हुआ है। जी.डी.पी. के संदर्भ में उपरोक्त संकेताक निम्न रोजगार लोंच को दर्शाते है। सेवा क्षेत्र प्रौद्योगिकी के उन्नत प्रयोग तथा उसके कारण अधिक लोगो को रोजगार न देने की उसकी अक्षमता की प्रमुख कारण है। इसलिए श्रम समावेशन की जिम्मेदारी विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्रो में कायम है। आर्थिक संवृद्धि के इस विकास में रोजगार के निरपेक्ष स्तर में बढ़ोतरी के साथ बेरोजगारी से निरपेक्ष स्तर में भी वृद्धि हुई है। अर्थात उपर्युक्त मात्रा में रोजगार अवसरों का सृजन नहीं हो सका। अत: हम कह सकते है कि तेजी से प्रगति कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार की गति में गिरावट दर्ज है। जो अग्रतालिका क्र. 02 से स्पष्ट है।

तालिका क्रमांक - 02

विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार का अनुपात (चालु दैनिक स्थिति के आधार पर)

क्षेत्र	प्रतिशत				
	1983-84	1953-94	1999-2000	2004-05	2009-10
कृषि	**65.42**	**64.75**	**59.84**	**58.44**	**53.2**
खनन	0.66	0.72	0.57	0.6	0.6
	11.27	11.35	12.09	11.69	11
विनिर्माण	0.34	0.36	0.32	0.3	0.3
	2.56	3.12	4.44	5.59	9.6
बिजली, गैस, जल आपूर्ति					
निर्माण					
योग-	**14.83**	**15.55**	**17.42**	**18.18**	**21.5**
व्यापार	6.98	7.42	9.4	10.29	10.8
	2.88	2.76	3.7	3.8	4.3
परिवहन भंडारण एवं संचार	0.1	0.94	1.27	1.5	2.1
	9.1	8.58	8.36	7.79	8.1
वित्तीय सेवाएँ					
सामुदायिक एवं निजी सेवाएँ					
योग-	**19.74**	**19.7**	**22.73**	**23.38**	**25.3**
महायोग-	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

स्त्रोत : – Various NSSO Rounds
CRISIL RESEARCH REPORT 2009-10

उपरोक्त तालिका क्र. 02 के विश्लेषण से रोजगार के प्रमुख क्षेत्रों कृषि विनिर्माण, व्यापार, सामुदायिक निजी सेवाएँ में रोजगार की स्थिति अग्रबिन्दुओं के अनुसार विश्लेषित हुई है।

(1) कृषि (प्राथमिक) क्षेत्र रोजगार की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई इस क्षेत्र में 2003 में 65.42 से 2009-10 में 53.20 प्रतिशत रोजगार का रह गया है। रोजगार की निरन्तर घटती अवस्था इस क्षेत्र में निरपेक्ष गिरावट की घोतक है। फिर भी 53.20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार व्यवसाय होने का अपना वर्चस्व बनाए हुए है।

(2) यद्यपि द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार में काफी वृद्धि हुई। निर्माण क्षेत्र में रोजगार प्रतिनिधित्व की सापेक्ष वृद्धि दिखाई देती है। खनन विनिर्माण बिजली गैस पानी निरपेक्ष रूप से रोजगार में इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं है। परिवहन भंडारण संचार आधारित संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परन्तु इस क्षेत्र का रोजगार संभावना अभी सीमा नही स्थायित्व दिखाई देता है।

(3) तृतीयक क्षेत्र में व्यापार में श्रम शक्ति का 6.98 से प्रतिनिधित्व 10.80 हुआ है साथ ही परिवहन, वित्तीय सेवाओं के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। जबकि सामूदायिक एवं निजी सेवाओं के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में नई नियुक्तियों तथा निजी क्षेत्र में में हायर एण्ड फायर नीति के कारण बहुत से लोगो को अलग किया गया है। भारतीय जनसंख्या रोजगार एवं बेरोजगारी को अग्रतालिका क्रमांक 03 से समझा जा सकता है।

तालिका क्र. 03 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 1983 से 2004-05 के बीच देश की बढ़ती जनसंख्या एवं श्रमबल के अनुपात में रोजगार की उपलब्धता

तालिका क्र. 03

जनसंख्या, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति (मिलियन में)

	1983-84	1953-94	1999-2000	2004-05	2009-10
जनसंख्या	718	893.68	1005.05	1092.83	1210.2
श्रमबल	263.82	334.2	364.88	419.65	460
कार्यबल	239.49	313.93	338.19	384.91	414
बेरोजगारो की संख्या	24.34	20.27	26.08	34.74	46
बेराजगारी की दर (श्रमबल के अनुसार)	9.22	6.06	7.31	8.28	10

स्त्रोत :- रोजगार एवं बेरोजगारी के संबंध में हुये विभिन्न NSSO सर्वेक्षण रिपोर्ट

में अपेक्षित अनुपातिक वृद्धि हुई परिणाम स्वरूप बेरोजगारी वृद्धि दर में 1993-94 के बाद से निरन्तर वृद्धि दर्ज हुई है। इसी प्रकार यदि हम रोजगार सर्वे के 61वे दौर अर्थात 1999-2004-05 तथा 66वें दौर 2004-05-2009-10 के मध्य स्वरोजगारों का निर्माण में वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। जो अग्रतालिका क्रमांक 04 से परिलक्षित होता है।

तालिका क्र. 04

रोजगार प्रकृति में परिवर्तन (मिलियन में)

क्षेत्र	1999-2000 से 2004-05				2004-05 से 2009-10			
	स्वरोजगार	श्रम रोजगार			स्वरोजगार	श्रम रोजगार		
		नियमित	आकस्मिक	योग		नियमित	आकस्मिक	योग
ग्रामीण	46.7	4.9	5.4	10	23.8	0.2	17.6	18
शहरी	18.8	13.7	3.2	17	1.6	5.5	4.3	9.8
योग -	**65.5**	**18.6**	**8.6**	**27**	**25.5**	**5.7**	**21.9**	**28**

स्त्रोत :- Various NSSO Rounds CRISIL RESEARCH

उपरोक्त तालिका क्र. 04 से स्पष्ट है कि 2004-05 से 2009-10 के मध्य रोजगार निर्माण की दृष्टि से स्वरोजगार में भारी कमी आई है। इंसके लिए देश में चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाओं का कमी व चालू योजनाओं के ठीक से क्रियान्वयन न हो पाना तथा इस अवधि में विश्वस्तरीय रही औद्योगिक मन्दी को प्रमुख कारण माना जा सकता है। श्रमबल आधारित रोजगारों में भी नियमित रोजगार में भारी कमी दर्ज है। वहीं आकस्मिक रोजगारों में ग्रमीण क्षेत्रों में जरूर वृद्धि हुई है। अवधि में 2004-05 के 5.4 मिलियन की तुलना में 2009-10 के बीच 17.6 मिलियन ग्रामीण आकस्मिक रोजगार के अवसरो में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार, मनरेगा तथा अन्य चलाई जा रही सामुदायिक परिसम्पत्ति निर्माण योजनाओं के अर्न्तगत निर्मित है इन रोजगार में वृद्धि का 80 प्रतिशत रोजगार मात्र 6 राज्यों उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार में ही बढ़े हुए पाये गये है। बाकि राज्यों इसमें वृद्धि से अछुते रहे।

निष्कर्ष :- जी.डी.पी में उच्च वृद्धि दर से भारत में पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं हुआ है। पिछले दो वर्ष 2011-12, 2012-13 में जी.डी.पी. में क्रमश: 6.2 तथा 5.0 प्रतिशत होने से इसमें भी गिरावट आई है। सन् 2005-06 से 2010-11 के मध्य जी.डी.पी. वृद्धि दर और रोजगार स्थिति में बेराजगारी दर में वृद्धि होने स इनके मध्य भी साफ तौर पर सह-सम्बन्ध स्थापित होते दिखाई नहीं देता है। वित्तीय सुधारों के चलते ग्रामीण साख की उपलब्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जिससे ग्रामीण उद्यमों में विकास के अवसर कम हो गये इससे स्वरोजगार की संभावनाओं के प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि रोजगार के आंकडों से विकास की स्थिति गायब है।

संदर्भ :-

1. भारत में आर्थिक विकास एवं नीति- मिश्र एवं पूरी
2. आर्थिक समीक्षा 2000 से 2013 तक के समस्त अंक
3. C.S.O. केन्द्रीय सांख्यकी संगठन
4. NSSO विभिन्न सर्वे रिपोर्ट
5. क्रिसल सर्वे रिपोर्ट 2012

सहकारी समितियों का कृषि विकास में योगदान (सीधी जिले के संदर्भ में)

डॉ. विवेक कुमार पटेल *डॉ. पल्लवी मिश्रा **

प्रस्तावना – सामाजिक जीवन का स्वरूप आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होता है। किसी देश या स्थान विशेष की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में वहाँ की भूमि, उत्पादन पद्धति, संसाधन आदि महत्वपूर्ण होते है। प्राचीन काल से आज तक जितनी भी सभ्यताओं का जन्म या विकास हुआ है, वह नदियों के किनारे ही हुआ है। इससे यह कहा जा सकता है। कि विकास में जल का विशेष योगदान है। कृषि का विकास जल /सिंचाई व्यवस्था पर आश्रित है। सीधी जिला जल संसाधन के क्षेत्र में संपन्न क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ सोन,गोपद,बनास महान, मियार जैसी नदियाँ विद्यमान है। साथ ही बाणसागर परियोजना ने भी जिलें को सिचाई के क्षेत्र में सम्पन्न किया है। कृषि विकास के लिये प्राकृतिक संसाधनों के साथ, साख आधुनिक तकनीक, यंत्र, विपणन संग्रहण आदि सुविधाओ की आवश्यकता होती है। क्योकि उत्पादन करने के लिये पूँजी-एवं उत्पादन का विक्रय करने के लिये बाजार की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता पूर्वक ग्रामीण क्षेंत्रों में सहकारी समितियों से कृषकों को प्राप्त हो रही है। सीधी जिले में 30.03.1962 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना ग्रामीण कृषकों को साख सुविधाएँ व उनकें जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से की गई है।

सहकारी समितियाँ संक्षिप्त इतिहास – सहकारी साथ आन्दोलन की शुरूआत म0प्र0 में सन् 1904 में हुई। परन्तु सीधी जिलें में सहकारी साख आन्दोलन की शुरूआत विलम्ब से हुई। रीवा रियासत के अन्तर्गत सर्वप्रथम 1924 में सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देने का कार्य आरंभ किया गया और एक समिति का गठन किया गया जिसमें सहकारिता आन्दोलनों के प्रचार -प्रसार के लिये कुछ सुझाव दिये गये । जिन्हें 1926 में रीवा राज दरबार में स्वीकृति प्रदान की गई। 21 जुलाई 1947 को स्वाधीनता के पश्चात् जब विन्ध्यप्रदेश राज्य का निर्माण हुआ तब एक सहकारी अर्धकोष विन्ध्य-को-आपरेटिव केन्द्रीय बैंक का नाम से पंजीकृत किया गया। जिसकी आठ शाखायें रीवा,सीधी,शहडोल, पन्ना,छतरपुर,टीकमगढ़ एवं दतिया में स्थापित की गई।

सीधी जिले में सहकारी समितियाँ – जिलें में सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली त्रिस्तरीय है । जिसमें शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मध्यम स्तर पर जिला सहकारी बैंक सीधी एवं निम्न स्तर पर प्राथमिक सहाकारी समितियाँ है। जिलें में सहकारी समितियों को माध्यम से साथ वितरण का कार्य सन 1660-61 में किया जा रहा है। जिसमें जिलें कृषकों को साख सुविधाएँ सरलता से प्राप्त हो पा रही है। इस कार्यप्रणाली से अंतिम ऋण प्राप्त कर्ता को विशेष लाभ प्राप्त हुआ है। साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति एक ही स्थान पर संभव हो पा रही है। जिससे साख प्राप्तकर्ताओं का समय एवं श्रम दोनों बच रहा है। जिले में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संख्यात्मक स्थिति निम्न तालिका से स्पस्ट होती है -

सीधी जिलें में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संख्यात्मक स्थिति

क्रं.	समितियों का प्रकार	पंजीकृत समितियों की संख्या	पंजीकृत समितियों में से		
			कार्यशील	अकार्यशील	परिसमापनाधीन
1	2	3	4	5	6
1	केन्द्रीय सहकारी बैंक	1	1	-	-
2	भूमि विकास बैंक	1	1	-	-
3	अन्त्यावसायी सहकारी समिति	1	1	-	-
4	सेवा सहकारी समिति	1	1	-	-
5	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति	38	38	-	-
6	कृषक सेवा समिति	4	4	-	-
7	वेतन भोगी सहकारी समिति	5	5	-	-
8	राज्य स्तरीय सह संस्थाएँ	1	1	-	-
9	जिला सहकारी संघ	1	1	-	-
10	जिला वनोपज संघ	2	2	-	-
11	विपणन प्रक्रिया समितियाँ	8	5	3	-
12	प्राथमिक उपभण्डार	41	35	-	6
13	गृह निर्माण सहसमितियाँ	6	3	3	-
14	तिलहन सह समितियाँ	4	-	1	3
15	प्राथमिक वनोपज सहसमितियाँ	126	126	-	-
16	दुग्ध उप समितियाँ	64	51	10	3
17	बुनकर सह समितियाँ	16	11	3	2
18	औद्योगिक सह समितियाँ	39	20	10	9
19	मत्स्य सह समितियाँ	33	26	3	4
20	ग्रामीण विद्युत समितियाँ	1	1	-	-
21	श्रमिक सहकारी समिति	34	29	2	3
22	सामूहिक कृषि समितियाँ	4	2	2	-
23	अन्य सहकारी समितियाँ	5	3	1	1
	योग	436	367	38	31

स्रोत - जिला सांख्यिकी पुस्तिका सीधी 2012

निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट होता है कि जिलें में कुल 436 पंजीकृत समितियाँ है। जिसमें से वर्तमान में केवल 367 ही कार्यशील है। 38 समितियाँ अकार्यशील एवं 31 समितियाँ परिसमापनाधीन है। इनसमितियों में दुग्ध उपसमिति बुनकर सह समिति, औद्योगिक सह समिति मत्स्य सह समिति की स्थिति बहुत अच्छी नही है। इनमें से ज्यादतर समितियाँ अकार्यशील या परिसमापन की ओर अग्रसर है।

सहाकारी समितियों के उद्देश्य :– इस सहकारी समितियों के उद्देश्य अन्य बैंकों के अपेक्षा भिन्न है। ये समितियाँ सामान्य बैंकिंग सिद्धांतों के साथ -साथ आधारभूत सहकारी सिंद्धातों का भी पालन करती हे। इनके मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है -

वितरित ऋण (2011-12)

ऋण का प्रकार	राशि (लाखों में)
अल्पकालीन	280.13
दीर्घकालीन	264.08
योग	**544.21**

स्रोत - जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीधी

- ग्रामीण एवं निर्धन सदस्यों की आय में वृद्धि करना।
- सदस्यों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना।
- सदस्यों को रोजगार के साधन एवं क्षेत्र उपलब्ध कराना।
- आय असमानता को दूर

* सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय कोतमा जिला-अनूपपुर (म. प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान वाणिज्य, शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज जिला - रीवा (म. प्र.) भारत

करना।

▸ सामाजिक समन्वय बनाना।

सहकारी समितियों के कार्य -

▸ **ऋण वितरण -** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीधी मुख्य रूप से कृषि कार्य हेतु अल्पकालीन एवं मध्यम कालीन ऋण सहाकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया है। कृषि कार्य के अलावा विपणन, बुनकर औद्योगिक एवं उपभोक्ता भण्डारों को भी ऋण उपलब्ध कराता है। जिलें की विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा

वर्ष 2011-12 मं निम्नानुसार ऋण वितरित किया है।

▸ **अल्पकालीन ऋण -** सहकारी आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी समितियाँ म0प्र0 भोपाल द्वारा प्रति व्यक्ति अधिकतम 50,000 नगद एवं 50,000 की वस्तु के रूप में अल्पकालीन ऋण सीमा निर्धारित की है। अर्थात एक व्यक्ति को अल्पकालीन ऋण के रूप में कुल 1,00,000/- रूपये का ऋण प्राप्त हो सकता है।ये ऋण खरीफ फसल हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक प्राप्त होते है एवं इसकी वापसी 12 माह के अंदर अर्थात 15 मार्च तक करनी होती है। इसीप्रकार रवि फसल हेतु ऋण 01 अःटूबर से 31 मार्च तक लिया जाता है एवं इसकी वापसी 15 जून तक की जाती है। ये ऋण मुख्य रूप से फसल उत्पादन संबंधी कार्यो के लिये दिये जातें है।

▸ मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण - कृषकों के सहकारी समितियों के माध्यम से विभिन्न कार्यो के लिये मध्यकालीन एवं दीर्घ कालीन ऋण भी प्रदान किये जाते हे। सामान्यत: 5 वर्ष तक के ऋण मध्यकालीन एवं 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिये वितरित ऋण दीर्घकालीन कहलाता हे। ये ऋण दीर्घकालीन कहलाता है। ये ऋण कृषकों को निम्नलिखित कार्यो के लिये दिये जाते है।

- नवीन कूप निमार्ण - कृषको को नवीन कूप निर्माण हेतु 05 से 15 वर्ष की अवधि के लिये 29,500/- रू. का ऋण स्वीकृत किया जाता है।
- कूप मरम्मत - कूप मरम्मत के लिये 05 वर्ष की अवधि के लिये 5000/-रू. ऋण स्वीकृत किया जाता है।
- थ्रेसर एवं मोटर - इस कार्य के लिये कृषको को बैंक द्वारा 11 से 15 वर्ष की अवधि के लिये अधिकृत डीलरों के कोटेशन के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाता है।
- विद्युत एवं डीजल पम्प - कृषको को इस कार्य के लिये अधिकृत डीलरों के कोटेशन के आधार पर 09 वर्ष की अवधि के लिये ऋण प्रदाय किये जाते है। यह ऋण 02 हार्स पावर से 10 हार्स पावर तक से संयत्र कि लिए होता हैं।
- बोरिंग निर्माण - इस कार्य के लिए कृषकों के नगद ऋण प्रदान नही किया जाता है। जबकि बोंरिंग करने वाली एजेन्सियों को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है। यह ऋण 11 से 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किये जाते है।
- बैल क्रय- कृषको के बैल क्रय करने हेतु 05-06 वर्ष का ऋण दिया जाता है। इस कार्य के लिए 32000/- तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है।
- भूमिसुधार एवं संरक्षण - कृषकों को भूमि उपजाऊ बनाने एवं समतल किये जाने के उद्देश्य से 4600 रू. प्रति ट्रेक्टर की दर से सहकारी समितियों 09-15 वर्ष की अवधि के लिये ऋण प्रदान करती है।

इसीप्रकार सहकारी समितियॉ गाय, भैस, मुर्गी, बकरी, भेड आदि के पालन, गोबर गैस प्लांट,बैलगाड़ी आदि के लिये भी मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है।

निष्कर्ष - सहकारी समितियों कृषको को सथ सरलता से उपलब्ध कराने का एक मात्र साधन है। ये समितियाँ विभिन्न कार्यों के लिये कृषकों एवं अन्य व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराती है। जिससे साख के अभाव में विकास कार्य बाधित नहीं होता है। सहकारी समितियां मुख्य रूप से कृषि कार्य के लिये ऋण प्रदान करती हैं। ये ऋण कृषकों को सही समय एवं सरलतापूर्वक कम ब्याज दर पर प्राप्त होते है। इनके अदायगी की प्रक्रिया सरल एवं सहज है। अत: कहा जा सकता हैं जिले कृषि विकास में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण योगदान है।

सन्दर्भ सूची -

01. ऋण नीति 2011-12 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीधी (म0प्र0)।
02. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2011-12 जिला सीधी (म0प्र0)।
03. दैनिक जागरण रीवा म.प्र.।
04. आयुक्त, भू-अभिलेख सीधी।
05. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचानालय भोपाल।
06. कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी समितियाँ सीधी/रीवा।
07. www.zilapanchayatsidhi.com

****

आदिवासी बहुल जिले के कृषि विकास में बैंकों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन (धार जिले के संदर्भ में)

डॉ.हेमसिंह मण्डलोई *

जिले का परिचय:-विध्य पर्वत श्रेणियों की तलहटी में बसे आदिवासी बसाहट बहुल वाले धार जिला मध्यप्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत मालवा एवं निमाड के पठार पर अवस्थित है जो 20º से 23º.10 उत्तरी अक्षांश तथा 75º.28' से 75º.12' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है धार जिले का क्षेत्रफल 8153 वर्ग कि.मी. है जिले की सीमा पूर्व में इंदौर पश्चिम में झाबुआ,अलीराजपुर, उत्तर में रतलाम एवं उज्जैन तथा दक्षिण में बड़वानी एवं खरगोन जिले की सीमा लगी हुई है। जिले के दक्षिण छोर पर निमाड का मैदान है जिस के अंतर्गत विध्य पर्वत श्रेणियों की अनेक छोटी बड़ी पर्वत श्रंखलाऐं दूर सुदूर तक फैली हुई है जो इस आदिवासी बाहुल वाले जिले को दो उपखण्डों निमाड़ एवं मालवा पठार में विभक्त करता है निमाड़ पठार के अंतर्गत धरमपुरी, कुक्षी, मनावर गंधवानी एवं डही पांच एवं मालवा पठार के अंतर्गत धार, सरदारपुर एवं बदनावर तीन तहसीलें आती है इस प्रकार जिले को प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से आठ तहसीलों में बॉटा गया है जिले का प्रशासनिक मुख्यालय धार है। निमाड़ क्षेत्र पहाडी ढाल से शुरू होकर समतल मैदान पर समाप्त होता है जहाँ पर मध्यप्रदेश की जीवन रेखा कहीं जाने वाली नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र आता है जो इस क्षेत्र को उपजाऊ एवं समृद्ध बनाता है। वही मालवा का पठार सोयाबीन,गेहूँ एवं चना आदि के उत्पादन के कारण एक अपनी अलग ही पहचान रखता है। जिले की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 21,84,672 लाख है जिसमें प्रति हजार पुरूष पर महिलाओं की संख्या 961 है जिले की कुल साक्षरता 60.80है। म.प्र.के अन्य जिलों के समान ही धार भी मुख्यत: कृषि प्रधान जिला है जिले की कुल जनसंख्या का 81.1 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं इससे सम्बधित उद्योगों से अपना जीवनयापन करते है जिले की मुख्य फसलें खरीफ में सोयाबीन,कपास,मक्का आदि प्रमुख है जबकि रबी में गेहूं, चना, मटर, आलु, प्याज एवं लहसुन आदि प्रमुख है मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में सोयाबीन, गेहूँ, चना, आलु, मटर एवं लहसुन आदि प्रमुख है वही निमाड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कपास, मिर्ची आदि फसलों हेतु जाना जाता है।

प्रस्तावना-भारत में कृषि एक व्यावसाय न होकर जीवन यापन का साधन है। अधिकांश किसान तथा इनका परिवार भरण पोषण के लिए कृषि पर ही निर्भर रहते है। सर निकोलस के शब्दों में '' साख कृषि के लिए नितान्त आवश्यक है और उधारी किसान के लिए अनिवार्य है '' इसी प्रकार कृषि वित्त की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण ने स्पष्ट कहा है कि '' साख कृषक की उसी प्रकार सहायता करती है जैसे फॉसी पर लटकते हुए व्यक्ति को जल्लाद की रस्सी''

धार जिले की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है जिनकी आय का प्रमुख साधन कृषि एवं इससे जुडे हुए रोजगार है परन्तु पर्याप्त रोजगार के अभाव में ग्रामीण अपनी अजीविका चलाने हेतु गुजरात, महाराष्ट्र एवं पड़ोसी जिले में पलायन कर जाते है अत: जिले के लोगों को जिले में ही रोजगार मिल सके एवं उन्हें रोजगार हेतु अपने परिवार को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाना पड़े ऐसी अनेक योजनाऐं भारत शासन एवं म.प्र.शासन द्वारा प्रायोजित अनेक गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास की योजना में वित्त पोषण के माध्यम से बैंको ने हमेशा समाज में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, परन्तु फिर भी जिले में कार्य कर रही वित्तीय संस्थाए,बैंक मिलकर ऐसी कार्ययोजना बनाए जिससे कृषि को अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया जा सके जिससे यहाँ के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके एवं ग्रामीणों को वर्ष पर्यन्त रोजगार मिल सके।

शोध का उद्देश्य -जिले की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है अर्थात जिले के विकास के लिए गांवो का विकास प्रथम है। गांवो का विकास तभी होगा जबकि कृषि का विकास होगा। प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य जिले में कार्यरत बैंकों के द्वारा कृषि के विकास हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किये जाते है उनका वितरण पूर्ण हो रहा है कि नही एवं कुल ऋण वितरण में कृषि का भाग कितना है का पता लगाना।

शोध का क्षेत्र एवं सीमाऐं-मेरे शोध प्रबंध के अध्ययन का क्षेत्र धार जिले के अंतर्गत विभिन्न बैंकों के द्वारा कृषि विकास कार्यो हेतु जो ऋण दिये गये है वो किन क्षेत्रों को अधिक दिये गये है और किन क्षेत्रों में कम। और जिन क्षेत्रों में कम ऋण वितरण हुआ है उसका क्या कारण है मेरा शोध का प्रमुख क्षेत्र है एवं धार जिले को इसलिए लिया क्योंकि जिला मालवा एवं निमाड दो अलग अलग विविधता वाले क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है।इसमें तुलनात्मक अध्ययन को भी स्थान दिया गया है।

शोध प्रविधि- शोध कार्य द्वारा उन प्रयत्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर साहित्य में उपलब्ध न हो। उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका समाधान वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। शोधकार्य की सफलता संमकों के वास्तविक संकलन विश्लेषण व निष्कर्ष पर निर्भर है।संमकों का संकलन आधारभूत कार्य है। मेंरे द्वारा संमकों का संकलन द्वितीयक संमक का संकलन जिले में स्थित बैंकों से किया गया।

शोध की परिकल्पनाऐं

1. क्या बैंकों द्वारा कृषि के लिए वित्त प्रदान हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उन्हें पूरा करने के लिए वह लगातार प्रयत्नशील है ?
2. कृषि आर्थिक व्यवस्था में ऋण की उपलब्धता की धीमी गति का क्या कारण है ?
3. क्या बैंको द्वारा कृषकों को दिये जाने वाले ऋण से कृषि का विकास हो रहा है ?
4. बैंको के लिए अधिक ऋण उपलब्ध कराने की क्या सम्भावना है ?

धार जिले में बैंको की कुल 192 शाखाएँ कार्यरत है ये बैंक ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यत: फसल ऋण, फसल के अमानत पर अन्य ऋण, सिंचाई, कृषि यंत्रों के क्रय, कृषि हेतु विकास ऋण, कृषि सेवा केन्द्र, शीत ग्रह निर्माण, कृषि स्नातक ऋण, कृषि पर आधारित उद्योगों, सहकारी समितियों व बैंको की सहायता, मुर्गीपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं अत्यंत निर्धन व लघु किसानों के लिये अत्यंत उदार योजनाओं के लिये ऋण प्रदान करते है ये बैंके सामान्यत: प्रतिभूति पर ऋण देते है प्रतिभूति किसी ग्यारंटी से लेकर किसी भी सम्पत्ति की हो सकती है। (व्यावसायिक बैंको के द्वारा प्रदत्त कुल ऋण

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार (म.प्र.) भारत

एवं कृषि ऋण के लिये देखिए तालिका क्रं.1) तालिका क्रं. 1 के आकडों का अध्ययन करने से पता चलता है कि बैंको के द्वारा कुल ऋण वितरण के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये है उन्हें वाणिज्यिक बैंको को छोड़कर शेष बैंको ने अपने लक्ष्य से अधिक वितरण किया गया है जबकि कृषि ऋण वितरण में को-ऑपरेटिव बैंक ने ही अपने लक्ष्य से अधिक वितरण किया है जबकि अन्य बैंक अपने कृषि ऋण वितरण के लक्ष्य से वितरण में काफी पीछे है। इसका मुख्य कारण यह है कि को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि ऋण का वितरण किया जाना है जबकि अन्य बैंको का कृषि ऋण वितरण में पिछडने का कारण उनका गांवों तक न पहुँच पाना है।

तालिका क्रमांक 2

जिले में विकासखण्डवार कृषि ऋण वितरण योजना

2013-14 (राशि 000)

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	कृषि ऋण खातों की संख्या	राशि
1	बदनावर	24096	2486770
2	बाग	4328	437660
3	डही	4180	438525
4	धार	46103	5132018
5	धरमपुरी	14536	1519935
6	गंधवानी	5316	544140
7	कुक्षी	13124	1351305
8	मनावर	13080	1398805
9	नालछा	10720	1089860
10	निसरपुर	5272	531000
11	सरदारपुर	14836	1547375
12	तिरला	8348	858506
13	उमरबन	1640	162980
	योग	165579	17498879

स्त्रोंत- जिला अग्रणी बैंक, वार्षिक साख योजना 2013-14

उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने से पता चलता है कि मालवा क्षेत्र के सिचिंत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकास खण्ड बदनावर , धार, नालछा , सरदारपुर में अधिक ऋण वितरण की योजना बैंको द्वारा बनाई जाती है जबकि धरमपुरी एवं मनावर विकासखण्ड नर्मदा सिचिंत क्षेत्र होने के कारण इन विकास खण्ड के लिए भी अधिक ऋण वितरण की योजना बनाई जाती है एवं शेष विकास खण्ड सिचिंत न होने के कारण इन विकास खण्डों हेतु एकफसली कार्यक्रम बनाये जाते है।

निष्कर्ष एवं सुझाव-धार जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु जिला दो अलग अलग विविधता वाले क्षेत्र में बटा हुआ है एवं कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी मालवा क्षेत्र सोयाबीन , गेहूं ,चना आदि के उत्पादन एवं निमाड क्षेत्र कपास , मिर्ची , मक्का आदि के उत्पादन के लिए जाना जाता है बैंको को निमाड एवं मालवा क्षेत्र के लिए अलग अलग कार्ययोजना बनानी चाहिए। कुछ विकासखण्ड के अंतर्गत पहाडी क्षेत्र का भाग आता है जो बहुत कम उपजाऊ होता है जिसके कारण ऋण की पात्रता भी इन क्षेत्र के किसानो हेतु बहुत कम होती है जिससे ये क्षेत्र कृषि विकास में पिछड रहे है। अत: पहाड़ी क्षेत्र की भूमि के समतलीकरण एवं उपजाऊ बनाने हेतु मिट्टी आदि खेतों में डलवाने हेतु बैंकों द्वारा अधिक ऋण का प्रावधान करने एवं शीघ्रता से उपलब्ध हो सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही कृषि विभाग के द्वारा इन पिछड़े क्षेत्रों में किसानों हेतु शासन के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। बैंको द्वारा जो ऋण किसानों को कृषि कार्य हेतु दिये जा रहे है उससे निश्चित ही कृषि का विकास हो रहा है और कृषक बंधु भी नई नई तकनीकों से कृषि को एक नया आयाम दे रहा है।

संदर्भ सूची-

1. ग्रामीण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था,लेखक-श्री सुबहसिंह यादव
2. भारतीय आर्थिक समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत विदेशी विनिमय तथा सांख्यिकीय गणनाए -प्रो एस सी जैन
3. सुन्दरम रूद्रदत्त, ''भारतीय अर्थव्यस्था'' दिल्ली, (2005)
4. मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास,लेखक-राव एवं कोजवार
5. बी.एल. माथुर, ''ग्रामीण अर्थव्यवस्था'' नई दिल्ली (2009)

अन्य-www.mpinfo.ac.in

तालिका क्रं. 1 (ग्राफ)

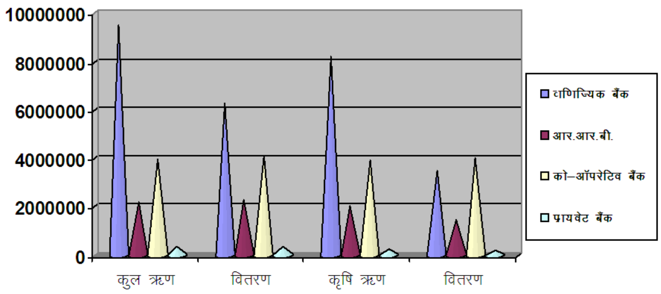

दिसम्बर 2012 तक **तालिका क्रमांक 1 बैंको के द्वारा प्रदत्त कुल ऋण एवं कृषि ऋण** (राशि हजारों में)

क्र.	बैंक का नाम	कुल ऋण वितरण			कृषि ऋण वितरण		
		प्लान	वितरण	वितरण का प्रतिशत	प्लान	वितरण	वितरण का प्रतिशत
1	वणिज्यिक बैंक	9511248	6238380	65.6	8185756	3487825	42.6
2	आर.आर.बी.	2185647	2286573	104.6	2006647	1451700	72.3
3	को-ऑपरेटिव बैंक	3961162	4107215	103.7	3908493	3994708	102.2
4	प्रायवेट बैंक	341980	363576	106.3	252090	174292	69.1
	योग	16000037	12995744	81.2	14352986	11662556	81.2

स्त्रोत- अग्रणी बैंक योजना, वार्षिक साख योजना 2013-14

अनूपपुर जिले का औद्योगिक परिचय

रामजी गर्ग * डॉ. विवेककुमार पटेल **

प्रस्तावना:- मध्यप्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में 15 अगस्त सन् 2003 को शहडोल जिले से काट कर अनूपपुर जिला बनाया गया। अनूपपुर जिला अधिकांश पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा है। यहांका क्षेत्रफल 3701 वर्ग किलोमीटर है।जिले को देश की दो महत्वपूर्ण नदियाँ सोन एवं नर्मदा का उदगम स्थलअमरकंटक है। जिले में खनिज एवं वन सम्पदा पर्याप्त मात्रा में होने के कारण औद्योगिक विकास की अपार संभावनायें हैं। इसी संभावनाओं के कारण नवीन जिला होने के उपरान्त भी देश के किन्हीं अन्य जिलों से यह जिला पिछड़ा नहीं है और अत्यन्त तीव्र गति से विकास कर रहा है। जिले की जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) 749521 है जिसमें 379496 पुरूष एवं 370025 महिलायें हैं। जिले की ग्रामीण जनसंख्या 544229 है। जिले में 764.48 हेक्टेयर में वन सम्पदा होने के कारण खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिस कारण खनिज उत्पादन प्रमुखता से हो रहा है। इन प्राकृतिक साधनों के कारण रोजगार के अवसर भी नागरिको को प्राप्त हो रहे हैं।

अध्ययन का उद्देश्य:-

1. जिले के औद्योगिक इकाई का अध्ययन।
2. उद्योगों द्वारा दिये गये रोजगार के अवसरों का अध्ययन।
3. औद्योगिक विकास की संभावना का अध्ययन।
4. जिले के खनिज उत्पादका अध्ययन करना।

अध्ययन की प्रविधि:- इस अध्ययन का क्षेत्र अनूपपुर जिला है। जिसमें केवल औद्योगिक इकाईयों एवं खनिज सम्पदा का अध्ययन द्वितीयक समंक के द्वारा किया जा रहा है।

खनिज सम्पदा:- वनों से घिरा हुआ यह जिला खनिज सम्पदा से भरा हुआ है। जिले में कोयला, बाक्साईड, रेत, मोरम, गिट्टी आदि प्रमुख खनिज उत्पाद हैं। जिलेमें कोतमा अनुविभाग में कोयले की कई खदानें हैं जो दक्षिण पूर्व कोयला लिमिटेड में आती है। यहां कोयले के भूमिगत एवं खुली दोनों प्रकार की खदानें हैं। जिले के अमरकंटक क्षेत्र में बाक्साईड की बाहुल्यता है। इसी प्रकार जिले में छोटी-बड़ी नदियों के होने के कारण रेत की मात्रा भी पर्याप्त है। जिले में वर्ष 2010-11 का खनिज उत्पादन निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है।

खनिज उत्पादन 2010-11

क्र.	खनिज का नाम	टन में
1.	पत्थर/गिट्टी	302735
2.	मुरम	25159
3.	बालू	108584

स्त्रोत- खनिज विभाग अनूपपुर।

औद्योगिक संरचना:- जिले में लघु, मध्यम एवं वृहद सभी प्रकार के उद्योग स्थापित हैं। जिले में कोई क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूपमें घोषित नहीं है। वर्तमान में जिले में कुल 863 औद्योगिक इकाई पंजीकृत है जिसमें से तीन मध्यम एवं वृहद इकाईयाँ हैं। लघु उद्योग इकाई का वार्षिक आवर्त 426.90 लाख एवं मध्यम व वृहद उद्योगों का वार्षिक आवर्त 993.00 लाख प्रतिवर्ष है। इन उद्योगों के स्थापना के कारण जिले के निवासियों कोरोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। लघु उद्योगों के माध्यम से प्रतिदिवस औसतन 76 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इसी प्रकार मध्यम व वृहद उद्योगों से 338 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। निम्न लिखित तालिका से जिले में पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ दर्शायी गई है -

पंजीकृत औद्योगिक इकाईयां

वर्ष	पंजीकृत औद्योगिक इकाईया	रोजगार	विनियोग (लाखों में)
2005-06	26	145	29.51
2006-07	68	558	947.60
2007-08	173	247	32.94
2008-09	190	346	83.93
2009-10	201	271	62.53
2010-11	205	325	308.77
योग	86	1892	1495.28

स्त्रोत- खनिज विभाग अनूपपुर।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले में औद्योगिक विकास तीव्रता से हो रहा है। वर्ष 2005-06 में केवल 26 इकाईयाँ थीं जो 2010-11 में 205 हो गई है।अर्थात् 2005-06 से 2010-11 में लगभग 8 गुना वृद्धि हुई है। इन इकाईयों के स्थापित होने से व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2010-11 तक में जिले में कुल 863 औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हुई हैं। जिनमें 1892 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है एवं1495.28 लाख रूपये का विनियोग हुआ है। इससे यह कहा जा सकता है कि जिला 2003 में बनने के पश्चात् तीव्रता से औद्योगिक विकास कर रहा है।

औद्योगिक इकाई का प्रकार :- जिले में स्थापित 863 औद्योगिक इकाईयाँ विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में लगी हुई है। जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है -

औद्योगिक इकाई के प्रकार

क्रमांक	प्रकार	इकाईयाँ	विनियोग (लाखों में)	रोजगार
1.	कृषि आधारित	79	209.17	230
2.	रेडीमेड गारमेन्ट्स	54	4.55	59
3.	लकडी/लकडी आधारित फर्नीचर	298	9.90	355
4.	कागज/कागज उत्पाद	07	43.80	27
5.	चमड़ा आधारित	15	1.56	15
6.	रसायन आधारित	02	99.00	15
7.	खनिज आधारित	58	285.96	605
8.	अभियांत्रिकी इकाई	72	61.26	162
9.	विद्युत उपकरण	22	22.55	48
10.	सुधार एवं सेवा क्षेत्र	68	9.55	76
11.	अन्य	188	437.98	310

स्त्रोत- खनिज विभाग अनूपपुर।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले में स्थापित इकाईयाँ विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगी हुई है। जिले में सबसे अधिक लकडी से संबंधित

* शोधार्थी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.) ** सहा. प्राध्यापक वाणिज्य शास. महाविद्यालय कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत

इकाई है। जिनकी संख्या 298 एवं इससे 355 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। रोजगार के दृष्टि कोण से देखें तो सबसे अधिक रोजगार देने वाली इकाई खनिज क्षेत्र से संबंधित है।सबसे कम इकाई रासायनिक क्षेत्र से है जिनकी संख्या केवल 02 है और 15 व्यक्तियों को रोजगार दे रही है। जिले में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे संबंधित एक भी इकाई यहाँ संचालित नहीं है। जैसे-सोडावाटर, कपड़ा उद्योग, ऊन, सिल्क, रेशम उद्योग, जूट उद्योग, रबर उद्योग, धातु उद्योग आदि।

निष्कर्ष:- जिले का औद्योगिक विकास नया जिला बनने के कारण तीव्र गति से हुआ। जिले में पूर्व से ही अमल ई पेपर मिल स्थापित थी परन्तु अब मोजर बेयर, बेनी फीसरी प्राइवेट लिमिटेड, केलटेक एनर्जी, एस.के शीत गृह आदि के स्थापित होने से औद्योगिक ग्राफ बढ़ रहा है। विकास दर 3-4 प्रतिशत रही है। उद्योगों की स्थापना से एक ओर जहां जिले का विकास हो रहा है वहीं दूसरी ओर नागरिकों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। नागरिकों का रोजगार के लिये पलायन रूक रहा है तथा आर्थिक एवं औद्योगिक रूप से समृद्ध हो रहा है।

संदर्भ सूची:-

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2011 जिला-अनूपपुर (म.प्र.)।
2. सेविवर्गीय प्रबंध एवं औद्योगिक संबंध साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
3. जिला सूचना केन्द्र अनूपपुर।
5- www.zilapanchayat.anuppur.in
6- www.nic.anuppur.com
7- MSME Development Institute UdyogViharChorhattaRewa (M.P)

****

उदारीकरण की मार का शिकार भारतीय कृषक

डॉ. आनंद तिवारी *

भूमिका :-

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र न केवल 29.4 प्रतिशत योगदान करता है बल्कि 64 प्रतिशत लोगों का रोजगार का साधन है। खाद्यान्न उत्पादन कृषि का 63 प्रतिशत है इस बात में दो राय नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लागू होने पर प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता 1951 में 395 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 1982-83 में 436-478 ग्राम तक पहुंच गई।

परंतु इसे दुर्भाग्य ही माना जाए कि भारतीय खाद्य निगम की गोदामों में गेहूँ और चावल की कुल उपज का 35 प्रतिशत अर्थात 4555 लाख टन अनाज पड़ा हुआ है जो देश की वर्तमान जरूरत का तीन गुना है। अतिरिक्त अनाज को रखने की लागत लगभग 15000 करोड़ रूपये इसमें लगभग 10 लाख टन अनाज तो सड़ चुका है और दो लाख टन खराब घोषित किया जा चुका है। प्रतिवर्ष 500 करोड़ रूपये का अनाज आवाजाही में बर्वाद हो जाता है। 1988-99 में निगम में गेहूँ और चावल की खरीद पर क्रमश: 808 और 980 रूपये प्रति क्विंटल खर्च किए लेकिन गेहूँ व चावल प्रति क्विंटल

396 और 611 रूपये के भाव से बेचा अर्थात् प्रति 100 किलो गेहूँ व चावल की खरीद और बिक्री पर निगम ने 412 रूपये 396 रूपये का नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है। सवाल यह उठता है कि जिस देश में 30-40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर रही हो और 50 प्रतिशत बच्चों की गिनती कुपोषितों में होती हो और वे आधे या चौथाई पोषण के साथ पलने व बढ़ने के लिए अभिशप्त हों वह देश वर्ष प्रतिवर्ष खाद्यान्नों की इतनी बर्बादी को कैसे सहन कर सकता है ।

देश में गंभीर समस्या इस बात को लेकर भी है कि 1.8 प्रतिशत वार्षिक की दर से तेजी बढ़ती आबादी के लिए सन् 2030 में 26 करोड़ टन अनाज उपजाना होगा जबकि खेती के लिए नई विविधीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। हमारी कृषि प्रगति को आंतरिक खतरों में सबसे प्रमुख खतरा जमीन, पानी, वन और जैव विविधता जैसी पारिस्थितिकीय आधारों को है जो टिकाऊ कृषि प्रगति के लिए आवश्यक है बाहरी खतरों में 1994 के विश्व व्यापार संगठन समझौतो, पैटेंट कानून ट्रेडमार्को का बोलवाला। कृषि गंभीर संकट में है कृषि विकास दर में तेजी से कमी आयी है जो 1980 के दशक के 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से गिरकर करीब 1.9 प्रतिशत हो गई इसकी मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक की गलत शर्तो को लागू करना है।

नई राष्ट्रीय कृषि नीति में समाविष्ट तथ्य :-

नई राष्ट्रीय नीति में समाविष्ट तथ्यों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत से अधिक वृद्धि प्राप्त करना, मृदा जल जैव का संरक्षण करना, बागवानी फसलों, सुगंधित एवं चिकित्सीय फसलों, मधुमक्खियों पालन, रेशम व कृषि पर बल देना, पशु पालन को बढ़ावा, भूमिहीन किसानों को प्रारंभिक पूंजी का वितरण, सहकारिता को बढ़ाना देना, ग्रामीण रोजगार का सृजन करना विद्युत व सिंचाई योजनाओं का विकास, उत्पादों के भंडारण की सुविधा देना आदि है। इस कृषि नीति में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन-कौन सी किस्में वाणिज्यक एवं गैर वाणिज्यक होगी। वैसे अब तक जो मापदण्ड अपनाया जाता रहा है उसके तहत गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन, प्याज व आलू एवं अन्य सब्जियों की विशेष रूप से तिलहन, कपास व बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण बीमाकृत तथा बीमाकृत बाजरों की अनुमति के वास्ते संविदा खेती तथा पट्टेदारी अवस्था के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा इस प्रावधान का लाभ बहुराष्ट्रीय कंपिनयाँ उठायेगी क्योंकि छोटे जोतेदारों की कृषि पहले से ही अलाभप्रद हो चुकी है।

कृषि पर नवीन आयात-निर्यात नीति के भावी प्रभाव का आकलन -

31 मार्च 2000 को सरकार ने नई निर्यात-आयात नीति के तहत कृषि क्षेत्र को बल दिया लगभग 714 से अधिक कृषि उत्पादों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए जाने से विदेशों से बेरोकटोक आवक से किसानों पर सीधा हमला हो गया उत्पादनों पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटाने से भारतीय दुग्ध उत्पाद का दाम 30 प्रतिशत गिर गया है स्कैंडनेवियाई देशों से आया बटर-ऑयल 60 रूपये प्रति किलो बिक रहा है तो भारतीय घी 160 रूपये किलो कौन खरीदेगा?

देश के सहकारी गोदामों में 3000 टन घी का स्टॉक पड़ा है, गुजरात मध्यप्रदेश और राजस्थान में मूंगफली, सोया और सरसों के दाम चालीस सैकड़ा तक गिर गये है, चूंकि पामोलियन तेल के आयात पर खुली छूट दी जा रही है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में कपास उत्पादन किसान, पश्चिमी उ.प्र. में आलू की पैदावार करने वाले और आंध्रप्रदेश में तम्बाखू बोने वाले किसान तबाही के शिकार है ।

बिहार, बंगाल और असम में भी फसलों के दामों में गिरावट कम नहीं है तिलहन उत्पादन किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, बाजार में सरसों का दाम 900-1000 रू. प्रति क्विंटल के बीच है जबकि समर्थन मूल्य 100 रूपये प्रति क्विंटल है और यही स्थिति दलहन की है। जूट उत्पादको की कहानी तो हृदय विचारक है। जूट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया किसानों से डब्ल्यू-एफ श्रेणी का जूट 750 रूपये क्विंटल खरीद रहा है जबकि लागत 100 रूपये प्रति क्विंटल है। नकी फसलों, काफी, चाय, नारियल जूट, तम्बाकू, मिर्च आदि दामों में गिरावट चिंताजनक है, गन्ना उत्पादक किसानों पर चीनी मिलों का 2000 करोड़ रूपये बकाया है सरकार द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य 580 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया परंतु किसानों को 400-500 रू. प्रति क्विंटल के मध्य बेचना पड़ा ।

नवीन आर्थिक नीति संबंधी विसंगतियाँ :-

व्यापार के उदारीकण पर आधारित 1991 की गई आर्थिक नीति में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख मांस संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया है। इसी नीति के चलते नई पशु संपदा नीति मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निश्चित की गई है। इस नीति के अंतर्गत वधशालाये स्थापित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने शत प्रतिशत अनुदान और कर रियायतें दी है। 1975 से 1995 की अवधि में गौमांस बी (बछड़े) और पाड़े के मांस और

* प्राध्यापक एवं अध्यक्ष वाणिज्य विभाग शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

कुल निर्यात 2.15, 1.93 और 1.91 के गुणकों में बढ़ोत्तरी हुई है इससे पारिस्थितिकीय टिकाऊपन और ग्रामीण समुदाय की माली हालत पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। विगत दशक के दौरान देश की पशुसंपदा में उल्लेखनीय गिरावट आयी है यह गिरावट विशेषकर उन देशी नस्लों में आयी है जो दमखम, दूध देने की मात्रा और भार वाहक क्षमता के विख्यात है। इस गिरावट का मूल कारण मांस निर्यात के उद्देश्य से मवेशियों एवं भैंसों का हो रहा गैर कानूनी कत्ल है। भेड़ों और चूजों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार देश में जहाँ 1951 में प्रति हजार तैंतालीस मवेशी, बारह भैंसे, 14.1 बकरियाँ और 10.8 भेड़ें हुआ करती थी वहीं उनकी संख्या 1991 में क्रमश: 20, 10, 10.6 व 5 रह गई है वर्ष 2011 तक यदि यही सिलसिला चला तो क्रमश: 2, 2 शून्य व शून्य रह गई है। इस खतरनाक रूझान को रोकने की कोशिश नहीं की गई तो हमें इस पशु संपदा को अपने जीते-जी लुप्त होते हुए देखना पड़ेगा। इसके साथ ही कृषि की बुनियाद भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि ये मवेशी हमें जैविक खाद और पुनरूत्थान हो सकने वाली ऊर्जा उपलब्ध कराते है।

विनियोग परिवार ट्रस्ट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार हमारी गायों, भैसों, बछड़ों, बैलों, भेड़ बकरियों, ऊटों और गधों सहित कुल मवेशी संपदा का मूल्य 61,95,560 लाख रूपयें आंका गया है। इसके अतिरिक्त लकड़ी के हल, बखरों, बैंलगाड़ी, और तेल धानियों का आर्थिक मूल्य 71,30,940 लाख रूपये आता है और इन मवेशियों के दूध, अनाज, गन्ना, कपास, खाद्य तेल, बीज दालों, मवेशियों के श्रम, गोमूत्र गोबर का सम्मिलित मूल्य 1,08,513 लाख रूपये आंका गया है। इन आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक कसाई खाने से, जहाँ निर्यात आय वार्षिक 20 करोड़ रूपये होती है। वहीं यदि इन प्राणियों को जिंदा खाने दिया जाये तो खाद्य और प्राणी ऊर्जा के नाम पर अर्थव्यवस्था को 9.1 अरब रूपये का लाभ होगा। यही बात चमड़े व फर के निर्यात पर लागू होती है।

कृषि और खाद्य संगठन ने 1996 में इस बात की पुष्टि की थी कि देसी नस्लों की समाप्ति तेजी से हो रही है और प्रत्येक किस्म के साथ उसके वंशाणु-गुण भी सदैव के लिए लुप्त हो रहे है पशु संपदा के इस क्षय के साथ ही टिकाऊ कृषि की बुनियाद ग्रामीण रोजगारों और अर्थव्यवस्था को दीमक लग गया है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान भूमिहीन किसानों, दलितों और स्त्रियों को हो रहा है। मवेशी प्रबंधन के श्रम में स्त्रियों का योगदान 90 प्रतिशत होता है। अपनी आजीविका के लिए मवेशी पालन पर निर्भर देश के 7 करोड़ परिवारों में से दो तिहाई छोटे या सीमांत कृषक या भूमिहीन है। निर्यात के कारण मवेशियों की कीमतें बढ़ रहीं है और पशु खरीदना इनकी हैसियत से बाहर होता जा रहा है।

भारत के दस करोड़ किसान परिवारों को अमेरिका के नौ लाख किसान परिवारों के साथ प्रतियोगिता करनी है। भारत की कृषि जोत छोटी से छोटी होती जा रही है एक हेक्टेयर से छोटे के खेतों की संख्या 1970-71 में 3.50 करोड़ थी जो 1990-91 में 6 करोड़ से अधिक हो गई है। आय 2009-10 में 7.5 करोड़ से अधिक हो गई है।

एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर की जोतों की संख्या 1970-71 के करीब 5 से 10 करोड़ हो गई है भारत में खेत की औसतन जोत अब 1.7 हेक्टेयर है जबकि अमेरिका में यही जोत प्रति किसान 800 हेक्टेयर की है। कृषि पर आधारित इतनी बड़ी आबादी अपना जीवन स्तर किस प्रकार ऊँचा कर सकती है जबकि या तो वह भूमिहीन है और यदि भूमि उसके पास है तो उसकी जो 1.7 हेक्टेयर से कम है साथ में गाँव में ऐसा कोई व्यापार या उद्योग नहीं है जिससे वहां का निवासी रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन स्तर को साधारण स्थिति में रख सके। आज तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है जिससे कृषि आधारित 40 प्रतिशत आबादी को तकनीकी शिक्षा दी जाए ताकि वह खेती पर आधारित न रह जाए। गांधी जी का यह वाक्य भारत गांवों का देश है और अगर गांव भारत में मर जाते हैं तो पूरे देश की मृत्यु हो जाती है आज भी प्रासंगिक है। भारत के पांच लाख से अधिक गांवों के पास जो साधन हैं उनसे अधिक साधन भारत के बीस उद्योगपति घरानों के पास है।

देश में कृषि पर पूंजी 1960-61 में 1,668 करोड़ नियोजित थी जिसमें से 35.3 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में थी। 40 वर्ष बाद 2007-08 इस पूंजी में पांच 4 गुना वृद्धि होकर 1981 की कीमतों में आज करीब 8,999 करोड़ रूपये हुई है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में इसका प्रतिशत 50 प्रतिशत कम हो गया यानी 35.3 प्रतिशत वर्ष 60-61 में था जो आज केवल 16 प्रतिशत रह गया। भारत में गरीबी उन्मूलन की समस्या यह है कि भारतीय ग्रामों में 82 प्रतिशत किसानों के पास एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर तक छोटी जोत है और 26 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या भूमिहीन किसानों की है इन्हें कृषि के बाहर उचित रोजगार दिया जाना चाहिए।

संदर्भ :-

1. वंदना शिवा : संस्कृति के संहारक है गैट कानून, जनसत्ता जुलाई 1998
2. अंजना त्रिवेदी : विकास की मार गरीबों पर ही क्यों, राज्य की नई दुनिया, जनवरी 01
3. एम.एस. स्वामी नाथन : हमारी कृषि भविष्य का निर्माण, मुक्ति संघर्ष, 21-27 जनवरी 01
4. गोपाल राय : कृषि नीति में किसान कहाँ, नवभारत टाइम्स दिसम्बर 2001
5. क्यों आत्महत्या कर रहे है किसान, दैनिक भास्कर अक्टूबर 2000
6. जगदीप सक्सेना : रिश्ता, रोटी, सेहत एवं पर्यावरण का, नवभारत टाइम्स जनवरी 01, 2010

****

बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार में विपणन की भूमिका

डॉ. गणेशप्रसाद दावरे *

विपणन एक सतत् प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मार्केटिंग (उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रोत्साहन) की योजना बनाई जाती है एवं कार्यान्वयन किया जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों और संगठनों के बीच उत्पादों, सेवाओं या विचारों के विनिमय हेतु की जाती हैं। विपणन को रचनात्मक उद्योग के रुप में देखा जाता है जिसमें विज्ञापन, वितरण और बिक्री शामिल है। इसका सम्बन्ध ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का पूर्व विचार करने से भी है जो प्राय: बाजार शोध के माध्यम से पता लगाई जाती हैं। मूलत: विपणन किसी संगठन को बनाने या निर्देशित करने की प्रक्रिया है, ताकि लोगों को सफलतापूर्वक वह उत्पाद या सेवा बेची जा सके। मनुष्य में भौतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताएँ एवं इच्छाएँ जन्म लेती रहती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति नये-नये उत्पादों एवं सेवाओं से होती हैं। विपणन एक आधुनिक सेवा है जिसका मूलाधार ग्राहक है। यद्यपि विपणन शब्द प्रारंभ से ही चलन में है किन्तु वर्तमान में ग्राहकों की आवश्यकता और अपेक्षाओं को समझना तथा उनकी पूर्ति करना ही विपणन है।

व्यावसायिक जगत में व्यापक भंयकर प्रतिस्पर्धा के दौर में विपणन एक घटक न होकर एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ तो होता है, परन्तु कभी अन्त नहीं होता है एवं इसको परिष्कृत अवश्य किया जा सकता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ सन 1806 ई. को बैंक ऑफ कलकत्ता से हुआ। दो शताब्दीं की लम्बी अवधि में अपेक प्रक्रियागत आर्थिक तथा व्यावसायिक परिवर्तनों को संजोये हुए बैंकिंग व्यवसाय कार्यरत् है। आजादी के पश्चात् दो दशकों तक तो धनाढ्यों एवं वृहद स्तर के उद्योगों हेतु ही बैंकिंग व्यवस्था प्रयुक्त हुई। राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापक स्वरुप में विकसित होकर सार्वजनिक क्रियाकलापों को सम्पादित करते हुए सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया और राष्ट्रोत्थान में सक्रिय सहभागिता परिष्कृत हुई। आर्थिक क्षितिज में सेवादायी उद्योग बैंकिंग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहक है। विद्यमान घड़ी में इसमें अभूतपूर्व जीवंतता दृष्टिगत हो रही हैं। नौवें दशक अर्थात् सरलीकरण के पश्चात् दो दशकों तक संकीर्ण बैंकिंग के अंतर्गत सर्वथा सुरक्षित रहते हुए कार्पोरेट बैंकिंग के अंतर्गत सर्वथा सुरक्षित रहते हुए कार्पोरेट बैंकिंग के या वृहदोद्योग चलाने हेतु ही बैंक कारोबार का उपक्रम करते थे, लेकिन दसवें दशक से संपूर्ण बैंकिंग में परिवर्तनों का दौर प्रारंभ होकर निरंतर यह जारी है।

सेवा एक अमूर्त वस्तु है। सेवा का उपभोक्ता सेवा के रुप में ज्यादा विश्वास करता है। सेवा का विपणन इस बात पर अधिक निर्भर करता हैं कि कैसे सेवा प्रदान की जा रही हैं। परन्तु सेवा की विशेषता को सेवा देने से पहले अमृत रुप नहीं दिया जा सकता है। अत: उपभोक्ता सेवा लेने के दौरान ही समझ पाता है कि सेवा क्या है? और कैसी है?

अत: सेवा विपणन की प्रक्रिया में सेवा देते समय उपभोक्ता एवं सेवा की आवश्यकता इनको समझना नितांत आवश्यक है।1991 से आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण के साथ नए युग का सूत्रपात हुआ। मुक्त अर्थव्यवस्था के माहौल में क्रांतिकारी विस्मयजनक आर्थिक गतिविधियों का प्रादुर्भाव हुआ क्योंकि पूर्वी कार्पोरेट अथवा संस्थागत बैंकिंग सीमित दायरे की थी, साथ ही उसमें अनर्जक आस्तियां बढ़ते पैमाने की जारी होने से लाभप्रदत्ता प्रतिकूल परिणामकारक हो रही थी। अतएव विश्वव्यापीकरण की अवधारणा आर्थिक क्षितिज में अपरिहार्य हुई। ग्राहकोन्मुखी बैंकिंग/ फुटकर बैंकिंग को महत्वपूर्ण व संयोगिक समझा गया क्योंकि यह ग्राहकाधार बढ़ाकर कम जोखिम की संभावना वाली अवधारणा है। इसी सूझबूझ से मद्देनजर आज उपभोक्तावाद के विकासानुरुप बैंकिंग परिवर्तित स्वरुप में निरंतर सेवा कर रहा है। पहले बैंकों में विपणन केवल जमा पखवाडा, जमा सप्ताह तक ही सीमित था। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी विपणन पर विशेष जोर दिया तथा यह महसूस किया कि सर्वतोमुखी परिवर्तन के दौर में विपणन के बिना बैंक की प्रगति संभव नहीं हैं। विपणन के अन्तर्गत बैंक साधनों एवे सेवाओं का ऐसा प्रबन्ध करते हैं कि जिससे ग्राहकों की सेवा भी हो तथा बैंक भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

बैंकिंग सेवा व्यापार है जो न केवल पारंपरिक रुप से जमा व ऋण सेवाएँ प्रदान करता है वरन् एक नई गैर-पारम्परिक सेवाओं का विकास कर रहा है। परिस्थिति एवं समय के अनुसार वांछित फुटकर बैंकिंग के आकर्षक व्यवसाय को अपने ओर खिचने के लिये बैंको का विपणन कार्य करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्पर्धा के दौर में बैंकों की निरंतरण एवं सफलता के लिए ग्राहकों को उचित सेवा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। विपणन के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं सामान्य विपणन एवं परिचालनगत जिसमें बाजार, संसाधन, संरचना तथा प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विपणन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित घटक आवश्यक है:-

- विपणन योजना और रणनीति
- बैंकिंग के लिए बाजार का अभिनिर्धारण
- श्रेष्ठतम् सेवा तथा उच्च उत्पाद
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग
- प्रचार-प्रसार
- कर्मचारियों में उत्तम दर्जे की सेवाभाव एवं व्यावहारिकता जागृत कर प्रशिक्षण
- उपभोक्ता का समय बचाओं
- उपभोक्ता स्वरुप जानना एवं समझना
- अपने प्रतिस्पर्धी पर नजर

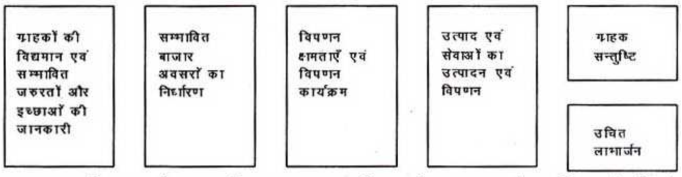

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था से अधिक तेजी से विकसित हो रही हैं लेकिन उत्पाद एवं सेवाओं का विपणकर्ता ग्रामीण विपणन की चुनौतियों तथा अवसरों से लाभ प्राप्त करने में स्वयं को असमर्थ पाते है क्योंकि शहरी मानसिकता एवं व्यवहार को ग्रामीण परिवेश के अनुरुप ढालना असंभव होता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में असीमित अवसर उपलब्ध है।

वर्तमान में बैंकिंग व्यापार में उत्पादकता एवं लाभ को महत्व दिया जा रहा है और बैंकों में उत्पाद के रुप में सेवा को एक परोसा जा रहा है। जिससे सेवा का समुचित विपणन ही बैंकों को उत्पादकता एवं लाभ के शिखर बिन्दु तक पहुँचाने में प्रयासरत् है। अत: बैंकों में सेवा का विपणन की उचित भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। बैंक सेवा का उचित विपणन कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने सफल हो सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. अग्रवाल, हरीशचन्द्र : उद्योग व्यापार पत्रिका, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन प्रगति भवन, नई दिल्ली, माह सितम्बर, 2013
2. जैन, डॉ. एस. सी. : विपणन के सिद्धान्त, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2006
3. भदादा, पोरवाल : विपणन के सिद्धान्त, रमेश बुक डिपो, जयपुर, नई दिल्ली, 2007
4. भारल, डॉ. शैलेन्द्र : विपणन के सिद्धान्त, राम प्रसाद एण्ड़ सन्स, भोपाल।

* प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख कृषि उपजों का योगदान

डॉ. गणेश प्रसाद दावरे *

मध्यप्रदेश मूलत :- कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है, जो खेती-किसानी पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल कार्मिक आबादी में 42.8 फीसदी लोग किसान थे। इसके साथ ही 28.7 फीसदी लोग खेतिहर मजदूर हैं।

इस तरह राज्य की कुल कार्मिक आबादी के 71.5 फीसदी लोग कृषि पर अवलंबित दर्ज किए गए थे। लगभग यही स्थिति 2011 की जनगणना के दौरान उभरी है। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की 72.4 फीसदी आबादी गांवों में बसती हैं।

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार को लेते हुए माना जा सकता है राज्य की अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका का आधार खेती-किसानी ही है क्योंकि गांवों में गैरकृषि आर्थिक गतिविधियों का आकार बहुत छोटा है। बीते सालों में जिस तरह राज्य सरकार के द्वारा कृषि को प्राथमिकता के क्षेत्र में लिया गया है। उसके कारण राज्य की कृषि विकास दर 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। राज्य सरकार के द्वारा कृषि को प्राथमिकता का क्षेत्र मानते हुए न केवल कृषि के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई, बल्कि कृषि कैबिनेट का गठन किया गया है। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं व धान आदि की खरीदी ने किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलने व्यवस्था की है।

इसी कारण वर्ष 2012 में राज्य में 85.06 लाख मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर की गई। इस तरह मध्यप्रदेश, गेहूं की खरीद के मामले में पंजाब के बाद, दूसरा बड़ा राज्य बन गया। इसी तरह धान एवं अन्न मोटे अनाज की खरीदी के लिए वर्ष 2012 के अंत में राज्य में 961 उपार्जन केन्द्र बनाये गए थे।

मध्यप्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अंशदान वर्ष 2004-05 में 25.97 प्रतिशत था, जो वर्ष 2009-10 में घटकर 21.94 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-11 में 20.53 प्रतिशत रह गया। राज्य में कृषि अभी भी परम्परागत तौर तरीकें से की जाती हैं। सिंचाई के रकबे में विस्तार के बाद भी राज्य की अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर है। राज्य में कुल सकल जोत क्षेत्र का मात्र 32.24 प्रतिशत भाग वर्ष 2010-11 तक सिंचाई से लाभान्वित था। इसमें वित्तीय वर्ष 2011-12 और वित्तीय वर्ष 2012-13 में काफी बढ़ोत्तारी दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2010-11 में जहां रबी के मौसम में 9 लाख 76 हजार हैक्टेयर खेतों को पानी मिला जो 2011-12 में बढ़कर 16 लाख 34 हजार हैक्टेयर तक हो गया।

प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र 150.70 लाख हैक्टेयर में से लगभग 53 लाख हैक्टेयर क्षेत्र दो फसली है। इस प्रकार फसलों का कुल क्षेत्राच्छादन लगभग 205 लाख हैक्टेयर है। सामान्य रुप से खरीफ फसलों का क्षेत्रफल लगभग 72 प्रतिशत तथा रबी का क्षेत्रफल लगभग 63 प्रतिशत है। इसमें से लगभग 58 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत है, जो कुल कास्त योग्य रकबे का 28.5 प्रतिशत होता है। प्रदेश की जलवायु यद्यपि विविधता पूर्ण है। फिर भी क्षेत्रीय समानताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसे 11 कृषि

तालिका

मध्यप्रदेश में प्रमुख कृषि उपज उत्पादन का तुलनात्मक विवरण

(इकाई हजार मैट्रिक टन)

क्र.	फसल	उत्पादन-वर्ष 2005-06	उत्पादन-वर्ष 2012-13
1	फल	11.73	37.85
2	सब्जियां	27.96	108.55
3	मसाले	2.33	30.77
4	फूल	0.02	1.58
5	औषधि	0.93	1.12
	कुल	42.97	179.87

स्रोत: मध्यप्रदेश संदेश, अगस्त 2013

जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है।

मध्यप्रदेश का धरातलीय स्वरुप यहाँ की जलवायु, वनस्पति, कृषि, उद्योग एवं परिवहन मार्गों को प्रभावित करता है। प्रदेश की धरातलीय बनावट सर्वत्र एक समान नहीं है। कहीं भूमि समतल और पठारी है तो कहीं ऊँची-नीची पहाड़ियाँ है। बीच-बीच में कटे-फटे भू-भाग और नदियों की घाटियाँ हैं। भौतिक दृष्टि से मध्यप्रदेश का अधिकांश भाग दक्षिण के पठार का अंग है जो अत्यंत प्राचीन कठोर शैलों से बना हुआ है।

मध्यप्रदेश वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध एवं सजा-संवरा राज्य है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्यप्रदेश में ही है। मध्यप्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में से 94689 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के तहत आता है। वैधानिक दृष्टिकोण से वन क्षेत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत 61886 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है।

भारतीय वन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश में 77,700 वर्ग किलोमीटर में वनाच्छादित क्षेत्र है। वनाच्छादित क्षेत्र में सभी प्रकार की भूमि जहाँ पेड़-पौधे जंगल शामिल किये जाते हैं। मध्यप्रदेश के वन ही नहीं वन्य जीव ओर पक्षी भी अपनी विविधता एवं संख्या के कारण सदैव अध्येताओं के आकर्षण के केन्द्र रहे हैं। प्रदेश में राष्ट्र की कुल वन धरोहर का 13 प्रतिशत भाग है जो कि 94,689 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में विस्तारित है। राज्य के वनों में वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र का आकार 10989.247 वर्ग कि. मी. है। प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभयारण्य है।

खनिज उत्पादन के राष्ट्रीय परिदृष्य पर मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के पश्चात् का स्थान अन्य राज्यों की अपेक्षा खनिज उत्खनन में नीचे खसका है, मगर खनिज संपदा की दृष्टि से राष्ट्र के आठ खनिज सम्पन्न राज्यों में मध्यप्रदेश का स्थान बना हुआ है। राज्य में इस समय 20 महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन और उत्खनन किया जा रहा है। देश में मध्यप्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां हीरा पाया जाता है।

मध्यप्रदेश में बड़ी मात्रा में खनिज उपलब्ध है। जिनके नियोजित दोहन

* प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत

से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। औषधीय एवं सुगंधित वनस्पतियां यहां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। राज्य में डोलामाइट देवास, हरदा, केलसाइट बुरहानपुर और मिश्रित श्रेणी चूना पत्थर पन्ना और दमोह के अलावा सागर के पगरा खदान में उत्खनन किया जाता है। मध्यप्रदेश औद्योगीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। राज्य में वह सब कुछ है जो उद्योगों के स्थापित और बढ़ने के लिए चाहिए।

देश के केन्द्र में बसे होने के साथ ही यहां खनिजों के भण्डार हैं। राज्य की नदियां प्रदेश ही नहीं देश के जलतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका हैं। वे किसानों और आम लोगों के साथ ही उद्योगों के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। इसके साथ ही राज्य में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित मानव शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वैसे भी राज्य की कृषि प्रधान वर्षा आधारित अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिए औद्योगिकीकरण जरुरी है। इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होता है तथा वर्षा पर निर्भरता कम होती हैं। कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन की सुविधा उपलब्ध होती है तथा कृषि उत्पादन के लिए आदान प्राप्त होते हैं, साथ ही कृषि पर रोजगार के लिए निर्भरता कम होती है।

मध्यप्रदेश में झरने, झील तथा तेज गति से बहने वाली अनगिनत नदियां हैं निमें जल विद्युत की अपार संभावनाएं है। इनके नियोजित दोहन से बिजली और पानी का ओर अधिक उत्पादन कर आर्थिक सदृढ़ता प्राप्त की जा सकती हैं। यहां के पर्वतीय क्षेत्र यहां की समृद्ध विरासत हैं।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. मध्यप्रदेश संदर्भ 2012 : मध्यप्रदेश जनसंपर्क का प्रकाशन, जनसंपर्क भवन, भोपाल, 2012
2. सामान्य अध्ययन : राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2000
3. मध्यप्रदेश संदेश : मध्यप्रदेश शासन का मासिक प्रकाशन, जनसंपर्क भवन, भोपाल, अगस्त, 2013
4. कुमार, डॉ. प्रमीला : मध्यप्रदेश : एक भौगोलिक अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2004

****

मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन: आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम

डॉ. अभय मुंगी *

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ कर उनके माध्यम से निर्धनों की निर्धनता निवारण के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 3 जून, 2011 में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की। इस मिशन के तहत् ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को फेडरेशन के रुप में गठित कर उनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर जीवनयापन का स्थायी आधार प्रदान करने की योजना है।

इस योजना से महिलाओं तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों पर विशेष रुप से केन्द्रित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक चिन्हित निर्धन परिवार से कम-से-कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह को इस योजना में शामिल किया जाता है। आजीविका का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है।

इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती हैं। आजीविका ने स्व-सहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और छह लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों (बीपीएल) को दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया है, जो एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरा होगा। इसके अतिरिक्त गरीब जनता को अपने अधिकारों और जनसेवाओं का लाभ उठाने में, तरह-तरह के जोखिम उठाने में और सशक्तिकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों को समझने में मदद मिलेगी । आजीविका इस बात में विष्वास रखता है कि गरीबों की सहज क्षमताओं का सदुपयोग हो और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनका योगदान हो, जिसके लिए उनकी सूचना, ज्ञान, कौशल, वित्ता तथा सामूहिकीकरण से जुड क्षमताएं विकासित की जाए। मध्यप्रदेश राज्य विकास की असीमित संभावनाओं का प्रदेश है।

राज्य में विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विकास के लिये जरुरी सामाजिक और आर्थिक अधोसंरचनाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को विकास का अवसरों का लाभ देने के लिये राज्य सरकार की पहल पर विभिन्न परियोजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किये गये हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में गरीब परिवारों को आजीविका के निरंतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना लागू की गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है। इस परियोजना को ऐसे क्षेत्रों में लागू किया गया है जहाँ गरीबी की सघनता है और जनसुविधाएं आसानी से नहीं पहँच पाती। परियोजना ऐसे जिलों में चलाई जा रही है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की अधिकता है और महिला सारक्षरता की दर कम है। मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को संवहनीय आजीविका उपलब्ध कराना। उनकी क्षमता बढ़ाकर और अधिकार संपन्न बनाकर आजीविका के अवसरों का लाभ लने के लिये सक्षम बनाना है। ताकि गरीब परिवारों को उनकी कार्यक्षमता और दक्षता के प्रति जाग्रत करते हुए उनके विवेक को सम्मान देने से वे स्वेच्छा से आत्मविश्वास के साथ गरीबी के घेरे को तोड़ सकते हैं। यह परियोजना प्रदेश के नौ जिलों- धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, श्योपुर, मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल और अनूपपुर में संचालित है। पहला चरण 30 जून, 2004 से प्रारंभ होकर 30 जून, 2007 को समाप्त हुआ। अलीराजपुर जिले के गठन उपरांत अलीराजपुर मिलाकर अब परियोजना का कार्यक्षेत्र नौ जिलों में है। इस परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत् आठ जिलों के 815 गांवों गरीब परिवारों को आजीविका देने की विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं। सफलतापूर्वक संचालन के बाद 1 जुलाई 2007 से दूसरे चरण की शुरुआत हुई। पहले चरण के 815 गांवों को शामिल करते हुए दूसरे चरण का विस्तार 2901 गांवों में प्रस्तावित किया गया। पंचवर्षीय दूसरा चरण 2012 तक चला। तीन वर्ष के प्रथम चरण के लिये 116 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और पांच वर्ष के दूसरे चरण के लिये 336 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई हैं। परियोजना के इन गॉवों में कुल परिवारों की संख्या 4.75 लाख है। इनमें से परियोजना द्वारा लक्षित गरीब परिवारों की संख्या 2.85 लाख है।

ग्राम सभा और आजीविका मिशन:- परियोजना ग्राम सभा के माध्यम से कार्य करती हैं। परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था क रुप में ग्राम सभा को चुनने का उद्देश्य यह है कि ग्राम सभा ही नीचले स्तर पर एकमात्र स्थायी और सशक्त संस्था है। इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। मध्यप्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत् ग्राम सभा को विकास विभागों ने कतिपय अधिकार सौंपे हैं और कार्यकलापों के संचालन की जिम्मेदारी दी है। अपने अधिकारों के प्रति सजग ग्राम सभा आजीविका से जुड़े सभी मुद्दों पर सर्व सहमति से विवेकपूर्ण निर्णय ले सकती हैं। इसमें वास्तविक हितग्राहियों का चुनाव, स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन और सामुदायिक विकास के लिये परिसम्पत्तियों का निर्माण करने जैसे मुख्य मुद्दे शामिल हैं। इसके लिये जरुरी है कि ग्राम सभा सशक्त बने। सशक्त और जागरुक ग्राम सभा समता के आधार पर संसाधनों का नियोजन एवं लाभ का वितरण कर सकती हैं। अत: चयनित ग्रामों में ग्राम सभा सशक्तीकरण के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

आजीविका को सुदृढ़ बनाना:- इस घटक की धारणा यह है कि गरीब से गरीब परिवार अपना जीवन चलाने के लिये कुछ न कुछ काम करते हैं। उनके पास कुछ न कुछ संसाधन होते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता वे अपनी मेहनत और पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल से जीविका कमाते हैं। परियोजना के हस्तक्षेप से ऐसे गरीब परिवारों को आजीविका को बढ़ाने वाली सेवाओं, कौशल बढ़ाने वाले प्रशिक्षण या लघु आर्थिक गतिविधियों का लाभ दिलाकर

* सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत

उनकी आजीविका में बढ़ोतरी की जा सकती हैं। इस घटक के अंतर्गत् वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, लघु स्तर पर आयमूलक आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत, कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, जल एवं भूमि संरक्षण, पलायन रोकने जैसे उप-घटक शामिल किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा:- सामाजिक सुरक्षा को दूसरे चरण में प्राथमिकता दी गई है। इसके पीछे सोच यह है कि सुदूर गांवों में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं हैं। वे शारीरिक अथवा मानसिक रुप से अशक्त है और आजीविका के लिये शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों को समुदाय मिलकर मदद करें और केन्द्र तथा राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक उनकी पहुंच हो सके। इसके अलावा परियोजना की ओर से भी समुदाय के साथ मिलकर ऐसे उपाय किये जायें जिनसे परिवारों को मदद मिले। इसके लिये ग्राम सभा और समुदाय को सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी के प्रति जागरुक बनाना परियोजना का मुख्य कार्य हैं।

समानता अवसर :- गाँव में उपलब्ध संसाधनों से होने वाला लाभ बिना किसी भेदभाव के समान रुप से महिलाओं और पुरुषों को मिलना चाहिये। इसी प्रकार आजीविका संबंधी निर्णय लेने में भी महिलाओं को अवसर मिलना चाहिये। विकास की प्रक्रिया में दोनों की बराबर की भागीदारी होना चाहिये। इस दृष्टि से समुदाय में समझ बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों संबंधी प्रशिक्षण देने में प्राथमिकता देने की पहल की गई हैं। पुरुषों एवं महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने और महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के प्रति जागृत करने के लिये विभिन्न गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई हैं।

परियोजना के प्रत्येक गांव में एक आजीविका मित्र रखा गया है। आजीविका मित्र संबंधित गांव का ही निवासी होता है। गांव में वातावरण निर्माण, छोटे-छोटे समूहों, टोलों और फलियों में जाकर बैठक आयोजित करता है जिनमें गांव के आजीविका संबंधी मुद्दों पर चर्चा होती हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में भाग लेना, आजीविका के लिये जरुरतमंद परिवारों को प्रस्ताव बनाने में मदद करना, परियोजना की गतिविधियों पर कितना खर्च हुआ और ग्राम कोष में कितनी राशि शेष है इसकी जानकारी सभी लोगों को देना, सार्वजनिक स्थान पर सूचना पटल पर लिखवाना एवं परियोजना सहायता दल को विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सहयोग देना आदि कार्य आजीविका मित्र से अपेक्षित हैं।

आजीविका में यह विचार रखा गया है कि गरीब वर्ग खपत आधारित से कर्ज का लेन-देन, मौजूदा आजीविका में विस्तार, विविधता के सतत् मार्ग पर धीरे-धीरे बढ़ना। आजीविका का प्रमुख ध्येय खेती और गैर खेती वाले क्षेत्रों में गरीबों के मौजूदा आजीविका स्तर को स्थिर करना और उसे बढ़ाना है। आजीविका प्रत्येक परिवार के आजीविका स्तर नजर डालेगा और व्यक्तिगत परिवार स्तर पर या सामूहिक रुप से या दोनों स्तर पर गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करेगा। चूँकि खेती बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीब जनता की आजीविका का मुख्य साधन है इसलिए आजीविका टिकाऊ खेती तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों मसलन पशुपालन, लकड़ी के अतिरिक्त अन्य वन उत्पाद संग्रह और मत्स्य पालन आदि पर विशेष ध्यान देना है। मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका गरीबी उन्मूलन में सशक्त माध्यम बनी हैं।

मध्यप्रदेश में आजीविका मिशन स्कील की स्थिति

कुल प्रोजेक्ट एजेंसी	कुल प्रशिक्षित व्यक्ति	कुल चयनित	चयनित पुरुष	चयनित महिला
298	94116	70699	54022	16677

स्रोत:- http://www.nrlmskills.in

संदर्भ ग्रंथ

1. प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिकवार्षिक2012, 2/11ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा
2. ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम, : महात्मागांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अधारताल, जबलपुर (मध्यप्रदेश) 2010
3. hhttp://aajeevika.gov.in
4. hhttp://nrlm.gov.in
5. hhttp://www.nrlmskills.in

****

धार जिले में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रो. बी. एस. सिसोदिया *

प्रस्तावना:-भारत की जनगणना 2011 के ताजा आंकडो के अनुसार भारत की लगभग 69 प्रतिशत जनसंख्या गाँवो में बसती है। 121 करोड भारतीयों में से 83.30 करोड जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रो में तथा 37.70 करोड जनसंख्या शहरो में निवास करती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लगभग 27.10 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के निचे आती है, इसलिये पिछले दशकों में सतत प्रयासो के बावजुद ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गरीबी दिखाई देती है, जो देश के विकास को प्रभावित करती है। देश के संतुलित एवं सर्वागीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए तथा देश में बढती बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक हल करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार/स्वरोजगार योजनाएँ संचालित की जा रही है। अध्ययन की दृष्टि से धार जिले में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुल्यांकन इस शोध पक्ष में प्रस्तुत किया गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांवो में रहने वाले गरीबो के लिये स्वरोजगार की अकेली योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारम्भ की गई इस योजना में पूर्व में संचालित योजना एकीकृत ग्रामिण विकास योजना (IRDP), टायसेम योजना, सिटरा, गंगा कल्याण योजना, दस लाख कुंआ योजना आदि को मिला दिया गया।

इस योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इस योजना में दी जाने वाली राशि केन्द्र व राज्य सरकारे 75:25 के अनुपात में विभाजित करेगी। इस योजना के दो प्रमुख घटक है- Activity clusters & Group Approach प्रत्येक विकास खण्ड पर चार या पांच मुख्य ऐसी गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा करने का प्रावधान है जो स्थानीय संसाधनो, शिल्प और विपणन उपलब्धता के अनूरूप हो, ताकि स्वरोजगार अपने विनियोग से लाभकारी आय प्राप्त कर सके।

Group Approach का संबंध गरीबों को संगठित करके स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना है। एक स्व सहायता समूह में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारो से संबंधित 10 से 20 व्यक्ति हो सकते है तथा एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। लघु सिचांई योजना के मामले में यह संख्या कम से कम 5 हो सकती है। इस स्व-साहयता समूह में महिलायों को वरीयता प्रदान की गई है।

अध्ययन का उद्देश्य :-धार जिले में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयास कितने सार्थक रहे है। प्रस्तुत शोध पत्र निम्न उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये किया गया है :-

1. इस योजनान्तर्गत अध्ययन अवधि में स्वरोजगारियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य था।
2. इस योजनान्तर्गत स्वरोजगारियों को कितनी ऋण राशि उपलब्ध की गई।
3. योजनान्तर्गत अ.ज.जा. का कुल स्वरोजगारियों से कितना प्रतिशत रहा।

शोध प्रविधि-प्रस्तुत शोध पूर्णत: द्वितीय समंको पर आधारित है। इन समंकों का संकलन जिला पंचायत कार्यालय धार, जिला सांख्यिकी पुस्तिका धार, पत्र-पत्रिकायों, शासकीय संस्थाओं आदि के द्वारा प्राप्त किया गया है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत धार जिले में लाभान्वित स्वरोजगारियों की स्थिति का स्पष्टीकरण निम्न तालिका से प्रदर्शित किया गया है:-

स्वर्ण जसंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों की संख्या एवं वित्तीय सहायता की स्थिति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	कुल स्व रोजगारियों की संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	अ.ज.जा. का कुल से %	अनुदान राशि	ऋण राशि
2004-05	[illegible]	1493	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80.58	171.78	355.73
2005-06	[illegible]	1621	[illegible]	[illegible]	[illegible]	81.99	230.21	402.77
2006-07	540	1196	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70.81	182.70	358.30
2007-08	[illegible]	1598	[illegible]	1284	[illegible]	80.35	204.92	[illegible]
2008-09	[illegible]	2655	293	1930	456	72.69	297.78	[illegible]
योग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

स्रोत:- जिला सांख्यिकी पुस्तिका धार वर्ष 2004,2007,2009

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि, वर्ष 2004.05 एवं 2005.06 में क्रमश: 1493 एवं 1621 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्राप्त हुआ, जिसमें लक्ष्य के विरूद्ध क्रमश: 355.73 एवं 402.77 लाख रूपये की ऋण राशि का वितरण किया गया साथ ही क्रमश: 171.78 एवं 230.21 लाख रूपये की अनुदान सहायता भी दि गई। स्वरोजगारियों में अ.ज.जा. वर्ग की उपलब्धी क्रमश: 80.58 प्रतिशत एवं 81.99 प्रतिशत रही।

वर्ष 2006.07 में योजनान्तर्गत आवेदकों को शासन से 540 लाख रूपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरूद्ध 1196 व्यक्तियों के 358.30 लाख रूपये ऋण राशि वितरित की गयी तथा 182.70 लाख रूपये की अनुदान सहायता दी गई। वर्ष 2006.07 में कुल स्वरोजगारियों में 70.81 प्रतिशत अ.ज.जा. के व्यक्ति सम्मिलित है। वर्ष 2007.08 एवं 2008.09 में कुल क्रमश: 1598 एवं 2655 व्यक्तियों का स्वरोजगार प्राप्त हुआ। लाभान्वित स्वरोजगारियों अ.ज.जा. वर्ग के स्वरोजगारियों की संख्या के क्रमश: 1284 एवं 1930 है जो कुल का क्रमश: 80.35 प्रतिशत एवं 72.69 प्रतिशत है। विभाग द्वारा इस अवधि में स्वरोजगारियों को क्रमश: 204.92 लाख रूपये एवं 297.78 लाख रूपये का अनुदान दिया गया है।

निष्कर्ष:-उक्त विश्लेषण से यह तथ्य उजगार हुआ कि लाभान्वित स्वरोजगारियों में अ.ज.जा. का प्रारम्भ में 80.58 प्रतिशत था जिसमें आगामी वर्ष 2005.06 में बढ कर 81.99 हो गया किन्तु वर्ष 2006.07 में यह प्रतिशत 70.81 हो गया लेकिन आगामी वर्षो में निरन्तर वृद्धि होती गई इसका कारण आदिवासियों में धीरे-धीरे इस कार्यक्रम की जानकारी एवं स्वरोजगार के क्षेत्र की ओर आकर्षित होना है।

सन्दर्भ सूची:-

1. भारत, ग्रामिण विकास विभाग, नई दिल्ली वर्ष 1996 से 2002 तक
2. गुप्ता, सुरेश आगे आये लाभ उठाये (एल.के.जोशी) -आयुक्त, जनसम्पर्क, भोपाल।
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका वर्ष 2004,2007,2009
4. कुरूक्षेत्र ग्रामिण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली 2006
5. पन्त डॉ. डी.सी. भारत में ग्रामिण विकास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2009
6. स्वयं सहायता समूह 2000 उद्यमिता विकास केन्द्र
7. बैंक ऋण एवं वसूली प्रक्रिया जिला सहकारी बैंक जिला धार।

* सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

देश में सहकारी बैंकों की स्थिति

डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता * ऋचा अग्रवाल **

उदारीकरण, भूमण्डलीयकरण और निजीकरण की प्रक्रिया में भारत के आर्थिक परिदृश्य में भी तीव्र गति से परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे है। निश्चित ही देश के बैंकिंग तंत्र पर भी इन आर्थिक परिवर्तनों का दबाव पड़ा है। वर्तमान में विश्व आर्थिक मंदी के दौर से उभरने के प्रयास कर रहा है, अत: भारतीय अर्थव्यवस्था और मुख्यत: बैंकिंग संरचना पर इसके प्रभाव के कारण सहकारी बैंकिंग संस्थाएं भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में जो मौद्रिक उपाय क्रियान्वित किये गये है, उनके फलस्वरूप बैंकों की ऋणों की दरों में कमी हुई है। इस स्थिति में सहकारी बैंकों को ऋण विस्तार योजनाओं के साथ अमानत योजनाओं को प्रतिस्पर्धी बनाये रखने और लाभदेयता बनाये रखने के लिये बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लाभ कमाना सहकारी बैंकों का मुख्य लक्ष्य नहीं है फिर भी लाभदेयता किसी भी आर्थिक क्रियाकलापों वाली संस्था के लिये 'जीवंतता' बनाए रखने के लिये प्राणवायु का कार्य करती है। सामान्तया लाभदेयता किसी भी आर्थिक संस्थान के प्रबंधन की कार्यकुशलता तथा संचालकों की योग्यता का प्रमाण हुआ करती है।

अत: सुदूर अंचलों में बसे हुए वंचित तबको के सर्वांगीण विकास के लिये सहकारी बैंकों का स्वयं वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना न केवल जरूरी है बल्कि बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में अपने अस्तित्व को बनाये रखने की चुनौती भी स्वीकार करनी है।

देश में लगभग 7 लाख गाँव है और संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्पष्टतया कृषि पर निर्भर करती है। कृषि एवं कृषकों की अपनी कुछ ऐसी विशिष्टताएँ होती है जो इसकी वित्त एवं साख की आवश्यकताओं को कृषि भिन्न क्षेत्रों की वित्त एवं साख संबंधी आवश्यताओं से अलग करती है।

2012 की स्थिति में देश में 31 राज्य सहकारी बैंकों के अंतर्गत 372 जिला सहकारी बैंके कार्यरत थी। औसतन प्रत्येक 2 जिलों पर लगभग एक जिला सहकारी बैंक देश के विशाल भूभाग पर दूरस्थ अचंलों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवा रही है।

देश में सहकारी समितियों की संख्या

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
संख्या (लाख में)	4.16	4.58	4.73	4.75	4.69	4.71	6.97	9.73	6.30	8.05
वृद्धि (प्रतिशत में)	100	100.0	113.7	114.1	112.7	113.2	167.5	233.8	151.4	193.5

स्रोत नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉआपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड 2011-12

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विगत एक दशक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से सम्बद्ध सहकारी समितियों की वृद्धि दर बहुत धीमी रही है। 2002-03 की तुलना में वर्ष 2007-08 तक समितियों की वृद्धि मात्र 113.22 प्रतिशत ही रही है जो बाद के वर्षो में बढ़कर 2011-12 में 193.51 प्रतिशत रही है। उल्लेखनीय है कि देश की कृषि संरचना में भी तेजी से बदलाव आ रहे है। वर्तमान समय में कृषक परम्परागत कृषि के स्थान पर विविधता के आधार पर व्यावसायिक कृषि की ओर अग्रसर हुए है। ऐसे में निश्चित रूप से उनकी निर्भरता वित्त एवं साख के लिये सहकारी बैंकों पर बढ़ी है।

विश्व अर्थव्यवस्था एवं गेट समझौते फलस्वरूप दुनिया के कृषि प्रधान देशों के कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कृषि उत्पाद की कीमतों में असामान्य उच्चावचन कृषकों की अनिश्चितता को बढ़ा रहे है। ऐसी स्थिति में सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की वसूलियाँ भी प्रभावित होती है। यदि सहकारी बैंको की वसूली दर उचित नहीं होगी तो नि:संदेह कम वसूली का प्रभाव सहकारी बैंकों की कार्यशील पूंजी पर पडेगा। स्वयं के संसाधनों की कमी के कारण सहकारी बैंकों की निर्भरता कार्यशील पूंजी के लिये शीर्ष बैंकों पर बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप बैंकों की लाभदेयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विगत एक दशक में देश में सहकारी बैंकों द्वारा अल्प, मध्य एवं अन्य मदों में वितरित ऋण, कुल मांग एवं कुल वसूली निम्नानुसार रही है।

कुल वितरित ऋण मांग एवं वसूली

(करोड INR में)

वर्ष	वितरित ऋण	कुल मांग	कुल वसूली	मांग की तुलना में वसूली प्रतिशत
2002-03	49775	46163	28871	62.54
2003-04	48899	50150	31603	63.02
2004-05	55212	54857	36826	67.13
2005-06	60418	57226	39090	68.31
2006-07	76703	64943	43557	67.07
2007-08	87229	74121	46582	62.84
2008-09	88028	80889	54446	67.31
2009-10	110529	88896	65132	73.27
2010-11	137757	106118	77069	72.62
2011-12	162554	124376	97166	78.12

स्रोत नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉआपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड 2011-12

सहकारी बैंकों की मांग की तुलना में ऋण वसूली की दर में वर्ष 2002-03 से वर्ष 2011-12 के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसे संतोषजनक कहा जा सकता है। फिर भी मांग की तुलना में वसूली लगभग तीन चौथाई भाग ही है। जिला सहकारी बैंकों की कार्यशील पूंजी में अमानतों कोषों के अतिरिक्त शीर्ष संस्था नाबार्ड से ऋणार्जन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि बैंकों की वसूली दर कम है तो स्वाभाविक रूप से सहकारी बैंकों की निर्भरता कार्यशील पूंजी के लिये ऋणार्जन एवं अमानतों पर बढ़ती है।

पिछले एक दशक में देश में सहकारी बैंकों की कार्यशील पूंजी में ऋणार्जन की राशि निम्नानुसार रही है।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि सहकारी बैंको की कार्यशील पूंजी में ऋणार्जन की दर वर्ष 2002-03 से वर्ष 2005-06 तक लगभग 17.68 प्रतिशत तक की रही है जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर 19.13 प्रतिशत हो गई है। बाद के वर्षो में ऋणार्जन की दरों में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है परन्तु वर्ष 2011-12 में यह अप्रत्याशित रूप से बढ़कर उच्चतम स्तर 19.62 प्रतिशत

* प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगौन (म.प्र.) भारत ** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

देश में सहकारी बैंको की कार्यशील पूंजी में ऋणार्जन की राशि

(करोड़ INR में)

वर्ष	कार्यशील पूँजी	ऋणार्जन	कार्यशील पूँजी में ऋणार्जन का प्रतिशत
2002-03	109092	19238	17.63
2003-04	118905	21128	17.77
2004-05	122632	21557	17.58
2005-06	131241	23202	17.68
2006-07	146083	27940	19.13
2007-08	168137	30533	18.16
2008-09	184037	28477	15.47
2009-10	206918	30354	14.67
2010-11	235430	39101	16.67
2011-12	257306	50481	19.62

स्त्रोत नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉ आपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड 2011-12

पर पहुँच गई है।

सहकारी बैंकों की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के लिये जरूरी है कि अग्रिम एवं ऋणों की वसूली को बार-बार स्थगित किये जाने एवं ऋण माफी एवं राहत योजना जैसे घोषणाओं को रोका जाना चाहिये क्योंकि इससे न केवल लाभदेयता अपितृ बैंकिंग संरचना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऋण वसूली का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए ताकि अमानक संदग्धि ऋण जो बाद में अनुत्पादक आस्तियों में परिवर्तित होते है, पर नियंत्रण हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, वीरेन्द्र प्रताप: रिसर्च मेथडॉलॉजी (2007) पंचशील प्रकाशन जयपुर
2. भारत में बैंकिंग प्रगति : भारतीय रिजर्व बैंक कलेटिन, मुंबई
3. डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव्ह : डायरेक्टरी 2010-11 बैंक इन इंडिया
4. नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉ-आपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड प्रकाशन 2011-12
5. website – www.NAFSCOB

****

कृषि विकास में राष्ट्रीय बीमा योजना का योगदान

प्रो. रायकू जमरा *

विपदा की स्थिति में प्रभावित कृषकों को सहायता करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा जुलाई 1999 से नई राष्ट्रीय बीमा योजना प्रदेश में अंगीकृत कर लागू की गई है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं रोगों के कारण सहायता देना तथा कृषि में प्रगतिशील तरीकों का प्रयोग करने के लिये कृषको को प्रोत्साहित करना है। इस योजना की मुख्य एर्जेसी भारतीय साधारण बीमा निगम है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सहकारी/व्यवसायिक/ग्रामीण बैंको की महत्वपूर्ण भागीदारी है।

संस्था के अतिरिक्त कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के संचालन में विशेष भागीदारी है। प्रमुख रूप से राज्य स्तर पर योजना की सतत् समीक्षा करना, आवश्यकतानुसार समय-समय पर उचित निर्देश प्रसारित करना है। खरीफ/रबी मौसम के लिये राज्य स्तरीय फण्ड समिति की बैठक का आयोजन कृषि विभाग द्वारा ही किया जाता है। जिला स्तर पर गठित कमेटी योजना की समीक्षा करने का प्रावधान है।

इस योजना में फसलों को दो सिद्वान्तो के आधार शामिल किया गया है।

1. पर्याप्त वर्षो के लिये फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उत्पादकता के पूर्व के ऑकडे जो सबंधित अधिकारी के पास उपलब्ध रहते है।

2. प्रस्तावित मौसम के दौरान उत्पादकता व अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त संख्या में कटाई संसूचित फसलों में निम्नानुसार फसलों को शामिल किया गया है -

1 खाद्य फसलें (अनाज, कदन्न एवं दलहन)

2 तिलहन

3 गन्ना, कपास एवं आलु (वार्षिक नगदी, वार्षिक बागवानी)

अन्य वार्षिक/बागवानी फसलों के पूर्व उत्पादकता के ऑकडे की उपलब्धता की शर्त तीन वर्षा की अवधि में शामिल किया जाता है। नई राष्ट्रीय बीमा योजना माह जुलाई 1999 से लागू की गई है। इसके अन्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों को आयोजन पटवारी हल्का स्तर पर किया जाता है। इसमें संसूचित फसलों के लिए 150 हेक्टर या इससे अधिक क्षेत्र की निर्धारित है। इसमें 8 फसल प्रयोग किये जाते है। 4 फसल प्रयोग हल्के के पटवारी द्वारा सम्पन्न किया जाते है तथा इस आधार पर पटवारी हल्के की औसत फसल ज्ञात की जावेंगी व उक्त आधार पर संसूचित फसल बोने वाले काश्तकारो को बीमा का लाभ दिया जाता है।

योजना में शामिल किये जाने वाले किसान :- संसूचित क्षेत्रो मे संसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदार, काश्तकार सहित सभी किसान इसमें शामिल किये जाने योग्य है। योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गो के किसानों को शामिल किया गया है।

अनिवार्य आधार पर :- वे सभी किसान जो ससूचित फसलें उगा रहे है और वित्तीय संस्थानों जैसे व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रिय ग्रामीण बैक/सहकारी संस्थान से मौसमी कृषि कार्यो हेतु ऋण ले रहे हैं। ऐसे किसान को ऋण किसान कहते हैं।

स्वैच्छिक आधार पर :- संसूचित फसल उगाने वाले वे सभी किसान जो स्कीम में आने की इच्छा रखते है। लेकिन इनके द्वारा संसूचित फसलों के लिए किसी संस्थान से ऋण नहीं लिया है। इन्हें अऋणी किसान कहतें है।

ऋणी किसानों को अनिवार्य शामिल :- जब कोई बैंक फसलों के लिये ऋण वितरण करती है, तो वह बीमा प्रीमियम अनिवार्य रूप से फसल के मान से ऋणी किसान से वसूल करती है और यह ऋण जिस शाखा द्वारा वितरित किया जावेगा। वह शाखा अनिवार्य रूप से माह की 15 तारीख तक फसलवार तथा निश्चित क्षेत्रवार ब्यौरा व विवरण मय शुल्क के अपनी क्षेत्रीय शाखा या जिला कार्यालय पर जैसे भी निर्देश दिये हो, भेजेगी व जिला कार्यालय जानकारी संकलित कर पूर्ण विवरण के साथ प्रीमिय का डिमांडड्राप्ट बीमा निगम भोपाल म प्र को अंतिम तिथि कि पूर्व प्रेषित करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत वितरित ऋण भी इसमें शामिल किया गया है। गैर ऋणी किसान जो इन योजना में शामिल होना चाहते है। वह योजना का प्रस्ताव भरकर व्यावसायिक बैंक अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में बीमा प्रीमियम की रकम जमा कराकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। इन कृषकों द्वारा खाता खोलना आवश्यकता है, जिसमें बीमा प्रीमियम कि राशि जमा की जावेगीं। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के सत्यापित कर पूर्ण विवरण सहित यथा समय मय शुल्क के जानकारी निर्धारित प्रारूप में भेजेगें।

योजना में शामिल की गई जोखिम :- इस योजना में ऋणी एवं अऋणी किसानों की जोखिम को शामिल किया गया है।

1. प्राकृतिक रूप से आग लगना, बिजली गिरना।
2. तुफान, ओला, चक्रवात, समुद्री तुफान ।
3. बाढ, जलप्लावन ।
4. सुखा, शुष्क।
5. कृमि रोग।

बीमित राशि की कव्हरेज सीमा :- बीमित राशि कव्हर करने के लिये किसानों की इच्छानुसार बीमा फसलों के एक निश्चित उत्पादकता के स्तर तक बढ़ाई जा सकती है। कोई भी किसान दरों की प्रीमियम के भुगतान द्वारा अपनी फसल का मिश्रित पैदावार स्तर से अधिक अर्थात संसूचित क्षेत्र की औसत उत्पादकता के 150 प्रतिशत तक के मूल्य पर भी करवा सकता है।

प्रीमियम दरें :-

1. खरीफ की फसल जैसे बाजरा, तिलहन के लिए 3 5 प्रतिशत या वास्तविक दर इनमें से जो भी कम है।
2. अन्य फसलें जैसे प्याज, दलहन- बीमित राशि का 2 5 प्रतिशत या वास्तविक दरें इनमें जो भी कम हों
3. रबी - गेहूँ, बीमित राशि का 2 5 प्रतिशत या वास्तविक दर इनमें से जो भी कम हो।
4. अन्य फसलें - अनाज, कदल, दलहन, तिलहन, की फसलों की बीमित राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर।

खरीफ या रबी :- वार्षिक नगदी/बागवानी की बीमित दर, वास्तविक दर।

प्रीमियम हेतु राज्य सहायता :- छोटे एवं सीमांत किसानों के संदर्भ में 50 प्रतिशत राज्य सहायता दिये जाने का प्रावधान है व राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करती है।

* सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य, महराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

विनिर्दिष्ट पैदावार :- विभिन्न फसलों के लिए अलग- अलग विनिर्दिष्ट पैदावार समय समय पर निर्धारित की जाती है।

खरीफ – धान असिंचित एवरेज उत्पादक का 60 प्रतिशत
संचित एवरेज उत्पादक का 80 प्रतिशत

रबी – गेहूँ राई, सरसों एवरेज उत्पादन का 80 प्रतिशत
आलसीं 60 प्रतिशत

दावों की स्वीकृति तथा निपटाने की प्रक्रिया :- विहित अंतिम तारीख के अनुसार सरकार के एक बार ऑकडे प्राप्त होने पर दावो पर विचार किया जावेगा तथा अभिकरण द्वारा दावों के निपटान करने पश्चात् दावों के निपटान करने के पश्चात् दावों संबंधी भुगतान राशि नोडल बैंको कों भेजेगें। संबंधित संस्था अपने स्तर पर किसानों के खातों में यह राशि जमा करेगी।

मुआवजा कोष :- भयंकर नुकसानों की क्षतिपूर्ति के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार से 50-50 के आधार पर अंशदान से एक मुआवजा कोष बनाया जावेगा। आपदा राहत कोष का हिस्सा मुआवजा कोष के अंशदान में लिए उपयोग किया जावेगा। क्रियान्वयन करने वाले अभिकरण द्वारा मुआवजा कोष का प्रबंध कार्य किया जावेगा।

योजना में अपेक्षित लाभ :-उक्त योजना के लागू होने से फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी व किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि पद्धतियों तथा उच्च तकनीक अपनाने के साथ कृषि ऋण प्रवाह को बनायें रखनें में सहायता प्राप्त होगी। नई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में लाभ अत: प्रयोगों को बहुत सावधानी से सम्पन्न प्रयोगों की औसत पैदावार के आधार ही निश्चित् किया जाता है। अत: प्रयोगों को बहुत सावधानी से सम्पन्न किया जाना चाहिए उपरोक्त राष्ट्रीय बीमा फसल योजना के संबंध में विस्तृत एवं अद्यतन जानकारी हेतु संबंधित बैंको एवं कृषि विभागों से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थिति :- देश में सर्वप्रथम यह योजना किसानों की फसलों को विपरीत मौसम के कारण होने वाली हानि से बचाने के लिए वृहत फसल बीमा योजना के नाम से लागू की गई थी, जो चयनित क्षेत्रों में चयनित फसलों के लिए थी।

तत्पश्चात् वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा उक्त योजना में आवश्यक परिवर्तन कर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का नाम देते हुए नई योजना लागू की। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण किसी भी अधिसूचना फसल की विफलता की घटना में किसानों को बीमा लाभ और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देश के कुछ राज्यों में पिछलें दस वर्षो में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थिति को तालिका में दर्शाया गया हैं-

तालिका कं 5 1

			राज्य में फसल बीमा चर्को की राशि (करोड़ मे)
क्रं	राज्य	फसल बीमा चर्कों की राशि (करोड़ में)	प्रतिशत (कुल से)
1	आंध्रप्रदेश	4099	23 58
2	गुजरात	3917	22 54
3	राजस्थान	2621	15 08
4	महाराष्ट्र	1873	10 78
5	बिहार	1794	10 32
6	कर्नाटक	1635	9 40
7	मध्यप्रदेश	1442	8 30
	कुल योग	17381	100 00

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. कुरूक्षेत्र, मार्च 2012 पृ क्रं 28
2. भारत में कृषकों का बीमा नई दिल्ली
3. जिला सहकारी बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन

****

धार जिले में कृषि विकास में बैंक ऑफ इण्डिया के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन

प्रो. राजेश मईड़ा *

जिले का सामान्य परिचय -

आदिवासी संस्कृति एवं जनसंख्या बाहुल्य जिला धार इंदौर संभाग के अंतर्गत आता हैं। जिसमें धार,बदनावर, सरदारपुर, मनावर, गंधवानी, धरमपुरी, कुक्षी, डही को मिलाकर आठ तहसीलें आती हैं।

धार जिले में कृषि की स्थिति -

प्रदेश के अन्य जिलो के समान ही धार जिला एक कृषि प्रधान जिला हैं। जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 81.1 प्रतिशत गांवों में निवास करती हैं जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि हैं।कुल कार्यशील जनसंख्या का 73.68 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य कर अपना जीवन निर्वहन करती हैं। जिले में अधिकतर खरीफ की फसले बोई जाती हैं जैसे - सोयाबीन , कपास , मक्का, मुंगफली , ज्वार आदि एवं रबी फसलों के अंतर्गत चना और गेहूं हैं। कुछ क्षेत्र में आलु , लहसुन , प्याज , मटर आदि भी अपनी उत्पादकता के कारण जिले में प्रमुख फसल के रुप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं। जिले से लगे निमाड क्षेत्र में जहां पर मध्यप्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली प्रमुख नदी नर्मदा के किनारे पर लगे क्षेत्रों में गन्ना , मिर्ची , केले की खेती भी की जाती हैं। कुल कृषि योग्य रकबा 504.500 हेक्टेयर है जिसमें खरीफ फसल का रकबा 504.200 एवं रबी फसल का रकबा 276.00 हेक्टेयर है । जिसके अंतर्गत सिंचित कृषि भूमि का क्षेत्रफल 313.383 हेक्टेयर है।

शोध का उद्देश्य -

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य जिले में कृषि विकास में बैंक ऑफ इण्डिया के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन करना हैं एवं विभिन्न बैंको द्वारा कृषि विकास हेतु प्रदत्त ऋण के वितरण का तुलनात्मक अध्ययन करना हैं।

शोध का क्षेत्र -

प्रस्तुत शोध का क्षेत्र संपूर्ण धार जिला हैं जिसमें धार , बदनावर, सरदारपुर, मनावर,गंधवानी,धरमपुरी, कुक्षी, डही कोमिलाकर आठ तहसीलों को सम्मिलित किया गया हैं।

शोध विधि -

प्रस्तुत शोध में बैंक ऑफ इण्डिया धार की वार्षिक साख योजना वर्ष 2013-2014 के ऋण वितरण के आंकडों एवं जानकारी के द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया हैं।

बैंक ऑफ इण्डिया का संक्षिप्त परिचय :-

बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 में मुम्बई के प्रमुख व्यापारियों के समूह द्वारा की गई थी तब से इसकी प्रगति निरंतर हो रही हैं। सशक्त और ठोस नींव पर आधारित यह बैंक दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा हैं। बैंक के जन्मदाता और संस्थापक सर ससून जो डेविड विशिष्ट व्यक्ति थे जो अपनी दूरदर्शिता , प्रतिष्ठा एवं प्रेरक शक्ति के लिए विख्यात थे। जुलाई 1969 तक बैंक निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण में था तत्पश्चात् 13 अन्य बैंको के साथ उसका राष्ट्रीकरण किया गया। प्रारंभ में बैंक की 50 लाख की चुकता पूंजी एवं 50 स्टॉफ सदस्यों से मुम्बई में एक कार्यालय से बैंक ने अपने कारोबार की शुरूआत की तथा समय के साथ- साथ तेजी से प्रगति करते हुए एक ऐसी महान संस्था के रुप में उभर कर आई जिसका परिचालन देश एवं विदेश में फैला हुआ हैं। कारोबार की मात्रा के संबंध में राष्ट्रीकृत बैंको में इस बैंक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं।

समझदारी एवं चौकसी की नीति का भरपूर पालन करते हुए विभिन्न नवीन सेवाओं और प्रणालियों को लागू करने में बैंक अग्रणी रहा हैं। यहां परंपरागत एवं नैतिक मूल्यों तथा अति आधुनिक आधारभूत तत्वों के मिश्रण से कारोबार किया जाता हैं। 1989 में मुम्बई की महालक्ष्मी शाखा को पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत करके ए. टी. एम. सुविधा स्थापित कर इस क्षेत्र में राष्ट्रीकृत बैंको में इस बैंक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बैंक भारत में स्विप्ट का एक संस्थापक सदस्य भी हैं। अपने ऋण फोर्ट फोलियों के मूल्यांकन हेतु बैंक ने 1982 में सबसे पहले हेल्थ कोड सिस्टम प्रारंभ किया।

पूंजी बाजार के साथ बैंक का संबंध 1981 से हैं, जब बी.एस.ई. समाशोधन गृह के प्रबंध के लिये उसने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया । यह एक ऐसा साथ था जो फल-फूल कर आज बी.एस.ई.शेयर होल्डिंग के नाम से जाना जाता हैं।

बैंक ऑफ इण्डिया विदेश में शाखा खोलने वाला प्रथम भारतीय बैंक बना जब उसने 1946 में लंदन में अपनी शाखा खोली और 1974 में पेरिस में शाखा खोलकर यूरोप में भी इसी प्रकार की पहल की ।

वर्ष 2012-2013 के अंतर्गत धार जिले में कृषि विकास हेतु बैंकवार ऋण वितरण तालिका -

तालिका क्र. 1

(राशि हजार रु.में)

क्र	बैंक का नाम	प्लान	वितरण	प्रतिशत
1	भारतीय स्टेट बैंक	2857399	1831900	64%
2	केनरा बैंक	4605	1500	33%
3	बैंक ऑफ बडौदा	113669	162800	143%
4	इलाहाबाद बैंक	138196	17139	12%
5	बैंक ऑफ इण्डिया	2800970	2107100	75%
6	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	786324	476294	61%
7	देना बैंक	186085	50000	27%
8	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	467230	176700	38%
9	यूनियन बैंक	341288	152900	45%
10	पंजाब नेशनल बैंक	142750	113300	79%
11	सिंडिकेट बैंक	184880	74900	41%
12	कॉर्पोरेशन बैंक	56765	2700	5%
13	यूको बैंक	55600	16200	29%

* सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार (म.प्र.) भारत

14	इंडियन बैंक	49995	1100	2%
15	एन.जे.जी.बी.	2006647	2115573	105%
16	डी.सी.सी.बी.	3274330	4106900	125%
17	ए.आर.डी.बी.	634163	0	0%
18	आई.सी.आई.सी.आई.	93825	40390	43%
19	एच.डी.एफ.सी.	81715	208460	255%
20	आई.डी.बी.आई.	35425	0	0%
21	एक्सेस बैंक	41125	6700	16%
	योग	14352986	11662556	81%

स्त्रोत - बैंक ऑफ इण्डिया धार की वार्षिक साख योजना वर्ष 2013-2014

विश्लेषण एवं निष्कर्ष - उपर्युक्त तालिका के आंकडों का अध्ययन करने से पता चलता है कि बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि ऋण का वितरण किया गया हैं। बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ऋण वितरण का जों लक्ष्य निर्धारित किया जाता हैं उसमें 96 प्रतिशत के लगभग ऋण कृषि विकास हेतु निर्धारित किये जाते हैं। अन्य बैंको की तुलना में डी.सी.सी.बी. एवं भारतीय स्टेट बैंक के बाद बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा ही सबसे अधिक कृषि ऋण का वितरण किया जाता हैं। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं डी.सी.सी.बी. द्वारा अधिक कृषि ऋण वितरण का कारण यह है कि इनकी शाखाओं की संख्या अधिक होने के साथ-साथ इनका सुदूर अंचल में होना है। अत: बैंक ऑफ इण्डिया ने जिले में कृषि ऋण वितरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया हैं।

संदर्भ सूची -

1. अग्रणी बैंक वार्षिकी साख योजना 2013-14
2. म.प्र. का आर्थिक विकास - राव एवं कोजवार
3. राज्य कृषि विकास कार्यक्रम योजना
4. किसान कल्याण कृषि विकास विभाग पुस्तिका म.प्र.
5. उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास पत्रक
6. जिला योजना सांख्यिकी पुस्तिका 2009
7. ग्रामीण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था - श्री सुबहसिंह यादव 145

****

म.प्र. के आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के आर्थिक विकास में फुटकर व्यापार का अध्ययन

निशा मालवी * पी.के. मिश्रा **

1. प्रस्तावना:-

बैतूल जिला भारत के मध्यप्रदेश राज्य के दक्षिणी भाग में सतपुडा की सुरम्य पहाडियों में स्थित है। भोपाल संभाग के इस जिले में 8 तहसीले, 10 विकास खंड, 10 जनपद पंचायते व 1394 ग्राम है। जिले में 92 वन ग्राम है। जिनमें आदिवासी मुख्यत: गोड व कोरकू निवास करते है। जिले में मुख्यत: ताप्ति, माचना, पूर्णा व बेता नदी प्रमुख है। माचना नदी लगभग 40 ग्रामों को जल प्रदाय करती है। जिले की औसत वर्षा लगभग 1100 मिलीमीटर है। जिले की जलवायु समशीतोष्ण है। जनसंख्या लगभग 13 लाख है। जिले में कोई बहुत बड़ी औद्योगिक ईकाई स्थापित नहीं है केवल बैतूल शहर में औद्योगिक क्षेत्र एक सीमित स्थान पर स्थित है जिसमें खाद्य तेल, प्लायवुड, सीमेंट पाइप, मैदामिल आदि प्लांट स्थापित है।

चूंकि किसी बड़े उद्योग की स्थापना यहां नहीं हुई है, इसलिए कुटीर उद्योग प्रचलन में है जिसमें बांस, मिट्टी, लोहे, प्लास्टिक आदि से बने उत्पादों की ईकाइयां हैं जो जिले के आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा सहायक नहीं हो पा रही है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा संचालित स्कूल व महाविद्यालय हैं परंतु साक्षरता का प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। राज्य सरकार के द्वारा रोजगार शिक्षा गारंटी योजना, औद्योगिक प्रशिक्षण योजना, महिला बाल विकास योजना, स्वरोजगार योजना, कृषि विकास योजना जैसी कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं परन्तु अभी भी यह जिला पिछड़े जिले के रूप में जाना जाता है प्रस्तुत अध्ययन जिले में चल रही अनेक योजनाओं की सफलता, विकास के स्तर का सर्वे व फुटकर व्यापार से उन्नति की संभावनाओं पर आधारित है।

2. अध्ययन की विधि :-

अध्ययन मुख्यत: कुछ प्रसिद्ध प्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, शोध पत्रों व दैनिक समाचार पत्रों पर आधारित है तथा इन्टरनेट व आर्थिक सर्वेक्षण का भी उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी आंकडों का संकलन किया गया है।

3. परिणाम एवं व्याख्या :-

जिले में 2 तरह के व्यापार संचालित है।

1) थोक व्यापार 2) फुटकर व्यापार

थोक व्यापार के अन्तर्गत व्यापारी थोक मूल्य पर सामान (वस्तु) फुटकर व्यापारी को उपलब्ध कराता है । जिले व जिले के बाहर की खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रानिक सामग्री, कपड़ा आदि थोक व्यापारियों के अधिग्रहण में है। फुटकर व्यापार में मुख्यत: छोटे व्यापारी संलग्न है जो उत्पादों को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, जिसे फुटकर विपणन भी कहते हैं। इस व्यापार में विविधता होती है जो 2 तरीके से सम्पन्न होती है।

1) स्वयं की दुकान से ग्राहकों को सामान उपलबध कराना।

2) ग्राहक के निवास तक वस्तुओं को पहुंचाना।

फुटकर व्यापार केवल बैतूल जिले में ही नहीं बल्कि किसी न किसी प्रकार से पूरे विश्व में ही संचालित है तथा यह आर्थिक विकास में अत्यंत सहायक है लेकिन यह व्यवसाय एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही संचालित किया जा सकता है, इसलिए इनकी (फुटकर व्यापारियों) समस्याएं प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग होती हैं ।

सामान्यत: यह देखा गया है कि फुटकर व्यापार जिसे साप्ताहिक बाजार भी कहा जाता है, शहर अथवा गांव के मुख्य मार्ग के दोनों ओर लगते है इसमें आवागमन तो अवरूद्ध होता ही है यह व्यवस्था ग्राहको की रूचि भी कम करती है। मुख्यत: सब्जियों का व्यापार इन फुटकर दुकानों से किया जाता है जिससे होने वाली गंदगी भी ग्राहकों में अरूचि पैदा करती है। स्थानीय प्रशासन पशुओं को भी नियंत्रित नहीं कर पाता है जिससे आये दिन ग्राहको में दुर्घटना की संभावना घर किये होती है। कुछ समस्याएं बैतूल जिले में सर्वे के दौरान पाई गई जो निम्नलिखित हैं :-

1) बार-बार बाजार के स्थान में परिवर्तन होने से ग्राहकों को असुविधा होती है।
2) बाजार की दुकानों में अतिक्रमण का होना भी ग्राहकों को विचलित करता है।
3) बाजार में महिला एवं पुरूष शौचालय का निर्माण न किया जाना भी समस्या उत्पन्न करता है।
4) बाजार में पेय जल की उचित व्यवस्था न होने से दूर दराज के ग्राहक परेशान होते हैं।
5) बाजार में समुचित रोशनी का इंतजाम न होने से संध्याकाल में खरीददारों की संख्या कम हो जाती है।
6) बाजार के बीच से ही निकलने वाली मुख्य सड़क पर ट्रैफिक की सही/समुचित व्यवस्था न होने से आवागमन बाधित होता है जो परोक्ष रूप से व्यापार में बाधा डालता है।

बैतूल जिले के स्थानीय साप्ताहिक बाजार :-

* **बैतूल -**
  कोठीबाजार - गुरूवार, रविवार
  कालापाठा - मंगलवार
  गंज - बुधवार : सब्जियां, कपड़े, बर्तन, गुड, पौधे
  सदर - सोमवार : बैल बाजार
* **झल्लार -** मंगलवार : मसाले, सब्जियां, कपड़े, बर्तन, गुड, पौधे ,
* **भैसदेही -** शनिवार : सब्जियां, कपड़े, मसाले, बर्तन, गुड, पौधे
* **मुलताई -** गुरूवार : सब्जियां, मसाले कपड़े, बर्तन, गुड, पौधे
* **आमला -** शनिवार, बुधवार : सब्जियां, कपड़े, बर्तन, मसाले, गुड, पौधे
* **सारणी (घोडाडोंगरी)-** शनिवार : सब्जियां, कपड़े, बर्तन, गुड, पौधे
* **चिचोली -** मंगलवार : सब्जियां, कपड़े, बर्तन, गुड, पौधे
* **शाहपुर -** बुधवार : सब्जियां, कपड़े, बर्तन, गुड, मसाले
* **आठनेर -** गुरूवार : सब्जियां, कपड़े, बर्तन, गुड, पौधे।

* प्राध्यापक (वाणिज्य) ** प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महा., बैतूल (म.प्र.) भारत

चित्र . 1 – जिले में लगने वाले साप्ताहिक बाजार

✲ बैतूल
✲ भैंसदेही
✲ चिचोली
✲ आठनेर
✲ शाहपुर
✲ मुलताई
✲ आमला
✲ घोडाडोंगरी

उपरोक्त साप्ताहिक बाजारों में लगभग न्यूनतम 60 लाख एवं अधिकतम 1.5 करोड़ रूपये का फुटकर व्यापार होता है जो आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है। प्रचलन में यह है कि खेती के उत्पादों को किसान फुटकर व्यापारियों के माध्यम से बेचने में अधिक उत्सुक रहते हैं जबकि व्यवस्था अगर यह हो कि किसान समीतियां बनाकर वस्तु थोक व्यापारी को ही उपलब्ध कराये जिससे ग्राहको को एक निश्चित मूल्य पर उत्पाद या वस्तु मिल सके तथा इन वस्तुओं को लाने ले जाने के लिये एक निश्चित वाहन का प्रयोग करे जिससे वस्तु या उत्पाद में कोई चोट या खराबी न हो। प्राय: जिले के लगभग सभी शहरों में भारी वाहन अव्यवस्थित रूप से बाजार में खडे रहते है। जिसका अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष प्रभाव ग्राहकों के आवागमन पर पड़ता है इसकी समुचित व्यवस्था नगरपालिका के द्वारा कराई जानी चाहिए। दूर दराज के क्षेत्रों से ताजी वस्तुओं का विक्रय स्थल या शहर लाने में खराब होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है अतएव उत्पादन स्थल से वस्तुओं का एकजाई एकत्रित कर विक्रय स्थल तक लाने की समुचित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

परिणाम:– 1. फुटकर व्यापार मुख्यत: ग्रामीण अंचल की रीढ़ की हड्डी होती है वस्तु उत्पाद की गुणवत्ता उंचे स्तर की न होने पर ग्राहक के स्वास्थ्य पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिये जरूरी है कि किसानों अथवा उत्पादनकर्ता को अच्छे उत्पाद उत्पन्न करने के लिये समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाए व शासन द्वारा घोषित या बनाये गये मापदण्डों को कड़ाई से लागू किया जाय। उदाहरण स्वरूप जिले में मशरूम का उत्पादन प्रचुरता से किया जाता है यह एक कुटिर उद्योग का रूप ले चुका है जिसमें प्रमुखता से बीजों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है साथ ही उत्पादों को उचित माध्यम से बाजारों में बेचा जाता है। यह एक सुखद संकेत है।

2. फुटकर व्यापार के प्रचलन में फूलों का विक्रय खेती के माध्यम से सामने आया है । जिसमें फुटकर में फूल तथा उनके पौधो दोनों का विक्रय शामिल है। इससे किसानों को भी फूलो की खेती के लिये उत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के फूलों का विक्रय विगत 10 वर्षो से बहुत तेजी से बढ़ा है जिले में केवल गेंदे के फूल उत्पादित किए जाते है जबकि अन्य क़िस्मों की मांग समय–समय पर होती रहती है। इन्हें जिले के बाहरी स्थानों से आयात किया जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप में से ग्राहकों के लिए मंहगे सिद्ध होते है । फूलों की खेती में रूचि रखने वाले किसानों को उचित प्रशिक्षण देकर इस फुटकर व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है ।

3. बैतूल जिला अत्यधिक सघन वनों का जिला है अर्थात् बनोपज भारी मात्रा में प्राप्त किया जाता है जिसमें औषधि, फल, फूल प्रमुख है इन्हें जिले से बाहर बिचोलियों के द्वारा भेजा जाना प्रचलित है अतएव जिले के विभिन्न स्थानों पर छोटी–छोटी ईकाइयों (उद्योग) की स्थापना कर इन वनोपज की पैकिंग की व्यवस्था की जाना चाहिए। जिले में मुख्यत: निम्बोली (नीम), हर्रा, बहेडा, आंवला, चिरोंजी, बबूल, जायफल, मुसली अधिकता में पाई जाती है। जिसे आदिवासी इकट्ठा कर सीधे बड़े व्यापारियों को न देते हुये बिचोलियों के माध्यम से बेचा करते है अथवा साप्ताहिक बाजार में फुटकर विक्रय करते है । 4. जिले में गन्ने की खेती अधिकांश स्थानों पर की जाती है । अतएव अच्छे बीजों का वितरण कर इसकी गुणवत्ता सुधारी जा सकती है जिससे गुड बनाने वाले व बेचने वाले फुटकर व्यापारी लाभांवित होगें जिले में व्यवस्थित व बड़ी शुगर मिल न होने के कारण भी प्राय: यह देखा गया है कि किसान जिले से बाहर उचित मूल्य न प्राप्त होने की स्थिति में अपनी पूरी फसल तक जला देते है इस व्यापार के लिए भी समीतियां गठित कर किसानों को अथवा फुटकर व्यापारियों को राहत दिला सकते है। म.प्र. के पूर्व में स्थित गुजरात प्रदेश जैसे पिछडे प्रदेश में जहां पर महिलायें व परिवार के अन्य सदस्य दूध का विक्रय इसी फुटकर आधार पर किया करते थे समिति गठित कर इसे एक मजबूत तंत्र बनाया गया और वर्तमान में यह देश में ही नहीं वरन् विदेशों में भी एक उदाहरण के रूप में लिया जाता है इसमें न केवल प्रदेश को बल्कि पूरे देश को भी आर्थिक सम्पन्नता पाने में सुविधा हुई।

जिले का फुटकर व्यवसाय यूं तो पुरूषों के आधिपत्य में है परन्तु महिलाओं की भागीदारी अगर इसमें सुनिश्चित की जाये तो आर्थिक उन्नति के बहुत सारे रास्ते खुल सकते है, आवागमन की असुविधा महिलाओं को प्रभावित कर सकती है परन्तु स्थानीय स्तर पर महिलाओं को जोड़ने पर इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। कपड़ा व्यवसाय गहने सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुओं आदि अति महत्वपूर्ण फुटकर व्यवसाय में महिलाऐं योगदान देना व्यापार को सुगठित करने में सहायक हो सकती है।

सुझाव –अधिक से अधिक सुपर मार्केट की व्यवस्था की जाए । फुटकर व्यापारियों को दुकानों के लिये निश्चित समय व स्थान उपलब्ध कराया जाए। माल ढोने के लिए वाहनों की उपलब्धता कराई जाए। समितियों का निर्माण कर व्यापारियों के मध्य प्रतियोगता कम की जा सकती है। सामान की गुणवत्ता बचाने एवं बनाये रखने हेतु समूह का निर्माण किया जाये। छोटे–छोटे विज्ञापनों द्वारा सामान की उपलब्धता की जानकारी उपभोक्ता को जानकारी प्रदान करना । वस्तु की संपूर्ण जानकारी लाभ व हानि के संबंध में प्रदान करना। वस्तुओं के संरक्षित करने की विधियों पर जानकारी या विज्ञापन के माध्यम से प्रदान करना । वस्तुओं को कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराना । प्रकार के आधार पर सामानों की उपयोगिता की जानकारी। उपभोक्ता को तथा फुटकर व्यापारियों को आवश्यकतानुसार लोन की व्यवस्था कराना। आवागमन को सुचारू बनाने की व्यवस्था कराना । बिचौलियों अथवा मध्यस्थों पर रोक की व्यवस्था करना। दुर्लभ वस्तुओं का सही मूल्य आदिवासियों को दिया जाये, इसकी व्यवस्था करना।

संदर्भ :–

1. भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13
2. डॉ. तिवारी, डॉ. संजय, डॉ. अंशुजा तिवारी, महिला उद्यमिता, ओमेगा प्रकाशन पब्लिकेशन
3- Business Today "The most powerful women in Indian business" Sep. 26, 2004
4. बैतूल भास्कर दिनांक 17 सितम्बर 2013 दिन मंगलवार
5. विपणन प्रबंध (प्रकाशन– श्लेष बुक डिपों, लेखक– डॉ. जितेन्द्र चन्द्र जैन, डॉ. नीरज चन्द्र)

मानव संसाधन विकास एवं नियोजन-लोक सेवकों की महती भूमिका

डॉ. दिनेश कुमार चौधरी *

प्रस्तावना –हमारी सभ्यता और संस्कृति की विकास यात्रा में प्राकृतिक प्राविधिक तथा मानवीय संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रमों को प्रभावी तथा मूर्तरूप देने के लिए लोक सेवकों की महती भूमिका है इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि मानव संसाधन के विकास से संबंधित संगठनात्मक प्रयासों को कार्मिक प्रशासन के माध्यम से व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाए क्योंकि मानवीय श्रम शक्ति में अपार संभावनाएं मौजूद है तथा मानव बुद्धि से बढ़कर अन्य कोई आश्चर्य इस संसार में नहीं है। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास का इतिहास इसके अदम्य साहस, संघर्ष और अजीविका का दर्पण है। वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तन में सभ्यता का विकास और विनाश पूर्णत: लोक सेवाओं तथा कार्यरत् कार्मिकों पर निर्भर करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य लोक सेवकों की बढ़ती मूल भूमिका को मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार में कार्यरत् कर्मचारियों, उद्योगों एवं औद्योगिक घरानों के मालिकों में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करना है। कहा जाता है कि, भारतीय उद्योग तीन एम पर निर्भर है, मानव, मुद्रा और माल। इसमें मानव ना हो तो सब कुछ समाप्त है। आम बोलचाल की भाषा में ''एच.आर.डी'' (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट) के नाम से लोकप्रिय हो रही यह अवधारणा किसी संगठन में कार्यरत् कार्मिकों के विकास तथा कल्याण को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है। मानव को संगठन का मूल्यवान तथा असीमित क्षमताओं से युक्त संसाधन मानकर उसके सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता प्रदान करने की यह अवधारणा कुछ दशक पूर्व ही स्वीकार की गई थी। मानव संसाधन विकास की नवीन अवधारणा कार्मिकों के विकास लोक सेवकों की महती भूमिका को समझने का प्रयास करती है। इस अवधारणा में यह मानकर चला जाता है कि, कार्मिकों की संतुष्टि तथा उत्पादन बढ़ाने से पूर्व संबंधित संगठन में ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें कार्मिकों की क्षमताएं स्वत: ही बढ़ती रहें।

शोध अध्ययन के उद्देश्य–प्रस्तुत शोध अध्ययन मानव से संबंधित है। मानव क्रियाशील प्राणी है। क्रियाशीलता के साथ उसे समय-समय पर अभिप्रेरणा (मौद्रिक, अमौद्रिक) की आवश्यकता पड़ती है। लोक सेवाओं या सेवाक्षेत्र में परम्परागत नौकरशाही के शिकंजे के कारण नवीन प्रयास प्राय: नहीं हो पाते है। दूसरा कारण यह है कि, सामाजिक सेवाओं के रूप में कार्यरत् सरकारी विभाग लाभ कमाने के लिए कार्यरत् नहीं है। अत: उनमें नव प्रवृत्तियों के प्रति उत्साही नहीं पाया जाता है। शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य है

1. लोक सेवक को कर्त्तव्य निर्वहन में यथार्थता तथा स्पष्टता प्रदान करना।
2. परिवर्तित परिस्थितियों में लोक सेवकों को प्रदत्त नवीन उत्तरदायित्वों की पूर्ति के योग्य बनाना।
3. उच्च कार्य तथा गुरूत्तर दायित्वों के अनुरूप क्षमताओं को विकसित करना।
4. कार्मिकों का मनोबल उच्च स्तर पर बनाए रखना।
5. लोक सेवकों में 'सेवकों' की भावना विकसित करना ना कि मालिक होने का भ्रम।
6. प्रत्येक प्रकार के कार्य में मानवीय संवेदनाओं को महत्व देते हुए उसे तत्परता पूर्वक संपादित करना।

शोध अध्ययन की विधि– प्रस्तुत शोध अध्ययन में मूलत: द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। परंतु शोध की गुणवत्ता तथा मौलिकता हेतु प्राथमिक समंक जैसे मौखिक साक्षात्कार, व्यक्तिगत अनुसंधाण अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधाण, प्रश्नावली आदि शोध विधि का उपयोग किया गया है।

भारत में मानव संसाधन विकास की स्थिति– भारत में एच.आर.डी. की अवधारणा को सन् 1975 से निजी प्रतिष्ठानों में स्वीकार किया गया। श्री राजीव गांधी का शासनकाल भारत में कम्प्यूटर, संचार, उपभोक्ता संरक्षण तथा मानव संसाधन विकास की नवीन अवधारणाओं के प्रसार के लिए याद किया जाता है। यद्यपि उन्होंने सन् 1985 में संघीय स्तर पर' मानव संसाधन विकास मंत्रालय' की स्थापना अवश्य की तथापि इस मंत्रालय का कार्य प्रत्यक्षत: संगठित कार्मिक विकास से

व्यापक रूप से संबंधित नहीं रहा है। इस मंत्रालय के अधीन शिक्षा, खेलकूद, संस्कृति तथा महिला एवं बाल विकास नामक चार विभाग कार्यरत थे। वर्तमान में इस मंत्रालय में प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यरत है। निस्संदेह इन विभागों का कार्यक्षेत्र व्यापक रूप से मानव संसाधन को विकसित करने से संबंधित है। कार्मिक नीतियों के निरूपण तथा क्रियान्वयन के लिए 'कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय' पृथक से कार्यरत है जो मुख्यत: सरकारी कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं विकास से संबंधित कार्य करता है। एच.आर.डी. की पश्चिमी अवधारणा को कतिपय निजी तथा सरकारी औद्योगिक संस्थानों में क्रियान्वित किया गया है। इन अधिकांश संस्थानों के 'कार्मिक प्रशासन' विभाग का नाम मानव संसाधन विकास इकाई' कर दिया गया है। कुछ संस्थानों में प्रशिक्षण पर बल दिया गया है तो किसी में कार्य निष्पादन मूल्यांकन पद्धति पर ध्यान केन्द्रित है। सन् 1985-87 में सेन्टर फॉर एच.आर.डी., जेवियर लेबर रिसर्च इन्स्टीट्यूट तथा नेशनल एच.आर.डी. नेटवर्क द्वारा भारत के 53 प्रतिष्ठानों में मानव संसाधन विकास की स्थिति का अध्ययन करवाया गया था। अध्ययन में यह पता चला कि 89 प्रतिशत संस्थानों में कार्मिक नीति निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य तो हुआ था किन्तु 20 प्रतिशत संस्थानों में ही एच.आर.डी. को सार्थक या व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया गया। भारत में सर्वप्रथम सन् 1975 में लार्सन एण्ड टूब्रो कम्पनी ने श्रमिकों की कार्य निष्पत्ति के मूल्यांकन, परामर्शदात्री सेवाएं, कार्य दलों के निर्माण इत्यादि के रूप में एच.आर.डी. की शुरूआत की। इसी तरह क्र ॉम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड, ज्योति लिमिटेड, टी.वी.एस. आयंगर एंड संस, वोल्टास लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन तथा स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने मानव संसाधन को महत्वपूर्ण मानते हुए विगत सदी के अस्सी तथा नब्बे के दशक में व्यापक प्रयास किए। इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 'एच.आर.डी.' की शुरूआत तथा क्रियान्विति से उत्पादन तथा कार्मिक संतुष्टि में उल्लेखनीय प्रभाव दिया है।

मानव संसाधन विकास का महत्व :–समस्त प्रकार की शासन व्यवस्थाओं तथा प्रशासनिक प्रणालियों में मानव विकास' को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यों का दर्शन, चिन्तन तथा प्रयास, पूर्णत: मानव संसाधन विकास को समर्पित हैं क्योंकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के बिना राज्य के विकास या सरकार के अस्तित्व की

* सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

कल्पना करना व्यर्थ है। जैसा कि पूर्व पृष्ठों पर बताया जा चुका है मानव संसाधन विकास की अवधारणा व्यावहारिक रूप में दो स्तरों पर प्रवर्तित है।

1. सामुदायिक स्तर पर मानव संसाधन विकास
2. संगठनात्मक स्तर पर मानव संसाधन विकास

जहां तक सामुदायिक स्तर पर मानव संसाधन को विकसित करने का प्रश्न है, उसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार, कल्याण, शिक्षा, आवास, रोजगार, शुद्ध पेयजल, परिवहन, समता, न्याय, मानवाधिकार, सुरक्षा सहित जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की सुनिश्चितता सम्मिलित है। आधुनिक लोक प्रशासन जो कि प्रशासकीय राज्य के रूप में कार्य कर रहा है, का मूल उद्देश्य मानव संसाधन विकास ही है। समाज कल्याण के रूप में दी जाने वाली ऐसी सेवाएं जो कि वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, असहायों, नि:शक्तजनों, निर्धनों, श्रमिकों, पिछड़े वर्गो तथा अन्य भेदभावग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित हैं, का प्रत्यक्ष प्रभाव किसी भी समाज के समग्र मानव संसाधन सूचकांक पर पड़ता है। हाल ही के वर्षो में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए किए गए जेण्डर संवेदनशीलता प्रयासों को भी मानव संसाधन विकास के मूलभूत आधारों से गिना जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, योजना आयोग द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2002 को जारी की गई, जिसे भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा जा रहा है कि इसके आधार पर राज्यों की योजना का आकार निश्चित किया जा सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार देश में उदारीकरण के दस वर्षो 1991-2001 में समग्र मानव विकास सूचकांक में बेहतर सुधार हुआ है। सन् 1983-93 के दौरान मानव विकास सूचकांक में 2.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर बनी हुई थी जबकि सन् 1993-94 से सन् 2000-01 की अवधि में यह दर 3 प्रतिशत से भी अधिक रही। सन् 1981 से सन् 2001 तक के दो दशकों में केरल (प्रथम), पंजाब (द्वितीय), हरियाणा (पांचवें), पश्चिम बंगाल (आठवें) तथा बिहार (पन्द्रहवें) के स्थान में कोई अंतर नहीं आया जबकि तमिलनाडु ने सातवें से तीसरे तथा राजस्थान ने बारहवें से नवें स्थान पर आकर अपनी स्थिति सुधारी है। सर्वाधिक पतन असम राज्य का हुआ है जिसकी स्थिति दसवें स्थान से खिसक कर चौदहवें स्थान तक चली गई है।

मानव विकास सूचकांक के आधार पर प्रमुख राज्यों की स्थिति

राज्य	मानव विकास सूचकांक पर आधारित बैंक		
	1981	1991	2001
आंध्र प्रदेश	9	9	10
असम	10	10	14
बिहार	15	15	15
गुजरात	4	6	6
हरियाणा	5	5	5
कर्नाटक	6	7	7
केरल	1	1	1
मध्यप्रदेश	14	13	12
महाराष्ट्र	3	4	4
उडीसा	11	12	11
पंजाब	2	2	2
राजस्थान	12	11	9
तमिलनाडू	7	3	3
उत्तरप्रदेश	13	14	13
पश्चिम बंगाल	8	8	8

भारत की इस मानव रिपोर्ट स्पष्ट ध्वनित होता है कि जो राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता उन्मूलन, समाज कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण तथा अन्य सामाजिक सेवाएं देने में अग्रणी हैं वे अंतत: समग्र विकास की राह पर जा रहे हैं। सामुदायिक स्तर पर मानव संसाधन विकास का महत्व यह है कि -

1. व्यक्ति के कल्याण के बिना समाज का विकास असंभव है।
2. यद्यपि बढ़ती जनसंख्या मानव विकास में बाधक है किन्तु यह भी सत्य है कि मानव विकास के बिना जनसंख्या नियंत्रण संभव नही है।
3. किसी भी समाज एवं राष्ट्र की एकता, समरसता तथा प्रगति, प्रमुख रूप से मानव विकास पर निर्भर करती है।
4. संपूर्ण आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक तथा भौगोलिक विकास का आधार उसी स्थिति में सुदृढ़ होता है जबकि मानव विकास हो चुका हो।
5. प्रशासनिक तंत्र, राजनीति, उद्योग, रक्षा तथा न्याय सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत् मानव संसाधन वही है जो समाज में उपलब्ध है अत: संगठनात्मक स्तर पर मानव संसाधन विकास से पूर्व यह आवश्यक है कि सामुदायिक स्तर पर मानव विकास हो चुका हो ताकि संगठनात्मक स्तर पर श्रेष्ठ कार्मिकों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

मानव संसाधन विकास का एकीकृत दृष्टिकोण :-

मानव सभ्यता एवं संस्कृति की विकास यात्रा, मनुष्य की श्रेष्ठ शारीरिक संरचना तथा उसके बौद्धिक चातुर्य का परिणाम है। इसीलिए आधुनिक प्रबंध विज्ञानों में कहा जाता है कि पूंजी, सामग्री, तकनीक तथा प्रक्रियाओं आदि संसाधनों का पूर्णरूपेण कुशलतापूर्वक उपयोग हेतु संगठन में कार्यरत कार्मिकों की कुशलता एवं प्रतिबद्धता का उच्चस्तरीय होना आवश्यक है। यद्यपि विश्व के विकसित राष्ट्रों में मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) की अवधारणा नई नहीं है तथापि भारत में मानव संसाधन विकास की संकल्पना आज भी सीमित, संकीर्ण तथा अपेक्षाकृत नई प्रतीत होती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो हम पाते है कि हमारे संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्व मानव संसाधन विकास की अवधारणा से ओत-प्रोत हैं।

मानव संसाधन विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया तथा अवधारणा से है जो मनुष्य को एक संसाधन मानते हुए इसके संपूर्ण पक्षों को उन्नत एवं परिवर्तित करने की ओर बल देती है ताकि कार्य-परिणामों का स्तर भी उच्च बन सके। प्राचीन भारतीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक चिंतकों में अग्रणी कौटिल्य ने अपनी विश्वप्रसिद्ध पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में लिखा है कि राजा के अधीन कार्य करने वाले सेवकों के कल्याण एवं विकास के बिना राज्य के उत्कर्ष की कल्पना करना व्यर्थ है। अत: कहा जाता है कि निष्कृष्ट कार्मिक, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ संगठन को रसातल में पहुंचा सकते है जबकि श्रेष्ठ कार्मिक निष्कृष्टतम संगठन को भी उन्नत बना सकते है। यही कारण है कि आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव संसाधन अर्थात कार्मिकों के विकास हेतु नाना प्रकार की नीतियां एवं नियम प्रतिपादित किये जा रहे हैं।

संदर्भ :-

1. भारत मानव विकास रिपोर्ट, योजना आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली 2002
2. डॉ. सुरेन्द्र कटारिया, सामाजिक प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर 2002
3. हरमन फाईनर, थ्योरी एंड प्रेक्टिस ऑफ मॉडर्न गवनमिन्ट, सुरजीत पब्लिकेशंस, दिल्ली 1961
4. के.एम. माथुर ह्यूम रिसोर्स डिवलपमेन्ट इन इंडिया, (बी.एल. माथुर सं.पुस्तक स्ट्रेटीज, एप्रोचेज एंड एक्सपीरियन्सेज) अरिहंत, जयपुर 1989
5. मानव संसाधन प्रबंध एवं नियोजन, रमेश बुक डिपो, जयपुर
6. राजस्थान पत्रिका, जयपुर 10 दिसम्बर 2001
7. दैनिक भास्कर समाचार पत्र, 02 जनवरी 2005
8. योजना पत्रिका, दिसम्बर 2001
9. कुरूक्षेत्र पत्रिका अगस्त 2008
10. इकबाल नारायण, राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत,रतन प्रकाशन मंदिर,आगरा 1994

भारतीय बैंकिंग में वर्ष 2011 के पश्चात् वित्तीय समावेशन की स्थिति का अध्ययन

डॉ.सतीश माहेश्वरी * मदनमोहन विश्वकर्मा * *

प्रस्तावना :-

वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधारों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में हुए विकास जिन्होंने एक और वित्तीय सूचना के प्रसार को तीव्रगामी तथा व्यापक बना दिया है तथा दूसरी और अनेक वित्तीय गतिविधियों की लागतों को कम कर दिया है। यद्यपि बैंक एक अति प्राचीन व्यवसाय है तथापि आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभ सत्रहवीं शताब्दी में हुआ, जबकि सन् 1609 में हॉलैण्ड में बैंक ऑफ एम्सर्टडम् सन् 1694 में इंग्लैण्ड में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड की स्थापना हुई। धीरे-धीरे बैंकों का महत्व बढ़ता गया तथा संयुक्त पूँजी वाले बैंक स्थापित किये जाने लगे।

19वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति के पश्चात् बैंकों के विकास में विशेष तेजी आयी। 'बैंक' शब्द इटालियन भाषा के शब्द 'बैंकों' (Banco) से बना है जो फ्रेंच भाषा के 'बैंके' (Banke) में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में 'बैंक' (Bank) हो गया। बैंकों शब्द का अर्थ 'बैंच' होता है। इटली में कुछ लोग बैंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य किया करते थे तथा उनमें से किसी का व्यापार बंद होने पर उसके बैंच को तोड़ दिया जाता था, अत: कलान्तर में 'बैंक' शब्द का प्रयोग मुद्रा-परिवर्तन करने वाली और बाद में साख की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा।

बैंक की कार्यो के आधार पर कई परिभाषाएँ दी गई हैं। वर्ष 1949 के भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट की धारा-5(बी) के अनुसार - बैंक अथवा बैंकिंग कम्पनी वह है जो ऋण देने के लिए अथवा निवेश करने के लिए जनता से मुद्रा की जमा राशियों को स्वीकार करती है, जिन्हें माँगे जाने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके तथा चैक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सके।

वित्तीय समावेशन :-

संघ सरकार की नीतियों के केंद्र में 'समावेशी विकास' की अवधारणा रही है। जिसका लक्ष्य है विकास के लाभ आम आदमी तक पहुंचे, हर एक आदमी खुशहाली में शरीक हो, वह विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के केंद्र में हो, नीति-निर्माण में उसकी आवाज शामिल हो व उसके जीवन में सुखद बदलाव आए। इस अवधारणा की क्रियान्विति की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक ने 'वित्तीय समावेशन' कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है।

आम आदमी के आर्थिक हालत में सुधार के लिए यह जरूरी समझा गया है कि बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं का विस्तार कर उन्हें आम आदमी की पहुंच के भीतर उपलब्ध कराया जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र में बसे परिवारों के लिए 54.4 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रों में 67.8 प्रतिशत दर्ज की गई है जिसका औसत 58.7 प्रतिशत आता है। 31 दिसंबर 2012 को कार्यरत कुल 1,00,277 बैंक शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्र, अर्द्ध शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र व महानगरीय क्षेत्र में क्रमश: 36,972, 26,595, 19,047 व 17,663 शाखाएं थी। 31 मार्च, 2012 को 12,921 की औसत आबादी के लिए एक बैंक शाखा उपलब्ध थी। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार कें लिए बैंकों ने एटीएम लगाए जो व्यापक क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए शाखा भवन से अलग भी स्थापित किए गए हैं। 30 सितंबर 2012 को कुल 1,01,746 एटीएम भी बैकिंग सेवाएं दे रहे थे। इसके बावजूद भी ग्रामीण आबादी का काफी बड़ा हिस्सा बैकिंग सेवाओं से वंचित है। बैकिंग सेवाओं को ऐसी ग्रामीण आबादी तक पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं।

बैंकिंग समावेशन :-

बैंक शाखाओं के विस्तार के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऐसे जिलों में जहां कम शाखाएं है, 5000 या ज्यादा आबादी की बस्तियों में शाखाएं खोलने के निर्देश दिए है। देश में ऐसे 3,930 गांव/बस्तियां चिह्नित की गई है। राज्य स्तरीय बैंकर समितियों से प्राप्त रिपोर्टो के आधार पर इनमें से जनवरी 2013 के अंत तक 3,125 गांवो/बस्तियों में (जिनमें 1,998 अतिलघु शाखाएं शामिल हैं) बैंक शाखाएं खोल दी गई है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र के विस्तार के लिए वे सुनिश्चित करे कि हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो।

'वित्तीय समावेशन' को और ज्यादा विस्तार देने के लिए रिजर्व बैंक ने 2006 में बैंकों को बिजनेस फेसिलिटेटर्स और बिजनेस कारेस्पोंडेंट एजेंट के जरिए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति दी थी। बिजनेस प्रतिनिधि बैंकों द्वारा अनुबंधित खुदरा एजेंट होते हैं जो बैंक शाखा/एटीएम से दूर किसी स्थान पर बैंक की तरफ से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं व इस तरह से उसकी पहुंच के विस्तार में सहायक होते है। भारत में बैंक खाते वाले वयस्को का प्रतिशत 48 है जो वित्तीय समावेशन की औसत स्थिति को दर्शाता है।

वैश्विक संदर्भ में वित्तीय समावेशन

क्रं.	देश	बैंक खाते वाले वयस्को का प्रतिशत
1	डेनमार्क	99
2	अमेरिका	91
3	यूरोप	89
4	श्रीलंका	59
5	भारत	48
6	ब्राजील	43
7	चीन	42
8	बांग्लादेश	32

'स्वाभिमान' अभियान :-

फरवरी 2011 में शुरू किए गए 'स्वाभिमान' अभियान में बैंकों ने मार्च 2012 तक 2000 से ज्यादा आबादी की 74,000 से ज्यादा बस्तियों में विविध मॉडलों और प्रौद्योगिकी के जरिए जिसमें बीसीए के माध्यम से शाखा विहीन बैंकिग शामिल है, बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई है। इस अभियान में 3.16 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए है और 62,000 से ज्यादा बीसीए कार्यरत हैं। 2012-13 के वित्तमंत्री के बजट भाषण के अनुसार 'स्वाभिमान' अभियान को उत्तर-पूर्वी व पहाड़ी राज्यों की 1000 से ज्यादा आबादी की

* प्राध्यापक वाणिज्य ** शोधार्थी, स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.) भारत

बस्तियों और 2011 की जनगणना के अनुसार 1600 से ज्यादा आबादी की बस्तियों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह लगभग 45,000 बस्तियों को इस अभियान में शामिल करने के लिए चिह्नित किया गया है।

अतिलघु शाखाएं :-

उन सभी गांवों में जहां बिजनेस कारेस्पोंडेंट एजेंटों द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, अति लघु शाखाएं स्थापित की जा रही हैं। दिसंबर 2012 तक स्थापित ऐसी कुल शाखाओं की संख्या 43,000 से ज्यादा थी।

अति लघु शाखाएं 100-200 वर्गफुट क्षेत्र में स्थापित ऐसी शाखाएं है जहां बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी पूर्व-निर्धारित दिनों में लैपटॉप के साथ सेवाओं के लिए उपलब्ध रहता है। जुलाई 2009 में देश में चिह्नित कुल 129 बैंक विहीन प्रखंडों (उत्तर पूर्व राज्यों में 91 और दूसरे राज्यों में 38) में मार्च 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं शाखा या बिजनेस कारेस्पोंडेंट या चल वाहन के जरिए उपलब्ध करा दी गई है।

साझा यूएसएसडी प्लेटफार्म :-

यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने सभी बैंको और दूरसंचार कंपनियों के लिए 'साझा यूएसएसडी प्लेटफार्म' चालू करने पर काम किया है जिसमें 20 से ज्यादा बैंक शामिल हो गए हैं। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बीएसएनएल व एमटीएनएल के साथ मिलकर यह उत्पाद जारी कर दिया गया है। इस उत्पाद में बिना डाउनलोड के धन अंतरण, बिल भुगतान, बैलेंस पूछताछ व दूसरे भुगतान जीएसएम आधारित मोबाइल फोन की सहायता से किए जा सकते है।

देश के सामान्य व्यक्ति को सब्सिडी का सीधा लाभ देने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2013 से 43 चिह्नित जिलों में शुरू सीधा लाभ अंतरण के अधीन 26 योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किए जाएंगे। बैंक यह सुनिश्चित कर रहे है कि हर एक लाभार्थी का एक बैंक खाता हो। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी कंप्यूटर प्रणाली में आधार संख्या जोड़ने का प्रावधान कर लिया है।

बैंक यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 43 जिलों की सभी शाखाओं में एटीएम स्थापित हों व सभी लाभार्थियों को एटीएम कार्ड मिलें ताकि वे अपनी सुविधा से धन निकाल सके। वित्तीय सेवाओं के विभाग द्वारा देश में बैंक शाखाओं के व्यापक जाल के लिए भौगोलिक आसूचना प्रणाली एक वेब आधारित अनुप्रयोग जारी किया गया है। इससे बैंकिंग से वंचित क्षेत्रों को चिह्नित कर बैंक शाखा/एटीएम/बीसीए का विस्तार कर सकेंगे।

शून्य ब्याज योजनाओं पर पाबन्दी :-

बैंकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने तथा उपभोक्ता के विश्वास बहाली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ब्याज की उगाही के रुप मे धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए 25 सितम्बर 2013 को शून्य ब्याज दर योजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा की है।

साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अगस्त 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंकों पर केवायसी तथा मनी लाण्डरिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण 6.5 करोड़ का जुर्माना भी किया है।

निष्कर्ष:-

आर्थिक विकास की गति तीव्र करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यो में निरंतर तेजी आई हैं। बैंकिंग विकास एवं प्रवर्तन संबंधी अनेक कार्य संपादित किये गये है। लोगों में बैंकिंग आदतों को प्रोत्साहित कर ग्राम व शहरों में बैंकिंग सुविधाओं का लगातार विस्तार कर नयी विशिष्ट वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गई है। सबसे ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति को विकास में हिस्सा दिलाने की सोच को अमलीजामा पहनाने की दिशा में बैंकिंग क्षेत्र एक अहम भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी ताकत से जुटा हुआ है। इसके बावजूद भौगोलिक दृष्टि से उत्पन्न कठिनाइयां-सुदूरवर्ती क्षेत्रों, दुर्गम पहाडी एवं जनजातीय क्षेत्रों में शाखाओं का लगभग अनुपस्थित होना, अशिक्षा, अज्ञानता, भाषा और पहचान से जुडी परेशानियां वित्तीय या बैंकिंग समावेशन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रही है।

संदर्भ सूची :-

1. www.rbi.org.in,www.indiabudget.nic.in,www.india.gov.in,
2. www.planningcommission.nic.in,www.demo.info.org.in,
3. www.censusindia.gov.in,www.prd.gov.in
4. डॉ. बी.पी. गुप्ताए डॉ वी.के. वशिष्ठ, व डॉ एच.आर. स्वामी- बैंकिंग एवं वित्त,
5. बालकृष्ण कुमावत- व्यावसायिक अर्थशास्त्र
6. दि इकोनोमिक टाइम मुंबई
7. टाइम्स ऑफ इण्डिया
8. प्रतियोगिता दर्पण
9. प्रतियोगिता निर्देशिका
10. रोजगार निर्माण,
11. रोजगार समाचार,
12. दैनिक भास्कर, एवं नईदुनिया,

****

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की वर्तमान स्थिति : एक अध्ययन

डॉ. सतीश माहेश्वरी * किशोर मोरे **

पृष्ठभूमि : योजना आयोग ने परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के एन एस एस 66वें चक्र (2009-11) के आंकडों का इस्तेमाल करते हुए तेन्दुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 के संबंध में गरीबी अनुपात और गरीबी रेखाओं को अधतन बनाया है और 19 मार्च 2012 को 2009-10 के संबंध में गरीबी अनुमान जारी किये है।

इनके अनुसार 2009-10 में अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 672.8 रूपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 859.6 रूपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में अनुमानित है। तेंदुलकर पद्धति के अनुसार 2009-10 में देश में कुल 354.7 मिलियन गरीबों की संख्या है, जिसमें शहरी गरीबों की संख्या 76.5 मिलियन एवं ग्रामीणों की संख्या 278.2 मिलियन है। प्रतिशत में कहें तो कुल 29.8 प्रतिशत है, जिसमें शहरवासीयों का 20.9 एवं ग्रामीणों का 33.8 प्रतिशत है, इन गरीबों को सरकार द्वारा अपनी कई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धन का वितरण करती है। जिसमें पारदर्शिता लाने और प्रायोजित धन के वितरण से चोरी समाप्त करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

आधार आधारित योजना : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यु आई डी ए आई) का सृजन भारत के सभी निवासियों को एक आधार देने और विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी के लिए आधार का उपयोग एवं कार्यान्वयन निर्धारित करने के अधिदेश से हुआ। यु आई डी ए आई का गठन अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009- एडमिन I तारीख 28 जनवरी 2009 के माध्यम से देश के प्रत्येक निवासी की विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के शासनादेश के साथ योजना आयोग के संबध्द कार्यालय के रूप में किया गया था। विशिष्ट पहचान संख्या एक 12 अंकीय यादृच्छिक संख्या है। यह एकल सार्वभौमिक संख्या है।

यह अनिवार्य सशर्त एवं वैकल्पिक जनांकिकी आंकडों का सेट है, जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग और माता -पिता का नाम रिहायशी पते के साथ ही बायोमैट्रिक विशेषताओं जैसे फोटोग्राफ, सभी दस उंगुलियों के फिंगर-प्रिंट और पारितारिक छबियाँ मिलाकर एक निवासी की पहचान स्थापित करने और पुष्ट करने की उम्मीद की जाती है।

आधार की वर्तमान स्थिति : यु आई डी ए आई को मार्च 2014 तक संलग्न क्र. I के अनुसार 18 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में एकाधिक निबंधकों के माध्यम से 60 करोड़ लागों के नामांकन के लिए अधिकृत किया गया है। 31.12.2012 तक कुल 24,93,18,775 आधार नंबर बनाए जा चुके है। जनवरी 2014 तक नामंकनों की संख्या करीब 56 करोड़ हो चुकी है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी) एक गरीबी विरोधी कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2013 से शुरू करके चरण-वार ढंग से 43 जिलों में 1.1.2013 से 20 जिलों में 1.2.2013 से 11 जिलों में और 1.3.2013 से शेष 12 जिलों में लागू की जायेगी। बाद में डी.बी.टी को अन्य जिलों में चरणवार ढंग से और आगे बढ़ाये जाने की योजना रखी है। 1 जुलाई 2013 से देश में 78 जिलों में और विस्तार कर कुल 121 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है।

डीबी.टी कार्यक्रम की संरचना : इस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित धन के वितरण से चोरी को समाप्त कर उसमें पारदर्शिता लाना है। इस कार्यक्रम के तहत लाभ या सब्सिडी सीधे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नागरिकों को उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। बगैर जरूरतमंदों को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाती है, लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा केन्द्रीय योजना स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम (CPSMS) लाभार्थियों की सूची तैयार कर डिजिटली हस्ताक्षर और भुगतान प्रक्रिया का भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के भुगतान ब्रिज का उपयोग कर लाभार्थी के बैंक खाते में लाभ हस्तांतरित कर देता है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान वितरित लाभ का विवरण : प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 121 जिलों में 28 योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए रसोई गैस सब्सिडी का हस्तांतरण 1 जून 2013 से औपचारिक रूप से 20 जिलों में शुरूआत कर दी गई है।

डी.बी.टी कार्यक्रम में कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत 121 जिलों में 28 योजनाओं के माध्यम से प्रथम एवं द्वितीय चरण में दिनांक 1.1.2013 से 14.10.2013 के मध्य कुल हस्तांतरित लाभ (राशि) को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा है:-

121 जिलों में 28 योजनाओं के माध्यम से प्रथम एवं द्वितीय चरण में दिनांक 1.1.2013 से 14.10.2013 के मध्य कुल हस्तांतरित लाभ की तालिका

क्र.	मंत्रालयों के नाम	यो.क.	योजनाओं के नाम	राशि
1	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	(1)	धन लक्ष्मी योजना	1,14,32,950
		(2)	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	22,39,85,202
2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	(1)	उच्च शिक्षा के लिए बालिका हेतु प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना	2,66,27,546
		(2)	राष्ट्रीय साधन-सह गुणता छात्रवृत्ति	20,94,04,500
3	मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग	(1)	एआईसीटीआई की फैलोशिप योजना	22,02,634
		(2)	यूजीसी की फैलोशिप योजना	21,84,09,070
		(3)	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	198960000
4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	(1)	जननी सुरक्षा योजना	10,87,11,346

* प्राध्यापक ** पीएचडी शोधार्थी स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.) भारत

5	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	(1)	मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	5,25,88,591
		(2)	मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप	0
		(3)	गुणता सह-साधन छात्रवृत्ति स्कीम	13,20,66,835
6	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	(1)	NCLP	2,12,18,338
		(2)	बीडी श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	0
		(3)	बीडी श्रमिकों के लिए आवास सब्सिडी	5,20,000
		(4)	कोचिंग मार्गदर्शन एवं व्यवसाय के माध्यम से रोजगार की तलाश करने वाले एस सी/एस टी के कल्याण की स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं हेतु छात्रवृत्ति	16,44,500
		(5)	वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूआई) से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास की स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति का भुगतान	6,58,000
7	जनजातीय कार्य मंत्रालय	(1)	अनु. जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	5,31,93,608
		(2)	टॉप क्लास शिक्षा प्रणाली	8,06,829
		(3)	राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप	84,89,280
8	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(1)	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	6,85,26,579
		(2)	अनु.जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	28,05,77,844
		(3)	अनु.जाति के छात्रों के लिए गुणता-साधन का उन्नयन	0
		(4)	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	12,61,910
		(5)	अनु. जाति के छात्रों के लिये मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	69,97,490
		(6)	टॉप क्लास शिक्षा स्कीम	9,18,509
			NSAP को छोड़कर योग	1,64,72,14,601
9	ग्रामीण विकास मंत्रालय	(1)	इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना	1,29,40,84,980
		(2)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेन्शन योजना	
		(3)	इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेन्शन योजना	
			NSAP को मिलाकर योग	2,94,12,99,581
10			रसोई गैस सब्सिडी का हस्तांतरण	6,13,98,96,378
	रसोई गैस सब्सिडी सहित महा योग			9,08,11,95,959

उपर्युक्त तालिका से दृष्टिगत होता है कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में 1.1.2013 से 14.10.2013 तक केवल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) योजनाओं में ही कुल 1,29,40,84,980 रूपये का लाभ पहुंचाया गया है और इस योजना को मिलाकर सभी 28 योजनाओं कुल 2,94,12,99,581 रूपये का सीधा लाभ लाभार्थियों का हस्तांतरित किया गया है, जबकि रसोई गैस सब्सिडी की कुल राशि 6,13,98,96,378 रूपये हस्तांतरित की गई जिसे मिलाकर 14.10.13 तक कुल 9,08,11,95,959 रूपये का सीधा लाभ उक्त अवधि में पहुंचाया गया है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार की डी.बी.टी योजना वास्तव में एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीबों के हित को सीधे बैंक खाते में अंतरित कर देती है जिसके वे सरकार की दृष्टि से वास्तविक हकदार हैं, वे अपना पूर्ण लाभ बिना किसी मध्यस्थों अर्थात् (चोरी, लापरवाही, विलम्ब) के लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें सरकार द्वारा दी गई राशि का पूरा लाभ प्राप्त होता है।

संदर्भ सूची

पत्र-पत्रिकाएँ- दैनिक भास्कर, नईदुनिया, दि इकोनोनिक टाइम मुंबई, टाइम्स ऑफ इण्डिया, कुरूक्षैत्र, भारत सरकार, नई दिल्ली

वेबसाइट्स

- wwwnsap.nic.in
- www.mospi.nic.in
- www.udai.gov.in
- www.pib.nic.in
- www.cpci.org.in
- www. planningcommission.nic.in
- www.wikipedia
- www.censusindia.gov.in

जवाहर नवोदय विद्यालय एक परिचयात्मक अध्ययन

डॉ. सतीश माहेश्वरी * प्रो.मोहनसिंह वास्केल **

प्रस्तावना–आज के इस मंहगाई के युग में जहां एक ओर परिवार पालना कठिन सा हो गया है। वही अपने प्रतिभावान बच्चों के लिये अच्छी–अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में विचार करना और भी दूभर है। परिवार कोई भी हो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते है यदि अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना हो तो उनकी फीस की पूर्ति कठिन हो जाती है भारत के सभी प्रदेशों में प्राय: यह स्थिति देखने को मिलती है कि परिवार चाहकर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाते I इन सभी मार्मिक मूद्धों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारम्भ किये थे। जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णत: शुल्क मुक्त है। इन विद्यालयों के माध्यम से किसी भी वर्ग चाहे अमीर हो या गरीब शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे एक साथ एक ही स्थान पर रहते, खाते, खेलते, पढ़ते है। उनमें अपना काम स्वयं करने की आदत विकसित होती है। जवाहर नवोदय विद्यालयों को शहर से दूर किसी एकांत स्थान पर खोला जाता है। वर्तमान में ये विद्यालय 28 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों में संचालित है। ये सह–शिक्षा वाले आवासीय विद्यालय है। जिन्हें स्वायत्त संगठन, नवोदय विद्यालय समिति के जरिए भारत सरकार द्धारा प्राप्त है।

विषय का चयन–इस मंहगाई में अच्छी से अच्छी शिक्षा मुफ्त में शिक्षा नीति के अंतर्गत सरहानीय कार्य है। इस नीति को सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य–

1. जवाहर नवोदय विद्यालयों की कुल एवं राज्यवार संख्या ज्ञात करना।
2. प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना।
3. जवाहर नवोदय विद्यालय के वित्तीय प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

औचित्य–वर्तमान समय की मांग व प्रतियोगी युग में एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने में जवाहर नवोदय विद्यालय अपनी अहम् भूमिका निभा रहे है। साथ ही सह–शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चों को एकता का सबक सिखाया जाता है। इस योजना को शुरू करने का श्रेय श्रद्धेय स्व. श्री राजीव गांधीजी को जाता है। जिन्होंने अपनी विचार शक्ति से इस तरह की योजना को क्रियान्वित करवाया। वास्तव में वे इस योजना के संस्थापक माने जाते है।

जवाहर नवोदय विद्यालय समिति आज अपनी सफलता को चुमती हुई प्रत्येक राज्य में संचालित है। प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले में 80 बच्चों का चयन किया हाता है। इन्हें 7 वर्ष तक अर्थात 12 वीं तक की शिक्षा दी जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में दाखिले नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6में किये जाते है। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है। ओर इसके बाद कक्षा 9 से गणित और विज्ञान के लिये अंग्रेजी माध्यम ओर सामाजिक विज्ञान के लिये हिन्दी माध्यम है। इन विद्यालयों के छात्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा में बैठते है। इन्दौर जिले में भी एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी।यह इन्दौर जिले के मानपुर गांव में है। जो बम्बई–आगरा मार्ग पर इन्दौर से 45 किलोमीटर की दुरी पर एक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है।यह स्थान सभी तरह से एकांत में है। जो शिक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है। समस्त विद्यार्थियों को एक समय सीमा में बांधकर अनुशासन से विद्यालय की क्रियान्वित होती है।

परिकल्पना– ग्रामीण क्षेत्रों एवं समाज के कमजोर वर्गो के प्रतिभावान छात्रों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करने के लिए नवोदय विद्यालय एक उत्कृष्ट माध्यम है।

अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएं–अध्ययन के क्षेत्र एवं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में सामान्य जानकारी, प्रवेश प्रक्रिया एवं योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल हुई है इन्हीं बिन्दुओं तक अध्ययन का क्षेत्र सीमित है।

अध्ययन विधि–प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्धितीयक समंक का ही प्रयोग किया गया है। द्धितीय समंको के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय की विवरणिका तथा जवाहर नवोदय विद्यालय के संबंध में प्रकाशित होने वाली विभिन्न पत्रिकाओं का अध्ययन कर सुचनाएं एकत्रित की गयी है।तथा इन एकत्रित सुचनाओं के माध्यम से निश्कर्ष निकाला गया है।

जवाहर नवोदय विद्यालय एक परिचय–प्रत्येक जिले में एक विद्यालय,चरणबद्ध ढ़ंग से खोला गया अब भारत में 28 राज्यों ओर 7 संघशासित प्रदेशों में कुल 595 विद्यालय कार्यरत है। सबसे अधिक जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तर प्रदेश में 70 है। ओर दूसरे स्थान पर मध्यप्रदेश में 50 है। सबसे कम केवल 1 जवाहर नवोदय विद्यालय चण्डीगढ़, दादर और नागर हवेली, लक्ष्यद्धीप में एक–एक है।

प्रवेश की पात्रता–जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना होगा–

1. नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है
2. जो छात्र या छात्रा उसी जिले में जिसमें छात्र या छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन पत्र दिया है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय की गत् वर्ष के सत्र की कक्षा 4 थी में उत्तीर्ण हो चुके इस सत्र की कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हो वे ही निर्धारित प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते है। जिन विद्यार्थियों की कक्षा 5वीं की परीक्षा में अभी बैठना है, उनको नवोदय विद्यालय में प्रवेश कक्षा 5वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही दिया जायगा।
3. विद्यार्थी की उम्र 9वर्ष से कम और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहीए यह नियम सभी तरह के विद्यार्थियों पर लागु होता है चाहे वह अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हो या सामान्य।
4. प्रत्येक छात्र या छात्रा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 3,4,5 वीं में पढ़ा होना चाहिए।
5. यदि चयनित अभ्यार्थी किसी भी प्रकार की विकलांगता श्रेणी में आता है, तो उसे प्रवेश देते समय स्वजनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्धारा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है।

* प्राध्यापक, स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)भारत
** पीएचडी, शोधार्थी, शासकीय महाविद्यालय, थांदला (म.प्र.) भारत

प्रवेश हेतु आवेदन- जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा देनी होती है। इस हेतु जवाहर नवोदय विद्यालयों के के प्राचार्य व्दारा भलीभांति तैयार किया गया प्रवेश पत्र अभ्यार्थी को खण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त करना होता है परीक्षा की भाषा वही होगी जिस माध्यम से विद्यार्थी पांचवी कक्षा में पढ़ रहा है। आवेदन पत्र नि: शुल्क रूप से जिला शिक्षा अधिकारी जिले के किसी भी कक्षा पांच तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों के मुख्याध्यापकों या उसी जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रवेश परीक्षा की संरचना-चयन परीक्षा की अवधी 2घंटे की होती है। इसके तीन खण्ड होते है प्रत्येक खण्ड में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते है। प्रश्न की कुल संख्या 100 होती है ओर अधिकतम प्राप्तांक 100 होते है

क्रं.	विषय	प्रश्नोंकी संख्या	अंक	समयावधि
1	मानसिक योग्यता की परीक्षा	60	60	60मिनिट
2	अंक गणित परीक्षा	20	20	30मिनिट
3	भाषा परीक्षा	20	20	30मिनिट
	योग	100	100	2घण्टे

जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा हर वर्ष फरवरी और अपैल माह के किसी एक रविवार के दिन होती है।

चयन परीक्षा का परिणाम लगभग अगस्त माह में घोषित हो जाने की संभावना रहती है।जो निम्न कार्यालयों में लगा दिया जाता है-

1. संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय में।
2. जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में।
3. क्षेत्र के नवोदय विद्यालय समिति के उप-निर्देशों के कार्यालय में।

जवाहर नवोदय विद्यालय विद्यार्थियों के लिये पूर्णत: नि:शुल्क है। लेकिन समस्त खर्चो को केन्द्र सरकार व्दारा किया जाता है।इस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भोजन,कपडा,पढ़ाई की सम्पूर्ण सामग्री,युनीफार्म,पलंग,बिस्तर आदि पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पडता है। केवल रात्रि पोशाक ही स्वयं की होती है।कुल मिलाकर प्रत्येक विद्यार्थी पर लगभग 120000रू. वार्शिक व्यय आता है जिसकी पूर्ति केन्द्र सरकार करती है।

जवाहर नवोदय विद्यालय- सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में लगभग 20 से 28 शिक्षक विभिन्न पदो पर नियुक्त है। सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से विद्यालयों में ही रहना होता है। अर्थात वे शिक्षक के अलावा एक परिवार के मुखिया की तरह छात्र/छात्राओं के साथ रहतें है

परीक्षा परिणाम-सम्पूर्ण विद्यालयों का कक्षा 10वीं एवं 12वीं का वर्ष 2012-2013 का तुलनात्मक परीक्षा परीणाम परीक्षा इस प्रकार रहा है।

कक्षा 10 वीं			कक्षा 12 वीं		
परीक्षा	2012	2013	परीक्षा	2012	2013
सीबीएसई	98.19	98.76	सीबीएसई	80.19	82.1
एनवीएस	99.58	99.73	एनवीएस	95.96	96.14
केवीएस	99.36	99.7	केवीएस	94.13	94.81
स्वतंत्र	98.2	99.46	स्वतंत्र	80.11	82.31

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कक्षा 10 वीं का परीक्षा परिणाम वर्ष 2012 में 98.58 जबकि 2013 में 99.73 प्रतिशत रहा है। तथा कक्षा 12 वीं का परीक्षा परिणाम वर्ष 2012 में 95.96 व 2013 में 96.14 प्रतिशत रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम अच्छा रहता है। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना के उद्देश्य-भारत सरकार व्दारा शिक्षा नीति के तहत खोले गए इन विद्यालयों के भी कुछ निर्धारित उद्देश्य है-

1.प्रवास की नीति के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना-प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवास की व्यवस्था रहती है,इसके अंतर्गत सभी विद्यालयों में अलग-अलग भाषा की शिक्षा दी जाती है जैसे मराठी,कन्नड, उडिया,मलयालम,पंजाबी आदि शिक्षा की दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय का अपनी दूसरी शाखा अर्थात विद्यालय से भाषा के रूप में रिश्ता बनाये रखने के लिये प्रवास किया जाता है।उदाहरण के लिये जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर(जिला इन्दौर) को ले। इस विद्यालय में कन्नड भाषा सिखाई जाती है और कर्नाटक के कोडगू जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में एक वर्ष अर्थात कक्षा 9 वीं की शिक्षा हेतु वहां भेजा जाता है और वहां के बच्चों को मानपुर लाया जाता है इससे राष्ट्रीय एकता तो बढ़ती ही है,साथ ही नई भाषा भी सीखने को मिलती है।

2. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गो के प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करना ओर बढ़ावा देना- जवाहर नवोदय विद्यालय में योग्य विद्यिर्थियों की उपलब्धतानुसार प्रत्येक विद्यालय में अधिक से अधिक 80 विद्यार्थियों को छटी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। इनमें से 60 विद्यार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र व 20 विद्यार्थियां का चयन शहरी क्षेत्र से किया जाता है। इस योजना से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रोत्साहित करना और उन्हें कुएं के मेंढ़क की विचारधारा से उपर उठाना है।

प्रतिभावान छात्रों के संम्पूर्ण विकास के लिये उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराना-जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है सबसे महत्वपूर्णबात तो यह है कि यहां अनुशासन का अधिक ध्यान रखा जाता है। विद्यालय की सारी गतिविधिया समयानुसार ही होती है। वर्तमान में इन्दौर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की समयसारणी के अनुसार सभी विद्यार्थी सुबह 5:30 बजे प्रात: उठकर 7:30 तक व्यायाम करते है। उसके बाद 1 घण्टे का समय नहाने व नाश्ते का होता है। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक विद्यालय की प्रार्थना होती है। तथा 9:30 बजे से शिक्षण कार्य प्रारम्भ होता है। दोपहर में 1 घण्टे की छुट्टी भोजन के लिए होती है और शाम 5 बजे तक शिक्षण कार्य होता है।शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक खेलने का समय होता है। रात्रि 10 बजे तक खाना व पढ़ना इसके बाद किसी को भी कोई कार्य नहीं करना होता अर्थात रात्रि 10 बजे का समय सोने का होता है।उपरोक्त क्रिया समयानुसार चलती है और इस समय चक्र के अनुसार यदि विद्यार्थी को ढ़ाला जायेगा तो निश्चय ही वह एक सफल नागरिक बनेगा।

निश्कर्ष-शिक्षा नीति के तहत चलित इन विद्यालयों में कमजोर वर्ग अर्थात आर्थिक, सामाजिक या अन्य किसी सीमा के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिये भारत सरकार की यह योजना अत्यन्त ही सराहनीय है। वास्तव में इस तरह का माहौल जब विद्यार्थी को शुरू से मिलता है। तो वह समाज में चल रही कुरीतियों व स्वार्थ प्रवृति से उपर उठता है तथा एक साहसिक नागरिक बन अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय वहां के नागरिकों पर निर्भर करती है यदि नागरिक क्रियाशील है तो विकास की गति भी तीव्र रहेगी इसी प्रगती को फलत: देख केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत आवासीय सह शैक्षिक नवोदय विद्यालय सार्मान्य रूप से प्रत्येक जिले में एक स्थापित किए जा रहे है प्रवेश प्रक्रिया एवं स्थापना के उद्देश्य को जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों एवं समाज के कमजोर वर्गो के प्रतिभावान छात्रों में शिक्षा का प्रचार -प्रसार करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एक अच्छा माध्यम है।

संदर्भ-ग्रंथ

1. जवाहर नवोदय विद्यालय विवरणिका पुस्तक।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी।
3. जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से प्राप्त जानकारी।
4. नईदुनिया एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित विज्ञापन।

रजत उत्खनन् आकर्षण (आलेख)

डॉ. सतीश माहेश्वरी * तृप्ति माहेश्वरी **

चांदी को रजत, रौफ्य, रुपा और अंग्रेजी भाषा में Silver कहते हैं। चांदी का ज्ञान बहुत प्राचीन काल से है। चमक, सफेद, रंग वायु के प्रति प्रतिरोधा एवं अपेक्षया स्वल्पता से पायी जाने के कारण इसका उपयोग सिक्कों, गहनों, रत्नाभूषण और पात्रों के निर्माण में होता आ रहा है। चांदी का संकेत अस परमाणु भार 107.88, परमाणु संख्या 47, विशिष्ट घनत्व 9.87 से 10.55 तक विशिष्ट उष्मा लगभग 0.56 तथा रेखीय प्रसार गुणक 0 से 100 से.के. बीच 0.0000194 है। 100 से. से ऊपर ताप पर प्रसार गुणक शीघ्रता से बढ़ता है। द्रवणांक 660.5 से वायुमण्डलीय दाब पर तथा क्वथनांक 2000 से. के लगभग है द्रवदशा में अपने आयतन के 200 गुने आयतन वाले ऑक्सीजन का यह अवशोषण या अधिधारण करती है। पृथ्वी पर चांदी बहुत व्यापक रुप से फैली हुई है। समुद्र के जल तक में बड़ी अल्पमात्रा में विद्यमान है। असंयुक्त दशा में भी कहीं-कहीं पायी जाती है, परन्तु सोने के साथ प्राय: सदा मिली हुई मिलती है। इसे खनिज, सीस, टेल्यूरियस, आर्सेनिक एवं एंटिमनी के खनिजों के साथ पाये जाते हैं। चांदी बड़ी सफेद धातु है। इसमें बहुत अच्छी धात्विक चमक होती है। धनवर्घ्यता और तन्यता में सोने के बाद इसी का स्थान है। 1 ग्राम शुद्ध चाँदी से एक मील से भी अधिक लम्बा तार खींचा जा सकता है। इसकी पन्नी या तबक की मोटाई 0.00025 मि.मी. तक हो सकती है। हथौड़े से पीटने से यह बहुत कठोर हो जाती है। शुद्ध चांदी सोने से कुछ कठोर होती है पर तांबे से कोमल होती है। तांबा मिलाने से चांदी की कठोरता बढ़ जाती है। जल या भाप का चांदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑक्सीजन से भी यह सीधे आक्रांत नहीं होती है, पर ओजोन से जल्द आक्रांत हो जाती है। वायु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पर गंधक या हाईड्रोजन सल्फाइड से यह काली हो जाती है। चांदी के गहनों या पात्रों के काले होने का यही कारण है। नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक अम्लों में चांदी के घुलने से क्रमश: सिल्वर नाईट्रेट (Ag no3) और सिल्वर सल्फेट (Ag 2504) बनते हैं। और नाईट्रिक आक्साईड (No) तथा सल्फरडाई आक्साइड (So2) निकलते हैं। चांदी का सूक्ष्म चूर्ण घूसराभ होता है और चांदी का कलिल भूरे रंग का। रसायन शुद्ध चांदी प्राप्त करना कुछ कठिन होता है। रिचाडर्स और वेल ने अनेक उपचारों के बाद शुद्ध चांदी प्राप्त की थी, जिसकी शुद्धता 99.999 प्रतिशत थी। चांदी की अनेक मिश्रधातुएँ प्राप्त हुई है। कुछ भंगूर होती है और कुछ कठोर, चीमड़ और उच्च गलनीय होती है। ऐसी ही मिश्रधातुओं से सिक्के पात्र या गहने बनते हैं। चांदी के रुपये में पहले 92.5 प्रतिशत चांदी और 75% तांबा रहता था। तांबे के साथ-साथ अब निकले भी चांदी के सिक्कों में मिला रहता है। सोने और प्लेटनियम के साथ चांदी भी मिश्रधातुएँ बनाती है।

चांदी के अनेक आक्साईड, हैलाइड (फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड) नाइट्रेट और सल्फेट बनते हैं। कुछ सिल्वर हेलाइड प्रकृति में भी पाए जाते हैं। चांदी के लवणों में सिल्वर नाइट्रेट अधिक महत्व का है। यह अभिकर्थक के रुप में प्रयोगशालों में और सफेद बाल काला करने के लिए अनेक खिजाबों में प्रयुक्त होता है। प्राचीन काल में एशिया माइनर की खानों में चांदी निकलती थी। स्पेन में भी चांदी का उत्पादन होने लगा। फिर संयुक्त राज्य अमेरीका तथा मेक्सिको में चांदी का पता लगा और वहां से प्राप्त होने लगी। सबसे अधिक मात्रा में चांदी आज इन्हीं देशों में निकलती है पर अन्य कुछ देशों जैसे मध्य अमरीका, दक्षिण अमरीका, कनाड़ा, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, बर्मा, जापान, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि देशों में भी चांदी निकाली जाती है। चांदी का सबसे अधिक भाग भारत और चीन में खपता है।

यद्यपि भारत में अलंकारों आदि के लिए चांदी का उपयोग अन्य किसी भी देश की अपेक्षा कहीं अधिक है, तथापि इस देश में इसका उत्पादन बहुत ही कम है प्रतिवर्ष कई लाख रुपयों के मूल्य की धातु का आयात करना पड़ता है। कोलार तथा हुट्टी की सोने की खानों से थोड़ी मात्रा में चांदी गौण उत्पादन के रुप में उत्पन्न होती है। झावर क्षेत्र से प्राप्त सीसा खनिज के शोधन से भी कुछ चांदी उपलब्ध होने लगी है।

चांदी की सामान्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं, जो कि इस प्रकार है –

1. कीमती धातु के रुप में वर्गीकृत होने के बावजूद चांदी की अनोखी विशेषताएँ उसे अतिउपयोगी कमोडिटी (वस्तु) बनाती है।
2. चांदी की मांग तीन मुख्य स्तम्भों, औद्योगिक उपयोग, फोटोग्राफी एवं ज्वेलरी और सिल्वर वेयर होती है।
3. मेक्सिको, पेरु एवं अमेरिका की सिर्फ आधे से कुछ अधिक खानों से चांदी प्राप्त होती है जो क्रमश: सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
4. प्राथमिक खाने वैश्विक चांदी के लगभग 27% का उत्पादन करती है। जबकि लगभग 73% सोने, तांबा, सीसे एवं जिंक की खानों के उत्पादन के रुप में आता है।
5. आर्थिक रुप से समर्थ प्राथमिक चांदी की खान वैश्विक चांदी के भाव स्तर को चलित करती है।

चांदी का महत्व – चांदी एक चमकीली भूरी सफेद धातु है जो काफी मुलायम या लचीली होती है। बहुमूल्य तथा औद्योगिक दोनों तरह की धाातु की श्रेणी में आने की वजह से चांदी एक विशिष्ट धातु की श्रेणी में आती है। चांदी का महत्व उसकी कुछ खास विशेषताएँ होती हैं जैसे मजबूती, लचीलापन, तन्यता, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता तथा अत्यधिक तापमान बर्दाश्त करने की क्षमता। वे विशेषताएँ चांदी का अन्य धातु की तुलना में और अधिक महत्व बढ़ा देती है।

(क) आर्थिक महत्व –

1. चांदी मूल्यवान तथा व्यवहारिक औद्योगिक कमोडिटी के रुप में मान्य है।
2. चांदी को औद्योगिक गतिविधियों, फोटोग्राफी, चांदी के बर्तन तथा गहनों के निर्माण में उपयोग में लायी जाती है।
3. यह गोल्ड रिजर्व मानीटरी का प्रमुख घटक है।
4. यह एक प्रभावी पोर्टफालियो डाइवर्सीफायर है।

(ख) वैश्विक महत्व – 355,7000 टन चांदी के साथ पेरु दुनिया का सबसे बड़ा चांदी माइनिंग देश है, जो कुछ माइनिंग चांदी उत्पादन को 17% है। मैक्सिको, चीन, चिली तथा आस्ट्रेलिया अन्य प्रमुख चांदी उत्पादक देश है। मैक्सिको तथा पेरु बहुत पुराने चांदी उत्पादन देश है तथा इनका चांदी उत्पादन दशकों यहाँ तक सदियों से शीर्ष पाँच उत्पादक देशों की सूची में शामिल रहा है।

(ग) घरेलू महत्व – भारत बहुत कम मात्रा में चांदी का उत्पादन करता है तथा मुख्यत: चांदी आयतक देश है। भारत दुनिया के सबसे बड़े आयतक देशों में शामिल है। राजस्थान, झारखण्ड तथा गुजरात भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य हैं। देश में चांदी की आपूर्ति का 77% भाग आयात से, 18.8% भाग सेकेण्डरी चांदी से तथा 2.5% भाग हिन्दुस्तान जिंक से प्राप्त होता है। हिंडाल्को को भी देश के चांदी बाजार में 1.77% हिस्सेदारी है।

चांदी एक सफेद तथा चमकीली धातु है। अत: इसका कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जो कि इस प्रकार है- 1) आभूषण बनाने में, 2) चिकित्सा में उपयोगी, 3) दन्त चिकित्सा, 4) फोटोग्राफी और इलेक्ट्रानिक्स 5) उद्योगों में उपयोगी 6) प्रकाशिकी और दर्पण

अत: कहा जा सकता है कि चांदी का उपयोग सभी क्षेत्रों में चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो इसका उपयोग सभी जगह किया जाता है।

* प्राध्यापक वाणिज्य ** शोधार्थी (पीएच.डी) – स्वामी विवेकानंद वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

रतलाम जिले की व्यावसायिक फसलों का वर्गीकरण

डॉ आर. के. माथुर * मोना कश्यप **

प्रस्तावना :– रतलाम जिला प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। जा राजस्थान की सीमा से लगा हुआ हैं जिले की पुर्व दिशा में उज्जैन पश्चिम में राजस्थान का जिला बांसवाछडा उत्तर में मंदसौर तथा दक्षिण में धार एवं झाबुआ हैं। मालवा अंचल में रतलाम जिला रतलाम पष्चिमी म. प्र. के 23,05′ से 23,55′ के मध्य उत्तरी अंक्षाश तथा 74,30′ से 75,42′ के मध्य पूर्व देशान्तर पर स्थित हैं इसकी समुद्र तल से उॅंचाई 488 मीटर हैं जिले में छ: तहसील है। जिले का कुल भोगोलिक क्षेत्र 4861 वर्ग हैं जिले में 406 ग्राम पंचायते 1081 ग्राम छ: कृषक उपज मण्डी है कृषि दृष्टि से रतलाम जिला ज्वार, कपास , जोन के रुप में मालवा पठार के अंतर्गत आता है। भारत वर्ष में कृषि पर देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्भर हैं। कृषि उत्पादन कम होने पर देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पडता हैं यही कारण हैं कि देश या प्रदेश की सरकार कृषि एवं कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाये संचालित कर रही हैं। इन योजनाओ में लघु एवं सीमांत कृषकों को बीज खाद, कृषि यंत्रो का कम कीमत में क्रय कर सकता हैं और इन आदानो के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि कर सकता हैं। कृषि के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रो की स्थापना की हैं जिनमें कृषकों की सभी प्रकार की समस्याओ का निदान किया जाता हैं उन्हे नवीन तकनीकी जानकारी आडियों वीडियो लीफलेट, पेम्पलेट एवं साहित्य के माध्यम से दी जाती हैं प्रोद्योगिकी जानकारी देने हेतु विभिन्न योजनाओ में तकनीकी प्रशिक्षणो का आयोतन भी किया जाता हैं जिस प्रकार भारत वर्ष विष्व में एक कृषि प्रधान बडा देश हैं उसी प्रकार मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलो में सर्वाधिक कृषि की जाती है। प्रदेश में कृषि का परिदृश्य अनूठा हैं। मध्यप्रदेश में कृषि हमेशा से कौतुहल और जिज्ञासा का केन्द्र रही है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हाल में नयी व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमण्डल के अतर्गत कृषि केबिनेट बनाने के कारण ही प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करना हैं तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी म.प्र. के कृषि उत्पादन की वृद्धि दर 18 प्रतिशत होने पर बधाई दी हैं

प्रमुख फसलें :– जिले में मुख्यत: गेहुॅं, ज्वार मक्का, मुंगफली, गन्ना सोयाबीन एवं सरसो का प्रमुख रुप से उत्पादन होता है। कृषि के क्षेत्र में देखा जाये तो दुग्ध दत्पादन के साथ-साथ यहॉं खेती है। आधुनिक तकनीक के अपनाना, उन्नत बीजो का उपयोग, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशको का उपयोग कृषकों की खेती के प्रति उत्साह का सुचक हैं खरीफ मौसम में यहा की प्रमुख फसल सोयाबीन एवं मक्का हैं। जिले में प्राय: सभी विकासखण्डो में सोयाबीन की फसल ली जाती हैं परन्तु प्रमुख रुप से जावरा, पिपलोदा रतलाम, एवं आलोट विकास खण्डो में सोयाबीन की उन्नत प्रमाणीत किस्मै ली जाती हैं इसकी तुलना में सैलाना एवं बाजना छोटे एवं मझो से किसान, आदिवासी बाहुल्य वाले विकास खण्ड माने जाते है। और यहॉं के किसान मक्का व किसान उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते है यहॉं का मक्का उत्पादन अपेक्षाक्रत सामान्य विकास खण्डो मे सोयाबीन के साथ मक्का लिया जाता है। वही आदिवासी विकासखण्डो मे मक्का के साथ सोयाबीन तथा कपास लिया जाता है। जिले मे रबी की प्रमुख फसल मे गेंहू एवं चना है। रबी के कुल क्षेत्र का 50 प्रतिशत क्षेत्र चना फसल से अच्छादित है।

मूंगफली:– वर्ष 2012-2013 मे 274 हेक्टयर में मूगफली बोई गई जिसमे 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मूंगफली का उत्पादन हुआ, जो विगत वर्ष की तुलना में 334 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की कमी को परिलक्षित करता है। वर्ष 2009-2010 में 231 हे:टयर में मूगंफली बोई गई। जिसमे 1005 किलोग्राम प्रति हेक्टर मूंगफली का उत्पादन हुआ। विगत वर्ष से कम क्षेत्रफल में मूंगफली बोये जाने के कारण 1049 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मूगफली का उत्पादन हुआ, जो विगत वर्ष 2008-2009 से 44 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम रहा।

सोयाबीन:– जिले में सोयाबीन की फसल तिलहन के रूप में खरीफ के मौसम की प्रमुख फसल है , जो नगद फसल के रूप मे जानी जाती है। जिले के पूर्ववर्ती वर्षो मे मुंगफली तथा ज्वार की फसल अपना एक महत्पवपूर्ण स्थान रखती थीं। वर्ष 1981-82 से सोयाबीन का प्रादुभाव होने पर सोयाबीन की फसल किसानों के लिये लाभकारी सिद्ध हुई। वर्ष 1980 मे तात्कालीन कृषि मंत्री ने प्रदेश में सोयाबीन की क्रांति का सूत्रपात किया एवं यह महसूस किया कि सोयाबीन की फसल प्रदेश के किसानों के लिये वरदान साबित हो सकती है। कृषि विभाग ओर खेती से जुडी संस्थाओं ने सोयाबीन के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2012-2013 में जिले मे सोयाबीन का उत्पादन 998.98 हजार मेट्रिक टन का आकलन किया गया है ,जो विगत वर्ष की तुलना में 79.85 हजार मेट्रिक टन की वद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार वर्ष 2008-09 मे 789 किलोग्राम प्रति हैक्टयर उत्पादन आंका गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 400 किलोग्राम प्रति हैक्टयर की कमी हुई। वर्ष 2009-10 में जिले में सोयाबीन 453838 हेक्टर में बोया गया वर्ष 2008-09 से 10253 हेक्टर की अधिक वृद्धि हुई है। आलोच वर्ष में 890 किलोग्राम प्रति हेक्टर का उत्पादन हुआ क्षेत्रफल अधिक होने के उपरान्त भी 101 किलोग्राम प्रतिहेक्टर सोयाबीन का उत्पादन अधिक रहा।

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत उत्पादन :–

गेहॅूं :– जिले में गेहू रबी के मौसम की एक महत्वपूर्ण फसल है क्योकि जिले में पठारी समतल भाग हे, जहॉं काली मिटटी पर्याप्त है जो गेहू की फसल के लिये काफी अनुकूल है। विगत वर्षो के आकडों से ज्ञात होता है कि क्षेत्र में विशेषकर सिंचित क्षेत्र मे वद्धि के कारण गेहू के उत्पादन में लगातार वद्धि होती रही है। लेकिन वर्ष 2012-13 मे पर्याप्त मात्रा में होने के कारण उत्पादन में कमी परिलक्षित हुई है। वर्ष 2008-09 में गेहू के अन्तर्गत 98976 हेक्टर भूमि का उपयोग किया गया वर्ष 2009-10 में गेहू के अन्तर्गत 128916 हेक्टर भूमि का उपयोग किया गया।

इस प्रकार वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 मे क्रमश: 3100 किलोग्राम एवं 3181 किलोग्राम प्रति हेक्टयर गेहू का उत्पादन हुआ। वर्ष 2008-09 में 98796 हेक्टर मे गेहू की फसल आच्छादित की गई। वर्ष 2007-08 की तुलना में 92180 हेक्टर की कमी हुई है। अल्पवर्षा के कारण गेहू का उत्पादन प्रभावित हुआ है। वर्ष 2008-09 में 1996 किलोग्राम प्रति हेक्टर गेहू का उत्पादन हुआ। वर्ष 2009-10 में 2181 किलोग्राम प्रति हेक्टर गेंहू का उत्पादन हुआ जो विगत वर्ष से 185 किलोग्राम प्रति हेक्टर अधिक रहा।

चना :– जिले में गेहू के समान ही चना भी रबी के मौसम की एक महत्चपूर्ण फसल हैं। विगत वर्षो में चने के क्षेत्र में सिचाई रकबे में वृद्धि के कारण चने के उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक हैं। जिसका मुख्य कारण पर्याप्त वर्षा का होना हैं। वर्ष 2012-13 में 163321 हेक्टर चने की फसल बोई गई जिसमे चने का उत्पादन 830 किलो ग्राम प्रति हेक्टर हुआ जो विगत वर्ष 2007-08 से 31 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक रहा। वर्ष 2009-10 में 2022956 हेक्टेयर भूमि पर चने की फसल बोई गई जिससे चने का उत्पादन 681 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ।जो विगत वर्ष 2008-09 से 29 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक रहा।

मक्का :– वर्ष 2012-13 में 7422 हेक्टयर भूमि पर मक्का की फसल आच्छादित की गई जिसमें प्रति हेक्टेयर 1049 किलोग्राम उत्पादन हुआ जो विगत वर्ष की तुलना में 95 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई।

Reference :-

1- फसलों के सिद्धांत - पी. के. सिंह, रामा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली (उ.प्र.)
2- कृषि प्रसार के सिद्धांत - डॉ उम्मेद सिंह, वी. के. प्रकाशन, मेरठ (उ.प्र.)
3- कृषि दर्शिका - जिला रतलाम, संभागीय प्रकाशन
4- कृषि अर्थव्यवस्था - डॉ गुप्त शिवभूषण, पी. सी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा।

* प्राध्यापक वाणिज्य विभाग ** शोधार्थी, स्वामी विवेकानन्द शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

शासन द्वारा आयोजित दलहन एवं तिलहन योजना

डॉ. आर.के. माथुर * मोना कश्यप **

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र संचालित समन्वित तथा बहुउद्धेशीय योजना हैं जिसमें कृषि तथा सम्बद्ध विभाग और संस्थाओ जैसें - पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, बीज प्रमाणीकरण संस्था आदि के अतिरिक्त निजी संस्थाओं के सहयोग से कृषि उत्पादन से जुडे संसाधनो का विकास कर किसानों को लाभ पहुँचाना और देश की घरेलु विकास दर में कृषि का योगदान बढाना हैं। इस योजना के अन्तर्गत कृषि तकनीकी विकास और हस्तांतरण की कई गतिविधियॉ संचालित की जा रही हैं। उज्जैन संभाग में निजी संस्था के सहयोग से शुरु किया गया सामुदायिक रेडियो केन्द्र तथा देश का पहला राज्य स्तरीय किसान काल सेन्टर इस योजना की प्रमुख उपलब्धियॉं हैं। कृषि विभाग द्वारा जिले में कृषकों के हितो में संचालित विभिन्न योजनाओ का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं।

राष्ट्रिय दलहन विकास परियोजना

बीज मिनीकिट:- 0.2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये मूल्य के 100 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को बीज-मिनीकिट का वितरण।

प्रमाणित बीज :- बीज वितरण संस्थाओं को रु 300/- प्रति क्विंटल अनुदान देकर बीज के विक्रय योजना मूल्य में रु. 300/- प्रति क्विंटल की कमी।

खण्ड प्रदर्शन :- प्रत्येक विकास खण्ड में 10 हेक्टेयर का बीज प्रदर्शन क्षेत्र होगा।10 हेक्टेयर उपलब्ध न होने पर 5 हेक्टेयर को मान्य किया गया है। चना एवं मटर में रु. 1400/- अरहर मूंग एवं उडद में रु. 900/7 तथा मसूर में रु. 1000/- हेक्टर अनुदान

सूक्ष्म पोशण तत्व :- रु. 200/- प्रति हेक्टर अनुदान।

एकीकृत कीट :- दलहन फसला के लिए 10 हेक्टर क्षेत्रफल में एकीकृत कीट नियंत्रण प्रदर्शन नियत्रण प्रदर्शन लगाने पर रु 1500/- प्रति हेक्टेयर अनुदान। राइजोबियम :- कल्चर पर रु. 2/- प्रति पैकेट एवं पी. एस. बी. पर रु. 4/- प्रति पैकेट अनुदान पी. एस. बी. कल्चर अधिकतम रु. 25/- प्रति हेक्टेयर

पौध संरक्षण :- प्रत्येक हस्तचलित उन्नत कृषि यंत्र पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रु. 800/- एवं शक्ति चलित यंत्र पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा 2000/- जो भी कम हो

उन्नत कृषि यंत्र :- बैल चलित / शक्ति चलित उन्न्त कृषि यंत्रो की वास्तविक किमत पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1500/- अनुदान।

स्प्रिंकलर सेट :- अ. लघु सीमांत अनुसूचित जाति, अनुसूचिज जन जाति तथा महिला कृषकों को वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 5500/- में जो भी कम हो। ब. अन्य श्रेणी में कृषकों को वास्तविक लागत का 33 प्रतिशत अथवा रु. 3630/- में जो भी कम हो।

कृषक प्रशिक्षण :- रु. 10,000/- प्रति प्रशिक्षण 50 कृषकों के लिए।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

बीजोपचार- बीजोपचार हेतु आवश्यक औषधि के वासतविक मूल्य का 50%

बीज मिनीकट :- मूंगफली (खरीफ, ग्रीष्म) सोयाबीन, रामतिल, सूरजमुखी, कुसुम (0.1 हैक्टर) तिल राई सरसो तोरिया (0.2 हैक्टर) के बीज मिनीकट लघु सीमांत कृषकों को विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को 100% प्रतिशत अनुदान पर वितरण। मिनीकिट के अंतर्गत 10 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मो के प्रमाणित/ संकर बीजो का उपयोग किया जायेगा।

जीवाणु खाद :- सोयाबीन एवं मूगफली की फसलो के लिये राइजोबीयम कल्चर पर रु. 2/- तथा पी. एस. बी. कल्चर पर रु. 4/- प्रति पैकेट की दर से अनुदान, अधिकतम रु. 25/- प्रति हैक्टर।

प्रमाणित बीज :- प्रमाणित बीज पर रु. 300/- प्रति क्विंटल की सहायता बीज निगम / तिलहन संघ को दी जाती हैं, ताकि कृषकों को कम दर पर बीज उपलब्ध हो सके।

जिप्सम/पायराइट :- मूंगफली , सोयाबीन एवं राई-सरसो पर जिप्सम एवं वितरण पायराइट के उपयोग पर सभी कृषकों को रु. 500/- प्रति हेक्टर अनुदान। एकीकृत जीवनाशी :- कृषकों के खेतो पर आयोजित एकीकृत जीवनाशी (आई. पी. एम.) प्रदर्शन हेतु रु. 1500/- प्रति हेक्टर

तिलहन फसलो :-लघु सीमांत कृषकों को हस्तचलित/बैलचलित/शक्तिचलित उपकरण जैसे बोनी के उन्नत यंत्र मूगफली डीगर, मेन्यूअल वीडर , कन्टीवेटर आदि पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 2000/- प्रति यंत्र जो कम हो।

स्प्रिंकलर सेट :- अ. लघु सीमांत अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा महिला कृषकों को वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या रु.15000/- में जो कम हो। ब. अन्य श्रेणी के कृषकों को वास्तविक लागत का 33 प्रतिशत रु.10,000/- में जो कम हो।

पौध संरक्षण :- अ. वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 800/- रु. प्रति यंत्र जो भी कम हो। ब. शक्ति चलित यंत्र की वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 2000/- प्रति यंत्र जो भी कम हो।

फसल प्रदर्शन :-अ. फसल प्रदर्शन के अंतर्गत लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा। ब. प्रदर्शन में अधिसूचित किस्म/ संकर किस्म का प्रमाणित बीज उपयोग किया जाएगा तथा 10 वर्ष के अंदर जारी किस्मो का ही प्रदर्शन में उपयोग किया जायेगा।

फसल का नाम	प्रदर्शन का आकार	प्रति प्रदर्शन (रु.)
1. मूंगफली (खरीफ)	10	
2. मुगफली (ग्रीष्म)	10	
3. तिल	10	
4. सोयाबीन	10	
5. अलसी		
अ. सिंचित	10	50% आदान सामग्री की कीमत
ब. असिंचित	10	अथवा अधिकतम रु. 2000/- प्रति हेक्ट
6. राई/सरसो, तोरी		
अ. सिंचित	10	
ब. असिंचित	10	
7. रामतिल	5	
8. सूरजमुखी	5	
9. कुसुम	5	

कृषक प्रशिक्षण :- कृषकों को नवीन तकनीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 30 कृषकों के बेच का प्रशिक्षण देने हेतु रु. 10,000/- की सहायता। प्रदर्शन स्थल तथा बीज ग्राम योजना स्थल पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे।

खरपतवार/कीटनाशक :- औषधि की वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम दो छिडकाव

Reference :-

1. www.mpkrishi.org
2. www.Agriculture.co.in
3. कृषि दर्शिका - उज्जैन संभाग, कृषि पत्रिका - मासिक

* प्राध्यापक वाणिज्य विभाग ** शोधार्थी, स्वामी विवेकानन्द शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

भारतीय कृषि-क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं समाधान

डॉ. सपना सोनी *

वृहद कृषि-क्षेत्र देश में प्राथमिक क्षेत्र की रीढ है, और इसकी वृद्धि-दर देश के प्राथमिक-क्षेत्र एवं सकल घरेलु-उत्पाद में इसके योगदान को निर्धारित करती है। देश की अर्थव्यवस्था के घटकों का जी.डी.पी. में बदलता हुआ योगदान यह दर्शाता है कि प्राथमिक-क्षेत्र से द्वितीयक एवं तृतीयक-क्षेत्र की ओर क्रमश: रूझान बढ़ रहा है।

देश के सकल घरेलु-उत्पाद में चालू एवं स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान क्रमश: वर्ष में 2004-05 में 19 प्रतिशत, 2005-06 में 18.3 प्रतिशत, 2006-07 में 17.4 प्रतिशत, 2007-08 में 16.8 प्रतिशत, 2008-09 में 15.8 प्रतिशत, 2009-10 में 14.7 प्रतिशत, 2010-11 में 14.5 प्रतिशत, 2011-12 में 14 प्रतिशत रहा है। सकल घरेलु उत्पाद में कृषि की भागीदारी में घटती प्रवृत्ति आय-वितरण के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में 2001 की जनगणना के अनुसार देश की 58.2 प्रतिशत जनसंख्या का योगदान है।

अत: कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों (जैसे वानिकी/उद्यानिकी, पशुपालन, डेरी-उद्योग, मत्स्य-पालन, मूर्गी-पालन) में समावेशी विकास की आवश्यकता है। यद्यपि विकास की प्रक्रिया में कृषि का घटता रूझान स्वाभाविक है। सम्पन्न देशों में कृषि बहुत विकसित है किन्तु इन देशों की कृषि पर निर्भरता कम है। अमरेकी और इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय आय में 2 प्रतिशत भाग ही कृषि से प्राप्त होता है इसी प्रकार जापान एवं फ्रांस में 4 प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है जबकि अल्प विकसित राष्ट्रों बांग्लादेश का लगभग 57 प्रतिशत, पाकिस्तान का 48 प्रतिशत कार्यकारी जनसंख्या का भाग लगा हुआ है। विकासशील राष्ट्र भारत का कुल कामगारों का 2011 की जनगणना के अनुसार 58.2 लगा हुआ है। अत: कार्यशील जनसंख्या के अत्यधिक भाग का कृषि पर निर्भर होना चिंता का विषय है। देश में कृषि क्षेत्र की अग्रलिखित समस्याएँ परिलक्षित होती है।

(1) देश में सन् 1951 में कार्यकारी जनसंख्या का 69.5 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था 1991 में यह प्रतिशत 66.9 तथा 2011 में 58 प्रतिशत में इस क्षेत्र पर निर्भरता जनसंख्या की रही। किन्तु जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण कृषि में लगे हुए लोगों की वास्तविक संख्या में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। इन अकुशल कृषि मजदूरों से कृषि क्षेत्र पर निर्भरता से जहाँ एक ओर सीमांत उत्पादकता में कमी आई है। वहीं दूसरी ओर अल्प रोजगार, छद्म बेरोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी जैसी समस्याऐं भी पैदा हो गई है। इन कृषि मजदूरों को बड़ी संख्या में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में व्यवस्थित करने की योजना आवश्यक है इन्हें कृषि संबद्ध सघन क्षेत्र जैसे खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आगत-निर्गत कृषि उत्पादों की हैन्डलिंग, पैकैजिंग, शीतगृह कार्यो में खपाने की आवश्यकता है। अत्याधुनिक तकनीकी एवं प्रयोग के माध्यम से उत्पादन कर जी.डी.पी. में भागीदारी को बढ़ाना होगा तथा संलग्न कार्य बल की भागीदारी को सेवा क्षेत्र के आई.टी.,बी.पी.ओ. सेवा लेखा, कानूनी पर्यटन, शिक्षा अन्य नई सेवाओं को दायरे मे लाकर प्रोत्साहित करने से इस भागीदारी को घटाना आवश्यक होगा।

(2) 1951 से 2001 के बीच खेतिहारी मजदूरों की संख्या लगभग चार गुना वृद्धि हुई है। कृषि-क्षेत्र में कार्यरत् खेतिहर कुल लोगों में से मजदुरों का हिस्सा जो 1951 में 28 प्रतिशत था वह 2001 में बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया जबकि सकल घरेलु-उत्पाद में कृषि क्षेत्र की भागीदारी लगातार कम हुई है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मे इन अकुशल खेतिहारी मजदुरों की भूमिका नगण्य है ये ''हशिए'' की जिन्दगी जीने को मजबूर है। कृषि मजदुरी दरों पर हुए विभिन्न अध्ययनों से भी स्पष्ट है कि पुरूष खेतिहार मजदुरी दर तथा स्त्री खेतिहार मजदुर दर के बीच भी अन्तर बढ़ता गया है। जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत के कृषि क्षेत्र में पुरूष स्त्री आय असमानताएँ बढ़ रही है। यद्यपि हरित क्रांति के बाद रोजगार की दृष्टि से मजदूरी दरों का निर्धारण अवश्य हुआ है। लेकिन प्रचलित दर वैकल्पिक रोजगार के अभाव और काम के अल्प दिनों के आधार पर इन मजदुर परिवारों का गरीबी की रेखा से ऊपर उठ पाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। यही नहीं सुखे की आशंका वाली अनुर्वर कृषि भूमि भी कृषि मजदुरों के धैर्य और शारीरिक क्षमता का जबर्दस्त दोहन करती है। इस स्थिति में आधुनिक उपकरणों से सुविधाजनक तरीके से खेती की आवश्यकता है ताकि खेतिहार मजदुरों को अतिरिक्त शारीरिक दबाव न महसूस हो। ऐसे क्षेत्रों को वर्षा पोषित करने के लिए जल संचयन, जल संरक्षण, प्रबन्धन और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए समन्वित प्रयास किया जाये ताकि शुष्क भूमि वाले कृषि इलाकों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके।

(3) बजट से कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए आबंटन पर्याप्त रूप से नहीं होता है साथ ही इस बजट निर्धारण में सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ के प्रकोप से फसल की बरबादी, इत्यादि के लिए कोई आवंटन निर्धारित नहीं होता है। इन स्थितियों में नाममात्र की राशि जारी होती है। जो कि किसानों के हित में नहीं है। इस दृष्टि से कृषि बीमा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

(4) हरित क्रांति को बढ़ावा देने के कृषि व्यवस्था में उत्पादन के असंतुलन, मिश्रित रासायनिक उर्वरको पर निर्भरता सुक्ष्म पौषकों की कमियों में वृद्धि, कीटनाशक के इस्तेमाल में वृद्धि, अवैज्ञानिक जल प्रबंधन एवं वितरण उत्पाद की गुणवत्ता का ह्रास, जिन पूल के विनाश, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक असन्तुलन जैसी अनेक समस्याएँ विद्धमान हो गई है। अत: इन समस्याओं के निराकरण के लिए कम्पोस्ट खाद्य को बढ़ावा जैविक खेती को प्रोत्साहन, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यों में जैविक खेती उत्पाद के लिए रासायनिक उत्पाद के मूल्य से उच्च मूल्य का निर्धारण, पशुधन में वृद्धि, मिट्टी शोध संस्थान, मिट्टी एवं जल परीक्षण केन्द्र की संख्या बढ़ाना जैसे उपायों को अपनाकर मिट्टी की पुनर्जीवितता को बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए।

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी (म.प्र.) भारत

(5) सरकार द्धारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि एवं उठाये गये कदमों से खाद्यान्नों के उच्च स्तर में वृद्धि हुई है। किन्तु खाद्यानों की बढ़ती मांग की तुलना में कम आपूर्ति, राष्ट्रीय खादय सुरक्षा को सुनिश्चित कराने में समस्या बन रहा है। खाद्य प्रसंस्करण, गैरखाद्य प्रबंधन, पैकेजिंग को सुनिश्चित करने, खाद्य आपूर्ति श्रंखलाओं का संचालन करने बागवानी उत्पादों पर ध्यान देने और पशुधन उत्पादो को बढ़ाने तथा उत्पादों की बरबादी रोकने, कृषि उत्पादों के समूचित परिवहन की व्यवस्था बनाये रखने पर जोर देने की आवश्यकता है।

(6) कृषि सहबद्ध क्षेत्रों बागवानी, डेरी-उद्योग, मूर्गी-पालन, मधुमक्खी-पालन, भैस-पालन, समुद्री मत्स्य-पालन, जल जीव पालन में प्रौद्योगिकी का प्रयोग सीमित है। जिससे इस क्षेत्र में निर्यात की अपार सम्भावनाएँ होते हुए भी निर्यात की कमी से अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, अत: इस क्षेत्र के विकास हेतु कृषि बजट में अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था करके, आधुनिक तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहित कराया जाये, निर्यात शुल्क में कमी की जाए। दुग्ध, अण्डे, मांस, मछली आदि प्रदार्यो हेतु शीत भंडारो की व्यवस्था, तथा आयात होने वाली मशीनों में आयात सीमा-शुल्क से छूट, उत्पाद-शुल्क से छूट देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(7) कृषि ऋण-ग्रस्तता में अनौपचारिक क्षेत्र (सूदखोर महाजन) का बोलबाला है किसान की ऋण- ग्रस्तता की स्थिति यह है कि किसान बिना ऋण लिए खेती में बुआई नहीं कर पाता है। औपचारिक क्षेत्रों के (संस्थागत कृषि ऋण) वितरण की प्रक्रिया में ऋण लेना आसान नहीं है। जिससे ये किसान आज भी महाजनों पर आश्रित है।

इनकी अधिक ब्याज दरों से वह कर्ज के बन्धन से मुक्त ही नहीं हो पा रहा है। उनकी इस निर्भरता में कमी लाने के लिए छोटी जोत किसान को आवश्यक कर्जमाफी, सुक्ष्म-वित्त संस्थाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी, किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या में बढ़ावा आदि उपायों को शीघ्र अपनाया जाना चाहिए। यह एक तरह से सरकारों का कृषि में निवेश ही माना जायेगा।

निष्कर्ष :-

उपरोक्त विवेचन से पूर्णतया: स्पष्ट है कि भारतीय कृषि मांग के अनुसार बढ़ती रहेगी दीर्घावधि में उच्च और स्थायी विकास को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा अनुकूल परिदृश्य निर्मित करना होगा, जिससे इस क्षेत्र में ठोस एवं प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन हो ताकि कृषि की उच्च विकास दर को प्राप्त किया जा सके। उपरोक्त सुझाएँ उपायों के साथ अन्य उपायों की सूची काफी लम्बी है, जरूरत इस बात कि है कि इन उपायो की अविलम्ब शुरूआत की जाए।

संदर्भ:-

✲ योजना पत्रिका के विभिन्न अंक
✲ आर्थिक समीक्षा 20012-13

****

अ.ज.जा. में अशिक्षा, गरीबी और इसका जनजातीय महिलाओं पर प्रभाव एक अध्ययन

डॉ. ओंकारसिंह मेहता * डॉ. नीरज करारी **

विश्व की सभी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का जन्म इतिहास के धुंधलके में जनजातिय समाजों से हुआ विश्व की सभी महान सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के पूर्व मनुष्य पाषाण युगीन सभ्यता के स्तर में जीवन यापन करता था। आदिवासी जनजीवन भी प्रकृति पर आश्रित होता है।

इसलिए प्रकृति से इनका रिश्ता हमेशा प्रगाढ़ रहा है। इनमें धार्मिक विश्वास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवहार एवं सांस्कृतिक आभिव्यंजना की विभाजन रेखा खिंचना कठिन है। इनके जीवन में उपयुक्त सभी तत्व आपस में घुले-मिले रहते है, जब वे घर बनाने जा रहे होते है या वनोपज संग्रहण में कृषि का कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे है। सभी कुछ धार्मिक कर्मकांड से नाच गाकर प्रारंभ होता है।

देश की सकल जनसंख्या का 8.08 प्रतिशत भाग अर्थात लगभग 6.78 करोड़ जनजातिय जनसंख्या का है। इन्हें आदिवासी वन्य जाति, जनजाति, आरण्ड जाति आदि नामों से संबोधित किया जाता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् शासन ने जनजातियों के विकास व उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किये है। भारतीय संविधान के अनुसार आज भारत वर्ष में 550 जनजातियां निवास करती है। इन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति (शेडयूल ट्राईब्स) घोषित किया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति गोंड़ है तथा सबसे छोटी ग्रेटअण्उमानी हैं। जो आज भी आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई स्थिति में है।

आदिवासियों में महिला परिवार की केन्द्र बिन्दु होती है, और विभिन्न रीति-रिवाजों एवं देवी देवताओं के पूजन को यह सक्रिय रूप से पुरूष के साथ रहकर पूर्ण करती है। अनुसूचित जनजातिय क्षेत्रों में संख्या की दृष्टि से महिलायें पुरूषों से अधिक है। किंतु शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी स्थिति में है।

परिकल्पनायें:-

अनुसूचित जनजाति महिलाओं शिक्षा का स्तर अत्यंत कम जबकि महिलाओं का शिक्षित होना परिवार की शिक्षा एवं विकास तथा उच्च जीवन स्तर को प्राप्त करने को आवश्यक है। अशिक्षा तथा कुपोषण के कारण जनजातियों में गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है।

अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा:-

सन्	सामान्य (F)	अनुसूचित जनजाति (F)	अनुसूचित जाति (F)
1991	29.4	18.19	36.80
2001	50.3	28.44	41.90

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य की तुलना में अनुसूचित जनजाति महिलाओं में शिक्षा स्तर में वृद्धि का प्रतिशत अत्यंत कम है अवलोकन में पाया गया है कि शिक्षित महिलाओं में भी अधिकांशत: पाँचवी कक्षा तक ही शिक्षित है जो वर्तमान में अशिक्षित व्यक्ति की तरह ही है अशिक्षा के कारण परिवार में शराब खोरी, कुपोषण, बालविवाह गरीबी आदि समस्या उत्पन्न होती है। आदिवासियों में अशिक्षा एवं गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओ पर हुआ है।

जबकि इस समुदाय में महिलाओं पर परिवार कृषि, मजदूरी एवं परिवार के भरण-पोषण की सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है, जनजाति महिलायें परिवार में खाना बनाने, बच्चों की परवरिश से लेकर कृषि एवं मजदूरी में भी बराबर की योगदान दे रही है।

इससे इनकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती हैं। महिलाओं की शिक्षा रहन-सहन खान पान एवं स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव परिवार पर होता है उसी के अनुसार परिवार की दिशा एवं दशा तय होती है। आदिवासी परिवारों में महिला रीढ़ की तरह है और इसी रीढ़ पर गरीबी के दुश्चक्र का प्रभाव अधिक है एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि म.प्र. में आदिवासियों में शिशु मृत्यु दर 300 से अधिक जबकि मातृ मृत्यु दर भी सर्वाधिक है स्पष्ट है कि इन पर गरीबी का कितना अधिक प्रभाव है, निर्धनता ने सर्वप्रथम इनके खान-पान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है और असंतुलित भोजन से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है।

कुपोषण से उत्पन्न बिमारियों के इलाज में बचत का लगभग 60 प्रतिशत तक व्यय आदिवासी परिवारों में होता है। फलस्वरूप बचत का आर्थिक विकास में विनियोग शुन्य हो जाता है और पुन: गरीबी के दुश्चक्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

आदिवासी परिवारों में महिला ही आर्थिक विकास की धुरी है केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार भी जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाती है लेकिन जनजाति महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा के लिए अलग से विशेष प्रयासों की कमी है वास्तव में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विकास के आधार पर आदिवासी महिलाओं की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय का सर्वांगीण विकास संभव है।

1. संदर्भ-योजना जन 2011
2. आदीवार्ता
3. प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2011
4. अनुसूचित जनजाति बुलेटिन 2012 (जनजातिय अनुसंधान केन्द्र भोपाल)

****

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) ** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, सनावद (म.प्र.) भारत

विपणन प्रबन्ध के बदलते स्वरूप-एक अध्ययन

गणेशलाल राठौर *

विपणन प्रबन्ध का वर्तमान स्वरूप तेजी से बदलता जा रहा है इसमें निर्माता अपने माल के विक्रय के लिए परम्परागत तरीके से विज्ञापन और विस्त्रत बाजार के स्थान पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों का अधिक उपयोग कर रहा है। बड़े-बड़े शोरूम (मॉल) के साथ एसएमएस, इन्टरनेट, ई-कॉमर्स, टेली शापिंग, चे मार्केटिंग आदि माध्यमों से विपणन का क्षेत्र बढ़ रहा है। इन सभी नवीनतम माध्यमों में उपभोक्ता आकर्षण पर ही अधिक ध्यान दिया गया है।

हर संभव तरीके से उपभोक्ता की रूचि के अनुसार उसके आकार प्रकार व डिजाईन के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करने लगा है, अर्थात् निर्माता के स्थान पर उपभोक्ता रूचि का बोल-बाला है। विपणन में उपभोक्ता अनुसंधान महत्वपूर्ण हो गया है जिसमें उपभोक्ता की आवश्यकता व रूचि का पता लगाकर उत्पादन परिवर्तित करता रहता है। जैसे प्रारम्भ में साधारण मोबाईल का चलन हुआ लेकिन आज वही उन्नत तकनीक के मोबाईल बाज़ार में उपलब्ध है। यह सभी उपभोक्ताओं पर किये गए निरंतर शोध के कारण हुआ है और उपभोक्ता सन्तुष्टि को ही सर्वोपरि मानते हुए ''उपभोक्ता सदा ही सही है'' सिद्धांत का पालन किया जाना आज की आवश्यकता है।

विपणन प्रबन्ध में ग्राहक सन्तुष्टि हेतु निम्न तत्वों का ध्यान दिया जा रहा है -

1. हम विक्रय करने की अपेक्षा ग्राहक को खुश रखने में अधिक रूचि रखते है।
2. प्रत्येक व्यापारिक वस्तु या सेवा को ग्राहकों को सन्तुष्ट करने के लिए विनम्रता के साथ वापस ले लिया जाएगा, उसको बदल दिया जायेगा।
3. हम प्रत्येक ग्राहक को पूर्ण सन्तोषप्रद सेवा देने के लिए सचेष्ट है।

विपणन क्रिया के लिए उद्देश्यों को निश्चित करना व उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदमों का निर्धारण एवं सूचियन ही विपणन नियोजन है।

''विपणन नियोजन प्रक्रिया ग्राहक से प्रारंभ होकर ग्राहक पर ही समाप्त होता है'', वास्तव में इसमें चार झ क्रियाओ का समावेश होता है -

1. Product Policy वस्तु नीति
2. Price Policy मूल्य नीति
3. Physical Distribution भौतिक वितरण नीति
4. Promotional Policy संवर्धन नीति

विपणन प्रबन्ध केवल उत्पादित वस्तु को अच्छा लाभ प्राप्त कर उपभोक्ता तक हस्तांतरित करने तक सीमित नहीं रहा है, इसके अंतर्गत विपणन अनुसंधान, उत्पादन नियोजन, बाण्डिंग, कीमत नियंत्रण, वितरण वाहिकाएँ, विक्रमण, पैकेजिंग, वाणिज्यिंग, भण्डारण, विक्रमोपरांत सेवाऐं व विक्रय संवर्द्धन आदि तक विस्त्रत हो गया है।

निर्माता अपने द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं जिनके अनेक उत्पादक है से अलग पहचान बनाने के लिए उन्हें अपने अनुसार पैककर किसी छाप, लेबिल या चिह्न के माध्यम से पृथक दिखाना चाहता है, जिससे उसके उत्पादन का अधिक से अधिक विक्रय हो सके। उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वस्तुओं का आकर्षक पेकेजिंग भी कर रहा है।

अपने ब्राण्ड व पेकेजिंग के माध्यम से वह उपभोक्ता के मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ता है जिससे उपभोक्ता ब्राण्ड व पेकेजिंग से ही वस्तु को पहचानता है। विपणन प्रबन्ध में मूल्य नीति पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से भी उपभोक्ता को अधिक आकर्षित किया जा रहा है। ऐसी मूल्य नीति अपनाई जा रही है कि मूल्यों में वृद्धि के बाद भी उपभोक्ताओं पर उसका प्रभाव नहीं दिखता है, बड़े हुए मूल्य को आकर्षक पेकिंग के माध्यम से वस्तु की मात्रा या गुण में कमी करते हुए मौद्रिक मांग को कम नहीं होने देते।

संदर्भ ग्रंथ –

1. विपणन प्रबंध के सिद्धांत - कुलश्रेष्ठ
2. विपणन प्रबंध के सिद्धांत - आर. सी. गुप्ता
3. Marketing Management – Kotler & Kotler

****

* सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

भारत में जनांकीकिय प्रवृत्तियाँ एवं उनका प्रभावः (साक्षरता एवं जन्मदर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. कविता भदौरिया *

किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहां की जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जनसंख्या राष्ट्र की सम्पत्ति होने के साथ-साथ राष्ट्र का दायित्व भी होती है। किसी भी देश का आर्थिक विकास तथा सुख-समृद्धि एक बड़ी सीमा तक उस देश की जनसंख्या एवं उपलब्ध प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करती है। आज विश्व जनसंख्या का आकलन करने पर हम यह पाते है कि आज संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में निरंतर तेजी से वृद्धि हुई है। जो सम्पूर्ण विश्व के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

विश्व के साथ-साथ भारत की जनसंख्या में भी विभिन्न जनगणनाओं के आंकडे उठाकर देखने पर ज्ञात होता है कि भारत की जनसंख्या में भी 1872 प्रथम जनगणना के बाद से वर्ष 2001 तक निरंतर वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के परिणामों से यह खुशी अवश्य हुई है कि जहां जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2001 में 2.15 थी, वह घटकर वर्ष 2011 में 1.76 प्रतिशत रह गई है तथा साक्षरता में वृद्धि के साथ-साथ ही साक्षरता की दर में भी वृद्धि हुई है। 2001 में साक्षरता दर 64.83 प्रतिशत थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई है तथा साक्षरता में स्त्री-पुरूष असमानता में 4.91 प्रतिशत की कमी आई है। मैंने अपने शोध-पत्र में भारत में जनांकीय प्रवृत्ति एवं उनके प्रभावों को जानने का प्रयास निम्न उद्देश्यों से किया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबंध का उद्देश्य है:-

1. भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर को ज्ञात करना ?
2. शिक्षा व जनसंख्या वृद्धि की दर में संबंध को ज्ञात करना ?
3. परिवार कल्याण कार्यक्रमों का जनसंख्या वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करना ?
4. जनसंख्या वृद्धि का खाद्यान्न उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करना।
5. जनसंख्या वृद्धि के अन्य प्रभावों को ज्ञात करना।

उक्त उद्देश्यों को ज्ञात करने के लिये द्वितीयक समंको का उपयोग किया गया है तथा प्रस्तुत शोध पत्र में जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक व आर्थिक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। विशेष रूप से साक्षरता-दर व जन्म-दर को एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल कर साक्षरता का जन्मदर पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया गया है। साथ ही बढ़ती जनसंख्या का खाद्यान्न उपलब्धता व उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों को आंकने का प्रयास इस शोध-पत्र में किया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बढ़ती जनसंख्या के दो पहलू है। बढ़ती जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिये चुनौती व परिसम्पति दोनों रूपों में होती है। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होता है। उनका उचित विदोहन उस देश की श्रम शक्ति पर निर्भर करता है। स्वस्थ जनसंख्या देश को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करती है। नई विकास योजनाओं को जन्म देकर दुनिया के अन्य राष्ट्र के सामने एक मिसाल कायम कर सकती है। किंतु दूसरा पहलू यह है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक पर्यावरण पर बुरा असर भी डालती है। आज भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणनानुसार 1,21,01,93,422 करोड़ आंकलित की गई है तथा यह माना जा रहा है कि 2001-2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में ब्राजील की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2030 में भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा।

इस प्रकार भारत की जनसंख्या में होने वाली निरंतर वृद्धि चिंताजनक है किंतु एक सुखद पहलू यह भी है कि भारतीय जनसंख्या में 65 प्रतिशत जनसंख्या युवाओं की है। (अर्थात् 35 से 50 वर्ष की उम्र के लोगो की) जो देश के विकास में अपना सकारात्मक योगदान प्रदान कर सकते है।

भारत की लगभग आधी आबादी ऊर्जावान है और उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। गुणात्मक एवं प्रतिभा सम्पन्न युवाओं का यह वर्ग भारत को विश्व का सबसे बड़ा मानव संसाधन निर्यातक एवं रोजगार आयातक दोनों ही बना रहा है।

तालिका क्रं. 01

विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश (प्रतिशत) में

क्रमांक	देश	विश्व जनसंख्या प्रतिशत में
1	चीन	19.4
2	भारत	17.5
3	अमेरिका	4.5
4	इंडोनेशिया	3.4
5	ब्राजील	2.8

स्त्रोत :- 2011 वर्ल्ड पापुलेशन प्रास्पेक्टस, 2008 (अनंतिम आंकडा)

तालिका क्रं. 02

विश्व जनसंख्या : मील का पत्थर

वर्ष	जनसंख्या (बिलियन में)
1804	1
1927	2
1960	3
1974	4
1987	5
1999	6
2011	7

उपरोक्त तालिका अनुसार विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का 7 अरब को छूना जनसंख्या वृद्धि एवं जन्मदर की वृद्धि को दर्शाता है। जन्मदर में वृद्धि संभावित मानवीय क्षमता में वृद्धि का द्योतक है।

भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर एवं दशक में परिवर्तन की स्थिति :-

भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यह वृद्धि चिंताजनक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,93,422 करोड़ थी, जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान व बांग्लादेश की कुल सम्मिलित जनसंख्या के बराबर है। किंतु

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

इस जनगणना का सुनहरा पक्ष यह है कि पिछले दशक (1999-2001) की तुलना में जनसंख्या की वृद्धिदर में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 1991-2001 में जहां भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 21.15 प्रतिशत थी वह वर्ष 2011 के दौरान घटकर मात्र 17.64 प्रतिशत रह गई है। भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को विभिन्न जनगणानुसार निम्न तालिका द्वारा व्यक्त किया गया है।

तालिका क्रं. 03 भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर एवं दशक में परिवर्तन की स्थिति

जनगणना वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	दशकीय वृद्धि दर %	दशक में परिवर्तन (करोड़ में)
1891	23.60	-	-
1901	23.84	-	0.24
1911	25.21	5.75	1.27
1921	25.13	.0.31	0.08
1931	27.89	11.00	2.77
1941	31.87	14.22	3.97
1951	36.11	13.31	4.24
1961	43.92	21.64	7.81
1971	54.82	24.80	10.90
1981	68.33	24.70	13.51
1991	84.63	23.87	16.30
2001	102.87	21.54	18.24
2011	121.00	17.64	18.13

मानचित्र क्रं. 01 भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर एवं दशक में परिवर्तन की स्थिति

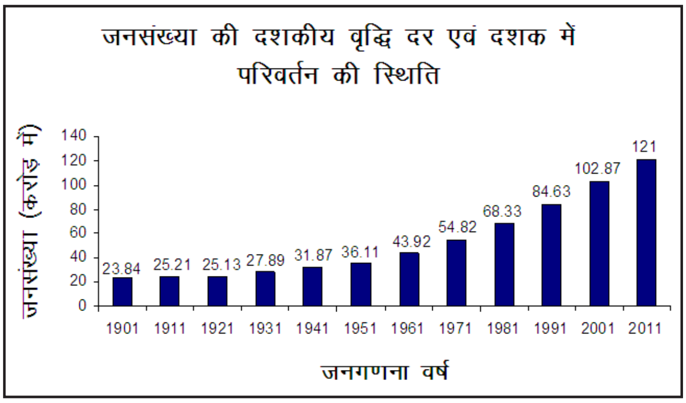

सारणी व दण्ड चित्र के अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनांकीकिय इतिहास को तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है :-

(1) स्थायी जनसंख्याकाल

(2) धीमी गति से अनवरत् बढ़ने वाली जनसंख्या का काल

(3) विस्फोटक गति से बढ़ने वाली जनसंख्या का काल।

1 वर्ष 1891 से 1921 की प्रथम अवस्था में भारत की जनसंख्या लगभग स्थिर थी।

2 वर्ष 1921 से भारतीय जनसंख्या में वृद्धि एक महत्वपूर्ण विभाजक है, क्योंकि 1921 के बाद के काल से भारत की जनसंख्या में अनवरत् वृद्धि जारी है।

3 वर्ष 1921 से 1951 के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर अनवरत् धीमी या मध्यम रही है।

4 वर्ष 1951 के बाद (वर्ष 1961 व 1971) के दशक में भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर रही। यह वृद्धि दर 24.8 प्रतिशत रही है।

वर्ष 2001-2011 के दशक में भारत की जनसंख्या भले ही 18.70 करोड़ की दर से बढ़कर 121 करोड़ तक पहुंच गई हो, लेकिन नौ दशकों में पहली बार देश की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है।

भारत में साक्षरता -

साक्षरता-दर (1951-2011) वर्ष 2001 की जनगणनानुसार साक्षरता से तात्पर्य उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है तथा जो किसी भी भाषा को समझ कर पढ़ लिख सकता है। वर्ष 2001-2011 में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वही 2001 में जहां भारत में 64.84 प्रतिशत लोग साक्षर थे। 2011 की जनगणना में यह अनुपात 74.04 प्रतिशत पाया गया है।

तालिका क्र. 04

भारत में पुरूष महिला साक्षरता दर 1951-2011

जनगणना	कुल साक्षरता वर्ष	पुरूष साक्षरता दर	महिला दर% साक्षरता दर
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.30	40.40	15.35
1971	34.45	42.96	21.97
1981	43.57	56.38	29.76
1991	52.21	64.13	39.29
2001	64.84	75.26	53.67
2011	74.04	82.14	65.46

मानचित्र क्र. 02

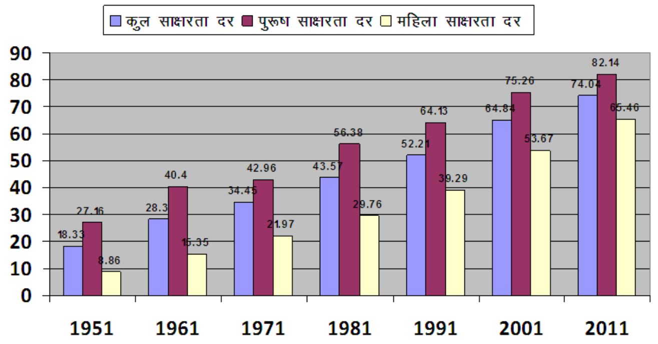

विभिन्न जनगणनाओं के आंकडों को देखने से स्पष्ट होता है कि भारत में महिला साक्षरता की दर में भी निरंतर वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता की दर में उल्लेनीय वृद्धि हुई है। 2011 में पुरूष साक्षरता का प्रतिशत 82.14 तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत 65.46 हो गया है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना में कुल 18 प्रतिशत की साक्षरता की तुलना में 2011 में भारत की साक्षरता का प्रतिशत 74 तक जा पहुँचा है। पुरूषों की उपलब्धि 27 से 82 प्रतिशत तक रही।

भारत में महिला साक्षरता :- महिला साक्षरता का प्रतिशत 1951 में मात्र 8.86 प्रतिशत था जो वर्ष 2011 की जनगणना में बढ़कर 65.46 प्रतिशत पहुँच गया है। आज प्रत्येक 3 में से 2 महिलायें साक्षर है। स्त्री-पुरूष साक्षरता अनुपात की यह खाई 1971 से कम होना शुरू हो गई थी। 2001 की तुलना में 2011 में पुरूष साक्षरता दर में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि महिला साक्षरता दर में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिसे निम्न मानचित्र द्वारा दर्शाया गया है।

मानचित्र क्रं. 03

भारत में महिला साक्षरता दर (प्रतिशत में)

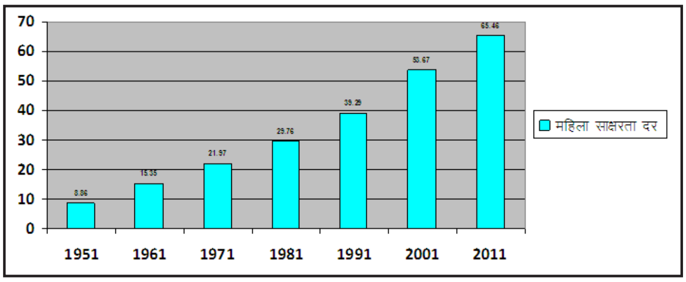

साक्षरता दर एवं जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर –

साक्षरता व जनसंख्या वृद्धि का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा से सोचने–समझने का दायरा बढ़ता है। शिक्षित स्त्रियां अपने परिवार के आकार को सीमित रखना चाहती है वह बच्चों के लालन–पालन में बार–बार नहीं फंसना चाहती। उनकी इस अनिच्छा का जन्मदर पर प्रभाव पड़ता है तथा परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने में मदद मिलती है। अत: भारत के उन राज्य में जिनमें साक्षरता का प्रतिशत अधिक है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में कमी देखी गई है। विशेष रूप से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्यों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कम देखी गई है। केरल राज्य इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। वहां स्त्री साक्षरता का प्रतिशत अधिक होने से जन्म दर में भी कमी देखी गई है।

तालिका क्रमांक 05

सबसे अधिक महिला साक्षरता वाले राज्य

क्रमांक	राज्य	साक्षरता दर %	दशकीय वृद्धि दर वर्ष 2011
1	केरल	91.98	4.26
2	गोवा	83.15	8.17
3	त्रिपुरा	81.84	14.75

तालिका क्रमांक 06

सबसे कम महिला साक्षरता वाले राज्य

क्रमांक	राज्य	साक्षरता दर %	दशकीय वृद्धि दर वर्ष 2011
1	राजस्थान	52.66	21.44
2	बिहार	53.33	25.07
3	झारखंड	56.21	22.34
4	जम्मू कश्मीर	58.01	23.71

भारत में स्त्री साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक 91.98 प्रतिशत है, गोवा में 63.15 प्रतिशत व त्रिपुरा 83.15 प्रतिशत है। तथा इन राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 4.26, 8.17 व 14.75 है। इसके विपरीत सबसे कम महिला साक्षरता वाले राज्यों में राजस्थान में साक्षरता का 52.66 प्रतिशत, बिहार में 55.33 प्रतिशत, झारखंड 56.21 प्रतिशत व जम्मू कश्मीर 58.01 प्रतिशत है। इन राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिक देखी गई है।

अत: स्पष्ट है कि साक्षरता की कमी के कारण निरक्षर लोग परिवार कल्याण जैसे सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत नहीं होते। खासकर स्त्रियों की शिक्षा/साक्षरता उन्हें छोटे परिवार के प्रति जागरूक बनाती है। वे विवाह भी जल्दी में नहीं पड़ना चाहती है तथा परिवार को नियोजित रखने हेतु सचेत रहती है।यही कारण है कि केरल जैसे शिक्षित राज्य में महिलायें केवल मात्र 2 बच्चों को ही जन्म देना चाहती है, जबकि पिछड़े राज्यों में, जैसे बिहार जैसे कम साक्षरता वाले राज्य में महिलायें 4 या अधिक बच्चों को जन्म देती है। अत: साक्षरता का जन्म–दर से सीधा संबंध है। तमाम जनजातियों व अनुसूचित जातियों में साक्षरता का प्रतिशत कम होने से उनके परिवार का आकार बड़ा देखने को मिलता है।

तालिका क्रमांक 07

भारत में विभिन्न राज्यों में प्रजनन दर (प्रतिशत में)

क्रमांक	भारत/राज्य/संघ शासित प्रदेश	2010	2013	परिवर्तन
1	राजस्थान	3.09	2.83	.0.25
2	झारखंड	3.00	2.76	.0.24
3	उत्तर प्रदेश	3.52	3.21	.0.31
4	बिहार	3.76	3.43	.0.33
5	केरल	1.79	1.65	.0.14
6	गोवा	1.13	1.13	0.0
7	त्रिपुरा	1.25	1.21	.0.21

स्रोत-Indian States ranking by fertility rate- wikipedia the free encyclopedia

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि भारत में जिन राज्यों में शिक्षा का प्रतिशत अधिक है वहां पर जनसंख्या की प्रति वर्ष की प्रजनन दर में कमी देखी गई है जैसे केरल, गोवा, त्रिपुरा राज्यों में प्रजनन दर में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2013 में और भी कमी आई है। साथ ही राजस्थान, झारखंड व उत्तर प्रदेश राज्यों की जनसंख्या की प्रजनन दर में भी कमी आई है। इसका कारण यह है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रजनन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के एक व्यापक ढांचे के तहत् परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रतिस्थापन, विवाह एवं मातृत्व की उम्र बढ़ाकर बच्चों के जन्म में अंतर का असर 2011 की जनगणना में परिलक्षित हुआ। वर्ष 1911–1921 के अपवाद को छोड़कर भारत में जनगणना के इतिहास में 2001–2011 का दशक वह पहला दशक है जब 10 साल की अवधि में जनसंख्या में निर्वाध वृद्धि पिछले दशक से कम रही है।

बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में पर्याप्त कमी आई है। इसके पूर्व इन राज्यों में प्रजनन दर ऊँची रही है। इन राज्यों में 20 से 24 वर्ष के समूह की महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई। इन महिलाओं का प्रतिशत 47.4 है। बिहार में यह प्रतिशत 69 है व झारखंड में 63.3 प्रतिशत है। इस प्रकार परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं प्रजनन क्षमता का सीधा संबंध है।

जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव:-

भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय प्रभावों को जानना भी बहुत जरूरी है। भारत में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने भारत की जनता के लिये संसाधनों की पूर्ति व प्रबंध की भी बहुत बड़ी चुनौती पैदा की है।

जनसंख्या वृद्धि ने अनेकानेक आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। देश से गरीबी हटाने की तमाम योजनायें जनसंख्या वृद्धि के सामने बौनी साबित हुई है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश की 42 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी की गंभीर समस्या उत्पन्न की है जिसका परिणाम 7.8 प्रतिशत बेरोजगारी दर के रूप में सामने है साथ ही बढ़ती जनसंख्या के कारण उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र दोहन हुआ है, भूमि की उर्वराशक्ति, खनिज सम्पदा, भूमिगतजल ऐसे संसाधन है जिसकी भरपाई मुश्किल है। कृषि जोत का सिमटता आकार हमारे उत्पादन को प्रभावित कर

रहा है जिससे खाद्यान्न संकट की स्थिति पैदा हुई है सन् 1980-81 में जहां प्रतिव्यक्ति कृषि जोत 0.27 हेक्टेयर थी वही सन् 2004-2005 तक घटकर 0.17 हेक्टेयर हो गई। तथा प्रतिव्यक्ति अनाज की उपलब्धता में कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग व खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 1950 में विश्व की आबादी 2 अरब 54 करोड़ थी तब खाद्यान्न उपलब्धता 63 करोड़ 10 लाख टन थी। अर्थात् प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 348 कि.ग्रा. प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष थी। लेकिन 1990 के बाद विश्व की कुल खाद्यान्न उपलब्धता 334 कि.ग्रा. प्रतिव्यक्ति रह गई। जिसका परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में लोग कुपोषण का शिकार हुये है। भारत में भूख व कुपोषण से प्रभावित लोगों की संख्या विश्व में सर्वाधिक 23 करोड़ 30 लाख है।

एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 में विश्व का कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है लेकिन विश्व की आबादी 6 अरब 60 करोड़ हो जाने के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता महज 314 कि.ग्रा. रह गई है। जनघनत्व की दृष्टि से देखा जाय तो वर्ष 2005 में जनसंख्या घनत्व 34 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. था जो 2025 में 440 हो जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वे के अनुसार देश की दो तिहाई शहरी आबादी को 2030 तक शुद्ध पेयजल प्राप्त न हो सकेगा। वर्तमान में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1525 घनमीटर है, वही 2030 में यह उपलब्धता मात्र 1060 घनमीटर रह जाएगी।

जंगलों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये काटा जा रहा है जिससे करीब एक प्रतिशत क्षेत्रफल हर साल रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। जनसंख्या का लगातार बढ़ता भार ही है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार जनसंख्या का बढ़ता दबाब आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से देश को गहरी क्षति पहुँचा रहा है।

सुझाव:-

1. भारत वह पहला देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई थी। अत: जनसंख्या नियंत्रण हेतु कठोर व प्रभावी कदम सरकार द्वारा उठाये जाने चाहिये तथा चीन (1979) की तरह भारत में भी एक संतान की नीति को अपनाया जाना चाहिए।
2. शिक्षा जो सभी विकास की कुंजी है, वह महज मात्रात्मक एवं संख्या का सूचक मात्र न रह जाय बल्कि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का विकास होना चाहिए तथा महिला साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु ओर प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये।
3. महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाया जाना चाहिए।
4. परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अपनाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों व नीतियाँ का निर्माण करना होगा जो लोगों को सीमित परिवार रखने के लिये प्रोत्साहित कर सके।
5. विद्यार्थी जीवन में जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी यह समझ सके कि परिवार का आकार छोटा होना चाहिए। परिवार का आकार छोटा होगा, जनसंख्या कम होगी तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को बनाये रखने में सहायता मिलेगी।
6. समय-समय पर जनसंख्या शिक्षा व जागरूकता हेतु संगोष्ठीयों व सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए तथा बढ़ती जनसंख्या के परिवार, समाज व राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या की जानी चाहिए।
7. परिवार कल्याण कार्यक्रमों का समय-समय पर प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए तथा इनके उपयोग हेतु जन-मानस को तैयार किया जाना चाहिए।
8. जनसंख्या के दुश्चक्र को तोड़ने में महिलाओं की अहम् भूमिका को स्वीकार जाना चाहिए। विश्व जनसंख्या स्थिति 2001 की रिपार्ट के निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष है जिसमें सिफारिश की गई है कि विकासशील देशों में महिलाओं को जितनी मदद मिल रही है उससे कहीं ज्यादा मदद की जाए, ताकि जिन प्राकृतिक संसाधनों पर वे निर्भर है उनका वे संरक्षण कर सके और अपने स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार ला सके, जो उनको छोटे और अधिक स्वस्थ परिवारों के लिये प्रेरित करें।

रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भारत के केरल और श्रीलंका के कुछ भागों में ऐसे समुदायों ने जिन्हें बेहतर प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुलभ है, संसाधनों का संरक्षण करने और सक्षम ग्रामीण समाज का निर्माण करने के लिये इन साधनों का अच्छा इस्तेमाल किया है। इन समुदायों की विशेषता है - स्त्री-पुरूष असमानता में कमी, बिलंवित विवाह, निम्न प्रजनन दर और कम आय के बावजूद जनसंख्या वृद्धि की कम रफ्तार देखी गई है।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
10. 'जितने मुँह, उतने हाथ' वाले जन-मानस को बदलना होगा। तथा लोगो में नई सोच का विकास करना होगा।
11. 2010 तक में भी देश में लगभग 20 हजार स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में देखी गई साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे 2433 केन्द्रों पर चिकित्सकों का अभाव पाया गया। इन केन्द्रो पर 25 प्रतिशत नर्स एवं सहायकों की जरूरत है। अत: इन कमियों को दूर करके ही जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1- देवेन्द्र उपाध्याय, : जनसंख्या विस्फोट सं.- कल्याणी शिक्षा परिषद् 3320-21 जटवाडा, दरियागंज नई दिल्ली 110002

2- डी.एस.बघेल, किरण बघेल : जनांकिकीय -विवेक प्रकाशन 7UA, जवाहर नगर, दिल्ली, 110007

3- सम-सामयिकी वार्षिकी-2012 - अरिहंत मीडिया प्रोमोटर्स, कालिंदी, टी.पी. नगर मेरठ (यूपी) 250002

4- योजना - 2011 -भारत की जनगणना, 538, योजना भवन,संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001

5- रोजगार और निर्माण भोपाल दिनांक 08.07.2013 से 14.07.2013

6- Indian States ranking by fertility rate- wikipedia the free encyclopedia

****

छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिकों हेतु संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना

प्रो. बलराम सिंगोतिया *

प्रस्तावना:– विश्व में कोयला आज भी ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है। कोयला उद्योग की जननी (mother oe industries) एवं शक्ति का प्रतीक (symbol oe power) माना जाता है। कोयला ईंधन एवं शक्ति का प्रमुख स्त्रोत है। मानव सभ्यता और आर्थिक विकास के प्रथम चरण में कोयला ईंधन के रूप में सम्राट माना जाता रहा है। औद्योगिक क्रान्ति में शक्ति देने का कार्य भी कोयला द्वारा किया गया है। कोयला का उपयोग शक्ति उत्पन्न करने, ईंधन के रूप में, रासायनिक पदार्थ (तेल, बेंजाल, नेफ्या) बिजली के सामान और कोलतार आदि बनाने में किया जाता है। कोयले के महत्व को देखते हुए इसे 'काला सोना' या 'काला हीरा' कहा जाता है। भारत में सबसे पहले कोयला निकालने का प्रयास 1774 में दो अंग्रेज 'समर और हीटले' द्वारा किया गया, किंतु यह कोयला हल्की श्रेणी का होने से आर्थिक दृष्टि से यह प्रयास सफल नहीं रहा। भारत में कोयला उत्पादन का विधिवत् प्रादुर्भाव 1814 में हुआ, जबकि रानीगंज पश्चिम बंगाल में 'रूपर्ट जोन्स' की रिपोर्ट के आधार पर कोयले की खुदाई आरंभ की गयी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथः– साथ देश में पंचवर्षीय विकास योजनाएँ प्रारंभ की गई। पहली योजना के प्रारंभ में वार्षिक उत्पादन 33 मिलियन टन तक बढ़ गया। पहली योजनावधि के दौरान ही कोयला उद्योग के क्रमिक और वैज्ञानिक विकास से कोयला उत्पादन को कुशलतापूर्वक बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अपने एक केन्द्र के रूप में रेलवे के स्वामित्व वाली कोलियरियों सहित वर्ष 1956 में भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना भारतीय कोयला उद्योग के सुनियोजित विकास की ओर पहला बड़ा कदम रहा। सिंगरैली कोलियरीज कंपनी लि. जो वर्ष 1945 से कार्यरत थी। जो 1956 में आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन एक सरकारी कंपनी बनी, इस प्रकार 50 के दशक में भारत में दो सरकारी कोयला कंपनियॉ थीं। सिंगरैली कोलियरीज कंपनी लिमिटेड अब आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है। जिसमें उनकी इक्विटी भगीदारी 51:49 के अनुपात में है। भारत में कोयला उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा है। वर्ष 2005-06 में 4015 लाख टन हो गया है।

भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण के अनुसार, '' भारत में 1, जनवरी 2006 तक (1200 मी. की गहराई तक) सुरक्षित कोयल के भण्डार 253300 मिलियन टन कोयला भण्डार है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से म.प्र. का देश में पॉचवा स्थान है। ''19 वीं शताब्दी के अंत तक कोयले का खनन, सिंगरोली, वर्धा घाटी और मध्य भारत में भी आरंभ किया जा चुका था। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है, प्रथम 'गौंडवाना क्षेत्र एवं द्वितीय टरशीयरी क्षेत्र'। 'गोडवाना क्षेत्र' में झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, और आंध्रप्रदेश शामिल है। टरशीयरी क्षेत्र में असम, तमिलनाडु, कच्छ, राजस्थन, मेद्यालय आदि राज्य शामिल है। गोंडवाना क्षेत्र से देश के कुल कोयला उत्पादन का 95 प्रतिशत से अधिक भाग प्राप्त होता है। इस क्षेत्र से एन्थ्रेसाइट व बिटुमिनस श्रेणी को कोयला प्राप्त होता है। जबकि टरशीयरी क्षेत्र से लिग्नाइट किस्म का भूरा कोयला प्राप्त होता है। यह क्षेत्र देश के कुल कोयला उत्पादन में 5 प्रतिशत से भी कम की आपूर्ति करता है। भारत में मुख्यत: तीन प्रकार को कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट, बिटुमिनस और ऐंथ्रेसाइट। वर्तमान में देश के कोयला उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रू. की पूँजी विनियोजित है तथा 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। स्वतंत्रता के पूर्व कोयला उत्पादन का कार्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया जाता था। जबकि कोयला खदान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। खान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ विशेश अधिनियम जैसे-श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, आदि बनायें गये। लेकिन इन अधिनियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ केवल ब्रिटिश कर्मचारियो को ही अधिक मिल पाता था। अधिकांश भारतीय श्रमिक व कर्मचारी इस लाभ से वंचित रह जाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने खान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में विशेष रूचि ली । भारतीय संविधान में विभिन्न अधिनियमों के तहत् खान श्रमिकों व कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने खान श्रमिकों को बुनियादी स्तर पर पानी, बिलजी, मकान, ईंधन, शिक्षा चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की है। खान श्रमिकों के कल्याण के लिये रोजगार के दौरान तथा रोजगार के बाद भी सरकार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनायें क्रियान्वित कर रही है। जिससे श्रमिकों को आर्थिक , सामाजिक सुरक्षायें मिल सकें, साथ ही श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित हो सकें। भारत सरकार कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1947, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, कर्मचारी पेंशन योजना 1995, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेच्यूइटी भुगतान अधिनियम 1972 इत्यादि योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करा रही है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में यह जानने का प्रयास किया गया है कि छिन्दवाड़ा जिले के कोयला खदानों में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा की कौन-कौन सी योजनाओं से कितने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिल पा रही है।

अध्ययन के उद्देश्य:– शोध प्रबंध का लक्ष्य औद्योगीकरण के फलस्वरूप सामाजिक परिवेश में सरकार द्वारा कोयला खदान श्रमिकों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन करना है। अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है:-

1. कोयला खदान श्रमिकों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अध्ययन करना।
2. विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ उठाने वाले श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिकों को मिलने 6.

* सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र शास. महावि. सौंसर, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) भारत

वाली सामाजिक सुरक्षा योजना का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र:- प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिले का चयन किया गया है। छिन्दवाड़ा जिला दक्षिण सतपुड़ा के मैकल पहाड़ी में बसा हुआ है। दक्षिण सतपुड़ा प्रदेश में कान्हन क्षेत्र एवं पेंच घाटी क्षेत्र आती है। जो कि छिन्दवाड़ा से बैतुल तक फैली है। अनुसंधान के लिये कान्हन एवं पेंच घाटी के कोयला क्षेत्र का चयन किया गया है। जिसमें परासिया और जुन्नारदेव तहसील की कोयला खदानें आती है। छिन्दवाड़ा जिले में इन दोनों तहसीलों में ही कोयला उत्पादन किया जाता है। जिसमें बडकुही, चॉदामेटा, परासिया, गजनगेह, रेतिया, सिरगोरा, नेहरिया, झुर्रे-माथनी, विष्णुपुरी, रावनवाड़ा एवं छिंदा की खदानें आती है। छिन्दवाड़ा जिले में दोनों तहसीलों की कोयला खानों को मिलाकर लगभग 80 कोयला खदानों है। जिसमें से 33 ओपनकास्ट, 42 अण्डरग्राउण्ड, और 5 मिश्रित कोयला खदानें है। इन समस्त कोयला खदानों में कोयला उत्खनन का कार्य वेस्टर्न कोलफील्ड नागपुर (महाराष्ट्र) के द्वारा किया जाता है। जो कि कोल इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार की 8 सहायक कोयला उत्पादन लिमिटेड कंपनियों में से एक है। छिन्दवाड़ा जिले की समस्त कोयला खदानों में वर्तमान में कुल 66,052 कोयला खदान श्रमिक कार्यरत है। जबकि वर्ष 2001-02 में समस्त कोयला खदानों में 69,005 खदान श्रमिक कार्यरत थे। इस क्षेत्र में सन 1924 से कोयला का उत्पादन किया जा रहा है। आज भी यह क्षेत्र मध्यप्रदेश में कोयला उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है।

अध्ययन हेतु शोधविधिः- प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु कोयला खदानों और श्रमिकों का चयन हेतु 'दैव निदर्शन' रीति का चयन किया गया है। अध्ययन हेतु परासिया और जुन्नारदेव तहसील की 5-5 कोयला खदानों का चयन किया गया है। परासिया तहसील की 5 खदानें माथनी, ठिसगोरा, पेंच ईस्ट (दीघावानी), रावनवाड़ा खान नं. 1 और रावनवाड़ा खास नं. 2 तथा जुन्नारदेव तहसील की 5 खदानें तानसी, घोड़ावाडी, दमुआ, पातरखेड़ा और इकलहरा का चयन किया गया है। प्रत्येक कोयला खदान से 20-20 श्रमिकों का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 200 श्रमिकों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है।

समंकों का संकलनः- प्रस्तुत शोध प्रबंध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार के समंकों का यथा-उचित स्थान पर प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंकों का संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता, अध्ययन क्षेत्र में जाकर स्वयं सूचना देने वाले कोयला खदान श्रमिकों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करके प्राप्त किये गये है। द्वितीयक समंकों का संकलन पत्र-पत्रिकायें, शोध पत्रों, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छिन्दवाड़ा (कार्यालय) तथा जी.एम. ऑफिस परासिया से प्राप्त किये गये है। कुछ द्वितीयक समंकों का संकलन वेस्टर्न कोलफील्ड नागपुर की बेवसाईट www.westerncoal.com और कोयला मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाइट www.coal.nic.in से प्राप्त किये गये है।

सामाजिक सुरक्षा शब्द का अर्थः- सामाजिक सुरक्षा शब्द का अर्थ अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ''सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत व्यापार चक्र का नियंत्रण पूर्ण रोजगार की व्यवस्था आदि उद्देश्य सम्मिलित करना अनुचित है। इन चीजों से सामाजिक सुरक्षा का जो संबंध है उस पर विचार तथा विवाद होना चाहिये, परंतु सामाजिक सुरक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति और परिवार के ऊपर पड़े हुए आर्थिक संकट में उनकी रक्षा करना है।'' सामाजिक सुरक्षा में तीन तत्व सम्मिलित है जो निम्न है:-

1. क्षतिपूर्ति:- किसी आर्थिक क्षति का हर्जाना देना। जैसे- कोई मजदूर दुर्घटना में अपने हाथ, पैर खो बैठता है अथवा उसकी मत्यु हो जाती है जिसके कारण उसका या उसके परिवार का आर्थिक नुकसान होता है तो उसको जो सहायता मिलती है वह क्षतिपूर्ति है।

2. पुनर्वास:- किसी आपत्ति में मजदूर को उस आपत्ति से बचाकर फिर से सुरक्षित कर देना पुनर्वास है। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराके स्वस्थ्य करा देना, किसी बेकार को काम दिलाना, इस प्रकार की व्यवस्था पुनर्वास है।

3. प्रतिरोध:- सुरक्षा का तीसरा तत्व है- आपत्ति से बचाव। मजदूरों के स्वास्थ्य की जॉच, टीका लगाना आदि, औद्योगिक सुरक्षा की व्यवस्था, दुर्घटना से बचने के उपाय सिखाना आदि, इस श्रेणी का कार्य है।

भारत में कोयला खदान श्रमिकों हेतु संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाऍ

1. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम
2. मातृत्व हित लाभ (1961)
3. कामगार क्षतिपूर्ति (संशोधन) अधिनियम 2000
4. कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1948
5. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948)
5. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952
6. पारिवारिक पेंशन अधिनियम 1971
7. वेतन भुगतान अधिनियम 1936
8. बोनस भुगतान अधिनियम (1965)

तालिका क्रमांक-01

जाति के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभांवित/वंचित श्रमिक

जाति	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	वंचित श्रमिकों की संख्या	योग
अनु. जाति	33 (16.5%)	14 (7.0%)	47 (23.5%)
अनु. जनजाति	26 (13.0%)	12 (6.0%)	38 (19.0%)
पिछड़ा वर्ग	38 (19.0%)	18 (9.0%)	56 (28.0%)
सामान्य वर्ग	43 (21.5%)	16 (8.0%)	59 (29.5%)
योग	140 (70.0%)	60 (30.%)	200 (100%)

स्त्रोत:-सर्वेक्षित ऑकडे

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में 23.5 प्रतिशत् श्रमिक अनुसूचित जाति के कार्यरत है। जिनमें से 16.5 प्रतिशत् श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से लाभान्वित तथा 7 प्रतिशत् श्रमिक योजना के लाभ से वंचित है। छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में 19 प्रतिशत् श्रमिक अनुसूचित जनजाति के कार्यरत है जिनमें से 13 प्रतिशत् श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से लाभान्वित तथा 6 प्रतिशत् श्रमिक योजना के लाभ से वंचित है। 28 प्रतिशत् श्रमिक पिछड़ा वर्ग जाति के कार्यरत है जिनमें से 19 प्रतिशत् श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से लाभान्वित तथा 9 प्रतिशत् खदान श्रमिक योजना के लाभ से वंचित है। 29.5 प्रतिशत् खदान श्रमिक सामान्य जाति के कार्यरत है जिनमें से 21.5 प्रतिशत् खदान श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से लाभान्वित तथा 8 प्रतिशत् श्रमिक योजना के लाभ से वंचित है। छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में सबसे अधिक 21.5 प्रतिशत् सामान्य जाति वर्ग के खदान श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हुए है। जबकि सबसे कम 13 प्रतिशत् श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित है।

सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि परासिया तहसील में 31.5 प्रतिशत् श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित तथा 18.5 प्रतिशत् श्रमिक योजना के लाभ से वंचित है। जुन्नारदेव तहसील में 35.0 प्रतिशत् लाभान्वित

तालिका क्रमांक-02

तहसीलवार सामाजिक सुरक्षा योजना से

तहसील	लाभान्वित	वंचित	योग
परासिया	63 (31.5%)	37 (18.5%)	100 (50.0%)
जुन्नारदेव	70 (35.0%)	30 (15.0%)	100 (50.0%)
योग	133 (66.5%)	67 (33.5%)	200 (100%)

स्त्रोत:-सर्वेक्षित ऑकड़े

तथा 15.0 प्रतिशत् श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभों से वंचित है।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का 36 प्रतिशत् लाभ स्वयं श्रमिकों को ही मिलता है। 41.5 प्रतिशत् लाभ समस्त परिवार को, 13 प्रतिशत् लाभ मित्र व रिष्तेदार और 9.5 प्रतिशत् लाभ उपरोक्त के अलावा अन्य जैसे- केवल पत्नि आदि को मिलता है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि केवल श्रमिकों को ही नहीं बल्कि उसके आश्रितों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा की अधिकांशत: योजनाओं में यह प्रावधान किया गया है कि योजना का लाभ श्रमिक और उसके आश्रितों जैसे- वैधानिक पत्नि, वैधानिक अविवाहित पुत्र व पुत्री को भी मिले। लेकिन श्रमिकों में शिक्षा का निम्न स्तर, जागरूकता का अभाव और सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण, इन योजनाओं का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाया है। अनेकों बार अयोग्य व्यक्ति इन योजनाओं से लाभन्वित हो जाते है।

तालिका क्रमांक-02

सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं से

लाभ	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत में
स्वयं	72	36
समस्त परिवार	83	41.5
मित्र व रिश्तेदार	26	13
अन्य	19	9.5
योग	200	100

स्त्रोत:-सर्वेक्षित ऑकडे

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहे है जिनमें वेतन और बोनस भुगतान अधिनियम से 16.5 प्रतिशत् श्रमिक, मातृत्व लाभ अधिनियम से 4.5 प्रतिशत् श्रमिक, कर्मचारी वेतन अधिनियम से 9.5 प्रतिशत् श्रमिक, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम से 14.5 प्रतिशत् श्रमिक, ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम से 11.0 प्रतिशत् खदान श्रमिक लाभान्वित हुए है। सर्वाधिक 16.5 प्रतिशत् खदान श्रमिकों को वेतन और बोनस भुगतान अधिनियम से लाभ प्राप्त हुआ है। जबकि सबसे कम 4.5 प्रतिशत् खदान श्रमिकों को मातृत्व लाभ अधिनियम से लाभ प्राप्त हुआ है।

तालिका क्रमांक-03

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित श्रमिक

योजना का नाम	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत् में
वेतन और बोनस भुगतान अधिनियम	33	16.5
मातृत्व लाभ अधिनियम	9	4.5
कर्मचारी पेंशन अधिनियम	18	9.5
श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम	29	14.5
ग्रेच्यूइटी भुगतान अधिनियम	22	11
अन्य	-	-

स्त्रोत:-सर्वेक्षित ऑकडे

समस्याएँ:- छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोयला खदान श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिये भारत सरकार ने कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। यह बोर्ड कोयला खदान श्रमिकों को रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद कई तरह की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षायें प्रदान करता है। लेकिन यह सुविधायें कोयला खदान श्रमिकों को पर्याप्त और उचित समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। जितनी सुविधायें कल्याण बोर्ड प्रदान करता है वह समस्त श्रमिकों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिक जिन समस्याओं का सामना कर रहें है। उन्हें भिन्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है।

1. शिक्षा की समस्या
2. शुद्ध पेयजल की समस्या
3. अपर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा
4. स्वस्थ्य मनोरंजन का अभाव
5. खदान में कार्य का खराब वातावरण
6. आवासीय समस्याएँ
8. यातायात की समस्याएँ
9. नियोजकों एवं श्रमिकों में सामंजस्य का अभाव
15. श्रमिकों में एणग्रस्तता की समस्या
16. प्रदूषण एवं पर्यावरण की समस्य

सुझाव:- छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में कार्यरत कोयला खदान श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते है:-

1. कोयला खदान श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये उचित और पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की जायें। सरकार को खदान श्रमिकों को शिक्षित करने के लिये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने चाहिये। आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिये खदान क्षैत्रों में पर्याप्त शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहियें।
2. खदान निगम द्वारा कोयला खदान श्रमिकों के लिये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. श्रमिकों व उनके आश्रितों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये परासिया और जुन्नारदेव तहसील में एक-एक बड़े अस्पताल की स्थापना की जाये। जिनमें गंभीर बीमारी का इलाजा हो सकें। इन अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति की जायें। साथ ही सभी दवाईयों को अस्पताल में ही उपलब्ध कराया जाये।
4. समस्त श्रमिकों के लिये आवास की उचित सुविधा मुहैया करवायी जाये। आवास की व्यवस्था न किये जाने पर खदान श्रमिकों को आवास भत्ता दिया जाये। आवासों में पानी, बिजली और प्रसाधन इत्यादि की उचित सुविधाएँ प्रदान की जाये।
5. श्रमिकों के स्वस्थ्य मनोरंजन के लिय कोयला खदान कॉलोनी में संगीत, नृत्य, कला केंद्र, वाचनालय, क्लब, पार्क आदि की स्थापना की जायें। इससे अच्छी प्रतिभाओं को उभरने का अवसर मिलेगा और श्रमिकों व उनके उत्तराधिकारियों का सामाजिक वसांस्कतिक नैतिक विकास होगा।
6. श्रमिकों एवं प्रबंधकों में उचित सामंजस्य स्थापित किया जाये। श्रमिकों

श्रमिकों एवं प्रबंधकों में उचित सामंजस्य स्थापित किया जाये। श्रमिकों एवं प्रबंधकों में जागरूकता, कार्य के प्रति निष्ठा की भावना जागत करने के लिये उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन दिया जायें।

7. खदान में कार्य के दौरान श्रमिकों को सुरक्षा के सभी साधन उपलब्ध करायें जाये।
8. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा छिन्दवाड़ा जिले के सभी खदान क्षैत्रों में खदान श्रमिकों के लिये निवास स्थान से कार्यस्थल तक जाने के लिये बसों की व्यवस्था की जायें।
9. सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी देने वाले विभिन्न स्त्रातों को अधिक सक्रिय बनाया जायें ताकि समस्त खदान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की पर्याप्त जानकारी प्राप्त हों सके।
10. खदान श्रमिकों को सेवानिवृत्त होने के बाद मिलने वाली पेंशन सहायता के लिये कागजी कार्यवाही को कम किया जाये। साथ ही कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये।
11. खदान श्रमिकों की एणग्रस्तता की समस्या का समाधान किया जायें। इस हेतु श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न की जायें ताकि वे अपने निर्धनता के चक्र से बाहर निकल पायें। इस हेतु पुलिस विभाग को चाहिए कि सभी शराब एवं जुंए के अड्डों को बंद करवायें एवं नियमों व कानूनों का उल्लंघन करने पर उचित दण्ड दिया जायें जिससे यह कुविचार फैलने न पाए।
12. प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जाये। धूल को कम करने के लिये पानी का छिड़काव किया जायें।
13. कोयला खदान मजदूर श्रम संघों की भूमिका को अधिक सक्रिय बनाया जायें। श्रम संघों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का चयन खदान श्रमिकों में से ही किया जायें।

निष्कर्षः– भारत सरकार कोयला खदानों के राष्ट्रीकरण के बाद से खदान श्रमिकों केा रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये काफी प्रयासरत रहीं है। जिससे कोयला खदान श्रमिकों का आर्थिक और सामाजिक कल्याण रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद भी सुनिश्चत बना रहें।

छिन्दवाड़ा जिले की कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों का आर्थिक और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार विभिन्न योजनाएँ संचालित कर रही है। जैसे-वेतन और बोनस भुगतान अधिनियम 1995 कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1947, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेच्यूइटी भुगतान अधिनियम 1972 इत्यादि योजनाओं के माध्यम से छिन्दवाड़ा जिले के खान श्रमिकों को भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। लेकिन छिन्दवाड़ा जिले के कोयला खान श्रमिकों में शिक्षा का निम्न स्तर, जागरूकता का अभाव, नियोजकों व श्रमिकों में उचित सामंजस्य का अभाव, कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का अभाव, सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी का अभाव, कर्मचारियों व अधिकारियों में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति इत्यादि कारणों से समस्त श्रमिकों कों सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा है।

संदर्भ सूचीः–

1- स्वयं का मौलिक शोध कार्य
2- जिला सांख्यिकीय पुस्तिका छिन्दवाडा 2001
3- www.westerncoal.com
4- www.coal.nic.in

****

ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास मे मनरेगा का योगदान (धार जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. आर. एस. मण्डलोई *

प्रस्तावना – भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। यहां कि 72 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है। अत: गावों के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी के सन्दर्भ मे महात्मा गाँधी ने कहा था कि भारत का विकास गावों के विकास पर निर्भर करता है। जब गावों का विकास होगा तब देश का समग्र विकास होगा। स्वामी विवेकानन्द का कथन है कि यदि भारत को जानना है तो सबसे पहले गावों को जानना होगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते है। अधिकांश ग्रामीण परिवार शून्य उत्पादकता के साथ कृषि कार्यों में संलग्न है और वे प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार होते है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पायी जाती है परिणामस्वरूप लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर निम्न स्तर का होता है। ग्रामीण विकास हेतु शासन द्वारा पिछले छ: दशकों मे अनेक रोजगार आधरित कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये किन्तु भ्रष्टाचार तथा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन मे अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी, भूखमरी, पलायन की समस्या जस कि तस बनी हुई है। शासन द्वारा ग्रामीण विकास के तहत् रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जिनमें प्रमुख –लघु कृषक एजेन्सी,सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972, काम के बदले आनाज कार्यक्रम 1977, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1979, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम , जवाहर रोजगार योजना , स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना , जवाहर ग्राम समृध्दि योजना , सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आदि।

उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद भी देश का प्रत्येक व्यक्ति विकास तथा रोजगार से सीधे नही जुड पाया तथा देश मे पलायन , बेरोजगारी एवं गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही है। उक्त समस्याओं के मद्देनजर देश मे 2 फरवरी 2006 को नरेगा (National rural employment guarantee act) लागू की गई। प्रथम चरण में 200 पिछड़े जिलों को शामिल किया गया।

2 मई 2007 को 330 जिले मे तथा 1 अप्रैल 2008 से यह योजना सम्पूर्ण भारत में लागू की जा चूकी है। नरेगा के तहत मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों मे बिना दक्षता वाले हाथों के कार्यो को शामिल किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है

नरेगा के मुख्य बिन्दु :-

1. समयबद्ध रोजगार गारण्टी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का करना।
2. वित्तीय भार में 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा शेष राज्य सरकार वहन करेगी।
3. सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं कराती है तो खुद के व्यय पर बेरोजगारी का भुगतान करेगी।
4. सम्पूर्ण कार्य श्रमिकों के द्वारा करवाना , मशीनों का उपयोग न करना।
5. राज्य सरकार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन संरचनाओं का निर्माण करना।

मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले कार्य– मनरेगा का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को एक वित्त वर्ष मे कम से कम 100 दिन(बढ़कर 150 दिन हो गये) का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना तथा उत्पादक सम्पदाओं का निर्माण करना भी शामिल है।मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य निम्नवत है –

1. गावों में सडके, पुलिये, नालियों का निर्माण करना।
2. छोटे–छोटे तालाबों का निर्माण करना तथा पूराने तालाबों के गहरीकरण एवं गाद को निकालना।
3. भूमि सुधारों के लाभान्वित को जमीन तक सिचाई की सुविधा पहुंचाना।
4. भूमि विकास।
5. सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं संरक्षण करना।
6. सिंचाई के लिए लघु एवं सूक्ष्म परियोजना तथा नहरों का निर्माण करना।
7. जल संरक्षण तथा जल संचय।
8. बचढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा परियोजनाऐं आदि।

धार जिले का परिचय :–

धार जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण पश्चिम अंचल के स्थित है। यह मालवा पठार एवं विंध्यपर्वत मालाओं से घिरा हुआ है। जिले का क्षेत्रफल 8153 वर्गकिमी. है। समुद्र की सतह से 1500 से 2500 वर्गफिट तक ऊँचा है। इसकी भौगोलिक स्थिति 20.10̇ उत्तरी अक्षांश तथा 75.28̇ से 75.28̇ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से धार जिले का अपने आप में बहुत महत्व है।जहां एक और माण्डव तथा दूसरी और बाग गुफाएं विश्व में जिले को चित्रांकित करते है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को 8 तहसीलों तथा 13 विकासखण्डों में विभाजित किया गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2184672 है जिसमे 114267 पुरूष तथा 1070405 महिलाएँ है। जिले की सक्षारता का प्रतिशत 60.57 तथा घनत्व 268 वर्गकिमी. एवं लिंगानुपात 961 प्रति हजार पुरूष पर महिलाएँ है। जिले की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यन्त पीछड़ी है। कृषि रोजगार का मुख्य साधन है किन्तु कृषि की न्यूनउत्पादकता के कारण लगभग वर्ष भर बेरोजगारी की स्थिति अधिक रहती है।ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश मे अन्य शहर में चले जाते है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य– प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न है –

1. धार जिले मे मनरेगा के क्रियान्वयन से ग्रामीण लोगों की क्रयशक्ति में परिवर्तन हुआ या नहीं।
2. मनरेगा के क्रियान्वयन से रोजगार हेतु पलायन की स्थिति का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के रहन–सहन के स्तर का अध्ययन करना।
4. जिले में उत्पादक सम्पदाओं के निर्माण का अध्ययन करना।
5. रोजगार हेतु महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :– प्रस्तुत शोध अध्ययन मे धार जिले मे मनरेगा के क्रियान्वयन तथा लाभान्वित पर पड़ने वाले प्रभावो को जानने हेतु मनरेगा के प्राथमिक व द्वितीयक आंकडो का उपयोग किया गया है।प्राथमिक आंकडो के संकलन में धार जिले को समग्र मानकर कुल 13 विकासखण्डों मे से 4 विकासखड कुक्षी, डही, बाग तथा नालछा के एक–एक गांव का चयन किया गया है तथा

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

प्रत्येक गांव के नरेगा के लाभान्वित उत्तरदाताओं का दैव निदर्शन विधि से 50-50 उत्तरदाताओं का चयन कर कुल 200 उत्तरदाताओं का अनुसूची की साक्षात्कार विधि के माध्यम से उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति एवं मनरेगा के प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया है।

शोध अध्ययन की परिकल्पना :-

1. मनरेगा के क्रियान्वयन से जिले मे पलायन रूका है।
2. मनरेगा से जिले के ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश तथा भारत में मनरेगा की स्थिति

मध्य प्रदेश तथा भारत में मनरेगा के क्रियान्वयन तथा प्रगति की स्थिति तालिका क्रं. 1 में दर्शाई गई है। (देखें तालिका क्रमांक 1)

मनरेगा का क्रियान्वयन- मनरेगा के कियान्वयन में भारत, मप्र तथा धार जिले की स्थिति का अध्ययन किया गया है जो अग्र तालिका में दर्शायी गयी है-

तालिका क्रं. 2 भारत, मध्यप्रदेश तथा धार जिले की स्थिति

परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया	भारत (लाख में)	मध्यप्रदेश	धार
अनुसूचित जाति	4394	48504	1249
अ.ज.जा	3485	118994	10191
महिला	95.3	116055	8548
अन्य	121.55	94915	2675
कुल कार्य	5558	555310	19332
पूर्ण	6.39	244619	6492
चल रहे है	47	310691	12840

स्त्रोत-www.nregs.nic.in

तालिका से स्पष्ट है कि भारत मे कुल 17% ,मध्यप्रदेश मे 45% तथा धार जिले में 72.2 प्रतिशत जनजातियों के विकास की उपलब्धि प्राप्त हुई है।

धार जिले में मनरेगा का विश्लेषण-धार जिले में मनरेगा की स्थिति जानने के लिए सर्वेक्षण अनुसूची के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्रं. 3 पलायन की स्थिति

गांव का नाम	योजना के पूर्व पलायन				योजना के पश्चात पलायन			
	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
अराडा	40	28.17	10	17.24	27	23.48	23	27.06
आँवली	37	26.05	13	22.41	22	19.13	28	32.94
पिपरी	38	26.77	12	20.69	29	25.22	21	24.71
बरखेडा	27	19.01	23	39.66	37	32.17	13	15.29
योग	142	100	58	100	115	100	85	100

स्त्रोत-प्राथमिक समंक

उपर्यूक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मनरेगा लागू होने के पूर्व 71 प्रतिशत ने पलायन करना बताया तथा 29 प्रतिशत ने पलयान नही किया था। मनरेगा के लागू होने के पश्चात 57.5 प्रतिशत ने पलायन किया तथा 42.57 प्रतिशत पलायन नही किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनरेगा के क्रियान्वयन से पलायन में कमी आई है।

तालिका क्रं.4 आय की स्थिति *(परिवारों की संख्या)*

गांव का नाम	योजना पूर्व			योजना के पश्चात्		
	10000 से कम	10000 -20000	20000 -30000	1000 से कम	1000 -2000	2000 -3000
अराडा	35	10	05	15	20	15
आँवली	32	12	06	10	20	12
पिपरी	35	12	03	20	25	05
बरखेडा	30	08	12	15	17	18
योग	132	42	26	68	82	50

स्त्रोत-प्राथमिक समंक

तालिका से स्पष्ट है कि योजना के पूर्व 66 प्रतिशत लोगों की आय 10000 से कम थी तथा योजना का लाभ लेने के पश्चात यह 34 प्रतिशत रह गया है।

अतः कहा जा सकता है कि धार जिले में शासन की योजना के क्रियान्वयन से लोगों की बढ़ने लगी तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष:-अत: निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि मनरेगा के क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। ग्रामीण रोजगार की सुनिश्चितता बढ़ी। ग्रामीण लोगों को गारण्टीसुदा रोजगार मिलने लगा है। लोगों की आमदनी बढ़नी लगी तथा उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होने लगी।लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने लगाा है। पलायन में कमी आई है।मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी की दर निश्चित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग , कृषि कार्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कार्यो में लोगों को उचित मजदूरी मिलने लगी है। अध्ययन के दौरान पाया है कि मनरेगा जैसी याजना के चलने से ग्रामीण लोगों की जीवन शैली ही बदल गयी है। गरीब परिवारों में भी रहन-सहन का स्तर आधुनिक हो गया है।गांव में रहते हुए मनरेगा के तहत मजदूरी तथा शेष समय में अन्य कार्य भी ग्रामीण लोग आसानी से कर लेते है। अत: मनरेगा एक अतिमहत्वपूर्ण योजना है बशर्ते उसके अच्छे क्रियान्वयन की आवश्यकता है। वर्तमान में इसकी कुछ शिकायतें देखने को मिलती है जैसे मजदूरी का सही समय पर भुगतान न होना, ग्रामीण लोगों को बेरोजगारी भत्ता का सही जानकारी न होना, कार्य स्थल का सही चयन न होना, भ्रष्टाचार आदि। उक्त समस्याओं का निराकरण यदि कर दिया जाये तो निश्चित रूप से हमारे नीति निर्माताओं ने जो सपना देखा है वह साकार होगा।

सन्दर्भ सूची:-

1. सुन्दरम रूद्रदत्त, '' भारतीय अर्थव्यस्था '' दिल्ली, (2005)
2. बी.एल. माथुर, '' भारतीय अर्थव्यस्था '' दिल्ली, (2009)
3. बी.एल. माथुर, '' ग्रामीण अर्थव्यवस्था '' नई दिल्ली (2009)
4. प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यस्था विशेषांक, दिल्ली,(2012)
5. कुरूक्षेत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली,अक्टूबर (2010)
6. कुरूक्षेत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली,अक्टूबर (2009)
7. Mahatmagandhi national rural employment guarantee Act 2005 guidline, Ministry of rural development govt. of India, delhi

तालिका क्रमांक 1 भारत एवं म.प्र. में मनरेगा की स्थिति

वर्ष	जारी किये गये जाबकार्डो की संचयी संख्या		रोजगार प्रदान किये गये परिवारों की संख्या		कोष की उपलब्धता		कुल कार्य हुए		व्यय राशि	
	भारत	म.प्र.	भारत	म.प्र.	भारत	म.प्र.	भारत	म.प्र.	भारत	म.प्र.
2006-07	87850390	4446195	21016099	2866349	1207362.72	213368.36	841588	169158	882335.55	186268.63
2007-08	64740594	7238784	33909132	4346916	1927877.72	328848.4	1781448	341529	1585844.45	289172.6
2008-09	100145950	11229547	45115338	5207665	3630045.57	48432.32	2774624	525888	2725068.7	355496.21
2009-10	112550610	11292252	52530453	4714591	4568208.11	556868.63	4616823	555310	3790960.48	372298.09
2010-11	119564465	1138449	54549070	4384683	5204087.72	513819	5458847	666703	3868084.14	364179.71
2011-12	38862430	4994304	1862686	202754	495663.84	63744	1313907	171558	1537994.84	6614.7

स्त्रोत-www.nregs.nic.in

गिरता बाल लिंगानुपात - एक अध्ययन

डॉ. शक्ति जैन *

भारत देश की 15वीं जनगणना कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष व तथ्य लेकर सामने आयी है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आना, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ना कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक आना आदि जनसंख्या के संबंध में अच्छा संकेत दे सकते हैं परंतु बाल-लिंगानुपात में गिरावट आना भारत देश के लिए एक प्रश्न चिह्न है। लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या के सभी आयु वर्ग की कुल स्त्रियों व पुरूषों का अनुपात है। लिंग अनुपात किसी क्षेत्र की वर्तमान एवं आर्थिक दशाओं का सूचकांक होता है तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिए उपयोगी साधन है। इसका प्रभाव जनसंख्या वृद्धि, विवाह दर तथा व्यवसायिक संरचना जैसे अन्य जनांकिकी गुणों पर पड़ता है। किसी जनसंख्या में रोजगार व उपभोग के प्रतिरूप सामाजिक आवश्यकताएँ और उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझने के लिंग अनुपात का अध्ययन उपयोगी होता है। फ्रेंकलिन के अनुसार ''लिंग अनुपात किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक सूचक है तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिए अत्यंत लाभदायक यंत्र है।''

किसी भी देश की जनसंख्या अध्ययन में स्त्री-पुरूष अनुपात या बाल लिंगानुपात या लिंगानुपात का जन्म और मृत्यु दर से काफी गहरा संबंध होता है स्त्रियों का अनुपात कम होने पर मृत्यु दर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल लिंग अनुपात से (स्त्रियों की संख्या कम होना) भिन्न-भिन्न प्रकार की नैतिक एवं सामाजिक बुराईयाँ भी पैदा हो जाती है। इस शोध पत्र का उद्देश्य बाल लिंगानुपात में गिरावट के क्या कारण है एवं इस संबंध में बनाया कानून पी.एन.डी.टी. लागू होने पर भी लिंग अनुपात में गिरावट क्यों नहीं रूकी है तथा इस संबंध में कानूनी प्रावधान के अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिए। वर्ष 1981 में भारतीय जनसंख्या में 0-6 की आयु समूह की जनसंख्या के आँकड़े लिंग के आधार पर उपलब्ध कराती रही है। स्त्री-पुरूष अनुपात एवं 0-6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात की गणना निम्न तालिका में की गई है।

तालिका क्रमांक - 1

जनसंख्या और 0 -6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या का लिंगानुपात	0 -6 के बच्चों का लिंगानुपात
1961	941	976
1971	930	964
1981	934	962
1991	937	945
2001	933	927
2011	940	914

स्रोत - भारत की जनगणना, 2011

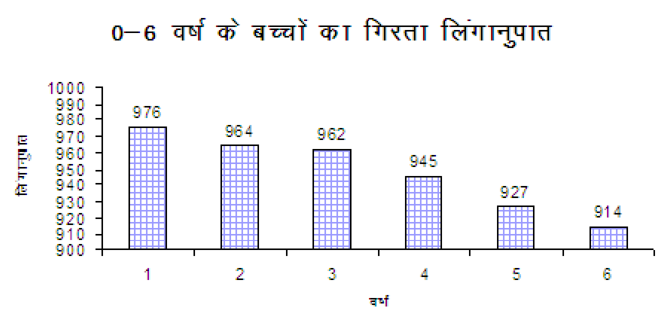

1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, तालिका से स्पष्ट है कि बाल-लिंगानुपात में 1961 से ही क्रमिक रूप से गिरावट दर्ज की जा रही है। 1961 में जहाँ 1000 लड़कों के पीछे 976 लड़कियाँ थीं वही कमी आते हुए 2011 में 1000 लड़कों पर 914 लड़कियाँ ही रह गयीं। अगर इस ट्रेण्ड को नहीं रोका गया तो अगले 10 वर्ष में पूरे देश की स्थिति हरियाणा व पंजाब जैसी हो जायेगी, लड़कियों का अनुपात 900 से भी कम हो जायेगा। भारत में राज्यवार शिशु (0-6) आयु वर्ग की जनसंख्या को निम्न तालिका में दिखाया गया है।

तालिका क्रमांक - 2

भारत के विभिन्न राज्यों में शिशु लिंग अनुपात (एसएसआर) 1991, 2001 एवं 2011 राज्य	1991	2001	2011
भारत	**945**	**927**	**914**
आंध्र प्रदेश	975	961	943
अरूणाचल प्रदेश	982	964	960
असम	975	965	957
बिहार	953	942	933
छत्तीसगढ़	984	975	964
दिल्ली	915	868	866
गोवा	964	938	920
गुजरात	928	883	886
हरियाणा	879	819	830
हिमाचल प्रदेश	951	896	906
जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं	941	859
झारखंड	979	965	943
कर्नाटक	960	946	943
केरल	958	960	959
मध्यप्रदेश	941	932	912
महाराष्ट्र	946	913	883
मणिपुर	974	957	934
मेघालय	986	973	970
मिजोरम	969	964	971
नागालैंड	993	964	944
ओडिशा	967	953	934
पंजाब	875	798	846
राजस्थान	916	909	883
सिक्किम	965	963	944
तमिलनाडु	948	942	946
त्रिपुरा	967	966	953
उत्तराखंड	949	908	886
उत्तर प्रदेश	927	916	899
पश्चिम बंगाल	967	960	950
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	973	957	966
चंडीगढ़	899	845	867
दमन एवं दीव	958	926	909
दादर एवं नागर हवेली	1013	879	924
लक्षद्वीप	941	959	908
पुडुचेरी	963	967	965

स्रोत - पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इण्डिया, 2006 तथा भारत की जनगणना 2001 और 2011

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि अधिकांश राज्यों में शिशु लिंगानुपात में गिरावट आयी है गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ राज्यों में यह अनुपात 2001 एवं 2011 की तुलना में बढ़ा है बाकी सभी राज्यों में शिशु लिंगानुपात गिरावट हुई है यद्यपि भारत में 2001-1991 की तुलना में 18 की गिरावट थी (945-927) जो 2011-2001 की तुलना में 13 (927-914) हो गई है अर्थात गिरावट में कमी आयी है लेकिन विभिन्न वर्षों में गिरता हुआ बाल लिंगानुपात एक सामाजिक बुराई है तथा महिलाओं के मानवाधिकार का हनन भी इसे कहा जा सकता है। भारत में लिंगानुपात असामान्य है इस स्थिति में पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। ब्रिटेन के जनगणना आयुक्त एवं जनसंख्या विशेषज्ञों ने इसके कुछ संभावित कारणों पर विचार किया जैसे -

1. महिलाओं को सही संख्या की गिनती न होना।
2. पुरूषों की तुलना में महिलाओं की (लापरवाही, घातक बीमारियाँ) मृत्यु दर का अधिक पाया जाना।
3. भ्रूण लिंग परीक्षण की बढ़ती प्रवृत्ति और बालिका भ्रूणों का गर्भपात।
4. कच्ची उम्र में सहवास।
5. अकुशल दाइयों द्वारा प्रसव।

इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी है जैसे - भारत में पुत्रों के प्रति लगाव व आकर्षण, लड़कियों का भार स्वरूप माना जाना, पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियों की कम देखभाल, पुत्रों को भविष्य में आय का स्रोत व बुढ़ापे का सहारा मानना, बाल-विवाह, निर्धनता, दहेज प्रथा एवं कुछ ऐसे धार्मिक अनुष्ठान जो केवल पुत्रों द्वारा संपन्न किये जाना आदि।

भारत देश की स्थिति अन्य देशों की स्थिति से तुलना करें तो इस संबंध में भारत की स्थिति ठीक विपरीत है अमेरिका में प्रति हजार पुरूषों पर 1050 स्त्रियाँ रूस में 1140 स्त्रियाँ, ब्रिटेन में 1104 स्त्रियाँ हैं। जबकि भारत में 1000 पुरूषों पर 940 स्त्रियाँ हैं। भारत देश में अलग-अलग राज्यों में यह संख्या अलग-अलग है जैसे केरल यह अनुपात 1084 एवं पांडुचेरी में 1035 स्त्रियाँ हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा (877), दमन एवं दीव (615) दादर व नगर हवेली (775) है।

ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात :- भारत में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात को तालिका क्रमांक - 3 में दिखा गया है जिससे यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है तथा नगरीय क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या पुरूष की तुलना में कम है।

तालिका क्रमांक - 3

भारत में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात

(प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या) वर्ष	ग्रामीण	नगरीय
1951	965	859
1961	963	845
1971	951	847
1981	954	880
1991	938	894
2001	946	901
2011	947	926

Source : Census of Population - 2011.

जनगणना आयुक्त सी. चंद्रमौली के अनुसार ये आँकड़े बच्चों के मामले में लड़कियों की बजाय लड़कों को पसंद किये जाने के संकेत देते हैं। पुरूष प्रधान भारतीय समाज में सदियों में बेटे को वरीयता दी जा रही है और यह प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है। इस समाज में स्वयं महिलायें बेटे को महत्व देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) में 2005-06 में सर्वेक्षण के अनुसार लगभग एक चौथाई महिलायें बेटियों की अपेक्षा बेटों को पसंद करेगी परंतु शायद ही कोई महिला होगी जो बेटों की अपेक्षा बेटियाँ पसंद करेंगी। NFHS के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि जब कोई दंपत्ति केवल दो या तीन बच्चों तक अपना परिवार सीमित करना चाहता है और यदि उनका पहला बच्चा बेटी है तो दूसरे बच्चे का भ्रूण परीक्षण कराना और यदि लड़की पाई गयी तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है।

इस तरह जब छोटा परिवार होता है तो वे बेटे को ही वरीयता देते हैं यह प्रवृत्ति पढ़े-लिखे एवं समृद्ध लागों में अधिक दिखाई देती है। भारतीय समाज में सदियों से बेटे को वरीयता दी जाती रही है और यह पहले जन्मदर पर प्रतिबंध न लगाकर बेटा होना आवश्यक समझते थे परंतु वर्तमान में भ्रूण परीक्षण एवं बालिका भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति में लिंगानुपात के मामले में हरियाणा प्रदेश को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार कर दिया है। (छह वर्ष तक के प्रति एक हजार लड़कों पर मात्र 830 लड़कियाँ होना यह लिंगानुपात के सबंध में विचारणीय प्रश्न है।) इसके विपरीत छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य में बेटे व बेटियों को समान मानने का परिणाम सामने आया है कि वहाँ लिंगानुपात की दर अन्य राज्यों के मुकाबले ही नहीं बल्कि भारत देश के औसत आँकड़ों से बेहतर है जहाँ प्रति हजार पुरूषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 991 है जबकि देश का औसत स्त्री-पुरूष अनुपात 940 है। गिरता हुआ बाल लिंगानुपात या स्त्री-पुरूष को देखते हुए उस पर नियंत्रण लगाने के लिए 1994 में पी.एन.डी.टी. (प्रसवपूर्ण निदान तकनीक नियमन एवं दुरूपयोग से बचाव) अधिनियम पारित किया गया।

इस कानून के तहत भ्रूण के लिंग परीक्षण और उसे बताने पर रोक लगा दी गयी परंतु इसका कोई अच्छा परिणाम सामने नहीं आया और 2001 की जनगणना में यह अनुपात 927 था तथा कई राज्यों में यह अनुपात बहुत कम सामने आया तब अधिनियम में सन् 2003 में संशोधन कर उसे सख्त बनाया गया संशोधित प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर कराये गये चुनिंदा लिंग परीक्षण के विरूद्ध कार्यवाही के लिए जिला स्तर पर उपयुक्त अधिकारियों को अधिकार सौंपे गए हैं।

इस अधिनियम के लागू हो जाने पर भी एवं ''बालिका बचाओ'' सरकार के व्यापक अभियान चलाने पर भी 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात में गिरावट आयी है लिंग परीक्षण पर लगभग 18 वर्षों के प्रतिबंधों के बावजूद भी गिरावट की प्रवृत्ति जारी रहना भारत देश के लिए शर्मनाक है। भारत देश जहाँ की संस्कृति व सभ्यता को दूसरे देश उदाहरण देते हैं स्त्रियों की प्रभुता व सम्मान की उदाहरण देते हैं वहीं इस बाल लिंगानुपात की गिरावट की प्रवृत्ति भारत देश के लिए शर्मनाक है एक सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है।

हाल के वर्षों में 2008 के नमूना पंजीकरण प्रणाली के आँकड़ों के अनुसार 1-4 वर्ष की आयु की बालिकाओं की मृत्यु दर बालकों की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है यदि मृत्युदर में भी लड़कों के प्रति उदारता और लड़कियों के साथ पक्षपात होता रहेगा तो आने वाले समय में लड़कियों की कमी बनी रहेगी। यदि बालिका मृत्युदर अधिक एवं बालिका भ्रूण हत्या होती रहेगी तो लड़कियों की कमी की समस्या अधिक तेजी से बढ़ती रहेगी।

बाल लिंगानुपात कम करने के सुझाव :- लिंग परीक्षण पर कानूनी

प्रावधान व प्रतिबंधों के बावजूद बाल लिंगानुपात में गिरावट आ रही है इससे स्पष्ट है कि न तो कानून का क्रियान्वयन और न ही बालिका बचाओ अभियान संदेश का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है अत: कानूनी प्रावधान का सख्ती से पालन होना आवश्यक है। आम लोग व्यापक स्तर पर कानूनी प्रावधानों से अनभिज्ञ है।

1. सर्वप्रथम इस कानून की जानकारी आम जनता में देना आवश्यक है।
2. इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा में लगे लोगों स्वास्थ्यकर्मियों एवं इस प्रणाली में जुड़े सभी लोगों में ईमानदारी होना आवश्यक है। ए.आर. नंदा (कार्यकारी निर्देशक पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली) ने कहा कि चिंता का विषय यह है कि एक तरफ देश में साक्षरता का स्तर तेजी से बढ़ रहा है सरकार भी भ्रूण हत्या रोकने की हरसंभव कोशिश कर रही है लेकिन ये कोशिशें मात्र दिखावा है इनमें ईमानदारी नहीं है। आँकड़े बताते हैं कि अभी भी पूरे देश में सोनोग्राफी के जरिये भ्रूण के लिंग की जाँच की जा रही है सरकार ने केवल सोनोग्राफी सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। लेकिन उसे बताना होगा कि भ्रूण में लिंग की जाँच करने के आज तक कितने मामले पकड़े गये हैं कितने क्लीनिक बंद कराए गए हैं, कितने डॉ:टरों के लायसेंस रद्द कर दिये गये हैं कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं, मेरी जानकारी में यह आँकड़ा शून्य है। लिंगानुपात कानून या सख्ती से पालन न करने का नतीजा है।
3. छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इस कानून का सख्ती से पालन होना आवश्यक है।
4. लड़के व लड़कियों को समान अधिकार का कठोर रूप से पालन के द्वारा भी यह कुछ हद तक संभव है।
5. लड़कियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर और प्रोत्साहन राशि दें।
6. जनसंख्या वृद्धि रोकने के सरकारी प्रयासों का परिणाम भी यह आया है कि लड़कियों की संख्या में कमी। दो से अधिक बच्चे होने वाले चुनाव नहीं लड़ पायेंगे, बी.पी.एल. कार्ड जारी नहीं होंगे ऐसे कानून बनाने पर सीमित परिवार करने के लिए लड़की की बजाय लड़के पैदा करने पर जोर देंगे जैसा उड़ीसा व राजस्थान में हुआ वहाँ लड़कियों का प्रतिशत कम हो गया। अत: आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य व गाँव के लिए ऐसे कोई सख्त नियम न बनाये जिनका विपरीत असर हो बल्कि लड़कियों होने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि देकर, नि:शुल्क शिक्षा का अवसर देकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाकर भी इस अनुपात को बढ़ाया जा सकता है।
7. बाल-विवाह नियम का कठोरता से पालन हो।
8. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो।
9. शिक्षित व जागरूक बालिकाओं को बनाया जाये जिससे वो स्वयं इस संबंध में अपना निर्णय अपने परिवार के लोगों के समक्ष रखें। स्त्रियों को स्वयं भ्रूण परीक्षण का विरोध करना होगा यह तभी होगा जब वह स्वयं शिक्षित हों तथा परिवार में उनका सम्मान हो।
10. पुरुष वर्ग को भी अपनी सोच बदलनी होगी।
11. भारत जैसे धार्मिक देश में धर्म गुरू, संत आदि के माध्यम से भी ''बेटी बचाओ अभियान'' एवं भ्रूण हत्या निषेध नियम द्वारा भी यह कार्य हो सकता है। नि:संदेह लड़कियों की घटती संख्या की समस्या जटिल एवं बहुस्तरीय है अत: इस समस्या से निपटने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर ईमानदारी से कदम उठाना आवश्यक है। एक और बालिकाओं की मृत्यु दर का अधिक होना एवं बालिका भ्रूण हत्या का होना जारी रहेगा तो निश्चित ही भविष्य में लड़कियों की कमी और भी बड़ी समस्या उभर कर आयेगी अत: इस समस्या को प्रत्येक स्तर पर जागरूकता व ईमानदारी तथा पुरुष एवं महिला की सोच में परिवर्तन के द्वारा ही हल किया जा सकता है।

''ओस की बूँद सी होती हैं बेटियाँ,
स्पर्श खुरदरा हो तो रो देती है बेटियाँ।
रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को,
दो-दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियाँ ।।''

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. योजना पत्रिका - जुलाई, 2011
2. भारतीय अर्थव्यवस्था - डॉ. जे.सी. पंत एवं मिश्र
3. जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास - डॉ. ओमप्रकाश सिंह
4. कुरूक्षेत्र - जुलाई, 2007
5. भारतीय अर्थव्यवस्था - दत्ता एवं सुन्दरम्
6. दैनिक भास्कर - 1 अप्रैल, 2011

****

ग्रामीण विकास का आधार पंचायती राज

प्रो. कविता धुर्वे *

प्रस्तावना :- भारत गॉवों में बसता है। भारत की कुल आबादी की 72.2 प्रतिशत जनसंख्या गॉवों में निवास करती है। गॉवों का विकास किये बिना देश की विकास की कल्पना अधूरी है। गॉवो के सामाजिक-आर्थिक व राजनैतिक विकास में पंचायतों की भूमिका प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ''यदि हमारी स्वधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही लाभदायक है।'' इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए भारत देश में 73 वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को एकरूपता, वित्तीय सुदृढता प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायते 11वीं सूची में सूचीबद्ध आर्थिक,सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर योजना बनाकर व उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हुए गॉवों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। भारत में 2.35 लाख ग्राम पंचायतें है। जो कि ग्रामीण विकास की विभिन्न आर्थिक-सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। अत: ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान परिलक्षित हो रहा है।

शोध अध्ययन के उउदेष्य :-

1. पंचायती राज संस्थाओं का छिन्दवाडा जिले के ग्रामीण विकास में पडने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
2. छिन्दवाडा जिले में ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाओं का अध्ययन करना।
3. छिन्दवाडा जिले में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार स्थिति का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की विधि:- प्रस्तुत शोध पूर्णत: द्वितीयक समंकों पर आधारित है। इन समंकों का संकलन जिला पंचायत छिन्दवाडा, पत्र-पत्रिकाओं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित विभिन्न प्रकाशित रिपोर्ट तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :- प्रस्तुत शोध विषय के अध्ययन हेतु छिन्दवाडा जिले का चयन किया गया है। यह जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से म.प्र. का सबसे बडा जिला है। जो कि 18815 वर्ग कि.मी. पर फैला हुआ है। जिले में कुल 09 तहसील और 11 विकासखण्ड है।

म.प्र. में पंचायती राज व्यवस्था :- भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप म.प्र. में 30 सितम्बर 1993 को 10वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में पंचायती राज विधेयक अधिनियम 1993 सदन में पारित किया गया। मई-जून 1994 में संपूर्ण म.प्र. में चुनाव हुए तथा 2 अक्टुबर 1994 को नवीन पंचायती राज व्यवस्था पूरे म.प्र.में लागू किया गया। इस विधेयक के आधार पर म.प्र. में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली आरम्भ की गई।

1. ग्राम पंचायत
2. जनपद पंचायत
3. जिला पंचायत

विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास :- वर्तमान में पंचायती राज संस्थाएँ गॉवों के आर्थिक-सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएँ बनाकर व उनका सफल क्रियान्वयन कर रही है। गॉवों में कृषि आधारित उद्योग , साफ-सफाई, चिकित्सा, शिक्षण व्यवस्था, बिजली, पानी व सिंचाई जैसी अनेक आधारभूत सुविधाओं का विकास पंचायती संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। गॉवों में व्याप्त बेरोजगारी , गरीबी व अशिक्षा जैसी समस्याओं के समाधान में पंचायते महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

1. इंदिरा आवास योजना:- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन या कच्चे आवास वाले लोगों के लिए आवास निर्माण एवं मरम्मत के लिए शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाता है। यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। आवास निर्माण हेतु इस योजना में 75 प्रतिशत भारत सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। छिन्दवाडा जिले में 21 मार्च 2012 की स्थिति में 1209 नवीन आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। जिसमें 1129 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष आवासों का कार्य प्रगति पर है। इंदिरा आवास होमस्टेट योजना के अंतर्गत 3000 आवासों के निर्माण हेतु राशि स्वीकत की गई जिसमें 1644 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

2. मुख्यमंत्री आवास योजना:- यह योजना राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु शत-प्रतिशत अनुदान राशि 45000 रू. उपलब्ध कराया जाता है।

3. मिड डे-मिल योजना:- छिन्दवाडा जिले के समस्त विकासखण्डों में 15 अगस्त 2006 से समस्त शासकीय व अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में मध्यान भोजन योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिदिन रोटी, सब्जी व दाल सहित गर्म एवं पका हुआ भोजन समस्त शैक्षणिक दिवसों में दिया जा रहा है। जिले में कुल 2680 शासकीय एवं 47 अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में यह योजना संचालित है। जिले में 184391 प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को पंचायती संस्थाओ के माध्यम से भोजन प्राप्त हो रहा है। अगस्त 2008 से छिन्दवाडा जिले के समस्त विकासखण्डों में माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु मध्यान भोजन योजना संचालित है। जिले में कुल माध्यमिक शालाओं की संख्या 930 है। जिनमें विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 118334 है। माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों हेतु प्रतिमाह खाद्यान्न मात्रा 3771.91 क्विंटल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

4. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना:- गॉवों में रहने वाले गरीबों में लिए स्वरोजगार प्रदान करने हेतु 1 अप्रैल 1999 को यह योजना प्रारंभ की गई। छिन्दवाडा जिले में इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं लघु सिंचाई, डेरी, वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण, मछलीपान, पशुपालन, जडी-बूटी उत्पाद एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगों से संबंधित प्रमुख आर्थिक गतिविधियॉ संचालित की जा रही है। बीपीएल परिवारों को स्वसहायता समूहों के रूप में

* सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) भारत

तालिका क्र0-01

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित

क्र0	वर्ग	लाभान्वित स्वरोजगारियों की संख्या	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	474	13.33
2	अनुसूचित जन जाति	1592	44.76
3	महिला	2107	59.24
4	विकलांग	53	1.49
5	अल्पसंख्यक	52	1.46
	कुल	3557	100

स्त्रोत: जिला पंचायत छिन्दवाडा म.प्र. 2012

संगठित करके स्वरोजगार से जोडा गया है।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि छिन्दवाडा जिले में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को रोजगार मुहैया हुआ है। जिनकी संख्या 1592 और कुल स्वरोजगारियों की संख्या का 44.76 प्रतिशत है। साथ ही महिला स्वरोजगारियों की सर्वाधिक संख्या 2107 है। जोकि कुल स्वरोजगारियों की संख्या का 59.24 प्रतिशत है। 13.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति , 1.46 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग और 1.49 प्रतिशत विकलांग वर्ग को रोजगार प्राप्त हुआ है। अत: इसे योजना के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अधिक रोजगार प्राप्त हुआ है।

5. महात्मा गॉंधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम मनरेगा :-भारत सरकार द्वारा नरेगा अधिनियम 2005 पारित किया गया। इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार देने की गारण्टी दी गई है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारण्टी एक परिवार के लिये है न कि परिवार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिये। छिन्दवाडा जिले में 2010 तक कुल 1.63855 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजागर उपलब्ध कराया गया। अनुसूचित जाति के 7.45 लाख व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति के 37.21 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ। इसी अवधि में 22.76 लाख महिला अकुशल श्रमिकों और अन्य 15.93 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष :- पंचायती राज संस्थाएँ गॉंवों के विकास करके गॉंवों की तस्वीर को बदल रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का धरातली स्तर पर पंचायतें ही लागू कर रही है। सरकार भी पंचायतों पर केन्द्रित योजनाएँ बना रही है ताकि इसका सीधा लाभ गॉंवों के लोगों को मिल सके। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को कारगर साबित करने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

लोगों को अपनी पंचायतों में ही काम मिल रहा है। इसलिए पलायन की प्रवृत्ति भी रूक रही है। गॉंवों के विकास हेतु आवश्यक है कि ग्रामीण लोगों को अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाये। समाज के सभी वर्गो का सहयोग पंचायती राज व्यवस्था की सफला के लिये आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त अशिक्षा, भय, अज्ञानता, गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई-भतीजा वाद, नौकरशाही, स्वार्थ प्रेरित राजनैतिक व गुटबाजी आदि समस्याओं का समाधान करके विकास संभव है। पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को स्थान दिया जाये। साथ ही पंचायतों को सशक्त और स्वायत्त बनाने के लिये पंचायत प्रतिनिधि संगठित होकर सरकार से अधिकारों की मॉंग करे।

संदर्भ सूची

1. Capacity Assessment and Capacity Development Strategy (CA-CDS) Report (2012), for Strengthening Panchayati Raj Institutions in Madhya Pradesh page no. 11-13
2. District ground water information booklet (2007) 'fluoride contamination and remediation ' chhindwara district m.p.
3. M. Vinayak Rao, Prakash Rao, and Kamlesh Joshi, Basic Amenities and Services Management in Rural Areas through 'PARAKH' page no. 183-187
4. म.प्र. का आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल पेज 125-130
5. दत्त सुंदरम 'भारतीय अर्थव्यवस्था' एस.चंद एण्ड कम्पनी दिल्ली।
6. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका जनवरी 2014, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, नई दिल्ली पेज 4-13
7. मध्यप्रदेश पंचायिका, जनवरी 2012, मध्यप्रदेश माध्यम अरेरा हिल भोपाल। जिला पंचायत छिन्दवाडा की बेवसाइट www.zp.chhindwara.nic.in

****

बड़वानी जिले में खेतिहर आदिवासी महिला श्रमिकों की स्थिति - एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन

डॉ. एस. आर. अहिरे*

बड़वानी जिला आदिवासी जनसंख्या बहुल नवगठित जिला है; जिसमें 1, 45, 480 लाख खेतिहर श्रमिक हैं; जिसमें 79,352 हजार खेतिहर महिला श्रमिक हैं। जिला 5422.00 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है, जिसमें 7 तहसीलें व 7 विकासखण्ड कार्यालय हैं। मेरे अध्ययन का क्षेत्र संपूर्ण बड़वानी जिला है। आदिवासी खेतिहर महिला श्रमिक, अशिक्षित, असभ्य, रूढ़िवादी एवं धार्मिक व सामाजिक परम्पराओं एवं कुरीतियों में जकड़ी हुई है।

इनके विकास हेतु सरकार ने अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। जिनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैंने बड़वानी जिले की 400 खेतिहर महिला श्रमिकों का न्यादर्श लेकर सर्वेक्षणात्मक अध्ययन किया है। इनमें 30 से 40 वर्ष आयु समुह की महिलाओं का प्रतिशत सर्वाधिक 48 है। गरीबी एवं पारिवारिक समस्याओं के कारण 40-50 वर्ष की महिलाओं को भी मजदूरी करना पड़ रही है जिनका प्रतिशत 21 है। 10 से 20 वर्ष की महिलाओं को भी अपनी पढ़ाई छोड़कर मजबूरीवश खेतों में काम करने जाना पड़ता है, जिनका प्रतिशत 6 है।

खेतिहर महिला श्रमिकों द्धारा विभिन्न स्त्रोतों से आय उपार्जित की जाती है, जिनमें कृषि मजदूरी, स्वयं के खेत से, पशुपालन से, वनोपज, घरेलू व्यवसाय आदि प्रमुख है। इसमें सर्वाधिक 36.39 प्रतिशत स्वयं के खेतों से आय प्राप्त होती है। दूसरे स्थान पर कृषि मजदूरी है जिसका प्रतिशत 22.22 है। कृषि मजदूरी में 39 प्रतिशत महिला श्रमिकों को 1000 रू. वार्षिक आय प्राप्त होती है। सर्वाधिक कम आय 10000 रू. तक वार्षिक 1 प्रतिशत श्रमिकों को प्राप्त होती है। 21 प्रतिशत को 4000-5000 रू. के बीच वार्षिक आय प्राप्त होती है। स्वयं के खेतों से 11 प्रतिशत महिला श्रमिकों को 1000 रू. वार्षिक आय प्राप्त होती है; तथा सबसे कम 3000 से 7000 रू. के बीच 4.5 प्रतिशत को प्राप्त होती है। 68 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिकों के पास 1 से 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। 26 प्रतिशत महिला-श्रमिक परिवार भूमिहीन है। 53 प्रतिशत महिला श्रमिकों को पुस्तैनी जमीन प्राप्त हुई है। 1 प्रतिशत को शासन से प्राप्त है। 13 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिकों ने मजदूरी कर स्वयं ने जमीन खरीदी है। 28 प्रतिशत के पास सिंचित जमीन है, जबकि 43 प्रतिशत के पास असिंचित है। 3 प्रतिशत बंजर भूमि के मालिक हैं।

निदर्शित 400 महिला श्रमिकों की पारिवारिक स्थिति के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 59 प्रतिशत परिवार एकांकी है, शेष 41 प्रतिशत संयुक्त है। इनमें 30 वर्ष से अधिक उम्र के सर्वाधिक है तथा 20-30 वर्ष के सर्वाधिक कम 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की संख्या दूसरे क्रम पर हैं। जो इस बात का द्योतक है कि आश्रितों की संख्या सर्वाधिक हैं तथा जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता नहीं है। 31 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिक ऐसे हैं जिनके परिवार में 2 सदस्य कार्यशील हैं तथा 27 प्रतिशत ऐसे महिला श्रमिक हैं जिन पर 4 सदस्य कार्यशील हैं 20 प्रतिशत महिला श्रमिक ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई कार्य नहीं करते हैं, वे केवल अकेले ही कार्य करती है। 30 प्रतिशत महिला श्रमिकों को उनके परिवार के सदस्यों से 2000 रू. वार्षिक आय प्राप्त होती है। 19 प्रतिशत को 3000 रू. वार्षिक आय सदस्यों से मिलती हैं तथा 6000 से 10000 के बीच में परिवार से आय प्राप्त श्रमिको की संख्या मात्र 2 प्रतिशत है। 11 प्रतिशत महिला श्रमिकों के परिवार के सदस्यों से आय प्राप्त नहीं होती है। 17.5 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिकों को बच्चों की मजदूरी से 1000-2000 रू. वार्षिक आय प्राप्त होती है। 2.5 प्रतिशत को 3000 से 4000 रू. वार्षिक आय बच्चों से प्राप्त होती है। चालू वर्ष में 6 प्रतिशत महिला श्रमिकों को घरेलू व्यवसाय से 1000 रू. वार्षिक आय मिलती है, जबकि 87 प्रतिशत महिला श्रमिकों को घरेलू व्यवसाय से आय प्राप्त नहीं होती है। 3.5 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें 6000-7000 रू. वार्षिक परिवार में नौकरी करने वालों से प्राप्त होती है। चालु वर्ष में 23 प्रतिशत महिला श्रमिकों को 2000-3000 रू. शासकीय परियोजनाओं के लाभ लेने से आय प्राप्त होती है। 15 प्रतिशत को 2000 रू. तथा तािा 4 प्रतिशत को सर्वाधिक 10000 रू. वार्षिक आय मिलती है जबकि 20.75 प्रतिशत को शासकीय परियोजनाओं से आय प्राप्त नहीं होती है।

खेतिहर महिला श्रमिकों के द्धारा जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यय भी किया जाता है। चालू वर्ष में अपनी कुल आय का 38.24 प्रतिशत भोजन पर व्यय करते हैं जो सर्वाधिक हैं। कुल आय का 2.85 प्रतिशत आवास पर, 11.13 प्रतिशत कपड़ों पर, 8.54 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा पर, 8.41 विलासिता पर, 8.42 प्रतिशत स्वास्थ्य पर, 6.65 प्रतिशत धार्मिक एवं सामाजिक रीति-रिवाजों पर, 2.39 प्रतिशत ऋणों को चुकाने पर व्यय करते हैं। इस प्रकार सर्वाधिक व्यय भोजन पर किया जाता है। भोजन पर व्यय में अनाज, दाल, सब्जी, फल, घी, गुड़, शक्कर, तेल आदि सम्मिलित है। 96 प्रतिशत महिला श्रमिकों के स्वयं के मकान है जबकि 4 प्रतिशत महिला श्रमिक मालिक के खेत में रहते हैं। 12 प्रतिशत के इंदिरा आवास कुटीरें हैं। 7 प्रतिशत महिला श्रमिकों ने ग्रामीण आवास योजना का लाभ लिया है। 76 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिकों के घरों में एक बत्ती कनेक्शन हैं। 18 प्रतिशत के घरों में बिजली नहीं है। 54 प्रतिशत महिला श्रमिक सालाना 500 रू. आवास पर व्यय करती हैं, जबकि 1 प्रतिशत 2500-3000 रू. वार्षिक व्यय करती है। 20.5 प्रतिशत आवास पर खर्च नहीं करते हैं। 30 प्रतिशत श्रमिक अपनी आय का 1000-1500 रू. कपड़ों पर व्यय करते हैं जबकि 5 प्रतिशत 4000 रू. वार्षिक व्यय कपड़ों पर करते हैं।

35 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिक साक्षर है जबकि 1.25 प्रतिशत 10वीं तक पढ़े हैं। 48.75 प्रतिशत महिला श्रमिक निरक्षर हैं। 89 प्रतिशत महिला श्रमिकों के बच्चे स्कूल जाते हैं। 11 प्रतिशत के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं स्कूल नहीं भेजने के कारणों में 60 प्रतिशत श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना बताते हैं। 39 प्रतिशत महिला श्रमिक 1000-2000 रू. वार्षिक बच्चों की शिक्षा पर व्यय करते हैं जबकि 2 प्रतिशत 5000 रू. से अधिक व्यय करते हैं। विलासिता की वस्तुओं पर 24 प्रतिशत महिला श्रमिक 500 रू. जबकि 4500 रू. वार्षिक से अधिक व्यय करने वाले महिला श्रमिकों का प्रतिशत 5 हैं। 35 प्रतिशत महिला श्रमिक अपनी आय का

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेंधवा (जिला-बड़वानी) (म.प्र.) भारत

500-1000 रू. वार्षिक व्यय करती है। धार्मिक रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं पर 46.25 प्रतिशत महिला श्रमिक 500-1000 रू. वार्षिक व्यय करते हैं, जबकि 0.5 प्रतिशत महिला श्रमिक 4500 से अधिक व्यय करते हैं। खेतिहर महिला श्रमिकों द्वारा ऋणों को चुकाने पर भी व्यय किया जाता है। सर्वाधिक 7.5 प्रतिशत महिला श्रमिक अपनी आय का 1000 रू. वार्षिक ऋणों को चुकाने पर व्यय करते हैं, जबकि 0.5 प्रतिशत 10000 रू. से अधिक तथा 75.5 प्रतिशत महिला श्रमिक ऋण ही नहीं लेते हैं।

सर्वेक्षित 400 खेतिहर महिला श्रमिकों में 54.5 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिक कृषि मजदूरी करते हैं, 1.25 घरेलू व्यवसाय, 1.25 शासकीय/अशासकीय सेवा तथा 36.25 प्रतिशत स्वयं के खेतों में काम करते हैं। 37 प्रतिशत महिला श्रमिकों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना में रोजगार मिला, 82 प्रतिशत को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में, 40 प्रतिशत को प्रधानमंत्री सड़क योजना में तथा 60 प्रतिशत को काम के बदले अनाज योजना में रोजगार प्राप्त हुआ है। 24 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिक स्व-सहायता समूह की सदस्य है जो विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाती है। 65 प्रतिशत को राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन योजना में काम मिला है। 82 प्रतिशत ट्रायसेम योजना के तहत् ऋण लेकर रोजगार चला रही है।

46 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिक ऋणी है। जिन्होंने सर्वाधिक 47 प्रतिशत कृषि कार्यों हेतु ऋण लिया है। सर्वाधिक 32.98 प्रतिशत सेठ-साहूकारों से ऋण लिया है। जो 5 प्रतिशत से ऊँची ब्याज दर चुकाते हैं। इन ऋणों का भुगतान 40 प्रतिशत फसल बेचकर करते हैं जबकि 20 प्रतिशत किसानों के खेतों में वर्ष भर मजदूरी कर ऋण अदा करते रहते हैं। 85 प्रतिशत महिला श्रमिक बचत करती है उस बचत से 51 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिक आभूषण खरीद लेती है, 39 प्रतिशत नकदी के रूप में रखती है। शेष 10 प्रतिशत ब्याज पर दे देती है। अपनी बचत को 46 प्रतिशत खेहितर श्रमिक अपने पास ही रखते हैं जबकि 24 प्रतिशत बैंकों में जमा कर देते हैं, शेष साहूकारों एवं किसानों के पास रखते हैं।

बचत को विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित होकर करती है। 70 प्रतिशत महिला श्रमिक अपना तथा परिवार का जीवन स्तर सुधारने के लिये, 12 प्रतिशत बच्चों की शिक्षा के लिये, 6 प्रतिशत पुराने ऋणों को चुकाने के लिये तथा 12 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि मजदूरी छोड़ अन्य व्यवसाय अपनाना चाहती है। 30 प्रतिशत महिला श्रमिक अपनी बचत को ब्याज पर देकर आय अर्जन करती है तथा 12 प्रतिशत महिला श्रमिक बचत को ब्याज पर देकर 500 रू. वार्षिक आय प्राप्त करती है।

खेतिहर महिला श्रमिक बचतों का विनियोग करती है। 63 प्रतिशत को बचतों से आय प्राप्त होती है। 37 प्रतिशत अपनी बचत को कृषि भूमि खरीदने में विनियोजन करती है। 51 प्रतिशत आभूषण खरीदने में तथा 12 प्रतिशत घरेलू उद्योग-व्यवसाय खोलकर विनियोग करना चाहती है। खेतिहर महिला श्रमिकों पर आधुनिक जीवन-शैली का प्रभाव अत्यधिक पड़ा है। उनका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन होकर सुधार आया है। 83 प्रतिशत महिला श्रमिक शहर काम करने जाती है। 54 प्रतिशत सिनेमा देखती है। 80 प्रतिशत को शहरी जीवन अच्छा लगता है। 51 प्रतिशत शहरी भाषा बोल लेती है। 53 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिक शहरी वेशभूषा का प्रयोग करती है। 83 प्रतिशत महिला श्रमिकों को शहरी खान-पान अच्छा लगता है। आधुनिकता का खेतिहर महिला श्रमिकों के धार्मिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। 86 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिकों के धार्मिक जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। उनके द्वारा मनाये जाने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को शहरी लोगों जैसा मनाते हैं। भगोरिया, इन्दल, नवई, विवाह, मंगनी, छॉक आदि अवसरों पर आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर खुशियाँ मनाते है।

खेती के तरीकों में भी परिवर्तन आया है। अब खेतिहर महिला श्रमिकों द्वारा आधुनिक तकनीकी, रासायनिक उर्वरक, औजार, ट्रेक्टर, थ्रेसर एवं खाद-बीज-दवाईयों का प्रयोग करने लगी हैं।शिक्षा, संचार एवं दूरदर्शन का प्रभाव भी खेतिहर महिला श्रमिकों पर पड़ा हैं। अब वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाती है, मोबाईल, स्थाई टेलिफोन एवं दूरदर्शन का उपयोग करने लगी है। 77 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिक टी.वी. देखती है, एक प्रतिशत टेलीफोन का उपयोग करती है। 89 प्रतिशत गांवों में मोबाईल सुविधा है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों का प्रभाव भी खेतिहर महिला श्रमिकों के जीवन पर पड़ा है। 97 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिकों के जीवन में इन नीतियों के कारण आशातीत् परिवर्तन आया है। उनकी मजदूरी बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। नवीन वस्तुओं का उपयोग करने लगी है।

खेतिहर महिला श्रमिकों में राजनैतिक जागरुकता भी आई है। पंचायती राज के कारण हर ग्रामीण राजनीति को समझने लगा है। अब वे अपने मताधिकार का प्रयोग सोच-समझकर करने लगी है। खेतिहर महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य, आवास आदि में भी सुधार आया है। आदिवासी विकास परियोजनाओं का खेतिहर महिला श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं कार्य करने की दशाओं पर प्रभाव पड़ा है। बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 37 प्रतिशत लोगो को रोजगार मिला है। 82 प्रतिशत को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में, 40 प्रतिशत को प्रधानमंत्री सड़क योजना में, 40 प्रतिशत महिला श्रमिकों को काम के बदले अनाज योजना में, 24 प्रतिशत महिला श्रमिक स्व-सहायता समूह की सदस्य होकर रोजगार चला रही है। 65 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिकों को राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन में रोजगार प्राप्त हुअ है। ड्वाकरा योजना के तहत् पापड़ उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, मसाला व्यवसाय, रस्सी बनाना आदि व्यवसाय चलाये जा रहे है। इस प्रकार खेतिहर महिला श्रमिकों का आर्थिक जीवन उन्नत हुआ है।

आदिवासी खेतिहर महिला श्रमिकों के सामाजिक जीवन पर शासकीय परियोजनाओं का प्रभाव पड़ा है। योजनाओं से आय बढ़ी है। जिससे उनका सामाजिक स्तर बढ़ा है। उनकी शैक्षणिक स्थिति सुधरी है, उनके खान-पान, रहन-सहन भाषा शैली, वेश-भूषा आदि में सुधार आया है। कुरीतियों को त्यागा है, शराब, नशा, दहेज, मृत्युभोज आदि पर होने वाले व्यय में कमी आई है। आदिवासी खेतिहर महिला श्रमिकों के धर्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में भी सुधार आया है। उनके द्वारा किये जाने वाले धर्मिक कार्य जैसे :- पूजा-पाठ, उपवास, आराधना, मन्नतें मानना, आदि पर शहरी जीवन का प्रभाव पड़ा है। 65 प्रतिशत महिलाओं की परियोजनाओं के लाभ लेने से आय बढ़ी है। जिससे उनके द्वारा मनाये जाने वाले धार्मिक उत्सवों में आधुनिक परिवर्तन आया है 64 प्रतिशत के सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन आया है। खेतिहर महिला श्रमिकों में राजनैतिक जागरुकता भी आई है।

कृषि कार्य करते समय विपरीत दशाओं में भी इन्हें कार्य करना पड़ता है। गर्मी, सर्दी, बरसात आदि में रहकर उन्हें खेतों में काम करना पड़ता है। विभिन्न कार्य दशाओं के सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर उत्तर की पुष्टि हुई। 95 प्रतिशत महिला श्रमिकों को भोजन एवं विश्राम का समय दिया जाता है। 63 प्रतिशत कीटनाशक दवाईयों से बचाव कर कार्य करते है, 61 प्रतिशत को बीमार होने पर मालिक ईलाज कराता है, 94 प्रतिशत खेतिहर महिला श्रमिक

पुरुष श्रमिकों के साथ कार्य करने को अच्छा मानती है। 38 प्रतिशत का बीमा है। 25 प्रतिशत को महिलाश्रम अधिनियमों की जानकारी है, 70 प्रतिशत को पुरुषों के समान वेतन मिलता है तथा 55 प्रतिशत को असल मजदूरी प्राप्त होती है। इस प्रकार खेतिहर महिला श्रमिक अनुकूल कार्यदशाओं में रहकर कार्य करने लगी है।

इस प्रकार मेरे शोध कार्य से स्पष्ट है कि बड़वानी जिले की खेतिहर महिला श्रमिकों को शासकीय परियोजनाओं के संचालन से लाभ हुआ है। जिले में खेतिहर महिला श्रमिकों की आय उपभोग, बचत, विनियोग एवं रोजगार में वृद्धि हुई है। महिला श्रमिकों द्वारा योजनाओं का लाभ होने से उनकी आय बढ़ी है, आय बढ़ने से बचत बढ़ी है। बचत के कारण इन्होंने अन्य व्यवसाय आरम्भ किये है । जिससे कृषि मजदूरी पर उनकी आश्रितता कम हुई है। आय वृद्धि से जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

बच्चों की शिक्षा में वृद्धि हुई है; जिससे उनके बच्चों को सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ। बचत के कारण उपभोग भी बढ़ा है। उपभोग बढ़ने से उनका स्वास्थ्य सुधरा है; कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। अब खेतिहर महिला श्रमिक अधिक समय तक कार्य करने लगी है। बचत बढ़ने से उसका विनियोग करने लगी है। विनियोग में बचत को उधार देना, बैंको में संग्रहित करना तथा सोने-चांदी के आभूषण क्रय करना, खेती की जमीन खरीदना आदि कार्यो पर विनियोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। शिक्षा में सुधार के कारण शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने लगी है। जिससे लघु एवं कुटीर उद्योगो की ओर आकर्षित हुई है। खेतिहर महिला श्रमिकों के परिवारों का आकार घटा है। उनके आवास व्यवस्था में सुधार आया है। वे अब स्वच्छ मकानों में रहने लगी है। कृषि में आधुनिक यंत्रों एवं उपकरणों का उपयोग करने लगी हैं। आधुनिकता के इस दौर में वे भी सम्मिलित हुई है। उनका रहन-सहन, पहनावा, खान-पान आदि में परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। उनमें राजनैतिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिला है। इस प्रकार बड़वानी जिले की खेतिहर महिला श्रमिकों पर आदिवासी विकास परियाजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

संदर्भ ग्रंथ:-

1. महिला श्रमिक, सामाजिक स्थिति एवं समस्याएँ, आदित्य पब्लिशर्स, बीना, म. प्र.
2. भारतीय नारी-वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान
3. **Agricultural Labor-Df©ep & df©ep Publications, New Df©lhi**
4. योजना मासिक पत्रिका
5. कुरुक्षेत्र
6. सर्वेक्षण पर आधारित

****

मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के बैगा जनजातियों का आर्थिक स्वरूप

डॉ. राजेश कुमार स्वामी * डॉ. विवेक कुमार पटेल **

बैगा जनजातीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप :-

उमरिया जिले के बैगा जनजातियों का आर्थिक स्वरूप उन्नत समाज के आर्थिक स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होती है। पर वास्तविकता तो यह है कि वे आधुनिक अर्थ वाले विकास की प्रारम्भिक सीढ़ी पर है, इस सम्बन्ध में डॉ. डी. एन. मजूमदार एवं मदन का कहना है कि ''संगठित प्रयास से सीमिततम साधनों द्वारा असीमित लक्ष्यों (आवश्यकताओं) अधिकतम पारितोष प्राप्त करने का नाम ही आर्थिक संगठन है।'' लूसी मेयर के अनुसार, ''मानव द्वारा अपनाये गये वे क्रिया-कलाप जिनके माध्यम से वे अपने भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार के साधनों की व्यवस्था करते है। तथा उनके विभिन्न उपयोगों में से कुछ को अपनाते है।'' रेमण्डफर्थ का मत है कि ''यह मानव कार्यकलापों का वह विस्तृत क्षेत्र है। जिनका सम्बन्ध साधनों के परिसीमित उपभोग और संगठन से है। इस प्रकार मनुष्य विवेक के द्वारा आवश्यकताओं से तारतम्य स्थापित करता है।''

❊ अर्थव्यवस्था की आदिम प्रकृति -

जनजातीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति मानवीय सभ्यता के विकास के प्रथम सोपान की पायी जाती है। उत्पादन का सम्बन्ध भी उनके अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही होता है। आदिम प्रकृति होने के कारण आवश्यकतानुसार उत्पादन बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाता है। जनजातियों का आर्थिक जीवन वनों पर आश्रित है वनों से बगैर तकनीक के अपने आवश्यकता की तमाम सारी वस्तुओं का एकत्रीकरण इनके द्वारा किया जाता है।

❊ वस्तु विनिमय की प्रधानता-

अन्य समुदाय के लोगों की तरह जनजातिय समुदाय की भी आश्यकताएँ व इच्छाएं अनन्त होती है तथा प्रत्येक जनजातिय परिवार अपने आवश्यकता की समस्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता। अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है किन्तु इनमें अतिरिक्त उत्पादनों का वस्तु विनिमय कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। यदि बाहर का कोई व्यवसायी आता है तो ये वस्त्र, किराना एवं अन्य वस्तुओं के बदले में महुआ, फल एवं फूल चिरौजी, हर्रा, बहेरा, ऑवला, सालवीज, गोंद, मधु आदि देकर प्राप्त करते है।

❊ मुनाफा वृत्ति का अभाव -

जनजातीय अर्थव्यवस्था में मुनाफा वृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। इनके उत्पादन का सीधा सम्बन्ध उपभोग से होता है, इस व्यवस्था के अन्तर्गत इन्हें जितनी आवश्यकता होती है बिना मुनाफे के एक-दूसरे को दे दी जाती है। इसी कारण गैर जनजातिय लोग इनका शोषण करते रहते है। जैसे-इनसे 2 से 3 रू. किलो महुआ खरीद कर बाजार में ऊँचे दामों में बेचा जाता है।

❊ श्रम की इकाई परिवार-

जनजातिय समाज में कार्य विभाजन का अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। इनके परिवार के सदस्य एक उत्पादन इकाई की तरह कार्य करते है। बच्चे, युवक, वृद्ध, महिला आदि के अलग-अलग एवं निश्चित कार्य होते है जो सभी के द्वारा पूरी इमानदारी से पूरा किया जाता है। प्राय: युवा वर्ग अधिक एवं कठिन जोखिम युक्त कार्यों यथा शिकार करना, पानी में मछली मारना, लकड़ी काटना, हल चलाने का कार्य करते है। महिलायें सहायक कृषि कार्य, भार ढोना, जंगलों से लकडी इकट्ठा करना तथा अन्य वन उत्पादों को इकट्ठा करना तथा अन्य वन उत्पादों को इकट्ठा करने का कार्य करती है। बच्चे सीमान्त कार्यकर्ता की तरह पशुचारण तथा अन्य छोटे-छोटे कार्य करते है।

❊ नवप्रर्वन (नवीन तकनीक) का अभाव-

इनकी अर्थव्यवस्था में नवीन तकनीकी का अभाव पाया जाता है। आज बैगा जनजाति के लोग परम्परागत तरीकों से ही अपने कार्यों को सम्पन्न करते है। आज हम अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए जब काफी तेजी से अपने जीवन में तकनीकों का प्रयोग कर रहे वहीं बैगा आज भी नवीन तकनीकों की पहुँच से काफी पीछे है तथा दूसरे सामाजिक रूढियों के कारण भी वे इनसे दूर ही रहना चाहते है। जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था हजारों वर्षो से स्थिर हुयी पायी जाती है।

❊ संग्रहण का अभाव-

बैगा जनजातियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण संग्रहण प्रकृति का अभाव होना है। बैगा उतना ही उत्पादन करते है जितनी कि उन्हें आवश्यकता होती है। यदि आवश्कयता से अधिक उत्पादन कर लिया तो सहज ही सरल समान एवं ऋणात्मक स्वरूपों में वस्तु विनिमय कर लिया जाता है। ऐसे विनिमय कार्य उपहार या उत्सव के सम्बन्ध में किए जाते है।

❊ परस्पर निर्भरता की भावना-

एक गांव में निवास करने वाले बैगा गांव के ही लोगों पर निर्भर होते है। कोई आवश्यक कार्य पड़ जाने पर या कुछ घट जाने की स्थिति में बैगा लोग एक गांव, क्षेत्र में बसने वाले बैगाओं से ही आदान-प्रदान कर या सहयोग से अपनी समस्याओं का अन्त करते है जिससे मालूम चलता है कि इनमें परस्पर निर्भरता एवं सहयोग की भावना पायी जाती है।

❊ निश्चित अन्तराल वाले बाजार-

बैगा लोग आवर्ती हाट-बाजार करते है इनकी प्रवृत्ति एक निश्चित समयावधि में लगने वाले बाजारों की होती है जहॉं ये 10-12 मील तक का सफर करके बाजार पहुँचते है। जहॉं ये केवल आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करते वरन् सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी इनके द्वारा सम्पादित होता है।

❊ बैगा अर्थव्यवस्था की प्रकृति -

बैगा जनजातियों की अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. वनों पर आश्रित अर्थव्यवस्था

(अ) आखेट, (ब) लकडी काटना, (स) वन्य वस्तुओं का संग्रहण

* अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)
** सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय कोतमा, जिला अनुपपुर (म.प्र.) भारत

2. पशुपालन,

3. कृषि,

4. श्रमिक (मजदूरी)

5. टोकरी इत्यादि का निर्माण

6. व्यवसाय, नौकरी आदि।

आर्थिक व्यवस्था किसी समुदाय का मूल आधार है, बैगा जनजाति के लोग वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी अधिकांशत: प्रकृति पर ही आश्रित है। वर्षो से इनकी सम्पत्ति का मुख्य स्त्रोत वन, पहाड नदियाँ तथा घाटियाँ ही रही है। वनों एवं पहाडों से खाद्य सामग्री संग्रहित करना, नदियों एवं तालाबों से मछली पकडना तथा कहीं-कहीं घाटियों व अन्यत्र पहाडी ढालों पर कृषि करना ही इनकी आजीविका के प्रमुख साधन रहे है। इसलिए बैगा जनजातियों का आर्थिक जीवन प्रकृति के काफी समीप रहा है। इन्हें प्रकृति से काफी संघर्ष और क्षुधा पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है।

बैगा जनजाति के लोग अत्यन्त ही सहज व सरल होते है, इनकी नीजि आश्यकताएँ काफी सीमित होती है। इन सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये वनों एवं प्रकृति पर ही निर्भर रहते है। वन न केवल इनके पसंदीदा क्षेत्र है बल्कि रोजमर्रा की वस्तुओं के प्रमुख और आजीविका का मुख्य स्त्रोत भी है। प्रारम्भिक काल से ही इन्हें वनों से शिकार एवं कन्दमूल, फल, फूल (मछुआ), तेंदू, चिरौंजी (चार या अचार) इत्यादि मुख्य रूप से खाद्य सामग्रियाँ प्राप्त होती है। वनों से इनका इतना अच्छा तालमेल है कि इनके द्वारा वन्य वस्तुओं के दोहन से पारिस्थितिकी तन्त्र (पर्यावरण) पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि इनका संरक्षण ही होता है।

बैगा बहुत से उपयोगी वृक्षों को देवता के रूप में स्वीकार कर उनकी रक्षा भी करते है। वनों का विस्तार काफी तेजी से घटने तथा कानूनी प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी ये जंगलों में ही अपना जीवन यापन करने में पूरी मेहनत व ईमानदारी से जुटा हुआ है। इस तरह वनों को अपना मानने वाले बैगा जनजाति को अचानक उससे अलग कर दिया गया है। आज स्थिति इतनी विपरीत है कि जिस सम्पदा के वे मालिक होते थे आज उसी सम्पदा से इनको केवल जलाऊ लकड़ी को छोड़कर फल, फूल आदि इकट्ठा करने पर सरकारी रोक लगा दिया गया है जिससे ये सरकार से काफी नाराज भी है और चोरी छुपे वनों का दोहन करने को मजबूर है।

प्रमुख आर्थिक समस्यायें :-

*** परिवर्तनशील कृषि की समस्या -**

बैगाओं में आज भी कई जगहों पर स्थानान्तर कृषि का प्रचलन है जिसे ये बेवार कहते है। दूसरी कृषि की एक और पद्धति प्रचलित है जिसे झूमिंग पद्धति कहा जाता है इसके अर्न्तगत जंगलों को काटकर कुछ वर्षो तक खेती की जाती है। वहॉ की भूमि अनुपजाऊ हो जाने पर उसे छोड़कर ये अनयत्र चले जाते है कुछ दिनों के बाद वहॉं पुन: वनस्पति उग जाती है जिससे वनों का विनाश नहीं होने पाता है। परन्तु वर्तमान समय में सरकार ने इन पद्धतियों से की जाने वाली कृषि पर रोक लगा दी है। जिससे ये मजबूर होकर अनुपजाऊ भूमि पर कृषि करते है जहॉं न ही सिंचाई के साधन है और न ही अच्छे बीज, खाद इत्यादि। जिसके परिणाम स्वरूप निम्न उत्पादन होता है और वर्ष पर्यन्त उपभोग के लिए खाद्य सामग्री का उत्पादन न होने के कारण भूखमरी, लाचारी, बेरोजागरी तथा अति दयनीय जीवन जीने को मजबूर है। अत: ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति अति दयनीय है।

*** वन सम्बन्धी अधिनियमों से उत्पन्न समस्यायें-**

आज भी जनजातियों का निवास स्थान ज्यादातर वनों में या फिर वनों के आस-पास के क्षेत्रों में ही है। आज भी इनकी बस्तियों की स्थिति मुख्य मार्ग तथा नगरों या अन्य समाज से बिल्कुल अलग ही स्थापित होती है। ज्यादातर इनका निवास नगरों से दूर जंगलों में उबड़-खाबड़ रास्ते तथा घने जंगलों के बीच ही पाया जाता है।

जिससे आज भी ये लोग पूरी तरह वनोंपज पर निर्भर है। इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था वन उत्पादों पर निर्भर होती है। ये वनों से प्राप्त होने वाले वनोंपज से ही विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का निर्माण करते है और उनको बेचकर अपने परिवार की क्षुधापूर्ति तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते है। परन्तु वर्तमान समय में 4 अप्रैल 2005 को मध्य-प्रदेश की नई वन नीति लागू हो जाने से इन्हें वनों से वनोत्पाद संग्रहण पर पूरी तरह रोक लग गया है जिससे जो वनों की कटाई इनके द्वारा की जाती थी और इन्हें आय प्राप्त करने का एक स्त्रोत मिल जाता था अब जो वन काटने योग्य है उसे ठेके पर दे दिया जाता है। ये ठेकेदार इनको कम मजदूरी देकर वनों को कटवाते है और इन्हें वन सम्पत्ति के उपभोग से भी वंचित कर देते है। जिससे इनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जा रही है।

*** श्रम विभाजन में असमानता की समस्या -**

बैगा जनजाति के स्त्री-पुरूष व बच्चे सभी लोग वस्तु निर्माण तथा उत्पादन वृद्धि (जो भी उनका पारम्परिक व्यवसाय है जैसे-टोकरी बनाना, महुआ, चिरौजी, तेंदू या अन्य वन सामग्रियों को एकत्र करना आदि) में पूरी मेहनत से लगे रहते है। बाहर काम के लिए जाने पर मुश्किल से पुरूष वर्ग को काम मिल पाता है। स्त्रियाँ तथा बच्चे घर ही रहते है, लेकिन अब स्थितियाँ इसके विपरीत है। महिलाओं कम मजदूरी देकर ज्यादा काम लिया जाता है और पुरूष की अपेक्षा महिलायें अधिक परिश्रम भी करती है।अत: श्रम विभाजन से असमानता उत्पन्न हो गई है। अब इनके परिवार में एक दो कमाने वाले और ढेर सारे खाने वाले होते है। अब पुरूष वर्ग और बच्चे ज्यादातर काम नहीं करते महिलायें काम करती है।

*** व्यापारियों द्वारा शोषण -**

प्रारम्भिक काल से ही इनकी आजीविका का प्रमुख साधन वन रहे है। अब वनों के दोहन पर प्रशासनिक रोक लग जाने से भी ये वनोपज पर ही आश्रित है। आज भी ये अपना भोजन तथा अनेक खाद्य सामग्रियाँ वनों से ही प्राप्त करते है। जैसे- चिरौजी, तेंदू, जडी-बूटी तथा सूखी लकडियों आदि। जिनको ये उपभोग के बाद भी काफी मात्रा में बचा लेते है। जो व्यापारिकयों को बेचकर अपनी अन्य आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। जैसे- तेल, नमक, कपड़ा, गुड, मशाला इत्यादि इसे ये विनिमय के माध्यम से प्राप्त करते है। जिससे व्यापारियों द्वारा इनका भरपूर शोषण किया जाता है, और ये भोले-भाले बैगा इस कपटपूर्ण चालाकी को नहीं समझ पाते है। बढ़ी हुई मंहगाई की बातें सुनकर ये थोडे में ही संतोष करते है और बड़ी आसानी से लोग इनका शोषण करते है।

*** सरकारी अधिकारियों द्वारा पर्याप्त सहयोग न मिलना अथवा सूचना का अभाव -**

मध्य-प्रदेश शासन तथा केन्द्र सरकार के द्वारा बहुत से योजना इनकी आर्थिक कल्याण हेतु चलायी गई है, लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा पर्याप्त सहयोग न मिलना, तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा सही समय पर सही सूचना न देना और भ्रष्टाचार जैसी बुरी आदतों के कारण इनकी अशिक्षित होने का ये लोग पूरा-पूरा लाभ उठाते है। जिससे आज भी अपने अधिकारों को न समझ पाने वाले लाचार-बेबस बैगा लोग आज भी काफी निम्न व हीन स्थिति में असहाय जीवन जीने को मजबूर है, जिनकी तरफ ना ही समाज का

ध्यान जा रहा है और ना ही सरकार को फिक्र है। यदि ये किसी काम के लिए या कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय जाते है तो इनकी वेश-भूषा को देखकर इन्हें बाहर से ही भगा दिया जाता है। और ये मायूस होकर वापस लौट आते है और फिर कभी न जाने की ठान लेते है।

✻ अन्य समस्याएँ -

वनों में निवास करने तथा अशिक्षित होने के कारण आज भी ये कोई औद्योगिक, व्यावसायिक या अन्य कार्यो को करने में विशिष्ठता या कुशलता प्राप्त न कर पाने के कारण ये अन्य काम नहीं कर पाते जिससे आज भी बैगा गर्मियों में फसलों की कटाई के लिए आस-पास के जिलों में प्रवास कर जाते है जिससे वहाँ भी इनका शोषण किया जाता है परिणामस्वरूप अति निम्न आय के कारण इनकी आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं लेती।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उमरिया जिले की बैगा जनजातियों के आर्थिक सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ कि आज भी अधिकांश की आर्थिक दशा दयनीय है उनको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। शासन के अनेकों प्रयास के बावजूद भी इनका रहन-सहन जीवन स्तर उठ नहीं रहा है। वर्तमान समय में मध्य-प्रदेश शासन की योजनाओं से इनकी स्थिति में कुछ हद तक सुधार आया है।

सन् 2004 से आदिम जाति कल्याण विभाग के एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बाँधवगढ, उमरिया (म.प्र.) के द्वारा परिवार मूलक योजना अथवा हितग्राही मूलक योजना जो विशेष तौर पर बैगा जनजातियों के लिए ही चलाया गया है। इसके माध्यम से जनसंख्या के आधार पर तहसील उमरिया, पाली, करकेली, मानपुर के माध्यम से एक विकासखण्ड में पाँच गाँवों को चयनित कर ऐसे परिवारों का चयन किया जाता है, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति ज्यादा दयनीय है फिर उसे योजना के माध्यम से जो भी रोजगार करना चाहते है उन्हें 20,000 रूपये की लागत वाली वस्तएँ जैसे-कृषि कार्य हेतु एक जोड़ी बैल, पशुपालन (डेयरी) हेतु एक भैंस, डैम बनवाने हेतु, खाद, बीज उपलब्ध करना खेत समतलीकरण इत्यादि के लिए दी जाती है। जिससे कि उन्हें रोजगार प्राप्त हो और उनकी आय में वृद्धि हो सके।

उमरिया जिले के बैगा जनजातियों का आर्थिक विकास करने के लिए मध्य-प्रदेश शासन तथा केन्द्र सरकार दोनों ही प्रयत्नशील है आज यह स्थिति केवल उमरिया जिले के बैगा जनजातियों की ही नहीं है बल्कि ऐसे ही सम्पूर्ण भारत में निवास करने वाले अन्य जनजातियों की भी है। जिसके आर्थिक विकास को बिना किए हम उमरिया जिले या मध्य-प्रदेश या फिर यह कहे कि सम्पूर्ण भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी, शोषण इत्यादि जैसे सामाजिक बुराईयों को बिना दूर किए हम अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में नहीं जोड़ सकते है। अवश्य ही स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसी योजनाएं, सहायताएं, नियम, कानून ऐसे बनाए गए जिससे इनकी आर्थिक स्थिति एवं रहन-सहन, शिक्षा का स्तर, रीति-रिवाज इत्यादि में परिवर्तन होने से इनकी सोच बदली है लेकिन फिर भी इनके आर्थिक विकास के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की संभावना बाकी है।

संदर्भ ग्रंथसूची :-

✻ डॉ. सी.पी. तिवारी- जनजातीय पर्यावरण- आशा पब्लिशिंग कम्पनी, आगरा

✻ डॉ. ललित प्रसाद विद्यार्थी- भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि, 1975, उत्तर-प्रदेश शासन, ''राजर्षि पुरूषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, महात्मा गाँधी मार्ग लखनऊ

✻ डॉ. श्रीनाथ शर्मा- जनजातीय समाजशास्त्र, मध्य-प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

✻ ए.के. पाण्डेय, श्रीमती ए. पाण्डेय- सामान्य अध्ययन, 2009 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, पृष्ठ संख्या-33

****

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था

रावेन्द्र सिंह पटेल *

आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर जैसे बादल मंडरा रहे हैं, उन्होंने भारत के उद्योग जगत को ग्रामीण बाजारों को गंभीरता से लेने को मजबूर कर दिया है। ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी कंपनियों को अब समझ में आ गया है कि ग्रामीण बाजारों की ओर संजीदगी से देखने का यही सही वक्त है। अनुमानों के अनुसार अगले तीन वर्षों में देश में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं (एफएमसीजी) के कुल इस्तेमाल में से 60 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण भारत से मिलेगा। एफएमसीजी के लिए ग्रामीण बाजारों में उपभोक्ता खर्च में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो कि शहरों के लिए सिर्फ 17 प्रतिशत है।

अप्रैल-सितम्बर 2008 की अवधि में देखे तो एसी नेल्सन के ऑकडों के मुताबिक स्किन क्रीम और लोशन बालों के तेल, टूथपेस्ट, टॉफी आदि उत्पादों की श्रेणियों में आकार और मूल्य लिहाज से बढ़त शहरी बाजारों के मुकाबले गांवों में ज्यादा रही है। ऑटो सेक्टर में मारूति सुजुकी इंडिया, जनर्ल मोटर्स, हुंदई मोटर इंडिया जैसी कंपनियाँ खासकर अपने ग्रामीण परिचालन के लिए अपनी रणनीति को दोबारा बना रही है। अब उनका मुनाफा गांवों में होने वाली बिक्री पर निर्भर हो चुका है। इसी तरह जीएम इंडिया की बिक्री में ग्रामीण उपभोक्ताओं का योगदान करीब 40-50 फीसदी है। एमएसईआई के कार्यकारी अधिकारी, मार्केटिंग एण्ड सेल्फ मयंक पारिख कहते हैं, यह तो सिर्फ हिमखण्ड की सतह है जो हम देख रहे हैं।

भारत गाँवों का देश है। आज भी देश की 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के हाथों पर पैसे पहुँचाने की केन्द्र की योजना लंबी अवधि में भारत को समृद्ध बनाने में मदद करेगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस साल के लिए ग्रामीण विकास पर 80194 करोड़ रूपये आवंटित किए है जो पिछले वर्ष (2012-13) की तुलना में 46 प्रतिशत ज्यादा है।

46 प्रतिशत की यह वृद्धि निश्चय ही उपभोग को बढ़ाकर वस्तुओं की माँग में तीव्र वृद्धि लाएगी। वर्ष 2013-14 के इस बजट में कृषि के लिए ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस 22 प्रतिशत की वृद्धि से कृषि में सुधार आएगा, कृषि उपज व उत्पादकता बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप कृषको की क्रयशक्ति बढ़ेगी और यह क्रयशक्ति उपभोग को बढ़ाने में मदद करेगी। इस प्रकार सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों की क्रयशक्ति में वृद्धि कर रही है ताकि शहरी अर्थव्यवस्था के उपभोग की कमी को पूरा किया जा सके।

हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 से ज्ञात हुआ कि 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्र में 42 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और अब 2009-10 में 33.8 प्रतिशत लोग ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है इस प्रकार गरीबी में 8 प्रतिशत की गिरावट आयी है। जबकि शहरी क्षेत्र में 2004-05 में 25.5 प्रतिशत और 2009-10 में 20.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है अर्थात 2004-05 की तुलना में 2009-10 में गरीबी में 5 प्रतिशत की गिरावट आयी है।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में गरीबी में 3 प्रतिशत की अधिक गिरावट आई है। इस प्रकार गरीबी का घटना निश्चय ही ग्रामीण उपभोक्ताओं के क्रयशक्ति में वृद्धि और परिणामस्वरूप वस्तुओं की माँग में वृद्धि का संकेत है। ग्रामीण भारत के संबंध में कुल खपत व्यय के लिए लारेंज अनुपात 0.30 है जबकि शहरी भारत के संबंध में 0.37 है जो शहरी इलाकों में सापेक्षित रूप से अधिक असमानता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्र में असमानता कम होने से उपभोग को अधिक स्थिर माना जा सकता है जो बाजार को स्थायित्व प्रदान करेगा।

वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने के तुरंत बाद ईटीनाउ द्वारा आयोजित एक पैनल डिस्कशन में एफएमसीजी दिग्गज यूनिलीवर के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (फूड्स, एचपीसी) मानविंदर सिंह बग्गा ने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाके के माँग बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

श्री बग्गा ने कहा कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के हाथ पर पैसा पहुँचाने की केन्द्र की योजना लंबी अवधि में भारत को समृद्ध बनाने में मदद करेगी। आज देशी एवं विदेशी कंपनियों का झुकाव भारतीय ग्रामीण बाजारों की ओर हुआ है। ग्रामीण मार्केटिंग के स्पेस में सबसे पहले कदम रखने वाली कंपनियों में एगमार्ट के प्रदीप कश्यप कहते हैं, मंदी की वजह से गाँवों में खपत के रूझानों पर कोई असर नहीं पड़ा है। ग्रामीण भारत का बाजार अब भी बहुत आकर्षक है। ऐसा ही मानते है प्रदीप लोखंडे, जो मौजूदा वैश्विक मंदी के दौर को पूणे में अपनी कंपनी रूरल रिलेशंस के लिए और अपनी टीम के लिए सबसे बेहतर मानते है। उनकी टीम ने हाल ही में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है जिसके तहत उन्होंने दस राज्यों में 1800 फ्रैंचाइजी बनाकर रिलायंस मनी के वित्तीय उत्पादों की बिक्री की है।

वह कहते है, 'पहले वित्तीय सेवा का बाजार सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन नगदी के लिहाज से देखें तो ग्रामीण उपभोक्ता की स्थिति शहरी उपभोक्ताओं के मुकाबले काफी स्थिर है और वह बाजार में होने वाली हलचलों से मोटे तौर पर काफी सुरक्षित है।' लोखंडे कहते हैं, अधिकतर शीर्ष कंपनियाँ आज गाँवों की जरूरतों और वहाँ रह रहे लोगों को समझने की कोशिश कर रही हैं। भारत में उपग्रह चैनलों के आने के साथ आज गाँवों का उपभोक्ता उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है जितना शहरी उपभोक्ता है।

आखिरकार, भारत में शहर सिर्फ 5000 ही है, लेकिन गाँवों की संख्या साढे छह लाख है। 2001 में जब हिन्दुस्तान लीवर ने अपने ग्रामीण मार्केटिंग अभियान शक्ति की शुरूआत की जिसके तहत 2000 से कम आबादी वाले गाँवों की कब्जाया जाना था, तो उसने मार्ट की मदद ली थी। कश्यप बताते है कि 'हमने देशभर में फैले महिला स्वयं सहायता समूहों को लक्ष्य बनाने का फैसला किया जिन्हें लीवर के उत्पाद के वितरक के रूप में भूमिका निभानी थी। छोटे गाँवों में जोखिम मुक्त लघु उद्यमों का यह प्रयास दुनिया में अपने किस्म की पहली चीज थी जिसे पुरस्कार हासिल हुए। आज इस परियोजना के तहत 46000 गाँव देश भर में आते हैं।

दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो होंडा अपने 'हर गाँव हर आँगन' कार्यक्रम का इस्तेमाल गाँवों में ग्राम पंचायत सदस्यों तक अपनी पहुँच बनाने के लिए कर रही है। कंपनी ने इसके लिए 500 के लगभग ग्रामीण बिक्री अधिकारियों का एक नेटवर्क तैयार किया हुआ है। कंपनी की कुल बिक्री का

* प्राध्यापक-अर्थशास्त्र शासकीय महाविद्यालय सतना (म.प्र.) भारत

लगभग 40 फीसदी हिस्सा ग्रामीण बाजारों से आता है और कंपनी की योजना इस वर्ष के अंत तक इसे मजबूत करने की है जिसके लिए कंपनी अपनी पहुंच 25000 गाँवों तक बढ़ाएगी।

दूसरी कंपनियाँ भी कुछ ऐसा ही कर रही है। मिसाल के तौर पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसका साबुन गाँवों में सबसे अधिक लोकप्रिय है, की योजना अगले दो से तीन साल में अपनी पहुँच 17500 गाँवों से बढ़ाकर 50000 गाँवों तक करने की है। डाबर कंपनी ने डाबर आँवला केश तेल को पेश किया। कंपनी ने अपनी ग्रामीण बिक्री रणनीति के तहत् सात राज्यों में ऐसे गाँवों में कवर किया है, जिनकी जनसंख्या 300 लोग तक है। यहाँ इस रणनीति के तहत कंपनी ने सौन्दर्य और कौशल प्रतियोगिता 'बनके दिखाओ रानी प्रतियोगिता' शुरू की है।

ब्रांड एम्बेसडर रानी मुखर्जी के नाम पर शुरू इस गतिविधि में लोगों को एक इंटरेक्टिव प्लेटफार्म मुहैया कराया है और इसके विजेताओं को उद्यमी बनने का मौका मिला है। डाबर आँवला केश तेल में साल-दर-साल के आधार पर 20 प्रतिशत की विकास दर देखने को मिली है।

वर्तमान में डीकुपलिंग सिद्धान्त को अमरीकी मंदी के संभावित उपाय के रूप में देखा जा रहा है। इस सिद्धान्त के मुताबिक अब तक विश्व की अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाली अमरीकी अर्थव्यवस्था के मंदी में चले जाने के पश्चात् भारत एवं चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था को यहाँ से आगे ले जाएंगे।

इस सिद्धान्त के पीछे तर्क यह है कि इन देशों के राष्ट्रीय आय में वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई हैं और अमरीकी माँग में कमी की भरपाई इन देशों में बढ़ी माँग से की जा सकती है। लेकिन वास्तव में सच यह है कि वैश्विक मंदी को उबारने में चीन की तुलना में भारत अधिक कारगर साबित होगा क्योंकि चीन में वस्तु की मांग अधिक है तो वह उन वस्तुओं की पूर्ति भी काफी हद तक स्वयं कर लेता है जिससे वह विश्व के विकसित देशों की अतिरिक्त पूर्ति को खपा नहीं सकेगा लेकिन भारत में वस्तु की माँग में जो वृद्धि हुई है उसकी पूर्ति भारत बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है और वह विकसित देशों की अतिरिक्त पूर्ति को खपाने में कारगर साबित होगा।अत: भारत विश्व अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने में अपनी महती भूमिका अदा करेगा। विश्व के विकसित देशों को भारत की ओर झुकाव इसी का संकेत है।

आज वैश्विक मंदी से कोई भी देश अछूता नहीं है किन्तु ऐसे में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था न केवल इस मंदी से बेअसर ज्यों की त्यों चल रही है बल्कि और मजबूती से उभर रही है, इसका एक बड़ा कारण है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कृषि और कुटीर उद्योगों पर टिका होना और साथ ही, ग्रामीणजन अभी तक क्रेडिट कार्ड और बंधकपत्र से भी अछूते रहे हैं। दूसरी ओर शहरी भारत इस मंदी से नहीं बच पाया किन्तु शहरी भारत पर नकारात्मक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान सकारात्मक निष्पादन से नगण्य हो गया। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने देश में स्थिति को सहज बना दिया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने न केवल देश को मंदी के दौर से उबारा है बल्कि आर्थिक विश्लेषकों का तो यहाँ तक मानना है कि विश्व को मंदी के दौर से निकालने में भी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज बहुराष्ट्रीय कंपिनयों को भी यह समझ में आ गया है कि भारतीय ग्रामीण बाजारों की ओर संजीदगी से देखने का यही सही वक्त है। अब वे ग्रामीण परिचालन के लिए अपनी रणनीति दोबारा बनाने की होड़ में जुटी हैं।

संदर्भ -

1- Kumar K. Phanindra & "Indian Rural Market- opportunities and challenges," Asian Journal of Marketing & management research vl.2, issue 2, feb. 2013 ISSN 2279- 0667

2- Ramkrishnan Ruchika " Rural marketing in india : strategies and challenges," century publication new delhi, 2003

3- Kashyap, P. & Raut, S. " The Rural Marketing " Biztantra Publication New Delhi, 2006

4- Nabi, M.K. & Raut, K.C " Problems and Imperatives of Rural Maketing an india " Indian Journal of marketing, Feb-March, 16-24, 1995

5- Raja gopal, " Rural Marketing : Development, Policy, planning & Practice" Rawat Publication Jaipur, 1998

6- Rao, K.L.K. and Tagat, R.G. " Rural Marketing : A Development Approach " Vikalpa Publication New Delhi, 1985

7- Valayudhan, S.K. " Rural Marketing : Targeting the non-urban consumer" Response Publication New Delhi, 2002

8- Kumar, Sanal " Rural Marketing " Sage Publication New Delhi , 2002

9- Kelles Anita- Viitanen " New challenges and opportunities for Rural Development " Paper Presented at the IFAD work shop, 15 to 17 Nov. 2005

10- Goplaswamy, T.P." Rural Marketing " Second Edition Excell Books, 2003

11. कुमार योगेश, '' ग्रामीण क्षेत्र में प्रगतिशील अर्थव्यवस्था से बदलता परिवेश' आलेख, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2009

12. झा रतीश कुमार, '' अमेरिकी मंदी और डीकपलिंग सिद्धान्त, '' आलेख, सिविल सर्विसेस क्र सनिकल, मार्च 2008

13. खुराना ललित 'संपादकीय' कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2009

14. वर्मा जयंत, '' वैश्विक वित्तीय संकट का रोजनामचा'' नीतिमार्ग, दिसम्बर 2008

15. वर्मा जयंत '' वैश्विक आर्थिक संकट का भारत पर प्रभाव'' नीतिमार्ग, 31 दिसम्बर 2008

16. दत्त सुन्दरम 'भारतीय अर्थव्यवस्था' एस चन्द्र एण्ड कंपनी नई दिल्ली, 2012

17. आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13

18. 'भारत की अर्थव्यवस्था' वार्षिक विशेषांक प्रतियोगिता दर्पण 2012

****

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारतीय खुदरा व्यापार पर प्रभाव

डॉ. निशा मिश्रा *

प्रस्तावना :- भारत चीन के बाद विश्व का खुदरा व्यापार में सबसे तेजी से बढ़ने वाली व्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है। भारत के सफल घरेलू उत्पाद में करीब 15 प्रतिशत हिस्सेदारी खुदरा व्यापार की होती है। इससे 8 प्रतिशत रोजगार प्राप्त होता है। अभी भी भारत में माल स्टोर सिर्फ बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित है तथा इस 15 प्रतिशत हिस्सेदारी में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 3 या 4 प्रतिशत ही है। इससे करीब चालीस लाख यानी भारतीय जनसंख्या के करीब 3.35 प्रतिशत लोगों को खुदरा व्यापार से रोजी-रोटी मिलती है। नवम्बर 2011 में भारत सरकार ने मल्टी ब्रान्ड स्टोर के साथ-साथ सिंगल ब्रांड स्टोर में भी सुधार प्रारम्भ किया है जिसस Walmart,Corfom,Tesco, Nike,Apple आदि से प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार ने मल्टीब्रान्ड रिटेल में 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति दी है। जनवरी 2012 में सिंगल ब्रांड स्टोर के लिए 100 प्रतिशत हिस्सेदारी (विदेशी 10 करोड़ डॉलर) तय कर दी है लेकिन 30 प्रतिशत कच्चा माल भारत का खरीदना अनिवार्य है।

रीटेल व्यापार के दो क्षेत्र हैं - संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वे हैं जो विक्रय के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। असंगठित समूह में गाँवों के किराना समूह जिसमें पान, बीड़ी व चलती-फिरती दुकाने शामिल हैं। इस समूह का भारत में रोजगार देने हेतु कृषि के बाद दूसरा स्थान है। भारत में GDP की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी इसी क्षेत्र से आती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पूर्व भारत में प्रचलित निवेश के विभिन्न पहलू -

- भारत में रिजर्व बैंक के सहमति से फ्रेंचाइजी और कमीशन का कार्य किया जा सकता है। Pizza hut, Lacoste आदि में इसी माध्यम से भारत में प्रवेश किया।
- भारत में जो कम्पनी स्थानीय निर्माता को सहयोग प्रदान करते हैं उन्हें 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
- भारतीय कम्पनी के संयुक्त प्रयास के तहत समझौते के द्वारा खोले गये जैसे SPAR ने प्रवेश हेतु राधाकृष्णन फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया।
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम Fema 1999 के द्वारा निर्धारित है। जिसकी निगरानी भारत में व्यापार व वाणिज्य मंत्रालय करता है।

शोध का उद्देश्य एवं शोध कार्य पद्धति :-

- भारत में खुदरा व्यापार का विकास
- भारत के समक्ष चुनौतियां
- भारत के खुदरा व्यापार पर FDI के प्रभावों का आंकलन (सकारात्मक व नकारात्मक)

प्रस्तुत शोधपत्र में द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है साथ ही शोध पत्रिका, न्यूज पेपर, संदर्भित पुस्तकें आदि शामिल है।

भारत में खुदरा व्यापार का विकास :- ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (GRDI) की रिपोर्ट के अनुसार 30 इमर्जिंग रिटेल मार्केट्स की सूची में भारत पाँचवे स्थान पर है। इसका दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है भारत में जिस तरह ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई है। लोग विभिन्न कम्पनियों के उत्पादों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देशी उद्योगपति भी इस क्षेत्र में अपनी पूंजी निवेश कर रहे हैं। जैसे रिलायन्स, टाटा आदि।

भारत में इस क्षेत्र का व्यापार 2013 तक 833 मिलियन तक होने का अनुमान है। सी.सी.आई.की रिपोर्ट के अनुसार 2015 तक यह 800 अरब डॉलर से भी ज्यादा होगा 1991 के पश्चात् भारत की विकास दर कुछ वर्षो को छोड़कर बढ़ी है। अत: भारत में मध्यमवर्गीय और ग्रामीण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति क्षमता का भी विकास हुआ है। संगठित क्षेत्रों में विदेशी निवेश के 40 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। भारत में सड़क एवं रेलमार्ग, वायुमार्ग के बढ़ते प्रचलन एवं युवाओं की बढ़ती पसंद के कारण नए-नए गुणवत्ता एवं पैकिंग युक्त उत्पाद में प्रगति हो रही है।

आज हम खाना खाने मैकडॉनेल्ड में जाना चाहते हैं न कि पारंपरिक खान-पान वाले होटलों में। आज नयी-नयी कंपनी सोनी, पैनासोनिक आदि हर भारतीय की जुबान है। 2011 में खुदरा व्यापार में 470 विलियन डॉलर व्यापार हुआ जिसमें से 27 विलियन डॉलर संगठित क्षेत्र से थे। एक अध्ययन के अनुसार 2020 तक भारत का खुदरा व्यापार 400 विलियन डॉलर तक पार कर जायेगा।

संगठित क्षेत्रों का हिस्सा कुछ चुने हुए देशों में निम्न प्रकार है :-

देश	संगठित क्षेत्र में हिस्सा
यू.एस.ए.	85
यू.के.	80
जापान	66
रसिया	36
भारत	04

Source :- Planel Retail & Technopark Adviser Pvt.Ltd. (ICRTER)

भारत के समक्ष चुनौतियाँ :- भारत में खुदरा व्यापार गाँव से लेकर शहर तक फैला हुआ है। इसमें बिचौलिए छोटे-छोटे दुकानदार, हॉट बाजार, आदि शामिल है। संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत खुदरा व्यापार हेतु अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा टैक्स में देना होता है जबकि असंगठित क्षेत्र नहीं देते हैं क्योंकि कोल्डस्टोर, आवागमन की सुविधा, भंडारण की सुविधा इनके पास नहीं होती है। साथ ही बाजार की स्थिति व बैंक दर में वृद्धि के कारण भारतीय लोगों की क्रय शक्ति क्षमता भी प्रभावित हो रही है।

आज वर्तमान युग भूमण्डलीकरण का युग है। यदि हम अपने बाजारों को इस प्रतिस्पर्धा से दूर रखेंगे वो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ खुदरा क्षेत्र भी विकसित नहीं होगा।

अधोसंरचना का विकास :- पूंजी के अभाव के कारण भारत में सड़कमार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग का विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है। इसी कारण फलों व सब्जी का 180 मिलियन टन के उत्पादन के बाद भी हम अपने उत्पादों को बाजार तक सही हालत में नहीं पहुँचा पाते हैं। भंडारण व सुरक्षित न रख पाने

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय के.आर.जी.महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

के कारण हमारे कृषक अपने उत्पाद को कम दामों में बेचने को मजबूर होते हैं। यदि विदेशी निवेश से अधोसंरचना का विकास किया जाय तो निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार होगा।

बिचौलियों की भूमिका :- किसानों को अपने उत्पाद का 30 प्रतिशत भी नहीं मिल पाता है जिसकी खरीदी करने पर एक उपभोक्ता को देना होता है। उदाहरण के लिए आलू जिसे पंजाब में सड़कों पर फेंका जा रहा था। उसके लिए हमें शहरों में एक किलो आलू के 15/- देने पड़ते थे। यह पैसा बिचौलियों के पास जाते हैं, लेकिन विदेशी निवेश से उत्पादकों को सही दाम मिलेंगे।

जनवितरण प्रणाली :- भारत की सभी सरकारें खाद्य सामग्री पर सब्सिडी व अनुदान देती है लेकिन फिर भी खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हुए होते हैं। इसका कारण है काला बाजारी व जन वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन नहीं होता है। विदेशी निवेश से इस पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है।

छोटे कृषक एवं व्यापारी विश्व बाजार तक नहीं पहुच पाते हैं जिससे छोटे किसानों व व्यापारियों को अपने उत्पाद जैसे - कालीन, फूल आदि कम दामों पर स्थानीय बाजार में लोगों को बेचने पड़ते हैं। लेकिन जब इनकी पहुंच विश्व अर्थव्यवस्था से जुड जाएगी तो उन्हें एक बड़ा बाजार मिलेगा व उन्हें अपने उत्पाद के सही दाम प्राप्त होंगे। ICRIER की रिपोर्ट के अनुसार - इस प्रकार प्रतिस्पर्धा बढ़ने से इस क्षेत्र को फायदा होगा। इसे उपभोक्ता का वरदान भी कह सकते हैं। क्योंकि इससे विश्व की सबसे अच्छी तकनीक से बनी गुणवत्तायुक्त वस्तुएं कम मूल्य पर उसे प्राप्त होगी।

विदेशी निवेश का भारतीय खुदरा व्यापार पर प्रभाव :- भारत में विदेशी निवेश से खुदरा व्यापार के क्षेत्र पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन।

- **नकारात्मक प्रभाव :-** विदेशी निवेश के प्रवेश से स्वदेशी व्यापार खत्म हो जायेंगे। भारत फिर से शायद विदेशी गुलामी की ओर जाएगा। जैसे - ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय हुआ था साथ ही बेरोजगारी बढ़ेगी भारत के छोटे व्यापारी कंगाली के कगार पर आ जाएंगे। शुरू में ये अपनी वस्तुएं सस्ते दामों में बेचेंगे तथा जब बाजार में इनका एकाधिकार हो जायेगा तब वे मनमानी कर मुनाफा कमायेंगे।
- एफ.डी.आई. के लागू होने से जहाँ किसानों को फायदे व बिचौलियों को खत्म करने की बात करते हैं और कंपनी सीधे किसानों से उत्पाद खरीदेगी लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एफ.डी.आई. के नुकसान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि विदेशी कंपनियों के दबदबे से किसानों को पूरी कीमत नहीं मिलेगी। उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारक व मानक निर्धारण के नाम पर उनका शोषण होगा।
- जहाँ एफ.डी.आई. से देश में अनेक रिटेल शॉप खुलेंगे और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा किन्तु इस रोजगार से देश के करोड़ों खुदरा व्यापारी बेरोजगार हो जायेंगे। इस समय देश में करोड़ों खुदरा व्यापारी हैं जिनका आर्थिक पतन होगा एवं देश में बेरोजगारी बढ़ेगी केवल लोग सेल्स मैन व सेल्स गर्ल बनकर ही रोजगार प्राप्त कर पायेंगे।
- एफ.डी.आई. के खुदरा व्यापार में प्रवेश के साथ उनका दबदबा बढ़ेगा और साधनों के विकल्प को कम करेगी। भारत का बाजार विविधता से परिपूर्ण है। उपभोक्ताओं के पास असीमित विकल्प होते हैं। किन्तु बड़ी रिटेल कंपनियों का लक्ष्य प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर अपना अस्तित्व कायम करना होता है उदाहरण अमेरिका व चीन में खुदरा सामान की दुकाने न के बराबर हैं जिससे उपभोक्ता के विकल्प सीमित हो जायेंगे।
- एफ.डी.आई. का खुदरा व्यापार में आने से सप्लायरों को कम कीमत पर सामान बेचने को मजबूर करेंगे, वालमार्ट की कामयाबी इसी पर आधारित है कि उत्पादों की कीमत में इजाफा व उपभोक्ता के विकल्प सीमित करने की रणनीति है।

सकारात्मक प्रभाव :- एफ.डी.आई. के भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कोल्ड स्टोरेज चेन में बढ़ोतरी, फसलों के नुकसान पर लगाम, बिचौलियों का सफाया, किसानों को फायदा, रोजगार में बढ़ोतरी, आधुनिक तकनीक में वृद्धि जैसे अनेक फायदे होंगे।

- 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने से उपभोक्ता को वस्तुओं के विस्तृत विकल्प अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।
- खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से विदेशी तकनीकी और खुदरा व्यापार में बहुप्रतीक्षित विदेशी निवेश प्राप्त होने के साथ-साथ तकनीक और व्यापार के उन्नत विश्वव्यापी तरीकों का आगमन होगा।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारतीय बाजार में आने की अनुमति से स्थानीय खुदरा व्यापारियों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर भारतीय उपभोक्ताओं को उन्नत सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होना पडेगा।
- भारत की आबादी का अधिकांश हिस्सा युवा वर्ग है। एफ.डी.आई. से लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा।
- एफ.डी.आई. से भारत की निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी साथ ही थोक व खुदरा व्यापार में भी असाधारण वृद्धि होगी।
- एफ.डी.आई. से किसानों को अपने कृषि उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी व भण्डारण क्षमता का विस्तार होगा।
- पूंजीगत संगठित क्षेत्र के उद्योगपति जब नई जगहों में उद्योग खोलेंगे तब उन्हें मजदूरों की आवश्यकता होगी। उदाहरण अमेरिका की 300 मिलियन आबादी में से 1.4 मिलियन लोगों को सिर्फ Walmart रोजगार प्रदान करता है।
- भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि के विकास हेतु सरकार के पास संसाधन व तकनीक का अभाव है। देश का बजट हर वर्ष घाटे का रहता है। परन्तु विदेशी निवेश से विकास को मदद मिलेगी।
- भारत में छोटे व्यापारी मजदूरों को कम वेतन पर रखते हैं किन्तु एफ.डी.आई. के आने से श्रम कानून के तहत रखे जायेंगे जिससे इनका शोषण रूकेगा।
- छोटे कृषक जिन्हें अपने उत्पाद के कम दाम मिल पाते जब वे रिटेल की कडी से जुडेंगे तो उनको सही मूल्य मिलेगा। सड़क, भण्डारण सुविधा एवं संरक्षित करने की विधि के कारण उन्हें घाटा नहीं होगा। महाराष्ट्र के श्री राम गाडवे ने कहा कि हम सब्जी उगाने वाले संघ इसका समर्थन करते हैं। कृषकों को दलालों से छुटकारा मिलेगा कृषि संगठन के शरद जोशी ने भी इसका समर्थन किया कि अभी कृषकों को सिर्फ 1/3 मूल्य ही मिल पाता है।

भारतीय सब्जी मंडी के परिदृश्य की व्याख्या करें तो हम पायेंगे कि दलाल अचढ़तियों एवं बिचौलिए का बोलबाला होता है। इससे केवल छोटे-छोट कृषकों का शोषण होता है। यदि विदेशी निवेशक स्वयं छोटे-छोटे कृषकों से खरीददारी करेंगे तो उनका शोषण रूक जाएगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। करीब 5.00 लाख बिचौलिए व छोटे-छोटे दुकानदारों के नाम पर करोड़ों कृषकों का शोषण हो रहा है। ये कंपनियां न तो सिर्फ मुनाफा बल्कि Corporate Social Responsibility के तहत Bharti Walmart ने शिक्षा, बेरोजगारों को रोजगार व नवयुवकों को ट्रेनिंग

आदि की व्यवस्था एक क्षेत्र में समुदाय विकास के तहत किया है। यही नहीं साफ-सफाई आदि की व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। Pepsico के द्वारा आलू, टमाटर आदि की संग्रहण व्यवस्था उसके रख-रखाव बीज का सम्बन्ध एवं उत्पादकता बढ़ाने के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

सुझाव :- भारत में खुदरा व्यापार के क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। सरकार को खुदरा व्यापार के क्षेत्र में समय-समय पर देश की परिस्थितियों के अनुसार संशोधन का अधिकार होना चाहिए। सरकार को छोटे-छोटे दुकानदार बिचौलिए, रेहडी वालों को संरक्षण देकर सहयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए सिंगापुर में स्वदेशी स्टोर को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार को बाजार में अपनी पहुँच बनाने में सहयोग करना चाहिए ताकि वे अपनी स्थिति सुधार सके। शहरी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को समन्वय एवं न्यायोचित आधार पर नियोजन करना चाहिए। सरकार को उत्पाद की गुणवत्ता एवं भ्रामक प्रचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि कोई कम्पनी भारतीय बाजार में एकाधिकार कर देश हित को ठेस न पहुंचाए।

निष्कर्ष :- रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सरकार का फैसला कुछ हद तक सही है क्योंकि देशी रिटेल कंपनियां भी पूंजी की कमी से परेशान है। किसानों को उनके उत्पादों के ज्यादा खरीददार मिलेंगे। ग्राहकों के पास ज्यादा विकल्प होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सुपर मार्केट्स में ग्राहकों को एक ही चीज की अलग-अलग वैरायटीज मिलेगी ग्राहक अपने बजट व सामान की गुणवत्ता के मुताबिक विकल्पों का चुनाव कर सकेंगे। परन्तु छोटे दुकानदार सीमित पूंजी के कारण एक साथ इतने प्रोडक्ट्स उपलबध नहीं करा पाते।

भारत सरकार द्वारा मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति से आधा लाभ तो भारत में रहेगा, वे टैक्स भी देंगे जिससे हमारे देश की स्थिति मजबूत होगी। चीन साम्यवादी देश होते हुए भी क्या विदेशी निवेश के कारण कंगाल हो गया, वरन आज वह विश्व में सभी देशों को कडी टक्कर दे रहा है। जब मलेशिया ताइवान जैसे देश विदेशी निवेश से फायदे में रह सकते हैं तो फिर भारत में इस प्रकार का प्रश्न उठाना मेरे ख्याल से कुछ देशी लोगों को गलत मकसद की मानसिकता ही प्रतीत होती है।

अत: किसी चीज का विरोध देश हित को देखते हुए करना चाहिए राजनीति के लिए देशहित को कुर्बान नहीं किया जा सकता। जब विभिन्न देश के उद्योगपतियों में प्रतिस्पर्धा होगी तो मूल्य भी नियंत्रण में रहेगा इसमें पद्धति में पारदर्शिता आएगी एवं बिचौलिए भी खत्म हो जाऐंगे और देश का सर्वांगीण विकास होगा।

संदर्भ :-

1. Winning the Indian Consumer Mckiney and Company - 2005.
2. Retailing in India-Unshackling the chain stores-The economist 29th May 2008.
3. The impact of Super market on farming communities in India - Evidences from rural Karnattaka - Michelle Godwin Bill Pritchard, C.P.Grancy.
4. Indian retail Industry - A report CARE Research - March - 2011.
5. Retail global expansion - A portfolio of opportunies - Atkearney 2011.
6. FDI in retail is first major step towards reform in agriculture. The Economic times - 2nd December 2011.
7. The major benefits of FDI in retail - The reformist India 30th November 2011.

Web-sites:-

1. India's retail sector - Dec.21-2010 http/www-eastasia Forum.org/2010 112/24/India's - FDI Policy - Paradigm shift.
2. Nabael Mancheri - India's FDI Policies. Paradigm shift http/www/east asia Form org/2010/12/24. India's FDI Policies-Paradigm shift.

****

अद्योसंरचना निर्माण में 'संचार' का योगदान (म.प्र. के संदर्भ में)

डॉ.साधना वर्मा *

संचार मानव के स्वभाव का अभिन्न भाग है। मनुष्य द्वारा शब्द, संगीत, हावभाव इत्यादि रूपों में होने वाली संम्प्रेषण प्रक्रियायें संचार का अंग है। संचार मानव समुदाय की वह धुरी है जिसके द्वारा मानव के सामाजिक सबंधों का निर्माण एवं विकास होता है।

संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन (Communication) कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लेटिन भाषा के Communis से बना है जिसका अर्थ है **to make common to share, to transmit** इस प्रकार संचार वह प्रक्रिया है जो कि समाज में एक दूसरे के व्यवहार का नियंत्रण करने के साथ-साथ उन्हें समूह में संगठित भी करते हैं। विकास की प्रक्रिया में 03 महत्वपूर्ण खोजे है - बिजली, इन्टनेट, पहिया।

संचार माध्यम के 03 प्रकार है :-

1. **परम्परागत संचार माध्यम** - नाटक, नृत्य, संगीत, नौटंकी।
2. **आधुनिक संचार माध्यम** - दूरदर्शन, रेडियो, इलेक्ट्रानिक आदि माध्यम- ऑन लाइन, कम्प्यूटर सेवायें, होम शॉपिंग, इन्टरनेट।
3. **लिखित माध्यम** - समाचार पत्रिकाऐं, केटलॉग, ब्रोशर, मेल, केलेण्डर, फोल्डर, पोस्टर होडिंग इत्यादि।

संचार के तत्व

विकास की इस प्रक्रिया में 06 'म' का महत्वपूर्ण स्थान है - मानव, मस्तिष्क, मुद्रा, मशीन, माध्यम एवं मंजिल (लक्ष्य)। संचार का प्रमुख तत्व माध्यम है जो निम्न प्रक्रिया से संचालित होता है - स्त्रोत (Sender), वक्ता (Encoding) संदेश (Massage) श्रोता (Audience) प्रभाव (Effect) फीड बैक (Feedback)

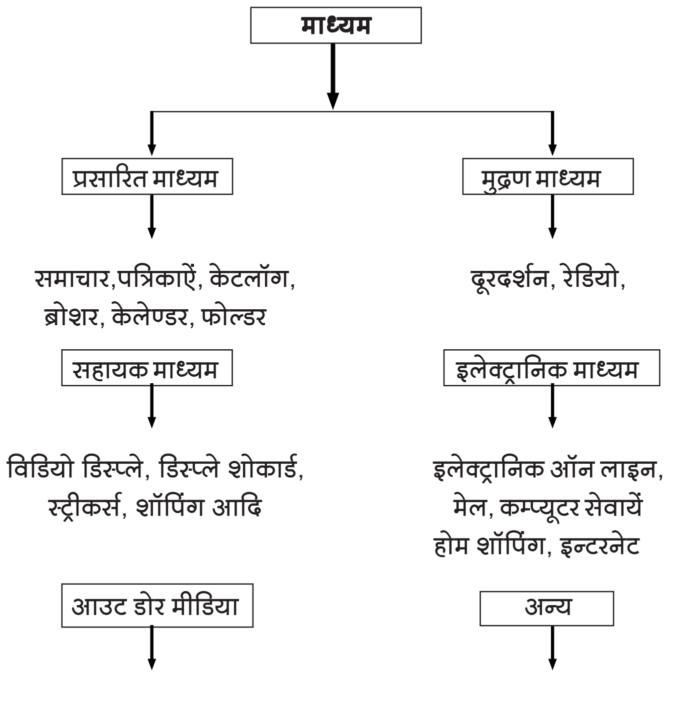

पोस्टर, होडिंग, बिल बोर्ड, बैनर   डायरेक्टरी की चैन, डायरी

- ✼ मानव चरण का प्रथम चरण मौखिक संचार का (Oral Communication) का है। जिसके अंतर्गत मनुष्य भाषा का अविष्कार एवं विकास किया।
- ✼ द्वितीय चरण लिखित संचार का है - प्रेस, पत्र, पत्रिकाएं।
- ✼ तृतीय चरण - मुद्रणयुग
- ✼ चतुर्थ - दूरसंचार
- ✼ पाँचवा - नव प्रोद्योगिक

संचार के प्रमुख तत्व माध्यम हैं जो निम्न प्रकिया से संचारित होते है।

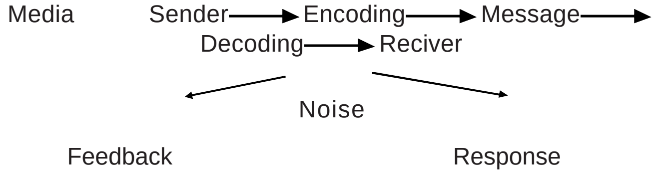

सम्प्रेषण के प्रभाव को जानने के लिए 5 प्रणाली (Who says) कौन कहता है। (What says) क्या कहता है। (Whom media says) कौन से माध्यम से कहता है।(When says) कब कहा है। (What is Response) कैसा रहा।

संचार माध्यमों को विकास का अध्ययन

मुख्य माध्यम

- ✼ **समाचार पत्र** - समाचार पत्र एक सस्ता विज्ञापन माध्यम है जो सम्भावित ग्राहकों की बड़ी संख्या तक पहुँचता है। समाचार पत्र एक ही समय में विज्ञापन संदेश को बाजार के विभिन्न खंण्डों में प्रभावी द्वार तक पहुँचाता है।

समाचार विभिन्न प्रकार की होते है। देश में आई. एन. एस. द्वारा पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या 693 है। जिसमें हिन्दी के 211, अंग्रेजी के 197 और 300 समाचार पत्र अन्य भाषाओं के है। इस समाचार पत्रों में 398 दैनिक, 106 सप्ताहिक 41 संध्याकालीन, 129 मासिक एवं 19 अन्य समाचार पत्र है। के दैनिक समाचार पत्र हिन्दू की विभिन्न शहरों की करने के लिए सर्वप्रथम उपग्रह का प्रयोग किया गया था।

गुण :-

1. माध्यम है।
2. विज्ञापनों की लागत कम होती है।
3. सत्यता की प्रमुखता
4. स्थानीय सूचनाएं प्राप्त होती है।
5. विज्ञापन प्रभावशीलता को जांचना आसान होता है।

दोष :-

1. जीवन काल छोटा होता है।
2. अशिक्षित व्यक्ति नहीं पढ़ सकता
3. समाचार पत्रों की पहुँच स्थानीय स्तर तक रहती है।

पत्र-पत्रकारिता - राज्य का प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था। जिसकी शुरूआत 1840 ई. में ग्वालियर से उर्दू भाषा में सप्ताहिक के रूप में की गई है। राज्य में हिन्दी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम

* सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.) भारत

अखबार मालवा अखबार था। जिसकी शुरूआत 6 मार्च 1848 ई. से इंदौर से की गई। बाद में यह पत्र हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू व अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगा। इसके संस्थापक पं. प्रेमनारायण थे। प्रथम हिन्दी मासिक पत्रिका 1915 में इंदौर से प्रकाशित हुई। राज्य का पहला हिन्दी मासिक पत्र नवजीवन था जो इंदौर से 1939 ई. में प्रकाशित हुआ। इंदौर से प्रकाशित हिन्दी का दैनिक पत्र, नई दुनिया राज्य में सार्वजनिक बिक्री वाला समाचार पत्र है जिसकी शुरूआत 5 जून 1947 से की गई। प्रताप ग्वालियर से 1905 में प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक पत्र था। यह पत्र अब मध्यप्रदेश संदेश से प्रकाशित हो रहा है। राज्य में सर्वाधिक प्रसार संचार वाला समाचार पत्र वर्तमान में दैनिक भास्कर है। प्रदेश से निकलने वाली एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल है। जो इंदौर से नई दुनिया प्रकाशन समूह द्धारा प्रकाशित की जा रही है। सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित होते है।

सरकारी योजनाओं एवं रोजगार से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए माध्यम नामक संस्था का गठन 1985 में भोपाल में किया गया। यह रोजगार एवं निर्माण साप्ताहिक पत्र तथा पंचायिका नामक पत्रिका का प्रकाशन करती है।

* **डाक सेवा –** प्रदेश में 1 अप्रेल 1962 को डाकतार परिमंडल का गठन नागपुर को मुख्यालय बनाकर किया गया, जिसे 1965 में भोपाल स्थानांतरित किया गया। प्रदेश में डाकघरों की संख्या 8316 तथा पत्रपेटी 40750 है। भारतीय डाक सेवा की शुरूआत 1837 में हुई। 1852 में डाक टिकट करांची में जारी हुआ। डाक सेवाएं 1898 में भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम के अतंर्गत निर्धारित होती है। देश में 164551 डाकघर है।
* **दूरसंचार सेवा –** प्रदेश में दूरसंचार सेवा 1 सितम्बर 1974 से प्रारम्भ हुई। प्रदेश में 2560 टेलीफोन केन्द्र व 41 लाख 18 हजार से ज्यादा टेलीफोन कनेक्शन है। निजी अंग में एयरटेल, डोकोमो, वोडाफॉन, रिलांयस, आर. पी. डी. डाटा इंडिकॉम व टचरेल ने टेलीफोन एवं मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराई है।
* **आकाशवाणी –** पहला अकाशवाणी केन्द्र इंदौर 1955 में स्थापित हुआ। दूसरा केन्द्र भोपाल 1956, तीसरा ग्वालियर (1964) में स्थापित हुआ। वर्तमान में प्रदेश में 19 केन्द्र है। रेडियो मिर्ची निजी क्षेत्र में एफ. एम. रेडियो इंदौर से प्रारभ हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण 1927 से प्रारंभ हुआ। इसे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो व 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया। देश में 200 आकाशवाणी केन्द्र है।
* **दूरदर्शन –** भारत में प्रायोगिक तौर पर 1959 से प्रारम्भ (दिल्ली) 15 अगस्त 1982 से रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। 1984 में मेट्रों चेनल शुरू, मध्यप्रदेश में 1972-73 में रायपुर जिले में कन्द्र स्थापित 1982 में उच्चशक्ति ट्रांसमीटर केन्द्र भोपाल में तथा 1984 में इंदौर में दूरदर्शन स्थापित किया। प्रदेश में 74 जिले केन्द्र है। 68 लघु प्रसारण केन्द्र एवं 63 स्टूडियों उच्चशासित ट्रांसमीटर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर आदि है। म.प्र. में भोपाल, इंदौर तथा ग्वालियर कार्यक्रम निर्माण केन्द्र है।
* **इंटरनेट एवं टेलेक्स ।** मध्य प्रदेश में सभी 50 जिलों में टेलेक्स एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।
* **अन्य साधन –** टेलीविजन, फिल्म, माइक्रो फिल्म, फोटोग्राफी सूचना पट्ट, पोस्टर, संगठन चार्ट, सांख्यिकीय चित्र, दीवार चार्ट, सूचना या प्रदर्शन पट्ट, बुलेसि बोर्ड, प्रदर्शनियां।

संचार का आधुनिक अर्थव्यवस्था में महत्व :-

वर्तमान अर्थव्यवस्था में संचार का महत्वपूर्ण स्थान है वास्तव में आज संचार क्रांति है अत: संचार का महत्व निम्न है:-

1. सूचना संप्रेषण करना
2. संगठित
3. न्यूनतम लागत
4. शीघ्र निर्णय व क्रियान्वयन होना
5. प्रबंधकीय अमला का विकास
6. जनतांत्रिक भावना को बल देना

सम्प्रेषण की बाधाऐं :-

1. संदेश प्राप्त कर्ता से संबंधित बाधाऐं
2. प्रेषण संबंधित बाधाऐं
3. भाषा संबंधित बाधाऐं
4. श्रवण संबंधित बाधाऐं
5. भावनात्मक संबंधित बाधाऐं
6. मनोवैज्ञानिक संबंधित बाधाऐं
7. विभिन्नता संबंधित बाधाऐं
8. लोगों के हितों संबंधित बाधाऐं
9. अवसर की अनुपयुक्तता संबंधित बाधाऐं

सुझाव :-

1. समाज की सोच सकारात्मक हो
2. संचार का प्रयोग जनहित में किया जावे
3. भाषा सरल व सहज हो
4. संचार माध्यमों का दुरूपयोग न हो

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में संचार अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना है। ''विज्ञान'' भूत की आवश्यकता का अविष्कार है तो ''संचार'' भविष्य में उन्नति का द्योतक है।

संदर्भित पुस्तकें

1. डॉ. विलनिलय जे. पी. - भारत में संचार और जनसंचार
2. डॉ. जैन संजीव कुमार - मीडिया लेखन व जनसंचार
3. डॉ. सुधा जी. एस. - विक्रय संवर्धन एवं प्रबंध
4. गौतम राकेश, भदौरिया जितेन्द्र -मध्यप्रदेश एक परिचय

****

पर्यावरण प्रदूषण एवं मानव स्वास्थ्य

डॉ. अंजना चतुर्वेदी *

पर्यावरण का सामान्य अर्थ उस वातावरण से है जो पृथ्वी पर विद्यमान है। समस्त जीव जिस वातावरण में अपना जीवन निर्वाह करते हैं वह पर्यावरण है। पृथ्वी पर उपलब्ध वायु , पानी मिट्टि एवं धरातल वह सभी पर्यावरण के अंग है ,इन सभी तथ्यों का प्रभाव मानव की समस्त क्रियाओं पर ही नहीं वरन पशु पक्षी, पेड पौधों पर भी दृष्टिगोचर होता है। पर्यावरण एक व्यापक अवधारणा है। ''पर्यावरण ब्रह्मांड की सभी बाह्शक्तियों , प्रभाव एवं पारिस्थितिकी का सम्मलित रूप है जिसमें प्रत्येक जीवधारी के जीवन , व्यवहार अभिवृद्धि विकास एवं परिपक्वता की क्रियाऐं सम्पन्न होती है।'' [1] स्पष्ट है कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न शक्तियां प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण का निर्माण करती है।

पृथ्वी के सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में रहते एवं अपना जीवन यापन करते है , वही अपने लिए '' प्राकृतिक वातावरण में सांस्कृतिक ,सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक वातावरण अथवा परिवेश निर्मित करते है अत: विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह अपनी अलग संस्कृति व समाज का निर्माण करता है। [2] सभी जीवों के सामान्य जीवन यापन हेतु स्वच्छ पर्यावरण का होना आवश्यक है। स्वच्छ पर्यावरण को हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही प्राथमिकता प्रदान की गई है। विश्व की किसी भी संस्कृति का दर्शन इतना समृद्ध नहीं है जितना हमारे देश का दर्शन एवं इतिहास। पर्यावरण संरक्षण का भारतीय दर्शन अत्यंत व्यावहारिक एवं जीवन शैली से जुडा हुआ है। हमारी संस्कृति में सामाजिक परम्पराओं में तथा प्राचीन प्रथाओं की जड़ो में पर्यावरण को सुरक्षित रखने की शिक्षा समाहित है। हमारे मूल्यों में देवी देवताओं की तरह ही पृथ्वी ,सूर्य ,वायु अग्नि वृक्ष ,नदी सरोवर को पूज्यनीय माना गया है तथा उनकी पूजा एवं सुरक्षा मानव की जिम्मेवारी समझी गई है। जैव विविधता की सुरक्षा की संकल्पना भी हमारी संस्कृति में विद्यमान है तथा जीव जंतुओं को हानि पहुंचाने एवं उनके भक्षण की अनुमति नहीं दी गई है। हमारे भारतीय दर्शन में पर्यावरण को ईश्वर के प्रतिरूप में सम्मानित व संरक्षणीय माना गया है। – तैत्तरीयोपनिशेद में कहा गया है – ''ईश्वरीय आत्मा से आकाश की ,आकाश से वायु की , वायु में अग्नि की , अग्नि से जल की तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी वनस्पति उपजाई ,अन्न दिया और मानव जाति सहित असंख्या जीव जंतुओं को पैदा किया। इस सृष्टि में प्रत्येक जीव जंतु की अहं भूमिका है।'' [3]

सामान्यत: पर्यावरण में विभिन्न घटक एक निश्चित मात्रा तथा अनुपात में होते हैं एवं इन सभी तत्वों के मध्य एक संतुलन बना रहता है। विशेष परिस्थितियों में पर्यावरण मे क्षति पहुंचाने वाले तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जिससे पर्यावरण दूषित होता है एवं प्राणियों को दुष्परिणाम भुगतना पढ़ता है अत: स्पष्ट है कि –'' जब प्राकृतिक संसाधनों की शुद्धता इस प्रकार प्रभावित हो कि उनकी जीवन उपयोगिता ही नष्ट होने लगे तो वह प्रक्रिया प्रदूषण कहलाती है।''[4]

''पर्यावरण का वह कोई भी परिवर्तन जो पर्यावरण जो पर्यावरण की गिरावट में योगदान देता है पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। कुछ वस्तुओं का गलत समय पर गलत स्थानों में तथा गलत मात्राओं मे पाया जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है।''[5] पर्यावरण को दूषित करने वाले अनेक तत्व है जिनमें प्राकृतिक मानव क्रियाऐं एवं अन्य स्त्रोत सम्मलित है। बाढ़, सूखा, आंधी, विषाणु, जीवाणु, कबक भूकम्प, अपरदन आदि प्रकृति जन्य प्रदूषण है एवं ठोस तरल एवं गैसीय सामग्री मानव जन्य कारण है। जब मनुष्य की लापरवाही से जीवाणु विषाणुओं को अनुकूल वातावरण मिलता है एवं वे बीमारी फैलाते है एवं वे मानवीय क्रियाएँ जो असंतुलन पैदा करती है फलस्वरूप बाढ़ ,सूखा,मिट्टि का अपरदन एवं प्राकृतिक प्रकोप होते है वे मिश्रित कारण के अन्तर्गत आते है। "Pollution is the addition unwonted sub¶S>tance or effect (Pollutents) which adversaty alters the natural or man made environment.[6]

वर्तमान समय की पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है जो दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही है। यह समस्या किसी एक जगह या एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व की गंभीर समस्या है। दिन प्रतिदिन हो रही प्रदूषण वृद्धि ने पर्यावरण में क्षतिग्रस्त कर उसे असंतुलित कर दिया है तथा अब इनके दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे है। प्रदूषण से सबसे ज्यादा खतरा मानव स्वास्थ्य के लिए बढ़ गया है।''विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO '' द्वारा पेश किए गए रूझानों से पता चलता है कि विश्व के तकरीबन आधे शहरों में कार्बन मोनो आक्साइड़ की मात्रा स्वास्थ्य की दृष्टि से हानि कारक स्तर तक पहुँच चुकी है, जबकि सीसा (लेड) एक तिहाई शहरों में खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। [7]

सम्पूर्ण धरती पर बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण मानवीय क्रियाएँ ही है। बढ़ती जनसंख्या से वन क्षरण का होना एक प्रधान कारण है। स्वयं जनसंख्या प्रदूषण का एक बड़ा कारण सिद्ध हो रही है, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होना इनको प्रदूषित कर रहा है। शहरी–करण की बढ़ती प्रवृन्ति ,प्रदूषण में वृद्धि कर रही है।

विकास की गति तीव्र करने हेतु औद्योगीकरण में वृद्धि से ध्वनि प्रदूषण, भू–प्रदूषण , जल प्रदूषण , वायु प्रदूषण ग्रीन हाउस प्रभाव,ग्लोबल वार्मिंग ,अम्लीय वर्षा जैसे कारको में वृद्धि हुई है। रासायनिक खादों का प्रयोग एवं कीटनाशकों के प्रयोग ने प्रजातियों एवं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न किया है।

यातायात के साधनों में वृद्धि भी प्रदूषण के लिए जिम्मेवार कारण है। वाहनों का विषाक्त धुआं वायु प्रदूषण एवं आवाज ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि करते है। सुरक्षा हेतु प्रत्येक देश की युद्ध तैयारी ने अणु परमाणु बमों का निर्माण कर भूमि प्रदूषण एवं वनस्पति की विलुत्तता का खतरा उत्पन्न कर दिया है। पशुओं की क्रियाऐं भी प्रदूषण में लगातार वृद्धि कर रही है।

पर्यावरण प्रदूषण के खतरे ने समस्त मानव जाति को खतरा उत्पन्न कर दिया है एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यवाही की जाने लगी है। 1972 में सं.रा.सं. ने स्काट होम में सम्मेलन से विश्वव्यापी मसला बना दिया। [8]

जून 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन में ''ऐजेण्डा 21'' जून 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में स्वीकृत पृथ्वी सम्मेलन 5 में ''ऐजेण्डा 21'' लागू करने की आमसहमति। 11 जून 2004 में स्टाक होम में 12 जैव रसायन एवं खतरनाक उद्योग पर रोक। 2005 में 11 वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय पर चर्चा। 07 से 18 दिसम्बर कोपनहेगन

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

डेनमार्क में जलवायु परिवर्तन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्योंटो प्रोटो का क्रियान्वयन। [9]

भारतीय सांस्कृतिक विरासत में पर्यावरण संरक्षण का अपना दर्शन रहा है। हमारा यह दर्शन जीवन शैली से जुडा हुआ है। यही कारण है कि हमारा पर्यावरण विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक सुरक्षित है। ''हमारे देश में 1973 में चिपको आन्दोलन (गढवाल) ने गौरी देवी के नेतृत्व में पर्यावरण के संरक्षण की शुरूआत हुई। शांति घाटी परियोजना केरल 1978 जंगल बचाओं 1980 बिहार, नवधन्या 1982 , उत्तर प्रदेश ,विकास विकल्प 1983 उत्तर भारत ,नर्मदा आन्दोलन 1985 मध्यभारत नर्मदाघाटी ,तरूण भारत संघ 1985 राजस्थान ,पश्चिम घाट 1988 गोवा'' आदि उल्लेखनीय प्रयास पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए है।

पर्यावरण प्रदूषण ने मानवीय स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुँचाई है। जिसका प्रत्यक्ष प्रत्येक क्रिया कलाप पर परिलक्षित हो रहा है। ''वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है तथा सिलिकोसिस ,बाइसिनोसिस, बैगोसोसिस ,हैल्कोसिस एन्थ्रेकासिस बीमारी होती है।'' सीसा प्रदूषण से बच्चों के बौद्धिक स्तर में कमी आती है। [11]

जल प्रदूषण से बैक्टिरीया जनित रोग, विषाणुजनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग , पेट के कृमि संबंधी रोग उत्पन्न होते है। [12]

ध्वनि प्रदूषण से बहरापन ,थकान,अनिद्रा ,हृदय रोग दृष्टि दोष ,विक्षिप्तता आदि रोग उत्पन्न होते है। [13]

समस्त प्रकार के प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है एवं वे किसी न किसी प्रकार के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाता हैं। मानवीय स्वास्थ्य का अच्छा न होना स्वयं को , परिवार को, समाज को भी तथा देश को प्रभावित करता हैं। स्वास्थ्य की खराबी न सिर्फ कार्यक्षमता को प्रभावित करती है बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालती है। व्यक्ति को अपनी आय का एक बड़ा भाग स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर व्यय करना पढ़ता है, जिससे उसका जीवन स्तर उच्चतर नहीं हो पाता।

प्रबंधन के वर्तमान युग में स्वास्थ्य प्रबंधन एक नवीन विचारधारा के रूप में उत्पन्न हुआ है। मनुष्य अपने दूरदर्शी एवं सुरक्षा उद्देश्य के लिए एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचत करता था। वर्तमान में कुछ बड़ी बीमारियों का सामना करने हेतु भी बचत का एक भाग रखता हैं। प्रदूषण जन्य रोगों से बचाव या उपाय भी प्रदूषण की रोकथाम में निहित है। -

- प्रत्येक परिवार घर एवं आसपास में वृक्षारोपण एवं कुछ सब्जियां उगा सके हफ्ते भर को नहीं पर तीन दिवस के लायक ही तो यह वायु प्रदूषण एवं कीटनाशकों से बचाव का कार्य हो सकता है।
- जल को बेकार बहने न दे वरन अपने परिवार के जल निष्कासन को शोखपिट बना कर प्रयास करे तो जमीनी पानी बढ़ा सकता है।
- वाहन का प्रयोग अति आवश्यकता पर करे।
- योग एवं प्राणायाम का नियमित अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा।
- आने वाली पीढीयों को सुरक्षित पर्यावरण देने की चिंता भी प्रदूषण कम करने को प्रोत्साहित करती है जो स्वयं के लिए भी लाभकारी है।
- पालीथीन का संयमित उपयोग एवं उचित विस्तारण करना एक उचित प्रयास होगा।

संदर्भ सूची

1. पर्यावरण अध्ययन - डॉ. बी.एल तेली एवं डॉ. नारायणी विश्वभारती पब्लिकेशन 2008 पृ.02
2. पर्यावरण - डॉ. बी.एल. शर्मा साहित्य भवन आगरा 1993 पृ.04
3. परीक्षा मंथन -पर्यावरण विशेषांक भाग 6-7 संयुक्तांक वर्ष 2013-14 ताशकंद मार्ग इलाहाबाद पृ.03
4. परीक्षा मंथन -पर्यावरण विशेषांक भाग 6-7 संयुक्तांक वर्ष 2013-14 ताशकंद मार्ग इलाहाबाद पृ. 34
5. पर्यावरण अध्ययन- प्रो. त्रिभुवननाथ शुक्ल म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी 2009 - पृ.04

6- Essentional learning in Environmental Education CEE Ahmedabad I bid P- 84

7. परीक्षा मंथन -पर्यावरण विशेषांक भाग 6-7 संयुक्तांक वर्ष 2013-14 ताशकंद मार्ग इलाहाबाद पृ. 34
8. प्रतियोगिता दर्पण - मार्च 2010 स्वदेशी बीमा नगर आगरा पृ. 1455/6
9. प्रतियोगिता दर्पण - मार्च 2010 स्वदेशी बीमा नगर आगरा पृ. 4155/6
10. परीक्षा मंथन -पर्यावरण विशेषांक भाग 6-7 संयुक्तांक वर्ष 2013-14 ताशकंद मार्ग इलाहाबाद पृ. 39
11. परीक्षा मंथन -पर्यावरण विशेषांक भाग 6-7 संयुक्तांक वर्ष 2013-14 ताशकंद मार्ग इलाहाबाद पृ. 41
12. परीक्षा मंथन -पर्यावरण विशेषांक भाग 6-7 संयुक्तांक वर्ष 2013-14 ताशकंद मार्ग इलाहाबाद पृ. 47
13. परीक्षा मंथन -पर्यावरण विशेषांक भाग 6-7 संयुक्तांक वर्ष 2013-14 ताशकंद मार्ग इलाहाबाद पृ. 55

****

उपेक्षित नारी- बालिकाओं का गिरता हुआ अनुपात - आलेख

डॉ. प्रतिमा खरे*

वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या खतरनाक स्तर पर पहुँच पर गई है। वास्तव में स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है। हमें बड़ी उदारता से सामान्य स्त्री और उसके परिवेश के बारे में सोचना होगा औरत की नीयति क्या है? वह गुलाम क्यों है? किसने ये बेड़िया कुलांचे भरती हिरणी के पैंरो में पहनाई? स्त्रियों को तो वही मिला जो पुरूष ने अपनी इच्छा से उसे देना चाहा। भारतीय समाज युगों से पुरूष प्रधान रहा है।

अस्तित्व रक्षा के संघर्ष ने पुरूष को प्रधान बना दिया और परिवार में पिता की सत्ता कायम रही। जबकि पुत्री को पारिवारिक प्रतिष्ठा में एक कमी के रूप में देखा गया और कन्या भ्रूण की हत्या को खुले आम अंजाम दिया जाने लगा और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारी विकसित तकनीक (अलट्रासाउण्ड) का दुरूपयोग है फिर राजपूत काल में लड़की को पैदा होते ही मार देते थे। कारण 1. वो लोग लड़की की शादी करके किसी के सामने सिर झुकाना नहीं चाहते थे। 2. चन्देल लोग राजपूतों की कुमारी जवान लड़कियों के डोले बलपूर्वक उठवा लेते थे। यही बीज आगे पनप कर आज विशाल वृक्ष बने रहे हैं और समाज पुरूष प्रधान बना बैठा है।

कार्ल मार्क्स के शब्दों में ''किसी काल में समाज की प्रगति को जानना हो तो उस काल विशेष में महिलाओं की स्थिति पर नजर डालो'' पता चल जायेगा परन्तु भारतीय समाज की स्थिति काफी संकट पूर्ण और भयावह लगती है। क्योंकि महिला प्रगति महिला शक्ति और नारी स्वतंत्र्य सभी की अनदेखी करते हुये हमारे समाज में कन्या भ्रूण की हत्या बढे पैमाने पर की जा रही है।

कुछ आंकड़े :-

1. प्रत्येक छठी कन्या को जन्म से पहले मार दिया जाता है।
2. प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ कन्यायें जन्म लेती है इसमें से लगभग बीस लाख को जन्म से पहले मार दिया जाता है।
3. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार देश में प्रति वर्ष लगभग 50 लाख कन्या भ्रूण नष्ट किये जाते है।
4. 1981-91 तक के दशक में एक करोड़ सैतीस लाख लड़कियां कम पैदा हुई तब 2011 तक दो करोड़ तीस लाख लड़कों को शादी के लिये लड़कियों नहीं मिलेगी।
5. 1901 में प्रति हजार पुरूष पर 972 लड़कियां थी।
   1951 में प्रति हजार पुरूष पर 946 लड़कियां थी।
   2001 में प्रति हजार पुरूष पर 933 लड़कियां थी।

राज्य के हिसाब से :-

❋ केरल में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या	1058
❋ असम में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या	935
❋ राजस्थान में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या	921
❋ मध्यप्रदेश में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या	919
❋ उत्तरप्रदेश में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या	893
❋ दिल्ली में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या	821
❋ दमन एवं दीप में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या	710

आंकडों से स्पष्ट है कि कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा हो रही है। तब निश्चित है कि समाज में स्त्री पूरूष का अनुपात असंतुलित होता जायेगा। परिणामस्वरूप बलात्कार, वेश्यावृत्ति, आधुनिक तकनीकि की दुरूपयोग बढ़ता जा रहा है। जो समाज के लिये एक अभिशाप बन जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी । वास्तव में बढ़ती हुई भ्रूण हत्याओं के पीछे पुरूष प्रधान समाज हमारी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जटिलता है आज बालिका को जन्म से लेकर मृत्यु तक मुसीबतों को सामना करना पडता है ।

1. प्रकृति व्दारा दिया गया उसका जठिल शारीरिक विकास
2. उसकी शिक्षा में आने वाली विभिन्न रूकावटें
3. फिर शादी के समय दहेज की चिंता और फिर ससुराल जाकर अगर वो पुत्री को जन्म देती है तो ससुराल पक्ष की मायूसी इन सारी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है।

तब वह सोचती है कि जो मुसीबतें उसने झेली हैं वो न दोहरे तब जैसे ही एक दम्पत्ति को पता पड़ता है कि वो एक बालिका को जन्म देने वाले है तब वो कन्या भ्रूण को मौत के हवाले कर देते हैं।

एक तरफ जहां हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 16वीं सदी की विचारधाराओं को अभी तक ढो रहे हैं। एक ज्वलंत प्रश्न उठता है कि जो सुख सुविधायें हमें पुत्र के माध्यम से लिखी हैं, क्या वह सुख सुविधायें पुत्री के माध्यम से नहीं मिल सकती हैं?

मेडीकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिगनेंसी एक्ट 1971 बनाने में यह सोचा गया था कि भ्रूण की तुलना में माँ का जीवन अधिक मूल्यवान है। इस कानून से यह व्यवस्था की गई थी कि यदि शारीरिक, मानसिक, या मानवीयता के आधार पर जरूरी हो तो गर्भपात कानूनी तरीके से किया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 299 व 300 में जसकैटेज भ्रूण यानी माँ के गर्भ में बच्चे को चोट पहुंचाने व नवजात को लावारिस फेंक देने आदि को रोकने के लिये अनेक कानूनी व्यवस्थायें हैं। यह कानून मिसकैरेज को अपराध मानता है। कानून की धारा 312 से 318 में भ्रूण हत्या से निपटने का प्रावधान है इस कानून के तहत भ्रूण हत्या करने और करवाने वाले को सजा का प्रावधान है।

भ्रूण हत्या एवं बालिकाओं का गिरता अनुपात एक चिंता का विषय है इस गिरावट के लिये समाज में व्याप्त पुत्र एवं पुत्री के बीच भेदभाव एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका प्रभाव हर किसी पर पड़ रहा है। आज जरूरी है कि महिलाओं को उन्नति एवं विकास के पर्याप्त अवसर दिये जाये चाहे वे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वस्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वह रक्षा का क्षेत्र हो या युद्ध का मैदान हो सभी जगह महिलाओं ने अपनी क्षमता सिद्ध करके दिखाई है। तभी लड़की का जन्म किसी की मायूसी न बनकर बल्कि प्रफुल्लता बनेगा।

****

* सहायक प्राध्यापक (वनस्पति विभाग) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ''शोध आलेख''

डॉ. बिन्दु श्रीवास्तव *

प्रागैतिहासिक अपवाद को छोड़कर सभ्यता के उस मोड़ से जहाँ से मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ आज के कम्प्यूटर युग तक के समस्त सभ्यतागत रूपान्तरों में मनुष्य की सभी क्षेत्रों में प्रयासशीलता देखी जा सकती है। मनुष्य हमेशा इस प्रयास में रहता है कि वह अपने आय के सीमित साधन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके क्योंकि भारत में निर्धनता का कुचक्र आज का नहीं वर्षो पुराना है। निर्धनता के कारण ही भारतीय उपभोक्ता की क्रय शक्ति अत्यन्त कमजोर मानी जाती है। पहले उपभोक्ता को बाजार में सर्वगुण सम्पन्न व्यक्ति से अलंकृत किया गया। इसी बोधानुभूति के कारण पहले विक्रेता उपभोक्ताओं को प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयत्न करते थे माल की गुणवत्ता पर वह विशेष रूप से ध्यान देते थे ताकि उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित कर सके।

लेकिन कालान्तर में जैसे-जैसे विकास की गति ने जोर पकडा, वैसे-वैसे व्यक्तियों की स्वार्थी भावनाओं को पनपने का अवसर मिला क्योंकि उत्पादक और विक्रेता लाभ अर्जित करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे और इसी दौड में उन्होंने माल की गुणवत्ता खो दी और निम्न कोटि का माल बेचने में संलग्न हो गये। उसका परिणाम यह हुआ कि उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य पर निम्न या घटिया माल मिलने लगा। यहाँ तक कि बाजार में जीवन की सुरक्षा करने वाली दवाइयाँ भी इस मिलावट से अछूती नहीं रहीं। इन सबसे आज का उपभोक्ता कराह उठा, एक ओर मंहगाई तो दूसरी ओर कीमत के बदले उपयुक्त वस्तु का न मिलना। इन सबका परिणाम यह हुआ कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाने लगे और सरकार ने भी अधिनियम और कानून बनाए पर उनसे उपभोक्ताओं को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाया। मार्शल ने भी लिखा है कि उपभोक्ता उतनी ही कीमत देने को तैयार होता है जितनी कि उसे उपयोगिता प्राप्त होती है ज्यादा नहीं।

अंतत: उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम न केवल उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है अपितु उपभोक्ताओं को हानि की क्षतिपूर्ति भी करता है। इस अधिनियम का लाभ समाज का प्रत्येक उपभोक्ता ले सकता है और अपने हितों का संरक्षण व अपना कल्याण कर सकता है। संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना।

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 है।
(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न राज्यों और अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम सभी माल और सेवाओं को लागू होगा।

उपभोक्ता कौन है -

दो प्रकार के व्यक्ति उपभोक्ता होते हैं : पहला जो कीमत देकर कोई वस्तु या माल खरीदता है और दूसरा जो कीमत देकर सेवा प्राप्त करता है जैसे टिकट खरीद कर बस या रेल से सफर करना। हम सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ता हैं। यहाँ तक कि कुछ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी दूसरों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ता हैं। इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता शब्द की वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रयोजन के लिए अलग से परिभाषा दी गई है -

वस्तुओं के मामले में उपभोक्ता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो नीचे दिए वर्गों में आता है :-

(अ) वह व्यक्ति जो, प्रतिफल का भुगतान करके या उसके भुगतान का वचन देकर या उसका आंशिक भुगतान करके और आंशिक भुगतान का वचन देकर या किसी आस्थगित भुगतान की पद्धति के अधीन कोई माल क्रय करता है।
(ब) इसमें माल के वास्तविक क्रेता से भिन्न ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जो क्रेता के अनुमोदन से ऐसे माल का प्रयोग करता है।

- सेवाओं के मामले में उपभोक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो नीचे दिए गये वर्गों में आता है -

(अ) वह व्यक्ति जो, प्रतिफल का अथवा कीमत का भुगतान करके या उसके भुगतान का वचन देकर या उसका आंशिक भुगतान करके और आंशिक भुगतान का वचन देकर या किसी आस्थगित भुगतान की पद्धति के अधीन किसी सेवा या किन्हीं सेवाओं को भाडे पर लेता है,
(ब) इसमें प्रतिफल का अथवा कीमत का भुगतान करके सेवाओं को वास्तव में भाडे पर लेने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसा लाभ भोगी भी शामिल है, जो वास्तव में भाड़े अथवा किराये पर लेने वाले व्यक्ति के अनुमोदन से ऐसी सेवाओं का उपयोग करता है। उपभोक्ताओं के अधिकार।

इसमें उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों का वर्णन है :-

(1) ऐसे माल को जो जीवन और सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो को बाजार में भेजने तथा बेचने के विरुद्ध कार्यवाही उपभोक्ता की रक्षा करना,
(2) अनुचित व्यापार व्यवहारों से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए माल की गुणता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार,
(3) जहां भी सम्भव हो वहां प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर माल की विभिन्न किस्मों को सुलभ कराये जाने का अधिकार, जिसमें कि माल की कीमत उचित स्तर पर रहे और किस्म भी अच्छी रहे,
(4) सुनवाई तथा इस आश्वासन का अधिकार कि उपभोक्ताओं के हितों पर समुचित मंचों पर सम्यक् रूप में विचार किया जायेगा,
(5) अनुचित व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनुचित शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार।

उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा एवं शीघ्र एवं सस्ते न्याय की मंशा पूर्ति हेतु उक्त अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं, किये गये संशोधन के द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने की समय-सीमा 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष की गई। परिवाद पत्र के साथ न्याय शुल्क के भुगतान किये जाने हेतु संशोधन किया गया, फोरम के आर्थिक क्षेत्राधिकार में भी संशोधन किया

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

गया। जिला फोरम का आर्थिक क्षेत्राधिकार 1/- रु. से लेकर 20 लाख, स्टेट राज्य आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार 20 लाख से 1 करोड़ तक एवं राष्ट्रीय आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार 1 करोड़ से ऊपर किया गया। उक्त सभी संशोधन उपभोक्ता के हितों की बेहतर सुरक्षा हेतु किये गये।

उपरोक्त अधिनियम के तहत् बिना किसी भेदभाव के उपभोक्ता को न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए। कानूनी प्रावधान एवं शासकीय अमले की व्यवस्था अपने आप में उपभोक्ता के हितों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है इसके लिए आज भी ऐसे वातावरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिससे उपभोक्ता अपने हितों के संरक्षण के साथ उसके उपयोग के लिए सक्षम बन सके इसके लिए मेरे सुझाव निम्नानुसार हैं :-

सुझाव :-

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत् विचाराधीन प्रकरणों की विवरणों की प्रक्रिया संक्षिप्त किस्म की बनाई गई है जो वर्तमान उपभोक्ता प्रणाली के विपरीत है क्योंकि संक्षिप्त विवरण पद्धति से किसी भी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। उपभोक्ता के साथ हुई छल कपट की जाँच संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा सम्भव नहीं है अत: आवश्यकता इस बात की है कि जहां किसी भी उपभोक्ता विवाद को न के बराबर न्याय शुल्क भुगतान करने पर उपभोक्ता विवाद उपभोक्ता मंचों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है तो उपभोक्ता कल्याण के लिए आवश्यक हो गया है कि न्यून न्याय शुल्क अदा करने पर विस्तृत प्रक्रिया के तहत ही उपभोक्ता विवाद का निराकरण उपभोक्ता मंचों के समक्ष किया जाना चाहिए।

(2) वर्तमान में इस अधिनियम को संशोधित कर उपभोक्ता विवाद का मूल्यांकन एक रुपया से लेकर 1 लाख रुपया तक होने पर 100/- का न्याय शुल्क भुगतान करने का जो प्रावधान जोड़ा गया है उसे हटाया जाना चाहिए ताकि आम उपभोक्ता इस अधिनियम का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।

(3) सरकार द्वारा एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाना चाहिए जो यह निगरानी करे कि अधिनियम में भ्रष्टाचार न पनपने पाए और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उचित न्याय प्राप्त हो सके।

(4) समय-समय पर होने वाले संशोधनों का प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि उपभोक्ता उससे परिचित हो सके और अपने हितों की रक्षा कर सके।

(5) जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के समय को तीस दिन से अधिक बढ़ाया जाए ताकि उपभोक्ता को पर्याप्त समय मिल सके और वह अपील की कार्यवाही कर सके।

उपरोक्त सुझावों और सरकारी प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा के लिए बनाए गए अधिनियम से अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त कर सकता है और स्वयं को सामर्थ्यवान बनाकर उत्पादक और विक्रेता के बनाए गए घटिया वस्तु के चक्र व्यू से बाहर निकल सकता है और अपनी सीमित आय से अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बाबेल वसन्ती लाल : उपभोक्ता संरक्षण कानून वाफना पब्लिकेशन चौडा रास्ता, जयपुर, 1992
2. चराटे विनायक लाल : उपभोक्ता संरक्षण 1986, सुविधा ला हाउस, 28 मालवीय रोड़ नाका, भोपाल
3. सेन अमर्त्य : गरीबी और अकाल, राजपाल एण्ड संस कश्मीरी गेट, दिल्ली, 2002
4. डॉ. जैन के.पी. : आर्थिक विश्लेषण, आगरा बुक स्टोर, आगरा, 2004
5. बंगिया, आर.के. : लॉ आफ टोरेक्ट्स, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी लॉ पब्लिशर, 1612, मथुरा रोड़ प्लाट नं. 33, फरीदाबाद (हरियादा), 2003
6. बी.एस. खेजपाल एवं गुलजार खान : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

****

सामाजिक न्याय विकास का आधार

श्रीमती संध्या देव *

सामाजिक प्रशासन का महत्वपूर्ण लक्ष्य सुनियोजित ढंग से सामाजिक परिवर्तन लाना है तथा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक न्याय/अत: सामाजिक न्याय की अवधारणा लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण उत्पन्न हुई है सामाजिक न्याय की अवधारणा समाज एवं न्याय इन दो शब्दों की व्याख्या से संबंधित है। सामाजिक स्तर पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच असमानता, अन्याय, शोषण तथा असहयोग को समाप्त करना एवं मानवीय मूल्यों तथा मानव गरिमा को स्थापित करना सामाजिक न्याय है। यह अवधारणा 'न्याय' के बहुत सारे पक्षों एवं समाज के बहुआयामी जटिल कारणों से अंतर्संबंधित है।

अति प्राचीन काल से ही न्याय की अवधारणा राज्य के दर्शन तथा कार्यो से प्रत्यक्ष संबंधित रही है। क्योंकि राज्य नामक संस्था का निर्माण ही न्याय की स्थापना एवं व्यक्ति के कल्याण के लिये किया गया था।

न्याय अर्थात Justice शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द Jus (जस) से हुई है। जिसका अर्थ है जोड़ना या संयोजित करना अत: व्यक्तियों को एकत्रित या समन्वित करने की अवधारणा ही न्याय है। राज्य नामक संस्था आधुनिक युग में लोक प्रशासन के माध्यम से यह उद्देश्य पूर्ण करने का प्रयत्न करती है। संत अगस्टाइन की न्याय की कल्पना ईश्वरी न्याय के समकक्ष है उन्होंने ईश्वरीय न्याय को राज्य का एक प्रमाण तत्व मानते हुये कहा है कि ''जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता, वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते है।''

वार्कर के शब्दों में – '' न्याय व्यवस्था का संदर्भ व्यक्तियों तथा उनके दायित्वों एवं अधिकारों का नियमन करने वाले सिद्धांत का प्रमुख तत्व है व्यक्तियों को उनके अधिकार या हक दिलाना न्याय के विविध रूपों में प्राकृतिक न्याय, नैतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा कानूनी न्याय सम्मिलित है।

प्राकृतिक न्याय की मूल धारणा यह है कि व्यक्ति मूलत: विचारशील तथा विवेकशील होता है। समाज के बंधनों से मूल मानव ही समानता पूर्वक जीवन जी सकता है। चूंकि सभी मनुष्य एक सा नहीं सोचते है अत: प्राकृतिक न्याय अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवधारणा पर आधारित न्याय व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। नैतिक न्याय के अंतर्गत यह माना जाता है कि मानव व्यवहार के कुछ स्थापित मूल्य नियम भौतिक आचरण संबंधी प्रतिमान तथा शाश्वत सिद्धांत होते है जो सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय तथा मान्य होते है। इन्हीं से व्यक्ति के अधिकारों तथा कर्तव्यों को नियमन होता है। उदाहरण के लिये सदा सत्य बोलना प्राणी मात्र के प्रति दया दिखाना परस्पर प्रेम करना, दान देना आदि नैतिक आचरण है जो न्याय का आधार बनते है किन्तु सभी व्यक्तियों की नैतिकता में आस्था नहीं होती है। राजनैतिक न्याय को ही अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का नाम दिया था। जिसके अंतर्गत राजनैतिक समाज में व्यक्ति को उसका उचित स्थान प्रदान किया जाता है अर्थात् व्यक्ति को शासन में सम्मिलित करना या सरकार में भाग लेना का योग्यता अनुसार अवसर देना ही राजनैतिक न्याय है। चुनाव लड़ना, मताधिकार का प्रयोग करना, सरकारी कार्यों में सहभागिता निभाना तथा संघ बनाना इसी श्रेणी के अधिकार है। आर्थिक न्याय के अंतर्गत उत्पादन के संसाधनों के अधिकार तथा संपत्ति वितरण की ऐसी व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है जिसमें सबको उनके श्रम का समुचित पारिश्रमिक मिले। शोषण न हो तथा आर्थिक साधनों तथा सत्ता का केन्द्रीकरण न हो। समाजवाद इसी अवधारणा का विस्तार है। कानूनी न्याय से तात्पर्य सामान्य न्याय पालिका द्वारा दिये जाने वाले न्याय से है जो किसी भी राज्य के द्वारा निर्धारित विधियों या कानूनों के अंतर्गत किया जाता है। विधि के शासन के अंतर्गत सभी व्यक्ति कानून के अधीन होते है तथा ऐसा कानून सर्वमान्य रूप से स्वीकार होता है। न्याय के संबंध में जो मान्यताएं समाज में प्रचलित होती है उन्हें राज्य एक औपचारिक रूप प्रदान कर देता है, जो कानूनी न्याय का आधार बनता है। संविधान तथा विधि द्वारा निर्मित कानून, कानूनी न्याय का आधार बनता है।

सामाजिक न्याय के अंतर्गत यह माना जाता है कि सभी व्यक्ति जन्म से एक समान है और सभी में मानवीय गरिमा तथा गौरव का भाव है। किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता है। धर्म, वंश, प्रजाति, जाति, लिंग तथा अन्य साधनों पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भेद करना सामाजिक न्याय के विरूद्ध है। वार्कर ने अपनी पुस्तक में प्लेटो के विचारों को वर्णित करते हुये लिखा है ''सामाजिक न्याय की परिभाषा, उस समाज के सिद्धांत के रूप में की जा सकती है जिसमें उत्पादक, सैनिक एवं शासक विभिन्न प्रकार के लोग रहते है तथा एक समाज में दूसरों से अलग होकर भी अपने कार्यों पर लगे रहकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते है जो पूर्ण होता है क्योंकि वह पूरे मानव मस्तिष्क का उत्पादन एवं प्रतिबिंब होने के कारण इसके अंतर्गत समाज के उच्च वर्गोवार एवं उनके निर्धारित कार्यों का संपादन नीहित है जिनको करने के लिये वे अपनी क्षमताओं एंव समाज में उन्हें प्रदत्त स्थान के कारण वे प्राकृतिक रूप से उपयुक्त होते है। '' यह परिभाषा सामाजिक न्याय को एक व्यापक अर्थ प्रदान करती है। अमेरिका स्वतंत्रता की में कहा गया है – सभी मनुष्य स्वतंत्र तथा समान उत्पन्न हुये है अत: उन्हें पूर्ण मानवीय एवं स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। जे.एस.मिल. सहित बहुत से विचारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन किया है तथा व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को अनावश्यक माना है। वस्तुत: सामाजिक न्याय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणायें एक समान प्रतीत होती है, किन्तु इन दोनों अवधारणाओं के अंतर है। आज ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हम पूर्ण व्यक्तिगत कह सके तथा जिसका प्रभाव समाज की व्यवस्था पर न पड़ता है। व्यक्ति द्वारा संपत्ति का संग्रहण सामाजिक न्याय तथा समाजवाद के विरूद्ध है क्योंकि इससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है तथा आराजकता को बल मिलता है। उसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता से कभी-कभी सांप्रदायिकता एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। अत: व्यक्तिगत स्वतंत्रता एंव सामाजिक न्याय के सिद्धांत प्रत्यक्षत: मेल नहीं खाते है।

इसलिये सामाजिक व्यवस्था के निर्माण हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अत: सामाजिक न्याय का अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे को बढ़ावा देना है। इसमें व्यक्ति को साध्य

* सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) शासकीय महिला महाविद्यालय नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

तथा राज्य को साधन माना जाता है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा के संबध में कहा जा सकता है कि -

1. यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास तो करती है किन्तु सामाजिक संदर्भ को भी ध्यान में रखती है।
2. मानवीय गरिमा गौरव तथा अधिकारों की रक्षा करना इसके उद्देश्य है।
3. यह अवधारणा जाति धर्म वंश लिंग प्रजाति सहित अन्य बहुत से आधारों पर व्यक्ति, व्यक्ति के बीच प्रचलित भेदभाव समाप्त करना चाहता है।
4. समाज सुधार एवं सामाजिक परिवर्तन इसके सहगामी पक्ष है।
5. लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्यों में सामाजिक न्याय की अवधारणा तेजी से बढ़ रही है।
6. मौलिक अधिकारों नीति निर्देशक तत्वों सामाजिक विधानों, सामाजिक नीति तथा सामाजिक नियोजन के माध्यम से इसकी प्राप्ति का प्रयास किया जाता है।

भारत में सामाजिक न्याय का संबंध निम्न लिखित माध्यमों या स्त्रोतों से है -

1. मौलिक अधिकार
2. नीतिक निर्देशक तत्व
3. सामाजिक नीति
4. सामाजिक विधान
5. सामाजिक नियोजन

सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने हेतु संविधान सर्वोच्च कानूनी स्त्रोत है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये अनेक संवैधानिक व्यवस्थायें की गई है। संविधान के तीसरे भाग (मौलिक अधिकारों की व्यवस्था) एवं चौथे भाग (राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था) में लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान किये जाने के अनेक उपायों का उल्लेख किया गया है।

- संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता एवं कानून के अधीन सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 15 में धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव की मनाही की गई है।
- अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को राज्य के अधीन पदों पर नियुक्त होने का समान अधिकार प्राप्त है।
- अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया है।
- अनच्छेद 24 एवं 25 द्वारा एवं शोषण को गैर कानूनी घोषित किया गया है।

इस प्रकार संविधान के तीसरे भाग में उन बाधाओं को दूर किया गया है। जो सामाजिक न्याय की प्राप्ति में बाधक है।

भारतीय संविधान के चौथे भाग नीति निर्देशक तत्वों में अनेक व्यवस्थाओं द्वारा सामाजिक न्याय सभी नागरिकों को सुलभ बनाने की व्यवस्था की गई है।

- अनुच्छेद 41 नागरिकों को कुछ दशाओं में कार्य शिक्षा तथा सहायता पाने का अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 42 नागरिकों के लिये कार्य की उचित दशायें बनाये रखने के लिये राज्य को उत्तरदायी बनाता है।
- अनुच्छेद 44 द्वारा सबके लिये समान आचार संहिता की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद 45 द्वारा बालकों के लिये नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद 46 द्वारा अनुसूचित व अन्य दुर्बल वर्गों की उन्नति की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व बना दिया गया है। तथा अनुच्छेद 47 द्वारा सामान्य जनता के जीवन स्तर को उठाने की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व बना दिया गया है।

सामाजिक नीति के अंतर्गत अनेक कल्याणकारी नीतियां सम्मिलित है जिनमें आरक्षण नीति सर्वोच्च है। इसके अतिरिक्त बालनीति, श्रमनीति, नि:शक्त जन नीति, महिला नीति, जनसंख्या नीति, पोषाहार नीति, आवास नीति, शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीति इत्यादि प्रमुख है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धातों की प्राप्ति हेतु राजकीय प्रमापों के विधिवत रूप कहे जा सकते है।

सामाजिक नियोजन नियोजित सामाजिक परिवर्तन का साधन है। जी आर मदन ने सामाजिक नियोजन के चार लक्ष्य बताये है -

1. आधारभूत सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास का विकास।
2. समाज कल्याण का प्रबंध।
3. पीड़ित व वाधित वर्गों का कल्याण।
4. सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय।

अत: सामाजिक सुरक्षा कल्याण, विकास तथा लक्षित वर्गों जैसे महिलाओं बच्चों, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों की सुरक्षा एवं सहायता द्वारा सामाजिक नियोजन सामाजिक न्याय में सहायक होता है।

सामाजिक न्याय और विकास का महत्वपूर्ण संबंध है। अर्थात् आधुनिक समय में विकास की ओर आगे बढ़ने में सामाजिक न्याय की प्रमुख भूमिका है।

सामान्यत: विकास का आशय आर्थिक विकास से ही लगाया जाता है। विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिये कई माडल्स प्रस्तुत किये गये है किन्तु विकास का कोई भी सार्वभौमिक मॉडल नहीं है।

वास्तव में सामाजिक संदर्भ में विकास के अंतर्गत दो विशेषताओं का समावेश होना चाहिये।

1. असमानता का न्यूनतम स्तर
2. शोषण को पूर्णत: समाप्त करना अथवा न्यूनतम स्तर पर लाना।

उपरोक्त आधारों पर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन कार्य है किन्तु असंभव नहीं है यदि सामाजिक न्याय संबंधी प्रावधानों का पालन उचित प्रकार से किया जाये तो उसके माध्यम से सही अर्थो में विकास किया जा सकता है।

कार्ल मार्क्स एंव एंजिल्स ने भी लिखा है कि कानूनी न्याय के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना आवश्यक है। उनके विचार से आर्थिक न्याय अर्थात् भेदभाव का अंत वास्तविक सामाजिक न्याय है।

बीसवीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में सामाजिक न्याय विस्तृत अर्थ स्वीकृत होने लगा। कानूनी न्याय के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक न्याय को भी जोड़ने का विचार क्रमश: स्वीकृत होता गया एक ओर रंग लिंग पर आधारित सामाजिक भेदभाव दूसरी ओर आर्थिक असमानता इन दोनों को दूर कर सामाजिक न्याय द्वारा विकास करना प्रमुख कार्यक्रम बन गया।

भारतीय समाज की स्थिति पाश्चात्य समाज के मुकाबले अधिक विषमतापूर्ण रही है। यहां धन सत्ता रंग लिंग के आधार पर भेदभाव के अतिरिक्त जाति व्यवस्था ने कथित पिछडी और गूढ अस्पृश्य जातियों के विशाल जनसमूह को स्थायी तौर पर निम्न सामाजिक हैसियत से जीने के लिये विवश किया है। जन्म कर्मफल, पुर्नजन्म, पवित्रता, अपवित्रता के हिन्दू मूल्यों के आधार पर जाति व्यवस्था ने हजारों वर्षो से बहुसंख्यक

आबादी को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन में भागीदारी के अधिकार एवं सुविधाओं से वंचित रखा है। इसी कारण स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद विकास के लक्ष्य को सामने रखने वाली सरकार ने निम्न जन जातियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में विशेष सुविधाओं व अवसर प्रदान किये।

भारत में महिलाओं का स्थान भी पुरूषों से निम्न रहा है। यद्यपि प्राचीन काल में उनका स्तर अपेक्षाकृत उच्च था किन्तु मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्र के समकक्ष रखा गया। मध्यकाल में भी स्त्रियों की स्थिति निम्न रही। समाजशास्त्रीय विवेचना के आधार पर स्पष्ट होता है कि भारत में उच्च वर्ग की महिलायें अधिक पीड़ित रही है। निम्न वर्गो एवं जातियों की महिलायें में लड़ने, तलाक देने पुनर्विचार करने की भरण पोषण एवं काम करने की प्रवृत्ति रही है।

इस संदर्भ में राममनोहर लोहिया जी ने कहा कि हजारों वर्षो से इन दवे समूहों को समाज की दौड में बराबरी की स्थिति में लाने के लिये आरक्षण द्वारा विशेष अवसर प्रदान करना आवश्यक है अन्यथा वे कभी भी दौड में मुकाबला नहीं कर पायेंगे।

किन्तु लंबे समय तक आरक्षण की व्यवस्था भी कुछ वर्गो के प्रति असमानता को प्रदर्शित कर सकती है। अत: आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण देने का एक विकल्प भी सामने आता है। यह विकल्प सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से उपयुक्त है किन्तु इसे व्यवहारिक रूप देना कठिन कार्य है।

भारत में सामाजिक न्याय एवं विकास के संबंध में निम्नलिखित तथ्य विचारणीय है –

1. यहां स्कूली शिक्षा हेतु दो प्रकार की व्यवस्था है। एक ओर पब्लिक स्कूल है जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का व अन्य गतिविधियों सीखने का अवसर मिलता है किन्तु इन स्कूलों में फीस कुछ अधिक होने के कारण यहां प्राय: उच्च एवं उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे ही पढ़ते है। दूसरी ओर सरकारी स्कूल है जहां बैठने की सुविधायें न्यूनतम स्तर पर है किन्तु निम्न आर्थिक स्थिति वाले अधिकांश बच्चे यहां पढ़ने के लिये मजबूर है।
2. हमारे देश में हजारों बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कारखानों एवं दुकानों में दिन-रात काम करते है जिसके बदले उन्हें बहुत ही कम पारिश्रमिक मिलता है। छोटी आयु में काम करने के कारण इनका बचपन खो जाता है।
3. यहां पुरूषों के समान कार्य करने पर भी महिलाओं को कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है।
4. महिलाओं के प्रति यौन शोषण एवं घरेलू हिंसा की घटनायें आये दिन होती रहती है। दहेज हत्या की घटनायें प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती है।
5. आम आदमी के लिये ट्रेन में यात्रा करना अत्यंत कष्टप्रद है। पैसेन्जर गाड़ियों में या एक्सप्रेस गाडियों के सामान्य डिब्बों में जगह कम एवं यात्री काफी अधिक होते है। दूसरी ओर आरक्षण वाले डिब्बे में प्राय: जगह खाली रहती है किन्तु वहां बैठने की अनुमति साधारण टिकिटधारी यात्रियों को नहीं होती है।
6. महानगरों में कुछ छोटे नगरों में भी एक ही छोटे कमरे में कभी कभी 10-12 लोग रहते है। हजारों लोगों को रहने के लिये कमरा भी नहीं मिलता वे फुटपाथ पर ही जिंदगी गुजारने के लिये मजबूर है। जबकि दूसरी ओर कुछ बड़े-बड़े बंगलों में केवल 2 या 3 लोग ही रहते है।
7. एक ओर अमीरों के कुत्ते प्रतिदिन दूध रोटी खाते है दूसरी ओर गरीबों के बच्चों को दो वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाती।
8. हमारे देश में व्यवहारिक रूप से न्याय सबके लिये सुगम एवं समान नहीं है। यहां ऊंचा पद यानि बचने की सुविधा का सिद्धांत कार्य करता है। कानून की जटिल प्रक्रिया के कारण न्याय प्राप्त करने के लिये संघर्ष करना पड़ता है।
9. यहां विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जिसके चलते राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, वकील, डाक्टर आदि अपनी वास्तविक आय से कई गुना अधिक धन अपने जीवन काल में जमा कर लेते है जबकि आम आदमी अपना जायज काम करवाने के लिये भी परेशान हो जाता है।
10. किसी विशिष्ट या अतिविशिष्ट व्यक्ति के रास्ते से गुजरने के कई घंटे पहले आम आदमी के लिये रास्ता बंद कर दिया जाता है। कभी-कभी अतिविशिष्ट व्यक्ति के स्वागत के लिये हाथों में फूल लिये घंटों खड़े रहने के कारण जीवित फुलों अर्थात् बच्चों को मुरझाने पर मजबूर होना पड़ता है। उपरोक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि हमारे देश में अवसरों के समानता एवं शोषण के न्यूनतम स्तर के आधार पर सामाजिक न्याय की स्थापना करने एवं उसके माध्यम से विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

यद्यपि महिलाओं, अशक्तजनों, बच्चों, अनुसूचित जातियों, एवं जनजातियों के लिये समानता एवं न्याय के प्रावधान कानून के आधार पर किये गये है। कई व्यक्तिगत कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवी संगठन भी इन वर्गो की बेहतरी के लिये प्रयासरत है। हाल ही में पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य भी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना है। किन्तु जब तक हमारे देश में जागरूकता के आधार पर सामाजिक न्याय की वास्तव में स्थापना नहीं होगी तब तक देश का आम आदमी सही अर्थो में विकास के परिणामों को महसूस नहीं कर पायेगा।

संदर्भ सूची

1. नूरानी ए जी-ऊंचे पद यानी बचने की सुविधा। दैनिक भास्कर 2 दिसम्बर 2005
2. दुबे एस सी -विकास का समाजशास्त्र, वाणी प्रकाश नई दिल्ली।
3. प्रकाश गोपीकृष्ण -विकास का समाजशास्त्र, रावत प्रकाशन।
4- Madan G.R. - Social Change and Problems of Developemnet In India
5. सिंह जे पी -विकास का समाजशास्त्र, रावत प्रकाशन।
6. सिंह आर जी-सामाजिक न्याय लोकतंत्र एवं जाति व्यवस्था, राव प्रकाशन।
7. इंदुलिया शाशि -मानव संसाधन विकास एवं नियोजन, आर पी एस ए प्रकाशन जयपुर
8. डॉ. सुरेन्द्र-सामाजिक प्रशासन एम ए प्रकाशन जयपुर।
9. संपादकीय -पारदर्शिता की पहल, दैनिक भास्कर दिनांक 3 दिसम्बर 2005
10- Ram Ahuja - Social Problem of Modersn India.

****

घरेलू हिंसा और शोषण के विरुद्ध एक विश्लेषण

डॉ. कल्पना कोठारी *

आज नारी के प्रति अपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही हैं अपितु घरेलू हिंसा में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही हैं। घरेलू हिंसा का संबंध घर-गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय नारी सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शान्ति व आत्म उपलब्धि का जीवन प्रारंभ होगा। परन्तु इसके विपरित सैंकडों विवाहित नारियों के यह सपने क्रूरता से टूट जाते हैं। वे पति द्वारा मार-पीट और यातना की अंतहीन लंबी अंधेरी गुफाओं में अपने आपको पाती हैं। जहां उसकी चीख-पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। दु:ख तो यह है कि ऐसी मार-पीट का जिक्र करने में भी उसे लज्जा अनुभव होती और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जा सकता है या उन्हें भाग्य के सहारे चुपचाप सहने की सलाह दी जाती हैं।

पड़ोसी ऐसे मामलों में प्राय: हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह पति-पत्नी की बीच एक निजी मामला समझा जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर से शांत और सम्मानित प्रस्थिति वाले अनेक परिवारों में जहां पति-पत्नी दोनों शिक्षित और आत्मनिर्भर है, भी मार-पीट की घटनाएं हो जाती हैं और यह नियमितता का रुप लेने लगती हैं। कहीं-कहीं पिता भी अपनी अविवाहित बेटियों के साथ मार-पीट करते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक दृष्टि से नारी बड़ा असहाय महसूस करती हैं, क्योंकि वह जहां कहीं शिकायत करें, चाहे पुलिस, वकील या जज सभी उसे समझौता करने की सलाह देते हैं।

भारतीय समाज में पारिवारिक समस्याओं के अन्तर्गत घरेलू हिंसा की समस्या वर्तमान युग की एक प्रमुख समस्या है। घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या है जिसके कारण परिवारों में नारियों को सुरक्षा देने की जगह न केवल उनका तिरस्कार किया जाता है, बल्कि अमानवीय ढंग से नारी को अपमानित और शोषित करके उसके आस्तित्व को भूल जाने के लिए भी बाध्य किया जाता है।

विभिन्न समाजों में घरेलू हिंसा कोई नयी समस्या नहीं है किसी न किसी रुप में इतिहास के सभी युगों में नारी का जीवन उपेक्षित और अपमानित होता आया है। घरेलू हिंसा में महिलाओं पर घर के अंदर भावनात्मक शारीरिक एवं प्रतिष्ठा के विरुद्ध पुरुषों द्वारा की गयी हिंसा आती हैं। घरेलू हिंसा का सबसे घृणित उदाहरण ''तंदुर कांड' (नैना साहनी हत्या कांड) है। ऐसे अनेक उदाहरण है जिसमें महिलाओं को पुरुषों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। जिस पति को वह अपना सर्वस्व सौंपती है और जिसे परमेश्वर मानती है वही पति छोटी-छोटी बातों पर उस पर तानाशाही दिखाता है तथा उसके स्वाभीमान को ठेस पहुँचाता है।

हिंसा किसी भी रुप में हो, किसी प्रकार की हो, यह व्यक्ति की मनोवृत्ति का प्रतीक है। चूँकि स्त्री शारीरिक रुप से अशक्त होती हैं, भावनात्मक रुप से कमजोर होती हैं। इसलिए पुरुष उसके विरुद्ध हिंसा करता आया है। स्त्री के विरुद्ध पुरुष हिंसक होता है लेकिन इस हिंसा में स्त्री की भूमिका अलग-अलग होती हैं जैसे-पति-पत्नी के बीच अविश्वास का शिकार हमेशा महिला ही होती हैं। पत्नी पुत्र को जन्म नहीं देती तो भी वह हिंसा का शिकार होती हैं। जीवविज्ञान की दृष्टि से देखे तो भ्रूण से सेक्स निर्धारण के लिए पिता ही जिम्मेदार होता है न कि माता।

पुरुषों ने अपनी सुविधा के लिए नियम, आदर्श एवं धर्म को केवल स्त्रियों तक ही सीमित रखा और स्वयं के लिए उसने पूरी स्वतंत्रता रख छोड़ी है। सामाजिक कुरीतियों ने स्त्रियों को जी भरकर उत्पीड़ित किया और उनके साथ सभी प्रकार के नैतिक-अनैतिक दुर्व्यवहार किए। आज के आधुनिक युग में भी परिस्थितियां बहुत अधिक नहीं बदली हैं। आज अधिकतर वैवाहित संबंध पति-पत्नी दोनों के लिए भार से बन गए हैं। घरेलू हिंसा का ही एक उदाहरण वैवाहिक हिंसा भी है।

घरेलू हिंसा का अर्थ दो तरह से स्पष्ट किया जाता है। इसका एक अर्थ संकुचित है और दूसरा अर्थ व्यापक है। संकुचित अर्थ में हिंसा का अर्थ किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, चोट पहुँचाना या शारीरिक रुप से घायल करना है। व्यापक अर्थ में हिंसा कोई भी व्यवहार है जिनकी औपचारिक रुप से सामाजिक निंदा की जाती हैं। दूसरे शब्दों में एक विशेषकर व्यवहार से व्यक्ति को यदि शारीरिक चोट नहीं पहुँचती किन्तु वह व्यवहार स्त्री को मानसिक आघात पहुंचाता हो या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए बाध्य करता हो जो सामाजिक प्रतिमानों के विरुद्ध हो तो ऐसे व्यवहार को व्यापक हिंसा से जोड़ा जाता है।

प्रसिद्ध विद्वान मैमार्गी ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''कोई भी ऐसा कार्य जो जानबुझकर, धमकाकर या बलपूर्वक किया गया हो जिसके फलस्वरुप व्यक्ति को आघात पहुँचाता हो अथवा उसके सम्मान को ठेस लगी हो हिंसा है। घरेलू हिंसा के अन्तर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न रुप जो सामने आ रहे हैं जैसे-दहेज यातनाएं, शारीरिक प्रताड़नाएं, भावनात्मक और लैंगिंक दुर्व्यवहार, नारी हत्या, भ्रूण हत्या, वैवाहिक शोषण, बलात्कार, आर्थिक शोषण, विधवाओं के प्रति हिंसा तथा समस्त नियमों के बंधनों में मात्र स्त्रियों को ही जकड़ना आदि सभी ने महिलाओं को असुरक्षित किया है। देखा जाए तो परिवार का शक्तिमान आधार पुरुष को ही महिलाओं का सुरक्षा कवच माना जाता रहा है, किन्तु यही पुरुष रुपी सुरक्षा कवच महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करके उसे असुरक्षित जीवन जीने हेतु मजबुर कर रहे हैं। इसे औरत होने की सजा के अतिरिक्त और क्या कहेंगे? इस संबंध में अरविंद जैन का यह कथन बहुत सही है कि 'जब परिवार में ही स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा आरंभ हो जाती हैं तो कोई भी औरत रिश्तों की किसी भी छत के नीचे कहीं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहतीं।''

एक समय था जब सतीत्व के नाम पर विधवाओं को जलाकर मार डालना कोई अपराध न होकर एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य था। स्मृतिकाल से लेकर आज तक दहेज के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न ओर शोषण होना, उसके साथ मारपीट करना और जरुरत पड़ने पर बहू को जला देना सामान्य सी घटना रही हैं। स्त्री स्वयं में एक वस्तु है जिसका परिवार में हर सदस्य कैसा भी उपयोग कर लेता है घरेलू हिंसा का पुराना रुप चाहे जो भी रहा हो लेकिन आज के युग में औरत एक दोहरी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहीं हैं।

भारत में घरेलू हिंसा की समस्या को कुछ चौकाने वाले तथ्यों से समझा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यहां प्रत्येक दिन 16 स्त्रियों की दहेज के कारण हत्या होती हैं। लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय परिवार ऐसे है जिनमें किसी न किसी रुप

* विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेंधवा, जिला-बड़वानी (म.प्र.) भारत

में स्त्रियों के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा में बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहने वाले राज्य हैं।

डॉ. राम आहुजा ने अपने अध्ययन में पाया कि :-

1. 25 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों के साथ मार-पीट की घटना अधिक होती हैं।
2. कम आय वाले परिवारों में ऐसी घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक होती हैं।
3. पत्नी को पीटने के कारणों में यौन संबंधों में भावनात्मक गड़बढ़, पति की अहंभावना या हीनभावना, पति का शराबी होना।
4. शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अशिक्षित स्त्रियों को अधिक पीटा जाता है।
5. उन पत्नियों को जो अपने पति से 5 वर्ष से अधिक छोटी होती है अपने पति द्वारा पीटे जाने की संभावना अधिक होती हैं।
6. परिवार के आकार या उसकी रचना का पत्नी के पीटने से परस्पर कोई संबंध नहीं हैं।
7. वे लोग जो बचपन में हिंसा का शिकार हुए थे, बड़े होने पर पत्नी को पीटने की ओर अधिक रुझान रखते हैं।
8. शराबी पतियों द्वारा पत्नी को पीटने की मात्रा अधिक पायी जाती हैं जो नशे की तुलना में होश-हवास में अधिक पीटते हैं।

घरेलू हिंसा बिल 2006:-

घरेलू हिंसा से संबंधित इस नये कानून में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि पत्नी के पीटने जैसी समस्या से निजात पाने के लिए पति की गिरफ्तारी ही महज काफी नहीं है।

घरेलू हिंसा से संबंधित इस कानून में पहले उपलब्ध महिलाओं के प्रति हिंसा को और विस्तार दिया गया है जिसमे मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक हिंसा को पुनर्भाषित किया गया है तथा इसे अपराधिक कृत्यों की श्रेणी में रखा गया है। औरत हिंसा का शिकार इसलिए बनती हैं क्योंकि वे मर्दो के अधीन है हिंसा का एक ओर व्यापक रुप अब दिखाई दे रहा है वह है यौनिक उत्पीड़न और आक्रमणशील पौरुष।

इसी कारण औरतों, बच्चियों (नाबालिक) और किशोरियों से बलात्कार और हत्या में परिवर्तित होता है। कैसी विंडबना है कि सृष्टि को चलाने वाली जन्मदायी आज भी सिर्फ भोग्या ही बनी हुई है। उसका स्थान या तो देवालयों में निश्चित कर दिया गया है या उसे शोषित, पीड़ित द्वोयम दर्जे की उपयोग की वस्तु माना गया है। यह हालत सिर्फ भारत जैसे पिछड़े देशों में या किसी धर्म विशेष में ही नहीं बल्कि आतिआधुनिकता का दम भरने वाले अमेरिका, यूरोप जैसे अन्य पूंजीवादी मूलको में भी हैं।

सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा रोकने हेतु अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं। दिल्ली में घरेलू हिंसा तथा महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों की सुनवाई के लिऐ सन 1994 में चार विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना की गयी। इस न्यायालय में महिलाओं की सुनवाई अविलंब होती हैं एवं महिलाओं को अपने पक्ष को बगैर डरे रखने का अवसर मिलता है।

दिसंबर 1995 में राज्य सभा में महिलाओं के प्रति क्रूरतापूर्ण अपराध निरोधक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक में बलात्कार के बाद महिला को मार-पीटकर या किसी दूसरे तरीके से उसकी हत्या करना, महिला को जिंदा जलाकर मार डालना, महिला की हत्या करके उसके शव को कही छिपा देना अथवा गर्भवती महिला पर घातक आक्रमण करना जैसे अपराधों को बर्बर और पारिवारिक अपराध का नाम दिया गया। इस विधेयक से स्त्रियों के प्रति की जाने वाली बर्बर हिंसा के प्रति सामान्य जागरुकता अवश्य जागरुक होने लगी हैं।

जनवरी 1996 को उच्चतम् न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो स्त्रियां पारिवारिक या बाहरी बलात्कार की शिकार होती हैं, उनके आत्म-सम्मान को बचाये रखने के लिए यह जरुरी है कि ऐसे मामलों की सुनवाई बंद कमरे में की जाय एवं इन मामलों की सुनवाई महिला न्यायाधिशों द्वारा ही की जाय एवं पीड़ित महिला के नाम का उल्लेख न कर उसे अपमानित होने से बचाये। सरकार ने घरेलू हिंसा करने वाले लोगों को तीन साल तक की सजा तथा स्त्री की जरुरत के अनुसार अर्थ दंड का भुगतान करवाया जाय। 2002 में प्रस्तावित इस विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को मुफ्त कानूनी मदद दी जायेगी।

आज केवल भारत ही नहीं अपितु सभी देशों में करोड़ों नारियां घरेलू हिंसा का शिकार है। अमेरिका जैसे देश में नारियों के प्रति हिंसा अमान्य एवं दंडनीय अपराध है। घरेलू हिंसा की जडे बहुत गहरी होती जा रही हैं तथा इसका कोई एक कारण बता पाना कठिन है। पितृसत्तात्मक समाज होने के नाते भारतीय समाज में भी इस प्रकार की हिंसा निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। नारियों के प्रति घरेलू हिंसा इतनी सार्वभौमिक एवं प्रचलित है कि अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा अनेक अन्य देशों में कानूनी रुप से इसके आधार पर शरण ली जा सकती हैं।

घर के भीतर महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में पुरुष के बच निकलने के जो रास्ते समझे जाते थे अब उनकी भी नाकाबंदी कर दी गई हैं। पिछले दिनों लागू हुए घरेलू हिंसा निवारण कानून से एक बार फिर आशा की किरण जगी हैं कि नारी उत्पीड़न के मामलों की वृद्धि दर में गिरावट आएगी। विगत वर्ष अगस्त में ही संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुके कानून को पिछले वर्ष सितंबर में ही राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने भी स्वीकृति प्रदान की थी, किन्तु इसके कुछ प्रावधानों पर राज्य सरकारों के बीच मामूली मतभेदों के चलते इसे लागू होने में एक वर्ष से अधिक समय का विलंब हो गया। इसके अन्तर्गत महिलाओं को सबसे बड़ा अधिकार यह मिला कि जिस रिश्तेदार के साथ वह रह रही हैं, विवाद प्रारंभ होने पर महिला को वहां से हटाया नहीं जा सकता, भले ही वह उस सम्पत्ति की कानूनन हकदार हो या न हो।

अब न केवल पत्नी या महिला पार्टनर अपने पर हुऐ उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से लड़ सकेगी, बल्कि घर में रहने वाली बहिन, माँ, विधवाएं भी उस शख्स के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं, जिनके साथ वे किसी रिश्ते की वजह से रह रही हैं। यह जरुरी नहीं कि उत्पीड़न करने वाले का पीड़िता के साथ रिश्ता क्या रहा, बस पीड़िता किसी के साथ रहती हैं तो जरुरत पड़ने पर उसके खिलाफ शिकायत कर सकती हैं।

घरेलू हिंसा के अन्तर्गत अदालत संरक्षण आदेश जारी कर सकती हैं। जिसके जरिए उत्पीड़न करने वालो को पीड़िता का उत्पीड़न करने अथवा उत्पीड़न में किसी की मदद करने से रोका जा सकेगा। तात्पर्य यह है कि पीड़िता के आवास अथवा कार्य स्थल पर ऐसे व्यक्ति को जाने से रोका जा सकता है। इस संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने वाले को एक साल की सजा या 20 हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके साथ ही उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ दूसरे कानूनों के तहत् जो भी मामले बनते हैं, दर्ज किए जाऐंगे। संरक्षण अधिकारी ने भी ड्यूटी में कौताही बरती तो उसे भी यह दंड भुगतना पड़ सकता है।

घरेलू हिंसा उत्पीड़न की शिकायत पीड़िता ही दर्ज करवाए, यह आवश्यक नहीं। इसकी सूचना पड़ोसी, सामाजिक कार्यकर्ता, रिश्तेदार आदि कोई भी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को इसमें पार्टी नहीं बनाया जाएगा। इतना ही नहीं अदालतों में लाखों की संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए ही इसमें विशेष

प्रावधान है। मामला दर्ज होने के तीन दिन के भीतर मजिस्ट्रेट को पहली सुनवाई करनी होगी और इसके दो माह के भीतर प्रकरण का निराकरण करा लेना होगा।

स्त्री की शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न से रक्षा के लिए नया कानून लागू हुआ है। घरेलू हिंसा के सुरक्षा के लिए इस कानून का उद्देश्य मर्दो के अत्याचारों से महिलाओं को बचाना है। इस कानून की आवश्यकता से यह क्रूर तथ्य जाहिर हो जाता है कि करवा चौथ, भैया दूज, रक्षाबंधन जैसे नारी केन्द्रित पर्वों वाले इस देश में औरत को सबसे अधिक खतरा अपने परिवार के मर्दों से ही है। हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। अत्याचारी हमेशा पति ही नहीं होता, भाई, बेटा व अन्य मर्द रिश्तेदार भी हो सकता है।

महिला सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया जा चुका है। निश्चित रुप से इसे स्वागत योग्य पहल कहा जा सकता है। हर तबके और हर वर्ग की महिलाएं इसके दायरे में सुरक्षित रह सकेगी। कानून के प्रावधान ऐसे है कि विधवा, माँ, बहिन, बुआ, परित्यक्ता एवं बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रह रही महिला अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कानून की शरण में जा सकेगी। घरेलू हिंसा पर तभी नियंत्रण पाया जा सकता है जब:-

- स्त्रियों में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार हो तथा ऐसे महिला संगठन स्थापित हो जो स्त्रियों को उनके अधिकारों से परिचित करा सके।
- पीड़ित महिला को अविलंब न्याय मिले एवं उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करे।
- महिला न्यायालयों में वृद्धि हो।
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता देने का प्रावधान होने से उन स्त्रियों के जीवन में भी सुधार हो सकेगा जो आर्थिक कठिनाईयों के कारण पुरुषों की मनमानी का विरोध नहीं कर पाती।
- इन मामलों में ऐसा कानून बने जो कम से कम तीन महिनों में अपराधिक मामलों का निपटारा कर न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाये।
- वक्त बदलने के साथ महिलाएं भी अपने अधिकार के लिए जागरुक हो गई हैं। वे चाहती है कि अपने निर्णय खुद ले। अब सरकार की सहायता से घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं न्याय प्राप्त कर अपराधी को दंडित कर सकेंगी।

स्पष्ट है कि समकालीन भारत में घरेलू हिंसा की समस्या किसी भी दूसरी सामाजिक समस्या से कम गंभीर नहीं हैं। इस दृष्टिकोण से इसका व्यावहारिक समाधान खोजना सरकार का सामाजिक और नैतिक दायित्व हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. अग्रवाल, डॉ. जी. के. : सामाजिक विघटन, संजय साहित्य भवन, आगरा
2. नटाणी, शोभा : भारतीय समाज और नारी दशा एवं दिशा, मार्क पब्लिकेशन्स, जयपुर
3. अंजली : भारत में महिला अपराध, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
4. महाजन, डॉ. धर्मवीर : समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
5. शुक्ला, जितेन्द्र : भारतीय सामाजिक ढांचा तथा सामाजिक समस्याएँ, इन्दौर
6. महाजन, डॉ. संजीव : अपराध एवं दंडशास्त्र , अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली
7. लवानिया, डॉ. एम. एल. : भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर।

****

भारतीय संविधान एवं महिला अधिकार

डॉ. रश्मि दुबे *

भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। भारत के संविधान में महिलाओं और पुरूषों में बराबरी और समानता की बात को स्वीकार किया गया है लेकिन वास्तविक अर्थो में महिलाओं की वर्तमान स्थिति किसी भी क्षेत्र में समकक्षता की कसौटी पर सही नहीं उतरती। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेकों कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता रहा है। महिलाओं को विकास की अविरल धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा को समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर पूर्ति हेतु पिछले कुछ वर्षो में विशेष प्रयास भी किये गये। [1] स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें भली-भांति विकसित करने के लिए संविधान में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं।

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष सभी सुविधाएं और अवसरों की गारंटी प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केवल लैंगिक आधार पर भेदभाव बरतना निषिद्ध है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में उच्चतम न्यायालय में कहा गया है कि यह सच है कि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समान कार्य से समान वेतन के सिद्धांत को यद्यपि हमारे संविधान द्वारा मौलिक अधिकार घोशित नहीं किया गया है लेकिन निश्चित ही यह संवैधानिक है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत भी महिलाओं को पुरूषों के समान पारिश्रमिक भुगतान का प्रावधान है। [2] भारतीय संविधान के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान भी किए गये हैं।

इन प्रावधानों के अन्तर्गत मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्त्तव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत के संविधान में मानवाधिकारों को पूर्ण सम्मान दिया गया है। भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को विभिन्न धर्म, मूल वंश, जाति, लंग, रंग तथा वर्ग के बावजूद समान माना गया है तथा सभी व्यक्तियों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।

ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार हैं। [3] भारतीय संविधान के अध्याय-3 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16 में समता का अधिकार दिया गया है तथा अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत किया गया है एवं अनुच्छेद 23 में शोषण के वियद्ध अधिकार प्रदान किया गया है।

समता का अधिकार :– समता का अधिकार वह अधिकार है जो मौलिक अधिकार के रूप में राज्य व उसके अभिकरणों के विरूद्ध प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है चाहे वह विदेशी हो या नागरिक अथवा स्त्री हो या पुरुष। [4] भारतीय संविधान की उददेशिका में ''भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।''

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 के अन्तर्गत समता के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को समाहित किया है। अनुच्छेद 14 ''भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।'' ''विधि के समक्ष समता'' का तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिये गये विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्त्तव्यों दोनों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा।

''विधि के समान संरक्षण'' का तात्पर्य है- ''समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना।'' [5] अनुच्छेद 15 (3) का उददेश्य विशेष प्रकार से स्त्रियों को संरक्षण प्रदान करना है क्योंकि स्त्रियां शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा अन्य दृष्टियों से पुरूषों के समान नहीं होती एवं शारीरिक रूप से कोमल तथ ज्ञान के स्तर पर अपरिपक्व होती है।

इन सभी कारणों से इन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। भारत में स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय है वे सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहु विवाह आदि की शिकार थीं और पूर्ण रूप से पुरूषों पर आश्रित थीं। इसी कारण राज्य को उनके लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान करना उचित है। [6] अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है।

स्वतंत्रता का अधिकार :– भारतीय संविधान के अन्तर्गत विशेष रूप से महिलाओं को कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है परन्तु अनुच्छेद 19 से 22 तक में सभी व्यक्तियों व नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं जो पुरुशों के साथ-साथ समान रूप से स्त्रियों को भी प्राप्त है। [7] अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है, इस अनुच्छेद में महिलाओं के लिए विशेश रूप से कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किये गये हैं, किन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्वचन के माध्यम से महिलाओं के विभिन्न अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार, ''किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं।'' [8] अत: अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष उसे अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द ''दैहिक स्वाधीनता'' का उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तृत निर्वचन किया गया है। उच्चतम न्यायालय में विभिन्न वादों में अपने निर्णयों द्वारा अनुच्छेद 21 का विस्तृत निर्वचन कर महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये हैं जिनमें से कुछ अधिकार निम्न-लिखित है। [9]

- एकान्तता का अधिकार

* प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

- गरिमा के साथ जीने का अधिकार
- शिक्षा पाने का अधिकार
- चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरूद्ध संरक्षण
- नियोजन के दौरान यौन शोशण के विरूद्ध अधिकार
- बलात्कार से पीड़ित महिला को अन्तरिम प्रतिकर पाने का अधिकार
- महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बचाने तथा उनकी संतानों के पुनर्वास हेतु सरकार को निर्देश देने का अधिकार
- अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध सरंक्षण का अधिकार
- मृत्युदण्ड से निलम्बन का अधिकार

शोषण के विरूद्ध अधिकार :– संविधान की उद्देशिका में प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरूष, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने का संकल्प किया गया है। नागरिकों को शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान करना इसी संकल्प का परिणाम है। अनुच्छेद 23 एवं 24 के अन्तर्गत इसी निमित्र मानव के दुर्व्यवहार, बलातश्रम और कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध किया गया है।

अत: अनुच्छेद 23 में महिलाओं के शोषण के विरूद्ध उपचारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 मनुष्यों के शोषण को वर्जित करता है। अनुच्देद 23 के द्वारा दो बड़े कलंकों का अन्त हुआ है। (1) नारी क्रय-विक्रय तथा (2) बेगार। ये दानों कुरीतियॉ भारतीय समाज में बहुत समय से चली आ रही है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व तथा महिलायें संविधान के भाग 4 में उल्लेखित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आयरलैण्ड के संविधान से लिए गये हैं। नीति निर्देशक तत्वों में वे आदर्श निहित है जिनको प्रत्येक सरकार अपनी नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने में सदैव ध्यान में रखेगी। इसमें वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत अन्तर्निहित है जो भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल है एवं संविधान की प्रतिज्ञाओं एवं आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान के भाग 4 में महिलाओं के लिए कई विशेष उपबंध किये गए हैं। [10] अनुच्छेद 39 के (क), (घ) एवं (ड) के अन्तर्गत विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित उपबंध दिये गये हैं। अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति का, विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से

- पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
- पुरूर्षो और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
- पुरुष और स्त्री का स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो।

अनुच्छेद 39 (घ) के अनुसरण में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया है। जब से नारी स्वतंत्रता की लहर चली है तब से यह धारणा दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है और अब यह प्राय: सुनिश्चित सा हो गया है कि समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरूषों के समान वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। [11] संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। यह केन्द्र और राज्यों के लिए भविष्यत कार्यक्रमों को रेखांकित करता है। इसमें धारा 39 में यह प्रावधान किया है कि महिलाओं को पुरूषों के समान ही जीविकापार्जन के पर्याप्त अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे [12]।

विश्व के अन्य राष्ट्रों की महिलाओं की तुलना में भारतीय नारियों को यदि अवसर मिले तो उनके विकास एवं प्रगति की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि वे किसी भी राष्ट्र की महिला से बढ़कर कार्य कर सकती है। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है उन्हें समुचित अवसरों की तलाश है। अत: कह सकते है कि संविधान एवं सामाजिक विधानों द्वारा प्रदत्त कानूनी संरक्षण ने भारतीय नारियों की दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है।

संदर्भ ग्रंथ

1. प्रतियोगिता दर्पण : अक्टूबर, 2002
2. देशपाण्डे दिव्य : मानव अधिकारों की सार्थकता एवं संरक्षण, प्रांजल प्रकाशन सागर, 2008
3. अंसारी एम.ए : ट्राइबल्स एण्ड करेक्टिव जस्टिस, सबलाइम पब्लिकेशन, जबलपुर, 1988
4. अग्रवाल एच.ओ : मानव अधिकार सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, 2000
5. गोयल सुनील एवं : भारतीय समाज में नारी, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स गोयल संगीता जयपुर, 2003
6. पाण्डेय जय नारायण : भारत का संविधान सैतीसवां संस्करण, 2004
7. उपाध्याय डॉ. जयनारायण : मानव अधिकार सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 1999
8. हिन्दी विश्व कोश : खण्ड-एक, नागिरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 1973
9. गौतम डॉ. रमेश प्रसाद एवं : भारत में मानव अधिकार (उल्लंघन, संरक्षण, पृथ्वीपाल सिंह क्रियान्वयन एवं उपचार) विश्वविद्यालय प्रकाशन सागर, 2000
10. प्रसाद ज्योति : प्रसार संचार एक परिचय, अरूण प्रकाशन ग्वालियर, 2004
11. अंसारी एम.ए : राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2005
12. अंसारी एम.ए : राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2005

****

पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम न्यायालय की भूमिका का अध्ययन बालाघाट जिले के खैरलांजी तहसील के विशेष संदर्भ में

तरूण कुमार शेण्डे * विनोद कुमार शेण्डे **

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक पद्धति का मूल आधार विकेन्द्रीयकरण और लोगो की भीगीदारी है। पंचायती राज उस भारतीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जिसकी जडे लोगो में मौजूद है। भारतीय समाज की समस्याओं का निपटारा करती थी।

देश के संविधान में परम्परागत पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था अर्थात इनको लोकतांत्रिक स्वरूप देकर पुन: जीवित किया गया है और संविधान में निर्देश दिया गया कि राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों के गठन के लिये जरूरी कदम उठायेगी और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगी कि वे स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके।

मध्यप्रदेश में पंचायत अधिनियम 25 जनवरी 1994 को प्रारम्भ हुआ। राज्य में 50 जिला पंचायते, 313 जनपद पंचायते और 23010 ग्राम पंचायतें है। यह राज्य संविधान संशोधन के बाद तीनो स्तरो के चुनाव कराने में देशभर में सर्वप्रथम रहा है। इसी क्रम में म.प्र. में पंचायती राज के साथ 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज प्रशासन लागू कर दिया गया।

इसी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। ग्राम न्यायालय की स्थापना के पूर्व ग्रामीण लोग छोटे-छोटे मामलों को लेकर जिला न्यायालय जाते थे, जिससे उनको आर्थिक एवं अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता था जो कि ग्रामीण विकास में बाधक थी, परंतु राज्य सरकार न न्यायिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में ग्राम न्यायालय को 26 जनवरी 2001 में लागू किया है। जिसमें दस या इससे अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर गठन किया जाता है ।

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक ग्राम न्यायालय को वृत के मुख्यालय मे नाम से जाना जाता है। प्रत्येक ग्राम न्यायालय में सात सदस्य होते है। जिसमें एक अध्यक्ष, एक विधि सचिव बाकि सदस्य होते है, जो जनपद पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से नाम निर्देशित किये जाते है। जिनमें से एक विधि का जानकार (विधि सचिव) व्यक्ति होता है और उस दिशा में जहां जनपद पंचायत यथा स्थिति धारा 4 के अधीन ग्राम न्यायालय की स्थापना की तारीख से या किसी पद के रिक्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी सदस्य को सर्वसम्मति से नाम निर्देशित करने में असफल रहती है, वहां राज्य सरकार सदस्यों का नाम निर्देशित करती है ग्राम न्यायालय को दंड और जुर्माने की भी शक्ति है लेकिन मुख्य जोर सुलह समझौते पर दिया जाता है।

जिससे ग्रामीणों को सस्ता एवं सुलभ न्याय ग्रामीण स्तर पर ही प्राप्त हो सके। साथ ही ग्राम न्यायालय को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों एवं कार्यो का अध्ययन करना, ग्राम न्यायालय द्वारा ग्रामीणो की भीगीदारी के स्तर का अध्ययन ग्रामीणो के दृष्टिकोण का अध्ययन करना तथा ग्राम न्यायालय के कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाइयो का अध्ययन करना प्रस्तुत शोध प्रबंध के अंतर्गत किया गया है।

शोध समस्या का चयन :- पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई तथा संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है जिसमें सिविल प्रकरण, राजस्व प्रकरण, अपराधिक प्रकरणो का निपटारा किया जाता है ग्राम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय की प्रक्रिया से सरल है जिसमें ग्रामीणों को ग्रामीण स्तर पर न्याय मिलता है सही एवं निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति होती है एवं ग्रामीणों के धन एवं समय की बचत होती है।

चूँकि ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को ग्रामीण स्तर पर न्याय प्रदान कर उनके समय एवं धन की बचत करना अपितु ग्राम न्यायलय इन कार्यो एवं उद्देश्यो को पूरा करने में कितने सफल हुये है तथा इनकी ग्रामीणो को न्याय प्रदान करने एवं उनके प्रकरणो को निष्पक्षता के साथ समाधान करने में लोगो को सामाजिक न्याय प्रदान करने में ग्राम न्यायालय कितने सक्षम एवं सार्थक है, इसका सूक्ष्म अध्ययन इस शोध के अतंर्गत किया गया है ताकि ग्राम न्यायालय को जो सवैधानिक अधिकार एवं कार्य प्रदान किये गये है उनका निर्वहन करने में कितना सहायक है तथा ग्राम न्यायालय मामलो या प्रकरणो को सुलझाने में सफल हुई है या नही, एवं आज हमारी सामाजिक समस्याओं को हल करने में कितना सहायक हो रहा है साथ ही अध्ययन का एक अन्य पक्ष ग्राम न्यायालय किस हद तक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गो को न्याय दिलाने में सक्षम हुआ है तथा ग्रामीणो को न्याय किस तरह से प्रदान किया जाये। इन प्रश्नो के समाधान हेतु शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध समस्या के रूप में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम न्यायालय की भूमिका नामक शोध समस्या का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :- प्रस्तुत शोध अध्यन निम्न उद्देश्यो को लेकर किया गया है :-

1. ग्राम न्यायालय द्वारा ग्रामीणों के समस्याओं के निपटारे में भूमिका का अध्ययन करना।
2. ग्राम न्यायालय के प्रति ग्रामीणो के दृष्टिकोण/भागीदारी का अध्ययन करना।
3. संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा ग्राम न्यायालय को प्रदान किये अधिकारो एवं कार्यो का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र :-

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के खैरलांजी तहसील की छ: ग्राम न्यायालयों को उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा चयन किया गया, चयनित ग्राम न्यायालयों से 20 उत्तरदाता (अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण) तथा 30 उत्तरदाता ग्राम न्यायालय से प्रभावित फरियादी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूचि भरी गई है इस प्रकार कुल 50 उत्तरदाताओ से साक्षात्कार अनुसुचियॉ भरी गई।

तथ्यों का विश्लेषण एवं अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष -

100 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्राम न्यायालय के बारे में जानकारी है कि ग्राम न्यायालय द्वारा शीघ्र न्याय दिया जाता है, ग्रामीणो की समस्याओं का निराकरण किया जाता है तथा छोटे-छोटे प्रकरणों का निपटारा किया जाता है व सस्ता सुलभ न्याय दिया जाता है बिना सरकारी वकील के प्रकरणों

* पीएच.डी. शोधार्थी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.) ** पीएच.डी. शोधार्थी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.) भारत

का निपटारा किया जाता है।

- ग्राम न्यायालय में दर्ज किये गये प्रकरणो में 44 प्रतिशत मारपीट, 28 प्रतिशत जमीन जायदाद, 28 प्रतिशत घरेलु लड़ाई झगडा संबंधी प्रकरण ग्राम न्यायालय में दर्ज किये गये।
- 88 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले से खुश है तथा 12 प्रतिशत उत्तरदाता खुश नही है क्योंकि मारपीट के प्रकरणो में एक ही पक्ष के गवाहों के बयान को सुना गया तथा भूमि का सीमांकन करने के बाद न्याय नही मिला सदस्यगण विवादित स्थान देखने नही आये इन्ही कारणों से उत्तरदाता खुश नहीं है।
- 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि ग्राम न्यायालय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है जिसमें ग्राम न्यायालय को सिविल मामलों, राजस्व मामलो में तथा अपराधिक मामलो में संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
- 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि ग्राम न्यायालय ग्रामीणे के छोटे-छोटे झगडे जैसी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है लेकिन 12 प्रतिशत उत्तरदाता का मत है कि ग्राम न्यायालय ग्रामीणों की समस्या को सुलझाने में सक्षम नही है।

सुझाव

1. ग्राम न्यायालय को फरियादियों के प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करना चाहिये जिससे ग्रामीणो के धन एवं समय की बचत हो सके।
2. प्रकरणों से प्रभावित व्यक्ति की मद्द बिना किसी भेदभाव के सक्षम अधिकारियो को करना चाहिये तथा ऐसे मामलो में SC/ST को जिला ग्राम न्यायालय को अतिशीघ्र सूचना प्रेषित की जानी चाहिये।
3. SC/ST की महिलाओं का ऐसे जागरूक और शिक्षित बनाने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। जिससे महिलायें ग्राम न्यायालय के सदस्यता की पात्रता रख सके।
4. ग्राम न्यायालय के अध्यक्ष एवं सदस्यो को दोनो फरियादियों के गवाहो के बयान सुनकर निर्णय देना चाहिये।
5. ग्राम न्यायालय के पदाधिकारियो का चयन लोकतांत्रिक पद्धति से किया जाना चाहिये न कि जनपद पंचायत द्वारा मनोनीत करके किया जावें।
6. अध्यक्ष/सदस्यो को संवैधानिक अधिकारो का ज्ञान कराने के लिये प्रशिक्षण कराना चाहिये। जिससे ग्रामीणो को संविधान के अनुसार सामाजिक न्याय प्राप्त हो।

संदर्भ ग्रंथ

1. श्री शरण (1995) ''पंचायती राज और लोकतंत्र'' पांडूलिपी प्रकाशन कृष्णानगर नई दिल्ली।
2. जैन डॉ. वाई.सी. (1990) ''योजना ग्राम न्यायालय की प्रासंगिकता'' ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली।
3. बाबेल बंसतीलाल सितम्बर (2001) ''योजना लोकअदालत के नये आयाम'' ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली।
4. सुरोलिया विनोद मई (2001) ''योजना पारिवारिक न्यायालय एक अभिनय कदम'' ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली।

****

पंचायत राज एवं सूचना का अधिकार

श्रीमती सुधा शाक्य *

संक्षेपिका:- सत्ता के विकेन्द्रीकरण के द्वारा गरीब लोगो और अधिकार विहीन लोगों का सशक्तिकरण ही ग्राम स्तर पर विकास की प्रक्रिया को लागू करने की बुनयादी आवश्यकता है जो गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ भारत के सशक्तिकरण में सहायक होगी पूर्व काल में देश में सत्ता की बागडोर समाज के लोगों के हाथ में रही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गांव के छोटे-छोटे गणराज्यों की बात कही गई है। लिच्छवी और वैशाली जैसे राज्यों में भी ग्राम गणराज्यों की परंम्परा थी। चोल राजाओं के समय में भी गांव समाज अपना कार्य करने के लिय स्वतंत्र होते थे गांव के दिन प्रतिदिन के कामों के संचालन में राज्य का दखल बहुत कम था। सर चार्ल्स मेटकाक ने तो हमारे देश की व्यवस्था देखकर पंचायतों को ऐसे छोटे-छोटे गणराज्य कहा था जो स्वयं में आत्मनिर्भर थे। गांधी जी भी गांव गणराज्य की बात करते थे और ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक आत्म निर्भर बनाना चाहते थे ताकि उनका विकास स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय प्रशासन के हाथो हो सके। मध्यप्रदेश में पंचायत राज का सपना साकार करने के लिये 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इस संविधान संशोधन के बाद हमारे प्रदेश में पूर्व के पंचायत अधिनियम को निरस्त कर नवीन म.प्र. पंचायत राज्य अधिनियम 1993 बनाया गया इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर के विकास एवं स्थानीय प्रशासन की गतिविधियों में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1994 में 45 मिला पंचायतें, 459 जनपद पंचायतें तथा 30922 ग्राम पंचायतों की स्थापना मध्यप्रदेश में की गई है। वर्ष 2001 में मूल पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर उसे पंचायतराज एवं ग्राम विकास अधिनियम का नाम दिया गया । भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा है कि ''राज्य शासन पंचायतों को ऐसा अधिकार देगा जिससे वह स्वशासन की स्वायतत्ता इकाई के रूप में कार्य कर सके'' स्वशासन का अर्थ है अपना शासन करना। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने और क्रियान्वन का कार्य पंचायतों को सौपा है जिसके लिए आर्थिक सहयोग भी शासन द्वारा दिया जाता है पंचायत के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझकर ग्रामीण विकास में अपना योगदान दें। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने आर्थिक विकास को गति प्रदान करने, लोकतंत्र की गुणवत्ता बेहतर बनाने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से नागरिकों की ताकत मजबूत हुई। पंचायत राज के माध्यम से किया जाने वाला सत्ता का विकेन्द्रीकरण तथा सत्ता में जनभागीदारी तभी सार्थक हो सकती है जब लोगों के सत्ता के कामकाज के संबंध में हर छोटी बड़ी जानकारी हो।

प्रस्तावना

पंचायत एवं ग्राम पंचायत विभाग ने तीनों स्तरों की पंचायतों (ग्राम/जनपद/जिला) पर सूचना अधिकार लागू करने के लिए विधिवत आदेश भी निकाला है। अब पंचायतों के द्वारा प्रस्ताव, फैसलों और दस्तावेजों को देखने तथा उसकी प्रतिलिपि पाने का अधिकार सभी नागरिकों को है। केवल संविधान में लिख देने से या अधिनियम और कानूनों में प्रावधान कर देने से ही पंचायतें स्वशासन की इकाई नहीं बन सकती इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति, गांव और समाज के हित में बहुत कुछ करने की प्रेरणा जरूरी है और नागरिकों को अधिकार के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है तभी पंचायते एवं देश सशक्त बन पायेगा।

पंचायतराज में सूचना के अधिकार की भूमिका

भारत गांवों में बसता है ग्रामवासियों की सहभागीदारी और सशक्तिकरण में देश का विकास संभव है। हमारे देश में पंचायतों के ग्रामीण स्तर पर जनमानस में सशक्तिकरण का प्रभावशाली साधन माना जाता है। महात्मा गांधी जी ने भी देश में पंचायतों के माध्यम से स्वशासन एवं सुशासन पर बल दिया है। भारत के संविधान के 73 वें संशोधन के द्वारा राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण तथा पंचायत राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के सिद्धान्तों को मान्यता दी गई। मध्यप्रदेश में इस संवैधानिक योजना के क्रियान्वयन की अगुवाई करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया यह अधिनियम ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत जिला पंचायत तथा सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन के बारे में प्रवधित करता है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तय की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों मे लागू करने में पंचायतों की विशिष्ट भूमिका है। विभिन्न पंचायते वही कार्य कर रही है जो शासन के विभिन्न विभागों ने उन्हें दिए है। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक सहयोग भी केन्द्र एवं राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है। शासन द्वारा सौंपे गये विभिन्न कार्यो एवं उत्तरदायित्व को पूर्ण करना पंचायतों की जिम्मेदारी हैं।

ग्राम पंचायतों को अपना काम करने के लिए जो सूचनाऐं ओर जानकारियां है वह कहां से ओर किन किन विभागों से प्राप्त की जा सकती है इनमें से कुछ प्रमुख बिन्दुओं के बारे में तालिकाबद्ध जानकारी के लिये तालिका क्रमांक 1 देखिए ।

सूचना के अधिकार के अतिरिक्त भी पंचायतों को हर दृष्टि से सशक्त और प्रभावी बनाने हेतु कई प्रयास और सुझाव निम्नानुसार है।

1. वित्तीय साधन विकसित करना।
2. कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित करना।
3. पंचायत जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण करना।
4. पंचायतराज व्यवस्था के नियमों की भाषा सरल होना।
5. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कठोर और ठोस कदम उठाना और सतर्कता समिति का गठन।
6. पंचायतों को दलीय राजनीति, गुटबाजी, जातिवाद से बचाना।
7. पंचायत प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों को अनुशासन में रहकर, कार्य करने की इच्छाशक्ति को बढ़ाना।

* सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि पंचायत राज में सूचना के अधिकार का अपना महत्व है और इससे कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी तथा ग्राम और देश का विकास होगा।

संदर्भ :

1. Bharddwaj. B, Jain.,: Right to Information Act, 2005, Rajkamal Publish, New Delhi. Page. No. 15-19.
2. Jain K. : M.P. Panchayat Raj, Gram Swaraj Adniyam.
3. Prakash V. Bohre,S. : Panchayat Raj and Gram Swaraj M.P. State Legal Service Pradhikaran page no. 145-150.
4. Rajgadia V. Kejriwal.A: Suchana Ka Adhikar, Rajkamal Prakashan page.no. 18.
5. Website: http://rti.india.gov.in.

तालिका क्रमांक 1

क्र`मांक	सूचना का प्रकार	कहां से मिलेगी	कैसे मिलेगी	न मिलने पर क्या करें।
01	गांव में प्रकाश की व्यवस्था के बारे में	अपने क्षेत्र में पदस्थ म.प्र. विद्युत मंडल के सब इंजीनियर से	ग्राम सभा द्वारा चंदा इकट्ठा करके विभाग में जमा करना होगा।	अनुविभागीय अधिकारी विद्युत विभाग से संपर्क करें।
02	छात्रवृत्ति कर वितरण के बारे में	ग्राम सभा के शाला प्रभारी से	ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदन कराकर आवेदन करना होगा।	पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग तथा आदिम जाति विभाग उप संचालक से मिलना होगा।
03	मूल निवासी प्रमाण पत्र के बारे में	तहसील से	ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन करना होगा।	उप जिलाधिकारीएस.डी.ओ. से मिलना होगा।
04	मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था के बारे में	ग्राम शाला प्रभारी	ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन करना होगा।	आदिम जाति कल्याण विभाग से मिलना होगा।
05	उन्नत बीजों की जानकारी के बारे में	क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी	ग्राम सभा के माध्यम से विकासखंड पर आवेदन करना होगा।	जिला कृषि विकास अधिकारी से मिलना होगा।
06	गरीबी रेखा से नीचे रहने वालो के लिए ऋण के बारे में	पंचायत सचिव से	ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन करना होगा	जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिलना होगा।
07	सामान्य राशन कार्ड तथा गरीबी रेखा के नीचे के राशन कार्ड के बारे में	पंचायत सचिव से	ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन करना होगा।	तहसीलदार से मिलना होगा।
08	उद्योगों की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	पर्यावरण विभाग से	ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन करना होगा	प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र के अधिकारियों से मिलना होगा।
09	नलकूपों की खुदाई के लिए स्थान चयन तथा उनके शहरीकरण के बारे में	अपने क्षेत्र के. पी. एच.ई. की विभाग के सब इंजीनियर से	ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदन कराकर आवेदन करना होगा।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिलना होगा।
10	गांव के टीकाकरण के बारे में	पंचायत सचिव शिक्षक, आंगगवाडी कार्यकर्ता से	पंचायत सचिव शिक्षक आंगनवाडी कार्यकर्ता से मिलना होगा।	जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलना होगा।

मानव अधिकार और महिलाएँ

श्रीमती प्रतीक्षा पाठक *

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अधिकार मानव के सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। उनके बिना उसके व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। **लास्की के शब्दों में –''एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधारपर राज्य कों अच्छा या बुरा कहा जा सकता है।'' प्रो.आशीर्वादम् के शब्दों में –''अधिकार मनुष्य को प्रकृति से मिले हैं और उसके व्यक्तित्व में निहित है, वे मनुष्य की प्रकृति के वैसे ही अंग है जैसे उसके शरीर की त्वचा का रंग है।''** भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस कारण हमारे यहाँ मानवाधिकारों की मूलभूत आवधारणाओं को शुरू से ही मान्यता मिली हुई है। हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तम्भ हैं।

मानव अधिकार :– विश्व में मानव अधिकारों का उत्सव 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित मानव अधिकार चार्टर को माना जाता है। भारत ने इस चार्टर में निहित मानव अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतायी परन्तु पहली बार 12 अम्टूम्बर, 1993 को बाकायदा कानून बनाकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। इसे वैधानिक और वित्तीय स्वायत्ता दी गई। आयोग को देश में मानव अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया।

आंकड़ों की बात करे तो अक्टूबर 1993 से लेकर सितम्बर 2006 तक मानवाधिकार आयोग को 6,37,009 शिकायतें प्राप्त हुई। पहले साल 496 शिकायतें आयोग के पास आयी थी। 2005-06 के दौरान आयोग के सामने 74,444 शिकायतें पेश हुई। ये शिकायतें हर इलाके और फिल्ड से आयी थी। ये शिकायतें पुलिस ज्यादती, बधुंआ मजदूरी, महिलाओं और बच्चों के आर्थिक व शारीरिक शोषण, सामाजिक कुरीतियों से संबंधित थी। आयोग का दावा है कि उसने 2005-06 के दौरान 89,923 शिकायतों पर कार्यवाही की। एक तरफ आज मानवाधिकारों के प्रति जनजाग्रति बढ़ी है और मानवाधिकार आयोग के कामकाज के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ा है तो दूसरी तरफ देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएँ भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हैं।

महिलाएँ व समाज :– अब हम बात करते है महिलाओं की किसी भी समाज के विकास स्तर को समझने के लिए उसमें महिलाओं की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। महिलाएँ कुछ जनसंख्या का आधा भाग होती है। समाज में वह कहीं पुत्री, कहीं पत्नि, कहीं बहिन तो कहीं मां के रूप में महत्व रखती हैं। भारत की सभ्यता प्राय: पांच हजार साल पुरानी मानी गई हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिन्धु घाटी की सभ्यता को समझा जाता है। इस सभ्यता में भी नारी जीवन की कुछ झलक मिलती है। इस काल में नारी की पूजा काफी लोकप्रिय थी। वैदिक युग में भी नारी के प्रति सम्मान झलकता है। ई.पू.छठी शताब्दीं के बादसे समाज में महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। मध्ययुगीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना हैं मुसलमानों का भारत पर आक्रमण और विजय। भारत में इस्लाम के प्रवेश के बाद हिन्दू समाज में नई प्रवृत्तियां पैदा हो गई। पर्दाप्रथा, कन्या का जन्म अशुभ, लड़कियों के विवाह कम उम्र में करना, दहेज की माँग आदि। मुस्लिम स्त्री को अपने पति या पिता की सम्पत्ति में से कुछ हिस्सा पाने का अधिकार था, हिन्दू स्त्री के साथ ये बात नही थी। इसके बाद नव जागरण और नारी जागृति का समय आया। भारत में पुनर्जागरण का काल राजा राममोहन राय से आरंभहोता है। इस समय नारी जागरण के संदर्भ में स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानन्द, राजा राममोहन राय के कार्य ऐतिहासिक महत्व के है।

राममोहन राय ने सतीप्रथा के विरोध में आन्दोलन किये, विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किये। नवजागरण काल में जो प्रमुख महिलाएँ उभरी थी उसमें माँ शारदादेवी, सरला देवी, सावित्री बाई फुले, यशोदाबाई आगरकर आदि। इस सदी के आरंभ में शिक्षा की उन्नति के साथ-साथ महिलाओं की दशा में भी सुधार हुआ था। नारी में सहनशक्ति, त्याग, प्रेम, धैर्य के अलावा श्रद्धा का गुण भी विशेष पाया जाता है जयशंकर प्रसाद के शब्दों में -

नारी तुम केवल श्रद्धा ओ, विश्वास रजत पग नग, जल में
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।

इसी संदर्भ में प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में स्त्री-पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व अन्य अधिकारों का समर्थन किया था। नेपोलियन ने भी राष्ट्र निर्माण में अपनी माताओं की आवश्यकता बताते हुए महिलाओं के महत्व को स्वीकार किया था।

महिलाओं के लिए किये गए प्रयास :– महिला अधिकारों की जाग्रति हेतु कई प्रयास किये गए। विश्व महिला सम्मेलनों में लिंग भेदभाव मिटाना, स्त्री शिक्षा पर बल, रोजगार के संदर्भ में समानता, महिलाओं को समर्थ बनाने के लिये योजनाएँ बनाना, महिला के मानव अधिकारों में वृद्धि करना जैसे कई मुद्दों पर ध्यान दिया गया।

महिला अधिकारों से संबंधित अधिनियम :–

1. भारतीय दण्ड संहिता 1960,
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
3. दंड प्रक्रिया 1973
4. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
5. मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939
6. महिलाओं एवं लड़कियों के अनैथ्तक व्यापार पर रोक अधिनियम 1956
7. बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929
8. हिन्दू (विधवा पुनर्विवाह) अधिनिमय - 1956 व सती (निवारक) अधिनियम 1987
9. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
10. चलचित्र अधिनियम 1952
11. स्त्री अशिष्ट (प्रतिबंध) अधिनियम 1986
12. कारखाना अधिनियम 1948 (संशोधन 1976)

* सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र, महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

13. अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1986

इसी के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 बनाया गया। इसी के साथ महिला सशक्तीकरण हेतु सरकार ने कई योजनाएँ भी बनायी है। इतने अधिनियम योजनाओं के बावजूद भी पिछले साल 23 वर्षीय निर्भया के साथ क्रूर गैंगरेप की घटना हुई संसद को नया बलात्कारी विरोधी कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेल्प लाईन नम्बर शुरू किये गए लेकिन फिर भी आज महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी होने के बजाय वृद्धि हुई। पिछले 13 वर्षो की तुलना में इस वर्ष बलात्कार के मामले ज्यादा सामने आए है लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं, और निडरता से मामले दर्ज कराने लगे हैं।

दिल्ली पुलिस के आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 30 नवम्बर तक बलात्कार के कुल 1,493 मामले दर्ज किए गए जो कि 2012 में इस अवधि में दर्ज मामलों की तुलना में दोगुने से अधिक है। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामलों में पाँच गुना बढ़ोत्तरी दर्ज की ई है। नवम्बर 2013 तक पिछले वर्ष 625 मामलों की तुलना में 3,237 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं का शीलभंग करने संबंधी मामलों में भी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 165 मामलों की तुलना में इस वर्ष 952 मामले दर्ज किए गए।

वर्तमान में क्या बदला – केन्द्र सरकार अप्रेल में एक विधेयक लेकर आई जिसके अनुसार बलात्कार के दोषियों को उम्रकैद और मौत की सजा का प्रावधान था। इसके अलावा तेजाब हमले, पीछा करने ओर अभद्र व्यवहार जैसे अपराधों के लिए कठोर सजाओं का प्रावधान किया गया था। आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2013 लाया गया था और इसे आपराधिक अधिनियम (संशोधन) 2013 का नाम दिया गया था। 19 मार्च को लोकसभा व 21 मार्च को राज्यसभा में पारित किए गए इस कानून ने 3 फरवरी को जारी किए गए अध्यादेश की जगह ले ली।

बलात्कार जैसे अपराधों के खिलाफ कड़ा भय दिखाने के लिए नया कानून कहता है कि अपराधी को न्यूनतम 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और इसे उम्र कैद तक बदला जा सकता है। यहाँ उम्रकैद का मतलब अपराधी की मौत तक का समय है। इसी के साथ यौन उत्पीड़न मामले रोकने के लिए देश में निजी संस्थानों में ''विशाखा'' गाइड लाइन के तहत समितियां बनाने में बढ़ोत्तरी होने लगी हैं।

आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते है लेकिन इतने अधिनिमय, विभिन्न योजनाएँ, अधिकार होने के बावजूद भी महिलाओं की दशा और उनकी स्थिति में अभी भी उतनी उन्नति नहीं हुई है। आज भी भ्रूण हत्या हो रही है, गैंगरेप हो रहे हैं घरेलू हिसा में भी कमी जैसी होनी चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। भारत की आज़ादी के इतने वर्षो बाद भी महिलाओं को समाज में बराबरी से नहीं देखा जाता।

अधिकार है, परन्तु उन अधिकारों का व्यवहारिक रूप कुछ और है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी स्त्रियों की समानता की बात की गई है, परन्तु व्यवहारिक रूप से वे पुरूषों के नियंत्रण में ही रहती है और यही नियंत्रण उन्हें उत्पीड़न का शिकार बनाता है। यह भी सत्य है कि प्रतिभा पाटिल, श्रीमती इन्दिरा गांधी, वेनज़ीर भुट्टो, मीरा कुमार, हिलेरी क्लिंटन जैसी कई महिलाओं ने अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभायी है, परन्तु हमारे समाज में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो महिलाओं को घर से बाहर निकलने के पक्ष में नहीं हैं।

व्यवहारिक रूप से महिलाओं की स्थिति को समझना होगा तभी महिला सशक्तिकरण, अधिकारिता, लोकतंत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता को भी अनिवार्य रूप से आधुनिक होना पड़ेगा तभी महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और महिलाओं को लोकतंत्र में व्यापक सहभागिता से ही उन्हें समानता हासिल होगी।

संदर्भ ग्रंथ –

1. स्वतंत्रता संग्राम व महिलाएँ - विश्वप्रकाश गुप्त - मोहिनी गुप्ता
2. मानव अधिकार और महिलाएँ - डा.ममता चंद्रशेखर
3. मानव अधिकार - हरीश कुमार खत्री
4. नईदुनिया - 16 दिसम्बर 2013

****

मानव की आदि भूमि भारत

डॉ. जे. के. संत *

प्रस्तावना :- भारत के किसी भी प्राचीनतम् साहित्य में इस प्रकार का संकेत तक नही मिलता कि हमारे आर्यों का आना किसी अन्य देश या स्थान से हुआ है। प्राचीन भारतीय साहित्य वेद, परवर्ती संस्कृत साहित्य और पुराणों में सुरक्षित पुरानी परम्परा और इतिहास के अनुसार आर्य लोग इसी देश के मूल निवासी थे। उनका आदि निवास स्थान मध्यदेश(वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार) था। उनके मुख्य केन्द्र अयोध्या, प्रतिष्ठान(प्रयाग के पास झूॅसी) और गया थे। यहीं से लोग भारत के विभिन्न भागों में फैले और उनकी कुछ शाखायें पश्चिमोत्तर दर्रों के मध्य और पश्चिमी एशिया तक पहुॅची। भारतीय अनुश्रुति या जनश्रुति में कहीं इस बात की गन्ध भी नहीं पाई जाती कि भारतीय आर्यों की पितृ भूमि या धर्म-भूमि इस देश के कहीं बाहर थीं। भारतीय साहित्य और अनुश्रुति की साख को असंगत या झूठ मानने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता।''1''

भारत सप्तसिन्धु :- भारतीय विद्ववान डॉ. अविनाशचन्द्र दास और डॉ. सम्पूर्णानन्द ने ऋग्वेद के भूगोल और संकेतों के आधार पर सप्तसिन्धु (वह स्थल जो सरस्वती, शतुद्रि, विपासा, परूष्णी असिक्नी, वितत्स्ता और सिन्धु जैसी सात नदियों द्वारा सिंचित हो-वर्तमान पंजाब और सीमांत) को आर्यों की आदि भूमि माना है। इन विद्वानों के अनुसार यही स्थल आर्य लोगों का प्राचीन अभिजन था, और यहीं से लोग सम्पूर्ण भारत तथा पश्चिम में यूरोप तक फैले। डॉ. अविनाशचन्द्र दास ने बडे ही विस्तार में इस विचार का प्रतिपादन ऋग्वेद के तथ्यों एवं प्रमाणों पर किया है। उनके अनुसार विशाल आर्य जाति की एक शाखा अहुरमज्द (असुर पराक्रमी) की उपासक हो गयी। इस जाति का संघर्ष अन्य विरोधी धार्मिक मतानूयायियों के साथ में हुआ और अन्त में परास्त होकर पश्चिम की ओर ईरान में जाकर बस गयी। किन्तु देवों के उपासक वैदिक आर्य जाति सप्तसैन्धव देश में ही अभिजनित रही। बसुरों के उपसकों देवों के उपासकों के इस पारस्परिक संग्राम को ही वैदिक साहित्य में वर्णित देवासुर संग्राम की संज्ञा दी गयी है।

इन विद्वानों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि ऋग्वेद आर्यों के उदय के समय नहीं लिखा जा सकता था, किन्तु आर्य-भाषा और परम्परा का पर्याप्त विकास होने पर इसकी रचनॉ हुई होगी। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार ऋग्वेद का राजनीतिक और भौगोलिक वर्ण्य-विषय ययाति के वंषजों और आगे चलकर पांचाल के भरतों (पौरवों) के विस्तार और संघर्ष से सम्बन्ध रखता है। ऋग्वेद में सप्तसिन्धु का प्राधन्य है अवश्य, किन्तु यह दृश्य मध्यप्रदेश से आर्यों के पश्चिमोत्तर विस्तार का है । अत: सप्तसिन्धु आर्यों की आदि भूमि न होकर उनका नवविजित उपनिवेश था।''2''

मध्य एशिया :- यूरोप के भाषा वैज्ञानिकों और उनके भारतीय अनुयायियों में कुछ के अनुसार आर्यों की आदि- भूमि मध्य एशिया में थी। इस मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जे.डी. रहोड ने सन् 1820 ई0 में किया। उनका मत ईरान की प्राचीन जनश्रुतियों पर आधारित था। इस मत को श्लीगॉट और पॉट का समर्थन प्राप्त हुआ। बाद में चलकर सन् 1859 ई0 में प्रोफेसर मैःसमूलर ने इस मत को और अधिक बल तथा मान्यता दी। इन्होंने तर्क देते हुये कहा कि एशिया के दक्षिर्ण-पूर्व और युरोप के उत्तर पश्चिम में दो भाषा श्रोतों का प्रवाह है और मध्य एशिया में आकर एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बतलाया कि यही स्थल सभ्य जीवन का प्राचीनतम केन्द्र रहा है। यहीं से इनकी एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर चली गई जिसमें से आगे चलकर ईरानी और भारतीय आर्यों के रूप में दो उप शाखायें हो गई। उनका मुख्य तर्क यह है कि गंगा-घाटी से लेकर आयरलैण्ड़ की भाषायें एक आर्यपरिवार की हैं और उनके बोलने वालों के पूर्वज आदिम काल में किसी एक स्थान पर रहते थे।

सभी भाषाओं में पाये जाने वाले शब्दों के अध्ययन से अनुमान होता है कि यह स्थान मध्य एशिया था। इसी आदिम स्थान में मूलत: बसने वाली आर्य जाति एक थी और उसकी शाखायें विभिन्न देंशों में फैली। इस सम्बन्ध में निवेदन किया जा सकता है कि भाषा विज्ञान बहुत अनुमान और कल्पना के उपर अवलम्बित है और उसके बहुत से निष्कर्ष विवादग्रस्त हैं। इसलये स्पष्ट, निश्चित, और लिखित अनुश्रुति और परम्परा के विरोध में भाषा विज्ञान के अनुमान मान्य नही हैं। आजकल प्राय: सभी विद्वान मानने लगे है कि भाषा की समता जाति की एकता नहीं सिद्ध करती।

इसलियें यूरोपीय गौरांगों के साथ भारतीय आर्यों को जोड़ना आवश्यक नहीं। शब्दों का अदान प्रदान सम्पर्क से हो जाता है। भारतीय लिखित अनुश्रुति के अनुसार भारतीय आर्यों की कई शाखायें मध्य पश्चिमी एशिया में गयीं। वे अपने साथ संस्कृत भाषा भी ले गयीं जिसकी धारायें आर लहरें उधर के भाषाओं से मिल गयीं। संस्कृत भाषा का सार्वाधिक विकास भारत वर्ष में ही हुआ। अत: भारत ही आर्यों की आदिभूमि है।

यूरोप :- प्रारम्भ में यूरोपियों द्वारा मध्य एशिया को ही आर्यों की आदि-भूमि माना गया, परन्तु 1880 ई0 के बाद धीरे-धीरे यह मत त्यक्त होता गया और उसके यूरोप- निवासी होने की धारणा जोर पकड़ती गयी। इस पक्ष को अनेक विद्वानों तथा भाषाविदों द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ है।''3'' पर प्राय: सभी के विचारों में सुनिश्चित स्थान-निर्णय के प्रश्न पर अन्तर है। 1874 ई0 में श्री लाथम ने उस मत का समर्थन करते हुये बताया कि लिथुआनियन भाषा संस्कृत से काफी मिलती जुलती है और उसी के तरह अधिक प्राचीन भाषाओं में से है। इसके अनुसार भारत में संस्कृत भाषा का प्रचार या तो यूरोप से हुआ होगा या फिर एशिया से ही केल्ट, जर्मन, लिथुआनियन, साम्बोलिक लैटिन भाषाओं का प्रचार यूरोप में हुआ होगा। इसका कथन है कि समस्त आर्य जाति दो भागों में है, एक तो वह जो अपने रंग-ढंग, रहन-सहन, आचार-विचारों आदि में परस्पर समता रखती थी और एक सीमित क्षेत्र में निवास करती थी तथा दूसरी वह जो एक बहुत विस्तृत और बड़े क्षेत्र में फैल गयी और जिनमें परस्पर बहुत अधिक विभिन्नता थी।

ऐसी स्थिति में यह विचार कर लेना अधिक उपर्युक्त एवं ठीक होगा कि पहले प्रकार के आर्य लोग अपने सीमित क्षेत्र में ही बॅधे रह गये और एक तरह से दूसरे खण्ड़ में आने वाले आर्यजनों से छूट से गये। यूरोप को ही आर्यों की आदि भूमि मानने के पक्ष को लाथस के अलावा अन्य अनेक यूरोपीय भाषाविदों एवं विद्वानों जैसे वेफ्री, गियगर कुनो, जे. स्मिथ, डेलब्रुक आदि का समर्थन प्राप्त है। किन्तु ये विद्वान इस बात पर विभक्त हैं कि यूरोप का कौन सा प्रदेश

* सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर (म.प्र.) भारत

आर्यों की आदि भूमि था। आस्टिया-हंगरी, जर्मनी, स्वीडेन-नार्वे, लिथुआनिया और अन्त में दक्षिणी रूस के घास के मैदान सभी आर्यों की आदि भूमि होने का दावा करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भाषा-विज्ञान के कितने लचर है और खींच-तान के साथ उनका उपयोग किसी भी मत के पक्ष में किया जा सकता है।

ध्रुव प्रदेश :- लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने आर्यो के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित कुछ प्राकृतिक दृश्यों-लम्बी उषा, छ: महीने के दिन रात आदि के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयतन किया है कि आर्य लोग मूलत: ध्रुव प्रदेश में निवास करते थे और हिम-प्रलय होने से क्रमश: भारतवर्ष में पहुॅचे।''[4]''उनके पण्डित्यपूर्ण और मनोरंजक हैं पर भाषा विज्ञान से कम आनुमानिक और काल्पनिक नहीं।

इस मत के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद के निर्माण के समय आर्य लोग सप्तसिन्ध में स्थायी रूप से रहने लगे थे किन्तु उनकी उत्तरी ध्रुव स्मृतियॉ अभी तक ताजी थीं। ऋग्वेद संहिताओं में वर्णित प्राकृतिक दृश्यों, लम्बी उषा, छ: महीने के रात दिन का स्वरूप उत्तरी ध्रुव की उन स्मृतियों का ही प्रतिफल था। वैदिक संहिताओं के इन वर्णनों से यही ज्ञात होता है कि आर्य लोगों को सप्तसिन्धु तथा समीपवर्ती स्थलों का ही नहीं, किन्तु ध्रुव प्रदेश आदि स्थानों की भी भौगोलिक एवं जलवायु सम्बन्धीबातों का ज्ञान था। साथ ही ऐसा ही मान लेना कि साहित्य में केवल पास के अथवा देखे हुये दृश्यों का ही वर्णन होता है, ठीक नहीं है। भारतीय आर्यों का ज्ञान केवल उनके बसे भूखण्ड़ों तक ही सीमित था, यह कैसे मान लिया जाय? यदि भारतीय आर्य ध्रुव प्रदेश से आये होते तो उनके साहित्य में कहीं भी तो उसकी चर्चा इस रूप में होनी चाहिये।

निष्कर्ष :- आर्यों के आदिभूमि के सम्बन्ध में अब तक जितने साक्ष्य मिले हैं उनमें से भारतीय पक्ष के ही प्रबल प्रमाण हैं, 'आर्य' शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में ही सार्वाधिक हुआ है, स्वयं संस्कृत भाषा का पूर्ण विकास भी भारत में ही हुआ, आर्य परम्पर और इतिहास भी यहीं घटित हुये, आर्यावर्त (आर्यो का देश) भारत का उत्तरी भाग (हिमालय और विन्ध्य के बीच का) ही कहलाया, आर्यों के क्रमिक प्रसार और विस्तार की कहानी वेदों और पुराणों में उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में मध्यप्रदेश अथवा आर्यावर्त ही आर्यों की आदि-भूमि सिद्ध होता है।

सन्दर्भित ग्रंथ :-

1. पावगी : दी आर्यावर्तिक होम आफ दी आर्यन्स।
2. डॉ. राजबली पाण्डेय: पुरानिक डेटा ऑन दी ओरिजनल होम ऑफ दी आर्यन्स (प्रोसीग्डिंत ऑफ दी इंडियन हिस्टी कांग्रेस, बम्बई 1947)
3. अविनाशचन्द्र दास: ऋग्वेद इंडिया, सम्पूर्णानन्द: आर्यों का इतिहास।
4. जी., चाइल्ड: आर्यन्स, पी. गाइल्स: कैम्ब्रिज हिस्टी ऑफ इण्डिया, भाग 1
5. बालगंगाधर तिलक: आर्कटिक होम इन दि वेदाज (पूना, 1903)।

****

गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियाँ

डॉ. सुलेखा मिश्रा *

प्रस्तावना :–द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संसार दो विरोधी गुटो सोवियत और अमरीकी गुट में विभक्त हो चुका था। दूसरी तरफ एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। अमरीकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रो पर तरह - तरह का दबाव डाल रहा था। ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाए लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबन्दी में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमरीकी पुंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। वे अपने आपको किसी राष्ट्र के साथ संबंध नहीं करना चाहते थे और उनका विश्वास था। कि उनके प्रदेश तीसरी शक्ति हो सकते थे। जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में परिणत करके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते थे।

गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुटनिर्पेक्षता एशिया के नव जागरण की प्रमुख विशेषता थी।सन् 1947 में स्वतंत्र होने के उपरान्त भारत ने इस नीति का पालन करना शुरू किया। उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की जैसे- जैसे अवलम्बनयूपोस्ताविया के मार्शल तीनों में तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफी मजबूत बनाया। वस्तुत: शीत युद्ध के राजनैतिक ध्रूवीकरण ने गुटनिरपेक्षता की समझ तैयार करने मे एक उत्प्रेरक का कार्य किया। लम्बे औपनिवेशक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के लम्बे संघर्ष के बाद किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना नवोदित राष्ट्रो के लिए एक असुविधाजनक स्थिति थी।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हो क्षमता स्तर पर किसी एक राष्ट्र के लिए ऐसी स्वतंत्रता। भूमिका अर्जित कर पाना एक अवरणीय प्रयत्न होता है। जिसकी सम्भावनाएं भी अत्यधिक संदिग्ध बनती। अत: आत्मसम्मान की एक अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए सामूहिक पहल न सिर्फ वांछित थी। अपितु आवश्यक थी। स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुटनिरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नीव रखी। इस प्रक्रिया को शीत युद्ध तात्कालिक, राजनीतिक वातावरण ने गति प्रदान की

गुट निरपेक्ष एक नई संकल्पना है। प्रारंभ में गुटनिरपेक्ष देशो में एक कठिनाई से जूझना पड़ा कि अन्य राष्ट्रों को कैसे समझाया जाय कि गुटनिरपेक्षता क्या है कि अंतराष्ट्रीय संबंधो के संदर्भ में इसे एक स्वतंत्र और प्रतीत संकल्पना के रूप में मान्यता कैसी दिलाई जाय। शुरू में दोनों गुटो ने गुट निरपेक्ष देश जिनमें भारत भी शामिल है सम्मिलत है। स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद वर्षो तक साम्यवादी राष्ट्रों से अपनी स्तंत्रता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके दोनों गुट यह मानते थे कि युद्धोत्तर विश्व में से किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया है कि वह आगे से किसी एक के साथ गुटबद्ध हो जाय उनका पक्का विश्वास था कि गुटनिरपेक्ष एक ढोंग है। परंतु बाद में दोनों गुटो ने इस नीति को मान्यता प्रदान की ।[1]

2 गुटनिरपेक्षता का अर्थ :– गुटनिरपेक्षता का सरल अर्थ है। विभिन्न शक्ति गुटो से तटस्थ या अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना। इसका अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता नहीं है। गुट निरपेक्षता देश विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहते बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और रचनात्मक नीति का अनुसरण करते है। जो विश्व शांति की स्थापना में सहायक हो भारत सरकार के एक प्रकाशन के अनुसार ''गुट निरपेक्षता काअनौचित्य को देखा जा सकता है। एक गुट के साथ जुड़कर उचित अनुचित का विचार किए बिना आख मूंदकर पीछे-पीछे चलना गुट निरपेक्षता नहीं है।

तटस्थता और गुट निरपेक्षता पर्यायवाची शब्द नही है। इनमें यह समानता तो है। कि दोनो के अन्तर्गत शीत युद्ध के समय संघर्ष से पृथक रहा जाता है। लेकिन आधारभूत अन्तर यह है। कि जहाँ वास्तविक युद्ध छिड़ने पर एक तटस्थ राष्ट्र युद्ध से पृथक रहता है। वहाँ गुट निरपेक्ष देश युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से उलझ सकता है। न्याय का समर्थन करते हुए उसकी विदेश नीति सकारत्मक रूप से संचालित होती है।

स्विटजरलैण्ड एक तटस्थ देश है। जबकि भारत एक गुट निरपेक्ष देश है। गुट निरपेक्षता के अग्रदुत पं. नेहरू ने कहा था। मैं तटस्थ शब्द का प्रयोग नहीं करता क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्धकाल में होता है। शांतिकाल में भी इससे एक प्रकार की युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है। ''जार्ज लिस्का ने लिखा की किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है। कौन गलत है। किसी का पक्ष लेना तटस्थता है। किन्तु असंलग्नता या गुट निरपक्षता का अर्थ सही और गलत में भेद करना तथ सदैव सही नीति का समर्थन करना'' गुट निरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धांत नहीं है। यह एक सक्रिय और स्वतंत्र सिद्धांत है।

यह नीति चुप्पी लगाकर बैठे जाने की या अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र से सन्यास लेने कि नहीं है। बल्कि इसके अन्तर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए जाते है। और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। गुट निरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है। किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक गुटबन्दी में सम्मिलित न होना। पश्चिमी या पूर्वी गुट के किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से न बंधना किसी भी प्रकार की आक्रामक संधि से अलग रहना शीतयुद्ध से पृथक रहना राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। 1966 में गुट निरपेक्षता के तीन कर्णधारों पं. नेहरू नासिर और रांटो ने इसके पांच आधार स्वीकार किये थे।

1. सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो।
2. सदस्य देश उपनिवेश का विरोध करता हो।
3. सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो।
4. सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो एवं
5. सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक ला खड़ा करने की इजाजत न दी हो।

गुट निरपेक्षता की जो बुनियाद भारत ने 1946-47 में रखी वह समय के साथ और भी अधिक मजबुत बन चुकी है। पं. नेहरू के ये शब्द आज भी इस

* शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

नीति के सन्दर्भ में सजीव है। ''जहाँ स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण होता हो वहां ने तो हम तटस्थ रह सकते है। और न ही तटस्थ रहेंगे''पाकिस्तान के अत्याचारों से छुटकारा दिलाकर बंगलादेश के उदय में भारत ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह पं. नेहरू के उपर्युक्त शब्दों की पुष्टि कर देती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ शांतिवाद नहीं है।

यह निर्भरता और साहस की नीति है। कायरता की न गुट निरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक है। यह अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति उपेक्षा पूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखती बल्कि दोनों पक्षों की स्थिति को समझकर उचित पक्ष के समर्पण को तत्पर रहती है। गुट निरपेक्ष नीति में आस्था रखने वाले देश सैनिक संधियों का विरोध करते है और मानते है कि इस प्रकार की संधि सहयोग का नहीं व विरोध का परिणाम होती है, जिन्हें तोड़ने का एक मात्र उपाय युद्ध अथवा पारस्परिक घोर वैमनस्य है।

3 गुट निरपेक्षता और तटस्थता :– प्राय: गुट निरपेक्ष को तटस्थता से विभूषित किया जाता है। जबकि दोनों एक नहीं है। तटस्थता में जहाँ नकारात्मक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। और यह केवल एक वास्ततिक युद्ध का विचार सक्रिय, सकारात्मक और निश्चित है। दोनों सिद्धांतो में कोई जन्मजात समानता नहीं है। जब इनका प्रयोग शीतयुद्ध के सम्बन्ध में हो तटस्थता का परिवर्तनशील सिद्धांत गुट निरपेक्षता के विचार को शीतयुद्ध या परमाणु शान्ति की अवधि में ही अपने अन्तर्गत समाहित किए हुए है। पं. नेहरू ने स्वयं यह स्वीकार किया था ''अगर आज के युग को शीतयुद्ध से व्याप्त मानते है। तो हम निश्चित रूप से तटस्थ है''संयुक्त अरब गणरज्य में गुट निरपेक्ष एक सकारात्क तटस्थता है।

पश्चिमी कुटनीतिक क्षेत्रों में तटस्थता के जो सामन्य अर्थ है। उसे अफ्रीका व एशिया के निवासी अधिंशत: नकारात्मक मानते है। नासिर ने एक बार कहा था। मै सोचता हूँ कि तटस्थता का प्रयोग ''मै सोचता हूँ कि तटस्थता का प्रयोग गलत है एक अच्छा शब्द गुट निरपेक्षता है, तटस्थता शब्द का निर्माण केवल युद्ध के समय के लिए होता है। हम नैतिक रूप से तटस्थ नहीं है लेकिन हम गुट निरपेक्ष है। इसलिए हम प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का न्याय उसके गुणों के आधार पर करते हैं।

तटस्थता दो आक्रमकों और उनके मध्य के संघर्ष के प्रति उदासीनता के दृष्टिकोण का दावा करती है। गुट निरपेक्षता ऐसा कुछ नहीं करती,इसके विपरीत यह प्रत्येक समस्या का उसके गुण के आधार पर न्याय करती है और अपने स्वतंत्र मत की घोषणा करती है। यह एक कल्याणकारी और समाजवादी प्रकृती के राज्य में सामाजिक न्याय का स्वागत करती है और उसी समय व्यक्तिगत पूंजीवादी साहस के माध्यम से औद्योगिकरण को भी।

तटस्थता का तात्पर्य एकाकीपन की अवस्था है जबकि गुट निरपेक्षता एशिया, अफ्रीका की जनता को अपना भविष्य निर्धारित करने में सहायता देती है न तो यह स्वीजरलैण्ड और स्वीडन की तरह स्वार्थी तटस्थता है और न अमेरिका की तरह विधेयात्क एकांकीपन है। गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है क्योंकि वह अपने दृष्टिकोण और विचारों में विधेयात्मक है। गुट निरपेक्षता का आशय अन्तर्ग्रस्त होने से मुक्त नहीं वरन् यह अन्तर्ग्रस्तता की अपरिहारता से उत्पन्न होती है।

स्विस सरकार के विपरीत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बिना गुट का निर्माण किए हुए विश्व समस्याओं पर सहयोग करते है। स्पष्ट है कि गुट निरपेक्षता की नीति का उद्देश्य युद्ध के संबंध में एक तटस्थ स्थिति शांति और सामाजिक न्याय के लिये निरंतर सक्रिय कार्य करता है। प्रो. पीटर के अनुसार शीत युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा प्रेरित शक्तियों के मध्य चल रही राजनीति या कुटनीति प्रतिबंधता में किसी भी पक्ष का समर्थन करने से इंकार करना ही तटस्थता है।

दूसरी ओर गुटनिरपेक्षता का समर्थन करने से इंकार करना ही तटस्थता है। दूसरी ओर गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है। बिना किसी के साथ बंधे हुये अपनी स्वंत्रनीति का पालन किया जाय। द्विपक्षीय सैनिक समझौता है। अथवा वह देश क्षेत्रिय सुरक्षा संबंधी का सदस्य है। तो यह समझौता या संधि जानबूझकर बड़ी शक्तियों के संदर्भ में नहीं होनी चाहिये। इस हिसाब से मिश्र, ईराक और सीरिया ने किसी समय सैनिक सहायता के सिलसिले में या तो सोवियत संघ से या अमेरिका के साथ समझौता किया था।

साइप्रस, इपियोपिया, लिबिया, माल्टा, मोरक्को और साउदी अरब ने किसी समय अपनी भूमि पर पश्चिमी सैनिक अड्डे बनाने कि अनुमति दी थी आज तक गुट निरपेक्षता की कोई अधिकारीक परिभाषा नहीं की गई है फलस्वरूप हर शिखर सम्मेलन में नये सदस्यों को शामिल करने और कुछ पुराने सदस्यों के बने रहने पर ही हल्ला मचा रहता है। सम्मेलन के प्रमुख देश विभिन्न प्रकार के दबावों में होते है और वे दुरगामी प्रभावों कि चिन्ता किये बगैर तदर्थ निर्णय लिया करते है। कुल मिलाकर सामान्य मानदंड यही रह गया था कि सदस्य बनने के लिए इच्छुक देश सोवियत अथवा अमरिकी गुट का सदस्य नही होना चाहिए।

इस संबंध में डॉ वेद प्रताप वैदिक लिखते है इस आन्दोलन के सामन सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि उसके पास अपने नाम की परिभाषा नहीं है। यह रोचक तथ्य बहुत कम लोगो को मालूम है कि इस आन्दोलन को चलते–चलते 34 साल बीत गये लेकिन अभी तक कोई यह कहने कि स्थिति में नही है कि गुट निरपेक्षता की सर्वसम्मत परिभाषा यह है। गुट निरपेक्षता की परिभाषा करते समय हम लोग या तो नेहरू के बयानों और भाषणों के सटीक टुकड़ों को उद्धत कर देते है या यही कार्य जब युगोस्लाव विद्वानों को करना होता है तो वे मार्शल टीटो की उक्तियों का सहारा ले लेते है नेहरू, नासिर य टीटों के बयानो से गुट निरपेक्षता के विभिन्न आयाम तो अवश्य निर्धारित होते है लेकिन समग्र रूप में उसका निरूपण नहीं होता है।

उपलब्धियाँ

1 विश्व राजनीति में संघर्षों का टालना :– गुटनिरपेक्षता की दूसरी संभव उपलब्धि यह रही कि इसके प्रभाव से विश्व के कुछ विकल संघर्ष टल गये या उनकी तीव्रता कम हुई या फिर उनका समाधान हो गया। और विशेषत: तीसरा विश्व युद्ध भी नहीं छिड़ा जिसकी संभावना के बारे में 1950 से शुरू होने वाले दशक के मध्य में सरकारी और गैर सरकारी स्तरो पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। गुटनिरपेक्ष राज्य यह दावा कर सकते है और उनका यह दावा गलत नहीं होगा की उन्होंने न्यूम्लीय अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखने और बढ़ावा दोनों गुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से देशों ने राष्ट्र समाज को पूरी तरह से दो हिस्सो में बाटने से रोक दिया।

2. शीतयुद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणित होने से रोकना :– गुटनिरपेक्ष देश दोनों गुटों और सर्वोच शक्तियो के बीच सद्‌भावना हेतु और संपर्क के माध्यम का काम करने को तैयार थे और दूसरे शीत युद्ध के दोनों पक्षो के बीच गलतफमियां दूर करने में सहायता मिली। कभी – कभी उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लीक विध्वंस के आधार पर है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रो ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया। जिसमें सर्वोच शक्तियों के जानबूझकर उस राह पर चलने से या खामिया ख्यालि की वजह

से वह सहस्त्र युद्ध में परिणत हो सकता था।

3. नि:शस्त्रीकरण और अर्थ नियंत्रण की दिशा में प्रगति :- नि: शस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में बातचीत करने में गुटनिरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभायी, उसमें उन्हें एकदम सफलता तो नहीं मिली फिर भी उसने लोगों को यह नहीं भूला दिया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने की सारी चर्चा के सामने अस्त्र - शस्त्र बढ़ाने की वे लगाम दौड़ कितनी खतरनाक है। गुटनिरपेक्ष भारत को यह देखकर संतोष हुआ कि उसने अप्रैल 1954 को न्यूम्लीय शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे थे वे 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में फलीभूत हुये। महत्व है। महाशक्तियॉ। चाहे गुट निरपेक्षता की नीति में हृदय से विश्वास न करती हो लेकिन प्रकट रूप में इस नीति के प्रति वे समान प्रदर्शित करती है। समाजवादी चीन जो विस्तारवादी और सैनिकवादी नीति का अनुसरण कर रहा है। स्वयं को गुट निरपेक्ष कहलाना ही अधिक पसंद करता है।

पाकिस्तान जैसे देश के लिए गुट निर्पेक्ष शब्द का प्रयोग कोई अर्थ नहीं रखा फिर भी वह गुट निरपेक्ष देशो के सम्मेलन में प्रवेश का प्रयत्न करता रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुट निरपेक्षता की नीति आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्थाई रूप धारण कर चुकी है और एक वास्तविकता बन गई।

संदर्भ

1. शर्मा डॉ. मथुरालाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रकाशन राजस्थान विश्व विद्यालय जयपुर पृ. 54
2. अग्रवाल डॉ ए. के. ''भारत की विदेश नीति'', प्रकाशन यूनिवर्सल बुक डिपो, ग्वालियर, पृ क्र.56
3. शर्मा डॉ. प्रभुदत्त ''अंतर्राष्ट्रीय राजनीति'' कालेज बुक डिपो, जयपुर पृ. क्र. 465
4. त्यागी महावीर सिंह ''राजनीतिक निबंध'' प्रकाशन-राजीव प्रकाशन मेरठ, पृ क्र 232
5. शर्मा डॉ. मथुरालाल ''प्रमुख देशों की राजनीति'' प्रकाशन कॉलेज बुक डिपो राजस्थान (जयपुर) पृ. क्र.202
6. सूर्मो फेड्रीक एल ''अंतर्राष्ट्रीय राजनीति'' प्रकाशन-कैलाश सदन भोपाल, पृ. क्र. 351
7. वर्मा दीनदयाल ''अंतर्राष्ट्रीय संबंध '' प्रकाशन- मेरठ पृ. क्र. 265
8. नेहरू जवाहरलाल '' स्वतंत्रता के बाद'' पृ. क्र. 182
9. श्याम सुंदरम जे. ''राजनीतिक विज्ञान तृतीय वर्ष'' प्रकाशन-रामप्रसाद एण्ड सण्स पृ. क्र. 245
10. अन्नादुराई डॉ. ''इण्डियास फॉरेन पॉलिसी'' प्रकाशन-नई दिल्ली,

****

भारतीय चिंतन में मानववादी विचार

डॉ. रजनी दुबे *

मानववाद का अर्थ है– वह प्रवृत्ति जो मानव को ही सर्वोच्च मानकर चलती हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव को उच्चतम लक्ष्य व स्थान प्रदान करने वाला मन या सिद्धान्त ही मानववाद या मानवतावाद कहा जा सकता है। सृष्टि में मनुष्य की स्थापना करके उसे शाश्वत तथा निरपेक्ष मूल्य प्रदान करना ही मानवतावाद का लक्ष्य कहा जाता है।

अग्नि पुराण में कहा गया है कि मानव शरीर की प्राप्ति सौभाग्य है, यह अतिदुर्लभ है, यही मोक्ष का द्वार है। मानववाद को अंग्रेजी में ह्यूमेनिज्म (Humanism) कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के ह्यूमेनस (Humenus) से निकला है, जिसका अर्थ है मानव या मानव कल्याण से संबंध विचार। इसका अर्थ मानव की शिक्षा से भी किया जाता है। मानव की वह शिक्षा जिसके कारण वह पशु से भिन्न कहा जाता है, जिसके कारण मानव में वह अनुशासन आता है, जो उसे परिपक्वता व बर्बरता से परे करता है।

मानववाद इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें, तो पता चलता है कि यह 19वीं तथा 20वीं सदी के दर्शन के रूप में उभर कर आया है। यह एक संप्रदाय माना जाता है किन्तु इसमें विचार वही पुराने हैं। विश्व परिदृश्य में, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में मानवतावाद शब्द का प्रयोग प्राय: यूरोपियन पुनरूत्थान व जागरण के लिये होता आया है। चौदहवीं शताब्दी में यह यूरोपियन जागरण इटली में आरंभ होकर सम्पूर्ण यूरोप तथा इंग्लैण्ड में फैला, इस इटैलियन मानववाद ने मुख्य रूप से मानव स्वभाव, उनकी सीमाओं व अभिरूचियों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। भारत में आदिकाल से ही चिंतन की धारा मानवोन्मुख पाई जाती है।

ऋग्वैदिक युग में यद्यपि प्रकृति साधन थी मगर इसमें मानव एक प्रमुख हस्ती था, जिसके लिये सारी प्रकृति से प्रार्थना आदि की जाती थी। वैदिक काल में ''सीधे-सादे भौतिकवाद और आदेशवाद का सूक्ष्म मिश्रण मौजूद है।'' अभी तक ईश्वर ने मनुष्य के अस्तित्व का पूरा अधिग्रहण नहीं किया था किन्तु धीरे-धीरे सामाजिक व राजकीय एकीकरण होता गया, जिससे देवताओं का भी एकीकरण हुआ। वैदिक युग में अथर्ववेद तथा ब्राह्मणों की रचना होते होते मानव धर्म व कर्मकाण्ड आदि की भेंट चढ़ वैचारिक परिदृश्य में महत्वहीन हो चुका था। इसी युग में वेदों का अंतिम भाग जिसे उपनिषद कहा जाता है भी विकसित हो रहा था। जैसे ग्रीक दर्शन में, सुकरात के दर्शन को 'अपने आप में जानो' का संदेश वाहक कहा जाता है, उसी प्रकार भारतीय दर्शन में उपनिषदीय साहित्य को यह सम्मान प्राप्त है।

उपनिषदीय ऋषि बाह्य आडंबर को त्याग आत्मा की ओर लौटने का उपदेश देते हैं। अनेक ऐसे उपनिषदीय आचार्य हुये हैं, जिन्होंने यज्ञ, बलि, कर्मकाण्ड आदि का विरोध करते हुये इस जगत को कारण तथा कार्य की एक अनवरत श्रृंखला के रूप में देखा। अनेक ऐसे थे, जो इस गोचर जगत के पीछे किसी अलोकिक शक्ति से इंकार करते थे।

वास्तव में उपनिषद दोनों ही प्रकार के विचारों से भरी पाई जाती है, जिनमें एक प्रकार था-''आध्यात्मवादी, तो दूसरा था भौतिकवादी'' उपनिषदों के ऋषि अनेक प्रश्न उठाते थे, जो प्राय: मानव से ही संबद्ध हुआ करते थे। ऐसे अनेक विचारक हुये हैं जिनके दर्शन जगत के प्रति रहस्यवाद तथा आदर्शवादी दृष्टिकोण के विरोध में हो रहे घनघोर संघर्ष के दरमियान उत्पन्न हुये। भारतीय मानववाद के संदर्भ में अनेक विद्वान मानते हैं कि ''भौतिकवाद ने जीवन के प्रति प्रेम तथा मानवतावाद का पक्ष लिया'' जहां तक आध्यात्मवाद का प्रश्न है अवश्य ही मानव का लौकिक पक्ष इसमें उपेक्षित हुआ है। किन्तु भौतिकवादी चिंतन में मानव अपने संपूर्ण, ठोस अस्तित्व के साथ मौजूद है। मानवतावाद के मूल सिद्धान्त पर यदि ध्यान दें, तो पाते हैं कि मानवतावाद एक वह विचारधारा है, जो मानव तथा उसकी समस्याओं के विवेचन को सर्वाधिक महत्व देती है।

इसका केन्द्र बिन्दु ईश्वर या कोई अन्य काल्पनिक देवी-शक्ति नहीं वरन् स्वयं मनुष्य ही इसके केन्द्र में है। ईश्वर या किसी अन्य आलौकिक शक्ति के स्थान पर स्वयं मनुष्य तथा उसकी मूल समस्याओं का निष्पक्ष विवेचन भारतीय दर्शन में विशेषकर अवैदिक दर्शनों में पाया जाता है। अवश्य ही मानव की उत्पत्ति, उसका विकास, ब्रम्हाण्ड की उत्पत्ति व विकास जगत के साथ मानव का संबंध, मानव व्यक्तित्व, स्वभाव आचरण आदि का अध्ययन इन प्राचीन अवैदिक दर्शनों में यद्यपि पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं हो पाया है, क्योंकि तब विज्ञान का इतना विकास हुआ ही नहीं था तथापि मानव केन्द्रित निरीश्वरवादी विचारधाराओं के रूप में ये अवैदिक दर्शन भारतीय मानववाद के मूल स्तर को स्पष्ट करते प्रतीत होते हैं।

मानववाद पूर्ण रूप से निरीश्वरवादी विचारधारा है।, जो कि अवैदिक परम्परा के चार्वाकों आदि के सर्वाधिक निकट हैं। भारत में अध्यात्मपरक चिंतन के विरूद्ध उपजी एक शंका प्रतिक्रिया स्वरूप घ्रमण अवैदिक या निग्रंथ परम्परा ने मानो मानव को उसका खोया महत्व पुन: दिलाने के ही लिये जन्म लिया। जैन दर्शन में तीर्थकारों ने कर्मकाण्डीय अंधविश्वासों के विरूद्ध मानव को महत्व दिया। बौद्ध दर्शन तो शुद्ध मानवपरक चिंतन का एक सशक्त दस्तावेज ही कहा जा सकता है। बुद्ध मानव को जगत में सर्वोपरि मानते हुये अपने पूरे चिंतन का केन्द्र दुखी मानव तथा उसके दुख को ही बनाते हैं।

चार्वाक के भौतिकवादी मन को देखें तो इसने भी समस्त तत्व मीमांसीय प्रत्याख्यान के साथ भारतीय दर्शन व जीवन में अपनी सशक्त उपस्थिति अपने बहुतायत से हुये विरोध के बावजूद दर्ज कराई। प्राय: आध्यात्मवादी दावा करते हैं कि उनके मन में मानव की अनदेखी नहीं हुयी, लेकिन ईश्वर, ब्रम्ह आदि के आवरण तले दबे हुये मानव को भले ही एक आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित स्थान मिला हो, सरीरी जीव को तो हीन, बुद्ध, विराट, अग्नि की एक स्फुलिंग, चिंगारी मात्र मानकर उसकी उत्पत्ति को विराट से जोड़कर अध्यात्मवाद ने वास्तव में मानव को दरकिनार ही किया।

मानव जीवन पाना यूं तो महान सौभाग्य की बात कहा जाता है, मानव को ''अमृतस्य पुत्रा:'' कहा गया, किन्तु पुन: पुन: मानव जन्म पाने को बंधन कहकर पुकारा गया। अवश्य ही शरीरधारी मानव आध्यात्मवाद में अपना महत्वपूर्ण पद नहीं पा सका है। इस चिंतन में मानव को यदि महत्व मिला भी है तो सिर्फ इसलिये कि वह ब्रह्म का अंग है। अनेक विद्वानों की यह मान्यता है

* सहायक प्राध्यापक, राजनीति विभाग, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

कि भले ही भारतीय चिंतन परम्परा में मानव को ब्रह्म में समाहित करके देखा गया उसके भौतिक अस्तित्व को कम आंका गया, किन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतीय विचारकों का दृष्टिकोण मानववादी ही था। यहां धर्म व राजनीति को नैतिकता से अलग करके नहीं देखा गया। दोनों का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण ही कहा जाता है। यह मानते हुये प्राय: विचारक भातीय दर्शन को मानववाद का ही पोषक मानते हैं।

इसी संदर्भ में यह ध्यान देने की बात है कि गीता में भी मानव को सर्वोपरि बताते हुये श्रीकृष्ण अवतारवाद की महाकल्याणकारी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। वे मानव मात्र के कल्याण के लिये ही गीतामृत का विवेचन करते प्रतीत होते हैं। अर्जुन तो इसका एक माध्यम भर था, वे तो मानव मात्र को ही संबोधित कर रहे थे। वास्तव में आध्यात्मवाद ने मानव को ब्रह्म के अंश के रूप में ही महत्व प्रदान किया। इसमें ''मैं'' को ब्रह्म की समग्रता में ''समन्वित'' कर दिया गया इसी भाव के कारण अध्यात्मवाद कहता है कि ''उसने मानववादी परंपरा के विकास को चरम शिखर तक पहुँचाया हैं।'' किन्तु यह दावा एकांगी व अपर्याप्त लगता है क्योंकि इसी आध्यात्मिक शक्ति में मानव के विलीनीकरण से क्षुब्ध भौतिकवादीयों ने अनवरत् संघर्ष किया।

इस प्रक्रिया के दौरान ''भारतीय मानववववदी चिंतन का विकास होता रहा और वह परिपक्व बना।'' यह और बात है कि आरंभिक चरणों में यह अवैज्ञानिक रूप में ही था। मध्यकाल में, भक्ति आन्दोलन में संतों तथा धार्मिक नेताओं ने अन्याय तथा उत्पीड़न के विरूद्ध धर्म का पक्ष उजागर किया। उन्होंने जिन मूल्यों तथा आदर्शों को उठाया उनसे मानव के भौतिक पक्ष तथा भविष्य के प्रति विश्वास के ही भाव जाग्रत होने में मदद मिली।

आगे चलकर मध्य युग के उत्तरकाल के इन प्रगतिशील दार्शनिकों व संतों के विचारों ने न केवल धर्म सुधारों को प्रेरित किया बल्कि अब मानव की क्षमता के भी नये आयाम खोजे गये। अब उदारता, मानवता व धर्म निरपेक्षता के विचार बल प्राप्त करने लगे जो कि स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्र, इकवाल, गांधी आदि अनेक आधुनिक युग दृष्टा तथा युग निर्माताओं के विचारों के आधार भी बनें। अब चिंतन में अनिवार्य रूप से मानव पर, उसकी चेतना पर ध्यान दिया जाना प्रगतिशीलता की प्रथम शर्त माना जाने लगा।

अत: प्राचीन भारतीय विचार मानव की एक निश्चित दिशा तय करके चलता था वेदों में मानव पर देवत्य भी आरोपित किया गया। उपनिषदों में इसे अमृत पुत्र कहा गया, आगे मानव के सद् आचरण के लिये मान मूल्य निर्धारित किये गये। वसुधेव कुटुम्बकम की प्राचीन ऋग्वैदिक धारणा को जब-तब पुनर्जीवित किया जाता रहा किन्तु इस सबके दौरान विराट के अंश के खो जाने के भय से मानव अस्तित्व को मुक्त न किया जा सका।

आधुनिक युग में कुछ ऐसी प्रवृत्ति मानववाद में आ गई है कि जो भी कुछ मानवमात्र के लिये हितकर है उसे मान लिया जाये। चाहे उसका स्त्रोत कुछ भी कहीं भी क्यों न हो। साथ ही उन तत्वों का भरसक त्याग कर दिया जाना चाहिये जिन से मानव जीवन का अवमूल्यन होता है।

आज भारतीय मानववाद उस दौर से गुरज रहा है जिससे यह माना जाता है कि प्रत्येक मानव के स्वतंत्र विकास में सहयोग मिले, जो संस्था, जो समाज मानव को निंदनीय, तुच्छ, तिरसकृत, दास आदि समझे उसके त्याग व उन्मूलन पर आज अधिक आग्रह है। प्राय: भारतीय विचारक मानते हैं कि समष्टि में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। यहां समाज में मानव को खो देने की प्रस्तुति दिखाई पड़ती है। समाज कल्याण में स्वयं मानव का कल्याण निहित है। अत: भारतीय मानववाद का यह समष्टिवादी स्वरूप ही कहा जायेगा जिससे अकेले मानव, अकेले व्यक्ति के स्थान पर उस व्यक्ति को सम्पूर्ण समाज का अंश मान कर व्यक्ति को समाज की संतुष्टि में ही संतुष्ट मान लिया गया। इसी में मानव का पूर्ण शुभ व कल्याण है।

संदर्भ

1. दामोदरन के : भारतीय चिंतन परम्परा
2. वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद : भारतीय दर्शन
3. सिंह कर्ण : हिन्दु दर्शन - एक समकालिक दृष्टि

****

भारतीय प्रजातंत्र में नोटा की उपयोगिता

डॉ. प्रेमलता तिवारी *

यूरोपीय देशों की संविधान संरचना का अध्ययन कर हमारे देश ने संसद प्रशासन को अपनाया। लेकिन आज लोकतंत्र के अभिभावक राजतंत्र के उद्देश्य को भूल गए है।परिवारवाद, तानाशाही, गुंडागर्दी, दमनकारी, भ्रष्टाचार एवं वोटों की राजनीति में लोकतंत्र ठगा गया है। भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक व्यवहार ने लोकतंत्र को विकलांगता की श्रेणी में ला दिया है।

'लोकतांत्रिक चुनाव' धनबल की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में नोटा Right to Reject परिवर्तन की बयार लेकर आया है। 27 सितंबर 2013 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुएदेश के मतदाताओं को यह अधिकार दिया किवे मतदान के दौरान सभी प्रत्याशियों को संवेदनशील और संजीदा तो बनाता ही है साथ ही मतदाता को भी नैतिक एवं आत्मीय बल प्रदान करता है कि अब वह ड्राइंग रूम में बैठकर लोकतंत्र की आलोचना ना करे, प्रत्याशियों की खिंचाई कर घर पर न बैठे, बल्कि नोटा का उपयोग कर एक दिन का राजा कहलवाना बंद करवा दें।

सत्तासीन नेताओं को सुधारने हेतु वैचारिक क्रांति का सूचक है। कुर्सी के लिए मातृभूमि को युद्धभूमि बनाने से रोकता है नोटा। लोकतंत्र देश को चलाने के लिए बेहतर विकल्प का प्रयोग का चुनाव करने का अवसर पहले भी था। भारत की चुनाव आचार संहिता 1961 के नियम 49 ओ के अधीन यह विकल्प काफी समय से अस्तित्व में है। पर इसके प्रयोग से गोपनीयता भंग होती थी। इसलिए यह लुप्त हो गया पर अब इवीएम मशीन में ये बटन बटन नहीं परिवर्तन की आंधी है। यह सत्य है कि चुनाव सुधारों को समय की जरूरत मानते हुए यह तत्काल उठाया गया अच्छा कदम है।

इससे योग्य प्रत्याशियों को टिकट देने का दबाव बढ़ेगा। धूमिल राजनीति का नकाब हटाने वाला यह नोटा पूर्ण बदलाव तभी ला पायेगा जब जागरूकता होगी गैरसंगठनों की जिम्मेदारी है कि इसका प्रचार प्रसार करें। विधानसभ चुनाव में भोपाल गैस पीड़ितों ने नोटा का प्रयोग कर जागरूकता का पाठ सभी को पढाया है। सेमीफाइनल चुनाव में **मध्यप्रदेश 5.9लाख, राजस्थान 5.37 लाख, मिजोरम 49730, दिल्ली 3.56 लाख, छत्तीसगढ़** में नोटा का प्रारंभिक प्रभाव आगे संकेत करता है कि अगर मतदाताओं ने इसका अधिकाधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया तो यह लोकतंत्र के पूरे चरित्र को बदल सकता है।

समाज में स्वीकार्य प्रत्याशियों को ही टिकट देने के लिए हर दल को मजबूर होना पड़ेगा। दबाव, प्रलोभन, लोभी, लालच से न दबना ही नोटा है। इसका अर्थ यह नहीं कि नोटा स्वच्छ राजनीति की पूर्ण स्थापना कर देगा। भ्रष्ट व अनैतिक उम्मीद्वारों की भीड़ खत्म हो जाएगी। प्रारंभ में ज्यादा बदलाव की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी उपाय करने हों क्योंकि नोटा की व्यवस्था का हमारे लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रियाओं के अंतिम नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।

कई आलोचक यह मानते है कि नोटा का अधिकाधिक प्रयोग दुबारा चुनाव की स्थिति लायेगा जिससे खर्च बहुत ज्यादा होगा साथ ही वोट बैंक जुगाड़ने वाले रसूखदारों के हाथों का खिलौना बनकर रह जाएगा। पर यह अधूरा सत्य है। यह संभावना भी बनती है कि सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में आज का युवा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ राजनीति की बयार हेतु लोकतंत्र के दागों को धोने के लिए शतप्रतिशत नोटा को ही स्वीकार कर लें।

अभी नोटा को लेकर जागरूकता भी नहीं है। नोटा के अधिकारों को परिभाषित करने की सख्त जरूरत है। अगर नोटा की विजय होती है तो क्या फिर से चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संसद के अधिकार की बात कहकर समाप्त कर दी है। इसका निराकरण होना अभी बाकी है। केजरीवाल का भी मानना है कि ''यह सही सार्थक होगा जब इसके आधार पर चुनाव परिणाम तय होंगे'' एक विचार यह है कि इस पक्ष में आये वोट अवैध श्रेणी में जायेंगे तो फिर इसकी उपयोगिता क्या रहेगी।

प्रायोगिक तौर पर सामने आये इस विकल्प के बारे में आयोग को लोकसभ चुनाव के पूर्व स्पष्ट निर्देश जारी करने चाहिए कि इस पक्ष में पड़े मतों को अवैध घोषित कर नजर अंदाज नहीं किया जा सके। जिस मंशा के साथ यह विकल्प दिया वह पूर्ण होना चाहिए कि मतदाता का विश्वास भी जीवित रहे और आने वाले समय में यह लोकतंत्र का वाहक बने। नोटा क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरूआत है। इससे चुनावी प्रक्रिया और वातावरण में जबरदस्त बदलाव आयेगा। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी। गलत उम्मीदवारों को खारिज करने की सकारात्मक कार्यवाही को बल मिलेगा।

तमाम राजनीतिक दलों को दबाव बनाकर सोचने को मजबूर कर देगा कि आत्ममंथन कर सही प्रत्याशी का चयन करें। नोटा सांपनाथ और नागनाथ के जहर से मतदाताओं को बचायेगा। कलंकित होती राजनीति में प्रत्याशियों की अपराधिक पृष्ठभूमि ने न जाने कब से मतदाताओं को अपने अधिकारों से विमुख कर दिया है। लोकतंत्र से जनता के मोहभंग से बचाने का विकल्प बन नोटा नये परिवर्तन की शुरूआत है। अधूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग का उठाया गया कदम ज्यादा घातक है।

ऐसा आलोचकों का मानना है। परंतु चुनाव के सेमीफाइनल में नोटा की संख्या देखकर अगली चुनाव प्रक्रिया जरूर प्रभावित होगी। बदहाल राजनीतिक ढर्रे से परेशान चार राज्यों में 16 लाख से अधिक मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग स्वविवेक से ही किया है। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि देश की जनता सकारात्मक परिवर्तन की ओर देख रही है।

नोटा को लेकर अगर विधानसभ चुनाव परिणामों की समीक्षा करे तो स्पष्ट है कि मतदाताओं ने इसे केवल प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर नहीं किया बल्कि कई सीटों पर हार जीत के खेल को नोटा के अंतर्गत पड़े वोटों ने ही बदला है। राइट टू रिजेक्ट की मांग प्रबुद्ध वर्ग की है यह एक आदर्श है। जिसे अमल में लाने के लिए जमीनी तैयारी जरूरी है। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक बनाना होगा। जिस दिन वोटर्स पार्टियों को नोटा से पराजित करेगी पार्टियाँ खुद ही योग्य लोगों को टिकट देने हेतु बाध्य होगी। इसलिए -

सोच बदल दो सितारे बदल जायेंगे
नजर बदल दो नजारे बदल जायेंगे
कश्तियाँ बदलने की कोई जरूरत नही
दिशायें बदल दो किनारे बदल जायेंगे।
इन्हीं दिशाओं को बदलने वाला है नोटा।

संदर्भ ग्रंथ–

1. अहा जिंदगी नवंबर 2008 इन साइक्लोपीडिया
2. इंडिया टुडे डाटकाम
3. जागरण डाटकाम
4. सोशल मीडिया साईट्स
5. छोटी दुनिया डाट काम

* प्राध्यापक हिन्दी शासकीय महाविद्यालय बड़वाह (म.प्र.) भारत

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निमाड़ के आदिवासियों का योगदान

डॉ. बलराम बघेल *

1857 के स्वतंत्रता संग्राम मे निमाड़ के आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निमाड़ के कई भील योद्धा हुए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा बनाकर विद्रोह किया जिनमें प्रमुख रूप से भीमा नायक, खाजा नायक, रेवलिया नायक, ओमला, मोवसिया नायक, सीताराम कंवर, रघुनाथसिंह मण्डलोई तथा खोजेबसिंह इत्यादि। इन भीलक्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरूद्ध निरन्तर सशस्त्र आंदोलन जारी रखा।निमाड़ का अधिकांश भू-भाग पर्वतीय है जो उस समय घने जंगलों से आच्छादित था।

इन वनों में भील-भिलाले प्रमुख रूप से निवास करते थे जैसा कि आज भी करते है। जंगल पर उनकी आजीविका निर्भर थी किन्तु उस समय अंग्रेजों ने अनेक नियम बनाकर जंगलों पर आदिवासियों के अबाध अधिकारों पर अंकुश लगाया जिससे उनके सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ। वस्तुत: यहीं से आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अंग्रेजों के अत्याचारों के कारनामों को वे भली-भांति समझने लगे इसलिए इस क्षेत्र के आदिवासियों ने निमाड़ की इस भूमि से अंग्रेजों के प्रभाव को निर्मूल करने का प्रयत्न किया।

निमाड़ में सन् 1800 में होलकरों की लड़ाइयों एवं दुर्भिक्ष के कारण निमाड़ की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। अनेक समृद्ध लोग एवं व्यापारी वर्ग अपना करोबार समेट कर गुजरात चले गए। किन्तु साधन विहीन अभावग्रस्त भीलों को जंगल में शरण लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि अंग्रेजों ने उनके आजीविका के पारंपरिक साधनों से वंचित कर दिया था। फलत: वे जीविकोपार्जन के लिए आसपास के क्षेत्र में लूटपाट करने लगे। सतपुड़ा पर्वतश्रेणी में भीलों के बढ़ते उपद्रव के कारण अंग्रेज सरकार काफी परेशान थी। केप्टन ब्रिग्स (पॉलिटिकल एजेंट, मध्यभारत) भीलों के उपद्रव को समाप्त करने में असफल रहा। अंग्रेज सरकार ने सन् 1818 से 1824 तक भीलों के विरूद्ध सैनिक अभियान भी चलाया किन्तु इसमें भी सरकार को कोई खास सफलता नहीं मिली। इसलिए अंग्रेजों ने भीलों का दमन करने के लिए ''भील कोर'' की स्थापना सन् 1925 मे की तथा इस क्षेत्र पर नियंत्रण हेतु भील एजेंसियों को कायम किया।[1]

आदिवासी भील जो लूटमार कर उपद्रव मचा रहे थे, को संतुष्ट करने के लिए होलकर राजाओं ने उन्हें अपने यहां नौकरी पर रखने का प्रावधान किया। होलकर महाराजा तुकोजीराव होलकर ने भीलों के नेता जोजर नायक से एक समझौता करते हुए उसके 25 साथियों को नौकरी पर रख लिया। किन्तु जनकोजीव की मृत्यु पश्चात् यह समझौता टूट गया। परिणाम स्वरूप भीलों के सामने लूटमार के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। यशवंतराव होल्कर ने इस स्थिति को भली-भांति समझा तथा 1200 भीलों को नौकरी पर रख लिया व जोजर नायक को चिकली की जागीर दी किन्तु बाद में एक मकरानी ने जोजर नायक की हत्या की। जोजर के पुत्र दौलत नायक भी इस कारण तत्कालीन शासन से असंतुष्ट हो गया ओर वह निमाड़ क्षेत्र में उत्पाद मचाने लगा। इसी काल में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में रामजी नायक नाम का एक अन्य भील नायक भी उपद्रव मचा रहा था जिसका क्षेत्र सुल्तानपुर परगना के पूर्व में तथा बड़वानी घाट पर केन्द्रित था।[2]

इसी काल में उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति के समाचारों ने इस क्षेत्र के भीलों को भी अंग्रेजों के विरूद्ध क्रांति के लिए प्रेरित किया। 1 जुलाई 1857 से इंदौर के क्रांतिकारियों की तोपों ने इंदौर रेसीडेन्सी पर आग उगलना प्रारंभ किया। तत्कालीन होलकर शासन के सैनिक भी इन क्रांतिकारियों के साथ मिल गए और इस प्रकार उन्होंने स्वाधीनता का शंखनाद किया। इन्दौर की इस क्रांति की चिंगारी ने शीघ्र ही मालवा के दक्षिण में फैलना प्रारंभ किया। 2 जुलाई 1857 को महू के सैनिकों ने भी क्रांति का झंडा फहराया। अंग्रेजों ने दमनकारी नीति के सहारे अनेक क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया।[3]

अंग्रेजों का भीलों से विश्वास उठ गया। अत: तत्काल भीलों को सुरक्षा चौकियों से हटा दिया गया। मण्डलेश्वर की गड़बड़ी का यह समाचार संपूर्ण निमाड़ में विद्युत प्रवाह की तरह फैल गया। आदिम, निरीह और पिछड़े कहे जाने वाले भीलों मे राष्ट्रीय चेतना का ऐसा अभूतपूर्व संचार हुआ जिसका उदाहरण इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलता। भीलों ने अब गौरी हुकूमत के खिलाफ तीर-कमान और फालिए उठा लिये थे। रेवलिया नायक व उसके रिश्तेदारों ने बड़वानी के दक्षिण-पूर्व में स्थित अकबरपुर में विद्रोह का झंडा खड़ा किया था व खानदेश के गांव-गांव जाकर क्रांति का मंत्र फूंक रहे थे। बड़वानी और सेंधवा के बीच में भीमा नायक व खोजेबसिंह ने मोर्चा संभाल लिया था। इस प्रकार निमाड़ में चारों और हिंसा के स्वर गूंज रहे थे।[4]

भीमा नायक :-पंचपावली जंगल के बीच भीलों का एक छोटा सा गांव था जिसे पंचमोहली कहते है। इस गांव में भीलों की 60 झोपड़ियां थी तथा दो मंजिले मकान थे जिसमें एक मकान भीमा नायक का तथा दूसरा मकान उसके चाचा मोवासिया नायक का था। इस गांव मे दो कोस की दूरी पर एक पहाड़ पर भीमा नायक तथा ओमा नायक ने पड़ाव डाल रखा था। बड़वानी राज्य के मुंडन इलाके मे धाबाबावड़ी इनका वतन था।[5]

भीमा, ओमला (ओमा) मोवासिया नायकों को बड़वानी राज्य में बहुत हक मिल गये थे। मुंडन क्षेत्र में इन्हें 66 तीर रखने का अधिकार एवं 20 आदमियों को रखने हेतु एक सौ रूपया प्रतिमाह भी मिलता था। भीमा सेंधवा घाट का पुश्तैनी वार्डन था जिसके लिए उसे सरकार की और से वेतन भी मिलता था। अनेक भील उसके गिरोह में बिना वेतन के कार्य करते थे। लूटमार के माल के बंटवारे में जो हिस्सा मिल जाता था उसी पर उन्हें संतोष था। भीमा तथा मोवासिया अक्सर पंचमहोली तथा सिलावद में ठहरते थे।[6]

जिस प्रकार मिलिटरी फोर्स का अपना झंडा होता है वैसा ही भील नायक के दल का भी पृथक से झंडा था जो उसके दल के साथ चलता था। भीमा नायक एक जागरूक व प्रभावशाली आदिवासी सैनिक नेता था। अंग्रेज इस यौद्धा से भयभीत हो उठे जिससे उन्होंने भीमा नायक के सिर पर पांच सौ रूपये के पुरस्कार की घोषणा कर दी ।[7] भीमा नायक की शक्ति का विनाश करने के लिए अंग्रेज सैनिक अधिकारी आर.एच. किंटिंग्ज 218 सैनिकों को लेकर आगे बढ़ा। इन दिनों भीलों ने ''धाबाबावड़ी'' को अपना केन्द्र बना रखा था। धाबाबावड़ी एक सकरी पर्वतीय घाटी थी जिसकी ऊंचाइयां पार करके दक्षिण की ओर घने जंगलों मे शरण ली जा सकती थी तथा उसके उत्तर की ओर मैदानी इलाका था। किंटिंग्ज ने 4 फरवरी 1859 को प्रात: इस घाटी में भीलों को घेर लिया। अचानक हुए इस आक्रमण का भीलों ने बहादुरी से मुकाबला किया, 60 भील 218 सैनिकों का मुकाबला करते रहे वे फायर करते हुए पहाड़ी पर चढ़ गए जहां से उन्होंने भागकर जंगलों मे शरण ली।

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

भयभीत अंग्रेज सेना पीछा करते हुए पहाड़ी पर जाने का साहस न कर सकी।[8]

15 फरवरी 1859 इस्वी को अंग्रेजों व क्रांतिकारियों के बीच निर्णायक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध मे क्रांतिकारी पराजित हुए वे 59 घोड़े, 21 बैल तथा एक ऊट व काफी धन छोड़ गए। 10 क्रांतिकारी भील सतपुड़ा की युग्मी घाटी मे लड़ते हुए शहीद हो गए। भीमा नायक अपने विश्वस्त अनुयायियों समेत भागने में सफल रहा किन्तु भीमा नायक की वृद्ध मां सुरसी को पकड़ लिया।[9]

भीमा नायक के साथियों व उसकी वृद्धा मां सुरसी तथा क्रांतिकारियों को मण्डलेशवर जेल मे रखा गया तथा भीमा नायक से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी गई परंतु उन्होंने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। इन यातनाओं के फलस्वरूप 15 दिनों बाद 28 फरवरी 1859 के दिन वृद्धा के प्राण फखेरू उड़ गए।[10] उधर भीमा नायक जंगलों में छुपता रहा। अंततः भीमा नायक की शक्ति का विनाश करने तथा उसे गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज अधिकारी आर.एच. किटिंग्ज ने जबर्दस्त बीड़ा उठाया। इस अभियान में किटिंग्ज ने 300 से अधिक संख्या मे सैनिकों के साथ बालकुआं के तीन मिल दूर स्थान पर पद चिन्हों के द्धारा एक झोपड़ी के पास पहुंचे वहीं पर भीमा नायक सो रहा था व उसकी बगल मे तीर कमान रखे हुए थे। चार सिपाहियों ने यकायक भीमा को दबोच लिया तब भी भीमा निकल भागा। लेकिन थोड़ी दूर भागा होगा कि पत्थर से टकराकर वह गिर पड़ा तथा 2 अप्रेल 1867 को वह पकड़ा गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे कालापानी की सजा दी गई। जहां पर दो वर्ष पश्चात् भीमा नायक की मृत्यु हुई और उसका अंतिम संस्कार भी वहीं कर दिया गया। [11]

ख्वाजा नायक:- सांगवी निवासी ख्वाजा नायक, सेंधवा घाट का वार्डन था। ख्वाजा ने नौकरी में रहते हुए ब्रिटिश सरकार को विभिन्न लूटेरों एवं विद्रोहियों को पकड़वाया एवं इनाम प्राप्त किया किन्तु कुछ समय पश्चात् गलत फहमियों के कारण अंग्रेजों ने ख्वाजा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ख्वाजा नायक अपने आप को न रोक सका तथा उसने 200 आदमियों का दल बनाकर लूट मार एवं विद्रोह करने लगा। ख्वाजा ने अपने विद्रोह अभियान में लूटमार के दौरान पलासनेर व जामुनिया होता हुआ मोरघाट पर कब्जा जमाया। ख्वाजा के दल में उम्मेदसिंह नायक, श्यामजी नायक, दौलतसिंह नायक तथा औचित नायक शामिल थे। [12] 1857 में बड़वानी राज्य, सुल्तानपुर तथा थालनेर परगनों में भीलों का उत्पाद बढ़ रहा था। खानदेश के कलेक्टर ने 7 अक्टूबर 1857 को केप्टन बर्च को आदेश दिया कि वह ख्वाजासिंह को बुलाकर मालूम करें कि क्या थालनेर परगना की सीमा पर बड़वानी राज्य के भीलों का जमाव है और अगर है तो उनके आक्रमण को रोका जाए। इस समाचार के मिलने पर ख्वाजा नायक ने वार्डन की नौकरी छोड़ दी सन् 1857 की वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ख्वाजासिंह ने अपना विद्रोह अभियान तेज कर दिया। भूरगढ़ के किले में ख्वाजासिंह के अलावा सेंधवा इलाके के अन्य तीन भील नायक जमा हुए तथा घाटों के सभी वार्डन भी आ गये इस प्रकार दल मे 800 आदमी हो गए जिसमें 150 बंदूकची, 80 मकरानी और अरब भी थे। ख्वाजा के दल ने शिरपुर को लूटा और 20 जनवरी 1858 को लेफ्टीनेंट एटकिन्स तथा पोरबिन ने नेवली के दक्षिण - पश्चिम मे ख्वाजा के दल पर आक्रमण बोल दिया वहां ख्वाजा की पराजय हुई। [13]

इस प्रकार ख्वाजा नायक विभिन्न नगरों को लूटता हुआ अंग्रेजों को युद्धों में मात देता रहा किन्तु 3 अक्टुबर 1868 को उसके सैनिक रोहिदिन ने धोखे से उसकी हत्या करवा दी। यह मकरानी सैनिक अंग्रेजों से मिलकर उनके लिए जासूस का कार्य करता था। भीमा नायक ने ख्वाजा नायक को इस संबंध मे सावधान कर दिया था किन्तु ख्वाजा ने इस पर अपना विश्वास कायम रखा।

सीताराम कंवर:- सीताराम कंवर एक विद्रोही नेता था निमाड़ परगने में उसका आंतक था। नर्मदा के दक्षिण में विशेषकर बड़वानी राज्य उसके विद्रोह से परेशान था। निमाड़ में सीताराम कंवर ने अपनी सुझबूझ और चतुराई से होलकरों के सवारों और सिपाहियों का अपनी ओर मिला लिया तथा अनेक भील और भिलाले भी उनके गिरोह में शामिल थे। सतपुड़ा रेंज के भीलों को विद्रोह करने के लिए सीताराम कंवर ने काफी उकसाया था। गर्वनर जनरल के एजेंट ने सितंबर 1859 मे आदेश दिया सीताराम कंवर के विद्रोह को दमन करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। [14] अकबरपुर इलाके में सीताराम कंवर ने विद्रोह कर दिया अतः मेजर किटिंग्ज ने रिसालदार फरजंद अली को 30 सवारों के साथ मण्डलेश्वर से अकबरपुर भेजा। फरजंद अली रिसालदार 6 अक्टुबर 1858 को लेकर अकबरपुर आ पहुंचा वहां पहुंचने पर मालुम हुआ कि दक्षिण के लिए तारों का आना बंद है क्योंकि विद्रोहियों ने तार काट दिये, दो चौकियां एवं डाक घर को नष्ट कर दिया तथा डाक के घोड़ों को भी छीन लिया। [15]

10 अक्टूबर 1858 को मेजर किटिंग्ज ने एक मुठभेड़ मे सीताराम कंवर को परास्त किया, उसका दल बिखर गया। सीताराम कंवर ने भागने का प्रयास किया हो तो उस पर तलवार का वार किया गया होगा जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया होगा। निमाड़ के बरूड़ इलाके में रघुनाथसिंह मण्डलोई का आतंक था। सन् 1857 के स्वाधिनता संग्राम में रघुनाथसिंह मण्डलोई ने सरकार के विरूद्ध विद्रोह किया था। रघुनाथसिंह भील, भीलाला तथा मण्डलोई बिरादरी का पटेल था। निमाड़ अंचल के आदिवासी क्रांतिकारियों से अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी किन्तु अंततः क्रांतिकारियों को परास्त होना पड़ा तथा उन्हें मार दिया या कालापानी की सजा दी गई। इस दमनचक्र के बावजूद भी जब संपूर्ण उत्तर भारत में विद्रोह को कुचल दिया गया था तब भी निमाड़ में आदिवासियों का विद्रोह दिसंबर 1861 तक जारी था। अंग्रेज चाहते तो उत्तर भारत की अंग्रेजी सेना को विद्रोह की भूमि पर सक्रिय कर सकते थे किन्तु अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि अंग्रेजी सेना को सिर्फ मैदानी युद्धों का अनुभव था। पहाड़ी क्षेत्रों में वे युद्ध करने में सक्षम नहीं थे तथा भीलों ने हमेशा गोरील्ला प्रणाली से युद्ध किया था।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. भगवानदास श्रीवास्तव, 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में म.प्र. के आदिवासियों का योगदान पृ. 1।
2. तथैव पृष्ठ - 1।
3. प्रो. बी.एन. लुणिया, फैजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रंगल इन मध्य भारत।
4. डॉ. शिवनारायण यादव, निमाड़ का यौद्धा भीमा नायक, पृष्ठ 4।
5. भगवानदास श्रीवास्तव, 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में म.प्र. के आदिवासियों का योगदान पृ. 19।
6. प्रो. बी.एन. लुणिया, फैजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रंगल इन मध्य भारत, पृ. 345।
7. सेन्ट्रल इंडिया एजेंसीज ओल्ड रिकार्ड।
8. प्रो. बी.एन. लुणिया, फैजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रंगल इन मध्य भारत।
9. -तदैव-।
10. डॉ. शिवनारायण यादव, निमाड़ का यौद्धा भीमा नायक, पृष्ठ 18।
11. बाम्बे गजेटियर, सेन्ट्रल इंडिया रिपोर्टस, 1869.
12. भगवानदास श्रीवास्तव, 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में म.प्र. के आदिवासियों का योगदान पृ. 13।
13. तदैव-पृ. 13.
14. प्रो. बी.एन. लुणिया, फैजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रंगल इन मध्य भारत, पृष्ठ 363.
15. भगवानदास श्रीवास्तव, 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में म.प्र. के आदिवासियों का योगदान पृ34।

****

मुगलकालीन अपराध एवं दण्ड विधान

प्रो. आकाश ताहिर *

न्याय प्रशासन के संबंध में दिल्ली के सुल्तानों ने इस्लामी कानून को बनाए रखा, और उपलब्ध सामग्री के आधार पर यही बात मुगलों के बारे में भी कही जा सकती है। अकबर के काल में ऐसी घटनाएँ हुई होंगी जिनमें इस्लामी कानून का पालन नहीं किया गया होगा। किन्तु ऐसी घटनाओं की संख्या बहुत कम और उनका क्षेत्र अत्यन्त सीमित रहा होगा। कारण की इस क्षेत्र में उसकी नीति ने मुस्लिम विधिवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित न्यायप्रणाली को किसी प्रकार से प्रभावित किया होगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

उत्तराधिकार, विवाह और तलाक के कानून का मुसलमानों के धार्मिक विश्वास और मान्यताओं से इतना गहरा संबंध है कि उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन अथवा परिवर्तन हो ही नहीं सकता था। अत: दीवानी कानून में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं थी, और वह आज के बर्तानवी भारत में भी सारत:ज्यों की त्यों है। मुगलों ने न्याय प्रणाली का गठन बिल्कुल उसी पद्धति पर किया था जिसका प्रतिपादन मुस्लिम विधिवेत्ताओं ने किया है, और जिसकों उत्तरी भारत के दिल्ली के सुल्तानों ने स्थापित किया था। इस तरह इन विधिवेत्ताओं ने न्याय प्रशासन के दो माध्यम बताए हैं- राजा और मुख्य काजी (सदर) राजा मुख्य काजी की नियुक्ति करता था। उसके पास न्यायाधीश के अधिकार होते थे। सदर अन्य प्रदेशों के लिए अधीनस्थ काजियों को नियुक्त कर सकता था, यद्यपि ऐसी सभी नियुक्तियों की स्वीकृति राजा से लेनी आवश्यक होती थी। राजा किसी शहर में एक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रयोग कर सकता था और तदनुसार उनके कर्तव्य सुनिश्चित होते थे। ये काजी और मीर अदल कहलाते थे। सभी बड़े शहरों और कस्बों में ये दोनों साथ-साथ हुआ करते थे।[1] राजा एक काजी-ए-अस्कर भी नियुक्त करता था और उसके बाद भी एक मीर-अदल नियुक्त किया जाता था। इसी तरह मुफ्ति भी सब स्थानों पर नहीं होते थे। सरकार की छोटी इकाईयों में उनकी नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता। राजधानी तथा सभी प्रांतों में पुलीस तथा धार्मिक मामलों के नियंत्रक के रूप में मुहतसीब भी होते थे। किन्तु उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है, कि दीवानी एवं फौजदारी दोनों मामलों की शक्ति राजा के हाथ में निहित होती थी।

राजा के सामने लाए गए मामलों का स्वरूप :- राजा दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमें सुनता था और वह प्रथम तथा अपील के न्यायालय की हैसियत रखता था। इस काल के वृत्तातों में अंकित मामलों से पता चलता है कि राजा के सामने दीवानी की अपेक्षा फौजदारी के मामले अधिक आते थे।[2] कायदे कानूनों में इसका सुनिश्चित प्रावधान था कि हर प्रकार के मृत्युदंड के लिए राजा की स्वीकृति अनिवार्य थी। इस प्रकार प्रांतों के सूबेदार और राजधानी स्थित बड़े-बड़े अधिकारी भी मृत्युदंड अथवा अंगच्छेदन के दंड देने का खतरा नहीं उठाते थे। वे ऐसे मामलों को राजा तक पहुंचा देना ही ज्यादा पसंद करते थे।

यह वह व्यवस्था थी जिसकी स्थापना प्रांतों के पुर्नगठन के पश्चात अकबर ने की और जिसके उत्तराधिकारियों में उसके दरबार में प्रति सप्ताह ऐसे दंडों के दृश्य देखे। लाय का कथन है-''मृत्युदंड राजधानी में अथवा अन्य किसी स्थान पर जहां जहांगीर का दरबार लगा हो साधारण तथा उसकी नजरों के सामने ही बड़ी क्रूरतापूर्वक दिया जाता था।'' इस तरह अभियुक्त चाहे राजा से अपील करते हों और चाहे सुनवाई करने वाले दण्डाधिकारी और न्यायाधीश मुकदमों को राजा तक पहुंचाते हों, तथ्य यह था कि फौजदारी मुकदमें दीवानी मुकदमों से कहीं ज्यादा होते थे।

दंड विधान :- मुगलों का दंड विधान भी इस्लामी कानून के अनुसार ही था। यद्यपि कुछ मामलों में तीनों राजा इससे कुछ दूर हटे तथापि काजियों और दण्डाधिकारियों के निर्णयों का मुख्य आधार इस्लामी कानून ही था। इस्लामी कानून चार तरह के दण्डों का विधान करता है-

1. कीसा अर्थात प्रतिरोध इसका प्रयोग वध तथा इस तरह घायल करने के मुआमलों में होता था जिससे मृत्यु न हो।
2. दिया अथवा अक्ल मानव वध करनेवाला या दूसरे को घायल करनेवाला खून की कीमत अथवा क्षतिपूर्ति दिया था।
3. हद्द अर्थात धर्मविधान द्वारा विहित अपरिवर्तनीय दंड, अथवा कानून द्वारा स्पष्टत: परिभाषित वह दंड जो घटाया बढ़ाया न जा सके। यथा
   (क) अवैध समागम के लिए पत्थर मारना अथवा कोड़े लगाना
   (ख) विवाहित स्त्री पर व्यभिचार के मिथ्या दोषारोपण के लिए कोड़े लगाना
   (ग) चोरी के दण्डस्वरूप हाथ काट देना और परिस्थितियों के अनुसार डकैती आदि के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य दण्ड।
4. ताजीर अर्थात अनुमान के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड ''फिका (इस्लामी विधिशास्त्र) के अनुसार ताजीर उन अपराधों के लिए दी जाती थी जिनके विषय में ''हद्द'' दंड और कफ्फारा (प्रायश्चित) नियत न हो, चाहे यह ईश्वर के प्रति अवज्ञा हो जैसे पंजवक्ती सलात (नमाज) अथवा रोजों की उपेक्षा या फिर यह आदमी के प्रति किया गया अपराध हो , जैसे धोखाधड़ी, झूठी गवाही आदि। इस प्रकार के दंड में जेल भेजना, देश निकाला, शारीरिक दंड, डांट फटकार अथवा किसी अन्य अपमानजनक कार्रवाही का समावेश हो सकता था। इसके प्रयोग के लिए आवश्यक शर्त यह होती थी कि अपराधी मानसिक तौर पर स्वस्थ हो।[3] दंड का प्रकार और परिणाम पूर्णत: न्यायाधीश के विवके पर छोड़ा हुआ होता है।

इस प्रकार दंड का मुख्य उद्देश्य है अपराधी का सुधार। अत: दंड की मात्रा भिन्न-भिन्न अपराधियों के लिए भिन्न होती है। कुछ विधिवेत्ता सामाजिक प्रतिष्ठा और बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर आदमियों के चार वर्ग बनातें हैं, जबकि दूसरे इस विषय में ''आदमी का आंतरिक मुल्य'' उसका धर्म के प्रति दृष्टिकोण तथा उसकी जीवन पद्धति आदि चीजों पर बल देते हैं। मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया हद्द की प्रक्रिया से सरल है। यह ऐसी स्वीकारोक्ति पर दे दी जाती है जिसको वापस नहीं लिया जा सकता अथवा दो गवाहों के बयानों पर जिनमें एक गवाह स्त्री भी हो सकती है। कुछ का विचार है कि ताजीर के लिए न्यायाधीश को अपराध की स्वयं जानकारी होना पर्याप्त है। जहां तक ''कीसों'' अर्थात् हत्या के लिए मृत्युदंड का संबंध है अकबर तथा उसके उत्तराधिकारियों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि मृत्युदंड देने का

* विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म. प्र.) भारत

अनियंत्रित अधिकार काजियों तथा दंडाधिकारियों के हाथ में न जाए। अकबर के शासन के सत्ताइसवें वर्ष में उसे यह सुझाव दिया गया कि प्रांत के सूबेदारों से भी यह अधिकार छीन लिया जाए। परिणामत: उसने यह नियम बना दिया कि दंड को कार्यान्वित करने से पूर्व राजा की स्वीकृति अनिवार्य है। इस प्रकार का नियम अकबर के उत्तराधिकारियों के काल में भी बराबर बना रहा और प्रत्येक के शासनकाल में इससे संबंधित निश्चित आदेश या निर्देश भी मिलते है। मांसरेट का कथन है कि यदि अकबर स्वयं भी न्यायाधीश का कार्य करता तो भी उसका आदेश था कि जब तक वह तीसरी बार आदेश न दे तब तक अपराधियों को दंडित न किया जाए।[4] देवेनट का कथन है मृत्युदंड का अधिकार राजा के पास सुरक्षित है। इसलिए जब कभी कोई व्यक्ति इसका पात्र होता है तो राजा की इच्छा जानने के लिए दूत भेज दिया जाता है। दूत के वापस आने के पूर्व अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता। यही बात शाहजहां के बारे में लाहौरी ने कही है-''यदि प्रात में मृत्युदंड का पात्र समझा जाता है तो प्रांत का नाजिम(सुबेदार) बादशाह सलामत की स्वीकृति किए बिना उसको मृत्युदंड देने का साहस नहीं कर सकता।[5]

मृत्युदंड के योग्य अपराध :- ''हिदाया'' के अनुसार इस प्रकार के केवल तीन अपराध थे-स्वधर्मत्याग, विवाहोपरांत वैश्यावृत्ति तथा हत्या। किन्तु सुल्तान मुहम्मद तुगलक के साथ वार्तालाप के दौरान जिया बरनी ने एक प्रश्न के उत्तर में इनकी गिनती सात बताई थी।(प्रथम तीन तो वही उपर्युक्त अपराध हैं, जिनकी आज्ञा स्वयं परमेश्वर ने दी है। अन्य चार है-घोर राजद्रोह, विद्रोह, राजा के शत्रुओं की आदमियों शस्त्रों अथवा सूचना देकर सहायता करना तथा आदेशों की इस प्रकार अवहेलना जो राज्य को हानि पहुंचाती हो।) शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजाओं के लिए आवश्यक था इन सातों की ओर ध्यान दे ओर ये जमशेद संहिता में भी शामिल थे।[6]

मुगल सम्राटों द्वारा सुनें गए तथा निर्णित मृत्युदंड के पच्चीस मामले एकत्र किए गए हैं। इनमें से तेरह का संबंध अकबर के काल से है बारह का जहांगीर के काल से और एक का शाहजहां के काल से अपराधों की दृष्टि से इनकों निम्नलिखित विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है-

- हत्या - 11
- खुला विद्रोह इसमें शत्रु से जा मिलना भी शामिल है। (जमींदारों के शस्त्र विद्रोह इसमें सम्मिलित नहीं है) - 07
- शाही खजाने में की गई चोरी - 01
- राहजनी - 01
- सिपाहियों द्वारा शत्रु के शिविर को बिना आदेश के लूटना - 01
- विवाहित आदमी द्वारा जारम कर्म - 01
- रैयत के उत्पीड़नार्थ शिकदार -01
- एक जिलौदार(साईस) द्वारा शाही शिकार में बाधा -01
- शाहजहां के काल में एक दुर्भिक्ष के दौरान बकरी का मांस कहकर कुत्ते का मांस बेचना -01

कुल जोड़ -25

हसन इब्ने मुगल साम्राज्य का केन्द्रीय ढांचा पृ.262

प्राणदंड :- ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणदंड दिए जाने के तरीकों में इस्लामी कानून का सदैव पालन नहीं किया जाता था। इसका दिया जाना अधिकांश अपराध के चरित्र और घटना की परिस्थिति पर निर्भर करता था। मांसरेट ने जो कि तीक्ष्ण दृष्टि वाले पर्यवेक्षक यथार्थ लेखक ब्योरे और सूक्ष्मता के शौकीन प्रतीत होते है, दंडों के स्वरूप का भी अंकन किया है। उनका कथन है जिन्होनें मृत्युदंड योग्य अपराध किए है, उनकों या तो हाथियों से कुचलवाया जाता है, अथवा सूली पर चढ़ाया जाता है अथवा फांसी दी जाती है। परगमन करनेवालों और शीलहरण करनेवालों को या तो गला घोंटकर मारा जाता है या फांसी पर चढ़ाया जाता है।

उपर्युक्त पच्चीस मृत्युदंड योग्य अपराधों में से पांच में अपराधियों को हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाया गया था। एक में गला घोंटा गया था और शेष में या ता सर काटा गया या फांसी पर चढ़ाया गया। तथापि यह उल्लेखनीय है कि फौजदारी मुकदमों की जांच करनेवाले काजियों और दंडाधिकारियों को ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया था। वे सदा इस्लामी कानून का ही पालन किया करते थे या मुकदमों को राजा के पास भेज देते थे। सालिह लिखता है कि शाहजहां के शासनकाल में यदि कभी यह पाया गया कि विचारकर्ता दंडाधिकारी ने शरीअत द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन किया है तो उसको इस अपराध के लिए शरीअत के विधानानुसार दंडित किया जाता था।

अन्य दंड :- अबुल-फजल ने आईन-ए-अकबरी की प्रस्तावना में उस दुष्ट आदमी के हाथ या पैर काट दिये जाने को न्यायोचित ठहराया है जिसके काले कारनामें दूसरों को भयभीत करते हैं और जो अपनी दुष्टता के कारण सारी दुनिया को भयभीत करते हैं जब उपदेश धमकी अथवा कारावास जैसे अन्य उपाय असफल हो जाए तो उस दुष्ट के उस अंग को काट देना चाहिए जिससे उसने दुष्टता की है। उसे अपनी नजर हाथ अथवा पैर से वंचित कर देना चाहिए। किन्तु राजा को उसका जीवन समाप्त कर देने की सीमा तक नहीं जाना चाहिए।(क्योंकि तत्ववेत्ता महात्मा मानव पुतले को भगवान द्वारा निर्मित भवन मानते है और इसके विनाश की आज्ञा नहीं देते।)[7] प्रांतीय सुबेदार को प्रेषित कायदे कानून भी इसी सिद्धांत पर आधारित थे। उसको सत्परामर्श के बल पर सूझबूझ से कार्य करके विद्रोहियों को सन्मार्ग पर लाना चाहिए। यदि इसमें सफलता न मिले तो अविलंब डांट फटकार , धमकी, कारावास, कशाघात, अंगच्छेदन आदि के दंड देना चाहिए। किन्तु अपराधी को जीवनमुक्त करने से पूर्व उसे अत्यधिक सोच-विचार करना चाहिए।[8] जहां तक अंगच्छेदन अथवा अंधा करने की घटनाओं का संबंध है मांसरेट ने कोई उदाहरण नहीं दिया है जिसका अर्थ यही है कि उसने अपने दरबार निवास के दौरान उसने ऐसी कोई घटना नहीं देखी ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में अकबर अत्यंत सतर्क था। उसके मुख्य जल्लाद के औजारों का वर्णन करते हुए मांसरेट ने लिखा है इन औजारों का प्रयोग वस्तुत: दंड देने के लिए नहीं होता था ये तो भय और आतंक की भावना पैदा करने के लिए रखे जाते थे।[9]

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. हसन, इब्ने मुगल साम्राज्य का केन्द्रीय ढांचा पृ. 251(भारतीय इतिहास अनु. परिषद 1997)
2. वही पृ. 254
3. ताजीर तथा हिदाया (हेमिल्टन) इन्साइःलोपीडिया ऑफ इस्लाम खण्ड 1 पृ. 132
4. हसन, इब्ने मुगल साम्राज्य का केन्द्रीय ढांचा पृ. 261
5. वही पृ. 262
6. बरनी, पृ. 510-11
7. अबुल फजल आइन-ए-अकबरी पृ. 6 अनुवाद पृ.9
8. अबुल फजल आइन-ए-अकबरी पृ. 280 अनुवाद पृ.37
9. अबुल फजल अकबरनामा-3 पृ.298 अनुवाद पृ.442।

धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यटन की आर्थिक विकास में भूमिका

डॉ. रविन्द्र सिंह *

किसी भी देश के उत्थान एवं विकास में वहाँ के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक ओर जहाँ उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन का देश-विदेश में जोर-शोर से प्रचार-प्रसार होता है वहीं दूसरी ओर उसके बहुमुखी पर्यटन विकास से देश को और वहाँ के नागरिकों को लाभ भी मिलता है। इसके लिए वहाँ का लोकजीवन, नृत्य, संगीत एवं धार्मिक कार्यकलाप, विदेशी पर्यटकों पर एक विशेष छाप छोड़ते हैं। विदेशी पर्यटक इनमें पूर्ण रुचि लेते हैं और उनका स्वस्थ मनोरंजन भी होता है।

''किसी भी देश के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यटन से विदेशों में एक लोकप्रिय छवि बनती है और इस प्रकार उसका सांस्कृतिक परिवेश विकसित होने से देश-विदेश में उसके धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ बनते हैं।'' पर्यटन ही एक ऐसा उद्योग है जिससे हर देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास की गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। ''इससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है तथा रोजगार के अनेकानेक साधन निर्मित होते है।'' रोजगारोन्मुखता, विदेशी मुद्रा अर्जन, आय में वृद्धि और उत्पादन वृद्धि में पर्यटन के योगदान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस उद्योग के विकास की हमारे देश को जरूरत है। इसके इसी महत्व को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था।

पर्यटन उद्योग के विकसित होने से न केवल सांस्कृतिक समन्वय स्थापित होगा वरन् उससे जुडे सभी वर्ग आर्थिक रूप से समृद्धता की ओर अग्रसर होगें। ''भारत न केवल प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं विविध प्रकार के नैसर्गिक सौन्दर्य के लिये भी एक स्वर्ग के रुप में प्रसिद्ध है। मौसम की विविधता एवं प्रकृति का यह अद्भुत सौन्दर्य केवल भारत जैसे देश में ही उपलब्ध है।'' सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यटन की आर्थिक विकास में भूमिका के सन्दर्भ में भारत में पर्यटन के विकास की अपरिमित संम्भावनाऐं विद्यमान हैं क्योंकि प्राचीन काल से ही यहाँ पर सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सद्भावना, सांस्कृतिक संरक्षण एवं श्रेष्ठता के उन्नत मानदण्ड स्थापित हुए है।

यही कारण है कि ''उदार व समृद्ध भारतीय संस्कृति के विविध स्वरुपों को समझने व जानने की जिज्ञासा लिए समय-समय पर अनेक विदेशी विद्वान व अध्येता यहाँ आते रहे हैं'' और आज भी यह क्रम किसी न किसी रुप में सतत् जारी है। गुरुओं, पीरों, फकीरों, साधु, सन्तों-भक्तों, कविओं, वीरों, धर्म-कला प्रेमियों, वीरांगनाओं के कृतित्व व व्यक्तित्व को अपने में समेटे विश्व की यह अद्भुत संस्कृति कई मायनों में विलक्षण व अद्वितीय है। यहाँ विविधता में एकता केवल सैद्धांतिक रुप में विद्यमान नहीं है बल्कि ये यहाँ के आचार-व्यवहार, गीत-संगीत, उत्सव-मेले, तीज-त्यौहार, व्रत-संस्कार, धर्म-कर्म, कला-स्थापत्य, नृत्य-गायन, योग-साधना व लोगों की रोजमर्रा की जीवन-शैली के अभिन्न अंग हैं। धार्मिक-सामाजिक एकता व सांस्कृतिक मूल्यों की सुरभि को पूरी आध्यात्मिकता व चेतनामय संस्कारों से यहाँ के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर, मठ-विहार, मजार, सद्भावना के संदेश व मधुर मंत्र प्रत्येक क्षण कण-कण में विस्तारित करने में लीन है।

यद्यपि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक महत्व के स्थलों व इमारतों के संरक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, राज्यों के पुरातत्व विभाग तथा विश्व स्तर पर यूनेस्को जैसी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। परन्तु आज भी अनेक शहरी व ग्रामीण स्तर पर ऐसे सांस्कृतिक व सामाजिक महत्व के अनेक पहलू हैं जो पर्यटन विकास की दृष्टि से अपने संरक्षण एवं विकास का राह देख रहे हैं। उनके सांस्कृतिक स्वरुप को निखारने की आवश्यकता है।

1. भारतीय सांस्कृतिक स्वरुप एवं पर्यटन का विकास : सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देने एवं पर्यटन की दृष्टि से उन्हें ओर अधिक विकसित करने की महत्ती आवश्यकता और समय की मांग है।

▸ **ऐतिहासिक इमारतें व अद्भुत स्मारक :** ''प्राचीन भारतीय सभ्यता के पुरातात्विक अवषेशों के रूप में हमारा देश खंडहरों, मूर्तियों, ऐतिहासिक इमारतों व अद्भुत स्मारकों का एक जीता-जागता विशाल संग्रहालय है। अजंता-एलोरा, बाघ की गुफाएँ, मदुरै, रामेश्वरम, महाबलिपुरम, सांची, खजुराहो, मांडू, कोणार्क, दिलवाड़ा, सारनाथ, आदि सैकड़ों मंदिरों, स्तूपों और उनमें बनी मूर्तियों में मानव भावना, प्रेम, भय, विषाद, क्रोध तथा नर-नारी के प्रगाढ़ संबंधों को जिस सहजता एवं सूक्ष्मता से परिलक्षित किया हैं, ऐसे उदाहरण संसार के किसी भी देश में बिरले ही मिलते हैं।''

भारत वासियों ने अपनी अगाध प्रतिभा कला एवं सौन्दर्यप्रियता से इन पत्थरों एवं शिलाओं में अविस्मरणीय एवं जीवंत कृतियों व भावनाओं को भर दिया है। इन अनमोल प्राचीन इमारतों, आश्चर्यजनक व बहुमूल्य पुरातन मंदिरों, हवेलियों, राजमहलों, किलों, स्तूपों, गुम्बदों, शिलालेखों, मकबरों आदि धरोहरों तथा ऐतिहासिक युद्ध के मैदानों आदि का व्यापक स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से समुचित विकास कर इसे उपयोग में लाया जाना चाहिए।

देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु इन्हें अधिक सुविधाओं से युक्त कर, इनकी महत्वपूर्ण जानकारियां संचार के नवीन आयामों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध करवायी जानी चाहिये। इनके समुचित संरक्षण एवं विकास की ओर निजी सहभागिता तथा शासकीय प्रयासों की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि इस बेशकीमती धरोहर के प्रति देश-विदेश के लोगों में आकर्षण, भ्रमण का शोक, जिज्ञासा एवं उत्सुकता उत्पन्न की जा सके। ये पर्यटन के सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम हैं जिनका संरक्षण एवं विकास न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि आने वाली पीढ़िओं के लिए इन्हें महफूज रखते हुए उन्हें हस्तांतरित भी करना है। इतिहास का हर स्वरुप हमारे लिए ज्ञान, आनन्द, तृप्तता व गलतियों से सबक ग्रहण करने का साक्षी रहा है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान पर्यटकों को आकर्षित करने में अपना विशेष महत्व रखते है। ''

▸ **मेले एवं तीज-त्यौहार :** भारतीय समाज सांस्कृतिक समृद्धताओं से परिपूर्ण हैं। विभिन्न प्रांतों के विभिन्न समुदायों के विभिन्न मेले एवं तीज-त्यौहार, पर्व अपने आप में अद्भूत एवं अनूठे हैं। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ये मेले एवं उत्सव स्वच्छ आनंद के महत्वपूर्ण स्त्रोत है। कोई भी पर्यटक इन्हें देख एवं समझकर इनके आकर्षण से अछूता नहीं रह सकता। धार्मिक, सांस्कृतिक मेलों का स्वरूप अत्यन्त मोहक एवं प्राचीन सभ्यता का एक अभिन्न अंग है।'' विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय एवं विविधता के इस स्वरूप को सुनियोजित ढंग से प्रचारित-प्रसारित कर अन्तर्राष्ट्रीय मेलों का व्यापक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है ताकि देश-विदेश के नागरिकों में इनके प्रति विशेष आकर्षण व लगाव उत्पन्न हो सके।

▸ **धार्मिक परंपराओं के प्रतीक तीर्थ :** हमारे देश में धार्मिक परंपराओं के प्रतीक तीर्थ स्थलों आदि की एक लंबी श्रंखला हैं। ''अनेक धर्मो, भाषाओं एवं भिन्न-भिन्न वेश-भूषाओं के बावजूद बनी इन असंख्य श्रंखलाओं से इस महान् देश की विविधता

* विभागाध्यक्ष - इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ, (म. प्र.) भारत

में एकरूपता तथा अनेकता में एकता का जो दृश्य हमें दिखाई देता हैं वह नि:संदेह अति मनोरम एवं प्रशंसनीय हैं। ये स्वरूप युगों से विद्यमान है।

देश के चारों ओर बने चारों धामों- बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका एवं जगन्नाथपुरी की यात्रा भावना से देश के विभिन्न भागों प्रांतों से असंख्य तीर्थ यात्री तथा श्रद्धालुगण प्रतिवर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर परस्पर भाई-चारे और मिलन के पवित्र उद्देश्य से जाते हैं, जो उनकी एकता को और भी अधिक मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इसी तरह ''भारत में जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, पारसी एवं सिःख धर्म के अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ सांप्रदायिक सद्भाव के पवित्र स्थल हैं, जो हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्थानीय लोक देवताओं के लिए प्रसिद्ध अनेक ऐसे स्थल आज भी पर्यटन की दृष्टि से गुमनामी के अन्धेरे में लुप्त होने की कगार पर हैं। भारतीय जन मानस का इनके प्रति लगाव व विकास अपेक्षित है।

2. विश्व पर्यटन से देश का चहुँमुखी विकास व आर्थिक सुदृढ़ता: विश्व पर्यटन से हर देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हैं। विकासशील एवं विकसित देशों के पर्यटकों से पर्यटन उद्योग एक व्यापक स्वरुप धारण कर रहा है। ''पर्यटन उद्योग से कोई भी देश हो, उसका बहुमुखी विकास होता हैं उसका भविष्य अति उज्जवल कहा जा सकता है। यदि किसी देश में हर वर्ष अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं तो वहाँ के होटल उद्योग, हस्तकला, परिवहन, पर्यटन उद्योग से जुड़े गाइडों एवं छोटे-बड़े लगभग 36 उद्योगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचता हैं।

पर्यटन हमारे लिए आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि भविष्य के लिए नये-नये आर्थिक संसाधन स्वयं विकसित होते चले जायेंगे और संसाधनों की कमी अकेले पर्यटन विभाग के विकास से ही दूर की जा सकती हैं बशर्ते कि पर्यटन उद्योग का सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित तरीके से प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधन हो।'' देश की चहुँमुखी उन्नति के लिए पर्यटन की सभी विधाओं का विकास होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति व देश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होता है। जिससे समाज को विकसित होने एवं प्रगति करने का पर्याप्त आधार मिलता है।

पर्यटन से होटल, ट्रेवल एजेंसियाँ, ट्रेकिंग क्लब एवं स्थानीय मानव-शक्ति का अच्छा सदुपयोग होता है। पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होने से पर्यटन विकास की अन्य योजनाओं को बल मिलता है। पर्यटन उद्योग के विभिन्न स्त्रोंतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगती है। आर्थिक विकास के नये-नये आयाम पनपने लगते है। देश के अन्य उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों में वृद्धि होने लगती है। कुशल मानव शक्ति का सही उपयोग होने लगता है, देश विदेश से अच्छे संपर्को का विकास होने लगता हैं तथा राष्ट्रीय पार्कों के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत: देश के चहुँमुखी विकास में सांस्कृतिक व सामाजिक महत्व के विविध पहलू निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इन्हें तेजी से विकसित किया जाना चाहिए।

3. सांस्कृतिक व सामाजिक चेतना का विकास एवं प्रभाव: पर्यटन के विकास की प्रक्रिया से समाज में एक नयी चेतना का उदय होता है। नागरिकों को विदेशी मेहमानों एवं उनके देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। शैक्षणिक विकास के अन्तर्गत संबंधित देशों की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक जानकारी मिलती हैं।

उनके रहन-सहन, खान-पान एवं धार्मिक जीवन के बारे विस्तृत अध्ययन करने के लिये आवश्यक छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य लाभदायक कार्यक्रमों के बारे में पता चलता है। राजनीतिक विकास की दृष्टि से पर्यटकों के आवागमन से सकारात्मक एवं उदारवादी राजनीति का वर्चस्व बढ़ता है एवं एक-दूसरे देशों का आपस में राजनीतिक सौहार्द्र मेल-मिलाप एवं द्विपक्षीय महत्व के मामलों को अत्यधिक महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है।

4. पर्यटन विकास हेतु कतिपय सुझाव एवं समाधान :

- केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों एवं जिला प्रशासन द्वारा ऐसे प्रयास किये जाने चाहिये जिससे अधिक से अधिक पर्यटक हर वर्ष हमारे देश में आयें। इस दिशा में हमें अपने सभी संभावित संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिये। पर्यटन से जुड़े सभी विभागों को अपनी श्रेष्ठ सेवाओं के साथ पर्यटन के विकास एवं विस्तार के लिये अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिये।
- पर्यटन के विकास कार्यो में सभी विभागों की भागीदारी सम्मिलित हो। सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों को अपने प्रचार माध्यमों एवं अपने संसाधनों पर अधिक भरोसा होना चाहिये। सहयोगी पद यात्रियों तथा गाइडों की सेवाओं का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिये। विभिन्न ट्रेवल एजेंसियां उन्हें अपने साथ लगाकर अल्पकालिक या पूर्णकालिक रोजगार उपलब्ध करा सकती है। यह बेरोजगारी दूर करने एवं मानव शक्ति का उपयोग करने का बेहतर विकल्प है।
- पर्यटन स्थलों के संरक्षण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जानी अत्यंत आवश्यक है। पर्यटन स्थलों के लिये पहुँच मार्ग सुगम एवं सुव्यवस्थित होना चाहिये तथा स्थल विशेश की उपयुक्तता के आधार पर वहाँ पर पेयजल, रहने, ठहरने के लिये रेस्तरां एवं आरामगृह व आवागमन के साधनों की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिये।
- देशी-विदेशी महिला पर्यटकों की सुरक्षा हेतु ओर समुचित प्रबंध व स्वस्थ वातावरण निर्मित किया जाने चाहिए। सांस्कृतिक महत्व व प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों, साहसिक खेलों एवं यात्राओं का उत्तरोत्तर विकास होना चाहिये। घरेलु पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। उनका पूरा विवरण दैनिक अखबारों, दूरदर्शन एवं पर्यटन पत्र-पत्रिकाओं में क्रमबद्ध रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिये।

अंत में कहा जा सकता है कि ''धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने से हमारे देश का उत्तरोत्तर आर्थिक विकास होगा।'' पर्यटन जहाँ हमें अपनी मान्यताओं, परम्पराओं, पुरातन विरासत और सांस्कृतिक समृद्धताओं से जोड़ता है, वहीं आज यह समाज के विभिन्न वर्गो को रोजगार के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नवीन अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि इसके आर्थिक महत्व के मध्यनजर विश्व के अधिकांश देश पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर इसे निरन्तर प्रोत्साहित कर रहें है। अत: एक विश्व की खोज व एक पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, एक पारिस्थितिक स्नेही पर्यटक व सांस्कृतिक चेतनामय अध्येता बनकर विकास में सहभागी बना जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः-

1. डॉं जगमोहन नेगी, पर्यटन मार्केटिंग एवं विकास, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ 15
2. डॉ संजय कुमार शर्मा, पर्यटन में भूगोल, तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली, 2005, पृष्ठ 226
3. डॉं जगमोहन नेगी, संपूर्ण भारत के सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली 2004, पृष्ठ 15
4. डॉ. के.के दीक्षित व डॉ. जे. पी. गुप्ता, पर्यटन के विविध आयाम, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ 45
5. डॉ संजय कुमार शर्मा, पर्यटन में भूगोल, तक्षशिला प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2005, पृष्ठ 63
6. डॉ एस. एल. वरे, पर्यटन में इतिहास का अनुप्रयोग, म. प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 2005, पृष्ठ 158-159
7. तुलसी, भारत के पर्यटन स्थल, तुलसी साहित्य पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2011 पृष्ठ 23
8. वंदना सक्सेना, भारत के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, आकांक्षा प्रकाशन, दिल्ली, 2007, पृष्ठ 7
9. ताज रावत, पर्यटन विकास के विविध आयाम, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली 2002, पृष्ठ 53

अन्य :

1. गुप्ता, डॉ पापिया दास, पर्यटन एक अध्ययन, म.प्र हिंदी ग्रंथ अकादमी 2004
2. एस. जगन्नाथ, पर्यटन के सामाजिक एवं आर्थिक महत्व, जर्नल ऑफ इण्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेड 26(2)फरवरी, 1976
3. सुधा कोठारी, पर्यटन उद्योग के समक्ष कुछ समस्यायें, कामर्स 131,(3367) नवंबर 29,1975,1981

****

आरंग के बाघेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला

डॉ. अनूप परसाई *

आरंग छत्तीसगढ़ क्षेत्र के रायपुर जिले मुख्यालय से 34 किलोमीटर दूर स्थित है। यह नगर महानदी के तट पर स्थित है तथा प्राचीन काल से ही यह ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस नगर में अनेक मंदिर है जिनमें बाघेश्वर मंदिर का स्थान महत्वपूर्ण है। स्थापत्य कला तथा ऐतिहासिक दृष्टि से आरंग के प्राचीन मन्दिरों में भाण्ड-देउल के पश्चात् बाघेश्वर मन्दिर को उल्लेखनीय महत्व को स्वीकार किया जाता है। बाघेश्वर नामकरण का भौतिक आधार यहां संरक्षित व्याघ्र में एक प्राचीन मूर्ति जान पड़ती है।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय परम्परा व्याघ्र को ही आद्य महाशक्ति (दुर्गा) का वाहन स्वीकार करती है द्वितीय अधिकरण में बाघेश्वर नाम के प्रचलन में आने संबंधी अन्य संभावित आधार-भूत कारणों की ओर संकेत किया गया है। इस प्रसंग में यहां इतना उल्लेख कर देना यथेष्ट होगा कि व्याघ्र आदि वन्य पशुओं द्वारा पूजित शिव-पार्वती की युगल सत्ता की यहां उपस्थिति ही बाघेश्वर नामाभिधान का पौराणिक आधार माना जा सकता है। आरंग बस्ती से पूर्वोत्तर दिशा में ढीमर पारा के पूर्वी छोर पर यह मन्दिर स्थित है। पूर्वोक्त समिया माता मन्दिर से सीधे आने पर यह उत्तर दिशा की ओर यह मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। मूलत: यह मन्दिर किस धर्म सम्प्रदाय विशेष से संबंधित रहा है ? इस प्रश्न को लेकर लम्बे समय तक मतभेद की स्थिति व्याप्त रही है।

कुछ विद्वानों ने इसके मूलत: जैन स्थानक अथवा बौद्ध बिहार होने का अनुमान किया है। जहां तक बौद्ध धर्म से इसकी सम्बद्धता का सवाल है। एलेकजेन्डर कनिंघम ने इस पूर्णत: अमान्य धारणा मानते हुए स्वीकार किया है। कनिंघम के सहयोगी बैगलर ने इसे पूर्व मध्य काल में निर्मित चौसठ योगिनी मंदिर बताया है। श्री पण्डित लोचन प्रसाद पाण्डेय ने भी वर्तमान बाघोश्वर मंदिर को चौसठ योगिनी मन्दिर स्वीकार किया है, और वे इसका सम्बन्ध पशुपति सम्प्रदाय के अन्तर्गत मत्तमयूर उपशाखा से स्थापित करते है। इसमें संशय नहीं कि यह मंदिर शैव-शाक्त मकरध्वज जोगी एक शिक्षा पट पर मानोल्लेख होना भी इसकी शैव-शाक्त परम्परा से सम्बद्धता को प्रकट करता है। मुख्य मंदिर के गर्भ गृह के मध्य में स्थाति अर्धा की प्राचीनता भी इस धारणा को सम्बल प्रदान करती है।

प्रागंड के चारों और स्तम्भा धारित छत युक्त बरान्डे में आज भी संरक्षित अवस्था में पृष्ठ भित्ति से संलग्न पांच सिंहासनों की उपस्थिति है। इसके चौसठ-योगिनी मन्दिर मानना तर्क संगत जान पड़ता है। चौसठ योगिनी मंदिरों के प्राचीन उदाहरण खजुराहो, भंड़ाघाट और रानीपुर भुराल में विद्यमान है। यहां के वास्तु रुपों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इनकी वास्तु योजना वृत्ताकार क्षेत्र पर की गयी है।

सर्वप्रथम वृत्त के चारों और प्रवेश द्वार को छोड़कर एक उंची भित्ति निर्मित कर ली जाती थी, पश्चात् इस भित्ति से संलग्न लगभग डेढ़ (1.50 मीटर) चोड़ा तथा .50 मीटर से .8. मीटर की उंचाई वाला चतुर्दिक प्रवह मान चबुतरा का निर्माण कर लिया जाता है। पश्चात् इस चबूतरो के सामने की ओर स्तम्भों की रचना की जाती है। पृष्ठ भित्ति और स्तम्भ पर धारण रख दिये जाते थे इसी तरह सभी स्तम्भ एक दूसरे से धरण बन्धों द्वारा जोड़ दिये जाते थे। इस धारणों पर आधारित छत्र का निर्माण किया जाता था। दो स्तम्भें द्वारा विभक्त क्षेत्र को एक योगिनी मूर्ति के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता था। इस सैद्धान्तिक आधार पर निर्मित चौसठ योगिनी के सामने चारों ओर एक प्रागंण होता था।

प्रागंण के मध्य में परम् उपसाय अथवा परम् गुरुतत्व के रुप में स्वीकृत शिव के लिए स्वतंत्र मंदिर की रचना की जाती थी। ये सामान्य वास्क-लक्षण उक्त तीनों चौसठ योगिनी मन्दिरों में विधमान है। आरंग के विवेच्य मंदिर की वास्तु योजना परम्परागत वृत्ताकार न होकर आयताकार है, परन्तु शेष अंगों के निर्माण में वास्तु संबंधी सैद्धान्तिक एवं पारम्परिक मान्यताओं का पूर्णत: पालन यहां किया गया है।

अभिलेखीय प्रमाणों के आधार पर खजुराहों, भेड़ाघाट तथा रानीपुर झुराल के चौसठ योगिनी मन्दिरों का प्रत्यक्ष संबंध पशुपति सम्प्रदाय से होना सिद्ध है। यह सम्प्रदाय दक्षिण कोसल में भी लोकप्रिय रहा है और इस मत के मानने वाले साधक शिव की पूजा हट्टकेश्वर रुप में करते थे। अत: आरंग के इस मंदिर के मध्य भाग में निर्मित मुख्य मंदिर के गर्भ गृह में स्थापित शिव लिंग को हट्टकेश्वर शिव का अर्चाविग्रह माना जा सकता है। वास्तुकर्म की दृष्टि से बाघेश्वर मंदिर से बाघेश्वर मंदिर में निम्न वास्तु अंगों की पृथक पृथक सत्ता स्पष्ट है -

1. पूर्वाभिमुख मण्डप युक्त प्रवेश द्वार या मुखमण्डप,
2. प्रवेश द्वार से आरंभ कर एक के बाद एक चारों दिशाओं को आवृत करने वाली आयताकार भित्ति है।
3. मुख मंडप से संलग्न मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर ही पृष्ठ भित्ति से संलग्न दो मीटर चौड़े और प्रागंण से 55 सेन्टी मीटर उंचे बरान्डे का निर्माण किया गया है। इस बारन्डे का विस्तार चारों दिशाओं की ओर है, इस बरान्डे तथा पृष्ठाभित्ति का विस्तार में पूर्व से पश्चिम की दिशा लम्बी भुजा और उत्तर से दक्षिण की दिशा चौड़ी भुजा को प्रकट करते है। बरान्डे के सामने वाले छोर पर आधार स्तम्भों की स्थापना की गयी है।

हर एक स्तम्भ के ठीक सामने पृष्ठभित्ति से संलगन स्तंभ बनाये गये है। इन समानान्तर स्तम्भों एवं कुड्य स्तम्भों के ऊपर धरणबन्ध है। इसी तरह सभी स्तम्भ चारों ओर से धरण बन्ध द्वारा परस्पर सम्बद्ध किये गये हैं। इस तरह पृष्ठाकृत छत्त का निर्माण किया गया है। हर दो स्तम्भों एवं उनके सम्मुखवर्ती कुड्य स्तम्भों को एक-एक योगिनी पीठ के रुप में प्रकट किया गया है। इस तरह इस प्रकोष्ठ में पूर्व दिशा की ओर 8, पश्चिम दिशा की ओर 9, उत्तर दिशा की ओर 13 और दक्षिण दिशा की ओर 13 कुल 43 देवी कक्षों का अस्तित्व प्रकट किया गया है।

यह स्थिति दीर्घकाल से चले आ रहे शास्त्रीय ज्ञान से अनभिज्ञ लोगों द्वारा रख-रखाव के लिए किये गये परिणामों की देन है। बहुत संभव है कि इन कक्षों में से कुछ में एक से अधिक देवी मूर्तियां रहीं हो। चौसठ योगिनी के अतिरिक्त दस महाविधाओं के लिए भी अलग-अलग स्थान की रचना किया जाना इस विधान का अनिवार्य अंग होता है। स्तम्भों की निर्माण शैली

* विभागाध्यक्ष, शासकीय छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

दसवीं शताब्दी की है। बरान्डे के छत्र के सम्मुख भाग पर हर एक कक्ष के मध्य में शैव शाक्त परम्परा से सम्बद्ध अलग-अलग प्रकार के तांत्रिक मंत्र उभार के बताये गये हैं। योगिनी मण्डप के सामने चारों ओर सुविस्तृत खुला प्रागंण है। इस प्रागंण के मध्य में केन्द्रीय मंदिर का निर्माण किया गया है। आयताकार प्रांगण के मध्य भाग पर महामडम्प एवं विमान से युक्त विशाल मंदिर है। स्थानीय जनों के मध्य प्रचलित पारम्परिक विश्वास के अनुसार एक हजार एक सौ आठ विशाल शिला खण्डों द्धाारा अपुरित गर्भन्यास पर इस मंदिर का वास्तुविधान अवलम्बित है।

वर्तमान में सम्मुख वर्तीय स्तम्भाधारित मुख-मडण्प या नन्दी मडप्प से आरंभ कर गर्भ गृह के विस्तार पर्यन्त एक आयतकार ऊंची जगति पर मंदिर का निर्माण किया गया है। यह जगति वास्तु कर्म द्धारा पूर्णत: ढक लिया गया है। परिणामस्वरुप जगति का अस्तित्व सचक लक्षण सामान्य दृष्टि से देखने पर कहीं भी गोचर नहीं हो पाता। मंदिर का वास्तुविधान भी मुख मण्डप से आरंभ कर गर्भगृह पर्यन्त एक आयताकार गर्भन्यास कर आश्रित रहा है। इस मंदिर के सामान्य निरीक्षक मात्र से इस धारणा को बल प्राप्त होता है कि अपनी पूर्णावस्था में इसका वास्तुस्वरुप अत्यन्त चित्ताकर्षक और भव्य रहा होगा परन्तु बाद में समय समय पर किये गए जीर्णेद्धार संबंधी कार्यो तथा इसके बाह्य आवरण को नख-शिख ढके हुए चूना सीमेन्ट के वर्तमान प्लास्टर की मोटी परत ने वास्तु योजना के मूल स्वरुप, विभिन्न अंगों तथा उपांगों की जटिल संरचना से उदबुद्ध अलौकिकता की अभियंजना तथा विभिन्न अंगों पर संस्थापित उत्खचित अथवा खुन्दबन्धीय प्रविधि द्धारा रुपांकित, विविध विषयों से सम्बन्धित मूर्तियों ज्यामितिक अलंकरणों, अल्पलता अभिप्रायों, मणिमुक्ता की लणियों, तोरणों, धरों आदि के माध्यम से प्रकट के जाने वाली भव्यता एवं अभिरामता के भाव आदि पूर्णत: ओझल हो चुके हैं, परिणाम स्वरुप इनके सम्बन्ध में प्रमाणिकता के साथ कोई निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं है। दीर्धकालीन परिवर्तनों के बाद भी यहां मंदिर स्थापत्य का जो स्वरुप शेश रह गया है, उसके आधार पर इसके मूल वास्तु स्वरुप के संबंध में समकक्षीय उदाहरणों तथा समकालीन मान्यताओं के आधार पर काल्पनिक अनुमान अवश्य प्रस्तुत किया जा सकता है।

महामण्डप के अति आरंभिक स्थल से प्रारंभ कर विमान तक की वास्तु रचना पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट भासित होने लगता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि से अन्त तक समान ऊंचाई वाले अधिष्ठान पर किया गया है। अधिष्ठान प्रागंण के धरातल से लगभग 1.75 मीटर की ऊंचाई वाला है। इसका वर्तमान प्रकट रुप चतुर्दिक प्रवहमान तथा निश्चित ऊंचाई वाले 5 सीढ़ीनुमा उत्तरोत्तर संकुचित होते गए उपांगों द्धारा किया गया है। निसंदेह इसका यह वर्तमान रुप चूना सीमेन्ट के प्लास्टर का परिणाम है।

इस अधिष्ठान के ऊपरी भाग पर कहीं-कहीं विद्यमान परस्पर भिन्न प्रकार के उभारों को देखने से स्पष्टमान होने लगता है कि अधिष्ठान के बाह्य रुप गढ़न हेतु परस्पर उन्नत-अवनत क्रम में भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार तथा नाना प्रकार के प्रचलित अभिप्रायों के अनुरुप काटे तराशे गए गोल गतकों, थरों आदि के एक पर एक संस्थापन प्रक्रिया द्धारा इस अंग का निर्माण किया गया रहा होगा। अधिष्ठान के गोला गलों के बाह्य प्रशेपण अथवा अन्त: संस्तरण संबंधी निर्धारित अनुक्रम के अनुरुप ही जंघे का स्वरुप निश्चित किया गया रहा होगा। महामण्डप के कक्षासनपर्यन्त अन्त: भित्ति र्ध्वगतिमान सममतल विन्यास वाली रही होगी और अन्त: भाग की संरचना के विपरीत इसका बाह्य प्रदेश का रुप गढ़न विभान के अनुरुप ही रहा होगा साथ ही इस पर सघन शिल्पांकन रहा होगा।

विमान एवं अन्तराल के जंघे को दो समानातर अंगों में विभक्त किया गया रहा होगा इस इन पर विभिन्न देवी देवताओं दिक्पालों, सुर-सुन्दरियों, नायक-नायिकाओं तथा अन्य विषयों से संबंधित मूर्तियां उपयुक्त स्थानो पर जड़ी रही होगी। इनके अतिरिक्त अन्य अंगों पर भी अलंकरणात्मक अभिप्रायों का खुन्दबन्धयुक्त रेखीय संरचना की गयी रही होगी। जंघे के इन मध्यवर्ती अंगों के ऊपर शुक्र नासिकाओं के निम्नोच्च क्रम में उभरे अंग रहे होंगे, पश्चात् जंघा और शिखर को परस्पर सम्बद्ध करने हेतु मणिबंधों की रचना की गयी रही होगी।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ. व्ही. एन. स्मिथ : इण्डियन आर्ट
2. डेबेल : आर्चीटिक्चर ऑफ इंडिया
3. फर्ग्युसन : आर्चीटिक्चर ऑफ एन्शेन्ट इंडिया
4. पर्सी ब्राउन : इन्डियन आर्चीटिक्चर
5. डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल : भारतीय कला
6. डॉ. राधाकमल मुर्खजी : भारतीय कला एवं संस्कृति
7. डॉ. बुद्धप्रकाश : धर्म एवं कला
8. स्टेला क्रेमरीज : आर्ट ऑफ इंडिया
9. दि जरनल ऑफ आन्ध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी
10. जरनल ऑफ बिहार ओरिसा रिसर्च सोसायटी
11. दि जरनल ऑफ आन्ध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी

****

दक्षिण कोसल की शरभपुरीयकालीन प्रशासनिक व्यवस्था

डॉ. अनूप परसाई *

शरभपुरीय वंश का संस्थापक शरभ था जिसकी पहचान भानुगुप्त के गुप्त संवत 191 अर्थात 510 ई. के ऐरण से प्राप्त स्तंभलेख में उल्लेखित शरभराज के साथ की जाती है।[1] शरभ ने अपने नाम पर शरभपुर नामक नगर बनाकर उसे अपनी राजधानी बनाई थी। शरभ का उत्तराधिकारी नरेन्द्र हुआ। नरेन्द्र के उपरांत इस वंश में प्रसन्नमात्र नामक राजा सिंहासनासीन हुआ, जो अत्यंत शक्तिशाली था, इसके द्वारा निर्गमित स्वर्ण सिक्के अनेक स्थलों में प्राप्त हुए हैं।[2] इस वंश के परवर्ती नरेशों के ताम्रपत्रलेखों में वंशावली एवं उत्तराधिकार क्रम का विवरण प्रसन्नमात्र से प्रारंभ किया गया है। प्रसन्नमात्र के पश्चात जयराज, मानमात्र, और दुर्गराज नामक उसके पुत्रों के सिंहासनासीन होने की सूचना ताम्रपत्रों से मिलती है। बालचन्द्र जैन इन तीनों को एक ही व्यक्ति मानते हैं।[3] जबकि अजयमित्र शास्त्री प्रसन्नमात्र के उपरांत जयराज का सिंहासनासीन होना, उपरांत उसके छोटे भाई मानमात्र दुर्गराज राज्य की बागडोर सम्हालने की संभावना व्यक्त करते हैं।[4] मानमात्र दुर्गराज के तीन पुत्र हुये - सुदेवराज, प्रवरराज, एवं व्याघ्रराज।

ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण सुदेवराज शरभपुर का राजा बना। प्रवरराज ने श्रीपुर को अपनी राजधानी में ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण सिरपुर क्षेत्र भी सुदेवराज के अधिकार में आ गया। अजयमित्र शास्त्री के अनुसार प्रवरराज इस वंश का अंतिम राजा था ।[5] सुदेवराज के महासमुंद और कौआताल अभिलेखों[6] में सर्वाधिकाराधिकृत इन्द्रबल का उल्लेख है इसे पाण्डुवंश अर्थात् सोमवंश के तीवरदेव के पितामह के रूप में समीकृत किया जाता है। सम्भवत: इस इन्द्रबल ने शरभपुरीय वंश या अमरार्यकुल को समाप्त कर सोमवंश की स्थापना की। छत्तीसगढ़ अंचल की शरभपुरीय कालीन प्रशासनिक-व्यवस्था सप्तांग सिद्धांत पर आधारित थी। सप्ताम सिद्धांत में राज्य के प्रमुख घटकों में राजा अथवा स्वामी, आमत्य, पुर, राष्ट्र, कोष दण्ड व मित्र को सम्मिलित किया गया है। राज्य का एक अंग दूसरे को सुदृढ़ करता है। शरभपुरीयकालीन प्रशासनिक-व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है -

राजा एवं राजपद - शरभपुरीय राजवंश के विभिन्न नरेशों द्वारा दिये गये दानपत्रों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उनके राजधर्म विषयक अवधारणाओं पर महाकाव्यों तथा धर्मशास्त्रों के अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, कामन्दकनीतिसार एवं याज्ञवल्यस्मृति आदि राजधर्म विषयक ग्रन्थों का न केवल प्रभूत प्रभाव था, शरभपुरियों के उत्कर्ष के पूर्व से ही दक्षिण कोसल गुप्तों तथा वाकाटकों के राजनीतिक प्रभावों से पूर्णत: प्रभावित हो चुका था। परिणामस्वरूप गुप्त एवं वाकाटक राजनीतिक विचारों का यहां प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। शरभपुरीय शासन-व्यवस्था नृपतत्रात्मक थी। जिसके केन्द्र में राजा रहता था। शरभपुरीय शासन व्यवस्था में सामन्तीय राज्यों का उल्लेख मिलता है।

शरभपुरीय वंश के अधिकांश ताम्रपत्रों[8] में उल्लेख मिलता है कि इन नरेशों के पादयुगल उनके विक्रयम द्वारा अपनत किये गये सामन्तों के मुकुट में जड़े चूड़ामणियों की प्रभा से मासित होने वाले जल से घोये गये लगते हैं। शरभपुरीय राजा धर्म के अधीन थे। धर्म ही व्यक्ति को न्याय एवं कर्त्तव्य मार्ग पर ले जाता है। शरभपुरीय शासकों के अभिलेखों के अनुसार राजा में प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित गुण विद्यमान थे। शरभपुरीय शासक नरेन्द्र के कुरूद ताम्रपत्र[9] के अनुसार कनक की धारा से पृथ्वी को जीतने वाला जयराज के आरंग ताम्रपत्रलेख[10] के अनुसार विक्रम से शत्रुओं को आक्रान्त करने वाला प्रवरराज के मल्लार ताम्रपत्रलेख[11] के अनुसार अपनी भुजाओं से पृथ्वी का उपार्जन करने वाला कहा गया है। प्राचीन भारतीय आचार्यों में कौटिल्य, मनु, बृहस्पति आदि में स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रजा की सर्वांगीण उन्नति का हित ही सर्वोपरी था।[12] इन विचारकों ने राजा के कर्त्तव्यों एवं दयित्वों को तीन श्रेणियों (अ) प्रजारक्षण[13] (ब) प्रजापालन[14] (स) प्रजारंजन[15] में विभक्त किया है। शरभपुरीय शासकों प्राचीन विचारकों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया जाता था।

दक्षिण कोसल में शासन करने वाले शरभपुरीय शासकों द्वारा प्रजा की उन्नति के लिये प्राचीन विचारकों द्वारा प्रतिपादित तीनों दायित्वों का निर्वहन किया जाता था। दक्षिण शरभपुरीय राजवंशों के राजाओं तथा उनके द्वारा शासित राज्य की भौतिक सीमा के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र या भूमि, इन दोनों के मध्य पति -पत्नी का संबंध बताया गया है। शरभपुरीय राजवंश के ताम्रलेखों में उनके राज्य की भूमि की संज्ञा भूवैष्णवी [16] दी हुई है। भूवैष्णवी संज्ञा द्वारा इस राज्य की भूमि को विष्णु की शक्ति (पत्नी) के रूप में प्रकट किया गया है। राजशास्त्र विषयक प्राचीन ग्रंथों में राजा को विष्णु का अवतार बताया गया है[17] भारतीय देव मण्डल में विष्णु को प्राणी मात्र के पालन करने वाले देवता के रूप में स्थान दिया गया है। राज्य की प्रजा का लालन पालन, शिक्षिका, श्रेष्ठतम संस्कार के वर्ण धर्म और आश्रमधर्म इन दोनों की अस्मिता गृहस्थाश्रम पर आश्रित मानी गयी है। राजा द्वारा समस्त प्रकार के राजनैतिक एवं प्रशासनिक कर्तव्यों को पूर्ण किये जाने का विवरण होता है। जयराज के आरंग ताम्रपत्रलेख[18] के अनुसार खड़ग की धारा से पृथ्वी को जीतने वाला एक अन्य अभिलेख के अनुसार नरेन्द्र का शासन शत्रुओं को शासित करने वाला है।

व्याघ्रराज के मल्लार ताम्रपत्रलेख [19] में जय भट्टारक को अपनी प्रजा के लिये सुख का कारक कहा गया है। शरभपुरीय नरेशों के ताम्रपत्रों [20] में संबंधित राजाओं को अपने शत्रुओं पर शासन करने वाला कहा गया है। राजा के अन्य कार्यों में कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। राजा द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिये अग्रहार ग्राम दान दिये जाने का विवरण प्राप्त होता है। जयराज के आरंग से प्राप्त शिलालेख[21] के अनुसार विद्वान ब्राह्मणों को भूमिदान दिया गया था। प्रवरदत्त के मल्लार ताम्रपत्रलेख[22] के अनुसार भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण शुभचन्द्र स्वामी को ग्रामदान में दिया गया था ।

मंत्री परिषद : सप्तांग सिद्धांत में राज्य के द्वितीय अंग के रूप में मंत्रिपरिषद होती थी। मनु, कोटिल्य, शुक्र आदि विचारकों ने मंत्रिपरिशद की महत्ता का विवेचन किया है शरभपुरीय कालीन शिलालेखों में मंत्रीपरिषद की ऐतिहासिकता के विषय में विवरण प्राप्त होते हैं। जयराज के मल्लार ताम्रपत्र[23] में हड़प्पग्राह वत्स द्वारा नगरोत्तरपट्टी में स्थित मोवकेपिका नामक ग्राम कतिपय ब्राह्मणों को दान में देने और महाराज जयराज द्वारा स्वयं इस दान का अनुमोदन करने का उल्लेख है। यह दानदाता हड़प्पाग्राह संभवत: मंत्री

* प्रा.भा. इतिहास, शासकीय छ.ग. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (म.प्र.) भारत

स्तर का राज्याधिकारी रहा होगा। सरकार [24] ने यह विचार व्यक्त किया है कि मल्लार ताम्रपत्र में उल्लेखित हड़प्पाग्राह सांलकायनवंशी राजा नन्दीवर्भन प्रथम के कामकोल्लू ताम्रपत्र में आये हड़प्पग्रहामात्य का समकक्षी माना जा सकता है। शुक्र के अनुसार वह मंत्री जिसे राज्य के संपूर्ण भू-क्षेत्र तथा भू-अभिलेख का ज्ञान होता था, उसे हड़प्पाग्राह अमात्य कहा जाता था। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों की सीमाओं, हर एक ग्राम के क्षेत्रों का परिमापन एवं लेखा तैयार कराने वाले मंत्री को हड़प्पग्राह कहा जाता था [25] प्राचीन भारतीय विचारकों ने मंत्रिपरिषद के चयन के लिये योग्यतायें निर्धारित की है। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों 25(पच्चीस) योग्यतायें निर्धारित की है। शरभपुरीय शासकों द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चयन में इन योग्यताओं के पालन किये जाने का विवरण मिलता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राजा को राज्य की विभिन्न समस्याओं पर परामर्श दिया जाता था।

नरेन्द्र के कुरूद [26] से प्राप्त ताम्रपत्र में राजा द्वारा ब्राह्मण को पूर्व में दिये गये दान के संदर्भ में सत्यता की जांच कर राजा को संसूचित करने तथा पूर्व में दिये गये दान जिस ब्राह्मण के पक्ष में था उसके पुत्र के पक्ष में दानपत्र पर उत्कीर्ण एवं अनुमोदित कर सचिवालय द्वारा प्रदान किये जाने का विवरण है। इस अनुमोदित आज्ञापत्र के दूतक भी सचिवालयीन अधिकारी बताये गये हैं। जयराज के आमागुड़ा दानपत्र के दूतक भी सचिवालयीन अधिकारी हैं। मनु [27] के अनुसार दूतक राजा का अत्यंत विश्वासपात्र प्रधानामात्य होता था, जिस पर राजा का पूर्ण विश्वास रहता था। अत: उसे ही राजा अपने द्वारा दिये गये दानपत्रों के संवाहक का दायित्व सौंपते थे। जयराज के आमागुड़ा, तथा मल्लार दानपत्रों के लेखक अंचलसिंह हैं।

शासन के अन्य विभाग एवं पदाधिकारी :- शरभपुरीयकालीन शिलालेखों से शासन को संचालित करने वाले विभाग एवं अधिकारियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र के ग्रंथों में परराष्ट्र विभाग, धर्म विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सेना विभाग की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। शरभपुरीय शासन व्यवस्था में भी यह विभाग अस्तित्व में रहे होंगे।

नरेन्द्र के कुरूद ताम्रपत्रलेख[28] में सचिवालय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, इस ताम्रपत्रलेख में दूतिका के कार्यालय को दूतिका अधिकर्ण कहा गया है। अभिलेख विभाग दूतिका के अधीन रहता था। इस विभाग में एक अन्य कर्मचारी संगतराश (तराशने वाला) रहता था। प्रशासन में पटरानी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शरभपुरीय नरेश महासुदेवराज प्रथम के सारंगढ़ शिलालेख[29] की राजमहिषी द्वारा राजकुल तथा माता पिता एवं स्वयं की पुण्य वृद्धि के लिये तुण्डरक युक्ति स्थित चुल्लडरक ग्राम कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण को दान में दिया था। प्रशासन में युवराज का भी महत्वपूर्ण स्थान था, शरभपुरीय शिलालेखों में इसका विवरण मिलता है[30] राजभवन के मुख्य द्वार का प्रमुख पदाधिकारी प्रतिहार था।

शरभपुरीय शासक सुदेवराज के आरंग ताम्रपत्रलेख में प्रतिहार भोगिल्ल द्वारा राजा की अनुमति से दान दिये जाने का विवरण प्राप्त होता है। शरभपुरीय ताम्रपत्र लेखों में महासामन्त इन्द्रबल का उल्लेख मिलता है। शरभपुरीय शिलालेखों में सेनापति, समाहर्त्ता, भण्डारग्राहिक के विषय में विवरण नहीं मिलते हैं किन्तु यह अधिकारी संभवत: रहते होंगे एवं प्रशासन को संचालित करने में ये अधिकारी राजा की सहायता करते होंगे।

प्रशासनिक इकाईयाँ :- दक्षिण कोसल के शिलालेखों से राष्ट्र, आहार, भोग, भुक्ति, मार्ग, देश, पट्ट आदि इकाईयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शरभपुरीय ताम्रपत्रों में भोग नामक इकाई का अधिपति भोगपति था। महाराज नरेन्द्र के पिपरदुला ताम्रपत्रलेख[31] में भोगपति राहुदेव के कार्यों का विवरण प्राप्त होता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शरभपुरीय ताम्रलेखों में उल्लेखित शरभपुर, श्रीपुर, प्रसन्नपुर, प्रसिद्ध नगर थे। जो तत्कालीन समय में नगर शासन व्यवस्था अस्तित्व में थी।

भू-राजस्व एवं आय के अन्य स्त्रोत :- शरभपुरीय अभिलेखों से तत्कालीन भू-राजस्व व्यवस्था एवं आर्थिक प्रशासन के विषय में विवरण प्राप्त होते हैं। राज्य की आय के प्रमुख स्त्रोत हिरण्य भोग, माग आदि प्रमुख थे। शरभपुरीय नरेश नरेन्द्र के कुरूद ताम्रपत्रलेख[32] में कर के रूप में हिरण्य का उल्लेख है। शरभपुरीय शासक प्रसन्नपात्र के सिक्के भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुये हैं। भोग कर का उल्लेख शरभपुरीय शासकों में मिलता है। तत्कालीन समय में व्यवसाय एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में लेखों में स्वर्णकार अचलसिंह, श्रीदत्त, ज्येष्ठसिंह एवं गोलसिंह वैश्य जाति के ऐसे लोग थे, जो सोने चांदी से बने अलंकरणों के वणिज व्यवसाय से जुडे हुये थे। व्यवसायियों से प्राप्त शुल्क, दण्ड से प्राप्त आय, करद सामंतो एवं मित्र राजाओं से प्राप्त कर, विजित राज्यों के कोष का हरण राजकीय आय के साधन थे।

राज्य की सुरक्षा व्यवस्था एवं सैन्य प्रशासन :- राज्य के संप्तागो के अंतर्गत आचार्य कौटिल्य ने बल को ही शक्ति अर्थात राज्य की वास्तविक शक्ति सेना को बतलाया है। प्राचीन ग्रंथों में सेना के अंगो, सैन्य सामग्री सेना की यात्रा, सैन्य शिविर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। शरभपुरीय शिलालेखों राज्य की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उल्लेख मिलता है शरभपुरीय वंश के नरेन्द्र एवं जयराज के दानपत्रों के साथ संलग्न राजमुद्रा में संबंधित राजाओं के शासन को, शत्रुओं का शासित करने वाला कहा गया है। [34] नरेन्द्र के ताम्रपत्र के साथ संलग्न राजमुद्रा में उसे खंडग की धारा से पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है।

नरेन्द्र के कुरूद दानपत्र में विजय स्कंधावार का उल्लेख मिलता है। जो राज्य विस्तार हेतु उसके विजय अभियान के मध्य विजयी सेना के सैन्य शिविर का परिचायक है। जयराज के ताम्रपत्रों के साथ संलग्न राजमुद्राओं की प्रथम पंक्ति में अपने पराक्रम से शत्रुओं को आक्रांत करने वाला कहा गया है। सुदेवराज के धमतरी ताम्रपत्रलेख के साथ संलग्न राजमुद्रा में शत्रु को नष्ट करने वाला एवं उसके शासन को संसार को स्थिरता प्रदान करने वाला कहा गया है। नरेन्द्र एवं जयराज की राज मुद्राओं में ''शासनं-रिपु-शासनम्'' पाठ मिलता है। प्रवरराज की राजमुद्रा में रिपुशासन के स्थान पर शत्रु-शासनम् पाठ प्राप्त होता है। [35] ये समस्त उल्लेख शरभपुरीय शासकों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनेक दुर्गो का निर्माण कराया गया था। शरभपुरीय वंश के संस्थापक शरभ द्वारा खरिहार के पास कालाहांडी जिले में मालागुड़ा के वन क्षेत्रों में पर्वतीय दुर्ग शरभपुर की स्थापना की गयी थी।[36]

अंतर्राज्यीय संबंध :- दक्षिण कोसल के शिलालेखों में शरभपुरीय शासकों के अन्य राजवंशों के साथ संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। आचार्य कौटिल्य ने मण्डल सिद्धांत के द्वारा दो राज्यों के मध्य संबंधों का विस्तृत विवेचन किया हैं। मेकल के पाण्डुवंशी नरेशों के सामान्तर रूप से छत्तीसगढ़ के एक भाग एवं उससे लगे हुये उड़ीसा के क्षेत्र पर शरभपुरीय वंश का शासन था। इन दोनों राजवंशों के मध्य महत्वकांक्षी वाकाटकों तथा आरंभिक चालु:यों की साम्राज्यवादी नीति को देखते हुये मैत्री संबंध था।

इन दोनों राजवंशों के अद्यावधि प्राप्त लेखों से यह प्रकट होता है कि मित्र लाभ की महत्ता, शाडगुण्य संबंधी नीति का अनुपालन सम्यक रूप से किया जाता था। शरभपुरीय नरेश जयराज प्रथम के समय से आरंभ कर सुदेवराज

द्वितीय के ज्ञात ताम्रपत्रलेखों में प्रत्येक नरेश की राजनीतिक उपलब्धियों का एवं उनके चरण युगल पराजित सामन्तों के द्धारा धोये जाने का विवरण प्राप्त होता है। इन नरेशों के दानपत्रों के साथ संलग्न राजमुद्राओं पर गजलक्ष्मी की मूर्ति और उसके नीचे राजा के नाम के पूर्व ''खडमधाराजित भुव'' शासनम रिपुशासन तथा स्थिरजगति शासनम आदि मुद्रालेख प्राप्त होते हैं।

ये सभी तथ्य एक अधिराज के समान उनकी राजनीतिक सम्प्रमुता संपन्न स्थिति के द्योतक हैं शरभपुरियों के समकालीन बस्तर में नलवंश का शासन था। वाकाटकों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण मैकल के पाण्डुवंश, कोसल के शरभपुरीय वंश एवं बस्तर के नलवंश ने आत्मरक्षा हेतु एक संघशक्ति बना ली थी। शरभपुरीय वंश एवं राजर्शितुश्यकुल की परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करती थी। दोनों में साम्राज्य विस्तार की भावना के कारण आपस में शत्रुता थी। मण्डल सिद्धांत के अनुसार मेकल के पाण्डुवंशी एवं शरभपुरीय दोनों ही राज्यर्शितुश्यकुल वंश के प्राकृत शत्रु थे।

मेकल के पाण्डुवंशी शासक राज्यर्शितुश्यकुल की साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शरभपुरीय नरेश नरेन्द्र की बहन लोकप्रकाश से विवाह किया था। [39] इस प्रकार शरभपुरीय शासकों ने प्रशासनतंत्र में कार्यविभाजन के सिद्धांत को अपनाया था।

राज्य के समस्त कार्यों पर राजा का नियंत्रण रहता था शासक शक्तिशाली होते हुये भी मंत्रिपरिषद के परामर्श को सम्मान देते थे महारानी व युवराज की प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। भू-राजस्व एवं कोष एवं भण्डार के लिये उत्तरदायी अधिकारी नियुक्त थे। प्रांतीय प्रशासन सुसंगठित था। अपराधों के लिये दण्ड का न्याय संगत विधान था। दुर्गों की व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। वैवाहिक संबंधों में कूटनीतिक कौशल के दर्शन होते हैं। इस प्रकार शरभपुरीय प्रशासन के उत्कृष्ट एवं लोकहितकारी स्वरूप का हमें दिग्दर्शन होता है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. कापर्स इन्स्क्रीप्सन इण्डिकेरम भाग - 3, पृ. 91 एवं आगे
2. इंडियन हिस्ट्री क्वाटरली, जिल्द 9, पृ. 595
3. जैन, बालचन्द्र : उत्कीर्णलेख, परिचय खण्ड, पृ. 7 तथा 182
4. शास्त्री, अजयमित्र : इन्स्क्रीप्सन्स ऑफ दि शरभपुरीयाज पाण्डुवंशिज एण्ड सोमवंशिन भाग - एक व दो पृ. 93 एवं 96-97 (आगे इ.श.पा.सो. के नाम से)
5. उपरिक्त, पृ. 97
6. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द 31, पृ. 314 - 16.
7. तिवारी एस.पी. : कम्प्रेन्सिक हिस्ट्री ऑफ ओरिसा, पुन्थी पुस्तक कलकत्ता, 1985 आगे के लिये (क.हि.ओ. के नाम से) पृ. 73-74.
8. इ.श.पा.सो., भाग-दो, लेख क्र. 1:5.
9. जैन, बालचन्द्र : उत्कीर्ण लेख, शिलालेख क्र. 5, पृ. 10.
10. वही, लेख क्रमांक - 7, पृ. 27.
11. वही, लेख क्रमांक - 4, पृ. 890.
12. कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 1/19.
13. नारद, प्रकीर्णक - 23.
14. बृहस्पति का मत राजनीति प्रकाश में उद्धृत, पृ. 254-55.
15. महाभारत, शांतिपर्व, 59/123.
16. इ.श.पा.सो. भाग-दो, लेख क्र. 1:4, द्वितीय पत्र, पंक्ति - 15.
17. काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास (अनु. अर्जुन काश्यप) भाग - दो, पृ. 592.
18. जैन, बालचन्द्र : उत्कीर्ण लेख, क्र. - 3, मुद्रा अभिलेख 19.2.
19. इ.श.पा.सो. भाग - दो, लेख क्र. 2:1, पंक्ति 5-8 पृ. 74.
20. इ.श.पा.सो. लेख क्र. 1:2 संलग्न रजिमुद्रा की पंक्ति 2, पृ. 9.
21. जर्नलस आफ द एपीग्राफिकल सोसाइटी आफ इंडिया, पृ. 70-75.
22. एपिग्राफिका इण्डिका, पृ. 51-52.
23. इ.श.पा.सो. लेख क्रमांक - 1:7, पंक्ति 8, पृ. 25.
24. एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द 34 पृ. 28-29.
25. उड़िसा हिस्टारिकल रिसर्च जर्नल, जिल्द - 6, अंक 2, पृ. 106.
26. इ.श.पा.सो. भाग - दो, पंक्ति 7-10, पृ. 8-11.
27. मनुस्मृति, 7/ 63-65
28. जैन, बालचन्द्र : उत्कीर्ण लेख, पृ. 9.
29. इ.श.पा.सो. भाग - दो, लेख 1:14, पृ. 50.
30. वही, परिशिष्ठ 2, पंक्ति - 1, पृ. 67.
31. इ.श.पा.सो. भाग - दो, पृ. 5-70.
32. वही, लेख क्र. 1:2 पंक्ति 12, पृ. 9.
33. वही, लेख क्र. 1:2 पंक्ति 12, पृ. 9.
34. इ.श.पा.सो. भाग - दो, लेख क्र. 1: 1, लेख क्र. 1:2, पृ. 9.
35. वही, लेख क्र. 1:15 पृ. 54.
36. तिवारी, एस.पी. - क.हि.ओ. पृ. 90.
37. वही, पृ. 4.
38. मिराशी, वी.वी. : स्टडीज इन इण्डोलॉजी, जिल्द - 1, पृ. 253.
39. जैन, बालचन्द्र, : उत्कीर्ण लेख, पृ. 7.

****

भारत के आदिवासी क्षेत्रों के सामंतीय रियासतों एवं जमीदारियों में जनजागृति (बस्तर रियासत के विशेष संदर्भ में)

श्रीमती पूनम साहू* डॉ. वासुदेव साहसी **

दक्षिण कौसल अपनी सांस्कृतिक सम्पन्नता, आस्थाओं के समन्वयपूर्ण संगम और श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए सद्भाव का स्थायी भाव रहा है। इसे ए शि -संस्कृति, कृषि -संस्कृति और अरण्य संस्कृति की अद्भुत रंगस्थली माना जाता है। शासन प्रशासन की जो लोकप्रिय स्थिरता यहां रही है। उसकी मिशाल अत्यन्त पाना कठिन है। [1]

यदि शोधार्थी अपने ही क्षेत्र के इतिहास के स्त्रोतों का अध्ययन , संकलन और विश्लेषण करना हमारा सही अवदान होगा। क्षेत्रीय इतिहास ही राष्ट्रीय इतिहास को परिपूर्णता देता है। स्वतं भारत में जब राष्ट्र-इतिहास लेखन का सिलसिलेवार शुरूआत हुई, इसी दौरान क्षेत्रीय इतिहस की महत्ता स्वंय सिद्ध होने लगी, प्रांतीय स्तर पर शोध एवं इतिहास लेखन से भारत के इतिहास को निरन्तर समृद्ध करने का जो सिलसिला लगभग आधी शताब्दी पूर्व शुरू हुआ था लगातार बढ़ता जा रहा है। आगाज तो अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा। [2] छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का केन्द्र रहा है। हर प्रकार की दासता से मनुष्य को मुक्ति दिलाने में छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की लहरें उपलब्ध है, छटवीं, सातवीं शताब्दी से जो ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है, उनके अनुसार छत्तीसगढ़ शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र था।

नागार्जुन जैसे विद्वान वैज्ञानिक यहां आकर रहे है। महाप्रभु वल्लाभाचार्य संत कबीरदास, संतगुरू घासीदास जी ने यहां आध्यात्मिक चेतना संचार करने के साथ ही पुरानी रूढियों को समाप्त करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय सौहाद्र की परम्परा को विकसित एवं सुरक्षित करने के लिए समय-समय पर अनेक विभूतियों यहां भी रत्नगर्भा धरती में से अवतरित होती रही।[3] प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की आजादी के लिए चले प्रदीर्घ निर्णायक आंदोलन तक छत्तीसगढ़ का योगदान महत्वपूर्ण रहा।

1856 में छत्तीसगढ़ की जमीदारी सोनाखान ने ब्रिटिश प्रभुत्तव के विरूद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। दूरस्थ सरगुजा रियासत में स्वतंत्रता के लिए जान की बाजी वहां के राजकुमारों ने लगा दी और मातृवेदी पर अपनी शहादतें दी। सन् 1900 में आजादी के दीवानों ने एक भूचाल खड़ा कर दिया। सन् 1900 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित पं. माधवराव सप्रे और पं. वामनराव लाखे सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागृति के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया।[4]

छत्तीसगढ़ की रियासतें :- अतीत से ही भारतीय इतिहास राजतंत्रीय एवं सामंतीय व्यवस्था से प्रभावित रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनकी नीतियों व्यवस्थित होती रही, नीति शास्त्रों ने राजा से प्रजा के संबंध को पिता-पुत्र के समकक्ष माना प्रजावास्सल्यता से जनजीवन प्रभावित होता रहा है। देश के मध्य में अवस्थित दक्षिण-कोसल या छत्तीसगढ़ प्रारम्भ से 19 वीं शताब्दी के मध्य तक सामन्तवाद एवं राजतंत्र की नीतियों से प्रेरित रहा। [5] देशी रियासतें कैसे बनी इसका इतिहास बहुत रोचक है। यद्यपि बहुत से रियासतें ऐसी थी जिनकी जड़े भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने से पहले भी मौजूद थी। फिर भी अधिकांश रियासतों को जन्म देने वाले अंग्रेज ही थे उन्होंने कुछ रिसायतें इसलिए बनाई थी जिससे भारत में ब्रिटिश हितों की नींव मजबूत हो जाए और कुछ इसलिये बनायी थी ताकि लड़ाई-झगड़ों का निपटारा होकर स्थिति स्थिर हो जाए, इस प्रकार उनके एक ही नहीं अनेक उद्देश्य थे। [6]

रियासतों में बस्तर,कांकेर,कर्वधा, खैड़ागड़, नादंगाव, और छुईखदान उस समुदाय में गिने जाते है, अर्थात् बस्तर, कांकेर, कर्वधा छत्तीसगढ़ जमींदारों के नाम से प्रसिद्ध थे और खैरागढ़ नादंगाव और छुईखदान, खुज्जी जमींदारों के नाम से प्रसिद्ध थे और खैरागढ़, नांदगांव और छुईखदान, खुज्जी जमींदारों के नाम से पुकारे जाते थे। जिन्हें ''सम्बलपुर-गढ़वात'' कहते थे जो के अन्तर्गत सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया और चागभखार रियासतें थी जो छोटा नागपुर के अंतर्गत सरगुजा जमींदारी कहलाती थी।[7]

अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत छ.ग. की देशी रियासतों में बस्तर एक बडा राज्य है। उसकी अरण्य की संस्कृति का अपना एक अलग हो आकर्षण था और आज तक है बस्तर की जनमानस, तब निपट चेतना शून्य था। उसका स्वतंत्रता संग्राम केवल उसकी कुछ भौतिक आवश्यकताओं की हक के लिए हुआ करता था तब अंग्रेजों ने बस्तर को एक शांत और रमणीक स्थान पाकर, उसे अपने योगविलान का अड्डा बना रखा था द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जब संसार युद्ध की प्राणलेवा लपटों में झुलस रहा था तब बस्तर में चतुर्दिक इन्द्रधनुषी-वातावरण विद्यमान था वहां गोरे-काले साहबो की छत्रछाया में सुख शांति का साम्राज्य था। [8]

बस्तर रियासत :- छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में स्थित बस्तर राज्य अपनी सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं भौगालिक विशेषताओं के कारण देश के आकर्षण का केन्द्र है, यह भारत की नहीं प्रत्युत पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आदिवासी अंचल है, यह 17..40 से 20.-10 उत्तरी अंक्षाश एवं 8..-30 से 82.-15 पूर्वी देशांश के बीच स्थित है।

बस्तर का क्षेत्रफल 13062 वर्ग मील था, इसकी सीमा इस प्रकार थी- उत्तर में कांकेर रियासत, और रायपुर जिला, पूर्व में जैपूर (उड़ीसा) दक्षिण में भद्राचलम तालुक और पश्चिम में चांदाजिला तथा निजाम हैदराबाद, बस्तर जिले का संयोजक 1948 में देशी रियासतों का विलयन के पश्चात् कांकेर और बस्तर राज्यों को मिलकर किया गया।[9]

बस्तर अंचल की लोक संस्कृति में प्रकृति और पुरूष सर्वव्याप्त है, शिव और शक्ति के सातजस्य के ही यहां की आदिवासी संस्कृति की पहचान बनती है, आदिवासी संस्कृति प्रकृति जात संस्कृति अनदेखा एवं अनगढ़ सौन्दर्य ,आदिवासी संस्कृति का मेरूदण्ड है।[10] बस्तर की बहुत सी उपेक्षित

* सहायक प्राध्यापक, इतिहास भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, इतिहास शासकीय जे. योगानन्द छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कहीं भी उल्लेखित नही है।[11] बस्तर के आदिवासी की जीवन सभ्यता के अर्तद्वन्द्धों में रागद्धेश जनित समस्याओं में कभी उलझा नही फलत: नही उनके जीवन में आज भी एकांतता और शांति विद्यमान है।

वे आज पक्षियों के साथ उठते है, सिंह शावकों से खेलते हैं। तथा चांद और सूरज के साथ हंसते और गाते है, उनकी हॅसी से वन में बसंत छा जाता है, और उच्छवास से पतझड़, वेदना से अंतरिक्ष में जहर उठता है, और विरह से आसमान में कालीघटा मंडराती है, प्रकृति और उसके बीच कोई व्यवधान नहीं, कोई रूकावट नही, उनमें कृत्रिमता नहीं, वे प्रकृति की भांति अकृत्रिम है, उनके अंदर मानवीय भावों की लहरें अपने अपने अछुते रूप में आती है, और जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल जाती है। अपने को छुपाने की कला उन्होंने अभी तक नहीं सीखी।[12]

कांकेर रियासत :- कांकेर का प्राचीन नाम शिलालेख व तार्मलेख व ताम्रपत्रों कांकेर या कांकरय लिखा है, यदि नाम संस्कृत के काक्स का अपभ्रंस हो तो इसका अर्थ होता है, कौए का शोर वाला स्थान, कांकेर जगली स्थान है, कि पहले समय में यहां स्थान, कांकेर जंगली स्थान है, कि पहले समय में यहां कौओं का बड़ा शोरगुल होता रहा हो।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ की रिसायतों पर प्रभाव :- उन्नीसवी शताब्दी भारतीय इतिहास का पुर्नजागरण का था 1857 के विप्लव में प्रथम बार भारत के देशी रियासतों ने अधिकार एक साथ मिलकार अंग्रेजों की अनीति के विरोध में सघर्ष प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र अर्थात् सोनाखान के जमीदार नारायणसिंह विझवार के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का प्रयास हुआ था।

18 लोगों की फांसी की सजा हुई थी, इस घटना ने जमींदारी एवं खालसा भूभाग की जनता को दुखी कर दिया। कालान्तर में कांग्रेस की स्थापना काल तक कुछ वर्षो तक दबी हुई भय की भावना दूर हुई और लोगों में एक जागरूकता उत्पन्न हुई। परिणामत: कांग्रेस के जन्मकाल में हम यहां बुद्धिजीवियों में नई चेतना जागृति पाते है, जो हमें शताब्दी के अंतिम वर्षो में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। इस अंचल में जमींदारी क्षेत्र पेन्ड्रा रोड से प. माधवराव सप्रे एवं चिचोलकर के प्रयास से एक बौद्धिक जागृति लाने का प्रयास किया।[13] आदिम प्रजातियों के आंतरिक मामलों में जब कोई बरदाश्त के बाहर दखलअंदाजी होती रही, तब तब बस्तर का लोक-मानस भयानक रूप में विचलित उठाता रहा है।[14]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना-भारतीय राष्ट्रीय कॅाग्रेस विश्व की महान राजनैतिक संस्थाओं में से एक है, उसने विश्व के द्वितीय वृहत्त राष्ट्र को स्वराज्य प्राप्त करवाया। गांगोत्री से गंगासागर तक की अपनी यात्रा में गंगा न जाने कितने रूप बदलती है, अपने अस्तित्व की एक शताब्दी में कांग्रेस ने भी अनेक आश्चर्यजनक आकार और स्वरूप धारण किये है। 1885 में कांग्रेस ने भी एक शताब्दी संस्था नहीं थी और न ही इसका लक्ष्य ब्रिटिश राज्य को उखाड़ फेंकना था, कांग्रेस 50 वर्ष पहले पहल कुछ थोड़े से प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बंबई में हुई थी, वैसे तभी से यह भारतीय जनता के लिए स्वराज्य प्राप्ति का प्रयत्न कर रही है, हमेशा शासन के प्रजातंत्री रूप पर जोर दिया जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेदार हो।[15]

कांग्रेस की स्थापना श्री एलन आक्टोवियन हयूम की मदद की गयी। 28 दिसम्बर, 1885 में यह कांग्रेस ग्वालियर टेक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में उमेशचंद बनर्जी को अध्यक्षता में हुई, इसमें पहली बार भारत के सभी भागों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये प्रतिनिधि अधिकांशत मध्यम वर्ग के सदस्य थे इस प्रतिनिधियों में बंबई प्रेसीडेंन्सी के 38, मद्रास प्रेसीडेंन्सी के 3 उत्तर-पश्चिम प्रदेश, एवं अवध के 7 पंजाब के प्रतिनिधि सम्मेलन हुए।[16] भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों की गातिविधियों एवं निर्णयों ने छत्तीसगढ़ की रियासतों जनमानस पर व्यापक प्रभाव डाला, जिसकाा परिणाम हमें 1920 के पश्चात् की घटनाओं में दृष्टिगत होता है।

भारत का राष्ट्रीय आंदोलन देश के कोने-कोने, छोटे-बड़े सभी क्षेत्रों में व्यापकता और विविधता के साथ विभिन्न अर्थो में विकसित होता रहा।17 इन सब के चलते बस्तर के लोकजीवन में भीतर ही भीतर व्यवस्था के खिलाफ असंतोष घर करता जा रहा था आग सुलगती जा रही है और अंत में वनवासी सहिष्णुता जब पराकाष्ट को पार कर गयी।[18]

इस प्रकार अपनी मानसिक सकीर्णता के दायरे से मुक्त होकर अपने देश के लिए कुछ करने का विचार जो समाज सुधारकों ने दिया जिसने परिणम स्वरूप सांस्कृतिक पुनरुद्धार के अर्न्तगत इसाई मिशनारियों की गतिविधियों एवं निर्धन शोषित एवं उपेसित हिन्दूओं को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिये कुछ संस्थाओं का उदय हुआ।[19]

बस्तर रियासत में जन आंदोलन :- बस्तर रियासत में ब्रिटिश प्रशासन के अंग्रेज अधिकारियों के अत्याचार से वनवासी त्रस्त थे। हजारों वर्शो से प्राप्त उनके वन व वनोजप की प्राप्ति अधिकार एक-एक करके छीन लिये गये, उनके जनजीवन में हस्तक्षेप किया गया तथा मूल शासन में आदेश के फलस्वरूप वनवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संगाठित किया, जिस तरह 1857 में रोटी और कमल द्धारा हिन्दू के हर गांव और हर जनपद में बगावत की भावना का प्रचार किया गया था, वही अदृश्य क्रांति इस बेहद पिछड़े इलाके में भी अचानक जाग उठी।

जलियावाला बाग हत्याकाण्ड के 10 वर्ष पहले जगदलपुर की घाटी पर जलियाबांग से भी क्रूर, निर्मम, अमानवीय हत्याकांण्ड हुआ। आधी रात के अंधेरे में निर्धन आदिवासियों को गोलियो से भून दिया गया, जब गोलियां खत्म हो गई तो सिपाहियो को उनके गले में रस्सी बांधकर जगदलपुर के सदर बाजार में लटका दिया। गया न मुकदमा, न कोर्ट मार्शल, केवल कर्नल गेयर की मौखिक आदेश ही हुकुमनामा था। तीसरे दिन लाशों को पेड़ से उतारकर जानवरों के सामने फेंक दिया गया। लगभग साठ हजार व्यक्तियों को आजादी के लिए बस्तर में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा।

अंग्रेजी शासकाल में अंग्रेजो ने वनवासियों को सताया था, जिसके कारण उन्होंने क्रांति की।[20] बस्तर के अधिकांश वनवासी मदिरा प्रिय है, किसी भी स्थिति में उसका वियोग उन्हें असहनीय है, किन्तु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के अन्तर्गत मद्य निशेध आंदोलन से वे अछूते नही रहे।21 राष्ट्रप्रेम, महात्मा गांधी के विचारो से प्रभावित होकर वनवासियों के कंठ से जो स्वर निकले, वे देश सेवा व एकता की भावना से ओत प्रोत है।

महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की ध्वनि तथा उसके कारण उत्पन्न संघर्षो से बस्तर भी प्रभावित हुआ है, जब सन् 1921 का आंनदोलन प्रारम्भ हुआ तब बस्तर के पढ़े-लिखे लोगों ने सरकारी नौकरियों में होने पर भी एकान्त स्थानों में जाकर कांग्रेस का झण्डा गाड़ा और वन्दे मातरम गीत गाये। शासन ने इन्हें पुन: प्रताड़ित किया, ऐसे व्यक्तियों में प्रमुख श्रीमन्नालाल तिवारी, श्री पूरनसिहं, श्रीकृष्ण दुबे आदि थे। सन् 1945 में सर्वप्रथम यहां ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में बस्तर स्टेट पीपुल्स कॉग्रेस का गठन हुआ।

ठाकुर प्यारेलालसिंह अध्यक्ष तथा जयनारायण पाण्डे सचिव नियुक्त हुए इस समिति में सर्वश्री विनायक सखाराम दाडेकर, श्यामनारायण काश्मीरी

और भजनलाल बांगड़ी, जो सामजवीद विचार धाराओं के पोषक थे सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ का इतिहास इस बात का साक्षी है, कि गरीबों पर होने वाले अत्याचार शोषण के विरोध में यहां के लोगो ने खून भी बहाया है, यातनाएं भी सही है, गोली सीने में खाकर सहादत भी पाई है, शिवनाथ, हसदों महानदी एवं इन्द्रवती नदी एवं घाटी तथा छत्तीसगढ़ की माटी उन्हें श्रद्धा समुन अर्पित कर प्रेरणा सदैव देती रहेगी।[22]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. पाण्डेय – ए शिराज, छत्तीसगढ़, दक्षिण कोशल के कल्चूरी, सन 2000, प्रकाशीय
2. डॉ. पाण्डेय– ए शिराज, छत्तीसगढ़, दक्षिण कोशल के कल्चूरी, सन 2000, प्रकाशीय भूमिका पृष्ठ.-1
3. निर्मलकांत श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ की रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास सन–2009 प्रकाशीय पृष्ठ–1
4. निर्मलकांत श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ की रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास सन–2009 प्रकाशीय पृष्ठ–1
5. गुप्त प्यारेलाल – प्राचीन छत्तीसगढ पृष्ठ 226 सन् 1973
6. श्रीवास्तव निर्मलकांत – छत्तीसगढ की रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन का इति. पृष्ठ 29 सन् 2009
7. श्रीवास्तव निर्मलकांत – छत्तीसगढ की रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन का इति. पृष्ठ 31 सन् 2009
8. लाला जगदलपुरी – बस्तर इतिहास एवं संस्कृति पृष्ठ 22, सन् 2007
9. श्रीवास्तव निर्मलकांत – छत्तीसगढ की रियासतो में स्वतंत्रता आंदोलन का इति. पृष्ठ 32 सन् 2009
10. लाला जगदलपुरी – बस्तर लोककला संस्कृति पृष्ठ 57 सन् 2011
11. तिवारी शंकर – बस्तर एक परिचय पृष्ठ 281 सन् 1998
12. श्रीवास्तव निर्मलाकान्त – छ.ग. की रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास– पृष्ठ 36 सनृ 2009
13. श्रीवास्तव निर्मलाकान्त – छ.ग. की रियासतो में स्वतंत्रता का इतिहास पृष्ठ 62 सन् 2009
14. लाला जगदलपुरी – बस्तर इतिहास एवं संस्कृति , पृष्ठ 18 सन् 2007
15. श्रीवास्तव निर्मलकान्त – छ.ग. की रियासतो में स्वतंत्रता का इतिहास पृष्ठ 62 सन् 2009
16. श्रीवास्तव निर्मलकान्त – छ.ग. की रियासतों में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास पृष्ठ 67 सन् 2009
17. उपरोक्त
18. लाला जगदलपुरी – बस्तर इतिहास एवं संस्कृति पृष्ठ 27 सन् 2007
19. वल्यानी जे. आर. – छत्तीसगढ का राजनितिक एवं संस्कृतिक साहसी व्ही. डी. इतिहास पृष्ठ 138 सन् 1997
20. श्रीवास्तव निर्मलाकांत – छ. ग. की रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पृष्ठ 98 सन् 2007
21. शुक्ल हीरालाल – छ.ग. के वनवासी गीतों में गांधी जी पृष्ठ 49
22. श्रीवास्तव निर्मलकान्त – छ.ग. की रियासतों में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास पृष्ठ 99 सन् 2009

****

प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बुन्देलखण्ड के झांसी अंचल की भूमिका

डॉ. विजय कुमार त्रिपाठी *

बुन्देलखण्ड क्षेत्र का झांसी अंचल भारत की शस्य श्यामला, सतत वत्सला एवं पूज्यभूमि का हृदय स्थल है। इसका गौरवमय और गरिमा मण्डित इतिहास भारतीय इतिहास के साथ आदिकाल से जुडा हुआ है।

इतिहास के हर युग में इस प्रदेश में अपने अमूल्य एवं वीरोचित योगदान के द्वारा हमारी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाया है। भारतीय उपमहाद्वीप के हृदय स्थल में स्थित यह प्रदेश भारतीय इतिहास की घटनाओं से कभी भी दूर नहीं रहा है।

प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कई नामों से सम्बोधित किया जाता था। इनमें ''जंजामुक्ति'', ''जंजावमुक्ति'' एवं ''जैवकमुक्ति'' प्रमुख है। कालांतर में यह ''जझांति'' के नाम से विख्यात हुआ। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैनसांग के यात्रा- विवरण से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश की राजधानी ''सुदूर'', ''खजुराहा'' या खजुरवाहर थी। कनिंघम के अनुसार यह बुन्देल खण्ड जनपद का ही प्रदेश था। किन्तु थामस वाटसं इस मत के समर्थक नहीं हैं।

इस क्षेत्र का बुन्देलखण्ड नाम बुन्देला राजपूतों के नाम पर पड़ा, जो कि इस भूभाग में चौदहवीं शताब्दी में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में विख्यात थे। चन्देल शासकों के राजस्व काल में यह प्रदेश ''जैजामुक्ति'' के नाम से ही माना जाता था। इनके एक अभिलेख के अनुसार ''जैजामुक्ति'' नाम इस वंश के एक राजा जय शक्ति के नाम पर पड़ा है, जिसका जैजका और जैजा के नाम से भी उल्लेख मिलता है। महोबा अभिलेख के अनुसार- ''जिस प्रकार पौराणिक राजा प्रभु के नाम पर यह वसुधा पृथ्वी कहलायी, उसी प्रकार राजा जैजा के नाम पर यह प्रदेश जैजामुक्ति कहलाया।''

बुंदेलखंड के गौरवपूर्ण इतिहास ने इस तथ्य को पूर्णत: प्रमाणित कर दिया है कि यहां के निवासियों ने अपनी स्वतंत्रता को अपने प्राणों से अधिक मूल्यवान समझा है। साधनों के अभाव में भले ही उन्हें एक संगठित शक्ति के आगे हार माननी पड़ी हो, पर अवसर पाते ही इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विदेशी आक्र ांताओं को समर भूमि में ललकारा है। सन् 1842 के बुंदेला विद्रोह का अंग्रेज पूरी तरह लेखा-जोखा भी न लगा पाये थे कि सन् 1857 के राष्ट्रव्यापी संग्राम में बुंदेलखण्ड पूरी शक्ति से कूद पड़ा और यह प्रमाणित कर दिया कि बुंदेलखंड की राष्ट्र प्रेम की भावना अंग्रेजो के क्रूर दमन से विचलित नहीं हुई है।

सन् 1842 के विद्रोह में स्वतंत्रता प्रेमी बुंदेलखंडवासी अपनी विवशता वश दब अवश्य गये थे किन्तु उनके अन्त:स्थल ने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की थी। यही कारण था कि लगभग 12 वर्ष पश्चात् जब भारत में अंग्रेज विरोधी आग भडकी तो बुंदेलखंड में पुन: विस्फोट हो उठा।

सन् 1857 का स्वाधीनता संग्राम भारतीय इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखता है। विदेशियों को भारत से खदेडने में भारतीय वीरों ने जिस अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। आधुनिक भारत का प्रारम्भ सन् 1857 में ही होता है। ये भारतवासी जो अब तक नींद में साये हुए थे, एकदम से जागकर रणचण्डी के भैरवनाद में सम्मिलित हो गये। फ्रांस की महान क्रांति में जो ऐतिहासिक भूमिका पेरिस ने निभाई यह कहना अन्योचित न होगी कि वही भूमिका सन् 1857 के विद्रोह में बुंदेलखंड के झांसी क्षेत्र ने निभाई। झांसी ने इस विद्रोह को निर्णायक रूप से प्रभावित किया था। पेरिस की तरह ही देश की स्वतंत्रता प्रेमी जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं को झांसी किले की मजबूत दीवारों में अपूर्व आत्म विश्वास व दृढ़ता प्रदान की थी जिसमें भारतीय, विश्व की महानतम साम्राज्यवादी शक्ति से कमर कस कर लोहा लेने को तत्पर हो गये। झांसी उस समय जनता के दिलों की प्रेरणा व क्रांति का हृदय स्थल बन गयी थी।

सन् 1854 में झांसी लार्ड डलहौजी की विस्तारवादी लौलुपता का ग्रास बन चुका था दिवंगत राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को झांसी के राज्य से बेदखल कर दिया गया तथा कैप्टेन स्कीम के अधीन झांसी ''सुप्रिन्टेंडेंसी'' का गठन किया गया जिसमें जालौन और चंदेरी जिले भी सम्मिलित थे।

राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने उसके विरुद्ध अनेक प्रतिवेदन किए पर उनका वही परिणाम हुआ जो दीवाल पर सर मारने का होता है। रानी को पाँच हजार रुपये मासिक की पेंशन बांधी गयी जिसमें से उसे दिवंगत गंगाधर राव की समस्त उधारी एवं बकाया भी चुकाने को बाध्य किया गया। सन् 1854 के पूर्व झांसी में गौ वध पर प्रतिबंध था जिसे स्कीन ने समाप्त कर दिया रानी ने तथा झांसी के अनेक संभ्रांत नागरिकों एवं सामंतों ने इसके विरुद्ध सरकार के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका परिणाम उलटा ही निकला। सरकार ने खुले रूप से गौ वध की अनुमति दे दी। इस कार्यवाही का उद्देश्य संभवत: मुसलमानों को रानी से विमुख कर अंग्रेजों की ओर आकर्षित करना था। इसके अतिरिक्त एक और मामले में नागरिकों में काफी असंतोष पैदा कर दिया।

झांसी की पूर्वी बाहरी दीवार के पास एक प्राचीन लक्ष्मी मंदिर था जिसकी देखभाल के लिए गंगाधर राव ने दो गांवों की जागीर इस मंदिर को लगा दी थी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टेन गार्डन ने इस व्यवस्था को जारी रखने का सुझाव दिया जिसे सरकार ने ना मंजूर कर दिया।1 इन परिस्थितियों में यदि यह कहा जाये कि अंग्रेजों और रानी के बीच सम्बन्ध मधुर थे तो यह कहना अनुचित ही होगा। रानी प्रतिशोध के लिए पूर्णत: तैयार थी वह अनेक मराठा महिलाओं की तरह समस्त वीरोचित गुणों से परिपूर्ण थी जिसका प्रमाण अगले कुछ माह की घटनाओं में पूर्ण रूप दे दिया।

झांसी में स्थित कंपनी की सेना के सभी सिपाही भारतीय थे। इनमें तोपखाने की एक टुकड़ी, बारहवीं बंगाल पैदल सेना का एक भाग तथा चौदहवीं ''इरैगुलर'' (अनियमित) सैनिक टुकड़ी का एक भाग शामिल था। मई के माह में झांसी में भी देश के अन्य भागों की तरह कुछ अफवाहें फैली हुई थीं कि सरकार ने बाजार में बिकने वाले आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया है, कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है तथा बंगाल में सिपाहियों की दो रेजिमेन्टों को तोप के मुँह से बांधकर उड़ा दिया गया है आदि। इसी समय कैप्टिन गोर्डन की यह सूचना मिली कि रानी का एक विश्वास पात्र सैनिक भोलानाथ कंपनी की सेना के भारतीय अफसरों से काफी संपर्क बड़ा रहा है और शीघ्र ही कुछ ऐसा होने वाला है जो अंग्रेजी साम्राज्य के हित में नहीं है।

* प्राध्यापक/अध्यक्ष-इतिहास विभाग, शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

गोर्डन ने उस सूचना पर विशेष ध्यान नहीं दिया तथा जब सिपाहियों ने बिना किसी आपत्ति के चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग करना शुरु कर दिया तो वह और भी निश्चिंत हो गया। परन्तु झांसी के मुख्य लिपिक स्काट में अनेक बार अपने अफसरों को सचेत किया कि शीघ्र ही विप्लव होने जा रहा है तथा रानी और कंपनी के सिपाहियों में सम्पर्क बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसकी सलाह पर अंग्रेज अधिकारियों ने गम्भीरता से ध्यान न दिया।

अमान खान के बयान के अनुसार झांसी का विद्रोह 50 सिपाहियों की खुली बगावत से शुरू हुआ था और उन्होंने बाकी सब सिपाहियों को धमका कर अपने साथ मिला लिया। मैजर डनलप पर परेड मैदान में गोली चलाई गई तथा उसके बंगले तक उसका पीछा किया गया जहां सिपाहियों ने उसे मार कर दफना दिया तथा कैप्टिन टेलर को सिपाहियों में ''क्वाटर गार्ड'' में मार दिया था। सिपाही भरी बंदूकों के साथ रानी के महल में गए तथा उन्होंने गोला-बारुद एवं रसद की मांग की जिसे रानी को मजबूर होकर मानना पड़ा। हावनी के बंगलों को नागरिकों ने जला दिया था। एक अन्य सिपाही के ध्यान के अनुसार उसने झोकन बाग में अस्सी से अधिक अंग्रेजों के शव वैसे थे जिनमें महिलायें तथा बच्चे भी शामिल थे। उसके अनुसार उसे किसी ने भी नहीं बताया था कि अंग्रेजों को रानी के आदेशानुसार मारा गया था।

झांसी के सैनिकों ने दिल्ली की ओर ग्यारह जून को प्रस्थान कर दिया था और वे तेरह जून को झांसी से साठ किलोमीटर उत्तर-पूर्व में मेरठ पहुंच गए। यहां पर उन्होंने खजाने को लूट लिया तथा नियाज अली (डिप्टी कलेक्टर) को बन्दी बना लिया। 15 तारीख को जब विद्रोहियों का अग्रिम दस्ता पहुंचा तो वहां के दो डिप्टी कलेक्टर पासान्ह तथा ग्रिफिथ वहां से भाग निकले और जालौन पहुंच गए।

उधर झांसी में रानी ने अपनी सेना का गठन प्रारंभ कर दिया। विद्रोहियों द्वारा छोड़ी गई बंदूकें तथा वर्दियां एकत्रित की गई तथा उन्हें नए भर्ती किए गए सैनिकों में बांट दिया गया। नगर से सौ सैनिक भर्ती किए तथा अस्सी सिंधिया की सेना के सैनिक, पांच सौ विद्रोही घड़सवार तथा पांच सौ बुंदेला घुड़सवार समेत सेना की कुल संख्या तीस हजार हो गयी थी। इनमें पाँच या छ: रिसालदार भी थे।

बुंदेलखण्ड में विद्रोह के प्रारंभिक दिनों की सर्वाधिक चर्चित घटना झोकन बाग में किया गया हत्याकाण्ड था। इसका एक प्रत्यक्षदर्शी शेख हिंगन हबवरदार था। इसके अनुसार गोर्डन के मरने के बाद तथा सिपाहियों से आश्वासन प्राप्त करने के बाद योमीय गणेश दरवाजे से बाहर निकल कर आए। पुरुषों को बांध दिया गया तथा महिलाएं उनके साथ रहीं तथा बच्चे उनकी गोद में थे। नौकरों को भी यूरोपियों के पीछे-पीछे ले जाया गया। जब ये सब झांकन बाग में पहुंचे तो विद्रोही सिपाहियों (कम्पनी के सिपाही) ने तथा रानी के सिपाहियों ने पहले सबके हाथ कसकर बांधें ओर फिर तलवारों तथा भालों से सबका वध कर दिया। सर्वप्रथम स्कीन को ब्रश अली ने स्वयं अपने हाथों से मारा। चौबीस घण्टों के बाद रानी के सिपाहियों ने शवों को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। उसके अनुसार रानी ने एक लड़के को गोद ले लिया था और उसको झांसी की राजगद्दी पर मिलाकर शासन अपने हाथों में से लिया था।

रानी ने 12 जून को सागर के कमिश्नर मेजर इरस्किन को एक खत लिखा। इसमें रानी ने कंपनी के सैनिकों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने क्रूरतापूर्ण हिंसा का प्रदर्शन करते हुए यूरोपियों की हत्या की। उन्होंने यह अफसोस प्रकट किया कि सैनिकों तथा हथियारों की कमी के कारण यह अंग्रेजों की कोई मदद नहीं कर सकीं। सिपाहियों ने उनके साथ भी काफी बुरा व्यवहार किया तथा उनकी सम्पत्ति लूट ली।

इन खरीतों के उत्तर में मेजर इरस्किन ने 2 जुलाई को रानी को एक खरीता लिखा जिसमें उसने यह आशा प्रकट की कि शीघ्र ही वे झांसी में अंग्रेज सैनिक कुमुक भेजकर शांति तथा कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक के लिए मेजर ने रानी से यह अनुरोध किया कि ये अंग्रेज सरकार की तरु से झांसी राज्य का शासन चलाएं तथा राजस्व एकत्रित करें, पुलिस के दस्ते खड़े करें तथा शासन चलाने की अन्य राजस्व एकत्रित करें, पुलिस के दस्ते खड़े करें तथा शासन चलाने की अन्य व्यवस्थाएं करें। इस पत्र के साथ ही हिन्दी और पारसी में एक घोषणा भेजी गई जिसमें अंग्रेज सरकार की ओर से रानी को झांसी की शासका घोषित किया गया।

मेजर इरस्किन ने जब ये घोषणा तथा रानी के खरीते भारत सरकार को भेजे तो जी.एफ. एडमन्सटन, (भारत सरकार का सचिव) ने फोर्ट विलियम से 23 जुलाई को मेजर इरस्किन को लिखा कि ''.... रानी के सम्बन्ध में मुझे'' यह लिखने को कहा गया है कि गवर्नर जनरल एवं कौंसिल आपको तत्कालीन परिस्थितियों में रानी के वर्णन को सच मानने तथा उसके हाथ में झांसी के शासन को सौंपने का दोषी नहीं मानते हैं। परन्तु यदि यह बातें झूठी साबित होती हैं तो रानी द्वारा उल्लेखित परिस्थितियां उसे बचा नहीं सकेंगी।'' मेजर इलिस के द्वारा प्रेषित वर्णन के आधार पर ऐसा लगता है कि रानी ने विद्रोहियों तथा विप्लवीयों को सहायता दी तथा उन्हें बन्दूकें और सैनिक दिए।

लगभग सात माह तक सागर विद्रोहियों के आधिपत्य में रहा और अंग्रेज अधिकारी अपने परिवार सहित किले में शरण लिये हुए थे। रसद की कमी और अत्यधिक भीड़-भाड़ के कारण वे व्याकुल हो गये। अस्वास्थ्यकर वातावरण और दमघोंट भीड़ के कारण किले में कालरा, महामारी और डायरिया अति तीव्रता से फैल गया जिससे अनेक अंग्रेज एवं भारतीय काल कलवित हो गये।

इतिहास के अनेक घटना चक्र यह सदा स्मरण दिलाया करते हैं कि इतिहास में ''पर'', ''परन्तु'', ''किन्तु'', ''लेकिन'' बड़े महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। जहां एक ओर विद्रोही अपनी जड़े मजबूत कर चुके हैं वहां अनेक भारतीय अंग्रेजों का साथ देने लग गये थे। परिणामवश हुआ कि अनेक भागों में विद्रोह था तो दब गया था उसमें फूट के कारण वीरों का मनोबल और अन्तोगत्वा शक्ति का उद्गम ही नष्ट हो गया।

बुंदेलखंड में विद्रोह का मुख्य केन्द्र इस समय भी झांसी ही बना हुआ था। झांसी में युद्ध की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थीं। बुंदेलखंड से भेजी गई एक गुप्त रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस समय झांसी से मऊरानीपुर को नियमित रूप से हथियार, गोला-बारुद तथा सैनिक भेजे जा रहे हैं, जहां पर शीघ्र ही अंग्रेजों से युद्ध की संभावना व्यक्त की जा रही है।[1]

इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सागर और नर्मदा क्षेत्र के कमिश्नर को भेजे गए वकील का नाम गोपाल राय था तथा यह भी बताया गया कि रानी अंग्रेजी सेना का विरोध नहीं करेगी बल्कि अंग्रेज सरकार की प्रभुता स्वीकार करेगी और संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों के हवाले कर देगी। परन्तु यदि अंग्रेजों ने रानी से यथोचित व्यवहार न किया तो वह उनके विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर देगी। 5 जनवरी की एक अन्य रिपोर्ट में यह बताया गया कि ''झांसी में रानी का शासन पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है।

सभी विद्रोहियों को, जो झांसी पहुंच रहे हैं उन्हें रानी का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। झांसी का भूतपूर्व दरोगा ब्रशीश अली, जो कि झांसी के विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार है, पचार सवारों और इतने ही सैनिकों के साथ रानी के संरक्षण में आ गया है। जिन महीदपुर सैनिकों ने रानी का पहले आश्रय लिया था उन्होंने कानपुर में पुरार के सैनिकों की हार की खबर सुनकर झांसी

छोड़ दिया है परन्तु उनका गंतव्य ज्ञात नहीं है। झांसी में अभी भी लगभग चार सौ विद्रोही सैनिक हैं तथा शेष आस-पास के ठाकुरों के आदमी हैं। इस समय मऊरानीपुर में टिहरी (टीकमगढ तथा औरछा) तथा झांसी के सैनिकों के बीच युद्ध चल रहा है। चार दिन पूर्व एक भीषण संघर्ष में रानी को पीछे हटना पड़ा परन्तु टिहरी की ओर से लड़ने वाले राजाबहादुर सोनपत को घायल कर दिया गया है। रानी ने ठाकुर ढोला के नेतृत्व में एक कुमुक मऊरानीपुर भेजी है। हालांकि रानी में कानपुर में विद्रोहियों की हार की खबर सुन ली है परन्तु उससे ये बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। सारे ठाकुर रानी को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही अंग्रेजों का नामोनिशान भारत से मिट जाएगा।''

''एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि कानपुर में हारने के बाद विद्रोही सैनिक कालपी में एकत्रित हो रहे हैं ओर तात्या-टोपे उनके साथ हैं। नए सैनिकों की भर्ती भी की जा रही है। जालौन का जिला ताई-बाई के हाथ में है और वह पेशवा की ओर से शासन कर रही है। यह समाचार भी प्राप्त हुआ है कि कानपुर के राजा ने कुछ सेना एकत्रित कर ली है और वह इन जिलों को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है। कानपुर की ओर जाने वाली सड़क के निकट के घाट पर विद्रोहियों का अधिकार है, साथ ही हमीरपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर भी तोपें लगाई जा रही हैं।''

जनवरी के माह में रानी टिहरी रियासत के साथ चल रहे युद्ध में उलझी हुई थी। उसे कई बार मऊरानीपुर में झांसी से अतिरिक्त सैनिक कुमुक भेजनी पड़ी। इस स्थिति का लाभ पवारों ने उठाया और ये गिद्ध की तरह निरीह किसानों पर झपट पडे और उनको लूटने लगे।

दतिया से भेजी गई एक गुप्त रिपोर्ट (4 फरवरी, 1858) में यह बताया गया कि रानी की उस समय तक अंग्रेजों से युद्ध करने की कोई भी योजना नहीं थी और इसीलिए उसने भेजा दीवान को सागर के कमिश्नर के पास भेजा था, परन्तु कुछ ठाकुर और पंडित उसे इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे, कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लें। उस समय झांसी में बारुद बहुत तेजी से बनाया जा रहा था। इस रिपोर्ट में यह भी विचार व्यक्त किया गया था कि रानी की इच्छा अभी हवा का रुख देखने की है और वह शाहगढ़ तथा बानपुर की लड़ाइयों के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है। उस समय रानी के पास लगभग 1000 सैनिक थे तथा मुरार के सैनिक दस्ते के 10 तोपचीयों को उसने अपनी सेना में भर्ती कर लिया था।

17 जून को अंग्रेज सेना की एक और टुकडी ग्वालियर की ओर बढ़ी। इसका नेतृत्व ब्रिगेडियर स्मिथ कर रहा था। उसके अधीन ''आठवीं हुसार'' की एक टुकडी थी जिसका नेतृत्व कैप्टे हेनगी कर रहा था। यह टुकडी फूल बाग के पास से गुजरी जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ सवारों के साथ मोर्चा बांधे हुए थी। यहां पर एक माले के पास रानी अंग्रेजों पर टूट पड़ी किन्तु अंग्रेजों के प्रत्याक्रमण से घबरा कर उसके अधिकांश सवार भाग गए और वह मात्र पन्द्रह-बीस सवारों के साथ मोर्चा सम्हाले रही। अनेकों अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद उसे एक गोली बगल में आकर लगी किन्तु फिर भी उसने युद्ध जारी रखा। इस समय रानी लगभग पचास अंग्रेज सैनिकों से घिरी हुई थी, कुछ देर बाद उसके सिर पर भाले से एक घातक वार किया गया। रानी को समझ में आ गया कि उसका अंत निकट है फिर भी उसने यह निश्चय किया कि वह मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों के हाथों अपना शव नहीं लगने देगी, अत: उसने अपने घाड़े को पीछे मोड़ दिया। इस दौरान रानी की एक सेविका पर भी घातक हमला हुआ। कुछ दूर जाने के बाद रानी घोड़े से गिर पड़ी और उसने वीरगति प्राप्त की। रानी के कुछ साथियों ने पास के एक बाग में उनकी चिता बनाई और अंतिम संस्कार किया।

जनरल ह्यू रोज और स्मिथ की सेनाएं कोटी-की सराय में एकत्रित हुई और 19 जून की सुबह ग्वालियर पर धावा बोल दिया गया विद्रोहियों ने अनेक स्थानों पर डट कर अंग्रेज सेना का मुकाबला किया तथा कुछ पहाडी स्थानों से उन पर भीषण गोलाबारी भी की, पर इसका कुछ विशेष परिणाम नहीं निकला, दोपहर तक ह्यू रोज ने पहाड़ियों पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली और शाम के चार बजे तक विद्रोहियों को उन सभी स्थानों से खदेड दिया, जहाँ से वह गोलाबारी कर रहे थे। इस तरह शाम होने तक अंग्रेजी सेना का लश्कर एवं फूलबाग पर कब्जा हो गया।

रानी ने जिस वीरता से अंग्रेजों का सामना किया उसके बारे में अनेकानेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं पर जितना भी लिखा जाए वह कम ही होगा। एक सीमा तक ही शब्दों से किसी घटना या तथ्य की व्याख्या की जा सकती है उसके बाद की व्याख्या शब्दों के परे हो जाती है। यहां पर रानी की प्रशंसा का प्रयास उसकी अपूर्णता के कारण नहीं किया जा रहा है। जैसे ही रानी की वीरगति का समाचार फैला, विद्रोहियों का मनोबल बुरी तरह टूट गया और युद्ध का परिणाम सबको समझ में आ गया। रानी बुंदेलखण्ड के संग्राम की प्राण थी और जैसे ही प्राणों में शरीर को छोड़ा वह अस्तित्वहीन हो गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. थामस वाटर्स : युवानच्वांग ट्रैबल्स, पृ. 249-50.
2. कनिंघम : एन्सियंट वायोग्राफी आफ इण्डिया, पृ. 68.
3. एपी ग्राफिं या इण्डिका-याग, पृ-221
4. एनिसयंट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ.442
5. लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया, पृ 86.
6. इंडियन एन्टीक्वरी, पृ 131
7. फौरेन पॉलिटिकल प्रोसिडिंग्स 30 दिसम्बर 1859. नं.265 नेशनल आर्काइव्ज.नई दिल्ली.
8. व्यास, डॉ हंसा : मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम (1857 से 1947) 2007 पृ.5.
9. मिश्र, द्वारका प्रसाद : मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पृ.83.
10. चौधरी, एस.बी. : सिविल रिबेलियन इन इण्डियन म्यूटनोज 1857-59. पृ.223.
11. सक्सेना, सुधीर :-मध्यप्रदेश में आजादी की लड़ाई और आदिवासी 1999. पृ.98.
12. श्रीवास्तव, पी.एन. : पूर्वोक्त, पृ.12.
13. अर्सकाइन :- नेरेटिव ऑफ ईवेन्टस दि आउट बेक ऑफ डिस्टरवेन्सेज एण्ड दि रेस्टोरेशन ऑफ अथारिटों इन द सागर एण्ड नर्वदा टेरिटरीज इन 1857-58 पृ.44.

****

पातालकोट का भारिया समाज एवं उनका सामाजिक संगठन

श्रीमती कंचन ठाकुर * डॉ. इन्दिरा बर्मन **

परिचय:- प्रकृति की समस्त रचनाओं का रहस्य संगठन ही है। कोई भी वस्तु इसलिये संरचित है क्योंकि उस वस्तु को बनाते वाली ईकाइयों में संगठन पाया जाता है। संगठन केवल वस्तुओं में ही नहीं बल्कि मानव समाज का निर्माण भी संगठन की ही वजह से है। इसी प्रकार जनजाती समाज या सरल समाज में किसी व्यक्ति का समाज में स्थान उसके अधिकार और कर्त्तव्य, सम्पत्ति पर अधिकार प्राय: दूसरे सदस्यों के साथ उसके जन्मजात सम्बंधों पर निर्भर होता है। भारिया जनजाति की सामाजिक संरचना की ईकाई व्यक्ति है। यहाँ पुरुष प्रधान सत्ता है। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक विशिष्ट पहचान है। परन्तु औद्यौगिकरण व नगरीयकरण के कारण आज भारतीय परिवार बिखर रहे हैं जिसका मूल कारण व्यक्तिवादीता एवं सम्पत्ति संबंधी विवाद है परन्तु पातालकोट में निवासरत भारिया जनजाति में हमें ये दोनों तत्व नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ परिवार का विघटित होना एक भारिया के लिये अपना व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है परन्तु फिर भी एक विघटित परिवार अपने संयुक्त परिवार से जुड़ा रहता है। प्रस्तुत शोध पत्र में पातालकोट के भारिया समाज एवं उनका सामाजिक संगठन संबंधी अध्ययन पर गहन चर्चा प्रस्तुत की गई है।

अध्ययन क्षेत्र :- म.प्र. में छिन्दवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति की निवास स्थली पातालकोट के नाम से पहचानी जाती है। पातालकोट प्रकृति की नैसर्गिकता से परिपूर्ण 1200 से 1500 फुट गहरी घाटियों का एक विस्तृत भू-भाग है। यह एक अद्वितीय विहंगम स्थल है जो छिन्दवाड़ा से उत्तर-पश्चिम में 62 किमी. दूरी तामिया विकासखण्ड से पूर्व-उत्तर की ओर 22 किमी. दूरी बिजौरी हर्रई मार्ग के पार्श्व में उत्तरी अक्षांश 22..24' से 22..26' तथा पूर्वी अक्षांश 70..40' से 70..50 के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 79 वर्ग किमी. है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2694 जिसमें 1271 पुरूष 1423 महिलाएं हैं। पातालकोट में 90 प्रतिशत जनसंख्या भारिया जनजाति की है एवं 10 प्रतिशत जनसंख्या गोंड जनजाति की है।

जनजाति परिचय:- भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा सिवनी मण्डला और सरगुजा जिले हैं। इस अपेक्षाकृत बड़े भाग में फैली जनजाती का एक छोटा सा समूह छिन्दवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान में सदियों से रह रहे हैं। पातालकोट स्थान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ समय रूक गया हो। इस क्षेत्र के निवासी अलग-थलग ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें उनकी अपनी मान्यताएं हैं, संस्कृति और अर्थव्यवस्था है। यहाँ रहने वाले भारिया कोल समूह के हैं जो न जाने कब से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। उन्हें न तो अपनी पुरानी भाषा का ज्ञान है और न ही धर्म का किन्तु यही पुराने आस्ट्रिक वर्ग की भी पहचान है। भारिया कई बार गोंड भी कहे जाते हैं जो भाषा की दृष्टि से तो सही है पर प्रजातीय दृष्टि से नहीं। भारिया शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात नहीं है, परन्तु एक किवदन्ती के अनुसार कुछ लोगों का मत है कि अज्ञातवास में जब कौरवों के गुप्तचर, पाण्डवों को ढूंढ रहे थे तब अर्जुन ने अभिमंत्रित भर्रू घास के शस्त्र देकर इन्हें गुप्तचरों से लड़ने को भेज दिया, इन्होंने विजय प्राप्त की और तब से इनका नाम भारिया पड़ा।

अध्ययन प्रविधियाँ:- प्रस्तुत शोध अध्ययन में ''पातालकोट का भारिया समाज एवं उनका सामाजिक संगठन'' का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया जिसके अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों के संग्रहण के लिये अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूचि प्रविधियों के साथ-साथ संदर्भ ग्रन्थों प्रतिवेदनों शोध आलेखों का अध्ययन किया गया है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य:-

(1) भारिया समाज एवं उनके सामाजिक संगठन का अध्ययन करना।
(2) भारिया जनजाति की समाज में जातिगत स्थिति को जानना।
(3) भारिया जनजाति में गोत्र का अध्ययन करना।
(4) भारिया जनजाति में नातेदारी एवं परिवार के स्वरूप का अध्ययन करना।

भारिया समाज एवं उनके सामाजिक संगठन का विश्लेषण करना:- जनजाति समाज तथाकथित सभ्य समाज से हटकर अपनी अलग पहचान के लिये सदैव कौतुहल का विषय रहा है। यहाँ हम भारिया जनजाति के सामाजिक संगठन की बात करने जा रहे हैं। वैसे तो भारिया जनजाति अपने आप में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में संगठित स्वरूप का परिचायक है जो उनकी सामाजिक संरचना को निर्मित करती है। भारिया जनजाति के समाज एवं सामाजिक संगठन को समझने के लिये उनकी जाति, उपजाति, गोत्र, नातेदारी, परिवार आदि का अध्ययन आवश्यक है जो निम्न प्रकार है।

जाति:- प्राचीन काल से ही भारतीय समाज विभिन्न वर्गों व जातियों में विभक्त है। जनजातियों में भी गोंड, कोल, भील, बैगा आदि विभिन्न जातियां हैं। इनमें से भारिया भी एक आदिवासी जाति है। एक भारिया जाति के व्यक्ति से होने पर भी अपनी ही जाति का व्यक्ति है, यह सोचकर अपनत्व बन्धुत्व की भावना रखते हैं। भारिया भारतीय समाज में अपनी स्थिति ब्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य वर्ग की जातियों से नीचे किन्तु शुद्र वर्ण की जातियों से उच्च मानते हैं। आदिवासियों में वे गोंड जनजाति से कुछ नीचे मानते हैं। परधान व मवासी से ऊंचे मानते हैं।

गोत्र:- पातालकोट में भारिया जनजाति 51 गोत्रों का उल्लेख करती है परन्तु गाँव में 12 गोत्र ही प्रमुखत: पातालकोट में देखे गये हैं जिसमें से कुछ भरदिया, खमरिया, पंचलिया, बघोठिया, अंगरिया, बिजालिया, डांडोलिया, चलतिया, रोतिया, ठाकररिया, कन्छोलिया, नहालिया, महानिया, बुड़ानिया, बगदरिया, अमीदिया आदि हैं। गोत्र को भारिया महत्वपूर्ण मानते हैं। और इनकी उत्पत्ति के स्रोत का ये आदर करते हैं। इनमें संगोत्र विवाह प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर दण्ड दिया जाता है। भारिया समाज में गोत्र नियंत्रण का काम करते हैं।

नातेदारी:- भारिया जनजाति में नातेदारी को दो श्रेणियों में बांटा गया है - (1) रक्त सम्बंध एवं (2) विवाह सम्बंध भारिया जनजाति में भी परिहास, परिहार, माध्यमिक संबोधन जैसे व्यवहारों का पालन होता है। नातेदारी व्यवस्था जनजाति में भी विवाह तथा परिवार का निर्धारण, वंशावली, उत्तराधिकार तथा पदाधिकार का निर्धारण व्यक्ति के व्यवहार पर नियन्त्रण, व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा देना आदि का निर्धारण करने में सहायक होती है।

परिवार:- भारिया जनजाति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पिता परिवार का मुखिया होता है। भारिया परिवार भी अन्य परिवारों की तरह प्रजनक उत्पादक और संरक्षक हैं परिवार के सभी सदस्य मिल-जुलकर पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

निष्कर्ष:- प्रस्तुत शोध अध्ययन पातालकोट का भारिया समाज एवं उनका सामाजिक संगठन में पातालकोट में निवास करने वाली एकांतवासी भारिया जनजाति समाज एवं उनके सामाजिक संगठन को प्रस्तुत करने वाले विश्लेषणात्मक तत्वों में जो तथ्य दिखाई दिये हैं उनमें आज की जाति एवं परिवार, नातेदारी, गोत्र नियमों का पालन आज भी किया जाता है, परन्तु वर्तमान में शिक्षा का प्रसार तथा शासकीय सुविधाओं तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रयास ने इनके समाज तथा सामाजिक संगठन को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, जिसमें इनके पारिवारिक स्वरूप तथा जाति के नियमों में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसका कारण इन पर बाह्य संस्कृति एवं अन्य जाति का प्रभाव पड़ रहा है, जो इन्हें परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। ये परिवर्तन आज की नवीन पीढ़ी में देखने को मिल रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. ए.आर.एन. श्रीवास्तव (2012) ''जनजातीय संस्कृति'' म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी
2. डा. ध्रुव कुमार दीक्षित (2010) ''पातालकोट घाटी का भारिया जनजीवन'', म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी
3. डा. सुनील गोयल एवं सुनीता गोयल - ''समाज शास्त्र'' रामप्रसाद एण्ड सन्स
4. पी.एल. कुम्मलवार (2006) छिन्दवाड़ा जिले की भारिया जनजाति का सांस्कृतिक प्रालेख (प्रतिवेदन) आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, म.प्र.

* सहायक प्राध्यापक ** सहायक प्राध्यापक, शासकीय गृह विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में माण्डू

डॉ. शिवप्रसाद बामने *

प्रस्तावना – माण्डवगढ का भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास में मण्डपदुर्ग, माण्डवगढ, अथवा राजधानी शादियाबाद के रूप में विशिष्ट महत्व रहा है। परमार, गोरी, खिलजी, एवं अफगान शासको के काल में मांडव ने अपनी ऐतिहासिक अस्मिता शताब्दियों तक विकीर्ण की।

शैव, शाक्त, वैष्णव एवं जैन मतो में इस क्षेत्र को अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापो, दार्शनिक चेतना एवं निर्माणो द्धारा उर्जा प्रदान की। सत्ताधारियों एवं श्रेष्ठियों में तो माण्डू बूढी माण्डव, नालछा सोनगढ व तारापुर के प्राचीन क्षेत्रो में विशाल एवं दर्शनीय महलों, आवासो धर्म स्थलों एवं स्मारको को निर्माण करने की लगभग होड़ ही लगी रहती थी।

मुगलकाल ने माण्डु का वैभव छीन कर उसे अतीत में धकेल दिया। लेकिन आज भी जहाज महल , हिंडोला महल, अशर्फी महल, गदाशाह – भैसाशाह का महल, जामी मस्जिद , होशंगशाह का मकबरा, नीलकण्ठेश्वर महादेव, जैन मन्दिर , लोहानी गुफा, मलिक मुगीस की मस्जिद, मक्खी महल, बाजबहादुर व रूपमती के महल , नर्मदा कुण्ड एवं विशाल परकोटे द्धारा माण्डू की एतिहासिक , प्रशासकीय , सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय गरिमा में चार चाँद लगाते है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्रतिध्वनि बिन्दु पर्वतीय गुहाएँ विस्तृत तडाग, चम्पा बावडी, नाहर झरोका आदि माण्डू की शोभा में अद्धितीय वृध्दि करते आयें है। ये समस्त तत्व माण्डव को भारत के एतिहासिक एवं पर्यटकीय मानचित्र पर विशेष रेखांकित करते है।

माण्डु का भौगोलिक परिपेक्ष्य:– विध्यांचल पर्वत की अंतिम श्रृंखला में माण्डू के संपूर्ण परिवेश विशेषकर पठारी क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में अद्धितीय है। माण्डू भौगोलिक दृष्टि से पूर्वी देशांतर रेखा से 75 डिग्री – 25 डिग्री और उत्तरी अक्षांश से 22 डिग्री – 15 डिग्री पर विध्यांचल के दक्षिण छोर पर स्थित है।[1]

समुद्री सतह से इसी ऊंचाई 633.7 मी. है एवं दक्षिणी क्षेत्र में निमाड़ से इसकी उँचाई 365 मी. के लगभग मानी जाती है। माण्डु की स्थलाकृति के सूक्ष्म सर्वेक्षण अथवा परीक्षण द्धारा ज्ञात होता है कि किस प्रकार हिन्दु और मुस्लिम शासको ने माण्डू को पूर्ण रूप से अपने युग की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया। आकार में विषम इस पहाडी पर पश्चिम की ओर सोनगढ नाम से प्रसिध्द एक ऊंचा बहिविष्ट उभार है और पूर्व की तरफ पहाड़ी के मध्य भाग को भेदती हुई घाटी की तंग परंतु गहरी खाई है। उत्तर की ओर ऊंचा उठा हुआ मालवा का पठार है। यह पहाडी इस पठार का एक भाग है।

दक्षिण की ओर लगभग 300 मीटर या इससे भी कुछ अधिक नीचे विस्तृत निमाड का मैदान है, जिसके कारण इस तरफ से यह पहाड़ी घुसपैठियों के लियें अगम्य प्राय हो गई है।[2] माण्डू राजधानी होने से आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान, गुजरात एवं दक्कन के आश्रित प्रान्तो को सेना कि लिये पानी, रसद एवं अन्य उपयोगी सामग्री पहुँचाने में मदद मिलती थी।

माण्डू के चारो ओर विंध्य की गगन चूमती चोटियों की रंगत मनमोहक तो है ही इनका सामरिक महत्व भी उतना ही है। माण्डू के उत्तर में चार किलोमीटर की दूरी पर काकड़ा खोह (सन्त रैदास कुण्ड) जहाँ से प्रारंभ होता है, वहाँ से एक गहरी खाई माण्डू के सम्पूर्ण परिवेश को अपने आगोश में समेटे हुए है। माण्डू को अपनी भौगोलिक विशेषता के कारण लगभग 300 वर्षो तक मालवा की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ।[3]

ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में माण्डू:– 6ठी शताब्दी से ही माण्डू उन्नत अवस्था में रहा है किंतु कालन्तर में इसमें काफी उतार चढाव देखे गये है, सत्ता परिवर्तन गतिशील रहा है, जिसके फलस्वरूप पुरातात्विक अवशेषो का प्रादुर्भाव यहा बना रहा।

प्रारंभ में माण्डू जैनियो की तपोभूमि थी, जिला धार में कुक्षी के समीप तलनपुर में पाई गई आदिनाथ की जैन प्रतिमा की पीठिका पर अंकित, विक्रम संवत् 612 (555ई.) के संस्कृत अभिलेख के अनुसार उक्त प्रतिमा मण्डप – दुर्ग में स्थित तारापुर नामक स्थान में बने पार्श्वनाथ के मंदिर में चंद्रसिंह शा[4] नामक किसी सौदागर द्धारा प्रतिष्ठित की गई थी। विख्यात मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता ने एक दंत कथा उध्दत की है, जिसके अनुसार इस दुर्ग का निर्माण खूसरो परवीज के काल (590–628ई.) में किसी आनन्द देव बेस राजपूत ने करवाया था। परंतु अब तक की ऐतिहासिक विभूतियों में यह नाम कहीं नहीं मिलता।

स्मरण रहे कि अब तारापरु, पहाड़ी के शिखर पर दक्षिण –पश्चिम की ओर स्थित एक गांव का नाम है। अबुल–फजल ने अपने समय में प्रचलित एक पूर्णतया काल्पनिक दंतकथा उध्दत की है, जिसके अनुसार इस दुर्ग का नाम मण्डन नामक एक सुनार के नाम पर पड़ा जिसने सोना बनाने वाले पारस पत्थर की खोज की और यह पत्थर सत्तारूढ सुल्तान राजा जयसिंह देव परमार को भेंट कर दिया गया। राजा जयसिंह देव द्धारा बारह वर्षो के अथक परिश्रम के फलस्वरूप माण्डू की सुदृढ अभेद विशाल प्राचीर (दुर्ग) का निर्माण करवाया गया। कहा जाता है कि वह पारस पत्थर महाराज द्धारा नर्मदा किनारे राजपुरोहित को भेंट स्वरूप दिया, जिसे राजपुरोहित ने निरर्थक जान नर्मदा में फेंक दिया।[5]

आज भी नर्मदा किनारे बसे गोताखोरो द्धारा नर्मदा में डुबकी लेते समय जमीन की रेत को अपनी मुठ्ठी में लाते है एवं किनारे लगे लोहे के ब्रेकेट्स पर घिसते है। इस अंधविश्वास में कि शायद पारस उनके हाथ लग जायें। इसी कारणवश इस स्थान को मण्डाना से शनै: शनै माण्डव कहा जाने लगा। यह शब्द कालान्तर में और विकृत हुआ जिसका वर्तमान रूप है ''माण्डू''

संदर्भ ग्रंथ–सूची

1. अरनेस्ट बर्नज , ''धार एण्ड माण्डू'', (बम्बई 1902)
2. पाटिल दे. रा., 'माण्डू' भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नईदिल्ही 1982 पृ.1
3. तिवारी विश्वनाथ, ''माण्डू दर्शन'' नई दिल्ही 2011 पृ. 7
4. विक्रम स्मृति ग्रंथ , पृ. 598
5. पाटिल दे. रा., 'माण्डू' भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नईदिल्ही 1982 पृ.4

****

* अतिथि विद्वान, इतिहास, महाराजा भोज शासकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय धार (म.प्र.) भारत

Resource Regions of Sagar Division Utilization & Distribution Patterns of Resources

Archana Bhargava*

Abstract - The distribution of resources accessibility and exploitation patterns of resources make individuality of regions and regional development. This analysis presents detailed spatial patterns of economic disparities and backwardness along with endowments of natural resources. It is seen that economy of the division depends heavily upon extraction of primary resources; while use of their combinational attributes are very limited. Agriculture is the backbone of the economy; that too almost of subsistence nature and dependent of the beggaries of nature. Usage of the water which is being wasted is yet to be developed. Among other resources the forest resources are very significant as far as present and future economic development is concerned. Though, a few small scale and cottage industries have developed in this part. Natural resources thus, could create a few nuclear progressive economies which present scene of oasis in the backward region. Availability and Utilization of Resources in Sagar Division: An approach towards development

Introduction -

The resource regionalization may help in planning for balanced growth in the region with marked disparity in levels of development. The concept of regionalization for economic utilization of various resources in India is recent. A survey of these efforts is presented by K.V. Sundaram (1980). A critical analysis of regionalization experiments carried out after independence is presented by Pal M.N. and Learmonth A.T.A. (1964). In the evolution of this concept, a transition from physio-economic regionalization is becoming prominent (G. Sadasyuk). Homogeneous natural similarities are used as criteria to identify" physio-economic regions". One of the first work of this nature is of Rao (V.L.S. Prakash Rao, 1949) in which he stressed that regionalization is a dynamic concept which aims at the optimum utilization of the regional resources. In 1964 he and L.S. Bhatt proposed a new framework for resource development in India. The report prepared by Y. Nath (1965) for the planning commission is worth mentioning in this respect. Despite of these attempts on regionalism, the states still are officially used planning regions. Therefore, their resources, potentialities and development trends are being intensively investigated. Among such resource studies, the investigation of Mysore state for planning is geographical attempt, in which method of delineation of synthetic planning regions is defined (Learmonth A.T.A., 1960-62).

The credit of application of the concept and principles of integrated economic regionalization in India is to P. Sengupta. She illustrated their application with reference to northeast region (P. Sengupta, 1962) for economic development of macro-economic regions of India on the basis of Kolovasky's theory of energy production cycles. She and Galina Sadasyuk (1968) prepared a monograph which is devoted to the problems of regionalization in India.

The basic principle of economic planning is an effort to bring about the fullest development of natural resources through production specialization in regions for which they are specially suited. To discover such regions evaluation of resource endowments of natural regions is necessary. Economic regions are carved out of these regions by superimposing administrative map. The hierarchy of economic planning regions unlike that of natural regions begins with delineation of regions at micro level. Size of these micro units would vary according to the size and distribution of natural resources. The concentrated resource occurrence gives rise to single purpose units. While if resources are dispersed and small in size, they give rise to multipurpose units at micro level. Thus, resource regionalization is a prelude to the economic regions.

Methods and technology

The methodology has been adopted for this work as other geographers follows. It is different approach then economists. Hence, the basic nature of geography as science of aerial differentiation and particularly that of resource geography as quantitative regional survey of natural wealth (Shafi, M. 1972) has been kept in mind. The study has been carried out, first is the direct study of resources themselves and second emphasis on commodities produced from them (Joseph Grunwald and Philip Musgrove, 1971-72). Data compiled from different sources and substantiated by extensive field trips are computed into rates and ratios and presented on maps which are the basis of present spatial variations in the importance of particular elements by the differences in the density of shading. For demarcation of regions both concept

* Asst. Prof. Geography, Govt. Autonomous Girls P.G. College of Excellence Sagar (M.P.) INDIA

predominantly area of rabi crops, such as wheat, gram and linseed. Major kharif crops are rice, lintil, kodon kutki. In the Meerhasan basin about 30%-40% crops are irrigated, hence the intensity of cropping is also high. It is about 110%-116%. In Sonar basin facilities of irrigation has not been developed. Only 10%-20% of cropped area is irrigated. Intensity of cropping is low. Several new schemes for creating irrigation potentials have been proposed. A few medium irrigation schemes are working in Meerhasan basin. Consequently proportion of canal irrigation is highest in this area. The entire Sonar Meerhasan basin will be an ideal agricultural region if the irrigation facilities are fully provided. Since most of the land is under plough forest area is small some patches of forests are along the river and contain teak wood.

Population density is high in this region about 120 persons per square kilometer live in this area. Along with the arithmetic density nutritional density is also high. It is an average 240 per square kilometer of cropped area. It is seen that the carrying capacity of this region, about 50-175 persons per sq. km. is not very high. There are three circles in the Meerhasan basin with carrying capacity more than 250 persons per sq. km. of the cropped area.

From the point of view of the attributes of population, such as education the region is poor. Only 15%-20% of total workers are literate in this area. The percentage of literacy varies from place to place. Proximity to middle and higher secondary schools have determinant and direct relation with the proportion of literate persons. In Damoh circle literacy is high as 40%-60% due to urbanization. All educational facilities are available in this town. Besides Damoh, Panna is also having the facility if higher education. Most of the workers derive their livelihood from farming. Proportion of cultivators and labors ranges 70%-90%, therefore the improvement of agricultural resources both in quantity and quality is necessary. For the improvement of agricultural resources development of irrigation is essential. Further transport facilities and educational facilities should be expanded. To give industrial base, agro based industries should be given priorities.

3. Bijawar Panna Forest Region

These hills and ranges attribute the bundelkhand uplands in the south forming conspicuous escarpments. These hills and escarpments start from Saundha near Sindh river and precede towards south east and north east in recent shape. The whole hilly area is covered by forest. Mixed forests are the source of valuable products like gum, tendu leaf, harra, khair and charoli. Extraction of these commodities is the major source of income of local people. Salai trees are also found in small patches of these forests. Auxalic acid can be produced from these trees. But in this area no such plant has been established lately which has been proposed. Salai trees are generally exported to Sagar district for processing. It has been observed during the evaluation of forest resources there is no large scale industry established here. Teak is most important source of forest revenue. Furniture making is developing. In Bijawar tehseel iron smelting is very common and is continuing from ancient time.

The density of population ranges from 100-140 per sq. Km. Out of the total geographical area only 25%-35% is net sown. Among the rabi crops wheat, gram and barley come at first second and third rank. Rice, jawar and khdon kutki are the major kharif crop. Sesame is important oil seed. Irrigation is little developed. Carrying capacity of this region ranges from 130-180 persons per Sq. Km. The part is backward in industrial development. No medium scale industry is located in this region.

The region is away from national highways, however, several unmettaled roads leads to the interior region. Only urban centers are linked with metalled roads. From this point of view Panna, Bijawar and Amanganj are worth mentioning. Most of the facilities are of social services, such as health, education and even commercial facilities are concentrated at towns. The situation has resulted in availability of these services to the people of this area.

4. The Bina Sagar Agro Industrial Region

The Bina and Sagar plateau lie south of the Norhat scrap. The Bina plateau is almost level, which is easily separable from the Sagar plateau. The Sagar plateau to the south east of the hill chain extending from Rahatgarh to Pitoria, on the other hand is an elevated plateau. In south it is separated from the Narmada valley by steep escarpments. Eastern border is not so well defined as the southern is, however, sudden drop in altitude just east of line extending from joining Deori and Garhakota may be taken as its eastern limit. Enclosed by hill-chains from almost all sides, the surface of this plateau is carved out of the Deccan lava. This is the area of black cotton soils, which are usually fertile. Consequently, they are extensively cultivated. About 80% of the total geographical area is cultivated. Intensity of cropping is very low. Intensity is directly related with the irrigation and irrigation is almost negligible. Only 5%-8% of the cropped area is under irrigation.

This is an area of rabi crops. Wheat and gram constitute about 80% of total cropped area. Wheat is first ranking crop. Lentil covering about 5%-10% of cropped area. The Khurai plain is the wheat belt of the region.

of homogeneity and nodality have been followed. The delineation of the resource regions within the Sagar division is based on attributes of resources and their present exploitation patterns. Procedure is almost same followed by Sharma (S.K. Sharma 1975). Land is the basic resource but meager is known about its attributes. Nevertheless, nature of terrain has determinant role in framing the setup of extra territorial factors bearing on resources and it has deep effect on their utilization. Accordingly, the region has been divided into landform regions. From these landform regions, superimposing on maps of resource endowments and use pattern, resource regions have been carved out. In graming of these regions, transport routes, population distribution, especially urban nuclear, crop combinations, agriculture efficiency and possibility of agricultural expansion are specially noted. The division is thus divided into five resource regions plate 1 as follows:-

Resource Regions of Sagar Division

1. The Bhander Agrao-Forest Region
2. The Sonar-Meerhassan Agricultural Region
3. Bijawar-Panna Forest Region
4. The Bina-Sagar Agro-Industrial Region
5. Bundelkhand Agricultural Region with Irrigation

1. The Bhander Agro-Forest Region

The well marked scarp of Bhander range lies in North - eastern Damoh and Southern Panna districts. It is a great monolithic structure of Vindhian sand stones. The table land of Pawai and southern Damoh is bordered by all sides of steep escarpments, it's a boundary in southern parts is very clearly defined.

There are eight circles falling in this resource region which constitutes about 8.8% of geographical area. The region is very sparsely populated due to rugged terrain. The slope is between 4 degree to 6 degree. Northern portion of the scarp is more densely populated then southern. The region is predominantly agro forest region. The hilly terrain is covered with forest. Actually most of the dense forests of the region are located in this part. They cover 40%-60% of the geographical area circles in this part. Despite of this the region cannot develop forestry and forest based industries. The proportion of workers engaged in forestry and forest based industry is negligible. Teak is most common wood in this forest. Mixed forest comes next to the teak forest. Extraction of forest products through Government agencies has increased revenue manifolds. But this revenue could hardly initiate local development. It is because almost all forest products are exported outside of this area unprocessed. Thus, forests give only some employment for manual labor only, while they are supposed to give impetus to the economic development of their source area.

Another resource widely utilized is the agricultural land. In reality it is the only source of livelihood. This region has comparatively higher proportion of agricultural workers then other parts of the region. There are five circles in which 30%-40% of workers are agricultural laborers and 50%-60% are cultivators. Thus more then 9-10th of the workers are directly dependent on agriculture. There is shortage of natural grazing lands. Cultivable waste lands and fellow lands are also very small. Possibility of expansion of agricultural land is low. Most of the arable land is already under cultivation. Rabi and Kharif both crops are equally important in this part. About 60% of area is under Rabi crops and the rest is under Kharif crops. Wheat, rice, lentil, kodon kutki, linseed and gram are main crops. Except linseed there is no crop which is valuable from marketing point of view. Wheat is the first ranking crop in all circles. Rice, gram, linseed and lentil are grown as 2nd, 3rd and 4th ranking crops. The nature of agriculture is subsistence. Intensity of cropping is 110%-120%. Carrying capacity of per square kilometer of food crop land is very low. Level of agricultural development is also low.

Irrigation facilities are yet to develop though the potentialities are high. To promote the irrigation facilities several medium and minor schemes are constructed. The ground water conditions are not much encouraging.

Tran sport and communication is difficult. Generally villages are connected by non metal roads. Frequency of bus services is very limited except on road connecting big towns are passing through this area. There is not a single town; however, large sized villages serve as central places. At these places facilities of hospitals, offices, police station, and higher secondary schools are available. Among them Tendukheda, Zabera, Nohta, Patan, Kalda, Shahnagar are important. It is, therefore, pertinent to increase connectivity in this area, so that people can move themselves and their goods frequently. This region needs special care from the point of view of conservation of biotic resources also.

2. The Sonar Meerhasan Agricultural Region

The Sonar and Meerhasan basin lies between the Bijawar hills and the Vindhian hills. The basin is almost plain and very fertile because of black soil. Net sown area is highest in this area. It ranges from 60%-80% of total area. It is

Possibility of expansion of agricultural land is limited. Here most of the arable land is under plough. Production of food crops can be increased only by raising production, through irrigation. The region comes in second and third order of levels of agricultural development. Carrying capacity ofland is 75 to 125 persons per Sq. Km. while density in the whole area is about 200 persons per Sq. Km. Nutritional density is also high in the area. It ranges from 175-225 persons per Sq. Km. Level of literacy is highest in the region. Sagar is the centre of education, hence the population of Sagar-Bina plateau is usually literate. Literacy rate is above 45% in this part.

Sagar and Bina plateau are comparatively industrialized area of Sagar division. Several small scale industries are flourished in this area. Bidi manufacturing is the largest single industry, employing more than 28000 workers (In 1971 only in Sagar district) now numbers of workers are deteriorated due to manufacturing problems. Several forest based and agro based industries have been functioning in urban centers in this region. Sagar, the headquarters of this revenue division is the largest centre of these industries. Besides this several traditional industries are also located at Sagar. Another big cottage industry, the Aggarbatti making is carried out at Sagar. It is also the seat of the Sagar University. These education and administrative functions of the city have facilitated proliferation of several tertiary and some secondary activities. Consequently, this region comes as the single prominent track of non agricultural activities. Sagar city and Bina town are also nodes of transport routs.

5. The Bundelkhand Aggricultural Region with Irrigation

Located north of the Norhat scarp and Bijawar Panna hills. It is the country of Buldelkhand gneisses and granites. At present, it forms low land area with undulating surface. Mixed red and black soils occur in this part. Soil fertility is low but irrigation facilities provide better agricultural potentiality. On the whole the region is purely agricultural one. About 78% of the people get their livelihood from agriculture. Intensity of cropping is very high. 30%-40% credit for high intensity of cropping goes to irrigation. This part has comparatively better irrigation facility in the region. Nearly about 1/4th in Chattarpur and 1/3rd of the total cropped area in Tikamgarh district is irrigated. It has its impact on crop structure as on rural economy.

Jwar and wheat are major food crops. Wheat is major irrigated crop, rice is also an important crop. Sesame and Barley are second and third ranking crops. Vegetable and condiments are also grown on sizable area. Besides other crops, the region is known for the production of ginger. Based on local production one ginger extraction plant is working in Tikamgarh. Several schemes to improve agriculture with fisheries are already working. Carrying capacity ranges between 100-150 persons per Sq. Km. of cropped area.

The major portion of this region ranks first in level of agriculture development due to irrigation. All measures of agricultural development are directly related with irrigation. The region is also known for the consumption of fertilizers. In Tikamgarh district consumption of fertilizer is 15.26 Kg. which is much higher than the state. From transportation point of view the region is fairly joined by roads. It lacks rail transport facility. However more attention is required to improve transport facility. Chattarpur, Tikamgarh, Khujraho, Maharajpur, Nowgaon and Garhi Malhara are major towns, which serve as central places for local people. Most of health and education facilities of higher order are available at these places. These are also transport nodes. Khajuraho, a historical place, has been developed as tourist centre, which attracts thousands of people not only from other parts of the country but also from abroad.

This town has been connected with airways also. Thus, only this region has the privilege of air transport. If the agriculture with the help of irrigation and agro based industries could be developed it would be a prosperous region.

References :-

- Ackennan, EA (1963) Japan's natural resources and their relation to Japan's economic future, Chicago University of Chicago press.
- Ayyer, NP (1961) The Agricultural geography of the Upper Narmada basin (unpublished Ph.D. Thesis, University of Sagar).
- Burton, Ian and Robert W Kates EDS (1965) Readings in resource management and conservation, Chicago University of Chicago press.
- Dayal, EA (1978) Measuring of cropping intensity. The professional geographers, Volume XXX No. 3 page 289.
- Killer, FL (1953) Resource inventory: A basic step in economic development, Economic geography 1939-40.
- Sundaram KV (1980).
- Sengupta P (1967) The principles and techniques of regional planning. The geographer Volume 12 pp. 29-36.
- Shafi M (1951) 'A plea for land utilization survey'. The Geographer, 4:2
- Sharma, SK (1976) Problems of Rural Economic Development in the Baghelkhand plateau, M.P. Proceedings of All India Symp. On Resource Development and Planning, Madras, Nov 1976.

****

व्यापारिक फसलों का अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव

डॉ. बी.एल. पाटीदार * रमेशचंद्र कन्नौजे **

व्यापारिक फसलों का परिचय – खाद्य फसलों के अतिरिक्त विश्व में अनेक ऐसी फसलों की कृषि की जाती है जिनका सम्बन्ध पेट से न सीधा मुद्रा प्राप्ति से होता है। इन फसलों से कृषकों को नगद मुद्रा प्राप्त होती है। नकदी फसलें अति विशिष्ठ फसलें है, जिन्हें नगद आय के लिए उगाया जाता है। यह फसलें उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में होती है, जिनसे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है तथा उद्योगों का संचालन होता है। इसके साथ ही कुछ फसलें ऐसी होती है जिनका संबंध बाजार से होता है। इन्हें बेचकर बाजार से नकद आय प्राप्त होती है। कपास, सोयाबीन, गन्ना, जुट, मेस्टा, तम्बाकू, मूँगफली, राई, सरसों, सूरजमुखी, अरण्डी, तिल और अलसी आदि प्रमुख फसलें है। व्यापारिक या नकदी फसलों की कृषि के क्षेत्र में एक अनोखी छाप है, क्योंकि इन कृषि फसलों से नगद मुद्रा प्राप्त होती है तथा व्यक्ति अपनी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा कर सकता है। देश के कुल कृषि क्षेत्र के 25 प्रतिशत भाग पर इन्हें उपजाया जाता है। कृषि उत्पादन का 40 प्रतिशत इन्हीं से प्राप्त होता है। व्यापारिक फसलों का मुख्य उद्देश्य ही पैसा कमाना है। अत: इससे व्यक्ति के जीवन-स्तर में सुधार आता है। व्यापारिक फसलों से आय एवं उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जिससे देश के आर्थिक विकास को बल मिलता है। देश के करोड़ो बेरोजगारों को रोजगार भी इनसे मिलता है।

व्यापारिक फसलों के प्रकार–व्यापारिक फसलें वे फसलें है जिनसे नगद मुद्रा प्राप्त होती है। अत: व्यापारिक फसलों में उन सभी कृषि-फसलों को सम्मिलित किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नगद मुद्रादायी होती है। इनसे रेशेदार फसलें, तिलहनी फसलें, औद्योगिक फसलें तथा साग-सब्जियाँ, फल एवं मिर्च-मसाले आदि शामिल किए जाते है।

(1) रेशेदार व्यापारिक फसलें –वे कृषि फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है, रेशेदार व्यापारिक कृषि-फसलें कहलाती है रेशेदार फसलों में कपास मुख्य रेशेदार व्यापारिक फसल है। अन्य रेशेदार फसलों में जुट, पटसन, मेस्टा आदि प्रमुख फसले हैं।

(2) तिलहनी व्यापारिक फसलें –तिलहनी फसलें भी व्यापारिक या मुद्रादायिनी कृषि फसलें है। जिन कृषि फसलों से तेल की प्राप्ति होती है, तिलहनी फसलें कहलाती है। मूँगफली एवं सोयाबीन प्रमुख तिलहनी प्रमुख है। अन्य तिलहनी फसलों में कपास, तिल, राई, सरसों, अलसी एवं सूरजमुखी प्रमुख है।

(3) औद्योगिक व्यापारिक फसलें –कृषि औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार है क्योंकि कुछ ऐसे उद्योग भी है जिनका कृषि से विशेष संबंध है। उनका संचालन कृषि से ही होता है। अत: जिन कृषि फसलों से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, उनके उत्पादन से उद्योग संचालित होते है या जिन पर उद्योग आश्रित होते है, औद्योगिक व्यापारिक फसलें कहलाती है। जैसे – गन्ना, जुट, कपास आदि।

(4) अन्य व्यापारिक फसलें –अन्य व्यापारिक कृषि फसलों में चाय, कहवा, रबर, तम्बाकु, मिर्च-मसाले, फल एवं साग-सब्जियाँ आती है। इन फसलों से भी नगद आय प्राप्त होती है तथा विश्व व्यापार में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व का सुती वस्त्र उद्योग इसी पर आधारित है। भारत में वस्त्र उद्योग को 70 प्रतिशत सुती धागा प्राप्त होता है। सुती वस्त्र उद्योग के आधार एवं सोने जैसे कीमती दाम के कारण ही इसे सफेद-सोना कहा जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है और इससे वनस्पति घी तैयार किया जाता है। कपास के बिनौले पशुओं को खिलाये जाते है। इसकी लकडी ईंधन के रूप में जलाने तथा पत्तियों का खाद बनाने के काम में लाया जाता है। अत: इन अवगणनीय गुणों के कारण ही कपास को विश्व की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल माना जाता है।

1. **अध्ययन क्षेत्र एवं अवधि–**प्रस्तावित शोध पत्र के अध्ययन का क्षेत्र बड़वानी जिले की बड़वानी तहसील है प्रस्तुत शोध जिले मे निर्मित व्यापारिक फसलों के विकास एवं विस्तार के परिणाम स्वरूप प्रमुख फसले गेहुँ, चना, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, मिर्च आदि का प्रभाव ज्ञात करने तक सीमित है।
2. **अध्ययन की ईकाई –**प्रस्तुत अध्ययन में अध्यापक इकाई के रूप जनजातिय कृषक परिवारो को लिया गया है जो कृषि कार्य करते है। समस्त विकास खण्ड के दस गाँव 10-10 परिवारों का अध्ययन किया गया है। ये गाँव जनजातिय बाहुल्य है।
3. **आँकडो का संकलन –**(1)साक्षात्कार अनुसूची (2) निरीक्षण अनुसूची
4. **द्वितीयक आँकडे –** (1) प्रकाशित स्त्रोत (2) अप्रकाशित स्त्रोत
5. **शोध-अध्ययन के उद्देश्य–**
   1. व्यापारिक फसलों का जनजतीयों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावो का अध्ययन करना।
   2. व्यापारिक फसलो के उत्पादन मे नई कृषि तकनीकी प्रयोग का अध्ययन करना।
   3. अनुसूचित जनजातीय द्वारा उत्पादित की जाने वाली व्यापारिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादन वृद्धि का अध्ययन करना।
   6. उपकल्पना/ परिकल्पना –प्रस्तुत अध्ययन मे व्यापारिक फसलों का प्रभाव अनुसूचित जनजातीय के सामाजिक आर्थिक विकास पर हुआ है।

अत: इनकी परिकल्पना यह मानकर की गई है कि अनुसूचित जनजातीय पर व्यापारिक कृषि फसलों को प्रभाव पड़ा है।

तलिका क्र. 1ए व्यापारिक फसलों का वितरण

क्रमांक	फसल का नाम	आवृति	प्रतिशत
1	कपास	48	48.00
2	मूँगफली	09	09.00
3	मक्का	32	32.00
4	मिर्ची	10	10.00
5	अन्य	11	11.00
योग	100	100.00	

* प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं कि यहाँ के उत्तरदाता या किसान कपास को सर्वाधिक पसन्द करते है। कपास 48 प्रतिशत, मूँगफली 09 प्रतिशत, सोयाबीन 10 प्रतिशत, मिर्ची 32 प्रतिशत तथा अन्य 11 प्रतिशत फसलों का पसन्द करते है।अत: इससे यह निष्कर्ष निकलता हैं कि यहाँ की पसन्दीदा व्यापारिक फसल कपास है, दुसरा स्थान मिर्ची का है। गन्ना सबसे कम पसन्द किया जाता है। यहाँ कपास सर्वाधिक 48 प्रतिशत एवं मूँगफली सबसे कम 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं की पसन्द है। व्यापारिक फसलों में कपास, मूँगफली, मिर्ची, सोयाबीन इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें है। कपास में अधिक उत्पादन लागत तथा असमय वर्षा या अन्य वर्षा से उत्पादन प्रभावित होता है तथा कम वर्षा एवं लागत से अच्छी पैदावार देता है, इसलिए कपासके बजाय मिर्ची अब अधिकांश किसान अब मिर्ची की बुवाई अधिक पसन्द करते है। अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण से यह पाया गया कि अधिकांश किसान मिर्ची को प्राथमिकता देते है। सर्वाधिक बुवाई मिर्ची की या फिर मिर्ची एवं कपास की करते है। ऐसा क्यों करते है ? इस प्रश्न के करने पर उनका कहना हैं कि कपास और मिर्ची दोनों नगदी फसलें हैं। लेकिन मिर्ची कम लागत एवं कम या अधिक वर्षा दोनों में अच्छी पैदावार देता है, जबकि कपास में अधिक लागत आती है। अधिक वर्षा या कम वर्षा का भी कपास पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

वर्तमान समय में यह देखा गया हैं कि कुछ व्यापारिक फसलों के क्षेत्रफल में कमी आई तथा कुछ में वृद्धि हुई लेकिन औसत देखा जाए तो इनके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। अधिकांश किसान खाद्य फसलों की कम बुवाई करते तथा व्यापारिक फसलों को अधिक महत्व देने लगे। इस प्रकार इस क्षेत्र में व्यापारिक फसलों के क्षेत्र में प्रसार एवं फैलाव का नजरा दृष्टिपात होता है। (देखिए तालिका क्रमांक 2) तालिका क्रं. 2 से ज्ञात होता है कि यहाँ आधुनिक तकनीकी का उपयोग जिन किसानों द्वारा किया जाता है उनमें रासायनिक उर्वरक 61.64 प्रतिशत, उन्नत बीज 21.18 प्रतिशत, रासायनिक दवाईयाँ 27.57 प्रतिशत तथा ट्रेक्टर व अन्य उपकरण 12 प्रतिशत है। इसमें विकसित गाँवों में रासायनिक उर्वरक उन्नत बीज, उर्वरक उन्नत बीज, दवाईयाँ, अन्य उपकरण क्रमश: 78 प्रतिशत, 38.29 प्रतिशत, 41.48 प्रतिशत, 24.91 प्रतिशत है जबकि पिछडे अविकसित गाँवों में ये क्रमश: 41.41 प्रतिशत, 10.09 प्रतिशत, 12.29 प्रतिशत एवं अन्य का उपयोग निरंक है।

उपयोग न करने वाले किसानों में रासायनिक उर्वरक, बीज, दवाईयाँ एवं ट्रेक्टर व अन्य उपकरण क्रमश: 37.36 प्रतिशत, 75.82 प्रतिशत, 71.43 प्रतिशत, 90.11 प्रतिशत है। विकसित गाँवों में यह क्रमश: 20 प्रतिशत, 59.71 प्रतिशत, 60.18 प्रतिशत, 66.05 प्रतिशत है। जबकि पिछडे गाँवों में क्रमश: 58.54 प्रतिशत, 91.91 प्रतिशत, 84.71 प्रतिशत, 100 प्रतिशत द्वारा न किया जाता है।

अत: इससे यह स्पष्ट हैं कि यहाँ आधुनिक तकनीकी का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है लेकिन वह मात्र एक या दो तक ही सीमित है। कुछ सिर्फ उर्वरकों का ही उपयोग करते है। तो कुछ दवाईयों के उपयोग तक ही सीमित है। यहाँ रासायनिक उर्वरक सर्वाधिक 61.64 प्रतिशत एवं सबसे कम ट्रेक्टर व अन्य उपकरण मात्र 12 प्रतिशत का उपयोग किया जाता है जबकि उपयोग न करने वालों में ट्रेक्टर 90.11 प्रतिशत द्वारा तथा सबसे कम रासायनिक उर्वरक 37.36 है।

तालिका क्र. 3 तकनीकी प्रयोग न करने के कारण

तकनीकी	कुल उपयोग न करने वाले	पैसों के अभाव	जानकारी नहीं	जमीन कम हैं।	आवश्यकता नहीं
रासायनिक उर्वरक	34	14	07	-	13
उन्नत बीज	09	30	22	-	17
रासायनिक दवाईयाँ	65	28	16	-	21
ट्रेक्टर	82	23	12	39	08

उपर्युक्त तालिका में उन्नत तकनीकी उपयोग न करने वालों का कारण जानने पर हम पाते हैं कि रासायनिक उर्वरक पैसे के अभाव में सर्वाधिक 41.18 प्रतिशत जानकारी के अभाव में 20.59 प्रतिशत तथा 38.23 प्रतिशत किसान सिंचाई के अभाव में आवश्यक नहीं समझते है।

तत्पश्चात् उन्नत बीज पैसे के अभाव में सर्वाधिक 43.48 प्रतिशत जानकारी के अभाव में 31.98 प्रतिशत तथा 24.63 अपने घरेलु बीजों का उपयोग ही बुवाई में कर लेते है।

रायायनिक दवाईयों में 43.08 प्रतिशत पैसे के अभाव में किसान इसका उपयोग न करके उचित फसल लेने से वंचित रह जाते है जबकि, 24.62 प्रतिशत एवं 32.30 प्रतिशत किसान जानकारी एवं आवश्यक न समझकर न अपनाते है। पैसे के अभाव में 28.05 प्रतिशत एवं जानकारी के अभाव में 14.63 ट्रेक्टर के उपयोग से वंचित है और 9.76 प्रतिशत छोटे-छोटे खेतों के कारण उपयोग नहीं या आवश्यक न समझकर उपयोग नहीं करते हैं।

तालिका क्र. 4
व्यापारिक फसलों का उत्पादकता स्तर तथा औसत उत्पादकता

क्रं.	फसल का नाम	उत्पादक स्तर क्विंटल				उत्पादकता		
		5 से कम	6-10	11-15	15 से अधिक	अधिक	न्यूनतम	औसत
1.	कपास	58.56	23.19	07.25	.	15	02	8.5
2.	मिर्ची	80.20	17.79	.	.	11	02	5.5
3.	सोयाबीन	55.21	29.42	13.72	.	15	04	9.0
4.	गन्ना	.	55.60	35.00	10.00	20	08	13.8

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं कि उत्पादकता का औसत 8.5 क्विंटल प्रति एकड़ है । मिर्ची 5.5 क्विंटल, सोयाबीन 9.0 क्विंटल, गना 3.8 क्विंटल है। इसका औसत अधिकतम एवं न्यूनतक से ज्ञात किया गया । उत्पादकता में कपास का उत्पादकता स्तर 5 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादकता स्तर 5 क्विंटल प्रति एकड़ से कम में 58.56, 6-10 क्विंटल वर्ग में 23.19 एवं 11-15 उत्पादकता वर्ग में 7.25 है।

यह कपास उत्पादक 58 किसानों के आधार पर निकाला गया है। मिर्ची उत्पादक 38 किसानों के उत्पादकता संबंधी स्तर में 5 क्विंटल प्रति एकड़ से कम वर्ग में 84.21 प्रतिशत, 6-11 क्विंटल में 15-79 प्रतिशत तथा इससे अधिक उत्पादकता नहीं है। सोयाबीन उत्पादक 51 किसानों से ज्ञात हुआ कि सोयाबीन उत्पादकता 5 क्विंटल से कम वर्ग में 56.21 प्रतिशत, 6-11 क्विंटल वर्ग में 13.72 प्रतिशत है। मिर्ची का उत्पादन 5 क्विंटल प्रति एकड़ से कम नहीं है। 6-10 क्विंटल में 55.00 प्रतिशत, 11-15 प्रतिशत में 35 प्रतिशत तथा 15 से अधिक में 10 प्रतिशत उत्तर प्राप्त हुए।

अत: यह निष्कर्ष निकलता हैं कि क्षेत्र में औसत उत्पादकता स्तर काफी कत है। कपास को 5 से 58.56 तथा सबसे अधिक 11-15 में 07.25 प्रतिशत हैं। मिर्ची का सर्वाधिक 80.21 प्रतिशत, 5 क्विंटल से कम 13.72 प्रतिशत का 11-15 क्विंटल के बीच है। गन्ना 6-10 क्विंटल गन्ना उत्पादकता वर्ग में 55 प्रतिशत तथा अधिक 15 से अधिक वर्ग में 11 प्रतिशत है।

तालिका क्र. 5
व्यापारिक फसलों की प्रति एकड़ औसत, उत्पादन, लागत एवं बचत विवरण

(एकड़ में)

क्रमांक	फसल का नाम	औसत उत्पादन	औसत लागत	औसत बचत
1.	कपास	20,000	12650	8450
2.	मिर्ची	8870	1525	7345
3.	सोयाबीन	5350	1000	4250
4.	गन्ना	12250	7200	5050
	योग	46470	22375	25095

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में कपास का औसत उत्पादन 20,000 रूपये प्रति एकड़ मिर्ची 8870 रूपये सोयाबीन 5350 रूपये तथा गन्ना 12220 रूपये है। औसत में कपास 12650 रूपये, मिर्ची 1525 रूपये, सोयाबीन 1000 रूपये, गन्ना 7200 रूपये एकड़ है। इसके पश्चात् बचत कपास 8450 रूपये, मिर्ची 7350 रूपये, सोयाबीन 4250 रूपये, मूँगफली 5050 रूपये प्रति एकड़ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ सर्वाधिक उत्पादकता कपास की फसल है, सर्वाधिक लागत कपास की है तथा बचत में भी कपास ही आगे है। सबसे कम लागत उत्पादन एवं बचत सोयाबीन में है। कपास अधिक उत्पादन एवं बचत देता है। अगर यह हर एक खेत की मूल फसल है क्योंकि इसके लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। कपास उत्पादकता एवं बचत में आगे एवं सर्वाधिक की पसन्द है।

अध्ययन क्षेत्र बड़वानी विकासखण्ड आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ कुल जनसंख्या में आदिवासी अधिक है। यहाँ व्यापारिक कृषि फसलों की बुवाई भी पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। इस कृषि से कुछ गाँवों का तो पर्याप्त विकास हुआ या वे विकास में अग्रणी है तथा कुछ पिछड़ी अवस्था में ही जीवन-यापन कर रहे है। जिन गाँवो में व्यापारिक कृषि का विकास हुआ उनका सामाजिक-आर्थिक विकास भी पर्याप्त हुआ हैं। इन सब बातों का अध्ययन कर हम निम्न निष्कर्षो पर पहूचें है।

यह एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है।

- इस क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम में नर्मदा की सहायक नदी गोई बहती है। प्रशासनिक दृष्टि से इस विकासखण्ड में 52 ग्राम पंचायत है जिनमें कुल 98 गाँव आते है।
- विकासखण्ड 98 गाँव में से 923466 गाँव में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक हैं। कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जनजातिय जनसंख्या जिले की 1081441 तथा विकासखण्ड में 701675 है।
- विकासखण्ड की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, जिसमें वर्ष भर उच्च तापमान रहता हैं। इस क्षेत्र में मानसूनी वर्षा होती है जिसका वार्षिक वितरण असमय और अनिश्चित है। जून से सितम्बर में सर्वाधिक वर्षा होती हैं।
- विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 923466 जिसमें ग्रामीण 251498 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या 98856 प्रतिशत है। विकासखण्ड का क्षेत्रफल 3665 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 199 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर हैं।
- यहाँ कुल जनसंख्या में कृषक 251498 है। जिसमें पुरूष 160796 तथा महिलाएँ 90702 प्रतिशत हैं।
- इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या तथा बच्चों की संख्या अधिक है। महिलाएँ 532832 पुरूष 548609 एवं 122132 वर्ष से कम आयु वर्ग अर्थात् बच्चों का है।
- अध्ययन क्षेत्र में 5 सदस्यों की संख्या वाले परिवार 31 एवं 5 सदस्यों से कम अर्थात् छोटे परिवार 10 है।
- जनजातियों में सर्वाधिक 51 भीलाला एवं सबसे कम 37 बारेला जाति के लोग रहते है। भील 12 प्रतिशत है।
- इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत कच्चे मकान तथा 68 प्रतिशत पक्के मकान है। विकसित गाँवों में 48 पक्के, 45 कच्चे-पक्के एवं 12 कच्चे मकान है जबकि पिछडे गाँवों में 24 प्रतिशत कच्चे तथा मात्र 6 प्रतिशत पक्के मकान हैं।
- साक्षरता का 56 प्रतिशत एवं निरक्षरता 12 प्रतिशत है। विकसित गाँव में साक्षरता 56 प्रतिशत पिछडे गाँवों में मात्र 12 प्रतिशत है। पिछडे गाँवों में निरक्षरता 66 प्रतिशत एवं विकसित में 22 प्रतिशत है।
- प्राथमिक स्तर तक 1.6 प्रतिशत एवं हायर सेकेण्डरी स्तर तक नहीं शिक्षित व्यक्तियों की शिक्षा है।

1. उत्पादन पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए ताकि अधिक एवं उत्तम किस्म का उत्पादन हो।
2. जैविक खाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे लगान कम, उत्पादन अधिक तथा मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बनी रहे।
3. जलस्तर को बढाया जाना चाहिए ताकि इन फसलों के लिए वर्षा के अभाव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।
5. कृषकों को परिक्षण दिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. श्रीवास्तव प्रदीप, मुखर्जी 1999- भारत में जनजातीय जीवन, मानव शास्त्र
2. डॉ. तिवारी, शिवकुमार 1994 - मध्यप्रदेश की जनजातियां, समाज एवं व्यवस्था
3. डॉ. प्रमिला कुमार- मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन
4. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 1999 - जिला सांख्यिकी कार्यालय, बड़वानी
5. फसलों की स्थिति, 1998 - मध्यप्रदेश की आधारभूत कृषि सांख्यिकी आयुक्त भू: अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर

तालिका क्र. 2 आधुनिक कृषि तकनीकी का उपयोग का वितरण

क्र.	तकनीकी	उपयोग करने वाले किसान		उपयोग न करने वाले किसान		योग	योग	
		विकसित गांव	अविकसित गांव	विकसित गांव	अविकसित गांव		विकसित गांव	अविकसित गांव
1	रासायनिक खाद	39 78.00%	14 41.46%	10 20.00%	24 58.54%	34 37.36%	50 100%	41 82.00%
2	उन्नत खाद	17 38.29%	06 10.09%	27 59.71%	41 91.91%	98 75.82%	46 93.00%	43 86.00%
3	रासायनिक दवाईंया	21 41.84%	04 12.29%	30 60.18%	36 84.71%	66 71.43%	50 100%	44 88.00%
4	ट्रेक्टर व अन्य उपकरण	12 24.95%		33 66.05%	50 100%	82 90.11%	41 82.00%	51 100%

जल संसाधन संरक्षण में जलग्रहण मिशन की भूमिका का मूल्यांकन

डॉ. यशोदा चौहान *

1.प्रस्तावना: जल के बीना इस धरती पर जीवन की कल्पना भी नही की जा सकती है। पानी घरेलू कार्य, कृषि कार्य व वन सम्पदा हेतु वर्ष भर जल की आपूर्ति आवश्यक है। जल आपूर्ति क्षेत्र की भौगोलिक एवं ऋतुनिष्ट परिवर्तनों को भी प्रभावित किया है। मनुष्य ने अपने चारों और प्राकृतिक तत्वों का जमकर दोहन किया है, जिससे मृदा,जल, वृक्ष,चारा प्रमुख है। परिणाम स्वरूप इन तत्वों की कमी से पर्यावरण संतुलन गडबडा गया और शुष्क ऋतुओ में जल की आपूर्ति कम होने लगी।ऐसे में जनजीवन भू-जल स्त्रोतो पर निर्भर रहने लगा है। इसी प्रकार वृक्षों व चारे की नगण्यता से वनस्पती विहिन पहाडियों से वर्षा का पानी तेजी से बहकर प्रतिवर्ष लाखों टन उपजाऊ मिट्टी अपने साथ बहा ले जाता है। वर्तमान में जन आदोलन का रूप ले चुकि योजना के अन्तर्गत माइक्रोवाटरशेड(रोजगार ग्यारंटी योजना के तहत) जल ग्रहण प्रबंधन, मृदा संरक्षण, जल संग्रहण व संवर्धन किया जायेगा । म.प्र. के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित बड़वानी जिला कई प्राकृतिक छटाओं को संजोएँ हुए है जिसे आजादी से पूर्व निमाड़ के पेरिस के नाम से जाना जाता था। इसका भौगोलिक विस्तार $21^{o}23'$ से $22^{o}09'$ उत्तरी अक्षांश $74^{o}27'$ से 75^{o} $30'$ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसकी समुद्र सतह से 177 मीटर उँचाई है, व कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3665 वर्ग कि.मी. है जो म. प्र. के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 18 प्रतिशत है। विकासखण्ड निवाली जिला मुख्यालय से 72 कि.मी. की दूरी पर स्थित निमाड का शिमला कहा जाता है,जो अपनी प्राकृतिक सौदर्यता एवं खुशवार मौसम के लिए सम्पूर्ण निमाड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ भरपूर प्राकृतिक सम्पदा पेड़ पौधे व वन्य जीव पाए जाते है।

यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि, वनोपज संग्रह व पशुपालन करना है। अध्ययन क्षेत्र में अनियंत्रित एवं बेतहाशा बढ़ती आबादी व कृषि तथा आवश्यकताओ की जल खपत बढ़ने से आगामी वर्षो में जल की उपलब्धता में और भी कमी आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में पानी के इस सीमित किन्तु कीमती संसाधनों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु हर संभव प्रयास करना जरूरी है। इस बाबद् जमीन से हम जीतना पानी खीचतें है, उतना पानी जमीन में लौटाना ही होगा जहाँ कुएँ और नलकूप खोदे जाये वहाँ जमीन में पानी के पुनर्भण्डारण की व्यवस्था करना चाहिए।

2.अध्ययन क्षेत्र: विकासखण्ड निवाली की माइक्रोवाटरशेड निवाली बुजुर्ग (कानपुरी) निवाली के दक्षिण दिशा में स्थित है। जहाँ अत्यन्त संकीर्ण रास्ते व उबड़ खाबड़ एवं छोटे-छोटे नालों की अधिकता आज गाँव मुख्य रूप से 11 फलिए में बसा हुआ है। यह वाटरशेड़ (निवाली बुजुर्ग) में 07 कि.मी. की सीमा में फैला हुआ है। यहाँ ग्रीष्मकालीन जलवायु की स्थिति में अधितम तापमान 45^{o} सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15^{o} सेल्सियस रहता है। औसत वार्षिक वर्ष 78.5 सं.मी. होती है। अध्ययन क्षेत्र पहाडियों के मध्य बसा हुआ है, व भूमि असमतल है। यहा की जलवायु पशुपालन को अवसर देती है। यहा प्राकृतिक क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि औसत है, तथा वन व चारागाह का क्षेत्रफल अधिक है। माइक्रोवाटरशेड को अन्य गांवो से पक्की सड़को से जोड़ा गया है। यहा की मुख्य फसलें खरीफ में सोयाबीन, ज्वार,मक्का,तुवर एवं रबी की फसलो में गेहूँ, चना,सरसों, आलु, प्याज आदि का उत्पादन होता है।

3. विधितंत्र: माइक्रोवाटरशेड निवाली बुजुर्ग निवाली तहसील के राजस्व अनुसार 1044.00 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है, जो जिला मुख्यालय से 72 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए द्वितीयक आँकडो का प्रयोग किया गया है,जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, जिला जनपद कार्यालय बड़वानी, जनपद कार्यालय निवाली, इन्टरनेट की वेबसाइट राजीव गाँधी जल ग्रहण मिशन आदि से प्राप्त किये गये है।

4. अध्ययन का उद्देश्य:

1. राजीव गाँधी जल ग्रहण मिशन द्वारा माइक्रोवाटरशेड में बनाई गई संरचनाओं का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक भागीदारी का अध्ययन करना।
3. अपेक्षित परिणामो का आंकलन करना।

5. माइक्रोवाटरशेड़ मिशन में ग्रामीण सहभागी अध्ययन:- माइक्रोवाटरशेड़ मिशन में ग्रामीण सहभागी अध्ययन ¼PRA½ PRA के माध्यम से गांव की मुलभूत जानकारी जाति एवं परिवारों की संख्या, मुलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, मिट्टी के प्रकार पर्यावरण एवं पशुधन की सामान्य जानकारी, महिलाओं की स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न समुदाय वर्ग में व्याप्त समस्याओं की जानकारी के आधार पर समुदाय को विभिन्न लाभार्थी समुहो में विभाजित किया जा सकता है, जिससे हमें उन लाभार्थी समूहों की पहचान कर सकते है, जिन्हें परियोजना के तहत् प्राथमिकता दी जा सके। PRA के निम्न तकनीकों का उपयोग के आधार पर जनसहयोग से गांव का नक्शा बनाया गया, संबंधित क्षेत्र की यात्रा परम्परागत अनुभव पर आधारित तकनीकि ज्ञान प्राप्त किया गया, रूचि अनुसार कार्य निर्धारण आदि कार्य किये गये। जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना माइक्रोवाटरशेड निवाली बुर्जुग के अन्तर्गत इसके समग्र एवं समेकित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक उद्धेश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक गतिविधि का क्रियान्वयन उपयुक्त समय एवं स्थान पर किये जाने पर ही वांछित परिणाम प्राप्त हो सकता है, तथा इसमें सामुदायिक संगठन एवं आजीविका का भी परियोजना की नियत अवधि के क्रियान्वयन से ही वांछित परिणाम प्राप्त होते है। अध्ययन क्षेत्र में स्वसहायता समूह का गठन कर संगठित होकर विभिन्न गतिविधियॉ क्रियान्वित की जाती है। स्वसहायता समूह के माध्यम से विशेषकर महिलाओं के लिए उन्के जीवन स्तर को उठाने के साथ-साथ उनकी आजीविका में वृद्धि।

6.गांव के अन्य स्थानीय संगठन:-जलग्रहण क्षेत्र में पंचायत स्तर से कुछ स्थानीय संगठनों का गठन किया है,जो गांव (माइक्रोवाटरशेड) के विकास हेतु बनाये गये जैसे-स्वसहायता समूह जिसके अन्तर्गत वैयक्तिक एवं सामुदायिक समूहो की पहचान कर उन्हें उनके उद्धेश्यों की प्राप्ति में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु प्रेरित किया जाता है, तथा उनके अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर उनकी समस्याओ को दूर करने हेतु मार्गदर्शित किया जाता है। माइक्रोवाटरशेड निवाली बुर्जुग में क्षमता विकास के निम्न अवसर है, जैसे- अल्टनेटिव भूमि उपयोग की योजना, मृदा एवं नमी संरक्षण की वैज्ञानिक विधियॉ, चारागाह विकास एवं उनका प्रंबधन ,लघुवनोपज पशुपालन, मछली पालन, लाख उत्पादन आदि। ग्रामीणों को इन व्यवसायों में रोजगार के अवसर बढाने में उपलब्ध अवसरो को पौषित करने के लिए यह

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष भूगोल, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेन्धवा, जिला-बड़वानी (म.प्र.) भारत

आवश्यक है कि बाजार मांग के अनुभव इनका कौशल उन्नयन किया जावे एवं उत्पादन को प्रोत्साहित किया जावे।

माइक्रोवाटरशेड निवाली बुर्जुग में बनाई गई संरचनाओ का विश्लेषण

तालिका क्र.1 (विभिन्न संरचनाएँ) क्र.	संरचना का नाम	प्रवाह एवं स्थानीय नाम	सदस्य संख्या	जल ग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	लम्बाई	चौडाई	ऊँचाई	अनुप्रस्थ काट
1	स्टाप डेम 1	स्थानीय नाला	11	12.59	20	2.25	1.4	3.15
2	स्टाप डेम 2	स्थानीय नाला	13	6.11	18	2.25	1.4	2.7
3	स्टाप डेम 3	स्थानीय नाला	10	5.31	23	2.25	1.4	2.7
4	स्टाप डेम 4	स्थानीय नाला	12	6.35	20	2.25	1.2	2.7
5	रिसाव टेंक	स्थानीय नाला	13	5.5	15	21.15	2	129
6	एल.बी.एस.	पहाडी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
7	टेंक	शास.भूमि	8	12	30	25	4	2.5
8	टेंक	शास. भूमि	10	15	30	24	4	2.7
9	अर्थ बन्डिग	कृषि भूमि	32	6.96	-	-	-	-
10	स्टोन बन्डिग	कृषि भूमि	25	5.6	-	-	-	-
11	वनीयकरण	शास.भूमि	-	-	-	-	-	-
12	नाला बंधान	शास.भूमि	20	6.2	15	12	1.5	-

स्रोत:- Niwali-watermissionmp.org

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि निवाली तहसील में माइक्रोवाटरशेड निवाली बुर्जुग के अन्तर्गत निम्न संरचनाओं का निर्माण किया गया इस संरचनाओ से ग्रामीणों को रोजगार, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि एवं जल स्तर में वृद्धि आदि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुये है।

7. परियोजना से प्राप्त होने वाले अपेक्षित परिणाम:-

1. रोजगार: बेरोजगारी हमेशा से अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख समस्या रही है। माइक्रोवाटरशेड में निवासरत लोगों का मुख्य रोजगार सूखी भूमि में कृषि करना, पशुपालन एवं मजदूरी रहा है, जिससे वे अपना जीवन यापन करते है। इसी बीच पिछले कई वर्षो से वर्षा भी सीमित हो गई है, जिसके कारण इस क्षेत्र की स्थिति भू-जल के हिसाब से बड़वानी जिले में अन्य विकासखण्डों की अपेक्षा बहुत दयनीय है। कम वर्ष के कारण यहाँ के किसान एक वर्ष में केवल 4 माह कृषि कार्य में व्यस्त रहते है। अल्प वर्षा से कम चारे की उपलब्धता भी उनके पशुपालन में समस्याए उत्पन्न करती है, जिससे वे पूरे वर्ष कार्य नहीं करते है। अत: अन्य क्षेत्र के निवासी इन समस्याओं के समाधान हेतु मजदूरी पर निर्भर रहते है। मजदूरी गांव में हो या गांव से बाहर।

जलग्रहण परियोजना इन दोनों समस्याओं का हल है, जलग्रहण परियोजना अन्तर्गत निर्मित होने वाली भौतिक संरचनाएँ जैसे- आर.एम.एस., तालाब तलाई निर्माण, परकोलेषन टैंक, कन्टूर ट्रेन्च, स्टापडेम आदि माइक्रोवाटरशेड में ग्रामजनो को मजदुरी प्रदान करती है। स्वयं के रोजगार के रूप में उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करती है, उन्हें आयमूलक गतिविधियों जैसे-कृषि, पशुपालन, मछलीपालन आदि से जोडती है, और आजीविका के साधन उपलब्ध करती है।

2. भूमिगत जल: भू-जल सीमित है किन्तु इसकी आवश्यक्ता प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और प्रति वर्ष भू-जल का स्तर गिरता जा रहा है। वर्तमान में जलग्रहण परियोजना में भू-जल का स्तर लगभग 10 से 12 मीटर है। यदि इस क्षेत्र में सही तरीके से क्षेत्र का उपचार किया जाये तो यहाँ का भूमि जल स्तर में परियोजना लागु होने के पश्चात् लगभग 2-3 मीटर का सुधार आ सकता है।

परियोजना क्षेत्र में स्थित कुओं का औसत भू-जल (मीटर में) क्र.	नम	स्रोत	परियोजना पूर्व भू-जल स्तर	परियोजना पश्चात् भू-जल स्तर
1	निवाली बुर्जुग	कुएं	12 मीटर	9 मीटर
		बोरवेल/ट्यूबवेल	330 फीट	170 फीट
		अन्य	-	-

स्रोत:- Niwali-watermissionmp.org

3. पेयजल:- माइक्रोवाटरशेड निवाली बुर्जुग में पीने के पानी हेतु 117 कुओं एवं 26 ट्युबवेल है। इस विकराल समस्या से निपटने हेतु अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा कई बार नए कुएं तथा ट्युबवेल खोदने के प्रयास किये गये किन्तु वे सब व्यर्थ रहे। एक किसान श्री बिल्लोरसिंह द्वारा बताया गया कि 10 से 15 वर्ष पहले यहाँ एक वर्ष में 9 महीने पानी रहता था। किन्तु पानी के अत्यधिक दोहन के कारण वर्तमान में कुओं में केवल 5 माह ही पानी रहता है। जलग्रहण परियोजना द्वारा होने वाले उपचार कार्यो से अध्ययन क्षेत्र में भू-जल स्तर में सुधार होगा तथा सही तरीके से अध्ययन क्षेत्र में जलग्रहण संबंधी उपचार कार्य क्रियान्वित किये जाने से उन कुओं में पानी का जल स्तर बढ़ेगा व अधिक समय तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध रहेगा।

क्र.	नाम	पीने के पानी का उपलब्धता महीने		शुद्ध पेयजल	
1	निवाली बुर्जुग	लघु परियोजना	Expected post परियोजना	लघु परियोजना	Expected post परियोजना
		10	12	अच्छा	अच्छा

स्रोत:- Niwali-watermissionmp.org

4. फसल प्रतिरूप:- कृषि के लिए मुख्य आवश्यकता जल ही है, और माइक्रोवाटरशेड निवाली बुर्जुग पिछले कई वर्षो से जल की समस्या से जुझ रहा है। वर्षा की कमी एवं वर्षाजल के कुप्रबंधन के कारण सतही जल समाप्त हो रहा है, और भू-जल में निरन्तर गिरावट आ रही है, जिससे यहाँ की कृषि प्रभावित हो रही है। फसल उत्पादक्ता भी कम होती जा रही है। इन सब परिस्थितियों में बदलाव जलग्रहण प्रंबधन परियोजना अन्तर्गत होने वाले निरन्तर एवं सुचारू क्रियान्वयन से हो सकता है एवं भू-जल में वृद्धि हो सकती है, तथा मिट्टी में नमी भी बरकरार रह सकती है। किसान खरीफ की फसल के साथ-साथ रबी की फसल भी ले सकता है। जलग्रहण परियोजना से अध्ययन क्षेत्र में द्विफसली क्षेत्रफल बढ़ा है।

क्र.	नाम	कुल बोया गया क्षेत्र (हक्टेयर में)		
1	निवाली बुर्जुग	एक बार	दो बार	तीन बार
		836.9	76.2	-

स्रोत:- Niwali-watermissionmp.org

5. उद्यानिकी:- उद्यानिकी गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न फलदार फसले, स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों मिट्टी की सामर्थ्य व गुणवत्तता तथा स्थानीय अध्ययन क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार विकसित की जा सकती है। इसमें जनसहभागिता के आधार पर विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियाँ एवं आवष्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किये जा सकते है।

जलग्रहण प्रंबधन कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र में जल उपलब्धता होने पर उद्यानिकी गतिविधियाँ प्रारम्भ हो सकती है, जिसमें फल उत्पादन, फूलों की खेति, रेशम कीटपालन आदि। जलग्रहण प्रंबधन परियोजना में विभिन्न संरचनाओं के बनाने से कई पर्यावरणीय बदलाव भी आये है।

निष्कर्ष:- जलग्रहण मिशन योजना से अध्ययन क्षेत्र में कई बदलाव आये है। माइक्रोवाटरशेड मिशन द्वारा कई संरचनाओं का निर्माण किया गया तथा इस निर्माण अध्ययन क्षेत्र में जल स्तर बढ़ा, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, लोगो को रोजगार तथा इसमें पर्यावरणीय बदलाव भी देखने को मिला है।

सन्दर्भग्रंथ सूची:-

1. त्रिवेदी डॉ. प्रवीणचन्द्र 2007 एवं गरिमा गुप्ता - पर्यावरण अध्ययन आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर (राजस्थान)
2. मामोरिया डॉ. चतुर्भुज - मानव भूगोल साहित्य भवन पब्लिकेशन, नई दिल्ली
3. जिला जनपद कार्यालय बड़वानी।
4. जनपद पंचायत कार्यालय निवाली।
5. इन्टरनेट डेटा वेबसाइट - राजीव गाँधी जलग्रहण मिशन

बैतूल जिले में पर्यटन विकास की संभावनाएँ : एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. के.आर.कोषे *

पर्यटन हमारे जीवन में ज्ञान एवं नवीनता का पुन: दर्शन कराता है। पर्यटन शब्द किसी सामान्य क्षेत्र विशेष से संबन्धित नहीं होता बल्कि इस शब्द का अर्थ तो विशाल व विस्तृत है इसे केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित कर देना योग्य नहीं है। पर्यटन का वास्तविक अर्थ घूमना-फिरना, यात्रा करना, अलग-अलग विशेष स्थलों की जानकारी प्राप्त करने से है। देश, काल, परिस्थितियों के अनुरुप पर्यटन हेतु नए स्थानों की खोज की जाती है। किसी स्थान के पर्यटन स्थल होने के लिए वहां की भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति, विभिन्न स्थलाकृतियाँ, पर्वत, नदी, घाटी, झील, झरने गुफाएँ, प्राचीन स्मारक, मकबरे, किले, इतिहास व सांस्कृतिक विरासत जैसी विशेषताऐं होना चाहिए तब ही हम संबंधित क्षेत्र को पर्यटन स्थल कह सकते हैं। पर्यटन स्थलों की कई विशेषताएँ होती हैं। एक ओर जहां ये स्थल भूतकाल के ऐतिहासिक और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौन्दर्य की विशेषताओं का दर्शन कराते है। प्राकृतिक सौन्दर्य वाले स्थान वर्तमान में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहे। मानव के भूमि पर बढ़ते दबाव एवं अतिक्रमण से ये नैसर्गिक स्थल या तो निवास के रुप में परिवर्तित हो रहे हैं या औद्योगिक इकाई के रुप में। प्राचीनकाल में जब विकास शून्य के समान था, तब प्राकृतिक पर्यटक स्थलों की संख्या अधिक थी। पर कालान्तर में विकास के साथ-साथ प्राकृतिक स्थल अपनी वास्तविक स्थिति खो रहे हैं। यद्यपि वर्तमान में पर्यटन हेतु प्राकृतिक स्थलों की संख्या अधिक है फिर भी पर्यटक की वर्तमान प्रकृति कृत्रिम पर्यटन स्थलों की है। प्रस्तुत शोध पत्र में बैतुल जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं को उजागर किये जाने का प्रयास किया गया है जिससे मध्यप्रदेश के मानचित्र में बैतूल जिले की पहचान स्थापित की जा सके। बैतूल जिले में पर्यटन विकास की अपार संभावनायें विद्यमान है क्योंकि वनस्पतियों की जैव विविधता, नदियाँ, झरने घाटियाँ पहाड़ियाँ आदि प्राकृतिक भू-दृश्य यहाँ पाये जाते हैं। बैतूल जिले में कुल क्षेत्रफल का 39.33 प्रतिशत भाग वन भूमि के अन्तर्गत है। पर्यटन से स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने, वातावरण सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में पर्यावरणीय संकट के बादल जब पूरे विश्व के ऊपर मंडरा रहे हैं उस समय पर्यावरण पर्यटन एक नई आशा की किरण के रुप में दिखाई दे रहा है। पर्यटन में पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन प्रबंधन करे शामिल किया जाता है। पर्यटन से जहाँ आर्थिक लाभ प्राप्त होता है वहीं पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन के अन्तर्गत प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा कर प्रकृति का आदर करते हुय सांस्कृतिक पहलुओं का दर्शन एवं अध्ययन सम्मिलित है।

अध्ययन क्षेत्र-भारत की हृदय स्थली मध्यप्रदेश में स्थित बैतूल जिला पवित्र ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का गौरव प्राप्त किये हुये है। बैतूल मध्यप्रदेश के सीमांत पर स्थित दक्षिणी जिलों में से एक है जो कि लगभग पूर्णत: सतपुडा पठार पर स्थित है। यह जिला उत्तर में नर्मदा घाटी तथा दक्षिण में बरार के मैदानों के बीच सतपुडा श्रेणी की लगभग पूरी चौडाई पर फैला हुआ है। इसका विस्तार 21022’ उत्तरी अक्षांश से 22024’ उत्तरी अक्षांश तथा 77004’ पूर्वी देशांतर से 78033’ पूर्वी देशांतर के मध्य पाया जाता है।

यह जिला उत्तर में होशंगाबाद जिले से, दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में हत्तीघाट और चिखल्दा पहाड़ियों को छोड़ मेलघाट पर्वत श्रेणी को दक्षिण तराई (गिरिपीठ) के लगभग साथ-साथ गई है। पश्चिमी सीमा कुछ दूरी तक ताप्ती नदी की सहायक नदी गंजाल (दक्षिणी) के साथ और फिर उसके बाद नर्मदा की सहायक नदियाँ मोरण्ड और गंजाल (उत्तरी) के बीच जल विभाजक रेखा के साथ-साथ गई है। उत्तरी सीमा मोरण्ड नदी के प्रवाह द्वारा ढोढरामोहर रेल्वे स्टेशन के पास तवा नदी द्वारा सीमा बद्ध है। पूर्वी सीमा छोटी सरिताओं तथा पहाडियों से होकर गई है, जिसमें पुरपरा और रोटिया नाले प्रमुख है।

जिले की अधिकतम लम्बाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 161 किलोमीटर है जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर केवल 106 किलोमीटर है। यहाँ के शैल समूह में टक्कन ट्रेप, लमेटा संस्तर, गोण्डवाना तथा ग्रेनाइट नीस सम्मिलित है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ ताप्ती, तवा, बेल, मोरण्ड, माचना है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 953.7 मिमी है तथा औसत वार्षिक तापमान 34.20 से.ग्रे. है। जिले के दक्षिणी एवं उत्तरी भाग घने जंगलों से आच्छादित है जहाँ आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, मिश्रित वन सलाई वन बाँस वन प्रमुख है। जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 69 होकर गुजरता है, इटारसी, नागपुर रेल्वे लाइन यहीं से होकर जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 1575247 है जिसमें पुरुष जनसंख्या 7,99,721 एवं महिला जनसंख्या 7,75,526 है जिले की दशाब्दिक वृद्धि 12.9 प्रतिशत रही। जिले में प्रतिवर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या 157 है तथा प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 970 है। सतपुडा की सुरम्यवादियों में बसा बैतूल जिला असीम प्राकृतिक सौन्दर्य को समेटे हुए है जहाँ पर्यटन विकास की अपार संभावनायें हैं। अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक स्थल निम्नानुसार हैं :-

1.ताप्ति उद्गम स्थल मुलताई - मुलताई नगर म.प्र. ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुण्य सलिला माँ ताप्ती के उद्गम के रुप में प्रसिद्ध है। पहले इसे मूलतापी के रुप में जाना जाता था। यहाँ दूर-दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ सुन्दर मंदिर है। ताप्ती नदी की महिमा की जानकारी स्कंद पुराण में मिलती है। स्कंद पुराण के अंतर्गत ताप्ती महान्त्म्य का वर्णन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ ताप्ती सूर्यपुत्री और शनि की बहन के रुप में जानी जाती है। दिवंगत व्यक्तियों की अस्थियों का विर्सजन भी ताप्ती में करते हैं। म.प्र. की दूसरी प्रमुख नदी है। इस नदी का धार्मिक ही नहीं आर्थिक सामाजिक महत्व भी है। सदियों से अनेक सभ्यताएं यहाँ पनपी और विकसित हुई हैं। देश भर से यहाँ लोग ताप्ती स्नान हेतु आते हैं। इस प्रकार यह पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

2. महान जैन तीर्थ मुक्तागिरि-बैतूल जिले के विकासखण्ड भैंसदेही की ग्राम पंचायत थपोडा में स्थित है महान जैन तीर्थ मुक्तागिरि। मुक्तागिरि अपनी सुन्दरता, रमणीयता और धार्मिक प्रभाव के कारण लोगों को अपनी और आकर्षित करता है। इस स्थान पर दिगम्बर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर है। इन

* अतिथि विद्वान (भूगोल) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

मंदिरों की तथा क्षेत्र का संबंध श्रेणीक विम्बसार से बताया जाता है। इस क्षेत्र में स्थित एक मानस्तंभ, मनकों शांति और सुख देने वाला है। निर्वाण क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ आकर सुकून मिलता है। यही कारण है कि देश में कोने-कोने से जैन धर्मावलंबी हीं नहीं दूसरे धर्मो को मानने वाले लोग भी मुक्तागिरि आते हैं। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 102 किलोमीटर है।

3. सालवर्डी- सानवर्डी में भगवान शिव की गुफा है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह स्थल बैतूल जिले के विकासखंड प्रभातपट्टन की ग्राम पंचायत सालवर्डी के अंतर्गत स्थित है। सालवर्डी बैतूल की तहसील मुलताई और महाराष्ट्र के अमरावती जिले की मोरसी के पास पहाडी है। शिवलिंग के ठीक ऊपर स्थित पहाड़ी से सतत जलधारा प्रवाहित होती रहती है। यह किवदन्ती है कि पौराणिक काल से स्थित यह शिवलिंग स्वत: प्रस्फुटित हुआ है। यह स्थान मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रान्त के लाखों श्रद्धालुओं की श्रृद्धा का केन्द्र है। प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेला लगता है जिसमें उमड़ने वाला जनसैलाब अपने आप में कौतुहल का विषय है। प्रतिवर्ष आयोजित सात दिवसीय मेले में प्रतिदिन लगभग 75 हजार से एक लाख श्रृद्धालु एकत्रित होते हैं। मेले की प्रमुख विशेषता जो अन्यत्र कहीं देखने नहीं मिलती है वह है लोगों की श्रृद्धा। इसका अनुपम उदाहरण है कि दुर्गम पथ को पार करते हुए भी न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं व छोटे-छोटे बच्चे भी तमाम दिन और रात शिवदर्शन के लिए आते हैं। अन्य विशेषताओं के साथ ग्राम सालवर्डी की एक विशेषता यह भी है कि यह ग्राम आधा मध्यप्रदेश व आधा महाराष्ट्र में विभाजित करती है। इस प्रकार यह ग्राम दो पृथक संस्कृतियों के अद्‌भुत संगम का भी प्रतीक है। वर्तमान में जनपद पंचायत प्रभात पट्टन समस्त व्यवस्थाएं देख रही हैं तथा इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

4. बालाजीपुरम- बालाजीपुरम भगवान बालाजी की विशाल मंदिर के लिये प्रसिद्ध है। यह स्थान बैतूल बाजार नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। जिला मुख्यालय बैतूल से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर स्थित है। दिन प्रतिदिन इसकी प्रसिद्धि फैलती जा रही है। यही कारण है कि कभी भी किसी भी मौसम में आप इसमें जाएं श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। जिसमें भगवान राम के जीवन से जुडे विविध प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। मूर्तियाँ ऐसे बनी है जैसे बोल पड़ेगी। इसके अलावा वैष्णव देवी का मंदिर है उसमें जाने के लिए आपको गुफा कन्दराओं से होकर गुजरना होगा। कृत्रिम झरना भी बहुत खूबसूरत है। कृत्रिम मन्दाकिनी नदी भी बनाई गई है। इसमें नौका बिहार का आनंद भी उठा सकते हैं। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। यह पूरे भारत में पांचवे धाम के रुप में अपनी पहचान बना रहा है। ताकि पर्यटन के रुप में शिकायत हो रहा है।

5. खेडला दुर्ग :- श्राजा जैतपाल बैतूल जिले में 11वीं शताब्दी में भोपाली क्षेत्र में राज करता था। उसकी राजधानी खेड़ला दुर्ग में थी। इस दुर्ग के तत्कालीन अधिपति राजा जैतपाल ने ब्रहम का साक्षात्कार न करा पाने के कारण हजारों साधु सन्यासियों को कठोर दण्ड दिया था।

इसकी मांग के अनुसार महापंडितों योगाचार्य मुकुन्दराज स्वामी द्वारा दिव्यशक्ति से ब्रहम का साक्षात्कार कराया था तथा इस स्थान पर दण्ड भोग रहे साधु सन्यासियों को पीडा से मुक्त कराया था उन्होंने हजारों सालों से संस्कृत में धर्मग्रन्थ लिखे जाने की परम्परा को तोड़ा। उन्होंने मराठी भाषा में विवके सिन्धु की महत्ता पूरे महाराष्ट्र प्रान्त में है। यह स्थान पुरातत्व एवं अध्यात्म की दृष्टि से अति प्राचीन है।

6. मलाजपुर -मलाजपुर में गुरुबाबा साहब का मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर तकरीबन एक माह बसंत पंचमी तक चलता है। बाबा साहब की समाधि की मान्यता है इसकी परिक्रमा करने वाले को प्रेत बाधाओं से छुटकारा मिलता है। यहाँ से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता है। इस वजह से मेला में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। मलाजपुर जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर की दूरी पर विकासखण्ड चिचोली में स्थित है। मलाजपुर में गुरुबाबा साहब का समाधि काल 1700-1800 ईसवीं का माना जाता है। यहाँ हर साल पौष की पूर्णिता से मेला शुरु होता है। बाबा साहब का समाधि स्थल दूर-दूर तक प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिये चर्चित है। समाधि स्थल चिचौली से 8 किमी. दूर है। यहाँ बस, जीप या दुख के दुपहिया, चौपहिया वाहनों से पहुंचा जा सकता है। मेला में किसी प्रकार के सामान की दुकानें भी लगती है।

7. कुकरु :- बैतूल जिला सतपुडा की सुरम्यवादियों में बसा है। कुकरु बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी है। जिला मुख्यालय से लगभग 92 किमी के दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में कोरकू जनजाति निवास करती है। इस कारण ही इस क्षेत्र को कुकरु के नाम से जाना जाता है। म.प्र. में जो स्थान पचमढ़ी का है ठीक वहीं स्थान बैतूल जिले में कुकरु का है। इसकी ऊंचाई समुद्रतल से 1137 मीटर है। यहाँ से उगते सूर्य को देखना तथा सूर्यास्त होते सूर्य को देखना बड़ा ही मनोरम लगता है। कुकरु काफी के बागवान के लिये प्रसिद्ध है। यह प्राकृतिक स्थल चारों तरफ से घनों जंगलों से आच्छादित है।

8. सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी :- म.प्र. की प्रमुख विद्युत नगरी सारणी बैतूल जिले की पहचान है। यहाँ से बनी बिजली पूरे प्रदेश को रोशनी करती है। कुल उत्पादन क्षमता 1142.5 मेगावाट है। यहाँ कोयले की सप्लाई निकट ही पाथाखेडा कोल माइन्स से और जल की आपूर्ति तवा नदी से होती है। तवा नदी पर बना छोटा बाँध बेहद खूबसूरत है। जिला मुख्यालय बैतूल से सड़क मार्ग से इसकी दूरी 60 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचने के लिए घोडाडोंगरी रेल्वे स्टेशन पर उतरना पड़ता है। यह रेल्वे लाइन पर है। यहाँ अनेक गाडियों का स्टापेज है। रेल्वे स्टेशन घोडाडोंगरी से सारणी की सड़क मार्ग से दूरी 27 किलोमीटर है।

पर्यटन के अनुभव व्यक्तिगत जीवन तथा सम्पूर्ण समाज पर प्रभाव डालते हैं। सामूहिक यात्रा एक सामाजिक संगठन बन गई है और सामूहिक यात्रा का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसमें लोग रुचि लेते हैं और सामाजिक रुप से एक दूसरे से सम्बद्ध होना चाहते हैं। यातायात के साधनों की कमी, खराब सडके, आवासीय सुविधाओं की कमी, मनोरंजन के साधनों की कमी जैसी समस्याओं को दूर कर अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। इस दृष्टि से बैतूल जिले में पर्यटन का विकास सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सद्‌भावना के विकास में सहायक बन सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1- District Gazetteers (M.P.) Betul 1971.
2. खत्री हरीश कुमार : (2011), पर्यटन भूगोल, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका जिला बैतूल 2011
4. सिंह यू.बी., (2009), पर्यटन भूगोल, राजीव प्रकाशन मेरठ
5- http://betul.nic.in/Tourism/Tourism.htm
6. सिंह बी.पी. (2010) : 'बान्धवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावनायें' प्रकाशित शोध पत्र 'विन्ध्ययन वैज्ञानिक चिंतन की राष्ट्रीय शोध पत्रिका' सितंबर 2010, विध्यन : अनुसंधान परिषद् रीवा (म.प्र.)

****

Intentional Verbal Recall Of Field Dependant-Field Independent And Hysteroid-Obsessoid Personalities

Smita Jain * Samskrita Jain **

Abstract- In the present investigation the effect of Field Dependence- Field Independence cognitive style and Hysteroid-Obsessoid personality dimension on Intentional Verbal Recall on 334 adolescents in the age group of 13-18 years was studied. All scores were analysed on a 2x2 factorial design setup. The hypothesis that Obsessoids having better capacity of focused attention would surpass Hysteroids on intentional verbal recall was not supported $F (1,228) = 0.14$, $P>0.05$. The hypothesis that FI subjects would do better than field dependent subjects on intentional verbal recall was supported $F (1,228) = 5.67$, $P<0.05$. No significant interaction effects were observed in the study $F (1,228) = 2.41$, $P>0.05$.

Introduction- Human cognition encompasses a number of activities like acquiring, storing, retrieving and using knowledge. The noteworthy feature of the human mind is its potential, for dwelling on more than one object at a time or for flitting attention of one object to another. However, when thought processes run in one definite direction, and are focused on one subject alone, the condition/state of concentration occurs. But in reality we see that the mind gets distracted and bewildered when it is impinged upon by various stimuli of the outside world as well as from within the person. It cannot, therefore, unwaveringly stick to one resolution and one idea. People do not passively register information but instead actively think about material they are trying to learn [Hulse et al., 1980]. They use strategies which are deliberate purposeful activities employed for learning. The learning of subjects occurring in the presence of explicit sets to learn, whether self or experimentally induced, has been defined as intentional learning. Certain individuals have better capacity of focused attention and they are not distracted by the field. Their cognitive style or information processing ability filters out the field from their perception thus making them less distraction prone. The perception of such individuals is known as field independent (FI). Field independence is the ability to dissembed an object from its embedding context in a stipulated time. The perception of others who find it difficult to overcome the influence of the surrounding field or to separate an item from its context is known as field dependence (FD). Field dependence is the inability to dissembed an object from its embedding context in a stipulated time. Thus people who are grouped together on the basis of common perceptual style resemble one another in the formal features but differ in the content features of their personality. The importance of formal features of personality led to the delineation of the traits of hysteroid (HY) or obsessiod (OB) features of personality. HY personality is found in normal individuals and is characterized mainly by carelessness, dependency and fluctuating mood. OB is a constellation of the personality traits found at the opposite extreme of hysteroidism dimension, characterized mainly by emotional depth, perfectionist tendency and obstinate independence. The present undertaking is an attempt to study intentional learning category as a function of field dependance and hysteroidism. Intentional learning had been assayed in verbal modality as a dependant variable.

Objectives :- To study the independent and conjoint effects of hysteroidism and field dependance on intentional learning.

Hypothesis :-

1) Intentional verbal recall- FI learners would surpass FD learners in Intentional Verbal Recall.
2) There would not be any significant difference between HY and OB in Intentional Verbal Recall.

Material And Methods

Sample- The study was conducted on high school girls between the age of 13-18 years in Jabalpur (M.P) for testing independent and dependent variables.

Design -The two independent variables tested were FDP (varied at two levels FI and FD) and HYS (varied at two levels HY and OB). 2x2 factorial design was used for the study (Edwards). Four groups were formulated:

1) Field Independent-Hysteroid - 90 students
2) Field Independent-Obsessiod- 82 students
3) Field Dependant-Hysteroid - 76 students
4) Field Dependant-Obsessiod - 86 students

The dependant variable was tested as follows :-

A list of twenty four two letter concrete nouns were categorized into four taxonomic categories- apparels, body parts, fruits and animals, with six exemplars per category. Only those words were included in the list which has a median

*** Professor & Head, Department of Psychology ** Govt. P.G. College, Narsinghpur (M.P.) INDIA**

familiarity value of 10 on an 11 point scale. Every word was flashed by an automatic 35 mm slide projector in a dark room. A recall test was taken after presentation of the whole list. Single trial free recall procedure was used. Subjects were given 6 minutes for free recall in the above task.

Experimental Procedure- The subjects were seated in a dark room and were given the following instructions:

You will play an interesting game. Write your name and class on the paper provided below. You will see some 24 words on the screen. You have to learn each word carefully and write it down after the lights are switched on.

Material- The students were administered the first test called the Hidden Figures Test (Jackson et al., 1964) which was used with certain modifications for measuring field dependence (FDP). The next test was Hysteroid-Obsessoid personality questionnaire (HOQ) (Jain, 1994) used for measuring the hysteroid-obssesoid (HY-OB) component of personality. The dependent variable tested was intentional verbal recall. Free recall of a list of thirty two for which explicit instructions were given was used.

Results And Discussion- Table 1. shows the 2x2 Factorial analysis of Variance for Intentional Verbal Recall. Simple effects for FD are significant (P<0.05). Simple effects of hysteroidism are not significant (P>0.05). The interaction effects of FDP x HYS were also not significant (P>0.05). It is evident from table 2 that the intentional verbal recall of the field dependent group was greater than the field independent group. The difference between means of FD and FI on Hysteroid is greater than the difference between means of FD and FI on Obsessoid. There is a trend for interaction even though the interaction effect is not significant as is evident from graph 1.

Table 1. Factorial Analysis of Variance for Intentional Verbal Recall.

Source of Variation	Sum of Squares	d.f.	Mean Sum of Squares	F
Field Dependence (FDP)	1618.13	1	1618.13	5.67*
Hysteroidism (HYS)	40.25	1	40.25	0.14
FDP x HYS	685.75	1	685.75	2.41

**P<0.05*

Table 2 : Percentage scores (Mean and SD) of Intentional Verbal Recall for Field Dependance and Hysteroidism.

	Hysteroid	Obsessoid	Total
FD	3746.24 (62.44)	3998.31 (66.64)	7744.55 (64.54)
FI	4260.68 (71.01)	4107.96 (68.45)	8367.73 (69.73)
Total	8006.91	8105.37	16112.28
Means	66.72	67.54	67.13

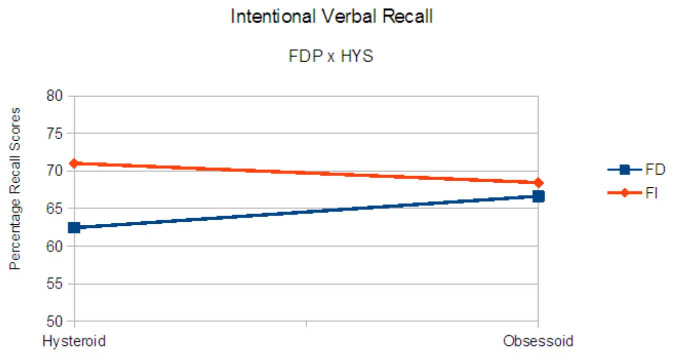

Graph 1

Discussion- The results of the present experiment confirms the hypothesis that the FI individuals have higher intentional verbal recall scores as compared to their field dependent counterparts. One mechanism that has been hypothesized to account for FD FI performance difference is the capacity of working memory (Case, 1975; Davis and Frank, 1979; Robinson and Bennink 1978). Working memory includes both the storage functions typically attributed to STM and systems for processing current information and is thought to be related to the organization of newly encoded information and the integration of new information with old information from LTM. (Anderson, 1983; Baddeley, 1976; Baddeley and Hitch 1974).

Working memory interpretation of FD and FI differences is also consistent with more recent research showing that the capacity of working memory varies across individuals, and is strongly related to many aspects of reading comprehension, including factual recall, understanding ambiguous information, verbal SAT scores (Daneman and Carpenter, 1983), and inference processes (Mason and Miller, 1983). If working memory is required for simple inferences as suggested by data of Benning and Spoelstra (1979), it is reasonable to say that working memory will also be required for more complex, knowledge based inferences; those that require the reader to integrate long term memory knowledge within text information. (Crothers, 1978).

There was no significant difference between HY and OB on Intentional Verbal Recall scores. The above study adumbrates the fact that though the intentional learning strategy of HY and OB varies, yet the total learning does not differ. There appears to be a difference in strategy but no difference in the ability or output in terms of recall. Hysteroids and obsessoids differ on attentional styles, characteriologic patterns of registering, modulating, focusing and articulating sensory and perceptual information. It appears that both types of personalities have an attentional style which correlates with

their characteristic defense mechanisms and their characteristic ways of perceiving the world.

As is evident from the graph, FD is lower on intentional verbal learning as compared to FI and OB individuals have lower recall because of their characteristic 'under inclusion' when recalling words which are characterized as per their conceptual categories.

A logical distillation of the above would be that the intentional verbal recall FD-OB would be lower than, FI-HY. The above statement would hold true, if the contention that retention depends upon subjective organization of the subject is evident. If subjective organization of the subject is based non conceptual categories as compared to physical attributes, then obviously categorized recall of HY who are also FI would be greater than FD-OB subjects for intentional verbal recall. In this case, both FI scores (FI-HY and FI-OB) would be greater than both FD scores (FD-OB and FD-HY).

References-

1] Husle, S.E., Egeth, H, and Deese, J. (1980). The Psychology of Learning : Verbal Learning (pp.269-299). New York : McGraw Hill Book Co.

2] Jackson, D.N., Messick, S., and Meyers, C.T. (1964). Evaluation of group and individual forms of embedded-figure measures of field-independance. Educational and Psychological Measures, 24, 177-191

3] Jain, S. (1994). Learning Categories as a function of Hysteroidism and Field Dependance. Ph.D thesis, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.)

4] Case, R. (1975). Gearing the demands of instructions to the developmental capacities of the learner. Review of Educational Research, 45, 772-788.

5] Davis, J.K., and Frank, B.M. (1979). Learning and Memory in the field independent-dependent individuals. Journal of Research in Personality, 13, 469-479.

6] Robinson, J.A., and Bennink, C.D. (1978). Field articulation and working memory. Journal of Research in Personality, 12, 439-449.

7] Anderson, J. (1983). The Architecture of Cognition. Cambridge, M.A. : Harvard University Press.

8] Baddeley, A.D. (1976). The Psychology of Memory. New York : Basic Books.

9] Baddeley, A.D. , and Hitch, G.J. (1974). Working Memory. In G.A. Bower (Ed.), The Psychology of Learning and Motivation : Advances in Research and Theory (pp. 47-89). New York : Academic Press.

10] Daneman, M. , and Carpenter, P.A. (1983). Individual differences in integrating information between and within sentences. Journal of experimental Psychology : Learning, Memory and Cognition, 9, 561-584.

11] Mason, M.E.J. , and Miller, J.A. (1983). Working memory and individual differences in the comprehension and memory of text. Journal of Educational Psychology, 75, 314-318.

12] Bennink, C.D. , and Spoelstra, T. (1979). Indivudual differences in field articulation as a factor in language comprehension. Journal of Research in Personality, 13, 480-489.

13] Crothers, E.J. (1978). Inference and Coherence. Discourse Processes, 1, 51-71.

****

Positive Mental Health For The Betterment Of The Community

Dr. Rekha Baxy *

No doubt now a day, mental health has become an international problem. Mental disorder, in some way is related with the modern competitive life style as well as various events. For the last four decades, Stress and its management has captured attention of Psychiatrists and Medical practitioners. Stress is the outcome of interaction of our body and mind function. The causes of stress are many. Some of them can be attributable to the environment and other are largely with us. Stress can affect an individual's physical and mental health.

People should be healthy as whole, physically as well as mentally and emotionally. This can be achieved if the body and mind is well connected. The government and the media play an important role in an effort to enhance the awareness of psychotherapy as a means to achieve the harmony in the life. As the saying goes' "Prevention is better than cure", early detection of psychological problems/illness would help early recovery and will result in a better future. If we have to survive in this competitive world we must accept and face challenges of life.

Human history is witness that psychic-persons were treated badly and inhumanly and even boycotted socially in ancient and medieval period because such persons were termed as evil sprit. But later on in the 20th century it was termed as natural phenomena and society started behaving humanly with them. Several means have been suggested for managing stress and mental disorder, which are given below; as some ways of stress management:-

Regular exercise, Relaxation Techniques, sufficient sleep, The art of reforming, Develop a good support system, Live in the present, Develop a positive attitude, Accept and nourish themselves, Have realistic expectations Keep the principles of simple living.

(Mental Health in India has been studied by Shweta Singh in her paper "Community Mental Health in India" A WHO perspective publishes in India Journal of Community Psychology' Jan, 2004. Mental health problem in India is particularly acute. In India there are several issues which from a challenge to deal with mental illness.

Nearly 20-30 million people in India are in need of mental health services (NHRC.1999). One-third of these need help to cope with disability resulting from various psychiatric disorders (WHR,2001).

The epidemiological studies conducted in India indicates that:

(i) Prevalence of several mental disorders is 10-20 / 1000 of the population and that of neurotic and psychosomatic disorders is about 2-3 time higher.

(ii) Prevalence rate is same in Rural and Urban areas.

(iii) About 1-2% of children have same underlying psychiatric problems and 0.5-1% have mental retardation.

(iv) At least 15-20% of the people , who visit general health services like medical OPD, have underlying psychiatric problem, appearing bas physical symptoms.

(v) Incidence in each year is approx 35 per lac population (Isaac 1987, G.O.I., 1982 and 1990).

Lacking of Trained Manpower- As per data given by Shweta Singh in her paper on a "Community Mental Health in India", there is scarcity of trained manpower.

There are nearly 3500 psychiatrists, 1000 clinical psychologists, 1000 psychiatric social workers, and 900 psychiatric nurses for 20-30 billion people in need of them (NHRC, 1999 and WHR, 2001).

Mental Health Facilities- The Mental Health Facilities available in India are very meager. There are about 20,000 total psychiatric beds available in mental hospitals of India (NHRC, 1999).

1. The no. of psychiatric beds per 1000 population is less than 1 (WHR, 2001).
2. There are 37 Govt. mental hospitals and 40-50 private psychiatric institutes.
3. There are more than 200 general hospital psychiatry units amounting to 3000 beds (NHRC, 199).
4. Most of mental hospitals are poor in quality of mental health care.

Community Mental Health Services in India

After the pre-independence approach of custodial care the development of mental- health care has gone through three phases (a) from 1947 to 1960, following the Shore Committee Report (1946), the number of mental hospital were increased and their condition was improved (b) From 1960 to 1975, the General Hospital Psychiatric units, were set up (c) From 1970's initiatives were started for providing community mental health services:

The efforts at providing mental health care through available

* Prof & Head Dept Of Psychology Govt. Autonomous Girl's P.G. College of Excellence Sagar (M.P) INDIA

infrastructure of institutes and PHC centers helped India to be pioneer among other developing countries to launch the National Mental Health Programme (NMHO) in 1982. The three components of the programme have been treatment rehabilitation and prevention. NMHP was set up with the following objectives:

(i) To ensure availability and accessibility of minimum mental health care for all in the foreseeable future, particularly to the most vulnerable and under privileged sections of population.

(ii) To ensure application of mental health knowledge in general health care and in social development.

(iii) To promote community participation in the mental health service development and to stimulate efforts towards self-help in the community.

Following NMHP, there was progress made in the development of training programmes and integration of mentel health care with primary health care.

Involvement of Non-mental Health Professionals and Personnels

For more than 3 decades NIMHANS has been not only training but also involving PHC, doctors, and workers general practitioners, community leaders, traditional healers and indigenous systems of medicine, in community mental health care/ There efforts have shown positive results in terms of early identification and treatment rehabilitation and increasing general awareness about mental health.

Community Mental Health Programme

The community mental health programme were in various centre's at Chandigarh, Vellore and Ranchi till late 70's and Amritsar, Hameerpur, Lucknow, Hyderabad, Jaipur and many others till late 80's. At Present there are nearly 25 districts-mental-health-progammes are running in 22 states of India.

Role of Voluntary Organizations

(a) The voluntary agencies have actively participated in the community mental health work in terms of rehabilitation prevention and promotion for example self help groups like AMEND (Bangalore) are organized , where the families of substance abusers, mentally retarded, physically disabled and mentally-ill meet together to solve their problems.

(b) Crisis management is being conducted by the trained volunteers at Sanjvani Delhi and so other agencies are working in these fields.

In this way for enhancing the development of community-mental health-services it is needed to focus on mental health of community in addition to curative aspects of mental illness. To cope with the problems of mental health, WHR 2001 has made recommendations based on community-mental-health perspective for developing countries like India.

Psychologists are now concerned with enhancing the psychological functionary, effectiveness and well being of individual. Results from various studies show that psychological intervention help individuals to manage discomfort in a better way and improve their mental health for the betterment and development of community.

Reference

1. Bradburn, N. (1969), The Structure of psychological well-being. New York. In Parihar, N. (2009), Emotional Intelligence and Psychosocial competence in Relation to subjective well-being of Marries Educated india Women pp. 59
2. In Parihar, n. (2009), Emotional intelligence and psychosocial competence in Retation to subjective well-being of Married Educated India Woman. Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.) pp. 59,66,61,11,12
3. Veenhoven, R. (1984), Conditions of happiness, Dordrecht D. Reidel Publishing Company.
4. Svesson, O. and Hallbery , I. (2011) Qualitative studies on Health and well-being
5. Giddens A. Modernitet Och sjalvidentitet och samballet i den senmoderna epoken, (Modernity and self idently. The self and the society in the late modern epoch). Goteborg: Daidalos. (1999)

****

Environmental Values in Urban and Rural Students

Smt. Mamta Barman*

Abstract : Environmental problems are the main problems of the modern world. It is cropping throughout the developed and developing countries. Hence to make aware the youngsters to value the nature and maintain the natural environment are important work of the educationists, psychologists, scientist and social workers. A study was conducted on 40 male student's age range of 15-17yrs. to measure the environmental values. Environmental Value Test developed by Dr. Shrivastava and Dr. Dubey 1995, was used to assess the environmental values of the sample. Findings of the study reveal that there is degree of high environmental value among adolescent students.

Introduction :

Preservation of nature and its surrounding is the demand of the day. We should be careful enough to maintain and protect ecological balance because the natural environment is closely knitted with the human life and existence of birds and animals.

Environment is defined as the sum total aggregate of all the conditions, forces and influences man made and nature. Values refer to the beliefs of specific kind of thinking. UNESCO has related values with nature. It includes love for plants, vegetable, trees, animal kingdom, rivers, jungles, mountains etc. Environmental attitude is learned predisposition to respond towards a consistently given object negative or positive. Environmental behavior determines those actions which contribute towards environmental preservation and conservation is more eco-friendly awareness. Environment Pollution is the inferable change of the surroundings due to direct or indirect effects of changes in energy patters, radiation levels, chemical and physical change. Top problems of environmental quality today include deforestation, global warming, biodiversity loss, and hazardous waste. Waste Awareness and Management is need among citizens, authorities, industrialists, entrepreneurs. The major objective of the study was to measure the environmental values of rural and urban students. It was Hypothesized that,"there will be no significant difference in environmental values of urban and rural adolescent students. "

Methods :

The present study was conducted on the male students of class X of urban and rural areas, Narsinghpur. 20 urban and 20 rural students participated. The objective of the study was explained to them. Environmental Value Test used to collect the data. High Score on the scale indicates high and very high degree of value.

Sample :

School	N	Age	Mean	T
Urban	20	15-17	40.3	2.66
Rural	20	15-17	37.85	

Minimum Value at 0.05 level = 2.02

0.01 level = 2.71

Degrees of freedom = 38

Result and discussion:

To verify the hypothesis t-test was calculated Significant difference have found between two groups of Ss in their environmental values. Mean value indicated that urban Ss are having high and very high degree of environmental value than rural. Obtained value of t-test is 2.66 which is more than the minimum value for significance at 0.05 level. Hence the framed Hypothesis is partially ejected here.

Results reveal that students are having enough awareness and skills, for identifying and solving problems. Researchers found that higher rate of mental illness in poor environment while mentally healthy people are being found in the rich environment. Other studies reveal that people living in the places surrounded with trees have pleasant personality characteristics. People living in barren land are found more frustrated and aggressive (Goranso and King 1970), Cognitive overlap such as hustle and bustle of the city, bright lights on roads and in shops, vehicle sound, smoking, perfumes, dirty habits of people cause pollution in the environment. The present education system should teach the youngsters to value the nature and importance of natural environment. The Sanskrit literature has reported the values of nature. Beauty of hills, mountains, snowclade peeks, rivers, streams, lakes, trees, plants, flowers, animals, rocks, jungles, etc. are not only things to admire, but they form the life and soul of humanity. Bhumi-Universal mother is the basis of life. Importance of various trees, plants, flowers, birds and wild life for humanity and survival of the mankind is indescribable.

* Asst. Prof. (Psychology), Govt. P.G.College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

The idea of worshiping of trees is to plant and preserve them. Vanaspati is used in Suktas serve as medicine. Hence they should be planted regularly. A good number of plants and trees are associated with god and goddess. Animals and birds are also co-related with god and goddess. It is only to respect and keep safe and secure them creatures. In the same way rivers are considered as goddess or daughters of gods in order to keep them clean and pious. Mountains and hills are worshiped. It is only to make people aware and respect the nature.

Waste can be converted into wealth by re-use, recycle and can be used as raw material for many industries and concerns, for the good sake of society and Nation By providing scientific knowledge and information can improve our understanding of the environmental contributions. The immediate steps required for the environmental management are environmental education, environmental legislation and its implementation, monitoring and mapping of environment.

References:

- Do Son R.L.Mc and Cobe R.H. : Environmental Education, ERIC. Ohi State University ohio
- Harkman Ronal : Value Education Process for an Environmental Education programme. Journal of Environmental Edu. Washington.
- Sharma R.C. : Environmental Education Metropolitan Book Co.Pvt. Ltd. New Delhi.

****

Keats Aestheticism In Ode to a Nightingale and Ode on a Grecian Urn

Dr. Indira Parmar*

Abstract - The paper is about aestheticism with reference to 'Ode to a Nightingale'and 'Ode on a Grecian Urn' Keats celebrates the nightingale, a bird with a particular magical voice . The song of the nightingale affects the speaker like a drug ,as if he had drunk an entire bottle of wine .The contrast between the immortal
Nightingale and mortal man, sitting in his garden, is made all the more acute by an effort of the imagination.
The speaker stands, before an ancient Grecian urn and addresses it. He wonders about the figures on the side of the urn and asks what legend they depict and from where they come. The speaker says that the piper's unheard melodies are sweeter than mortal melodies because they are affected by time. It is a 'sylan historian' telling us a story, which the poet suggests by a series of questions. Who are these Gods or man carved or painted on the urn? Who are these reluctant maidens? What is this mad pursuit? Why the struggle to escape? What is the explanation for the presence of musical instruments? Why this mad ecstasy?

It was poetry itself that first enlisted his enthusiasm - poetry and art. The dilemma implicit in each of the odes has been formulated into a variety of contraries: between permanence and evanescence; between the responsive psyche and the object apprehended; between truth and beauty; life and art. Each of the odes deals with a miniature drama. The odes are intimately concerned with the interplay between art and art, between poetry and music, poetry and plastic form or representation.

Keats was considerably influenced by Spenser. He was a passionate lover of beauty in all its form and manifestations. This passion for beauty constitutes his aestheticism.

An Intellectual Side to His Aestheticism

Beauty indeed, was his polestar, beauty in nature, in women and in art. Poetry according to Keats should be the incarnation of beauty, not a medium for the expression of religious or social philosophy. But according to Cazamian:

"But the aestheticism of keats has also an intellectual side. Religion for him takes definite shape at an early age in the adoration of the beautiful. Keats is pre- eminently a man of sensation, with whom the very activities of intelligence bring into play concrete notions images, and qualities."(1)

His adoration of Beauty, His Religion

From all these elements, keats built for himself a personal store or reflections and ideas. Religion for him took definite shape in the adoration of the beautiful, an adoration which he developed into a doctrine. Beauty is the supreme truth; it is imagination that discovers beauty and scientific reasoning is an altogether inferior instruction of knowledge.

A Poet of Escape

The world of beauty was for keats an escape from the dreary and painful effects of ordinary experience. His great odes have for their subjects a storied Grecian urn; a nightingale (light winged dryad of the trees, a singer, throughout all ages made glamorous by poetry;) the goddess psyche mistress of Cupid, in the flowery tale of Apuleius, the melancholy and indolence of poet; and the seasons of autumn, to which he turns from the songs of spring - for thou hast thy music too. What he asked of poesy, of wine, or of nightingale's song was to help him .He prefers 'poesy' (imagination) to be the medium for escape to the mythical chariot of Bacchus:

" Away! away! for I will fly to thee,
Not Charioted by Bacchus and his pards,
But on the viewless wings of poesy", (2)

The moment he thinks of poesy he is transported into the world of imagination. This is the world of an art and here keats seems to compare the world of art to the world of nightingale (imagination) to the world of groaning sickness and heart breaking miseries Middleton Murry aptly remarks:

"For sheer loveliness this poem is unsurpassed in the English Language. It is a poem of midnight and sorrow and beauty".(3)

Notice the enchantment of meaning in the fourth line, where the two successive stressed syllables, 'dull brain', and the slightly awkward articulation of 'perplexes and retards', do indeed 'retard' the movement. The ' dull brain 'notwithstanding, poetic fancy wings the poet swiftly to the nightingale in its perch up among the tree- tops, where the moon and stars can be seen .Robin Mayhead remarks:

"Doubtless poetic fancy is here working very prettily , but there is something decidedly affected and precious about the reference to the 'Queen -Moon ', and the idea of the stars as fairies.(4)

It shows that the ode owns a great deal to the myth of philomela. The description of the`` intoxication" and ``draught"

* S. B. N. Govt. P. G. College Barwani, (M.P.) INDIA

is convectional. The mythical nightingale has been ever the symbol of the miseres `fret" and ``fever" of life. But nightingale is a happy bird. In the very beginning of the ode the lines occur but being too happy in thine happiness,- that thou, light - winged Dryad of the trees,

The song of the nightingale is at times compared with the songs of wood nymph or nature goddess who sings sweetly from the heart of the forest. (The description of the introduction and delete draught" is conventional.) But nightingale in this ode is a happy bird. The song of the nightingale is at times compared with the song of wood nymph or nature goddess who sings sweetly from the heart of the forest:

The nightingale is not merely a bird that has an -exquisite voice -it is much more than that; it is a symbol of warmth and fair weather, of nature in all her colour and her fragrance. This poem was written after the death of his brother Tom who had suffered excruciating agonies during his fatal illness and whose sufferings had been shared by the poet This ode is therefore a protest against the harshness and cruelty of life and the nightingale is a symbol of all that is lovely and painless ,and this can only be found in the arms of nature. He uses poetry to join the nightingale's night time world ,deep in the dark forest where hardly any moonlight can reach. He can 't see any of the flowers or plants around him ,but he can smell them.

Keats is at first charmed by the finished symmetry of the urn. The inscriptions of the scenes from the Greek legends, love and heroism fires his imagination. H.W Garrod remarks: "dwells with beauty , beauty that must die, and joy whose hand is ever at his lips Bidding adieu".(5)

Keats is typically romantic poet in the way in which he uses the fluid boundaries of imagination within his poem to formulate his aesthetic vision which is projected in 'Ode on a Grecian Urn'. The etymology of 'aesthetics' derives from the Greek meaning 'things perceptible to the sense' and sensory impressions within the poem Keats uses evocative techniques to project the refined sense of pleasure which he receives from observing the ancient piece.

Beauty with him, as with the Greeks above all the world, is the first and the last in the world of art. H.W. Garrod remarks: ``It is the world of the poet, though he perish in it. The Grecian Urn represents in fact, the same world, the world of beauty and humans passions, only fixed by art. The lover whom the Urn figures loves, not a` beauty that must die,' but that which, from the nature of art, cannot fade."(6)

Each object of nature was beautiful for its own sake and for its magic of colour, sound, odour and touch. It is this intense ,whole hearted sensuous love of all forms of natural beauty that inspired Keats. Keats thought that beauty was eternal and indestructible . Beauty and truth were the highest characteristics of the transcendental being whom we call God. They were very much akin to each other . Keats was certain of nothing; but of the holiness of the heart's affection , and the truth of imagination. What the imagination seizes as beauty must be truth.

Keats imaginary urn is a historian, it is a rural historian, rustic, a peasant historian who holds dignity and the truth of the histories which it recites. The Ode on a Grecian Urn contrasts the mutability of life with the principle of beauty as expressed in art .It establishes the superiority of art to poetry which is expressed in the following lines:

"Sylvan historian ,who canst thus express
A flowers tale more sweetly than our rhyme."(7)

The ode supplies no names and dates, it gives actions of man or gods. There is a paradox in the ode. The words ``mad" and "ecstasy" occur but it is the quite rigid urn and the paradox continuous. The scene is one of violent love making , a bacchanalian scene, but the urn itself is like a "still unrevised bride" and a child of "silence and slow time". It is not merely like a child, but like a `` foster child." The urn is fresh and unblemished; it is still young for all its antiquity and the time which destroys, have fostered it. It is obvious that the urn assumes the shape of a complete myth and keats forms his own myth of urn while talking the base from the ancient legends and myth. Nor is it foolish to think that in his selection of themes keats was guided by his instinct for Hellenic things away from the Grecio- Roman world to the art of athens in the fifth century B.C

The picture on the urn is of a young man playing a pipe, lying with his lovers beneath a glade of trees. The pipers "unheard" melodies are sweeter than mortal melodies because they are unaffected by time. He looks at the trees surrounding the lovers and feels happy that they will never shed their leaves. The speaker examines another picture on the urn, this one of a group of villagers leading a heifer to be sacrificed. When his generation is long dead, the urn will remain,telling future generations its enigmatic lessons : "Beauty is truth, truth beauty".

Keats sense of art is presented in the use of words. His diction is chiseled and polished. His phrases have artistic touch. His phraseology is that of a conscious artist. His poetry is full of phrases which simply haunt the imagination by verdure of their aptness and musical qualities. His pictorial paintings are works of a painter and in them we have the finest feelings of an artist.

Findings- With 'Ode to a Nightingale' Keats speaker begins

his fullest and deepest exploration of the themes of creative expression and the mortality of human life. In this ode the transience of life and the tragedy of old age is set against the eternal renewal of the nightingale's fluid music. He wants to escape the worries and concerns of life, age and time.

Nightingale is immortal , because so many different kinds of generations of people have heard its song throughout history everyone from clowns and emperors to biblical characters to people in fantasy stories.

The speaker's vision is interrupted when the nightingale flies away and leaves him alone. He feels abandoned and disappointed that his imagination is not strong enough to create its own reality. He is left confused and bewildered , not knowing the difference between reality and dreams.

'Ode on a Grecian Urn ' is remarkable for its persuasive conclusions about the nature of beauty , particularly as beauty is portrayed in artistic media . The concluding lines 'beauty is truth, truth beauty ,'-that is all ye know on earth ,and all ye need to know'. in these two seemingly simple lines ,Keats conveys his entire philosophy about art, beauty and life. The over all sense ,at least until the concluding stanzas, suggests a feeling of pleasure, bliss and eternity rather than of death .At the end of poem ,though ,Keats returns himself- and the reader -to reality by nothing that the world is a" cold pastoral". His observations of the urn have provoked considerations about the nature of truth, beauty and the function of art. Keats' poems are marked by sensuousness and aestheticism.

References:

(1) Cazamain's Louis and Emile Legouis, (1992) History of English Literature, Macmillan India limited, Madras. p. 1059.

(2) Pal Adesh, The Poetry of John Keats A Study in Mythical Structure, Meerut Shalabh Prakashan. p.104.

(3) Mundra J.N (1962), Studies in Poets John Keats, Bareilly, Literary publication Bureau, p.103

(4) Mayhead Robin(1967),John keats, New York, Cambridge University Press, p.72.

(5) Garrod H.W (1939), Keats, London, Oxford University press, p. 101.

(6) Garrod H.W (1939), Keats, London, Oxford University press, p. 101.

(7) kala B. D. (1963) , keats and his Famous Odes, Bareilly,Student Store, p.185.

****

Aristotelian Vs. Modern Concept Of Tragedy

Dr. Rajeev Sharma*

Tragedy is regarded as the highest poetic form. Abercrombie says, - "But the theory of Tragedy is worked out with such insight and comprehension, that it becomes the type of the theory of literature."[1] A Tragedy is a later development; it is, therefore, a higher kind than the Epic. The Tragedy is superior, because, all the parts of an epic are included in Tragedy; but those of Tragedy are not all of them to be found in the Epic. It was Aristotle who for the first time gave serious thoughts to the problem of tragedy and pronounced a thoery which remains important even today because of its inherent elasticity and comprehensiveness. The most influential and acknowledged earliest definition of tragedy appeared in his Poetics (335 BC).

Tragedy is an imitation of an action that is admirable, complete and possesses magnitude; in language made pleasurable, each of its species separated in different parts performed by actors, not through narration; effecting through pity and fear the purification of such emotions.[2]

Aristotle's definition of classical Greek tragedy has provided a deep understanding into the genre. According to him a tragic hero is one of noble birth, who is neither perfectly good nor utterly bad, falling into ruin from that eminence, because of some error of judgment on his part, (hamartia), suffering a major reversal in fortune (peripeteia). Aristotle also emphasizes on the unity of action.

With the advent of Horace (65-8 BC), a fresh beginning in literary criticism took place. His Arc Poetica (24-20 BC) is a treatise on the art of writing poetry. He follows the general, classical view that poetry should teach and delight, with greater stress on instruction. He also emphasized consistency in character and the exclusion of comic relief. He also advocated a five- act structure.

A tragedy is a narrative recounting of the life of some ancient or eminent personage who suffered a decline of fortune toward a disastrous end. That is characteristic medieval definition. Dante observed, in his letter to Can Grande, that tragedy and comedy move in precisely contrary directions. The motion of tragedy is a constant discount from prosperity to suffering and chaos: existu est foetida et horribilis.

In the Elizabethan period Phillip Sidney (1554-1586), in his "The Defense of Poesy" (1583), followed the Italian theory of poetry and neoclassical ideals of Italy. Ben Johnson (1573-1637) in his Discoveries like Sidney, shows high conception of the function of poetry, and the vocation of a poet, his views on the nature and function of poetry do not differ much from those of Sidney but they seem more directly Aristotelian. During the Restoration period, John Dryden (1631-1700), in An Essay on Dramatic Poesy did his best to have an equilibrium in the neoclassical ideals and the Elizabethan playwrights, who did not follow the neoclassical ideals.

During the 18 century, there was a movement away from the strict allegiance to the Italian ideals. Dr. Samuel Johnson (1709-1784) in his Preface to Shakespeare defended the tragic style of Shakespeare. Johnson also supported Shakespearean violation of the three unities of time, place and action.

ST Coleridge (1772-1834) praised Shakespeare as he presented the contemporary life in a very realistic manner. Naturalists like Emile Zola; also emphasized that tragedy should represent day to day life. Fredrick Nietzsche revived the Greek classical view of tragedy in his book "The Birth of Tragedy" (1871). For him tragedy is the outcome of the fusion of the Apollonian and the Dionysian meaning the rational and the primitive.

There has been a great confusion on the issue of writing tragedy in modern time amongst the literary critics. Critics like Maxwell Anderson, cautions anyone who dares to discuss the making of tragedy, lays himself open to critical assault and general barrage".[3] They are of the view that the exalted art of tragedy, conventionally dealing with the destiny of an individual is very difficult to prosper in the modern,commercial,materialistic and mechanical times.

Joseph Wood Krutch and Alan Renolds Thomson, the two most established authorities on the subject, have expressed the concern that in such a scenario, tragedy is impossible. Krutch in his famous essay "The Tragic Fallacy" in The Modern Temper (1929), despaired of the tragic fate, which had surpassed modern man.

He realized that the real tragedy had disappeared with the great ages of the Greeks and Elizabethans. He realized that "God and Man and nature had all somehow dwindled in the course of the intervening centuries."[4] Krutch is also of the opinion that virtually no modern play is tragic because the protagonist is not of exalted rank.

*** Asst. Prof. in English, Govt. Narmada P. G. College Hoshangabad (M.P.) INDIA**

Orrine E. Klapp in his essay "Tragedy and the American Climate of Opinion" observes "we simply do not have a culture in which tragedy makes much sense."[5] He has two questions in mind, first what difference does it make if Americans do or do not understand tragedy? The second, what are the elements of culture or the social climate that obstruct our appreciation of this act and its hero? For the first question, he refers to thinkers like C.E.M. Joad, Reinhold Niebuhr, Paul Hutchinson. J.W. Krutch who gave thought to the moral implications of the lack of tragedy. For the second question, Klapp feels that coining terms like a good guy, a villain, a fool, or even a victim for the tragic hero is responsible for it. He realizes that, "indeed, unless a culture was especially prepared to accept him, we might very well expect the tragic hero to be a total washout."[6]

Although modern theorists of drama discuss the chief problems of tragedy in much the same terms as Aristotle, they differ from the Poetics in significant respects. The principal modern writers on tragedy reveal the same concern that Aristitle did for the main constituents of tragic drama-the language of tragedy, the hero's nobility and his flaw, dramatic action, the components of plot, the outcome of tragedy,the relationship of plot to character and the effect of proper to tragedy; on most of these points, however, they interpret the constituents in larger contexts than Aristotle did. They go far beyond Aristotle in these respects. First, they require of tragedy a conflict of wills. Secondly, a majority of them insist that "evil" must be a part of the atmosphere of tragedy. Finally, they feel that the audience at a tragedy must receive a valuable revelation.

The Hero of Tragedy

Modern theorists and Aristotle find common ground when they discuss the most prominent facets of the hero's characer, his "rare" or "noble" quality and his flaw. Modern wriers, however, attach more meaning to the "nobility" of the hero than did Aristotle, and they suggest an enlarged interpretation of the tragic flaw. When Arthur Miller created the characer of Willy Loman, the salesman with a dream, he brought into sharp focus a question that has troubled dramatic theorists for some years.

The background of Greek tragedy called for a hero elevated above most men. Since Greek tragedy drew its life- blood from the myths and legends that made up Greek history, and since the outstanding personages in these stories were noblemen of some sort (kings or sons of kings) the description of "illustrious men" of long-standing families is more than an adequate one. Aristotle is seeking to limit the ranks of men who may be tragic heroes. He is attempting to establish a class of men "above the common level" who may be eligible for tragedy.

However, modern drama's change of social focus seems to have required a re-examination of the old Aristotelian principle.Most twentieth century theorists are at great pains to demontrate the necessity of a "rare" tragic hero, but they insist that he is "rare" by virtue of something besides his social stratum or his kinship.

The modern dramatists might only look at the contemporary drama and decide that a person of illustrios family family is not a necessity. There is no Oedipus in our modern drama to justify a requirement for the hero's royal or noble birth---no Oedipus, no Clytemnestra, no Ion, no Alcestis, only Willy Lomans, Joe Bonapartes, Paula Tanquerays, and Oswald Alvings.

In a world of democratic or socialistic government institutions, there is no place for royalty. At mid-twentieth century, we perhaps witnessed the last of the monarchies of world, and whatever form of government replaces each of them, it will not be blue blood that determines a man's right to rule. We may have today men "above the common level" as Ariostotle would say, and even men "highly renowned and prosperous," but if our outstanding figures fit these qualifications, it is by virtue of personal achievement, not the heritage of a titled or aristocratic birth.

In a century when the common man is enjoying the fruits of his emancipation we would expect the art and criticism of the times to reflect the glories of such common men and societies that sustain them, and indeed, the art and criticism of our theatre do reflect these very things. However, certainly we would not anticipate from this modern society the demand for an aristocracy, nobility, of any sort. In modern theories of tragedy there is this demand, a setting aside of one man as intrinsically better than his follows. The idea may be a carry over from the theory of the past, an effort of die-hard Aristotelians; it may find its justification in the fact that art may differ from life; or, it may represent even a rebellion against the democratic doctrine of equality. Whatever its source, the idea is prominent in modern theory of tragedy. Tragedy claims, say writers on the subject, a "nobility" for its hero; without such a nobility there can no tragedy.

The Hamartia

According to Aristotle, the perfect tragedy's change of fortune should involve neither a wholly virtuous man nor an utter villain, but rather, "the character between these two extreme, ---that of a man who is not extremely good and just, yet whose misfortune is brought about not by vice or depravity, but by some error or fraility (hamartia). He may have been royal and

illustrious and renowned and prosperous, but certainly not perfect.

In attempting to explain the nature of the frailty the moderns use such words as "pride," "ambition," "greed," "rashness," "blindness," "lust," "jealousy" etc. The hamartia, some modern theorists indicate, must be a "failure of reason" on the part of the hero---i.e., a lack of understanding to act unjudiciously. Maxwell Anderson, who has adopted the Aristotelian anagnorises (discovery) as the core of his theory of tragedy, insists that the hero must have a flaw. He must not be perfect, for the very process of tragedy; itself is an education through suffering. The playwright, Anderson says, must build his plot around the hero's discovery of his frailty. F.L.Lucas' description of the hamartia as "human blindness" bears out this idea of the hero's failure of reason. Similarly, G. G. Sedgwick and Henry A. Mayers, agree that the anagnorises reveals the past error committed by the hero, an error which would not have been committed had the hero had adequate knowledge or understanding of the circumstances. The notion of the hamartia as a failure of reason has its corroboration in Aristotle's philosophy itself. When modern theorists speak of the hero's blindness or of his recognition of the causes of his blindness or of his recognition of the causes of his suffering, they express what was probably Aristotle's original idea of the tragic flaw.

Works Cited

1. Robert W. Corrigan, The Theatre In Search of A Fix, (New York: Delacorte Press, 1973), p. 3
2. William K. Wimsatt Jr. & Cleanth Brooks, Literary Criticism: A Short History, (London: 1957; rpt. Delhi: Oxford Book Co., 1964), p. 36
3. Maxwell Anderson, "The Essence of Tragedy," in European Theories of the Drama, ed. Baret H. Clark, (New York: Crown Publishers, Inc., 1965), p. 510
4. Joseph Wood Crutch, The Modern Temper: A Study and a Comparison (New York: Harcourt, Brace and Company,1956),p.81
5. Orrin E. Klapp, "Tragedy & the American Climate of Opinion, Two Modern American Tragedies: Reviews & Criticism of The Death of a Salesman & A Streetcar Named Desire, Ed. John D. Hurrel, (New York: Charles Scriber's Sons, 1961), p. 29
6. Ibid.; p. 33

****

Williamfaulkner: The Desire For Success And Distinction

Pradeep Sharma*

In the southern states, from the days of the slaves, males were keenly desirous not only to make their living from them but also to acquire their riches from their hard work. For hundreds of years the southern males almost ruled over the individuals treating them as animals, put their human right aside, and made their lives easy. This ambitious desire to provide comfort to their family and themselves caused the ultimate destruction of a particular race. William Faulkner also shows the same kind of desire with regard to his career achievement. For making a living and to support himself, Faulkner did at first try unsuccessfully to become a renowned writer, as many Americans did. Though it took years for his dreams to materialize to become a well-known writer, but he didn't give up. He discovered early in his career that he did not have a particular writing-style that would put his work apart from in contemporaries. Therefore he did the tedious job of studying all types of literature produced by others to distinguish his own style.

Another method Faulkner adopted to discover new ideas was to observe the regular activities of others and trace within their interactions with others a story line that could capture the notice of his readers. After working for many years Faulkner tried to get his very first novel "Sanctuary" published. But the novel could not convince the publishers as it showed the ideas and the styles of other eminent writers whose works were read throughout the globe. But Faulkner never gave up inspite of receiving rejection letters from the publishers.

The rejection proved to be a pushing for Faulkner to become more creative and concentrate on the background information he had collected. Soon after Faulkner succeeded in getting his works published. After his marriage Faulkner realized that he lacked the financial support for his family and thus his desire to get his literature published increased desperately. In order to become well-known and get recognition Faulkner traveled to different countries.

After all the efforts and the struggle Faulkner received the attention and recognition he desired. But as his literary career was gaining in height, Faulkner's family life began to fall apart. And like may southern gentlemen of his days, he pinpointed himself more on his family, and he supplied them the emotions they needed. Unlike the others of his days, Faulkner attained his targets and fulfilled his dreams through his own hard work and determination and not through the toil and labour of other individuals as many Americans did for the financial support they desired.

References -

1- Children of the Dark House: Text and Context- Neol Polk, University of Mississippi, 1998.

2- Faulkner's People: A Complete Guide and Index to Characters in the Fiction of William Faulkner - Robert W. Kirk; Marvin Klotz, University of California Press, 1963.

3- Faulkner, Sut, and Other Southerners: Essays in Literary History. - M. Thomas Inge, Locust Hill Press, 1992.

4- Faulkner in Cultural Context - Donald M. Kartiganer; Ann J. Abadie. University Press of Mississippi, 1997.

5- William Faulkner and Southern History - Joel Williamson.

****

* Asst. Professor, Govt. P.G. College Dhar, (M.P.) INDIA

The Influence of Bhagvadgita in W.B. Yeats Poetry

Prof. Sushma Bhuvanendran *

Abstract - W.B. Yeats is the greatest poet and the link between the nineteenth and twentieth century in the field of English literature. He is a versatile personality: a lyric poet, a mystic , a mythologist , and romantic.He is a poet with political ideology , a prophetic vision and occult philosophy and his also a poet with experience in experiment in dramaturgy. Yeats along with Eliot was interested and influenced by Indian philosophy as well as Hinduism. Yeats was attracted to the occult sciences of India by Mohini Chatterjee and the Indian monk Purohit Swami. At the very young age of twenty two W.B. Yeats first spiritual encounter with Indian philosophy and scripture took place. Yeats was introduced to Vedanta , the Bhagwadgita and its theory of re-incarnation by Mohini Chatterjee. It may be pointed out that the Bhagawadgita does not propound any philosophy of its own but has in corporated all the philosophies prevalent at that time. Thus came Yeats in to the contact with Indian philosophy and scriptures. Yeats was in search of a religion which could make him more and more creative. "Yeats had learned this conviction that all mythologies have common spiritual pursuit and basis". From Madam Blavatsky's books and from the lady herself. Perhaps under such an influence only Yeats wrote, "In Christianity what was philosophy in Eastern Asia became life, biography and drama. A play passes through the same process in being written……. Was the Bhagvadgita " Scenario" . from which the Gospels were made? Yeats spritual encounter with the east was also influenced by the works of Rabindranath Tagore's Gitanjali. Yeats is indicating towards Gyan marg as enumerated in the Bhagavadgita when he says in the poem, ' Vacillation VII'. **" The Soul : Look on that fire: Salvation walks within"** Yeats echoed the same idea in 'Vacillation VII': The Soul our reality , leave things that seems. Arjuna was also carried away by the appearance and refused to fight with his brother and blood relation. When Lord Krishna showed him his dinine (real) stature Arjuna realised the reality. "The Heart:- What, be a singer and lack a theme?" here the poet yeats refering to a person like Arjuna who shunned from his duty as a fighter despite being a ksatriya. We see the impact of the philosophy of karma elaborated in the Bhagvadgita at a great length in the following definition of " Pure personality" given by Yeats: The Liberated soul, thus, all karma exhausted is the " human form divine" of Blake, that unity of being Dante compared to a perfectly proportioned human body. We find Yeats defining art also in terms of karma in the following words: "Does not all art come , when a nature that never ceases to judge itself exhausts personal emotion in action or desire so completely that some thing impersonal, some that has nothing to do with action or desire, suddenly starts in to its place, something which is as unforseen, as completely organised as the images that pass before the mind between sleep and waking? Thus we can safely say that Bhagvadgita provided thought material to Yeats and provided his messages as well. **Keywords:** Dramaturgy, re-incarnation, scriptures, bondage, obtrusively.

Unlike T.S. Eliot, Yeats refused to let his faith "circumscribed by the Christian revelation."

He had "An assured belief personal immortality" Lord Krishna teaches Arjuna the same lesson when he tells him that there was no time when he was not present and there will be no time when he will not be present:

बहुनि में व्यतीतानी जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वोणि न त्वं वेत्थ परंतप ।।
आजोऽपि सन्नव्यव्यात्मा भूतानामी श्ररोऽपि सन् ।
त्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।। ***(The Bhagvadgita IV : 5-6)***

Yeats also felt passionately that the face of personal immortality was of absolute and csentral importance.In A Bronze Head',Yeats wrote ,"Something may linger there though all else may die"he made use of this idea in his short poem 'A Meditation in time of War"Arjuna is told about the immortality of soul in the following words:

य एवं वेत्ति हन्तारं यशचैन मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।। ***(The Bhagvadgita II : 19)***

Yeats believed that he was in possession of detailed knowledge about the future destiny of human soul He expounds it even in Book III of A Vision.' Yeats conceived both this life to come as a continuous purgatory. Yeats wrote In the Serpent's Mouth," that god is a circle who centre is every where the saint goes to the centre, The poet and artist to the ring where everything comes round again.His centre everywhere is essentially an idea from the Bhagvad gita Lord tells Arjuna :

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते ।। ***VI -31***
मत्त: परतरं नान्यत्किचि+दस्ति धनंजय ।
मयि सर्वामिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इच ।।

*** Assistant Professor (English) Government Girls College, Dhar (M.P.) INDIA**

VII - 7

Yeats makes use of this idea in his poem "The Indian Upon God's bit of obtruisvely.The central idea of the poem which was written when Yeats was confident about his poetic powers:

I proclaiming that there is
Among birds or beasts or men
One that is perfect or at peace
… … … … …. ….
All that could run or leap or swim
Whether in wood,water or cloud
Acclaiming, proclaiming, declaiming Him

(Collected Poem Page 305)

Lord Krishna use the images of tree ,branches leaves and the root to describe the reality of this world

अर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्यम्।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥
अध्श्रोर्ध्व प्रस्तास्तस्य शाखा।
गुणप्रव्द्धा विषय प्रवालाः ॥
अध्श्र मूलान्यनुसंततानि।
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ ***(The Bhagvadgita XV : 1-2)***

A person who needs to know the reality and absolute truth will have to cut as under this tree :

न रूपमस्येह तथेपलभ्यते।
नान्तो न चाहिर्न च संप्रतिष्ठा ॥
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल।
मसशस्त्रेण दृढेन छित्तवा ॥
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं।
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ॥
त्मेव चाद्यं पुरूषं प्रपर्द्य।
तयः प्रव्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ***(The Bhagvadgita XV : 3-4)***

Yeats expresses these ideas using the same images in 'The *Coming of Wisdom and Time' :*

Though leaves are many ,the root is one;
Through all the lying days of my youth
I swayed my leaves and flowers in the sun;
Now I may be there into the truth ***(Selected Poetry Page 45)***

In 'Among School Children VIII Yeats write :

Labour is blossoming or dancing, where
The body is not bruised to pleasure soul. ***(Selected Poetry Page 130)***

Blackness is the symbol of total objectivity in Yeats theory and it is in such objectivity of the self that the soul is annihilated completely. In the Bhagvadgita Arjuna gets Gyan in the battlefield of Mahabharata War and he is told to annihilate his self which will give him salvation in turn :

सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचुः॥ ***(The BhagvadgitaXVIII :66)***

Yeats was much fascinated by the concepts of karma Reincarnation of the Bhagvadgita.He wrote:" personality is the first of all the men as he has been made by his Karma; he is set in the external world because that too, has been made by his Karma. Yeats argues for gaiety because this life is full of miseries. But what we face here is only a transitory phase. Yeats compares this world to a theatre. All of us been tragic heroes must accept our roles and must discharge our duties disinterestedly (cf. The Bhagavad-Gita XI: 32-34). The poet accepts that nothing material in the universe is immortal to support his argument Yeats gives the example of several civilization:

On their own feet they came, or on ship board building.
Camel-back, horse-back, ass-back, mule-back,
Old civilization put to the sword
Then they and their wisdom went to rake: ***(Selected Poetry Page 181)***

Yeats considers the person who seeks in seeks in self to be beautiful. It is borne out by the following lines of the poem under references:

In courtesy I'd have her chiefly learned;
Hearts are not had as gift but hearts are earned
*By those that are not entirely beautiful.****(Selected Poetry Pg.101)***

The Bhagwadgita teaches us that the knowledgeable seek in self in the following lines:

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालोनात्मनि विन्दति ॥
श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ***(The Bhagwad IV: 38:39)***

Yeats considers the intellectual hatred to be the worst kind of hatred because it is this that curbs the inner personality. Lord Krishna tells Ajana the process of one's loosing innocence in chapter II: 62-64.The persona of 'Sailing to Byzantium' describe himself as "A tattered coat upon a stick" (Selected Poetry Page 104).This image has been taken from Bhagvadgita when lord Krishna tells Arjuna "As a person puts on new garments, giving up the old and useless one" (II: 22).The persona of 'Sailing to Byzantium' wants to be free from the bondage of life and death.

Really speaking Yeats study of ancient Indian thought and Hindu scriptures including the Bhagvadgita from different sources strengthened him in his opinions and beliefs .It is known that Yeats talked of writing "A sort of European Gita or rather my [Yeats] Gita, not doctrine but song" This statement is enough to prove that Yeats was influenced not only by its thoughts content but also appreciated its poetic qualities. He made use many poetic symbols images of Bhagvadgita his musical poetry was also influenced by the divine song of Bhagavad-Gita.

References :-

1) W.B. Yeats, Selected Poetry (London :Pan Books Ltd,1974 [1962]),Page 178
2) Ibid., Page 11
3) Collected Poems of W.B.Yeats (London : Macmillan, 1950),Page 14
4) Quoted by Yeats ,Essays and Introductions Page 137-138)
5) Bhagavad-Gita As it is Ch 2 verse 65 tr. A.C. Bhagtivedanta swami Prabhu Pada.
6) Letters of Poetry from Yeats to Dorothy Wellesley, op,cit,p.8.

Trauma Of Communal Violence And Indian Diaspora In Anita Rau Badami's Can You Hear The Nightbird Call?

Dr. Amitabh Dubey *

The paper looks at fictional representations of Indian women's responses to trauma in the background of communal violence. It seeks to demonstrate how fiction allows for the re imagination of women's conditions during communal riots, and their responses to trauma as a result of those riots. Anita Rau Badami's Can You Hear the Nightbird Call? is set in the background of religious communal violence in India, and its diaspora . Also, the novel focuses the reader's critical attention on women through its use of women protagonists to explore gendered responses to trauma. The novel reveals that the female characters' differential responses to trauma have to be understood in the context of their gendered upbringing and their socio-historical circumstances that are temporal and contingent. Yet, at the same time, the novels suggest that communal violence subsumes class, gender, national identity and religious identity.

Diaspora theorists such as Sara Ahmed [1], Brian Keith Axel[2], Vijay Mishra[3] and Stuart Hall [4] refer to the idea of the homeland left behind as an imaginary homeland created by the migrant in the diaspora. But there is a distinction between "old homeland" and "new homeland," where "old homeland" refers to the assumed place of origin, and "new homeland" refers to the diaspora .

While Ahmed, Mishra and Hall posit that an imaginary old homeland is created by the diasporic subject in the new homeland in order to alleviate feelings of alienation due to racism, Axel offers his notion of a "diasporic imaginary"[4] where the imaginary homeland is not a reference to the old homeland that pre-exists migration. Instead, Axel uses the example of Khalistan for Sikhs, where Khalistan refers to a third new homeland, separate from the "old homeland" or the current "new homeland".

It is also important to note that while Mishra and Axel use the term "diasporic imaginary," both theorists use the term differently in their theorizations. Mishra uses it to refer to an imaginary "old homeland," while Axel uses it to characterize as an imaginary "new homeland" that exists only as a possibility or as a desire to create one. In the creation of an imaginary homeland, whether old or new, all four theorists refer to a "feeling" or "affect" component within diasporic subjects.

Anita Rau Badami explicitly reveals this in Can You Hear the Nightbird Call?5 through her portrayal of ethnic and religious minorities in India, such as the Sikhs, who experienced a sense of displacement and alienation due to the communal violence that targeted them following the assassination of Prime Minister Indira Gandhi.

Grewal[6], Gopinath[7] and Bhattacharjee [8] explain the alienation of Indian women in the diaspora through the idea of double displacement. Since a woman is metaphorically displaced in the Indian homeland due to patriarchal attitudes towards females, scholars argue that a physical displacement in addition to her metaphorical displacement adds to her sense of exile, where she is both in physical and metaphorical exile. Grewal, Gopinath and Bhattacharjee talk of "added burdens" in the new homeland, which adds to the diasporic subject's alienation . Due to a fear of the "alien culture"[9] of the new homeland , the diasporic subjects often end up alienating themselves further. In order to escape from this feeling of alienation leads to the diasporic subject reconstructs an imaginary homeland.

Can You Hear the Nightbird Call? looks at the lives of three women- Bibi-ji, Leela and Nimmo- in the background and aftermath of Indira Gandhi's assassination in 1984, and other violent events as precursors and results of the assassination. While the narratives of Bibi-ji and Leela contrast life both in India and abroad , Nimmo's narrative focuses on life in Delhi, India. Badami portrays the changing religious identities both in India and abroad for Bibi-ji and Leela, while focusing on Nimmo's changing religious identity within India. Nimmo's narrative stands out due to the difference in the kind of displacement she faces.

While Bibi-ji and Leela are physically displaced from their homelands due to their husbands' career and life choices, Nimmo's physical displacement is a result of the violence and cross border mass migration following the 1947 partition of British India into India and Pakistan. Bibi-ji and Leela experience a displacement that is slightly voluntary in nature, while Nimmo's displacement is forced which leaves her with emotional scars deeper than either Bibi-ji or Leela.

At the same time, Leela also stands out for the trauma she carries of being a "half and half" (74). As the daughter of a high- caste Hindu Brahmin father and a "casteless German"

* Head Deptt. of English Govt. Arts & Commerce College, Saugor (M.P.) INDIA

mother (77), who is growing up in a traditional Brahmin family in India, she experiences alienation within her family. Ceaselessly taunted by her Hindu relatives at home results in her sense of metaphorical exile as a child. In this metaphorical exile, Leela's mother's unexpected accidental death comes as a welcome respite, and allows Leela to make a choice of taking ownership of her father's religious identity, while still a child (87). Bibi-ji's trauma, on the other hand, is almost second-hand. The loss of her mother and sister (in the same cross border migration where Nimmo loses her family) takes place while Bibi-ji is in Vancouver with her husband (54-55). Bibi-ji's trauma rises out of her guilt and helplessness from being unable to save her family from the instabilities of the Partition.

The institution of family features prominently in Badami's novel in the formation of a woman's religious identity. Premilla D'Cruz and Shalini Bharat[10] point to the family as one of the primary sites for gendering processes that help shape a woman's personal, political and communal identities (167). Political forces also play a major role in the early development of identities (religious and national) of both men and women, according to van der Veer. The importance of both the familial and the political is illustrated well in Can You Hear the Nightbird Call?.

We see that while in India, Bibi-ji, Leela and Nimmo fall prey to both familial conditioning, as well as, outside circumstances that affect the way their religious and national identities are formed. While the religious identities of Bibi-ji and Nimmo are affected due to trauma (rising out of communal violence), Leela's migration to Vancouver changes the ways in which she perceives people from other religions and races. The religious and national identities of all three women form as a result of the larger political forces around them.

In Bibi-ji's case, her childhood desires are shaped by the dreams of her father (as a result of his unsuccessful journey to Vancouver on Komagata Maru) and the teachings of her mother. While Bibi-ji's desire for the unknown, "Abroad" (Badami 27), turns her into a diasporic subject, Bibi-ji's mother helps to shape her religious identity. While her mother professes the equality of all religions, Bibi-ji is constantly aware of her own religious identity as a Sikh.

With her religious identity firmly in place, Bibi-ji's transformation from a rural to an urban woman is a result of her own desire for change; a desire that is supplemented by her husband's desire for a wife who can fit into life in Canada. Pa-ji, Bibi-ji's new husband, insists that his young wife imbibe the best of both worlds (traditions of a rural Punjabi Sikh woman and the ways of an urban English-speaking woman), implying the differences that exist between the two worlds. Badami portrays Pa- ji as a firm believer in his religion. At the same time, she also complicates Pa-ji's religious identity by incorporating "contradiction" into his desire to transform his wife into a person who can straddle both the traditional (Sikh) and the modern (Canadian) worlds.

Bibi-ji handles the challenges of learning both English and "Gurbani" (33) and living in a city through the stability that her Sikh identity provides her. Her allegiance to her religion becomes apparent in the solace she derives from the Golden Temple at Amritsar in the absence of her husband and her natal family. Bibi-ji's struggle to establish herself as a woman of both lingual worlds (Gurbani and English), as desired by her husband, is a struggle that is eased with the help of the mental peace she derives from the sight of a symbol of her religion. In Bibi-ji's personal struggle to recreate a new self from an older self, Bibi-ji seeks comfort from a part of her old self. This old self is attached to her religious identity as a Sikh, and through this religious identity Bibi-ji is able to carve out her new (modern) identity with an occasional glance at her old identity to reassure her of the positive nature of the changes desired by her husband.

At the same time, her own desire to become a part of her husband's vision of her causes Bibi-ji to experience guilt: [Bibi-ji] had surreptitiously broken the rules of god-fearing Sikhs and cut her hair a few inches to even out the ragged ends. On one hand, she desires to be a dutiful Sikh; on the other hand, she wants to become an assimilated "modern" woman. In her willingness to accept her husband's desires, Bibi-ji reveals the complexity of her own inner struggle. Bibi-ji's guilt highlights her trepidation at choosing appearance over religion, despite her readiness to "shape [her future] to her liking" (35). In her struggle, Bibi-ji shows her desire to balance both parts of her identity- traditional with the modern, the past with the present.

In his desire to provide newcomers with a place to stay, Pa-ji displays his own sense of "feeling" like a stranger (47). He insists to Bibi-ji that Sikhs are strangers in Canada. By positioning himself as a stranger in Canada, Pa-ji echoes Ahmed's "melancholic migrant" (140). The migrant, here, is Pa-ji and he is unable to integrate himself into the national ideal of his adopted countryPa-ji's own sense of alienation is evident in his desire to maintain his ties with his community in "this land." Pa-ji's "paying back" demonstrates his desire for a second imaginary home within Canada in the form of an extended Sikh community.

Through her fictional character Leela, Badami portrays a woman who adopts her father's patrilineal religious identity

of a high caste Brahmin in her desire to belong. Born to parents of mixed heritage, a high caste Brahmin Hindu man and a "casteless" (77) white German woman, Leela makes a conscious decision to stick to her Hindu Brahmin identity out of her need for familial and societal acceptance. When her grandmother compares her to Anglo Indians, her grief lies in the separation her grandmother insists between Leela (her grandchild from a mixed union) and Narayana and Vishnu (her grandsons from the union of pure high-caste Hindu Brahmins), Leela agonizes that: "…she is also half here and half there…[l]ike the Anglo-Indians of Cox Town.' Leela felt as if her heart would burst with shame and hurt. To be compared to those people, so reviled by good Hindu families like her own- it was unbearable!" (78).

Leela's grandmother attempts to shame her into being confined to her mixed heritage by her constant taunts: "'Half breed,' Akka would mutter out loud. 'Worse than an untouchable. At least a toilet cleaner has caste. But this girl, where does she belong? Tell me, somebody, where?'" (82). Akka, Leela's grandmother, compares Leela to being lower than an untouchable, outside the Hindu caste system. In this comparison where Akka's family belongs to the highest caste in the Hindu caste system, Akka sees Leela as an orphan with no belonging.

Leela's grandmother aims to segregate her granddaughter from her pure breed grandsons born of her other children. She constantly reminds Leela of her place as being outside the pure Brahmin family. However, Leela's resilience in insisting on upholding her Brahmin status highlights her desire to belong to her father's family against all odds. Leela finds her survival in embracing a religious identity that her grandmother is intent on separating her from. In this act of embracing what she is forced away from, Leela highlights her rebellion and her agency at being able to choose her identity for herself. In this desire, she relies on the family servant Venki, as her ally, and makes herself indispensable to her father, to gain his support in maintaining her position in the family (88).

In recognizing and choosing her allies in her natal house carefully, Leela demonstrates her skills in shaping her own religious identity for herself. Unlike Bibi-ji whose childhood conditioning by her mother imbibes her Sikh identity within her, Leela's religious identity is a result of a reverse negative conditioning. However, both women make personal choices. While Leela chooses her religious identity as a shield against her mixed heritage, Bibi-ji's religious identity evolves as a result of personal choices.

Leela decides to stick to her chosen religious identity by further cementing it through marriage.

However, while Bibi-ji's actions were driven by jealousy and a desire for the unknown, Leela's actions are driven by her desire for the known, for the stability of a known Brahmin family that she can align herself with.

While Bibi-ji marries Pa-ji to escape her village life, Leela admits to marrying Balu for his "apparent stability," where his ancestors were "purebred Hindu Brahmins, untainted either racially or in their religion" (99).

However, Balu's decision to migrate to Canada later in the novel results in Leela's loss of the stability she experienced in Bangalore as Balu Bhat's wife and daughter-in-law of the renowned Bhat family.

Leela's alienation reflects Gopinath's theory of double displacement. Instead of the diaspora othering Leela in these first moments in the diaspora, Leela others the diaspora. Her disappointment in Vancouver rises not from the city's failure to please Leela, but from Leela's own failure to please herself. The disappointment that Leela experiences makes her alienate herself from her immediate surroundings.

She begins by comparing Vancouver to India (108), and in that comparison, reveals her strong desire for the homeland that she has left behind. Leela experiences a double displacement due to her conscious choice of rejection of the diaspora. Leela feels like a stranger in Canada, and this "feeling" or affect (Ahmed 141) causes Leela to alienate herself.

To contrast with both Bibi-ji and Leela, Badami uses the character of Nimmo to show how double displacement can occur within the homeland. While Gopinath's notion of double displacement refers to being physically and metaphorically displaced in the diaspora, Badami challenges this notion through Nimmo's narrative.

Nimmo's need for an identity is born out of her physical displacement within her homeland as a result of the 1947 mass migration and the disappearance of her entire family following Partition violence. Nimmo's trauma makes her grab at an identity as a Sikh based on a postcard she happened to be holding onto:

'What about that postcard you showed me? That is proof, is it not? It has the name of your parents, doesn't it?' [her husband's] voice rose in excitement. Nimmo was silent. She had never told him that the postcard might not be hers, that she might have picked it up on her journey to India during Partition, twenty years ago. (148)

Even though she does not articulate her misgivings about her Sikh identity to her husband, Nimmo realizes that her identity has been a product of her desire to bury her past, in order to live her present. Nimmo experiences a sense of

metaphorical displacement in her homeland due to her lack of memories from her childhood. At the same time, she chooses to bury this metaphorical sense of exile under an assumed identity in order to create a self identity for herself. She also struggles under the guilt of having taken on a religious identity that may not be her own.

Bibi-ji and Nimmo, both Sikh women, suffer in different ways from the violence against Sikhs in the 1984 anti-Sikh riots. While Bibi-ji loses her husband, Nimmo loses her entire family (except her son, Jasbeer). Badami also represents the Hindu Leela as a victim of the confrontational politics between the Indian state and Sikh militants. By making Leela the victim of the 1985 Air India 182 Bombing, Badami shows that in the end, Leela's high-caste Brahmin identity fails to save her from death.

Thus, the novel evocatively reveals how women are torn apart by their losses and how communal violence takes away the stability that these women initially find through their religious identities. The fictional representations of the three women show how dynamics of class, caste, religion and location can function in the background of communal violence, and trauma as a result of that violence. The novel also shows the ways in which women can respond to trauma, and how sometimes, their responses are contingent on their financial statuses.

References:-

1. Ahmed, Sara. "Melancholic Migrants." The Promise of Happiness. Durham: Duke University Press, 2010. 121- 160. Print.
2. Axel, Brian Keith. "The Diasporic Imaginary." Public Culture 14.2 (2002): 411-428. Print.
3. Mishra, Vijay. "The Diasporic Imaginary: Theorizing the Indian Diaspora." Textual Practice 10.3 (1996): 421-447. Print.
4. Hall, Stuart. "Cultural Identity and Diaspora." Braziel and Mannur 233-246. Print.
5. Badami, Anita Rau. Can You Hear the Nightbird Call?. Toronto: Alfred A. Knopf, 2006. Print.
6. Grewal, Mandeep. "Mass Media and the Reconfiguration of Gender Identities: The Bharatiya Nari in the United States." Gender, Technology and Development 7.1 (2003): 53-73. Print.
7. Gopinath, Gayatri. "Nostalgia, Desire, Diaspora: South Asian Sexualities in Motion." Braziel and Mannur 261-279. Print.
8. Bhattacharjee, Anannya. "The Habit of Ex-Nomination: Nation, Woman, and the Indian Immigrant Bourgeoisie." Public Culture 5.1 (1992): 19-45. Print.
9. Ramanujam, Bindignavle. "The Process of Acculturation Among Asian-Indian Immigrants." Immigrant Experiences: Personal Narrative and Psychological Analysis. Eds. Paul Elovitz and Charlotte Kahn. Cranbury: Associated Univer sity Presses, 1997. 139-47. Print.
10. D'Cruz, Premilla, and Bharat, Shalini. "Beyond Joint and Nuclear: The Indian Family Revisited." Journal of Comparative Family Studies 32.2 (2001): 167-194. Print.

****

हिंदी उपन्यास साहित्य में लोक चेतना

डॉ. अमित शुक्ल *

हिंदी उपन्यास साहित्य में लोकचेतना का उदय प्रेमचंद के उपन्यासों से माना जाता है हिंदी उपन्यास साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर लोक जीवन के साथ सार्थक रूप में जोड़ने का काम उन्होनें ही किया चारो ओर फैले हुए जीवन ओर अनेक सामायिक समस्याओ जमीदारों, पूँजीपतियों और सरकारी कर्मचारियो द्वारा किसानों का शोषण निर्धनता, अशिक्षा अन्धविश्वास, दहेज की कुप्रथा घर और समाज में नारी की स्थिति साम्प्रदायिक वैमनस्य लोक जीवन में व्याप्त विषयों और प्रसंगों को उपन्यासों का विषय बनाया। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास साहित्य में उत्तरोत्तर आदर्श भावना से मुक्त होकर जीवनधारा ताजगी तथा यर्थाथ को महत्त्व देते गये। सामान्य जिन्दगी को उसकी संपूर्ण मार्मिकता के साथ लोक जीवन की गहराई में डूब कर उपन्यास साहित्य में तीव्र संवेदना के साथ व्यक्त करके प्रेमचंद ने आगे आने वाले रचनाकारों का मागदर्शन किया।

प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारो में जैनेन्द्र ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक चेतना पुरस्कर्त्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। लोक चेतना की मनोवैज्ञानिक संवेदना को उपन्यास का विषय बनाकर जैनेन्द्र उसे विशेष व्यक्तित्व प्रदान किया। [1] लोक चेतना का संबंध देश के स्थल सुख दुख और आक्रोश के चित्रण से ही नहीं होता है। बल्कि राष्ट्र की आत्मा या चेतना की पहचान से होता है। उससे भी कुछ अधिक होता है। जिसमें देश या समाज की संस्कृति की आत्मा या चेतना स्पंदित होती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखे गये उपन्यासों में लोक सम्पृक्ति या लोक चेतना का भाव सन्नहित है। जिसमें सहज लोक जीवन के करीब पहुँचने का प्रयत्न परिलक्षित होता है। लोक जीवन तथा लोक चेतना के प्रति उन्मुखता में प्रगतिवाद का प्रभाव कहा जा सकता है। इस कालखण्ड के उपन्यास साहित्य में लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्यबोध, प्रकृति और उसके प्रश्नों को मिट्टी की गंध से सिंचित कर उसे अभिव्यत्ति देने का प्रयास किया गया है।[2]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के उपन्यासकारों में यद्यपि जैनेंद्र, अज्ञेय, अमृतलाल नागर, इलाचंद जोशी ने भी अपनी विशिष्ट शैली और विचारधारा के कारण सामान्य व्यक्ति की जिन्दगी से अपने उपन्यास लेखन को जोड़ा लोक चेतना का वह स्वरूप उनमें नहीं दिखलाई पड़ता जिसे प्रेमचंद ने गहराई के साथ लिया था ओर सेवा सदन तथा गोदान मे अभिव्यक्ति किया था स्वातंत्रोत्तर उपन्यासकारों मे लोक चेतना की दृष्टि से यशपाल का अपनी विशिष्ट विचारधारा और सृजनात्मक शक्ति के कारण स्वतंत्र व्यक्तित्व है, यद्यपि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इनके प्रारंभिक उपन्यासों मे समाजवादी यथार्थ की प्रतिबद्ध लोकचेतना अधिक है किन्तु 1858-60 के बीच लिखे गए झूठा सच उपन्यास मे भारतीय जीवन की लोकचेतना का संवेदनात्मक तथा यथार्थ चित्रण मार्मिकता के साथ चित्रित है। झूठा सच यशपाल ने जीवन के विभिन्न रूपों, आयामों, समस्याओं, जटिलताओं और लोकचेतना को अपने ढंग से प्रभावशाली रूप में चित्रित किया। वतन और देश तथा देश का भविष्य में इस उपन्यास में देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर व्यापक परिकल्पना साामयिक, सामाजिक, राजनैतिक वातावरण को यथार्थ के संदर्भ में व्यक्त करना यशपाल की लोक जीवन के प्रति प्रगाढ़ उन्मुखता का प्रमाण है। यशपाल का ''तेरी मेरी उसकी बात'' उपन्यास भी संलिष्ट है। आधुनिकतावादी उपकरणों के साहित्य में गाँव का वातावरण बदलने लगता है।

इस बदलाव में अवसरवादी राजनेताओं के नकाब उतारकर युवापीढ़ी के संघर्षो का जिस ढंग से चित्रण किया है, वह देश की ऐतिहासिक लोक चेतना की पहचान का सूचक है। आंचलिक चेतना को आधार बनाकर राही मासूम रजा शिवप्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, हिमांशु श्रीवास्तव आदि ने भी उपन्यास लिखे है। राही का ''आधागाँव'' शिया मुसलमानों की जिन्दगी पर लिखा गया ऐसा उपन्यास है जिसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिन्दगी का राष्ट्रीय आकांक्षाओं और जन चेतना के संदर्भ में तीखे दर्द के साथ उभारा गया है। शिवप्रसाद सिंह का उपन्यास ''अलग अलग वैतरणी'' में आधुनिकता बोध और लोकचेतना को सन्निविष्ट करने की कोशिश की है। इसके परिवेश में नए पुराने मूल्यों, नयी पुरानी पीढ़ी, भिन्न भिन्न वर्गो और जातियों की टकराहट में सारे मूल्य गड्ड-मड्ड हो जाते है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी गाँव के लोग अपनी वैतरणी पार न कर सके। सो नरक हो गये जहाँ अलगाव और टूटन है। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा समूचे गाँव के देश के सामाजिक राजनीतिक लोक जीवन का यथार्थवाद चित्रण है यशपाल की औपन्यासिक लोकचेतना की धार को पैना बनाने मे सबसे बाधक रही है उनकी मार्क्सवादी केन्द्रीय चेतना इसका फल यह हुआ है कि लोक जीवन के सत्यचित्रण में संलग्न होकर किसी जटिल मार्ग से गुजरने की उन्हे जरूरत नही हुई है इसलिये उनके उपन्यास झूठा सच, तेरी मेरी, उसकी बात वह अपेक्षित रचनात्मक ऊँचाई नही पा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश विभाजन के कारण जन जीवन में नई समस्याएं उत्पन्न हुई। उन्हें भी औपन्यासिक रूप दिया गया।

यशपाल के ''झूठा सच'' मेरी तेरी उसकी बात उपेन्द्रनाथ अश्क की ''गिरती दीवारें'', गर्मराख, भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले विसरे चित्र, राही मासूम रजा का, आधा गाँव आदि उपन्यासों में व्यक्ति समाज और देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की अनेक समस्याओं को उठाया गया है। टूटी हुई आस्थाओं और विश्वास के माहौल में भी जूझते हुए व्यक्तियो और समाज के मध्य उभरती हुई लोकचेतना को सन् 1850 के बाद के उपन्यासों में देखा जा सकता है। निश्चय ही ये आस्थाएं स्वतंत्र देश के उल्लास मनोबल और धरती से जुड़ी हुइ जनचेतना से अनुप्रेरित है।

इसके अतिरिक्त ग्रामांचल पर लिखे गये फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, शिवप्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, हिमांशु श्रीवास्तव आदि के उपन्यासो में भी इसी आस्था और लोकचेतना को हम देखते है। इनमें रेणु के उपन्यासों में लोकचेतना के विशद और जीवंत चित्र देखने को मिलते है। ''मैला आंचल और परती परिकथा'' उपन्यासों में ग्रामांचल की छोटी छोटी घटनाओं, कथाओं, आचार विचार, रीति नीति, राजनीतिक, नैतिक अवधारणाओं, पारिवारिक संबंधो के संलिष्ट चित्र मिलते हैं, जो पूरे अंचल की लोक चेतना के संदंर्भ में गत्यात्मक स्तर पर रामदास मिश्र का ''जल टूटता हुआ'' तथा ''सूखता हुआ तालाब'', हिमांशू श्रीवास्तव का ''रथ के

* सहायक प्राध्यापक, हिन्दी, ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

पहिए'', अब्दुल बिस्मिल्ला का झीनी झीनी बीनी चदरिया, गॉव के दमघोटू वातावरण, समस्याओं, विसगंतियों, आभावों और आंतरिक संदर्भो की लोकचेतना को तीव्रता से अभिव्यक्त करते है।

आधुनिकीकरण, बाहरी सभ्यता और लोक जीवन के संक्रमण के बीच निरंतर बदल रहे गॉव और नगर के विभिन्न आयामों को इन उपन्यासों में उद्‌घटित किया गया है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये लोकचेतना के उपन्यासकारों में मन्मथनाथ गुप्त, भैरव प्रसाद, अमृत राय, राजेन्द्र यादव, नरेश मेहता, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव वेद, गिरिराज किशोर, रमेश वसी, मधुकर गंगाधर, उदयराज आदि के नाम उल्लेखनीय है। इनमें से कुछ उपन्यासकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रतिबद्ध होने के कारण वर्ग संघर्ष की प्रगतिवादी चेतना से आच्छंन्न है। उनमें लोकचेतना का यथार्थवादी रूप नहीं मिलता मन्मथनाथ बहता पानी, भैरव प्रसाद के मशाल और गंगा मैम तथा अमृतराय के बीज, नागफनी व देश और हाथी दॉंत ऐसे ही उपन्यास है। राजेन्द्र यादव मन्नू भंडारी ने भारतीय समाज की चेतना को उखड़े हुए लोग उपन्यास में अधिक गहराई के साथ पकड़ने की कोशिश की है।

आज की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति को कैसे समझौतावादी बनने के लिए बाध्य करती है। यह इस उपन्यास के कथा प्रसंग से स्पष्ट होता है।[3] समय के साथ चेतना प्रवाह इतना विश्रखंल हो गया है, कि जिन्दगी पूरे तौर पर विश्लेषित न होकर कालखंड में बिखर बिखर कर रह गई है। गॉवों और देशे की चेतना इसी बिखरेपन को झेलती किसी तरह आगे बढ़ रही है इसीलिए छोटे फलक पर विस्तृत जीवनानुभूतियों के अनेक चित्र, शिवप्रसाद, गिरधर गोपाल, सर्वेश्वर दयाल के उपन्यासों में मिलते है।

रूद्र की बहती गंगा गिरधर गोपाल का ''चॉदनी रात के खण्डहर'' सर्वेश्वर दयाल का ''सोया हुआ जल'' ऐसे ही उपन्यास है। इनमे परिस्थतियों, घटनाओं, मनोदशाओं और मध्यवर्गीय परिवार की खोखली आर्थिक स्थिति के खण्ड-खण्ड चित्र है। कहीं-कहीं अंतश्चेतना की भूख, व्याकुलता और अतृप्ति के चित्र है जो देश में व्याप्त बृहत्तर लोक चेतना के प्रतिबिम्ब है गुमशुदा आस्था की तलाश अनेक अभिशप्त पात्रों और चरित्रो की सृष्टि गंगा प्रसाद विमल की विशेषता है। बदलते हुए रिश्तो को लेकर अपनी मिट्टी की पहचान खोदने वाले पात्रों को लेकर ज्ञान रंजन और उदय प्रकाश ने उपन्यास लिखे है। गिरिराज किशोर के उपन्यास में आज की परिस्थितियों में निर्णय न ले सकने वाले व्यक्तियों के कथा चित्र है जिसमें वर्तमान समाज की विसंगतियों के चित्र है। नरेन्द्र कोहली अतीत के कथा प्रसंग को वर्तमान से जोड़कर लिखते है। उनमे देश की लोकचेतना को झकझोरने की शक्ति है।

महिला उपन्यासकारों में ममता कालिया, निरूपमा सारवती, कृष्णा सोवती, मालती जोशी, कृष्णा अग्निहोत्री, दीप्ति खंडेलवाल ने समाज में व्याप्त अस्वीकार, ऊब, भीड़ में अकेलेपन, तथा राजनीति की उठापटक के सृजन की आंतरिक विवशता मान कर कथात्मक रूप प्रदान किया है। मन्नू भंडारी, शिवानी, कृष्णा सोबती ने अपने सृजन में आधुनिक नारी की मन स्थिति पारिवारिक जीवन के रिश्ते तथा उनके सीमित दायरे को अधिक समझा है।[4] निष्कर्ष यह है कि स्वतंत्रता के बाद सन् 1940 से लेकर 21वीं सदी के वर्तमान समय तक की कालावधि में हिन्दी उपन्यास साहित्य में लोक चेतना के अनेक रूपो और आयामों का चित्रण हुआ है, उसमें सबसे पृथक पहचान प्रेमचंद परपंरा के उपन्यासों की लोक चेतना का है, दूसरी उस सामाजिक लोक चेतना का जो प्रगतिवाद से प्रभावित है।

मनोवैज्ञानिक चेतना को उभारने वाले उपन्यास भी लिखे गये है वास्तव में भारत जैसे विभिन्न संस्कृतियों, धर्मो, भाषाओं तथा प्रदेशो में बटे हुए देश की लोकचेतना की एकात्मकता को उभारने के लिए हिन्दी साहित्य में संश्लिष्ट रूप से उपन्यासों में जो प्रयास किये गये है, उन्हीं को स्थायित्व मिला है।[5]

संदर्भ

1. डॉ. नामवर सिंह-हिन्दी के विकास में अपभ्रंश दरियागंज नई दिल्ली पृ. 92, 98, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद
2. डॉ. उदय नारायण तिवारी-हिन्दी भाषा का उद्‌भव और विकास, अशोक प्रकाशन, दरियागंज नई दिल्ली पृ. 122, 126,
3. डॉ. विनयमोहन शर्मा-हिन्दी का व्यावहारिक अध्ययन, राधा पब्लिकेशन, दरियागंज नई दिल्ली पृ. 23
4. जार्ज ग्रियर्सन-जनरल सर्वे आफ इण्डिया पृ. 71
5. डॉ. चन्द्रप्रकाश त्यागी-देशी शब्दों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, राधा पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 40, 41
6. स्वयं का सर्वेक्षण एवं निष्कर्ष

****

आधुनिक हिन्दी व्यंग्य में 'फन्तासी' के प्रयोग

डॉ. विजय कलमधार*

आधुनिक हिन्दी व्यंग्य का 'फन्तासी' एक अनिवार्य तत्व है। डॉ. शेरजंग गर्ग लिखते हैं– ''यथार्थ स्थितियों और व्यक्तियों पर काल्पनिक चरित्रों के मुखौटे उतारने का काम फन्तासी बखूबी कर सकती है, करती रही है।''[1] फन्तासी का सहारा व्यंग्यकार घटनाओं के निर्माण या पात्रों की सर्जना हेतु करता है, किन्तु व्यक्त होने वाला सत्य संदिग्ध नहीं होता।

कल्पना के चौखटे में यथार्थ की तस्वीर को ही व्यंग्यकार की 'काल्पनिकता' माना जा सकता है। नाटकीयता द्वारा व्यंग्य को नीरसता से उबारने का प्रयत्न भी व्यंग्यकार करता है। फन्तासी व्यंग्यकार की धार को और पैना करती है, चुभन को और तीक्ष्णता प्रदान करती है। यह व्यंग्य को मात्र शिकायत या उपदेश बनने से रोकती है।

फन्तासी का अर्थ स्वैर कल्पना, स्वप्न चित्र, भ्रांति, मोह और सनक एवं मौज के पर्याय के रूप में जाना जाता है। आज 'फैंटसी' शब्द ने इतना विकास कर लिया है कि उसमें परिकल्पना की नवीनता ने व्यक्ति के चरित्र को आँकने का प्रयत्न भी मिलता है।

फन्तासी के चरित्र पूर्णत: यथार्थ नहीं होते, किंतु उनका चित्रण कुछ इस प्रकार किया जाता है कि वे यथार्थ का भ्रम पैदा करते हैं और कभी–कभी तो यथार्थ को पूरी ईमानदारी से व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। परसाई जी के शब्दों में– ''लोक कल्पना से दीर्घकालीन संपर्क और लोकमानस से परंपरागत संगति के कारण ''फैंटसी'' की व्यंजना प्रभावकारी होती है।''[1] इससे स्पष्ट है कि फन्तासी में लोक कल्पना का पूरा इस्तेमाल होता है, जो लोक जीवन के विविध रंगों को उभारने में पर्याप्त सहायक होती है।

फन्तासी एक अत्यंत सशक्त माध्यम है जिससे युग, परिवेश, साहित्य, समाज की विसंगतियों को अत्यंत कुशलता से उभारा जाता है। विसंगतियों की अभिव्यक्ति के कारण उसमें व्यंग्य की उपस्थिति भी अपना कार्य करती है। यह आकस्मिक नहीं है कि व्यंग्य की अधिकांश सशक्त रचनाओं में फन्तासी के माध्यम को अपनाया गया है और विसंगतियाँ खुद–ब–खुद उघडती चली गई हैं। वास्तव में यथार्थ स्थितियों और व्यक्तियों पर काल्पनिक चरित्रों के मुखौटे लगाकर युग की विसंगतियों का मुखौटा उतारने का काम फन्तासी बखूबी कर सकती है, करती रही है।

हरिशंकर परसाई ने युगीन प्रवृत्तियों की धज्जियाँ उडाने के लिए फन्तासी का भरपूर प्रयोग किया है। वे फन्तासी की संरचना महज हँसाने के लिए नहीं वरन् तीक्ष्ण व्यंग्य करने के लिए करते हैं। कहानी की तुलना में उपन्यास में फन्तासी को निभाने का कार्य अधिक संयत लेखन कौशल की और संरचनात्मकता की माँग करता है। चूँकि कहानी में 'फन्तासी' का रूप कुछ लघु होता है और उपन्यास का विस्तार अधिक होता है। इसलिए उपन्यास में फन्तासी की संरचना आदि से अंत तक बखूबी निभाना आवश्यक है, अन्यथा कथानक बिखर कर रह जायेगा और व्यंग्य संप्रेषण नहीं हो पायेगा। 'रानी नागफनी की कहानी' में परसाई ने फन्तासी की संरचना बखूबी की है। कुँअर अस्तभान और राजकुमारी नागफनी के इर्द–गिर्द कथा का ताना–बाना तैयार किया गया है। अनेक अध्यायों में बँटा यह उपन्यास ऊपर से मनोरंजन और हल्का–फुल्का लगने के बावजूद जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की विसंगतियों को उभारने में समर्थ है। 'फन्तासी' एक किस्से के रूप में बयान की जाती है और बीच–बीच में उभरने वाले प्रसंग एक–एक विसंगति की धज्जियाँ उडाते है। वज्रमूर्ख अस्तभान समकालीन युवा, अनुभवहीन और मूल्य शून्य जीवन का ज्वलंत प्रमाण है।

उपन्यास का प्रारंभ कुँअर अस्तभान की परीक्षा में फेल होने की घटना से होता है। अस्तभान का मित्र मुफतलाल पास हो जाता है। चार बार बी. ए. में फेल हो जाने वाला राजपुत्र जब पास होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल पाता तो अपनी समझ के अनुकूल निम्नांकित प्रस्ताव मित्र मुफतलाल के समक्ष रखता है ''चार बार हम बी. ए. में फेल हो चुके। फेल होने के बाद आत्महत्या करना वीरों का कार्य है। हम वीर कुल के है। हम क्षत्रिय है। हम आन पर मर मिटते हैं। हमें तो पहली बार फेल होने पर ही आत्महत्या कर लेनी थी। पर हमने विश्वविद्यालय को तीन मौके और दिए अब बहुत हो चुका। हमें आत्महत्या कर ही लेनी चाहिए, जाओ इसका प्रबंध करो।

मुफतलाल उस तेज को देखकर सहम गया। वह चाहता था कि अस्तभान कुछ और जिन्दा रहे। उसने डिप्टी कलक्टरी के लिए दरख्वास्त दी थी और जानता था कि अस्तभान सिफारिश कर दे। वह समझाने लगा, ''कुमार, मन को इतना छोटा मत करिए। आप ऊँचे खानदान के आदमी है। आपके कुल में विद्या की परंपरा नहीं है। आपके पूज्य पिताजी बारहखड़ी से मुश्किल से आगे बढ़े और आपके प्रात: स्मरणीय पितामह तो अँगूठा लगाते थे। ऐसे कुल में जन्म लेकर बी. ए. तक पढ़े, यह कम महत्व की बात नहीं है। इसी बात पर आपका सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए। कुमार पढ़ना–लिखना हम छोटे आदमियों का काम है। हमें नौकरी करके पेट जो भरना है। पर आपकी तो पुश्तैनी जायदाद है। आप क्यों विद्या के चक्कर में पड़ते हैं।''[2]

व्यंग्यकार ने उक्त वर्णन में, मुफतलाल के माध्यम से राजा रजवाडों और सेठ रईसों की संतान के अविद्या प्रेम को रेखांकित करते हुए दर्शाया है कि पढ़ना–लिखना तो बेचारे मध्यवर्गीय लोगों का काम है। क्योंकि डिग्रियाँ हासिल करके उन्हें नौकरी की तलाश करनी होती है। मुफतलाल अपने मध्यवर्गीय संस्कारों के कारण कुँअर को जो नेक सलाह देता है, उसके व्यंग्य की मार अस्पष्ट या प्रच्छन्न नहीं है।

उपन्यास के प्रारंभ में अस्तभान परीक्षा में फेल होने पर आत्महत्या की तैयारी में निकलता है तब नौकरी देने के दफ्तर से चलने वाली बसों का वर्णन, व्यंग्यात्मक शैली में करते हुए कहा गया है–''नौकरी देने के दफ्तर से दिन में तीन बार सरकारी बसें यहाँ आती है, जो उन लोगों को नि:शुल्क आत्महत्या करने के लिए पहुँचा देती जिन्हें नौकरी नहीं मिलती।''[3]

रोजगार विभाग पर करारा व्यंग्य उक्त पंक्तियों में द्रष्टव्य है। रोजगार विभाग नौकरी देने में तो असमर्थ है किंतु निशुल्क आत्महत्या का प्रबंध कुशलता के साथ कर सकता है। राजकुमारी नागफनी पाँच बार प्रेम कर चुकी थी और उसे अफसोस था कि उससे पाँचो प्रेमियों में से एक भी ऐसा न निकला जो या तो उससे विवाह कर लेता या फिर आत्महत्या। इसलिए वह स्वयं मरने

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म. प्र.) भारत

की ठान लेती है। भेडाघाट नामक स्थल पर अस्तभान और नागफनी का प्रथम दर्शन में ही प्रेम हो जाना और आत्महत्या से विमुख होना दर्शाया गया है।

फेंटसी के माध्यम से बहुविध विडम्बनाओं का पर्दाफाश हुआ है। परीक्षा पद्धति की त्रुटियों, धांधलियों तथा नंबर बढ़वाने की मनोवृत्ति पर जमकर प्रहार किए हैं। साथ ही शासकीय नौकरियों में व्याप्त सिफारिशवाद और शासकीय सेवा विभागों में चलने वाली भ्रष्ट नीति पर व्यंग्य प्रहार इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है।

''उम्मीदवारों के इंटरव्यू और चुनाव के लिए पाँच अफसरों का एक आयोग बैठता था। आयोग के सदस्य के पास फार्म 'ख' पहले ही भेज दिया जाता था और वे दो प्रकार के प्रश्न तैयार कर लेते थे- जिसे लेना है उसके लिए एक प्रकार के प्रश्न और जिसे नहीं लेना उसके लिए दूसरे प्रकार के।''[4]

उक्त प्रसंग में व्यंग्यकार ने नौकरियाँ देने और प्रेम में होने वाली सस्ती हेराफेरी को व्यंग्य की चुटीली धार से काटा है।

वस्तुतः यह उपन्यास दो राजकीय किशोरों के बहाने सामाजिक, राजनीतिक विडम्बनाओं को उदघाटित करता है। समाज का प्रत्येक क्षेत्र स्वार्थ वृत्ति, कपट नीति और भ्रष्टता का शिकार है। शिक्षा पद्धति, परीक्षा प्रणाली, चिकित्सा के क्षेत्र में मची धांधली तथा नौकरी पाने के लिए अपनाये जाने वाला हथकंडों का वर्णन फैंटसी के माध्यम से बखूबी व्यंग्यात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में सफल रहा है। डॉ. शंकर पुणताम्बेकर के 'एक मंत्री स्वर्गलोक में' उपन्यास में एक मंत्री सशरीर स्वर्ग में पहुँचता है।

इस फैंटसी के माध्यम से व्यंग्यकार ने इस धरती की व्यवस्था वर्तमान विसंगतियों का रेशा-रेशा खोलकर रख दिया है- ''लोकतंत्र!'' चित्रगुप्त ठहाका लगाते हुए बोले- ''पब्लिक सर्वेन्ट्स की तरह तुम्हारा यह लोकतंत्र भी बड़ा ठगाऊ शब्द है। जिसे तुम लोकतंत्र कहते हो क्या सही मायने में लोकतंत्र है? वास्तव में तो इसे 'दलतंत्र कहना चाहिए।' शासन का सारा तंत्र लोकहित के नाम पर शासक दल के हित में लगा रहता है।''[5]

हरिशंकर परसाई ने 'इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर', 'भोलाराम का जीव', शरद जोशी ने 'अतृप्त आत्माओं की रेलयात्रा', 'पुराने पेड़ की बातें' जैसी रचनाओं में फैंटसी की सहायता से ही विसंगतियों के तीखेपन को दिखाया है।

इस प्रकार आधुनिक हिन्दी गद्य व्यंग्य साहित्य में फन्तासी व्यंग्य संप्रेषण में अत्यधिक सफल रही है। हिन्दी व्यंग्यकारों ने व्यंग्य को अधिक आक्र ामक और तीखा बनाने के लिए काल्पनिक चरित्रों का सहारा लिया है। नई कहानी में फन्तासी का प्रयोग दो रूपों में हुआ है।

एक समग्र कथा में फन्तासी, दूसरे आंशिक कथा के विशेष अंश में फन्तासी। फन्तासी की संरचना में धार्मिक अथवा लौकिक मिथकों का सहारा लिया गया है। संक्षेप में, आधुनिक हिन्दी व्यंग्य साहित्य में फन्तासी व्यंग्य संप्रेषण का सशक्त एवं सफल माध्यम सिद्ध हुई है।

संदर्भ सूची -

1. डॉ. शेरजंग गर्ग : 'व्यंग्य के मूलभूत प्रश्न' पृष्ठ 75।
2. परसाई रचनावली : भाग-2, (संपा. कमलाप्रसाद), पृष्ठ 24।
3. हरिशंकर परसाई : रानी नागफनी की कहानी (परसाई रचनावली-2), पृष्ठ 14-15
4. वही, पृष्ठ 25।
5. वही।
6. डॉ. शंकर पुणतांबेकर : एक मंत्री स्वर्ग लोक में, पृष्ठ 26।

****

राष्ट्रीय संस्कृति के वाहक : प्रसाद के नाट्यगीत

डॉ. जया प्रियदर्शिनी शुक्ल *

छायावादी काव्य आधुनिक काव्य धारा की अत्यन्त समृद्ध एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही है। किन्तु प्राय: प्रेम और सौन्दर्य का काव्य कहकर उसका एकांकी मूल्यांकन किया जाता है। साहित्य के संदर्भ में यह अनुभूत सत्य है कि कोई भी साहित्य अपने समय और समाज से निरपेक्ष नहीं रह सकता। युगीन परिस्थितियाँ, युग की जटिलटाएँ, विषमताएँ विश्वास-आस्थाएँ रचनाकार को उद्धेलित-प्रभावित करती है। छायावादी काव्य भी इसका अपवाद नहीं है। छायावादी काव्य भी अपनी भावभूमि में अपने समय से जुड़ा हुआ है और इसने अपनी एक सशक्त सामाजिक भूमिका का निर्वाह किया है।

छायावाद की सीमावधि 1918 से 19361 तक निर्धारित की जाती है। यह समय हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का है। जब भारत साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ एकजुट हो रहा था तब यह कैसे सम्भव था कि संवेदनशील और जागरूक रचनाकार इस राष्ट्रीय आन्दोलन से अप्रभावित रहते। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं।

साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाने वाले प्रसाद मूलत: भावुक हृदय कवि हैं। उनका यह कवि रूप ही उनकी समस्त रचनाओं में मुखर हुआ है। भले वह कहानी हो उपन्यास अथवा नाटक। हिन्दी नाट्य साहित्य में प्रसाद एक युग प्रवर्तक नाटककार हैं। उनके नाटक अपने समय के युग संघर्ष की सफल अभिव्यक्ति है। शांतिस्वरूप गुप्त उनके नाटकों के विषय में लिखते हैं-''उनकी नाट्य रचना के पीछे उस समय की राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियाँ थी, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने अपने नाटक द्वारा सुशुप्त जाति और राष्ट्र को जगाने का प्रयास किया।[2] प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय भावनाओं की प्रबल अभिव्यक्ति की है। डॉ. जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव लिखते हैं-''उनके युग का राष्ट्रीय जागरण उनकी सभी प्रमुख कृतियों में पात्रों और घटनाओं के माध्यम से प्रतिबिम्बित होता रहा है। जनतंत्र की उद्दाम लहर, नारी के जाग्रत स्वाभिमान की तेजोमय मुद्रा, वैज्ञानिक सभ्यता की बौद्धिकता एवं गांधीवादी समाजदर्शन की छाप उनके नाटकों में अपनी औचित्यपूर्ण वास्तविकता के साथ उभरती है।[3] नाटक जनता के समक्ष अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और नाट्य तत्वों में गीतों की एक प्रमुख भूमिका है। प्रसाद के नाटकों में संयोजित गीत भी नाटक में अपनी उपादेयता सिद्ध करते हैं। जहाँ एक और उनमें शाश्वत मानवीय भावनाओं की उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति मिलती है वहीं युगीन सामाजिक संदर्भ भी। प्रसाद के राष्ट्रप्रेमी कवि रूप की प्रबल अभिव्यक्ति इन नाट्यगीतों में हुयी है। इसका मूल कारण था युगीन परिस्थितियाँ।

दासता की शृंखला में जकड़े, आशाहीन वर्तमान को भोगते भारतीय जन के समक्ष प्रेरणा स्रोत कहीं था तो वह था उनका अपना उज्ज्वल अतीत। ऐसे में अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान की दिशा निर्धारित करने का मार्ग तत्कालीन समाज सुधारकों ने चुना। स्वामी दयानन्द सरस्वती एवं विवेकानन्द जैसे विचारकों ने वेदों का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए वेदों की ओर लौट चलने का नारा दिया [4] एवं समृद्ध भारतीय संस्कृति के परिपालन की वकालत की। डॉ. नगेन्द्र इस तथ्य को उद्घाटित करते हुए लिखते हैं -''राजनीतिक दासता के साथ-साथ इस सांस्कृतिक आक्रमण ने यहाँ के चिन्तकों को और भी आन्दोलित कर दिया। इसका परिणाम था भारतीय पुनर्जागरण का व्यापक आन्दोलन, जिसके जन्मदाता थे राजा राममोहन राय। स्वामी दयानन्द, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, गोपालकृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गाँधी इसी विराट आन्दोलन के नेता थे। इन सब महापुरूषों ने देश की अतीत परम्परा से मूल्यवान तत्वों को खोजकर उन्हें नये जीवन के अनुरूप ढ़ालने का प्रयास किया। यह स्पष्ट है कि ये कवि जिस वातावरण में सांस ले रहे थे उसका निर्माण इन्हीं महापुरुषों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हुआ था।''[5]

युगीन प्रभाव के फलस्वरूप प्रसाद के नाट्य गीतों में भारत के गौरवमय अतीत का स्मरण हुआ है। इस माध्यम से प्रसाद अंग्रेजों की चकाचौंध भरी सभ्यता में स्वयं को हीन समझ समर्पण की मुद्रा में आए भारतीयों के जातीय गर्व को उद्बोधित करते हुए यह याद दिलाना चाहते हैं कि आज असभ्य, जंगली और रूढ़िवादी कही जाने वाली यह भारतीय संस्कृति ही थी जिसने समस्त विश्व को श्रेष्ठ मूल्य और गुण प्रदान किये, जिसने विश्व को शांति और त्याग का संदेश दिया -

जगे हम, लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक;
व्योम-तम-पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी आलोक।।
सुना है ढाधिची का वह त्याग हमारा जातीयता विकास,
पुरंदर ने पवि से है लिखा अस्थि युग का मेरे इतिहास।।
यवन को दिया दया का दान चीन को मिली धर्म की दृष्टि,
मिला था स्वर्ण-भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि।।
हमारे संचय में था, दान अतिथि थे सदा हमारे देव
पचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। [6]

कुछ ऐसी ही आत्मगौरव की भावना प्रसाद चन्द्रगुप्त नाटक के एक गीत में भी प्रकट करते हैं। किन्तु आत्म गौरव जगाते हुए भी प्रसाद अपनी संस्कृति नहीं भूलते। हम भारतीयों की दृढ़ मान्यता है कि अपनी बड़ाई आप ही करें तो उसका महत्व कम हो जाता है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रसाद विदेशी कार्नेलिया के मुख से भव्य भारत की महिमा का वर्णन करवाते हैं-

अरुण यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।
लघु सुरधनु से पंख पसारे-शीतल मलय सभीर सहारे।
उड़ते खग जिस ओर मुह किए-समझ नीड़ निज पयारा।
बरसाती आँखों के बादल-बनते जहाँ भरे करूणा जल। [7]

प्रसाद केवल अपने देश के अच्छे तत्वों पर ही दृष्टि नहीं रखते वरन् यह भी जानते हैं कि हमारी रूढ़ियों के कारण ही हमें जंगली कहा गया। प्रसाद भारतीयों को चेताना चाहते हैं हम आत्म सुधार कर रहे हैं रूढ़ियों से हमने मुक्ति पायी है और फिर कोई कारण नहीं कि हम विकास न कर सके-

धर्म का ले लेकर नाम जो हुआ करती बलि, कर दी बंद।
वही है रक्त, वह है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान,
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान।
जिसे तो सदा उसी के लिए, यह अभिमान रहे, यह हर्ष

* एसोसिएट प्राध्यापक हिन्दी विभाग, वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान) भारत

निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा, हमारा प्यारा भारत वर्ष।[8]

जागरूक रचनाकार वही है जो अपने समय और समाज में होने वाले छल-छद्म को पढ़ सके और जनता को उसके विरूद्ध एक जुट कर सके। प्रसाद अंग्रेज शासकों की लूट की मानसिकता और जातिगत श्रेष्ठता के दंभ, आर्य-अनार्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट कर देते हैं कि दूसरों की सम्पत्ति पर अधिकार जताना-छीनना हमारी परम्परा नहीं-

किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं
हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं।[9]

प्रसाद यह अनुभव कर रहे थे हमारा संघर्ष कुटिल बुद्धि वाले अंग्रेजों के साथ हैं जो चतुराई से हमें बाँट कर हम पर शासन कर रहे थे। ऐसे में केवल बाहुबल से उनपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी। क्योंकि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल बल पर्याप्त नहीं होता। सन्मति; विचारवान बुद्धि, ही लक्ष्य प्राप्ति को सम्भव बनाती है। अनियंत्रित बल व्यक्ति को निरंकुश और आततायी बनाता है। जबकि प्रसाद तो उस महान् भारतीय परम्परा के विश्वासी हैं जो वीरता के साथ करूणा को भी उतना ही महत्व देती है। इसी कारण प्रसाद अजातशत्रु में प्रकारान्त से विवेकवान बुद्धि की ओर संकेत करते हैं। वासवी के माध्यम से वे प्रार्थना करते हैं कि हमनें वीरता के साथ करूणा और विवेक दोनों ही गुण हों तभी हम पूर्ण होंगे। क्योंकि दुष्ट-बुद्धि सत्ता का परिणाम प्रसाद और समस्त जनता के समक्ष था। इसी कारण पासवी के माध्यम से प्रसाद प्रार्थना करते हैं-

दाता सुमति दीजिए।
मानव-हृदय-भूमि करूणा से सींचकर
बोधन-विवेक-बीज अंकुरित कीजिए।
दाता सुमति दीजिए।।[10]

युगीन परिदृश्य पर नजर डालें तो पायेंगे कि हीन भावना से ग्रस्त भारतीयों का जीवन सुशुप्तावस्था में था और किसी के झकझोरने की बाट जोह रहा था। स्कन्दगुप्त नाटक में प्रसाद स्कन्दगुप्त के शब्दों में प्रसाद यह कामना करते हैं कि वीर भाव युक्त कोई धुन बजे जो हमारे सोये हुए, हारे हुए जीवन को जगा दे। स्वतंत्रता की चाह का मंत्र फूंक दे और हम निर्भय होकर स्वातंत्र्य युद्ध के लिए सन्नद्ध हो सके-

बजा दो वेणु मनमोहन। बजा दो।।
हमारे सुप्त जीवन को जगा दो।
विमल स्वातंत्र्य का बस मंत्र फूँको
हमें सब भीति-बंधन छुड़ा दो।[11]

प्रसाद भारत-वीरों को स्वातंत्र्य संग्राम के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। भले ही मार्ग में कितने संकट आएँ, कितनी ही बाधाएँ आएँ, सब झेलकर मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रसाद मंदाकिनी के शब्दों में देते हैं-

पैरों के नीचे जलधर हों, बिजली से उनका खेल चले
तब भी गिरि पथ का अथक पथिक, ऊपर ऊँचे सब झेल चले
पीड़ा की धूल उड़ाता-सा, बाधाओं को ठुकराता-सा
कष्टों पर कुछ मुस्ःयाता-सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले।[12]

इसी प्रकार चन्द्रगुप्त की अलका भी माँ भारती के वीर पुत्रों का आह्वान करती है-

हिमाद्री तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयंप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती
असंख्य कीर्ति-रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह-सी
सपूत मातृभूमि के रूको न शूर साहसी।।[13]

प्रसाद जैसे आत्मसम्मानी व्यक्ति के लिए दैन्य की स्थिति कभी काम्य नहीं हो सकती थी। और जब हमारी जाति का एक समृद्ध वीरतापूर्ण इतिहास रहा हो तब हम किसी के समक्ष क्यों हाथ फैलायें। प्रसाद यह देख रहे हैं कि हम जितना दबते जाते हैं उतना ही हम पर अत्याचार बढ़ता जाता है। वे ये अनुभव करते हैं कि अब हमारे पास हारने को भी कुछ नहीं बचा हमने ईर्ष्या, मद में अपने आत्मगौरव को विस्मृत कर देश की दुर्दशा को न्यौता दिया अब जागने-उठने का समय है। इसी कारण वे अकर्मण्य हो रही जनता की कुछ हद तक भर्त्सना करते हुए उसे आत्मगौरव-राष्ट्रीय गौरव के युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं-

देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उभारोगे।
हारते ही रहे, न है कुछ अब, दाँव पर आपको न हारोगे।
कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दीन हो दैव को पुकारोगे।
सो रहे तुम न भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम्हीं संवारोगे।
दीन जीवन बिता रहे, अब तक, क्या हुए जा रहे, विचारोगे।[14]

इन गीतों को पढ़कर कहा जा सकता है कि आज प्रकारान्तर से मानसिक गुलामी झेलते भारतीयों को भी ऐसे ही जागरण की आवश्यकता है। अपने राष्ट्र के प्रति ऐसे ही विश्वास और आत्मगौरव की आवश्यकता है। और प्रसाद के गीत इस भूमिका में सक्षम होने के कारण प्रासंगिकता ग्रहण करते है।

संदर्भ

1. डॉ. नगेन्द्र : हिन्दी साहित्य का इतिहास (संपा) पृ. 537-38
2. गुप्त, शांतिस्वरूप : प्रसाद के नाटक एवं नाट्य शिल्प, पृ. 112
3. श्रीवास्तव, डॉ. जगदीश प्रसाद : प्रसाद के नाटक रचना और प्रक्रिया, पृ. 13
4. http://en.m.wikipedia.org/wiki/vivekanand
5. डॉ. नगेन्द्र : हिन्दी साहित्य का इतिहास (संपा) पृ. 539
6. प्रसाद, जयशंकर : स्कन्दगुप्त, अंक-5, पृ. 84.
7. प्रसाद, जयशंकर : चन्द्रगुप्त, अंक-2, पृ. 72
8. प्रसाद, जयशंकर : स्कन्दगुप्त, अंक-5, पृ. 129-30
9. प्रसाद, जयशंकर : स्कन्दगुप्त, अंक-5, पृ. 129
10. प्रसाद, जयशंकर : अजातशत्रु, अंक-2, पृ. 85
11. प्रसाद, जयशंकर : स्कन्दगुप्त, अंक-4, पृ. 112-113
12. प्रसाद, जयशंकर : ध्रुवस्वामिनी, अंक-1, पृ. 21
13. प्रसाद, जयशंकर : चन्द्रगुप्त, अंक-4, पृ. 149
14. प्रसाद, जयशंकर : स्कन्दगुप्त, अंक-5, पृ. 127

****

समकालीन कथा लेखिका नासिरा शर्मा की कहानियों में नारी चेतना

डॉ. इला द्विवेदी *

स्त्री और पुरूष जीवन-रथ के दो पहिये हैं। मानव जीवन का रथ सुव्यवस्थित तरीके से अपने गन्तव्य तक पहुँचे इसके लिये यह आवश्यक है कि वे पहिये बराबर के हो और बराबरी पर स्थित हो। एक की भी किसी भी प्रकार की न्यूनता समाज को डगमगाने पर विवश कर देती है। इस सत्य से भली-भांति अवगत होते हुए भी भारतीय समाज में आज भी स्त्रियों की दशा और उनकी जीवन दिशा स्वस्थ नहीं कही जा सकती।

यह सत्य है कि आज नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रही है पर यह भी सत्य है कि वहाँ तक पहुंचने में उसे जिन संघर्षो से गुजरना पड़ता है वे बेहद कठिन ही नहीं, भयानक भी होते हैं। सदियों से चला आ रहा पुरूष सत्तात्मक समाज उनकी अस्मिता, उनके अधिकार को सहजता से स्वीकार करना ही नहीं चाहता। कभी धोखे से, कभी छल से, कभी षडयंत्र रचकर और कभी ईमानदारी की चोला पहनकर उसे बार - बार ठगता है और यह अहसास कराता है कि तुम दोयम दर्जे की हो।

साहित्य जीवन की समालोचना है। हमेशा से साहित्य मानव जीवन के दोषों पर अंगुलि-निर्देश करता आया है साथ ही समाधान के साथ गुणाधान भी। साहित्यकार, फिर चाहे वे पुरूष लेखक हों या महिला लेखिकायें, अपने साहित्य-सृजन द्वारा समाज को सही दिशा देने का कर्तव्य भली-भाँति निभाते आये हैं।

आज के दौर की हिन्दी की ऐसी ही कथा लेखिका हैं- नासिरा शर्मा, जो अपने कथा-साहित्य द्वारा समाज की गलित परम्पराओं पर आघात करती हैं और उसे स्वस्थ बनाने के भरसक प्रयास भी। नासिरा शर्मा जी ने अपने कथा साहित्य में 21वीं शताब्दी के बदलते हुये परिवेश को बहुत गहराई से उकेरा है और उसमें आज की स्त्रियों की वास्तविक स्थितियों का यथातथ्य चित्रण किया है।

रचनात्मकता की दृष्टि से नासिरा शर्मा जी का साहित्य आज के दौर का महत्वपूर्ण साहित्य है। उन्होंने अनेक उपन्यास एवं कहानियाँ लिखी हैं। उनकी अब तक की प्रकाशित रचनायें हैं - 'सात नदियाँ एक समन्दर, 'शाल्मली' 'ठीकरे की मँगनी', 'जिन्दा मुहावरे-उपन्यास हैं।' वही 'शामी कागज', 'पत्थर गली', संगसार, इब्नेमरियम, सबीना के चालीस चोर, खुदा की वापसी इत्यादि कहानी संग्रह हैं।

नासिरा शर्मा जी ने अपनी कहानियों में आज की संघर्षशील नारी का यथार्थ चित्रण किया है। इन्होंने हर धर्म-फिर चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम या कोई अन्य सभी की रूढियों, गलित परम्पराओं को बड़ी सहजता से सामने रखा है। उनके कथा साहित्य में फिर वे चाहें इस्लाम धर्म की स्त्रियों का चित्रण करें या हिन्दू धर्म की स्त्रियों का आज की नारी की ही वेदना और उत्पीड़न प्रतिबिम्बित हुआ है। स्त्री हिन्दू हो या मुस्लिम-उनके दुख-सुख, उनकी आकांक्षायें एक सी हैं। उनके संघर्ष एक से हैं। उनकी महत्वकांक्षायें एक सी हैं, उनकी जीवन शैली एवं संस्कार एक से हैं। निष्कर्ष रूप में उनका कथा साहित्य आज की स्त्रियों की स्थिति का जीवंत दस्तावेज है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं-

'खुदा की वापसी' कहानी में लेखिका ने फरजाना की स्थितियों के माध्यम से आज की नारी की विशेषताओं को चित्रित किया है। जब फरजाना का पति कूटनीतिक तरीके से अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर पहली ही रात को फरजाना से मेहर की रकम पचास हजार माफ करवाता है और स्वयं को बहुत बड़ा सिद्धान्तवादी और ईमानदार भी सिद्ध करता है तब फरजाना की स्थिति अत्यन्त दयनीय और शोचनीय हो जाती है और अपने आपको वह घोर धर्म संकट में पड़ा हुआ पाती है कि अब क्या करें? अन्ततः वह मेहर माफ कर देती है। उस समय की उसकी स्थिति का चित्रण करते हुये नासिरा जी लिखती हैं- ''आपने मेहर माफ किया? ''जी'' हारी सी आवाज फरजाना के गले से निकली और उसने पूरी ताकत से आये आँसू पी लिये। उसे ईमानदारी बिना किसी अनुभव के साबित करनी थी। बिना किसी प्रतियोगिता के दूसरे पक्ष को विजयी घोषित करना था।''[1]

नासिरा जी इन विशेषताओं का चित्रण ही नहीं करती अपितु उनके प्रतिरोध जो आज, स्त्री-समाज में दिखाई देने लगे हैं- उन्हें भी बताती हैं। फरजाना और उसके पति की जिन्दगी सामान्य ढंग से चलने लगती है लेकिन पहली रात वाली मेहर की रकम माफ कराने वाली घटना उसे रह-रह कर सालती रहती है। विशेषकर जो तरीका उसके पति ने अपनाया था वह उसे बहुत दुख पहुँचाता है, जिसे वह भूल नहीं पाती। एक दिन वह पति से उस व्यवहार के बारे में पूछती है कि उसने प्रथम रात्रि को मेहर की रकम माफ कराने वाली बात क्यों की थी और पति द्वारा यह कहने पर कि वह एक मर्दाना नशा था, ताकत का, घमण्ड का और अपने को तुमसे श्रेष्ठ समझने का। तब फरजाना अपने को छला हुआ महसूस करती है।

पति द्वारा यह कहने पर मुझसे गलती हो गई, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाना। इस पर फरजाना आहत होकर कहती है - ''फिर एक नया फरेब, एक नया जाल मोहब्बत के नाम पर बुन रहे हो? पछता रहे हो तो प्रायश्चित भी करना जानते होंगे। मैं तो अपने को सजा दे रही हूँ अपनी हिमाकत की .... यह कोख हमेशा सूनी रखूंगी, उस मर्द का बच्चा हरगिज कोख में नहीं पलने दूँगी जो मोहब्बत के नाम पर सत्ता का परचम लहराये, जो औरत के अधिकार को अपनी चालाकी से छीन ले और उसे निहत्था बनाकर अपनी जीती जमीन का ऐलान करे.... वह जमीन अंकुर नहीं फोड़ेगी, कभी नहीं।''[2]

इसी प्रकार उनकी एक कहानी 'दिलआरा' में साजदा बेगम के माध्यम से उन्होंने 21वीं सदी में स्त्रियों में जागृति एवं बदलाव के संकेत उजागर किये हैं। साजदा बेगम जब विधवा हो जाती हैं तो समाज कैसे-कैसे उन्हें अपमानित करता है और अन्ततः साजदा बेगम अपने को बदलने की ठान लेती हैं। वे स्वयं से कहती हैं- ''साजदा! कोई राह निकाल। यूँ तो तू अपने को घुला डालेगी। जीने की राह बहुतेरी हैं।

आखिर तब भी तो तूने जीना सीखा था जब मेवात से दिल्ली चचा की लड़कियों की शादी में गई थी और छोटी बहन ने कन्धे उचकाकर सहेली से कहा था कि यह अंग्रेजी नहीं जानती, गाँव में पढ़ती है.... इससे हिन्दुस्तानी में बोलो, सुनकर तब कितना तड़पी थी तू और राह निकाली थी। वह आज भी बरकरार है। अब एक बार फिर जरूरत है कुछ कर दिखाने की,जो है उससे

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.) भारत

आगे बढ़ने की.... वरना तुझे बेबा कह कहकर लोग तेरा जीना हराम कर देंगे।''[3]

नासिरा जी का कथा साहित्य स्त्रियों को समाज और धर्म की सही जानकारी भी देता है। धर्म और परम्पराओं के नाम पर स्त्रियों को दबाना, उनका शोषण करना, उन्हें अंधेरे में रखना, समाज और देश को गुमराह करना अब सामान्य बात नहीं है क्योंकि आज की नारी परदे से बाहर निकल, तार्किक ढंग से विचार करने लगी है।

'दिलआरा' कहानी में वैधव्य के बाद समाज में तरह-तरह से अपमानित होकर साजदा बेगम स्वयं की राह को बदलने का प्रण करती हैं, फलस्वरूप तमाम विरोधों के बावजूद नई लड़कियों को ज्ञान की रोशनी देने का काम प्रारम्भ कर देती हैं। वे लड़कियों को बताती हैं- 'पैगम्बर अपने शरीक-ए-हयात की बड़ी कदर और इज्जत करते थे। उनका कहना था मरियम माँ यहूदियों में और खदीजा मुसलमानों में सबसे बेहतर खातून हैं।...... पैगम्बर-ए-इस्लाम ने अपने वक्त को देखते हुए औरतों के लिए बेहतर से बेहतर कानून बनाये.... उन्हें अपनी पसन्द से शादी और मरजी से तलाक का हक दिया। बाप की जायदाद में हिस्सा, बेबा होने पर दूसरी शादी की इजाजत दी गर्ज कि उस दौर-ए-जिहांलत में इस्लाम औरतों के लिए खासतौर से आजादी का पैगाम बनकर आया।'[4]

नासिरा जी की कहानियों में नारी चेतना और उसकी अस्मिता का स्वर प्रधान है। विशेष रूप से उनके कहानी संग्रह-'खुदा की वापसी' में। इसी संग्रह की 'दिलआरा' कहानी में दिलआरा उन लड़कियों में से एक है जो साजदा बेगम के पास पढ़ने जाती है। उसका विवाह उसकी इच्छा के विरूद्ध कहीं और तय किये जाने की कोशिश परिवार द्वारा की जाती है। पर वह इसका विरोध करती है क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती है। वह जिससे प्रेम करती है वह अपनी विवशताओं के कारण उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो पाता फिर भी दिलआरा किसी अन्य से विवाह के लिए राजी नहीं होती। नासिरा जी द्वारा किये गये वर्णन में ''रोज की तरह सूरज वहीं से उगा जहाँ से रोज उगता था।..... कहीं कुछ बदला नहीं था। फिर दिलआरा कैसे बदलती, वह भी अपनी जिद पर अटल थी। जिसको वह पसन्द नहीं करती उससे वह शादी क्यों करे।''

निष्कर्षत: उनकी कहानियों में 21वीं सदी का परिवेश स्त्रियों के सन्दर्भ में पूर्णत: बदलता हुआ उजागर होता है। हमेशा हाशिये पर समझा जाने वाला स्त्री समाज अब अपनी अस्मिता की पहचान के लिए कटिबद्ध दिखाई देने लगा है और अपने अधिकारों के प्रति सजगता और चेतना भी उनमें आई है। 'खुदा की वापसी' संग्रह के फ्लैप पर दी गई टिप्पणी इसी आशय को स्पष्ट करती है - ''खुदा की वापसी'' की कहानियाँ एक समुदाय विशेष की होकर भी विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नारी के संघर्षों और उत्पीड़नों से उपजी विद्रूपताओं तथा अर्थहीन सामाजिक रूढ़ाचार पर तीखी चोट करती ये कहानियाँ समकालीन परिवेश और जीवन की विसंगतियों का प्रखर विश्लेषण भी करती हैं, भाषा और शिल्प के नयेपन सहित, पूरी समझदारी और ईमानदारी के साथ।''[5]

नासिरा जी की कहानियों में विद्रोह के साथ एक नई उम्मीद, एक नई आशा भी सदैव दिखाई देती है। लेखक विशाल श्रीवास्तव के शब्दों में - ''नासिरा शर्मा के पूर्व के कथा संग्रहों से लेकर 'इन्सानी नस्ल' तक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यथास्थितिवाद से वैचारिक यथार्थवाद की ओर बढ़ता हुआ एक दायरा स्पष्ट होता है। उनके पहले संग्रह 'पत्थर गली' से लेकर 'इब्नेमरियम', संगसार, शामी कागज, सबीना के चालीस चोर और खुदा की वापसी तक सभी में भले ही मूल समस्याओं और घटनाओं को लेकर विभेद रहे हों, लेकिन उनका विजन हमेशा स्पष्ट रहा- खारिज होती आस के सिरे पर एक नई उम्मीद की तलाश, जो नए दिन की तामीर हो।''

सन्दर्भ ग्रन्थ -

1. नासिरा शर्मा, 'खुदा की वापसी' (कहानी संग्रह) पृ.सं. 19
2. नासिरा शर्मा, 'खुदा की वापसी' (कहानी संग्रह) पृ.सं. 31
3. नासिरा शर्मा, 'खुदा की वापसी' (कहानी संग्रह) पृ.सं. 81
4. नासिरा शर्मा, 'खुदा की वापसी' (कहानी संग्रह) पृ.सं. 83
5. नासिरा शर्मा, 'खुदा की वापसी' संग्रह के फ्लैप पर दी गई टिप्पणी से।
6. विशाल श्रीवास्तव, पुस्तक - 'कला का सौन्दर्य'- खण्ड-2, सम्पादक-यतीन्द्र मिश्र, पृ.सं. 170

****

आर्थिक परिवेश: साहित्यिक सन्दर्भ

रेखा सैनी *

अर्थ समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारतीय समाज में व्याप्त जटिलताएं अर्थ पर निर्भर करती है। अर्थ वह धूरी है जिसके इर्द-गिर्द व्यक्ति और समाज का विकास टिका होता है। आर्थिक अभाव के कारण व्यक्ति और समाज दोनों का विकास रूक जाता है। वर्तमान युग पूँजीवादी युग है। आज व्यक्ति की पहचान आर्थिक स्थिति पर निर्भर है समाज में अर्थ को प्रधानता देने के कारण व्यक्ति की पहचान भी अर्थ से ही की जाती है।''[1]

आज व्यक्ति के सभी संबंध अर्थ से ही जुडे हुए है और व्यक्ति सम्पूर्ण समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय परिवेश में परिव्याप्त विविध आर्थिक समस्याओं को उजागर करने के साहित्य एक महत्वपूर्ण साधन है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब कहा गया है। साहित्य के माध्यम से हम अतीत और वर्तमान की यथार्थ परिस्थितियों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी पहलुओं को जान सकते है।साहित्य के माध्यम से साहित्यकार व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हर समस्या का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है।

देश के आर्थिक विकास के मार्ग में जनसंख्या और प्राकृतिक कारको के साथ अन्य अनेक समस्याएं बाधा बनती है। सामाजिक जीवन के तनावग्रस्त होने का मूल कारण है आर्थिक स्थिति। आज परिवार एवं समाज से लेकर राष्ट्र तक सभी आर्थिक स्थिति के विकराल एवं क्रूर रूप में फॅसें है। जीवन संघर्ष की मूल जड़ भी अर्थ ही है। ''वर्तमान आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होकर विद्रोहात्मकता एवं अमर्षता का बोध कराती है।''[2] भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश होने के कारण विषमता युक्त है।

देश भारत की आधी से अधिक आबादी गाँवों में निवास करती है। ''हमारे ग्रामीण समाज के लोग अशिक्षा के कारण सेठ-साहूकार, जमींदार के चंगुल में फॅसे रहते हैं। युवक रोजी-रोटी के लिए गाँव छोड़ कर नगरों की ओर जा रहे है किंतु चाहे गाँव हो या नगर हर जगह गरीब, मजदूरों का शोषण होता ही है। एक तो नौकरी की समस्या है और दूसरी नौकरी मिलने पर तनख्वाह की। बड़े लोग नौकरी करने वालों का शोषण करते हैं। उनसे काम करवा लेते हैं लेकिन तीन-तीन महीनों तक तनख्वाह ही नहीं देते। ऐसी स्थिति में विरासत के रूप में पाई गरीबी नौकरी पेशा लोगों के जीवन को बुरी तरह तोड़ देती है। अन्ततः व्यक्ति का मान-सम्मान संकटग्रस्त हो जाता है। फिर भ्रष्टाचार, चोरी, मिलावट न जाने कितने रास्ते अपनाने पड़ते है। फिर भी दैनिक जरूरतें पूरी नहीं होती।''[3] इन सभी विषयों को साहित्य के माध्यम से विविध साहित्यकारों ने अभिव्यक्त किया है।

रामदेव शुक्ल लिखित **'विकल्प'** उपन्यास में जमींदार चौबे, साहूकार गरलू सुकुल और सुभग, सुकुल गरीब और भूमिहीन चमार का बड़ी बेदर्दी से शोषण करते है। मजदूरी पर निर्भर रहने वाले चमार असमय मिलने वाली मजदूरी के कारण ऋणग्रस्त होते है। उन्हें ऋणग्रस्त बनाकर उनका शोषण करना ही जमींदार के जीवन की प्रतिष्ठा है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण राकेश वत्स लिखित उपन्यास 'जंगल के आस-पास' में शोषण का विकराल रूप दिखाया है। पूँजीपति राय साहब आदिवासियों को ऋणग्रस्त बनाकर अपने खेतों और फैक्टरियों में रात-दिन खटवा रहे थे। गाँव की अदालत एवं कानून सभी कुछ रायसाहब के हाथ में है। उनके विरोध में यदि कोई आवाज उठाता है, तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ''मुश्किल से ही कोई ऐसा घर होगा जिसके किसी न किसी सदस्य ने अपने शरीर और मन पर बंधुआ मजदूर होने का कलंक न ढोया हो।''[4] अत्याचार, शोषण और आतंक ने गरीब मजदूरों का जीवन ही जकड़ लिया है। **संजीव** लिखित **'धार'** उपन्यास में संथाल आदिवासियों का जीवन पूर्णतः पूँजीपति बाबू महेन्दर द्वारा शोषित है। कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें अभावग्रस्त और फटेहाल जीवन जीना पड़ता है। ''ठेकेदार अब भी ढोर-डांगरो की तरह उन्हें काम कराने हांक कर ले जाते हैं और चूस कर छोड़ देते है माफिया अब भी उनसे अमानुषिक श्रम कराते है। और जरा-जरा सी बात पर पीटते है।''[5] **यशपाल** के उपन्यास **'झूठा सच'** में गौसमुहम्मद अपने धन की आड़ में पुरी का शोषण करने में सफल होता है। वह पुरी से किताब का अनुवाद करवाता है, परन्तु पैसे देने के समय में वह पुरी को टालता रहता है। पुरी सोचता है, ''प्रकाशक चाहे बीस हजार कमा ले और पाठ्य पुस्तक संपादक को हजार दे दे, मुझे पांच सौ ही दे पर दे तो सही।''[6] इसी प्रकार का शोषण करते हैं जैसे बुरे लोग पैसे के दम पर दूसरों का शोषण करते है। विविध उपन्यासकारों ने बेकारी की समस्या को आर्थिक सन्दर्भ में उजागर किया है।

आज बढ़ती मंहगाई ने लोगों की कमर तोड़ डाली है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौकरी पाना अतिआवश्यक हो गया है परन्तु नौकरी की समस्या व्यक्ति को इतना निःसहाय व निर्बल बना देती है कि उसके लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी संभव नहीं होता है। रविन्द्र नाथ मुकर्जी के शब्दों में ''व्यक्ति अपने जीवन में कभी-कभी ऐसी अभिशापमयी स्थिति में होता है, जबकि उसमें काम करने के लिए आवश्यक योग्यता और इच्छा दोनों रहते हुए भी उसे रोजी-रोटी कमाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। यही बेकारी और बेरोजगारी की स्थिति है।''[7]

यशपाल के उपन्यास **'तेरी मेरी उसकी बात'** में ओम प्रकाश के माध्यम से इस समस्या को उजागर किया है। ओमप्रकाश पढ़ा लिखा व्यक्ति है, परन्तु बिना किसी की सिफारिश के उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। जबकि उससे कम पढ़े लिखे लोग सिफारिश और पैसों के चलते नौकरी में लग जाते है। ''ओमप्रकाश जहाँ से भी आशा देखता, यत्न करता। उसे कलख थी। वह बड़े आदमी का बेटा भतीजा होता उसे तुरन्त आराम की अच्छी नौकरी मिल जाती। निरन्तर बेकारी की आत्म-ग्लानि और शूल।''[8] सिफारिश और पैसा न होने के कारण आज व्यक्ति नौकरी की समस्या से जुझ रहा है।

रामदरश मिश्र के उपन्यास **'जल टूटता हुआ'** में सतीश बेकारी से ग्रस्त है। बेकारी के कारण सतीश के परिवार को अभावग्रस्तता का अभिशाप ढोना पड़ता है। परिस्थिति से मजबूर और पारिवारिक बोझ के कारण इसी उपन्यास का बंसी धर छोड़ने पर उतारू होता है। **मार्कण्डेय** लिखित **'अग्निबीज'** उपन्यास में बढ़ते औधोगीकरण तथा विविध तांत्रिक योजनाओं के कारण कारीगर एवं मजदूरों की चिंतनीय दशा का चित्रण हुआ है। गाँव का

* शोधार्थी, हिन्दी विभाग, वनस्थली विद्या पीठ (राजस्थान) भारत

गरीब मटरू परम्परा से टोकरी बनाने का कार्य करता था लेकिन बदलते परिवेश में उसका व्यवसाय कुछ विकलांग सा हो चुका था। मौसम तथा शादी ब्याह आदि अवसरों पर ही उसके बनाये बांस के टोकरों को लोग खरीदते हैं। बाकी दिन भूखों मरने की नौबत का सामना करना पड़ता है।

हिमांशु जोशी लिखित **'सु-राज'** उपन्यास में बेकारी की समस्या को दर्शाया है। जाडे के दिनों में तो कुमायुँ अंचल में रोजी-रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ''जाडे के दिनों में रोजी -रोटी की तलाश में तथा धूप तापने मालभामी की तरफ जाना पड़ता है''[9] बेकारी के कारण लोग गांव छोड़कर काम की तलाश में भटकते हैं। कई बार उन्हें अपराधी भी समझा जाता है। डॉ. ज्ञानचन्द गुप्त का कथन है, ''गाँव में गरीबी की यह स्थिति बेकारीजन्य है। बेकारी ने लोगों को सिसकने के लिए बाध्य कर दिया है, काम के अभाव में रोना ही उनके भाग्य में लिखा है।''[10]समाज में आज भी कई ऐसे हिस्से है जो धनाभाव के कारण गरीबी में जीवन यापन कर रहे है।

गरीबी से ये परिवार इतने त्रस्त हैं कि अपना जीवन समाप्त करने को भी तैयार हो जाते है क्योंकि इन परिवारों में रहना खाना-पहनना आदि का भार भी असहनीय होता है। **रामदरश मिश्र** के **'पानी के प्राचीर'** उपन्यास में इस विषय पर बखूबी स्पष्ट किया गया है। धीमड़ पाण्डे के पिताजी की मृत्यु के पश्चात् उसकी हालत बिगड़ जाती है। वह अपने आपको संभाल नहीं पाता, गिरता जाता है। अपार गरीबी, परिवार का बोझ और साथ में बेजान पत्नी है। अपार गरीबी के कारण पत्नी को वस्त्र तक नहीं दे पाता।

यशपाल के उपन्यास **'झूठा सच'** में भी अर्थाभाव का चित्रण हुआ है। अर्थाभाव के कारण तारा के परिवार वालों के पास एक ही मकान है, जिसके कारण तारा को कपड़े बदलने तक में शर्म महसूस होती है। तारा शीलो से कहती है, '' उधर खिड़की से मरा बीरू छिप छिप कर देखता है यह एक ही काठरी है। कभी पिता और भाई धर होते हैं तो कपडे बदलना मुसीबत हो जाता है कभी कंधे से आँचल ही गिर जाता है......।''[11]

शिवप्रसाद सिंह लिखित **'शैलूष'** उपन्यास में करनट जनजाति के खानाबदोश जीवन का दर्द भरा, अभावग्रस्त चित्रण किया गया है। आदिवासी जनजातियों में बंजर कृषि, प्राकृतिक आपदा और अखण्ड गरीबी का भयानक दृश्य दिखाई देता है। खेल तमाशा दिखाना, दवाइयां बेचना ही उनके जीवन का आधार है। गांव-गांव में पेट के लिए घूमने वाली यह जाति अनेक बार भूखे पेट रात बिताने को मजबूर होती है। गरीबी के कारण तीन दिन से भूखी बेला व्याकुल है। ''आज तीन दिन से बेला ने कुछ नहीं खाया, पिया। जुड़ावन रोज निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा है।''[12] गरीबी एवं पिछड़ेपन के कारण लोगों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है। इस विषय को साहित्यकारों ने अपने साहित्य में उजागर किया है।

निष्कर्षत: कह सकते है कि समाज और साहित्य परस्पर जुडे हुए है। साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब ही नहीं अपितु प्रिज्म है। एक साहित्यकार अपनी कृतियों के माध्यम से समाज के प्रत्येक पहलु को उजागर करने का सफल प्रयास करता है। हिन्दी साहित्य के विभिन्न काल-खण्डों का ऐतिहासिक विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य राजनीति, धर्मनीति एवं अर्थनीति से जुड़ा रहता है।

अत: यह कहना समीचीन होगा कि किसी देश या राज्य की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितिया होती है जिनकी विविध स्थितियों परिस्थियों में राष्ट्र का निर्माण पुर्ननिर्माण होती है। परन्तु आज व्यक्ति की महत्वाकांक्षी प्रवृति ने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। आवश्यकता एवं बदलती परिस्थितियों ने इन विसंगतियों को बढ़ाने में सहयोग दिया है। साहित्यकारों ने अर्थनीति को साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। साहित्यकार समाज का यथार्थ चित्रण करने वाला, प्रत्यक्ष द्रष्टा होने के कारण समाज की प्रत्येक गतिविधियों , विविध विसंगतियों यथा आर्थिक शोषण, गरीबी,बेकारी, भ्रष्टाचार, काजाबाजारी, मंहगाई, अपराधिक कृत्यों एवं अर्थ व्यवस्था से संबंधित विविध पक्षों को उजागर करने का सफल प्रयास करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

1. डॉ. नरेश कुमार, यशपाल के उपन्यासों में मध्यवर्ग, संजय प्रकाशन, दिल्ली, 2012,पृ. सं. 199
2. डॉ. प्रकाश शंकरराव चिकुर्डेकर, रामदरश मिश्र के उपन्यासों में समाज-जीवन, नमन प्रकाशन नई दिल्ली, 2002, पृ.सं. 232
3. वही '' '' पृ.सं. 219
4. रामदेव शु:ल, विकल्प, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली, 1988, पृ.सं. 108
5. संजीव, धार, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि. नई दिल्ली, 1990, पृ.सं. 129
6. यशपाल, झूठा सच भाग-1, (वतन और देश), विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 1963, पृ.सं. 159
7. डॉ. नरेश कुमार, यशपाल के उपन्यासों में मध्यवर्ग, संजय प्रकाशन, दिल्ली, 2012,पृ. सं. 195
8. यशपाल, मेरी तेरी उसकी बात, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 1989, पृ. सं. 274
9. हिमांशु जोशी, सु-राज, भारतीय प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 1994, पृ. सं. 20
10. डॉ. ईश्वर पवार, उत्तरशती के उपन्यासों में नगरोत्तर जीवन, विकास प्रकाशन, कानपुर, 2006,पृ. सं. 88
11. यशपाल, झूठा सच भाग-1, (वतन और देश), विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 1963, पृ.सं. 75
12. शिवप्रसाद सिंह, शैलूष, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1989, पृ.सं. 71

****

मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में गाँधी दर्शन

छोटे लाल गुप्त *

कवि समाज का सर्वाधिक संवेदनशील एवं गहनदृष्टि सम्पन्न प्राणी होता है। वह अग्रगामी दूत बनकर समूचे समाज को उत्थान पथ का पथिक बनाता है। वह समायोचित बातों को प्रभावशाली ढगं से प्रस्तुत कर समाज्-जीवन में उतार देने का कार्य करता है। मानव जीवन के परम आदर्श राम-कृष्ण इसी कवि-कर्म की देन है। यही कारण है कि गाँधी के जीवन-आदर्शो और विचार दर्शन का प्रभाव उसके समय के कवियों पर सर्वाधिक पड़ा।

कवीन्द्र रवीन्द्र से लेकर मैथिलीशरण गुप्त और प्रेमचन्द की तरह लगभग सभी भारतीय साहित्यकार गाँधी जी के प्रभा-मण्डंल से आलोक पाते रहे। आज गाँधी मात्र एक व्यक्ति बोधक अभियान नहीं वरन् विश्व-संस्कृति की एक अक्षुण्ण धरोहर हो गए हैं। वे एक ऐसी विरासत बन गए हैं जिस पर विश्व को सदैव गर्व रहेगा। समय के षृष्ठ पर वह एक ऐसी अमिट इबारत हैं जिसे मापा नहीं जा सकता।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी काव्य जगत के ऐसे रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने युग की अपेक्षाओं के अनुरुप काव्य-सृजन किया। गुप्त जी की कविताओं का भारतीय जन-मानस पर अत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि वे इतनी असरदार होती थी कि उन्हें गाते हुए आन्दोलनकारी प्रभात फेरियाँ निकालते थे। उनकी कविताएँ देश प्रेम के रंग में साराबोर और अत्यधिक सरस होने के कारण राष्ट्रभक्त उन्हें अनायास गुनगुनाने लगते थे। लेकिन जनता पर इतना प्रभाव डालने वाले गुप्त जी कई महान व्यक्तियों से प्रभावित थे, जिनकी विचारधारा उनके काव्य में स्पष्ट रूप से लक्षित होती है, गुप्त जी गाँधी जी से सर्वाधिक प्रभावित थे। उनके काव्य में गाँधी जी के सिद्धान्तों एवं विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट झलकती है।

गुप्त जी हिन्दी साहित्य में, भारतीय राजनीति में महात्मा गाँधी के प्रतिष्ठित होने के पूर्व प्रतिष्ठित हो चुके थे, फिर भी महात्मा गाँधी की वैचारिक दृष्टि उनके साहित्य का नेतृत्व करने लगी थी, वे गाँधीवादी वैष्णव थे। सत्य अहिंसा प्रेम उनके मार्ग दर्शक सिद्धान्त थे।[1] उन्होंने 'गाँधी गीत' की रचना की, जो 'स्वदेश संगीत' में संकलित है। यह गीत गाँधी दर्शन को अभिव्यक्ति देता प्रतीत होता है-

''सुनो सुना भारत सन्तान!
हिन्दु मुसलमान सब भाई निज नवीन जयगान!
हरी-भरी जिस पुण्य भूमि पर बहती है गंगा की धार,
वैष्णव, बौद्ध, जैन आदिक हम उस पर हिंसा करें कि प्यार!
सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखे कोई भी वार,
हार मानकर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे मित्राचार,
नहीं मारने में, मरने में है विक्रम, यशमान!
सुनो सुना भारत सन्तान!''[2]

महात्मा गाँधी एक युग-पुरूष थे। युग-पुरूष वह होता है जो अपने युग के समग्र समाज-जीवन को प्रभावित करता है। गाँधी जी ने भी अपने र्स्वस्पर्शी व्यक्तित्व, जीवन आदर्शों और विचार दर्शन से तत्कालीन समाज के प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय को प्रभावित किया। महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व और कृतित्व महानतम् व्यक्तियों में गिना जाता है। उनका चरित्र-चिंतन बन्दनीय एवं अनुकरणीय है। वस्तु-स्थिति तो यह है कि गाँधी जी को काल और क्षेत्र की सीमाओं में आबद्ध नहीं किया जा सकता। गाँधी जी केवल उस काल के ही नहीं थे। वह जितने उस काल के थे, उतने ही वर्तमान के भी है। इतना ही नहीं वह उतने भविष्य के भी। गाँधी जी की प्रासंगिकता संसार में तब तक बनी रहेगी जब तक धरती पर मानवता, सदाचार, सहिष्णुता, करूणा, त्याग, सत्य, अहिंसा, संयम, प्रेम, दया, ममता आदि सदगुण विद्यमान रहेंगे। वे ईश्वर के दूत थे। शांतिदूत थे और इंसानियत के दूत थे, जो इस धरती पर मात्र मानव के कल्याण-हेतु अवतरित हुए थे।

मैथिलीशरण गुप्त की वैचारिकता कई दृष्टियों से गाँधी बाबा से मेल खाती हैं। जिस प्रकार गाँधी जी को पारिवारिक वातावरण में वैष्णव संस्कार मिले, ठीक इसी प्रकार गुप्त जी को भी वैष्णव संस्कारों ने सहेजा। इन्हीं वैष्णव संस्कारों ने गुप्त जी की मानवतावादी दृष्टि विकसित कर विश्व कल्याण के चिन्तन की ओर उन्हें उन्मुख किया, जो उनके काव्य में सशक्त रूप में अभिव्यक्त है। मानवता के प्रचार-प्रसार हेतु जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास वर्तमान में किये जा रहे हैं और जिस मानवीय विचारधारा के प्रचार की अभिलाषा व्यक्त की जा रही है, उसका समस्त सार तत्व मैथिलीशरण की काव्य-भावना में समाविष्ट है।

ऐसी उदार दृष्टि अन्यत्र दुर्लभ है। जो अछूत को गले लगाने, विधर्मी से आत्मीयता रखने को उद्यत हो, स्त्री को सर्वोच्चता प्रदान करती हो और मानव-मानव के बीच प्रेम की गंगा बहाती हो। वस्तुत: गुप्त जी की काव्य-भावना वैष्णव-भावना से सम्पृक्त है और इस वैष्णव भावना का मूल अहिंसा, समता, दया, प्रेम, करूणा और सर्वभूत कल्याण में निहित है। अतएवं गौतम बुद्ध, महावीर, राजा अशोक और महात्मा गाँधी के विचारों और आदर्शों का प्रभाव गुप्त जी के काव्य में सर्वाधिक परिलक्षित होता है।

आलोचना के पुरोधा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने गुप्त जी के विषय में लिखा है- ''गुप्त जी ने परम्परा से प्रतिष्ठित चरित्रों का स्वरूप विकृत किए बिना उनके आधुनिक आन्दोलनों की भावनाएँ जैसे किसानों और श्रम जीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध-प्रथा की मीमांसा, राज्य-व्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह, विश्व बन्धुत्व, मनुष्यत्व, कौशल के साथ झलकाई गई है।''[3] गुप्त जी ने 'साकेत' काव्य में वन-गमन के समय सीता के मुख से जो निर्भयता प्रकट की है, वह गाँधी के सिद्धान्तों से प्रभावित प्रतीत होता है, दृष्टव्य है-

''वन में क्या भय ही भय है?
मुझ को तो जय ही जय है?
यदि अपना आत्मिक बल है।
जंगल में भी मंगल है।''[4]

आज के परिवर्तन और विकासवादी युग में हिंसा, बीमारियाँ, बेरोजगारी और गरीबी, युद्ध और उससे संबंधित तैयारियों से जुड़े समस्याएँ ही नजर आते हैं। राष्ट्रों के बीच विकास की प्रतियोगिता, आर्थिक उन्नति की

* अनुवादक एवं शोध छात्र, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार) भारत

प्रतियोगिता काव्य समाज को दूषित कर रही है। आज का मानव इतना धनलोलुप हो गया है कि वह अपने आत्मीयजनों का भी खून बहाने के लिए तत्पर हो उठता है। गाँधी जी ने मानव और मानवता के समक्ष धन को हेय बताया है। गुप्त जी धन की अपेक्षा मानव की महत्ता राम के मुख से कहलाकर गाँधी के त्याग भावना की भी अभिव्यक्ति प्रदान की है जो अफ्रीका से लौटते समय कस्तुरबा को ढ़ेर सारे स्वर्ण-रजत आभूषण उपहार में मिले थे उसका अफ्रीका के लोगों के कल्याणार्थ सब समर्पित कर दिया। जो निम्न है-

''मैं आर्यों का आदर्श बताने आया
जन-सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया
सुख-शान्ति हेतु मैं क्रांति मचाने आया
विश्वासी का विश्वास बचाने आया।''[5]

यह सत्य है कि मनुष्य के लिए गुलामी से बड़ा और कोई दूसरा सन्ताप हो नहीं सकता क्योंकि इसमें शारिरिक बन्धन के साथ अपरिमित मानसिक क्लेश भरा होता है। गाँधी जी भारतीयों की दुर्गती से बहुत आहत थे। वह अपने ही देश में अपने को विदेशी महसूस कर रहे थे। गाँधी की विचारधारा का गुप्त जी ने 'नहुष' प्रबन्ध काव्य में इन्द्राणी के मुख से व्यक्त किया है-

''आज मैं विदेशिनी हूँ, अपने ही देश में,
बन्दिनी सी आप निज निर्मम निवेश में,
हा! दु: स्वप्न ही मैं इसे मान नहीं सकती,
कैसे समझाऊँ मन जान नहीं सकती,
मेरी यह दिव्य धरा आज पराधीन हैं,
इन्द्राणी अभागिनी है, देवेश्वरी दीन है।''[6]

नारी समाज द्वारा हमेशा से प्रताड़ित, पीड़ित और शोषित रही है। कभी वह माता-पिता से, कभी परिवार से, कभी प्रेमी से, कभी पति से, कभी बहु-बेटे से सताई जाती रही है। आज के पुरूष समाज में नारी केवल एक भोग्य की वस्तु मानी जाती है। महात्मा गाँधी ने नारियों के प्रति सहानुभूति का भाव व्यक्त किया है। उन्होंने महिलाओं को पुरूषों से कभी कम महत्व नहीं दिया बल्कि वात्सल्य, त्याग और उदारता की प्रतिमूर्ति के रूप में उन्हें उच्च स्थान प्रदान कर उनका खोया हुआ सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया है।

उन्होंने पुरूषों के समान राष्ट्रीय आन्दोलनों में महिलाओं से भी सहभागिता करने की अपील की। उनकी एक आवाज पर सैकड़ों महिलाएँ देश की स्वतन्त्रता के लिए घर से बाहर निकल पड़ती थी। यद्यपि महिलाओं को ये सम्मान पूर्व में भी प्राप्त था, इसका प्रमाण देवासुर संग्राम है जिसमें दशरथ के साथ कैकेयी भी गयी थी। गुप्त जी ने इस बात को पुन: काव्य का विषय बनाकर महिलाओं को राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रीय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया और गाँधी जी के विचारों को बल प्रदान किया है। 'साकेत' की कैकेयी मानो गाँधी से प्रेरित होकर पुत्रों के साथ युद्ध में जाने को तत्पर हैं-

''मैं निज पति के संग गई थी असुर समर में,
जाऊँगी अब पुत्र संग भी अरि संग में।''[7]

गाँधी जी ने सामाजिक दृष्टि से अन्याय और शोषण के विरूद्ध स्त्रियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबल बनने हेतु प्रेरित किया जिससे कि प्रत्येक स्तर पर वह अन्याय का विरोध कर सके।

यदि अन्याय के विरूद्ध लड़ते हुए उसे प्राण भी देने पड़े, तो प्राणों का बलिदान करके उसे अपनी सुयश-पताका को उन्नत रखने का प्रयास करना चाहिए। गुप्त जी ने इसी कारण अपने युगान्तकारी नारी संबंधी विचारों को 'द्वापर' की 'विधृता' के मुख से कहलाया जिन पर गाँधी जी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है-

''जाती हूँ जाती हूँ, अब मैं और नही रूक सकती,
इस अन्याय समक्ष मरूँ मैं, कभी नहीं झुक सकती।''[8]

गुप्त जी ने गाँधी जी से प्रभावित होकर अपने काव्य में बार-बार सत्य की जिस प्रभूत यात्रा की चर्चा की है, वह आज के युग की प्रासंगिकता है। गुप्त जी अपने काव्य 'साकेत' में सत्य की महिमा का कितनी प्रबलता से समर्थन करते हैं कि राजा दशरथ उसके आगे अपने राज्य क्या, प्राणों को भी महत्त्व नहीं देते हैं-

''सत्य से ही स्थिर है संसार,
सत्य ही सब धर्मो का सार।
राज्य ही नहीं, प्राण-परिवार,
सत्य पर सकता हूँ सब वार।''[9]

गाँधी जी ने प्रेम का सन्देश मात्र भारतीयों के लिए नहीं दिया अपितु पूरे विश्व को प्रेम का पाठ पढाया हैं और इस प्रेम की मूल धारणा हमारी भारतीय संस्कृति में ही निहित है। गुप्त जी ने विश्व-बन्धुन्व की भावना को अपने काव्य में बड़ी सार्थकता के साथ अभिव्यकत किया है। 'साकेत' में 'माण्डवी' अपने पति भरत को विश्व बन्धुन्व का प्रतीक बनाती हैं क्योंकि भरत ने जो त्याग का आदर्श प्रस्तुत किया वह विश्व को एक सूत्र में बाँधने का सन्देश देता है। यदि भरत और राम जैसे भाई समाज में हों, तो सारे द्वन्द-क्लेश समाप्त हो जायेंगे। माण्डवी का कथन है-

''मेरे नाथ, जहाँ तुम होते दासी वही सुखी होती,
किन्तु विश्व की भ्रातृ-भावना यहाँ निराश्रित ही रोती।''[10]

गुप्त जी गाँधी जी की ग्रामोदय विचारधारा से अत्यन्त प्रभावित थे, वे स्वयं देश के राष्ट्रकवि देश के प्रथम संसद के सदस्य होकर भी चिरगाँव जैसी छोटी जगह में रहे। समर्थ होकर भी किसी महानगर में भव्य भवन बनाकर रहना पसन्द नहीं किया बल्कि चिरगाँव में रहकर ही खेती-किसानी कराते रहे। गुप्त जी की गाँधी जी की स्वावलम्बन की महत्ता से प्रभावित हो, अपनी आस्था को प्रकट किया है-

''यह पाप पूर्ण परावलम्बन-पूर्ण होकर दूर हो,
फिर स्वावलम्बन का हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए।''[11]

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी ने गाँधी दर्शन को अंगीकार किया और गाँधी दर्शन में वर्णित चेतना के विभिन्न स्तरों की ओर जाने को प्रेरणा दी। मनुष्य को जीवन जीने की कला को बताया और श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सत्य, अहिंसा, सदाचार, संयम, जप, तप, समता एवं ईश्वर प्रेम की भावना को अपनाने की सलाह दी।

सन्दर्भ :-

1. मैथलीशरण गुप्त : व्यक्ति और अभिव्यक्ति, पृ.सं.-260
2. जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी : मैथिलीशरण गुप्त की काव्य यात्रा, पृ.सं.-120
3. रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ.सं.-406
4. मैथलीशरण गुप्त : साकेत, पृ.सं.-145
5. मैथलीशरण गुप्त : साकेत, पृ.सं.-146
6. मैथलीशरण गुप्त : नहुष, पृ.सं.-10
7. मैथलीशरण गुप्त : साकेत, पृ.सं.-306
8. डॉ. द्वारिका प्रसाद सकसेना : हिन्दी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि, पृ.सं.-119
9. मैथलीशरण गुप्त : साकेत, पृ.सं.-32
10. मैथलीशरण गुप्त : साकेत, पृ.सं.-258
11. मैथलीशरण गुप्त : भारत-भारती, पृ.सं.-192

****

युगीन संत्रास और मन्नू भंडारी का कथा-साहित्य

सुधा कुमारी *

आजादी के उपरांत हिन्दी साहित्य में कहानी हो अथवा कविता लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में केंद्रीय विषय एक ही रहा हैयुगीन संत्रास। स्वतंत्राता के उपरांत आए परिवर्तनों ने जहाँ समाज के परंपरागत मूल्यों की जड़ों को खोखला करना आरंभ किया, वहीं साहित्य में जो भी यथार्थ या स्वप्न, मोह या मोहभंग, संघर्ष या आत्म-संघर्ष व्यक्त हुआ है, उसका संबंध किसी न किसी तरह के युगीन संत्रास है, जो उन्हें आस-पास के परिवेश से मिले हैं। नि:संदेह आजादी के बाद के वर्षो में परंपरागत मूल्य भ्रमों से मुक्ति की छटपटाहट ही साहित्य के केंद्र में थी। परन्तु एक ओर मूल्य भ्रमों की मुक्ति थी, तो दूसरी तरफ नये मूल्यों का निर्धरण और सामाजिक स्तर पर स्थापना की कोशिश की जा रही थी।

पुरानी तथा नई परस्पर विरोधी विचार दो युगों के निरंतर संघर्ष और इससे उत्पन्न युगीन संत्रास देता रहा-समाज तथा साहित्य में। एक ओर विश्वासों को जन्म देने वाली नयी चेतना थी, तो दूसरी ओर वर्षो से विचारों को पोषित करने वाला विश्वास साथ ही पनपती हुई युगीन मूल्य चेतना थी। खोखली होती परंपरा के संघर्ष में युगीन संत्रास की मुख्य वजह यह थी किभारतीय समाज जहाँ परंपरागत मूल्य-भ्रमों से मुक्त होने लगा था, वहीं वर्तमान में स्वयं को भ्रमित पा रहा था। यानि कि व्यक्ति में बाहरी एवं भीतरी स्तर पर एक अंतर्विरोध हावी हो चुका था, जहाँ वह हर संभव प्रयास के बावजूद स्वयं को आधुनिक नहीं बना पा रहा था।

स्वतंत्रोत्तर हिन्दी साहित्य में मोहभंग के काल के रूप में देखा जा सकता है। जहाँ लगभग सभी युवा कलाकारों ने इस अंतर्विरोध को रेखांकित किया है। तत्कालीन देश की स्थिति तथा सामाजिक परिस्थितियों ने व्यक्ति के समक्ष उस भयानक यथार्थ को दर्शा रहा था, जहाँ व्यक्ति के जीवन में धीरे-धीरे त्रासदी उत्तरोत्तर गहरा होता गया। घर-परिवार तथा समाज में व्यक्ति की तस्वीर और होने लगी। इसमें आए परिवर्तन कुछ तो निर्माणात्मक थे, तथा कुछ विध्वंसात्मक, परन्तु इन परिवर्तनों की गहराई के नीचे जो व्यक्ति का रूप सामने आया, वह वर्तमान जीवन की त्रासदियों से लैस विकृत और टूटा हुआ था। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि समाज में परिवर्तन के निशान तो थे, परंतु परम्परागत मूल्यों की छाप जो व्यक्ति को सदियों से मिली थी, उससे मुक्ति पूर्ण रूप से संभव न थी। जिसके कारण नये विकसित होते मूल्यों और जीवन स्थितियों के बीच सामंजस्य स्थापित करके स्वयं के व्यक्तित्व विकास का तथा स्वयं को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने का सपना पूर्ण न हो सका। फलस्वरूप जो त्रासदी व्यक्ति के मन तथा जीवन पर पड़ा उसकी अभिव्यक्ति मन्नू भंडारी ने अपने कथा-साहित्य में विविधता के साथ किया है। मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में जहाँ युगीन संत्रास का व्यापक चित्राण मिलता है, वहीं उनकी कहानियों तथा उपन्यास में ऐसे पात्रों की संख्या बहुत है, जो जीवन के विषम परिस्थितियों से थककर, ऊबकर, हारकर साथ ही युगीन भय से अक्रांत दिखते हैं।

मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानियों में एक त्रिशंकु कहानी में युगीन संत्रास को आसानी से देखा जा सकता है। जिसमें आधुनिक जीवन स्थितियों के समानान्तर अधिकार प्राप्त करने की इच्छा तथा इसे रस्मों रिवाजों तथा विचारों के स्तर पर क्रियान्वित की अभिलाषा मन्नू भंडारी की इस कहानी का मुख्य कथ्य है।

''आज का भारतीय मानस संस्कारों और आधुनिकता के द्वन्द्व में इस कदर घिरा हुआ है, कि उसकी स्थिति अधर में लटके त्रिशंकु की हो गई है। बौद्धिकता का दबाव उसे कथित आधुनिकता की ओर धकेलता है और संस्कारगत तथा सामाजिक स्थितियां उसे परम्परागत मूल्यों की ओर खींच लाती है।''27 त्रिशंकू कहानी इसी आधुनिकता तथा परंपरागत मूल्यों के द्वन्द्व से उत्पन्न कथा को दर्शाया गया है।

'त्रिशंकु' कहानी एक अभिजात्य वर्ग के परिवार की है। जहाँ परिवार में ठेठ बुद्धिजीवियों सी आधुनिकता है, परन्तु यह आधुनिकता जब विचारों के साथ-साथ जीवन में क्रियान्वित करने का प्रश्न आता है, तो क्या करें, क्या न करें की स्थिति सिर्फ तनु की नहीं होती बल्कि मम्मी की भी है। क्योंकि आधुनिकता का दंभ भरने वाली मम्मी पहले तो युवा बेटी तनु को उन्मुक्तता तथा स्वतंत्रता के संसार में विचरण करने देती है, जब उन्हें युगीन भय सताने लगते हैं, तो वहीं मम्मी आलोचना, प्रत्योलोचना करने लगती है।

मम्मी के सारे पुराने संस्कार जाग उठते हैं तथा उसकी आधुनिक विचारधारा गलत प्रतीत होने लगते हैं। वह बेटी तनु पर अनेक तरह की पाबंदियां लगा देती हैं। इस तरह वह न अपने को पूर्णत: आधुनिक बना पाती है, ना ही परम्परागत रूढ़ संकीर्णताओं से बंध कर रह पाती है। इस प्रकार न कुछ कर पाने की स्थिति में मम्मी और स्वयं तनु भी, वर्तमान जीवन में युगीन संत्रासों के बीच जीने को विवश दिखते हैं।

मन्नू भंडारी अपने कथा पात्रों के द्वारा युगीन संत्रास के रूप में ऊब, संत्रास, आक्रोश, कुण्ठा, घुटन, अकेलापन आदि को चित्रित किया है। 'आपका बंटी' उपन्यास कि 'शकुन', 'एक इंच मुस्कान' की 'अमला' तथा 'स्वामी' की 'सौदामिनी' आदि ऐसे पात्रा हैं जो आत्म विमुख हैं। उनमें घोर वैयक्तिकता की चेतना, कुण्ठा, संत्रास तथा अकेलापन का भय फैला हुआ है। शकुन की मानसिक स्थिति युगीन संत्रास को चित्रित करती दिखाई देती है। वह न तो पूर्ण रूप से अपने अतीत को भूल पाती है, ना ही भविष्य को संवार पाती है। अपने पति अजय से उसके अहं का सदा टकराव होता है। परिणामस्वरूप वह अजय से संबंध-विच्छेद कर लेती है।

अजय से उसका अलग होना जहाँ उसके अहं को स्वीकार होता है, वहीं उसका मातृत्व बेबस तथा आहत दिखता है। वह सोचती है कि ''समय जैसे ठहरकर जम गया है, और जमे हुये समय की यह चट्टान न कहीं से पिघलती थी, न टूटती थी''28 बस, टूटती रही है तो शकुन धीरे-धीरे, तिल-तिल। यों तो पिछले दो-तीन सालों से ही ठहराव का यह एहसास तीखा होते-होते जैसे असहाय सा हो गया है।''

शकुन अपने जीवन को सहेजने का अनेक प्रयास करती है, परन्तु उसके सभी कोशिश अधूरे साबित होते हैं। अजय से तलाक लेने के बाद वह डॉ. जोशी के साथ नये सिरे से जीवन शुरू करना चाहती थी, परन्तु बंटी

* शोधार्थी, रांची विश्वविद्यालय (झारखण्ड) भारत

उसके रास्ते का बाध बनने लगता है। शकुन को लगता है कि ''सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं, और वह उनकी चाहनाओं को पूरी करती रहे, यही एकमात्र रास्ता है, उसके लिए। बस, वह कुछ न चाहे। जहाँ चाहती है, वहीं गलत क्यों हो जाती है?

ऐसा असंभव भी तो उसने कुछ भी नहीं चाहा। एक सहज जिन्दगी, जिसमें रहकर वह क्रम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है''29 शकुन का मानसिक द्वंद्व कहीं न कहीं युगीन संत्रास द्वारा उत्पन्न पीड़ा है, जो उसे समय-समय पर व्यथित करता रहता है। आधुनिक युग ने व्यक्ति को एक ओर नवीन जीवन-बोध से परिचित करवाती है, तो दूसरी ओर उसके व्यक्तित्व को भी खोखला करती है, जिसके मूल में युगीन परिवेश ही परिलक्षित होता है। ना तो वह परिवेश से पूर्ण रूप से समझौता कर पाता है, ना ही उसका विरोध। 'एक इंच मुस्कान' उपन्यास की केंद्रीय नारी पात्रा अमला एक पढ़ी-लिखी स्वतंत्रा विचारों वाली आधुनिक युवा नारी है। पति-परित्यक्ता होने का उसे कोई दुख या ग्लानि का भाव नहीं है।

अमला सारी वर्जनाओं, नियमों, दिवारों, मर्यादाओं आदि को तोड़ने के बाद भी स्वयं को अकेला महसूस करती है। वह कहती है कि ''मुझे न अपने परित्यक्ता होने का दु:ख है, न कपूर और कैलाश के चले जाने का। शायद मेरा दु:ख किसी व्यक्ति-विशेष के साथ बंध हुआ नहीं है....कोई भी एक विशेष व्यक्ति मेरे दु:ख का कारण नहीं है''30 अमला जीवन की विषम परिस्थितियों से ऊबकर आत्म-हत्या कर लेती है, जो युगीन संत्रास को दर्शाते हैं। मन्नू भंडारी के कथा-पात्र समकालीन परिवेश के दबाव को झेलते एवं जूझते दिखते हैं। जो उनके संवेदनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में मुखरित होता है। उनकी चर्चित कहानी 'स्त्री-सुबोधिनी' की नायिका का विवाहित पुरुष से प्रेम तथा उससे उत्पन्न युगीन संत्रासों को चित्रित किया गया है। ''स्त्री-सुबोधिनी' की नायिका अपने कार्यालय के अधिकारी के प्रेम में पड़कर, उस पर अपना सर्वस्व लुटा देती है। शिंदे का प्रेम पाने के लिए वह अविवाहित होते हुए भी उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती है।

स्वयं को सही साबित करने के लिए कहती है कि ''आप विश्वास करें या ना करें पर निश्चय ही मैं बड़े संस्कारों वाली लड़की थी। हर तरह की मर्यादा में मेरा पूरा विश्वास था। मन ही मन जोड़कर मैंने देख लिया कि यदि पूरी तरह पाना है, तो अपने को पूरी तरह देना पड़ेगा...''31 परन्तु कहानी की नायिका को प्रेम के स्थान पर विश्वासघात मिलता है, जो उसे कुंठित तथा खंडित कर देता है। अंततः उसे अहसास हो जाता है कि वर्तमान समय में भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता है। समाज के परिवेश में व्यक्ति की विशिष्टता, व्यक्ति का अकेलापन, व्यक्ति की मानसिक यंत्राणाओं आदि को मन्नू भंडारी ने समग्र रूप से चित्रित किया है। व्यक्ति में उपजे संत्रास, कुंठा आदि विषय पर डॉ. सुरेश सिन्हा लिखते हैं कि ''आधुनिकता की एक विडम्बना यह है कि हमें दोहरा व्यक्तित्व दे दिया है।

घर पर हम घोर परंपरावादी, नैतिकवादी और रूढ़ होते हैं पर घर से बाहर हम प्रगतिशील होने, नारी की स्वतंत्राता का पक्षपाती होने और अछूतों के साथ समानता स्थापित करने की हवाई बातें करते हैं। यही अंतर्विरोध, कृत्रिमता और द्वन्द्व, मूल्यहीनता, विघटन, संत्रास एवं निरर्थकता के बोध को जन्म देता है।''32 युगीन संत्रास व्यक्ति को समाज तथा परिवेश से मिलने वाली वह व्यथा है, जो उसके व्यक्तित्व से अथवा विचारधारा सभी को खंडित करती है। इसके मूल में व्यक्ति की आधुनिक सोच तथा उसका परिवेश के साथ सामंजस्य न बैठा पाने की विवशता है, जो उसे तोड़ती है, तथा युगीन संत्रास के रूप में देखी जा सकती है।

संदर्भ -ग्रंथ सूची

1. त्रिशंकु 'मन्नू भंडारी' भूमिका पृ. सं.-3
2. आपका बंटी 'उपन्यास' ;मन्नू भंडारी पृ. सं.-33
3. वही पृ. सं.-176
4. एक इंच मुस्कान 'उपन्यास' मन्नू भंडारी पृ. सं.-163
6. सम्पूर्ण कहानियां; मन्नू भंडारी पृ. सं.-766

****

विद्यानिवास मिश्र के ललित निबन्धों में लोक संस्कृति और लोकाचार

डॉ. इला द्विवेदी *

साहित्यकार हमारे ज्ञान-चक्षु खोलता है। एक जनक की तरह अंगुलि पकड़कर वह हमें साहित्य के वातायन से जीवन और जगत के समस्त क्रिया कलापों का दिग्दर्शन कराता है और विहंगावलोकन के साथ उनका समीक्षण भी करता है। वह हमें उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का ज्ञान कराता है, उसे समझने की विवेक दृष्टि प्रदान करता है, उसकी उपयोगिता- अनुपयोगिता को परखने की सामर्थ्य पैदा करता है और बरबस ही हमें श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करते हुये लोक- कल्याण की भावना से ओत-प्रोत कर देता है।

लोक साहित्य लोक- जीवन से उद्‌भूत सर्जना है। लोक जीवन के कितने ही रंग हैं, जो जब खुलते हैं तो अनायास ही हमें अपनी रसमयता में सराबोर कर देते हैं। लोकाचार की ऐसी कितनी ही छटायें हैं जो हमें अभिभूत किये बिना नहीं रहतीं और लोक संस्कृति के ऐसे कितने ही रूप हैं जो मंत्रमुग्ध होने के लिए हमें विवश कर देते हैं।

वस्तुत: इन सभी की मनोहर छटा विद्यानिवास मिश्र जी के ललित निबन्धों में हमें देखने को सहज ही मिल जाती है। विद्यानिवास मिश्र जी भारतीय संस्कृति ही नहीं लोक संस्कृति के अमर गायक हैं। इनके निबन्धों में लोक संस्कृति और लोकाचार की केवल प्रस्तुति ही नहीं होती अपितु उनकी वैज्ञानिक व्याख्या भी होती है। पश्चिम की आँधी से उसे बचाने के सुदृढ़ प्रयास भी उनमें दिखाई देते हैं, तो उसकी पुरजोर वकालत भी वे करते हैं, कारण , लोक संस्कृति हो या लोकाचार वास्तव में वे भारतीयता की पहचान हैं और मिश्र जी के निबन्धों में तो भारतीयता की आत्मा विराजती है।

मिश्र जी के ललित निबन्धों में लोक संस्कृति और लोकाचार विषयक विचारों से अवगत होने के लिए कतिपय उदाहरणों का अवलोकन आवश्यक है। वैसे तो उनके लगभग सभी निबन्धों में यह विषय रचा- बसा है फिर भी कुछ अंश दृश्टव्य हैं।

उनके अनुसार प्रत्येक त्यौहार, रीति- रिवाज, परम्परायें एक ओर जहाँ हमें सांस्कृतिक बिन्दु से जोड़ती हैं वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध होती हैं। जैसे गाँवो में होली के समय उबटन लगाकर मैल छुड़ाया जाता है। इस संदर्भ में मिश्र जी लिखते हैं - बचपन में मुझे याद है कि होली जलने के पहले माँ उबटन लगाती थीं। ....इसके साथ शरीर की मैल छूटेगी। वह बटोर ली जायेगी और होली मे डाल दी जायेगी। कितना बचकाना लगता है यह अनुष्ठान पर कितनी सहजता है इस बोध में कि समूचे वर्ष की मैल बाहर निकाल दो। उसे गाँव भर से एकत्र कूडे - कचरे की आग में झौंक दो, तभी कुछ नया शुरू होगा। '' (1)

ग्रामीण संस्कृति में तुलसी- चौरे का बहुत महत्व है। तुलसी को हम एक साधारण पौधे की तरह नहीं देखते वरन् वह हमारी संस्कृति का एक बहुमूल्य घटक है उसके सामने दीप प्रज्वलित कर अपने दर्द निवेदन की परम्परा है। गाँव का मन ' निबन्ध संग्रह के एक निबन्ध में वे स्पष्ट करते हैं:-हम तुलसी का पौधा इस लिए नहीं लगाते कि तुलसी को वन में कहीं जगह नहीं है और सबसे पहले दिया तुलसी की वेदी पर इसलिये नहीं जलाते कि उस दिये की लौ के बिना तुलसी को अपने जीवन में कोई गर्मी नहीं मिलेगी बल्कि हम तुलसी की वेदी अपने दर्द के निवेदन के लिए रचाते हैं और तुलसी को दीप अपने सर्द दिन को गर्मी पहुँचाने के लिए जलाते हैं। '' (2)

इसी प्रकार लोक जीवन में प्रत्येक कार्य में माँगलिक क्रिया- कलापों के विविध रूप देखने को मिलते हैं। पूरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ उन क्रिया- कलापों को सम्पन्न किया जाता है और मन में निश्चिंतता का अनुभव किया जाता है कि अब अमंगल को कोई स्थान नहीं। जैसे किसी प्रियजन के लौटने पर कलश- वारि से धार चढ़ाकर उसकी कुशलता से लौट आने की खुशी मनायी जाती है। मिश्र जी लिखते हैं- ''लोक जीवन के शिष्टाचार में किसी प्रियजन के लौटने पर पूर्ण कलश भरकर धार चढ़ाई जाती है कि एक चक्कर पूरा हुआ है, धारा वाहिकता का एक वृत्त पूरा हुआ है उसके बाद तुरन्त पाँव पखारे जाते हैं।'' (3)

नीलकंठ देखना गाँवों में शुभ माना जाता है। यही कारण है कि विशेष अवसरों पर, त्यौहारों पर नीलकण्ठ दर्शन किये जाते हैं। मिश्र जी के शब्दों में - गाँव-गाँव दशहरा के दिन बागों से, बगीचों से उडा- उडाकर नीलकंठ दिखाये जाते हैं, वे ही तो शिव के प्रतिनिधि हैं। गाँव गाँव में नये यवांकुर विजय-चिह्न के रूप में शिखा में बाँधे जाते हैं, वही तो राम की विजय का अनुध्यान है, और रामलीला की ओर सब कार्यवाही पूरी हो न हो, पर पुआल का और रद्दी कागज का रावण तो फूका जाता ही है। (4)

इसी प्रकार भारतीय जीवन में पूजा की थाली को हल्दी- दूब और दधि- अक्षत से सजाने का प्रावधान है। इनके बिना भगवान की पूजा अधूरी है। ये चारों लोक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं क्योंकि इनके बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है इस सम्बन्ध में मिश्र जी का विचार है - प्रत्येक नई प्राप्ति अपने शुभ के लिये अब भी हल्दी का वरदान माँगती है। उसकी प्रत्येक नई यात्रा दही का सगुन चाहती है। उसकी प्रत्येक नई साधना दूर्वा का अभिषेक माँगती है और उसकी प्रत्येक नई आपूर्ति अक्षत से पूर्णता का आशीष चाहती है। '' (5)

मिश्र जी ने लोक संस्कृति के विविध आयामों को मानों खोलकर पाठकों के समक्ष रख दिया है। उन्होंने लोक जीवन के पर्व-त्यौहार, रीति-रिवाज, कला, संगीत, नृत्यादि की विविध भंगिमाओं को गहराई से उकेरा है। लोक धुनों और लोक गीतों की सहजता और मधुरता के बारे में वे लिखते हैं- श्लोक धुन में कंठ से कंठ मिलता है। स्वर से स्वर मिलता है। फिल्मी धुन की तरह यकायक कट नहीं होता। जो कुछ भी होता है वह एक सहज श्वास- प्रश्वास के क्रम में होता है। '' (6)

लोक जीवन और संस्कृति में धार्मिक चेतना बहुतायत से व्याप्त है। इस चेतना को किसी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। लोक जीवन में राम की उपस्थिति तो अपरिहार्य है। जीवन से सम्बद्ध किसी भी अवसर पर राम किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते ही हैं। विवाह होगा तो बनरा बन जायेंगे, पुत्र जन्मोत्सव पर राम लला बन जायेंगे। मिश्र जी के शब्दों में वे (राम) केवल मनुष्य जीवन के साथ समरस रहने वाले राम हैं।

वे कालीदास के शब्दों में लोक के पिता और पुत्र एक साथ हैं। उनका

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.) भारत

व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन का साधन मात्र है। इसलिए उनका व्यक्तित्व लोक जीवन के प्रत्येक परमाणु में बस गया है, उसे कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। '' (7)

निष्कर्षत: मिश्र जी के ललित निबन्धों में लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोकाचार बहुत गहरी संवेदनाओं से संपृक्त होकर अभिव्यक्त हुए हैं। उनका मौलिक विवेचन और विश्लेषण मिश्र जी की पहचान है। मिश्र जी के संदर्भ में डा0 हरिमोहन जी के विचार इसी भावना को व्यक्त करते हैं। उनके शब्दों में- डॉ0 विद्या निवास मिश्र भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था और ममता रखते हैं। उनके समस्त निबन्ध स्वानुभूत चिन्तन का दर्पण हैं। आपकी गति संस्कृति , भाषा विज्ञान, व्याकरण, में है और रूचि लोक जीवन में। यही कारण है कि आपकी रचनाओं में जहाँ एक ओर संस्कृति के शास्त्रीय वैभव का उज्ज्वल आलोक है वहीं दूसरी ओर लोक संस्कृति और लोक जीवन का रंग है।

सन्दर्भ-

1- डॉ. विद्यानिवास मिश्र, ' भारतीयता की पहचान ', पृ.सं. 112
2- डॉ. विद्यानिवास मिश्र, ' गाँव का मन ', पृ.सं. 19
3- डॉ. विद्यानिवास मिश्र, ' संचारिणी ', पृ.सं. 61
4- डॉ. विद्यानिवास मिश्र, ' तुम चन्दन हम पानी ', पृ.सं. 56
5- डॉ. विद्यानिवास मिश्र, ' तुम चन्दन हम पानी ', पृ.सं. 118
6- डॉ. विद्यानिवास मिश्र, ' अंगद की नियति ', पृ.सं. 26
7- डॉ. विद्यानिवास मिश्र, ' छितवन की छाँह ', पृ.सं. 90
8- डॉ. हरिमोहन, ' प्रतिनिधि हिन्दी निबन्धकार, प्रथम संस्करण, 1980 पृ.सं.-159

****

शाश्वत संस्कारों की विजय प्रतीक शम्पा : आशापूर्णा देवी

डॉ. संध्या खरे *

शोधसार : प्रथम प्रतिश्रुति उपन्यास की नायिका सत्यवती की चौथी पीढ़ी की युवती तथा बकुलकथा उपन्यास की नायिका शम्पा अपने प्रेम को सर्वस्व मानती है और सारे परिवेश की भिन्नता और प्रतिवाद के बावजूद वह अपने प्रेम को प्राप्त करने का साहस दिखाती है। यहां मानो सत्यवती के प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है कि प्राचीनता और नवीनता का सामंजस्य ही अंतिम समाधान हो सकता है। शम्पा और सावित्री तथा सती बिहुला का चरित्र एकाकार होकर ही नये युग का आदर्श, नये युग का चरित्र गढ़ा जा सकता है। शम्पा ने जो किया वही उसका शाश्वत संस्कार है क्योंकि पति के साथ हजारों दु:खों का वरण करना यह तो इसी देश की कहानी है। शम्पा का सिर्फ चेहरा आधुनिक है। सिर्फ बातचीत इस युग की है। सिर्फ गति भंगी वर्तमान की है और कोई फर्क नहीं है।

परिचय : बंगला भाषा के साहित्य का अपना एक लम्बा गौरवशाली इतिहास है। हिन्दी साहित्य की अनेक विधाओं पर बंगला साहित्य का काफी प्रभाव पड़ा है। बंगला साहित्य में बंगीय नारी की उज्जवल भूमिका के रेखाचित्र अंकित हैं। इन रेखाचित्रों में सर्वाधिक उज्जवल रेखाचित्र आशापूर्णा देवी के द्वारा अंकित किये गये हैं। आशापूर्णा देवी के लगभग 189 उपन्यास, 27 पुस्तकें, 1500 कहानियों तथा अन्य साहित्य के विपुल रचना संसार से आशापूर्णा देवी की अत्यन्त महत्वपूर्ण उपन्यास -त्रयी 'प्रथम प्रतिश्रुति' 'सुवर्णलता' तथा 'बकुल कथा' में से बकुल कथा उपन्यास की नायिका शम्पा का मैंने इस शोधपत्र हेतु चयन किया है।

यह उपन्यास-त्रयी बंगीय नारी के संघर्ष के लगभग 150 वर्षों का इतिहास सामने लाती हैं। चार पीढ़ियों में सत्यवती, सुवर्णलता, बकुलबाला तथा शम्पा के द्वारा नारी के मन की पीड़ा, वंचना, मुक्ति की छटपटाहट सामने आती है। यह उपन्यास त्रयी लगभग सत्रह सौ पृष्ठों तक फैली है तथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास त्रयी (Trilogy) में रखने योग्य है। शम्पा का बाहरी स्वरूप उसकी मुखाकृति, सुवर्णलता के समान है किन्तु उसका चरित्र, स्वभाव, तेज, निर्णय-क्षमता, दृढ़ता सत्यवती के समान है। वह तमाम विरोधों के बावजूद अपने निर्णय पर दृढ़ रहती है। इस प्रकार वह सत्यवती और सुवर्णलता दोनों का समन्वय है। वह उन दोनों के अधूरे संघर्ष को आगे बढ़ाती है।

शम्पा सत्यवती की चौथी पीढ़ी की युवती है। शम्पा के समय तक प्रकृति का चक्र एकाएक बड़ी तेजी से घूम गया है। शम्पा और शम्पा के युग के युवा, पानी नहीं मानते, आग नहीं मानते, काँटों का जंगल नहीं मानते- धड़धड़ाकर चले जाते हैं। [1] शम्पा के अंतर्मन में कोई कामलख नहीं लगी है। इसलिये शम्पा को अपने अंतर्मन के झलक जाने की कोई चिंता नहीं है। कि मेरा भीतर देख ही लिया तो क्या, मेरी बला से। मगर औरों का? उनकी बातें तो सोचनी है। [2] शम्पा भी अपनी परनानी सत्यवती तथा दादी सवर्णलता की भांति समाज से भिन्न प्रकृति की है। यही कारण है कि उसे उसके मॉ-बाप समझ नहीं सके। आवश्यक नहीं समझ सकना ही स्वाभाविक है। आमतौर से जिन माल-मसालों से हमारे दुनियादार लोग तैयार होते हैं उसमें से उन माल-मसालों की बला तो नही है ना। जो है, वह दुनियादारों का अनपहचाना है। [3]

पिछली तीन पीढ़ियों का आत्मसम्मान बोध ही मानो शम्पा के मुख से निकल निकलता है कि प्रेस्टिज ही तो मनुष्य है। उसके सिवाय, उसके पास है या ? चार हाथ-पांव-आँख-कान, रक्त-मांस-हड्डी यह सब तो पशुओं के भी हैं। [4] सुवर्ण जैसा मुख, सत्यवती जैसी प्रकृति, युग की अनुकूल धारा में सनातनी संस्कार के विरूद्ध खड़े होने का दुस्साहस लेकर शम्पा लौट आयी है। शम्पा मानो सुवर्णलता का ही प्रत्यावर्तन हैं, वह सुवर्णलता के पिछले जन्म के बंधनों का प्रतिकार करने आयी है। इसलिये शम्पा खुद ही अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलायेगी। यदि पुरूष गृहस्थी खींच सकता है तो स्त्री क्यों नहीं ? शम्पा तस्वीर जैसी गृहस्थी बसायेगी। इसी निश्चय से शम्पा की आखों में आत्मविश्वास की दमक थी। शम्पा के चेहरे पर दृढ़ता की छाप थी। [5] परिवार एवं समाज के विरोध के बावजूद शम्पा अडिग है, शम्पा ने जो चुना है, वही उसका सर्वस्य है, वही श्रेष्ठ है। उसे स्वीकृति देकर ही माता-पिता शम्पा की स्वीकृति पा सकते हैं। अभिमान व अहंकार हटाकर ही प्रेम दिया जा सकता है और प्रेम पाया भी जा सकता है। प्राचीनता व नवीनता का सामंजस्व ही अंतिम समाधान हो सकता है। शम्पा व सावित्री का चरित्र एकाकार होकर ही नवीन युग का सार्थक चेहरा बनेगा। चूंकि पीढ़ियों की तपस्या व्यर्थ नहीं जाती है इसीलिये सत्यभामा, नमिता, रेखा जैसे दुखद जीवन के उदाहरण के बावजूद शम्पा जैसे उदाहरण भी दिखते हैं और इसीलिये सुवर्णलता के परिवार में शम्पा-जैसों का अविर्भाव संभव होता है। जो सर्बस के मूल्य पर प्रेम की प्रतिष्ठित करके जीवन को पाने का दुस्साहस करती हैं। [6] इसलिये बकुलवाला अब भी अपनी कथा नहीं लिखती। उसने अब तक पितृ ऋण चुकाया है, अब वह संतान ऋण चुकायेगी ! वह पराजय की नहीं बल्कि जय की गाथा रचेगी ! वह सत्यभाषा को नहीं बल्कि शम्पा के जीवन को समाज की दिशा मानेगी ! और इसलिये वह बकुल कथा नहीं बल्कि 'शम्पा कथा' लिखेगी, 'सो, प्रत्यक्ष में जो लोग जीत गये हैं, अभी उन्हीं की कथा लिखनी होनी, इसलिये अभी शम्पा की ही बात लिखी गयी। [7] वस्तुत: शम्पा के रूप में आशापूर्णा देवी ने अपने आस्थावादी स्वर को मुखर किया है।

साथ ही शम्पा के माध्यम से आशापूर्णा देवी ने आगामी युग के नये समाजिक परिवर्तन की ओर भी संकेत किया है कि विवाह संस्कार युगानुरूप परिवर्तित होता रहेगा। इस संबंध में कोई अंतिम नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अंतिम नियम है, स्त्री-पुरूष के परस्पर आकर्षण का नियम। यहीं बंधन, अंतिम बंधन है, जो जब तक यह समाज है, तब तक बना रहेगा क्योंकि, ''संसार के इतिहास में कोई भी सभ्यता इस बंधन से मुक्त होने की राह नहीं बता सकी। वह रहेगा, और देश-काल और पात्र की सुविधा के अनुसार नयी व्यवस्था बनेगी। नयी-नयी सभ्यता की सृष्टि होगी। [8]

संदर्भ :-

1. आशापूर्णा देवी : बकुलकथा, ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण, 6, 1989, पृक्र.262-
2. आशापूर्ण देवी : बकुलकमा, ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 6, 1989, पृ.कृ. 134
3. आशापूर्णा देवी : बकुलकथा, ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण, 6, 1989, पृक्र.264-
4. आशापूर्ण देवी, सुवर्णलता भारतीय ज्ञानपीठ, 18 इण्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली, संस्करण 2001 पृ.क्रं. 145
5. आशापूर्णा देवी :सुवर्णलता,भारतीय ज्ञानपीठ, 18 इन्स्टीयूशनल एरिया, नई दिल्ली, संस्करण 2001, पृक्र309
6. आशापूर्णा देवी : बकुलकथा, ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण, 6, 1989, पृक्र.407-
7. आशापूर्णा देवी बकुलकथा ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण 6, 1989, पृ. क्रं. 401
8. आशापूर्णा देवी : बकुलकथा, ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण, 6, 1989, पृक्र.38

* प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

भिलाली लोक संस्कृति और लोक कथाओं की महत्ता

डॉ. के.एस.बघेल *

भिलाली लोक संस्कृति प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा रखती है। धार और झाबुआ जिले की संस्कृति अत्यन्त समृद्ध एवं प्राचीन हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेष के लिए विख्यात हैं। यहाँ की लोक संस्कृति, साहित्य और कलाएँ अपनी परम्पराओं में शुद्ध और मौलिक हैं। इनकी अपनी बोली हैं। यहाँ का लोक जीवन निरन्तर प्रवाहमान और गतिशील है। धार और झाबुआ जिले में विभिन्न संस्कृति सम्पन्न भिलाला जनजातियों का उद्गम निवास रहा है। भिलाल जनजाति के अपने पारम्परिक कथाएँ, गीत, वार्ताएँ, गाथाएँ, पहेलियाँ, कहावतें, चित्र, नृत्य, और संगीत की अमूल्य धरोहर है। लोक संस्कृति का अर्थ हैं लोक दर्शन या लोक व्यवहार है।

लोक संस्कृति व्यक्ति के उठने-बैठने, चलने-फिरने, चूल्या-चक्की, खेलकूद और समाज के साथ निर्वाह किये गये नाना प्रकार के व्यवहारों का एकीकृत नाम है। लोक संस्कृति एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुडे हैं। लोक संस्कृति को अस्तित्व देता है और संस्कृति लोक को व्यक्तित्व देती है। लोक, संस्कृति का निर्माण करता है फिर उसी से ढ़लता है।

संस्कृति विहीन लोक की कल्पना निर्मूल है। संस्कृति मानव समूह के हर वर्ग की अनिवार्यता है। मानव की मूल प्रवृत्तियाँ संस्कृति के विधायी तत्व है और विकास प्रक्रिया में सहायिक भी है। अहं, भय, प्रेम, करूणा और भूख आदि मूल प्रवृत्तियाँ लोक जीवन में संचालित करती है और इसी से लोक संस्कृति की संरचना और विकास यात्रा होती है डॉ. श्यामचरण दुबे के मतानुसार ''संस्कृति का निर्माण मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। किन्तु संस्कृति स्वयं मानव की कृति है और व्यक्ति संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा उसे अपनाता है।'' लोक जीवन में सामाजिकता विकसित हुई। भौतिक विकास के साथ-साथ अध्यात्मिक विकास हुआ। लोक समाज में नाना प्रकार के पर्व, उत्सव और त्यौहार का आगमन हुआ। मेले और तीर्थ-यात्राओं को मान्यता मिली।

लोक संस्कृति सतत् प्रवाहमान जीवन धारा है जो अपने समय की चुनौतियों का मुकाबला करती हुई आगे बढ़ती है लोक संस्कृति जड़ धारा नहीं बल्कि विकासोन्नमुख महाप्रवाह हैं। लोक संस्कृति का अपना अतीत होता है, जो वर्तमान के धरातल पर नाना रूपों में प्रकट होता है। लोक संस्कृति का निर्मल रूप ग्रामवासियों के बीच जाकर देखा जा सकता है। रहन-सहन, वेशभूषा, नृत्य-संगीत, प्रथा-परम्परा अलग-अलग होते हुए भी सबका मूल सूत्र एक ही होता है लोक जीवन का यथार्थ दर्शन लोक गीतों और लोक कथाओं में मिलता है। सूत्र रूप में कहा जाय तो लोक साहित्य लोक संस्कृति की आत्मा है। दोनों का सम्बन्ध अभेद है।

लोक संस्कृति और सभ्यता भी परस्पर जुड़े हैं। इनका आपसी संबंध देह और देही जैसे, हैं रूप और सौंदर्य जैसा है। सभ्यता यदि दीपशिखा है तो लोक संस्कृति दीप्ति का स्नेह है। सभ्यता आगे-आगे चलती है लोक संस्कृति उसी की आभा मण्डल से झांकती है। ''आज अध्यापिकाएँ और बालिकाएँ नि:संकोच नंगे सिर स्कूल जाती है। यदि इस रहन-सहन को संस्कृति मानते हैं तब तो संस्कृति परिवर्तनशील सिद्ध होगी, किन्तु यदि गहराई से विचार किया जाय तो समाज के आचार-विचार, रहन-सहन, पहनवा संस्कृति नहीं हो सकते। यह सब सभ्यता के अंग है। संस्कृति का संबंध हमारे मन, ह्रदय और मस्तिष्क के संस्कारों से होता है। इस द्दष्टि से संस्कृति स्थायी है, समयानुसार उसमें विकास और ह्रास अवश्य हुआ करते हैं।

लोक व्यवहार लोक संस्कृति का व्यक्ति पक्ष है। मनुष्य और लोक के मध्य में लोक व्यवहार का ताना-बाना होता है। व्यक्ति सम्मानित और श्रेष्ठतर जीवन जीना चाहता है। इसलिए वह सामाजिक मर्यादा का पालन करता है। स्माज की साझी संस्कृति लोक व्यवहार को प्रभावित करती है। मनुष्य, मनुष्य को ही अपना आदर्श बनाता है क्योंकि मनुष्यात्परं नास्ति - मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अत: मनुष्य को अन्यत्र अटकने-भटकने की आवश्यकता नहीं है। गीता में अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरित करते हुए श्रेष्ठजनों के आचरण का अनुशरण करने की अनुशंसा की है।

झाबुआ और धार जिले के भिलालों की अलग पहचान है। जातीय पंचायतें जातिगत झगड़ों का निर्णय करती है। निर्णय पालन न करने पर दण्ड देती है। भिलाला जनजातियों के लोक साहित्य में लोक संस्कृति की अनुठी छाप रहती है। इनका लोक साहित्य मौखिक परम्परा में सुरक्षित है जिनमें आदिम समाज का सत्य रूपायित होता है। लोक साहित्य में आडम्बर, बेईमान, और कृत्रिमता का सर्वथा अभाव होता है। वस्तुत: अनभिज्ञता और भावुक्ता ही भिललों की विशेषता और सच्चाई है। भिलाल जनजाति प्रकृति प्रेमी और निष्छल होती है। परा शक्तियों में आस्था रखने वाली यह जाति शक्ति और शिव की उपासक होती है। समयान्तर में ज्ञान-विज्ञान के विस्फोट से भिलालों के बोध और सोच में परिवर्तन आने लगा है। अपनी संस्कृति और पहचान के प्रति अधिक सचेत है। विकसित सभ्यता और संस्कृति से तालमेल रखते हुए अपनी मौलिकता को बचाये हुए है।

भिलाली संस्कृति समृद्ध है। लोक कथाएँ लोक की समृद्ध, सांस्कृतिक परम्परा लोक कथाओं द्वारा रूपयित होती है। लोक जीवन की आस्था-अनास्था, राग-द्धेष, त्याग-भोग, कौतूहल-जिज्ञासा, संघर्ष, सुख-दु:ख सभी मनोवृत्तियाँ लोक कथाओं में एकाकार होती है। लोक संस्कृति की इन्द्रधनुषी बनावट लोक कथाओं में मिलती है। भिलाली लोक जीवन के रहन-सहन, रीति-रिवाज, संस्कार और लोक विश्वासों की अमूल्य निधि लोक कथाओं में भरी पड़ी है। कुछ में उल्लेख है कि शुभ कार्य जैसे मंगनी, बौनी, आदि के लिए जाने लगते हैं और एक छींक आती है तो लोक विश्वास में यात्रा के समय एक छींक को अशुभ माना गया और यदि दो छिंक आती है तो शुभ माना गया है।

''अपशकुन की कथा चित्रण इस प्रकार है'' - एक बार ग्राम रावड़ी जिला झाबुआ में लड़की के घर मंगनी हेतु गये। मंगनी करने पहूँचे ही थे कि भालू ''खॉव-खॉव'' की आवाज करता हुआ प्रात: तीन बजे से पाँच बजे तक रूक-रूककर चिल्लता रहा। दोनों पक्षों की विवाह की खुब राजी थी। इसलिए भालू की अपशकुन आवाज की अवहेलना कर दी। विवाह हुआ। विवाह के पश्चात् दोनों पति-पत्नि अच्छे भी रहे। पति की नौकरी थी। एक दिन अचानक

*प्राध्यापक, हिन्दी, शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

उसका पति पागल हो गया। इलाज करवाया पर वह ठीक नहीं हुआ। इसलिए भालू की खॉव-खॉव की आवज कहीं न कहीं अपशकुन माना जाता हैं। भिलाली लोक संस्कृति से संबंधित अनेक कथाएँ मिलती है। संस्कृति की इन्द्रधनुषी लोक कथाओं में मिलती है।

लोक जीवन के रहन-सहन, रीति-रिवाज, संस्कार और लोक विश्वासों की अमूल्य निधि लोक कथाओं में भरी पड़ी है। भिलाली लोक कथाओं में उत्सव की लोक कथाएँ, दिवासा की कथाएँ, आदि का उल्लेख मिलता हैं ये सभी कथाएँ आदर्शपरक हैं।

भिलाली लोक कथाओं में विविध मेलों की कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। जिसमें इन्दल की लोक कथाएँ, पीठवरा की लोक कथाएँ, पाटला की लोक कथाएँ, और अन्य छोटे बड़े मेलों की लोक कथाए, मिलती है। इन सभी लोक कथाओं में मनुष्य की संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। ये लोक कथाएँ विश्वास आस्था पर अवलम्बित होते हैं। लोक का पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी आसानी से लोकाचारों, प्रथाओं और विश्वासों से विमुख नहीं हो पाता, क्योंकि इनकी जड़ समाज में बहुत गहरी है। भिलाली लोक कथाओं में संयमित जीवन जीने और स्वच्छाचरण पर अंकुष लगाने का उल्लेख मिलता है।

संदर्भ -

1. रामनारायण उपाध्याय - निमाड़ी का लोक साहित्य और संस्कृति
2. डॉ. श्याम परमार - म.प्र. की लोक संस्कृति
3. डॉ. श्यामचरण दुबे - मानव और संस्कृति
4. श्री नरेन्द्र धीर - पंजाब की लोक कथाएँ
5. आदर्श कुमारी - ब्रजी की लोक कथाएँ

****

भील जनजाति में प्रचलित विविध रीति-रिवाज एवं प्रथाएँ

प्रो. मीरा जामोद *

भील मध्यभारत और पश्चिमी भारत के विस्तृत क्षेत्र में बसे हुए है। हेडनमार्क का भी यह मत है कि भील एक मंचमेल समूह है, जिसके अंतर्गत मूलत: भिन्न-भिन्न ऐसी अनेक जनजातियाँ सम्मिलित कर ली गई है, जिन्हें अधिक उन्नत पड़ोसियों ने भील नाम दे दिया। भील शब्द द्रविड भाषा के बिल से निकला है जिसका अर्थ है कमान या तीर। कमान के व्यवहार में निपुण होने के फलस्वरूप यह जनजाति भील कहलायी। भीलों में विभिन्न रीति-रिवाज एवं प्रथाएँ प्रचलित है, जो निम्नलिखित है-

विवाह से संबंधित रीति-रिवाज

* **मंगनी :-**विवाह का आरंभ सगाई या मंगनी से होता है। वरपक्ष की बात वधु पक्ष तक पहुँचाने के लिये एक व्यक्ति चुना जाता है जिसे भांजगडिया कहते है। मंगनी में सभी को मदिरा पिलाई जाती है तथा सामूहिक भोज होता है।
* **वधु मूल्य अथवा दापा :-** दापा उस राशि को कहा जाता है जो वर पक्ष से वधु पक्ष को दी जाती है। दापा में मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, अनाज, गहने और तय की गई राशि प्रदान की जाती है। भीलों में दापा देने की प्रथा है। रूपये की माँग परिस्थिति पर निर्भर होती है जो वर्तमान में भीलों में पाँच से पंद्रह हजार तक है।
* **साउंग भरना :-** मंगनी के कुछ दिन पश्चात् वर पक्ष की ओर से दापा में तय अनाज लेकर वधु के घर जाते है, जिसे साउंग भरना कहते है। अनाज सवा पांच मन के लगभग होता है। साउंग ले जाने वाले व्यक्तियों को सांवग्या कहते है।
* **हल्दी पीठी :-** वर-वधु दोनों पक्षों के ग्राम पुजारी और पटेल विवाह का शुभारंभ रानी काजल के देवरे पर हल्दी से पूजन करके करते है।
* **बाना बिठाना :-** वर को तथा वधु को स्नान के पश्चात् नये वस्त्र पहनाकर गले में चाँदी की हँसली व हार पहनाते है तथा हाथ में लोहे बकी देते है जिस पर दो बटुवे (रंग-बिरंगे) बांधते है।
* **पहरावणी :-** मण्डप के दूसरे दिन दुल्हा-दुल्हन के मामा द्वारा तथा अन्य सगे-संबंधियों द्वारा दुल्हा-दुल्हन के परिवार को नये वस्त्र पहनाते है जिसे पहरावणी कहते है।
* **बारात :-** पहरावणी के पश्चात् बारात रवाना होती है। दुल्हे की कुँआरी बहन सिर पर पाटी रखती है जिसमें दुल्हन के कपड़े आभूषण व श्रृंगार संबंधित सामान रखा जाता है।
* **झोल्या चोली :-** वर पक्ष से वधु के लिये कपड़े दिये जाते है जिसमें सफेद रंग का लुगडा हल्दी लगी किनारे वाला तथा लाल चोली होती है।
* **बेडा भरना :-** वधू पक्ष में चार मिट्टी के तथा एक ताँबे के कलश में कुँए से जल भरकर लाते है जिसे बेडा भरना कहते है।
* **कन्यादान :-** फेरे के पश्चात् वधु के घर से बर्तन, जेवर तथा सगे संबंधियों की ओर से रूपये पैसे दिये जाते है इसे भील ओगी कहते है।
* **विदा :-** विवाह के रीति रिवाजों के पश्चात् दुल्हन को विदा किया जाता है। ऐसे मांगलिक अवसर पर सभी की आँखो से अपने आप अश्रुधारा बहने लगती है।
* **बवडा (आणा) -**विवाह के दूसरे दिन वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष के घर मेहमान आते है जिनका स्वागत शराब व मुर्गे से किया जाता है।
* **घर जँवाई :-**भीलों मे घर जँवाई रखने की प्रथा है इसमें दामाद लड़की के घर रहता है तथा उसके माता-पिता की सेवा करता है।
* **भगोरिया विवाह :-**भगोरिया हाट में कुँआरे युवक-युवतियाँ एक-दूसरे को पसंद कर गुलाल लगाते है और बाद में विवाह कर लेते है।
* **लुगडा लाडी :-**भीलों में लुगडा लाडी जैसी प्रथा भी प्रचलित है। संबंध तय होने पर लड़के वाले लड़की के लिए कपडे ले जाते है तथा गठजोड़कर घर ले आते है।
* **आई भरायणा :-**माता-पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर लड़की किसी अच्छे घर के लड़के को देखकर, उसके घर चली जाती है जिसे आई भरायणा कहते है।
* **धारणा विवाह :-**भीलों में सामजिक मान्यतानुसार दो-तीन पत्नी रखने की प्रथा है।
* **नातरा विवाह :-**भील जनजाति मे विधवा विवाह का प्रचलन है। इसमें फेरे नहीं होते है। विधवा विवाह को ही नातरा विवाह या पुर्नविवाह कहते है।
* **तलाक :-**भीलों मे तलाक प्रथा भी है, जिसके कई कारण है, जैसे :- आर्थिक स्थिति, आंतरिक कलह आदि।
* **गाता प्रथा :-**भीलों में गाता प्रथा भी प्रचलित है। किसी की असमय मृत्यु जैसे दुर्घटना या सर्प के डसने या शौर्य प्रदर्शन के समय मृत्यु हो जाये तो मृत व्यक्ति की स्मृति में पत्थर के शिल्प गाड़े जाते है जिसे गाता कहते है।

निष्कर्ष :-

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भीलों मे विभिन्न रीति-रिवाज एवं प्रथाएं प्रचलित है जो भीलों की संस्कृति को उदघटित करती है। विवाह संबंधी रीति-रिवाजो के अतिरिक्त भी कई रीति-रिवाज व प्रथाएं प्रचलित है।

संदर्भ ग्रंथ :-

(1) भील-भाषा, साहित्य और संस्कृति-नारायण चौरे।
(2) भील जनजीवन और संस्कृति - अशोक डी पाटिल
(3) भीलों की सामाजिक व्यवस्था - एम.एल. वर्मा
(4) संपदा

****

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

आपका बंटी 'एक समीक्षा'

सुधा कुमारी *

आपका बंटी' के माध्यम से मन्नू भंडारी ने दाम्पत्य संबंधें में आई नई कड़वाहट तथा आने वाली पीढ़ियों पर उसके परिणाम एवं प्रभाव को दर्शाने की सपफल कोशिश की है। माता-पिता के अलगाव तथा उनकी जिन्दगी उनके अनुसार व्यवस्थित होने के कारण 'बंटी' को जिन मानसिक अवसादों से गुजरना पड़ता है, उसे लेखिका ने यथार्थ के धरातल पर विस्तृत फलक में उकेरा है। 'आपका बंटी' हिन्दी साहित्य के उन बेजोड़ उपन्यासों में एक है, जो भारतीय समाज में आई विकृति को तथा स्त्री-विमर्श जैसी संवेदनशील विषय को एक नई दिशा प्रदान की है। यह उपन्यास अपने आप में एक विशेष परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे के कारुणिक संवेदना का दस्तावेज है, जो उसे उसके परिवार द्वारा प्राप्त हुआ है। उपन्यास में उठाई गई समस्या, टूटते वैवाहिक संबंधें में बच्चे की दयनीय स्थिति-'एक विशिष्ट' समस्या है। जिसे हिन्दी साहित्य में संभवत: पहली बार उठाया गया है। मन्नू भंडारी की इस औपन्यासिक प्रतिभा पर मुग्ध होकर मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेन्द्र कुमार ने कहा कि ''बहुत अरसे बाद हिन्दी में एक सशक्त उपन्यास आया है। लेखिका की अद्‌भूत क्षमता से मैं स्तब्ध रह गया हूँ। लेखिका का संयम एवं सहानुभूतिशीलता संवेदन इस रचना में प्रकट हुआ है। ऐसी मर्मस्पर्शिता लेखकों में बहुत कम मिलती है।'' 'आपका बंटी' उपन्यास का केंद्रबिन्दु एक बच्चा है, जो कि माता-पिता के अलगाव का त्रास भोगता है। बंटी की माँ शकुन कॉलेज की प्रिंसिपल है तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्रा है। शकुन तथा अजय के वैवाहिक टकराहट का हल तो तलाक के रूप में हो जाता है। परन्तु 'बंटी' का जुड़ाव दोनों के साथ होने के कारण वो उपन्यास के आरंभ से अंत तक पिसता है। शकुन की महत्वाकांक्षा अजय के लिए चुनौती बन जाती है तथा अजय का पौरुषपूर्ण अहं शकुन को स्वीकार्य नहीं जिसके कारण इनके वैवाहिक जीवन कड़वाहट से भर जाता है। इस कड़वाहट को बंटी के बचपन का माधुर्य भी दूर नहीं कर पाता है। 'आपका बंटी' उपन्यास न सिर्फ बंटी की त्रासदी बयान करता है, बल्कि शकुन के मानसिक द्वंद्व को भी दर्शाता है। बंटी, शकुन तथा अजय अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए किसी एक की यातना सभी के लिए त्रासदी बन जाती है। शकुन के दस वर्षों का विवाहित जीवन ''एक अंधेरी सुरंग में चले जाने से भिन्न न था, जहाँ न प्रकाश, न वह खुलापन, न मुक्ति का अहसास। लगता है जैसे एक सुरंग से दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया है. फिर एक और यात्रा वैसा ही अंधकार, वैसा ही अकेलापन'' अजय तथा शकुन के बीच वकील चाचा मध्यस्थ का काम करते हैं, जो शकुन के मातृत्व की पीड़ा भी समझते हैं, तथा उन्हें बंटी से भी स्नेहमयी हमदर्दी है। वकील चाचा के बंटी को हॉस्टल भेजने वाले प्रस्ताव पर शकुन कहती है-''बंटी को हॉस्टल भेजने की बात तो आपने कह दी, पर कभी यह भी सोचा है कि उसे हॉस्टल भेजकर मैं कितनी अकेली हो जाऊँगी।''मन्नू भंडारी ने अपने इस उपन्यास के माध्यम से जीवन के गहराइयों तथा संवेदना के अनछुए पहलुओं को यथार्थ के धरातल पर उकेरने का प्रयास किया है। मम्मी-पापा के तलाक ने बंटी को अधिक संवेदनशील बना दिया है। अब वह कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसकी मम्मी को तकलीपफ हो। यहाँ तक कि पापा के दिये हुए खिलौनों से भी नहीं खेलता। परंतु वह शकुन का घाव भर नहीं पाया जो उसे अजय ने दिए थे। अजय और मीरा की शादी से मिले दर्द को शकुन दो बच्चों के पिता तथा विधुर डॉ. जोशी से विवाह कर दूर करना चाहती है। डॉ. जोशी का शकुन की जिंदगी में आना बंटी के लिए चुनौती बन गया था। शकुन का डॉ. जोशी से विवाह के फैसले ने बंटी के व्यवहार को परिवर्तित कर दिया, तथा उसकी नौकरानी फूफी अपनी नाराजगी जताते हुए बोलती है कि ''एक वचन दे दो कि हमारे बंटी भैया को जैसा आपने बिसरा दिया है, आजकल, वैसा और मत करना। बाप के रहते बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते बिना माँ का ना हो जाए।''फूफी के इसी कथन में बंटी का संपूर्ण भविष्य प्रतिबिंबित होता है। डॉ. जोशी से विवाह जहाँ शकुन के जीवन को नई दिशा देता है वही बंटी से दूरी बना देता है। प्रतिपल मम्मी से दूर जाने वाला बंटी अब पापा के पास कलकत्ता जाने का निश्चय करता है। वस्तुत: शकुन तथा अजय अपने-अपने भविष्य को संवारने के क्रम में बंटी के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा देते हैं। बंटी की मानसिक दशाओं का मन्नू भंडारी ने इतनी खूबसूरती से किया है कि बंटी औपन्यासिक पात्र न लगकर चिर-परिचित प्रतीत होता है। बंटी का कलकत्ता जाना, न तो शकुन रोक पायी, न बंटी रूका। परन्तु बंटी जिन उलझनों का हल ढूंढने कलकत्ता आया था, वो समस्या जस की तस बनी रही। वहां वह डॉ. जोशी को पिता के रूप में स्वीकार कर नहीं पाया तो यहां मीरा शकुन का स्थान ले नहीं पायी। बंटी समझ नहीं पा रहा था कि ''शकुन को देने के लिए कष्ट उसने अपने आप को ही दे डाला।''बंटी की अंतर्मुखी प्रवृत्ति धीरे-धीरे और भी बढ़ने लगी, जिसके कारण अजय उसे हॉस्टल भेजने का निर्णय ले लिया। बंटी पापा को भूलकर मम्मी को खुश रखना चाहा, तो मम्मी के विवाह ने उसके विश्वास को तोड़ दिया। पापा के साथ रहने की इच्छा को मीरा तथा चीनू की उपस्थिति ने खत्म कर दिया। अब बंटी अकेला है, नितांत अकेला, जिसकी कल्पना बंटी ने कभी नहीं की थी। 'आपका बंटी' उपन्यास में पारिवारिक बिखराव का चित्राण अन्य हिन्दी उपन्यासों में चित्रित पारिवारिक विघटन से भिन्न है। यहाँ टूटन दाम्पत्य संबंधें के स्तर पर है। परन्तु दाम्पत्य संबंधें का बिखराव भी सिर्फ माध्यम बनकर रह जाता है। क्योंकि अजय तथा शकुन एक वैवाहिक जीवन से ऊबकर अपने लिये नया जीवन-साथी तलाश लेते हैं। वो एक परिवार की परिधि को लाँघकर दूसरे परिवार की परिधि में समा जाते हैं। परन्तु माता-पिता के इन संबंधों के बीच बंटी फँसकर रह जाता है। माता-पिता होने के बावजूद वो निरंतर अकेला हो जाता है। बदली परिस्थितियाँ उसे जहाँ भी ले जाती है, उसे अजनबी बना देती है। पति-पत्नी के द्वंद्व में पीसने वाला बंटी की नियति उसे हॉस्टल पहँचा देती है। माता-पिता के अहं की टकराहट से त्रास्त बंटी तीनों परिवार में फालतू होकर सबकी करुणा का पात्र बन जाता है। मन्नू भंडारी ने बाल मनोविज्ञान के प्रत्येक स्थिति तथा संवेदना को कुशलता से उभारा है। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि 'आपका बंटी' सिर्फ मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कृतियों में से एक नहीं है बल्कि यह संपूर्ण हिन्दी साहित्य की श्रेष्ठ औपन्यासिक कृतियों में शुमार होने वाली रचना है।

संदर्भ -ग्रंथ सूची :

1. आपका बंटी ''मन्नू भंडारी'' ;उपन्यासद्ध, पृष्ठ सं. 122
2. 'समीक्षा' ''हेमचंद्र जैन'' पृष्ठ क्रं. 38
3. आपका बंटी ''मन्नू भंडारी'' ;उपन्यास, पृष्ठ सं. 38
4. आपका बंटी ''मन्नू भंडारी'' ;उपन्यास, पृष्ठ सं. 41

* शोधार्थी, रांची विश्वविद्यालय (झारखण्ड) भारत

स्वतंत्र भारत में हिन्दी व्यंग्य (आलेख)

डॉ. छाया चौकसे *

प्रसिद्ध लेखक स्विफट का विचार है कि ऐसी दरारों पर लोगों का ध्यान केन्द्रित करने के लिये व्यंग्य की आवश्यकता पड़ी होगी, जो समाज में अपनी प्रचलित प्रतिष्ठा का दुरूपयोग करते है या जो जनता की नेकनीयती और भोलेपन का शोषण करते हैं संक्षेप में जिनके जीवन के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में असंगति और विरोध है। व्यंग्यकार उनकी खबर लेता है, जो कानून गीता, गंगाजल, अथवा जनता की निगाहों से बच जाते हैं, उन्हें व्यंग्यकार अपने व्यंग्य दण्ड से आहत करता है।

इस सम्बन्ध में डॉ. मनोहर देवलिया ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही हैं कि - व्यंग्यकार जब व्यंग्य करता है तो वह उस किसान की तरह होता है जो फसल को नुकसान पहुँचाने वाले कौवें को मारकर उल्टा टांग देता है जिससे दूसरे कौवे डरें और फसल का नुकसान न करें।

गद्य और काव्य के स्वातंत्रयोत्तर विकास में व्यंग्य कुछ इस तरह अभिव्यक्त हुआ कि उसने परसाई की व्यंग्याभिव्यक्ति के रूप में आते आते हिन्दी गद्य साहित्य की एक स्वतंत्र विधा का रूप गृहण कर लिया।

भक्तिकालीन सामाजिक व्यंग्यकार कबीर के उत्तराधिकारी के रूप में परसाई ने सामाजिक विडम्बनाओं विसंगतियों समस्याओं के यथार्थ को अपनी व्यंजित भाषा शैली में इस तरह अभिव्यक्त किया जिसने स्वतंत्रतापरान्त समाज में आये परिवर्तन के आइने में वस्तु यथार्थपरक भारतीय छवि को देखते हुये उसमें उभरी चारित्रिक नैतिक, मूल्यपरक पतन की ही नहीं वरन चकाचौध के पीछे छिपी राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक पतन की खामियों को कुछ इस तरह हमारे समक्ष उजागर किया जिस कोई शल्य चिकित्सक आपरेशन थियेटर में रोग ग्रस्त जगह की एक एक बारीकी को कैंची चिमटे से बड़े ध्यान से अलग कर रोग ठीक करने की कोशिश करता है।

कबीर से लेकर वालेन्दू शेखर तिवारी तक की फहरिस्त बहुत लम्बी है। 1951 में हरिशंकर परसाई की ''हंसते है रोते'' है। 1956 में केशवचन्द्र वर्मा का ''लोमडी का मांस'' तथा शरद जोशी की ''परिक्रमा'' रचना के माध्यम से शरद जोशी व्यंग्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुये।

शरद जोशी की विशेषता है कि वे आकार की दृष्टि से छोटी एवं मनोरंजक और प्रहार की दृष्टि से स्तरीय और सशक्त व्यंग्य रचनाएं लिखा करते थे। इसी समय श्री लाल शुक्ल का ''अंगद का पांव'', रांगेय रांधव का ''पांच गधे'', डॉ. गोविन्द शेनाथ का ''मिस्टिक साहव का कुरता'' हरिशंकर परसाई का ''भूत के पांव पीछे'' प्रकाशित हुई।

1963 में खुली धूप में नाव पर के माध्यम से रवीन्द्रनाथ त्यागी ने व्यंग्य के क्षेत्र में पदार्पण किया।

1964 में परसाई की जैसे उनके दिन फिरे 1965 में बेईमानी की परत 1966 सुनो भाई साधो सामने आई। इसी समय प्रकाश पंडित का व्यंग्य बक रहा हूँ जुनून में तथा रवीन्द्रनाथ त्यागी का भित्ति चित्र को प्रकाशन हुआ। 1967 में पगडंडियों का जमाना तथा सदाचार का ताबीज परसाई का तथा विनोद शर्मा का राजभवन की सिगरेटदानी डॉ. केलकर का कुत्ते की दुम तथा रामनारायाण उपाध्याय का धुंधले कांच की दीवार व्यंग्य संकलन सामने आये। 1968 में डॉ. इन्द्रनाथ मदान व्यंग्य संकलन में ''कुछ उथले कुछ गहरे'' लिखा इसी समय परसाई की निठल्ले की डायरी उल्टी-सीधी और अंत में प्रकाशित हुये। निठल्ले की डायरी में व्यंग्य का कटु मर्म देखते ही बनता है- कितने पुल वर्षो से पडे है उन पर कोई नहीं चलता है क्योंकि उनका उद्घाटन नहीं हो सका। महाराज पुल पार करने के लिये नहीं बल्कि उद्घाटन के लिये बनाये जाते है।

इस प्रकार स्वातंत्रयोत्तर व्यंग्य रचनायें की फहरिस्त में परसाई, श्रीलाल शुक्ल, रवीन्द्र नाथ त्यागी, शरद जोशी, ज्ञान चतुर्वेदी, के.पी. सक्सेना, डॉ. रमाशंकर श्रीवास्तव, यशवन्त कोठारी, मरेन्द्र कोहली, डॉ. मनोहर प्रभाकर, हरि जोशी, लतीफ घोजी, अमृतराय, विश्वमोहन ठाकुर, प्रेम जन्मेजय, डॉ. हरिशचन्द्र शर्मा, डॉ. हरीश नवल, सुरेशकान्त, रमेश गुप्ता, बरसानें लाल चतुर्वेदी आदि उल्लेखनीय है।

परसाई ने व्यंग्य को अपने आत्मवक्तव्य में ''स्प्रिट'' कहा है जो आज सभी विधाओं में मौजूद है।

परसाई के व्यंग्यकार बनने का वक्तव्य प्रत्येक व्यंग्य रचनाकार पर सटीक बैठता है- मैंनें देखा कि दुखी और भी है। इससे मेरी संवेदना का विकास हुआ मैंने देखा कि जीवन में बेहद विसंगतियां है अन्याय, पाखण्ड, छल, दो मुहां पन, अवसरवाद, असामंजस्य आदि में इनके विश्लेषण के लिये साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र का अध्ययन किया......परन्तु अनुभव ही लेखक का ईश्वर होता है। अनुभव बेकार होता है यदि उसका अर्थ न खोजा जाये, उसका विश्लेषण न किया जाये।

आज हम तीनो चेनल्स पर बहुत से व्यंग्यात्मक ऐपीसोड जैसे सीरियल के माध्यम से जनता के समक्ष मनोरंजन के रूप मे व्यंग्य परोसा जा रहा है। क्योंकि दर्शक उन्हें कामेडीयन अभिव्यक्ति को एक सकर्स के दर्शक की भांति देखने के अभ्यस्त हो गये है। वर्तमान जीवन में समस्याएं इतनी हैं कि व्यक्ति मनोरंजन करते समय यह भी नहीं सोच पा रहा है कि जिन स्थितियों के चलते वह हंस रहा है, वह भी बहाँ कही उपस्थित है।

वास्तव में सही व्यंग्य यथार्थ के अन्तर्विरोधों और असंगतियों को स्पष्ट करता है। इनकी तह में जाना कारणों का विश्लेषण करना उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखना इससे सही व्यंग्य बनता है, जरूरी नहीं कि व्यंग्य में हंसी आये, यदि व्यंग्य चेतना को झकझोर देता है, विद्रुप को सामने खड़ा कर देता है, आत्मसाक्षात्कार कराता है, सोचने को बाध्य करता है व्यवस्था की सडांध को इंगित करता है और परिवर्तन के लिये प्रेरित करता है। तो वह सफल व्यंग्य है।

निरन्तर व्यंग्य सहित्य की समृद्धि व्यंग्य के उज्जवल भविष्य की ओर इंगित करती है। निरन्तर नये नये विषय स्पष्ट हो रहे है। आवश्यकता है, शासक-शासित वर्ग इन पर विचार कर इन व्यंग्यों में दिये लक्ष्य को प्राप्त करे। समस्या का निदान करे।

****

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

संगीत और खेल का सहसम्बन्ध

श्रीपाद् आरोणकर *

मानव सामाजिक प्राणी है। विश्व का परिचय मानव को समाज से प्राप्त होता है। उसे अपने सामाजिक, शरीरिक तथा बौद्धिक विकास के लिये समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। इन सबके अस्तित्व के लिये अर्थात् जीवन के विभिन्न पथों से सम्बन्धित एक अथवा अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आसपास के अनेक व्यक्तियों तथा समूह से अन्त: क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। ''जो विज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों पर सामाजिक परिस्थितियों के प्रभावों का विश्लेषण तथा अध्यापन करता है, उसे 'समाज मनोविज्ञान' के नाम से अभिहित किया जाता है।''[1]

मानव के व्यवहारों पर सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का हर व्यवहार न तो पूर्णत: वैयक्तिक रहता है न ही पूर्णत: सामाजिक वरन् दोनों का मिश्रण रहता है। परन्तु इतना होने पर भी व्यक्ति व समाज अलग-अलग हैं। वैयक्तिक मन व सामाजिक मन एक दूसरे पर प्रभाव जरूर डालते हैं, परन्तु इन दोनों का अलग स्थान है।

व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए संगीत कला का अपना स्थान है। मानव केवल यांत्रिक जीव ही नहीं, उसे भोजन, वायु, रहने के स्थान के अलावा, मानसिक तथा बौद्धिक आवश्यकताओं की जरूरत होती है। दैनिक जीवन में काम करने के लिये स्फूर्ति तथा शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कि वह संगीत कला से (अन्य कलाओं की अपेक्षा) ग्रहण कर लेता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य किसी-न-किसी रूप में संगीत का सहारा लेता रहा है। यहां तक कि असभ्य समाज तथा जंगली जातियों में भी संगीत अपना स्थान रखता है। भाषा से पहले संगीत का जन्म हुआ जो कि भावाभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम था। अत: यह स्पष्ट है कि सृष्टि-रचना के आरम्भ काल से संगीत की स्वर-लहरियों का मानव समाज ने निकटतम सम्बन्ध रहा। व्यक्ति-जीवन के आरम्भ से अन्त तक, सुख-दु:ख, हर्ष-रूदन योग-वियोग, जीवन-मृत्यु इनमें संगीत रहता है।

संगीत कला का समाज में योगदान

1. संगीत से दिव्यता पायी जाती है। संगीत से जिस सुख की अनुभूति होती है, उससे भाषा, धर्म, जाति इत्यादि के बन्धन नहीं रखते वरन् संगीत से भावात्मक एकता आती है।
2. संगीत जागृति-निर्माण करता है, जो जीवन के प्रति उच्चतर मूल्य हैं, उन्हें संगीत जागृत करता है। प्रचार में भावों को उद्दीप्त करने के लिए, संगीत की प्रेरक शक्ति का उपयोग किया जाता है। सुप्त ग्रणों का आव्हान् भी संगीत द्वारा किया जाता है। खेलों के लिए यह आवश्यक है।
3. व्यक्ति का व्यक्ति के लिये सम्बन्ध होना समाज के लिये अत्यन्त आवश्यक है। अत: यह सम्बन्ध सामूहिक गीतों के द्वारा कायम किया जाता है। संगीत के द्वारा समाज में एकता, टीम की भावना तथा प्रेम की भावना जागृत होती है तथा कटुता, भेद, अभेद आदि कम होते हैं। प्रमुख पांच कलायें हैं जिन्हें ललित कलायें कहा जाता है। इनमें संगीत एक प्रमुख ललित कला है। इन्हीं कलाओं द्वारा किसी भी समाज का चित्रण होता है, इसलिये कहा जाता है कि 'कला समाज का दर्पण है।'
4. सामाजिक मनोविज्ञान की प्रमुख समस्या व्यक्ति व समाज के बीच आदर्श स्थापित करके देश के नैतिक व सामाजिक मानदण्ड को सुदृढ़ बनाना है। इसमें संगीत काफी हद तक सहायता करता है ये गूण खेलों के लिए आवश्यक है।
5. संगीत थके खिलाड़ियों को स्फूर्ति प्रदान करता है। संगीत और खेलों द्वारा एक देश की भावनाएँ दूसरे देश तक पहुँचती हैं। इसी कारण बड़े-बड़े सांस्कृतिक तथा सांगेतिक उत्सव किये जाते हैं।[2]

वैसे तो मनोविज्ञान की सभी शाखाओं में संगीत का अपना अलग उपयोग है, लेकिन खेल-मनोविज्ञान में संगीत का उपयोग निम्नलिखित कारणों की वजह से है।

(1) संगीत का शिक्षण होने से खिलाड़ियों में सौन्दर्य तत्व का बोध होता है। इससे वे अच्छे व बुरे के प्रति सजग रहते हैं और आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को हल करने का मार्ग सहज में खोज लेते हैं।

(2) कई मनोवैज्ञानिकों का ऐसा भी मत है कि 'वाद्यवादन' की क्रिया से मस्तिष्क का विकास होता है। अत: यदि एक संगीत के संस्कार ग्रहण किया हुआ बच्चा यह क्रिया दैनिक जीवन में करे तो मनोरंजन के साथ-साथ बुद्धि के विकास में भी सहायता मिलेगी और सीखने की शक्ति तथा अलग शक्ति को बल मिलेगा।

(3) शिक्षा का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों में 'रूचि' उत्पन्न करना है। रूचि से किया जाने वाला काम आसानी से व शीघ्रता से पूर्ण होता है। संगीत द्वारा खिलाड़ियों में रूचि उत्पन्न करके विषय को बहुत कुछ आसान बनाया जा सकता है।

(4) संगीत में जब विद्यार्थी किसी भी गीत का नोटेशन याद करना, लिखना, समझना समझ जाता है, तब इसके उसे हर विषय में अन्तर्ध्यान व कल्पना शक्ति या प्रादुर्भाव होता है। स्वरलिपि (नोटेशन) पद्धति से शब्द व स्वर का एक ही समय में एक ही साथ ध्यान करने से चेतना शक्ति केन्द्रित रहती है। संगीत द्वारा निर्णय एवं न्याय शक्ति भी निर्मित हो सकती है। यह कार्य स्वरों के ऊंचे-नीचेपन के ज्ञान से सम्भव हो सकता है।

(5) जब समस्त विद्यार्थी एक साथ बैठकर एक ही समय में एक ही स्थान पर गाते हैं तो उनमें एकता की भावना का निर्माण होता है। यदि वाद्य-वादन में भी यही क्रिया ली जाये तो वृन्दावन एकता की भावना को बनाने में अधिक सहयोग देता है। एक वृन्दवादन के समय नियंत्रक की (कन्डक्टर की) भूमिका अदा करते समय उस विद्यार्थी का स्वास्थ्य भी नियंत्रित हो सकता है और साथ ही अन्य बच्चों में, जो उस समय उसकी आज्ञा पालन के साथ यंत्रों के वादन में ध्यान केन्द्रित करते हैं, इससे खिलाड़ियों में अनुशासन एवं नैतिक न्याय की भावना आती है।

(6) शिक्षा का उद्देश्य बालकों को इतिहास, भूगोल, व्याकरण आदि का ज्ञान कराना मात्र नहीं, बल्कि उनकी रूचियों और जन्मजात शक्तियों का सम्यक् विकास संगीत से सुगमता से सम्पन्न हो सकता है।

* विभागाध्यक्ष संगीत ,राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

मनोविज्ञान ने इस बात को स्वीकार किया है कि यद्यपि अनेक बातों में सभी बालक समान होते हैं, फिर भी उनमें बहुत कुछ भिन्नता होती है। कोई प्रखर बुद्धि का होता है तो कोई हीन बुद्धि का। किसी की स्मृति अच्छी है तो कोई कल्पना प्रधान होता है। इसलिए बच्चों को अपनी रूचि का विषय मिल जाने से, वे अपेक्षाकृत अधिक उन्नति करते हैं।

(7) कुछ बच्चों का मानसिक स्तर साधारण अथवा साधारण से भी कम होता है। उनकी स्मृति कमजोर रहती है। वे अधिक समय तक किसी भी विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकते। उनकी ये कमियां संगीत द्वारा दूर हो सकती हैं उनकी बुद्धि का विकास किया जा सकता है। लगभग सभी बच्चों की संगीत के प्रति रूचि रहती है।

इसीलिये कहा जाता है कि रोना और गाना सबको आता है।[3] कहा जाता है कि संगीत सीखा हुआ व्यक्ति कोई कार्य जल्दी कर लेता है। रॉबर्ट रस का कहना है ''The various types oe musical exercises should be necessary to attain all sorts oe knowledge.''[4] कंठ संगीत के प्रशिक्षण से विद्यार्थी का शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक तीनों प्रकार का विकास होता है। बीमारी नहीं होती क्योंकि सांस के नियंत्रण से उनका व्यायाम हो जाता है, जिससे फेफड़े कमजोर नहीं होते।

कंठ-साधना का भारतीय संगीत में महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिससे योगाभ्यास होता है। संगीत में कल्पना शक्ति का जितना महत्त्व है, उतना किसी कला में नहीं। संगीत की शिक्षा से कल्पना शक्ति का विकास होता है। संगीत से खिलाड़ियों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। नैतिक विकास भी संगीत द्वारा होता है। प्राचीन काल में संगीत का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति रहा है। प्राचीन समय में ईश्वर के लिये ही गाते-बजाते थे। बाद में संगीत मनोरंजन का साधन बन गया। संगीत द्वारा खिलाड़ियों को नैतिकता एवं अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा सकता है। श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव के अनुसार आजकल बच्चों में जो अनुशासन की कमी महसूस की जाती है वह अनुशासन के प्रवचन से पूरी नहीं हो सकेगी। उन्हें इस प्रकार के गीत सिखाये जायें कि जिससे कि वे स्वयं ही अनुशासित एवं नैतिक हो जायें।[5] मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि बालक में कुछ जन्मजात प्रवृतियाँ होती हैं, जो उसके आचरण के लिये प्रेरक व मार्गदर्शक होती है। ज्ञात अथवा अज्ञात में वही मूल प्रवृतियों के आधार पर निर्देशित होती रहती है।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैग्डुगल ने 14 मूल प्रवृतियाँ बतायी है जैसे पलायन, काम, जिज्ञासा, आत्म, गौरव, संग्रह आदि। फ्रॉयड के काम प्रवृत्ति को बहुत महत्व दिया। इनके अनुसार इस प्रवृत्ति के आधार पर मानव का समस्त व्यवहार नियंत्रित होता है परन्तु सभ्य समाज से उसका विकसित प्रदर्शन सम्भव नहीं। लेकिन संगीत की शिक्षा से खिलाड़ियों में इस प्रकार की बहुत-सी इच्छाओं का दमन किया जा सकता है।

सन्दर्भ:-

1. शिक्षा मनोविज्ञान, म.प्र.राज्य शैक्षिक अनुसंधान परि. भोपाल
2. डॉ.भास्कर खाण्डेकर , संगीत चिकित्सक,
3. वसुधा कुलकर्णी, भारतीय संगीत एवं मनोविज्ञान, जोघपुर 1990
4. वहीं
5. श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, संगीत का महत्व , निबन्ध

****

सितार की परम्परागत बंदिशों का स्वरूप एवं विकास

डॉ. संजीव भण्डारी *

वाद्य संगीत य कंठसंगीत वाद्य संगीत य कंठसंगीत में राग की आधारशिला बंदिश है इसीलिए बंदिश को राग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। प्राय यह देखा गया है कि बंदिश के उतार-चढ़ाव , राग स्वरूप तथा सौंदर्य बोध इत्यादि की जानकारी वाद्य संगीत में निहित है। यदि संगीत विद्यार्थी एक ही राग की अनेक बंदिशों का जानकार हो तो वह अपनी योग्यता अर्थात् अपनी कला का प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ठ ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। जब किसी कठिन य विशिष्ठ राग की प्रस्तुति हो रही होती है तो राग की बढत करते समय कलाकार बंदिश के मुख्य स्वरूप के आसपास घूमता रहता है ताकि राग का स्वरूप न बिगड़े।

कलाकार की प्रस्तुति उसकी योग्यता तथा राग माधुर्य के ढाँचे के विकास पर निर्भर करता है। बंदिश में मुख्य रूप से तीन तत्व विद्यमान रहते हैं, साहित्य, स्वर तथा लय। साहित्य एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे राग, रस तथा भाव स्पष्ट होता है तथा वातावरण में आनंदानुभूति का अनुभव होता है। परन्तु वाद्य- संगीत में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। गत के रचनाकार को अपनी कल्पना के आधार पर अर्थात् बंदिश की रचना करनी पड़ती है। परन्तु प्रस्तुतिकरण के समय गायक अथवा वादक दोनों को ही रागानुसार बंदिश की प्रस्तुति करनी होती है। माना जाता है कि पूर्व में वाद्य संगीत जब विकसित नहीं था तब सिद्धांत रूपसे गत प्रस्तुतिकरण में वादक मुख्य भूमिका का निर्वाह करता था, यह प्रस्तुतिकरण केवल गत पर आधारित होता था। उस समय कलाकार अनेक गतों की प्रस्तुति कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते थे। तब गतों तथा बंदिशों का प्रायोगिक महत्व था।

ख्याल - गायन में जब प्रारम्भ में बंदिश प्रस्तुत करने तथा आलाप इत्यादि द्वारा बढ़त करने के साथ-साथ बंदिश के शब्दों के आधार पर समा बंध जाता था, जब बंदिशों की रचना उच्चकोटि की होती थी। कंठसंगीत के सौंदर्यशास्त्र में साहित्य का विशेष महत्व है। वाद्य संगीत में साहित्यिक शब्दों के बिना केवल स्वरों की कल्पना का आधार देकर सुंदरता प्रदान की जाती है।

बंदिशों के दो भाग होते हैं, स्थाई तथा अंतरा। स्थाई में गत की प्रथम दो लाइन होती हैं जिसे हम गत य मुखड़ा कहते हैं। अंतरा में भी साधारणतय दो लाइन होती हैं। प्रथम लाइन को अंतरा कहते हैं तथा अंतिम लाइन को अमोइ कहते हैं जो हमें वापिस गत के मुखड़े पर ले जाती है। सर्वप्रथम वीणा तथा सितार में वादन की प्रक्रिया नहीं थी। इन वाद्यों को केवल साथ देने वाले वाद्य के रूप में जाना जाता था। पर्दे य सारिकाओं के बंधने से विभिन्न बोलों की रचना की गयी। आगे चलकर क्रमबद्ध तरीके से सुंदर प्रस्तुतिकरण हेतु विभिन्न बोलों की संरचना की गयी। वाद्यों के आधार पर पखावज की परन को ग्रहण कर जब इसे वीणा पर बजाया गया तो इसे तारपरन कहा गया। सितार में भी यही प्रक्रिया अपनायी गयी। तबले को आधार मानकर सितार के दो आधार बोल डा अर्थात् दा तथा अर्थात् रा को अपनाया गया। इन्हीं को आधार मानकर अनेक बोलों की रचना की गयी जैसे दा, दिर, रा, दार, दादिर, दारदा, द्रा, द्रारदा, इत्यादि।

दायें हाथ से मिज़राब (जिससे सितार वादन किया जाता है) से अनेक बोल स्वरूपों की रचना की गई। आगे चलकर इन्हीं रचनाओ का अनुसरण किया जाने लगा। इस समय गतों तथा बंदिशों के विभिन्न प्रकार प्रचार में आये जो कि सेनियेबाज, जयपुरबाज, मसीतखानी य दिल्लीबाज य रजाखानी बाज इत्यादि नामों से जानें गये। मसीतखानीगत की उपज दिल्ली, अलवर, जयपुर आदि स्थानों पर हुई। उसी समय काशी, जौनपुर, लखनऊ इत्यादि में अन्य प्रकार की गतें प्रचलित हुई जिन्हें रजाखानी-गत कहा गया।

माना जाता है कि गुलाम रज़ाखान ने इस गत का विकास किया, यह मसीतखां के प्रमुख शिष्य थे। मसीतखानीगत विलम्बितलय की गत है, कभी मध्यलय की। जबकि रज़ाखानीगत द्रुतलय तथा मध्यलय की गत है। मसीतखानी का सिद्धांत ध्रुपद तथा बीन के सिद्धांत पर, जबकि रज़ाखानीगत ठुमरी, तराना तथा ख्याल पर आधारित है।

रजाखानीगत के बोल दा दिर दा रा दा दिर दा रा दा दिर दिर दिर दा रदा र दा आदि तथा मसीतखानीगत गत के बोल दिर दा दिर दा रा दा दा रा इत्यादि होते हैं। मसीतखानी तथा रजाखानीगत की अपनी-अपनी विशेषतायें हैं। रजाखानीगत में सितारवादक बोल उपज की ओर अधिक ध्यान देते हैं।

रज़ाखानी य पूर्वी- बाज की विशेषता मिज़राब के बोल तथा उसके लय-ताल पर आधारित हैं। जैसाकि पूर्व में बताया गया है कि रज़ाखानीगत सर्वप्रथम ठुमरी तथा गत पर आधारित होती थी तथा आमतौर पर इसमें सितारखानीठेका लगाया जाता था। जिन सितार वादकों द्वारा इस ढंग को अपनाया गया उसमें गुलाममुहम्मद, गुलामरज़ाखान, अलिरज़ाखान, बरकतअली, साजिदमुहम्म्द, पन्नालाल - बाजपयी, बाबू ईश्वरी प्रसाद आदि नाम प्रसिद्ध है। सितार की गतों का एक अन्य प्रकार था, फीरोज़ख़ानीगतें।

इन गतों की रचना तीनों सप्तकों में की जाती थीं। गत के इस प्रकार की विशेषता यह थी कि प्रथम लाइन मन्द्र-सप्तक के उसी स्वर से प्रारम्भ होती थी। समाप्ति तथा प्रारम्भ हेतु यही सिद्धांत मान्य होता था। फीरोज़ख़ानीगतों के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है कि मसीतखानी तथा रजाखानीगतों के अधिक चलन के कारण फ़ीरोज़ख़ानीगतें धीरे-धीरे कम होकर लुप्त अर्थात् समाप्त हो गई।

उन्नीसवीं शताब्दी में गत बजाने के प्रकार में विशेष विकास हुआ। इसमें मसीतखानी तथा रज़ाखानीगतों के दोनों ही प्रकार थे। उस्ताद इमदादखां, उस्ताद इलाहीबख्श (दिल्ली वाले), उस्ताद इनायतखां इत्यादि ने अपनी पूर्ण प्रस्तुति में आलाप, जोड़ आलाप

* प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष, वाद्य संगीत विभाग, विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.) भारत

आदि मसीतखानीगत तथा रजाखानीगत में गत. तोड़ा, तान, तिहाई तथा झाला को प्रस्तुत किया। 20 वीं शताब्दी में वाद्य संगीत पूर्णतया नयीं विचारधारा के अनुरूप विकसित हुआ। पुरानी विचारधारा के अनुसार संगीत सही दिशा की ओर नहीं जा रहा। उनके अनुसार संगीतज्ञ मुद्रा अर्जित करने तथा अपनी प्रसिद्धी प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय संगीत में नये-नये प्रयोग कर रहे हैं, जो उचित नहीं है।

दूसरी विचारधारा (नवीन विचारधारा) के अनुसार काल तथा लोकरुचि अनुसार कला में परिवर्त्तन आवश्यक है। पूर्व में मसीतखानीगत के वादन की अपेक्षा वर्त्तमान में इसकी लय कम कर दी गयी है, ताकि इस लय में अधिक काम दिखाया जा सके। पहले रजाखानीगत बोलों पर आधारित थी परन्तु वर्त्तमान में गत के बोलों में कमी करके उसे ख्याल की बंदिशों को आधार मानकर गायकी अंग से वादन करने लगें हैं।

जिससे गतो अर्थात् बंदिशों में अधिक निखार आया है। मींड, कण, खटका, मुरकी, कृंतन, जमजमा, गमक इत्यादि का प्रयोग मसीतखानी तथा रजाखानी गतो में इसके अधिक विकास हेतु किया जाने लगा। राग माधुर्य तथा रिदम का विकास अपनी अधिक उंच्चाइयों तक पहुंचा। गत की कुछ हद तक अपनी एकल महत्ता कम हो गई तथा सितार वादन में आलाप, तान, तिहाइयों के विभिन्न प्रकार, सवाल -जवाब (तबले के साथ) तथा अति द्रुत झाला प्रबल हो गया। गतों का प्राथमिक रोल समाप्त हो गया।

इसी कारण वर्त्तमान में वादक स्थाई तथा अंतरा पूर्णतया नहीं बजाते। स्थाई बजाने के बाद ही द्रुत में ताने तथा तिहाइयां बजाकर अति द्रुत लय में झाला वादन आरम्भ करते हैं। मसीतखानी गत के आधार बोल दिर दा दिर दा रा दा दा रा लगभग समाप्त होते जा रहें हैं उसके स्थान पर विलम्बित, मध्य तथा द्रुतगत का नया सवरूप विकसित हो गया है। नये स्वरूप में यह आवश्यक नहीं है कि मसीतखानीगत का मुखड़ा बारहवीं मात्रा से ही प्रारम्भ हो। सितार वादक गतों को अपनी इच्छा अनुरूप मात्रा तथा ताल का चयन कर वादन करते हैं। सरोद में सितार कि अपेक्षा द्रुतलय की गतें अर्थात् बंदिशें अधिक बड़ी होती हैं। सरोद की गत 2/3 आवर्त्तन की होती हैं जबकि सितार की बंदिश अपेक्षाकृत छोटी तथा एक आवर्त्तन की होती है। यह शायद इसलिये होता है कि सरोद वादन तीन से चार तार में होता है जबकि सितार वादन मुख्यतय एक तार (बाज का तार) पर होता है। सितार में बोल दा दिर दिर आदि जबकि सरोद में दरार दा इत्यादि बोल प्रयुक्त होते हैं।

वाद्य संगीत में बंदिश बनाने हेतु पांच मुख्य स्रोत होते हैं-

1. शास्त्रीय संगीत में गायन की बंदिशें।
2. तराना की बंदिशें।
3. ठुमरी की मध्यलय की बंदिशें।
4. वातावरण से प्राप्त ध्वनि आधार।
5. पखावज तथा तबले की लय का आधार।

लय का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता हे कि क्योंकि लय भावों को नियमित एवं क्रमिक रूप प्रदान करती है। वादन में रस तथा प्रभावोत्पादन हेतु कण, मींड, गमक, जमजमा, आलाप, कृंतन, इत्यादि प्रकारों का यथोचित एवं यथाभाव प्रयोग होना चाहिए।

संदर्भ -ग्रन्थः-

1. संगीत शास्त्र विज्ञान : डॉ. पन्नालाल मदन
2. हमारा आधुनिक संगीत : डॉ. सुशील कुमार चोबे
3. संगीत बोध : डॉ. शरच्चचन्द्र श्रीधर परांजपे
4. सितार -मालिका : डॉ. भगवतशरण शर्मा
5. तंत्रिनाद : डॉ. लालमणि मिश्र

****

Relationship Between Study Habits and Academic Achievement of Senior Secondary School Students

Dr. Satish Gill*

The objectives of the present investigation is to study the relationship between study habits and academic achievement of senior secondary school students (boys and girls), the significant difference in mean of study habits of senior secondary school students of low and high academic achievement. Sampling was selected through random sampling techniques. Data was collected with the help of Study Habit Inventory by Dr. M. Mukhopadhyay and Dr. D.N. Sansanwal's from 200 senior secondary school students from Faridabad city . By the application of mean, standard deviation, and t-testand Pearson's Coefficient of correlation ,it is indicated no significant relationship between study habits and academic achievement of senior secondary schoolboys and girls students,There is no significant difference in mean of study habits of senior secondary school students of low and high academic achievement .

Present age in the science, technology and information explosion. In the digital age ,thigs and knowledge are changing rapidly. Now days there are various opportunities as well as challenges toteachers, students, and parents also. In competitive time parents have very high aspiration and set high goals to educate their children. To get high achievements in academic and non -academic fields, the hidden potentialities of students must be identifiedand developed. According to Swami Vivekanand"Education is the manifestation of human's behavior". According to prof. Drever"Edcation is the process in which and by knowledge, character and behaviuor of the young are shaped and moulded."According to Radhakrishnan "Education to be complete must be humane; it include not only the intellect but also reinforcement of the least and the discipline of the sprit." Study habits towards study have long reaching effects on the academic achievement of student. These help a student not only to achieve better but also to use his leisure fruitfully. To get high academic achievement good and healthy study towards study have to develop. In present time students himself, teachers and parents are facing low academic achievement although they paying more attention.

Objectives:

1. To study the relationship between study habits and academic achievement of senior secondary school students.
2. To study the relationship between study habits and academic achievement of senior secondary school boys and girls.
3. To study the significant difference in mean of study habits of senior secondary school students of low and high academic achievement.
4. To study the significant difference in mean of study habits of senior secondary school boys and girls.

Hypotheses:

1. There is no significant relationship between study habits and academic achievement of senior secondary school students.
2. There is no significant relationship between study habits and academic achievement of senior secondary school boys and girls.
3. There is no significant difference in mean of study habits of senior secondary school students of low and high academic achievement.
4. There is no significant difference in mean of study habits of senior secondary school boys and girls.

Method :

The descriptive survey method is used in the present investigation.

Sample:

The sample of the study consisted of 200 Students studying in X1class in Faridabad city. They were selected randomly.

Variable:

(1) Independent Variable
Study Habits
(2) Dependent Variable
Academic Achievement

Tools:

The following tools were used for collecting data for the study
1. Study Habit Inventory by Dr. M. Mukhopadhyay and Dr. D.N. Sansanwal.
2. 11th Class Examination scores of senior secondary school students were taken as academic achievement.

Statistical Techniques:

Mean, S. D., 't' test, and Pearson's Coefficient of correlation .

* Asst. Professor, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana) INDIA

Table 1

Relationship between academic achievement and study habits of senior secondary school students.

Variable	Coefficient of correlation	Level of significance
Study Habits	.068	NS

N=200

The Table 1 reveals that coefficient of correlation between academic achievement and study habits of senior secondary school students is .068 which is positive and not significant even at 0.05 level of significance so the null hypothesis "There is no significant relationship between study habits and academic achievement of senior secondary school students" is retained. Thus it can be interpreted that there is no significant relationship between academic achievement and study habits of senior secondary school students. It can be concluded that study habit is not one of the reasons which influence academic achievement of senior secondary school students.

Table: 2

Coefficient of correlation between academic achievement and study habits of senior secondary school boys and girls

Sr.No.	Variables	No.	Coefficient of Correlation	Level of significance
1	Study habits of boys	125	0.11	0.05
2	Study habits of girls	75	0.01	NS

The Table 2 reveals that coefficient of correlation between study habits of boys and academic achievement of senior secondary school boys is 0.11 which is significant at 0.05 level of significance. So the null hypothesis, "There is no significant relationship between study habits and academic achievement of senior secondary school boys" is rejected. It can be interpreted that academic achievement has dependence on study habits. So it can be concluded that Study habits have significant effect on academic achievement of senior secondary school boys. It implies that higher the study habits, higher the academic achievement. Whereas the coefficient of correlation between study habits of girls and academic achievement of senior secondary school girls is 0.01 which is not significant even at .05 level ofsignificance. So the null hypothesis, "There is no significant relationship between study habits and academic achievement of senior secondary school girls" is retained. Hence it can be interpreted that academic achievement has no dependence on study habits. So it can be concluded that study habits is not only one factor which affect academic achievement of senior secondary schoolgirls there are other factors like environment, motivation and guidance which can be resulted in good academic achievement.

Table: 3

Significance of difference in mean of study habits of senior secondary school students of low and high academic achievement

Variables	Numbers	Mean	S.D.	t-value	Level of significance
Study habits of low achievers	92	118.94	13.61	1.35	NS
Study habits of high achievers	58	121.04	14.24		

Table 3shows that the't' value is 1.35 which is not significant even at 0.05 level of significance.So the null hypothesis. "There is no significant difference in mean of study habits of seniorsecondary school students of low and high academic achievement" is retained. This calculated difference is not real but it may be due to chance factor. Thus it can be interpreted that there is no significant difference in study habits of low and high academic achievement of seniorsecondary school students.

Table 4

Significance of difference in mean of study habits of senior secondary school boys and girls

Variables	Numbers	Mean	S.D.	t-value	Level of significance
Boys	125	119.07	12.89	2.83	0.01
Girls	75	122.13	13.28		

The table4reveals that t-value is 2.83, which is significant at 0.01 level of significance. Hence the null hypothesis, "There is no significant difference in mean of study habits of senior secondary school boys and girls" is rejected. This difference is real and not due to chance factor. It can be concluded that mean of girls is higher than the mean of boys. Further girls have better study habits than boys.

Finding:

1. Relationship with respect to study habits the coefficient of correlation between study habits and academic achievement is .06 which was not significant. It means that study habits were not significantly correlated with academic achievement. It can be concluded that study habits was not only one factor that affected academic achievement. But there were other factors like intelligence, environment which influenced academic achievement and can bring change in academic

achievement.

2. The coefficient of correlation between study habits and academic achievement of boys was 0.11 which was significant at 0.05 level of significance and it was negligible also. It can be concluded that change in one variable affected the other variable. It can be concluded that anxiety and academic achievement were significantly related.
3. The coefficient of correlation between study habits and academic achievement of girls was 0.01 which was negligible and was not significant. Thus it can be concluded that this relationship did not play significant role in academic achievement.
4. The t-value is 1.35 which was not found significant. It means that students related to low and high academic achievement did not have any significant difference in mean of study habits. It can be concluded that there is no significant difference in mean score of study habits of low and high academic achievements of senior secondary school students.
5. Significance of difference in mean of anxiety of boys and girls was 2.83, which was significant. Therefore, it can be interpreted that boys and girls exhibited significant difference in study habits and girls had significantly higher study habits than boys. There was a significant difference in mean score of study habits of boys and girls. It can be interpreted that girls had higher study habits than boys.

Conclusion:

After going through the findings and discussion, following conclusions are drawn. These conclusions may be seen in accordance with sample and tools used by the investigator.

1) No significant relationship is found between study habits and academic achievement of senior secondary school students.
2) It is concluded that study habits and academic achievement of boys are not significantly related. It means interpreted that change in one variable affects the other variable significantly.
3) There is no correlation between study habits and academic achievement of girls. Further study habit does not play significant role in academic achievement.
4) There is a significant difference in mean score of study habits of boys and girls. It is interpreted that girls have significant higher study habits than boys.

References :

- Agarwal, NeeruMohini and Kumar Vinay (2010). "Study Habits of Secondary Level Arts and Scinece Students", EDUTRACK, Vol. 10, No. 1: 37.
- Basappa (2003), "The Factors Influencing the Study Habits of Degree College Students of Kuvempu University - A study", Ph. D. Education, Kuvempu University.
- Batra, S. K. (1998), "Participation in Children's Academic Activities in relation to their Academic Achievement at Primary Level", Journal of Indian Education, Vol. XXIII, No.4.
- Chamundesware, S. and Uma, V. J. (2008), "Achievement motivation and classroom climate among students at the higher secondary level", Journal of Educational Research and Extension, Vol.-45 (2); 26-37.
- Choudhary N.K.(2012)"A Comparative Study of the Study Habits and attitude Towards Study with achievement in science or other Backward Class Students of Rasthan",brics journal of educational reseach,Vol.2, issue4.
- Dey, Niradhar (2008), "A Comparative Study of the Study Habits of High Achieving CBSE and ICSE students in the Secondary School Examination", Indian Educational Review, Vol. 44, Number 2.
- Garrett Henry E. (1981), Statistics in Psychology and Education, Bombay, Vikils and Ketter Simon Ltd.
- Gates et al. (1950), Educational Psychology, New York : The Macmillan Company.
- Good, C. V. and Scates, D. E., "Method of Research Applet to - Century Crafts Inc : A Study of the predictors of Academic Achievement of student teacher in terms of Aptitude Attitude Participation & Human Value".
- Jasbir (1999), "An Investigation into Study Habits of English and Hindi Medium Students and Their impact on their Academic Achievement", Ph.D. Thesis, M.D. University, Rohtak.
- Patel, A. S. and Joshi, R. J. (1977), "A Study Adjustment Processes of High and Low Achievers", Journal of Psychological Researches, 21(3): 178-184.
- Puri, P and Singh, J. (2009), "MBTI Personality Types and Academic Achievement of Pupil Teachers", Indian Psychological Review, Vol. 72, No.1.
- Reddy, A. Muniraja, Reddy B. Ramachandra and Manchala, C. (2008), "The Impact of Study Habits on Achievement in Teaching in English", Indian Educational Review, Vol. 44, No. 2.
- Reddy, P. A. and Reddy, E.M. (2009), "Participation and consequences of Education of Scheduled Castes in Andhra Pradesh", Journal of Indian Education, NCERT, Vol. XXXV, No.-2, pp.37. ISBN - 09725628.
- Samanta, Moorttimatee (2008), "Festering Reading Habit among Children Structural and Social Defects of University Education in Nigeria", Journal of Indian Education, Vol. XXXIV, Number-1.
- Sarika (2008), "Locus of control in relation to Academic Achievement and Adjustment", Research Journal of Philosophical and Social Science, Vol. 2 (1); 100-113.
- Vamadavapa, H.V. (2005), "Impact of Parental involvement on Academic Achievement", Journal of Educational Research and Extension, Vol. 42 (2); 22-34.
- Wani, Gulshan (2005), "Personality Characteristics, Vocational Preferences, study habits and Academic Achievement of Kashmiri, Dogri and Ladakhi Adolescent Girl - A cross cultural study", Ph.D. Education, Kashmir University, Guide, Dr. Mahmood Ahmad Khan.

****

शिक्षक का दायित्व एवं शिक्षा- आलेख

डॉ. मधुमिता भटट्राचार्य *

भारत में 19 वीं सदीं में अंग्रेजो के गुलामी के समय मैकाले व्यवस्था के अन्तर्गत जिस शिक्षण पद्धति का प्रारम्भ किया गया उसी का स्वरूप हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अनुभव करते है, गणतंत्र के 50 वर्षो तक तो हमने अपने शिक्षण पद्धति को नहीं बदला, वही पाठयक्रम वही परीक्षा प्रणाली चलती रही। वहीं पिछले 10 वर्षो से हमने पाठयक्रम परीक्षा प्रणाली एवं शिक्षण पद्धति में बदलाव लाने में प्रयासरत् है। सेमेस्टर प्रणाली, सतत् निरंतर मूल्यांकन द्धारा विद्यार्थी के सर्वागीण विकास अर्थात शारीरिक मानसिक नैतिक मूल्यों के साथ एक स्वस्थ्य , समर्थ स्वच्छ समाज की निर्माण कर अपने राष्ट्रकी उन्नति करेंगे।

यह सत्य है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के प्रगति के लिए निश्चित प्रयास किये गये है। 1948 में राधाकृष्णन समिति , 1964 में कोठारी समिति ने शिक्षा के महत्व को बढ़ाया। 1985-86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्धारा आजाद भारत के क्षितिज में नये मूल्यों की शुरूआत अवश्य हुई लेकिन क्रियान्वयन बहुत धीमी गति से हुआ।

इस प्रयास के फलस्वरूप शिक्षा क्षेत्र में सांख्यकीय विकास तो तीव्र गति से हुआ अर्थात विद्यालय , महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अधिक संख्या में खोले गये तथा विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई परन्तु गुणात्मक परिवर्तन लाने में शैक्षणिक संस्थाऐं पूर्णत: सफल नहीं हो पाई।

राष्ट्र की उन्नति के लिये शिक्षा सबके लिये सुलभ की जा रही है पाठ्यक्रम निमार्ण एवं शिक्षा में व्यवसायीकरण की दृष्टि से पटेल एवं आशिशैया समितियों का भी योगदान रहा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ने साक्षरता में वृद्धि की है पत्राचार , दुरूस्थ शिक्षा पद्धति ग्रामीण परिवेशों में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ा रही है , वर्तमान में रोजगारोन्मुखी पाठयक्रम व्यवसायिक शिक्षा को अधिक उपयोगी माना जा रहा है।

यद्यपि अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रयास से शिक्षा को अनुसंधानात्मक किया जा रहा है। अध्ययन एवं रिसर्च के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी है। अध्यापक वह कड़ी है जो छात्र को शिक्षा के साथ जोड़ते है वर्तमान में छात्र अध्यापक के बीच वार्तालाप में वृद्धि कर नया शिक्षण विधि द्धारा हर विषय में Interaction की अति आवश्यकता पाई जा रही है। छात्र के व्यक्तित्व विकास एवं उन्हे Interview Board के समस्त जाने हेतु तैयार करने की आवश्यकता है।

वर्तमान परम्परागत शिक्षण पद्धति विद्यार्थी को उदासीन एवं निष्क्रिय बना रही है। शायद शिक्षण विधि में बदलाव के अभाव ने अध्ययन अध्ययापन को अधिक रूचिकर नहीं बना पाये। यह कार्य शिक्षक द्धारा ही किया जा सकता है। विद्यार्थी को ज्ञान प्रसार करने वाला शिक्षक उतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता है जितनी सरल और सुविधा युक्त उसकी शिक्षण विधि हो।

यूँ तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्याख्यान माला,प्रयोगशाला विज्ञानएवं भाषा,प्रोजेक्ट आदि से Demonstration किया जाता है परन्तु आज भी Walk,Talk,chalk का सहारा लेकर class room teaching पर बल दिया जाता है और शिक्षक केवल पाठ्क्रम को सम्पूर्ण करवाने का दायित्व निभाते है।

नई सदीं में भ्रमण द्धारा तथा सामूहिक चर्चा द्धारा शिक्षण विधि को रोचक बनाया जा सकता हे। प्रयोग से पता चला है कि केवल पढ़ने के बाद विद्यार्थी 10 प्रतिशत स्मरण रखते है। सुनने के बाद 20 प्रतिशत तथा देखने के बाद 60 प्रतिशत अत: प्रत्येक विषय में परिचर्चा की व्यवस्था हो तो छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास में वृद्धि होगी। जहां जक पाठयक्रम की बात है समाज एवं समय की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन श्रेयस्कर है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूचना क्रान्ति के विस्फोट ने विज्ञान तथा तकनीकि शिक्षा के प्रति विद्यार्थी का आकर्षण बढ़ा दिया है परन्तु सामाजिक विज्ञान के प्रति भी छात्रों की रूचि बढ़ाना है ताकि नैतिक मूल्यों द्धारा एवं संस्कृति से समाज को सुरक्षित रखना है Inter Disciplinary पाठयक्रम लाभदायक होगा। सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करना है।

शिक्षा में तपोवन पद्धति द्धारा शिक्षक तथा छात्र का सतत् संपर्क सैद्धान्तिक, व्यवहारिक , नैतिक ज्ञान में वृद्धि किया जा सकेगा। शिक्षक छात्र में आत्मीयता Residential Insrutions द्धारा संभव है पुस्ताकालय में अध्येता और अध्यापक नये अनुसंधान में जुड़ सकते है।

आज भारत में Information Technology के अन्तर्गत शिक्षा का स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये Operation Knowledge को आधार बनाया गया है इस प्रकार Global Learning Process में प्रत्येक व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में जुट जायेगा ताकि शिक्षा प्राप्त करने की विषय की उपयोगिता को समझकर अपने पसंद अनुसार विषय का चयन करें तथा Skill एवं Self Study द्धारा प्रगति कर सके और शिक्षक के मार्ग दर्शन में सफलता प्राप्त करें।

आज हम शिक्षकों का दायित्व है कि भारत को Information Age का एक भागीदारी बनाये। छात्रों को 'क्यों '? 'कब'? 'कैसे ' के प्रति जिज्ञासु बनाये तथा 'Knowledge' , 'Skill' , 'Attitude' द्धारा शिक्षा का विकास कर सकें।

****

* प्राध्यापक, इतिहास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

Study of Self Confidence as Personality Traits of Team Game Players in relation to Junior / Senior & Male / Female

Dr. S.K.Gupta* Dr. Subhash Hardikar ** Dr. Monika Hardikar ***

Abstract - Present study is aimed explore the impact of Age (junior/Senior) and Gender (Male/Female) on Self-confidence as Personality Trait. Sample is consisted of 120 male/female Team Game Players drawn randomly. Self confidence Is measured through Personality test designed by Dr. Abha Pandey. A 2x2factorial design is employed. Self confidence test scores are analysed using ANOVA. The main effect of Gender is found significant, female team players demonstrated batter on self confidence than male team players. The main effect of Age is also found significant, senior team players are higher on Self confidence. Conclusions derived from study may have great implications in decision making and understanding psychological profile of players to coaches and sports psychologists etc.

Game is exclusive method which teaches children how to concentrate themselves inspired by the wish of becoming growing from the psychological aspects, game is an activity with the purpose of its own, but even in that way it's source and means of positive emotional and general mood which satisfies certain needs of children and influences on to psychological development of a child.

Today, in the world of sport, physical exercise is not regarded as the main factor to achieve success. In addition to physical and tactical abilities and professional skills, undoubtedly the abilities and mental health and personality traits are effective factors in sports person success, since success in sport competition is related to a range of factors. Furthermore the competitive nature of sports and perform under stressful condition caused to each athletes experience different personality traits that can have impact on sport performance. The psychological characteristic is assumed that has an influence on sport behaviour and sport person performance.

Personality

All people including you and me have a personality and every person each has a unique personality. It is what makes us the person we are our personalities control our behaviour, thoughts, emotions and even our unconscious feelings. It makes it possible to predict how a person will act or react under different situations. Personality is actually the true nature that lies in behaviors' thought and feelings.

Personality is the essence of a human being. Personality concerns the most important, most noticeable parts of an individual's psychological life. If you have anything really valuable to contribute to the world it will come through the expression of your own personality, that single spark of divinity that sets you off and makes you different from every other living creature.

On the basis of the large number of observation and evaluation of individual sportsman, a number of personality profiles related to high sport achievement, have been determined. These profiles are drive, determination, intelligence, emotional intelligence, aggression, leadership, emotionality, self-confidence, mental toughness, quality of life, and trust and conscience development.

In psychology personality is defined as "Personality is the dynamic organization within the individual of that psychophysical system that determines his unique adjustment to his environment (Allport, 1937).

According to Eysenck, personality is the more or less stable and enduring organization of a person's character, temperament, intellect and physique that determine his unique adjustments to his environment.

Self Confidence

Self confidence is very important component of personality which denotes firm trust in one self. It means that one has confidence in his own abilities. He knew his abilities and capabilities and is able to put to use him well in time. Self confident person is cheerful, active and always ready to act and react whenever he gets opportunities. He is prompt and free from an anxiety of failure.

He does not suffer from inferiority complex. He avails opportunities to show his abilities and skills. He is hardworking and free from aversion. He is bold enough to show whatever he has to show. He is calm, cool and balanced person. He is not afraid of audience. He is capable of acting before others as he can act alone. He is socially matured, emotionally balanced and intellectually sound.

Prominent psychologist, Jung says that, "a self confident person is extrovert. He likes social activities. He has leadership abilities. He is highly ambitious". Jersild reported

* Asst. Prof. Govt. Auto Girls P.G. College of Excellence ** Sports officer, Govt. Arts & Commerce College, *** Sports Officer, Govt. P.G. College of Excellence, Sagar (M.P.) INDIA

that there is positive correlation between self confidence and success. He attempts with full determination. He does not leave his activity even if he fails in their preliminary attempts. He is always inspired for highest achievement. He is well dressed. He is neat & clean and admirable. He possesses pleasing manners. He is thoughtful and realistic. He does well in all the fields.

Hypotheses

1- Junior and senior team game players will differ on self confidence as a personality trait.

2- Male and female team game players will differ on self confidence as a personality trait.

Methodology:

Sample

Participants of this Study include 120 male/female and junior/ senior, team game players of 14-19 age range and 20-25 age range respectively, school and collegiate/University students, belong to team game as Kabbadi, kho-kho, Cricket, Volleyball and Hockey. Those were regularly participated in practice at least three sessions per week and in the last two year. Then, with multistage random sampling methods were adopted in subject's selection as per availability of subjects with their consent.

Research Design

Researchers wish to know the impact of Age, and Gender on Self confidence. To study independent variables (Age and Gender) 2×2 factorial designed is employed. In this research all the two variables have 2 levels each there are 4 conditions. Researchers randomly allotted 30 subjects for 4 conditions. Researchers find it suitable to use two-way analysis or variance (ANOVA) for statistical estimation.

Details of Independent Variables

1. **Gender:** denotes male and female subjects in the studies.
2. **Age:** denotes to junior and senior team of 14-19 age range and 20-25 age range respectively. Subjects of junior team usually were studying in high schools and intermediate schools while subjects of senior team were studying in college and universities.

Details of dependent variables in study:

Personality Scores as Self confidence

Research Method:

The ex-post facto research design and detailed correlation survey was adopted for the study. None of the independent variables i.e. Age and Gender were actively manipulated. Subjects on the bases of independent variables i.e. Gender (Male/Female), Age (Junior/Senior) were drawn randomly selected from sample. Criterion for subjects with team sports activities has been screened out through personal profile about sports/exercise activities. Subjects were assessed on self confidence as personality traits.

Tools:

A standardized personality test developed by Dr. Abha Pandey with reasonable reliability and validity was employed in present research.

Administration of the Tests:

The personal profile and personality test were distributed to the subjects by researchers and it was assured that their replies will be kept confidential and will used only for research excellence. The subjects were requested to read instructions carefully. It has been emphasized that not item should be omitted and there is nothing 'right' or 'wrong' about the questions. There is no time limit for completion of task. When tests filled in, researchers collected the questionnaires and thanked to the respondents for their cooperation.

Results

The results obtained in this study are summarized in the following tables.

Table1: Showing Scheme of Subjects Assignments during Study

Gender	Team Game Players' Age	
	Junior	Senior
Male	30 (N)	30 (N)
Female	30 (N)	30 (N)

Table2: Showing No. of Team Game Players in Sample

S. No.	Games	No. of Players
1	Kho-Kho	30
2	Kabbadi	22
3	Volley Ball	18
4	Cricket	30
5	Hockey	20
	Total	120

Table: Mean and SDs of Self Confidence as personality test scores

Game Difference	Gender Difference	Age Difference	Mean	Std. Deviation	N
Team	Male	Junior	24.30	6.309	30
		Senior	27.30	5.736	30
		Total	25.80	6.167	60
	Female	Junior	25.30	4.061	30
		Senior	36.43	9.467	30
		Total	30.87	9.148	60
	Total	Junior	24.80	5.284	60
		Senior	31.87	9.024	60
		Total	28.33	8.174	120

Table: Showing 2×2 Analysis of variance of Personality test Scores: Self Confidence

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F
Corrected Model	3387.363(a)	7	483.909	12.012
Intercept	183651.337	1	183651.337	4558.714
Gender	338.437	1	338.437	8.401*
Age	1387.204	1	1387.204	34.434**
Gender * Age	803.004	1	803.004	19.933**

** Significant at 0.05 level*

*** Significant at 0.01 level*

Analysis of variance of test scores of Self Confidence as personality trait is summarized in table indicates that:

The main effect Gender (Male X=26.47/Female X=28.85) on Self Confidence as personality trait is significant F (1,232) = 8.401, P<0.05.

The main effect of Age (Junior X=25.26/Senior X=30.07) Self Confidence as personality trait is found significant F (1,232) = 34.434, P<0.01.

Interaction between Gender (Male/Female) and Age (Junior/Senior) Self Confidence as personality trait is found significant difference F (1,232) = 19.933 P<0.01 indicate that game type and age are interacting.

The data thus collected is analyzed, Mean, Combined Mean, Standard Deviation and ANOVA are computed.

Sub Hypothesis-1: Male and Female (Gender) subjects will differ on Self Confidence.

The main effect Gender (Male X=26.47/Female X=28.85) on Self Confidence as personality trait is significant F (1,232) = 8.401, P<0.05.

Sub Hypothesis-2: Junior and senior (Age) subjects will differ on Self Confidence.

The main effect of Age (Junior X=25.26/Senior X=30.07) on Self Confidence as personality trait is found significant F (1,232) = 34.434, P<0.01.

Conclusions

The present study is an exploratory one and it reveals several important facts which are beneficial to the sport world and to the society. It is evident from review of literature during research endeavor that all other factors: biological and sociological being equal and psychological conditioning of an athlete decidedly determines his success or failure in competition. No training in the sport field is complete without reference to the psychological studies and the psychological training of athletes. In-depth psychological analysis of a sport person considering cognitive, affective and behavioral perspectives seems to be more logical and determining.

The study of personality and its relationship to sports can assist the coach the selection, training and enhancing optimum performance of players. In the guidance of those who seek help in choosing a sport and in understanding the behavior of athletes who come under their leadership.

Sports clearly is field in which emotion play such a large part we have major responsibility in studying the phenomena and identifying important practical implications. But unfortunately emotional health of sports person has been neglected.

In fact, psychological profiles of sport activities are the basic ingredients of the harmonious development leading to the wholeness of Athletes. The result of most of the studies conducted motor and intellectual aspects of athletes, are more suggestive than substantial. The studies are often based upon clinical observations rather than hard data while the data that have been collected, have not always been accorded acceptable statistical treatment.

An extensive review of literature suggests that maximum studies conducted on Eysenk's Personality Inventory traits of extraversion such as being outgoing, energetic, spontaneous and to some extent egotistic. Present research is intended to study Self Confidence as personality traits among sportsperson. So specific research, supporting studies are not being available in the literature.

Senior players are better on self confidence, superiority complex and adventure than junior players across the board. Junior in the age range of (14-19) is in transitional period and a site for fast maturation and learning.

Attilia (1992) stated that endurance athletes have higher extraversion than non-athlete. Eriction (1993) found a significant difference in personality traits between sports and non sports person.

Personality of senior team participants has a higher degree of self confidence, than junior sportsperson. Female are better on self confidence than male participants.

Many studies studying various traits of personality are supporting results trend of present studies (Attilia (1992); Eriction (1993); Schurr and her colleagues (1997); Eagleton and his colleagues (2007) and Dobersek and Bartling (2008). Findings and observation made in the study suggests that the impact of age remained important variable in overall personality development.

Implications of Present Research

Participation in sporting events is related to bodily balance and psychological stability. The impact of sport and exercise on mental health is longstanding issue. In general research highlights that sports can help person to learn to cooperate as part of a team.

Sport Psychology has emerged as a field with research trend

with sport person. As Psychological factors play role in performance, mental fitness and mental health. So intervention can be designed to positively affect sportsman behaviour. It seems that sport performance and psychological variable like personality is interrelated. Alongside this research activity, now is the time to develop more specific guidelines relating to other psychological benefits of sports.

Sport has always been a passionate phenomenon requiring tremendous emotional investment and focused to excel. The highly charged realm of sport is identified as an excellent place to study the phenomenon of mental health.

References:

- Aaron, D.J., Kriska, A.M., Dearwater, S.R., Anderson, R.L., Olsen, T.L., Cauley, J.A. (1993). The epidemiology of leisure physical activity in an adolescent population. Medicine and Science in Sports and Exercise, 25, 847-853.
- Attila, S. (1992). Habitual participation in exercise and personality, Perceptual difference between athletes and Non athletes, 31-59.
- Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An age perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.
- Bandura, A. (1977). Self efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change psychological review, 84, 191, and 215.
- Baumler, G. (2009). The dawn of sport psychology in Europe, 1880-1930: Early Pioneers of a new branch of applied science. In C.D. Green & L.T. Benjamin (Eds.), Psychology gets in the game, Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
- Biddle, S.K. & Boutcher, S. (2000). Physical Activity and Psychological wellbeing. Rutledge, London.
- Dobersek, U. and Bartling, C. (2008). Connection between Personality type and sport. American Journal of Psychological Research, Volume 4, 21-28.
- Eysenck, H.J. (1992). Four way five factors are not basic Perspective, 13, 667-73.
- Eagleton et al. (2007). Extraversion and neuroticism in team sport participants, individual sport participants, and nonparticipants. Perpetual and Motor Skills, Volume 105, 265-275.
- Scherer, K.T., Ashley, M.A. & Joy, K.L. (1977). A Multivariate Analysis of Male Athlete Characteristics: Sport Type and Success. Multivariate Experimental Clinical Research, 3, 53-68.

****

Analysis Equipment And Coaching Factors Influenceing of Sports Career In West Zone Interversity Badminton Player

Satyanarayan Ladiya *

Abstract - The purpose of this study was to analysis the coaching and equipment factors influencing sports career of badminton playre's west zono level. The present study was conduted on 40 male and female players of west zone interversity.The age of all subects ranged bet ween 17 to 25. The data was collected during the west zone interversity badminton championship 2007.The tool used for measuring the sports career was inventory of factors influencing sports career being developed by m.L.Kamlesh and T.R sharma. Independent't' test was applied to find out the significance of mean difference among male and female players in the factor. The level of significance was set at 0.05 levels.The results of the study indicated that there was significant differnce found in equipment and coaching betbeen male and female badminton players of interversity level.The badminton players ware found to be mare an equipment and coaching the male badminton players and this be atteibuted to the found that equipment and scientific.

Introduction: - Success in competitive sports is no doubt related to a very high level of physical fitness mastery over the skill particularly to a sporty tactics and strategy applied in the particular position or situation. The recent researches reveal that besides these factors success in sports to a considerable extent depends upon the personality sports person .Badminton is the best played indoors. Basically, it is an indoor game simply because the shuttle is greatly influenced by the wind stream. Badminton has been a men's and women's singles, men's and women's doubles and mixed doubles, in which each pair is men and a woman. At high levels play the sports demands excellent fitness players require aerobic stamina, agility, strength speed and precision? It is also requiring a good technical sport and the development of sophisticated racquet. Equipment is thing, tool or machines needed for a purpose of activity and coaching is a method of directing, instructing and training a person or group at people, with the aim to achieve some good or develop specific skills. The purpose of this study was to analyses equipment and coaching factors influencing sports career of west zone intervarsity male and female badminton players.

Key words: Coaching & Equipment, t-test,

Methodology:-

The present study was conducted a 40 male and female badminton players at west zone intervarsity. Keeping in view the objectives the players were categorized into two main groups. (20 male/20female) the subjects was selected was as sample of the study in the basis of the constant to be part of this study and no sampling method was used. A standard inventory of factors influencing sports career was selected for this study. Inventory of factors influencing sports career by M.L.Kamlesh and T.R.Sharma.

Statistical Procedure:-

Statistical Procedure is mean score and standard deviation of male (N-20) and female (N-20) west zone intervarsity players and the sample (40). Were calculated in the factors equipment and coaching. Independent't' test was applied to find out the significance of difference among male (N-20) and female (N-20) players in the factors. The level of significance was set at 0.05.

Results: The data collected was analyzed by using descriptive static's and't' test. The results of test form of descriptive data such as mean and standard deviation for male west zone intervarsity badminton player a is presented in table No. 1

Table No. 1 Mean And Standard Deviation Scores Of Male West Zone Interversity Badminton Player On Influceing Sports Career

Variables	Mean	S.D
Equipment and Coaching	3.65	2.79

The data analyzed by using mean and standard deviation in table no. 1 sports career indicates that equipment and coaching mean score of male west zone intervarsity badminton player is 3.65 with 2.79 as standard deviation.

The data collected was analyzed by using descriptive static's and't' test. The results of test form of descriptive data such as mean and standard deviation for female west zone intervarsity badminton player a is presented in table No. 2

Table No. 2 Mean And Standard Deviation Scores Of Female West Zone Interversity Badminton Player On Influceing Sports Career

Variables	Mean	S.D
Equipment and Coaching	5.6	2.47

* (Guest Faculty) Govt . college, dana,sagar (M.P.) INDIA

The data analyzed by using mean and standard deviation in table no. 2 sports career indicates that equipment and coaching mean score of female west zone intervarsity badminton player is 5.6 with 2.47 as standard deviation.

The significance of mean difference between male and female badminton player on factor of sports career presented in table3

Table-3 The Significance Of Mean Diffrence Between Male And Female Badminton Player On Sports Career

Variables	Groups	Mean	Mean Difference	SE	T Ratio
Equipment and Coaching	Female	5.6	1.71	0.84	2.03*
	Male	3.65			

**** Significance at .05 level***

T.05 (38) = 1.684

The analysis of data of table no. 3 clearly revels that there is significant difference between male and female players an variable equipment and coaching. the calculated 't' value of 2.03 was found to the higher than the tabulated value 1.684 at level of significance with 38 degree of freedom.

It further reveals that female badminton player better equipment and coaching for better career in high than the male badminton player as the mean value an these variables found to the significance higher the male badminton player.

Discussion of finding:-

The result at this study indicated that there was significance differ was found in equipment and coaching between male and female badminton player level. The female badminton players were found to be more an equipment and coaching than male badminton player and this may be attributed to the found that equipment and scientific coaching player in important role in sport career for sports player.

Conclusion:-

On the basis of the results it may be concluded that - There are gender basis differences in the performance of influencing between male and female player of badminton of intervarsity level on such factors of sports career as equipment and coaching factors become the female badminton players give more emphasis to the above female than male players. However significance difference was found in equipment and coaching of intervarsity of sports career between male and female badminton players of intervarsity level.

References-

- * Jesse feiring Williams "The principal of physical education (philadelphia: W.B.Saunders company, 1969) p.11
- * Singh, Karan, training and physical Fitness for high performance paper presented at orientation course in phy.edu. LNCPE, October 1984.
- * M.C. Kamlesh and T.R.Sharma "inventory of factors influencing sports career" national psychological corporation agra1986.p3
- * Cratty, Byant J. "psychology in contemporary sport", guidelines for coaches and Athletes. Englewood clifs, NJ: prentice tall the 1973.
- * Karan singh, "study of games and sports performance (men) of Indian board an interuniversity tournament result of the year (1981-1982) university sports (September 1982); 101.

****

A Study on Regional Transport Offices (RTO) in India

Dr. Pradeep Chaurasia *

Abstract: The regional transport offices in India plays major role in road transportation. Regional Transport Officer or as commonly known as RTO is a licensing, registration, taxation authority of a particular region. India has one of the largest road networks in the world, of 3.314 million kilometers, consisting of National Highways, Expressways, State Highways, Major District Roads, Other District Roads and Village Roads. About 65 per cent of freight and 86.7 per cent passenger traffic is carried by the roads in India. In India, the share of the transport sector in GDP (gross domestic product) in 1997/98 was 7.3% (1993/94 prices). The Motor Vehicles Act, 1988 (External website that opens in a new window) is the principal instrument for regulation of motor vehicular traffic throughout the country, which falls under the Concurrent List of Schedule VII of the Constitution of India. There are number of employee working in this government department. The Transport Commissioner is working as head of RTO in any state and there are regional transport officer plays the role of head of any region. Collectively rode transportation in India covered under the act and provision of RTO guidelines. The research work done with using primary and secondary data simultaneously. The result of this study is very useful for the people who want to know about the services provided by RTO in India.

Key words: Overview of the transport sector in India, Staffing Pattern of Transport Department, Important functions of RTO, Various Forms, Registration of vehicle, Driving license.

Overview Of The Transport Sector In India

India has one of the largest road networks in the world, of 3.314 million kilometers, consisting of National Highways, Expressways, State Highways, Major District Roads, Other District Roads and Village Roads. About 65 per cent of freight and 86.7 per cent passenger traffic is carried by the roads. Motor vehicle population has recorded significant growth over the years. India had 72.718 million registered motor vehicles at the end of the fiscal year 2003-04. Compound annual growth rate of the vehicle population between 1951 and 2004 was close to 11 per cent.

Two-wheelers and cars (personalized mode of transport) constitute more than four-fifth of the motor vehicles in the country. Roads are used not only by the motorized transport, but also by the non-motorized transport as well as pedestrians.

In India, the share of the transport sector in GDP (gross domestic product) in 1997/98 was 7.3% (1993/94 prices). Road transport and the railways account for the majority of this contribution. The transport sector is also the second largest consumer of energy, next only to industry and commercial energy consumption about 98% of which is in the form of HSD and gasoline grew at the rate of 3.1% per annum in the 1970s and at 5.6% per annum in the 1990s.

The relationship between transport and emissions in India is established via the use of fossil fuels. The linkage between transport and the environment is particularly visible in the urban transport sector due to the dominance of road transport. In addition, the transport sector accounts for a large and growing proportion of Greenhouse Gas (GHG) emissions.

Regional Transport Office (RTO)

Regional Transport Officer or as commonly known as RTO is a licensing, registration, taxation authority of a particular region. It is empowered to cancel the valid fitness certificate of vehicle if it is caught in mechanically unfit and un roadworthy condition.

The RTO official has the power to issue memo for the breach of provisions of motor vehicle act and rules. This memo generally consists of description of the offence, seal and signature of the issuing authority. The document is impounded only for minor offences.

Staffing Tappern Of Transport Department In India

1. Transport Commissioner
2. Deputy Transport Commissioner (Enforcement)
3. Deputy Transport Commissioner (Finance)
4. Deputy Transport Commissioner (Administration)
5. Statistical Officer
6. Audit Officer
7. Assistant Transport Commissioner
8. Regional Transport Officer
9. Additional Regional Transport Officer
10. Assistant Regional Transport Officer
11. Transport Inspector
12. Superintendent
13. Asst. Account Officer/ Junior Account Officer
14. Stenographer - I

* HOD, MBA Department, Aditya College of Technology and Science, Satna (M.P.) INDIA

15. Stenographer - II
16. Stenographer - III
17. Transport Sub-Inspector
18. Asst. Transport Sub-Inspector
19. Head Constable
20. Constable
21. Driver

Important Function Of RTO

- Registration of Motor Vehicles.
- Issue of permits and fitness certificates to Transport Vehicles.
- Issue of licenses to drivers and conductors.
- Enforcing the various provisions of the Central Motor Vehicle Act,
- Tamil Nadu Motor Vehicle Taxation Act and the rules framed under these Acts.
- Inspection of vehicles involved in accidents.
- Negotiating inter-state agreements.
- Collection of tax and fees on Motor Vehicle.
- Providing relief to victims of Motor Accidents from the Honorable
- Chief Minister's Accident relief fund.
- Advising on various road safety measures.

About Registration of Vehicle

Vehicle Registration involves the recording of a motor vehicle in the official records after due verification. Vehicle Registration is mandatory under the law and is essential to prove the ownership of a vehicle. It is also required during the sale of a vehicle and transfer of its ownership.

(a) About the Legal Framework-

The Motor Vehicles Act, 1988 (External website that opens in a new window) is the principal instrument for regulation of motor vehicular traffic throughout the country, which falls under the Concurrent List of Schedule VII of the Constitution of India. The implementation of various provisions of this Act rests with the State Governments.

Registration of Motor Vehicles lies under the purview of this Act. The Act provides that no person should drive a vehicle, and that no owner of a motor vehicle shall cause or permit a vehicle to be driven, in any public place, unless the vehicle is registered and the certificate of registration of the vehicle has not been suspended or cancelled, and the vehicle carries a Registration Mark displayed in the required manner.

(b) What You Need to Do to Register Your Vehicle-

To register a new, private, non-commercial vehicle, you need to apply in the prescribed form (either available online or with the concerned local authorities) to the RTO (Regional Transport Officer)/Transport Department of the area of your residence. You will be required to produce the sale certificate issued by the vehicle dealer, the road-worthiness certificate issued by the manufacturer, an attested copy of a valid vehicle insurance policy, documents as proof of address, a print of the chassis number and such other papers as may be needed. In addition, you will be asked to submit one-time road tax and the required registration fee. The vehicle will be physically inspected by the Inspecting Authority and a unique Registration Mark assigned to the vehicle for display thereon.

About Obtaining Driving License

A Driving License is an official document certifying that the holder is suitably qualified to drive a motor vehicle or vehicles. Under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (External website that opens in a new window) in India, no person can drive a motor vehicle in any public place unless he holds a valid Driving License issued to him, authorizing him to drive a vehicle of that particular category.

In India, two kinds of Driving Licenses are issued: Learner's Licenses and Permanent Licenses. Learner's License is valid only for six months. Permanent License can be availed only after the expiry of one month from the date of issuance of the Learner's License.

(a) What You Need to Do to Obtain a Driving License

A Learner's License is essential for obtaining a Permanent License. The eligibility for obtaining a Learner's License for a private motor vehicle for a vehicle of 50 CC engine capacities and without any gear is 16 years (if the applicant's parents or guardians give their consent). The minimum age to apply for a permanent license to drive a private motor vehicle is 18 years.

A person who is at least 20 years old and possesses a Learner's License can obtain a License for driving a commercial vehicle. Also, one has to be conversant with the traffic rules and regulations in all the cases.

For obtaining a Learner's License, you will need to apply in the prescribed format to the Local Transport Office in your region, along with your passport-sized photographs, proof of your age and residence, declaration of medical fitness and the required fee. After verification of your documents, you will have to go through the Learner's Test. Usually a handbook of traffic rules, signs and regulations is provided with the application form. On passing the Learner's Test, you will be issued a Learner's License. If you fail the test, you will be given a chance to take the test again.

For obtaining a Permanent License, you must have a valid Learner's License, and must apply after 30 days and within 180 days of issue of the Learner's License. You should be conversant about vehicle systems, driving, and traffic rules

regulations. You will be put through a driving test, for which you must bring a vehicle with you. On passing the test, you will be issued a Permanent Driving License.

International Driving License

The motor licensing authority also issues International Driving License to the citizens of India. Application for the International Driving License can be made to the licensing authority having jurisdiction over the area in which the holder of the driving license ordinarily resides or carries on business, along with relevant documents. Citizens of India may drive in foreign countries with an International Driving License, which has the maximum validity of one year. Citizens are required to get their license from the country they're visiting within one year period. Following documents are to be produced at the time of applying for an International Driving Permit:-

- Valid driving license
- Attested copy of address proof
- Attested copy of Birth Certificate
- Valid passport
- Valid Visa
- Required Fees
- Two passport size photograph.

The Transport Sector Agenda 21 In India

Agenda 21 have identified the following key issues in the transport sector.

1. Promoting integrated transport policies that consider alternative approaches to meeting commercial and private mobility needs.
2. Integrating land-use and urban and rural transport planning, taking into account the need to protect ecosystems.
3. Improving efficiency of transportation and related sectors.
4. Accelerating phasing-out of the use of leaded gasoline.
5. Promoting voluntary guidelines for environmentally-friendly transport and action for reducing vehicle emissions.
6. Fostering partnerships at the national level for strengthening transport infrastructure and developing innovative mass transport schemes.

Various Forms Available In RTO

Table No. - 1 - RTO Forms

Form 1	Application-cum-decalration as to physical fitness.
Form 1a	Medical Certificate.
Form 2	Application for the grant or renewal of learner's license.
Form 3	Learner's License.
Form 4	Form of application for license to drive a vehicle.
Form 20	Form of Application For Registration of a Motor Vehicle.
Form 26	Intimation of loss or destruction etc. of the certificate of registration and application For the issue of Duplicate RC.
Form 27	Application for assignment of new registration mark on removal of motor vehical to another state.
Form 28	Application for 'No Objection Certificate and grant of Certificate.
Form 29	Form of notice of Transfer of Ownership of A Motor Vehicle.
Form 30	Report of Transfer of Ownership of a Motor Vehicle.
Form 30	Report of Transfer of Ownership of a Motor Vehicle.
Form 34	Application for making an entry of an agreement of hire - purches/ lease / hypothecation subsequent to registration.
Form 35	Notice of Termination of an Agreement of Hire Purchase /Lease /Hypothecation
Form 45	Application of Grant of Permit in respect of Tourist Vehicle.
Form 46	Form of Application for Grant of Authorisation for Tourist Permit /NP
Form 47	Authorisation for Tourist Permit or National Permit
Form 48	Application for Grant of National Permit

Research Methodology

For the purpose of research work there are 25 sample size used. In 25 sample there are 17 sample used to gather primary data with using research tools like interview, observation and 12 sample used to gather secondary data with using books and reports of RTO. Regional transport officer provide me all the information in his personal interview. As per the sampling there are convenient sampling and area sampling used to collect the data.

The main purpose is to get aware the all people about the RTO functions and RTO financial position that they can utilize these data for the best of the transportation. The data collected in this research work is highly durable for the future time prediction and very useful for the purpose of everyone who want know about the RTO. This research is also take importance when further research required in the same field

and will definitely helps the research scholar as a raw material when any one start doing research in the same topic.

Recommendation

I am very thankful to Dr. R. P. Gupta Prof. & Head GDC Rewa (MP) for guiding me in all over my research work as I am also pursuing Ph.D. under his guidance with the topic related to RTO. I am again very thankful to Dr. Nageshwer Agarwal Prof & Head Commerce Dept. Degree College Satna (MP) for giving me proper guidance that how to do research work and how to make the report.

Conclusion

This research work is very useful for our government, population of India, transporters and off course for RTO offices. Most of population in India using transport services but many of them is not aware about the services and this research work help those people to know about the services provided by RTO. This research work showing the different function of regional transport offices and different forms available at RTO. The staffing of RTO is also given in this report which is very useful for the public. This research work explains the regional transport offices in India as a whole and the usefulness of regional transport office in India. In all premises this research work is highly helpful for the government of India and for those who are living outside of the country and want to know about the services of regional transport offices in India.

References

(1) Report of the National Transport Policy Committee, 2010, New Delhi (Government Report)

(2) 11th 5 Year Plan of Planning Commission, Government of India (Government Report)

(3) Department of Road Transport and Highway's Annual Report 2007-08 (RTO Publication)

(4) Bheemsen khetrapal, "Motor Vehicles Rules, 1994", khetrapal publication (Book Publication)

(5) Bheemsen khetrapal, "Motor Vehicles Act, 1988", khetrapal publication (Book Publication)

(6) Bheemsen khetrapal, "Motor Vehicles Taxation Act, 1991", khetrapal publication (Book Publication)

(7) Shravan Kumar Jain, "MP Motor Vehicle Act", Suvidha New House Pvt Ltd. Bhopal (MP), 2007 Seventh addition Page No. 926-933, 908-917(Book Publication)

****

Role of Modern Teaching Aids in Present Education System

Dr. Sulekha Mishra *

Abstract: Though it has been rightly said that what is wrong with education cannot be fixed with technology; there is no doubt that modern life is dominated by technology. There is universal recognition of the need to use Information and Communication Technology (ICT) in education as we enter the era of globalization where the free flow of information via satellite and the internet hold sway in global information dissemination of knowledge. Technology is developing very fast in other fields, but in education it is staying at the level of classic work organization. It mostly kept older educational technology and for that reason there is danger (if it would not be changing faster) to stay considerably behind the happenings in production and social relations. Lagging behind of modern school is not so much evident in the field of education contents as it is evident in technique and technology of teaching. Country, which has more scientific knowledge, which is in possession of modern information systems and which is able to educate high quality personnel and use quickly scientific knowledge or technological development, is superior in the development. That is why all the countries in the world are looking for the best ways for personnel education, development of technologies for better quality knowledge acquirement, its processing, practical application as well as production of material and spiritual values.. New knowledges, new inventions and new technologies influence, directly or indirectly, reform and advancement of education system, changes of teaching contents and other sources of knowledge, betterment of teaching technique and technology. I shall mention some of the innovations which have been influencing the changes of education systems. Internet technologies, Web portals and multimedia software contribute to implementation of cooperative work of students, more interactivity and new organization of educational process.

A teaching aid is something which makes teaching easier for the teacher and makes learning more effective and enjoyable for the student. An example of timeless teaching aid is Blackboard and chalk. Though with time blackboard has been evolving to be in different eye- catching colors and chalks are also becoming more colorful, sometimes digital and dust free. But the universal appeal of a blackboard is never going to decrease from a classroom. So though blackboard is considered traditional it can be also being counted among timeless and modern teaching aids with. What are the modern teaching aids? Modern teaching aids are varied in nature and utility. From learning laptop to toys today's kids have a world of opportunities in terms of variety in teaching aids. There are games, activities according to the developmental stages of a learner, tools and systems etc which can make a teacher's task more enjoyable. But looking from a different point of view many teachers also complain about the complexity of modern teaching aids. But that is a different aspect altogether. Modern teaching aids lists Teachers now have an array of teaching aids which can help them in effective teaching. They are of different types according to their uses and characteristics. Overhead projector (OHP) or LCD projector Television, Camcorder and voice-recorder. Computer Latest gadgets like Android phones and Tablet PCs instead of computer. Accessories like U.S.B cable, Models, Tools, Software, Clay models, Activities Games Learning/educational laptops in classroom. Mathematical puzzles Word puzzles Charts Magic pencils and drawing brush.

Technology plays an important role in enhancing learning system. The time of blackboards with chalk and notice boards is going to change. The crucial factor in a teaching process is the quality of the lessons given by the teachers. Teachers therefore should use modern teaching aids .Modern teaching aids are used to make learning sessions interactive and motivating. Nowadays, Classes are equipped with Modern teaching aids such as Interactive Whiteboards, Visualiser, response system, projectors and educational software etc. Teaching with Modern teaching aids is essential in the technological age. Many subject topics can be taught better and in more depth with Modern teaching aids. Teachers must use various types of Modern teaching aids to connect with students. Modern teaching aids incorporate audio-visual techniques that influence the interest and memory of students. Utilizing Modern teaching aids successfully will create the best platform for learning and teaching. Teachers are using multimedia content with audio and video into their lessons. The teacher has to be sure to identify the main points of the contents so that children can absorb the knowledge. Teacher may bring a chart or draw a neat diagram on the board, but effective learning still misses out. A multimedia content gives the student a better learning experience as they can watch the actual phenomena and processes. With Interactive Whiteboards, Teachers can annotate on their content and save it in computer files that can't be done through traditional boards. Time has come to

*** Prof. & Head of Deptt. (Political Science) Govt. M.K.B (Auto) College for Women, Jabalpur (M.P.) INDIA**

integrate modern teaching aids into the classroom for effective learning and teaching. Teaching aids are a boon for a teacher in making his or her task easy in making students to understand a concept. Teaching aids involve in the use of the senses of hearing and sight. Scientists through their research estimated 86% of the learning processes of an individual depend on the senses of hearing and seeing.

Impact of Technology on Education:

- Easy access to information.
- Greater interest in learning.
- Increased retention of information.
- Robust information storage.
- Better presentation of information.
- Teaching made interactive.
- Knowledge sharing made easy.

From the following example one can clearly understand the role of senses in learning process. A baby after birth at the beginning tries to learn things by his or her senses. First through the sense of sight he or she is able to identify mother and other family members. Slowly the baby is able to hear sounds and learn to respond them which finally help the baby to speak small words. After that, the senses coupled with mind leading to perception of the child. Perception leads to ideas or concepts.

Most popular Modern teaching aids in use at present The most popular modern teaching aids in use at present are English language lab, Interactive electronic white screen, Computers, Overhead projectors, Power point presentations, Internet, Online dictionaries, Online Encyclopedia, E-books, VCD'S, DVD's, Televisions, Tablets, DVD players etc.

Advantages

1. Through imitation and manipulation process adopted in language lab help the students to improve the spoken aspect of English language.
2. This device allow individualized teaching as a student can practice at his own pace and also he or she can repeat the same many times.
3. Students can self correct and also have the chance to self examine themselves.
4. This device also helps the teacher to strengthen his language skills.

Interactive Electronic White Screen: Present day modern schools are well equipped with Interactive electronic white screens in the classrooms. A combination of the devices like Computer, Digital overhead projector, educational software will allow us to use this Interactive Electronic Screen most effectively for classroom teaching. Companies like Edu.com, Smart sync. by payment from the school, arranging Interactive screens along with supportive topic contents for all classes from their servers. If these schools register with these companies they establish a knowledge bank center in the school with their company's server. They provide a support staff from the company to assist the teacher at troubleshoot times in presenting the topic to the students on an Interactive electronic white screen. The teacher in his or her leisure time can select the content needed for the topic from the knowledge bank and can store in his account and this in one way will save the time of the teacher. The teacher even can add new points while he or she teaching on the interactive screen by writing with a styled (electronic pen) which can be stored for future use of the same topic by the teacher. The teacher can stop the topic at any point on the screen and can use the same electronic screen as a chalk board.

Computer technology has had a deep impact on the education sector. Thanks to computers, imparting education has become easier and much more interesting than before. Owing to memory capacities of computers, large chunks of data can be stored in them. They enable quick processing of data with very less or no chances of errors in processing. Networked computers aid quick communication and enable web access. Storing documents on computers in the form of soft copies instead of hard ones helps save paper. The advantages of computers in education primarily include:

- Storage of information
- Quick data processing
- Audio-visual aids in teaching
- Better presentation of information
- Access to the Internet
- Quick communication between students, teachers and parents

Computer teaching plays a key role in the modern education system. Students find it easier to refer to the Internet than searching for information in fat books. The process of learning has gone beyond learning from prescribed textbooks. Internet is a much larger and easier-to-access storehouse of information. When it comes to storing retrieved information, it is easier done on computers than maintaining hand-written notes.

Computers are a brilliant aid in teaching: Online education has revolutionized the education industry. Computer technology has made the dream of distance learning, a reality. Education is no longer limited to classrooms. It has reached far and wide, thanks to computers. Physically distant locations have come closer due to Internet accessibility. So, even if students and teachers are not in the same premises, they can very well communicate with one another. There are many online educational courses, whereby students are not required to attend classes or be physically present for lectures. They can learn from the comfort of their homes and adjust timings as per their convenience.

Computers have given impetus to distance education:

Computers facilitate effective presentation of information. Presentation software like PowerPoint and animation software like Flash among others can be of great help to teachers while delivering lectures. Computers facilitate audio-visual representation of information, thus making the process of learning interactive and interesting. Computer-aided teaching adds a fun element to education. Teachers hardly use chalk and board today. They bring presentations on a flash drive, plug it in to a computer in the classroom, and the teaching begins. There's color, there's sound, there's movement - the same old information comes forth in a different way and learning becomes fun. The otherwise not-so-interesting lessons become interesting due to audio-visual effects. Due to the visual aid, difficult subjects can be explained in better ways. Things become easier to follow, thanks to the use of computers in education.

Computer software helps better presentation of information: Internet can play an important role in education. As it is an enormous information base, it can be harnessed for retrieval of information on a variety of subjects. The Internet can be used to refer to information on different subjects. Both teachers and students benefit from the Internet. Teachers can refer to it for additional information and references on the topics to be taught. Students can refer to web sources for additional information on subjects of their interest. The Internet helps teachers set test papers, frame questions for home assignments and decide project topics. And not just academics, teachers can use web sources for ideas on sports competitions, extracurricular activities, picnics, parties and more.

Computers enable access to the Internet which has information on literally everything: Computers enable storage of data in the electronic format, thereby saving paper. Memory capacities of computer storage devices are in gigabytes. This enables them to store huge chunks of data. Moreover, these devices are compact. They occupy very less space, yet store large amounts of data. Both teachers and students benefit from the use of computer technology. Presentations, notes and test papers can be stored and transferred easily over computer storage devices. Similarly, students can submit homework and assignments as soft copies. The process becomes paperless, thus saving paper. Plus, the electronic format makes data storage more durable. Electronically erasable memory devices can be used repeatedly. They offer robust storage of data and reliable data retrieval.

Advantages

1. There is no need for the teacher to prepare his or her teaching aids to use in the class room which reduces the burden of the teacher. The teacher has to select the content according to his need from the vast content provided from the knowledge bank.
2. This technology will help the teacher to avoid all other teaching aids which he or she using in their teaching with a single stroke.
3. The teacher can even use the same interactive electronic screen as a chalk board.
4. Exercise works provided for the topic will help in the active participation of the student in learning process.

Television: At present television also forms an important educational tool for effective teaching. Various channels like National Geographical Channel, Discovery channel, Animal Planet channel, History TV etc. are educative in nature. They provide very interesting and amazing information about various beautiful creatures elsewhere present in nature to the viewers. These channels telecast their programmes 24 hours continuously and so these programmes can be shown to the children in the leisure periods of the school time by projecting on to a overhead screen. Some channels even telecasting special programmes to educate students in English Grammar, Maths, Science which benefit the students very much. A combination of Television with VCD or DVD player will enhance the educative value of Television.

Conclusion - Without any doubt teaching aids are very essential for effective teaching process. Teacher has to be very careful in selecting a teaching aid that demands and suits the situation of teaching. Using too many teaching aids, using a teaching aid at a wrong place may bring negative effect on teaching. Using a combination of modern and traditional teaching aids by the teachers will pave way for their effective teaching. Teachers also have to see that technology should not dominate teacher which otherwise may result in indiscipline in students, even the effectiveness of teaching may lost and the result is the student may not be guided properly by the teacher.

Refrences:

1. Sercu, L., & Bandura, E. (2005). Foreign language teachers and intercultural competence: An international investigation. Languages for intercultural communication and education, 10. Clevedon: Multilingual Matters.
2. Romanowski, M. H., & McCarthy, T. (2009). Teaching in a distant classroom: Crossing borders for global transformation. Downers Grove, Ill: IVP Books.
3. Powell, R. G., & Caseau, D. (2004). Classroom communication and diversity: Enhancing instructional practice. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates.
4. Lin, A. (2008). Problematizing identity: Everyday struggles in language, culture, and education. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
5. Landis, D., Bennett, J. M., & Bennett, M. J. (2004). Handbook of intercultural training. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
6. Gu?ru?z, K. (2008). Higher education and international student mobility in the global knowledge economy. Albany: State University of New York Press.
7. Altbach, P. G. (1987). Higher education in the Third World: Themes and variations. New York: Advent Books.
8. Rapporteur: Mrs Margitta Terborg, Germany, Socialist Group: A Report Basic education in science and technology Committee on Science and Technology 2008.

Guidance and counseling in Higher Education

Dr. Neeraj Dubey *

The term guidance is used in so many different ways that the true significance of the work of guidance in schools and colleges is often overlooked and sometimes misunderstood. Some writers use the term guidance synonymously with the term education. Others identify it only with those activities that are concerned with the vocational aspects of life. The chief aim and purpose of guidance is to help the child, youth or adult, to understand himself, his needs and his environment. "Guidance is helping the students to become adjusted to his present situation and to plan his future in line with his interests, abilities and social needs." (Hemin and Erickson, 1970)

Respect for the individual should be the basis for all guidance work. The students should feel that the teachers have faith in him. An equally important point to remember is that guidance services are for all students and that this work should begin prior to a child's entrance into school and should continue throughout his school and college life. In some cases guidance services continue even after graduation. According to Arthur J. Jones, the purpose of guidance has been "to assist the individual through counsel to make wise choices, adjustment and interpretations in connection with critical situations in his life in such a way as to insure continual growth in ability for self-direction" (Jones, 1970).

Guidance is also described as a counseling service to assist the individual in achieving self-direction, and educational, vocational and personal adjustment and to take positive steps in the light of new orientations (Rogers, 1942) A comprehensive picture of guidance may be obtained by defining it as the process of assisting the individual to choose, prepare and enter upon and progress in the course of his action pertaining to educational, vocational, recreational and the community service group of human activities. Guidance does not solve the problems for the individual but helps him to solve them for himself. The focus of guidance is always on the individual and not on the problem.

Principles of Guidance

A majority of the guidance and counseling textbooks include a sound discussion of the basic principles for effective guidance programme. Arriving at the basic principles is a necessary first step in the development of a new programme or in the evaluation and improvement of an established one. The principles related to basic assumptions should be broad and meaningful. Every situation and every needed adjustment should be reviewed in its length and breadth.

It follows that through the guidance programme, a student must be assisted :

1. To understand himself.
2. To make the most of his capacities, interests and other qualities.
3. To adjust himself satisfactorily to the varied situations within his total environment.
4. To develop the ability to make his own decisions wisely and solve his problems independently.
5. To make his own unique contributions to society to the fullest possible extent.

Guidance Services

The guidance programme is most frequently organized around four fundamental services:

1. An appraisal service to collect, analyse and use personal, social and psychological data about each student for the purpose of understanding him and to help him understand himself.
2. An information service to provide every student knowledge about vocational, educational and personal opportunities so that he may make realistic choices and decisions.
3. A counseling service to facilitate self-understanding and self-development, and
4. A planning, placement and follow-up service to help the student to select and utilize the opportunities in the world of employment.

The guidance activities may be classified with reference to the area covered as educational guidance, vocational guidance, personal guidance, leisure or avocational guidance, moral or social guidance and health guidance.

A. Educational Guidance

1. Provide opportunities to discover own interests, abilities and capacities.
2. Point toward realization of vocational or educational plans.
3. Furnish information toward further schooling and stimulate towards considering this carefully.

B. Vocational Guidance

1. Provide knowledge of occupation - rewards -

* Professor, Deptt. Of Physics Govt. Arts and Commerce (nodel) College, Sagar (M.P) INDIA

conditions of employment opportunities of advancement - requirements for entrance to and success in occupations.
2. Provide opportunities to discover and reveal general and special capacities.
3. Furnish a point of view and a method of study of occupations.

C. Leisure of Avocational Guidance

1. Provide opportunities, curricular or extra-curricular, to develop tastes and interests which provide avenues or fields or reflections, enjoyment and recreation.

D. Moral or Social Guidance

1. Furnish counsel, example and learning situation to develop right ideals and habits of conduct and living.
2. Furnish opportunities for training which results in information, attitudes, habits and abilities which will help them to work and play effectively with other people whatever the situation.
3. Furnish training in correct social conventions.

E. Health Guidance

1. Call attention to infirmities, defects or tendencies which can be corrected.
2. Develop interest in health and strong, healthy bodies.
3. Develop interest, habit and skills in games and other activities which will operate to promote health.
4. Sex Education and Family Life Education.

F. Personal Guidance

1. Provide at the right time, hints or suggestions to improve personal appearance.
2. Provide advice and counsel on personal problems.
3. Provide at the right time the inspiration and encouragement which come from personal interest of an older individual who "understands" and is "interested".

Counseling

Counseling is an accepting, trusting and safe relationship in which clients learn to discuss freely what upset them worries, to define their goals, to acquire the essential social skills and to develop the courage and self confidence to implement desired new behaviour. Counselling in an educational setting is not a salvage and repair operation. The counsellor does not withhold his services until a student is in academic difficulty or has an adjustment problem or is near the transition stage of dropout, etc. The counselor does not wait until the student seeks him out before counselling is initiated. It must be noted that there is no demand for help but the need for help constitutes the issue.

The essential foundations upon which interviewing rests are the attitude of the counsellor in understanding and accepting the counsellee and the skill of communication. The main skill a counselor must develop is that of communicating his understanding of the client's problem. The counsellor should be very careful with the specific words he uses so that it does not arouse defensive attitude in the client.

References

1. Anand, B. Rao, and Ravishankar, S, 1982, Readings in Educational Technology, Bombay, Himalaya Publishing House.
2. Balaguruswamy E; and Sharma K.D. (Eds), 1983, Computer in Education and Training, New Delhi, NIIT.
3. Beard, Ruth and Hartley, James, 1984, Teaching and Learning in Higher Education, London, Harper & Row Publications.
4. Milton, O. and Associates, 1978, On College Teaching : A Guide to Contemporary Practices, San Francisco, Jessey, Bass.
5. Rogers, Carl, 1942, Counselling and Psychotherapy, Boston, Houghton Miffin Company.
6. Vedanayagam, E. G. (Ed), 1985, Report of the UGc Institute on Systems Designs for Instruction for College Teachers, Department of Education, University of Madras.
7. Wrenn, Gilbert and Dungan Willis, 1970m Guidance Procedures in High School, Minneapolis, The University of Minnesota Press.

****

Goldings's Attitude Towards Life

Bhavna Parmar *

The problem of evil as a Major force and its perpetual conflict with good has always been among the principal preoccupation with a large number of novelists of the world. In English we have an all time great novelist in Thomas Hardy who recognized evil as a powerful force, a tendency which is inherent in the very nature of human beings. Some of his novels are the classic examples of the so called interaction between the good and the evil and at times leading men and women to pathetic or tragic disasters exhibiting them as mere puppets in the hands of - call it Fate or Evil.

Golding is no exception. He stands in line with such novelists for whom evil has been the leading concern in their writings. Though his major preoccupation is evil still he does recognize the existence of good; but he seems to believe that evil is a powerful force and under certain conditions would dominate human life, leading to "the fallen state of man", in Golding's own words. The novel - 'Lord of the Flies' on a superficial level, presents the story of the life of a group of British boys, of an average age, about twelve years, who found themselves, marooned on an uninhabited island. But the story has a deeper meaning, and this deeper meaning is more important to the nature and adult reader than the story itself.

The novel intends to convey Golding's view that evil is a powerful instinct in human beings and needs only favourable environment to grow and flourish and to attain formidable proportions. In the novel evil seems to have triumphed over good, but Golding has himself expressed the view that the novel does not depict the triumph of evil over good but good rescued from the clutches of evil. The rescue comes, of course, in the concluding part of the novel in the shape of the naval officer. Thus, the principal theme of this novel is a clash between the forces of good represented chiefly by Ralph, Piggy and Simon on the one side and the forces of evil represented by Jack and Roger on the other.

The characters representing evil have their good points, but the good in them has been diminishing rapidly, till it becomes almost extinct. Golding's view on the goodness of human life is not very optimistic. He is of the opinion that even the educated Christian middle class boys when let loose on a desert island chose to become like savages than orderly civilized beings. The good intentions of the few are seen overpowered by the innate evil of the many, Here we find Golding representing the view point of the great French essayist Rousseau, who once said, "Man is worse than an animal when he choose to be an animal." The desire to overpower and rule, to dominate and bring others to subjugation, by designs-good or evil; for Golding these are the natural instincts inherent and deeply rooted in the vary life of man giving expression in favourable situations to terrorism, cruelty and murder. To Golding, evil is predominant and universal while good is subdued and rare. Life is full of flames of evil, ever-ready to rise higher and higher while the good is seen only in sparks-short lived and transient. Golding is not at all a fatalist. He recognizes the 'will' of man. That is the reason that he believes in the saying "Life is, what we make it, good or bad." Unfortunately, the balance of life shows the pane of evil heavier than the pane of good.

To conclude, Golding in fact, wants to demonstrate that the evil instincts in human beings would come up to the surface and assert themselves as soon as they are liberated from the restraints of civilized world. And again, one who is inherently good will remain good even when liberated from the fear of conservancies; but one, like Jack and his followers, who is inherently evil would manifest the evil in him and would resort to the way of savages.

The member of those who are inherently good is very small. The majority of people in this world are inherently evil. Evil is eradicable, and it asserts as soon as it finds a favourable climate. The favourable climate consists in the removal of fear of law and in the removal of all those restraints which civilized life imposes upon human beings.

References :-

1- Allen, Walter : The English Novel, 1955.
2- Allott, Miriam : Novelists On the Novel, 1959.
3- Baker, James R. : William Golding : A Critical Study .
4- Green Peter : The World of William Golding.
5- Kinkead - Weeks Mark and Gregor, Ian : William Golding ; A Critical Study.

****

***Asst. Professor, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA**

वर्तमान समाजिक परिपेक्ष्य में सरकारी नीतियों द्वारा महिलाओं की सम्मानजनक प्रगति (मध्य प्रदेश राज्य के विशेष संदर्भ में)

डॉ. संतोष कुमार उप्रेलिया *

हमारे देश में महिलाओं की स्थिति दिन-प्रतिदिन सशक्त होती जा रही है। क्योंकि महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार की योजनायें अनवरत रुप से क्रियान्वित हो रही है। सरकार एवं समाज की सहभागिता से ही महिलाओं की प्रगति एवं सशक्तिकरण की अनुपम कृति परिलक्षित हो सकती है। भारत में ही नहीं सम्पूर्ण सृष्टि में स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। जिस समाज में स्त्री जाति का सम्मान न्योचित नहीं किया गया वहां विकास नहीं विनाश हुआ है।

सामाजिक, शैक्षिक , आर्थिक, राजनैतिक ओर धार्मिक दृष्टि से जो जातियां पिछड़ गई है या जिन्हें पिछड़े रहने को विवश कर दिया गया है वे ही दलित जातियां हैं। श्री मति एनीबीसेन्ट ने शोषित वर्ग एवं पीड़ितों के लिये डिप्रेस्ड शब्द का प्रयोग किया था।

दलित=दल+त= टूटा हुआ , कटा हुआ ,फैला हुआ

दल= चूर-चूर करना , फाड़ देना

दलित = बिनिष्ट करना, मर्दित

मानक अंग्रेजी शब्द में दलित के लिये डिप्रेस्ड शब्द दिया गया है जिसका अर्थ दबाना , नीचे लाना, झुकाना आदि है। धार्मिक शब्दावली में जिन्हें अति शूद्र, सामाजिक शब्दावली में अछूत, कानूनी शब्दावली में अनुसूचित जातियां कहा गया है। अनुसूचित जनजातियां वे आदिम जातियां हैं जो प्राय: आधुनिक सभ्य समाज से दूर पर्वतीय अंचलों और पठारी भागों में जीवन व्यतीत करना पसंद करती है। संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है।

सशक्तिकरण का अर्थ सुदृढ़ता के समानार्थक होता है। व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ सामाजिक आर्थिक ,बौद्धिक एवं राजनैतिक विकास के पक्षों में सामंजस्य ही सशक्तिकरण है। इन सभी गुणों की प्रगति का विकास ही महिला सशक्तिकरण का सूचक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ही सरकार (राज्य एवं केन्द्र)एवं स्वयंसेवी संस्थायें भरसक प्रयत्न कर रही हैं।

सशक्तिकरण की पहल 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोवी में की गयी थी। महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है महिला शक्ति सम्पन्न बनाना। ''सशक्तिकरण का अर्थ है किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता। ''भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक , राजनैतिक,शारीरिक ,मानसिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेनें की स्वायत्तता से है।''

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य मानवीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सशक्त एवं सम्मान जनक बनाने की दिशा एवं दशा में लाने हेतु भारतीय समाज की परिणिती में परिवर्तन कर महिलाओं के प्रति पुरुष वर्ग की पवित्र एवं न्यायोचित ध्येय की परिपाटी को परिलक्षित करना है ताकि महिलाओं का दृष्टिकोण पुरुष वर्ग के प्रति सकारात्क सोच के साथ उदीयमान या प्रज्जवलित हो सके। अत: सामंजस्य ही संविधान द्वारा प्रदत्त महिला उत्थान की नीतियों एवं कानूनों की क्रियात्मकता को सरकार द्वारा लागू कर महिला सशक्तिकरण की विकास यात्रा को प्रकाश के समान प्रसारित कर सकता है।

प्राचीन समाज में भारतीय नारी ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में दहशत ,शोषण एवं दलन की भुगत भोगी रही है। वैदिक काल में अनेक आर्यो ने द्रविण नारियों शोषण ही नहीं किया बल्कि उन्हें दासियां बनाकर भी रखा था।

''ढोल,गंवार, शुद्र, पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी''

हिन्दु धर्म के संरक्षक व संस्कृति, सभ्यता और नैतिकतावादी संगठन के रुप में प्रख्यात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुसार वर्ण व्यवस्था के नीति नियामक ऋषि मनु ही हैं। उनके अनुसार स्त्री बच्चे पैदा करने का साधन मात्र है। ऋग्वेद के अनुसार पुत्री के जन्म को ही अशुभ माना जाता है जबकि पुत्र का जन्म शुभा-शुभ-

''ऐतरेय ब्राह्मण'' में
कृपणाहि दुहिता
ज्योर्तिह पुत्र: परमेष्योमन।
संभवे स्वजन दुख करिका,
संप्रदान समर्थ हरिका,
योवने पि बहुदोंष करिका
दारिका हृदय दारिका पितु

(डा. धर्मकीर्ति बनाम लादेन परममित्र, प्रकाशन दिल्ली)

पुत्री तो दुख की खान है जबकि पुत्र तो आकाश की ज्योति के समान है, पुत्री जन्म के समय दुख पहुँचाने वाली, विवाह के पितृत्वधन का अपहरण करने वाली, युवास्था में ढोषयुक्त पुत्री पिता के हृदय को चीरती है। भारतीय समाज में मुस्लिम शासको के समय भी महिलाओं की स्थिती सम्मान जनक एवं संतोषजनक नहीं थी अधिकांश शिक्षा केन्द्रो में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था महिला सुदृढता तो कोसों दूर थी क्योंकि महिला को पर्दे एवं चार दिवारी में रहना अनिवार्य था ।

अत: उपरोक्त व्याख्या एवं साहित्य से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में कुछ अपवादों को छोडकर महिलाओं की स्थिती बद से बदतर हो रही थी परन्तु ब्रिटीश सरकार के प्रभुत्व में क्रांतिकारी परिवर्तन आए जिसने भारत देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये सभी महिला पात्र महिला सशक्तिकरण की अमिट प्रेरणा स्तोत्र हैं सुश्री सरोजनी नायडु, इंदिरा गांधी, अरूणा आसिफ अली, कस्तूरबा गांधी आदि हैं।

स्वतंत्रता उपरान्त भारतीय समाज में एक नयी सूर्य की किरण का उदय हुआ इसका आधार भारतीय संविधान कार्यकारिणी समिति द्वारा तय हुआ जिसमें वर्षो से उपेक्षित महिलाओं को समान कानून एवं समान अधिकार हेतु संविधान में अनुच्छेद वर्णित किये गये जो वर्तमान समय एवं भविष्य में भी महिला सशक्तिकरण के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। चूंकि भारत एक कल्याण

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल विभाग) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

कारी राज्य है जो सामान्य रुप से सभी नागरिकों ओर विशेष रुप से समाज के दुर्बल वर्गों के प्रति बचन बद्ध है। अनुसूचित जाति जनजाति जिन्हें वर्तमान में दलितों के नाम से उदबोधित किया जा रहा है संविधान लागू होने पर इन वर्गों का निर्धारण अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधान के अनुसार किया गया है इनसे संबंधित उपबंध निम्न हैं -

अनुच्छेद-(19-5)
(16-355)
(330-332-334)
(164-338)
(224) आदि प्रमुख हैं।

ये सभी संवैधानिक साक्ष्य महिला सशक्तिकरण के गौरव को बढ़ाने में अहम दस्तावेज हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग (31 जनवरी 1992) का गठन, स्त्री अधिनियम 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1961, महिलाओं यौन उत्पीड़न संरक्षण विधेयक 2005, का प्रारुप प्रस्तावित है। विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र 1984 आदि अधिनियम एवं विभागों के सफल क्रियान्वन से सशक्तिकरण का स्वरुप सुगठित एवं प्रगतिवान हुआ है।

वर्तमान समय में हमारे देश में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनायें चलायी जा रही हैं। (देखिए तालिका क्रमांक 1)

प्रजनन दर 2012 जून (भारत के प्रमुख राज्यों के संदर्भ में)

भारत में बर्तमान प्रजनन दर 2.5 प्रतिशत

	सर्वोच्च प्रजनन दर		न्यूनतम प्रजनन दर	
क्रमांक	राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
01	बिहार	3.7	केरल/प.बंगाल	1.7
02	उत्तर प्रदेश	3.5	पंजाब	1.8
03	म.प्र.	3.2	महाराष्ट्र	1.9
04	राजस्थान	3.1	दिल्ली	1.9
05	झारखण्ड	3.0	जम्मूकश्मीर	2.0

स्रोत- जनगणना महापंजीयक की जून 2012 में जारी रिपोर्ट के अनुसार

1142352 लाडली लक्ष्मी बनी (म.प्र. के संदर्भ में)

01 जनवरी 2006 से 31 दिसम्बर 2012

क्रमांक	संभाग	लाड़ली लक्ष्मी
01	जबलपुर	241193
02	इंदौर	184566
03	उज्जैन	134566

स्त्रोत- महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल

सरकारी योजनाओं सफलतापूर्वक क्रियान्वन म0 प्र0 के विशेष संदर्भ में उजागर करना है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित योजनाओं के विकासात्मक स्वरुप का क्रियान्वन देश के साथ-साथ म.प्र. के 50 जिलों में सकारात्मक एव नकारात्मक पक्षों को दृष्टिपात करते हुये उनकी यथार्थता प्रस्तुत करना है जिसके आधार पर अन्य राज्यों से इन योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके।

भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में स्थित म.प्र. देश का हृदय स्थल कहा जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से म.प्र. सर्वाधिक प्राचीनतम भू-संहति गौडवाना लैण्ड का भू-भाग है। इसकी भौगोलिक स्थिति $21^{0}6'$ उत्तरी अक्षांश से $26^{0}54'$ उत्तरी अक्षांश एवं 74^{0} पूर्वी देक्षांश से $82^{0}47'$ पूर्वी देशांन्तर के मध्य स्थित है इसका क्षेत्रफल 308245 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इसके बीचोबीच से नर्मदा नदी समानान्तर गुजरती है। यह पूर्व से पश्चिम 870 किमी एवं उत्तर से दक्षिण 605 किमी. फैला है। वर्तमान में इसमें 50 जिले तथा 10 राजस्व संभाग हैं। यहां की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 72597565 व्यक्ति है। जिसमें पुरुषों की संख्या 37612920 तथा महिलायों की संख्या 34984645 है।

प्रदेश केवल जनसंख्या वृद्धिदर में देश की तुलना में 2.66:अधिक है परन्तु क्रमश: लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता एवं औद्योगिक विकास की दर ह्रासमान है।

क्रं.	प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियां	देश में प्रदेश की स्थिति
1	मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण	प्रथम
2	मानव अधिकार आयोग का गठन	प्रथम
3	पंचायतों में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी प्रदाय	प्रथम
4	महिला नीतियों के क्रियान्वनयन में	प्रथम
5	WHO द्वारा नारु रोग मुक्त घोषित 1984 से	संतोषजनक

मातृत्व मृत्यु दर के प्रमुख कारण एवं आंकलन (भारत के संदर्भ में)

क्रमांक	कारण	प्रतिशत
1	रक्तस्राव	29.6
2	पूरपरेल जटिलतायें	16.1
3	अवरुद्ध प्रसव	9.5
4	गर्भपात	8.9
5	गर्भधारण की विशाक्ता	8.9
6	रक्त अल्पता	19.0
7	अन्य	8.4

स्रोत- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली जारी रिपोर्ट 2006-07 के अनुसार

म.प्र. राज्य सरकार द्वारा संचालित नीतियां एवं परियोजनायें (महिला उन्नयन)

विभाग का नाम	योजना/ परियोजना	प्रस्तावित लक्ष्य
महिला वित्त एवं विकास निगम	तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण (5 जून 2006)	अल्प बचत को प्रोत्साहन
महिला एवं बाल विकास	बाल शक्ति योजना (2005)	कुपोषण रहित बाल उन्नयन
महिला एवं बाल विकास	मुख्य मंत्री कन्या दान योजना(2006)	गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराना
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	अपना घर योजना (2007-08) बजट में प्रस्तावित	अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना
महिला एवं बाल विकास	सबला योजना 15 जिलों में चिन्हित	किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य, घरेलू कौशल एवं व्यवसायिक कौशल का उन्नयन कर सशक्तिकरण

शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार

क्रमांक	देश /राज्य	प्रति हजार
1	भारत	44
2	म.प्र.	59 (देश में सर्वोच्च)
3	गोवा	11
4	मणिपुर	11

स्त्रोत- भारत के महापंजीयक अक्टूबर 2012 में जारी रिपोर्ट के अनुसार

आई.सी.डी.एस. ,ऊषा किरण , लाड़ली लक्ष्मी, इंदिरा आवास आदि शासन द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं प्रस्तुत शोध द्वितीयक आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समाज एवं सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु कितना जागरुक है यह शोधपत्र में दी गयी विभिन्न गुणात्मक योजनाओं से स्पष्ट हो रहा है परन्तु यथार्थता इन सूचनाओं से परे है।

❊ प्रस्तावित शोध पत्र द्वारा प्राचीन परिपाटी से प्रारम्भ कर वर्तमान एवं भविष्य परिपाटी में दशा एवं दिशा-परख परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा हूॅं। क्या तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस की ये पंक्तियों का अर्थ हम परिवर्तित नहीं कर सकते -

''ढोल,गंवार, शूद्र, पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी'' हम वर्तमान में जी रहे बुद्धिजीवी बर्ग इनके अर्थो को बार बार पढ़ते और पढ़ाते हैं क्या यह हमारे लिये न्याय संगत है? ऋषि मनु की बात अनुकरणीय है- स्त्री बच्चे पैदा करने का साधन है ? यदि नहीं तो हमें इसमें विचारणीय परिवर्तन करना होगा। स्वच्छता के लिये पिछड़ी जाति की महिलाओं अर्थात मनु द्वारा वर्णित शूद्रों की ही जिम्मेदारी है? क्या हम अन्य जाति वर्ग के लोग स्वच्छता का अनुकरण नहीं करते तो इस इक्कीसवीं शताब्दी में यह कार्य केवल जाति विशेष के लिये क्यों ? हम इन परिस्थितियों के लिये स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। वर्तमान समय में समाज को यह समझना होगा कि ईश्वर ने सृष्टि के निर्माण में दो प्राणी पैदा किये थे स्त्री एवं पुरुष अर्थात केवल पुरुष से सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी जब सृष्टि निर्माता ने कोई भेद नहीं किया तो हम और हमारा समाज ऐसा क्यों कर रहा है?

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार चाहे केन्द्र या राज्य की उदार एवं सुदृढ़ योजनायें तो बना देती है परन्तु उनका क्रियान्वयन वास्तविकता के कितने निकट है इसका कोई मापक निश्चित नहीं है।

सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक,आर्थिक,शैक्षिक एवं राजनैतिक उत्थान हेतु समय समय पर विभिन्न योजनायें बनायी जाती है एवं उनके सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावी नीतियां भी बनायी जाती हैं किन्तु महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। हमारी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

- भारत का वृहद भूगोल -डॉ. विजय तिवारी हिमालया पब्लिशिंग मुम्बई- 1997
- कुरुक्षेत्र- ग्रामीण महिला सशक्तिकरण - स्नेह राय सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार - मार्च2007
- कुरुक्षेत्र- जनसंख्या वृद्धि भारत में समृद्धि - कैलाश चंद मीना सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार - जुलाई 2007
- दलित जातियों का दस्तावेज- डॉ. माता प्रसाद सम्यक प्रकाशन गौतम प्रिंटर्स नई दिल्ली-2007।
- कुरुक्षेत्र- ग्रामीण महिला सशक्तिकरण - कैलाश चंद मीना सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार - मार्च2008
- दलित नारी एक विमर्श - डॉ. मंजु सुमन सम्पादन ज्ञानेन्द्र रावत सम्यक प्रकाशन गोविंद प्रिंटर्स नई दिल्ली-2009।
- यूनीफाइड भूगोल डॉ सी. एल. खन्ना शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी- 2013
- महिला एवं बाल विकास विभाग जिला नरसिंहपुर -2013

तालिका 1

विभाग का नाम	योजना/ परियोजना	प्रस्तावित लक्ष्य
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (भारत सरकार)	एस.टी.ई.पी.	स्वरोजगार कार्यक्रम
ग्रामीण विकास मंत्रालय -(भारत सरकार)	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना	ग्रामीण महिलाओं हेतु स्वरोजगार
राष्ट्रीय महिला आयोग-(भारत सरकार)	मेरी दीदी से पूछो, चलो गांव की ओर, वी.पी. ओ. के लिये सुझाव,पारिवारिक महिला लोक अदालत आदि।	महिला जागरुकता के लिये
राष्ट्रीय महिला आयोग-(भारत सरकार)	उषा किरण योजना	घरेलू हिंसा एवं स्वाभिमान की रक्षा
महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र. सरकार	अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन योजना	संतुलित पोषणीय विकास
महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र. सरकार	लाड़ली लक्ष्मी योजना	बालिका जन्म के प्रति सकारात्म सोच, लिंग अनुपात, शैक्षणिक स्तर स्वास्थ्य आदि में सुधार
महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र. सरकार	अन्न प्राशन , गोद भरई ,सबला, राष्ट्र किशोरी शक्ति, मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड,समेकित बाल विकास परियोजना।	महिला कुपोषण में कमी लाना एवं बालिकाओं को सुदृढ़ बनाना

****

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वर्तमान परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता

प्रो. रंजना रावत * प्रो. मनीषा सिसोदिया **

सारांशिका –प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा यहीं शिक्षा की गुणवत्ता एवं अधिकार है । **शब्दकुंजी** – गुणवत्ता ,अधिकार

प्रस्तावना :– किसी भी राष्ट्र के समाज के उच्चतम विकास में शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा अहम् होती है क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति व विकास को उसकी विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा के साथ जोड़कर ही परखा जाता है भारतीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रौदा का भी यही कहना है कि वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास, धन उत्पत्ति और संपन्नता की संचालक शक्ति सिर्फ शिक्षा को ही कहा जा सकता है।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व प्रबन्धन अर्थात् शिक्षा की जटिलता और अवधारणाओं को दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ व्यक्त करना क्योंकि शिक्षा एक ऐसा अभिकरण है जो समाज का निर्माण करती है एवं ऐसा सशक्त यंत्र है जो समाज में परिवर्तन की क्षमता रखती है व विद्यार्थियों में चारित्रिक दृढ़ता द्वारा विश्व पटल पर एक नई पहचान का सबब बनती है।

उच्च शिक्षा एक अवलोकन :– संख्या की दृष्टि से भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका व चीन के बाद तीसरे पायदान पर आती है लेकिन जहाँ तक गुणवत्ता की बात है दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भी भारत का कहीं स्थान नहीं है। हमारी आबादी में 25 वर्ष के युवाओं की संख्या 51% है जिसमें 12-14% ही उच्चशिक्षा अध्ययन हेतु सफल हो पाते है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार स्कूलों में पढ़ाई करने वाले 10 में से एक ही विद्यार्थी महाविद्यालय में अध्ययन हेतु पहूंच पाता है, अर्थात् उच्च शिक्षा में पंजीयन हेतु विद्यार्थियों का अनुपात 11: ही है। इस अनुपात को 15% तक ले जाने हेतु 2,26,410 करोड़ निवेश की आवश्यकता है परंतु 12 वी पंचवर्षीय योजना में यह निवेश 77,933 करोड़ का प्रावधान ही किया गया है।

नैसकॉम व मैकिन्से के शोधानुसार उच्चतर अध्ययन प्राप्त उपाधिधारको में 10 में से एक ही नौकरी पाने में सक्षम है वहीं NAAC की शोध बताती है कि भारत के 90 प्रतिशत महाविद्यालयों और 70 प्रतिशत विश्वविद्यालयों का स्तर अधोसंरचनात्मक रूप से बहुत कमजोर है वहीं भारतीय शिक्षण संस्थाओं में 15 से 20 प्रतिशत शिक्षकों का अभाव है। भारतीय विश्वविद्यालयों में औसत पांच से दस वर्षो में अपना पाठ्यक्रम परिवर्तित करते है जिसके कारण वे अपना मूल उद्देश्य पूरा करने में असमर्थ रहते है।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता :– शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने विगत वर्ष लालकिले की प्राचीर से देश को सम्बोधित करते हुये कहा कि हमारे कई स्कूलों/कॉलेजों में आज भी आधारभूत संरचनाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि ''शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है इस लक्ष्य को पाने के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा का व्यापक प्रभाव उच्च शिक्षा पर पड़ सकता है।

वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश में साढ़े छः सौ से अधिक विश्वविद्यालय व पन्द्रह हजार से अधिक महाविद्यालय है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह हिस्सेदारी 18% है जिसे 2030 तक 30% तक ले जाना संकल्पित है। प्रदेशों में यह आंकड़ा कम ही नहीं वरन् इसकी गुणात्मकता एवं एकरूपता का भी है, और देश व प्रदेश के शिक्षण संस्थान जिस तरह की उपाधियाँ दे रहे है उनमें कई विसंगतियाँ है, क्योंकि अधिकांश महाविद्यालयों में सुनियोजित शिक्षण व्यवस्था का अभाव है, अनेकों महाविद्यालयों में बुनियादी व मूलभूत आवश्कताएँ सीमित है, या न के बराबर है, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को संपूर्ण गुणवत्तापूर्ण व रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण व समानता आवश्यक है। कोठारी आयोग ने भी इस मत पर अपनी स्वीकरोक्ति दी है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में चलाये जा रहे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में समानता हो।

शिक्षाविदों के अनुसार आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी अनुरूप हमें शिक्षा को बनाना चाहिये।आज युवा वर्ग का रूझान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तरफ अधिक है। अतः हमारी शिक्षा पद्धति एवं शिक्षण प्रणाली में व्यापक सुधार अपेक्षित है। इसके लिये आवश्यकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नव प्रयोग न कर ऐसी शिक्षण विधियाँ व पाठ्यक्रमों का समावेश किया जायें जो विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार व रोजगारोन्मुखी हो। वर्तमान में प्रदेश में विकास प्रगति पर है फलस्वरूप उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि प्रदेश के महाविद्यालयों से ज्ञान प्राप्त कर विद्यार्थी अपना सुनहरा भविष्य बना सकें। इस हेतु रूढ़िगत पाठ्यक्रमों में सकारात्मक सुधार कर इसकी प्रासंगिकता को उपयोगी बनाया जायें। राज्यों में विकास के मुख्य आधार शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाकर प्रभाव शाली तरीकों से क्रियान्वित किये जाये इस हेतु मूलभूत आवश्यकताओं के साथ निम्न सुझावों पर भी विचार किया जा सकता है :–

- शिक्षा की गुणवत्ता को वर्तमान मुद्दों के साथ व्यवस्थित कर उसकी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना।
- परीक्षा व मूल्याकंन पद्धति में परिवर्तन।
- अधोसंरचनात्मक संसाधनों की पूर्णता।
- व्यावहारिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अनिवार्यतः समीक्षा।
- अध्ययन - अध्यापन हेतु तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था व शिक्षण सामग्री की उपलब्धता।
- एन.सी.सी. व एन.एस.एस. का पाठ्यक्रम में समावेश व अनिवार्यता।
- योग व शारीरिक शिक्षा का समावेश।
- खेलकूद, संगीत व कला को पाठ्यचर्चा में प्रमुखता।
- वैज्ञानिक शोध एवं अकादमिक वातावरण।
- सभी प्रकार के निर्णयों में विद्यार्थी सहभागिता।
- अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों का विकास।
- सामाजिक व नागरिक दायित्व का बोध व सकारात्मक वैचारिक स्वतंत्रता।

उपरोक्त मूलभूत संरचनाएँ एवं शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता की उपयोगिता निःसंदेह विद्यार्थियों की क्षमताओं में उभारने में सहायक होगी।

निष्कर्ष :– देश या प्रदेश को 2020 तक यदि सुपर पॉवर बनाना है तो

* & ** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ (म.प्र.) भारत

इसके लिये उच्च शिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है और यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सतत् परिवर्तनों द्वारा ही संभव है। हमें ज्ञान को दूसरों से लेना नहीं वरन् हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम स्वयं ज्ञानवान कैसे बने ?यूनेस्कों के अनुसार सभी विकासीय सूचकांकों में भारत शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम 15 देशों की सूची में आता है। वर्तमान में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने की अनुमति देने वाला विधेयक आया है उससे गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने में निश्चित रूप से आसानी होगी।

इस हेतु नेशनल कमीशन फॉर हायर ऐजुकेशन एण्ड रिसर्च (एनसीएचईआर) प्रदेशों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशीप आधारित शिक्षा मॉडल का उपयोग कर उद्यमिता से इसे जोड़ा जाना व शोध के क्षेत्र में अधिक कार्य का किया जाना, वोकेशनल शिक्षा का उपयोग इत्यादि द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को अवश्यभावी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई भी छात्र अपनी रचनात्मकता को मारता है व भाग्य को अपना साथी मानकर परिस्थितियों को सहन करना सीख जाता है, इससे ऊर्जा व समय दोनों का ही अपव्यय होता है। वर्तमान युग की शिक्षा में गुणवता का सम्बन्ध औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं हैं बल्कि दूरस्थ शिक्षा, जीवन मूल्य और जीवन निर्माण की शिक्षा, समेकित शिक्षा, पर्यावरण, मानवाधिकार शिक्षा, आपदा प्रबन्धन शिक्षा, जीवन कौशल उन्नयन, शिक्षा स्वास्थ्य परिवार प्रबन्धन शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में गुणवता को प्रमुख रूप से शामिल किया जा रहा हैं। शिक्षा में संपूर्ण गुणवता प्रबन्धन एक नये युग की पहचान हैं क्योंकि गुणवता सुनिश्चित होने पर ही उसके परिणामों का लाभ किसी भी समाज या राष्ट्र को मिल सकता हैं व महाविद्यालयों में गुणवता की दृष्टि से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद् (नैक) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आई.सी.टी.ई. इत्यादि संस्थान अपनी अहम् भूमिका निभा रहे हैं। जो गुणवता नियामक एवं प्रमाणन स्वभावनुसार उच्च शिक्षा में गुणवता को सुनिश्चित करते हैं व मूल्यांकित करते हैं।

उपर्युक्त निष्कर्ष यह प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास कैरियर एव भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु गुणवता प्रबन्धन आवश्यक हैं जिससे भविष्य की अपार संभावनाओं को जीतने में विद्यार्थी वर्ग पूर्ण रूप से सक्षम बन सके।

सन्दर्भ सूची :-

- Mangnale, v.s. and Rajasekhara, m.p..(2011) Quality management in Indian Higher Education:Role of internal quality assurance cell(IQAC).
- NAAC(2005). Guideline for Re-Accrediation Banglore.
- मुखोपाध्याय, एम. (1989), दूरस्थ शिक्षा, एक स्वॉट विश्लेषण।
- ऐजुकेशनल टेक्नॉलॉजी : वार्षिक पुस्तिका (1988), नई दिल्ली
- ए.आई.ए.ई.टी प्रसाद, वी.एस. (2005) उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, बैंगलौर NAAC द्वारा प्रकाशन
- राज, टी. (2013) भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय फोर्ड फांउडेशन द्वारा प्रकाशित
- शेजवॉर, पी.सी. (1991), उच्च शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन,
- न्यू डारेक्शन फॉर इन्स्टीट्यूट रिसर्च, 71
- यादव, एस.पी. (2010) शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन के संदर्भ में विद्यालयों का मूल्यांकन

****

महिला सशक्तिकरण एवं वैधानिक प्रावधान

कु. अंशुल खरे *

महिला सशक्तिकरण का आशय :-

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनैजितक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता हो। महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई भारतवर्ष में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। भारत वर्ष की महिलायें अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी एवं उत्पीड़न ग्रसित है। हमारे देश में पुरूष एवं स्त्री के महत्व, स्थान और स्तर में काफी अंतर है। सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिवारिक स्तर पर औरत को पुरूष से हीन माना जाता रहा है। यह सोच समाज में परिलक्षित होता है इसके साथ ही पुरूष और स्त्री के बीच इस अंतर को पाटने के लिये भी सार्थक प्रयास होते रहे है। हमारे संविधान में महिलाओं और पुरूषों को समान अधिकार प्रदान किये साथ ही विशेष रियायतें एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था भी है वर्ष 2001 देश में ''महिला सशक्तिकरण वर्ष'' के रूप में मनाया गया इस आधार पर महिलाओं की क्षमता व कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा जागरूक करने के प्रयास किये गये किन्तु यह प्रयास महानगरों तक ही सीमित रहे। एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें इस चेतना से वंचित है फलत: भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा अब तक उपेक्षा का शिकार है।

सशक्तिकरण द्धारा महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत करना है हमारे देश में सामाजिक कुरीतियों बालबिवाह, दहेजप्रथा, बंधुआ मजदूरी, नशाखोरी आदि के प्रभाव से महिलायें आर्थिक व मानसिक दृष्टि से दबी रहती है गांव के परिवारों की आय में आज आधे से अधिक भाग महिलाओं का रहता है। परंतु उनके द्धारा किये गये कार्य को आर्थिक गतिविधि मानने के बजाय सामान्य पारिवारिक दायित्व माना जाता है। जबकि चूल्हा चौका, वर्तन के साथ-साथ पशुपालन, ईधन इकटठा करने, खेत खलिहान में काम करने जैसे उद्यम पर्यंत करती रहती है। परंतु इन सब कार्यो को उद्यम या व्यवसाय न मानकर पारिवारिक कार्य माना जाता है अर्थात् काम-धंधे में सक्रिय रहने पर भी महिलायें आर्थिक दृष्टि से पूर्णत: परावलम्बी है।

किसी भी समाज की स्थिति बदलने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहता है। महिला की आय परिवार में उपलब्ध कुल कृषि योग्य भूमि और शिक्षा आदि कृषि में उनकी भागीदारी को प्रभावित करती है। अत: महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ना बहुत जरूरी है। भारतवर्ष में 11 करोड़ से ज्यादा बालिकायें है। जिनमें 3 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे है। कृषि के क्षेत्र में लगी किशोरियों में 40 प्रतिशत वयस्क होने के पूर्व ही विवाहित हो जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 15 प्रतिशत तथा गैर कृषि क्षेत्र में 38 प्रतिशत है। यूनिसेफ के अनुसार भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 1 करोड़ लड़कियां जन्म लेती है जिनमें से 1/3 जन्म लेते ही दम तोड़ देती है। महिलाये शोषण व घरेलु हिंसा की शिकार भी होती है। मानव संसाधन मंत्रालय के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रति एक 54 वें मिनिट में एक महिला बलात्कार, 51वें मिनिट में छेडछाड, 26 वें मिनिट में दबसलूकी, 102 मिनिट में दहेज की बलिदेवी पर चढ़ती है। 1995 में पूरे देश में दहेज हत्या के 7305 मामले पंजीकृत हुये।

हमारे देश में 89 प्रतिशत महिलायें अपने पति के साथ रहती है लगभग 60 प्रतिशत महिलायें संयुक्त परिवार में रहती है इन महिलाओं को स्वत: निर्णय लेने की आजादी नहीं है। यदि स्वतंत्रता है तो खाना बनाने की या कुछ स्थिति में गहने व कपडे पहनने की महिलाओं का जीवन कष्टमय है। उन्हें केवल बच्चे पैदा करने की मशीन माना गया है। कम उम्र में शादी हो जाने से बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। हालांकि लड़को की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है। 1901 में यह अनुपात प्रति हजार की तुलना में 972 से घटकर 1981 में 934 हो गया जो 1991 में 927 हो गया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तरदप्रदेश में यह अनुपात और वृद्धि दर प्रदर्शित करता है। सत्ता में यह भागीदारी सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कारण है। इसमें ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति मिली है। उन्हें सम्मान और समानता का अधिकार मिला है। पंचायत राज्य अधिनियम ने भी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना ने भी विभिन्न रोजगार की परियोजनायें चलाने की जानकारी दी है। महिला उत्पीड़न को रोकने हेतु भी सख्त कानून बनाये गये है। सन् 2001 में महिला स्वयं सिद्ध कार्यक्रम'' बनाया गया इससे भी विकास हुआ है। वैश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियों पुनर्वास दिलाने हेतु ''स्वधार'' योजना शुरू की गई महिलाओं और बच्चों दोनों का आपस में अटूट रिश्ता है। अत: बच्चों के कल्याण के लिये भी प्रयास हो रहे है-

1. बिना किसी समर्थन के कठिन परिस्थिति में जीवन यापन कर रही महिलाओं को आश्रय, खाद्य, कपड़ा, जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
2. भावनात्मक समर्थन देना।
3. शिक्षा, जागरूकता, कौशल को बढ़ाना।
4. चिकित्सीय व कानूनन समर्थन देना।
5. तंगहाल महिलओं को हेल्प लाईन या अन्य सुविधा देना।
6. समर्थन व पुनर्वास हेतु अन्य सुविधा देना।

इस योजना से भी महिलाओं को काफी शक्ति मिली हैं एवं वे अपने आप को पूर्णत: असहाय न समझकर समाज की गति से मिला पाने में समर्थ हुई है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के सरकारी प्रयास :-

हमारे संविधान में घोणित व्यवस्थायें, धर्मशास्त्र और विभिन्न धर्मावलंबियों के मतो पर दृष्टि डाले अथवा प्राचीन परंपराओं को देखे या न्यायिक व्यवस्थाओं को देखें तो सभी ने महिलाओं और पुरूषों में समानता की बात को सिद्धांतत: स्वीकार किया है।

वास्तविक अर्थो में कहीं भी महिला की स्थिति समकक्ष नहीं दिखती स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्धारा इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये कल्याणकारी योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यो को संचालन किया गया। महिलाओं के विकास के लिये शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध

* सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र विभाग) शासकीय महिला महाविद्यालय नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

कराये गये ताकि वे अधिकारों वे दायित्वों के प्रति सजग होते हुये आर्थिक दृष्टि से स्वाबलंवन की ओर बढ़े।

संविधान में महिलाओं के लिये प्रावधान :-

अनुच्छेद 14	-	कानून के सक्षम समानता दिलाना।
अनुच्छेद 15 (3)	-	महिलाओं व बच्चों को विशेष सुविधा।
अनुच्छेद 16	-	बिना भेदभाव के नौकरी में समानता।
अनुच्छेद 19	-	समाज अभिव्यक्ति।
अनुच्छेद 21	-	प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित न करना।
अनुच्छेद 23, 24	-	नारी क्रय, विक्रय व बेगार पथा पर रोक लगाई।
अनुच्छेद 39 (घ)	-	समान कार्य, समान वेतन।
अनुच्छेद 243 (घ)	-	पंचायती राज्य व नगरीय संस्थायें में 73 वें व 74 वें संशोधन के माध्यम से महिला आरक्षण।
अनुच्छेद 47	-	कोषाहार जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकारी दायित्व
अनुच्छेद 330	-	84वें संशोधन द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण।
अनुच्छेद 332	-	84वें संशोधन द्वारा विधानसभा में महिला आरक्षण महिलाओं को समानता के अधिकारी दिलाने हेतु एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशेष अधिनियम की व्यवस्था की गई। जो इस प्रकार है :-

अधिनियम का विवरण उद्देश्य

01. बागान श्रम अधिनियम 1951	-	महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों को दूध पिलाने हेतु विशेष अवकाश
02. कर्मचारी राज्य बीमा विनियम अधिनियम 1952-	-	प्रसूति लाभ की दवा हेतु चिकित्सीय प्रमाण पत्र की तिथि से लागू होना।
03. खान अधिनियम 1952	-	भूमिगत खदानों में महिलाओं के नियोजन पर रोक
04. बिड़ी, सिगार कर्मकार अधिनियम 1966	-	महिला कर्मकारों के निर्धारित सीमा में होने पर शिशु सदनों की व्यवस्था।
05. ठेका श्रम अधि. 1970	-	महिलाओं को प्रात: 6 से शाम 7 बजे तक के बीच 9 घंटे बाद काम कराने को प्रतिबंध
06. चूना-पत्थर, लोहा-मैग्नीज	-	सलाहकार समितियों में महिला सदस्य की बीड़ी कर्मगाह उद्योगों पर अनिवार्य नियुक्ति।
07. बाल विवाह निशेध अधिनियम 1976	-	कम उम्र की बालिकाओं/बालकों की शादी पर पावंदी
08. स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध 1986	-	महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर प्रतिबंध अधिनियम।
09. वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986	-	महिलाओं को अनैतिक कार्यों में दुरूपयोग करने वालों पर प्रतिबंध
10. दहेज निषेध अधि. 1987	-	दहेज लेना-देना प्रतिबंध।
11. सती निषेध अधि. 1987	-	पति की मृत्यु पर जिंदा जलाने या सती होने पर प्रतिवंध
12. प्रसव पूर्ण निदान तकनीकि अधिनियम 1994	-	गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की जांच पर रोक।

महिलाओं हेतु विकास :-

योजनायें - महिलाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विशेष योजनों चलाई जा रही है -

वर्ष	योजना का नाम	उद्देश्य
1982	डवाकरा योजना	ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने एवं स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता पोषाहार और देखभाल की सेवा प्रदान करने
1987	न्यू माडल चरखा	ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर दिलाने एवं योजना प्रशिक्षण एवं अनुदान की व्यवस्था।
1989	नौराक प्रशिक्षण योजना	महिलाओं को दरी कालीन, चिकन, ब्लाक प्रिटिंग का प्रशिक्षण देकर आर्थिक गतिविधि में संलग्न करना।
1989	महिला समाख्या योजना	ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को समानता व सजगता हेतु उचित शिक्षा
1992	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य	शिशु एवं माताओं को पोषाहार उपलब्ध कराकर शिशु कार्यक्रम एवं मातृ मृत्यु दर पर रोक।
1992	किशोरी बालिका योजना	ग्रामीणगरीब परिवारों की बालिकाओं की उचित शिक्षा 1993 महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलओं में बचत की आदत डालना।
1993	राष्ट्रीय महिला कोष	गरीबी रेखाओं के नीचे की महिलाओं को उत्पादन के योजना लिये ऋण सुविधायें देना।
1994	राष्ट्रीय मातृत्व योजना	गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को प्रसूति हेतु आर्थिक सहायता।
1995	इंद्रा महिला योजना	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना
1996	ग्रामीण महिला विकास	ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना परियोजना
1997	राज्य राजेश्वरी बीमा	गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं आर महिलाओं को योजना विकलांगता की स्थिति में एक मुष्त आर्थिक सहायता।
1997	स्वास्थ्य सखी योजना	अनुसूचित जाति /जनजाति की महिलाओं को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का प्रशिक्षण।
1997	बालिका समृद्धि योजना	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली बालिका की मां को पोष्टिक आहार, बालिका की शिक्षा

1997	डबाकुआ योजना	कक्षा 10वीं तक शैक्षिक अनुदान देना।
1998	महिला स्वशक्ति योजना	महिलओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त करना।
2000	किशोरी शक्ति योजना	किशोरियों को सवास्थ्य व पोषण की उचित व्यवस्था का विकास करना।
2000	स्त्रीशक्ति पुरूस्कार	महिलाओं के अधिकारों के लिये संघर्ष करने वाली महिलाओं को राष्ट्रीय पुरूस्कार व प्रोत्साहन की विशेष योजना।
2001	महिला सशक्तिकरण वर्ष	महिलाओं के लिये विशेष योजनायें चालू की गई।

इस तरह यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिला और बाल कल्याण विभाग, स्वास्थ्य कल्याण विभाग, श्रम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि के द्वारा महिलाओं के लिये अनेक उपयोगी योजनायें व कार्यक्रम लागू किये गये जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनें। हमारे देश में महिलायें सदियों से घर की चार दीवारों में कैद होकर रही है। यद्यपि इसके अपवाद भी हो सकते है लेकिन महिलाओं के बारें में समाज का सोच दोयम दर्जे का रहा है। घर और बाहर महिलाओं के लिये जीवन संघर्षमय होता है।

आजादी के बाद देश में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये सरकारी प्रयास किये है। प्रथम पंचवर्षीय योजन से ही विकास प्रक्रिया में महिलाओं में समानता के प्रयास हुये है। इस संदर्भ में पहली चार योजनाओं में महिला शिक्षा को एवं उसके कल्याण को उच्च प्राथमिकता पर जोर दियागया तथा पांचवी व छठी योजना में नीतिकारों ने उसके समग्र विकास की नीति को अपनाया सातवीं योजना में सीधे तौर पर लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रयास किये गये आठवीं योजना में नीतिकारों के विचार परिवर्तित हुये एवं उन्होंने 'महिला सशक्तिकरण'' पर जोर दिया इसमें महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई तथा यह सिफारिश की गई कि महिलायें विकास के लाभों से वंचित न रहे नौवीं योजना में समस्त मंत्रालयों को निर्देश दिये गये कि उनके विभागों से कम से कम 30 प्रतिशत धनराशि व विकास का फायदा महिलाओं को मिले।

उपर्युक्त सरकारी प्रयासों, सामाजिक संगठनों की पहल और महिलाओं के मन में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति से राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय स्तर पर परिलक्षित होने लगा है। किन्तु सही मायनों में यदि महिलाओं का विकास करना है तो यह जरूरी है कि उनका आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना जो महिला उद्यम से ही संभव है।

सारांश :-

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये जो कानूनी प्रावधान किये गये है वे विश्व के किसी भी देश की तुलना में भारत में सर्वाधिक है। किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से समाज में महिलाओं की समस्याओं के तत्काल निवारण हेतु स्थानीय स्तर पर प्रयास आवश्यक है। महिलाओं में साक्षरता की वृद्धि करना इस दिशा में सार्थक प्रयास होगा। इस दिशा में राजस्थान की अलवर तहसील की ''ज्ञान शाला प्रोजक्ट'' का अनुकरण कर उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। महिला सशक्तिकरण द्वारा हम भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जा सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रबंध एवं उद्यमिता – श्री जी एस सुधा, रमेश बुक डिपों जयपुर।
2. उद्यमिता – सेडमेप – 1.16 ए अरेरा कालोनी भोपाल
3. प्रतियोगिता दर्पण।
4. भारतीय अर्थशास्त्र – श्री व्ही सी सिन्हा
5. यूनिफाईड समाजशास्त्र – डॉ. ध्रुव कुमार दीक्षित।
6. आधुनिक हिन्दी निबंध – भुवनेश्वरीचरण सक्सेन
7. समाज शास्त्र – साहित्य भवन गुप्ता एण्ड वर्मा।
8. डा. आशू रानी – महिला एवं विकास

****

भारत वर्ष का गौरवशाली अतीत व विज्ञान

डॉ.नितिन सहारिया* डॉ. सुरेश कुमार विमल **

वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिमी वैज्ञानिक पश्चिमी देशों को ही विज्ञान का जनक मानते चले आ रहे हैं। अपने ही देश के बौद्धिक संस्थानों और प्रचार माध्यमों ने भारतीय इतिहास को ग्लानी और आत्मनिंदा की दृष्टि से ही देखने की चेष्टा की है।

इसी कारण से हमारी वैज्ञानिक परम्परा, वैज्ञानिक दृष्टि और विज्ञान के क्षेत्र में हमारे ज्ञान को नकारने की कोशिश होती रही है। भारत वर्ष में सर्व साधारण लोगो में यह धारणा प्रचलित हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश की प्रथम किरण पश्चिम के आकाश में ही फूटी थी। पूर्व के आकाश में विज्ञान के क्षेत्र में अंधकार व्याप्त था। इस धारणा के कारण मात्र पश्चिम का अनुकरण करने की वृति देश में दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप हमारी कोई वैज्ञानिक परम्परा थी, विज्ञान दृष्टि थी इसका कोई ज्ञान न होने से आज विश्व में हमारी कोई भूमिका हो सकती हैं, इस विश्वास का अभाव आज चारों ओर दिखाई देता है।

देश में वीसवीं सदी में आचार्य प्रफुल्लचंद राय, बृजेन्द्रनाथ सील, जगदीश चंद्र बसु, राव साहब वझे, सी. वी. रमन, होमी जहांगीर भाभा, डॉ. ए. पी. जे. कलाम आदि वैज्ञानिको (विद्धानों) ने अपने गहन अध्ययन के द्धारा सिद्ध किया कि भारत मात्र धर्म दर्शन के क्षेत्र मे हीं नही अपितु विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी अग्रणी था।

इतना ही नहीं तो हमारे पूर्वजो ने विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय किया था जिसमें से उत्पन्न विज्ञान-दृष्टि के कारण विज्ञान का विकास जैव सृष्टि के अनुकूल व मंगलकारी रहने की दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसकी आवश्यकता आज का विश्व भी अनुभव कर रहा है।

इतिहास की गहराइयों में जाकर हम झॉंकते हैं तो जो दृश्य हमारे नेत्रों के सामने उभरता है वह यह कि भारत सदियों से विश्व में मानव जाति के लिए प्रेरणा का केन्द्र रहा हैं। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने 'कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम्' अर्थात सम्पूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनायेगें और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' सम्पुर्ण वसुधा एक कुटुम्ब है, कि उदात्त भावना लें सम्पुर्ण विश्व में संचार किया तथा विश्व की सुख, समृद्धि हेतु कला, कौशल तथा दर्शन का अवदान दिया। इसी कारण भारत प्राचीन काल से जागद् गुरू कहलाता रहा, जिसकी झलक पाश्चात्य चिंतक मार्क ट्वेन के निम्न वक्तव्य में दिखाई देती हैं। -

''भारत उपासना पंथो की भूमि, मानव जाति का पालन, भाषा की जन्म भूमि, इतिहास की माता, पुराणों की दादी एवं परम्परा की परदादी है। मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान एवं सृजनशील सामग्री हैं, उसका भंडार अकेले भारत में हैं। यह ऐसी भूमि है जिसके दर्शन के लिए सब ललायित रहते हैं और एक बार उसकी हल्की सी झलक मिल जायें तो दुनिया के अन्य सारे दृश्यों के बदले में भी वे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे।''

एक प्रसिद्ध स्विस लेखक बजोरन लेण्डस्ट्राम, जिसने पुरातन मिस्त्रियों से लेकर अमेरिका की खोज तक 3000 वर्ष की साहसी यात्राओं और महान खोज कर्ताओं की गाथा का अध्ययन किया, अपनी पुस्तक 'भारत की खोज' में लिखता हैं - 'मार्ग और साधन कई थें, परंतु उद्देश्य सदा एक ही रहा - प्रसिद्ध भारत भूमि पर पहुंचने का जो देश सोना, चॉदी, कीमती मणियों और रत्नों, मोहक खाद्यों, मसालों, कपड़ों से लबालब भरा पड़ा था।'' सन् 1750 तक विश्व में उत्पादन के मामलो में भारत की क्या स्थिति थी, इसका हम विचार करें तों सेम्युअल हंटिंग्टन द्वारा लिखित पुस्तक 'दी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन' में जो तुलनात्मक चार्ट दिया हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि 1750 में भारत का उत्पादन समूचे युरोप और सोवियत संघ से अधिक था। भारत का 24.5 प्रतिशत् था, जबकि यूरोप का 18.2 प्रतिशत् तथा सोवियत् संघ का 5.0 प्रतिशत् था। बजोरन लेण्डस्ट्राम से ही मिलते-जुलते अनुभव अनेक चिंतकों, शोधको यथा हीगल गैलवेनो, मार्कोपोलो आदि के हैं। इसी के कारण सदियों से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता रहा हैं।

भारत वर्ष की आने वाली पीढी में अपनी परंपरा, संस्कृति और इतिहास के प्रति गौरव का भाव न रहें, इस हेतु 1835 में लार्ड थॉमस बॉबिंग्टन मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। और जो पाठ्यक्रम बना, जो पुस्तकें बनीं, उनमें किसी भी विषय में विशेषकर विज्ञान के क्षेत्र में भारत का कोई अवदान हैं, इस प्रकार का संदर्भ नहीं आने दिया गया। उन्होंने शिक्षा को यहॉ की जड़ो से काटने का प्रयत्न किया। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी वही पाठ्यक्रम जारी रहे जो विश्व में यूरोपिय देशों की देन को अभिव्यक्त करने वाले थे। इस प्रकार से परिणामत: राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्थान पर पाश्चात्य अनुकरण की, दासतां की मनोवृत्ति चारों ओर दिखाई देती हैं।

भारतीय समाज में आत्मविश्वास के अभाव की स्थिति जानने के लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम के दो अनुभव सहायक होंगें। डॉ. कलाम की ऑंखो में एक समर्थ एवं विकसित भारत का सपना है। इसे उन्होंने अपनी पुस्तक ''इंडिया टू थाउजेंड टवेंटी : ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम '' में व्यक्त करते हुये लिखते है कि - 'मेरे कमरे में दीवाल पर एक बहुरंगी कैलेण्डर टंगा हैं। यह सुन्दर कैलेण्डर जर्मनी में छपा हैं तथा इसमें आकाशस्थ उपग्रहों द्वारा यूरोप और अफ्रीका के खीचें गये चित्र अंकित हैं। कोई भी व्यक्ति इन चित्रों को देखता हैं तो प्रभावित होता हैं। परंतु जब उसे यह बताया जाता हैं कि जो चित्र इसमें छपे हैं, वे भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह ने खीचें हैं तो उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव उभरते हैं। और वे तब तक शांत नहीं होते जब तक उस कैलेण्डर में नीचे उक्त कम्पनी द्धारा भारतीय दूर संवेदी उपग्रह द्धारा खीचे गये चित्रों की प्राप्ति का कृतज्ञता ज्ञापन वे नहीं पढ़ लेते।''

ब्रिटीश लोग कोनग्रेव्ह के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, पर हम कुछ नहीं जानते उन महान इंजीनियरो के बारे में जिन्होने टीपू की सेना के लिए रॉकेट बनाया। इसका कारण यह है कि विदेशीयत के प्रभाव और अपने बारे में हीनता बोध की मानसिक ग्रंथि से देश के बुद्धिमान लोग ग्रस्त हैं। और यह मानसिकता देश के लिए सबसे बड़ी बाधा है।'' इस चित्र को बदलना है तो हीनता बोध की ग्रंथि से मुक्त होना होगा। दूसरे के सहारे कोई महान् नहीं बनता।

पश्चिम में प्रायोगिक विज्ञान का प्रारंभ साधारणत: 450 वर्ष पूर्व गेलीलियों से माना जाता है। उसके पूर्व कोपरनिकस ने यह वैज्ञानिक मान्यता स्थापित की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके आसपास चक्कर लगाती है परंतु उस समय साधारण समाज की धारणा, मानसिकता, कैसी थी कि उस

* अतिथि विद्वान, शासकीय महाविद्यालय कोतमा, अनूपपुर (म.प्र.) भारत ** अतिथि विद्वान, शासकीय महाविद्यालय भैंसदेही बैतूल (म.प्र.) भारत

समय जीवन के किसी भी प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में अरस्तु प्रमाण था। कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या खड़ी हुई तो इस संदर्भ में अरस्तु ने क्या कहा, यह खोजने की एक सामान्य प्रवृत्ति थी। एक बार लंदन में किसी हॉल में बैठकर कुछ विद्धान परस्पर विचार विमर्श कर रहे थे। विचार विमर्श का विषय था, घोडे के मुंह में कितने दाँत होते है ? अलग-अलग विद्धान अलग-अलग संख्या बता रहे थे। एक विद्धान बोला देखा जाय कि घोड़े के दाँत के विषय में अरस्तु ने क्या कहा है ? इसी बीच यह चर्चा सुनने वाला एक युवक उठा और घोड़े को लाकर सामने खड़ा कर विद्धानों से कहा कि अरस्तु को क्यों परेशान करते हों ? यह घोड़ा खड़ा है, इसके दांत गिनकर निर्णय कर लीजिए।

गैलीलियों के पहले सारे यूरोप में मान्यता थी कि भारी वजन वाली वस्तु हल्की वजन वाली वस्तु से अधिक वेग से गिरेगी, क्योंकि अरस्तु ने कहा था। गैलीलियो ने इस मान्यता को चुनौती दी। जिस दिन गैलीलियों अपनी बात को प्रयोग द्धारा सिद्ध करने वाला था, उस दिन पीसा की प्रसिद्ध मीनार के पाास सारा नगर उमड़ पड़ा। गैलीलियों मीनार पर चढ़ा, एक और दस पौंड वजन के दोनों पत्थर एक साथ छोड़े और आश्चर्य चकित लोगों ने देखा, दोनो पत्थर एक साथ जमीन पर गिरे। प्रत्यक्ष दर्शियों की प्रतिक्रिया थी, गैलीलियों जरुर काला जादू जानता है, अन्यथा अरस्तु कभी गलत हो सकते हैं ?

अंग्रेज स्वयं को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं परंतु वे जब हिन्दुस्तान आये तो उन्होने कभी रुई नहीं देखी थी। उन्हें तो ज्ञान था कि ऊन भेड़ पर होती है और उससे वस्त्र बुनते हैं। अत: वे कहते थें कि यह हिन्दुस्तानी बड़ा चालाक हैं। यह ऊन जो भेड़ पर होना चाहिए, वह यह पेड़ पर उगाता हैं। ये तथ्य यूरोपीय मानसिकता व प्रयोगशीलता के प्रति उनकी दृष्टि को बताते हैं।

जब हम वेद, उपनिषद्, ब्राम्हण, आरण्यक, पुराण, महाभारत, रामायण, आदि भारत का प्राचीन साहित्य पढ़ते हैं, जो उसमें वर्णित कुछ घटनाएँ वैज्ञानिक विकास का आभास देतीं हैं। जैसे उपनिषद में वर्णित घटना कि उपमन्यु की नेत्र ज्योति जाती हैं तो अश्विनी कुमार उसे पुन: ज्योति देते हैं। षाण्डिली के पति की मृत्यु पर अनुसूर्या उसे पुन: जीवित करती हैं। च्यवन ऋषि का वार्धक्य अश्विनी कुमार दूर करते हैं। रावण द्वारा विभिन्न भौतिक शक्तियों पर नियंत्रण, त्रिपुरासुर के तीन नगर जमींन, आसमान व जल पर गतिमान होते थे, पौलुमी आकाशस्थ नगर वासी असुरों से अर्जुन का युद्ध, विभिन्न देवताओं के अंतरिक्ष यान, दिव्यास्त्रों का वर्णन, रामायण मे इच्छानुसार चलने वाला पुष्पक विमान आदि पढ़ते हैं तो चित्र एक विकसित सभ्यता का उभरता हैं।

महर्षि भृगु अपनी 'भृगु सहिंता' में दस शास्त्रों का उल्लेख करते हैं:- (1) कृषि शास्त्र (2) जल शास्त्र (3) खनि शास्त्र (4) नौका शास्त्र (5) रथ शास्त्र (6) अग्नियान शास्त्र (7) वेश्म शास्त्र (8) प्राकार शास्त्र (9) नगर रचना (10) यंत्र शास्त्र। इसके अतिरिक्त 32 प्रकार की विद्याएँ तथा 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख आता है। इनमें धातु ,वस्त्र,स्वास्थ्य, कृषि ,बांध,वन रोपणी ,युद्धशास्त्र ,पुल बनाना मुद्रा शास्त्र, नौका, रथ, विमान, नगर रचना ग्रह निर्माण , जीवशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र भोजन बनाना, बाल संगोपन, राज्य संचालन, अमोद-प्रमोद आदि विषय सूची को देखकर लगता है, इनकी परिधि संपूर्ण जीवन को व्याप्त करने वाली थी।

धातु विज्ञान - धातु विज्ञान का भारत में प्राचीन काल से व्यवहारिक जीवन में उपयोग होता रहा है। यजुर्वेद के एक मंत्र में निम्न उल्लेख किया गया है - ''अश्मा च में मृत्तिका च में गिरयश्नच में सिकताश्नच में वनस्पतयश्नच में हिरण्यं च मेऽयश्नच में श्यामं च में लोहं च में सीसचमे त्रपुचमे यज्ञेन कल्पन्ताम्'' अर्थात मेरे पत्थर ,मिट्टी ,पर्वत,गिरि,बालू,वनस्पति, सुवर्ण, लोहा, लाल लोहा, ताम्र,सीसा और टिन यज्ञ से बढ़े। रामायण, महाभारत, पुराणों, श्रुति ग्रंथों में भी सोना (सुवर्ण,हिरण्य,) लोहा, (स्याम) ,टिन (त्रपु) ,चांदी(रजत), सीसा, तांबा(ताम्र), कांसा आदि का उल्लेख आता है। चरक सुश्रुत ,नागार्जुन में स्वर्ण, रजत , ताम्र, लोह, अभ्रक, पारा आदि से औषधियां बनाने की विधि का विस्तार से अपने ग्रंथो में वर्णन किया है।

धर्मपाल ने अपनी पुस्तक- ''इंडियन सांईस एण्ड टेक्नालॉजी इन ऐटिथ सेंचुरी'' में यूरोपिय लोगों ने जो प्रगत लौह उद्योग के प्रमाण दिये हैं। उनका उल्लेख किया हैं। सितम्बर 1795 को बेंजामिन ह्वायन ने जो रिर्पोट ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भेजी, उसमे वह उल्लेख करता हैं कि -'' रामनाथ पेठ (तत्कालीन मद्रास प्रान्त में बसा) एक सुंदर बसा गांव हैं। यहाँ आसपास खदानें हैं। तथा 40 इस्पात की भट्टियॉ हैं। इन भट्टियों में इस्पात निर्माण के बाद उसकी कीमत 2 रू. मन पड़ती हैं। अत: कम्पनी को इस दिशा में सोचना चाहिए।''

दूसरी रिपोर्ट मेजर फैं कलिन की है जिसमें वह सेंट्रल इंडिया में इस्पात निर्माण के बारे में लिखता हैं कि-'' जबलपुर, पन्ना, सागर आदि स्थानों में लोह खदानें है तथा चारकोल सारे हिन्दुस्तान में लोहा बनाने के काम में प्रयुक्त होता हैं। जिस भट्टी (फरनेस) में लोहा निर्माण किया जाता हैं उसमें सभी भाग बराबर औसत 19-20'' cubit (लम्बाईं मापने की प्राचीन इकाई लगभग 18 इंच इसका माप था) के और 16'' छोटी cubit के थे। 30 अप्रैल 1827 से इस्पात बनाने की प्रक्रिया तथा मात्रा का निरीक्षण 6 जून 1827 तक किया गया। इस बीच 4 फरनेस से 223 1/2 मन स्पात बना और इसकी विशेषता गुणवत्ता तथा विभिन्न तापमान एवं परिस्थिति में श्रेष्ठता की वह मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हैं।'' उस समय एक मन इस्पात की कीमत 11 3/4 आना थी। 31 1/4 मन=1 इंग्लिश टन।

मेजर जेम्स फ्रेकलिन सागर मिंट के कप्तान प्रेसग्रेव का हवाला देते हुए कहता है कि-'भारत का सरिया (लोहा) श्रेष्ठ स्तर का है। उस स्वीडन के लोहे को भी वह मात देता है। जिसका लोहा यूरोप में उस समय सर्व श्रेष्ठ माना जाता था।

तीसरी रिपोर्ट केप्टन जे. कैम्पबेल की है जो 1842 की है। इसमें दक्षिण भारत मे लोह निमार्ण का वर्णर्न है। ये सब रिपोर्ट कहती हैं कि उस समय देश मे हजारों छोटी-छोटी इस्पात निर्माण की भट्टियॉं थी। एक भट्टी मे 9 लोगों को रोजगार मिलता था तथा उत्कृष्ट प्रकार का सस्ता लोहा बनता था। इंग्लैड का बढ़िया लोहा भी भारत के घटिया लोहे का मुकाबला नहीं कर सकता। उस समय 90 हजार लोग इन भट्टियों में काम करते थे। अंग्रेजों ने बड़े कारखाने लगाकर स्वदेशी प्रौद्योगिकी की कमर तोड़ दी। अंग्रेजों ने बड़े कारखाने लगाकर, कुटीर उद्यौगो पर टैक्स लगाकर भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी की कमर तोड़ दी। आज झारखण्ड के कुछ वनवासी परिवारों मे इस तकनीक के नमूने मात्र रह गये है।

प्रो. राजेंद्र सिंह अपने ग्रंथ ''भारतीय ज्ञान विज्ञान की संसार को देन'' में भारत के गौरव शाली अतीत का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि-''800 वर्ष पूर्व भारत लोहे के लिए प्रसिद्ध था। जब पुरु और सिकन्दर की भेंट हुई और उनकी दोस्ती हुई तो सिकन्दर ने पुरू से भेंट मांगी। उसने कहा कि हमें भेंट में भारत वर्ष का लोहा, भारत वर्ष का स्टील दें दीजिए। इतना ही नहीं हिन्दुस्तान और विदेशों की पुस्तकों में लिखा हैं कि विदेशों में जब आपस में लड़ाई होती थी और जब एक-दूसरे को ललकारते थे तो कहते थें 'खबरदार! मेरी शमशीर, यह मेरी तलवार, यह भारत वर्ष के इस्पात से

बनी हुई हैं। यह तेरे सिर को धड़ से उतार देगी। ''यदि यह टेक्नोलॉजी नहीं हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी क्या चीज हैं।!''

नई दिल्ली में कुतुबमीनार के पास स्थित लौह स्तम्भ (विष्णु स्तम्भ) विश्व के धातु विज्ञानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है। लगभग 1600 से अधिक वर्षो से यह खुले आसमान के नीचे सर्दियो से सभी मौसमों में अविचल खड़ा है। इतने वर्षो मे आज तक उसमे जंग नही लगा यह बात दुनियॉं के लिए आश्चर्य का विषय है। जहॉं तक इस स्तम्भ के इतिहास का प्रश्न है यह चौथी सदी मे बना था। इस स्तम्भ पर संस्कृत मे जो खुदा हुआ है उसके अनुसार इसे ध्वज स्तंभ के रुप में खड़ा किया गया था।

चन्द्रराज द्धारा में मथुरा में विष्णु पहाडी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे ध्वज स्तंभ के रुप में खड़ा किया गया था। इस पर गरुड स्थापित करने हेतु इसे बनाया गया होगा अत: इसे गरुड स्तंभ भी कहते है। 1050 मे यह स्तंभ दिल्ली के संस्थापक अनगंपाल द्धारा लाया गया। 1961 मे इसके रासायनिक परिक्षण से पता लगा कि यह स्तंभ आश्चर्य जनक रुप के शुद्ध इस्पात का बना है। तथा आज के इस्पात की तुलना में इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम है ।

यूरोप में 17वी सदी तक पारा क्या है, यह वे जानते नही थें। अत: फ्रांस सरकार के दस्तावेजों में इसे दूसरी तरह की चांदी 'क्विक सिल्वर' कहा गया है। भारत वर्ष मे हजारों वर्षो से पारे को जानते ही नहीं थे, अपितु इसका उपयोग औषधि विज्ञान में बड़े पैमाने पर होता था विदेशी लेखकों में सर्व प्रथम अलबरुनी ने, जो 11वी सदी में भारत मे लम्बे समय रहा, अपने ग्रंथ मे पारे को बनाने और उपयोग की विधि को विस्तार से लिखकर दुनिया को परिचित कराया।

1000 ई. सन् मे हुए नागार्जुन पारे से सोना बनाना जानते थे। आश्चर्य की बात यह है कि स्वर्ण में परिवर्तन को पारा ही चुना, अन्य कोई धातु नहीं चुनी। आज का विज्ञान कहता है कि धातुओं का निर्माण उनके परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या के आधार पर होता है। और यह आश्चर्य की बात है कि पारे मे 80 प्रोटॉन इलेक्टान तथा सोने मे 79 प्रोटॉन इलेक्टान होते हैं।

ए. डेल्मर अपने ग्रंथ- "A history of precious metals" - 1902 newyork में उल्लेख करता है कि - ''सिन्धु नदी के उद्‌गम स्थल पर दो आईस लैण्ड हैं।'' जिनका नाम Chryse & Agyre हैं और जहॉं स्वर्ण और रजत के कण वहॉ की सारी मिट्टी में प्राप्त होंते हैं।

ऋगवेद के छटें मण्डल के 61 वें सूक्त का सातवॉं मंत्र सरस्वती और सिंधु को हिरण्यवर्तनी कहता हैं। रामायण, महाभारत, श्री मद्भागवत, रघुवंश, कुमार संभव आदि ग्रंथो में सोने व चॉंदी का उल्लेख मिलता हैं। स्वर्ण की भस्म बना कर उसके औषधी उपयोग की परंपरा शताब्दियों से भारत में प्रचलित रही है। इसी प्रकार सोने, तॉबे तथा शीशे के उपयोग के संदर्भ-अथर्ववेद, रसतरंगिणी, रसायनसार, शुक्र नीति, आश्वालायान गृहयसूत्र, मनु स्मृति में मिलते हैं। रसरत्न समुच्चय ग्रंथ में अनेक धातुओं को भसम में बदलने की विधि तथा उनका रोगों के निदान में उपयोग विस्तार के साथ लिखा गया हैं। इससे ज्ञात होता हैं कि धातु विज्ञान भारत में प्राचीन काल से विकसित रहा और इसका मानव कल्याण के लिए उपयोग करने के लिए विविध विधियां भारत में विकसित की गईं।

प्रकाश की गति के संबंध में मैसूर विश्व विद्यालय के भौतिकी के प्राध्यापक प्रो. एल. शिवय्या ऋग्वेद के प्रथम मंडल में दो ऋचाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि -''मनो नयोडध्वन: सद्य एत्येक: सत्रा सूरो वस्व ईषे'' अर्थात् मन की तरह शीघ्र गामी जो सूर्य स्वर्गीय पथ पर अकेले जाते हैं। '' तरणिर्विश्रदर्शतो ज्योतिकृदसि सूर्य विश्रमाभासिरोचनम्'' अर्थात् हे सूर्य, तुम तीव्रगामी एवं सर्व सुंदर तथा प्रकाश के दाता और जगत् को प्रकाशित करने वाले हो ।

इन ऋचाओं के भाष्य में सायणाचार्य शीघ्रममन का वर्णन करते हुए एक श्लोक लिखते हैं जिसमें प्रकाश की गति का वर्णन है - योजनानां सहस्रे द्धे द्धेशते द्धेच योजने, एकेन निमिशार्धेन क्रममाण नमोऽस्तुते। अर्थात् आश्रे निमेश में 2202 योजन का मार्गक्रमण करने वाले प्रकाश तुम्हें नमस्कार हैं।

इसमें 1 योजन= 9 मील 160 गज

अर्थात 1 योजन= 9.11मील

1 दिन रात में = 810000 अर्ध निमेष

अत: 1 सेकेण्ड में= 9.41 अर्ध निमेष

इस प्रकार 2202 × 9.11= 20060.22 मील प्रति अर्ध निमेश तथा 20060.22×9.41=188766.67 मील प्रति सेंकण्ड आधुनिक विज्ञान को मान्य प्रकाश गति के यह अत्यधिक निकट है। उस समय रास्तें की माप योजन में होती थी। चार कोस का एक योजन होता था। और दो मील का एक कोस होता था।

वैदिक अख्यानों में वर्णन आता है। कि सर्वप्रथम ऋषि गृत्स्मद ने कपास का पेड बोया। और अपने इस प्रयोग से दस सेर कपास प्राप्त की। और लकडी की तकली बनाकर वस्त्र बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। प्रमोद कुमार दत्त भारतीय वस्त्रो के वैशिष्टय के संदर्भ में लिखते हैं कि -''नवीं शताब्दीं में दो अरब यात्री यहां आये। उन्होंने लिखा की भारतीय वस्त्र इतने असामान्य हैं कि ऐसे वस्त्र और कहीं नहीं देखे गये। इतना महीन तथा इतनी सफाई और सुन्दरता का वस्त्र बनता है। कि एक पूरा थान अंगूठी के अन्दर से निकाल लिया जाये।''

तेरहवीं सदी में आये मार्को पोलो ने तो अनूठी घोषणा की- '' विश्व के किसी भी कोने में प्राप्त सुदंर व बढ़िया सूती वस्त्र का निर्माण स्थल कोरोमण्डल और मछलीपट्टनम् के किनारे होगे।''

इन वस्त्रो की बारीकी और सफाई को लेकर कहानियॉं प्रचलित है। एक बार औरंगजेब की पुत्री दरबार में गई, तो औरंगजेब उसके वस्त्रों को देखकर बहुत खफा हुआ। और उसने कहा, नमाकूल! तेरे अंदर की शर्म हया कहा चली गई, जो दुनिया को तू अपने अंग दिखा रही है। उस पर उसकी पुत्री ने कहा, क्या करू अब्बाजान, यह वस्त्र जो पहना है, वह एक के ऊपर एक ऐसे सात बार तह करने के बाद पहना है।

सत्रहवीं सदी के मध्य भारत भ्रमण पर आने वाले फ्रांसीसी व्यापारी टेवर्नीयर सूती वस्त्रो का वर्णन करते हुए लिखता है कि - '' वे इतने सुंदर और हल्के है कि हाथ पर रखे तो पता भी नहीं लगता है। सूत की महीन कढाई मुश्किल से नजर आती है। ट्रेवर्नीयर अपने एक संस्मरण में लिखता है कि '' एक पर्शियन राजदूत भारत से वापस गया, तो उसने अपने सुल्तान को एक नारियल भेंट में दिया। दरबारियों को आश्चर्य हुआ कि सुल्तान को नारियल भेंट में दे रहा है। पर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उस नारियल को खोला तो उसमें से 30 यार्ड लम्बा मलमल का थान निकला।''

सर जोसेफ बेक को मिस्टर विहकीन्स ने ढाका की मलमल का एक टुकडा दिया। बेक कहते है कि यह विगत कुछ समय का वस्त्र की बारीकी का श्रेष्ठतम नमूना है। बेक ने स्वयं जो विश्लेषण, माप उस वस्त्र का निकालकर (इंडिया हाउस) लिखकर भेजा, वह निम्न प्रकार है। विलकीन्स द्धारा दिये गयें टुकडे का वजन 34.3 ग्रेन था। (एक पाउन्ड में 700 ग्रेन होते है। तथा 1 ग्राम में 15.5 ग्रेन होते है।) लम्बाई-5 गज 7 इंच थी। इसमें धागें 198 थें।

याने धागे की कुल लम्बाई - 1028.5 गज थी। अर्थात 1 ग्रेन में 29.98 गज धागा बना था। इसका मतलब है कि यह धागा 2425 काउंट का था। आज की आधुनिक तकनीक में भी धागा 500-600 काउंट से ज्यादा बारीक नहीं होता।

सर जी. बर्ड़बुड ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के अनुरोध पर एक पुस्तक लिखी थी-'दी इंडस्ट्रियल आर्टस ऑफ इंडिया' इसके पृष्ठ 83 पर वे लिखते है कि '' बताया जाता है कि जहाँगीर के काल में पंद्रह गज लंबी और एक गज चौड़ी ढाका की मलमल का वजन केवल 100 ग्राम होता था।'' इसी पुस्तक के पृष्ठ 95 पर लिखा है- ''अंग्रेज और अन्य यूरोपियन लेखकों ने तो यहाँ कि मलमल, सूती व रेशमी वस्त्रो को 'बुलबुल की ऑख' मयूर कंठ' 'चांद सितारें' 'बफ्ते हवा' 'बहता पानी' और 'संध्या की ओस' जैसी अनेक काव्य उपमायें दी हैं। सूती कपडे और मलमल का उत्पादन इग्लैड में क्रमश: 1772 तथा 1781 मे प्रारम्भ हुआ। ''

835 मे एडबर्ड़ बेब्ज ने लिखा है - ''अपने वस्त्र उद्योग में भारतियों ने प्रत्येक युग में अतुलित और अनुपमेय मानदण्ड बनाये रखा है। उनके कुछ मलमल के वस्त्र तो मानों मानवों के नहीं अपितु परियों और तितलियों द्धारा तैयार किये लगते है। ''

ऐसे कुटीर उद्योगों को अंग्रेजो ने षड़यंत्र पूर्वक नष्ट किया, जो अँगूठे उन्हें बनाते थे, उन्हे काट दिया गया। इंग्लैड ने पहले भारत की मलमल को रोकने का प्रयास किया, उसके ऊपर टैक्स लगाया अंत में यह कानून बना कि 200 कांउट की मलमल पहन कर घूमने पर जुर्माना होगा। देश आजाद होने के बाद आशथी, हम पुन: अपनी जडो से जुडेगें। जो ॲगूठे कटे वे वापस मिलेंगे पर आज भी पश्चिमी तकनीक के आभामंडल मे देश जी रहा है। इसे बदलने हेतु चिंतन की आवश्यकता है।

संदर्भ

- सुरेन्द्रनाथ गुप्त- सोने की चिडिया और लुटेरे अंग्रेज, पृ.10, ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली 1961।
- सेम्युअल हंटिंग्टन- दी क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन्स, पृ.86।
- डॉ. ए.पी. जे. कलाम- इंडिया 2020, पृ.27-28।
- स्वामी रंगनाथानंद- परिवर्तनशील समाज के लिए षास्वत मूल्य, पृ.194।
- डॉ. मुरलीमनोहर जोशी- भारत वर्ष मे विज्ञान व प्रोद्योगिकी की स्थिति, पृ.13, आर.एस. चितलांग्या फाउन्डेशन - कलकता।
- धर्मपाल- इंडियन सांइस एण्ड टेक्नॉलॉजी इन दी एटीन्थ सेन्चुरी, पृ.211-220-221-222-238-248।
- विज्ञान भारती- सांइस एण्ड टेक्नॉलॉजी इन एनषियेन्ट इंडिया, पृ.76-77,संकलन-विज्ञान भारती-मुंबई, 2002।
- रावा. सा. वझे -हिन्दी शिल्पशास्त्र,पृ.8-9।
- कृष्ण यजुर्वेद-4-7-5।
- पाथेय कण- भारतीय विज्ञान विशेषांक, पृ. 33।
- प्रो. राजेन्द्र सिंह- भारती ज्ञान विज्ञान की संसार को देन, पृ.15-16,लाकहित प्रकाशन-राजेन्द्र नगर, लखनऊ,2009।
- सुरेश लोनी- भारत में विज्ञान की उज्जवल परम्परा, पृ. 44-45-46, प्रकाशन - अर्चना प्रकाशन -दीनदयाल परिसर- भोपाल, 2008।
- ऋग्वेद- सायाण भाश्य, 1-71-9, 1-50-9।
- शिल्प संशोधन प्रतिष्ठान, नागपुर- ढाका मसलिन-पृ.5, मार्डन रिव्यु-जुलाई 1911।

****

महिलाओं की दशा एवं दिशा पर स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन

डॉ. रामकुमार चौकसे *

" Vivekanand was a spiritualist, a great creator and an inspired worker eor the moral and spiritual ameliovation oe India. Ie Raja Ram Mohan Roy, Keshav Chandra Sen and Gokhale believed in England's mission to India, Vivekanand like Dayananda and Gandhi, believed in India's message to west".

''रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात् उनके सार्वभौमिक उपदेशों को जगत् प्रचलित करने का पुनीत दायित्व नरेन्द्रदत्त ने निभाया।''1 '' रामकृष्ण परमहंस की मुत्यु के बाद विवेकानंद ने पांच वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण किया और जनता से प्राप्त भिक्षा पर गुजारा किया। इस अनुभव के फलस्वरूप उन्हें भारत में व्याप्त आश्चर्य चकित करने वाली विविधता के पीछे अंतर्निहित एकता का ज्ञान हुआ। उन्होंने भारतीय जनता की शक्ति को और उनकी कमजोरियों को समझा। ''2 इस निमित्त इन्होंने सन् 1896 में कलकत्ता के समीप बेलूर नामक स्थान पर रामकृश्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने कहा कि पष्चिम को भारत से बहुत कुछ सीखना है।

स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में धर्म तथा आध्यात्मिकता के बाद दूसरे स्थान महिला जीवन से संबंधित समस्याओं पर चिंतन को रखा है। आपने देश विदेशों में अपने भाषणों में महिलाओं की दशा और दिशा पर अनेक बार चर्चा की है आपने भारतीय समाज दर्शन का मूलाधार महिला की प्रतिष्ठा तथा उसके संस्कारों को सर्वोच्च स्थल बतलाया है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय महिला को संस्कृति का रसद तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की अनुक्रमणिका माना है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति का थर्मामीटर उस राष्ट्र की महिलाओं को माना जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि यदि हमने महिलाओं को योग्य और सामर्थवान बना दिया तो वे अपनी समस्याओं के हल स्वयं खोज लेंगी।

महिला और पुरूष समाज के अभिन्न अंग है समाज में महिला और पुरूष पंछी के दो पंखो की तरह हैं और यह कभी संभव नही है की कोई पंछी एक ही पंख से उड़ सके इसलिए महिलाओं को सक्षम , योग्य बनाने के साथ साथ समानता का अधिकार समाज में प्राप्त होना चाहिए।

स्वामी विवेकानंद का कहना था कि महिला और पुरूष एक ही जीवात्मा के अंश है फिर उनमें भेद भाव कैसा ? उन्होंनें शिकागो से अपने गुरू भाई हरिपद को एक पत्र में लिखा था ''हमारे शास्त्रो में लिखा है पुत्रियों का पुत्रो के समान सावधानी और ध्यान से शिक्षण तथा पालन होना चाहिए'' 3 स्वामी विवेकानंद ने महिला तथा पुरुष में किंचित ही भेद स्वीकार नही किया उन्होनें बतलाया कि हजारों वर्ष से भारत में महिलाओं का सम्पत्ति पर अधिकार था तथा पति की मृत्यु हो जाने के बाद वह सम्पत्ति की पूर्ण अधिकारिणी होती थी। स्वामी विवेकानंद ने समाज में समानता का आदर्श प्रस्तुत किया है वे मानते थे कि जब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृति रखेंगे तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता ।

महिलाओं के प्रति उनके मन में असीम श्रृद्धा थी। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सामाजिक जीवन का विश्लेषण कर पाया , दोष असामनताओं के कारण है उनके अनुसार लिंग, जाति , विद्या तथा इसी प्रकार के अन्य भेद नरक के द्वार है। हमारी संस्कृति स्वभाव पर आधारित है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का किसी भी कीमत पर अपमान नही करना चाहिए

मौके स्थान की श्रेष्ठता बतलाते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा ''भारत में महिला जीवन का आरंभ और अंत मातृत्व से ही होता है। 4 विश्व में माँ नाम से पवित्र और कोई नाम नही होता मातृत्व में ही स्वार्थ शून्यता , सहिष्णुता तथा क्षमाशीलता का भाव निहित है। 5 मातृत्व ईश्वर का दिव्य रूप है उन्होनों स्पश्ट कहा कि मातृत्व निष्चित ही पितृत्व से उच्च तथा महान् है उन्होनें मातृत्व को भारतीय इतिहास तथा सम्यता की महान देन माना है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज की तुलना अन्य देशों से करते हुए बतलाया कि भारत में महिला कहते ही मातृत्व का ध्यान आता है तथा पष्चिम देशों में पत्नि का।

स्वामी विवेकानंद महिला स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे चाहते थे कि महिलाओं को समाज में विभिन्न कार्य आगे आकर करना चाहिए आपका मानना था कि महिलाओं को घर की चार दिवारी के आतंकपूर्ण वातावरण से मुक्त तथा उन्हे शिक्षित किया जाना चाहिए। महिलाओं को शिक्षित किये जाने पर जोर देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा '' भारत वर्ष में केवल दस बारह प्रतिशत लोग ही शिक्षित है तो अनुमान होता है कि महिलाए एक भी प्रतिशत शिक्षित नही होंगी यदि ऐसे न होता तो देश की ऐसी दुर्दशा क्यों होती ?... शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान का उन्मेश हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी ?....... वर्तमान दशा में महिलाओं का प्रथम उद्धार करना होगा तभी तो भारत का कल्याण होगा ''6

स्वामी विवेकानंद ने मिस मार्गेट नोबल को हिन्दु धर्म की दीक्षा देकर भारत में महिला शिक्षा तथा उत्थान की जबाबदारी सौंपी जिन्हें आज हम भगिनी निवेदिता के नाम से जानते है स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता के बारे में स्वयं कहा था '' इनसे अधिक विश्वसनीय प्राणी कोई नही।''7 उस जमाने में भारत में बाल विवाह की कुप्रथा प्रचलित थी स्वामी विवेकानंद ने बाल विवाह की भर्त्सना की और कहा बाल विवाह से असामयिक संतानोत्पत्ति होती है अल्प आयु में संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्प आयु होती है उनकी दुर्बल और रोगी संताने देश में भिखारियों की संख्या बढानें का कारण बनती है।

आपने देश की दस वर्ष की उम्र में बच्चों को जन्म देने वाली बालिकाओं के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है आपका कहना था कि यह घोर पाप है बेचारी कन्याओं के साथ बड़ा अन्याय है कम आयु में विवाह मत करो उन्हे सुशिक्षित करों। स्वामी विवेकानंद ने प्राचीन इतिहास में महिलाओं के दिव्य तथा भव्य चित्रण का उल्लेख किया है ।

उन्होने भारतीय हिन्दू विवाह को एक पवित्र बंधन बतलाया है स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और भारत में महिलाओं के प्राचीन आदर्शो को आर्य ग्रंथो से उद्धत करते हुए उसे सहधर्मिणी बतलाया है जिसमें विवाह के अवसर पर पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाती है वे जीवन भर इस अग्नि में साथ

* प्राध्यापक, वाणिज्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत

आहूति देते हुए इकट्ठे प्रार्थना करते है यह अग्नि तब तक जलती रहती है जब तक वे साथ रहते है तथा किसी की भी मृत्यू होने पर उसके शरीर का दाह संस्कार भी इसी अग्नि से करते थे।[8] परन्तु कालांतर में इसमें परिवर्तन हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय इतिहास की आदर्श महिलाओं का अपने भाशणों में बार बार वर्णन किया है भारतीय स्त्री चरित्र को आदर्श मां सीता के चरित्र से उत्पन्न बतलाया है। ''मां सीता के चरित्र को पवित्र से पवित्रम बतलाया है।[9] आपने गार्गी को विश्व की श्रेष्ठतम बुद्धीमान महिला माना है। सावित्री को अध्यात्मिक शक्ति तथा निर्भीकता का स्वरूप बतलाया है तथा झांसी की रानी को शारीरिक क्षमता तथा बल की घोतक बतलाया है। संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई, मीराबाई आदि विदूषी महिलाओं की महान परम्परा भारत के इतिहास में अंकित है।

स्वामी विवेकानंद महिलाओं की उच्छंखलता के सर्वदा विरूद्ध थे। उनकी दृष्टि में सीता ही भारतीय नारी का आदर्श होना चाहिए उन्होने अपने व्याख्यान में कहा '' तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को छान डालो और में तुमसे नि:संकोच कहता हूँ कि तुम संसार के भावी साहित्य का मंथन कर सकते हो किन्तु उसमें तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नही निकाल सकोंगे सीता चरित्र अद्धितीय है यह चरित्र सदा के लिए एक बार ही चित्रित हुआ है ''[10] सीता माता के कारण लव-कुश जैसे पराक्रमी तथा आज्ञाकारी पुत्रों का उद्‌भव हुआ है। महिलाओं का उच्च सम्मान तथा गरिमा की अनुभूति विश्व के लोगो को तब हुई जब 11 सितम्बर 1893 को शिकागों में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में '' अमेरिका की बहनो तथा भाईयों '' कहकर सम्बोधित किया।

वस्तुत: यह हिन्दु समाज की महिलाओं तथा जनमानस के प्रति सम्मान की पहली अभिव्यक्ति थी। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है '' कि जब आक्सफोर्ड ,कैम्ब्रिज, हार्वड तथा येल जैसे विश्वविद्यालयों में महिलाओं का प्रवेश निषेध था उस समय भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं के प्रवेश द्वार खुले थे ''[11] स्वामी विवेकानंद ने बताया कि आर्यो तथा ईसाई (सेमेटिक) धर्माबलंबी लोगों के महिला संबंधी विचार परस्पर विपरीत है।

ईसाई लोग उपासना में महिलाओं की उपस्थिति को विघ्न स्वरूप मानते है यहाँ महिलाओं को किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य सम्पन्न करने का अधिकार नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ''आहार के लिए पक्षी मारना भी महिलाओं के लिए निषेध है''[12] जबकि आर्यो में सहधर्मिणी के बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं किया जाता था स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि '' पाश्चात्य नारी के कंधो पर कानूनी दृढ़ता से बने हुए बहुत से बोझ है जिनका हमारी नारियों को पता भी नही है।''[13] उन्होने बतलाया कि ईसाई धर्म में स्त्री को पुरूष के समान स्थान नही दिया जाता महान आर्यो तथा बौद्धों ने स्त्रियों को पुरूषों के समान दर्जा दिया है। उनमें धर्म तथा लिंग भेद नही था। वेदो और उपनिषदों में स्त्रियों को सर्वोत्तम सत्य की शिक्षा दी जाती थी। स्वामी विवेकानंद को भारतीय महिलाओं की उच्चतर स्थिति विश्व के अन्य स्थानों से श्रेश्ट लगी उन्होने कहा कि '' पाश्चात्य देशों में चचेरे भाई बहन में विवाह पूर्ण रूप से वैद्य है जबकि भारत में गैर कानूनी ही नही व्याभिचार जैसा एक महान् अपराध माना जाता है ।[14]

स्वामी विवेकानंद ने भारतीय तथा पाश्चात्य महिलाओं की समस्याओं एवं कष्टों का ऐतिहासिक अध्ययन कर तथा अनुभूति के आधार पर विष्लेशण किया है कि विशेषकर भारतीय महिलाओं की उत्तरोत्तर पतनोन्मुख दशा , पिछड़ापन, दुरावस्था से चिंतित पाया उन्होने बालविवाह को बंद करने तथा महिलाओं में शिक्षा को विकसित करने तथा महिलाओं को तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से मुक्त करने का आवाह्वन किया। स्वामी विवेकानंद कहते है कि भारत एक तेजस्वी राष्ट्र बने इसके लिए आवश्यक है कि महिलाएँ- लक्ष्मी सी सुंदर , सरस्वती सी पावन और भवानी सी पराक्रमी हों।

संदर्भ ग्रन्थ -

1- मार्डन इंडिया पॉलिटिकल थाट - व्ही.पी.वर्मा (पृ.क्र. 109)
2- भारतीय चिंतन परम्परा - के. दामोदरन (पृ.क्र. 372) 1982
3- प्रमुख राजनीतिक विचारक - डॉ . ओम नागपाल कमल प्रकाशन इन्दौर पेज 207
4- विवेकानंद साहित्य भाग 1 पृ.क्र. 309
5- विवेकानंद साहित्य भाग 1 पृ.क्र. 311
6- विवेकानंद साहित्य पृष्ठ खण्ड पृ . 37
7- रोमांरोलांकृत विवेकानंद अनुवादक सचिचदानन्द वात्सल्यपन '' अज्ञेय 'रघुवीर सहाय पेज 102
8- स्वामी विवेकानंद का इतिहास - दृष्टि डॉ. सतीश चंद्र मित्तल पेज न. 36
9- विवेकानंद साहित्य भाग दो पृ. 150
10- प्रमुख राजनीतिक विचारक डॉ. ओमनाथ पाल पेज 207
11- विवेकानंद साहित्य भाग 1 पृ. 32
12- स्वामी विवेकानंद का. इतिहास - दृष्टि डॉ. सतीश चंद्र मित्तल पेज न. 38
13- विवेकानंद साहित्य भाग 4 पृ 268
14- विवेकानंद साहित्य भाग 1 पृ. 308

****

संस्कृति और समाजीकरण-एक अध्ययन

सुभाषचंद्र कामदार *

समाज केवल मनुष्यों का ही नहीं होता बल्कि समस्त जीवधारी प्राणियों का होता है। समाज सामाजिक सम्बन्धों की व्यवस्था होता है।अत: समाज का निर्माण सामाजिक सम्बन्धों के द्धारा होता है। समाजिक सम्बन्ध जागरूकता या चेतन अवस्था में ही निर्मित होते है। अर्थात् सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण जागरूकता या चेतना की स्थिति में ही होता है। अत: स्पष्ट है जहाँ कहीं भी जागरूकता होगी वहाँ समाज का निर्माण होगा। चूँकि चेतन शक्ति या जागरूकता मात्र मनुष्यों में नहीं बल्किपशु कीडे-मकोड़ो आदि में भी पायी जाती है। अत: पशुओं और कीड़े-मकोड़ों का भी समाज होता है। एक गाय का बच्चा दूसरी गाय का दूध नहीं पीता, यही उनकी जागरूकता का प्रतीक है। पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े के समाज में प्रशासन एवं संगठन भी पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज केवल मनुष्यों का ही नहीं होता बल्किसमस्त जीवधारियों का होता है। इस सम्बंध में सर्वश्री मैकाइवर और पेज का कथन है कि 'जहाँ जीवन है वहाँ समाज है' यह बात अवश्य है कि मानव समाज में संस्कृति होती है तथा मनुष्य अधिक चेतन शक्ति रखते है। मनुष्यों में वार्तालाप करने की शक्ति होती है। अत: समाजशास्त्र में मानवीय समाज का अध्ययन किया जाता है।

सामान्य संस्कृति और सभ्यता को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इन दोनों धारणाओं को अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, यहा तक कि दोनों को पृथक करकेसमझने में अत्यन्त कठिनाई होती है क्योंकि सभ्यता संस्कृति की वाहकहोती है तथा संस्कृति सभ्यता की दिग्दर्शक।संस्कृति और सभ्यता की घनिष्ठता के सम्बन्ध में श्री अल्फ्रेड वेबर का कथन है कि 'सभ्यता का तात्पर्य उस संस्कृति संकुल से होता है जो विभिन्न समाजों की प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताओं से निर्मित होते है।'

इतनी घनिष्ठता होने पर भी संस्कृति और सभ्यता को एक नहीं कहा जा सकता, दोनों धारणाऐं पृथक-पृथक होती है। संस्कृति का सम्बन्ध शिष्टाचार और मस्तिष्क के प्रशिक्षण से होता है, जबकि सम्बन्ध का तात्पर्य कला व विज्ञान की विकसित दशाओं से होता है।

संस्कृति मानव समाज की अत्यंत मूल्यवान निधि होती है। जिस मानव के पास संस्कृति नहीं, पशु तुल्य होता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह एक हाडमान्स का लोथडा होता है, जिसे जैविकीय प्राणी कहा जाता है। जैवैकीय प्राणी से सर्वप्रथम मानव एक सांस्कृतिक प्राणी बनता है। सांस्कृतिक प्राणी के रूप में ही मानव विभिन्न संस्कारों के माध्यम से परिष्कृत होते हुए मानवीय गुणों का विकास करता है। इस प्रकार संस्कृति के द्धारा ही व्यक्तिअपना परिष्कार करते हुए जैविकीय प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनता है क्योंकि संस्कृति के द्धारा ही सामाजीकरण ओर मानवीकरण होता है। जनसाधारण में प्रचलित विचार के अनुसार संस्कृति मानव व्यवहार के अंतर्गत पायी जाने वाली सभ्यता है अर्थात् संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है।

संस्कृति का सम्बंध मानव जीवन के समस्त पक्षों से होता है। प्रत्येक समाज में जीवन-यापन करने के अपने अलग-अलग ढंग, तौर-तरीके के, रीति-रिवाज, रहन-सहन एवं विधि-विधान पाये जाते है जिन्हें संस्कृति के ही रूप में जाना जाता है। समाज, संस्कृति और व्यक्ति, मानव व्यवहार के तीन मुख्य आधार है तथा ये तीनों अन्योन्याश्रित होते है। व्यक्ति में समाज और संस्कृति दोनों समाहित रहते है। मानव व्यवहार एक ओर समूहों से प्रभावित होता है तो दूसरी और संस्कृति से समाज वस्तुत: संस्कृति का आधार है क्योंकि समाज से ही संस्कृति, पनपति है और सामाजीकता संस्कृति का एक आधार संस्कृति है क्योंकि संस्कृति के अनुरूप ही मानव समाज में व्यवहार करता है। संस्कृति के द्धारा ही समाज का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार मानव में संस्कृति समाज से परे है और समाज संस्कृति से परे है।अत एव स्पष्ट है संस्कृति और समाज में अत्यंत घनिष्ट सम्बंध है।

संस्कृति समाज में मानव जीवन की विधि है और समाज में इन जीवन विधियों का पालन करते हुए व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। इस सम्बंध में हर्सकोविट्स ने कहा है कि 'एक संस्कृति एक समाज विशेष के लोगों के जीवन-यापन का तरीका होती है जबकि एक समाज उन मानवों का एक संगठित समूह होता है जो एक विशेष प्रकार के जीवन-यापन के ढंग से स्वीकार करकेउसका अनुसरण करते है, समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है जबकि संस्कृति उनकी व्यवहार प्रणाली में निहित रहती है।

मानव का व्यक्तित्व जन्म से ही पूर्ण नहीं होता, क्योंकि मानव जब शिशु के रूप में जन्म लेता है तब वह मात्र रक्त, हाड़, मांस का लोथडा होता है। इस नवजात शिशु के पास न तो भाषा होती है, न समझ, न ही उसमें विचार शक्तिहोती है और न ही कोई नियम तथा संस्कृति। अत: उस समय न तो वह सामाजिकहोता है न असामाजिक, न ही इस प्रकार के किन्ही भी गुणों का विकास हुआ रहता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जन्म के समय बच्चा कुछ जैविकीय गुणों से युक्त एक जीवित प्राणी होता है जिसे एक जैविकीय प्राणी कहा जाता है। धीरे-धीरे यही जैविकीय प्राणी समाज और संस्कृति के मध्य पलते हुए सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि यह समाज ओर संस्कृति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों की सीखता है जिसके फलस्वरूप उसमें सामाजिक गुण स्पष्ट होने लगते है तथा वह अपनी सामाजिक प्रथाओं, परम्पराओं और रूढियों को समझने लगता है और उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करता है। इस प्रकार मनुष्य एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को सामाजीकरण कहते है।यह प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त निरन्तर चलती रहती है सामाजीकरण के द्धारा ही व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास होता है तथा वह मानवता सीखकर मनुष्य बनता है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत का सक्रिय सदस्य बनकर अपने व्यक्तित्व का उचित विकास करता है।अति संक्षेप में हम यह कह सकते है कि सामाजीकरण सामाजिक जीवन के ढंग को सिखने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। जो विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न साधनों, परिवार, पडोस, क्रीड़ा समूह, स्कूल आदि संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व में सामाजिक गुणों का विकास करती है। इस प्रक्रिया के द्धारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का उचित विकास करता है।

संदर्भ पुस्तकें-

1- समाजशास्त्र -डॉ. ए.जी. श्रीवास्तव
2- समाज शास्त्र -प्रो. एम. एल. गुप्ता व डॉ. डी.डी. शर्मा
3- समाज शास्त्र -डॉ. रवीन्द्रनाथमुकर्जी व डॉ. भरतअग्रवाल

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कन्या महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

Guideline for Authors/Research Scholars

* This is a national/international refereed **NAVEEN SHODH SANSAR** Research Journal for all subjects.
* The selection and publication of research paper are done after recommendation of referees and subject experts.
* Your research papers should be original and unpublished.
* The research papers should be written according to **RESEARCH METHODOLOGY**. Although this is a national/international registered research journal but in any case or circumstances if any university/college/ institute/society denies to accept or recognize author's/research scholar's published research papers in the journal, then it will not be the responsibility of editor, publisher, management, editorial board, referee or subject experts.
* The research papers should have bibliography, footnotes, references, suggestions and findings.
* Only one printed copy of research journal will be sent to the author. No extra or second copy for co-author will be sent but if anybody requires extra copy of issue then in that case individual has to give an amount of Rs. 400/- for each single issue.
* The titles of your research papers should be appropriate.
* If your research paper is not accepted in that case **NAVEEN SHODH SANSAR** will refund your amount without any interest rate within 90 days after rejection of paper.
* You can also send your Research Papers by Website & Email id.
* Authors/Researchers should sent hardcopy of research paper with copyright form at **NAVEEN SHODH SANSAR** official Address.

Double Blind Peer Review Policy

Review System: Every article is processed by a masked peer review of double blind or by three referees and edited accordingly before publication. The criteria used for the acceptance of article are: contemporary relevance, updated literature, logical analysis, relevance to the global problem, sound methodology, contribution to knowledge and fairly good command on language. Selection of articles will be purely based on the experts' views and opinion. Authors will be communicated within Two months from the date of receipt of the manuscript. The editorial office will endeavor to assist where necessary with English/Hindi language editing but authors are hereby requested to seek local editing assistance as far as possible before submission. Papers with immediate relevance would be considered for early publication. The possible expectations will be in the case of occasional invited papers and editorials, or where a partial or entire issue is devoted to a special theme under the guidance of a Guest /Advisor Editor.

Compulsory Guidelines for Research Scholar Lecturers and Professors

* Research paper should be typed in MS Word 2007.
* Paper should be typed in A4 Size paper with standard margins of (2 cm/0.787 inches in all four sides)
* Title of Research Paper should be typed in 14 Size font and Bold with Underline.
* Authors / Research Scholar Names with College Address should be typed in 12 Size Font and Bold.
* Line Space Between should be 1.0 line spaces.
* Reference should be in Vancouver style at End of the paper (Endnote).
* For HINDI and SANSKRIT papers, use only these fonts : Kruti Dev-10 (Font size : 12)
* For ENGLISH papers, use only these fonts : Arial (Font size : 10).

Naveen Shodh Sansar
(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
RNI No. - MPHIN28519/12/1/2012-TC
ISSN 2320 - 8767

COPYRIGHT AGREEMENT FORM:

(Photocopy of this form may be used)

For the submission of an research paper.

(mention Title of Manuscript): --

Name of Author :--

Name of Co-Author --

I hereby declare, on behalf of myself and my co-authors (if any), that:

[1] I/we have taken due care that the scientific knowledge and all other statements contained in the research paper conform to true facts and authentic formulae and will not, if followed precisely, be detrimental to the user.

[2] No responsibility is assumed by **NAVEEN SHODH SANSAR** and the Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR** , its staff or members or the editorial board for any injury and/or damage to persons or property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of any methods, products instruction, advertisements or ideas contained in a publication by **NAVEEN SHODH SANSAR** and by the Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR.**

[3] I/we permit the adaptation, preparation of derivative works, oral presentation or distribution, along with the commercial application of the work.

[4] The research paper contains no such material that may be unlawful, defamatory, or which would, if published, in any way whatsoever, violate the terms and conditions as laid down in the agreement.

[5] The research paper submitted is an original work of mine/ours and has neither been published in any other peer-reviewed journal/ news paper/magazine/periodical/book nor is under consideration for publication by any of them. Also, the research paper does not contravene any existing copyright or any other third party rights.

[6] I am/we are the sole author(s) of the research paper and maintain the authority to enter into this agreement and the granting of rights to The Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR** ,Neemuch India and this does not infringe any clause of this agreement.

COPYRIGHT TRANSFER

Copyright to the above work (including without limitation, the right to publish the work in whole, or in part, in any and all forms) is here by transferred to **NAVEEN SHODH SANSAR**, Neemuch and to the Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR**, Neemuch proprietary right other than copyright is proclaimed by **NAVEEN SHODH SANSAR** and the Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR.**

Under the Following Conditions: Attribution :(i) The services of the original author must be acknowledged; (ii). In case of reuse or distribution, the agreement conditions must be clarified to the user of this work; (iii) Any of these conditions can be ignored on the consent of the author.

SIGN HERE FOR COPYRIGHT AGREEMENT & COPY RIGHT TRANSFER AGREEMENT :

I hereby certify that I am authorized to sign this document either in my own right or as an agent of my employer, and have made no changes to the current valid document supplied by **NAVEEN SHODH SANSAR** and the Publisher of **NAVEEN SHODH SANSAR.**

Write Authors Name and Designation :--

Signature:---Date:-----------------------------------Place:--

Write Co-Authors Name and Designation :---

Signature:---Date:-----------------------------------Place:--

My/Our above name research paper is originally written by me/us and all information are true. I/we will fully responsible for this research paper.

Name: ---

College/ University :--Subject:--

Signature:---Date:-----------------------------------Place:--

Naveen Shodh Sansar
(An International Multidisciplinary Refereed Journal)
RNI No.-MPHIN28519/12/1/2012-TC
ISSN 2320 - 8767

MEMBERSHIP CUM AUTHOR'S BIO-DATA FORM

(Photocopy of this form may be used)

NAME (Author / Member) : Mr/Mrs/Ms/Prof/Dr : ....

NAME of of Co-Author(s) : ....

DESIGNATION : .... SUBJECT: ....

NAME OF College/University/Institution : ....

HOME / Official Address : ....

....

STATE : ....PIN : .... COUNTRY : ....

Tel. No. (Res. /Office) : ....MOB : ....

E-mail Address : ....

Sign....

1. MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper.
   * Institutions Rs. 1,200/- per annum (without publication of paper)
   * Membership for Author Rs. 700/- for 1 Year.
   * Membership for Co-Author Rs. 700/- for 1 Year.
   * Publication of paper each after membership Rs. 800/- (2000 Words)
2. For Remittances can pay printing amount through DD/Cheque in favor of **'NAVEEN SHODH SANSAR'** payable at Neemuch (M.P) and send it by Registered Post. Fill information regarding Demand Draft.

   D.D. No. : ....Amount .... Name of Bank ....Date : ....

   OR

   You can cash deposit / Online fund transfer on **NAVEEN SHODH SANSAR** Current A/c.

Bank Detail :-
NAVEEN SHODH SANSAR
Current A/c. no.:- 32768184328
Bank Name :- State Bank Of India
Branch :- Neemuch (M.P)
IFSC code:- SBIN0030055

Editor - Ashish Sharma
Add:- "Shri Shyam Bhawan"
795, Vikas Nagar Extension 14/2, Neemuch
(M.P) - 458441 Mob:- 09617239102
Email ID :- nssresearchjournal@gmail.com
Website :- www.nssresearchjournal.com

{All disputes are subject to exclusive jurisdiction of NEEMUCH Court Only (M.P.)}
Note- Copyright form & Author's Guide line are availble on our web-site

महिला सशक्तिकरण की प्रतीक प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्कले

प्राचार्य–शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.)

''भुखला त भुखला पर सुखला त हतें'' अर्थात, भूखे ही सही लेकिन सुख से तो हैं। घोर अभावों में सुख का अनुभूत करने वाली जनजातियों में 'आदिवासी' उपजाति बारेला पश्चिम निमाड़ मध्यप्रदेश की भीली जाति की एक उपजाति हैं। यह एक शान्ति प्रिय स्वाभिमानी एवं मेहनत कर अपना जीवन यापन करने वाली जाति हैं।

इसी आदिवासी जनजाति के चाटली ग्राम तहसील सेंधवा जिला बड़वानी पश्चिम निमाड़ के एक कृषक परिवार में डॉ. सुमित्रा वास्केल का जन्म हुआ। शाला में प्रवेश के दौरान उनकी शिक्षिका ने उनका जन्म 9 जुलाई 1956 अंकित किया था। घोर अभावों में इनका बचपन बीता। प्रारम्भिक शिक्षा कान्ता बहन त्यागी 'समाज सेविका' द्वारा स्थापित कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम निवाली में हुई। तत्पश्चात् स्नातक उपाधि शासकीय स्नातक महाविद्यालय, सेंधवा से प्राप्त की। स्नातक करने के पश्चात् टेलीफोन आपरेटर की नौकरी करते हुए डॉ. वास्केल ने आगे की उच्च शिक्षा भी जारी रखी। इसी दौरान 1982 में श्री उमरावसिंह वास्केल से विवाह हुआ। विवाह के पश्चात क्रमश: 1985 में हायर सेकेण्डरी लेक्चरर एवं 1987 में उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक हिन्दी विषय पद पर अपनी सेवाएँ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन में प्रदान की।

1992 में इनके पति श्री उमरावसिंह वास्केल का आकस्मिक निधन हो गया। इस घोर विपत्ति के समय डॉ. वास्केल ने अपने धैर्य को बनाये रखा एवं अपने दो बच्चों की परवरिश के साथ ही शासकीय सेवा कार्य पूरी निष्ठा से जारी रखा। ससुराल पक्ष एवं माता पक्ष का सम्बल मिलने से इनके जीवन में आया कठिन समय इन्हें डिगा नहीं सका, जीने की जीजिविशा के साथ समस्त विपत्तियों को दरकिनार करते हुए सम्पूर्ण ऊर्जा एवं सकारात्मक दृष्टिकोण लिये जीवन में आगे बढ़ती रही।

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन में सहायक प्राध्यापक 'हिन्दी' के रूप में पदस्थ हुई थी, और यही पर प्राध्यापक की पदोन्नति भी हुई। सन् 2010 में स्नातक प्राचार्य के रूप में शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन में पदोन्नत हुई। एक वर्ष पश्चात 2011 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन में प्राचार्य के पद पर स्थानान्तरण हो गया। तब से निरन्तर इसी महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में सेवाएं दे रही है। वर्तमान में स्नातकोत्तर प्राचार्य पद पर पदोन्नति भी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में ही हुई हैं।

शासकीय सेवा के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र चुना हैं । उनका मानना हैं कि अभी भी आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का अभाव हैं। समाज मेंअन्धविश्वास व्याप्त हैं, आदिवासी समाज देश की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया हैं। जितना सम्भव हो सके आप समाज के हित में कार्य करती रहती है। महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करती हैं। आपके प्रयास से निम्न आय वर्ग की कई महिलाओं ने न केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त किया बल्कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर शासकीय सेवा में भी कार्यरत हुई हैं। अपने निवास के आस–पास रहने वाले मजदूरों के बच्चों को अवकाश के दिन पढ़ाती है, जब भी अवसर मिलता हैं सुदूर आदिवासी अंचल में जाकर शिक्षा तथा पर्यावरण से वहाँ के जनजातीय लोगों को जोड़ने का अथक प्रयास करती है क्योंकि आप जानती हैं कि जनजातीय जीवन में प्राकृतिक संतुलन का महत्वपूर्ण स्थान जीविका के लिये होता हैं।

महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त उच्च शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि के लिए निरन्तर नवाचार करने का प्रयोग करती रहती हैं जिससे न केवल अध्ययनरत विद्यार्थी बल्कि कार्यालयीन स्टॉफ एवं शिक्षकगणों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होता हैं। अपने सहज व्यवहार से महाविद्यालय को एक पारिवारिक वातावरण में परिवर्तित कर दिया हैं जिससे विद्यार्थी, कार्यालयीन एवं शैक्षणिक स्टॉफ सभी उत्साह एवं पूर्ण निष्ठा से कार्य का निर्वहन कर श्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास करते है।

'नवीन शोध संसार' आपकी सेवाओं को सादर प्रणाम करता है एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है.

'अद्वितीय प्रतिभा के धनी'

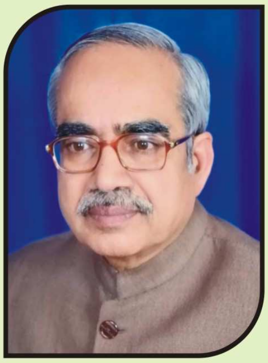

प्रो. डॉ. मोहनलाल छीपा

(कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी, हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल)

''कौन कहता है कि, आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों!''

यह कथन प्रो. डॉ. मोहन लाल छीपा पर चरितार्थ होता है। आपने अपनी मेहनत एवं प्रतिभा से जो कार्य किये है किसी आसमां में छेद करने से कम नहीं है। आपका जन्म आजादी के 3 वर्ष बाद 25 अगस्त 1950 में हुआ। बचपन से ही शिक्षा में अग्रणी रहे कक्षा में हमेशा अव्वल एवं विद्यालय के सभी शिक्षकों के चहेते रहे। अपने शिक्षण वर्षो में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। मगर अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया।

आपने बी.ए. आनर्स किया, फिर एम.ए. (अर्थशास्त्र) और फिर पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। देश में कई छात्रों को अच्छी शिक्षा ना मिलते देख आपने शिक्षा जगत को ही अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना और संकल्प लिया कि, जहां तक संभव हो सके आप छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने में प्रयासरत रहेंगे। इस संकल्प को पूरा करते हुए आपको शिक्षा जगत में 41 से अधिक वर्ष हो चुके है। जिसमें अध्यापन का 38 वर्ष का अनुभव एवं प्रशासकीय अनुभव (कुलपति के रूप में) 3 वर्षो का अनुभव सम्मिलित है।

आपने, अपने अब तक के कार्यकाल में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। 10 से अधिक संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन किया है। 50 से अधिक एम.फिल के छात्रों को शोध में निर्देशन दिया है। 20 से अधिक छात्रों को आपके शोध निर्देशन से ही पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त हुई है। आपकी इसी प्रतिभा को देखते हुए, आपको शैक्षणिक कार्य हेतु विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ जिसमें जर्मनी, इंग्लैण्ड, फ्रांस, नोर्वे, पोलेण्ड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन आदि देश शामिल है।

आपके शिक्षण कार्यो के प्रति समर्पण को देख कर कई शिक्षण मण्डल एवं संस्थानों के द्वारा आपको अध्यक्ष, आजीवन सदस्य एवं सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। जिसमें आप राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर, कोटा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, राजस्थान, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय मेरठ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी राजस्थान आदि में अपनी सेवाएं दे रहे है।

आप राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर-पूर्व पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग में राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य भी है। साथ ही आप महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में कुलपति भी रह चुके है। वर्तमान में आप अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल में कुलपति के रूप में कार्यरत है। यहां आपके द्वारा हिन्दी भाषा के विकास एवं विस्तार पर जो कार्य किया जा रहा है वह अत्यंत प्रशंसनीय है जिससे हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को लाभ अवश्य मिलेगा।

उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ – 'नवीन शोध संसार'